

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**


KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

अन्तराष्ट्रीय राजनीति को विचारभूमि

THEORY OF INTERNATIONAL POLITICS


U. G. C. TEXT BOOKS

Dr. Prabhu Dutt Sharma

M.A. (Pol. Sc. & History),

M.P.A. (Pub. Adm.) (U.S.A.) Ph.D. (U.S.A.),

Gold Medalist

Reader, Department of Political Science,

University of Rajasthan, JAIPUR

&

Harish Chandra Sharma M.A.

Department of Political Science,

Lal Bahadur Shastri College, JAIPUR

*

COLLEGE BOOK DEPOT
JAIPUR-2

Published by :
College Book Depot
JAIPUR-2

Revised Edition 1970-71
All Rights Reserved with the Publishers
Price Rs. 21/-

Printed at :
College Press
&
Chandrodaya Printers
JAIPUR

राष्ट्रनाया हिन्दी के अनन्य उपासक
एवं भारतीय संस्कृति और चिन्तन
के सजीव प्रतीक



डॉ० रामानन्द तिवारी

'भारतीगन्दन'

को

सादर

समर्पित

★

जिनके समात्मभाव से यह
रचना अनुप्राणित है

तीसरे संस्करण के तीन शब्द

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों, सस्थाओं एवं विदेश नीतियों की दुनिया में जो व्यापकता है, उसे देखते हुए किसी भी लेखक और प्रकाशक के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने प्रकाशन को समीचीन एवं नवीन कैसे रखे । गत दो वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच एवं उसके क्षेत्र में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन एवं परिवर्तन प्रस्तुत हुई हैं उनके सदर्भ में यह अनिवार्य हो गया कि हम अपने इस प्रकाशन को नवीनतम सामग्री एवं विचार विस्तार से अलङ्कृत कर अपने हिन्दी माध्यम के पाठकों के ज्ञान को इस क्षेत्र में पुराना न पड़ने दें । फलतः प्रस्तुत है हमारा यह तीसरा संस्करण, दूसरे से अधिक समृद्ध एवं अपने विविध स्वरूप में ।

अपने पाठकों के हम आभारी हैं जो इस पाठ्य पुस्तक के स्वागत द्वारा हमें प्रोत्साहित करते रहे हैं । हमें विश्वास है कि इस पाठ्य-पुस्तक के अनुशीलन से आज के विश्वविद्यालयों के हिन्दी माध्यम के विद्यार्थी जगत अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अपने ज्ञान को उस स्तर तक बढ़ा सकेगा जहाँ से उसे अग्रेजी के उच्च स्तरीय प्रश्न एवं सदर्भ पुस्तक सरलता से समझ में आने लगेगी ।

—लेखकगण

प्राक्कथन

प्रस्तुत पुस्तक 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को विचारभूमि' अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को शासित करने वाले कुछ वैज्ञानिक सिद्धान्तों को बौद्धिक ढंग से विश्लेषित करने का एक नया प्रयास है। एक जमाना था जबकि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का ज्ञान केवल कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रमों और उनसे निर्देशित होने वाले युद्ध और शान्ति के प्रयासों तक ही सीमित था। आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में होने वाले नवीनतम प्रोग्राम ने यह सिद्ध कर दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति केवल घटनाक्रमों का घटाटोप न होकर कुछ नियम विरोधों के अनुसार घेला जाने वाला एक खेल है, जिसके विनाशो-राष्ट्र व्यक्तियों की तरह निश्चित राष्ट्रीय हित रखते हैं। विश्व शान्ति जैसे गम्भीर और मर्यादाक निष्कर्ष आज हमारी राष्ट्रीय हित को सम्पूर्ण एवं अम्बद्धन में जन्म लेकर शक्ति-संतुलन, सामूहिक सुरक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की समस्याओं को जटिल बनाते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के गम्भीर और बरिष्ट विचारधर्मों में हिन्दी माध्यम द्वारा वह सब कुछ सरल और बोधगम्य ढंग से कहने का प्रयास किया गया है जिसके लिए अभी भी अग्रजों भाषा का ज्ञान आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। पुस्तक की रचना में यथासम्भव प्राप्य सामग्री को मूल स्रोतों, पत्र-पत्रिकाओं और भाषिक ग्रन्थों से सजोकर सरलतम ढंग से विवेचित, विश्लेषित एवं प्रतिपादित किया गया है। आशा है, विद्यार्थीजगत हमारे इस प्रयास को उपयोगी एवं स्वागतव्य पायेगा।

अन्त में, धन्यवाद देना एक औपचारिकता हो गई है किन्तु अपने इस परिश्रम में यदि हम किसी का आभार मान सकते हैं तो केवल स्वयं का अपना तथा अपने उन प्रशिक्षक बन्धुभा का, जिनके आपसी सहयोग एवं प्रेरणापूर्ण परेधानियों से यह रचना सम्भव हो सकी है।

अनुक्रम

1

PART I

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधाराएँ (The Theories of International Politics)	1
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति	1
✓ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का विकास	4
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का क्षेत्र	5
वर्तमान विश्व राजनीति के परिवर्तनशील तत्व एवं नई दिशाएँ	14
अन्तर्राष्ट्रीय जगत की उनफ़रों	18
✓ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक विज्ञान के रूप में	24
विचारधारा का महत्त्व एवं योगदान	25
अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के प्रभाव के कारण	33
अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के निर्माण एवं स्वीकृति के मार्ग की बाधाएँ	38
✓ सिद्धान्तों के विकास की चार सीढ़ियाँ	42
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सामान्य विचारधारा	44
अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के प्रकार	45
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का क्षेत्र सिद्धांत	48
वेल तथा सीडेनाजी का सिद्धांत	51
✓ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धान्त	54
2 राज्य व्यवस्था (The State System)	63
राज्य व्यवस्था का अर्थ	64
राज्यों का शक्ति-स्तर	66
राज्य व्यवस्था का विकास	68
प्रदेशिक राज्य का जन्म और मृत्यु	71

राष्ट्र राज्यो की स्थापना	५६
राज्य व्यवस्था की विशेषताएँ	६२
राष्ट्रवाद का सिद्धान्त	६३
'राष्ट्र' और राष्ट्रवाद	६५
राष्ट्रवाद का अर्थ एवं प्रकृति	६६
राष्ट्रवाद की जड़	६६
राष्ट्रवाद के प्रकार	१०७
साम्यवाद और राष्ट्रवाद	११२
राष्ट्रवाद का नया रूप	११५
राष्ट्रवाद का मूलभाव	११८
राष्ट्रीय आत्मनिश्चय का सिद्धान्त	१२१
सम्प्रभुता की मान्यता	१२५
सम्प्रभुता के कुछ रूप	१२८



PART II

राष्ट्रीय शक्ति का सामान्य विचार	१३७
----------------------------------	-----

(The Concept of National Power)

राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप	१४१
शक्ति के लिए सघन के आधार	१४५
शक्ति की राजनीति पर यथार्थवादी एवं आदर्शवादी दृष्टिकोण	१४७
शक्ति मन्थन के रूप	१५२

राष्ट्रीय शक्ति के तत्व भूगोल और प्राकृतिक स्रोत	१५५
--	-----

(The Elements of National Power Geography & Natural Resources)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भूगोल का योगदान	१५६
अन्तर्राष्ट्रीय मामला पर भौगोलिक दृष्टिकोण	१६१
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भूगोल का प्रभाव	१६७
भौगोलिक तत्व एवं विश्व राजनीति	१७०
प्राकृतिक स्रोत	१७६

राष्ट्रीय शक्ति के तत्व जनसंख्या और तकनीकी (Elements of National Power - Population and Technology)	१८२
जनसंख्या	१८२
जनसंख्या का सभ्यतात्मक पहलू	१८५
जनसंख्या का गुणात्मक पहलू	१८६
जनसंख्या का वितरण	१६०
जनसंख्या का प्रसार एवं विनाश	१६१
जनसंख्या सम्बन्धी समस्याएँ	१६४
जगत्सभ्यता के विकास की वर्तमान प्रवृत्तियाँ (१)	१६५
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जगत्सभ्यता का स्थान	१६७
बढ़ती हुई जनसंख्या पर विचार करने के माग	१६६
राष्ट्रीय शक्ति के रूप में तकनीकी	२०४
तकनीकी और राष्ट्रीय शक्ति	२०८
तकनीकी का प्रवृत्ति और प्रभाव	२१०
विश्व राजनीति और तकनीकी प्रगति	२१३
तकनीकी के मुख्य प्रकार व उनका महत्त्व	२२०
विज्ञान, तकनीकी एवं विदेश नीति	२२७
शान्ति और राष्ट्रीय शक्ति	२२६
तकनीकी विकास का आधार	२३०
राष्ट्रीय शक्ति के तत्व विचारधारा मोरल और नेतृत्व (Elements of National Power Ideology, Morale & Leadership)	२३४
विश्व राजनीति में विचारधारा	२३६
विचारधारा के प्रकार	२४१
साम्यवाद की विचारधाराएँ	२४५
सांघातवाद की विचारधाराएँ	२४७
अनसर्पण एवं अस्पष्ट विचारधाराएँ	२५०
प्रजातन्त्रवाद एवं साम्यवादी विचारधाराएँ	२५२
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शून्य और द्विधर्मिताएँ ...	२६३
नेतृत्व और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ...	२६६
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा के कार्य ...	२७१
मोरल	२७२

मनोबल के निर्माण के साधन
 नेतृत्व
 राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन

२७१
 २७८
 २८

3 PART III

राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन
 कूटनीति प्रचार और राजनीतिक युद्ध
 (Instruments for the promotion of National
 Interest Diplomacy Propaganda &
 Political Warfare)

२८६

अन्तर्राज्यीय व्यवहार का बदलता रूप
 राष्ट्रीय हित का अर्थ
 राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित
 कूटनीति

२९१
 २९५
 २९८
 ३००

कूटनीति का अर्थ और परिभाषाएं
 कूटनीति के विकास का इतिहास
 कूटनीति का उद्देश्य
 प्रासंगिक कूटनीति के अभिनय
 कूटनीतिक विभागीयकार एवं स्वतंत्रताएं
 कूटनीतिक कार्यों का स्वरूप
 कूटनीति के विभिन्न प्रकार
 प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति
 सर्वसिद्धिकारवादी कूटनीति
 सम्मेलनों द्वारा कूटनीति
 व्यक्तिगत कूटनीति

३०१
 ३०३
 ३०६
 ३०७
 ३१०
 ३१२
 ३२०
 ३२१
 ३२३
 ३२४
 ३२७

युद्धप्रिय कूटनीति
 गुप्त कूटनीति
 प्रचार द्वारा कूटनीति
 पुरानी और नई कूटनीति
 कूटनीति पर प्रभाव डालने वाले कुछ नये विचार
 ससदीय कूटनीति
 सोवियत कूटनीति के कुछ रूप
 पश्चिम कूटनीति के अर्थ

३२८
 ३३१
 ३३३
 ३३४
 ३३६
 ३३८
 ३४०
 ३४३

प्रचार एवं राजनैतिक युद्ध ✓ ---	---	३४२
प्रचार का अर्थ एवं परिमाण	---	३४६
प्रचार के उद्देश्य	-	३४७
प्रचार के तरीके	---	३४९
प्रभावशाली प्रचार का आवश्यकताएँ		३५६
सूचना और प्रचार के रूप	---	३६०
मासिकपत्र रूप का प्रचार-उपकरण	-	३६३
मानविक सम्बन्ध और विदेश नीति		३६७
राजनैतिक युद्ध ✓		३७०
राजनैतिक युद्ध का साधन		३७२
राष्ट्रीय नीति की अभिवृद्धि का साधन		
धार्मिक साधन, साम्राज्यवाद-उपनिवेशवाद एवं युद्ध		३७५
(Instruments for the Promotion of National Power : Economic Instruments, Imperialism Colonialism and War)		
धार्मिक साधन	---	३७६
धार्मिक साधनों का महत्व	-	३७७
धार्मिक साधनों का अर्थ	---	३७८
अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक जीवन का प्रकृति		३८०
धार्मिक साधना के प्रकार	---	३८२
वैश्विक धार्मिक साधना	-	३८३
साम्राज्यवाद		४००
साम्राज्यवाद-उपनिवेशवाद ✓	---	४०१
साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद	---	४०६
साम्राज्यवाद की नींव के पथ		४०८
साम्राज्यवाद के रूप		४१४
साम्राज्यवाद का मूलकारण	-	४१६
पदनाथ उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद	-	४२१
सर्वोच्च साम्राज्यवाद	---	४२५
शान्ति साम्राज्यवाद		४२६
युद्ध का अर्थ	---	४३१
युद्ध के कारण	---	४३३
युद्ध के कारण	---	४३७

युद्ध का विगत एवं वर्तमान स्वरूप	४४१
सम्पूर्ण युद्ध	४४१
सैनिक शक्ति की सम्भावनाएँ	४४२
युद्ध को रोकने का प्रयास	४४३

PART IV

राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ - I (Limitations of National Power)	४६१
शक्ति मनुष्य	४६३
शक्ति संतुलन के अनेक अर्थ	४७०
शक्ति मनुष्य की श्यापना के तरीके	४७६
शक्ति मनुष्य तथा राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने वाले तत्व	४८१
शक्ति मनुष्य पर मार्गोंवा के विचार	४८२
शक्ति मनुष्य के सिद्धांतों का मूल्यांकन	४८३
सामूहिक सुरक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय भगडा का शांतिपूर्ण निपटारा	४८३
सामूहिक सुरक्षा और राष्ट्रमय	४८६
नामू हक मुरा और संयुक्त राष्ट्रमय	४९०
सामूहिक सुरक्षा और क्षत्राय मरिया	४९२
शांतिपूर्ण समझौते	४९७
शांतिपूर्ण समझौते के मान्य	४९६
क्षत्रीय व्यवस्था और शांतिपूर्ण निपटारे	४९९
राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ - II (Limitations of National Power)	४९३
अन्तर्राष्ट्रीय कानून	४९४
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का कानून का स्थान	४९७
क्या अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक सत्य है ?	४९९
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विरुद्ध समझौते	४९९
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विधान	४९५
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का इतिहास	४९५
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण	४९६
अन्तर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून	४९०
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रकार	४९१

पन्तराष्ट्रीय कानूनों की लक्ष्यमबद्ध करण	५३७
पन्तराष्ट्रीय कानून के पीछे दराव	५३८
पन्तराष्ट्रीय कानून का मूल्यांकन	५३९
विश्व सरकार की मान्यता का विपक्षताए	५४३
विश्व सरकार की उपयोगिता	५४८
विश्व सरकार के समत प्रोत्साहन	५५६
विश्व सरकार का मान्यता की पालोचना	५६८
निश्चयकरण	५७२
निश्चयकरण का आवश्यकता एवं महत्व	५८२
निश्चयकरण के प्रयत्न का इतिहास	५८६
सुसु राष्ट्र मंच के बाद निश्चयकरण के प्रयास	५६५
निश्चयकरण के माग की बढिताइया	६०६
राष्ट्रीय शक्ति का प्रथम मोमायें	६११
पन्तराष्ट्रीय संतुलन	६१२
विश्व जनमत	६१६

PART V

हमारे समय की उभरती हुई प्रगतिशा एशिया, अफ्रीका और	
लेटिन अमेरिका का जागरण	६२५
(Contemporary Emerging Trends Resurgence of Asia Africa and Latin America)	
विश्व परिवर्तन के आधार	६२६
पश्चिमि विश्व राजनीति पर प्रभाव डालन वाले तत्व	६२८
एशिया की जागृति	६३२
एशिया में स्वतन्त्र आन्दोलनों का सूत्रपात और	
अनिवेशवाद का दृष्टा	६३४
एशिया के प्रमुख राष्ट्रों में जागरण और उनके द्वारा	
स्वायंसेवता प्राप्ति	६४०
अफ्रीका की जागृति	६६४
सुसु प्रमुख अफ्रीकन देश	६७४
स्वतन्त्र अफ्रीका महाद्वीप की समस्याएं	६७७
अफ्रीका में साम्यवाद	६८१

अमरीका के उन्नयन	---	---	७१४
अमरीकी नीति का विचार	---	--	७१६
अमरीकी निर्णय	---	---	७१७
अमरीकी पर्यटन	--	---	७१७
अमरीकी धर्म	---		७१८
द्वितीय विश्वयुद्ध और अमरीका	---		७२०
भारत और अमरीका	---	.	७२३
द्वितीय महायुद्ध और अमरीकी विदेश नीति			७२४
सुधार का काल			७२६
महान् विश्वयुद्ध का काल	---		७२८
दूसरे विश्वयुद्ध			७२९
संघर्ष का काल	---		७२९
कारण : अमरीका की रण-नीति			७३७
सुनने समय का काल			७३८
बौद्ध दृष्टि का काल	---		७३९
अधुनिक भारत-देश की शिक्षा	---	---	७४१
व्यक्तिगत का काल	---	--	७४८
विदेशी युद्ध	---	---	७५८
भारत-देश युद्ध	---	---	८०३
विदेशी शिक्षण की विदेश नीति	---	.	८१२
अमरीका की विदेश नीति का मूल्यांकन	---	---	८१४
शान्ति युद्ध	---		८१७
(Cold War)			
द्वितीय विश्वयुद्ध का प्रारम्भ, भारत और शिक्षा	---	---	८१८
विदेश की युद्ध के विरुद्ध विचारधारा	---		८१९
युद्ध की विदेश के विरुद्ध शिक्षाधारा	---		८२७
१९४७ से वर्तमान समय तक के द्वितीय-युद्ध पर एक दृष्टि			८३२
संघर्ष-युद्ध का नाम शिक्षा-युद्ध			८४३
1. यूरोप का पुनर्निर्माण तथा पुनर्गठन		--	८४८
(Rebuilding and Reorganization of Europe)			
शान्ति स्थापना के प्रयास	---	--	८५०
शान्ति के मुख्य-मुख्य कारण	---	---	८५३

प्रन्तरीणीय पाठकों का छाहर एवं प्रकाशना	१७१
सत्र द्वारा मातृ-प्रविरास की रसा	१७२
संयुक्त राष्ट्रमण की देव	१७४
विश्वनाम धीर प्रतिवच एतिया की सवहराए	१८०
(Problems of Vietnam and West Asia)	
विश्वनाम की समस्या	१८०
जेनेवा में युद्ध-विराम संधि धीर विश्वनाम का	
विभाजन	१८१
युद्ध विराम की सम्भवता धीर विश्वनाम का	
वर्तमान समय	१८४
मध्य-पूर्व की समस्या	१८५
इजरायल-पर्व युद्ध	१८५
Exercise	१००८
Suggested Readings	१०११

PART I

Theories of International Politics , Realistic Theory,
Science of International Politics, a survey of new develop-
ments

अध्याय-१—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधाराएँ
(The Theories of International Politics)

अध्याय-२—राज्य-व्यवस्था
(State System)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधाराएँ [THE THEORIES OF INTERNATIONAL POLITICS]

एक विचारगोत प्राणी होने के नाते व्यक्ति के प्रदेय बायें व पीछे विचारों की श्रेणी एक आधार रहता है। उसका बायें चाहे व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय, किसी भी क्षेत्र में दिया जाये, उसे हम मानवीय बायें तभी कहेंगे जबकि वह विचार एक बुद्धि पर आधारित है। यही स्थिति आगे चल कर व्यक्तिगत क्षेत्र में नैतिक नियमों, सामाजिक क्षेत्र में रीति रिवाजों एवं परम्पराओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न परम्पराओं के विकास का कारण बनती है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधाराएँ विभिन्न राष्ट्रों के व्यवहार को इस प्रकार तय करती हैं कि वे अपने हितों का साधन बुद्धिपूर्ण तरीके से कर सकें।

— अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधाराओं के विश्लेषण से पूर्व यह उपयोगी होगा कि हम राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच स्थित अन्तर तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन के विकास की जानकारी प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (National and International Politics)

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच सदैव ही एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना कठिन है, फिर भी दोनों के मध्य स्थित अन्तर के प्रति सजग रहना आवश्यक है। कई एक समस्याएँ ऊपर से देखने पर पूर्णतः

राष्ट्रीय व्यवस्था संघर्षात्पीय प्रकृति को सिगाई देती है किन्तु समय में वे पूर्णतया ऐसी नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर लक्ष्य रखते जाते जाते धन की माया मजबूत बनने लगती है कि संघर्षात्पीय व्यवस्था की स्थिति और उग्र दृष्टि में उदाहरण यह कि माया बना है। एक दूसरे उदाहरण में जब एक देश द्वारा संघर्षात्पीय त्रिग वेग नीति को अपनाता है उसका उग्र दृष्टि के विचारविषय की आविष्क स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इन धर्म में वह एक राष्ट्रीय माया की विद्या हुई किन्तु उग्र वेग नीति का निर्माण के सुझावों पर संघर्षात्पीय दृष्टि का संघर्षात्पीय व्यापार पर जो प्रभाव पड़ता है वह इनका संघर्षात्पीय प्रकृति है। इन प्रकार राष्ट्रीय एवं संघर्षात्पीय क्षेत्रों का परस्पर परिणाम होता है। कभी-कभी इनमें यह सम्भव विद्या जाता है कि जो विद्यालय तब विचारधारामें राष्ट्रीय जीवन पर लागू होती है उसका संघर्षात्पीय जीवन पर भी लागू किया जा सकता है। इनका धर्म यह हुआ कि त्रिग लोगों की संघर्षात्पीय राजनीति का प्रदर्शन अनुभव नहीं है वे लोग भी राष्ट्रीय राजनीति के आधार पर अपनी तात्त्विक क्षमता का उपयोग कर सकते हैं पर राष्ट्रीय एवं संघर्षात्पीय राजनीति के बीच अनिष्ट सम्बन्ध एवं अनिश्चय की स्थिति होने के बाद भी यह एक सत्य है कि राष्ट्रीय विशेषज्ञता का संघर्षात्पीय पदनामों में बहुत कम उपयोग रहता है, यही तब कि कभी कभी राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों को संघर्षात्पीय राजनीति में लागू करने से सम्बन्धित गतरे भी उत्पन्न हो जाते हैं।

जब हम दूसरे देश की राजनीति का अध्ययन करते हैं, तब कुछ समस्याएँ हमारे सामने आती हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी सभ्यता का गहरा प्रभाव रहता है और ऐसी स्थिति में जो लोग अपने देश की राजनीति में साहिर होते हैं वे आवश्यक नहीं कि अन्य देशों की राजनीति को भी अपनी ही गहराई से समझ सकें, क्योंकि दूसरे देश के लोग भी उनकी सभ्यता एवं परम्पराओं में रगे रहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब एक व्यक्ति यह देखा है कि दूसरे देश के लोग उस सभ्यता एवं परम्परा में विश्वास नहीं करते जिसमें वह स्वयं करता है तो वे इनके एक अस्वाभाविक स्थिति बहते हैं। अपनी पृष्ठभूमि के भिन्न होने के कारण एक देश में रहने वाले विदेशी लोग उस देश के व्यवहार के सम्बन्ध में अनेक बार गलत निर्णय ले लेते हैं। व्यवहार में ऐसे भी उदाहरण देखने की मिलते हैं कि एक ही समस्या के बारे में देश के अन्दर रहने वाले और देश से बाहर रहने वाले लोगों के विचारों में विभिन्नता रहती है। एक ही स्थान पर रहने वाले देशी और विदेशी व्यक्तियों के दृष्टिकोणों के बीच अन्तर ही जाता है। यह अन्तर यह है कि

एक देश के नागरिक अपने देश के अपने मामलों में अधिक रुचि लेते हैं जबकि विदेशियों को उन देश की विदेश नीति में सम्मेलन में अधिक रुचि रहती है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत-युद्ध (Cold-war) प्रारम्भ हुआ उसके पीछे मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र परम्परागत भेद कार्य कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र समीक्षात्मक शोधों से ही देशों के लोग अपनी नीति का प्रतिनिधि कहना से जो उनका नागरिकों की सम्मानित एवं अधिकार प्राप्त की ओर सन्तुष्ट थी किन्तु इनमें से प्रत्येक दूसरे का धृष्टता की दृष्टि में समता या ओर अपनी नीतियों को अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिए मान्य समझना था।

इस प्रकार यह बहुत सुविधा है कि दूसरे देश की स्थिति एवं नीति का मूल रूप में सम्मेलन द्वारा, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय समाज की समझना तो ओर नो कठिन है क्योंकि इस समाज का एक व्यक्ति नहीं होते बल्कि राज्य होते हैं। जब हम राज्य के बारे में विचार करते समझे हैं तो उनका एक मानसिक संरचना न मान कर उन्हें वास्तविक मनुष्य समझना ही सही कर लेते हैं और इस प्रकार दो देशों के मध्य स्थित सम्बन्धों का ऐसे अध्ययन करते हैं मानो दो व्यक्तियों के मध्य स्थित सम्बन्धों का अध्ययन कर रहे हों। इस अध्ययन में हम उन सब बातों को ध्यान में रखते हैं जो व्यक्तिगत सम्बन्धों की विशेषता मानती आती है। यही कारण है कि कभी-कभी दो देशों का उनके प्रतिनिधियों में वैयक्तिकरण कर दिया जाता है। यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री या विदेशी मामलों के राज्य मन्त्रियों को उग देश का प्रतीक समझ लिया जाता है। राज्य की प्रकृति कृत्रिम एवं परम्परागत होती है तथा एक व्यक्ति जब पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है और उसमें जब वह अपने व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य करता है, उसमें पर्याप्त भेद रहता है। यदि हम इन बातों का ध्यान में न रखें तो भ्रम की गुंजाइश रहती है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों की प्रकृति के सम्बन्ध में स्पष्ट होने वाले भ्रमों के प्रतिरक्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के अध्ययन में भी अनेक व्यावहारिक समस्याएँ उत्पन्न हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस मापा का प्रयोग किया जाता है उसकी उत्पत्ति राष्ट्रीय स्तर पर ही हुई है इसलिए यह स्वभाविक है कि प्रयुक्त किए गए शब्द अपने अर्थ के सम्बन्ध में भ्रम उत्पन्न कर दें। हम अन्तर्राष्ट्रीय समाज और अन्तर्राष्ट्रीय माण्डों का अध्ययन ठीक इस प्रकार करना चाहते हैं मानो यह व्यक्तियों के समूह हों। हम अन्तर्राष्ट्रीय जगत में नीतिज्ञान और नैतिकता का अध्ययन करते हैं, राष्ट्रों के अधिकारों एवं कर्तव्यों पर विचार करते हैं। इसी प्रकार जब हम अन्तर्राष्ट्रीय

बेन्थम (Jeremy Bentham) ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का नाम दिया है। ज्ञान की इस शाखा में न केवल विभिन्न देशों के विदेशी मामलों का नया अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास का अध्ययन किया जाता है बल्कि इनमें अन्तर्राष्ट्रीय समान्य तथा उनकी सम्पत्तियों का भी अध्ययन सम्मिलित है। शून्यीतियों, अन्तर्राष्ट्रीय बाहूत वेत्ताओं, आदि ने इन क्षेत्र में एक सामान्य मान्य सिद्धि की है एक कुछ मानान्यों परम्पराओं नाशू की है जो अन्तर्राष्ट्रीय शिक्ति में भी प्रयुक्त होती है। शक्ति समुत्पन्न आदि सम्पत्तियों की उदाहरण के रूप में दिया जा सकता है।

आहार, शक्ति, राष्ट्रीय परम्पराओं आदि ने विभिन्नान पूर्ण राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का बाह्य ऐसी विचारधारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती जा सामान्य रूप में स्वीकृत हो। यदि हम विश्व-समाज के १९४ वा हमने भी आरंभ राष्ट्रों के पारम्परिक सम्बन्धों के बारे में कुछ मानान्यों पर उ करना चाहते हैं तो कान पनाने के लिए कोई परिचयना करना आवश्यक है।

एक परिचयना यह है कि मानव-जाति इन सम्बन्ध राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय समाज में होने-दाने रूप में सशक्ति है। इन सम्बन्ध राष्ट्रों के पारम्परिक सम्बन्ध मुक्त रूप से शक्ति (Power) पर निर्भर करते हैं। इन राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कुछ पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है जो अपने देश एवं अन्तर्राष्ट्रीय बातावरण के दबावों और मध्यस्थता प्रभावों की जटिलताओं में राष्ट्र की नीति को निर्धारित करते हैं। इन अन्तर्राष्ट्रीय समाज के नामने समस्त-समस्त पर मध्यस्थता रहने हैं और कभी-कभी सम्बन्ध की सम्भावना उभर जाती है। दूसरी ओर राष्ट्रों के बीच सीधे-सीधे विद्विष्ट होने वाला अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग या अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति का कुछ कुछ प्रदान करता है। शक्ति पर आधारित इन परिचयना को न तो सीधे-सीधे उदा या सकता है और न ही शायक रहने; किन्तु फिर भी यह अनोखी ओर मनीषी है। इसने द्वारा राष्ट्रों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक पदार्थशाही दृष्टिकोण प्रदान किया जाता है। साथ ही यह शक्ति की राजनीति से प्रभावित होने वाले सम्बन्ध राष्ट्रों के वर्तमान विश्व और उनके बीच कन के सहयोग की सम्भावनाओं के बीच समानोपन करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति शक्ति का दृष्टिकोण (Power Approach) परम्परागत है। राष्ट्रों के द्वारा विभिन्न तरीकों से शक्ति का प्रयोग किया जाता है और शक्ति पर जो अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण रखा जाता

मीन मुक्त प्रारम्भ होने से शक्ति पर धीरे से बल दिया जाता चाहिए। अन्तराष्ट्रीय हित की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाने लगा और आज यह अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में राजनीति के क्षेत्र में अन्वयन का एक वैश्वीय विषय बन गया। आज अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों का विषय एक भयान अनुशासन के रूप में वर्णित महत्त्व प्राप्त कर चुका है। इस विषय पर बहुत बड़ी सभा में विद्वता पूर्ण पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होने लगी हैं। धनराष्ट्रीय विद्वान इस क्षेत्र में विनोदित बने हैं और यदि नवीन प्रविश्यों तथा मान्यताएँ विकसित हुई हैं। अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों की सभा भी बढ़ती जा रही है।

वास्तव में आज की परिवर्तित परिस्थितियों में अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन प्रतिभापिण महत्त्वपूर्ण होना जा रहा है। यह अध्ययन केवल विगत घटनाओं का समीक्षण मात्र नहीं है बल्कि अन्तराष्ट्रीय साम्यविचारों का सही निरूपण है। आज इस क्षेत्र में शक्ति के विचारों के प्रयोजनरत के लिए अनेक माध्यम मिल गये हैं। अंतर्गत दृष्टि में अन्तराष्ट्रीय घटनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय घटनाओं का अध्ययन भी आवश्यक समझा जाता है। अन्तराष्ट्रीय घटनाओं का विभिन्न पहलुओं को अन्वय अनुशासनों द्वारा भी देखा जाता है—उदाहरणार्थ इतिहासकार कूटनीतिज्ञ इतिहास पर विचार करते हैं, अर्थशास्त्री अन्तराष्ट्रीय वित्त और व्यापार का हित करते हैं, तथा राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी अन्तराष्ट्रीय कानून, समकाल और राजनीति को पढ़ते हैं। धीरे-धीरे मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, जाति-शास्त्र, भूगोल, दर्शन आदि विषय भी अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र की ओर अधिकाधिक आकर्षित हो रहे हैं।

अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन दो दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण सम्पूर्ण अन्तराष्ट्रीय समाज को सामने रण कर चलता है और इकाइयों का इस व्यवस्था का भाग मानता है। इसी दृष्टि का गुण केन्द्र इकाइयों का पारस्परिक सम्बन्ध है। यह दृष्टिकोण अन्वय से प्रेरित होता है। एक दूसरा दृष्टिकोण इकाइयों से प्रेरित हो सकता है। यहाँ मुख्य अर्थ का विषय इकाइयाँ एवं भाग होते हैं और उनके उद्देश्यों एवं योजनाओं के विश्लेषण पर अधिक जोर दिया जाता है। अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों की अधि-प्राय पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के दृष्टान्त से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दूसरे दृष्टिकोण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यँसे दोनों ही दृष्टिकोणों की अपनी कमजोरियाँ एवं महत्त्व हैं। कुछ विचारकों का कहना है कि व्यवस्था का दृष्टिकोण अन्तराष्ट्रीय कानून एवं समकाल तथा अन्तराष्ट्रीय आलावरण के महत्त्व का अधिक मूल्यवान् कर लेता है। इस दृष्टिकोण में राज्यों के अन्त-

मैत्र प्रान्त गतिनीय शक्तियों को मुक्त किया जाता है। राज्यों को एक समान सम्बन्ध दिया जाता है जिसकी बग़ायट एक जैसी है तथा कबन बग़ायट में हा बग़ायट है। दूसरी पार बाट याता दृष्टिकोण धार्मिक पहलुओं एक राष्ट्रीय पहलु पर धार्मिक और देखा है और इन प्रकार अन्तर प्रक्रिया एक इच्छाओं क पारस्परिक सम्बन्धों को धकेलता हा जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधारा का विभाग कई एक उद्देश्यों को सामन रख कर होता है। विचारधारा (Theory) के द्वारा यह तय किया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में कैसा सम्बन्ध रखना वह अपने विद्वानों की विचार प्रदान करना तथा विश्व उद्देश्यों का वह अपने व्यवहार की प्रेरणा बनायना। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचारकों विद्वानों तथा सतर्कों का दृष्टिकोण इन समस्याओं क बार में एक जग नहीं रहता, इनके धर्मेक विचारधाराओं का विभाग हाता है। यह विचारधारा वहीं वहीं का एक दूसरे की पूरत प्रतीत होती है और वहीं इनके बीच परस्पर विरोध की प्रतीति होती है। पहले कोई भी एक जब दूसरे देश क साथ अपने सम्बन्धों का तय करता या तो उमक सामने कोई एक निश्चय भाग नहीं होता या त्रिभय अनुसार वह धरो व्यवहार क रूप को मानसक। उन समय का युद्ध भी राज्य क उम्हासिकारियों का दृष्टिकोण रहता या तथा त्रिभय भी वे देश क हित में सम्भय य उनके अनुसार उम देश के विदेशी संबंध निश्चित हो जाते थे। किन्तु जब अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एक पृथक अनुशासन के रूप में विकसित हुआ तो धर्म निश्चित एवं विचार धाराए रूप ग्रहण करने लगी। इसके बाद यह समझा जाने लगा कि जब दूसरे देशों के साथ रहे जाने वाले संबंधों को निश्चय किया जाए तो इन विचारधाराओं का आधार बना दिया जाए। अन्तर्राष्ट्रीय गतित्र में विचारधाराका का महत्व क्रमश बढता जा रहा है और देश विदेश की बढपनी हुई परिस्थितियों समस्याओं एवं नवीन विचारों के सामने म नई-नई विचार धाराए जम लेती हैं, पूर्ण विचारधाराए सन्तुचित हाती हैं तथा मविध्य का रूप निर्धारण करती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का क्षेत्र (The Scope of International Relations)

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का जब एक पृथक अनुशासन के रूप में विकसित हो गया, तो, उम्हा, धर्मधर्म, धर्म, निश्चित, दिग्ने, धर्मे, पर, धर्म, निश्चित, निश्चित जाने लगा। मि० ग्रेसन बिक (Grayson Kirk), क्लास मोर (Klaus

Knorr), ई० एल० वुडवाड (E. L. Woodward) एवं वाल्डेमर गुरियो (Waldemar Gurian) आदि विचारकों ने एक उच्च अध्ययन की भाषा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रकृति एवं क्षेत्र पर विचार प्रकट किए ।

अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के अध्ययन शोध (Scope) पर विचार करने से पूर्व यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि यह पद अत्यन्त ही अस्पष्ट है । अध्ययन शोध शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि जिन विषय बस्तु की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है उन्हीं कुछ निश्चित सीमाओं में । अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में ऐसी कोई सीमा नहीं होती । ज्ञान के शोध का एक निश्चित प्रकार नहीं होता । इसके विभिन्न धारों के तथ्य तरीके जो एक समय विशेष पर कुछ प्रश्नों का जवाब देने के लिए उपयोगी लगते हैं वे दूसरे समय अपना महत्त्व खो देने हैं । ज्ञान की एक शाखा द्वारा एक ही समय में विभिन्न निरीक्षणों के धन-धन पधुनों का प्रतिनिधित्व किया जाता है । ये पहलू निरीक्षण के लक्षण एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं । जिन सीमाओं द्वारा ज्ञान के एक अनुशासन को दूसरे से अलग किया जाता है वे भी कोई ठोस दीवारों की भाँति नहीं होते । समय-समय पर इन अनुशासनों की रचना भी बदलती रहती है और इन प्रकार उनकी रूप रचना में भी परिवर्तन मा जाता है । यह परिवर्तन अत्यन्त धीमी गति के साथ होता है क्योंकि मानविक आदर्शों की धीरे-धीरे बदलती हैं तथा बौद्धिक जगत् के निहित स्वार्थ भी सामाजिक दुनिया में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करते हैं । यही कारण है कि एक अनुशासन लम्बे समय तक अपने पुराने रूप को ही बनाये रगता है ।

इन सभी बातों को ध्यान में रखने पर हम प्रश्न का उत्तर ढूँढ़ना बटिन नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एक पृथक अनुशासन है अथवा म्लिथ विषयों से ही लिया गया एक मिला-जुला विषय है ? इसकी किसी नवीन शाखा का विकास होता है तो वह केवल तभी होता है जबकि कुछ नये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नये तरीकों की मांग की जाती है । इस प्रकार के विषय प्रारम्भ में तो मूल विषय के प्रकार मान ही प्रतीत होते हैं तथा ज्ञान की स्थित शाखाओं के साथ सम्बन्ध रहते हैं किन्तु जब नवीन प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है तथा उत्पन्न प्रश्नों की अस्पष्टता स्पष्ट हो जाती है तो कुछ उन्माही मस्तिष्क नये मुद्दाय पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं । उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप ज्ञान के एक विशेष विकास का जन्म होता है तथा जो भी कोई इन क्षेत्र के प्रश्नों का जवाब देना चाहे उसे इनका पूरा ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होता है । पहले-पहले एक दिन यह ज्ञान की नई

शाखा का रूप धारण कर लेता है। यही प्रक्रिया घण्टर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को भी घटानाती पड़ी और उसके बाद ही ये ज्ञान की एक स्वतन्त्र शाखा के रूप में विकसित हो गये हैं।

विश्व के राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों के बारे में जो प्रश्न उठते हैं वे निश्चय ही महत्त्वपूर्ण एवं कठिन होते हैं। ये सम्बन्ध एक विशेष समाज से सम्बन्ध हैं जिसकी स्वायत्त इकाइयों के बीच कोई ऐसी केन्द्रीय शक्ति नहीं होती जिसे कि शक्ति का एकाधिकार प्राप्त हो। वर्तमान ज्ञान की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि घण्टर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के प्रश्न इनके अतिरिक्त एक अन्तर-राष्ट्र है कि उन पर स्वतन्त्र अनुशासकों के एक भाग के रूप में विचार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में इसे ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में विकसित करना परम आवश्यक था।

घण्टर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में जिन विषयों का अध्ययन किया जाता चाहिए तथा कौन से विषय इनके अध्ययन क्षेत्र से बाहर हैं, यह ज्ञान तय करते समय हमका विभिन्न विचारकों के मतों को सामने रख कर धरना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि ये मत पूर्ण रूप से मर्य ही होंगे किन्तु फिर भी इनके धार्मिक मर्य की धारा तो भी ही जा सकती है। घण्टर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का जो क्षेत्र बसाया जाता है उसे हम पूर्णतः साथ एवं अन्तिम नहीं मान सकते क्योंकि समय के विकास के साथ-साथ इनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं।

घण्टर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रकृति एवं क्षेत्र के सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह कहा जा सकता है कि ये वे सम्बन्ध होते हैं जो एक देश घटनी सीमाओं से बाहर निरूप कर अन्य देशों के साथ विकसित करता है। इन सम्बन्धों के बारे में जो ज्ञान का सपह है उसे भी हम हमकी परिधि में रख सकते हैं।

दूसरे, ज्ञान की शाखा के रूप में घण्टर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अन्तर्गत विषय वस्तु एवं प्रश्नों पर विचार करने के लिए विशेषण के तरीके तथा तकनीकें भी समाहित रहती हैं। इसकी विषय वस्तु में किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले ज्ञान का सपह रहता है जो पुरानो अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझाने तथा कई समस्याओं को सुलभाने में सहायता कर सके। इस विषय वस्तु में राजनैतिक समूहों या व्यक्तियों के व्यवहार से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान आता है तथा साथ ही नीति सम्बन्धी प्रश्नों या घटनाओं से सम्बन्धित विशेष सूचना भी सम्मिलित रहती है। जहां तक सामान्य ज्ञान

के प्रश्नों का सम्बन्ध है इनमें इन प्रश्नों की जांच करने के लिए या उन्हें ध्वंसीकार करने के लिए पटिवल्यनामों तक पहुँचने के तादिक प्रयास भी रहते हैं। जहाँ तक व्यावहारिक प्रश्नों का संबंध है इनमें हम संलग्न प्रश्नों पर विचार करने के प्रयासों, मूल्य से सम्बन्धित सध्यों के वर्गीकरण, प्राप्त कार्य के विधियों का उत्प्रेत एवं उनके सम्भावित परिणामों, आदि को समाहित किया जाता है। इन विधियों में से उस विधय की प्रपना लिया जाता है जो इच्छित सध्यों को प्राप्त करने की दिशा में सहयोग प्रदान करें।

तीसरे, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में विशेष प्रकार के प्रश्नों पर विचार करता है। इसमें सम्बन्ध उन प्रश्नों से है जो कि विश्व-व्यवस्था में स्वायत्त राजनैतिक समूहों के पारस्परिक सम्बन्धों से प्रकट होते हैं। इन विश्व-व्यवस्था में किसी भी एक स्थान पर शक्ति का केन्द्रीकरण नहीं होता।

चौथे, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का विरूपणकर्ता वह होता है जो राष्ट्रीय के पारस्परिक संबंधों पर विचार करने की विशेष योग्यता रखता हो। यह विरूपणकर्ता राष्ट्रीय नीतियों के सधय, समायोजन और समझौतों में रुचि लेता है। यह सम्भव है कि वह जातिशास्त्र, समाजशास्त्र या जनसंख्या से सम्बन्धित विद्या आदि सलग्न विषयों में भी अपनी रुचि दिशाएँ, किन्तु ऐसा वह उनी मात्रातक करेगा जिस तक कि ये विषय अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर प्रकाश डालते हों। ऐसी स्थिति में इन दोषों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विरूपणकर्ता की वह रुचि नहीं रहती जो एक समाजशास्त्री, जातिशास्त्री आदि की रह सकती है।

पाँचवें, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का तकनीकी ज्ञान एक राष्ट्रीय समुदाय के अन्तर्गत सामाजिक सम्बन्धों के ज्ञान के व्यापक भौगोलिक स्तर का केवल प्रसार मात्र नहीं है बरन् इसके अनेक कुछ विशेष तत्व होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सम्बन्ध विशेष प्रकार के शक्ति सम्बन्धों से रहता है जिसका अस्तित्व एक केन्द्रीकृत सत्ताविहीन समाज में होता है। अन्तर्राष्ट्रीय धर्मशास्त्र उन व्यापारिक सधयों पर विचार करता है जो राष्ट्रीय सीमाओं का प्रति-क्रमण करते हैं तथा जो सम्प्रभु राष्ट्रों के अनियन्त्रित कार्यों के कारण जटिल हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून वह कानून होता है जो स्वतन्त्र राष्ट्रों की स्वेच्छाजनक स्वीकृति पर आधारित हो।

छठे, अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों द्वारा जिन प्रश्नों पर विचार किया जाता है वे मुख्य रूप से सामाजिक सधयों एवं समायोजनों से सम्बन्धित होते हैं। अतः

के व्यवहार, विभिन्न स्थितियों के मापदंड मूल्य तथा कुछ सीमा तक राष्ट्रों के वाहूनी व्यवहारों एवं वर्तमानों पर विचार करना होता है। किन्तु इन प्रकार के विषय अधिक नहीं होने और सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को उस समय तक समझना असम्भव होता है जब तक उन स्थानीय तथ्यों एवं प्रभावों का उचित अध्ययन न कर लिया जाए जो राष्ट्रीय नीतियों की रचना पर प्रभाव डालते हैं।

नवें, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में मानवीय व्यवहार (Human Behaviour) का अध्ययन भी अपना महत्व रखता है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में नियंत्रण लेने की प्रक्रिया का पर्याप्त महत्व है। ये नियंत्रण ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों द्वारा लिए जाते हैं जो पहचाने जा सकें।

दसवें, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को एक दृष्टि से सांस्कृतिक विषय कहा जा सकता है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि कुलत्र नियंत्रणक्षेत्रों को बाहर निकाल दिया जाए। इसके विपरीत यह जरूरी माना जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विद्यार्थियों को सामान्य क्षेत्र का परिषय प्रदान किया जाए और इनकी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए उचित तरीके बताए जाएं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की विषयवस्तु का एक सांस्कृतिक महत्व है क्योंकि इसके प्रतिक्षण से विद्यार्थी को प्रभावपूर्ण विचार करने के तरीकों का ज्ञान होता है तथा वह अपने वातावरण के इस महत्वपूर्ण भाग को समझने में समर्थ हो पाता है। एक प्रज्ञातत्र के नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विदेशी मामलों से संबंधित प्रश्नों पर विचारपूर्वक अपना मत निश्चित करे।

जो लोग अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में अपना जीवन व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें व्यावसायिक प्रतिक्षण प्रदान किया जाता है। इस दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को पांच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय कानून और सभ्यता, कूटनीति, इतिहास और राजनैतिक भूगोल। इसके प्रतिरिक्त इसमें कुछ सामाजिक-मनोवैज्ञानिक विषयों का भी अध्ययन किया जाता है; जैसे, समाज शास्त्र, जाति शास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और नीति शास्त्र आदि। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विचारक को संबंधित विषयों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वह सम्पूर्ण प्रश्नों के बारे में प्रभावशील रूप से सोचने में सक्षम हो सके। यह भी आवश्यक है कि उसे कम से कम एक स्वीकृत अनुशासन का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वह मूल बौद्धिक सदगुणों से परिचित हो

सके। इस प्रकार के प्रतिपाद्य के बाद ही यह विद्वता का उच्च स्तर प्राप्त कर लेगा और अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में भी उपयोगी योगदान कर सकेगा।

यत्नमान विश्व राजनीति के परिवर्तनशील तत्त्व एवं नई विभाष्ये
(Dynamic Elements of Contemporary World Politics
and New Dimensions)

विश्व राजनीति के पटन पर बीगबी शताब्दी की प्रारम्भिक दशाब्दियों से ही कुछ एक ऐसी विभागों ने जन्म लिया जो प्रागे बन कर अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के निर्णायक तत्त्व बन गए। इन विभागों की प्रकृति परिवर्तनशील है और समय के साथ साथ इनमें आवश्यक समापन, परिवर्तन और परिवर्धन होना रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी ऐसी घनेक नई शक्तियाँ घपसा तत्त्व सामने आए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवस्था के कार्यों को तथा विश्व व्यवस्था की प्रकृति को प्रभावित किया। इन तत्त्वों के रूप में होने वाले परिवर्तनों के बाद इस क्षण की तत्त्वता सामने आ जाती है कि सारा सारा एक रङ्गमंच की भांति है। जिस प्रकार नाटक के रङ्गमंच पर घटनाएँ घाती और आती रहती हैं उसी प्रकार विश्व व्यवस्था में भी हस्तों एवं घमिनेताओं का परिवर्तन होता रहता है। इस रङ्गमंच पर बड़ी तीव्रता से घटनाएँ घाती और आती रहती हैं। दुनियाँ में युद्ध हुए, मार हुए, प्रलय आई किन्तु बाद में फिर गृहजन हुआ, सृष्टि पत्नी और शांति की मोद म मानव सम्पत्ता पनने लगी। प्रथम विश्वयुद्ध हुआ, भीषण मर गंधार के बाद रण-भेरी दही राष्ट्र सच ने युद्ध की सम्भावना को टालने का प्रयास किया किन्तु क्योंकि रणचही का सत्पर घमो भरा न था, राष्ट्र सच (League of Nations) मर गया और उसकी साज पर पुन लोपे मनगनाने लगीं। मानव की दैवीय प्रवृत्तियों ने फिर जोर दिया और सब की बार शांति स्थापना का कार्य समुक्त राष्ट्र सच (United Nations Organisations) को सौरा गया। अस्त्र-मस्त्रों के युद्ध का स्थान शीत युद्ध ने ले लिया। सारा मुख्य रूप से दो भागों में बट गया। विचारधारा के आधार पर विभाजित ये दोनों ही भाग एक दूसरे के परम शत्रु बन गये। साम्पवादी गुट कहता है कि वह एक दिन सारे विश्व को साल भडे के नीचे ला खडा करेगा जबकि घमाम्पवादी गुट वाले घपनी प्रजातन्त्रार्थक स्वतंत्रता की रक्षा के समिवृद्धि के लिए घपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार बैठे थे। इन दोनों के बीच एक तीसरा ममुसाय और भी बन गया जो दोनों से घलग तथा दोनों के विरोधों

ध भनमुटावो को कम करने का प्रयत्न करने लगा। यह अपने पास ही प्रम-लान्न राष्ट्रों का मुटू कहता है। यह गुट भावश्यक भी था क्योंकि यदि गीठ पुदू वभी गर्म पुदू में परिवर्तित हो गया तो प्रणु शक्ति से पुक्त इस पुदू में क्या शेष रह जायगा यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता। प्रणु शक्ति का विकास न केवल विाद-प्राप्ति बरन् मानवता के प्रतिस्व के लिए ही एक साकार चुनौती बन गया।

साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद धीरे-धीरे मिटते चले गये। ब्रिटेन, जिसके शासन में कभी सूर्य ही न छिपता था अब अपने क्षेत्र में ही सीमित रह गया। साम्राज्यवाद का रूप बदला, वह अब रात्रनैलिन न रह बर प्रापिक तथा सैनिक बन गया। विश्व के दोनो ही गुट एक दूसरे के प्रभाव को घटाने के लिए सधि सगठनों का निर्माण करने लग। छोटे राज्यों को भी इन दो पाटों के बीच अपना सुरक्षा उत्तर स नजर आने लगी। गाटो, सिण्टो, सेन्टो, बगदाद पंक्ट प्रादि सैनिक सधियां होने लगी। साम्यवाद के चारों धोर धेरा शक्त दिया गया। दूसरी धोर साम्यवाद ने भी इस बकभूह को तोडना प्रारम्भ कर दिया। समय के अनुसार विभिन्न राज्यों की शक्ति-स्थिति में घन्तर आने लगा। विदेशी पजे से पूट कर अनेक नवोचित राष्ट्र विश्व रगमच पर प्राकर अपना पाटे घसा करने लगे। छोटे राष्ट्रों में अपना सध बना बर सामूहिक रूप से सुरक्षा एव विकास के बावों में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति का विकास होने लगा। एशिया क अफीका के देशों में चेतना प्रागी। दक्षिण एशिया एक क्षेत्र के रूप में, दक्षिण पूर्वी एशिया एक क्षेत्र के रूप में, अरब गणराज्यों का सध, अफीकी एशियाई सध प्रादिको साकार करने की दिशाधो में राजनीतिधो के मस्तिधनों की मुद्रया धूमन लगी।

यह है विश्व रगमच, जिसकी घटनाधो में नदी के जल का हा प्रवाह धोर परिवर्तन है। इस प्रवाह में वर्तमान समय में जो नये मोड़ तिमे हैं उनमें से कूड का सक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

(१) विचारधाराधों का परिवर्तित रूप (The Changing States of Ideologies)

साम्यवाद व पूत्रीवाद के प्रतिनिधि के रूप में रूस तथा अमरीका के बीच पहले सैदान्तिा भेद इतना था कि इनको धुम्बक के दो ध्रुवों की भांति धृपक एव असासन्न माना जाता था। दोनो देशों के बीच विचारधारा के मूल अन्तर अब भी वर्तमान हैं—एक पूर्णतावादी (Totalitarian) राज्य है जबकि दूसरा नागरिक स्वतंत्रता एव स्वतंत्र अर्थधवस्था में अधिन विश्वास

रगता है। एक वा दावा है कि समानता पर आधारित हो के बारण उनके राज्य की शासन प्रणाली सभवा प्रभावजन्य है जबकि दूसरा उमे तात्कालिक का ही एक दूसरा रूप कहता है। इन पर भी मात्र विश्व की बदामी हुई परिस्थितियों में दोनों ही गुटों के बीच लड़ने की मांग विरोध और मरण का बाधावरण नहीं रह गया है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर ये सब कुछ उदार दृष्टिकोण वाले बनने जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त माटों के देनों की एतना विमर्शित होती जा रही है। पश्चिमी शक्तियों के बीच ड गी, एम को मकर बाजी विवाद चलता रहा था। अमरीका ने मित्र नीति धराधार मीन के साम्यवाद के दूसरे बड़े देन साम्यवादी चीन को साम्यवाद दे दी है। अरब-इसरायल मरण के समय पोंग द्वारा अमरीका आदि देनों का समर्थन न करना इसी प्रकृति का लक्षण है। इसी प्रकार साम्यवादी गुट में भी विभाजन हो गये हैं। कुछ राष्ट्र माटों के नेतृत्व में चीन की अग्रगण्यता से घा गये हैं तथा दूसरे माटों को ही साम्यवाद का केन्द्रबिन्दु बनाने के पग में हैं। इन दोनों भागों के सदस्यों के बीच तनावनी कई अंतरणों में बढ़ती चली जा रही है। चीन रूप का सम्बन्ध इनका अचित मरणमय होता जा रहा है कि कई अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर ये एहसास नहीं है। भारत पर चीनी हमले के समय हम ने पुनी साथ ही और प्रावदा न यह कह कर कुछ भी करने में अनी मत्रवृत्ति प्रकट की कि 'एक उदासा माई है तो दूसरा उनका दोग'। चीन तो स्पष्ट शर्तों में मोविष्य रूप को गुपारवादी (Revisionist) एक पुत्रीयों का विटल कह कर आरोप लगाता है कि मोविष्य रूप अब मात्र न व लेनिन के सिद्धांतों में विपुल हुआ रहा है। इन प्रकार दो विरोधी विचारधाराओं के बीच का अंतर कम हो रहा है तथा एक ही मिटान के बीच विपटन की भावनायें बढ़ती जा रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को विचारधाराओं के इन परिवर्तित मदमों में देना जाना अनयोगी रहेगा।

(२) दो गुटों का मात्र अस्तित्व नहीं रहा है

(Bipolar world does not exist today)

राष्ट्रपति साइजन होवर (Eisenhower) के समय विश्व दो गुटों में बटा हुआ था किन्तु अब अन्तर्राष्ट्रीय अगाडे में केवल दो ही प्रतिद्वन्द्वी हीं यह बात नहीं है। मात्र विश्व का प्रत्येक देग अना आपको एक बडो शक्ति के रूप में प्रकट करने का प्रयास करता है। यदि ऐसा यह अस्तित्व रूप से नहीं कर सकता तो एक क्षेत्रीय संगठन बनाकर विश्व समन पर अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। छोटे राष्ट्रों की प्रकृति यह न रहती थी कि किसी भी गुट के साथ मैटिज सन्धि में बन्ध जा

घोर अपनी सुरक्षा की घोर से निश्चित हो जाय, किन्तु घाज की बदलती हुई परिस्थिति व दृष्टिकोणों के अनुसार ऐसा करना न कोई चाहता है, न यह आवश्यक है घोर न उपयोगी। पाकिस्तान पश्चिमी सैनिक सन्धिपत्रों में बंधा हुआ होने पर भी चीन का 'हमदर्शन' बना हुआ है। इस तथ्य के निरीक्षण द्वारा हम यह जान सकते हैं कि घाज विश्व में दो-गुटी की भावना एव सन्धि की भाषा बन गई है।

(३) क्षेत्रीय संगठन के रूप एवं प्रकृति में अंतर

(Change in nature and forms of Regional organisation)

क्षेत्रीय संगठनों का आधार मूल तत्त्व राष्ट्रों की सुरक्षा थी। यह भावना की गई थी कि संगठन के द्विती भी सदस्य-राष्ट्र पर विदेशी घातकणु हान की दशा में दूसरे सभी सदस्य आक्रमणकारी का विरोध मिल कर करेंगे। किन्तु घाज की बदली हुई परिस्थितियों में क्षेत्रीय संगठनों पर रिम सीमा तक निर्भर रहा जा सकता है यह पाकिस्तान ने सन् १९६२ में भारत पर विश्व अपने आक्रमण के समय जान लिया होगा।

(४) विभिन्न देशों के स्तरों में परिवर्तन

(Change in Status of different Nations)

एशिया घोर अफ्रीका के देशों की विश्व राजनीति में पहले अपिब महत्व नहीं दिया जाता था। इनमें से अधिकांश तो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का प्रयोग करने में भी समयन न थे। उनका भाग्य किसी दूसरे महासत्तावादी राष्ट्र के साथ बंधा हुआ था, किन्तु घाज के न केवल अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का ही प्रयोग कर सकते हैं वरन् साथ ही उनका स्थान महत्वपूर्ण भी है। उनके निष्कर्षों का विश्व राजनीति पर भारी प्रभाव पड़ता है। भारत ने सदस्य या घमनयन राष्ट्रों का नेतृत्व करने, शीत युद्ध की बटुना को कम न कम करने के लिए जो प्रयास किये हैं उनका महत्व समार के अधिकांश देश, जिनमें रूस व अमेरिका भी सम्मिलित हैं, हृदय से स्वीकार करते हैं। चीन बड़ी शीघ्रता से विश्व की बड़ी शक्ति बनने की भावना उजागर हो रहा है। इसके लिए यह हिंसा घोर युद्ध या भागें अपनाते में भी नहीं हिचकिचाता। उसका यह विचार है कि पूंजीपति वर्ग से सत्ता लेने एव मजदूर वर्ग का विश्व में शासन स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि युद्ध के लिए तैयार रहा जाय। साम्यवाद के चीनी व्याख्याकारों के मत में पश्चिमी पूंजीवादी राष्ट्र कागज के भेर (Paper Tiger) हैं। साम्यवादी राष्ट्रों के पास शक्ति की कमी नहीं है अतः डरने का कोई कारण नहीं है। अब विश्व-

जाति के लिए समय का गया है। इस प्रकार मात्र विश्व के राष्ट्रों का स्तर कमता बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक देश को अपनी विदेश नीति का निर्माण करने समय इन परिवर्तनों को ध्यान में रखना होगा।

(२) विश्व सतया के प्रति परिवर्तित रूप
(The attitude changing towards U.N.O.)

संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना त्रिम समय की गई थी तभी से मात्र तब हमने विश्व की घनत्व महत्वपूर्ण समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया है। विश्व जाति एवं महसूस बनाने के साथ साथ यह सतया प्रायिक, सामूहिक एवं सामाजिक उत्पत्ति के लिए भी बरत उठानी है। इस सतया की सफलता के लिए आवश्यक है कि विश्व के व्यक्ति से व्यक्ति देश इसके सदस्य होने तथा उनकी सहभागिता एवं सश्रित महसूस हमें मिलना रहे किन्तु मात्र विभिन्न राष्ट्रों का दण्ड इसके प्रति उदासीन या दिग्दर्श देने लगा है। विश्व सतया को राष्ट्रों ने विश्व जाति एवं बस्याल के सामाज्य उन्हें शत्रु के नीचे उतार कर राष्ट्रीय स्वायत्तों को सोड़ी पर सा महा किया है। प्रत्येक राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की अपने राष्ट्रीय स्वायत्तों की विधि का माध्यम बनाता प्रारुणा है। यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ इच्छान्विता को मस्येनिया दिमाने में महायथा नहीं करता तो इच्छान्विता को इसकी सदस्यता में कोई मार मरर नहीं घाना। पाकिस्तान ने भी घमकी दी थी कि या तो बरमीर सतया का हन उसकी घनों के साधार पर कर दिया जाय करना मरु भी उसकी सदस्यता छोड़ दगा।

विश्व में ऐसे राष्ट्र कमजोर करने जा रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनी समस्या का हन करने की अपेक्षा शक्ति का प्रयोग करके उसे मुतमाना प्रायिक उत्पत्ति समझते हैं।

(३) अणु शक्ति के नये स्वामी
(New Owners of Atomic Power)

रोबर्ट्स (Henry L. Roberts) ने १९५६ में यह माना था कि विश्व में हलचल मचाने वाली सबसे बड़ी समस्याएँ हैं 'अणु' और 'सामूहिकता-वाद'। विश्व के राष्ट्रों ने इस मठरे को समझा है। अणु घसनों का निर्माण, रक्षा एवं प्रयोग तीनों ही अवस्थाएँ बड़ी मतरनाक और भयानक परिणामों को उत्पन्न करने वाली है। जितना घन, समय और शक्ति इन कार्यों में व्यय होता है यदि यह दूररे उपयोगी कार्यों में लगाया जाये तो विश्व काफी घाने बढ़ सकता है। अणु घसनों का निर्माण, जैसा कि प्रत्येक देश निर्माण करते

समय ही घोषित कर देता है, प्रयोग न करने के लिए ही किया जाता है। यह शक्ति एक प्रकार से प्रतिरोधात्मक रूप में कार्य करती है किन्तु मावावेग में कोई भी मानव समुदाय यदि इनके प्रयोग पर उतर आये तो हजारों वर्षों को यह मानवता और सस्कृति बिना अपना कोई बिन्दु छोड़े ही नष्ट हो जायगी। विश्व जनमत इसके खतरों को समझ कर इसे मॉनिज करने की ओर झुका तथा इसके प्रयोग के सम्बन्ध में बड़ी शक्तियों एवं अन्य अनेक राष्ट्रों के बीच समझौता हुआ (Partial Test Ban Treaty) जिसके अनुसार परमाणु शक्ति के परीक्षण खुले आकाश में होना बन्द कर दिया गया। परमाणु शक्ति का प्रयोग शक्तिपूर्ण कार्यों में करने के लिए दबाव दिया जाने लगा। समुक्त राज्य अमरीका एवं सोवियत संघ तथा अन्य कई एक राष्ट्रों ने मिलकर परमाणु शक्ति के प्रसार को रोकने के लिए सन्धि (Non-Proliferation Treaty) की है। किन्तु प्रायः जिते देग परमाणु शक्ति-सम्पन्न होने का मुकुट पहनने को चाहते हैं। चीन ने अक्टूबर १९६४ को एक परमाणु बम का परीक्षण कर मानव जाति के सहारकों की धरती में अपना नाम लिगा लिगा है। हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने के बाद से तो यह परमाणु शक्ति के क्षेत्र में पर्याप्त आगे बढ़ गया है। जागतिके ऊपर भी अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दबाव होते जा रहे हैं कि वह बम का निर्माण करे।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत की उत्तमर्ने (Tensions of International World)

वर्तमान विश्व के परिवर्तित रूप में जो अनेक विकास समाहित हो गये हैं उनके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय जगत में विभिन्न उत्तमर्ने पैदा हुईं। एक दिन जब अणु परीक्षणों या दूरस्थ देशों के साथ सम्बन्ध विरहित करने के लिये अग्रसर होता है, उसके सामने अनेक समस्याएं विकट रूप धारण कर उपस्थित होती हैं। उसे अनेक गतिरोधों, विरोधानामों एवं प्रभाववस्तु पूर्ण स्थितियों में होकर मुजरना होता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्वानों को भी ऐसी विभिन्न समस्याओं का सामना करना होता है। विरोधानाम पूर्ण स्थितियों एवं दो निम्न मामलों में से एक का चयन करना अत्यन्त कठिन बन जाता है। इस सम्बन्ध में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय विरोधानाम यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में वस्तुगतता बरती जाय अथवा विषयगतता। यह कहा जाता है कि वस्तुगतता अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों के लिये एक मात्र मार्ग है जिसे अपनाये बिना यह विश्व की प्रमुख समस्याओं को व्यापकित रूप से विवेचित नहीं कर

सम्बन्ध। यह सच होने हुए भी संगर्भीय सम्बन्धों में विघ्नपूर्ण दृष्टिकोण पर्याप्त महत्व रखता है। एक समाज द्वारा ऐसे मुख्य एवं महत्वपूर्ण बातों का संचालन है जो दूसरे समाज के विषय उल्लेखनीय एवं स्वीकृत न हों। प्रदेवर विद्यार्थी राईट (Quincy Wright) के कथनानुसार संगर्भीय सम्बन्धों की समस्या का मुख्य महत्व उन विभिन्न विघ्नपूर्ण तथ्यों में है जिन्हें विभिन्न समाजों द्वारा स्वीकार किया जाता है और प्रदेव द्वारा उन्हें सम्युक्त रूप में समझा जाता है।¹ प्रदेव देग के ध्यान कुछ दुराग्रह एवं मायनाएँ होती हैं जिनकी वह न केवल धरने विषय परन्तु दूसरे देग के विषय भी ध्यानपूर्वक मान कर समझता है। कई बार इनकी प्रकृति के परिणामस्वरूप विभिन्न देगों के बीच पारस्परिक मायनाएँ पैदा हो जाते हैं और कभी कभी ये सम्बन्ध सभ्यता का भी रूप धारण कर लेते हैं। उचित यह समझा जाता है कि एक देग को धरिण से धरिण सम्युक्त दृष्टिकोण धरनाया चाहिये ताकि संगर्भीय सम्बन्धों को वह माने पूर्वोक्तही से पृथक् होकर देग नके तथा उनके विघ्नपूर्ण में बँटोर माय दण्डों की प्रकृति कर सके। ऐसा करने में वह देग प्रजासाम्राज्य जीवन से सम्बन्धित सूत्रों एवं सिद्धांतों को भी धरनाएँ रण सचता है।

संगर्भीय जगत में एक दूसरा विरोधमान यथायथा और आदर्शवाद के मार्गों का बोध है। बहुत पहले से ही दार्शनिक एवं व्यवहारकर्ता आदर्श और यथाय के विचलन में उलझे रहे हैं। संगर्भीय सम्बन्धों को देगसे समझ दिया दृष्टिकोण को धरनाया जाय यह सभ्ये समय में एक विवाद का विषय रहा है। विदेग नीति या राष्ट्रीय व्यवहार के सम्बन्ध में जो मत विभिन्नता पाई जाती है उसमें से धरिणतम का आधार आदर्श और यथाय के विचलन ही है। जब एक देग धरने राष्ट्रीय हित पर विचार करने लगता है तो यथाय एवं आदर्श के धरिणों की परिभाषित करने की समस्या उत्पत्ती है। इसलिये पामर तथा पर्किंस (Palmer and Perkins) का यह कथन सही है कि-राष्ट्रीय-एवं-संगर्भीय मामलों में दोनों का बड़ा महत्व है और दोनों का बीच प्रसार की अपेक्षा मात्रा का धरना है।² यही कारण है कि आदर्शवादी विचारक भी आदर्शवाद की यथायथा के सम्बन्ध में बात

1 Quincy Wright, The Study of International Relations, Appleton Century-Crafts 1955, p 20

2 Palmer and Perkins, International Relations, Scientific Book Agency, 2nd Edition, p XXVI.

करना पसन्द करते हैं और दूसरी ओर प्रत्येक पर्यायवादी यह दिखाना चाहता है कि वही सच्चा आदर्शवादी है। चूंसे यह माना जाता है कि विचारकों की दोनों ही श्रेणियां कुछ सम्भावित यतनों से युक्त हैं क्योंकि जब हम आदर्शवाद को उसके बंधोर रूप में अपना लेते हैं तो वास्तविकताओं से दूर चले जाते हैं और बदल-संघर्ष पर जोर देने से घटनाई गई नीतियां और घनाकर्षक बन जाती हैं।

तीसरा विरोधामास राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के बीच स्थित संधियों से प्रकट होता है। यदि एक दृष्टि से देखा जाये तो वैज्ञानिक प्रगति एवं तबनीकी विकास ने सारे विश्व का एक परिवार का रूप दे दिया है किन्तु दूसरी ओर यह भी नहीं भुनाया जा सकता कि इस परिवार की इकाइयां वे स्वायत्तगामी राज्य हैं जिनमें सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कई प्रकार के अन्तर बर्तमान हैं। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रवाद एक प्रभावपूर्ण तत्व है और विशेष रूप से जा देश कुछ समय पूर्व ही साम्राज्यवाद के चंगुल से बाहर भाये हैं उनमें राष्ट्रवाद की भावना प्रसरता के साथ है। इन देशों में राष्ट्रवाद का होना उपयोगी भी है क्योंकि ऐसा न होने पर उनका धार्मिक एवं सामाजिक विकास वांछित गति के साथ नहीं हो पाएगा। जिन देशों में धार्मिक भी साम्राज्यवादी शक्तियों का पजा गडा हुआ है उनमें राष्ट्रियता की भावना का अस्तित्व उनके स्वयं के अस्तित्व की एक आवश्यक शर्त है। इनके पर भी अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के महत्व एवं आवश्यकता का भुनाया नहीं जा सकता क्योंकि अणुशक्ति के विकास के कारण विश्व को विश्वस से बचाने के लिये यह जरूरी बन गया है कि विभिन्न राष्ट्र अपने आपकी राष्ट्रियता के मज्जुल दापरों से बाहर जाएं और महयोगपूर्ण-सबधों के विकास के लिये सच्चे दिल से प्रयास करें। वर्तमान विश्व की परिस्थितियों में राष्ट्रियता और अन्तर्राष्ट्रीय दो विरोधपूर्ण तत्व आवश्यक दिखाई दे रहे हैं जिनके बीच समायोजन करना बहुत जरूरी है।

चौथे, अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर एक अन्य विरोधामास जो राष्ट्रियता एवं अन्तर्राष्ट्रीयता के अस्तित्व के कारण पैदा होता है, वह यह है कि राष्ट्रिय सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच उपयुक्त समायोजन किस प्रकार किया जाए। जब तक राष्ट्रिय राज्य व्यवस्था राजनीतिक संगठन का मुख्य रूप रहती है उस समय तक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की अपेक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा पर अधिक जोर दिया जाता रहेगा। चूंसे राष्ट्रिय सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच आवश्यक रूप से संधर्ष नहीं है क्योंकि एक की प्राप्त करन के लिए जिन साधनों की अपनाया जाता है वे कभी कभी दूसरे को

प्राप्त करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण गिज होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जो घनराष्ट्रीय संगठन बनाए गए तथा संनिच सधियों की र्द्ध उनके परिष्कारमरुत्त विरुध के देशों में सहयोग की माषा बड़ी। इनके साथ यह भी सख है कि कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को इन माषना के धारार पर दाब पर नहीं सगा सकता कि प्रत्येक देश अपने धाररहित में दूसरे के साथ सहयोग करेगा। संनिच सधियों क प्रगम में यह बात गिज हा चुकी है। समुक्त राग्य धमरीका ने टर्की से गाठ कह दिया था कि वह सामाविन धारमरुत्त की स्थिति में दक्षिण पूर्वी एशिया सधि संगठन के धाधीन संनिच महाधना देे के निग बाध्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा का धारण स्वय ही रगना होगा है। साथ ही घनराष्ट्रीय सह योग की दिशा में भी प्रयास करने होते हैं। जब विरुध के कई देश संनिच रूप में एक दूसरे की सहयोग देे के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं तो राष्ट्रीय-सुरक्षा की समस्या धीर भी धधिक गम्भीर बन जाती है क्योंकि पहले तो वेधन एक ही राष्ट्र के सामाविन गगर के रधारमक संघारी की जाती थी किन्तु अब एक समूह द्वारा निय जात यात हमन के विरुद्ध रशा की संघारी करना धाधधक बन जाता है।

पाषयें, यह निधधय करना एक समस्या है कि विरुध राजनीति के ध्यवहार में शक्ति धयवा स्वीकृति में किस की महत्व प्रदान दिया जाये। यदि एक देश दूसरे देश से अपनी बात को स्वीकार कराना चाहता है-तो इसक लिए उसे शक्ति का प्रयोग करना चाहिए धयवा दूसरे राष्ट्र को समभा-धुम्भा कर उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। कई बार ऐसी मजकूरियां धा जाती हैं कि शक्ति के मार्ग को धयवाने क लिए बाध्य होना पड़ता है। एक शान्तिप्रिय देश को भी शक्ति धीर स्वीकृति दोनों ही मार्ग धयनाकर धतना होता है। शक्ति का प्रयोग करना या न करना पूरी तरह से एक राष्ट्र की दृष्टा पर ही निर्भर नहीं होता वरन् इसके लिए दूसरे राष्ट्र का ध्यवहार भी पर्याप्त महत्व रखता है।

उठे, घनराष्ट्रीय जगत में यह निर्धारित करना भी बडा कठिन है कि यहाँ सहयोग एक समय का सापेक्षिक सहत्व-धय है। यह स्पष्ट है कि दोनों ही प्रवृत्तियों के धनेक उदाहरण प्रतिदिन सामने धाने हैं। घनराष्ट्रीय जगत में होने वाले सधयों के समाधार प्राय धधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं तथा ये शान्ति एक युद्ध जैसे मूल प्रश्नों को सडा कर देने हैं। इठने पर भी 'सहयोग', सधयें की धपेक्षा धधिक सामान्य है तथा भौतिक रूपों में इठे प्रोत्साहित करने की दिशा में सगातार ही प्रयास किये जाते हैं। मनोविज्ञान

एक समाज शास्त्र आदि विभिन्न धनुमानों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सघर्ष एक सहयोग के कारणों पर प्रकाश डाला जाता है।

साठवें, सातवें, आठवें के जगत् में मनुष्य की आवश्यकताओं बहुत अधिक बढ़ गई हैं किन्तु साथ ही विज्ञान की प्रगति ने यह भी सम्भव बना दिया है कि अत्येक व्यक्ति को जीवन का एक सन्तोषजनक स्तर प्रदान किया जा सके। यहाँ विरोधाभास यह है कि जिन देशों में मानवीय आवश्यकताओं तीव्रगति से बढ़ रही हैं वहाँ उनको सन्तुष्ट करने के साधनों की व्यवस्था नहीं है और जहाँ ये साधन उपलब्ध हैं वहाँ आवश्यकताओं की मात्रा इतनी अधिक नहीं है। समुक्त राज्य अमेरिका को यह चिन्ता रहती है कि वह मूल फसला के प्रति-रिक्त उत्पादन को बढ़ा सक्षि करे। इन प्रतिरिक्त फसलों को या तो शोशभा में मर दिया जाता है अथवा उनको नष्ट कर दिया जाता है किन्तु दूसरी ओर दुनिया के करोड़ों लोग अनाज, सूता या बाड के कारण भूखें मरते हैं। दुनिया के अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अन्न कुछ खाते ही सो जाते हैं। जब तक विश्व से इस अन्तर को दूर नहीं किया जाता तब तक यहाँ मानिपूर्ण व्यवस्था की मात्रा कम ही की जा सकती है।

साठवें, बीसवीं शताब्दी का एक विरोधाभास यह है कि हमें एक ओर तो नैतिक स्तर एक सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास हुआ है तथा मानव इतिहास में पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव कल्याण के लिए प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु जब हम तस्वीर के दूसरे पक्ष को देखते हैं तो भारी निराशा होती है क्योंकि विश्व का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जहाँ कि मानव को अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है। इस दृष्टि से साम्यवादी एवं नूजीवादी दानों ही व्यवस्थाओं बहुत कुछ समान रूप से दोषी हैं क्योंकि जहाँ नूजीवादी व्यवस्था की अचनाया जा रहा है वहाँ अमानव बर्ग का हर प्रकार से शोषण किया जा रहा है और दूसरी ओर जहाँ साम्यवाद का प्रभाव है वहाँ अतिक्रमवाद के नाम पर सामूहिक हत्याओं, अमानवीय व्यवहार, अत्याचार, अज्ञान आदि की जा रही हैं। एफाका महाद्वीप में जाति के नाम पर, महत्पूर्व में धर्म के नाम पर तथा विपत्तनाम में विचारधारा की खातिर जो विध्वंसकारक एवं अमानवीयपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं वे बीसवीं शताब्दी के रूप को महा क्रम देते हैं। अमानवीय व्यवहार की कोई सीमा नहीं होती। यह सम्भवा के अन्त स्तर पर पहुँचे देशों में भी पाया जा सकता है। अना-हरण के लिए समुक्त राज्य अमेरिका में नौसों लोगों की समस्या को लिया जा सकता है। विश्व के धर्मों को अज्ञानों मात्र केवल नाम मात्र के लिए ही रह गई है। व्यावहारिक अन्त में उनका प्रभाव एवं महत्त्व नहीं के बराबर है।

पक्षों के अतिरिक्त एवं सामूहिक व्यवहार पर एक अनुष्ठान का काम करना या तथा साथी प्रकार से उसे मानवता की परिधि में समाहित करना या विद्युत् विज्ञान की प्रगति के जब से अर्थ के अभाव को गौण बनाया है तथा अनुष्ठान के विद्यमान पर बुद्धिपूर्वक किया है तभी से अनुष्ठान अतिरिक्त साथी अतिरिक्त, योग्यता, मूला, टंग एवं अन्तर्गतगुणों का काम है ।

अब, विज्ञान की प्रगति से तथा तकनीकी विद्यमानों से मानव को एक ऐसे दो राहों पर लाकर मड़ा कर दिया है जहाँ से कि वह चाहे तो धरती पर स्वयं की अन्तर्गत करने की धीरे काम बड़ा सकता है धीरे धीरे चाहे तो सब सब की सबित मानव सम्पत्ता को अतीत की ऐसी कदानी बना सकता है जहाँ से तो कोई कदा पाया होगा है धीरे न ही मन्ते वाला । मात्र अनुष्ठान के साथी से अन्तर्गत मन्ति प्राप्त है । यह उगरी इच्छा है कि वह इनका प्रयोग विद्यमान के लिए करे या रचना के लिए ।

सम्राष्ट्रीय राजनीति एक विज्ञान के रूप में (Science of International Politics)

सात्र विज्ञान का युग है । अत्यन्त मात्र अने सात्रों अतिरिक्त अन्तर्गत रूप से के लिए प्रयत्न करता है । कारण यह है कि अन्तर्गत अन्तर्गत के द्वारा जो अन्तर्गत विज्ञाने जाते हैं उनका प्रगति सामान्य होती है; वे अन्तर्गत होते हैं क्योंकि उनका अन्तर्गत के बारे में सदेह या अन्तर्गत पर अन्तर्गत नहीं रहता रहता । अन्तर्गत अन्तर्गत एक अन्तर्गत अन्तर्गत हुआ है अन्तर्गत अन्तर्गतों की जा सकता है । वे अन्तर्गतों प्रायः सब भी हो जाती हैं । अन्तर्गत अन्तर्गत के आधार पर विज्ञाने गये अन्तर्गत सभी अन्तर्गतों में अत्यन्त समय तथा अन्तर्गत पर एक अन्तर्गत रूप से अन्तर्गतों होने हैं । इन सब गुणों के कारण ही अत्यन्त सामाजिक विज्ञान की अन्तर्गत अन्तर्गतों के बारे में भी यह प्रश्न उठता है कि क्या इनका अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत पर किया जा सकता है ? इन प्रश्न का उत्तर पाने से पूर्व यह जानना उपयोगी एवं आवश्यक होगा कि अन्तर्गत अन्तर्गतों के अन्तर्गत होने का अर्थ क्या है तथा किन विधि का अनुष्ठान करके इनका अन्तर्गत बनाया जा सकता है ।

अन्तर्गत अन्तर्गतों की विशेषतायें

अन्तर्गत विधि से जब हम किसी अन्तर्गत की अन्तर्गत करके अन्तर्गत हैं तो अन्तर्गत से अन्तर्गतों अन्तर्गतों बनाई जायेंगी । उन अन्तर्गतों

की सत्यता को जानने के लिए पहले वस्तु-स्थिति का निरीक्षण करना होगा, उसके बाद प्रयोग। प्रयोग द्वारा जो चीजें हमारे अध्ययन से सम्बन्ध रखती हैं उनको रखा जायेगा तथा बाकी को छोड़ दिया जायेगा। रक्षे वये विषयों का वर्गीकरण करना होगा। वर्गीकृत भागों का प्रापणो सम्बन्ध क्या है यह देखने के बाद तत्सम्बन्धी निष्कर्ष दिये जायेंगे। ये निष्कर्ष वैज्ञानिक होंगे, इस प्रकार के अध्ययन में पाई जाने वाली मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं—

(१) एक व्यावहारिक परिस्थिति में केवल थोड़े ही विकल्प हो सकते हैं प्रथम उन विकल्पों के बीच गुणात्मक अन्तर होता है, इसके बारे में वैज्ञानिक से देहगोल होता है। उसका यह प्रयास रहता है कि चीजों के सभी अन्तरों को केवल गुणात्मक सीमा तक साक्षर रख दिया जाये।

(२) वैज्ञानिक अध्ययन की सबसे प्रमुख विशेषता यह मानी जाती है कि यह भविष्यवाणी करने तथा वस्तु स्थिति पर नियंत्रण रखने में समर्थ होता है। यदि किसी विधि का सर्व सही है, प्रस्तुतीकरण का बग प्रभावशाली है तथा निष्कर्ष भी बुद्धिसमय है तो भी हम उसे तब तक वैज्ञानिक नहीं कह सकते जब तक वह व्यवहार में काम न करे। प्रयोग द्वारा यदि उन निष्कर्षों को सही सिद्ध नहीं किया जा सके तो उन्हें बदलना होगा। विज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। इससे अध्ययन में कारण-कार्य (Cause and Effect) का सम्बन्ध होता है तथा भविष्यवाणियों के गलत होने की सम्भावना कम रहती है।

(३) विज्ञान यह मानकर चलता है कि वास्तविकता का पता लगाने के लिए निरीक्षण (Observation) करना आवश्यक है। इसमें बुद्धि के आधार पर अनुमान भी किये जाते हैं किन्तु उनको सत्य तभी माना जाता है जब वे निरीक्षण व प्रयोग की नतीजों पर सही चतरते हो।

(४) विज्ञान के निष्कर्षों के बीच तालमेल रहता है, वे परस्पर विरोधी नहीं होते। कोई भी निष्कर्ष वैज्ञानिक है या नहीं यह देखने के लिए हम दूसरे वैज्ञानिक निष्कर्षों से उसकी तुलना कर सकते हैं। यदि विरोध वर्तमान है तो हमारा निष्कर्ष सही नहीं माना जायगा।

(५) विज्ञान दर्शन से सम्बन्धित है, क्योंकि दर्शन-प्रदत्त तार्किक व्यवस्था का प्रयोग करता है। तर्कों को प्रमाणित करने के लिए यह कलात्मक तरीका अपनाता है अतः कला से सम्बन्धित है। यह इतिहास से सम्बन्ध रखता है क्योंकि इसके लिए प्रमाण व तथ्य इतिहास द्वारा दिये जाते हैं, किन्तु विज्ञान मानवीय विद्या नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की प्रकृति का

एक घन माता है। इस धर्म में समानवीय होने के कारण यह इतिहास, दर्शन व ज्ञान से भिन्न भी है।

विज्ञान की उक्त विशेषताओं को यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में प्रयोग कर सकें तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की वैज्ञानिक मान सकते हैं किन्तु जंगल कि विषयमी राईट का मत है, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ऐसा क्षेत्र है जिसमें विज्ञान का प्रयोग बड़ा बटिन है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को दगने के कई दृष्टिकोण हा मकने हैं। किर्क (Dr. Grayson Kirk) महोदय ने इन दृष्टिकोणों को तीन भागों में विभाजित किया है। पहला दृष्टिकोण ऐतिहासिक है। किर्क महोदय का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का क्रमानुसार अध्ययन किया जाता है और इस दृष्टि से हम इतिहास की भांति ऐतिहासिक तथ्यों का सफल करत है। इस दृष्टिकोण में घटनाओं का वर्णन मान कर दिया जाता है। दूसरा दृष्टिकोण वैधानिक (Legal) है। इसका धर्म यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को कानूनी दृष्टि से देखकर उनका मूल्यांकन किया जाता है। तीसरे दृष्टिकोण के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को उनी रूप में देखा जाता है जिस रूप में वह पेट रही है। न तो उनको ऐतिहासिक तदर्थ में देखा जाता है और न ही किसी वैधानिक दृष्टि से बरन् एक निष्पक्ष दर्शन के रूप में जैसी वे हैं उसी रूप में देगी जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को देखने के इन विभिन्न पहलुओं का वर्णन पूरी तरह से तथ्य नहीं माना जा सकता क्योंकि सभी दृष्टिकोणों में धार्मिक तथ्यता अवश्य मौजूद है। मथ्याधर्म में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी बौद्धिक व्यवस्था (Academic discipline) है जो वर्तमान इतिहास तथा नवीन घटनाओं से भिन्न है। याप ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं राजनीति सुधारों से भी भिन्न है।¹ इस प्रकार ऐतिहासिक एवं वैधानिक दोनों ही दृष्टिकोण जो अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझने में प्रयुक्त किये जाते हैं, अनुचित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना सम्भव नहीं है इसके कई कारण हैं। प्रथम एवं प्रमुख कारण तो यह है कि ये घटनाएँ स्थिर नहीं हैं बदलती रहती हैं। मानवीय क्रियाएँ होने के कारण यह अनुमान लगाना बटिन होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियाँ यदि उत्पन्न हो जाए तो फिर उनका परिणाम क्या होगा तथा एक देश विशेष की नीति पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। राज्य, राष्ट्र और सरकारों के व्यवहार को

समझने के लिए वैज्ञानिक तरीका केवल तभी अपनाया जा सकता है जबकि हम यह मान कर चलें कि ये मनुष्य एवं उनके दृष्टिकोणों का संयोग है या एक विश्व व्यवस्था का भाग है।¹

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को वैज्ञानिक रीति से जानने के मार्ग में दूसरी कठिनाई यह है कि वैज्ञानिक अध्ययन के निष्कर्षों से व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं। यह सम्भव है किसी जटिल चीज के बारे में, यदि भाव कोई बात कह दें तो उसका प्रभाव जटिल चीज पर न पड़े और यही कारण है कि वहाँ भाव अधिकवाहिया कर सकते हैं। किन्तु मनुष्य के बारे में यह सच नहीं है। उदाहरण के लिए किसी ने यह सामान्यीकरण (Generalization) किया कि 'एक पाकिस्तानी सैनिक तीन भारतीय सैनिकों के बराबर होता है।' एक क्षण के लिए मान लिया जाये कि सामान्यीकरण सच था। इतने भारतीय जवानों में प्रतिक्रिया थी; उनका हाहस बढ गया। वर्तमान भारत-पाक युद्ध में यह साबित हो गया कि उक्त कथन उल्टा था, सच तो यह है कि एक भारतीय जवान तीन पाकिस्तानी जवानों के समान था। मनुष्य में स्वर्ण की गतियों को सुधारने की प्रवृत्ति होती है इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन करते समय निरीक्षण तथा विश्लेषण की प्रक्रिया मौखिक एवं प्राणोन्मास्य विज्ञानों से फलग ही तरह की होनी चाहिए।—

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के तथ्य बड़ी गीघ्रता से बदलते रहते हैं, तथा इनका विषय अनिश्चित (Ambiguous material) होता है इसलिए इनके बारे में अविश्वसनीयता करना सम्भव होता है।² अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रकृति ऐसी है कि न तो इनमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हो किया जा सकता है और न ऐसे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जिनको वैज्ञानिक कहा जा सके।

किन्तु राइट का मत इस सम्बन्ध में कुछ उदार है। उनका विचार है कि यद्यपि इनके कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण कि हम इस विषय को विज्ञान का रूप पूरी तरह से नहीं दे सकते किन्तु फिर भी यह मानना गलत होगा कि वैज्ञानिक विधियों (निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण, सारणीकरण प्रयोग, निष्कर्ष आदि) का किसी भी स्तर पर प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में नहीं किया जा सकता। विज्ञान की इनके विशेषतायें जैसे वस्तुगतता

1. Quincy Wright, The Study of International Relation, P. 116.
2. Morgenthau, Hans J., Politics among Nations, P. 18

(Objectivity), निश्चितता (Accuracy), मापानुकरण (Quantification), तर्क (Logic) आदि का प्रयोग नागरिकों, नेताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अन्य कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोणों का प्रभावित करने में दिया जा सकता है। घातुक युग में सभी व्यवस्थाओं को घातुक रूप में विज्ञान बन जाता है चाहे उनके विज्ञान बनने के मार्ग में कितनी ही बाधाएँ क्यों न आयें।¹ अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को भी समय की माँग के अनुसार विज्ञान बनाना ही होगा। इनका प्रारम्भ बना या इतिहास के रूप में हुआ, बाद में वे दर्शन की माँति सामाज्यीकरण करने सके और एक समय है कि इनको वैज्ञानिक रूप दिया जाय।

विचारधारा का महत्त्व एवं योगदान (The Importance and Role of Theory)

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा का महत्त्व एवं योगदान उतना ही महत्त्व एवं प्रभावशाली है जितना हमारे व्यक्तिगत जीवन व्यवस्था में विचारों का महत्त्व होता है। जीवन में सफलता प्रायः सभी प्राप्त हो पाती है जबकि व्यक्ति कुछ मूल सिद्धान्तों को अपनाएँ हुए घातुके। इसी प्रकार एक राष्ट्र की विदेश नीति की सफलता भी कुछ विचारधाराओं (Theories) के मार्ग दर्शन प्राप्त करती अवसरोत्तर आधारित बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों का उपयोग एक महत्त्व विदेश राजनीति में प्राप्त सम्पत्ति माने जाता है। उल्लेखनीय है कि विज्ञान एवं विचारक आज किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विचारधाराओं के महत्त्व को स्वीकार करके चलते हैं। इन प्रसंग में अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के कुछ गिम्तार के विद्वानों के विचारों का उल्लेख करना उपयुक्त है।

(१) थॉम्पसन (Kenneth W Thompson) के विचार

थांम्पसन महोदय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के प्रयोग को ही हमें कार्य करना होता है। एक ओर तो उसे ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि एक मैट्रिक्स शीप-बर्ता मरीज से दूर रह कर कार्य नहीं कर सकता उसी प्रकार एक सिद्धान्त शास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय जीवन की वास्तविकताओं से घबरे दूर नहीं रहना चाहिए। उसे वर्तमान समय में स्थित वास्तविकताओं का वर्णन करना चाहिए और

दूसरी ओर नदिय में उनका क्या रूप हो सकता है यह भी चिन्तित करना चाहिए। वर्तमान को समझना तथा नदिय को चिन्तित करना अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के दो महत्वपूर्ण तथा परस्पर सम्बन्धित बायें हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांत बुद्धि पर आधारित होते हैं और इन पर आधारित भयवा प्रेरित काइ मो विदेश नीति बौद्धिक (Rational) आधारणों से प्रेरित हो जायेगी। प्रतीत काल में राजनैतिक सिद्धांतों ने प्राने दोनों पक्षों को समुचित रूप से नहीं देखा और यही कारण है कि उनके निष्कर्ष बाधनीयता एवं-लोकप्रियता प्राप्त करने में सबाया अग्रमर्ष रहे। उदाहरण के लिए उदार लोकतन्त्रवादी (Liberal Democrats) विचारकों ने इस बात पर जोर दिया कि जनसाधारण का विदेश नीति के निर्माण में भाग लेना चाहिए अर्थात् जब मो वमी एक देश अन्य देश के साथ अपने सम्बन्धों को ठय करे तो वह उनकी उपयुक्तता के बारे में प्रत्यय ही जनता की राय जान ले। देश के नागरिकों को इस बात का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाये कि वे अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में अपनी प्रतिक्रिया से देश के कर्णधारों को परिचित करा सकें। 'विदेश नीति का रूप प्रजातन्त्रात्मक होना चाहिए' यह विचार सरकार तथा विदेश नीति की संज्ञान्तरिक मान्यताओं पर आधारित था। राष्ट्रीय स्तर पर भी यह कारण रहेगा। दूसरे, इस व्यवस्था में वे लोग भी विदेश नीति जैसे विषयों में सक्रिय रुचि लेना प्रारम्भ कर देंगे जो अब तक इस ओर से उदासीन थे किन्तु यह माग्यता व्यवहार करने पर सकल न हो सकी। अमेरिका में विदेश नीति से सम्बन्धित निर्णय लेते समय जनमत स्पष्ट कराने की परम्परा ने अमेरिका की लाम पहुचाने की प्रयत्ना कई बार पथ भ्रष्ट किया। उक्त सिद्धान्त का निर्माण करते समय यह मुला दिया गया था कि अमेरिका का प्रत्येक नागरिक पूरे देश के लिए उत्तरदायी नहीं है वह केवल अपने हिस्से के लिए उत्तरदायी है तथा प्रत्येक व्यक्ति इस विषय में विशेषज्ञ (Expert) न तो था और न हो सकता था। प्रजातन्त्र की मूल्यों का शासन कहने की भरम्तु की परम्परा ने विदेश नीति के विषयों में जनसाधारण के हस्तक्षेप को प्रासंगिक एवं अनुपयोगी बना दिया। विदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण विषयों में निर्णय लेने का कार्य विशेषज्ञ ही कर सकते हैं।

थॉम्पसन (Thompson) के विचारानुसार जिन्हीं भी संज्ञान्तरिक मान्यताओं को उनके लक्ष्यों (Objectives), प्रमिप्रायों (Motivations) तथा राष्ट्र की नीतियों (Policies of nations) के आधार पर प्रासंगिक लक्ष्य अप्रासंगिक सिद्ध किया जा सकता है।

विश्व शांति की स्थापना के लिए सशस्त्र रूप से प्रयास करना अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। दोस्रो महायुद्ध के विचारानुसार अविनाश देना की विदेश नीति का पीछे एक सद्य यह रहता है कि अचिर में अचिर राज्यों के साथ शांति की स्थापना का प्रयास किया जाय। शांति तथा युद्ध को एक दूसरे का समानार्थक समझा जाता है। यदि किसी देश का कार्य शांति का समर्थक है तो वह अवश्य ही युद्ध पूर्ण हाथा और यदि कोई देश युद्धपूर्वक व्यवहार कर रहा है तो वह अवश्य ही शांति की दिशा में ही प्रयत्नशील होगा। इस दृष्टि से कोई भी युद्धपूर्ण देश शांति के विरुद्ध किसी भी सद्य की धरना आदेश नहीं बना सकता। बानून् की शांति और युद्ध का सापेक्ष माना जाता है। बानून् के अनुसार जब व्यवहार किया जाता है तो विरुद्ध से समर्थ एवं युद्ध का गतरा बहुत कुछ कम हो जाता है और इसलिए यह व्यवहार युद्धपूर्ण माना जा सकता है। इसी अर्थ में एक विचारक ने यह माना है कि 'किसी भी मानव समाज ने दुष्टा के लिए कोई विकल्प नहीं सोचा, सिवाय इसके कि बानून् की तथा वैधानिक सहायता की स्थापना की जाय।'

इस विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों को षोडिक बना दिया जाता है।

(२) मार्गेंथो (Hans J. Morgenthau) के विचार

सिद्धांतों का ऐतिहासिक तथ्यों से अनिष्ट सम्बन्ध रहता है। वैसे इतिहासकार एक सिद्धान्त कास्त्रों के बीच एक सुदम अंतर की स्थिति रहती है। इतिहासकार घटनाओं को इतिहास नाम से वर्णित करता है तथा उनको स्पष्ट करने के लिए वहीं-वहीं पर सिद्धान्तों के प्रभाव को मान लेता है जबकि दूसरी ओर सिद्धान्तशास्त्री सिद्धान्तों का निर्माण करते हैं तथा ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग वे इतिहास के उद्घरणों को देकर करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों का मुख्य सद्य न केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था एवं शांति के हित में अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों की वैधानिकता एवं समुदायत्मक रूप प्रदान कर देना है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों पर सविष्यवाणी करना तथा परिवर्तनों को नियंत्रित करना भी है। मार्गेंथो के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के पीछे यदि इतिहास के घटना-चक्र का सही विश्लेषण न हो तो वह राजनीतिज्ञ को एक सफल राजनीतिज्ञ कभी भी नहीं बनने देगा। केवल उन्नतिशील व आदेशवादी विचारों की नींव पर और इस सिद्धान्तों की स्थापना कर दें तथा राजनीतिज्ञों से उन सिद्धान्तों को व्यवहृत

करने का अनुरोध करें तो इसके परिणाम उस देश की राजनीति के लिए घातक हो सकते हैं। प्रादुर्भाव से आधारित व्यवहार जिन कल्पनाओं के साथ भागे बढ़ता है वे प्रायः यथाथं जगत में तारकर नहीं हो पाती। दूसरी ओर आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में कुछ ऐसे सिद्धांत भी उपस्थित हैं जो वैज्ञानिक होने का दावा करते हैं। वे सिद्धांत एक प्रकार का भ्रम पैदा कर देते हैं। वे बताते हैं कि शत्रुओं से युद्धजित सम्प्रभु राष्ट्रों से युक्त समाज आज भी अपनी विदेश नीति का संचालन बिना किसी पतरे की समावना के कर सकते हैं क्योंकि प्राचीनकाल में ऐसा होता था; किन्तु ये सिद्धांत आज के प्रगु युग की बदली हुई परिस्थितियों को भुला देते हैं। और यदि इन सिद्धांतों को देव वाच्य मानकर इनके आधार पर आचरण किया गया तो ये राजनीतिज्ञ आज उसी प्रकार असफल रहेंगे जैसे कि युद्धों के बीच के काल से राजनीतिज्ञ उस समय के उन्नततम सिद्धांतों (Progressive theories) के अग्रगण्य पर रहे थे।

मार्गेण्यो महोदय के मतानुसार अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा का सिद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों में महत्व है। इन दोनों क्षेत्रों में इसके उपयोगी कार्य निम्न प्रकार हैं —

(१) अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के सिद्धान्तिक (Theoretical) कार्य— अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का मुख्य कार्य राजनीतिज्ञों को अंतर्राष्ट्रीय जीवन में प्रथम प्रदर्शन करना है। विदेश नीति से सम्बन्धित गुणधर्मों को सुलभाने में तथा समस्याओं के समाधान में उनकी सहायता करना है। कई बार ऐसा होता है कि एक राष्ट्र के सम्मुख किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न पर हल अग्रगण्य के कई विकल्प रहते हैं। उस देश का माध्य, विश्व की शान्ति, विदेश नीति की सफलता आदि सभी बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि वह देश उन विकल्पों में से किसको अग्रगण्यता है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का महत्व प्रारम्भ हो जाता है क्योंकि इन्हीं के आधार पर यह जाना जा सकता है कि एक विकल्प विशेष को अग्रगण्य हो सकता है तथा उन परिस्थितियों का भी उल्लेख कर सकता है जिनमें उस विकल्प को अग्रगण्यता उचित तथा सफल रहेगा। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सिद्धान्त एक देश को उन सभी दुष्परिणामों एवं खतरों से बचा लेते हैं जो एक गलत विकल्प को अग्रगण्य पर हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के सिद्धान्तिक कार्यों के अतिरिक्त कुछ व्यावहारिक कार्य भी हैं।

(२) अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के व्यावहारिक (Practical) कार्य— जैसा कि मार्गेण्यो (Morgenthau) महोदय का विचार है, उपरोक्त

संज्ञात्मक कार्य प्रायः सभी सामाजिक गिद्धांतों द्वारा परिपूर्ण किये जाते हैं किन्तु इन पर अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा का एकाधिकार नहीं होता।^१ व्यावहारिक कार्यों का अनुमीलन अन्तर्राष्ट्रीय गिद्धांतों की धानी विशेषता है। अन्तर्राष्ट्रीय गिद्धांत तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की उत्पत्ति होते हैं। इन गिद्धांतों की रचना करने वाले विचारक चाहे वे कब से बंध कर बौद्धिक विवेकपूर्ण में उभरे नहीं रहते, वे तो व्यावहारिक जगत् में परिस्थितियों से सर्वांगीण विचारों को देग कर कुछ निष्कर्षों पर आते हैं। अंतर्गत से लेकर अन्तर्गत का गारा राजनीतिक दर्शन सभी प्रक्रिया का परिणाम है। जैसे कि राजनीतिक परिस्थितियों विचारधारा के निर्माण में कार्य करती है उसी प्रकार विचारधारा भी उन परिस्थितियों से अन्तर्गत परिवर्तन करने के उद्देश्य से गन्तव्य हाथ डेर करती है।

राजनीतिक वास्तविकताओं को चार विभिन्न दृष्टियों से देखने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय गिद्धांत चार प्रकार के विभिन्न व्यावहारिक कार्यों को सम्मुख करती है। अन्तर्राष्ट्रीय गिद्धांतों का सबसे पहला काम यह है कि राजनीतिकों द्वारा अपनाई गई नीतियों को यह बौद्धिक धारण एक महत्त्व प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए १९४७ के बाद अमेरिकन विदेश नीति में कई नवीन नीतियों को अनायास जैसे ट्रूमैन गिद्धांत, माइल योजना; अमेरिकन मन्त्रि व्यवस्था आदि। इन नीतियों के पीछे किसी प्रकार का गिद्धांत नहीं था। बाद में गिद्धांत वास्तविकों द्वारा गिद्धांत की रचना करके इन नीतियों को व्यापक-संगत गिद्धांत दिया गया।^२

गिद्धांतों का दूसरा काम यह है कि विचारों की एक सामायोजित व्यवस्था का निर्माण किया जाय जो विदेश नीति को सबसे विचारधारा प्रदान कर सके। अन्तर्राष्ट्रीय विचारधाराओं द्वारा ऐसे मापदण्डों का निर्माण किया जाता है जिनके आधार पर विदेश नीतियों की आलोचना की जाती है अथवा उनको स्वीकार किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा एक प्रकार से बौद्धिक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे में बिठा कर विदेश नीतियों को उचित ठहराया जाता है अथवा उनको विपरीत गिद्धांत करके उन्हें छोड़ देने पर जोर दिया जाता है।^३ अन्तर्गत के युग में यह धारण्यक समझा जाता है कि शासन द्वारा अपनाई गई विदेश नीति पर सौजन्य की स्वीकृति होनी

1. Morgenthau, Hans J, Ibid, P. 105

2. Morgenthau, Hans J, Ibid, P. 113

3. Morgenthau, Ibid P. 114

चाहिए। सिद्धान्त शास्त्रियों को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जो भी सिद्धान्त रचे जाय वे जनमत के अनुकूल होने चाहिए। लोकमत तथा परेन् राजनीति के दबावों की परिधि में जो सिद्धान्त व्यवहार में लाये जा सकते हैं उन्हीं को राजनीतिज्ञों द्वारा अपनाया जाता है।

विचारधाराओं का एक अन्य कार्य यह है कि उसे एक नवीन विश्व की रचना का आधार प्रस्तुत करना चाहिए। यह कार्य अन्य सबसे अधिक सौजन्यपूर्ण है। आज जबकि अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों के रूप में एक तीव्र परिवर्तन दिखाई देता है, अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों का यह कार्य करना चाहिए तथा वे इसे कर सकते हैं। इस नवीन विश्व में राष्ट्रीय राज्यों का प्राप्ति सवय आज की भाँति ऐसा न होगा कि सशस्त्र सन्धियों का रूप धारण कर ले। यह नया सन्धार इस प्रकार का होगा कि इसमें सभी देश अपने प्रापकी एक विश्व सरकार के रूप में संगठित कर लेंगे। १७८६ की फ्रांसीसी क्रांति के बाद से अब तक विश्व का झुकाव राजनैतिक संगठन की धार काफी रहा है। किन्तु इसे सैद्धान्तिक विश्लेषण के आधार पर अनुपयुक्त भी ठहराया जा सकता है। आज धन्य शक्ति के विकास ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के रूप तथा दिशा को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। विदग नीति के साधन तथा साध्य भी बदल गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में दो विचारधाराओं गतियों हैं—एक कल्पनावादी (Utopian) तथा दूसरी यथार्थवादी (Realist)। धन्य शक्ति का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के रूप पर तथा एक देश ने परेन् कार्यों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है। आज अन्तर्राष्ट्रीय विचार धाराओं का यह एक प्रमुख कार्य बन गया है कि इन प्रभावों को कम करे तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को उसी रूप में समुक्त जिन रूप में वे हैं। इन्हें चाहिए कि बौद्धिक राजनीति तथा सत्यागत उन सभी परिवर्तनों को एक बौद्धिक रूप प्रदान करें जिनको यह दान्तिवारी शक्ति (धन्य शक्ति) स्वयं से प्रभावित करना चाहती है।

एक अन्य कार्य अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों का यह है कि उनके द्वारा एक ऐसी ढाल का निर्माण कर देना चाहिए जो विचारशील समुदाय (Academic Community) को राजनैतिक विश्व के साथ समझौता करने से रोक सके। कई बार ऐसा होता है कि विचारकों द्वारा राजनीतिज्ञों के प्रलोभनों में आकर जनता को बौद्धिक स्तर पर गुमराह किया जाता है तथा इस प्रकार राजनीतिज्ञों के सुन्द स्वार्थों की पूति की जाती है। यह सच एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण सम्भव होता है। विचारशील वर्ग द्वारा यह कार्य 'प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों व रूपों के निर्धारण' द्वारा सम्पन्न कर दिया जाता

है। इस प्रकार घोष विचारक राजनीति विचार के मन्त्रीय नहीं था मन्त्रे, उनमें व्यवस्था नहीं हो गयी तथा वे राजनीतियों में सम्मिलित करके भी विचार में नहीं रहते। बिना दिन प्रतिदिन की राजनीति के बारे में कुछ बड़े ही विचारक इस प्रक्रिया द्वारा विद्वानों की समामाया करके ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं तथा उनको किसी प्रकार का राजनीतिक परिणाम भुगतने की आवश्यकता नहीं रहती। कुछ विचारकों ने इसे एक व्यवस्था सुरक्षा माना है। उनके अनुसार ध्वनराष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन करते समय 'विद्वानों के विद्वानों' की जानकारी एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था बन जाती है।¹ इस व्यवस्था का कारण यह है कि जब तक हम यह न जानें कि एक विचारधारा या विद्वान का आधार क्या है तब तक उनके गहरी स्वभाव का विवेचन करने में अपने अपने समय के अपने अपने हैं।

इस प्रकार राजनीतिक विद्वानों के कार्यों की माँगों में विद्वानिक तथा व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों में विवेचना की है।

ध्वनराष्ट्रीय विचारधारियों के उपर्युक्त माँगपूर्ण कार्यों की निम्न के लिए यह आवश्यक है कि विद्वान साहित्यों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि ध्वनराष्ट्रीय विद्वानों को समय की समस्याओं से अपने अपने समावेशित रखना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण विद्वान घरेली कोठरी में बँटकर नहीं रखा जा सकता। रक्षिता के समस्याओं के वास्तविक एवं व्यावहारिक रूप में निश्चय का परिचय जानना चाहिए। उन प्रतिदिन के विश्व की परिस्थिति एवं व्यवस्था-तामों के उपर्युक्त होना चाहिए। केवल उपस्थितता पर आधारित कोई भी विद्वान्त ध्यान वाली पीढ़ी पर प्रभाव नहीं रख सकता। जो विद्वान्त समय के अनुभव नहीं होता वह अनुभवों की एक व्यावहारिक बन जाता है तथा उसे ध्वनराष्ट्रीय पटल से हटा दिया जाता है। कोई भी एक केवल उनी विचार-धारा को अपनावण जो उनके लिए व्यावहारिक दृष्टि से लाभप्रद है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्वान सास्त्री व्यवस्था नैतिक गुणों से परिपूर्ण हो अर्थात् उसमें समय की व्यवस्था करने के लिए यथाचित साहज होना चाहिए। उसे लोक महत्व के विषयों पर अपनी स्वतन्त्र राय प्रकट करने में कोई संकोच या डर नहीं करना चाहिए। उसे निष्ठा भाव से समय की समस्याओं पर विचार करना चाहिए। इस गुण से सम्पन्न

1 Kalous Knoch & Sidney Verba (ed), The International System, P. 2.

संग कम होते हैं, यही कारण है कि दार्शनिक एवं सिद्धान्त शास्त्रियों की मध्या प्रत्येक युग में शृंगुलियों पर गिने जाने योग्य होती है। सिद्धान्त शास्त्री को अतीत काल में उसी समस्या के ऊपर अन्य विचारकों द्वारा किये गये प्रयासों से भी लाभ उठाना चाहिए। दुराग्रह एवं पूर्वाग्रह मदैव ही हानिप्रद होते हैं। उसे समस्या से सम्बन्धित सभी प्राक्कथक तथ्यों का संकलन करना चाहिए। उसे एक समस्या पर विचार करते समय एक देश विशेष से प्रारम्भ कर सम्पूर्ण विश्व को घेरने प्रहरयन का विषय बना लेना चाहिए।

(5) तीसरे, सिद्धान्त-शास्त्री को घटनाओं का वेबल वर्णन करके ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उनका बौद्धिक विश्लेषण करके कुछ निष्कर्षों पर पहुँचना चाहिए। सिद्धान्तों का निर्माण करते समय इतिहास से भी यथाचित सहायता प्राप्त करनी चाहिए। पहली पीढ़ियों एवं शताब्दियों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का ज्ञान भी इस दृष्टि से अनुपयुक्त न रहेगा।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों की वर्तमान परिस्थितियों को समझने का काम करना चाहिए अन्तर्राष्ट्रीय जगत में स्थित घटनाओं की व्याख्या करनी चाहिए तथा भविष्य के लिए तैयारी करने तथा भविष्यवाणी करने का काम करना चाहिए। यह सोचना अप्रत्याप्य होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सिद्धान्त भी उतनी निश्चित भविष्यवाणी का आधार बन जायेंगे जितना कि भौतिक विज्ञान होने हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों को भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में होने वाले परिवर्तनों को देखना चाहिए तथा उनके लिए मार्ग-दर्शन भी करना चाहिए।

आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जो घनेक विचारधारायें दैमने को प्राप्त होनी हैं उनका जन्म प्राधुनिक काल की ही देन है। पहले इनका अस्तित्व नहीं था। इनके अभाव के लिए उत्तरदायी कई एकां तरव हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के अभाव के कारण (Reasons of the Lack of International Theory)

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में सिद्धान्तों का प्रागमन इतने पीछे जाकर हुआ, इसके कई कारण हैं। वाइट महोदय (Wight) के विचारानुसार अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांत बहुत कम हैं; नाथ ही जो हैं उनमें बौद्धिकता और नैतिकता की मात्रा सीटी है। इसके कारण अन्तरिच है। अतीतकाल के सम्प्रभुता-सम्पन्न राज्यों में बुद्धि का जो स्तर तथा दिशा रह सकती थी उसमें केवल इसी प्रकार के सिद्धान्त सम्भव थे।

गिद्याओं के समाय का दूसरा मन्त्रबुल्लुं बागल विचारकों में 'दार्शनिक दृष्टिकोण की प्रधानता' था। जब विचारक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विभिन्न समस्याओं एवं स्थितियों पर विचार करते थे तो उनका निष्कर्ष एवं प्रक्रियायें सामाज्यीकरण के रूप में होते थे। धार में कुछ समय पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोई उन्नतनीय गिद्यात्मक नहीं थे और न ही किसी ने अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की गिद्याओं की ग मावना का अनुभव किया था। विष्णु अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के अन्तर्गत विभाग के लिए अनुष्ठान उन्नत ऊँची उन समय भी बनाया भी। अति तरह इतिहास के आरम्भ में ही अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का अन्वित है तथा विदेश नीति के लक्ष्य है उन्नी तरह उन समय भी अन्तरीय व पुरी विदेश नीति के अनुष्ठान परिष्कार प्राप्त हुए थे। विदेश नीति की गणना व अन्वितता करने वाले में महत्त्व रक्षती थी। इन स्थितियों के होने पर भी अन्तर्राष्ट्रीय गिद्याओं की रचना नहीं की गई लेकिन हमने हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि एन्टो, अरस्तू, हॉब्स या मॉरिछ अनुचित दृष्टिकोण के थे और इसीलिए के इन कार्य को नहीं कर सके। मार्गम्बो महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय गिद्याओं की वर्तमान समय तक रचना न होने के कारणों का वर्णन किया है। वे दार्शनिक प्रकृति के प्रभाव को इतना एक मूल कारण मानते हैं। उनके विचारानुसार जब तक अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का अन्वित इतिहास ही रहा उनके कोई गिद्यात्मक न बन सके—इतना प्रथम कारण यह दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसका प्रभाव नेपोलियन-युद्धों के अन्त तक रहा। उन समय तक राष्ट्रों के सम्बन्धों को एक राज्याधिक लक्ष्य माना जाता था अन्वित परिवर्तित करना अनुष्ठान की शक्ति के बाहर है। यह समझा जाता था कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भीते ही होंगे जैसा कि किसी देश विशेष का इतिहास एवं उसकी परिस्थितियाँ उन्हें बनायेगी। य चीजें किसी विचारधारा से प्रभावित न होकर अनुष्ठान की प्रकृति से अन्वित हानो हैं, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा की रचना की और इयान ही नहीं दिया गया। इन दृष्टिकोण का अन्त यह हुआ कि राजनैतिक विचारधाराओं को महत्त्व मिला। राजा के स्वयं एवं अध्यात्मिक स्थिति को राष्ट्र करने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार धर्म की अन्वित का रूप बनाने हुए मार्गम्बो ने कहा था कि जब अन्तर्गत वर्ग अन्वित दुर्गों तथा अध्यात्म का कारण अन्वित मार्गम्बो की और उनसे छुटकारा दिवाने वाला ईश्वर को मान लेते हैं तब वे स्वयं प्रयत्नहीन बन जाते हैं, उनके सोचने की शक्ति बंद जाती है। मार्गम्बो का यह अन्वित अन्वित यही पर भी लागू हुआ। जब यह सोचा गया कि राष्ट्रों के सम्बन्ध अनुष्ठान की शक्ति से बाहर हैं, अनुष्ठान चाहे तो भी उनमें

सुधार नहीं कर सकता तो स्वतः ही अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांत जैसा विषय बौद्धिक विवेचनाओं के क्षेत्र में कोई स्थान न पा सता। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि यह न साबित जाय कि राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्ध किसी अन्य शक्ति द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, बल्कि वे तो मनुष्य पर योजे जाते हैं, मनुष्य को उन्हें स्वीकार करना चाहिए तथा जहां तक हो सके उन्हें उनी रूप में सहन करना चाहिए। इसके विपरीत सोचना यह चाहिए कि राष्ट्रों के मध्यवर्ती सम्बन्ध मनुष्यों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं और इसलिए मनुष्य उन्हें अपनी इच्छा से ही संशोधित, परिवर्तित व परिवर्धित कर सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के द्वारा तो एक ऐसा मादशं प्रदान किया जाता है जिसे अपना कर एक देश आमानों से अपने हीनों की प्राप्ति कर सके। यह व्यवहार का एक विवरण प्रस्तुत करती है। किन्तु यदि कोई स्वच्छयादी देश अपने परम्परागत व्यवहार को अपरिवर्तनीय मान कर इस विवरण को ही महत्व न दे तो उसके लिए विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह जाता।

अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के क्षेत्र से उदित होने का दूसरा कारण यह है कि १९वीं व २०वीं शताब्दी की प्रथम दशकादी में सैदान्तिक विचारों के क्षेत्र में सुधारवादी प्रवृत्ति का जार था। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को समझने का प्रयास नहीं किया गया बल्कि भौतिक सगठनों एवं समस्याओं को स्थापना करके उन्हें दवाने का प्रयत्न किया गया। शक्ति राजनीति (Power Politics) को जो विदेश नीति का आधार स्वप्न है, धृष्टि से देखा जाता था और एक बुराई माना जाता था—जिससे समझने की अपेक्षा मिटा देना ही उचित था। उदाहरण के लिए, हम प्रथम विश्व युद्ध के समय व उसके बाद बुद्धो विल्सन की स्थिति एवं उसके कार्यों को ले सकते हैं। हम देखेंगे कि विल्सन (Wilson) शक्ति सन्तुलन (Balance of Power) के प्रभावों को समझने में रुचि नहीं लेते थे वरन् उससे छुटकारा पाने की तपान में अग्रिम थे। वे अन्तर्राष्ट्रीय सधर्षों का इस रूप में सुधार करना चाहते थे कि किसी को शक्ति सन्तुलन पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही न रहे। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों एवं विदेश नीति के क्षेत्र में एक नियो-घात्मक दृष्टिकोण का बोधवाला था। ऐसी स्थिति में बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की विषयगत तथा व्यवस्थित रूप में देखना असम्भव था।

एक तीसरा कारण और भी था जिसने कि यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय विचारधाराओं (International Theories) के जन्म तथा विकास को पूर्णतः

समझने की नहीं बनाया किन्तु इसके विचार तथा उपयोग को सुभी तरह
 जड़ दिया। यह कारण राजनीति का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप में
 पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समझ पर होने वाली प्रत्येक घटना को राज-
 नीतिक रूप दे दिया जाता है और इन प्रकार उनको किसी विचारधारा के
 आधार पर विश्लेषित करने का समय का मार्ग रच जाता है। राजनीतिक
 कार्यों में बौद्धिक तत्व समाहित रहता है—इस कारण राजनीति सैद्धांतिक
 विश्लेषणों के प्रति सादर ही दृष्टि से देवता प्रारम्भ कर देती है। इसके
 अनिश्चित राजनीतिक विचारों बहुत कुछ अनिश्चित एवं अस्पष्ट रूप में
 चलती रहती हैं। उनके बारे में किसी निश्चित ही रचना करना बड़ा कठिन
 बन जाता है। जब राजनीतिक घटनाएँ होती हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि
 वे पूर्णतः नवीन हैं तथा पहले कभी नहीं घटी थी और न पढ़ेंगे। किन्तु
 दूरकी दृष्टि से वे समान हैं क्योंकि वे सामाजिक शक्तियों में प्रभावित होती
 हैं। सामाजिक शक्तियाँ अत्यन्त मानवीय प्रकृति का परिणाम हैं। इन
 समान परिस्थितियों में वे समान रूप में प्रभाव डालेंगी। किन्तु समस्या तो
 यह है कि इन सामाजिककरण (Generalisation) एवं विशेषीकरण के बीच
 कोई विभाजन रेखा खींचने के लिए हमारे पास कोई आधार नहीं है और
 इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के निश्चित निष्कर्षों का निर्माण नहीं हो
 पाता। अंतर्राष्ट्रीय निश्चित परिस्थिति, समस्या विशेष तथा अन्य सामाजिक
 पहलुओं से संश्लेषित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत के सामने काश्मीर
 की समस्या है। इसे सुलझाने के लिए मान लो हमारे पास चार विकल्प हैं।
 अंतर्राष्ट्रीय निश्चित भारत को यह मार्ग दर्शन करा सकते हैं कि एक विश्व
 विशेष को धरना के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, साथ ही वे उन परि-
 स्थितियों को बता सकते हैं जिनमें एक विश्व विशेष का अनायास जाना
 तथा सफलता प्राप्त करना सम्भव है। निश्चित उद्योग यह भी बता सकते हैं
 कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में एक विश्व को दूसरे की अज्ञानता प्राय-
 मिकता देनी चाहिए। किन्तु ये सभी सैद्धांतिक विश्लेषण या तो उन तत्वों
 पर निर्भर करते हैं जो हमारी जानकारी के बिना ही घटित होते हैं अथवा
 जो ऐसे परिणाम हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी न था। यही अंतर-
 अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर सैद्धांतिक विचार विमर्श रच जाता है। विचार-
 धारा (Theory) विभिन्न विकल्पों की ओर इतारा कर सकती है तथा उनकी
 आवश्यक पूर्व परिस्थितियाँ एवं उनके परिणामों को स्पष्ट कर सकती है।
 यह उन परिस्थितियों को बता सकती है जिनके होने पर विश्व अस्थिर
 फलदायी बन सकती है। किन्तु यह छोड़े बहुत निश्चय के साथ भी यह नहीं

बता सकती कि कौन सा विरूप सही है तथा वह निश्चय ही अपनाया जायेगा।^१

अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के निर्माण एवं स्वीकृति के मार्ग की बाधाएँ
(Problems of Building and Confirmation of
International Theory)

अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के निर्माण के मार्ग में भ्यावहारिक एवं सैद्धांतिक अनेक समस्याएँ आती हैं। किसी भी विचारक के लिए यह एक असम्भव कार्य होगा कि वह अपनी विचारधारा (Theory) के इतिहास में दुर्घटनाओं के कार्य, विशेष व्यक्तिगत सम्बन्धों का प्रभाव एक प्रभावशाली अकि-सम्पन्न विचारधारा (Ideology) का प्रभाव आदि बातों को भी समाविष्ट कर सके। अनेकों सविनष्ट तत्व होते हैं, जिनकी ध्यान में रखकर ही एक पूर्ण तथा प्रभावशाली सिद्धान्त का निर्माण किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक जब कोई विचारधारा बनाने लगते हैं या किसी विचारधारा को स्वीकृत बनाने का प्रयास करते हैं तो उनके सामने अनेक समस्याएँ आती हैं जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं—

(१) सामान्यीकरण की समस्या

सामान्यीकरण किये बिना किसी प्रकार का बौद्धिक चिन्तन असम्भव होता है तथा जहाँ विषय सनिष्ट होते हैं वहाँ चिन्तन का रूप स्वतः ही सिद्धान्त का रूप धारण कर लेता है। कहा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त उलने सत्व नहीं होने जितने कि भौतिक विज्ञानों के सिद्धान्त होने हैं। किन्तु ध्यान रखने योग्य बात यह है कि भूतानियों से लेकर नैलियों के समय तक भौतिक विज्ञान भी इतने निश्चित न थे जितने कि अब हैं। यह परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के क्षेत्र में भी हो सकता है। भौतिक विज्ञानों में सुनिश्चिता की स्थापना करने वाले तत्व मुख्य रूप से दो हैं। प्रथम तो यह है कि वे साधारण समस्या को ही अपने अध्ययन का विषय बनाती हैं जिनका एक निश्चित तथा सीमित क्षेत्र होता है। प्राधुनिक भौतिक विज्ञान ने केवल उन समस्याओं को अपने अध्ययन का विषय बनाया है जिनका समाधान करने के लिए उसके पास साधन मौजूद हैं। अपने अध्ययन के क्षेत्र की यदि आवश्यक हुआ तो यह कम भी कर सकता है। भौतिक

1. Morgenthau, Hans J., Ibid, Pp 10-11

सङ्गठन भौणचारिक एवं स्थायी होते हैं किन्तु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकार
राजनीतिक सङ्गठन मनोपचारिक होता है, उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय
सन्धिषो को लिया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वार्थ को ध्यान में रखकर जो
समझौते, संधियाँ सौदेबाजियाँ आदि की जाती हैं वे केवल तभी तक स्थिर
रहती हैं जब तक उन देशों का स्वार्थ उनसे पूरा होता रहे। राष्ट्रीय हित
की दृष्टि से महत्वहीन एवं अनुपयोगी होने पर इनको तुरत ही तोड़
दिया जाता है। कवन भौणचारिकता के नाम पर इनको बनाये रखने की
परम्परा नहीं है।

(४) घटनातत्वों की समस्या

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होने वाली घटनायें एकाकी नहीं होनी उनके पीछे कारण के रूप में अनेक तत्व वर्तमान रहते हैं। उन तत्वों को समझे बिना उस घटना को भी समुचित रूप से नहीं समझा जा सकता। उदाहरण के लिए वर्तमान विश्व में स्थित शक्तियों में आपसी संबंध को यदि हम समझना चाहें तो यह आवश्यक है कि उन देशों की मूलिक सामर्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, राजनीतिक सम्बन्ध, विश्व के अन्य राष्ट्रों की उनके प्रति भावनायें आदि बातों पर विचार किया जाय। उन देशों की आन्तरिक राजनीति को जानना भी आवश्यक होगा क्योंकि आन्तरिक राजनीतिक एवं आर्थिक आवश्यकताएँ एक राज्य की विदेश नीतियों को बहुत कुछ प्रभावित करती हैं।

(५) तुलनात्मक अध्ययन की समस्या

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इतने विद्यार्थियों को विभिन्न घटनाओं की एक ही समय में तुलना करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। आज की एक घटना का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हमको भूतकाल में कोई वंसी ही घटना ढूँढनी पड़ेगी और यह आवश्यक भी नहीं है कि जो घटना हमें मिले उसके पीछे भी वही कारण हो जो प्रस्तुत घटना के पीछे है।

अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के पीछे उक्त समस्याओं एवं कठिनाइयों के होने पर हमें कैपलान (Kaplan) महोदय के शब्दों को दुहराते हुए कहना पड़ेगा कि 'अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान की भाँति नविष्यवाणी या स्पष्टीकरण करने की शक्ति प्राप्त कर लेगी' यह प्राणा हम छोड़ देनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधाराओं का विकास अपने धाप में एक क्रम रखता है। प्रारम्भ में विचारधारा को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में इतना अधिक

महत्व नहीं दिया जाता था। थाम्पसन महोदय के कथनानुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को चार विभिन्न स्तरों में होकर गुजरना पड़ा है।

सिद्धान्तों के विकास की चार सीढ़ियाँ (Four Steps of Theory Orientation)

थाम्पसन (Thompson) महोदय ने बतलाया है कि सबसे पहले स्तर में प्रथम विश्व युद्ध व उससे पहले इस क्षेत्र में किये गये अध्ययनों को समाहित किया जा सकता है। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कूटनीतिक इतिहास के रूप में लिखा जाता था। ऐतिहासिक अनुसंधान एवं प्रमाणों को अधिक महत्व दिया जाता था। घटनाओं का केवल वर्णन कर दिया जाता था, तथा इस बात को नहीं देखा जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के सामान्य ढाँचे में वे किस प्रकार समायाजित होती हैं। घटनाओं के आधार पर सामान्य अथवा सार्वभौमिक सिद्धांत निकाले जा सकते हैं, यह विचार उस समय उपेक्षित था।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की दूसरी सीढ़ी दो विश्वयुद्धों के बीच के समय को माना जाता है। इस समय नवीन एवं तात्कालिक घटनाओं का अध्ययन करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। विचारक एवं अध्ययनकर्ता उन घटनाओं का तात्कालिक महत्व वर्णित करने में रुचि दिखाने लगे। युद्ध के बाद की समस्याओं की तुलना युद्ध से पूर्व ही उसी प्रकार की समस्याओं से की जाने की आदत को भुलाया जाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसा कोई स्थिर तथा सुनिश्चित आधार न रहा जिस पर वर्तमान काल की घटनाओं का इतिहास से संबंध जोड़ा जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में एक नया मोड़ तब आया जब उन्हें कानून और सङ्गठन के सहारे स्थापक रूप देने का प्रयास किया जाने लगा। राष्ट्रसंघ की स्थापना एवं शक्ति सन्तुलन के सिद्धांत के निरस्वार के साथ ही इस मान्यता को विशेष महत्व दिया जाने लगा। यह समझा जाने लगा कि विश्व स्थापन करने पर सभी समस्याओं और संघर्षों का स्वयं ही लोप हो जायेगा। इस प्रकार के विचारों ने विषयगत एवं बौद्धिक अध्ययन (Subjective and Rational Study) के विकास की धारा को अग्रसर कर दिया। इस क्षेत्र में भावना एवं सुधारवादी प्रवृत्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा। इस समय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में आशावाद तथा आदर्शवाद का बोलबाला था। बौद्धिक अनुसंधानों का मुख्य विषय अंतर्राष्ट्रीय कानून

तथा संगठन बना रहा। इसके प्रतिरिक्त इस समय अंतर्राष्ट्रीय सबंधों का अध्ययन करते समय अंतर्राष्ट्रीय सबंधों एक नवीन उद्भावनाओं को नैतिकता की कसौटी पर कसा जाता था। एक सामान्य प्रवृत्ति इस काल के विचारकों की यह थी कि शांति एवं व्यवस्थापूर्ण विश्व की स्थापना के लिए वे विश्व सरकार की स्थापना में विश्वास करते थे। मार्गेंथो (Morgenthau, Hans, J) महोदय के दृष्टानुसार इस काल की विचारधाराओं का समय अंतर्राष्ट्रीय सबंधों की प्रवृत्ति को समझना नहीं था चरम विकासशील कानूनी सस्थाओं व संगठनों से था। इस प्रकार तत्कालीन स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सबंधों के प्रकारों को गौण बना दिया गया।

१९३० तक के अंतर्राष्ट्रीय सबंधों पर जिन विचारधाराओं का बोल-बाला था, उनमें वास्तविकता के कठोर सत्यों की प्रवहेलना करके विश्व सरकार, संगठन और कानून के महत्वपूर्ण प्रादशों पर जोर दिया गया। इस काल में किसी सुव्यवस्थित सामान्य सिद्धांत की उद्भावना का प्रयत्न ही नहीं उठा।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समुक्त राष्ट्र संघ का जन्म होने पर यह समझा जाने लगा कि अब विश्व एक प्रकार से कानून के प्रयोग में हो गया है किंतु इस काल के अध्यापकों, शोध-कर्ताओं एवं कार्यकर्ताओं में अंतर्राष्ट्रीय सबंधों को देखने के दृष्टिकोण में अंतर आ गया। अब उनका दृष्टिकोण वैधानिक प्रथमा सस्थापन होने की अपेक्षा राजनैतिक अधिक था। अंतर्राष्ट्रीय सबंधों के अध्ययन की यह चौथी सीढ़ी है। इस काल में उन शक्तियों एवं प्रभावों का अध्ययन करना भी प्रारंभ हो गया जो राज्यों के वैदेशिक व्यवहार को प्रभावित एवं प्रभावित करते हैं। उन प्रवृत्तियों एवं साधनों को देखा जाने लगा जिनके द्वारा राज्य अपनी विदेश नीति का संचालन करता है। उन तरीकों एवं प्रक्रियाओं को खोजा जाने लगा जिनके द्वारा राष्ट्रों के मतभेदों एवं मनमुटावों को मिटाया अथवा समाधोजित किया जा सके।

इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सबंधों के अध्ययन का स्वरूप अब भावसंवादन रहकर वास्तविकता के अधिक निकट आ गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक प्रादि तत्वों का भी अध्ययन किया जाने लगा। फिर भी राजनैतिक पहलुओं को महत्वपूर्ण माना गया। अंतर्राष्ट्रीय सबंधों पर एकीकृत सिद्धांतों (Integrated Theories) का निर्माण किया जाना प्रारंभ हो गया।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सामान्य विचारधारा (General Theory in International Field)

सामान्य विचारधारा वह होती है जो समान परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर सभी देशों द्वारा अपनाई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय जगत में सामान्य सिद्धान्तों का परिमाण अधिक नहीं है। सम्भवतः इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय सबंधों को सैद्धांतिक आधार पर समझना उतना समभव नहीं है जितना अन्य सामाजिक विज्ञानों में होता है। अंतर्राष्ट्रीय सबंधों के ऊपर समय-समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा विचार प्रकट किये जाते हैं किंतु ये विचार इतने एक-पक्षीय तथा सीमित होते हैं कि इनके माध्यम से स्थिति के पूर्ण रूप को नहीं समझा जा सकता। इन एकपक्षीय सिद्धांतों में वह सामर्थ्य नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय सबंधों के वास्तविक व्यवहार का चित्र हमारे सामने रख सके। भूतकाल में इन सिद्धांतों का निर्माण एक विशेष हित रखने वाले समुदाय के लिए किया गया था जैसे सैनिक समुदाय, कूटनीतिज्ञ, न्यायिक (Jurist), श्रमिकारी राजनीतिज्ञ, अंतर्राष्ट्रीयतावादी साम्राज्यवादी, शक्तिवादी, शिल्पक तथा अन्य। विक्सनी राइट के मतानुसार 'श्रमिकारी राजनीतिज्ञ के लिए रचे गये सिद्धांतों का शक्तिवादी व अंतर्राष्ट्रीयतावादी लोगों के लिए कोई महत्व नहीं होगा। इन सिद्धांतों के निर्माता भी इतिहासकार, भूगोलशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, नीतिशास्त्री आदि थे। इन्होंने केवल विशेष तथा सकुचित दृष्टिकोण से ही वास्तुस्थिति को परखा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सम्पूर्ण चित्र को अंकित करने में सफल न हो सके।

आजकल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक सामान्य सिद्धान्त की आवश्यकता को कई दृष्टियों से स्वीकार किया जा रहा है। कहा जाता है कि सामान्य सिद्धान्त राजनीतिज्ञों की सहायता करेगा। जिन लोगों को विदेश नीति के सम्बन्ध में निर्णय लेने होते हैं उनके पास प्रदर्शक के रूप में एक ऐसे सिद्धान्त का होना आवश्यक है जो उनके लक्ष्य तथा साधनों की समुचित व्याख्या कर सके। राजनीति अथवा निर्णयों के निर्माता (Decision maker) के अनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कूटनीतिज्ञों, सैनिकों, वायुन नेताओं, अर्थ-शास्त्रियों, उपनिवेशीय प्रशासकों, अंतर्राष्ट्रीय लोकसेवकों आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धान्त का कार्य है कि इन सभी को विशेषज्ञ परामर्श (Expert advice) प्रदान करे। इसके अनिर्दिष्ट सामान्य सिद्धान्त (General Theory) का एक महत्वपूर्ण कार्य है नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का समुचित ज्ञान कराना। आज प्रजातन्त्र का

युग है तथा प्रत्येक व्यक्ति विदेश नीति के निर्णयों पर अपना प्रभाव डालना चाहता है। किन्तु कोई प्रभाव डालने से पूर्व आवश्यक है कि व्यक्ति को उक्त विषय का ज्ञान हो। सामान्य सिद्धान्तों का एक सबसे बड़ा उपयोग यह है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शोध कार्य को आसानी बना देता है।

सामान्य सिद्धान्त का अर्थ व स्वरूप

सामान्य सिद्धान्त का अर्थ बताते हुए निवन्सी राइट ने लिखा है कि यह ज्ञान का वह रूप है कि जो विस्तृत, समझने योग्य, सम्बद्ध तथा आत्म शोधक हो तथा साथ ही इससे जानकारी, मविष्यवाणी, मूल्यांकन, विश्व के राज्यों के आपसी सम्बन्धों के तथा विश्व की परिस्थितियों के नियन्त्रण को कुछ योगदान मिल सके।¹ मि० राइट के विचारानुसार इन समस्त गुणों से युक्त सिद्धान्त को प्राप्त करना सर्वथा असम्भव है।

मि० राइट द्वारा दी गई उक्त परिभाषा में प्रकृति एवं उद्देश्य की दृष्टि से सामान्य सिद्धान्त की जिन विशेषताओं की ओर निर्देश किया गया है वे निम्न प्रकार हैं—

सामान्य सिद्धान्त की प्रकृति एवं उद्देश्य

सामान्य सिद्धान्त में किसी एक विषय की व्याख्या नहीं होनी चाहिए। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए शक्तिपूर्ण एवं युद्ध-सम्बन्धी, सहकारिता पूर्ण व परस्पर विरोधी, सांख्यिक तथा सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इत्यादि। सामान्य सिद्धान्त उलझा हुआ व विस्तृत नहीं होना चाहिए। विस्तृत सिद्धान्त प्रायः उलझनपूर्ण होता है और उलझन के कारण वह अपने उन गुणों से वंचित रह जाता है जिनकी उच्चें भाषा की जाती है। यह ऐसे सामाजिककरणों में अभिषिक्त किया गया हो जो समझ में आने योग्य हों, संगठित हों तथा कम से कम हो। मूल बात को बड़ा-चड़ा कर कहने की अपेक्षा उसे उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया जाय। अत्यधिक सतर्क भी कई बार असमर्थता का कारण बन जाता है किन्तु फिर भी आवश्यकता से अधिक स्पष्टीकरण में विरोधाभास या असंगतियाँ पैदा होने का डर रहता है।)

1. Wright, Quincy, The study of International Relations, PP. 498 ff.

सामान्य सिद्धांत के निष्कर्ष एक तार्किक विश्लेषण के सहज व स्वाभाविक परिणाम होने चाहिए। इसका प्रत्येक भाग एक दूसरे से सम्बंधित तथा समायोजित हो तथा उनमें परस्पर विरोध न हो। इसके अतिरिक्त सामान्य सिद्धांत में स्वयं की कमियों को पूरा करने तथा स्वयं के दोषों को दूर करने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए। क्योंकि सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में किसी का यह सोचना गलत होगा कि उसके निष्कर्ष अन्तिम सत्य हैं तथा हमेशा ही रहेंगे। इसलिए आवश्यक है कि समय एवं परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ ही उनके रूप में यथोचित परिवर्तन कर दिये जाय।

सामान्य सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य यह होना चाहिए कि यह जनता और राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क में बहुत काल पहले जमे हुए उन विचारों को सुरक्षित रखे जिनका आज भी परिस्थितियों में कोई महत्व नहीं रह गया है। इसके अध्ययन का रूप वस्तुगत (Objective) होना चाहिए क्योंकि सत्यता एवं तथ्यपूर्णता के लिए ऐसा होना जरूरी होता है। इस अर्थ में सामान्य सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वही कार्य है जो खगोल शास्त्र के क्षेत्र में कापर्निकस ने किया था। सामान्य सिद्धांत को ऐसे मार्गों को प्रदर्शित करना चाहिए जिनमें भविष्य के शाश्वत तथा अध्ययनकर्ता अपने बड़ सके और इस क्षेत्र में अपना अनुदान प्रदान कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नवीन विचारों का स्वागत होना चाहिए क्योंकि वे भी उनमें ही मूल्यवान हैं जितने कि हमारे स्वयं के। नवीन विचारों के सदन में यदि समय समय पर अपने मनों एवं धारणाओं को भी संशोधित कर लिया जाये तो उचित रहेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का दूसरा लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में भविष्यवाणी करने के कार्य को संभव बनाना है। इसके लिए यह जरूरी है कि कारण कार्य के सम्बन्ध को उचित रूप से बँटाया जाये। इसका स्वरूप वैज्ञानिक होना चाहिए। 'इन परिस्थितियों के होने पर यह कार्य होगा' अथवा 'ऐसा करिये ऐसा हो जायगा' आदि कहने की सामर्थ्य इनमें होनी चाहिए किन्तु प्रायः यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में सम्भव नहीं हो पाता। इसके अनेक कारण हैं जैसे कि मानवीय व्यवहार एकसा नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तुलना नहीं की जा सकती, हम अपनी परिचल्पनाओं पर प्रयोग नहीं कर सकते आदि। फिर भी कुछ बातों पर कुछ मात्रा में भविष्यवाणी की जा सकती है और हमें अवश्य ही इस प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।¹

1. Quincy Wright, A study of war, 1942 Pp 681, 717

अन्तर्राष्ट्रीय सामान्य सिद्धांत का तीसरा सक्ष्य परिस्थिति का मूल्यांकन करना है। इसका यह कार्य है कि आवश्यकता के समय लोगों को केवल तथ्यों का ज्ञान कराने की प्रपेक्षा यह भी बताये कि उनके लिए भ्रष्टा नया है। इसी अर्थ में प्लेटो कहा करता था कि समय पर राजनीतिज्ञ को सज्जनतापूर्ण भूठ (Noble lies) भी बोल देनी चाहिए। इस दृष्टि से सत्य का मापदण्ड प्रमाण अथवा बुद्धि नहीं है वरन् इसका व्यावहारिक प्रयोग है। हमें जनता से जो कराना है तथा जिन सिद्धान्तों को ग्रहण कराना है उनका उद्देश्य बताते समय कुटनीति से काम लेना आवश्यक बन जाता है। सामान्य जनता बालक-बुद्धि से काम करती है। यदि बालक से आप कहे कि 'वह अध्ययन में रुचि ले, इससे व्यक्तित्व का विकास होगा' तो इस कथन का व्यावहारिक प्रभाव इतना न होगा जितना कि यह कहने पर कि 'वह अध्ययन करेगा तो उसे मिठाई व खिलौने दिये जायेंगे।' यद्यपि दोनों परिस्थितियों में अध्ययन का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास ही है। अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त के अध्ययन का विषय है मनुष्य तथा उसके समुदाय। मनुष्यों के जीवन के कुछ मूल्य होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सामान्य सिद्धान्तों को उन मूल्यों के समाधान में ही अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए वरना मनुष्य जिन मूल्यों को महत्व देता है उनकी सुरक्षा के लिए यह सिद्धान्तों को तिलाजलि दे सकता है। कुछ विचारकों का मत है कि समाज विज्ञान शास्त्रियों को केवल तथ्यों व प्रमाणों से सम्बन्ध रखना चाहिए 'मूल्यों' से नहीं। किन्तु जैसा कि मि. राइट का मत है—सामाजिक विज्ञान 'मूल्यों' को अवहेलना नहीं कर सकते, यह तो इनका मूल सत्व होता है।

चौथे अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त को यह बताना चाहिए कि क्या होने को है, यह बताना चाहिए कि क्या होना भ्रष्टा है तथा साथ ही सरकार व जनता को जो भ्रष्टा है उसे बनाये रखने के लिए निर्णय लेने में सहायता देनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर सरकारें तब तक नियंत्रण नहीं रख सकती जब तक कि उन्हें साफ साफ यह पता न हो कि वे ऐसा क्यों करना चाहती हैं। कोई निर्णय लेने से पूर्व हमारे सामने कुछे मूल्यों का रहना आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय सामान्य सिद्धान्त इस प्रकार के मूल्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं।

पाचवें अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त का एक महत्वपूर्ण कार्य आज यह भी है कि विषम समुदाय की परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए वह प्रयास करे। आज का युग सम्प्रभु राष्ट्रीय राज्यों की स्थिति में परिवर्तन की मांग करता है। वह विश्व समाज तथा विश्व सरकार की स्थापना चाहता

है। सामान्य सिद्धांतों का यह कर्तव्य बन जाता है कि समय की इस आवश्यकता व युग की इस मांग को ध्यान में रख कर ही भागे बड़े।

ऊपर बताये गये उद्देश्य एवं तत्वों को अपने-प्राप में धारण करने वाला कोई अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांत हो सकेगा ऐसी आशा नहीं है। उपर्युक्त सभी विशेषताएं एक आदर्श अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांत का चित्रण करती हैं। सिद्धांत शास्त्रियों का यह प्रयास होना चाहिए कि वे अपने सिद्धांतों में इन विशेषताओं को अधिक से अधिक समाविष्ट कर सकें। कोई भी सिद्धांत इन विशेषताओं के जितना नजदीक होगा वह उतना ही उपयोगी, श्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक माना जायगा।

अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के प्रकार (Types of International Theory)

जब से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन की ओर राजनीति के मनीषियों का ध्यान गया है तभी से इस क्षेत्र में सिद्धांतों की रचना का कार्य भी प्रारम्भ हो गया। शुरू में तो भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास आदि शास्त्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ चुने हुए विषयों का अध्ययन किया गया। तत्पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का सकलन होने लगा। अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का शुभारम्भ तब से माना जा सकता है जब से विचारकों ने सम्पूर्ण विश्व को एक इकाई के रूप में देखना प्रारम्भ किया है। जैसा कि किन्सी राइट (Quincy Wright) का मन है कि विश्व के सम्बन्ध में एक सामान्य धारणा का होना सिद्धांत-निर्माण के लिए अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से ही तथ्यों का सकलन एवं सगठन किया जा सकता है। विश्व के सम्बन्ध में जिन ५ सामान्य धारणाओं को अब तक स्वीकार किया गया है वे किन्सी राइट (Quincy Wright) महाशय के अनुसार निम्न प्रकार हैं—

- (१) विश्व एक विचार धारणा योजना के रूप में
(World as an Idea or Plan)
- (२) विश्व : शक्ति सन्तुलन के रूप में
(World as Equilibrium or Balance of Power)
- (३) विश्व : एक सगठन के रूप में
(World as an Organisation)

- (४) विश्व समुदाय के रूप में
(World as a Community)
- (५) विश्व : एक प्रसलन क्षेत्र के रूप में
(World as an Uncommitted Field)

उक्त पाच धारणायें काल धर्म के अनुसार उस समय के विचारकों की प्रभावित करती रही हैं। प्रारम्भिक विचारक विश्व को ईश्वर का एक विचार मानते थे। उनका विश्वास था कि ससार एक नाटक की तरह है जिसका रक्षयिता एवं निर्देशक ईश्वर है। किस घटना के बाद वही घटना अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर आनी चाहिए इसका निर्णय वही करेगा। बाद में बुद्धिवाद के उदय के साथ साथ यह माना जाने लगा कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की दुनिया का निर्माण मनुष्य की बुद्धि से होता है। प्राकृतिक शक्तियों के बीच सन्तुलन का महत्व देख कर १७ वीं शताब्दी में लिसोलो (Lisola) तथा १८वें शताब्दी में डेविड ह्यूम (David Hume) द्वारा शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्तों की रचना की गई। तीसरी धारणा के अनुसार यह माना जाने लगा कि विश्व का ढांचा पूर्ण निर्धारित नहीं है यह राजनीतियों की बुद्धि व जनता के मत (Opinion) के अनुसार घटता या बुरा सगठित किया जा सकता है। चौथी धारणा में यह स्वीकार दिया गया कि विश्व के विभिन्न भाग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से बंधे हुए हैं। विश्व के सभी मनुष्य पिता परमात्मा की सत्ता और रूप प्रकार भाई भाई हैं। यह धारणा अनुभव की कसौटी पर सत्य न ठहर सके। पाँचवीं व अन्तिम धारणा विश्व को भलग-भलग क्षेत्रों (Fields) से युक्त मानती है। इस धारणा के प्राधार पर मि० राइट (Wright) ने पृथक से क्षेत्र सिद्धान्त (Field Theory) की रचना की है अतः इसे विस्तार से देखना उपयोगी होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का क्षेत्र सिद्धान्त (The Field-Theory of International Relations)

इस सिद्धान्त की विशद व्याख्या किन्सी राइट (Quincy Wright) ने दी है।^१ यह सिद्धान्त मानता है कि ससार विभिन्नताओं से पूर्ण है तथा अत्यन्त सश्लिष्ट (Complicated) है। एक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगो

1. Quincy Wright: The Study of International Relations, Last chapter.

की मूल्य-व्यवस्था (Value System), सामाजिक संस्थाएँ (Social Institutions) तथा सरकार के रूप (Forms of Govt) उनके अपने होने हैं जो दूसरे क्षेत्र में नहीं अपनाये जा सकते। इन क्षेत्रों में पाये जाने वाली मिश्रताओं को दूर करना न तो सम्भव है और न आवश्यक ही।

नीतियों को बनाने, निर्णयों को लेने तथा उनको व्यावहारिक रूप देने का काम किसी एक का नहीं होता। इस कार्य में राज्य, सरकार, राष्ट्र और जनता सभी का सहयोग रहता है। आवश्यक नहीं कि एक क्षेत्र की जनता का स्तर वही हो जो वहा सरकार का है। सरकार के अपने कुछ ऐसे मूल्य हो सकते हैं जो जनता के मूल्यों से भिन्न हों तथा जो उस देश की संस्कृति तथा राज्य के कानूनों में समाहित मूल्यों का प्रतिनिधित्व न कर सकें। इन दोनों मूल्यों के बीच सघर्ष होता है—देश में स्पष्टतः दो भाग बन जाते हैं। एक पक्ष में सरकार एवं प्रशासक रहते हैं और दूसरे पक्ष में जनता अथवा प्रशासित रहते हैं। यदि शासन व्यवस्था प्रजातन्त्रात्मक है तो जनता का पक्ष विजयी होगा और यदि तानाशाही है तो शासक या सरकार की मनमानी चलेगी अर्थात् जिसके हाथ में शक्ति है वह दूसरे के मूल्यों को कुचल देगा। क्षेत्र सिद्धांत वालों का दावा है कि उनका सिद्धांत इस दृष्टि से अमूल्य है और दूसरे सिद्धांत यह मानकर चलते हैं कि एक दिन सभी लोग एक प्रकार की विश्व व्यवस्था (World order) पर एकमत हो जायेंगे। क्षेत्र सिद्धांत यह मानता है कि एक 'क्षेत्र' (Field) है, जो हो सकता है भविष्य में सभी मतों (Opinions) के बीच एकता की षोड़ी बहुत स्थापना कर सके किन्तु अभी तो जैसे ही इसके कार्यों की व्यवस्था में तथा उनके आपसी सम्बन्धों में परिवर्तन होता है, इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। एक क्षेत्र के निवासियों के मूल्य, भावनाएँ एवं लक्ष्य आदि जब तक एक जैसे रहते हैं तब तक तो उनके मतों में भी सामंजस्यता रह सकती है किन्तु ज्यों ही उनके पारस्परिक सम्बन्धों में परिवर्तन आता है त्यों ही उनके बीच मत भिन्नता भी स्थापित हो जाती है। हो सकता है कि 'क्षेत्र' भविष्य में एक समायोजित वैधानिक व्यवस्था बन जाये, एक स्थायी सन्तुलन या एक समर्थ संगठन बन जाये, या कोई सद्भावपूर्ण समुदाय बन जाये किन्तु सिद्धान्त इनमें से किसी को अपना लक्ष्य बना कर नहीं चलता। इस विचारधारा का उद्देश्य यह नहीं है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का दर्शन या उनके व्यवहार की कला का आदर्श (Model) प्रस्तुत करे किन्तु यह तो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास की व्याख्या करने अथवा उसे वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास करता है।¹

1 Quincy Wright "Development of a general theory of International Relations," in the role of theory in International Relations, edited by Harrison, P. 40

प्रो० राइट का कहना है कि क्षेत्र सिद्धांत को सामान्य सिद्धांत माना जा सकता है। साम्राज्यवादी युग में जिस विचारधारा का प्रभाव था; वह विश्व को एक योजना मान कर चलती थी। राष्ट्रीयतावाद के युग में आकर यह विचारधारा महत्वहीन बन गई तथा इसका स्थान शक्ति सन्तुलन को महत्व देने वाली विचारधारा ने ले लिया। अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के वर्तमान युग में शक्ति-सन्तुलन के विचार भी प्रसामयिक बन गये हैं और आज विश्व सगठन एवं विश्व सरकार की मान्यता को अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रो० विन्स्टो राइट का विचार है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र सिद्धांत को अपना लिया गया तो यह कभी भी प्रसामयिक न बनेगा क्योंकि यह परिवर्तन का विरोध नहीं करता वरन् उसको मान कर चलता है तथा अनुकूल समायोजित होने का प्रयास करता है।

खेल तथा सौदेबाजी का सिद्धान्त (Games and Bargaining Theory)

इस सिद्धांत का प्रतिपादन तथा व्याख्या जिन तीन विद्वानों ने की है उनके नाम हैं—केपलन (Morton A. Kaplan), बर्न्स (Arthur Lee Burns) तथा क्वाउन्ट (Richard E. Quandt)। इन विद्वानों ने खेल सिद्धांत के आधार पर शक्ति सन्तुलन (Balance of Power) की सिद्धांतिक व्याख्या दी है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए इन विचारकों ने खेलों का माध्यम अपनाया है। इस प्रणाली में अधिक समय, तथा शक्ति की आवश्यकता होती है, नहीं तो भ्रब तक इसका काफी विकास हो गया होता।

यह सिद्धांत उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो एक विशेष समस्या पर निर्णय लेना चाहते हैं, जो एक बौद्धिक सिद्धांत चाहते हैं, अथवा जो अपने विकल्पों की तुलनात्मक रूप से उपयोगिता देखना चाहते हैं। युद्ध-कोशत के बारे में खेल सिद्धांत बहुत कुछ कहता है तथा एक व्यवस्थित रूप में कहता है। जहाँ यह सिद्धांत लागू हो जाता है वहाँ भूलें रहने की सम्भावना काफी कम हो जाती है। खेल सिद्धांत को यदि अच्छी प्रकार समझ लिया जाय तो हम उन समस्याओं को भी जान सकते हैं जिन पर अभी खेल सिद्धांत को लागू नहीं किया गया है।

एक खेल की भांति इस सिद्धांत में भी स्वयं के नियम (Rules), खिलाड़ी (Players), क्रियाएँ (Moves), युद्ध-कोशत (Strategies)

तथा शक्ति देना (Pay off) आदि होते हैं। यह खेल स्पर्धापूर्ण (Competitive) तथा सहकारितापूर्ण (Cooperative) दोनों ही प्रकार हो सकता है। खेल के संघर्षात्मक विशेषण की इकाई खिलाड़ी होता है। यह अभिनेता (Actor) होता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ी दो भी हो सकते हैं तथा इससे अधिक भी। खिलाड़ी का अर्थ उससे है जो निर्णय लेता है। खिलाड़ी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए या प्रतिद्वन्द्वी की शक्ति को कम करने के लिए जिसे सघिया करता है वे राष्ट्र खिलाड़ो नहीं माने जाते।

खेल के नियम होने हैं, इन नियमों के ऊपर खिलाड़ियों का बल नहीं रहता। जैसे शतरंज का नियम है कि पैदल मोहरा एक बार में एक या दो घर पार कर सकता है, इसी तरह अमरीकन शासन व्यवस्था में नियम है कि जिम टम्पोदवार को बहुमत प्राप्त हो जाय वही राष्ट्रपति बन जाता है। खेल निदान उन तत्वों को ध्यान में नहीं रखता जो अंतर्राष्ट्रीय खेल पर प्रभाव नहीं रखते। खेल के नियम ही यह निर्णय करते हैं कि एक खिलाड़ी क्या कदम उठायेगा। अंतर्राष्ट्रीय खेलों के सामाजिक नियम स्थिर होने की अपेक्षा सजीले होते हैं। जैसे कि 'शक्ति मनुवन' के अनुसार यह धारा की जाती थी कि एक राष्ट्र उस पक्ष में नहीं मिलेगा जो पहले से ही शक्तिशाली है। किन्तु यह भी सम्भव है कि वह देश इसी पक्ष में मिल जाय।

सामान्य खेलों की भाँति अंतर्राष्ट्रीय सम्झौतों का खेल भी दो प्रकार का होता है—(१) जिसमें कि सभी विकल्पों तथा उनके परिणामों की सूचना खिलाड़ी को दे दी जाय। (२) जिसमें इस प्रकार की सूचना न दी जाय। सूचना पूरी तथा अपूर्ण दोनों ही प्रकार का हो सकती है। इस खेल में खिलाड़ी के सामने कुछ विकल्पों में से चुनाव करने की स्वतन्त्रता भी रहती है। एक बार डा० राधाकृष्णन् ने कहा था कि ताज के खेल में हमारे पास क्या पत्ते आयेंगे, यह हमारे अधिकार की बात नहीं है किन्तु जो पत्ते आयें हैं उनका प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे यह बहुत कुछ हमारी स्वतन्त्र निर्णय शक्ति पर आधारित है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ व स्थितियाँ किस तरह बँटती हैं यह एक राष्ट्र की शक्ति के बाहर की बात है किन्तु उन स्थितियों में यह किस विकल्प को चुनेगा यह उसी की दृष्टि पर है। एक विकल्प के चुनने का परिणाम क्या होगा यह भी बहुत कुछ अनिश्चित ही होता है क्योंकि 'परिणाम' पर दूसरे राष्ट्र द्वारा चुने गये विकल्पों का भी प्रभाव पड़ता है, जो अनिश्चित है।¹ खेल भी कई प्रकार के होते हैं जैसे—

1 Morton A Kaplan, System and Process in International Politics, P 174.

(१) Zero sum Games जिसमें कुछ खिलाड़ियों की हानियों (Losses) का अर्थ दूसरे खिलाड़ियों का लाभ (Gains) होता है।

(२) Constant Sum Games—इस खेल को समझने के लिए हम एक बाजार की कल्पना कर सकते हैं जिसमें कुछ सामान एक निश्चित संख्या व कीमत में बिकते हैं। इस बाजार के प्रतिद्वन्द्वी जो लाभ प्राप्त करेंगे वह दूसरे को हानि देकर नहीं करेंगे। सभी को समान लाभ मिलेगा।

(३) Non Zero sum Games—यह खेल उक्त दोनों के बीच का है। इसमें प्रतिद्वन्द्वियों के बीच का संबंध सहयोगितापूर्ण भी रह सकता है और परस्पर विरोधी भी।

शक्ति के खेल का एक उदाहरण

(An Example of the Game of Power)

शक्ति का खेल विभिन्न राष्ट्रों द्वारा खेला जाता है। ये राष्ट्र एक मेज के चारों ओर बैठ जाते हैं और गोठियों के माध्यम से प्रतियोगिता करने लगते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के पास एक बोर्ड होता है। इस बोर्ड पर वे सीमाएँ प्रकट रहती हैं जिनका वह प्रत्येक अन्य प्रतियोगी के साथ हिस्सेदार है। साथ ही उसका स्वयं का प्रदेश भी प्रकट रहता है। गोठियाँ स्रोतों की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जिस देश के पास जितनी अधिक गोठियाँ हैं वह उतने ही अधिक स्रोतों का स्वामी माना जायेगा। कुछ गोठियाँ सुरक्षित सेनाओं (Reserved force) के रूप में भी रखी जा सकती हैं। जब इनको दूसरे देशों के विच्छेद सीमा पर लगा दिया जाता है तो ये विध्वंसक शक्ति के स्रोत बन जाती हैं। जिन स्रोतों को प्रयुक्त नहीं किया जाता अर्थात् जिनको न तो सीमाओं पर ही लगाया जाता है और न ही सुरक्षित सेना के रूप में रखा जाता है वे अनुराजिक भाषा में भाय कमाती हैं किन्तु यह अनुपात प्रत्येक बार अवसर के अनुसार बदलता रहता है।

चलने के लिये प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी बारी आनी है। यदि कोई चाहे तो वह अपनी बारी को छोड़ भी सकता है अथवा वह इसे स्वीकार करके अपनी शक्तियों को कार्यरत कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है या वापिस बुला सकता है अथवा जो सेनाएँ पहले से ही सीमा पर भेजी जा चुकी हैं उनके द्वारा युद्ध प्रारम्भ कर सकता है। यदि युद्ध प्रारम्भ हो जाता है तो उस सीमा पर की गोठियाँ विरोधी पक्ष की गोठियों को समाप्त करने का प्रयास करेंगी। प्रत्येक पक्ष उस समय तक गोठियों को सीमा पर भेजता रहेगा जब तक कि दूसरे पक्ष की सारी गोठियाँ समाप्त नहीं हो जातीं। चलने की

नियमित बारी को उस समय तक के लिए रोक दिया जाता है जब तक वह सपर्य भयवा युद्ध समाप्त न हो जाये भयवा जब तक किसी पक्ष के पास पुनः सेना भेजने तथा युद्ध को प्रारम्भ करने का अवसर है। इस खेल के खिलाड़ियों को यह विदित रहता है कि यह खेल या तो समाप्त होने तक खेला जायेगा भयवा कुछ विशेष बारियों के बाद समाप्त हो जायेगा। बारियों की सख्या गोटियों की सख्या पर निर्भर करती है।

सन्धि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में हो जाती है और जब सन्धि हो जाती है तो सम्बन्धित देश सामान्य सीमाओं पर से अपनी सेनाओं को हटा लेते हैं। जब एक देश दूसरे देश के विरुद्ध सीमा पर अपनी सेना को बढ़ाता जाता है तो वह दबाव डालने की स्थिति में हो जाता है। जिस देश का दबाव जितना अधिक होता है सीमा पर उसकी प्रभुता उतनी ही अधिक मानी जाती है।

शक्ति के इस खेल का उद्देश्य यह होता है कि खेल के अन्त तक यथा-सम्भव अधिक गोटिया प्राप्त की जायें। यदि खेल की समाप्ति के बाद एक खिलाड़ी के पास थोड़ी सी गोटिया ही बच जाती है तो वह एक हारा हुआ खिलाड़ी माना जाता है। खेल से पूर्व ही खिलाड़ियों द्वारा जो मर्यादा तय कर दी गई थी, यदि उस मर्यादा से ही कम गोटिया किसी खिलाड़ी के पास बच पाती हैं तो उनको शून्य प्रदान किया जाता है तथा उनकी गोटियों को उन सभी खिलाड़ियों में बांट दिया जाता है जिनके पास कम से कम इतनी गोटियां हो जितनी के साथ उन्होंने खेलना प्रारम्भ किया है।

खिलाड़ियों द्वारा खेल प्रारम्भ करने से पूर्व ही यह तय कर लिया जाता है कि कितनी बारियों के बाद खेल को समाप्त कर दिया जायेगा। जब दो से अधिक खिलाड़ी खेलते हैं और अपनी गोटियों से अधिक की मर्यादा तक की बारियों तक खेलते हैं तो वह खेल पर्याप्त उत्तेजक बन जाता है। खिलाड़ियों की मर्यादा जितनी कम होती है उनकी बारी घाने में उतना ही कम समय लगता है।

खेल के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में एक बड़े घाकार की मेज होनी चाहिए जिस पर दो २० × ३० इंच के दो नक्शे रखे जा सकें तथा उनके बीच कोई ऐसा प्रतिरोध लगाया जा सके कि खिलाड़ी एक दूसरे के नक्शों को तथा एक दूसरे के चेहरों को न देख सकें। उनका एक मानीटर होता है जो एक ही समय में दोनों नक्शों पर नजर रखता है। खिलाड़ी बंबल्लिक रूप से कमरे के दोनों ओर बंटाये जाते हैं। उनकी टेलीफोन पर

विचारों का आदान-प्रदान का अवसर दिया जाता है। जहाँ खेल व्यक्तियों की जगह टीम के बीच होता है वहाँ गोपनीयता की दृष्टि से दो कमरों की आवश्यकता होती है। यह खेल जिस रूप में खेला जाता है उसमें केवल कुछ घंटे ही लगते हैं। खिलाड़ी को खेल की तकनीक समझाने में ही लगभग एक घंटा व्यतीत हो जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी को य, समझा दिया जाता है कि वह सापेक्षिक रूप से अधिक नम्बर पाने के लिए नहीं बरन् सम्पूर्ण नम्बरों को पाने के लिए खेल रहा है। कुछ एक ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो खेल में विभिन्नता ला सकती हैं। उदाहरण के लिए राज्यों के मूल्य भ्रमण-भ्रमण हो सकते हैं। दो खिलाड़ियों की मूल्य व्यवस्था का पारस्परिक संबंध भ्रमण-भ्रमण हो सकता है। प्रत्येक खिलाड़ी को अपने प्रतिपक्षी के सम्बन्ध में जो सूचना प्राप्त है उसकी मात्रा भी भ्रमण-भ्रमण हो सकती है। संचार व्यवस्था का रूप भ्रमण-भ्रमण हो सकता है। संचार व्यवस्था सीधी हो सकती है, यह प्रत्येक प्रकार की बात के लिए स्वतंत्र हो सकती है अथवा केवल कुछ प्रस्तावों एवं कथनों तक ही सीमित हो सकती है। इस प्रकार शक्ति के खेलों के बीच अनेक विभिन्नताएँ पाई जा सकती हैं।

ये खेल प्रायः उन सौदेबाजियों के प्रायोगिक अध्ययन होते हैं जो सीमित युद्ध अथवा अन्य सधियों में की जाती हैं। यह सौदेबाजी शब्दों के आधारे पर की जाती है और कार्यों के आधार पर भी। इस सौदेबाजी में संचार व्यवस्था को कमजोर रखा जाता है, इसे कानूनी रूप में लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं होती। जब सौदेबाजी करने वाले भागीदार एक दूसरे से सम्पर्क करते हैं तो वे एक दूसरे के मूल्यांकों से प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। वैसे उनके पास एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए पर्याप्त शक्ति रहती है। सौदेबाजी की इस स्थिति को खेल का रूप देकर उस पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान एवं सोचें की जाती हैं।

वर्तमान समय में प्रयोग के लिए जिन खेलों को अपनाया जाता है वे युद्ध के साथ सादृश्यता नहीं रखते। अनुसंधान हेतु आयोजित इन खेलों तथा परम्परागत युद्ध के खेलों के बीच अन्तर होता है। प्रथम अन्तर तो यह है कि प्रायः सभी युद्ध खेल पूर्ण रूप से जीरो-सम (Zero-Sum) खेल होते हैं। इनमें विरोधियों के साथ सहयोग के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। विजेता केवल वही माना जाता है जो अपने प्रतिद्वन्दी को समाप्त कर सके अथवा उसका दबा सके। दूसरे, इस खेल को जो रूप दिया जाता है वह युद्ध जना नहीं होता। इसमें कम से कम तकनीकी जटिलता रहती है। इसे प्रशिक्षण की अपेक्षा शोध कार्य के लिए व्यवस्थित किया जाता है। इसका रूप अत्यन्त

सरल बनाया जाता है। इसमें सौदाम्निक दृष्टि से मापन, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि किया जा सकता है। कई बार खेल का आयोजन किया जा सके इसलिए इनको कम खर्चीला बनाया जाता है। इसमें अधिक प्रसाधनों की आवश्यकता भी नहीं होती।

खेल सिद्धान्त की प्रक्रिया

(The Methodology of Game Theory)

प्रायोगिक खेल सिद्धान्त के द्वारा सौदेबाजी की प्रक्रिया का व्यावहारिक अध्ययन किया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि कोई भी औपचारिक सिद्धान्त या विचारधारा अपने आप में अपर्याप्त होती है। कम से कम सौदेबाजी के खेलों में यह आवश्यक रूप से अपर्याप्त होती है। इस प्रकार के खेलों में एक अनिश्चयता की मात्रा रहती है। खेल की मात्रात्मक बनावट द्वारा जो बाधाएँ प्रस्तुत की जाती हैं वे किसी भी मुझाव का निर्णय करने के लिए उसे अपर्याप्त बना देती हैं। यहाँ तब कि बुद्धिपूर्ण एवं आन्तरिक रूप से समायोजन पूर्ण खेल में भाग लेने वालों के व्यवहार की रणनीतियाँ भी कुछ उपयोगी नहीं बनतीं। इस प्रकार के किसी भी खेल में वस्तु स्थिति को समझने के लिए, अभिप्रायों को जानने एवं उनका अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक की समायोजित आकांक्षाओं तक पहुँचने के लिए और एक सीमित युद्ध में सीमा निर्धारित करने के लिए आवश्यक माप्यता, परम्परा एवं रोक विवसित करने के लिए कार्यों में एकीकरण की आवश्यकता होती है। एक खेल में भाग लेने वाले लोग एक दूसरे की आकांक्षाओं का ज्ञान कराने के लिए किम प्रकार की श्रिया-प्रतिक्रिया करेंगे, वे अपने अभिप्रायों को जताने के लिए बौद्धिक साधन अपनायेंगे तथा वे समुक्त रूप से किन नियमों एवं परम्परायों को जानेंगे तथा मानेंगे; ये सारी बातें पहले से ही तय नहीं की जा सकती। चाहे कोई खिलाड़ी कितना ही बौद्धिक क्यों न हो इनके बारे में पहले से ही कुछ तय नहीं कर सकता। खेल सिद्धान्त में व्यावहारिक अध्ययन का आवश्यक तत्व रहना है। बौद्धिक व्यवहार की विचारधारा द्वारा जो तरीका सुझाया जाता है उससे भिन्न रूप में भी एक खेल के खिलाड़ी व्यवहार कर सकते हैं। यह भिन्नता सुराई की अपेक्षा अच्युत की दिशा में भाग्यप्रसूत हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में खिलाड़ी उससे भी अच्युत व्यवहार कर सकते हैं जैसा कि एक शुद्ध औपचारिक बौद्धिक व्यवहार की विचारधारा द्वारा सुझाया जाता है किन्तु ये खिलाड़ी अच्युत व्यवहार किस तरह कर सकते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका

सैद्धान्तिक विश्लेषण किया जा सकता है किन्तु अन्त में उसे व्यवहार के आधार पर ही प्रमाणित करना होता है। खेल सिद्धांत के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह किया जाता है कि इसके आधार पर हम जिन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं भयवा जिस बानावरण को देखते हैं क्या उसके आधार पर वास्तविक सघर्ष की स्थितियों का भयवा वास्तविक सीदेवाशी की प्रक्रियाओं का सामान्यीकरण किया जा सकता है? इस सम्बन्ध में पहली बात यह है कि इस प्रकार का खेल वास्तविक सघर्ष को सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं को सामने नहीं लाता। यह हमारे सामने कोई ऐसा मन्तुलित मॉडल नहीं रखता जिसमें सभी तत्वों का पर्याप्त महत्व प्राप्त हो। इसका मुख्य उद्देश्य समस्या के उन पहलुओं को सामने लाना है जो विश्लेषण के लिए सन्देह प्रदर्शित करते हैं भयवा प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोगों को सन्देह की नजर से देखने हैं। इस प्रकार के खेल द्वारा खिलाड़ियों की ज्ञान एवं सूचना सम्बन्धी प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला जाता है, उनके भावनात्मक व्यवहार या व्यक्तिगत मूल्य व्यवस्था पर नहीं। जहां तक सम्भव होता है वहां तक खिलाड़ी की मूल्य व्यवस्था उसे खेल द्वारा ही प्रदान की जाती है। यदि हमारे रोकते हुए भी भावनात्मक पक्ष उभर आता है तो उसका स्तर उस मनमुटाव, जलन, ईर्ष्या आदि में मिश्र होता है जो वास्तविक सघर्ष एवं जीते जागते युद्ध की स्थिति में हो सकता है। इस प्रकार के खेल में व्यक्तियों के व्यवहारों एवं सगठनात्मक व्यवहार, नौकरशाही के व्यवहार सामूहिक राजनीतिक व्यवहार एवं अन्य स युक्त निष्णम प्रक्रियाओं पर भाग लेने वाले व्यक्तियों की विशेषताओं एवं सामर्थ्य के द्वारा सीमाएं लगाई जाती हैं।

इस प्रकार के खेल की इतनी सारी सीमाएं होती हैं किन्तु फिर भी यह सीमित युद्ध तथा ऐसे साधनों के कुछ तत्वों को जानने के लिए एक प्राक-पंक साधन प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि हमारे पास अनुभव-आत्मक रूप में वे वस्तु स्थिति का अध्ययन करने के लिए बहुत कम विकल्प हैं। खेल के आधार पर किए जाने वाले प्रयोगों से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह यद्यपि पर्याप्त व्यापक या विश्वसनीय नहीं होता किन्तु दूसरे तरीकों से प्राप्त होने वाले ज्ञान की तुलना में यह अच्छा प्रतीत होता है। खेल सिद्धांत से प्राप्त निष्कर्षों या परिणामों का एक अन्य महत्व यह है कि यद्यपि जगत में भी वे कुछ उपयोगी सिद्ध होते हैं। सीमित युद्ध, औद्योगिक सघर्ष आदि के बारे में अनेक प्रस्ताव सामान्य रूप में रखे जाते हैं तथा उन्हें इतने सरल एवं सामान्य प्रमाणों या तर्कों पर आधारित किया जाता है कि वे उतनी सरल और बनावटी स्थिति पर लागू किये जा सकें जो खेल द्वारा

वर्णित की गई है। दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि यद्यपि खेल के निष्कर्षों की उपयोगिता एवं प्रमाणिकता सदिग्ध है, फिर भी किसी अन्य सिद्धान्त द्वारा इनको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रायोगिक खेलों की उपयोगिता को इस आधार पर प्रदर्शित किया जा सकता है कि हम सामान्य रूप से तर्क करने पर जिन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं उनको खेल की प्रक्रिया द्वारा असत्य सिद्ध किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम खेल का आयोजन करते हैं। इस खेल में प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की मूल्य व्यवस्था के प्रति अनभिज्ञ है अथवा उसे यह जानकारी नहीं है कि दूसरे खिलाड़ी को चलने के कितने अवसर प्राप्त होंगे अथवा यह कितनी बार चल सकता है। ऐसी स्थिति में यदि हम यह प्रस्ताव करें कि प्रत्येक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी की मूल्य व्यवस्था का, उसकी चाल के अवसरों का तथा जितनी बार वह चल चुका है इसका ज्ञान करा दिया जाए तो दो खिलाड़ियों को इससे क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? इस प्रश्न के सम्बन्ध में यदि बौद्धिक रूप से विचार किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर आयोगे कि जिस खिलाड़ी को अपने विरोधी के सम्बन्ध में अधिक ज्ञान प्राप्त है, वह लाभ न रहेगा किन्तु जब हम इस बात को तर्कों के आधार पर नहीं बल्कि खेल के आधार पर जानने की चेष्टा करते हैं तो पाते हैं कि इससे दोनों ही खिलाड़ियों को लाभ हो सकता है अथवा दोनों को हानि हो सकती है। यदि वह खेल नान-जीरो-सम (Non-Zero-Sum) प्रकार का है तो प्रस्ताव को दूसरे रूप में रखा जा सकता है कि अन्य चीजें समान होने पर उस खिलाड़ी को अधिक प्राप्ति होगी अथवा अपेक्षाकृत अधिक लाभ होगा जिसे अपने विरोधी के सम्बन्ध में अधिक सूचना प्राप्त है। यह प्रस्ताव एक दोषपूर्ण तर्क प्रक्रिया पर आधारित है किन्तु यह बुद्धिसंगत प्रतीत होता है। यदि हम इसकी गलती को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो इसके लिए खेल का तरीका अपनाना होगा। जो लोग इस प्रकार के प्रस्ताव को मानते हैं उनकी मान्यता का आधार सामान्य गूँझ-गूँझ होती है। यह गूँझ-गूँझ इतनी सामान्य होती है कि यदि एक खेल द्वारा प्रस्ताव को दोषपूर्ण सिद्ध कर दिया गया तो इसमें विरोधाभास पैदा हो जाएगा।

इस उदाहरण के द्वारा खेल की प्रक्रिया का एक अन्य पहलू सामने आता है। खेल का प्रयोग इतना सरल होता है कि उसका आसानी से विश्लेषण किया जा सके। जब यह खेल आशा के विपरीत परिणाम उत्पन्न करता है तो इन परिणामों से पीछे ऐसे कारण होते हैं जिनको आसानी से समझा जा सकता है। प्रयोगात्मक खेल द्वारा जिस निष्कर्ष पर पहुँचा

जाता है उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि हर बार सेते जाने वाले खेलों द्वारा उसका समर्थन किया जाए। जब एक बार प्रयोगात्मक खेल द्वारा हम किसी निष्कर्ष पर पहुँच गए तो उस निष्कर्ष का सैद्धांतिक रूप में बौद्धिकीकरण कर देना चाहिए। इस प्रकार प्रयोगात्मक खेल सैद्धांतिक मॉडल का एक दिखाई देने वाला प्रतिनिधित्व है। यह मॉडल ऐसा होता है जिसके सक्रिय भागों को उस समय अच्छी तरह समझा जाता है जबकि उनको प्रायोगिक रूप से प्रदान किया जाए।

इसी बात को अन्य रूप से भी स्पष्ट किया जा सकता है। प्रयोगात्मक खेलों का प्रयोग उन महत्वपूर्ण सम्भावनाओं को खोजने एवं प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है जो अन्य प्रकार से सामन नहीं आती। इन सम्भावनाओं का महत्व एवं उपयोगिता तार्किक रूप से प्रपचा कहीं भीर से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर सिद्ध की जा सकती है किन्तु इन सम्भवनाओं का अस्तित्व है तथा ये सम्भावनाएँ अन्य भागों से किस प्रकार सम्बन्धित हैं, यह बात केवल प्रयोगात्मक खेल द्वारा ही खोजी जा सकती है। उदाहरण के लिये एक सम्भावना यह है कि अधिक ज्ञान भीर सूचना रखने वाले खिलाड़ी को लाभ प्राप्त न हो भीर अन्य खिलाड़ी को प्राप्त हो जाए जिसे इतना सूचना भीर ज्ञान प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि नई सूचना प्राप्त करने पर एक खिलाड़ी को लाभ होने की अपेक्षा उलटा नुकसान हो जाए यदि उसने इस तथ्य को नहीं धुपाया कि उसे वह सूचना प्राप्त है।

कुल मिलाकर यह धारा की जाती है कि इस प्रकार के प्रयोगात्मक अनुसंधान द्वारा प्राप्त किये गये निष्कर्ष सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित नहीं होंगे। हमारा अभिप्राय यह रहता है कि परीक्षण किये गये वातावरण को किसी सिद्धांत से सम्बन्धित करें तथा साथ ही निरीक्षण किये जाने वाले तत्वों के सम्भावित महत्व को प्रदर्शित करें। प्रयोगात्मक खेल में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि खेल की बनावट सम्बन्धी विशेषताओं को किस प्रकार रखा जाये कि उनके द्वारा कुछ विशेष परिणाम एवं वातावरण प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार प्रयोगात्मक खेल के आयोजन में हमारा ध्यान यह नहीं होता कि पूर्ण निष्कर्षों की अनुसंधान को जांचे तथा उसके लिए सांख्यिकी प्रमाण प्रस्तुत करें। इसके स्थान पर परीक्षित परिणामों एवं प्रयोगों के भागों रूपों के बीच निरन्तर सम्पर्क बना रहता है।

इस प्रकार के प्रयोगों का एक अन्य गीण उद्देश्य भी होता है। यह भी सिद्धांत के विश्वास से सम्बन्धित होता है। इस प्रकार के खेल का आयोजन

उन करने के लिए तथा क्षेत्र में कुछ विशेषताओं को खाने के लिए पहले व्यावहारिक मान्यताओं को परिनायित करना जरूरी होता है। इस प्रकार का क्षेत्र सैद्धांतिक मॉडल-निर्माण पर अनुगमन कायम करता है। उसके द्वारा यह जांच की जा सकती है कि मान्यताएं एक प्रस्ताव अर्थपूर्ण हैं अथवा नहीं। यदि वे अर्थपूर्ण हों तो उन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रयोगात्मक क्षेत्र को सैद्धांतिक संचार (Theoretical Communication) के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यदि हम यह चाहते हैं कि संपर्क की रणनीति के बारे में किसी प्रस्ताव को मावजानी के साथ परिनायित करें और चित्रित करें तो इसके लिए क्षेत्र के रूप में हमें एक दर्शनीय मापन प्राप्त हो जाता है।

खेल सिद्धान्त द्वारा अनुसन्धान

(The Research Through Game Theory)

खेल विज्ञान के आधार पर किए जाने वाले अनुसन्धान में हमकी तीन बातों का ध्यान रचना होता है। प्रथम, यह देखना होता है कि कितने नियमों एवं प्रतिबंधों के अधीन खेल खेला जायेगा तथा इस खेल की पृष्ठभूमि क्या है और खेलने वाले लोग कौन कौन हैं। दूसरे, देखने योग्य बात यह होती है कि खेल का परिणाम क्या रहा, विनाशियों का व्यवहार क्या रहा, विनाशियों द्वारा जो अभिलेख रले गये वे क्या थे, खेल के दौरान जो विशेष परिस्थितियां विकसित हुईं वे कौन-कौन सी थीं आदि-आदि। तीसरे, यह देखना होता है कि वे प्रश्न या परिवर्तनाएं कौन-कौन सी हैं जिनके आधार पर वाच को निर्देशित किया जा सकता है।

प्रथम शीर्षक के अधीन वह तरीका निश्चित किया जाता है जिसके द्वारा खेल खेला जायेगा। इस तरीके को एक निश्चित रूप में प्रवर्णित किया जाता है। सर्वप्रथम तो अनेक विनाशियों में युक्त खेल का एक मान्य रूप प्रयुक्त किया जाता है। इसके आधार पर विनाशों का भाग खेल के परिणामों एवं खेल के रूप के वाच पारस्परिक सम्बन्ध एवं खेलने वाले की अपनी व्याख्या के परिणामों एवं एक दूसरे के खेल के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से परिणामों के वर्गीकरण एवं विभिन्नता के लिये, खेल के तरीकों एवं रणनीतियों के लिये तथा खेलने वालों की व्याख्याओं के लिये सैद्धांतिक रूप रचना करनी होती है। यह सब खेल तन्त्री किया जा सकता है जबकि सन्दर्भ में खेल खेला जाये। दूसरे, खेल की कुछ विशेषताओं में निम्नता हो सकती है। उदाहरण के लिये संचार की

व्यवस्था, सूचना की व्यवस्था आदि में मिश्रता हो सकती है। इसके प्रतिरिक्त खेल में प्रयुक्त किये जाने वाले नक्शे, परम्पराएँ, ढाल एवं इसके लक्ष्य का वर्णन करने वाली भाषा, खेल की मात्रात्मक विशेषताएँ आदि भी अलग-अलग प्रकार की हो सकती हैं। तीसरे, खेलने वालों के आधार पर अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था की जायेगी। भारत-भारत समूहों के बीच के खेल के लिए, विभिन्न समूहों के उन सदस्यों के बीच खेल के लिए जो पहले से ही अन्तर्समूह खेल का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, अनुभवी खिलाड़ियों के बीच होने वाले खेल के लिए, अनुभवी एवं गैर अनुभवी के बीच होने वाले खेल के लिये तथा इसी प्रकार के अन्य खेलों के लिए व्यवस्था अलग-अलग प्रकार से करनी होती है। कुछ खेल मध्यस्थ के प्रभाव के अधीन खेले जाते हैं जो खेलने वालों को कुछ सुझाव दे सकता है। कुछ खेलों में तीन से अधिक खेलने वाले होते हैं; वहाँ सविद व्यवहार (Coalition behaviour) सम्भव होता है। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें रण नीति एक खिलाड़ी को पहले से ही स्पष्ट कर दी जाती है।

दूसरे शीर्षक के अधीन खेल के परिणामों का समिलित रखने की एक अर्धपूर्ण योजना अपनायी जाती है। इस योजना में व्यक्तिगत रूप से प्राप्त सभी अङ्कों को रखा जा सकता है अथवा सापेक्षिक रूप से रखा जा सकता है। खेल के विभिन्न प्रकारों के परिणामों की तुलना करने के लिये प्राप्त अङ्कों को साधारण स्तर पर रखने हेतु प्रयास करना होता है। ऐसा करना सरल नहीं होता क्योंकि इसका मार्ग सरल नहीं होता। उदाहरण के लिए यह जानना बड़ा कठिन होता है कि खेलने वाले ने खेल के दौरान क्या भाषा की थी और उसे उसके अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए या नहीं हुए। खेलने वाले की व्याख्याओं को वर्गीकृत करने के लिए भी एक योजना अपनायी जाती है। खेलने वाले खेल को जिस रूप में देखने हैं तथा खेल का जा तरीका अपनाते हैं उस पर उनकी प्रदान किये गये निर्देशों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है एवं उन प्रश्नावलियों का प्रभाव पड़ता है जो वे बनाते हैं। इसके प्रतिरिक्त वे अपनी एवं अपने मागीदार के खेल तथा रण-नीतियों पर जो बातें नोट करते हैं, वे भी प्रभाव डालती हैं। खेल के सम्बन्ध में समिलित रखना जरूरी है क्योंकि इसके बिना कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया जा सकता। अध्ययन करते समय हमारा मुख्य उद्देश्य जानकारी एवं गैर-जानकारी के विकास को देखना, प्रस्तावों को प्रसारित करने के लिए भाषा के प्राविण्यकार की प्रक्रिया को जानना तथा खेल के दौरान आलोचनात्मक अवसरों को ध्यान में रखना होता है। यह भी देखा जाता है कि खेलने वाले की भाषाओं का खेल में सुझाये गये विस्तारों से क्या सम्बन्ध था तथा खेलने वाले की रणनीति

कितनी सही थी। पर्याप्त भ्रूण और सुधार के बाद ही हम यह जान पाते हैं कि रोचक एवं उपयोगी अभिलेख किस प्रकार रखा जा सकता है।

जिस समय खेल हो रहा है उस समय उसे किस प्रकार देखना चाहिए तथा उसका अभिलेख किस प्रकार रखना चाहिए इसके लिए विश्लेषणात्मक श्रेणियाँ घपनानी होती हैं। अभिलेख एवं निरीक्षण की विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं, जैसे—सहयोगपूर्ण, बनाम असहयोगपूर्ण, मात्रमणकारी बनाम बुद्धिपूर्ण आदि-आदि। ये अन्तर वास्तविक व्यवहार में उपयोगी भी सिद्ध हो सकते हैं और नहीं भी, इसलिये ये निश्चय ही अपर्याप्त हैं। यह भी देखना होता है कि क्या तिलाठी, उसका दूसरा भागीदार एवं खेल देखने वाला खेल के तरीकों के सम्बन्ध में एक जैसी धारणा रखते हैं और क्या इसके पीछे उनका अभिप्राय एक जैसा ही है।

तीसरे, खेल का निरीक्षण करने के बाद उसके सम्बन्ध में कुछ जांच पड़ताल की जाती है। जिस विशेष वस्तु स्थिति की जांच होती है उसमें भाषा, नियमों एवं परम्पराओं का विकास आता है। उन तत्वों की विशेष रूप से जांच की जाती है जो अस्थिरता के कारण बनते हैं। अस्थिरता से यहाँ हमारा अर्थ खेल की उस प्रवृत्ति से है जो विध्वसात्मक व्यवहार एवं कम अङ्कों का कारण होती है। प्रयोगों के आधार पर यह बात सामने आई है कि जब नक्शे पर राज्यों के मूल्यों को पुनः प्रबन्धित किया जाता है तो अधिक संघर्ष पैदा हो जाता है। यदि चाल में किये जाने वाले परिवर्तन से समझौता तोड़ने वाले किसी तिलाठी को भारी लाभ प्राप्त हो जाये तो इसमें अस्थिरता आ जाती है। इसके अतिरिक्त खेल का स्वभाव (Tempo) भी स्थायित्व पर प्रभाव डालता है। खेल की विश्लेषणात्मक रूप रखना करने के लिए पर्याप्त भ्रूण और सुधार से काम लेना होता है। प्रयोगात्मक खेल का लक्ष्य यह नहीं होता कि स्थित परिवर्तनाओं की सत्यता को परखा जाय वरन् इसके द्वारा नवीन परिवर्तनाएँ बनायी जाती हैं।

सोदेबाजी की विचारधारा बहुत कुछ रुढ़िवादी खेल सिद्धांत का एक प्रकार है। दोनों के तरीके प्रायः एक जैसे हैं तथा दोनों की मूल मान्यताएँ एक जैसी ही हैं। जे सी हरसान्घी ने इन सिद्धांतों की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। उनके मतानुसार बौद्धिकता की दो मान्यताएँ हैं जो भौतिक हाते हुए भी कमजोर हैं इसलिये इन मान्यताओं के साथ अन्य चार को और जोड़ दिया जाता है। हरसान्घी (J C Harsanyi), मज्जुमय के बचानुसार ये छः बौद्धिक मान्यताएँ हैं—

- (१) व्यक्तिगत योग्यता का भाविक्य (Individual Utility Maximization);
- (२) कार्यकुशलता (Efficiency);
- (३) उच्च क्षतिपूर्ति की स्वीकृति (Acceptance of Higher Pay off),
- (४) सममिति (Symmetry);
- (५) परिवर्तनियों का प्रतिबन्ध (Restriction of Variables) तथा
- (६) पारस्परिक रूप से आशान्वित बौद्धिकता (Mutually expected Rationality) ।

इन मान्यताओं के बीच कितना तार्किक सम्बन्ध है, यह एक विवाद का विषय है ।

खेल सिद्धांत का मूल्यांकन (Evaluation of Game Theory)

खेल सिद्धांत का व्यावहारिक दृष्टि से अत्यन्त महत्व है । यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को समझने के लिए केवल बौद्धिक चिंतन की परिधियों में सीमित रहने की स्थिति से विचारकों को बाहर निकालता है तथा उनको व्यावहारिक निरीक्षण के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालने के अवसर प्रदान करता है । इसके मुख्य उपयोग निम्न प्रकार हैं—

(१) जब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विषय युद्ध के घात स्पष्ट रूप से दो गुटों में विभाजित हो गई तो इन गुटों के बीच बहुत कुछ ऐसा ही खेल खेला गया था जैसा कि खेल सिद्धांत के प्रयोगों में खेला जाता है । नाटो शक्तियाँ, साम्यवादी शक्तियाँ एवं असलान शक्तियाँ—ये इस खेल के तीन खिलाड़ी थे । यदि इस खेल का विश्लेषण किया जाये तो हमे अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होंगी जिनको बाद में हम संज्ञान्तिक मॉडल के रूप का आधार बना सकते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इस सिद्धान्त को महत्वपूर्ण मानने वालों का यह दावा है कि जितनी सूचना तथ्यपूर्ण रूप में एक खेल से प्राप्त हो सकती है वह साहित्यिक विश्लेषण द्वारा कदापि प्राप्त नहीं हो सकती । साहित्यिक विश्लेषण से प्राप्त सूचना को प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता ।

(२) खेल सिद्धान्त की यह विशेषता है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय घटना का इसके आधार पर विश्लेषण करने के बाद दूसरी अन्य घटनाओं को समझने का मार्ग आसान बन जाता है।

(३) यह सिद्धान्त अनुभव पर आधारित (Empirical) है; इस कारण इसमें भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं, समस्या के लिए समाधान ढूँढे जा सकते हैं।

उक्त तामो का वर्णन करने हुए भी खेल सिद्धान्त के समर्थक यह स्वीकार करते हैं कि विश्व के रगमच पर स्थित सश्लिष्ट समस्याओं पर अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। दूसरे कुछ विचारकों द्वारा खेल सिद्धान्त को ऐसी ही दृष्टि से देखा जाता है जैसे कि वे एक खेल को देखते हैं अर्थात् विद्वानों के बीच यह सिद्धान्त कोई गम्भीर समर्थन प्राप्त नहीं कर सका। अधिकांश के विचार से अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ जो गम्भीर, सश्लिष्ट तथा उलझी हुई होती हैं, इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझी जा सकती। जैसा कि विन्सेंटी राइट (Quincy Wright) का विचार है यदि हम शीत युद्ध का विश्लेषण इस सिद्धान्त के आधार पर करें और तब अपने देश की विदेश नीति का निर्धारण करें तो वह नीति न तो विजय प्राप्त करा सकेगी और न ही हमें निरक्षर रख सकेगी वरन् यह तो पूरी देश की हत्या का कारण बन जायेगी, ऐसी हत्या जिसे उसने स्वयं ही चुना है।

खेल सिद्धांत अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान करने का एक अपूर्ण माध्यम है। इसमें समय तथा शक्ति इतनी बरबाद होती है कि उनकी तुलना में इससे प्राप्त होने वाले परिणाम नगण्य रह जाते हैं। इस सिद्धान्त की अपनी कुछ समस्याएँ भी हैं जिनके कारण इसे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में लागू नहीं किया जा सकता। इसे वैज्ञानिक कहने को भी अनेक विद्वान तैयार नहीं हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धान्त (A Realistic Theory of International Politics)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धान्तों की रचना के दो तरीके हो सकते हैं जो परस्पर विरोधी हैं। पहले तरीके के अनुसार सिद्धान्त शास्त्री कुछ मान्यताओं के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की जांच करता है। अपनी निर्धारित कसौटियों के ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को इस तरह कुछ निष्कर्षों पर आता है तथा इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों की रचना

करता है किन्तु आलोचकों द्वारा इस तरीके को अत्यधिक घोषित करके इसकी भ्रष्टता की जाती है। इसे पूर्व कल्पित अमूल सिद्धांतों एवं मान्यताओं पर आधारित माना जाता है जिसका वास्तविक जगत की घटनाओं से कोई सीधा संबंध नहीं होता। सिद्धान्त रचना का दूसरा तरीका पूर्ण रूप से तथ्यों एवं विश्व की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। इस तरीके में अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त को दो सचों में से निकलना पड़ता है—पहला है अनुभववादी (Empirical) तथा दूसरा है तार्किक (Logical)। किसी भी सिद्धान्त के तथ्यों का उनके वास्तविक स्वरूप में ही अध्ययन करना चाहिए तथा उस अध्ययन के बाद जो तर्क अत्यंत निष्कप प्राप्त हो, उन्हीं को सिद्धान्त के रूप में ग्रहण किया जाय। इस प्रकार का सिद्धान्त यथायथा के गुण से परिपूर्ण होगा। इसमें पूर्ण मान्यताओं को तथा अमूर्त आदर्शों को कोई स्थान नहीं दिया जायगा। इस प्रकार का सिद्धान्त यथायथा सिद्धांत (Realistic Theory) कहा जाता है। ऐसा सिद्धान्त तथ्यों के साथ एकरूप (Consistent) होता है। मॉर्गेंथौ (Morgenthau) महाशय ने इस सिद्धांत को ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए उपयुक्त माना है।

मनुष्य, समाज तथा राजनीति के सम्बन्ध में यथायथा सिद्धांत की अपनी स्वयं की माय्यताएँ हैं। इसका विश्वास है कि बौद्धिक दृष्टि से अपूर्ण यह ससार उन शक्तियों का परिणाम है जो मनुष्य की प्रकृति में पाई जाती हैं। यदि आप विश्व का सुधार करना चाहते हैं तो इन शक्तियों के साथ मिल कर आपको काम करना होगा। इस ससार में परस्पर विरोधी अनेक स्वार्थ वर्तमान हैं; इनके बीच सदैव सघर्ष होता रहता है। स्वार्थों के बीच सतुलन की स्थापना करके इस सघर्ष को कुछ अस्थायी समय के लिए दबाया जा सकता है। इस अपूर्ण ससार में नैतिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से कभी नहीं अपनाया जा सकता। इस प्रकार अवराय तथा सतुलन (Checks and balances) ही एक सार्वभौम सिद्धांत है जो सभी बहुलवादी समाजों पर लागू होता है। यह सिद्धांत अमूल मान्यताओं के स्थान पर ऐतिहासिक घटनाओं की अपनी आधार बनाता है। इसका उद्देश्य पूर्ण श्रम को प्राप्त करना नहीं है क्योंकि वह तो प्राप्त ही नहीं हो सकता, यह तो केवल कम बुराई को ही ग्रहण करना चाहता है। जैसा कि मॉर्गेंथौ का कहना है, यह सिद्धान्त मनुष्य की प्रकृति को उसी रूप में देखता है जैसी कि वह है, तथा ऐतिहासिक प्रतिष्ठाओं को उसी रूप में लेता है जिस रूप में कि वे प्रकट हुई थीं। इन कारणों से ही इस सिद्धान्त को 'यथायथावादी' (Realist) की सजा प्रदान की जाती है।¹ इस सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर घीरे-

धीरे एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता जा रहा है। किसी भी देश की विदेश नीति की सबसे बड़ी आलोचना यह हो सकती है कि वह नीति यथार्थवाद (Realistic) नहीं है।

यथार्थवादी सिद्धांत के तत्व

(Elements of Realist Theory)

कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो किसी दश की विदेश नीति को यथार्थवादी बनाते हैं तथा जिनका अभाव होने पर उस दश की विदेश नीति को आलोचकों के करारें प्रहार करने को मजबूर होना पड़ता है। इन तत्वों को हम यथार्थवाद का स्वरूप अथवा उसकी विशेषताएँ भी कह सकते हैं। य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं—

(१) यथार्थवादी सिद्धान्त बौद्धिक है (Realistic theory is Rational)—यह सिद्धान्त मानवीय व्यवहारों की बौद्धिक व्याख्या करता है। यह उन वस्तुगत कानूनों (Objective laws) की खोज करता है जिनके आधार पर समस्त राजनीति संचालित होती है। इन कानूनों की जड़ें मानवीय प्रकृति में होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में किसी प्रकार का सुधार करने का प्रयास करने से पूर्व इन कानूनों को समझ लेना परम आवश्यक होता है। यथार्थवाद में एक बौद्धिक सिद्धान्त की रचना की जाती है जिसके आधार पर इन वस्तुगत कानूनों का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। वैसे यह ज्ञान पूरा एवं समग्र नहीं हो सकता। इस विचारधारा के अनुसार 'सत्य' वस्तुगत एवं बौद्धिक होता है। यह प्रमाणों द्वारा समर्थित एवं बुद्धि द्वारा ग्राह्य होता है। मत (Opinion) को कभी भी सत्य (Truth) नहीं मानना चाहिए। यदि अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त को आप 'सत्य' बनाना चाहते हैं तो उसको बुद्धि और अनुभव—इन दो मापदण्डों पर बसना चाहिए।

हम तथ्यों का सकलन तथा परीक्षण तो करना है किन्तु केवल यही पर्याप्त नहीं है। इनकी बौद्धिक व्याख्या करके इनको भ्रम प्रदान करना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए माना कि आप एक राजनीतिज्ञ हैं। कुछ विषय परिस्थितियों के कारण आपको सामने विदेश नीति से सम्बन्धित कुछ समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। अब आप यह देखिये कि इन्हीं परिस्थितियों में इसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर भूतकालीन राजनीतिज्ञ के सामने कौन-कौन से बुद्धिसंगत विकल्प थे तथा इन बुद्धिसंगत विकल्पों में से इन परिस्थितियों में कौन-कौन से विकल्प चुने दिये जा चुकते हैं। इस प्रकार एक तथ्य का बौद्धिक विश्लेषण करने के बाद हम उसे कुछ भ्रम

प्रदान कर सकते हैं और इस प्रकार एक सिद्धान्त की रचना को संभव बना सकते हैं।

(२) शक्ति के रूप में परिभाषित स्वार्थ अन्तर्राष्ट्रीय क्रियाओं का मुख्य प्रेरक है (Concept of interest defined in terms of Power is main signpost)—यथार्थवादी यह मानते हैं कि शक्ति के रूप में परिभाषित स्वार्थ (अर्थात् अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना ही राष्ट्रीय स्वार्थ है) एक ऐसा तत्त्व है जो राजनीतिक तथ्यों के बीच एक विभाजन रेखा खींचता है। जो तथ्य शक्ति के रूप में परिभाषित स्वार्थ से प्रभावित होते हैं वे राजनीतिक हैं और जो प्रभावित नहीं हैं वे राजनैतिक नहीं हैं। हम उनका नैतिक, धार्मिक या मानवीय आदि और कुछ भी कह सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त का निर्माण करने के लिए तथ्यों का संकलन एवं परीक्षण करने के बाद हमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए उनकी बौद्धिक व्याख्या करनी होगी किन्तु यह बौद्धिक व्याख्या किस दृष्टि से की जाय इसका जवाब हमें शक्ति के रूप में परिभाषित स्वार्थ की मान्यता से प्राप्त होता है। यह मान्यता ही वह आधार है जिसके विरुद्ध या उदासीन होने पर एक कार्य गलत ठहराया जा सकता है तथा जिसके पक्ष में या सहायक होने पर उसे यथार्थवादी कहा जा सकता है।

इतिहास के उदाहरणों का इस्तमाल पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक राजनीतिज्ञ 'शक्ति के रूप में परिभाषित स्वार्थ' की दिशा में ही सोचना है व कार्य करता है। इस आधार पर हम यह मान सकते हैं कि राजनैतिक रगमच पर राजनीतिज्ञों द्वारा जो कुछ कदम उठाये गये, उठाये जा रहे हैं या उठाये जायेंगे वे 'स्वार्थ' (Interest) की प्राप्ति की दिशा में ही होंगे। राजनीतिज्ञ जो भी बोलता है, सोचता है अथवा लिखता है उसको समझने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह सब करते समय हमका उद्देश्य अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना है। इसी दृष्टि से हम उसकी क्रियाओं का मूल्यांकन कर सकेंगे। 'शक्ति के रूप में परिभाषित स्वार्थ' के आधार पर ही हम अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को सिद्धान्तिक रूप प्रदान कर सकते हैं। यही कारण है कि एक देश की विदेश नीति के मूल तत्व प्रायः एक से ही रहते हैं। यद्यपि समय-समय पर उस देश के राजनीतिज्ञों का बौद्धिक स्तर, चक्षुष्य, प्राथमिकताएँ तथा नैतिक गुण भिन्न होते हैं। इस दृष्टि से एक यथार्थवादी सिद्धान्त को अपने आपको दो भ्रमों से बचाये रखना चाहिए वे हैं—मनिस्राय (Motives) तथा वैचारिक प्राथमिकताएँ (Ideological preferences)। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक परिस्थिति विशेष

मे एक देश क्या कदम उठायेगा यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसके अभिप्राय (Motives) क्या हैं वह किम विचारधारा (Ideology) को अधिक महत्व देता है। वह देश केवल वही कदम उठायेगा जो शक्ति के रूप में परिभाषित उसके स्वार्थ के अनुरूप होगा।

(३) यथार्थवादी सिद्धान्त अभिप्रायों की अपेक्षा परिणामों को देखता है (The Realistic Theory stresses upon results than Motives)—राजनीतिज्ञ का अभिप्राय देख कर ही यदि आप एक देश की विदेश-नीति को समझने का प्रयास करेंगे तो, आप असफल रहेंगे और धोखा-साधेंगे। अभिप्राय (Motives) एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चीज है जिसका रूप कर्ता एव दर्शक दोनों के स्वार्थों एव भावनाओं से प्रभावित होता रहता है। हम स्वयं अपने ही अभिप्रायों को समझने में भूल कर जाते हैं दूसरों की तो बात ही क्या है।

केवल अच्छे अभिप्रायों (Motives) के आधार पर हम यह निर्णय नहीं ले सकते कि एक राजनीतिज्ञ की विदेश नीति नैतिक दृष्टि से प्रशंसनीय तथा, राजनैतिक दृष्टि से सफल रहेगी। विश्व शांति एव भ्रातृत्व की भावना का उद्देश्य लेकर चलने वाला नेहरू की विदेश नीति को यथार्थवादी कह कर भालोचना का विषय बनाया जाता है। इस प्रकार यथार्थवादी दृष्टिकोण वह है जो किसी कार्य का नैतिक एव राजनैतिक स्तर उसके अभिप्रायों में नहीं बल्कि उसके परिणामों में देखता है। नेवाडिल चेम्बरलेन की सतुष्टीकरण की नीति का उद्देश्य था विश्व में शान्ति बनाये रखना, किन्तु आज का विद्यार्थी जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का अध्ययन करता है तो उसमें यह नीति भी उसके अध्ययन का विषय बन जाती है। दूसरी ओर चर्चिल (Winston Churchill) की विदेश नीति मानव कल्याण की अपेक्षा सजुचित स्वार्थ का अभिप्राय (Motive) लेकर चली थी किन्तु उसके जो परिणाम हुए वे चेम्बरलेन (Nevill Chamberlain) की अपेक्षा नैतिक एव राजनैतिक दृष्टि से ऊँचे स्तर के थे। एक राजनैतिक सिद्धान्त को राजनीतिज्ञ के अभिप्रायों की अपेक्षा उसकी बुद्धि, सकल्प तथा क्रिया के राजनैतिक स्तर पर निर्णय देना चाहिए।

(४) संज्ञात्मक प्राथमिकताएँ गौण होती हैं (Ideological differences are immaterial)—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए यह देवना विरहकुल छात्रायक नहीं है कि एक राजनीतिज्ञ की दार्शनिक एव राजनैतिक सद्भावनाएँ किसके साथ हैं। आजकल यह सामान्य परम्परा

तो बन गई है कि प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति को सैद्धांतिक आवरण पहना कर उसे लुभाइना बना देता है ताकि नवयुवा जनमत उसकी रूप रानि की ओर खिंचता चला जाय। उदाहरण के लिए साम्यवादी चीन की युद्धप्रिय एवं विस्तारवादी नीतियाँ विश्व के विनाश का मार्ग-प्रशस्त कर रही हैं किन्तु वह इन्हे साम्राज्यवाद विरोधी, साम्यवाद का समर्थक, पूँजीवादी शोषण का विध्वंसक और भी न जाने क्या क्या धादणों की उपलब्धि का प्रयास उद्योपित करता है और एशिया तथा अफ्रीका के कुछ देश उसके भूषणवादी जैसे इस भाषाविनी रूप की ओर धाकपित हो गये हैं।

राजनैतिक यथार्थवाद राजनैतिक धादणों एवं तंत्रिक सिद्धांतों का विरोधी नहीं है। वह मानता है कि इनका भी अन्तर्राष्ट्रीय जगत में थोड़ा महत्त्व रहता है किन्तु हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि एक देश जो करना चाहता है तथा जो वह कर रहा है इन दोनों के बीच भारी अन्तर रहता है। प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक समय हमें जो कार्य करने चाहिए (Desirable) उनमें तथा एक स्थान विशेष व समय विशेष में क्या किया जा सकता है (Possible)—इन दोनों बातों में भारी अन्तर रहता है। यथार्थवादी सिद्धान्त इस अन्तर को प्रकट करना नहीं करता।

बौद्धिक विश्लेषण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि विदेश नीतियों का आधार हमेशा ही बौद्धिक, वस्तुगत तथा अ-भावनात्मक नहीं रहता। विदेश नीतियों पर व्यक्तिगत, विषयगत प्राथमिकताएँ (Subjective Preferences) तथा बुद्धि व संकल्प की सारी कमजोरियाँ प्रभाव डालती हैं और इस प्रकार विदेश नीतियाँ कथत बौद्धिक नहीं रह जाती। प्रजातंत्र में इन अबौद्धिक तत्वों का प्रभाव अधिक होता है।

(५) 'स्वार्थ' तथा 'शक्ति' की यथार्थवादी परिभाषाएँ (The Realist definitions of "Interest" and "Power")—स्वार्थ' की मान्यता परिस्थितियों से प्रभावित न होते हुए भी समस्त राजनीतिक क्रियाओं का आधार रहेगी। मित्रता और वर 'स्वार्थ' की भावना से ही किये जाते हैं। यह बात राज्य के जीवन में भी उतनी ही सच है जितनी कि एक व्यक्ति के जीवन में। किन्तु राष्ट्रीय स्वार्थ क्या है? इस प्रश्न का ऐसा उत्तर नहीं दिया जा सकता जो देश-काल के परिवर्तन होने पर भी सत्य बना रहे। यथार्थवाद यह मानता है कि इतिहास के एक विशेष समय में एक राष्ट्र का क्या हित है, यह उन राजनैतिक एवं सांस्कृतिक सदृशों पर प्रभावित है जिनमें उस राष्ट्र की विदेश नीति का निर्माण किया गया है।

'शक्ति' (Power) के प्रयोग का ढंग तथा रूप भी राजनैतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता है। किन्हीं परिस्थितियों में एक देश आर्थिक प्रतिबन्धों (Economic Sanctions) के द्वारा ही दूसरे देश को प्रभावित कर लेता है जबकि अन्य में उसे युद्ध की चुनौती देने को भी मजबूर होना पड़ सकता है। शक्ति उस प्रत्येक चीज को कहा जा सकता है जो एक मनुष्य का दूसरे पर नियंत्रण सम्भव बना दे। इस परिभाषा के अनुसार शक्ति के कई रूप हो सकते हैं। यह शारीरिक हिंसा से लेकर मनोवैज्ञानिक पवित्र बन्धनों तक कुछ भी हो सकती है। शक्ति का उद्देश्य (नैतिक प्रथवा दमनकारी) तथा रूप (हिंसात्मक या सद्भावनापूर्ण अनुबन्ध) विभिन्न प्रकारों के हो सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धान्त यह मानता है कि बड़े पैमाने की हिंसा की जो घमकी वर्तमान विश्व के सामने है उसको दूर किया जा सकता है। आज जो राष्ट्रीय-राज्य स्थित हैं ये इतिहास की उपज हैं। ऐतिहासिक विकास के क्रम में ये भी जिन्दा नहीं रह सकते। यथार्थवादी सिद्धान्त की यह मान्यता है कि कुछ तकनीकी कारणों से तथा वर्तमान विश्व की कुछ नैतिक मांगों के कारण राष्ट्रीय राज्य विलीन हो जायेंगे। इनका स्थान एक बड़ी इकाई ग्रहण कर लेगी जिसकी प्रकृति इन राष्ट्रीय राज्यों से भिन्न होगी।

(६) नैतिक सिद्धांतों के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण (Realistic attitude towards Moral Principles)—यथार्थवादी यह मानते हैं कि नैतिक सिद्धांतों का भी राजनीतिक प्रक्रियाओं में महत्त्व होता है किन्तु इन सिद्धांतों के प्रभूत एवं सांविधिक रूप को राज्य के कार्यों में अवलंबित नहीं किया जा सकता। इसके लिए इन्हें समय तथा परिस्थिति के अनुरूप बनना होगा। एक व्यक्ति नैतिक सिद्धान्तों के ऊपर सब कुछ न्यायदायर कर सकता है किन्तु 'राज्य' के बारे में यह सब नहीं है। एक व्यक्ति यह कह सकता है कि 'न्याय की विजय होनी चाहिए चाहे उसका पीछे दुनिया नष्ट हो जाय' किन्तु एक राज्य जिसमें घनेको नागरिक रहते हैं तथा जिसके सामने राष्ट्रीय अस्तित्व (National Survival) का नैतिक कथ्य भी है, ऐसा नहीं कह सकता। राजनैतिक नतिकता किन्हीं प्रभूत एवं सांविधिक कार्यों पर आधारित नहीं है, इसका निष्पन्न राजनैतिक परिणामों के आधार पर ही किया जा सकता है।

(७) यथार्थवादी सत्य और कल्पना के बीच अन्तर करता है (Realist distinguishes between Truth Idolatry)—यथार्थवादी

सिद्धान्त की यह मान्यता है कि एक सार्वभौम नैतिक कानून वा पालन एक देश विशेष के लिए आवश्यक रूप से लाभदायक होगा, यह मंच नहीं है। हो सकता है कि वह उसके लिए मयकर परिणाम पंदा कर दे। नैतिक सिद्धान्तों की रक्षा के लिए अपने देश के हितों को धलिदान कर देने वाला व्यक्त राजनैतिक दृष्टि से बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नतिकता को तिलाजलि देना भी इतिहासकारों की लेखनी से प्रसंगा नहीं पा सकता। ये दोनों ही भ्रमियाँ (Extremes) हैं। इनसे बचने का एक माथ है वह यह कि प्रत्येक राष्ट्र का अपने राष्ट्रीय स्वार्थ (जो कि 'शक्ति' के रूप में परिभाषित है) की रक्षा में ही अग्रसर होना चाहिए।

(=) यथार्थवादी केवल राजनैतिक पहलू पर ही अधिक ध्यान देता है (It maintains the autonomy of the political sphere)—यथार्थवादी विचारधारा अपने भाषकों राष्ट्रीय जीवन के अन्य पहलुओं में न उलझा कर केवल राजनैतिक समस्याओं से ही संबंधित रख कर उनका हल ढुंढना चीहती है, और इस प्रकार से यह विचारधारा बौद्धिक रूप से राजनैतिक क्षेत्र में स्वायत्तता (autonomy) की स्थापना करती है जैसे कि बानूनवेत्ता का सम्बन्ध वैधानिक बानूनों से, अयशास्त्री का सम्बन्ध उपयोगिता स तथा नीतिशास्त्री का सम्बन्धी नतिक नियमों से होता है ठीक इसी प्रकार एक यथार्थवादी विचारक शक्ति के रूप में परिभाषित स्वाथ ('Interest' defined as power) के आधार पर ही अपने अध्ययन को भागे बढ़ाता है। वह किसी भी घटना अथवा नीति पर विचार करत समय यही ध्यान रखता है कि इसका उस राष्ट्र शक्ति के ऊपर कैसा असर पड़न वाला है।

राजनैतिक यथार्थवादी के मरिदक में अन्य विषयों के आदर्श भी रहते हैं किन्तु उन सबको राजनैतिक आदर्शों के अधीन बना दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी समस्या पर निर्णय लेते समय यथार्थवादी दृष्टिकोण यह तो अवश्य देखेगा कि नैतिक दृष्टि से उस आखिर करना क्या चाहिये किन्तु वह इस प्रकार का कोई कदम न उठायेगा जो उसके राष्ट्रीय स्वार्थ के विरुद्ध जाता हो। इस प्रकार यथार्थवादी सिद्धान्त समस्याओं के प्रति वैधानिक व नैतिक दृष्टिकोण (Legalistic-Moralistic Approach) अपनाने का पक्षपाती है।

अगर अणित समस्त विशेषताओं को यथार्थवादी सिद्धान्त अपने भाष में समाविष्ट करता है। यह मनुष्य के बहुवादी (Pluralistic) रूप को लेकर

पलता है जिनके अनुसार मनुष्य के राजनैतिक पक्ष के अलावा वैदिक, धार्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पक्ष भी होते हैं। मनुष्य को केवल राजनीतिक मानने वाला जगली है तथा उसे केवल नैतिक बहने वाला मूल (fool) है—ज्ञान एकपक्षीय नहीं होता। मानव जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन ही ज्ञान को पूर्ण बना सकता है।

यथार्थवादी सिद्धान्त का मूल्यांकन

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथार्थवादी सिद्धान्त एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन को वैज्ञानिकता, निश्चितता तथा भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य आदि गुणों से विभूषित करना चाहता है। एक देश की घटनाओं का वास्तविक रूप में अध्ययन करके ही उनके आधार पर अपनी विदेश नीति निर्धारित करनी चाहिए सभी उनका प्रयास सफल हो सकता है।

‘प्रत्येक राष्ट्र अपने स्वार्थ की पूर्ति में सतम्न है तथा उसका स्वार्थ यह है कि वह अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करे’ इस बात पर जोर देकर यथार्थवादी विचारधारा दो प्रमुख सदेश प्रदान करती है, जिनको अपनी विदेश नीति निर्धारित करते समय प्रत्येक राष्ट्र को ध्यान में रखना चाहिए। पहला सदेश तो यह है कि विदेश नीति ऐसी बनाई जाय जो शक्ति बढ़ाने एवं बनाये रखने में हमारे राष्ट्र को अधिक से अधिक सहायता कर सके। दूसरा सदेश, जो इसी से सम्बन्धित है, यह है कि हम अपनी विदेशनीति का निर्माण करते समय यह भी ध्यान रखें कि दूसरे देश का राष्ट्रीय स्वार्थ क्या है तथा वह हमारे राष्ट्रीय स्वार्थ से (जहाँ तक सम्भव हो सके) टकराये नहीं।

इसके अतिरिक्त क्योंकि यथार्थवादी सिद्धान्त का आधार बुद्धि है अतः हमसे प्रभावित विदेश नीति भी बुद्धि तथा तर्क पर आधारित होगी। ऐसी विदेश नीति में खतरा (Risk) लेने का स्थान कम रहता है तथा अधिकतर बातें एक योजना के अनुसार ही होती चली जाती हैं। इस प्रकार की विदेश नीति राजनैतिक रूप से सफल होती है तथा नैतिक रूप से भी इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक विदेश नीति का सबसे बड़ा गुण माना जाता है कि वह यथार्थवादी (Realistic) है।

राज्य व्यवस्था (THE STATE SYSTEM)

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन चैन विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंध होते हैं। ये राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इकाइया होती हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र के सही रूप को समझने के लिए इन राज्यों की वास्तविक प्रकृति उनके धर्म, उनके भावप्रयुक्त तत्व, उनके विकास एवं वर्तमान रूप का अध्ययन करना जरूरी बन जाता है। राज्यों के भूत तत्वों का सही ज्ञान होने के अभाव में यह सम्भव नहीं होता कि उसके मावी व्यवहार के बारे में पहले से ही अनुमान लगा लिया जाए। राज्य किन तत्वों से प्रभावित होते हैं, उनके प्रादर्श एवं आकांक्षाएँ क्या होती हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में वे क्यों प्रयत्नशील होते हैं आदि बातें तभी समझ में आ सकती हैं जब कि राज्य व्यवस्था का सही चित्र हमारे सामने हो। आज के युग को अंतर्राष्ट्रीयता का अथवा विश्व समाज की स्थापना का युग कहा और माना जाता है। इस युग के सभी राज्यों से पारस्परिक सहयोग के साथ जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है। इसके बिना उनकी सुरक्षा एवं अच्छा जीवन दोनों ही बात सट्टाई में पड़ जाती हैं। विश्व के पटल पर आज १२२ से भी अधिक राज्य हैं। इनमें से कुछ तो आर्थिक पराधनता के कारण दूसरों के साथ बंधे हुए हैं तथा दूसरों के पारस्परिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने में विगत जीवन का इतिहास, भूगोल, भाषा, जाति, धर्म अथवा राजनीतिक समस्याएँ पर्याप्त प्रभाव डालती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और भी घनिष्ठ बनाने के लिए समुक्त राष्ट्र सच आदि विभिन्न विश्व संगठनों द्वारा प्रयास किया जाता

है। कुल मिला कर विश्व की स्थिति ने आज जो रूप धारण कर लिया है उसे देख कर यह कहा जा सकता है विश्व समाज ने जन्म ले लिया है किन्तु यह अभी सत्रमण काल में चल रहा है। पामर तथा परकिन्स का यह कहना पूर्णतः उपयुक्त है कि इस विश्व समाज का आधार राज्य, अथवा यों कहिए कि राज्य व्यवस्था है इसलिए विश्व समाज एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का प्रारम्भ यही से करना चाहिए।¹

राज्य व्यवस्था का अर्थ (The Meaning of State System)

राज्य व्यवस्था ने तीन शताब्दियों से भी अधिक समय से अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के तरीकों को ढालने में आधार का काम किया है। 'राज्य-व्यवस्था' को पाश्चात्य राज्य व्यवस्था, राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था, राष्ट्र-राज्य व्यवस्था आदि विभिन्न सजाओ से भी संबोधित किया जा सकता है। राज्य व्यवस्था को परिभाषित करते हुए पामर तथा परकिन्स लिखते हैं कि यह राजनैतिक जीवन का वह तरीका है जिसमें कि लोग सम्प्रभु राज्यों में प्रत्येक रूप से संगठित हो जाते हैं। इन राज्यों का एक साथ मिलकर रहना होता है। राज्य व्यवस्था में एक प्रमुख समस्या इन विरोधाभास पूर्ण स्थिति के कारण उत्पन्न हो जाती है कि एक ओर तो प्रत्येक राज्य सम्प्रभु है तथा कानूनी रूप से उसे पूर्ण शक्ति प्राप्त है, किन्तु दूसरी ओर उसे विश्व में दूसरे राज्यों के साथ संबंध बनाकर चलना होता है। उसे अन्य राज्यों को कई क्षेत्रों में छूट देनी पड़ती है तथा समायोजन करते समय कई बार दबना भी पड़ता है। हर राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय सम्मान होता है तथा उसके स्वयं के स्वार्थ होते हैं। इनकी रक्षा के लिए तथा अपनी सम्प्रभुता को बनाये रखने के लिए उसे दमनकारी शक्ति का संगठन करना होता है। वह अपनी राष्ट्रीय शक्ति (National Power) के विकास के लिए हर सम्भव प्रयास करता है। अपने हितों की रक्षा के लिए पहले तो यह शान्तिपूर्ण साधनों को अपनाता है किन्तु उनके निरर्थक सिद्ध हो जाने पर यह विध्वंसक शक्ति, यहाँ तक कि युद्ध को भी अपना सकता है। हितों को लेकर उठने वाले वाद-विवाद राज्यों के बीच कई बार युद्ध का कारण बन जाते हैं। युद्ध का मार्ग अपनाते से राज्यों को कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि वे सम्प्रभुता-सम्पन्न कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र होते हैं।

राज्य व्यवस्था घाज के अनर्राष्ट्रीयतावाद के युग मे नी एक प्रभाव-पूर्ण तत्व है । अतर्राष्ट्रीय सभ्यी का कोई भी विद्यार्थी राष्ट्रों को प्रकृति, उनके अतर, वर्गीकरण ऐतिहासिक विकास तथा राज्य व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के अध्ययन की अवहेलना नहीं कर सकता । 'राज्य व्यवस्था' अतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की यह आधारशिला है जिस पर कि समस्त विचारधारार्ये एव उनके ध्यानर्रािक प्रयोग आधारित रहते हैं । इससे पूर्व कि हम राज्य व्यवस्था की विशेषताओं वा वर्णन करें, यह उपयागी रहेगा कि राज्य के अर्थ, वर्गीकरण, विभिन्नता आदि का संक्षेप मे उल्लेख कर दिया जाये ।

राजनैति शास्त्र के विद्वानों ने समय-समय पर राज्य की परिभाषित किया है । इन परिभाषाओं को व्यक्त करने के तरीके तथा शब्दों के प्रयोग मे अतर रह सकता है किन्तु मूलत उन सभी की मान्यतायें एक गहरा साम्य रखती हैं । एक परिभाषा के अनुसार राज्य जनता के उस निष्काय को कहा जा सकता है जो एक निश्चित क्षेत्र मे रहता है तथा एक सरकार के आधीन राजनैतिक रूप से संगठित है । आर्यः सभी विचारक इस सम्बन्ध मे एकमत हैं कि राज्य के चार तत्व होते हैं—भूमि, जनता, जनसाध्या एव सम्प्रभुता । राज्य एक बंधानिक इकाई होती है तथा मुख्य रूप से इसी अर्थ मे इसका प्रयोग किया जाता है । इसे राष्ट्र, राज्य एव देश—तीन अलग-अलग पद हैं जिनके अर्थों मे भी भिन्नता रहती है किन्तु फिर भी इनका एक दूसरे के लिए प्रयोग कर लिया जाता है । इसका अर्थ यह नहीं है कि ये पद समानार्थक हैं किन्तु एक ही शब्द को बार-बार ताना भच्छा प्रतीत नहीं होता अत ऐमा कर दिया जाता है ।

सभी राज्यों के पास सम्प्रभु शक्ति रहती है और इसलिए उनको एक जैसा ही माना जा सकता है । अतर्राष्ट्रीय कानून सभी राज्यों को समान स्तर प्रदान करता है । समुक्त राष्ट्र सभ के घोषणा-पत्र की धारा दो के धनु-सार यह साध्या इसके समस्त सदस्यों की समान सम्प्रभु शक्ति के सिद्धान्त पर आधारित है । वास्तविक व्यवहार मे यह समानता देखने की नहीं मिलती । अनेक छोटे, शक्तिहीन एव साधनहीन राष्ट्र बड़े सम्पन्न एव शक्तिशाली राष्ट्रों पर अवलम्बित रहते हैं । राज्यों के बीच जनसध्या, आकार, संस्कृति, सैनिक शक्ति, सरकार के रूप, धार्मिक स्थिति, प्राकृतिक स्रोत आदि के आधार पर अनेक अनेक असमानतायें देखी जा सकती हैं ।

राज्यों का शक्ति-स्तर (Power Status of the States)

राज्य का प्रमुख मूल उल्लेख उसकी सम्प्रभुता को माना जाता है जिसकी रक्षा के लिए वह अपनी सैनिक, आर्थिक, तथा राजनैतिक शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करता है। वैसे प्राधुनिक राज्यों का रूप और अन्तर्राष्ट्रीय समाज वर्तमान काल की ही उपज है। उनके इतिहास की तीन या चार शताब्दियाँ मानवीय इतिहास के उन सात हजार से अधिक वर्षों का एक छोटा सा भाग है जिनका कि ऐतिहासिक अभिलेख प्राप्त होता है। राज्य व्यवस्था का छोटा जीवन होने के बावजूद भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का प्रचलन बहुत पूर्व हो चुका था। कुछ विचारकों का कहना है कि प्राधुनिक राज्य व्यवस्था सम्भवतः घर्म सुधार आन्दोलन के युग से प्रारम्भ होती है जब कि फ्रांस, इंग्लैण्ड, जर्मनी, आदि राज्यों के सामयिक राजाओं ने तथा यूरोप की छोटी शक्तियों ने घर्म युद्धों के कारण उत्पन्न घरायश का लाभ उठाया और अपनी सीमाओं में रह कर अपनी सत्ता को स्थापित किया। वे पापिक मामलों में पोप की सत्ता के आगे झुकते थे और घर्म निषेध मामलों में रोमन साम्राज्य के बाइशाह के आगे, किन्तु अपनी राजधानियों में वे शक्तिशाली सामन्तों को चुनौती देते थे। इस प्रकार सर्वोच्च सत्ता या सम्प्रभुता प्रादेशिक राज्य को प्राप्त होती थी जिसके अधिकार, स्वतन्त्रता और शक्ति, आदि सारी चीजें प्रादेशिक रूप से प्राप्त होती थीं। एक बार स्थापित हो जाने के बाद सम्प्रभुता द्वारा प्रत्येक राज्य को यह अधिकार सौंप दिया जाता था कि वह अपनी जनता और साधनों को जिस रूप में चाहे उस रूप में रखे और बिना किसी राजनैतिक उच्चाधिकारी के मात्रहृत् रूप अपनी राष्ट्रीय सीमाओं में कार्य करे। इसके परिणाम-स्वरूप एक ऐसी दुनिया सामने आई जिसमें कि सम्प्रभु एवं स्वतन्त्र राज्य थे जो सभी सौदानिक रूप से समान थे किन्तु वास्तविक शक्ति की दृष्टि से उनके बीच भारी अन्तर था। उनमें से प्रत्येक अपने अस्तित्व के लिए अपने साधनों पर निर्भर करता था। इनके बाद से व्यक्तिगत सुरक्षा, कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रीय कानून, युद्ध, व्यापार और सृष्टि एवं सम्यता का विकास, आदि राष्ट्र राज्य को सर्वोच्च सम्प्रभु राजनैतिक दवाई मान कर रूप धारण करने लगे।

स्पष्टतः सभी राज्य आकार या साधनों की दृष्टि से समान नहीं हैं। शक्ति के वितरण में इस असमानता ने उस व्यवस्था की कार्यवाही को गहन रूप से प्रभावित व परिवर्तित किया जो प्रत्येक सम्प्रभु राज्य की सैदानिक

समानता पर आधारित है। राज्यों के बीच प्राप्त इस अन्तर की स्थिति को संश्लेषण प्राप्त (Samuel Grafton) ने बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है। उनके कथनानुसार यदि आप गिलहरी को एक प्रमाण-पत्र दे दें कि वह भी इतनी ही बड़ी है कि जितना बड़ा कोई हाथी होता है तो भी वह छोटी ही रहेगी तथा प्रत्येक गिलहरी एक समी हाथी इस तथ्य से परिचित रहेंगे।¹ फॉक्स महादय (T. R. Fox) ने यह सिद्ध किया है कि पश्चिमी राज्य व्यवस्था सदैव ही कुछ बड़े राज्यों द्वारा प्रभावित रही है। राज्यों के बीच असमान शक्ति का वितरण होने के कारण ही उनको बड़ी शक्ति एवं छोटी शक्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

बड़ी शक्ति और प्रभावशाली शक्ति के बीच अन्तर होना है। बड़ी शक्ति उसे कहते हैं जो अन्य किसी भी शक्ति को अपने साथ लेने की सामर्थ्य रखती है और प्रभावशाली शक्ति वह होती है जो दूसरी शक्तियों के सन्निधि को अपने साथ लेकर चल सके।² शक्तियों के आधार पर राज्यों को जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें सर्वोच्च शक्ति की श्रेणी को भी ले सकते हैं। टी० आर० फॉक्स के मतानुसार सर्वोच्च शक्ति (Super Power) वह होती है जो बड़ी शक्ति होने के साथ साथ शक्ति आने के भी अपने साधन रखती है। सन् १९४५ में देखा गया था सर्वोच्च शक्तियाँ तीन थीं—संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत रूस और ग्रेट ब्रिटेन। विन्डु युद्धोत्तर घटनाओं ने ग्रेट ब्रिटेन को शक्ति हीन बना दिया। शक्तियों के आधार पर राज्य का यह वर्गीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है क्योंकि राष्ट्रों के बीच शक्ति के वितरण की प्रवृत्तियों के द्वारा ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के रूप के विकास को निर्धारित किया जाता है। यदि हम यह जान लें कि सर्वोच्च शक्तियाँ और महान शक्तियाँ कौन हैं तो यह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि बड़े स्तर की अन्तर्राष्ट्रीय हिमा की सम्भावना की आशा किससे की जा सकती है क्योंकि कोई भी छोटी शक्ति केवल छोटे मोटे सपनों एवं युद्धों का ही कारण बन सकती है। बड़े स्तर का युद्ध उस समय तक प्रारम्भ नहीं हो सकता जब तक बड़े राष्ट्र इसमें सलग्न न हों।

- 1 Samuel Grafton, quoted in William T.R. Fox The Super-Powers, 1944, P 3
- 2 Martin Wright, Power Politics, Royal Institute of International Affairs, London, 1956, PP 18-27

परम्परागत रूप से राष्ट्र राज्यों पर किसी सर्वोच्च सम्प्रभु का नियन्त्रण नहीं रहता और वे अपने ही प्रयासों से उन सम्बन्धों की विनियमित करते हैं जो उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकें। ऐसी स्थिति में शक्ति की राजनीति का विश्वास होता है जिनके अनुसार प्रत्येक देश अपनी रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना है, हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था जैसी खतरनाक स्थिति से बचने के लिए राज्य संधियों की नीतियों में सलग्न होते हैं। इन संधियों के द्वारा राज्यों की शक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज में शक्ति-सन्तुलन बना रहे। साथ ही सम्भावित खतरों से सदस्य राज्यों को सामूहिक सुरक्षा का भाववासन देते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर हम विश्व के राज्यों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से चार श्रेणियों में कर सकते हैं—

(१) बड़ी या प्रधान शक्ति (Great or major power)—बड़ी शक्ति प्रायः उस राष्ट्र को कहा जाता है जिसके स्वार्थ बहुत अधिक फैले हुए रहते हैं, विश्व के अनेक राज्यों से वह सलग्न रहता है तथा अपने स्वार्थों एवं विदेशों में किए गए समझौतों को क्रियान्वित करने की उसके पास शक्ति रहती है। कभी कभी बड़ी शक्ति (Great power) उस देश को भी कह दिया जाता है जिसे कि सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व मिला हुआ रहता है। ऐसे देश पाँच हैं—अमेरिका, राष्ट्रवादी चीन, सोवियत रूस, फ्रांस व ब्रिटेन। बड़ी शक्तियों का यह नामकरण उचित प्रतीत नहीं होता। अनेक विचारकों के मतानुसार फ्रांस व राष्ट्रवादी चीन को महाशक्ति कहने की अपेक्षा यदि मध्यस्तर की शक्ति (Middle power) कहा जाय तो अधिक उचित रहेगा। ये विचारक भारत को भी मध्यस्तर की शक्ति मानते हैं।

(२) सघु या नोचो शक्ति (Small or lesser power)—मार्टिन वाइट (Martin Wight) महोदय के मतानुसार इस श्रेणी में हम उन देशों को ले सकते हैं जिनके स्वार्थ सीमित होते हैं तथा केवल इन सीमित स्वार्थों की पूर्ति के योग्य शक्ति ही उनके पास रहती है।¹ इस श्रेणी के देशों के नाम गिनाना सरल नहीं है अतः अल्प श्रेणियों में से बचे राष्ट्रों को हम इनके अधीन रख सकते हैं। पामर तथा परकिन्स के मत में सघु देशों के स्वार्थों का सीमित होना आवश्यक नहीं है, इसके अपवाद भी हो सकते हैं।

(३) शक्ति का अनिश्चित स्तर (Uncertain status of Power)—पामर तथा परकिन्स महोदय ने जर्मनी तथा जापान दो राष्ट्रों को इस श्रेणी

के अन्तर्गत रखा है। यह दोनों ही देग द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व महान शक्तियों में गिनी जाती थीं किन्तु युद्ध के दुष्परिणाम सबसे ज्यादा इन्हीं दो देशों को झुगवाना पडा। एक के तो दो टुकडे हो गए और दूसरे की शक्ति को उसके ऊपर की गई मयकर बमबारी ने घटा दिया। किन्तु अब भी दोनों देशों में बडी शक्ति बनने का लक्षण विद्यमान है अतः इनके स्तर को अभी से निश्चित करना उचित प्रतीत नहीं होता।

(४) विश्व शक्ति (World Power)—'विश्व शक्ति' (World Power) की सजा प्रायः दो अर्थों में प्रयोग की जाती है। एक अर्थ में तो यह उन देशों की ओर इशारा करती है जिनका सम्बन्ध तथा प्रधिकार विश्व भर में फैला है उदाहरण के लिए फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन आदि। दूसरे अर्थ में विश्व शक्ति (World power) उन राष्ट्रों को कहा जाता है जिनका प्रधिकार एवं सम्बन्ध विश्व भर में व्याप्त हो और साथ ही असाधारण सैनिक शक्ति भी उसके पास हो, जैसे अमेरिका आदि। सर्वोच्च शक्ति (Supreme power) शब्द का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उदित रूस, अमेरिका आदि शक्तियों के लिए किया जाता है जिनके पास असाधारण शक्ति साधन हैं।

राज्य व्यवस्था का विकास (The Development of State System)

राज्य व्यवस्था का वर्तमान रूप एक लम्बे विनाश का परिणाम है। इसका प्रारम्भ अस्तित्व के इस कथन में सिद्ध होता है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनैतिक प्राणी है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य व्यवस्था भी इतनी ही पुरानी है जितना कि स्वयं इंसान। विकास के प्रत्येक चरण पर लोगों की ऐसी आवश्यकताएँ एवं माँगें रही हैं जिनको वे स्वयं सन्तुष्ट नहीं कर सकते और इसलिए वे सामाजिक समूहों की रचना करते हैं। वे समूह परिस्थितियों के अनुसार प्रकृति और क्षेत्र की दृष्टि से भिन्न प्रकार के होते हैं। इन समूहों की रचना के अनुसार इनमें अनेक संगठनात्मक समस्याएँ उठती हैं। पहली समस्या तो यह उठनी है कि उद्देश्यों की दृष्टि से उनका सही ढाँचा क्या रखा जाए। प्लेटो तथा अरस्तु ने यह सीमा नगर राज्यों के रूप में देाई किन्तु प्राधुनिक समाजशास्त्री उस ढाँचा को आदर्श मानते हैं जिसमें सामाजिक सत्ता की विचारधाराएँ विकसित हो सकें। मानवीय संगठनों के अघिकारण मध्यम प्राकृतिक व्यवस्था से आरम्भ होने हैं। वे इसे या दो अज्ञान से पूर्ण, या हॉब्स की तरह प्रत्येक का प्रत्येक से युद्ध अथवा

स्वयं युग के रूप में वर्णित करते हैं। राज्य की स्थापना के पूर्व की प्राकृतिक अवस्था क्या थी? किस तरह की थी? और इसके व्यक्ति वा जीवन कंसा था? आदि बातें प्रागैतिहासिक काल की हैं। अतः इनके सम्बन्ध में वाद विवाद करना उपयोगी प्रतीत नहीं होता। ऐसा लगता है कि जिस समय मानवीय समूहों की संख्या कम थी सम्भवतः उस समय उनके बीच कोई सम्पर्क नहीं होगा किन्तु यह कल्पना की जाती है कि ज्यों ज्यों इन समूहों की संख्या बढ़ती गई और उनके बीच की जटिलताएँ बढ़ती चली गई त्यों-त्यों उनका पारस्परिक सम्बन्ध विकसित हुआ। यह कल्पना की जाती है कि समूहों के सम्पर्क हिंसा पर आधारित रहे होंगे और बाद में इन्होंने अहिंसात्मक तथा सहयोग पूर्ण रूप धारण किया होगा।

ऐतिहासिक विकास के काल में इन सम्बन्धों को ऐतिहासिक बनाया गया तथा ऐसी व्यापारिक लेन-देन विकसित की गई जो सभी समूहों के लिए उपयोगी हो। एक बार जब इस प्रकार के सम्बन्ध व्यापक बन गये तो वे कार्य कुशल केन्द्रीय सरकार के संगठन की आवश्यकता को जन्म देने लगे जो उन पर नियन्त्रण रख सके। इस प्रकार राज्य की स्थापना हुई तथा सम्प्रभु शक्ति ने जन्म लिया। यह कहा जाता है कि सर्व प्रथम बड़े स्तर के राजनैतिक संगठन राज्य अथवा राज्य व्यवस्था जिनका कि हमारे पास लेख है वे ईसा से ५००० वर्ष पूर्व विकसित हुए होंगे। ये जहाँ पर विकसित हुए थे यह कोई भवसर की बात नहीं थी बल्कि इन क्षेत्रों की सामान्य सामाजिक आवश्यकताओं का परिणाम था। इन राजनैतिक संगठनों में ऐन शक्तिशाली केन्द्रीय संगठन की आवश्यकता हुई जो सिखाई व्यवस्था का प्रवर्धन कर सके। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में सम्यता का विकास होने लगा और राजनैतिक व्यवस्था उच्च बनती चली गई। ये प्रारम्भिक राज्य व्यवस्थाएँ अपनी सीमाओं की दृष्टि से बदलती रहती थीं। इन्होंने धार्मिक रूप से सांस्कृतिक एवं राजनैतिक एक रूपता का विकास किया। राज्य व्यवस्था के विकास को राजनीति शास्त्र के विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न कालों में विभाजित किया है। इन कालों की स्वयं की विशेषताएँ थी और इन्होंने राज्य के स्वरूप को बदलने में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। इस विकास पर अनेक परिस्थितियों एवं अवस्थाओं ने प्रभाव डाला है। विकास के परिणामस्वरूप जो हम आज सामने है उस पर अतीत का पूरा प्रभाव है। सिंधु घाटी, नील नदी तथा अन्य नदियों के मुहानों पर जो सम्यता विकसित हुई थी उसे वर्तमान राज्य व्यवस्था का रूप धारण करते बड़े मोड़ों से गुजरना पड़ा है। प्रारम्भिक सम्यताओं के बीच पारस्परिक लेन-देन तथा संचार की व्यवस्था

थी, साथ ही सुरक्षा एवं विजय के लिए विभिन्न सङ्घर्ष लड़ी जाती थी। पर पश्चिमी सत्तार में व्यक्तिगत जीवन पंद्रहवीं शताब्दी तक ऐसा बना रहा जिसने पूर्वी दुनिया के साथ कोई सम्पर्क नहीं रखा। इतिहास के प्रारम्भ में भारत मध्य पूर्व मैसोको एवं दक्षिणी अमरीका के कुछ भागों की सम्यता उस स्तर पर पहुँच चुकी थी जहाँ पर कि पश्चिमी यूरोप की पहुँचने में बहुत समय लगा। किन्तु पश्चिमी यूरोप की सङ्कृति पिछले पाँच सौ वर्षों में जितनी विकसित हुई है उतना विकास अन्य समाज अब तक नहीं कर पाए।

मध्य युग में पश्चिमी समाज का जो रूप था वह स्वतन्त्र राज्यों एवं उनके आपसी सम्बन्धों के विकास के कारण परिवर्तित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने विचारक पारवात्य सम्पत्ता एवं समान के रूप को महत्व प्रदान करते हैं क्योंकि वेप सत्तार इसमें बहुत प्रभावित रहा है। पारवात्य सम्पत्ता की जड़ें मध्य युग के माध्यम से प्राचीन यूनान और रोम तक फैली हुई हैं। यूनानी लोगों का जन्म एवं सङ्कृति सामान्य होते हुए भी उनमें राजनीतिक एकता नहीं थी। वे अनेक नगर राज्यों में बँटे हुए थे, उनका आपसी सम्बन्ध बहुत कुछ ऐसा था जैसा आज के राज्यों के बीच पाया जाता है।

पश्चिमी जगत में रोमन साम्राज्य का प्रारम्भ ईसा से ३५० वर्ष पूर्व हुआ जब कि रोम के नगर राज्यों ने इटली के भागों को जीतना प्रारम्भ किया। रोमन साम्राज्य के आधीन एक नई राजनीतिक व्यवस्था का चित्र खींचा गया। प्रारम्भ में रोम वालों के अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध यूनानियों जैसे थे किन्तु शीघ्र ही रोम वाले दूसरे लोगों को अपने बराबर समझने की अपेक्षा अपनी प्रजा मानने लगे। ज्यों ज्यों साम्राज्य बढ़ता गया, स्थो-स्थो सम्बद्ध क्षेत्र अधिक उपनिवेश बनते चले गए। रोम वालों की एक सबसे बड़ी सफलता एवं विरासत सामान्यतः उनके कानून की व्यवस्था को माना जाता है। कानून की एक शाखा जोस जैन्टियम (Jus gentium) कहलाती है जो भौतिक रूप से परम्पराओं का एक सङ्ग्रह था जिसे गैर रोम वालों पर लागू किया जाता था। बाद में इसे रोम के नागरिकों पर भी लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रारम्भिक लेखक जो प्राकृतिक कानून की मान्यता पर जोर देते हैं, प्राकृतिक कानून को जानने के लिए जोस जैन्टियम को आधार बनाया।

रोमन साम्राज्य ईसा के बाद चौथी शताब्दी में समाप्त हो गया और इसके बाद जो अर्थ जगती वातावरण बनया, उससे व्यवस्था पैदा हो गई।

इस स्थिति में धीरे-धीरे सामतवाद की व्यवस्था का विकास हुआ। सैद्धांतिक रूप से सामतवाद एक पद सौपान की व्यवस्था होती है जिसमें सबसे नीचे के स्तर पर भूमिहर (Serf) रहना है उसके बाद लांडे, बैसाल, राजा और शीप पर बादशाह होना था, किंतु यथार्थ में यह व्यक्तिगत प्रबन्धों की एक उलझी हुई तथा भ्रमपूर्ण व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में सत्ता, अर्थ-व्यवस्था एवं जीवन को सामान्य रूप से विकेंद्रीकृत कर दिया गया। सामतवादी युग में एकता का आधार राष्ट्रीयता की भावना न होकर धार्मिक भावना थी। चर्च का लोगो के मस्तिष्क पर पूरा प्रभाव था तथा इसने मुखा एकीकरण की शक्ति का काम किया। यद्यपि सामतवाद ने व्यवस्था एवं स्थायित्व की स्थापना करके एक उपयोगी कार्य को सम्पन्न किया किंतु चौदहवीं शताब्दी में यह उन नई शक्तियों से प्रभावित होने लगा जो परिवर्तन चाहती थीं। बढ़ते हुए मध्यम वर्ग ने उन शक्तिशाली-शक्तियों का समर्थन किया जो सामतवाद के विरोधी थे। इन विरोधी शक्तियों के मिल जाने के कारण सामतवादी लोग उदित होते हुये राज्यों में अपने आपको समायोजित नहीं कर सके। दूसरी ओर पोप तथा बादशाह ने जिस रूप में इसे चुनौती दी उनका भी यह सामना नहीं कर सके।

चौदहवीं शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक यूरोप विश्व की घटनाओं का एक केन्द्रीय रंगमंच बना रहा। विश्व की प्रमुख शक्तियाँ इसी क्षेत्र में स्थित थीं और दूसरी जगह होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में इनकी मुख्य भूमिका योगदान रहता था। सन् १५०० तक कुछ राज्य, जिनके नाम और क्षेत्र बीसवीं शताब्दी के राज्यों के नाम और क्षेत्र जैसे थे, यूरोप की सीमा में विकसित हुए। इनमें इंग्लैंड, फ्रांस स्पेन और पुर्तगाल आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सन् १८१५ तक यह शक्तियाँ यूरोप में तथा समुद्र पार की नई दुनिया में सघर्षरत बनी रही। बड़े-बड़े साम्राज्य जीते गये, हारे गए और एक शक्ति से दूसरी शक्ति को हस्तान्तरित किये गये। इसके साथ ही साथ व्यापारिक क्रांति ने स्थानीकृत सामन्तवादी अर्थ व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया, व्यापार और बन्दूक की शक्ति का अर्थ से अधिक प्रमाण होने लगा। नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने तकनीकी विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इन परिस्थितियों में यदि कोई शक्तिशाली आक्रमणकारी राज्य शक्ति के वितरण को अस्त-व्यस्त करने की धमकी देता या अन्य राज्यों को पराधीन बनाने की चेष्टा करता तो छोटे राज्य सघिबद्ध होकर उसे हराने का प्रयास करने लगते। आधुनिक काल में राज्य व्यवस्था का विकास निम्न क्रम से हुआ —

पहला काल

राज्य व्यवस्था के विकास का प्रारम्भ विचारको ने १६४८ से माना है जबकि वेस्ट फेलिया (West Phalia) की सन्धि के पश्चीन ब्रिटेन, फ्रांस तथा स्पेन का राष्ट्रीय राज्यों के रूप में उदय हो चुका था। राजनीति पर से घर्षों का प्रभाव हटने लगा। इस समय के विचारक मॅकियावेली (Machiavelli), बोदा (Bodin), ग्रोसियस (Grotius) आदि की रचनाओं में घर्षों निर्दोष स्वतन्त्र राज्य का समर्थन किया गया। यद्यपि इस काल से पहले भी राज्य एवं उनका आपसी सम्बन्ध वर्तमान था किन्तु ये राज्य न तो राष्ट्रीय थे और न इनके पास सम्प्रभुता जैसी कोई चीज ही थी। वेस्ट फेलिया की सन्धि में राज्य व्यवस्था का जो रूप पैदा हुआ वह आज भी स्थित है, अर्थात् 'एक ही विषय में अनेकों सम्प्रभु राज्यों का अस्तित्व' आज भी पूर्ववत् बना हुआ है। समय के अनुसार इस राज्य व्यवस्था में अनेकों परिवर्तन व प्रभाव पड़े जिनके कारण यह विकसित होती चली गई। पामर तथा परकिन्स के मत में राज्य व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले मुख्य मुख्य विकास [Developments] हैं—प्रतिनिधि सरकार, औद्योगिक क्रांति, जनसंख्या का परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास, कूटनीतिक तरीकों का विकास, राष्ट्रों की आर्थिक परनिर्भरता, अगहों के निपटारे के शांतिपूर्ण साधनों की स्थापना, आदि आदि।

दूसरा काल

राज्य व्यवस्था के विकास का दूसरा काल वेंस्ट फेलिया व यूट्रेक्ट (Utrecht) की सन्धि के बीच का काल (१६४८-१७१३) है। लुई १४ वें (Louis XIV) ने इस काल में फ्रांस को सर्वोच्च शक्ति बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा को क्रियान्वित करने के प्रयास किये। इस समय फ्रांस, ब्रिटेन, हॉलैंड तथा स्पेन के बीच औपनिवेशिक सर्वोच्चता (Colonial Supremacy) प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष हुआ। ब्रिटेन ने योरोप में शक्ति सन्तुलन बनाये रखने के लिए महाद्वीपीय राज्यों से सन्धिवा कर ली तथा इस प्रकार उसने फ्रांस के पर काट दिये। फ्रांस को यूट्रेक्ट (Utrecht) की सन्धि के पश्चीन बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। इस सन्धि ने योरोपीय राज्यों को एक दूसरे से इतना बाध दिया कि दूसरों की प्रतिक्रिया का विचार किये बिना कोई राष्ट्र एक कदम भी नहीं चल सकता था।

तीसरा काल

यूट्रेक्ट सन्धि से लेकर वियना (Vienna) की सन्धि (१८१५) तक

का समय राज्य-व्यवस्था के विकास का तीसरा काल है। इस सन्धि के अनुसार जिन राष्ट्रों को प्रथम स्तर की शक्ति माना गया वे थे—ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रिया, रशिया, फ्रांस, प्रूसिया, स्वीडन, पुर्तगाल तथा स्पेन। इस काल में एक योरोपीय राज्य अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच से अग्रदस्थ हो गया। पोलैंड का विभाजन करके प्रूसिया, रशिया और आस्ट्रिया में उसे बांट दिया गया। काल में पश्चिमी 'गोलाद्ध' से एक नये राष्ट्र का उदय हुआ। अमेरिकन क्रांति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ। ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, आस्ट्रिया तथा फ्रांस प्रमुख शक्ति बने रहे जबकि स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैण्ड और स्वीडन की शक्ति गिर गई, वे कम शक्ति वाले (Lesser powers) राष्ट्र बन गये। यूट्रेक्ट की सन्धि में जिस शक्ति सन्तुलन को स्थापना की गई थी, समय समय पर उसको अस्त-व्यस्त तो किया गया किन्तु पूरी तरह उसको नष्ट न किया गया। योरोप पर प्रभाव जमाने की सामर्थ्य किसी भी देश में न थी।

चौथा काल

सन् १८१५ से १९१४ तक के काल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा निर्मित शक्ति-सन्तुलन बन रहा। क्रीमियन युद्ध तथा फ्रांस-प्रूसियन युद्ध द्वारा प्रमुख शक्तियों को दो बार चुनौती दी गई। किन्तु योरोप के शक्ति सन्तुलन को ये चुनौतियाँ अभ्यवस्थित न कर सकी। इस काल के कुछ प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं—

(i) बिस्मार्क की 'लोहा और खून' (Blood and Iron) की नीति के अधीन एकीकृत जर्मनी का उदय हुआ जिमने महाद्वीप पर से फ्रांस के प्रभाव को हटा कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया।

(ii) बल्कान्स (Balkans) में तुर्की की शक्ति घट जाने के कारण अनेक पराधीन व दास राज्यों को अपनी स्वतन्त्रता का स्वप्न पूरा करने का अवसर मिला, उनमें राष्ट्रीयता की भावना उदित होने लगी।

(iii) समुद्र पार (Overseas) के अनेक नवोदित राज्यों के समुदाय ने पश्चिमी गोलाद्ध में अमेरिका का दामन पकड़ लिया।

(iv) सूदूर पूर्व में जापान को सामन्तशाही से छुटकारा मिला। जापान को ब्रिटेन के साथ सन्धि थी, चीन तथा रूस को उसने हरा दिया था, पश्चिमी तौर-तरीकों को जापान ने अपना लिया था, इन सभी कारणों से जापान पूर्व का उगता हुआ सूर्य (The Rising Sun of the East) बन गया।

(v) विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने पर बड़ी शक्तियों के स्वार्थ एक से न रहे। प्रत्येक का स्वार्थ अलग-अलग हो गया। जिन शक्तियों के स्वार्थ विरोधी न थे तथा साथ ही विरोधी के विरोधी थे वे शक्तियाँ आपस में मिल गईं और इस प्रकार विश्व रणमंच पर एक दूसरे के खून के प्यासे दो गुट बन गये। एक था ट्रिपल एलाइंस (Triple Alliance) जिसमें आस्ट्रिया, जर्मनी और इटली शामिल थे। दूसरा ट्रिपल आला (Triple Entente) पहला था। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस व रूस मिले हुए थे। पहली १८८२ में तथा दूसरी १९०७ में बन ई गई थी। अमेरिका अभी तक विश्व राजनीति से उदासीन होकर बैठा था, ब्रिटेन को यह बात खलती थी। जापान से सन्धि करके तथा अन्य अनेक प्रयास करके उसने अमेरिका को रणमंच पर उतारने का सफल प्रयत्न किया।

प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व राज्य-व्यवस्था (State System) केवल योरोप महाद्वीप तक ही सीमित थी किन्तु प्रथम विश्व युद्ध के बाद विभिन्न सन्धि-विग्रहों ने राज्य व्यवस्था को विश्व-व्यापी (World-wide) बना दिया। पामर तथा परकिन्स के मतानुसार योरोप अब भी एक दृष्टि से राज्य व्यवस्था का केन्द्र बना हुआ है किन्तु आज जो तीन सबसे शक्तिशाली राज्य हैं उनमें से एक भी पूरी तरह योरोपियन शक्ति नहीं है और इन अर्थ में यह कहा जा सकता है कि योरोपीय राज्य व्यवस्था अब भ्रतीत की गाथा बन गई है तथा उसका स्थान अब विश्व-व्यापी राज्य व्यवस्था द्वारा ग्रहण कर लिया गया है।

भ्रतीत की योरोपियन राज्य व्यवस्था और आज की विश्व-व्यापी राज्य व्यवस्था के बीच कुछ भिन्नताएँ वर्तमान हैं जैसे कि योरोपियन राज्य-व्यवस्था में बड़ी शक्तियों की संख्या ६ या ८ होती थी तथा इन शक्तियों के स्वार्थ महाद्वीपीय या क्षेत्रीय सीमाओं में धिरे रहते थे। किन्तु आज की विश्व-व्यापी राज्य-व्यवस्था में केवल दो या तीन ही सर्वोच्च शक्तियाँ (Super-powers) हैं। इन शक्तियों के स्वार्थ भी क्षेत्रीय न होकर विश्व व्यापी (Universal) हैं। यह भ्रन्तर रहने पर भी अनेक विचारकों का मत है कि राज्य-सरकार का मूल ढाँचा (Basic Design) पहले जैसा ही है। उनका कहना है कि आज भी राज्यों की एक बड़ी संख्या सहप्रस्तित्व पर आधारित है, सभी राष्ट्र अपने विशेष स्वार्थों और भावनाओं से प्रभावित होकर कार्य करते हैं, सभी सम्प्रभुता के सिद्धांत को मानते व जोर देने हैं। इसके साथ ही सभी राष्ट्रों की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शक्ति का विकास

करना होता है। ये सब विशेषतयायें राज्य व्यवस्था अथवा राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था में पहले भी थी और अब भी हैं।

प्रादेशिक राज्य का जन्म और अन्त (The Rise and Fall of the Territorial States)

परम्परागत रूप से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की सांस्कृतिक व्यवस्था या प्राधुनिक राज्य व्यवस्था को अराजकतापूर्ण समझा जाता है। इसका कारण यह है कि इसका आधार असमान रूप से वितरित शक्ति थी। इसकी इकाइया स्वतन्त्र और सम्प्रभु राष्ट्र राज्य थे जिनको मजबूत शक्तियों द्वारा सर्वव्यवस्था दी जाती रही है तथा ये शक्ति सतुलन की व्यवस्था के आधार पर ही अपने अस्तित्व को बनाये रख सके। मध्यकालीन व्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की इकाइया उच्च सत्ता एवं उच्च कानून के अधीन रहती थी। दूसरी ओर प्राधुनिक राज्य व्यवस्था वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के अधीन रहती है। इस व्यवस्था में राष्ट्रों की सामूहिक सुरक्षा तथा कानून के शासन का प्रमुख स्थान है। प्राधुनिक राष्ट्र राज्य में जो एकरूपता एवं सम्बद्धता पायी जाती है वह उसे उन राष्ट्र राज्यों से पृथक बना देती है जो पृथक स्वतन्त्र एवं सम्प्रभु शक्ति युक्त थे। यह देखा जाता है कि राष्ट्र राज्य की एकरूपता एवं एकरसता का कारण न तो कानून का क्षेत्र है और न ही राजनैतिक। वरन् यह एकता उस राज्यपन के कारण पैदा होती है जो इसकी भौतिक सीमाओं तथा प्रादेशिक धरे के कारण पैदा होता है। राज्य अपनी रक्षात्मक आवश्यकताओं के कारण जो किलेबंदी करता है उसके द्वारा वह एक निश्चित प्रदेश में सीमित बन जाता है और इसके आधार पर उसे पहचानना सरल हो जाता है। इसे हम आज के राज्य की प्रादेशिकता कह सकते हैं। एक राज्य के चारों ओर सीमा रेखाएँ होती हैं जिनके कारण वह विदेशी घुमपँठ से अपने आपको सुरक्षित रख सकता है और इस प्रकार इसे वह अपनी सीमाओं में रहने वालों के लिये सुरक्षा की एक अन्तिम इकाई बना देता है।

इतिहास के दौरान जिस इकाई ने मनुष्यों को सुरक्षा प्रदान की वही मूल राजनैतिक इकाई बन गई। कालान्तर में लोग केवल उस सत्ता को ही सत्ता मानते हैं जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। अणु शक्ति के विकास ने राष्ट्र राज्य की पुरानी सीमाओं को तोड़ दिया है। अन्तरमहाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र के आविष्कार ने राज्यों की किलेबंदी और उसके आधार पर की

जाने वाली सुरक्षा की आशाओं को समाप्त कर दिया है। इस विज्ञात के कारण परम्परावादी शक्ति की मान्यताएँ बदली हैं। इस प्रकार प्रादेशिकता का युग निकल चुका है और इसलिये इससे सम्बन्धित स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता आदि मान्यताओं की उपयोगिता भी सदेहशील बन जाती है। कुछ विचारकों का कहना है कि वैज्ञानिक प्रगति व अणुशक्ति के विकास ने राज्यों की शक्ति स्थिति में परिवर्तन अथवा किया है किन्तु इससे अन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृत्वता, शक्ति सन्तुलन या शक्ति की राजनीति आदि की मान्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सारी बातें राज्यों की प्रादेशिक बनावट के क्षेत्र में आती हैं और इनको राज्यों के परम्परागत रूप से भिन्न नहीं समझना चाहिये वरन् सभी के विकास की भाँसे की सीढ़ियाँ माननी चाहिये। एक नये युग का सूत्रपात हम उस समय मान सकते हैं जब प्रादेशिक शक्ति का आघार और सुरक्षात्मकता समाप्त हो जाय। ऐसा हम युग में हो रहा है किन्तु इस वर्तमान को समझने के लिए हमें पुरातन व्यवस्था की प्रकृति एवं जन्म का अधिक निरूपण से अध्ययन करना होगा।

वर्तमान प्रादेशिक राज्यों के जन्म से हमारा मतलब यह है कि विभिन्न देशों में सामन्तवादी भ्रातृत्वता के स्थान पर पूर्ण व्यवस्थित केंद्रीयकरण आने लगा। इसने अपने निश्चित प्रदेश पर नौकरशाही सेना घोर कर लगाने की शक्ति की सहायता से शासन किया। विदेश सम्बन्धों की दृष्टि से इस युग में शक्ति और सत्ता के मध्यकालीन पद सोपान के स्थान पर अनुरक्षा और अन्वयस्था का प्रभाव रहा। इस अन्वयस्था और अनुरक्षा को शक्ति सन्तुलन द्वारा कुछ कम किया गया किन्तु शक्ति सन्तुलन को सदैव ही चुनौती दी जाती रही।

मध्य युग में जब सम्राट शक्ति की स्थापना में असमर्थ सिद्ध हुआ तब तक यह विचार पर्याप्त फैल चुका था कि राज्यों का प्रादेशिक सहस्रित्व पवित्र रोमन साम्राज्य की अपेक्षा शक्ति की अधिक शारङ्गी दे सकता है किन्तु इस विचार के दौरान प्रादेशिकता मुश्किल से रह सकती थी क्योंकि जिस प्रकार मध्य युगीन नगर अपनी चहारदीवारी के अन्तर्गत आक्रमण से स्वतन्त्र रह सका वो उस तरह यहाँ स्वतन्त्रता नहीं थी। सैनिक तकनीकी में होने वाले नवीन विकासों की शक्ति बन्दूक के पाठडर की शक्ति ने आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक सम्बन्धों की बनावट में एक सही शक्ति का प्रादुर्भाव किया क्योंकि इसका रक्षा एवं सुरक्षा की इकाइयों पर भारी प्रभाव पड़ा। सारे यूरोप में अनुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई। नये या पुराने सम्प्रभुओं को बड़े क्षेत्रों का प्रत्यक्ष मानने से पूर्व यह जानना जरूरी था कि

वे अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर पूरे प्रदेश का नियंत्रण कर सकेंगे या नहीं। पहले किलेबन्दी से पूर्ण नगरों को जो स्थान प्राप्त था वह धब धब भाकार के राज्यों ने ले लिया किन्तु नयी इकाइयों को उस समय तक एकीकृत नहीं सम्मत्त जा सकता जब तक इसके अन्दर की सभी स्वतन्त्र किलेबन्दियाँ समाप्त न हो जाय और उनके स्थान पर नई केन्द्रीय शक्ति द्वारा सीमाओं की पक्कियाँ निर्धारित न कर दी जायें। इस नवीन व्यवस्था के आधीन शांति और सुरक्षा की व्यवस्था हुई। कुछ एक विनियमित सैनिक प्रक्रिया बन गया। एक देश दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता था जब वह उनकी सीमाओं का तोड़न का प्रयास करे। इस प्रकार प्रादेशिक राज्य के मूल ढांचे की स्थापना की गई जो वर्तमान राज्य व्यवस्था के सांस्कृतिक समय के दौरान चलता रहा। इस आधार भूमि पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की एक नई व्यवस्था व मान्यताएँ जन्म ले सकती थीं। मगहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रादेशिक राज्य के आधार पर नई मान्यताएँ विकसित की गई।

प्रादेशिकता के परिणामस्वरूप ऐसी मान्यताओं एवं मस्यारों ने जन्म लिया जो आधुनिक राज्य व्यवस्था के पारस्परिक सम्बन्धों की विशेषता है। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून वर्तमान परिस्थितियों में विकसित हो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की भाँति ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून मूलतः विरोधानाश्रय प्राप्त सम्मत्त जाता है क्योंकि यह कानून सम्प्रभु इकाइयों को बाधने का दावा करता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून केवल तभी क्रियान्वित हो सकता है जब सम्प्रभु स्वतन्त्र राज्यों का अस्तित्व रहे। आधुनिक युग में इसका विकास अभी सम्भव है जब यह उनकी प्रादेशिकता को अभिव्यक्त करे और उनकी सम्प्रभुता को स्थान में रखे।

परम्परागत राज्य व्यवस्था की एक अन्य विशेषता शक्ति का अनुलन है। वर्तमान काँच में अनुलन के निर्पेधात्मक पहलुओं के एकपक्षीय रूप पर जोर देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अब इसके सकारात्मक पहलु की धार जोर दिया जाता है जिसके अनुसार एक शक्ति की प्रभाववादी सामर्थ्य का दूसरी शक्ति को पूर्णतः समाप्त करने से रोका जाता है। पुरातन व्यवस्था के रुढ़िवादी रूप की अधिक मौनिक विशेषता उसका समाज के रूप में चरित्र था। उस समय के सभी देश परस्पर एक परिवार की इकाई के रूप में रहते थे। पुरानी व्यवस्था की एक अन्य विशेषता यह थी कि उसमें ऐसे उदाहरणों का प्रभाव था जिनमें युद्ध के कारण अथवा शक्ति राजनीति को घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई देश पूरी तरह समाप्त हो गया हो। राष्ट्रवाद का जन्म

होते ही विश्व समाज की इकाइयों का प्राग्निर्णायक एष राष्ट्रीय समूहों के रूप में व्यक्तिकरण हो गया। कई स्थानों पर राष्ट्रवाद के जन्म के कारण नये राज्यों की उत्पत्ति हुई। यह नये राज्य बहु राष्ट्रीय या उपनिवेशवादी साम्राज्यों से अलग हुए थे।

राष्ट्र राज्यों की व्यवस्था के कारण नई समस्याएँ सामने आयी। प्रथम सुरक्षा के लिए सन्तुष्ट व्यवस्था की आवश्यकता महसूस होने लगी। अथ यह समझा जाने लगा कि पुरानी व्यवस्था का सुरक्षात्मक कार्य केवल सापेक्षिक बरदान था। राष्ट्रवाद ने राज्यों के निरन्तर अस्तित्व का आश्वासन दिया। पुराने और नये राष्ट्रों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई व्यवस्था की मांग की जाने लगी। सबसे सामूहिक सुरक्षा की शक्ति की राजनीति का स्पष्ट विरोधी तत्व नहीं कहा जा सकता, किंतु यह प्रादेशिक राज्यों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने का एक प्रयास था।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही ऐसी प्रवृत्तियाँ सामने आयीं जो परम्परागत व्यवस्था के व्यवहार के लिए खतरनाक थीं। प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रादेशिक राज्य की उस विशेषता पर प्रभाव रखती थीं जो समान प्रकृति के अन्य राज्यों के साथ इसके स्वतन्त्र सह-अस्तित्व की सर्वाधिक गारंटी थी। इनमें से अनेक प्रवृत्तियों का सबसे मुद्द से अथवा मुद्द सचालन के तरीकों से था। सम्पूर्ण मुद्द की स्थिति के कारण राज्यों की परम्परागत सुरक्षा की दीवारें मिटने लगीं। ऐसा होने के बाद मुद्द तथा प्रादेशिक शक्ति और सम्प्रभुता के बीच का संबंध बदल गया। वर्तमान काल के नये तथ्यों को प्रभावशीलता के आधार पर क्रमशः चार भागों में बाँटा जा सकता है। प्रथम, प्राथिक घेरे की सम्भावना, दूसरे, सैद्धांतिक व राजनीतिक प्रवेश, तीसरे हवाई-मुद्द और चौथे अणु-मुद्द। प्रादेशिक राज्य के पतन के बाद सारी सामग्रियाँ और कर्मन निरर्थक बन गये जो दीवार खींच कर तथा खाइयाँ खोदकर जनता की रक्षा का उपदेश देते थे।

राष्ट्र राज्यों की स्थापना (The Establishment of Nation State)

अनेक स्थानों और समयों में विभिन्न जातियों ने जनता के रूप में अपने आपको विलीन कर लिया और जनता राष्ट्रों के रूप में उदित हुई। कुछ राष्ट्रों ने साम्राज्य बना लिये। बाद में साम्राज्य छोटे-छोटे भागों में बँट गये और उनकी जनसंख्या ने बड़ी इकाइयाँ बनाने का प्रयास किया। इस

प्रकार से यह प्रतिक्रिया अधिकांग इतिहास में पायी जाती है। राष्ट्र राज्यों को परम्परागत रूप से अपने सम्बन्ध नियमित करने तथा अपनी सुरक्षा बनाये रखने के लिए स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है और उनके ऊपर कोई सर्वोच्च सम्प्रभु नहीं होता। बीसवीं सदी के प्रारम्भ में संयुक्त राज्य अमरीका और जापान ने अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं में भाग लेना प्रारम्भ किया उससे पूर्व राष्ट्र-राज्य व्यवस्था केवल योरोप तक सीमित थी। उस समय राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के सिद्धान्त को जो आदर प्रदान किया जाता था उसके कारण शक्ति की राजनीति के होते हुए भी राष्ट्रीय व्यवहार पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये। वैसे योरोप की सुरक्षा की भीव मौलिक स्थायित्व और प्रत्येक राष्ट्रीय प्रदेश की सुरक्षात्मकता पर आधारित थी। उस समय प्रत्येक राज्य इतना बड़ा था कि वह अपने नागरिकों को रहने की जगह प्रदान कर सके और आक्रमण का विरोध कर सके। उस समय असीमित प्रसार के लिए न तो अवसर थे और न ही आवश्यकता। इसलिए योरोप के राज्य अपने कार्यों को सीमित युद्ध एवं शक्ति सन्तुलन के प्रयासों आदि के द्वारा विनियमित कर लेते थे।

कुछ विचारकों का कथन है कि १९वीं शताब्दी के योरोप में कुछ छोटे मोटे सभ को छोड़ कर मूलतः एक सुरक्षा का वातावरण व्याप्त था और इस कारण अधिकांश यूरोपीय राष्ट्रों ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी जनता की विषाघों को सगठित करने का प्रयास नहीं किया। योरोपीय शक्तियाँ धीरे-धीरे समुद्र पार के क्षेत्रों में भी बढ़नी जा रही थीं इसमें उनकी सुरक्षा को सहारा मिल रहा था। दूसरी ओर ऐसे भी विचारक हैं जो मानते हैं कि उन्नीसवीं सदी में अनेक नवीन प्रवृत्तियाँ ऐसी थीं जिन्होंने प्रादेशिक राज्य के रूप को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया। इन प्रवृत्तियों ने आत्मनिर्णय का सिद्धांत लागू करने में कठिनाई उत्पन्न की।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद योरोपीय शक्ति व्यवस्था खण्डित हो गई। सन् १९३० के उग्र राष्ट्रवाद ने जो भ्रातृक्रान्ता की स्थिति पैदा की उसका सामना राष्ट्र सभ के सामूहिक सुरक्षा मिडाल द्वारा नहीं किया जा सका। नये राष्ट्रीय राज्यों एवं उनके अल्पमहत्त्वों के बीच मघपं होने लगा और इटली तथा जर्मनी आदि अन्तर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षियों से पूर्ण सभोषणवादी शक्तियों ने शीघ्र ही उसमें हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना इतनी उग्र हो गयी जिसका योरोप में कहीं उदाहरण नहीं मिलता। भौचोगीकरण के कारण उत्पन्न निराशा

घोर प्रसुरक्षा, धर्मवि की सधि का प्रसतोप, साम्यवाद का खतरा एवं वाइमर गणराज्य की क्रियाहीनता मे जर्मनी के लोगो को एडोल्फ हिटलर के हाथो मे सौंपने के लिए प्रेरित किया । हिटलर ने जातीय राष्ट्रवाद के मिद्धान्त का उपदेश दिया जिसके माधार पर जर्मनी के लोगो को अधिका-अधुन्युणं सामाजिक अस्तित्व प्रदान किया जा सके । सन् १९३० के मध्य-काल तक राष्ट्रवाद पर आधारित राजनैतिक व्यवस्था का दिवालिदापन सामने आ गया । प्रथम विश्वयुद्ध के बाद सर्वोच्च शक्तियों के बीच जो मन-मुटाव पैदा हुआ उसने घने क राष्ट्रों के इस दावे की सीमाए सामने रख दी कि वे राजनैतिक सम्प्रभुता की दृष्टि से समान अधिकार रखते हैं । इस धारणा पर आधारित किसी भी विश्लेषण का भी विरोध किया गया । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो मे राष्ट्र राज्य अब भी अमिनेताओं की तरह काम करते रहे किन्तु उनके बीच स्थित शक्ति की असमानता ने उस व्यवस्था का रूप बदल दिया जिसमे राज्यों को समान राजनैतिक इकाई माना जाता है ।

सर्वोच्च शक्तियो तथा अन्य राज्यों के बीच स्थित शक्ति की असमानता के कारण शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था दो गुटों की व्यवस्था (Bipolar System) मे परिवर्तित हो गई । इसके परिणामस्वरूप वर्तमान व्यवस्था मे अस्थायित्व बढ गया है । विरव युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का रूप जिन दो गुटों मे बँटा उनमे शान्ति के लिए किसी प्रकार के समझौते पर पहुँचने की कोई इच्छा नहीं थी तथा सहप्रतिस्तर्य के लिए वे बिस्तुल भी तैयार नहीं थे । इसी स्थिति ने एक लेखक को राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के स्थान पर गुट के कलाकार शब्द का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया है । इस गुटबाजो के काल में यदि सभी नहीं तो अधिकांश देश यह सोचते थे कि उनकी सुरक्षा केवल सभी बनी रह सकती है जबकि वे गुट के प्रभाव-शील या निर्देशक देश की सहमति के अनुसार कार्य करें एवं अपने व्यवहार को एकीकृत कर लें । जब एक बार कोई सदस्य किसी गुट मे शामिल हो जाता है तो उस गुट मे निकलना उसके लिए एक कठिन काम बन जाता है । इसके अतिरिक्त ऐसा करने मे वह सुरक्षा का अनुभव नहीं करता । लचकदार शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था से निम्न दो गुट की व्यवस्था मे प्रत्येक गुट अपने विरोधी को नीचा दिखाने के लिए सदैव संघर्षरत रहता है । इसमे प्रभाव के क्षेत्र तथा प्रत्येक गुट के नए सदस्यों की स्थापना सतरे मे पढ जाती है । यह कहा जाता है कि जब देश ठोले-ठोले रूप से गुट के रूप मे एकीकृत होते हैं तो इनके विभिन्न राष्ट्रीय मूल्य प्रायः मन-मुटाव और असहमति के स्रोत

वन जाते हैं। सन् १९५६ के स्वेज नहर-विवाद में, इस समय के वियतनाम विवाद में तथा अरब-इजरायली सघर्ष में पश्चिमी गुट के विभिन्न देशों ने जो हल अपनाया वह इस बात का प्रतीक है। यहाँ तक कि साम्यवादी गुट में भी इतने मनमुट व और विभिन्नताएँ आ गई हैं कि उनके पारस्परिक सम्बन्ध दो विरोधियों की भाँति कटु बन गए हैं। राष्ट्रीय राज्य की भावना ने यूगोस्लाविया, पोलैण्ड, अलबानिया, चीन आदि राज्यों को अलग अलग रूप से प्रभावित किया है।

दो गुटों की राजनीति के समय अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में राज्यों की दो अतिरिक्त श्रेणियाँ भी वर्तमान थी। पहली श्रेणी असलम्नता की ओर दूसरी निष्पक्ष राष्ट्रों की श्रेणी थी। स्विट्जरलैण्ड और स्वीडन जैसे निष्पक्ष देशों ने यह सोचा कि वे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा अपनी प्राकृतिक शक्ति पर निर्भर रह कर, कर सकेंगे और आक्रमण का विरोध कर सकेंगे। दूसरी ओर भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, अरब सघ आदि असलम्न शक्तियों ने शीत युद्ध की महाशक्तियों के बीच स्वार्थ पर आधारित एक संघर्ष माना और इसमें स्वयं को उलझाने की आवश्यकता महसूस नहीं की। आज-कल गुटबन्दी की व्यवस्था का रूप पर्याप्त बदल चुका है। गुटों में एगता के स्थान पर अनेकता आ गई है और दो गुटों का स्थान विभिन्न क्षेत्रीय रागठनों ने ले लिया है। अणुशक्ति के विकास के कारण राष्ट्र राज्य व्यवस्था पर्याप्त प्रभावित हुई। इसके कारण महाशक्तियाँ और अधिक शक्ति-सम्पन्न बनी हैं तथा अग्रधान देश भी इसे अपनाकर प्रधानता की ओर उन्मुख हो रहे हैं। अणुशक्ति-के विकास ने दो गुट की राजनीति को विरोधी रूप से प्रभावित किया और राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के विकास में एक नया मोड़ दिया।

राज्य व्यवस्था की विशेषताएँ (The Features of State System)

राज्य व्यवस्था को जब व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाता है तो उसकी कई एक विशेषताएँ सामने आती हैं। इनमें से कुछ विशेषताएँ ऐसी हैं जिनको राज्य व्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता। इन विशेषताओं के अभाव में स्वयं राज्य व्यवस्था ही समाप्त हो जायगी। राज्य जब दूसरे राज्यों से सन्धियाँ करता है या वह उनके साथ युद्ध में उलझता है तो इसके पीछे कई एक कारण होते हैं। इन कारणों की प्रकृति एवं प्रसार सामान्य होता है। ये कारण या तब किसी भी राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय

व्यवहार की प्रेरणा प्रथवा आधार होने हैं। पारम तथा पविष्ठ के मतानुसार राज्य व्यवस्था की तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के व्यवहार को संचालित, निर्देशित, नियन्त्रित और प्रेरित करती हैं।¹ प्राणकी परिस्थितियों में भी इन विशेषताओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम किसी अन्तर्राष्ट्रीय घटना का कारण या परिणाम जानने तथा मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें इन विशेषताओं में देखा जाना आवश्यक तथा उपयोगी बन जाता है। इन तीन विशेषताओं में प्रथम राष्ट्रवाद का सिद्धान्त है + राष्ट्रवाद को मनोवैज्ञानिक, तार्किक या भावनात्मक गुण माना जा सकता है। यह एक राज्य के लोगों को एकता के सूत्र में बाधता है और उन बातों का समर्थन करने के लिए उस देश के लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें हम राष्ट्रीय हित कह सकते हैं। राज्य व्यवस्था की दूसरी विशेषता सम्प्रभुता की मान्यता (The Concept of Sovereignty) है। यह एक कानूनी विचारधारा होती है। सम्प्रभुता के द्वारा एक देश को उसके घरेलू मामलों में तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में एक प्रसीमित शक्ति प्रदान की जाती है। राज्य व्यवस्था की तीसरी विशेषता राष्ट्रीय शक्ति का सिद्धान्त (The Principle of National Power) है। राष्ट्रीय शक्ति एक देश की ताकत होती है। इसके द्वारा राज्य को वह कार्य करने की सामर्थ्य प्रदान की जाती है जिन्हें वह करना चाहता है। राष्ट्रीय शक्ति अनेक तत्वों से मिल कर बनती है। ये तत्व दिखाई देने वाले और दिखाई न देने वाले दोनों ही प्रकार के होते हैं। राज्य व्यवस्था की ये तीन प्रमुख विशेषताएँ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की तीन आधार शिखाएँ हैं और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को सुगम एवं ग्राह्य बनाने के लिए इन विशेषताओं का धर्म, प्रकृति, भेद एवं इतिहास जानना अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेगा।

राष्ट्रवाद का सिद्धान्त (The Doctrine of Nationalism)

राष्ट्रीय समाज अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की इकाइयाँ होते हैं। राज्य को इस राष्ट्रीय समाज का राजनैतिक संगठन माना जाता है। पैडलफोर्ड तथा लिंकन (Padelford and Lincoln) के कथनानुसार राष्ट्रवाद विषय की घटनाओं में राजनैतिक परिवर्तन और क्रियाओं की प्रमुख गत्यात्मक शक्ति

1. Palmer and Perkins, op. cit., P 2.

होता है। राष्ट्रवाद यूरोप और अमरीका के राष्ट्रों की रूप रचना में एक प्रमुख तत्व रहा है तथा इसने अनेक युद्धों की जड़ का काम किया है। आधुनिक काल में राष्ट्रवाद ने अन्तीसवीं शताब्दी के यूरोपीय साम्राज्यवाद को समाप्त कर दिया है। राष्ट्रवाद के सहारे ही एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देश सम्प्रभु स्वतन्त्रता के अधिकार का दावा करने लगे हैं। राष्ट्रवाद के माध्यम से एक प्रदेश की जनता ने अपने आपको एकीकृत किया और स्वतन्त्रता प्राप्त की। दूसरी ओर राष्ट्रवाद ने विभाजनशील दृष्टिकोण की रचना को प्रोत्साहित किया है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, संचार एवं सहयोग में प्रतिरोधक का कार्य किया है। राष्ट्रवाद की मान्यता को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन के लिए मूल तत्व माना जाता है। शार्प तथा किर्क (Sharp and Kirk) के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विचार्यों के लिए राष्ट्रवाद की जानकारी उतनी ही अपरिहार्य है जितना एक घर के सारे कमरों में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए उसके मुख्य द्वार की चाबी लेना जरूरी है। वर्तमान काल में यद्यपि प्रादेशिक राज्य एक भौतिक इकाई के रूप में नहीं रह पाया है क्योंकि अणुशक्ति के विकास ने उसकी प्रादेशिक सीमाओं को महत्वहीन बना दिया है। इतने पर भी एक राष्ट्र के लोग अपने राष्ट्र के प्रति पूरी स्वामीभक्ति रखते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का लक्ष्य, व्यवहार, नीति एवं रूप सम्प्रभु राज्यों के व्यवहार का कार्य बन जाए। यदि हम राष्ट्र राज्य व्यवस्था के कार्यों को समझना चाहते हैं तो हमें पहले उन परिस्थितियों को समझना चाहिए जो राष्ट्र राज्य की भौतिक इकाई बना देती हैं। उसके बाद उस प्रभाव की परीक्षा करनी चाहिए जो इन इकाइयों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर रखा जाता है। मैकलेलन, ओल्सन तथा सोन्डरमैन (Mc Lellan, Olsan, and Sondermann) के कथनानुसार यदि मनुष्य राष्ट्रों के रूप में सगठित नहीं होते और अपनी सरकारों की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं होते तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अस्तित्व नहीं होता। राष्ट्रवाद का सिद्धान्त इतना प्रचलित और सामान्य बन चुका है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं से सम्बन्धित किसी गम्भीर वाद-विवाद में इसका उल्लेख न किया जाए तो इसका कारण यही समझा जाता है कि इसके महत्व को समझा जा चुका है। प्रायः प्रत्येक देश के नेता राष्ट्रीय हित को और राष्ट्र के प्रति स्वामीभक्ति को दुनिया की हर चीज से अधिक मूल्यवान समझते हैं।

कमी कमी तो राष्ट्रवाद धर्म और नैतिकता में भी ऊपर उठ जाता है। राष्ट्रवाद में ऐसे जाने वाले विश्वास की मात्रा के आधार पर इसे प्रायः धर्म की सजा भी दी जाती है। कुछ लेखक इसको धर्म-निर्पक्ष धर्म (Secular Religion) कह कर पुकारते हैं। विज्ञान की प्रगति के कारण मनुष्य का धर्म में विश्वास उठ चुका है किन्तु इस नये धर्म अर्थात् राष्ट्रवाद के प्रति उसकी पूरी स्वाधीनता है। जिस प्रकार पहले धर्म के नाम पर जानवरों की हत्या को पवित्र माना जाता था उसी प्रकार आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत के अनेक अमानवीय कार्यों को राष्ट्रवाद के नाम पर उचित सिद्ध किया जाता है।

राष्ट्र और राष्ट्रवाद

(Nation and Nationalism)

अंग्रेजी के नेशन (Nation) शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द नेसियो (Natio) से हुई है जिसका अर्थ होता है 'जन्म या जाति'। आज राष्ट्रवाद केवल जनसंख्या को ही इंगित नहीं करता, भास की राज्यान्तिका के समय राष्ट्र शब्द को बहुत लोकप्रियता प्राप्त हो गई तथा इसका प्रयोग देशभक्ति (Patriotism) के अर्थ में किया जाने लगा, किन्तु हमें यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि राष्ट्रवाद का अर्थ राष्ट्र (Nation), राष्ट्र राज्य (Nation-State), देश-प्रेम (Patriotism) आदि से भिन्नता रखता है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद के अर्थों के बारे में भी प्रायः भ्रम पैदा हो जाता करता है। 'राष्ट्र' शब्द मुख्यतः राजनैतिक पहलू पर जोर देता है तथा एक ऐसे जन-समुदाय का चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है जो राजनैतिक दृष्टि से या तो स्वतन्त्र हो अथवा स्वतन्त्रता पाने के लिए छटपटा रहा हो। दूसरी ओर राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक घारणा है। राजनीति में इसका संबंध होना आवश्यक नहीं है। एक ही सत्त्वर्ति तथा नैतिक मान्यताओं वाले जन समुदाय में एक ही राष्ट्रियता का होना माना जायगा। इस अर्थ में एक राष्ट्र के अन्दर अनेक राष्ट्रियताओं का निवास सम्भव है। अर्थात् यह हा सकता है कि एक राष्ट्रियता विदेशी भाषण के अधीन रह रही हो क्योंकि सप्रभुता एवं स्वतन्त्रता जो 'राष्ट्र' की आत्मा होती है, राष्ट्रियता के अस्तित्व के लिए उतनी आवश्यक नहीं होती। मोवियत रूस तथा ग्रेट ब्रिटेन के उदाहरणों को ध्यान में रखने पर यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। ब्रिटेन एक राष्ट्र है किन्तु उनमें चार राष्ट्रियताएँ निवास करती हैं—अंग्रेज, स्कॉच, उत्तरी आयरिश तथा वेल्स। इस प्रसंग में हेज (C. J. H. Hayes) महोदय का कथन युक्ति संगत है। वे लिखते हैं—“एक राष्ट्रिय राज्य (Nation State) सदा ही

राष्ट्रीयता पर अवलम्बित रहता है, किन्तु राष्ट्रीयता का अस्तित्व राष्ट्रीय राज्य के बिना भी हो सकता है। राज्य मूलतः राजनैतिक होता है जबकि राष्ट्रीयता मुख्य रूप से सांस्कृतिक होती है और संयोगवश वह राजनैतिक हो जाती है।”

राष्ट्रवाद का अर्थ एवं प्रकृति

(The-Meaning and Nature of Nationalism)

राष्ट्रवाद एक भावनारमक तत्व है जो मानवीय व्यवहार में प्रदर्शित होता है। इस भावना से प्रभावित होकर लोग जो नियंत्रण लेते हैं अथवा जो कार्य करते हैं उसके आधार पर राष्ट्रवाद की प्रकृति का एक रेखाचित्र खींचा जा सकता है किन्तु यह रेखाचित्र अत्यन्त धुंधला, अनिश्चित एवं अस्थिर होता है क्योंकि मनुष्य का व्यवहार अध्ययन की दृष्टि से एक अस्थिर अंशक विषय होता है। राष्ट्रवाद की परिभाषा देने वाले विचारक भी यह स्वीकार करते हैं कि इसकी किसी सतोपजनक परिमाप पर पहुँचना बहुत कठिन है। वैसे 'राष्ट्र' हम व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो एकीकरण की भावना से युक्त होता है तथा जिमम दूमरों से पृथक्ता की चेतना रहती है। 'राष्ट्र' को या तो उसके व्यक्तिगत सदस्यों की वस्तुगत विशेषताओं के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है अथवा इन सदस्यों की विषयगत भावनाओं के माध्यम से या दोनों ही तरीकों के संयोग से। अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के राज्य इन्सटीट्यूट ने राष्ट्रवाद पर सन् १९३६ में की गई अपनी रिपोर्ट में इन विशेषताओं का उल्लेख किया है जो सभी में नहीं तो अधिकांश राष्ट्रों में तो पाई ही जाती हैं। ये विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं—

१. राष्ट्र में एक सामान्य सरकार का विचार रहता है चाहे यह वर्तमान या भूतकाल की वास्तविकता के रूप में हो अथवा भविष्य की आकांक्षा के रूप में।

२. समस्त व्यक्तिगत सदस्यों के बीच कुछ घनिष्टता रहनी है। जिन लोगों के बीच इस प्रकार सम्पर्क नहीं रहता वे किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते।

३. धारा बहुत परिभाषित प्रदेश होता है। इजराइल की स्थापना से पूर्व यहूदियों को इस विशेषता का एक अर्थ माना जाता था।

४. कई ऐसी विशेषताएँ भी होती हैं जो एक राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से तथा अन्तर-राष्ट्रीय समूहों से अलग करती हैं। भाषा को इन विशेषताओं में मुख्य माना जाता है। वैसे अनेक अर्थवादी ऐसे हैं जहाँ पर अनेक भाषाएँ होती

जाती है। दूसरी ओर कुछ भाषायें ऐसी हैं जिनको कई राष्ट्रों में बोला जाता है। जाति, धर्म एवं राष्ट्रीय चरित्र आदि कुछ विशेषतायें राष्ट्रीयता की सामान्य विशेषताओं के उदाहरण हैं।

१ राष्ट्र में कुछ हित (Interests) ऐसे होते हैं जो सभी व्यक्तिगत सदस्यों के लिए सामान्य होते हैं। राज्य के साधन द्वारा राष्ट्र अनेक सामाजिक आवश्यकताओं को सतुष्ट करने का कार्य करता है। एक राष्ट्र के होने का अर्थ है अनेक सामान्य हितों का भागीदार बनना।

६ एक राष्ट्र के व्यक्तिगत सदस्यों के मस्तिष्क में राष्ट्र के चित्र से संबंधित सामान्य भावना या इच्छा का कुछ मात्रा में अस्तित्व रहता है।

विषयगत (Subjective) परिभाषायों के अनुसार राष्ट्रवाद मस्तिष्क की एक स्थिति है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक प्रतिनिधि सरकार (Representative Government) में यह बताया है कि एक राष्ट्र के सदस्यों के बीच सामान्य सहभानना रहती है जिसके कारण वे एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए स्वेच्छा से तैयार रहते हैं। वे एक ही सरकार के अधीन रहना चाहते हैं तथा यह इच्छा रखते हैं कि यह सरकार स्वयं उनके द्वारा या उन्हीं के किसी भाग की होनी चाहिये। रेनन (Renan) ने १८८२ में राष्ट्र को एक 'आत्मा' तथा 'सांघात्मिक सिद्धांत' कहा था। पैडलफोर्ड तथा लिंकन (Padleford and Lincoln) के कथनानुसार एक राजनैतिक शक्ति के रूप में 'राष्ट्रवाद' राष्ट्रीयता के विचार के धारे में एक विचारधारा तथा उस विचारधारा के राजनैतिक व्यूहाकरण का राष्ट्रीय राज्य में संयोग है।^१ राष्ट्रवाद की शक्ति का आधार राष्ट्रीय एकता की भावना होती है। यह भावना जाति, भाषा, सामान्य इतिहास एवं अनुभव या धर्म आदि से बनपनी है। राष्ट्रीय राज्य अपने सदस्यों के राजनैतिक एवं सामाजिक संगठन को प्रतिबिम्बित करता है। यह राज्य अपने सदस्यों पर दमनकारी शक्ति रखता है तथा उनके नाम पर उस प्रदेश में सम्प्रभुता का दावा करता है जहाँ पर वे रहते हैं।

राष्ट्रवाद को परिभाषित करने की एक कठिनाई यह भी है कि इसके अनेक रूप होते हैं। मूलतः यह एक भावना है जो राष्ट्रीय चेतना को प्रतिबिम्बित करती है तथा एक व्यक्ति में उसके देश के प्रति स्वामी शक्ति को

1 Padleford and Lincoln, The Dynamics of International Politics, PP. 70-71

प्रेरित करती है। एक व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति वयो स्वाभिमन्त होता है। इसके पीछे अनेक कारण हैं। इसका मूल कारण है कि व्यक्ति अपने राष्ट्र के साथ अपने अच्छे जीवन का एकाकार कर लेता है। वह यह समझने लगता है कि उसका जीवन उस समय अधिक अर्थपूर्ण बन जायेगा जबकि वह अपने राष्ट्र के उद्देश्यों, सफलताओं और यहाँ तक कि असफलताओं में भागीदार बनेगा। राष्ट्रवाद एक ऐसी चेतना है जो लोगों के समूहों के बीच एक डोरे का काम करती है।

बार्कर महोदय ने 'राष्ट्र' को परिभाषित करते हुए राष्ट्र के जिन मूल तत्वों का वर्णन किया है वे हैं—निश्चित भूमि, निवासियों के एक से विचार, एक सा इतिहास, एक सा धर्म, एक सी भाषा, एक सा ही सकल्प और उस सकल्प को साकार करने के लिए एक पृथक राज्य का होना।¹ इस परिभाषा में से यदि राज्य (State) शब्द को अलग कर दिया जाय तो यही परिभाषा राष्ट्र की न रह कर राष्ट्रवाद की बन जाती है।

राष्ट्रियता की दूसरी परिभाषा जिमर्न (A E Zimerin) की है जिनके अनुसार 'धर्म की भाँति राष्ट्रीयता भी आत्मपरक (Subjective) है मनो बंशानक है। यह मन की एक स्थिति है तथा एक आध्यात्मिक धारणा है। यह भावना, विचार और जीवन की एक प्रणाली है।'

जै एव रोज के मतानुसार "राष्ट्रीयता दिलों की एकता का नाम है जो एक बार बन जाती है तो कभी टूटती नहीं।" बोइड शेफर ने अपनी पुस्तक 'राष्ट्रवाद बल्पना और सत्य' (Nationalism Myth and Reality) में यह बताया है कि राष्ट्रवाद की भाँसा में कई चीजें समाहित होती हैं। उदाहरण के लिए प्रदेश की कुछ परिभाषित इकाई सामान्य इतिहास में विश्वास, सामान्य उद्भव में विश्वास तथा यह धारणा कि राष्ट्र का भविष्य महान् होगा, इसके प्रदेश का विस्तार होगा आदि आदि। राष्ट्रवाद के द्वारा एक देश के राजनैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्य सर्वोच्च बन जाते हैं। स्वाभिमन्ति को देशमन्ति के द्वारा मापा जाता है। जी लोय प्राधीन होते हैं उनके लिए राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र राज्य होना है। एक राजनैतिक आदेशन के रूप में राष्ट्रवाद एक देश के लोगों को अपने तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने का अधिकार देता है।

हंस कॉहन (Hans Kohn) के अनुसार राष्ट्रीयता मुख्य रूप से

1 Ernest Barker National Character and the Factors in its Formation 1927, P 17

एक मन स्थिति है, यह अंतरात्मा का कार्य है। स्नाइडर (Snyder) ने भी माना है कि राष्ट्रीयता की जड़े अवचेतन दुनिया में रहती हैं जो तर्कहीन, बुद्धिहीन तथा हवाई निल के समान स्वप्नित होती हैं। स्नाइडर महोदय द्वारा राष्ट्रीयता की जो परिभाषा दी गई है उसे कम धारणाजनक समझा जाता है। इनका कहना है कि राष्ट्रवाद (Nationalism) समय समय पर राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और बौद्धिक तत्वों से प्रभावित होता है। यह ऐसे जन समुदाय के मन, भाव और सवैगों की स्थिति है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, एक ही भाषा बोधता है, जिसके पास राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करने वाला साहित्य होता है, जो एक से रीतिरिवाज और परम्पराओं को मानता है, अपने नेताओं के गुणगान करता है तथा कुछ स्थितियों में एक धर्म में विश्वास करता है।

स्लाइमर (Charles P. Schleichner) महोदय ने राष्ट्रवाद को एक जनसमूह की आत्म-चेतना (Consciousness) नामक जड़ सवैगों का वर्तमान तत्व माना है जो एक व्यक्ति के भाग्य को प्राप्त या अप्राप्त राष्ट्र राज्य के भाग्य के साथ मिलाने में सदैव प्रयत्नशील रहता है।

राष्ट्रवाद की उक्त सभी परिभाषाओं को देखने के पश्चात् हमारे सामने यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीयता का अर्थ एवं प्रकृति क्या है। राष्ट्रीयता की भावना को कभी-कभी युद्ध एवं सघर्षों का कारण भी मान लिया जाता है। इसे अनेक बार विदेशी आक्रमणों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। इस आरोप को पूरी तरह झूठा नहीं बताया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय जगत में कई बार राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध एवं आक्रमण हो पाया करते हैं किंतु आक्रमण या युद्ध राष्ट्रवाद का उद्देश्य नहीं है यह तो इस भावना का दुर्लभयोग ही माना जायगा। सच्चा राष्ट्रवाद प्रारम्भ में एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में प्रयत्नशील रहता है और इसके प्राप्त हो जाने पर उस राष्ट्र के बहुमुखी विकास में लग जाता है।

राष्ट्रवाद की जड़

(The Roots of Nationalism)

राष्ट्रवाद एक भावनात्मक तत्व है जो अपने आपको अनेक प्रकार से सामने लाता है। एक राष्ट्रवादी व्यक्ति अतर्देशक होता है तथा वह बाहरी समूहों के लिए या तो उदासीन होता है अथवा विरोधी होता है। वह अपने देश को सभार का सर्वोच्च देश मानता है। हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी की रच-रग में यह व्याप्त रहता है कि 'सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा।'

कभी कभी उसमें अपने राष्ट्रवासियों के प्रति सेवा के भाव उमर आते हैं। कई बार दो राष्ट्रियताओं के बीच सघर्ष के भाव भी पैदा हो जाते हैं। फ्लोरिया जेनिकी (Florian Znanicki) के कथनानुसार राष्ट्रियताएँ एक दूसरे से उस समय भगडती हैं जबकि एक राष्ट्रियता दूसरी की कीमत पर जानबूझ कर अपना प्रसार करे अथवा दो राष्ट्रियताएँ अपना प्रसार इस प्रकार करें कि दोनों को एक दूसरे के प्रसार में हस्तक्षेप करना पड़ जाये। यह आक्रमणकारी प्रसार, जो आगे चल कर सघर्ष का कारण बनता है, धार प्रकार का हो सकता है—भौगोलिक, आर्थिक, सैद्धान्तिक और सयुक्तीकरण करने वाला। राष्ट्रवाद के अभिव्यक्तिकरण के इन विभिन्न रूपों की प्रखरता इस बात पर निर्भर करती है कि राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति में उप्रता की मात्रा कितनी है तथा उप्रता की मात्रा का निश्चय बहुत कुछ इस बात से किया जाता है कि उसकी जड़ें कितनी गहरी एवं सशक्त हैं।

राष्ट्रवाद की जड़ों से हमारा अर्थ उन अनेक तत्वों से है जो राष्ट्रियता की भावना अथवा राष्ट्रवाद को पनपाते हैं एवं उसको आश्रय प्रदान करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने इन तत्वों का विपद रूप में विवेचन किया है। श्लाइसर (Schleicher) महाशय मानव प्रकृति, भूगोल, जाति, धर्म, भाषा आदि तत्वों को राष्ट्रवाद की जड़ मानते हैं। ये वे तत्व हैं जिनमें राष्ट्रियता की भावना जन्म लेती तथा पनपती है। वैसे इनमें से कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जिसके न होने पर राष्ट्रवाद न रहे किन्तु कई तत्वों के प्रभाव में यह भावना मज्द भवश्य पड़ जायेगी, ठीक इसी प्रकार जैसे कि जड़ कट जाने पर या सूख जाने पर पौधा सूख जाता है। राष्ट्रियता की भावना के इन तत्वों में से किसी का भी अभाव होने पर असतुलन पैदा हो जाता है, सतुलन की पुन स्थापना करने के लिए दूसरे अथवा तत्वों की शक्तिशाली बनाना आवश्यक बन जाता है। राष्ट्रवाद को बनाये रखने वाले एवं बढ़ावा देने वाले तत्व निम्न प्रकार हैं—

(१) भौगोलिक एक्ता (A Definite territory)—भौगोलिक विशेषताएँ एक राज्य के नियासियों में एक्ता की भावना लाती हैं तथा दूसरे समुदायों से उनमें भेद स्थापित करती हैं। एक देश की प्राकृतिक सीमाएँ राष्ट्रवाद को बनाये रखने तथा विस्तृत करने में बड़ी महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। जब इन सीमाओं का कोई दूसरा राज्य प्रतिभ्रमण करना चाहता है तो दोनों देश युद्ध की भाग में झूट पड़ते हैं। चीन के विरुद्ध हिमालय की रक्षा के लिए भारतीयों ने भारी बलिदान दिये हैं तथा अब करने को तैयार हैं। रामजे म्पोर ने लिखा है कि "जिन देशों की सीमाएँ निश्चित हानी हैं उनमें

भौगोलिक एकता भा जाती है और यह तब भी भागिक रूप से वहा राष्ट्रपन (Nationhood) का कारण बन जाता है।¹ मातृभूमि वा होना राष्ट्रवाद की भावना के लिए एक स्थूल आधार प्रदान करता है। इसके अभाव में जिप्सी तथा कजर मारे-मारे फिरते हैं, उनमें राष्ट्रीयता की भावना के विकास का प्रश्न ही नहीं उठता।

भौगोलिक एकता एक ऐसा तत्व है जो अन्य अनेक एकताओं को जन्म देता है। एक ही जलवायु, वातावरण एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच पले व्यक्तियों की शारीरिक विशेषताएँ प्रायः समान होती हैं, उनकी अविकाश समस्याएँ एक ही होती हैं। इसी कारण उनके बीच परस्पर सहयोग एवं सहानुभूति के भाव पनपते हैं। वह पूरे प्रदेश के हित में अपना हित देखता है। प्रायः यह कहा जाता है कि "राजनीति हमें विभाजित करती है, धर्म हमारे बीच बीवार खड़ी करता है, संस्कृति हमें टुकड़ों में बाटती है, पर हमारा देश और धरती का प्यार हमें एक सूत्र में बांध सकता है।" प्रो० हेज इस विचार-प्रवाह का मछली की भाँति विरोध करते हैं। उनका स्वयं का मन यह है कि जातियों के बीच प्राकृतिक सीमाओं का विचार एक कोरी कल्पना है किंतु हम जानते हैं कि हाल के भारत पाक सघर्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि स्वयं हेज (Hayes) महोदय का कथन ही कल्पना था। भारत के मुसलमानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए उतना ही बलिदान किया जितना कि अन्य किसी, धर्म या जाति के भारतीयों ने किया था।

(२) एक-सौ जाति (Common Race)—जाति और राष्ट्रवाद के बीच एक गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रवाद की भावना अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती, यदि उनमें स्थित जातियों तथा वर्गों के बीच गहरा मतभेद बतमान है। जिमने (A E Zimmern) तथा ब्राइस (Bryce) राष्ट्रियता की भावना के विकास में जाति का महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। दूसरी ओर मैजिनो (Mazzino), रेनन (Renan), रोज (J H. Rose) तथा हेज (Hayes) आदि विचारक हैं जो राष्ट्रीयता की भावना पर एक जाति का प्रभाव मानने को तैयार नहीं हैं। इनका तर्क जैसा कि मुसोलिनी भी कहा करता था, यह है कि जीवशास्त्र की दृष्टि से आज कहीं भी कोई शुद्ध जाति नहीं है। पिल्सबरी (Pilsburry) का कहना है कि साधारणतया राष्ट्रीयता के निर्माण में जाति का भ्रम कोई

महत्व नहीं है। किसी भी राष्ट्र में कोई भी शुद्ध जाति नहीं है। प्रत्येक मनुष्य वहाँ शकल है। झालोचको वा मत आशिक रूप से सच है। वास्तविकता तो यह है कि जाति एक भावना है, वास्तविकता नहीं। भारतीय प्रशासन में पक्षपात व भ्रष्टाचार के लिए जातिवाद की बहुत कुछ उत्तरदायी ठहराया जाता है। जाति के नाम पर हिटलर ने अपनी नीतियों पर पूरे जर्मनी का समर्थन प्राप्त कर लिया था। प्रमरीका और दक्षिणी अफ्रीका में जातिभेद व रंगभेद की नीति के कारण अनेकों उपद्रव होते रहते हैं। रोडेशिया की समस्या पर विषय को सर न खपाना पड़ता यदि इज्जान स्मिथ (Jan Smith) भी उन्नी जाति व रंग के होते जिसका वहाँ का बहुमत है। स्पष्ट है जातीय एकता भी राष्ट्रियता की भावना पर प्रभाव डालती है। हेज (Hayes) महोदय के मतानुसार राष्ट्रवाद प्रायः जाति की सीमाएँ तोड़ जाता है किन्तु फिर भी जातीय एकता राष्ट्रियताओं का निर्माण करने व पक्का बनाने में सदैव प्रभावकारी शक्ति रही है।

(३) एक ही संस्कृति (Common Culture)—राष्ट्रवाद को एक सांस्कृतिक धारणा माना जाता है। एक देश में पाये जाने वाले बला, साहित्य, सामान्य परम्पराएँ, लोकगीत, वाच्य आदि कृतियाँ एक बड़े पैमाने पर नागरिकों के बीच एकता की स्थापना करने में बल देती हैं। उदाहरण के लिए हम साहित्य को ले सकते हैं। राष्ट्रमन्त्रिपूण श्रीजस्वा साहित्य ऐसे नागरिक बना सकते हैं जो राष्ट्रीयता के नाम पर खुशी से अपने प्राणों का बलिदान कर दें। स्वतंत्रता से पूर्व भी 'ब-देमातरम्' गीत भारतीयों के हृदय में हिलोरेँ उठा देता था। जोसेफ (B Joseph) महोदय का विचार है कि अंग्रेजों के व्यवहार में कुछ समानताएँ पाई जाती हैं जैसे, चाय पीना, राष्ट्रीय नौबतना पर गर्व करना तथा खेल आदि। ये समानताएँ देखने में तो साधारण ही प्रतीत होती हैं किन्तु इन्होंने राष्ट्रीयता को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया है।

(४) एक ही भाषा (Common Language)—भाषा भाषों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। एक भाषा भाषों का व्यक्ति जब ऐसे प्रदेश में मिलने है जहाँ की भाषा उनसे भिन्न है तो दोनों के दिलों से परस्पर प्यार उमड़ पड़ता है। समान भाषा के प्रभाव में व्यक्ति अपने विचारों को जित रूप में व्यक्त कर सकता था न कर सकेगा और समझने वाला जित

प्रकार समाना सकता है न समझ सकेगा। भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारकों का जब अध्ययन किया जाता है तो अंग्रेजी भाषा को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है जिन्होंने भारत के विभिन्न भाषा-भाषी क्षेत्रों के लोगों में एकता की स्थापना की तथा उसे मजबूत बनाया। अलाइंसर महाद्वय ने भाषा की एकता के निर्माण का एक मुख्य तत्व माना है।

(५) समान धर्म (Common Religion)—एक ही धर्म ही व्यक्तियों के बीच एकता के निर्माण में कितना सहायक होता है इस बात को हम भारतीय दृष्टि से ठीक जानते हैं। अखबार का इतिहास साक्ष्य है कि धर्म के नाम का राजनीतिज्ञों द्वारा प्रारम्भ से ही दुरुपयोग किया गया। अपने साम्राज्यवाद के निर्माण की महत्वाकांक्षाओं को उन्होंने धर्म की सजीवो वेदभूषा से सुनिश्चित कर दिया। जनमाधारण धर्म के नाम की चकाचौंध में पधा होकर एक झट्टे के नीचे आया और विधायियों का खून बहाने में राजनीतिज्ञों का मातहत बन गया।

धर्म और राष्ट्रवाद के बीच बहुत गहरा सम्बन्ध है। इस तथ्य को समझ लेने के बाद ही भारत में राष्ट्रीयता की ज्योति जलाने तथा उसे स्थायी बनाने के लिए ही अनेकों धर्म गुधार आन्दोलन किये गये। अधिकांश संस्थाओं द्वारा हिन्दू धर्म के प्राचीन गौरव का गुणगान किया गया। भारत की भूमि के दो टुकड़े करने वालों के मस्तिष्क में धर्म ही राष्ट्रीयता के प्रधान आधार के रूप में था। धर्म के आधार पर ही आज पाकिस्तान भारत के अधिभ्रमण कश्मीर को हड़पना चाहता है। धर्म के नाम पर ही बहा की जनता सरकार की इन अनुचित नीतियों को सहन करती है। अलाइंसर महोदय का विचार है कि धार्मिक समानता या असमानता से एक राष्ट्र की एकता बढ़ती व कम होती है। सफट काल के समय एक संगठित धर्म प्रायः राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करता है।

राष्ट्रीयता की भावना अथवा राष्ट्रवाद को बढ़ाने, विवक्षित करने एवं बनाने रखने में उक्त तथ्यों का बड़ा महत्वपूर्ण योग रहता है। इसके अतिरिक्त यदि एक जनसमुदाय के धार्मिक हित समान हों, एक मुद्दे शासन के वह अधीन रहे, एक ही समस्याएँ एवं कष्ट उठाने सामने हों तथा एक राष्ट्र बनाने की उमकी इच्छा हो तो उस जनसमुदाय में भीम ही राष्ट्रीयता के भाव पैदा हो जायेंगे।

(६) सर्वधर्म के समय राष्ट्रीय एकता (National Unity in Time of Conflict)—यूरोप में जिस राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसकी रूप रचना

करने में सामन्तवादी एव राजाशाही युद्धों ने महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया है। इन्होंने स्वामिश्रित को मशक्त किया, नेतृत्व को विकसित किया तथा सामूहिक भावना की प्रतिष्ठा की। युद्धों ने लोगों को एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया ताकि वे अपने राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा कर सकें तथा देश की असुरक्षा में हिस्सेदार बन कर एकता की भावना विकसित कर सकें। योरोप के अनेक राष्ट्रों की रचना युद्धों के बाद तथा उन परिस्थितियों के विकसित होने पर हुई जिन्होंने कि अठारवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों में राष्ट्रवाद के विकास का समर्थन किया। अमरीका में राष्ट्रवाद का उदय १८१२ के युद्ध, मैक्सिकन युद्ध तथा पश्चिमी सीमा पर सघर्ष आदि के बाद हुआ। मैक्सिकन युद्ध ने मैक्सिको में भी राष्ट्रवाद की प्रोत्साहन दिया। भारत में अनेक जातियों एव धर्मों के अस्तित्व के कारण राष्ट्रीय एकता की समस्या रहती है और इस समस्या का सतोपजनक समाधान अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है किन्तु फिर भी यहाँ सफ़ट के समय जो एकता दिखाई देती है वह अद्वितीय होती है। सन् १९६२ के चीन के आक्रमण के समय तथा सन् १९६५ के पाकिस्तानी आक्रमण के समय भारत की जनता अपने धार्मिक, जातीय, भाषाई, वर्गीय, क्षेत्रीय आदि समस्त भेदभावों को भूल कर एक स्वर से सरकार की नीति का सहारा बन गई। पेडलफोर्ड तथा लिंकन का यह कथन पूर्णतः सत्य है कि युद्ध और आक्रमण की घमकी प्रायः प्रत्येक जगह राष्ट्रीय भावनाओं को उभारने में तथा नये राष्ट्रों की रचना में महत्वपूर्ण तत्व रहते हैं।^१ इस बात के उदाहरणों की इतिहास में कमी नहीं रहती। जब पलेस्टाइन (Palestine) को विभाजित करके इजरायल राज्य बनाया गया तो मय, सदेह एव शत्रुता के कारण यहूदियों एव अरबियों के बीच लड़ाई प्रारम्भ हो गई। इस सघर्ष के परिणामस्वरूप अरब और यहूदी दोनों का राष्ट्रवाद पर्याप्त बनपा है।

(७) राष्ट्र का आदि भौतिक रूप (The Metaphysical Form of Nation)—जब दार्शनिकों, विचारकों एव लेखकों ने राष्ट्र की प्रकृति को आदि भौतिक रूप में वर्णित किया तो सामान्य जनता पर इसका भारी प्रभाव हुआ। एक भावना के रूप में राष्ट्रियता का आधार 'विश्वास' होता है। बुद्धि के स्तर पर लाने से यह भावना समाप्त या प्रभावहीन हो जाती है। इसके विपरीत विश्वास को जितना मशक्त बनाया जायेगा यह भावना भी उतनी ही विकसित होगी। यही कारण है कि जब विद्वानों ने राष्ट्र के

ईश्वरीय गुणों की कल्पनात्मक दृग् से वर्णित किया तो इस धर्म में लोगों का विश्वास दृढ बन गया। जर्मनी में फिच्टे (Fichte) तथा इटली में मेजिनी (Mazzini) आदि दार्शनिकों ने यह बताया कि राष्ट्र की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। यह ज्ञानि एव सहयोग की ईश्वरीय योजना का एक भाग है। हीगल ने इसको आध्यात्मिक अणु रचना (Spiritual Organism) माना तथा रेनन (Renan) ने इसको आत्मा, एक आध्यात्मिक सिद्धांत कहा।

(८) राष्ट्रवाद और उसके प्रतीक (Nationalism and its Symbols)—एक राष्ट्रियता के लोच प्रपने आपको एक रूप तभी समझ सकते हैं जबकि सामूहिक संचार एव समुत्कीकरण की व्यवस्था हो। यह व्यवस्था प्रतीकों के माध्यम से तथा संचार की कला के विकास द्वारा की जा सकती है। कला, साहित्य, मसूहगान एव संगीत के द्वारा ऐतिहासिक स्मृतियों को मजबूत एव अमिट बनाया जाता है और इस प्रकार उनको एक विशेष राष्ट्रीय धर्म तथा स्वेय प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय नेताओं एव महापुरुषों के यशोगान द्वारा राष्ट्रीय भावना का प्रसार होता है। भारत में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, अमर्गिका में वाशिंगटन, जैफरसन तथा निकन; इटली में मेजिनी और गारीवाल्डी (Garibaldi), फ्रांस में नेपोलियन बगलैड में नेक्सन आदि नेताओं के गुणगान द्वारा राष्ट्रियता की भावना को एक समति में प्रविष्ट किया जाता है। राष्ट्रीय महत्व के दर्शनीय स्थल, धार्मिक पर्व एव उत्सव अनेक समाधिया आदि राष्ट्रियता के विचार का प्रसार करती हैं अनेक नारे जैसे—स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व या सत्य, शिव, सुन्दरम् राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, तथा भौतिक पाशाक आदि के माध्यम से एक राष्ट्र के लोगों में परस्पर अपनत्व की भावना पनपती है।

(९) राष्ट्रीय चरित्र और जीवन का तरीका (National Character and Way of Life)—यह कहना बहुत कुछ सत्य है कि राष्ट्रों का अर्पना एक विशेष राष्ट्रीय चरित्र होता है तथा उनके जीवनयापन का एक विशेष तरीका होता है। एक प्रदत्त वातावरण कुछ ऐतिहासिक अनुभव, साम्राज्य एव क्रांती सत्याग्रहों का एक निश्चित रूप आदि बातें सामूहिक एकता की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जब एक समूह समान क्षेत्रीय सीमाओं में बहुत समय तक रहता है तो उसमें राष्ट्रीय चरित्र के कुछ विशेष लक्षण विकसित हो जाते हैं। यह भी हो सकता है कई राष्ट्रों के एक जैसे मूल्य तथा लक्ष्य हो। राष्ट्रीय जीवन का तरीका यह निश्चित

करता है कि एक राष्ट्र अपनी समस्याओं को हल करने के लिए क्या तरीका अपनायेगा।

राष्ट्रवाद का ऐतिहासिक विकास (The Historical Development of Nationalism)—यह कहा जाता है कि राष्ट्रीयता के विचार की जड़ें इतिहास में निहित हैं किन्तु फिर भी वर्तमान राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवाद का जन्म पश्चिमी दुनियाँ में मध्यवीं और अठारहवीं शताब्दियों में हुआ था। २० वीं शताब्दी की घटनाओं ने राष्ट्रवाद की मान्यता को गति प्रदान की तथा स्पष्ट हो गया कि हर जगह के लोग चाहे वे सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विकास के किसी भी स्तर पर क्यों न हों, इसको अपना सकते हैं। आज राष्ट्रवाद का जो रूप हमें प्राप्त होता है उसका विकास कई एक सोपानों में होकर गुजरा है। जिस सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा जागो में राष्ट्रीयता की भावना पनपती है तथा एक माय रहने की चेतना तथा अपनत्व की भावना आती है वह बहुत पहले ही प्रारम्भ हो चुकी थी। वैसे निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि फ्रांस और इंग्लैंड कब राष्ट्र-राज्य बन गये और उन्होंने राजा या महारानी की अपेक्षा राष्ट्रीय स्वायत्तता का कब अपनी भावनाओं पर आश्रित किया। राष्ट्रीयता की भावना के विकास में अनेक तत्वों ने प्रभाव डाला है जैसे—सुधरी हुई संचार व्यवस्था, बढ़ते हुए सामाजिक सम्पर्क, आर्थिक लाभों की आशा तथा दमन के सामान्य तरीके का विकास आदि। राष्ट्रवाद अपने आप ही प्रकट नहीं हो गया था क्योंकि भावनाओं के बीच व्यक्तियों के दिलों में ही प्रस्फुटित होते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन के दौरान जनसंख्या नये विचारों को अपनाने की दिशा में उरमुक्त बन जाती है तथा नये नेताओं द्वारा जब उसे आश्वासित भूमि को प्राप्त करने की ओर संचालित किया जाता है तो राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। राष्ट्रवाद के विकास की प्रारम्भिक स्थिति में क्रियाशील अल्प-संख्यकों को तथा नए नेताओं को सजग प्रयास करना होता है। जब निष्क्रिय बहुमत का विश्वास राष्ट्रवाद से प्रभावित हो जाता है तो वह मूल्यों एवं स्वायत्तता की नयी व्यवस्था अर्थात् राष्ट्रवाद को सह्य अपना लेता है। इस प्रकार राष्ट्रवाद की जड़ें धार्मिक तत्वों पर आधारित हैं। जब एक बार राष्ट्रीय चेतना की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है तो सांस्कृतिक सिद्धान्तों एवं सामान्य अनुभव की विरासत द्वारा एक राष्ट्रीय एकता की विरासत के द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जाता है।

राष्ट्रीयता की प्रकृति का एक धर्म के रूप में होना भी इसके विकास में एक प्रभावशील तत्व रहा है। प्रत्येक राष्ट्र में राष्ट्रवाद एक बहुत बड़े

बहुमत के लिए प्राधुनिक धर्म बन गया है क्योंकि यह उसके लिए मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक रूप में सुरक्षा व अच्छा जीवन-प्रस्तुत करता है। राष्ट्र के प्रति स्वामिभक्ति का कारण मनोवैज्ञानिक, प्राथिक, राजनैतिक, मानवीय या कुछ भी हो सकता है किन्तु इन कारणों का विकास भी ऐतिहासिक कालक्रम की ही उपज है। राष्ट्रवाद की भावना से प्रभावित होकर ही लोग क्षेत्रीय अथवा विश्व संगठन के लिए अपनी स्वामिभक्ति प्रदान कर सकते हैं किन्तु ऐसा केवल तभी होगा जबकि इससे उनकी राष्ट्रीय स्वामिभक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आती।

राष्ट्रवाद के प्रकार (Types of Nationalism)—राष्ट्रवाद के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से एक बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि राष्ट्रवाद पहले फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्पेन आदि पश्चिमी योरोप के देशों में फैला और उसके बाद यह शेष योरोप एवं पश्चिमी देशों में धीरे-धीरे व्याप्त हुआ। अन्य महाद्वीपों में तो इसका प्रवलन प्राधुनिक काल में ही हुआ है। जिस प्रकार समाजवाद या व्यापार संधवाद या अन्य कोई विचार अथवा सस्या समय-समय अपना रूप बदलती रही है, उसी प्रकार राष्ट्रवाद का अर्थ भी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा है। एक समय राष्ट्रवाद का अर्थ कुछ और था तो दूसरे समय की बदली हुई परिस्थितियों में यह कुछ और हो गया। इतिहास के एक काल में राष्ट्रवादी व्यक्ति से कुछ और भाषा की जाती थी तो दूसरे काल में कुछ और। ऐसी स्थिति में जब कभी राष्ट्रवाद के बारे में सामान्यीकरण कर दिया जाता है तो पर्याप्त भ्रम पैदा हो जाता है।

राष्ट्रवाद के सम्बन्ध में कोई भी सामान्यीकरण करने से पूर्व यह जरूरी है कि उसके विभिन्न रूपों तथा उनके मध्यस्थित अन्तरों की जानकारी प्राप्त कर ली जाये। प्रसन्न में राष्ट्रवाद का अर्थ समझने के लिए भी हमें उसकी परिभाषाओं का अध्ययन करने की अपेक्षा उसके रूपों का वर्णन करना चाहिए। राष्ट्रवाद को अनेक प्रकार का बताया जाता है। कुछ लोग राष्ट्रवाद को अच्छी चीज मानते हैं जबकि दूसरे इसे एक बुरी भावना कहते हैं, कुछ के मतानुसार राष्ट्रवाद का रूप सृजनात्मक होता है जबकि दूसरों के अनुसार इसका रूप विध्वनात्मक है। विचारकों के बीच भौतिक या आध्यात्मिक चेतन या अचेतन राष्ट्रवाद के रूपों के सम्बन्ध में भी मतभेद है। हैन्स काहन (Hans Kohn) ने राष्ट्रवाद के रूपों का बर्गीकरण भौगोलिक आधार पर किया है। वे पश्चिमी जगत में प्राप्त राष्ट्रवाद और पश्चिमी जगत से बाहर प्राप्त राष्ट्रवाद के बीच अन्तर करते हैं। इस अन्तर के आधार पर ही

यह देलना सम्भव होता है कि गैर योरोपीय क्षेत्रों में राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया पर पड़न वाला सांस्कृतिक प्रभाव एवं विरोध क्या थे। वैसे राष्ट्रवाद का अध्ययन प्रत्येक देश के अनुसार भी किया जा सकता है किन्तु यह प्रक्रिया जटिल तथा भ्रम पूर्ण है। राष्ट्रवाद के अध्ययन का एक मूल्यवान दृष्टिकोण कालक्रम के अनुसार इसकी जानकारी प्राप्त करना समझा जाता है। कालटन हेज (Carlton Hayes) ने राष्ट्रवाद के विकास के पांच स्तरों का वर्णन किया है। पाचों ही स्तरों पर राष्ट्रवाद का रूप अलग अलग था और इन रूपों की विशेषतायें भिन्न भिन्न थीं। य रूप हैं—

१. मानवतावादी राष्ट्रवाद (Humanitarian Nationalism)
२. उदार राष्ट्रवाद (Liberal Nationalism)
३. प्रजातानायक राष्ट्रवाद (Jacobin Nationalism)
४. परम्परागत राष्ट्रवाद (Traditional Nationalism)
५. एकीकृत राष्ट्रवाद (Integral Nationalism)

राष्ट्रवाद के प्रथम चार प्रकार अठारहवीं शताब्दी में उत्पन्न हुए। मानवतावादी राष्ट्रवाद का प्रभाव १८वीं शताब्दी के दौरान रहा। फ्रांस की क्रांति के समय प्रजातानायक राष्ट्रवाद के रूप का प्रभाव था। १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में परम्परागत राष्ट्रवाद और १९वीं शताब्दी के मध्यकाल में उदार राष्ट्रवाद का प्रभाव रहा। राष्ट्रवाद के अन्तिम रूप अर्थात् एकीकृत राष्ट्रवाद को मुख्य रूप में बीसवीं शताब्दी की उत्पत्ति कहा जाता है। यह राष्ट्रवाद सम्पूर्णवादी राज्यों की नीतियों का समर्थन करता है वैसे इसके अनेक समर्थक ऐसे भी रहे जो कि मंचन होकर सम्पूर्णवादी राज्यों का समर्थन नहीं करते। अनेक प्रजातन्त्रवादी राज्यों में इसके लक्षण दृश्यने को मिलते हैं।

उदार राष्ट्रवाद का जन्म काल १७वीं और अठारहवीं शताब्दी के सगम को माना जाता है। ये दोनों शताब्दियाँ जागरण के युग या बुद्धि का युग मानी जाती हैं। इस युग के दार्शनिक, जैसे—मोटेस्यू, वाल्टेयर, लॉक, रुमा एवं जेफरसन आदि राजा व देवीय अधिकारों को सामान्यवादी विचारों का विरोध करने थे तथा इनका विचार था कि मनुष्य को प्राकृतिक कानून द्वारा प्रामाणिक होना चाहिए क्योंकि अधिकार तथा सामाजिक एवं राजनैतिक उत्तरदायित्वों का स्रोत प्राकृतिक अधिकार ही है। ये विचारक मविधानवाद एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देने थे तथा राष्ट्र-राज्य के अस्तित्व को व्यक्तिगत प्रणय विकास के लिए अपरिहार्य मानते थे। इन विचारकों की रचनायें पारम्पर्य उदार या मानवीय राष्ट्रवाद के स्रोत मानी जा

सकती है और इस प्रकार इनमें प्रजातन्त्रात्मक विचार के बीज उपलब्ध थे। स्वतन्त्रता के प्रमरीकी घोषणापत्र में जेफर्सन (Thomas Jefferson) भी भाषा ने इन मान्यताओं को राजनैतिक अभिव्यक्ति प्रदान की। इस घोषणापत्र में सभी व्यक्तियों की समानता पर जोर दिया गया तथा स्वतन्त्रता, जीवन एवं प्रसन्नता आदि को व्यक्ति के ऐसे अधिकार बताया गया जो कि उससे छीने न जा सकें। सरकार का तद्देश्य इन अधिकारों की रक्षा करना है तथा सरकार की शक्ति का यौन प्रशासितों की स्वीकृति है। जब कभी सरकार इन लक्ष्यों के विपरीत व्यवहार करे तो जनता को यह अधिकार है कि इसे समाप्त करके नई सरकार की रचना करे। सरकार की नींव के सिद्धान्त तथा इसकी शक्तियों के संगठन का रूप इस प्रकार का होता है कि वह जनता की सुरक्षा और प्रसन्नता को प्रभावित कर सके। उदार राष्ट्रवाद उम ममाव की अभिव्यक्ति है जो राष्ट्रवाद के मूल्यों को अन्य लोगों के लिए उपलब्ध बनाने हेतु अत्म-चेतन रूप में लग जाना है। जब यह ममाव स्वतन्त्रता और आत्म-निर्णय के मूल्यों को दूसरों तक पहुंचाने का निर्णय ले लेता है तो इसका दृष्टिकोण सत्तावादी एवं प्रसारवादी बन जाता है।

१९वीं शताब्दी के माथ ही राष्ट्रवाद का यह रूप भी समाप्त हो गया। राष्ट्रवाद के इस रूप का समर्थन करने वाले विचारक उच्च बौद्धिक स्तर के तथा शान्तिवादी थे। किन्तु योरोप में इस काल में प्रतिक्रियावादियों का प्रभाव था इसलिए शान्तिपूर्ण साधनों से इन लक्ष्यों को प्राप्त करना सम्भव न हो सका। प्रो० हेज के कथनानुसार उदार राष्ट्रवाद असफल हो गया क्योंकि यह योरोप की राज्य व्यवस्था को अपने शांतिवाद के आदर्श को बलिदान किये बिना राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं कर सका। इसलिए सड़ार्डे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को राजनैतिक राष्ट्रवाद में परिवर्तित करने का एक व्यावहारिक साधन बन गई। १९वीं शताब्दी के अन्त में तथा २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में महाशक्तियों के बीच सघर्ष बढ़ने लगा। यह सघर्ष व्यापारिक, औद्योगिक, शैक्षिक आदि अनेक कारणों पर आधारित था। ये शक्तियाँ अपने मित्रों के लिए, अपने उपनिवेशों के लिए तथा अपनी समुद्र शक्ति की उच्चता दिखाने के लिए लड़ती रहती थीं। ऐसी स्थिति में उदार राष्ट्रवाद असामयिक बन गया और इसका स्थान सम्पूर्णतावादी राष्ट्रवाद द्वारा ल लिया गया।

जेकोबियन (Jacobian) या प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवाद १७९२ की कन्वेंशन द्वारा प्रारम्भ किया गया तथा इसे नेपोलियन द्वारा अपनाया गया। यह राष्ट्रवाद सरकार के परम्परागत रूपों को तथा अनर्वादीय यथा स्थिति (Status-quo) को बदलने का एक आक्रमणकारी साधन बताया जाता है। पामर

तथा परकिन्स के कथनानुसार कुछ ग्र्यों में यह क्रान्तिकारी एव प्रजातन्त्रात्मक था। मैन्ललन तथा ग्रन्थ ने कर्नल नासिर के अरब एकता के प्रयासों को जेकोवियन राष्ट्रवाद का आधुनिक सस्करण कहा है क्योंकि कर्नल नासिर मिश्र की नई व्यवस्था के लक्ष्य को ग्रन्थ अरब राज्यों तक फैलाना चाहता है। प्रोफेसर हेज़ का मत है कि राष्ट्रवाद का यह रूप केवल एक सीमित एव कार्यकारी रूप में ही प्रजातन्त्रात्मक कहा जा सकता है। विकास के क्रम में जेकोवियन राष्ट्रवाद अधिक से अधिक शीनिक होता चला गया। इसका उद्भव प्रजातन्त्रात्मक रूप में हुआ था किन्तु बाद में इसने नेपोलियन की तानाशाही का मार्ग पशस्त किया। नेपोलियन जैसे स्वयं राष्ट्रवादी नहीं था किन्तु इसने राष्ट्रवाद के भङ्गे को उठाया और इसी के नीचे अधिकांश योरोप पर प्राप्त की मेनाग्रो का नेतृत्व किया तथा हमारे देशों की जनता की स्वतन्त्रता का हरण किया। बाद में राष्ट्रवाद की शक्ति ने ही उसकी शक्ति को समाप्त किया।

नेपोलियन के आक्रमणों के कारण उसके विरोधियों में राष्ट्रवाद का जो रूप पनपा उसे प्रोफेसर हेज़ ने परम्परागत राष्ट्रवाद का नाम दिया है। यह जेकोवियन राष्ट्रवाद का ठीक विपरीत था। यह प्रजातन्त्रात्मक न होकर कुलीनतन्त्री था। इसकी प्रकृति विकासशील एव रूढ़िवादी थी। इनने यथास्थिति को बदलने या नष्ट करने की अपेक्षा उसकी सुरक्षा का प्रयास किया। यद्यपि यह जेकोवियन राष्ट्रवाद के विरोधी के रूप में विकसित हुआ था किन्तु बाद में चल कर इसका स्वरूप हिंसात्मक हो गया। वाटरलू की लड़ाई में परम्परागत राष्ट्रवाद का प्रभाव देखने में आया। रूस का जार सन् १८१५ में परम्परागत राष्ट्रवाद की आशा के रूप में उदित हुआ। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फ्रांस परम्परागत राष्ट्रवाद का समर्थक रहा। इस समर्थन के पीछे मूल कारण यह था कि वह जर्मनी के सामने अपनी राष्ट्रीय शक्ति के कम होने की भावना से पीड़ित था। संयुक्त राज्य अमरीका में जेकोवियन राष्ट्रवाद को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। सोवियत संघ बहुत पहले से ही राष्ट्रीयता के आन्दोलन का समर्थक रहा है किन्तु उसका दृष्टिकोण इसके प्रति विशेष प्रकार का था। स्टालिन के कथनानुसार राष्ट्रवाद को किसी राष्ट्र की कृपक या मजदूर जनता का आत्मनिर्णय का अधिकार समझना चाहिए। यह उस देश की पूजोवादी जनता का अधिकार नहीं है। आत्मनिर्णय का सिद्धांत समाजवाद के लिए संघर्ष के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए तथा इसे समाजवाद के सिद्धांतों के मान्य रहना चाहिए।^१

1 Quoted in Isaac Deutscher, Stalin: A Political Biography, Oxford University Press, London, 1935, P. 185

एकीकृत राष्ट्रवाद का रूप परम्परागत राष्ट्रवाद का ठीक उल्टा है। इसमें व्यक्ति अपना व्यक्तित्व खो देता है तथा समाज का प्रतिस्तरण एक जीवन एक प्रमुख लक्ष्य बन जाता है। राष्ट्रवाद का यह रूप अधिक गत्यात्मक तथा प्रसारवादी होता है। एकीकृत राष्ट्रवाद प्रायः समाज के सम्पूर्णतावादी संगठन की व्यवस्था करता था तथा सभी नागरिकों पर राष्ट्रीय सर्वोच्चता के नाम पर प्रभुत्व रखने का कार्यक्रम बना देता है। इस राष्ट्रीयता से प्रभावित लोगों से किस प्रकार के अनर्शाहीय व्यवहार की आशा की जानी चाहिए यह बात अधिक अस्पष्ट नहीं है। एकीकृत राष्ट्रवाद बीसवीं शताब्दी की विशेषता है। चार्ल्स मोरेस ने एकीकृत राष्ट्रवाद का अर्थ स्पष्ट करत हुए बताया है कि यह राष्ट्रीय नीतियों की एक प्रत्यक्ष योजना है तथा यह राष्ट्रीय शक्ति की निरन्तर वृद्धि है। एक राष्ट्र जब सैनिक शक्ति खो देता है तो वह स्वयं भी समाप्त होने लगता है।¹ मोरेस ने त्रिम आन्दोलन का सूत्रपात किया वह फ्रांस में एकीकृत राष्ट्रवाद को फँसाने का आधार बन गया है। यह आन्दोलन अनेक तरीकों से मिलकर बना था, जैसे बोनापार्टवाद, शाही विचारों का प्रभाव प्रान्तवाद एवं कैथोलिकवाद आदि। इस आन्दोलन ने वर्साय की संधि को फ्रांस के लिए एक बेइज्जती माना तथा उस मुसोलिनी की प्रशंसा की जो वास्तव में फ्रांस का दुश्मन था। इसने फ्रांस की तथा स्पेन की सत्तावादी सरकार का समर्थन किया और साथ ही विदेशी सरकार का पक्ष पोषण किया। मोरेस (Maurras) प्रजातन्त्र विरोधी तथा अंग्रेज विरोधी होने के साथ-साथ जर्मनों का भी पक्का विरोधी था। अपने विनाश के दिनों में फ्रांस के हितों की रक्षा का नारा बुलन्द किया। युद्ध के बाद एक फ्रांसीसी न्यायालय ने उस पर राजद्रोह का दाय लगाया और उसे जीवन-पर्यन्त कारावास का दण्ड दिया गया। घृणा की राजनीति (Politics of Hate) के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है।

सम्पूर्णतावादी राष्ट्रवाद (Totalitarian Nationalism) के विकास के लिए उदार राष्ट्रवाद द्वारा मार्ग प्रतस्त किया गया था। १९वीं शताब्दी के अन्त में मजबूत राष्ट्रीय सरकारों का उदय हुआ तथा जो ही राष्ट्रवाद ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए सामाजिक रचना में प्रवेश करना प्रारम्भ किया त्यों ही अनेक राष्ट्र कम उदार बन गये तथा अधिक राष्ट्रवादी हो गये। उदार राष्ट्रवादियों ने एक ऐसी विश्व व्यवस्था के गठन का प्रयास किया जिसमें ऐसी स्वतन्त्र सवैधानिक सरकारें हो जो व्यक्तिगत सम्पत्ति

1. Maurras, quoted in Hayes, Historical Evolution, P. 165.

और स्वतन्त्र उद्यम की रक्षा कर सकें तथा स्वतन्त्र व्यापार की अनुमति प्रदान कर सकें। इस प्रकार दो विश्व युद्धों के बीच के समय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षावाद एवं आर्थिक राष्ट्रवाद का विषय बन गया। प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्रवाद के रूप निर्धारण में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। घमेल में राष्ट्रवाद इस युद्ध का कारण भी था और परिणाम भी। एक कारण के रूप में राष्ट्रवाद ने राजनीतिज्ञों का मार्ग प्रशस्त किया तथा युद्ध के लिए लोगों के मस्तिष्क को बनाया। यह विश्व युद्ध न केवल राष्ट्रवाद में प्रसारित ही हुआ था वरन् इसने आर्थिक व्यापक राष्ट्रवाद का नेतृत्व भी किया।^१ वेडिनफोर्ड तथा लिचन का कहना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ में साम्यवाद का उदय, इटली में फासीवाद की स्थापना तथा जर्मनी में राष्ट्रीय समाजवाद का अग्र्युदय आदि ने राष्ट्रवाद की सम्पूर्णतानादी व्यवस्था की स्थापना की। इन सभी ने राज्य को शक्ति को सर्वोच्च साधन माना तथा व्यक्तिगत अधिकारों को उसके मातहत रखा। उदार राष्ट्रवादियों के मानवतावादी विचारों का स्थान तानाशाही शासन ने ले लिया। जर्मनी में सम्पूर्णतावाद ने नाज़ी शासन की पार्श्वविक्रता के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इटली में भी बेनिटो मुसोलिनी तथा उनके काली कमीज वाले फासिस्टों ने तानाशाही शासन स्थापित किया। जर्मनी में यह राष्ट्रवाद यहाँ तक पहुँच गया कि सभी लोगों को खून की प्यास तथा आश्रमणकारी युद्धों को जीवन का वांछित लक्ष्य मानने के लिए बाध्य किया गया। राष्ट्रवाद के इस रूप का नशा केवल उनी समय ढीला ही पाया जबकि सत्तार विश्व युद्ध में पुनः उलझ गया तथा मानव का वर्षों तक रक्तपात हो गया। सम्पूर्णतावाद का एक अन्य उदाहरण, जो आज भी प्राण होता है, साम्यवादी देशों के राष्ट्रवाद को माना जाता है। सोवियत संघ उसके पड़ोसी देश तथा जल चीन इसी प्रकार के राष्ट्रवाद से प्रभावित हैं।

पामर तथा परकिन्स का कहना है कि साम्यवाद को सम्पूर्णतावादी राष्ट्रवाद का एक रूप मानना शब्दों का विरोध है क्योंकि साम्यवाद कोई राष्ट्रीय घम नहीं है वरन् यह एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन है किन्तु फासीवाद ऐसा नहीं था।

साम्यवाद और राष्ट्रवाद (Communism and Nationalism)

सैद्धांतिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन होते हुए भी व्यावहारिक रूप

मे साम्यवादी शासन व्यवस्था अधिकारिक राष्ट्रवादी हो गई है। रूस के नेताओं ने एशिया में राष्ट्रवाद के उदय की नीतियों को अपनाया जो कि उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध थी। इनसे साम्यवाद को वहाँ की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के साथ एकाकार करने में सफलता प्राप्त हुई। इन महाद्वीपों के साम्यवादी नेताओं ने राष्ट्रीय भावोंसर्वों को अपने हाथ में ले लिया अथवा उसका अपने हित में उपयोग किया।

राष्ट्रवाद के प्रति सोवियत रूस का एक विशेष दृष्टिकोण रहा है। बोलशेविक क्रांति के कुछ समय बाद ही लेनिन ने सोवियत संघ की विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लिए आत्मनिर्णय की एक घोषणा प्रसारित की। रूसीकरण करने की आरंभही नीतियों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। रूस की लगभग १५० राष्ट्रीयताओं को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की स्वीकृति प्रदान की गई किन्तु राजनैतिक रूप से वे सभी सरकार और साम्यवादी दल की आजादों के आधीन थीं। स्टालिन ने गणराज्यों की स्वायत्तता को समाप्त कर दिया तथा अपने विरोधियों को समाप्त किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी की सेनाओं ने रूस के पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लिया तो रूस के लोगों से उनकी मातृभूमि की रक्षा के लिए धीरज की गई। उस समय साम्यवाद या विश्व क्रांति का विचार पीछे रह गया। इस समय स्टालिन ने सोवियत रूस की सेनाओं में यह आशा प्रकट की थी कि हमारे पूर्वजों का साहसपूर्ण चित्र युद्ध में उन्हें प्रेरित करे। जब साम्यवाद की सुरक्षा का नारा विरोध को प्रोत्साहित करने के लिए अपर्याप्त सिद्ध हुआ तो स्टालिन ने मातृदेश के लिए असीमित स्वामित्व की दुहाई दी। रूसी इतिहास के भूले हुए नेताओं की याद को ताजा किया गया, सत्तावादी जारों तक का गुणगान हुआ राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक प्रकार का प्रयास किया गया।

सोवियत देशभक्ति में मार्क्सवाद-लेनिनवाद की विचारधारा तथा रूस के ऐतिहासिक चरित्रों का अद्भुत समन्वय है। देश भक्ति की भावना का प्रसार प्रेस, रेडियो, साहित्य, प्रतीक एवं उन सभी माध्यमों से किया जाता है जो राज्य एवं दल की सामर्थ्य के अन्तर्गत हैं। सोवियत रूस का विश्व की साम्यवादी क्रांति का नेतृत्व करने का दावा यहाँ के प्रखर राष्ट्रवाद की ही प्रतिनिधित्व माना जाता है।

मार्शल टोलो ने जब मास्को की आधीनस्थता स्वीकार करने से मना कर दिया तो एक नया लक्ष्य सामने आया। यूगोस्लाविया एक ऐसे देश का जीला जागता उदाहरण बन गया जो साम्यवादी की अपेक्षा राष्ट्रवादी अधिक

था। शेष साम्यवादी संसार से अलग होने के बाद मार्शल टोटो ने मुख्य रूप से अपने देश के राष्ट्रवाद पर मरोसा किया तथा गैर-साम्यवादी देशों से सहायता प्राप्त की।

साम्यवाद का राष्ट्रवादी रूप पूर्वी यूरोप में उस समय देखने को मिला जबकि स्टालिन की मृत्यु के बाद रूस-चीन विवाद गम्भीर बन गया। मार्शल टोटो के बाद अन्य साम्यवादी देश भी उतनी स्वतंत्रता पर जोर देने लगे जिसे स्टालिन कभी भी देने के लिए इच्छुक नहीं था। सन् १९५६ की बीसवीं कांग्रेस में जब ख्रुशचेव ने स्टालिन के अपराधों का भण्डाफोड किया तो पोलैण्ड तथा हंगरी आदि देशों में राष्ट्रीय आन्दोलन मड़के। इमरेनेगो (Imre-Nagy) के नेतृत्व में जब गैर-साम्यवादी नेता सरकार में आ गये तथा हंगरी ने वार्मा सन्धि को मानने से मना कर दिया तो सोवियत टैंक एव सेना ने हंगरी को रौंद डाला। फलतः इस देश के राष्ट्रवादी दवा दिये गये किन्तु विश्व वहाँ के देशमक्ती एव स्वतन्त्रता प्रेमियों के बलिदान की स्मृतियों को कभी नहीं भुला सकता।

रूमनिया में राष्ट्रवाद की भावना के प्रभाव ने नौकरशाही के नियंत्रण को कम किया तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एव साम्यवाद को प्रोत्साहित किया। यहाँ के राष्ट्रीय साम्यवादी अपनी सीमाओं पर स्थित सोवियत सशस्त्र सेनाओं की धमकी के प्रति सजग थे तो भी उन्होंने इस नीति का अनुगमन किया। पूर्वी योरोप के साम्यवादी शीघ्र ही यह जान गये कि वे रूस पर कितने आश्रित हैं तथा विश्व राजनीति में कितनी अनिश्चिन्ता पाई जाती है।

चीन में जिस राष्ट्रवाद का विकास हुआ वह एक राष्ट्र राज्य के राजनैतिक विचारों पर आश्रित होने की अपेक्षा आचार शास्त्र के तत्वों पर निर्भर है। यहाँ के लोगों में सर्वोच्चता का एक परम्परागत दृष्टिकोण है जिसके परिणामस्वरूप यह देश अपनी मूल भूमि का अधिक से अधिक प्रसार करना चाहता है। साम्यवादी चीन अपनी सीमाओं के बाहर दक्षिण एशिया में सोवियत केन्द्रीय एशिया के कुछ भागों में, सोवियत जलसेना प्रान्तों में तथा ताईवान आदि में अनेक प्रदेशों पर अपना दावा करता है। चीन का यह विश्वास है कि कोई न कोई देश सदैव ही उसका विरोधी रहना है। कल्पसू-सियसवाद का स्थान आज माधोवाद ने ले लिया है तथा यह चीन का एक मुख्य सिद्धान्त बन गया है।

सोवियत रूस तथा साम्यवादी चीन के बीच अनेक सिद्धान्तिक बातों में तीव्र मतभेद हैं। भावसंवादी दृष्टवाद, धार्मिक प्रगति के कार्यक्रम तथा

पश्चिमी शक्तियों ने प्रति नीतियों के विषय में इन दोनों देशों के मित्र एवं विरोधी विचार हैं। यह मतभेद अनेक कारणों से बनपा है जैसे आर्थिक विकास एवं औद्योगीकरण के अन्तर तथा उनकी क्रान्तियों की वयस्कता आदि। इस संघर्ष के मूल कारणों में राष्ट्रवाद भी एक है। मास्को तथा पीकिंग के बीच की वार्ता दोनों देशों के सर्वोच्चता के दावे को सामने रखती है। रूस-चीन विवाद की जड़ में राष्ट्रीय महत्वाकांक्षायें, गर्व ऐतिहासिक शत्रुता आदि घटमान हैं।

साम्यवादी देशों का रौर-साम्यवादी देशों के साथ जो सम्बन्ध है उससे उनके सम्मान, शक्ति एवं प्रभाव की राष्ट्रवादी विशेषतायें स्पष्ट रूप से झलकती हैं। कुछ विचारकों का यहां तक कहना है कि साम्यवादी राज्यों में जो मनमुटाव है तथा रूस एवं चीन के बीच जो खुला संघर्ष है उसके देखने के बाद यह शक होने लगता है कि पहले राष्ट्रीय साम्यवादी नीतियां राष्ट्रीय लक्ष्यों की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के हित में प्रेरित थीं भी भयवा नहीं।

राष्ट्रवाद का नया रूप (The New form of Nationalism)

राष्ट्रवाद की जिस शक्ति ने योरोपीय शक्तियों को एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों में साम्राज्य बनाने के लिए प्रेरित किया था उसी शक्ति ने उनके उपनिवेशों को सम्पत्त कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका में जो राष्ट्रवादी क्रान्ति फैली उसकी कुछ अपनी विशेषतायें थी जो उसको उदार एवं सम्पूर्णतावादी राष्ट्रवाद से अलग करती थी। इसकी प्रथम विशेषता यह थी कि स्वतन्त्रता एवं आत्म-सम्मान पर यह बहुत जोर देता था। दूसरे, यह इस बात पर जोर देता था कि राजनैतिक एकता को मान्यता प्रदान की जानी चाहिये। तीसरे, धरेलू नीतियां निर्धारित करने के लिए यह स्थानीय नेताओं को स्वतन्त्रता प्रदान करने के पक्ष में था। उपनिवेशवादी शासन की पुन स्थापना को रोकने की दृष्टि से उपनिवेशवाद का विरोध अब भी नये राष्ट्रवाद की विशेषता बना रहा। ये देश उन सरकारों तथा बड़े निगमों की नीतियों को सदेह की दृष्टि से देखने लगे जो बाजार से कच्चा माल या नवीन सुविधायें प्राप्त करने का प्रयास करते थे।

उपनिवेश विरोधी आन्दोलन के सफल हो जाने के बाद यह निश्चित नहीं रहता था कि प्राप्त की गई स्वतन्त्रता का स्थायित्व बना रहेगा।

अफ्रीका के अनेक देशों को इस बात का अनुभव है कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद उन्हें किस राजनैतिक कमजारी आन्तरिक असंतोष, शोषण एवं दबावों का सामना करना पड़ा। चीन जैसे साम्यवादी देश अफ्रीका के देशों की स्थिति को आग्नि की आर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। ये देश नवोदित एवं स्वतन्त्रता प्राप्त देशों के मामलों को शीघ्र ही अपने हाथों में लेने का प्रयास करते हैं।

नये स्वतन्त्रता प्राप्त देशों के नेता एवं समूह पर्याप्त प्रभावशील होते हैं किन्तु इन देशों का राष्ट्रवाद कमजोर होता है। जिन देशों में लोगों का जीवन परिवार, जाति, गांव, वर्ग आदि के आधार पर बटा रहता है वहाँ राष्ट्रीय चेतना जागृत करना बड़ा कठिन बन जाता है। इन देशों में उपनिवेशवाद का विरोध राजनैतिक एकाग्रता एवं समानता के अतिरिक्त कुछ ही मूल्य ऐसे होते हैं जिनमें सभी का विश्वास हो।

पश्चिमी योरोपीय एवं उत्तरी अटलांटिक क्षेत्रों में राष्ट्रवाद उस संस्कृति में मिला दिया गया जिसे औद्योगिक आग्नि द्वारा पहले ही बदला जा चुका था। यह राष्ट्रवाद उन सभी मूलों का स्थान देता है जिनमें सभी सामाजिक वर्गों का विश्वास है। अधिकांश अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जहाँ कि स्वतन्त्रता एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर जोर देने का कोई आधार ही नहीं है तथा कुछ ही अनीत के चरित्र ऐसे हैं जिनका गुणगान करके राष्ट्रीय भावना को जागृत किया जा सके। मध्यपूर्व एवं एशिया के अनेक भागों में राष्ट्रवाद का समर्थन मध्यम वर्ग एवं बौद्धिक, व्यावसायिक तथा राजनैतिक वर्ग द्वारा किया जाता है। अधिक्षित किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या राजनैतिक दृष्टि से उदासीन रहती है। नये देशों की अधिकांश राजनैतिक एवं आर्थिक संस्थाएँ स्वदेशी नहीं हैं वरन् पूर्व प्रशासकों से ग्रहण की गई हैं।

हाल ही में स्वतन्त्रता प्राप्त देशों में से अधिकांश में राजनैतिक विकास के लिये उपनिवेशवादी शक्तियों ने किसी प्रकार की योजना नहीं बनाई। इनके विपरीत उन्होंने राजनैतिक गतिविधि को हतोत्साहित किया तथा स्वदेशी नेताओं को जेल में रखा। ऐसी स्थिति में यह स्वभाविक है कि इन देशों की स्थानीय परिस्थितियाँ प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं हों और न ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकें। जिन राजनैतिक एवं आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से एक प्रजातन्त्रात्मक एवं बहुलवादी समाजवाद कार्य करता है, वे एक सम्ये सामाजिक विकास का परिणाम होती हैं। यही

कारण है कि इनमें से अधिकांश देशों में सत्तावादी तानाशाही सरकारें कायम हो गईं। केवल कुछ ही देश ऐसे हैं जहाँ पर राष्ट्रीय सरकार में योगदान की परम्परा लागू की गई या व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई है। इन देशों में जातीय स्वामिमत्ति की बड़े काफ़ी गहरी हैं। महा विदेशियों तथा केन्द्रीय नियंत्रण को सदेह की दृष्टि से देखा जाता है। इन कारणों से प्रजातन्त्रात्मक राजनैतिक संस्थाओं का विकास रुक जाता है।

नया राष्ट्रवाद यह निश्चित नहीं करता कि धार्मिक विकास किस रूप में किया जाना चाहिये। उपनिवेशवाद तथा विदेशी प्रभाव के डर से ये देश विदेशी सामान, योग्यता एवं पूँजी की डर की भावना से देखते हैं और इस प्रकार धार्मिक विकास में बाधा पहुँचाते हैं।

नये राष्ट्रवाद में नेतृत्व का मुख्य स्थान है। नये राष्ट्रवाद से सम्बन्धित कुछ नेताओं ने अपने व्यक्तित्व में अनेक रहस्यमय विशेषताएँ समाहित कर ली हैं। यदि इन देशों में सार्वजनिक शिक्षा के आधार पर प्रजातन्त्र का विकास न किया गया तो यह नेतृत्व तानाशाही बन सकता है। अज्ञान, गरीबी तथा उत्तरदायी सरकार में अनुभव का अभाव आदि बातें क्रांतियों एवं बलवों का कारण बनती हैं तथा तानाशाही की नियुक्ति का आधार प्रस्तुत करती हैं। एक दलीय शासन के होने पर रहस्यमय नेतृत्व एक नये देश के लिये नामकारी भी हो सकता है और नुकसानदायक भी। इस प्रकार का नेता प्रायः अपने आपको महत्वपूर्ण मान लेता है तथा यह सोचता है कि उसके देश के लिए क्या सबसे अच्छा है यह ध्यान वह सदैव जानता है। नेतृत्व का यह रूप उस देश के लिये स्वामाविक होता है जो सक्रमण काल में होकर गुजर रहा है तथा जहाँ अधिकांश जनसंख्या प्रशिक्षित है। इतने पर भी इसके भविष्य में राजनैतिक एवं धार्मिक कठिनाइयाँ बढ़ सकती हैं।

एशिया और अफ्रीका के अधिकांश नेताओं ने पश्चिम में शिक्षा प्राप्त की है तथा वहाँ उदारवाद का अध्ययन किया है किन्तु फिर भी उनका विश्वास है कि यह व्यवस्था एवं स्वतन्त्र उच्चम व्यवस्था उनके देश के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ सामाजिक एवं धार्मिक समस्याएँ अधिक तथा तात्कालिक महत्व की हैं जिनको समाजवादी व्यवस्था द्वारा ही मुलभामा जा सकता है। इस व्यवस्था में सरकारी नियंत्रण एवं नियंत्रण आवश्यक बन जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से सोवियत संघ ने इन देशों में राष्ट्रीय आन्दोलनों

का समर्थन करना प्रारम्भ कर दिया है। साम्यवादी चीन ने भी इन देशों की उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के साथ मिल कर चलना प्रारम्भ कर दिया है। रूस एवं चीन आदि देशों द्वारा इन देशों के विद्यार्थियों को पूरा ध्यय देकर आमंत्रित किया जाता है। उनके विचारों को साम्यवादी रंग में रंग दिया जाता है और इस प्रकार उनको उनके देश में आन्ति क लिए प्रयास करने को कहा जाता है।

राष्ट्रवाद के उक्त रूपों के क्रम एवं नामकरण के सम्बन्ध में सभी विचारक एक मत नहीं हैं। क्विन्सी राइट (Quincy Wright) ने राष्ट्रवाद के पाँच रूपों का वर्णन किया है। ये हैं—मध्यकालीन राष्ट्रवाद (Mediaeval Nationalism), राजतन्त्रीय राष्ट्रवाद (Monarchical Nationalism), क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद (Revolutionary Nationalism), उदार राष्ट्रवाद (Liberal Nationalism) तथा सर्वाधिकारवादी राष्ट्रवाद (Totalitarian Nationalism)। राष्ट्रवाद के इन विभिन्न रूपों में आर्थिक राष्ट्रवाद को कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया है। स्नाइडर (Snyder) महोदय राष्ट्रवाद को कालक्रम के अनुसार चार भागों में विभाजित करते हैं। ये हैं—एकीकृत राष्ट्रवाद (Integrated Nationalism) १८१५-७१, विच्छिन्न राष्ट्रवाद (Disruptive Nationalism) १८७१-९०, आक्रमणकारी राष्ट्रवाद (Aggressive Nationalism) १९००-४५ तथा वर्तमान राष्ट्रवाद (Contemporary Nationalism) १९४५ से अब तक।

राष्ट्रवाद का मूल्यांकन (Evaluation of Nationalism)

राष्ट्रवाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इतना रम चुका है कि उसे अलग करके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को नहीं समझा जा सकता। राष्ट्रवाद के समर्थक और आलोचक दोनों ही हैं। एक ओर तो ये विचारक हैं जिनके मतानुसार राष्ट्रवाद की भावना एक जनसमुदाय के लिए बरदान के समान है। इन विचारकों को राष्ट्रवाद में केवल शुष्ण और अच्छाईयाँ ही दृष्टिगत होती हैं। दूसरी ओर विचारकों का एक ऐसा समुदाय बनता जा रहा है जो राष्ट्रवाद की भावना को मानवता के लिए अभिशाप मानता है। ये विचारक मुख्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के समर्थक हैं। दोनों ही पक्षों द्वारा अपने-की तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं।

(१) राष्ट्रवाद एक बरदान है—राष्ट्रवाद की भावना को रूस, चीन, सूत्र की उपमा प्रदान कर सकते हैं जो बिखरे हुए मुसलों को इकट्ठा करके

एक मान्य का रूप प्रदान करता है। मनुष्य-मनुष्य के बीच शारीरिक व मानसिक अनेको प्रकार की असमानताएँ पाई जाती हैं। इन असमानताओं के होते हुए भी सामूहिक हित के लिए वे व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलाजलि देने के लिए तैयार होते हैं, यह केवल राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने पर ही सम्भव होता है।

राष्ट्रवाद एक देश के लोगों में उनकी सहृदयता, सम्यता, साहित्य, कला आदि के प्रति गर्व की भावना का उदय करता है। उनमें आत्म सम्मान के भावों को जाग्रत करता है। प्रतीति की गौरव-नाथाएँ मविष्य के निर्माण की प्रेरणाएँ बन जाती हैं। राष्ट्रवाद के प्रभाव में एक देश के निवासियों के दिलों में जो हीनता की भावना भा जाती है उसके होते हुए यह देश प्रगति नहीं कर सकता। वह अपनी स्वतन्त्रता भी अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रख सकता।

राष्ट्रीयता की भावना साम्राज्यवाद के बन्धनों को काटने में रामबाण का कार्य करती है। साम्राज्यवादी देशों का सदैव यही प्रयास रहता है कि पराधीन देश में जहाँ तक सम्भव हो, राष्ट्रीयता की भावना का विकास न होने दिया जाय क्योंकि राष्ट्रीयता प्रायः स्वतन्त्र राज्य की मांग करती है।

राष्ट्रीयता के दो रूप हैं—एक नकारात्मक (Negative) और दूसरा सकारात्मक (Positive)। अपने सकारात्मक (Positive) रूप में राष्ट्रीयता की भावना एक देश के बहुमुखी विकास में प्रयत्नशील रहने के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों के साथ सहयोग व सहानुभूति के साथ रहने का भी प्रयास करती है।^१

राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक तत्त्व है। व्यक्ति की अनेक मानसिक प्रवृत्तियों को राष्ट्रवाद के उपवन में आश्रय प्राप्त होता है जो अपने विकृत रूप में समाज विरोधी भी सिद्ध हो सकती है।

(२) राष्ट्रवाद के छतरे—राष्ट्रवाद का दूसरा पक्ष इतना मयकर है कि उसकी तुलना में राष्ट्रवाद की अन्धझाड़ियों वाला पलटा शोचनीय रूप में हल्का पड़ जाता है। आज तक वे इतिहास में जो लड़ाइयाँ लड़ी गयीं; यदि हम उनके मूल कारणों की खोज करें तो पायेंगे कि सबके मूल में मिलती-जुलती सी ही भावनाएँ थीं। ये ही राष्ट्रवाद के विचित्र रूप थे।

1. Schlicker, International Relations, PP. 67-68

राष्ट्रवान अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व करना ही नहीं सिखाता वरन् यह दूसरे देशों की उपलब्धियों पर जलन करना भी सिखाता है। इस जलन के परिणामस्वरूप दूसरे देश को बर्बाद करके अपने आपको समृद्ध करने की दृष्टि से उस देश पर आक्रमण किये जाते हैं। भोपण नर सहार होता है। सदियों की सचिit सभ्यता, संस्कृति एवं कला की विरासतें इन युद्धों की भाग की आहुति बन कर स्वाहा हो जाती हैं। प्रो० हेज (Hayes) ने राष्ट्रीयता की आलाचना इसी आधार पर की है। यह हमको अपने राष्ट्र या जाति के बारे में अभिमान या गर्व करना सिखाता है तथा दूसरे राष्ट्रों के प्रति तुच्छता और विद्वेष के भाव भर देता है।

राष्ट्रीयता की भावना साम्राज्यवाद की प्रेरक व पालक है। यह देश को आक्रमणकारी बना देती है, उसे असहनशील बना देती है। इसी कारण इसे एक बुराई के रूप में तिरस्कृत किया जाता है। हेज के मतानुसार राष्ट्रवाद के दो रूप हैं, एक है—ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में तथा दूसरा है विश्वास के रूप में। हेज के विचारानुसार विश्वास के रूप में राष्ट्रीयता और कुद्व नहीं वरन् एक अभिशाप है। मानवतावादी, अन्तर्राष्ट्रीयतावादी एवं विश्ववन्धुत्व में विश्वास रखने वाले प्रायः सभी विचारक राष्ट्रवाद को अपने मार्ग का एक रोड़ा मानते हैं जिसे हटाना परम आवश्यक है। १९वीं शताब्दी के एक रूसी दार्शनिक व्लादीमीर सोलोवी (Vladimir Solovyev) के मतानुसार राष्ट्रवाद अपने उग्र रूप में राष्ट्र को ही समाप्त कर देता है। यह मनुष्य जाति का शत्रु है। विक्टर गोलेन्ज (Victor Gollanz) ने लिखा है कि मैं सभी बुराइयों से घृणा करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि राष्ट्रवाद से मुझे सबसे अधिक घृणा है।

जॉन ड्रिवेट (John Drewett) ने लिखा है कि कट्टर राष्ट्रवाद मूर्तिपूजा के समान होता है। यह—देश प्रेम के स्थान पर राज्य की पूजा कराना चाहती है। दूसरा की घृणा पर आधारित यह उनके अस्तित्व की एक विरलन घमकी है। वर्तमान विश्व में समान रूप से इसी प्रकार का राष्ट्रवाद पाया जाता है। यह हमारे विश्व की समझने योग्य विशेषता है। आगे उन्होंने कहा है कि 'राष्ट्रीयतावाद अनुरक्षा और हीनता की भावनाओं पर बनपता है और इसीलिए युद्ध तथा अशान्ति के समय इसे फैलाने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है।' ड्रिवेट (Drewett) महोदय राष्ट्रवाद को मनुष्य का एक दूसरा धर्म (Man's other religion) मानते हैं। उनके मतानुसार मनुष्य की तीन मौलिक आध्यात्मिक आवश्यकतायें होती हैं —

- (१) एक उद्देश्य का ज्ञान (A sense of purpose)
- (२) महत्व की आवश्यकता (Need for Significance)
- (३) सुरक्षा की आवश्यकता (Need for Security)

धर्म में इन तीनों आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य थी किन्तु आज धर्म में से विश्वास उठ गया। बुद्धि का गुण मा गया है, धर्म निर्पेक्ष राज्य बढने जा रहे हैं, साम्यवादी देगो ने तो धर्म की हत्या ही कर डाली है। यही कारण है कि इन तीनों मूल आवश्यकताओं को राष्ट्रवाद की मावना के माध्यम में जाना पडा। वहा इनकी पूर्ति हुई। राष्ट्रवाद व्यक्ति को तीन मुख्य कारणों से प्रभावित करता है—

(१) यह राष्ट्रीय समुदाय की सेवा करने का स्पष्ट उद्देश्य उसके सामने रख देता है।

(२) राष्ट्रवाद व्यक्ति को यह सोचने के अवसर देता है कि व्यक्ति के जीवन का भी कुछ महत्व है।

(३) राष्ट्रवाद व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके भयने हिज का रक्षक व्यक्ति भकेला हो नहीं वरन् पूरा राष्ट्र है।

राष्ट्रवाद में लिनने भी गुण हो किन्तु यह भन्तराष्ट्रीय शान्ति के सर पर सर्वत्र सटरी रहते वाली डेमोक्रेसी की तनवार की तरह है। यह विश्व सरकार के माय में सबसे बडी बाधा है। पामर तथा परकिंस ने राष्ट्रवाद को हमारे युद्ध की एक महान समस्या स्वीकार किया है।

राष्ट्रीय आत्म-निर्णय का सिद्धान्त (Principle of National Self-determination)

इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीयता को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह स्वयं ही (आत्म) यह निर्णय ले कि क्या उसे पृथक से अपने लिए एक राज्य बना लेना चाहिये अथवा बिना राज्य में यह इस समय है उनी में उसको रहना चाहिये। कुछ विचारकों के मतानुसार प्रत्येक राष्ट्रीयता को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार स्वशासित, सम्प्रमुत्ता-सम्पन्न राज्य की स्थापना कर ले। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्रीयता के पास उसका अपना एक राज्य हो जायगा। इस सिद्धान्त के समर्थकों का यह कहना है कि यदि एक ही राज्य में कई राष्ट्रीयताओं के व्यक्तियों को रखा गया तो वह राज्य अपने नागरिकों की समान नक्ति प्राप्त करने में बदारि

सफल नहीं हो सकेगा। प्रायेण दिन उद्भव तथा भगडों के कारण प्रांतीय शान्ति खतरे में पड़ जायगी। इसे दूसरी तरह भी देखा जा सकता है अर्थात् यह माना गया कि यदि एक ही राष्ट्रियता के लोग एक राज्य में न रहकर अनेक राज्यों में रहें तो उनका विकास उतना तथा उतने समय में नहीं हो सकता जो उनके एक ही राज्य में निवास करने पर हो सकता था। इन विखरी हुई राष्ट्रियताओं को प्रायः विकलाक सामाजिक संगठन (Dismembered Social Organisation) की सजा प्रदान की जाती है। विकलाक व्यक्ति की भाँति ऐसा समाज निष्क्रिय बन जाता है या बहुत धीमी गति से विकास के मार्ग पर कदम बढ़ाता हुआ चलता है। यही कारण है कि विभिन्न विचारकों द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि राज्य तथा राष्ट्रियता की सीमाएँ एक ही होनी चाहिये। मिल (J S Mill) के मतानुसार ऐसा होना स्वतन्त्रता के हित में है।

दूसरी ओर विचारकों का एक ऐसा समुदाय भी है जो राष्ट्रिय आत्मनिभरता के सिद्धान्त का विरोध करता है। इन विचारकों ने अपने पक्ष के समर्थक में तर्क प्रस्तुत किये हैं। यह कहा जाता है कि इस सिद्धान्त को मान लेने पर विश्व में सघर्ष तथा भगड़े छिड़ जायेंगे क्योंकि वे राष्ट्रियताएँ जो इस समय एक राज्य के अधीन मुक्त एवं आनन्द से जीवन-यापन कर रही हैं अपना पलग राज्य बसाने की माग करेंगी। गृह-युद्ध बढ़ जायेंगे और इस प्रकार यह सिद्धान्त देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाने की अपेक्षा उसे खण्डित कर देगा।

इन विचारकों का दूसरा तर्क, जैसा कि जोसेफ ने भी माना है, यह है कि राष्ट्रियता और राज्य दो भिन्न चीजें हैं, इनको एकाकार करने का प्रयास निरर्थक एवं अनुपयोगी है। एक राज्य में अनेक राष्ट्रियताएँ आसानी से रह सकती हैं जैसा कि ब्रिटेन और सोवियत रूस में देखा जा सकता है। इसी प्रकार एक राष्ट्रियता भी अनेक देशों में विखरी रह सकती है। सारे मुसलमान पाकिस्तान में ही नहीं बँठ गये हैं वे विश्व के अन्य देशों में भी बिखरे पड़े हैं, इनकी देश-भक्ति की भावना के बारे में शका नहीं की जा सकती। भारत पाक युद्ध में भारत की ओर से लड़ने वाले मुसलमान सैनिक अपने देश के लिए व अपनी मातृभूमि के लिए म्रुन बहा रहे थे, उनके दिलों में भारत के प्रति देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। उन्होंने यह जानने की चेष्टा न की कि दुश्मन की राष्ट्रियता क्या है। दुश्मन विदेशी है और आक्रमणकारी देश का नागरिक है, यही जानना उसके लिए काफी था। राष्ट्रियता का अर्थ, जैसा कि जोसेफ ने भी माना है, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन

में स्वाधीनता से है। भारत जैसे धर्म निरपेक्ष राज्य में सभी राष्ट्रीयताओं को रहने की स्वाधीनता है। इन उदाहरणों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि अनेक राष्ट्रीयताएँ एक ही राज्य में शांति व सहयोग के साथ निवास कर सकती हैं तथा उनमें से प्रत्येक अपने राष्ट्रीय जीवन का पालन कर सकती हैं।

इन तर्कों के आधार पर जोसेफ (Bernard Joseph) ने माना है कि एक राष्ट्रीयता एवं एक राज्य का सिद्धान्त एक सतरनाक सिद्धान्त है जो विश्व की प्रगति में मुख्य बाधा है। लार्ड एक्टन (Lord Acton) ने इस सिद्धान्त को समाजवाद के सिद्धान्त से भी अधिक भयंहीन तथा अपराधमूलक बताया है।

इस सिद्धान्त के मन्बन्ध में विचारकों का एक तीसरा समुदाय और भी है जो उक्त दोनों पक्षों के बीच का मार्ग अपनाता है। इस समुदाय के विचारकों का मत है कि अधिकार एकांगी नहीं होते, उनके साथ कुछ कर्त्तव्य भी जुड़े रहते हैं। साथ ही अधिकार किसी की दौती नहीं होते वे तो कुछ शर्तों पूरी करने के बाद स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। हॉकिंग ने कहा है कि किसी भी राष्ट्रीयता अथवा जाति को यह जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह एक राज्य बन ही जाय। रामजेम्बोर ने इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा है कि मोटे तौर पर ही यह बात सही है कि प्रत्येक राष्ट्र या जाति को स्वाधीनता और एकता का अधिकार होता है। व्यक्तियों की भाँति राष्ट्रों या जातियों को भी अपने अधिकारों का अर्जन करना होता है।

डा० ब्राशीर्वादिम के मतानुसार कोई भी राष्ट्र स्वतन्त्र या सम्प्रभु बने इससे पहले उसे निम्न शर्तें पूरी करनी चाहिए—

(१) उसमें अपनी सम्पत्ति की व्यवस्था करने की और अपने प्राकृतिक साधनों तथा पूँजी का विकास करने की क्षमता होनी चाहिये।

(२) उसे अच्छे कानूनों का निर्माण तथा न्याय की उचित व्यवस्था करनी चाहिये। देश से बाहर के न्यायालयों में जाने की आवश्यकता न रहे।

(३) वह एक उपयुक्त ढंग की सरकार बनाये।

(४) उसे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिये।

(५) यात्रा, व्यापार आदि करने की स्वतन्त्रता देनी चाहिये।

(६) वह विदेशी आक्रमणों से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो।

उक्त पूर्व शर्तों को पूरा करने पर ही एक राष्ट्रीयता को स्वतन्त्र व

सम्प्रभु राष्ट्र बनाने का अधिकार प्रदान किया जा सकता है। इसके अभाव में दिये गये अधिकार का दुष्योग भी हो सकता है।

सम्प्रभुता की मान्यता (The Concept of Sovereignty)

राष्ट्रवाद की भाँति सम्प्रभुता भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक आवश्यक तत्व है। सम्प्रभुता राज्य के उन तत्वों में प्रधान है जिसके अभाव में राज्य का अस्तित्व भी खतरों में पड़ जाता है। मेकल्वेन (Mc Ilwain) के शब्दों में यह वह केन्द्रीय सूत्र है जिसके अधीन हम हमारे राजनैतिक जीवन के उनमें हुये तत्वों को बौद्धिक बनाने का प्रयास करते हैं।¹ सम्प्रभुता के रूप, प्रकृति एवं अर्थ के बारे में विचारकों में मर्मकय नहीं है। इसके सन्ध में सबसे अधिक विवाद तथा भ्रमों की स्थिति है।

सम्प्रभुता का अर्थ

अंग्रेजी भाषा के शब्द Sovereignty (सम्प्रभुता) की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द 'Superanus' से हुई है जिसका अर्थ है सर्वोच्च (Supreme)। सम्प्रभुता के सिद्धान्त की प्रारम्भिक व्याख्या करने वाले में बोदा, हॉम्स, लॉक व रूसो का नाम उल्लेखनीय है। प्राच्युनिक काल में जेलोनेक (Jellneck), दुग्वी (Duguit), केलसन (Kelsen) और लास्की ने सम्प्रभुता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं। सम्प्रभुता के ये विभिन्न विचारक अलग-अलग कर्मों की भाँति ये त्रिनमें डल कर सम्प्रभुता की समय-समय पर नये रूप मिलते रहे। कभी इसने स्वैच्छाचारी राजा का समर्थन किया तो कभी जनतान्त्रिक सरकार का, कभी इसका रूप अन्तर्राष्ट्रीय बन गया तो कभी यह उग्र राष्ट्रवाद की उत्तेजक बनी। बहुलवादी विचारकों ने तो इसका अस्तित्व ही मिटा देने का बीड़ा उठाया था। कोकर (Coker) महोदय के मतानुसार राजनीति शास्त्र में कोई भी शब्द इस प्रकार से विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त नहीं किया गया है।

सम्प्रभुता की वर्तमान विचारधारा का जन्मदाता १६वीं सदी का राजनैतिक विचारक बोदा (Jean Bodin) था, बोदा के अनुसार सम्प्रभुता नागरिकों पर और प्रजा पर एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जिस पर कानून का

निपटण नहीं होता। सम्प्रभुता के रूप की व्याख्या करते समय बोदा के भक्तिष्क पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव था। उस समय उसने जैसा आवश्यक समझा उसी रूप में सम्प्रभुता को परिभाषित किया। सम्प्रभुता को इस परिभाषा के दो महत्वपूर्ण प्रभाव हुए—(१) इतने ऐसे राज्य की स्थापना की जो पूरा तथा असीम था तथा जिसकी सत्ता को कोई भी माननीय शक्ति चुनौती नहीं दे सकती। (२) इतने पोप के सार्वभौमिक अधिकार पर प्रहार करके साम्राज्यशाही तथा एकता को विच्छिन्न करने वाली सान्त्वनावादी प्रवृत्तियों का विरोध किया। बोदा नहीं चाहता था कि उसकी सम्प्रभुता की परिभाषा एक स्वेच्छाचारी अथवा निरंकुश राजा का सृजन करे और इसी कारण उसने राजा की सर्वोच्च शक्ति पर नैतिक तथा परम्परागत अधिकारों के प्रतिबन्ध लगाये।

एक दूसरे विचारक प्रोमियस ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय (International Community) का समर्थन करते हुए सम्प्रभुता को इसके कानूनों से सीमित माना। उसके अनुसार सम्प्रभुता एक सर्वोच्च राजनैतिक शक्ति थी। इसे वह ऐसे व्यक्ति में निहित करता है जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन नहीं तथा जिसकी इच्छा का कोई उत्लघन या अतिक्रमण न कर सके। उसने माना था कि वह किसी राज्य पर शासन करने की एक नैतिक शक्ति होती है। प्रोमियस ने राष्ट्रीय सम्प्रभुता को अन्तर्राष्ट्रीय सम्प्रभुता से एकाकार किया। इसका अर्थ सम्भवतः यह था कि राज्य की सत्ता को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त हो जाय।

एक फ्रांसीसी विचारक दुग्वी (Duguit) का विचार है कि सम्प्रभुता राज्य की वह शक्ति है जिसके अनुसार वह अपने राज्य व प्रदेश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को बिना किसी शर्त के आदेश दे सके। सम्प्रभुता राष्ट्र की इच्छा है जो एक राज्य में सगृहित होती है।

राजनीति के वर्तमान विचारकों की दृष्टि में सम्प्रभुता का रूप लगभग एक समान है। ओपेनहिम (Oppenheim), विल्लोबी (Willoughby) तथा केल्सन (Kelsen) आदि विचारक सम्प्रभुता को एकमत होकर सर्वोच्च शक्ति मानते हैं जो किसी प्रकार की भयदात्रों को नहीं जानती। अमरीकन लेखक बर्गस (Burgess) ने माना है कि सब व्यक्तियों और व्यक्तियों के सवों पर मौलिक स्वेच्छाचारी और धर्मपर्याप्त शक्ति का नाम सम्प्रभुता है। नास्की, जो सम्प्रभुता के सिद्धांत पर आक्रमण करने वालों के प्रमुखा माने जाते हैं, यह मानते हैं कि वेच रूप से राज्यसत्ता प्रत्येक व्यक्ति और

समुदाय से उच्चतर है, इसके नाम पर राजा विनाशकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। पोलक महोदय ने सम्प्रभुता के रूप को सरल शब्दों में प्रकट किया है। वे मानते हैं कि सम्प्रभुता एक स्थायी शक्ति है, वह किसी दूसरे द्वारा नहीं दी जाती तथा वह किसी ऐसे नियम के अधीन नहीं है जिसे बदलने की शक्ति उसमें न हो।

सम्प्रभुता के सिद्धांत के जन्मदाता बोदा ने उसके ऊपर नीति और परम्पराओं की जो सीमाएँ लगाई थी, हाब्स ने उन सबको तोड़ दिया। हाब्स का सम्प्रभु पूर्ण रूप से निरकुण्ड है। सम्प्रभु के ऊपर केवल ईश्वर तथा ईश्वरीय नियमों का प्रतिबन्ध रहता है। किन्तु व्यवहार में यह प्रतिबन्ध न के बराबर है। सम्प्रभु स्वयं ही इन नियमों में सशोधन एवं परिवर्धन करता रहता है। हाब्स की परिभाषा के अनुसार राज्य की सत्ता की तुलना में अन्य सभी सत्ताएँ शक्तिहीन हैं। राजा कानून का निर्माता है। इस प्रकार हाब्स तथा बोदा दोनों ही विचारक सम्प्रभुता का निवास राजा में मानते हैं। रूसो के काल में जबकि राजतन्त्र का स्थान लोकतन्त्र लेता जा रहा था सम्प्रभुता का आश्रय एक व्यक्ति या राजा न रह कर जनता या बहुमत बन गया। आदमवादी विचारकों ने पुनः एक बार सम्प्रभुता राजा के हाथों में सौंप दी क्योंकि उनकी दृष्टि में सर्वोच्च समाज तथा समाज का रक्षक और मनुष्य के नैतिक एवं सुसंस्कृत जीवन का मूल था। बाद में बेन्थम जैसे उपयोगितावादी विचारकों ने सम्प्रभुता को संसद को सौंप दिया जो इतनी शक्तिशाली बन गई कि पुरुष को नारी और नारी को पुरुष में परिवर्तित कर सके।

बोदा के बाद सम्प्रभुता के सिद्धांत की विपद व्याख्या करने वाला तथा उसका वैधानिक विश्लेषण-कर्ता जॉन आस्टिन (John Austine) था। उसने बताया कि यदि किसी समाज का अधिकतर भाग सामान्यतः एक निश्चित प्रमुख व्यक्ति की आज्ञाओं का पालन करता हो और उस निश्चित व्यक्ति को किसी दूसरे प्रधान की आज्ञा मानने का अभ्यास न हो, तो वह निश्चित व्यक्ति उस समाज में सम्प्रभु है तथा वह समाज (उस प्रधान सहित) एक स्वाधीन राज्य है। आस्टिन की इस परिभाषा की हेनरी मेन, साहकी एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीयतावादी व बहुलवादी विचारकों ने करारी भलोचनाएँ की हैं। ये विचारक सम्प्रभुता जैसी किसी चीज का अस्तित्व न तो आवश्यक ही मानते हैं और न उपयोगी ही।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्प्रभुता

(The Concept of Sovereignty in International Politics)

सम्प्रभुता के अध्ययन से यहाँ हमारा तात्पर्य यह जानना है कि

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इस मान्यता का कितना और कैसा प्रभाव पड़ता है तथा उस प्रभाव को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। सम्प्रभुता के व्याख्याकारों ने इसका अविभाज्य, स्वाधी, असीमित, सर्वोच्च एवं विधि के स्रोत का जो रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसे देखकर यह प्राणशक्ति करना निराधार न होगा कि सम्प्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय शान्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक घातक मान्यता है। अब प्रश्न यह है कि क्या सम्प्रभुता को समाप्त कर दिया जाय ? बहुलवादी विचारक ऐसा करने को अक्षीर ही तैयार हो जायगा। बहुलवाद के विचारकों ने सम्प्रभुता के प्रभाव में रहने वाली राज्य व समाज व्यवस्था का चित्र भी हमारे सामने रखा है। कहा जाता है कि राज्य सम्प्रभुता के बिना रह ही नहीं सकता क्योंकि सम्प्रभुता राज्य की आत्म शक्ति है। बहुलवादी इससे चिन्तित नहीं होता। उसकी दृष्टि से यह उपयुक्त है कि आतन्वीय, शोषणकर्ता एवं हिंसारमक इतिहास से रजित राज्य नाम की सस्था को यथाशीघ्र अतीत की गाथा बना दिया जाय। यह सुभाष व्यावहारिक जगत में मान्यता प्राप्त न कर पाया क्योंकि यह असम्भव था।

सम्प्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून (Sovereignty and International law)

सम्प्रभुता का निरंकुश, अविभाजनीय तथा असीमित रूप अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल आधार को ही नष्ट कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का लक्ष्य विश्व के राज्यों के बीच के सम्बन्धों को उच्छेदखल, आक्रमणकारी तथा विध्वंसक होने से रोक कर विश्व-कल्याण की दृष्टि से उनका नियमन करना है। यह एक राज्य को मनमाना करने में रोकता है, उस पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना चाहता है। किन्तु इन प्रतिबन्धों व कानूनों, को वह सम्प्रभु जो किसी को आशा मानने का अश्वस्त नहीं होता, कभी स्वीकार न करेगा। जैक्स माटिन का कथन है कि सम्प्रभुता के समर्थकों के अनुसार प्रत्येक सम्प्रभु राष्ट्र 'राष्ट्रों के समुदाय' (Community of Nations) से ऊपर है और पूरी तरह से वह स्वतन्त्र है और इस प्रकार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो राज्यों को प्रतिबंधित करता है, पालन नहीं किया जा सकता।

सम्प्रभुता और विश्व-शान्ति तथा सहयोग (Sovereignty and World-peace and Co-operation)

सम्प्रभुता का विदात विश्व-शान्ति के लिए सतारा है। सम्प्रभुता की भावना राष्ट्रीयता की भावना के साथ मिलकर साम्राज्यवाद और मुडो को

बढ़ावा देती है। आज की परिस्थितियों में बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का उचित संचालन करने के लिए राज्य की सम्प्रभुता को सीमित करना आवश्यक हो गया है। लास्की का मत था कि 'दूसरे राष्ट्रों के साथ एक राष्ट्र को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना है' यह एक ऐसा विषय है जिसका लिए यिक वह अकेला ही नहीं हो सकता। यदि एक राष्ट्र अपनी मनमानी करना चाहेगा तथा अपनी सम्प्रभुता के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय कानून या अन्य देशों के प्रभाव को मानने से इन्कार कर देगा तो यह स्वभाविक है कि विश्व के राज्यों के बीच सघर्ष और तनाव उत्पन्न होगा। यही तनाव बढ़कर एक दिन विश्व युद्ध का रूप धारण कर लेता है। जिस प्रकार व्यक्ति की स्वतन्त्रता समाज की परम्पराओं को तथा राज्य के कानूनों को मानने में है उसी प्रकार राज्य को भी विश्व समाज के कानूनों का पालन करना चाहिए। स्वतन्त्रता कभी निर्बाध नहीं होती। यही बात आज राष्ट्रीय सम्प्रभुता के बारे में भी कही जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्रीय सम्प्रभुता नाम की कोई चीज नहीं है और नहीं रह सकती है। सर्वोच्च सम्प्रभु तो केवल एक ही रह सकता है, अनेक नहीं। सशान्ति में सहयोग एवं शांति बनाय रखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सम्प्रभुता की पुरानी परिभाषा को बदला जाय, जैसा कि पामर तथा परकिंस का विचार है, या ता नई परिभाषा विकसित की जाय या पूरी मान्यता को ही ठुकरा दिया जाय। जहाँ तक सम्प्रभुता पर कानून की सीमाएँ लगाकर उनको व्यवहार में नहीं लाया जाता तब तक शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाज की आशाएँ कम ही दिखाई देती हैं।

सम्प्रभुता के कुछ रूप

(Some Aspects of Sovereignty)

आजकल के अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सहायता व सहयोग के बिना नहीं रह सकता। इसके लिए राज्यों को समझौते व सन्धियों भी करनी पड़ती हैं। फलतः प्रत्येक राज्य दूसरे राज्यों के प्रभावों सन्धियों, वायदों तथा आश्वासनों से बच जाता है। ऐसी स्थिति में उसे बौद्धिक अथवा आइन्स्टीन का सम्प्रभु समझना गलत रहेगा। सच तो यह है कि आज सम्प्रभुता के दो रूप बन गये हैं—राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्प्रभुता का रूप सर्वोच्च, स्थाई एवं अविभाज्य रह सकता है किन्तु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उस पर अनेक सीमाएँ एवं प्रतिबंध लग जाते हैं। क्विन्सी राइट (Quincy Wright) के मतानुसार स्पूनिस्पल कानून की दृष्टि से सम्प्रभुता एक ऐसी इकाई है जिसे सीमित अथवा विभाजित नहीं किया जा

सकता किन्तु अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से इसे विस्तारित, विनाशित तथा सीमित किया जा सकता है।

क्लाइड ईगलटन (Clyde Eagleton) के मतानुसार सम्प्रभुता अपने पूर्ण रूप में कभी नहीं रह सकती। टक्का बटना है कि सम्प्रभुता को पूर्ण (Absolute) तथा निर्बाध (Unrestrained) मानना अथवा यह कतना कि सम्प्रभुता को छोड़ दिया जाय या निला दिया जाय, यह दोनों ही कदम मूर्खतापूर्ण हैं। इस समय समस्या सम्प्रभुता को फँकने की नहीं है। यह आवश्यकता नहीं है कि सम्प्रभुता को नाश करना ही नष्ट कर दिया जाय वरन् आवश्यकता यह है कि कुछ विषय जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं उन पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित किया जाय तथा अन्य पर राष्ट्र स्वयं ही नियंत्रण रखें। इस प्रकार दूसरे शब्दों में ईगलटन महोदय सम्प्रभुता का विनाशन करने के पक्षपाती हैं।

दूसरी ओर मार्गेन्थो (Morgenthau) आदि विचारकों के मत में सम्प्रभुता अविभाज्य है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दृष्टि से पूरी सम्प्रभुता अथवा उसके किसी रूप को त्याग देना सैद्धान्तिक दृष्टि से अस्मिप्य तथा व्यावहारिक रूप से असम्भव है।

क्विन्सी राइट (Quincy Wright) महोदय ने सम्प्रभुता को आंशिक व पूर्ण (Partial and Full) तथा राजनैतिक व वैधानिक (Political and legal) आदि रूपों में विभक्त किया है। उनके मतानुसार सम्प्रभुता के तीन क्षेत्रों में सीमाएँ लगाना अति आवश्यक है—

(१) अंतर्राष्ट्रीय विवादों में स्वयं निर्णय देने की शक्ति (The power of self judgement in international controversies)

(२) अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सशस्त्र सैनिक शक्ति का निर्माण एवं प्रयोग की शक्ति (The power to prepare and use armed Forces in international relations)

(३) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर मनमाने प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति (The power to impose arbitrary barriers to international trade)

प्रत्येक राष्ट्र की इन तीनों ही शक्तियों का प्रतिबन्धित एवं सीमित करना आवश्यक बन गया है। कोहेन (E.H. Cohen) के मतानुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व सम्प्रभुता को हमारे सामने तीन रूपों में रखता है—

(१) सम्मिलित सम्प्रभुता की मान्यता (Concept of Joint Sovereignty) इसका प्रयोग सभी राष्ट्र मिलकर समान रूप से कर सकते हैं। (२) विभाजित सम्प्रभुता (Divided Sovereignty), इसके अनुसार सम्प्रभुता आन्तरिक व बाह्य दो रूपों में बंट जाती है। (३) अन्तर्राष्ट्रीय निगमों की सम्प्रभुता (Sovereignty of International Corporation)। इन तीनों ही शक्तियों का उपयोग करते समय यदि राष्ट्र अपनी स्वतंत्र एक निर्वाह इच्छा का प्रयोग करेंगे तो स्वभाविक है कि यह उनके राष्ट्रीय हित के लिए अधिक उपयोगी होगा। किन्तु जहां तक सम्पूर्ण विश्व की शान्ति एवं सहयोगपूर्ण जीवन का सम्बन्ध है यह व्यवहार इसने लिए घातक रहेगा। समार से मघपों एवं युद्धों की सम्भावना को दूर करने के लिए इन तीनों शक्तियों के प्रयोग में प्रत्येक राष्ट्र पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है। इन प्रतिबन्धों को लगाते समय भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इनका उद्देश्य विश्व-हित ही न कि किसी गुट विशेष या देश विशेष के स्वार्थों की पूर्ति।

सम्प्रभुता पर चारों ओर से आघात किये गये। विचारों के क्षेत्र में इस विषय में एक हलचल सी मचा दी। बहुलवादियों के तर्कों के प्रकाशन के बाद ऐसा लगने लगा कि शायद सम्प्रभुता की मान्यता मरने के लिए राजनीति शास्त्र के कोप से निकाल दी जावेगी। किन्तु ऐसा न हुआ। बहुलवादी एवं अन्तर्राष्ट्रीयतावादियों की आवाजनाओं एवं प्रहारों ने राज्य की शक्ति की निरङ्कुशता को कम किया। अन्य समस्याओं का मनुष्य के जीवन में महत्व समझा जाने लगा। किन्तु राज्य का स्थान ग्रहण करने वाला कोई व्यावहारिक विकल्प सम्मुख न होने के कारण सम्प्रभुता पुनर्वन् बनी रही। काहन (H. E. Cohen) महोदय के मतानुसार सम्प्रभुता की विचारनाशा (Theory of Sovereignty) बनी समाप्त नहीं हो सकती। यह शक्ति या शक्ति के स्तर को परिभाषित करने वाले पद (Term) के रूप में या वैधानिक व्यवस्था या उस व्यवस्था के किसी भाग के स्तर को या उस व्यवस्था की सर्वाधिकारता को परिभाषित करने वाले पद के रूप में मरिद्व बनी ही रहेगी। यह ही सकारिता है कि यदि आलोचकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप शब्द 'सम्प्रभुता' को मिटा दिया जाये, किन्तु सम्प्रभुता की जो मूल विशेषताएँ हैं वे मरना बनी ही रहेंगी। समाज में व्यवस्था बनाये रखने के लिए जब तक मनुष्यों में सामक और सामित तथा नशा और समर्थकों का भेद रहेगा तब तक सम्प्रभुता की मान्यता भी बनी रहेगी। शक्ति की आवश्यकता और उपयोगिता जब तक रहेगी तब तक सम्प्रभुता भी विनीन नहीं हो सकती। महात्मा गांधी ने भी अपने रामराज्यके सिद्धांत में इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था। वे मानते थे

कि राज्य हिंसा तथा विध्वंसकारी शक्तियों पर आधारित है, यह मनुष्यों को मनुष्य के रूप में देखने में अग्रमर्थ है किन्तु फिर भी स्थितियाँ अभी ऐसी नहीं कि राज्य को नष्ट किया जा सके या उसकी सम्प्रभुता का गुचला जा सके। पामर तथा परकिन्स ने माना है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय समाज में प्रभावशाली रूप राष्ट्र राज्य व्यवस्था ही रहेगी तब तक सम्प्रभुता बनी रहेगी।

राष्ट्रीयतावाद और सम्प्रभुता की मान्यता दो ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में खलबली मी मचा दी है। इन दोनों का उपयोग विध्वंसक तथा रचनात्मक दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। अब समस्या यह है कि यदि ये दोनों विध्वंसक रूप धारण कर लें तो फिर क्या होगा तथा उस समय की स्थिति को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकेगा। इसके प्रतिरोधात्मक एवं प्रतिशोषात्मक दोनों ही प्रकार के कदम उठाना आवश्यक है। विश्व संस्था (UNO) अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सदन्यवहार एवं अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता आदि साधनों द्वारा इन दोनों तत्वों के चारों ओर ऐसी बाड़ लगा दी जाय कि इनको उच्छूलन बनने का अवसर ही प्राप्त न हो सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इन दो प्रभावकारी तत्वों के बारे में यह कहना उचित एवं उचितगत न होगा कि इनकी प्रवृत्ति सुनिश्चित है तथा उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। इतिहास साक्षी है कि समय की परिस्थितियों के अनुसार इन दोनों की प्रवृत्ति में भी समय-समय महत्वपूर्ण मोड़ आते रहे हैं। दिग्गजों ने इसी कारण इनको लचीले सिद्धांत (Flexible doctrines) की संज्ञा प्रदान की है।

राष्ट्रवाद एवं सम्प्रभुता दोनों ही सिद्धांत अपने आप में न अच्छे हैं न बुरे, न नैतिक हैं और न अनैतिक। ये तो एक छुरी के समान नैतिक दृष्टि से उदासीन हैं। यह आपकी इच्छा एवं मानसिक स्तर पर निर्भर करता है कि आप उनका प्रयोग अपने पक्ष वाटने में करते हैं अथवा किसी का पक्ष। सम्भावनायें दोनों ही मौजूद हैं। अमल में राष्ट्रवाद एवं सम्प्रभुता दोनों ही दोष रहित हैं। यदि उनका इतिहास रक्त-रजित और नाका रहा है तो इनका उत्तरदायित्व इन भावनाओं पर डालना अधिक उचित नहीं कहा जा सकता। यह कुछ बुने हुए राजनीतियों के कारणोंमें हैं जिनकी महत्वाकांक्षायें बड़े बड़े मानव सम्यता के विकास के मार्ग की बाधायें बनती हैं। बुरे इरादे तथा सीमित स्वार्थ का दृष्टिकोण होने पर बरदान भी अनिश्चय में बदल जाता करते हैं। शिव और अस्मानुद की पौराणिक कथा इसी भाव को अभिव्यक्त करती है। अब मैं हम पामर तथा परकिन्स महोदय के शब्दों की दुहराते हुए यह कह सकते हैं कि ये दोनों अनियंत्रित रही या इनका उपयोग किया गया तो ये

आतजायी शासन का या युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर सकती है और यदि इन्हें रचनात्मक लक्ष्यों की ओर मोटा गया तो वे शुभ लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक अनेक कल्याणकारी मानवीय भावों को उत्प्रेरित कर देंगे।

सम्प्रभुता सम्बंधी रूसी विचार (Russian Views on Sovereignty)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय स्वार्थ (National interest) की दृष्टि से ही कोई कार्य करता है अथवा किसी दृष्टिकोण को अपनाता है। सम्प्रभुता के सम्बन्ध उसके राष्ट्रीय स्वार्थ से प्रभावित सांविध्यत रूप की धारणाएँ विश्व के अन्य देशों से इतनी भिन्न हैं कि उनका उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा।

सांविध्यत रूप राष्ट्रीयता की भावना का पक्का समर्थक है। इनका पक्षपात करते हुए वह यह चाहता है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी सम्प्रभुता को बनाये रखे। सम्प्रभुता को सीमित करने अथवा उसका समर्पण करने का रुम सदैव ही विरोध करता रहा है। राष्ट्रीय सम्प्रभुता पर इतना जोर देने के कारण ही रुम ने सुरक्षा परिषद में बड़ी शक्तियों के एक मत होने की आवश्यकता का पूरा-पूरा समर्थन किया। जब भी किसी निषेधाधिकार (Veto power) को सीमित करने का प्रश्न आया, सोवियत रुम न उस पर विचार करता भी उचित नहीं समझा क्योंकि यह उसकी सम्प्रभुता और सर्वोच्चता के विपरीत जाता था।

साम्यवादी रुम के चारों ओर पश्चिमी गुट ने सैनिक गठबन्धनों के आवार पर एक घेरा सा बना लिया था ताकि साम्यवाद का प्रागे प्रसार रुक जाय तथा उस घेरे के भीतर उमका दम घुट जाय। सम्प्रभुता के समर्पण की रूसी राजनीतिज्ञा द्वारा जो व्याख्या की जाती है उसका अनुसार यह पश्चिमी देशों की एक चान है तथा उनके साम्राज्यवादी भावनाशा की इसमें अभि-यक्ति होती है। यदि एक देश जो धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं अन्य दृष्टियों से अविश्वसित है अपनी सम्प्रभुता का समर्पित कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? रूसी विचारकों के मतानुसार वह देश पूरी तरह से शक्तिशाली राष्ट्रों के हाथ में खता जायगा, एक बिना डोरी की बल्लुतली बन जायगा।

राष्ट्रवाद की भांति सम्प्रभुता भी एक ऐसी धारणा है जो पुराणीत राष्ट्रों की साम्राज्यवादी देशों के अगुल से छुड़ाती है तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति-बोधित राष्ट्रों को उनके प्रभाव से दूर रख सकती है। अदिदेशे देशों से शिखा

नौ प्रवार का प्रलोभन देकर या आदर्शों के महल दिखाकर छीन लिया गया तो शोषण के विरुद्ध प्रारम्भ की गई क्रांति की गति बहुत धीमी पड़ जायगी। कोरोविन (EA Korovin) जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सोवियत दृष्टिकोण के माहिर हैं, के मतानुसार एक राज्य जहाँ वास्तविक प्रजातन्त्र स्थित है, अपनी सम्प्रभुता को सीमित करने के लिए कभी राजी न होगा। अपनी इच्छा से की गई सन्धिया, समझौते आदि सम्प्रभुता को सीमित नहीं करते, इसकी सीमाएँ तो एक पक्षीय रूप में ऊपर से धोपी जाती हैं।

सम्प्रभुता को सीमित करने वाली हरेक चेष्टा के प्रति रूस का रुख सशक्ति हो जाता है। उसे लगता है कि यह उसकी पूर्ण सम्प्रभुता को एक चुनौती दी गई है। रूस द्वारा सीमित सम्प्रभुता का विरोध करने के मुख्य कारण दो हैं—

(i) पूँजीवादी राष्ट्रों से घिरा हुआ रूस सम्प्रभुता के समर्पण के नाम पर अपने आदर्शों के विरोधी राजनैतिक व आर्थिक तत्वों को बढ़ावा नहीं देना चाहता क्योंकि ऐसा करने से समाजवादी क्रांति में विलंब हो जायगा तथा रूस के सम्भावित मित्रों की संख्या घट जायगी।

(ii) सम्प्रभुता का अर्थ, रूस की निगाहों में, यह नहीं कि एक राज्य मनमाने ढंग से निरक्षुण्ण शक्ति का प्रयोग करे। रूस सम्प्रभुता को धरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में आत्मनिर्णय (Self determination) का सिद्धान्त मानता है। सम्प्रभुता एक प्रकार की वैधानिक दीवार है जो साम्राज्यवादियों के सैनिक तथा आर्थिक आक्रमणों से राष्ट्रों की रक्षा करती है। पामर तथा परकिंस के मतानुसार असीमित सम्प्रभुता (Unlimited Sovereignty) रूसी अन्तर्राष्ट्रीय कानून की ऐसी विशेषता है जो उससे अलग नहीं हो सकती।

PART--II

International Politics as a struggle for power : Concept of National Power; Essence and elements of National Power: Geography, natural resources, population, technology, ideologies, morale, leadership : Evolution of national Power.

अध्याय ३—राज्य-शक्ति का सामान्य विचार
[The concept of National Power]

अध्याय ४—राष्ट्रीय शक्ति के तत्व : भूगोल और प्राकृतिक तत्व
[The Elements of National Power :
Geography and Natural Resources]

अध्याय ५—राष्ट्रीय शक्ति के तत्व : जनसंख्या और तकनीकी
[The Elements of National Power :
Population and Technology]

अध्याय ६—राष्ट्रीय शक्ति के तत्व : विचारधारा, मोरेल और नेतृत्व
[The Elements of National Power :
Ideology, Morale and Leadership]

"राजनीतिक संदर्भ में शक्ति का अर्थ है—मनुष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्यों के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर हो।"

—मोरगेन्थो

"भौतिक भूगोल विश्व राजनीति को अधिक निरन्तर रूप से प्रभावित करने वाला तत्व है। यह उन आवश्यकताओं, लक्ष्यों, नीतियों एवं शक्ति को प्रभावित करता है जिनको राज्य अपने हितों की दृष्टि से मानते हैं।"

—वेडलफोर्ड तथा लिंकन

"यहाँसे जनसंख्या के आधार तथा एक देश की शक्ति के बीच कोई आवश्यक एवं एकरूप सम्बन्ध नहीं है किन्तु फिर भी इतना तो सच है कि छोटी सी जनसंख्या वाला कोई देश बड़ी शक्ति नहीं बन सकता।"

—जोसेफ कंकल

"अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के एक अनुशासन के रूप में तकनीकी एक ऐसा विज्ञान है जो आविष्कार और मौलिक सृष्टि की प्रगति को विश्व राजनीति से सम्बन्धित करता है। यह यांत्रिक प्रयासों के विकास की वृद्धि है जो युद्ध, कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, यात्रा और संचार में इसका प्रयोग करती हैं।"

—विन्सी राइट

"विचारधारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से सम्बन्धित विचारों का निवास है जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कार्यों की योजना तैयार करती है।"

—वेडलफोर्ड तथा लिंकन

"राष्ट्रीय मनावल (Morale) निश्चय का वह अनुपात है जिसके अनुसार एक राष्ट्र आग्नि एवं युद्ध के समय अपनी सरकार की विदेश नीति का समर्थन करता है। मनावल में राष्ट्र की सारी क्रियाएँ—भौद्योगिक व कृषि उत्पादन तथा सैनिक तैयारियाँ और कूटनीतिक सेवाएँ, समाहित होती हैं।"

—मार्गेन्थो

राष्ट्रीय शक्ति का सामान्य विचार (THE CONCEPT OF NATIONAL POWER)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की सबसे बड़ी एवं कठिन समस्या यह स्पष्ट करना मानी जाती है कि एक राष्ट्र ने जिस रूप में व्यवहार किया है, उसने उसी रूप में क्यों किया, अन्य रूप में क्यों नहीं किया। विचारको द्वारा इस स्पष्टीकरण के लिए अनेक कारण प्रस्तुत किये जाते हैं। कोई 'शक्ति' को प्रमुखता देता है तो कोई 'राष्ट्रीय हित' को, जबकि कुछ लोग दोनों को एक साथ मिला कर प्रस्तुत करते हैं। कुछ एक विचारकों का मन है कि विचार-धारा राष्ट्रीय व्यवहार की सबसे बड़ी प्रेरक होती है। अन्य लोग राष्ट्रीय व्यवहार का बीड़ीकरण उस राष्ट्र के उपलब्ध साधनों, महत्वाकांक्षामो, राष्ट्रीय चरित्र, भाषिक स्थिति एवं भौगोलिक स्थिति आदि के आधार पर करने का प्रयास करते हैं। किन्तु वर्तमान काल में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को शक्ति के आधार पर समझने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अधिकांश विद्वान् यह मानने लगे हैं कि प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्पन्न किया गया प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त करने, प्राप्त शक्ति को बढ़ाने, शक्ति का प्रदर्शन करने आदि से सम्बन्ध रखता है। ये विचारक इस तर्क को गूना पसन्द नहीं करते कि जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ के लोग लडाकू होते हैं अथवा जर्मनी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। वे इसका वास्तविक कारण जानना चाहते हैं जो शक्ति को राजनीति का ही एक पहलू है। अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की एक रूपता एवं मानवीय व्यवहार को शक्ति के आधार पर ही परिभाषित किया जा सकता है।

‘शक्ति’ का अर्थ प्रायः उस तत्व से लिया जाता है जिसके आधार पर एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के मन, कर्म तथा विचार पर प्रभाव एवं नियंत्रण रखने का अवसर प्राप्त होता है। शक्ति का यह रूप सम्प्रति के प्रारम्भ से ही मानव-समाज में अपना अस्तित्व बनाये हुए है। मानव सम्प्रति के आदि-काल में शक्ति का स्वरूप एवं प्रकृति तो यही थी किन्तु उसका क्षेत्र मात्र की भाँति विस्तृत न होकर सकुचित था। मात्र ‘शक्ति’ का क्षेत्र केवल व्यक्तिगत न रह कर राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके अन्तर्राष्ट्रीय बन गया है तथा इसकी दृष्टिमा केवल व्यक्ति न रह कर राष्ट्र बन गये हैं। राष्ट्रीय शक्ति एक राष्ट्र की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को परिपूर्ण करने का उसके हाथों में एक ऐसा अस्त्र है जिसके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उसका स्तर, महत्व एवं स्थान आका जाता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय शक्ति एक मातृदण्ड का कार्य करती है जिसके आधार पर हम किसी भी राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर पटन बाने प्रभाव का मूलांकन कर सकते हैं और हम प्रकार अन्य देशों को भी अपनी विदेश नीति में तदनुकूल समायोजन (adjustment) करने का अवसर प्राप्त हो जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति (National Power) को एक राष्ट्र का सबसे बड़ा केन्द्र बिन्दु माना है जिसके चारों ओर उसकी विदेश नीति के विभिन्न पहलू चक्कर काटते रहते हैं। सभी विद्वान् एकमत होकर यह स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक राज्य अपने स्वार्थ कि दृष्टि से ही क्रियाओं का संचालन करता है। एक राज्य का सबसे बड़ा स्वार्थ यह है कि वह अधिक से अधिक राष्ट्रीय शक्ति का अर्जन करे, जिन मायनों एवं तत्वों के द्वारा राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है उनकी ओर वह पर्याप्त ध्यान दे तथा उनके विकास एवं अन्वेषण में अपना सारा ध्यान केन्द्रित करे। यदि कोई भी राष्ट्र इस सिद्धांत के विपरीत आचरण करके अपनी राष्ट्रीय शक्ति को कमजोर बनाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि वह स्वयं ही अपने विनाश के बीज बो रहा है। ये बीज धीरे धीरे अक्षुरित एवं प्रसृष्टित होकर उस देश की स्वतन्त्रता के लिए एक गम्भीर समस्या बन जायेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यथायवादी सिद्धांत (Realist theory) इस बात पर अधिक जोर देता है कि प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के रूप में परिभाषित स्वार्थ की दृष्टि से ही मौजूद है।

एक राष्ट्र में रहने वाले व्यक्तियों की एक इकाई के रूप में जो शक्ति होती है वह उस राज्य का राष्ट्रीय शक्ति के समकक्ष नहीं होती क्योंकि ‘राष्ट्र’ अर्थात् कि मार्गेन्या महोदय का कथन है, एक निगूढ़ (Abstract) तत्व है

जो समान विशेषतायें रखने वाले उस देश के सभी निवासियों से पृथक होता है।¹ कारण यह है कि उस देश के निवासी कुछ समान राष्ट्रीय विशेषताओं का पालन करने के अतिरिक्त अन्य अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि समस्याओं के भी सदस्य होते हैं तथा तन्नुकूल व्यवहार करते हैं। राष्ट्र की विदेश नीति का संचालन एवं राष्ट्र की शक्ति का प्रयोग प्रत्येक निवासी की सामर्थ्य एवं योग्यता के बाहर का विषय है। यह उस राष्ट्र के बुने हुए नेताओं के हाथ में रहती है और इसीलिए एक राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि का तात्पर्य यह नहीं होता कि सब तलका प्रत्येक व्यक्ति शक्तिशाली हो गया है किन्तु केवल वे लोग जो अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर होने वाले परिणय में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं वे ही एक राष्ट्र की बढ़ती हुई शक्ति से लाभान्वित हो सकते हैं। यदि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतवर्ष का स्थान ऊँचा है तो निश्चय ही उसके राजनीतियों का स्थान भी सम्मानीय एवं उत्कृष्ट समझा जायगा। यहाँ यह प्रश्न ही सकता है कि जब एक व्यक्ति पर उसके राष्ट्र की शक्ति एवं विदेश नीति का सीधा प्रभाव नहीं होता तो वह किस आधार पर अपने आपको उनके समरूप मान लेता है। इस प्रश्न का उत्तर एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा दिया जा सकता है जिसके अनुसार अविज्ञान शक्तियों को उनके राष्ट्रीय जीवन में कोई सम्मान और इज्जत प्राप्त नहीं हो पाती जिसके लिये वह सदैव प्रयत्न करता रहता है। अपने इस प्रभाव की पूर्ति वह दूसरे रूप में कर लेता है अर्थात् उसके देश के प्रतिनिधियों को अन्तर्राष्ट्रीय अंगठ में जो सम्मान प्राप्त होता है उसको वह स्वयं का सम्मान मान लेता है। जिस शक्ति को व्यक्तिगत जीवन में एक बुराई माना जाता है तथा जिसे प्रजातन्त्र, समानता व स्वतन्त्रता के विरुद्ध माना जाता है उसी शक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तथा शक्ति प्राप्त करने के सभी प्रयत्नों को न्यायोचित ठहराया जाता है। राष्ट्रीय शक्ति के साथ अपनी शक्ति को समरूप बनाने वाले लोग प्रायः मध्यमवर्गीय परिवारों के होते हैं जिनके पास शक्ति की मात्रा प्रायः अपर्याप्त रहती है तथा जो अपने आपको अनु-रक्षित अनुभव करते हैं।

राष्ट्रीय शक्ति का रूप एवं स्तर का निर्धारण हमें का तुलनात्मक रूप से ही किया जाता है। एक राष्ट्र कमजोर है यह कहने समय हमारे मस्तिष्क में एक दूसरे राष्ट्र का चित्र भी रहता है जो इससे अपेक्षाकृत शक्तिशाली होता है। इसी प्रकार एक राष्ट्र को शक्तिशाली कहते समय हमारे

ध्यान में कमजोर राष्ट्र की मूर्ति रहती है। इस प्रकार की तुलना करते समय यह ध्यान रहना चाहिये कि हम एक राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व की तुलना दूसरे राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के उसी तत्व के साथ ही कर सकते हैं।

इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति की पहली विशेषता उसका 'तुलनात्मक रूप' होता है। इसकी दूसरी विशेषता के अनुसार राष्ट्र शक्ति का चरित्र स्थायी नहीं होता। उसके विभिन्न तत्वों का रूप एवं स्तर समय-समय पर बदलता रहता है। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि इसके सभी तत्वों का महत्व समान होता है। राष्ट्रीय शक्ति के किसी एक तत्व को अधिक महत्व देकर उसके आधार पर ही यदि एक देश अपनी विदेश नीति का निर्माण कर लेगा तो उसे निश्चय ही असफलता प्राप्त होगी। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रायः भूगोल की राजनीति (Geopolitics), राष्ट्रवाद (Nationalism) और सैनिकवाद (Militarism) पर अधिक जोर दिया जाता है जो राष्ट्रीय शक्ति के प्रतिनिधि न होकर उसके केवल एक तत्व के परिचायक मात्र हैं।

कुछ विद्वानों के मतानुसार एक देश के व्यवहार रहन-सहन, निर्णय लेने की प्रक्रिया पर दूसरे देश का जो प्रभाव पड़ता है वह भी शक्ति का एक रूप माना जायेगा क्योंकि शक्ति आवश्यक रूप से अपने आपकी हिसाबमक रूप में ही प्रकट करती हो, यह बात नहीं है। वह शान्तिपूर्ण तरीके से प्रभाव के रूप में हो सकती है। आज के युग में विश्व जनमत (World public opinion) का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भारी प्रभाव होता जा रहा है। अनेक देशों को अपनी विदेश नीति से सम्बन्धित निर्णय केवल इसी कारण बदलने पड़े हैं क्योंकि विश्व जनमत ऐसा होने के पक्ष में था। विश्व जनमत को बनाने के लिये प्रत्येक देश प्रचार के साधनों का समुचित विकास करता है ताकि विश्व के अन्य देश भी उसकी नीतियों का समर्थन कर सकें। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि आज विश्व जनमत को भी शक्ति के रूप में उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना कि सैनिक शक्ति को। अर्थ में शक्ति एक अविभाजित इकाई है जिसे व्यावहारिक रूप से कभी विभाजित नहीं किया जा सकता।

शक्ति-राजनीति इस तथ्य को मान कर चलती है कि आज राष्ट्रों के आपसी सम्बन्ध अराजकतापूर्ण हैं। इसके मुख्य रूप से तीन कारण हैं—प्रथम, राष्ट्रों की तथाकथित सम्प्रभु स्वतन्त्रता, दूसरे, उच्च सत्ता का प्रभाव और तीसरे, बाहरी प्रवरोधों से स्वतन्त्रता।¹ इस अराजकता की स्थिति में

G. Nicholas Spykman, America's Strategy in World Politics,

एक देश अपने शत्रु के बराबर शक्ति प्राप्त करने मात्र से ही सुरक्षित नहीं बन जाता, वह केवल तभी सुरक्षित रह सकता है जबकि वह उसमें कुछ अधिक शक्तिशाली होगा। निरन्तर शक्ति प्राप्त का प्रयास ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की वास्तविकता है। राष्ट्रवाद एक सम्प्रभुता की शक्ति भी एक ऐसा तत्व है जिसे राज्य-व्यवस्था से छिपाने नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत अध्याय में हम राष्ट्रीय शक्ति के सामान्य रूप इसकी आवश्यकता, इसके आधार तथा इसके सम्बन्धित यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विचारधारा को प्रबलिकन करेंगे।

राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप

(The Nature of National Power)

राष्ट्रीय शक्ति का विश्व राजनीति के क्षेत्र में जितना महत्व एवं प्रभाव है उसे देखते हुये इस विषय पर किया जाने वाला बौद्धिक विचार विमर्श का परिणाम बहुत कम है। 'शक्ति' को राजनीति का एक मूल तत्त्व माना जाता है। शक्ति प्राप्त करने के निम्ने सघर्ष किया जाता है और सघर्ष करने के लिये शक्ति प्राप्त की जाती है। यह प्रक्रिया प्रत्येक काल में तथा प्रत्येक म्यान पर चलती रही है। यह एक ऐसा स्रष्टव है जो मनुभव पर आधारित है और जिसके अस्तित्व को प्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ लेखक तो महात्क कहने को तैयार हैं कि शक्ति के बिना कोई राजनीति रह ही नहीं सकती। जिस प्रकार डार्विन महोदय ने जीव के विकास में अस्तित्व के लिये सघर्ष (Struggle for existance) एवं योग्यतम की विजय (Survival of the Fittest) के नियमों का प्रतिपादन किया है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक विश्व राजनीति के विकास में भी इन नियमों को लागू करने का प्रयास करते हैं। डार्विन के विकास की प्रक्रिया की इकाई जीव था जबकि इन विचारकों के अध्ययन में विकास की इकाई राज्य है। यह कहा जाता है कि राज्य शक्ति के लिए सघर्ष में केवल इसलिए उलझने हैं क्योंकि वे अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहते हैं। यहाँ तक कि अनेक देशों द्वारा श्रेणीय प्रसार एवं युद्ध की जो नीतियाँ अपनाई जाती हैं उनके पीछे भी सुरक्षा की भावना प्रेरक के रूप में कार्य करती है। वैसे राइनहोल्ड नीबर (Reinhold Niebuhr) की तो यह मान्यता है कि जीने की इच्छा और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा के बीच अंतर नहीं किया जा सकता। एक देश

किमी व्यवहार विशेष के समय अपने अस्तित्व की आकांक्षा से प्रेरित हुए हैं अथवा शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा से, यह निर्णय करना कई बार असम्भव बन जाता है। प्रत्येक राज्य का यह अधिकार होता है कि वह शक्ति प्राप्त करे क्योंकि इसके बिना वह अपने नागरिकों की रक्षा एवं विकास के उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सकता। शक्ति का दुरुपयोग भी किया जा सकता है और किया जाता है किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि एक राज्य को शक्ति प्राप्ति का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। दूसरे राज्य द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की सम्भावनाओं एक राज्य के शक्ति प्राप्त करने के अधिकार को और भी अधिक आवश्यक बना देती है।

राष्ट्रीय शक्ति का आधार सम्प्रभुता की मान्यता को माना जाता है। जब राज्य अपने नागरिकों के विकास का उत्तरदायित्व सम्भाल लेता है तो वह इस दायित्व की पूर्ति के लिए अपनाई गई नीतियों पर किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं चाहता। सम्प्रभुता की मान्यता राज्य को अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की ओर प्रेरित करती है, साथ ही यह चुनौती देती है कि यदि उसने शक्ति प्राप्ति के प्रयासों में ढील की तो उसका स्वयं का अस्तित्व ही खतरों में पड़ जायेगा। शक्ति को सम्प्रभुता की एक आवश्यक विशेषता माना जाता है और कोई भी राज्य सम्प्रभुता के बिना नहीं रह सकता, इसलिए यह स्वाभाविक है कि कोई भी राज्य शक्ति के बिना नहीं रह सकता। राष्ट्रीय शक्ति को सम्प्रभुता की मान्यता द्वारा एक बानूनी घोषित्य प्रदान किया जाता है दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की यथायथायें भी इसे अपरिहार्य तत्व बना देती है।

राष्ट्रीय शक्ति की तुलना किसी भी अन्य सभ्यता या व्यक्ति की शक्ति से नहीं की जा सकती। इसका कारण यह है कि राज्य की शक्ति से ऊपर कोई भी सैद्धांतिक सीमा नहीं होती। राज्य के प्रतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यावसायिक आदि संस्थाएँ भी अपने पीछे कुछ शक्ति एवं दबाव रखती हैं, किन्तु इनमें से प्रत्येक संस्था की शक्तियों पर सीमाय तथा प्रतिबंध हैं जबकि राज्य की दमनकारी शक्ति कोई मर्यादा नहीं जानती। इस अर्थ में राज्य अपने प्रकार की एक अलग ही संस्था है तथा राष्ट्रीय शक्ति इसकी प्राणवायु है। राज्य द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के परिणामस्वरूप उसकी शक्तियों पर अन्य किसी राज्य की शक्ति की मर्यादायें भी प्रभावी नहीं हो सकतीं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि जब एक राज्य के पास

सैनिक शक्ति की मात्रा कम होती है तो उसकी शक्तियों पर अधिक सैनिक शक्ति वाले राज्य द्वारा सीमा लगाई जा सकती है।

इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति के कानून एवं नैतिक दो आधार बन जाते हैं। कानूनी आधार सम्प्रभुता की मान्यता द्वारा प्रतिपादित किया गया है और नैतिक आधार राज्य के उस उत्तरदायित्व से प्रकट होता है जिसके अनुसार वह अपने नागरिकों के अन्धे जं वन की प्राप्ति में सहायता करता है। राष्ट्रीय शक्ति को प्राप्त करने एवं उसे अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये किये जाने वाले राज्य के प्रयासों का पहला कारण यह है कि वर्तमान राष्ट्र-राज्य व्यवस्था में शक्ति ही सुरक्षा का एक मात्र साधन है। इसका दूसरा कारण शक्ति का आकर्षक रूप है। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं शक्तिवादी बर्ट्रैंड रसल (Bertrand Russel) का कहना है कि यदि सम्भव हो तो प्रत्येक व्यक्ति यह चाहेगा कि वह ईश्वर बन जाये। कुछ लोग तो इस बात की असम्भवता को स्वीकार करने में भी कठिनाई अनुभव करते हैं। अर्थात् वे सचमुच ही ईश्वर बनने का प्रयास करते हैं तथा उनका यह विश्वास रहता है कि वे इस प्रयास में सफल हो जायेंगे। शक्ति राजनीति का यह एक रोचक पहलू है कि जब भी किसी देश से यह पूछा जाता है कि वह अपनी शक्ति को क्यों बढ़ा रहा है तो इस प्रश्न का जवाब वह हमेशा यही देना है कि विदेश आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए वह ऐसा कर रहा है। वर्तमान परिस्थितियों के सदर्भ में यह बात भारत, पाकिस्तान और साम्यवादी चीन के उदाहरणों में देखी जा सकती है। चीन व पाकिस्तान की सैनिक तैयारी देख कर भारत को अपनी सुरक्षा खतरे में दिखाई देती है अतः वह भी सैनिक तैयारी करता है। भारत की सैनिक तैयारी में पाकिस्तान व चीन को असुरक्षा की अनुभूति होती है और इसलिए वे अपने प्रयासों की गति को और भी बढ़ा देते हैं। इस प्रकार शस्त्रों की होड़ लग जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रायः ऐसा होता रहता है। शस्त्रों की होड़ के प्रतिरिक्त मानसिक, नैतिक एवं क्षेत्रीय आधार पर मतमुटाव, तनाव और खिचाव बढ़ता है। इसकी वृद्धि निरन्तर रूप में होती है और एक दिन युद्ध के रूप में सामने आती है। यह शक्ति राजनीति का एक स्पष्ट तथ्य है।

राष्ट्रीय शक्ति के अनेक रूप होने हैं। ई एच. कार ने इसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। ये हैं—सैनिक शक्ति, प्राथमिक शक्ति तथा मत (Opinion) पर शक्ति। शक्ति प्रदर्शन के इन रूपों के प्रतिरिक्त हत्या एवं आतंक आदि राजनीतिक युद्ध के कुछ रूपों का भी उल्लेख किया जा सकता है। सैनिक शक्ति का महत्त्व इसलिए है क्योंकि यह एक अन्तिम साधन है।

जब एक राज्य शक्ति के अन्य रूपों का प्रयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता तो वह युद्ध की अपनाता है। यह एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र है जिसका प्रयोग बहुत कम तथा मजबूरी की अवस्था में ही किया जाता है। मि. कार का कहना है कि शक्ति के क्षेत्र में राज्य का प्रत्येक कार्य युद्ध की दिशा में संचालित होता है किन्तु यह युद्ध को एक वाछनीय हथियार नहीं मानता किन्तु एव ऐसा हथियार मानता है जिसका प्रयोग यह अन्य कोई उपाय शेष न रहने पर करे।

'राष्ट्रीय शक्ति' मूल रूप से सैनिक शक्ति ही है किन्तु इस शक्ति की रचना में अनेक तरह कार्य करते हैं और इसलिए वे भी शक्ति के प्रतीक कहे जा सकते हैं। कई बार ये प्रतीक ही राज्य के लक्ष्य की पूर्ति में सफल हो पाते हैं और युद्ध का मार्ग ही नहीं अपनाना होता। उदाहरण के लिए हम एक देश की आर्थिक शक्ति को ले सकते हैं। सैनिक शक्ति के प्रसार के लिए इसका होना परम आवश्यक है। यह कहा जाता है कि युद्धों के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए आर्थिक शक्ति ही सैनिक शक्ति है। यह कथन चाहे अतिशयोक्ति के दोष से पूर्ण हो किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि करोड़ों रुपये प्रतिदिन का मार डालने वाले युद्ध में कोई भी देश उस समय तक प्रवृत्त नहीं हो सकता जब तक कि उसके आर्थिक आधार मजबूत न हो। लोक मत पर प्रभाव की शक्ति प्रचार के माध्यम से सम्भव होती है। प्रचार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मोरेल की स्थापना का प्रयास किया जाता है और विदेशों में इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्रचार को भी राष्ट्रीय शक्ति के अन्य रूपों से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह देश में उत्पादन बढ़ाने तथा बलिदान करने की सतपरता पर जोर देता है तथा विदेशों में मंत्री बढ़ाने तथा दुश्मनों को कम करने का प्रयास करता है।

सूटनीति को भी राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप माना जाता है। अधिनाश लेखकों के गणनानुसार यह राष्ट्रीय शक्ति का द्योतक एव रूप दोनों ही हैं।

शक्ति के लिए संघर्ष के आधार (The Bases of Struggle for Power)

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में शक्ति का संघर्ष प्रकारण ही नहीं होता, उसके कुछ आधार होते हैं। इस संघर्ष के प्रथम आधार की प्रकृति मानवीय है। इसके अन्तर्गत किसी भी देश की सुरुवात और अन्तः प्रकृति, जीवित की एक शक्ति होती है। यदि उस देश की स्वतन्त्रता के लिए कोई धमकी दी जाती है

तो इसका अर्थ यह होगा कि उसके जीने के तरीके को तथा उसके मूल्यों को समझी जा रही है । अतः राज्य का यह एक मुख्य कर्तव्य माना जाता है कि वह अपने नागरिकों को शक्ति का वातावरण एवं सम्पन्नता के अवसर प्रदान करे । राष्ट्र राज्य व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सर्प का एक प्रमुख कारण है किन्तु यह एक मात्र कारण नहीं है । समुन्नत राज्य समरीका और सोवियत रूस के बीच अनेक प्रश्नों पर जो मतभेद है उसे देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक एवं राजनैतिक संगठनों तथा विचारधाराओं के बीच स्थित भिन्नताएँ अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष के मुख्य कारण हैं । कुछ विचारकों का कहना है कि विचारधारा (Ideology) कभी-कभी तो राष्ट्रीयता की भावना से भी ऊपर उठ जाती है । एक देश के लोग दूसरे देश का समर्थन केवल इसी बात के आधार पर करने लगते हैं कि वहाँ के लोगों के विचार तथा विश्वास उन्हीं के जैसे हैं । विचारधारा के आधार पर ही विभिन्न राष्ट्रों के अलग-अलग जो संघर्ष या गृह युद्ध प्रारम्भ होते हैं वे बढ़कर अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप धारण कर लेते हैं । इस दृष्टि से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारम्भ होने वाला तीसरा युद्ध दो नैतिक दर्शनों के मध्य छिड़ने वाला एक भगडा था । माण्डियो महाकाव्य इस मत के समर्थक नहीं है । उनका कहना है कि राज्य जो भी कार्य करता है या जो भी निर्णय लेता है उसका मुख्य उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है । यह विचारधाराओं के आधार पर तो अपने व्यवहार एवं निर्णयों का औचित्य मान निरूपण करता है । अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का एक तीसरा आधार मूल्यों को माना जाता है । क्लाइड क्लुबहोन (Clyde Kluckhohn) आदि जाति शास्त्र के विद्वानों का मत है कि सघनपूर्ण नैतिक मूल्य मनमुटाव के प्रधान स्रोत होते हैं । मूल्यों के द्वारा व्यवहार का प्रभावित किया जाता है और कभी कभी तो उसे निर्णय भी किया जाता है ।

विचारधारा एवं विश्वास के आधार पर मनुष्य को बौद्धिक एवं मना-बैज्ञानिक आवश्यकताओं को सहारा दिया जाता है । उससे यह ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है तथा वह जो कुछ कर रहा है वह ठीक है या नहीं । मूल्य व्यवस्था को चुनौती देने का अर्थ होता है एक ऐसी चीज को चुनौती देना जो मानव जाति के लिए महारा अर्थ रखती है । इस प्रकार का व्यवहार नैतिक सुरक्षा एवं निश्चितता को खतरे में डाल देता है । एक देश की विदेश नीति पर वहाँ के लोगों के सामाजिक मूल्यों का पर्याप्त प्रभाव रहता है । कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि नैतिक एवं वैज्ञानिक विश्वासों के अतिरिक्त लोगों का या राज्य का कोई हित ही नहीं होता । अपने स्वीकृत नैतिक विचारों के दृष्टिकोण से ही वे यह तय करते हैं कि उनके

हित क्या है। विदेश नीति के सम्बन्ध में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। जब एक देश यह मान लेता है कि पूँजीवादी व्यवस्था की अपरिहार्य गति के कारण सघर्ष का होना अनिवार्य है अतः वह यह नीति अपनाता है कि गैर साम्यवादी देशों की यथा शक्ति सहायता करे ताकि वे यथा स्थिति को बनाये रखें तथा क्रांति का विरोध करें। सैद्धांतिक मूल्यों को विदेश नीति का अन्तिम निर्णायक माना जावे अथवा नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर अधिकांश विचारकों के बीच मतभेद है। वैसे अधिक लेखक एवं विचारक यह मानते हैं कि कोई भी राजनीतिज्ञ उन मूल्यों की अवहेलना नहीं कर सकता जो उसके अनेक देशवासियों द्वारा स्वीकृत हैं। दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की कोई भी ऐसी विचाराधारा यथार्थवादी नहीं कही जा सकती जो विरोधी मूल्यों पर गम्भीर रूप से विचार करने में असमर्थक रही हो।

कोई भी देश जब अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उतरता है तो उसके व्यवहार को प्रभावित करने में उक्त तत्वों के अतिरिक्त समाज के दबाव समूह भी पर्याप्त महत्त्व रखते हैं। एक देश में रहने वाले विभिन्न सामाजिक समूह एवं बुद्धि वर्ग अलग-अलग आर्थिक एवं राजनैतिक स्वार्थ रखते हैं और उन्हीं के अनुरूप वे देश की विदेश नीति को प्रभावित करना चाहते हैं। प्रत्येक समाज में ऐसे अनेक लोग होते हैं जिनकी स्वामीमति उनके देश की अपेक्षा उनके आर्थिक, व्यावसायिक अथवा ऐंसे ही अन्य सगठनों के प्रति अधिक रहती है। जब वे लोग अपने देश की विदेश नीति के लक्ष्यों का मूल्यांकन करने लगते हैं तो दृष्टिकोण भिन्न प्रकार का होता है।

लेनिन ने राज्यों के व्यवहार एवं शक्ति सघर्ष के लिए एक अन्य आधार को उत्तरदायी ठहराया है। उनका कहना है कि 'साम्राज्यवाद' पूँजीवाद का दूसरा सोपान है। पूँजीवादी देश अपने अतिरिक्त उत्पादन के लिए एक सुरक्षित बाजार चाहना है। अपने देश में उसे यह प्राप्त नहीं हो पाता। लेनिन की व्याख्या चाहे वैज्ञानिक थी अथवा नहीं थी यह बात सत्य है किंतु इससे यह तो स्पष्ट हो जाना है कि आधुनिक औद्योगिक एवं बैंक की समस्याओं को देश की राष्ट्रीय नीतिमार्गों का अतिक्रमण करना होता है। लेनिन ने इस तथ्य का उद्घाटन किया कि प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग या वर्ग होते हैं जो दूसरे लोगों की जमीन, जीवन एवं भूमि पर अपनी राष्ट्रीय सत्ता का प्रसार करना चाहते हैं।

शक्ति की राजनीति पर यथार्थवादी एवं आदर्शवादी दृष्टिकोण (Realist and Idealist Views about Power Politics)

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का सञ्चालन जिस रूप में होता है उसका वर्णन करने के लिए कई एक विचारधाराएँ विकसित की गई हैं। इन विचारधाराओं में यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विचारधाराएँ प्रमुख हैं जो शक्ति के लिए सघर्ष के व्यवहार की सकारण व्याख्या करती हैं। यथार्थवादी विचारधारा मुख्य रूप से इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस छोटे से कथन में ही यथार्थवादी विचारधारा का मूल निहित है। अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर 'राज्य' मुख्य अभिनेता का कार्य करते हैं। ये सभी सम्प्रभु इकाई होते हैं और इस प्रकार वह राज्य व्यवस्था की स्थापना करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की तुलना शतरंज के खेल से की जाती है जिसमें प्रत्येक इकाई यदि सर्वाधिक शक्ति की प्राप्ति का नहीं तो कम से कम भागे बढ़ने रहने का प्रयास तो करती ही है। इन प्रकार सभी राज्य प्रायः एक जैसी इच्छा एवं उद्देश्य को लेकर भागे बढ़ते हैं। उनका व्यवहार एक प्रकार से उन राजाओं की भांति होता है जिनका वर्णन मैकिणवेली ने किया है। राजाओं की तरह ये राज्य भी एक दूसरे से पूरी तरह स्वतन्त्र होने हैं। समाज का उनके ऊपर ऐसा कोई नियन्त्रण नहीं होता जो शक्ति की संधान में रत उनके अधिकारपूर्ण प्रयासों पर रोक लगा सके। आर्नोल्ड वाफर्स (Arnold Wolfers) का कथन है कि राज्य-शक्ति के लिए प्रतिद्वन्द्वी होते हैं तथा अपने अस्तित्व के लिए निरन्तर रूप से अपरिहार्य सघर्ष में रत रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये राज्य एक दूसरे के सम्भावित शत्रु बन जाते हैं। उनके बीच हम किसी प्रकार की मैत्री की सम्भावना नहीं देख सकते जब तक कि उनको किसी सामान्य शत्रु के विरुद्ध सन्धि बद्ध होने के लिए मजबूर न जाना पड़े। ऐसी स्थिति में हिंसात्मक व्यवहार की समाधानार्थ सदैव ही उपस्थित रहती हैं। यदि इस तथ्य को भुला दिया जाये प्रथवा कोई राज्य शक्ति प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना ही छोड़ दे तो इसका परिणाम उसके लिए पर्याप्त घातक हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य को निरन्तर रूप में सघर्ष में लगे रहना चाहिए क्योंकि यह उस समय तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक दूसरे पक्ष के पास में विरोध करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। यद्यपि कोई भी राज्य शक्ति को सन्तुलित करने में रुचि नहीं लेता किन्तु फिर भी यह हो सकता है कि अपनी शक्ति को बढ़ाने के राज्यों के प्रयास के परिणामस्वरूप शक्ति सन्तुलन स्थापित हो जाए।

जब राष्ट्रों की शक्ति बीच मनुवन रहता है तो प्रायः शान्ति की अवस्था रहती है। यदि विश्व में शान्ति स्थापित करनी है तो इसका एकमात्र उपाय यह बताया जाता है कि राष्ट्रों के बीच शक्ति मनुवन स्थापित कर दिया जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय मन्त्रियों के वार में अस्तित्व के लिए निरन्तर मध्य या शान्ति की स्थापना के लिए शक्ति मनुवन की स्थापना के बारे में जो विचार प्रकट किए गए थे वे आज की बदौली हुई परिस्थितियों में उपयोगी प्रतीत नहीं होते। कुछ विचारकों का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय मन्त्रियों को कुछ रूप से शक्ति के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता किन्तु फिर भी यह प्रयास राष्ट्रों के व्यवहार के सम्बन्ध में एक यथार्थवादी प्रयास सिद्धता है। दूसरी ओर विचारकों का मत है कि शक्ति मनुवन के प्रतिरिक्त भी शान्ति की नीतियां हानी हैं और इनकी सफलता के अवसर भी पर्याप्त होते हैं।

यथार्थवादी विचारकों द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य एक निश्चित तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें किसके द्वारा वाञ्छित किया जाता है। यथार्थवादियों के मतानुसार इसके दो कारण हैं। इसका पहला कारण यह है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार व्यक्तिगत रूप से एक राष्ट्रिय रूप में इस प्रकार व्यवहार करते हैं जिस प्रकार कि जगती जानवर प्रयात् उनमें मर्दव ही शक्ति प्राप्ति की इच्छा प्रदान करते हैं। जब शक्ति की इच्छा की व्यक्तिगत स्तर से राज्य के स्तर पर लाया जाता है तो उसका स्वरुप व्यापक बन जाता है और इस व्यापक स्वरुप के अनुसार राष्ट्रों के द्वारा अपने अस्तित्व के लिए निरन्तर मध्य किया जाता है। इसका दूसरा कारण यह बताया जाता है कि राज्य शक्ति की मात्रा में इसलिए नहीं लगे रहते कि उनमें शक्ति की कामना हानी है वरन् इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि वे अपनी सुरक्षा चाहते हैं। वर्तमान राज्य व्यवस्था में प्रत्येक राज्य अपने आरक्षा समुचित समझता है क्योंकि कोई एक कन्द्रीय सत्ता नहीं है और अतः सम्पूर्ण राज्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में वर्तमान है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक राज्य यह चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक शक्ति हो ताकि दूसरे राज्य उस पर आक्रमण न कर सकें। यद्यपि एक राज्य के अधिकारी शक्ति प्राप्त करने के प्रयास में कई बार उसके मूल उद्देश्य के विपरीत भी चल जाते हैं। जब सभी राज्य अपने अस्तित्व के लिए मध्य कर रहे हैं और शक्ति की बढ़ा रहे हैं, तो इससे और भी असुरक्षा उत्पन्न हो जाती है। यथार्थवादी विचारक राष्ट्रों के व्यवहार में एक स्पष्टता देखते हैं क्योंकि वे सभी राज्य शक्ति की साधना में लगे हैं। इस पर भी प्रागे चलकर वे यह मानते

लगे कि शक्ति के प्रति राज्यों का दृष्टिकोण एक जैसा नहीं होना और इसके आधार पर राज्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। मार्गेंथो (Morgenthau) के मतानुसार पहली श्रेणी उन राज्यों की है जो यथा स्थिति चाहते हैं। इन राज्यों की नीतियाँ शक्ति के वितरण को बदलने की दिशा में नहीं चलनी वरन् शक्ति के स्तर को यथावत बनाए रखना का प्रयास करती हैं। दूसरी श्रेणी के राज्य साम्राज्यवादी कहे जा सकते हैं। इनका उद्देश्य अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने का होता है। फ्रेड्रिक शूमा (Frederick Schuman) ने भी प्राग्भ में इस बात पर जोर दिया था कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति अपने आपमें एक लक्ष्य होती है किन्तु बाद में शूमा महोदय ने भी शक्ति के आधार पर राज्यों को दो भागों में वितरित किया। उन्होंने बताया कि जिन राज्यों को स्थापित वस्तु स्थिति से लाभ होता है वे उसे बनाये रखना चाहते हैं और दूसरी ओर जो लोग यथास्थिति से असन्तुष्ट हैं वे उसे बदलना चाहते हैं।

यथार्थवादी विचारधारा के अतिरिक्त राष्ट्रीय शक्ति के महत्व एवं कार्यों के संबंध में एक अन्त विचार आदर्शवादी विचारको द्वारा रखा गया है। आदर्शवादी विचारको का मुख्य ध्यान शक्ति की नीतियों की ओर तथा एक अच्छी दुनिया बनाने की ओर है। ये विचारक जिन नीतियों को लागू करना चाहते हैं उनका ध्यान करने से पूर्व इन्हें वर्तमान वस्तुस्थिति का अध्ययन करना होता है। आदर्शवादियों ने अन्तर्राष्ट्रीय-राजनीति का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह यथार्थवादी दृष्टिकोण से भिन्न ही नहीं वरन् विपरीत है। आदर्शवादी विचारक राज्यों को अपने अध्ययन का विषय नहीं बनाते वरन् व्यक्तियों को, जनता की शक्ति मानव जाति को अपने अध्ययन का आधार बनाते हैं। आदर्शवादी यह मानकर नहीं चलते कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बहुत राज्य व्यवस्था है जिनमें प्रत्येक-प्रत्येक राष्ट्रीयताएं पाई जाती हैं; किन्तु ये तो विश्व समाज को अपने अध्ययन का आधार बनाने हैं और उन लोगों से संबंध रखते हैं जो विश्व समाज के सदस्य हैं। इस प्रकार आदर्शवादी विचारक यथार्थवादियों की भांति इस बात पर जोर नहीं देते कि प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के लिए सघर्ष करता रहता है अथवा राज्यों के बीच सदैव ही सघर्ष रहता है। इन विचारकों द्वारा मानव जाति के सामान्य उद्देश्य अथवा व्यक्तिगत रूप में मनुष्य के सामान्य मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। इनका कहना है कि अपिकाञ्च लोग प्रायः एक जैसी चीजों को मूल्यवान मानते हैं, उदाहरण के लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, स्वप्रशासन का अधिकार, अपनी मातृभूमि की रक्षा और इन सबके अतिरिक्त हिंसा के

अभाव आदि । इस प्रकार के मूल्यों के होते हुए यह कहना गलत होगा कि राष्ट्रों के बीच निरन्तर सघर्ष बना रहता है। यदि राष्ट्रों के बीच गलत फहमियां न हो तथा एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करे तो अन्तर्राष्ट्रीय जगत में शांति एवं सहयोग रहेगा और राष्ट्रीय शक्ति का पूर्ण अभाव रहेगा। एक बार राष्ट्रपति विल्सन ने कहा था कि कोई भी जनता किसी दूसरे देश की जनता के विरुद्ध कभी भी युद्धरत नहीं हुई किन्तु फिर भी सरकारें एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करती हैं । राष्ट्रपति विल्सन का यह कथन आदर्शवादी विचारधारा के आधार को ही नष्ट कर देता है क्योंकि आदर्शवादी विचारक अपने अध्ययन का आधार उस जनता को बनाते हैं जो कभी युद्ध नहीं करती और उन सरकारों को अध्ययन के क्षेत्र से बाहर रखते हैं जिनके कारण युद्ध होता है ।

आदर्शवादी विचारधारा को हम एक स्पष्ट दृष्टा नहीं मान सकते क्योंकि यह इस बात को पूरी तरह नहीं भुला देती कि विश्व में स्वतन्त्र राष्ट्र हैं जिनके बीच सघर्ष रहता है और जो शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं । आदर्शवादी लोग शक्ति की राजनीति की धुनोनी से सदैव सजग रहते हैं । यद्यपि वे यथार्थ का अध्ययन करते हैं किन्तु फिर भी उनका मुख्य ध्यान इस बात पर रहता है कि क्या होना चाहिए और क्या होगा । आदर्शवादी विचारक उन घातक शक्तियों का भी ज्ञान रखते हैं जो समाज के कानूनों और विश्व की शांति को तोड़ते हैं । इन शक्तियों की प्रकृति के बारे में उनको किसी प्रकार का सदेह नहीं है । ये शक्तियाँ उस युग के भ्राजकतावादी अवशेष हैं जो अब समाप्त हो रहा है । यह युग उन्नत स्वेच्छाचारी शासकों का युग था जो राष्ट्रों के भाग्य को स्वयं नियन्त्रित करते थे किन्तु अब नियन्त्रण की यह शक्ति जनता के हाथों में आती जा रही है । स्वेच्छाचारी शासकों के युग में जनता के हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था और शासकवर्ग अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए शक्ति की राजनीति में उतर्भा कर शक्ति के सेन खेलता था । जहाँ वहीं और जब कभी इस प्रकार की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ प्रभाव में आती हैं वही शांतिप्रिय राष्ट्रों का समाज इनकी भ्रात्रमणकारी शक्ति एवं हिंसा का शिकार बन जाता है । इस प्रकार विश्व राजनीति के रूप में शक्तिवारी परिवर्तन घा गए हैं । प्रजातन्त्रमक राज्यों की स्थापना के बाद से राष्ट्रीय शक्ति का रूप और उद्देश्य दोनों में भारी परिवर्तन आ गया है । आज यदि विश्व में सघर्ष है या लडाइयाँ होती हैं तो उनका कारण कुछ राज्यों के प्रशासकों की स्वेच्छाचारी प्रकृतियों एवं व्यक्तिगत स्वामिमान आदि हैं । वैसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति शांतिप्रिय राज्यों

से पूर्ण हैं। आज यदि सघर्ष भी होना है तो उनका रूप पहले से भिन्न है। पहले तो प्रत्येक राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की स्थिति थी किन्तु आज केवल कुछ आक्रमणकारी एवं तानाशाही देश ही विरुद्ध शांति को भंग करते हैं और उनका विरोध करने के लिए शांतिप्रिय राष्ट्रों को सामूहिक शक्ति कार्य करनी है।

आदर्शवादी विचारधारा के मानोवकों का कहना है कि इसके द्वारा वर्तमान विश्व की जो व्यावस्था की गई है उसमें से अधिकतर की प्रकृति कल्पनात्मक है। यह पहले से ही कुछ मान्यताएँ लेकर चलती है और मान-बोध प्रकृति तथा हितों के सामन्वय के बारे में इसकी ये मान्यताएँ अत्यधिक आशावादी हैं। आदर्शवादी लोगों ने आक्रमण की भी तकलीफें रूप में परिभाषित किया है।

शक्ति की राजनीति के बारे में यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विचारकों ने जो मत प्रस्तुत किए हैं वे अनेक दृष्टियों से एक दूसरे के विपरीत हैं तथा पर्याप्त भिन्नता रखते हैं। इतने पर भी दोनों विचारधाराएँ कई क्षेत्रों में गहरा सम्बन्ध रखती हैं। आर्नोल्ड वाफर्स (Arnold Wolfers) के कथनानुसार दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समान स्तर पर देखती हैं, जिसे शक्ति का स्तर कहा जा सकता है यद्यपि वे इसको विरोधी सिद्धांत से देखती हैं। यदि हम इन दोनों विचारधारामें के अन्तरों का सरलीकरण करना चाहें तो कह सकते हैं कि यथार्थवादी विचारक मुख्य रूप से शक्ति की सौज में रुचि लेते हैं और हितवादी रूप में इसकी अभिव्यक्ति को राष्ट्रों के मध्य स्थित राजनीति का मूल तत्व मानते हैं। दूसरी ओर आदर्शवादी इसको समाप्त करने में रुचि लेते हैं। इस स्तर पर दोनों के बीच कोई मत नहीं हो सकता। आदर्शवादियों का यह विचार पर्याप्त सार्थक प्रतीत होता है कि शक्ति दूसरे लक्ष्यों के लिए साधन होती है। यह अपने प्रायः से कोई लक्ष्य नहीं है। यदि लक्ष्यों के बिना ही शक्ति पर विचार किया जाए तो यह उसका एक निषेधार्थक पहलू होगा। आदर्शवादी विचारधारा को इस अर्थ में भी सही माना जा सकता है कि अनुप्य सामान्य रूप से शांति को मूल्य प्रदान करते हैं और उनके इस मूल्यांकन का नीति निर्माताओं के निर्णयों पर प्रभाव हो सकता है। जब शांति प्रिय व्यक्तियों की अधिकतम संख्या प्रभाव डालती है तो राजनीतियों को कुछ परिस्थितियों में बाध्य होकर अपनी राष्ट्रीय भावों को शक्ति के साधन द्वारा पूरा कराने का मार्ग छोड़ना पड़ता है अथवा मार्ग कम करनी पड़ती है। दूसरी ओर यथार्थवादी विचारधारा का भी

अपना महत्व है क्योंकि इसने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के महत्व का वर्णन किया है; यद्यपि इसने उन नीति सम्बन्धी लक्ष्यों पर कम ध्यान दिया जो शक्ति की खोज की प्रेरणा बनते हैं। इसने यह माना कि बहुराज्य व्यवस्था शक्ति के लिए संघर्ष की ओर लगी हुई है। अमल में आदर्शवादी और यथार्थवादी विचारधाराएँ शक्ति की राजनीति के सम्बन्ध में जो विचार प्रस्तुत करती हैं वे दो ध्रुवों की भाँति विपरीत हैं। एक विचारधारा शक्ति के लिए संघर्ष में उलझने के लिए कहती है तो दूसरी विचारधारा शक्ति की ओर से पूर्णतः उदासीन होने का उपदेश देती है। वैसे दोनों का उद्देश्य समान है और वह है शान्ति की स्थापना। एक उसे शक्ति को सन्तुलित करके पाना चाहता है जबकि दूसरा सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था द्वारा।

शक्ति संघर्ष के रूप

(The Forms of Struggle for Power)



मार्गेन्थो (Morgenthau) महोदय ने शक्ति संघर्ष के तीन मुख्य-मुखर रूपों का वर्णन किया है। ये रूप शक्ति के प्रति रहने वाले विशेष दृष्टिकोण से प्रभावित रहते हैं। शक्ति के ये तीन मूल रूप निम्न प्रकार हैं—

(१) शक्ति को बनाये रखना (To keep power)—शक्ति का यह वह रूप (Pattern) है जिसमें एक देश शक्ति स्थिति को ज्यों की त्यों रखना चाहता है। शक्ति के इस रूप से प्रभावित विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य यह होता है कि विश्व के देशों की शक्ति स्थिति इस समय जैसी है वह वैसी ही बनी रहे; उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न आये। यह नीति यथास्थिति (Status quo) की नीति कही जाती है।

(२) शक्ति में अभिवृद्धि करना (To increase power)—कुछ देशों की विदेश नीति का लक्ष्य वर्तमान शक्ति स्थिति को पलटना होता है। ऐसे देशों के पास जितनी शक्ति होती है वे उसे और भी अधिक बढ़ाना चाहते हैं। शक्ति स्थिति में वे देश ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं जो उनके पक्ष में हो। ऐसे देश साम्राज्यवाद की नीति को अपनाते हैं।

(३) शक्ति का प्रदर्शन करना (To demonstrate power)—बहुत से देश ऐसी नीति अपनाते हैं जिसके अनुसार उनको शक्ति का प्रदर्शन करने का अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके। यह प्रदर्शन शक्ति को ज्यों की

राष्ट्रीय शक्ति का सामान्य विचार

रूपों बनाये रखना तथा उसे बढ़ाने, इन  लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। इस नीति को सम्मान की  कहते हैं।

उक्त तीनों ही रूपों में शक्ति के विभिन्न क्षेत्र समय-समय पर खेले जाते हैं तथा ये ही अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को नियमित भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाया जाने वाला शक्ति का सघर्ष हमें दार्विण के अस्तित्व के लिए सघर्ष (Struggle for existence) तथा योग्यतम की विजय आदि सिद्धान्तों का स्मरण कराता है जिसका उल्लेख जीव विकास के प्रसंग में किया गया था किन्तु यह राज्य व्यवस्था के विकास पर पूरी तरह से लागू होता है। विश्व के राज्यों के हित आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, भौगोलिक एवं सैनिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में जब परस्पर टकराते हैं तो एक सघर्ष की ही स्थिति पैदा हो जाती है। इस सघर्ष में जो राष्ट्र विजयी होता है वह प्रायः बढ़ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसको सम्मानीय पद प्राप्त हो जाता है। इस पद की प्राप्ति के लिए प्रायः सभी राष्ट्र समान रूप से बालाघित रहते हैं।

राष्ट्रीय शक्ति के तत्व : भूगोल और प्राकृतिक स्रोत

[THE ELEMENTS OF NATIONAL POWER:
GEOGRAPHY AND NATURAL RESOURCES]

एक राष्ट्र की शक्ति उसकी वह सामर्थ्य होती है जिसके आधार पर वह अन्य राष्ट्रों पर अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकता है। शक्ति प्रत्येक राष्ट्र का मूल आधार है। शक्ति के बिना राष्ट्र के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। विभिन्न राष्ट्रों के पास रहने वाली शक्ति के अनुपात में पर्याप्त असमानता रहती है। साथ ही उनकी शक्ति के रूप भी अलग-अलग होते हैं। ऐसी स्थिति में जब भी हम राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन करें तो यह मान कर चलना चाहिये कि हम एक अत्यन्त जटिल विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस विषय की परिधिवा इतनी अस्पष्ट है कि प्रत्यक्ष रूप से देखने पर ज्ञात नहीं हो पाती। जब एक राष्ट्र अपनी भौतिक शक्ति का प्रयोग करता है तो वे आसानी से दिखाई दे जाती हैं किन्तु जब वह अन्य भौतिक साधनों के द्वारा शक्ति का प्रदर्शन करता है तो देखने वाला तुरन्त ही पहचान नहीं पाता। इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति के दर्शनीय एवं अदर्शनीय दो प्रकार के तत्व हैं। इसके अदर्शनीय तत्वों में भूगोल, तकनीक एवं मोरेल का नाम लिया जा सकता है। ये तत्व प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय शक्ति पर प्रभाव डालने वाले नहीं लगते किन्तु असल में इनका पर्याप्त प्रभाव रहता है। राष्ट्रीय शक्ति के समस्त तत्व एक दूसरे से सम्बन्धित रहते हैं।

यदि एक राष्ट्र एक तत्व की दृष्टि से सम्पन्न है तो वह अन्य तत्व की दृष्टि से भी कुछ विवक्षित समस्या में होगा। जिस प्रकार बिना तेल के इंजिन ब्रेकार हो जाता है—उसी प्रकार बिना प्राकृतिक साधनों के तकनीकी विकास पर्याप्त उपयोगी नहीं रह जाता। शक्ति के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक सम्बन्ध को देखकर कई बार यह कहा जाता है कि शक्ति एक अविभाज्य षोडश है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में शक्ति की समस्या मूल रूप से एक सापेक्षिक तत्व है। किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति उस देश की जनसंख्या, कच्चा माल एवं अन्य मात्रात्मक तत्वों से मिश्र होती है। एक राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित करने वाले कुछ गुणात्मक तत्व भी होते हैं। उदाहरण के लिये उस राष्ट्र के सम्भावित मित्रों की सहायता उसकी सत्त्वामों की लचीली प्रकृति, उस देश के लोगों का तकनीकी ज्ञान आदि। किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति को मापना एक अत्यन्त ही जटिल कार्य है। राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों का अध्ययन करना ही इस दृष्टि से उपयोगी रहेगा। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रायः सभी विचारक इन तत्वों के अस्तित्व के बारे में एकमत हैं किन्तु उनके वर्णन करने का तरीका अलग अलग है। राष्ट्रीय शक्ति के इन तत्वों का विकास जिस देश में जितना अधिक होता है उसे राष्ट्रीय शक्ति से उतना ही सम्पन्न माना जाता है। प्रत्येक देश की विदेश नीति इस प्रकार निश्चित की जाती है ताकि वह इन तत्वों के अधिकतम विकास को ध्यान में रख कर चल सके।

राष्ट्रीय शक्ति के इन तत्वों को मार्गेंबो महाशय ने दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। प्रथम वर्ग को वे स्थायी तत्व (Relatively Stable Elements) कहते हैं और दूसरे वर्ग को अस्थायी तत्व (Elements Subject to Constant Change) कहते हैं। इन दोनों ही वर्गों में आने वाले राष्ट्रीय शक्ति के तत्व मार्गेंबो के मतानुसार नीचे होते हैं जो ये हैं—

१. भूगोल (Geography)
२. प्राकृतिक साधन (Natural Resources)
३. औद्योगिक क्षमता (Industrial Capacity)
४. सैनिक तैयारी (Military Preparedness)
५. जनसंख्या (Population)
- ✓ ६. राष्ट्रीय चरित्र (National Character)
- ✓ ७. राष्ट्रीय मोरेल (National Morale)
- ✓ ८. कूटनीति का गुण (Quality of Diplomacy), तथा
- ✓ ९. सरकार का गुण (The quality of Government)

पावर तथा पारबिन्स ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को गैर-मानवीय एवं मानवीय वर्गों में विभाजित किया है। गैर-मानवीय तत्वों में वे भूगोल तथा प्राकृतिक साधनों का वर्णन करते हैं और मानवीय तत्वों में वे पाच का उल्लेख करते हैं। ये हैं—

- १ जनसंख्या (Population)
- २ तकनीकी ज्ञान (Technology)
- ३ विचारधाराएँ (Ideologies)
- ४ मोरेल (Morale), तथा
- ५ नेतृत्व (Leadership)

राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का वर्णन अन्य अनेक लेखकों द्वारा भी किया गया है। इनके बीच थोड़ा बहुत अन्तर ही वर्तमान है। उदाहरण के लिये श्लाइसर महाशय ने अन्य तत्वों के अतिरिक्त उत्पादन क्षमता (Productive Capacity) एवं आर्थिक तथा राजनैतिक संस्थाएँ (Economic and Political Institutions) का भी नामोल्लेख किया है।

मार्गेन्थो (Morgenthau) की भाँति श्लाइसर (Schleicher) महोदय भी यह स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों के बीच स्थायित्व (Stability) की दृष्टि से अन्तर रहता है। कुछ तत्व दूसरों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं तथा उनको मापना भी सरल होता है। उदाहरण के लिए भूगोल तथा प्राकृतिक साधनों में स्थायित्व तथा मापे जाने की सम्भावनाएँ जनसंख्या की संस्थाएँ एवं गुणों की तुलना में अधिक होती हैं। ये सभी तत्व मिलकर एक देश को तीन प्रकार की सामर्थ्य प्रदान करते हैं—

- (१) आर्थिक सामर्थ्य (Economic Capacity)
- (२) मनोवैज्ञानिक सामर्थ्य (Psychology Capacity) तथा
- (३) भौतिक सामर्थ्य (Physical Capacity)

राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों का महत्त्व सदा एकसा नहीं रहता है, यह समय की परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है। उदाहरण के लिए आज स दो सौ वर्ष पूर्व जनसंख्या का राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से जो महत्त्व था वह आज नहीं है। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन की भौगोलिक स्थितियाँ पहले उसकी शक्ति को बढ़ाने में जो योगदान करती थीं वह आज के वैज्ञानिक युग में उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं रह गई हैं। राष्ट्रीय शक्तियों के विभिन्न तत्वों के परिचय तथा महत्त्व के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के

एक छात्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि गणित के सवाल करने से पूर्व गिनती का ज्ञान होना आवश्यक होता है।

राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का विश्लेषण करना अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विचार्यों के लिए परम आवश्यक होते हुए भी इनके सम्बन्ध में यह बात सर्वत्र ही ध्यान में रखनी होती है कि इन तत्वों का योगदान ही एक राज्य की शक्ति की मात्रा को व्यक्त नहीं कर पाता। राज्य की शक्ति को असल में उनके व्यवहार के माध्यम में ही परखा जा सकता है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का अध्ययन करने के बाद हम इस योग्य हो जाते हैं कि किसी कार्य को करने की एक राज्य की सामर्थ्य का अनुमान लगा सकें। जब भी किसी राज्य की शक्ति के किसी तत्व का विश्लेषण किया जाये तो उसके सम्बन्ध में कुछ सामान्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इस सम्बन्ध में पहली बात यह है कि शक्ति के सभी तत्व सापेक्षिक महत्त्व रखते हैं। उनका मूल्यांकन करते समय अन्य राज्यों, विशेषतः पड़ोसियों एवं सम्भावित विरोधियों के ऐसे ही तत्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यदि हम यह कहे कि ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या ५३ मिलियन है तो यह कथन उम समय तक उसके शक्ति सम्बन्धों की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता जब तक कि उसके आस-पास के देशों की जनसंख्या को न देखा जाये तथा महा शक्तियों की जनसंख्या को न देखा जाये।

दूसरे, राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों की मात्रा का उल्लेख मात्र कर देना भी अर्थहीन होगा। हमें यह भी देखना होगा कि ५३ मिलियन जनसंख्या में कितने लोग ब्यस्क हैं, कितने बूढ़ हैं, कितने बालक हैं, कितने रोगी, अपाहिज तथा असमर्थ हैं? कुल जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या क्या है तथा पुरुषों की संख्या क्या है? इनमें भी शिक्षित लोग कितने हैं और अशिक्षित कितने? आदि आदि। इन सारी बातों का स्पष्टीकरण करने के बाद ही जनसंख्या के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि एक विशेष देश की राष्ट्रीय शक्ति कितनी है।

तीसरे, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व अपने आप में कोई महत्त्व नहीं रखते। उनकी उपयोगिता एवं साधकता इस बात पर निर्भर करती है कि उनके लिए शक्ति के अन्य तत्वों का कितना सहारा प्राप्त है। जब भी कभी हम एक तत्व का मूल्यांकन करने लगे तो इसके लिए दूसरे तत्वों की स्थिति की भी जानकारी प्राप्त करनी होगी। यदि शक्ति के अन्य तत्वों का एक राज्य में अभाव है तो कितनी भी एक तत्व की पर्याप्त मात्रा को वहाँ साधक नहीं माना जा सकता और इसलिए वह भी महत्त्वहीन बन जायेगा। उदाहरण के लिए

यदि एक देश सैनिक तैयारियों की दृष्टि से पर्याप्त प्राप्ति है किन्तु उसके पास पर्याप्त जनसङ्ख्या एवं औद्योगिक स्रोत नहीं है तो वह अपने उस शत्रु के सामने भी नहीं टिक सकेगा जिसकी सैनिक तैयारियाँ उतनी अधिक नहीं थी। इसका कारण यह है कि जब उस विशेष देश को युद्ध में क्षति हागी तो वह उसकी पूर्ति करने में अपने आपको असमर्थ पायेगा। जब एक देश के पास अतिरिक्त साधन होते हैं तो उनका महत्व भविष्य की रणनीति की दृष्टि से होता है किन्तु तत्काल में उनको राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि का एक आवश्यक साधन नहीं माना जा सकता। भारतवर्ष एवं साम्यवादी चीन की जनसङ्ख्या एक दृष्टि से देखने पर उनकी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाते हैं किन्तु दूसरी दृष्टि से वे उनकी कमजोरी के कारण हैं क्योंकि इन देशों के पास इतने साधन स्रोत नहीं हैं कि वे अपनी जनसङ्ख्या का स्वमेव ही भरण-पोषण कर सकें। सब तो यह है कि जिसे एक स्थिति में शक्ति का तत्व माना जाता है वही दूसरी स्थिति में एक भार बन सकता है। उदाहरण के लिए यदि एक देश अन्य तत्वों की दृष्टि से मरीब है किन्तु उसके प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त सम्पन्न हैं तो वह देश बड़ी शक्तियों की ललचाई नजरो का शिकार बन जायेगा और अपनी स्वतन्त्रता को खोकर साम्राज्यवादी शक्तियों का उपनिवेश मान रह जायगा।

चौथे, शक्ति के तत्वों का प्रयोग कम कुशलता के साथ भी किया जा सकता है और अधिक कुशलता के साथ भी। एक विशेष देश में किसी विशेष समय पर शक्ति का एक तत्व अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है जबकि दूसरे समय में उसका महत्व इतना नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए, हम दो देशों को ले सकते हैं जिनमें एक का स्टील का उत्पादन दूसरे से कम है; किन्तु इस आधार पर हम एक देश को कम शक्तिशाली नहीं कह सकते क्योंकि यह हो सकता है कि उस देश के उद्योगों की माँग ही कम हो; जबकि अधिक स्टील उत्पादन वाले देश में यदि उद्योगों की 'माँग' पूर्ति से भी अधिक है तो वह अधिक मात्रा भी देश की कमजोरी का कारण ही समझी जायेगी। इसी प्रकार एक दृष्टिकोण का शक्ति मूल्य भी इस बात पर निर्भर करता है कि वह रणनीति में किस स्थान पर कार्य कर रहा है। मई १९४० में जब फ्रांस पर हिटलर का आक्रमण हुआ तो उस समय एक टैंक का मूल्य जर्मनी के हाथों में रहने पर अधिक या अपेक्षाकृत जैसे ही उस टैंक के जो फ्रांस के हाथों

में था।
 पाचवें, हम जिस युग में रह रहे हैं वह तकनीकी विज्ञान का युग है। हम मान्य से परिवर्तन यही सीधे शक्ति से हो रहे हैं। शक्ति के विभिन्न स्तर जो अभी पर्याप्त महत्वपूर्ण थे आज उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं तथा प्रत्य

नये महत्वपूर्ण तत्वों का विकास होता जा रहा है। पहले कोयले को ईंधन का मुख्य स्रोत माना जाता था किंतु बाद में इसका स्थान तेल ने ले लिया। तेल का स्थान यूरेनियम लेता जा रहा है। यह भी सम्भव है कि विज्ञान के विकास, यूरेनियम को भी महत्वहीन बना दें। ठीक इसी प्रकार हथियार भी सामायिक बन जाते हैं। विज्ञान एवं तकनीक का विकास नये नये आविष्कार करता है और पुरानों को महत्वहीन बना देता है। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के साथ-साथ शक्ति के कम इष्ट तत्वों में भी परिवर्तन होता रहता है। जब कभी सरकार की कुशलता एवं जनता के मोरेल में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं तो इसके कारण शक्ति-सम्बन्धों में भी गम्भीर परिवर्तन आ जाते हैं।

6 छठे, तैयारी के पहलू को भी नहीं मुलाया जाना चाहिए। यहाँ तक कि अतीत काल में भी रणनीतियाँ तय करते समय सिपाहियों के बीच इस आधार पर भेद किया जाता था कि वे हथियारों से तैयार तथा युद्ध के लिए तैयार हैं अथवा नहीं हैं। जो सैनिक सशस्त्र खड़े हैं वे उनसे अधिक मूल्यवान हैं जिनको कि तैयार होने में समय लगेगा। आज का जमाना बटन को दबा कर युद्ध करने का जमाना है। ऐसी स्थिति में बमबारी करने वाला वह जहाज जिसे उड़ने के लिए कुछ घण्टे चाहिए, उस जहाज से मित्र है जो बमबारी के लिए बिल्कुल तैयार है। यदि अचानक ही आक्रमण कर दिया जाये तो वह बम-वर्षक जहाज निरर्थक रहेगा जिसे तैयार होने के लिए कुछ समय की जरूरत थी। यही बात शक्ति के अन्य तत्वों पर भी इसी प्रकार लागू होती है। यदि वे क्रियान्वित होने के लिए तैयार हैं तब तो ठीक है वरना उनका महत्व एवं प्रभाव उतना नहीं रहेगा।

इस प्रकार जब भी कभी किसी राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन किया जाये तो उसके विश्लेषण को केवल प्राप्त प्राक्-दो तक ही सीमित नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी मावी प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में देखना चाहिए। यहाँ एक समस्या यह उठती है कि विश्वसनीय सांख्यिकीय एवं अनुमानों तथा उनके समय के बीच किस प्रकार सम्बन्ध स्थापित किया जाये। राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति सापेक्षिक होने के कारण एक अन्य समस्या यह उठती है कि दूसरे देश की शक्ति को किस प्रकार जाना जाये। केवल अनुमानों एवं सम्भावनाओं के आधार पर किया गया भूल्याकन कई बार गलत साबित होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भूगोल का योगदान (The Role of Geography in International Politics)

किसी देश का भूगोल उसकी शक्ति के विभिन्न तत्वों में सर्वाधिक

स्थापी होता है। नेपोलियन ने एक बार कहा था—एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित की जाती है। मात्सेवको के मतानुसार नेपोलियन का यह कथन प्रतिशयोक्तिपूर्ण है क्योंकि वस्तुस्थिति के अनुसार भूगोल के अनिश्चित अर्थ तत्व भी होते हैं जो प्रभाव डालते हैं। इतने पर भी यह निर्विवाद सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भूगोल का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यूनानी सभ्यता के काल से ही मनुष्य ने प्रकृति एवं उसके प्रभावों का मानवीय सम्बन्धों के साथ सम्बन्ध का अध्ययन किया है। अस्तु ने बताया कि वातावरण एवं मानवीय चरित्र के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करके राज्य की आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को जानने के लिए जिज्ञासु को ऐतिहासिक के साथ साथ भौगोलिक दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सक्रिय कार्यकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों को एक ऐसे मानचित्र की आवश्यकता होती है जो जनसंख्या, कच्चा माल, संचार के रास्ते आदि बातों का दिग्दर्शन करा सके। भूगोल के प्रति राष्ट्रीय चेतना का स्रोत प्रायः उम्र दश का इतिहास होता है, पश्चिमियों के साथ उसके सम्बन्ध होते हैं तथा प्राथमिक क्रियाएँ होती हैं। इन सभी स्रोतों के द्वारा संचार का जो रूप प्रदर्शित किया जाता है वह शलत भी हो सकता है। समुक्त राज्य अमरीका शताब्दियों तक अपने प्रायः भौगोलिक दृष्टि से यूरोप से अलग समझता रहा। यही कारण है कि उसने पारंपरिक नीति को अपनाया जो भाज के अनेक निष्पक्ष देशों द्वारा अपनायी जा रही है। भूगोल प्रादेशिक राज्यों के व्यवहार पर प्रभाव डालने वाला इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि अनेक विचारक केवल भौगोलिक प्रभावों के आधार पर ही एक देश की विदेश नीति का स्पष्टीकरण करते का प्रयास करते हैं। पैडलफोर्ड तथा लिंकन (Padelford & Lincoln) के कथनानुसार भौतिक भूगोल विश्व राजनीति को अधिक निरन्तर रूप से प्रभावित करने वाला तत्व है। यह उन आवश्यकताओं, लक्ष्यों, नीतियों एवं शक्ति को प्रभावित करता है जिनका राज्य अपने हितों की दृष्टि से अपनाते हैं। अनेक विचारक यह मानते हैं कि एक देश के प्रदेश के आधार तथा उसकी शक्ति के बीच संबंध अवश्य रहता है। विश्व का राजनैतिक नक्शा बदलता रहता है उसमें अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। दिग्दर्शन के नाम में व्यक्ति जब तो अन्तरिक्ष एवं समय यहाँ का भी स्वामित्व करने की योजनाएँ बना रहा है। इतने पर भी जलवायु, वातावरण एवं भौतिक विशेषताएँ अपने प्रायः बहुत कम बदलती हैं। भूगोल की कुछ मान्यताओं एवं तथ्यों का अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर लागू करने की दृष्टि से उनका अर्थव्यवस्था किया जाना अत्यंत

अनिवार्य है। भूगोल के अर्थ एवं प्रभाव को अन्य तत्वों के सम्बन्ध में देखा जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, दृष्टिकोण, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याएँ, आर्थिक तत्व, तकनीकी एवं जनसंख्या आदि। ये सभी तत्व परिवर्तित प्रकृति वाले होते हैं इसलिए भूगोल का प्रभाव भी गत्यात्मक बन जाता है। एक ही ही जलवायु अलग-अलग समय एवं परिस्थितियों में अलग-अलग प्रकार का प्रभाव डालती है।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भौगोलिक दृष्टिकोण

(The Geographical Approach towards International Affairs)

बीसवीं शताब्दी से पूर्व विचारकों ने भूगोल और राज्य के कार्यों के बीच सम्बन्धों की एक व्यवस्थित मान्यता को विकसित करना प्रारम्भ कर दिया। भौगोलिक-राजनीति (Geo-Politics) का सन् १९४५ से पूर्व पर्याप्त प्रभाव था किन्तु पिछले कुछ दिनों से यह प्रभाव कम हो गया है। भूगोल में रुचि कम होने के कारण अनेक गैर भौगोलिक तत्वों का विकास हुआ, जैसे कि विचारधारा तकनीकी राष्ट्रवाद एवं नेतृत्व आदि। आज यह भी माना जाने लगा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी एक तत्व प्रभावपूर्ण नहीं होता। भूगोलशास्त्रों इस बात को स्वीकार नहीं करते कि प्रकृति मानव-व्यय क्रियाओं को निर्धारित करती है। किन्तु वे यह अवश्य मानते हैं कि वातावरण और राजनीति के बीच एक अन्तर सम्बन्ध है और इससे व्यक्ति एवं राज्यों के कार्यों, मूल्यों तथा प्राथमिकताओं पर प्रभाव पड़ता है। यह कहा जाता है कि जब तक शक्ति अथवा शक्ति की घमकी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को नियमित करने वाला अन्तिम तत्व है तब तक कोई भी राज्य शक्ति के इस तत्व की अवहेलना नहीं कर सकता।

राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारित करने वाली विचारधाराओं में भूगोल के बराबर महत्वपूर्ण कार्य बहुत कम के द्वारा किया गया है। आज से लगभग पचास वर्ष पूर्व भौगोलिक स्थिति का राष्ट्रीय शक्ति से सम्बन्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे अधिक स्थायी तत्व माना जाता था। यूरोप में विशेष रूप से, वातावरण, जनसंख्या और साधनों का ऐसा उपयुक्त संयोग था कि उसकी आर्थिक, तकनीकी एवं सामाजिक व्यवस्था सभ्यता में सर्वोच्च बन गई। सभ्यता के प्रायः सभी देश भूगोल और जलवायु के प्रभाव से सीमित रहते हैं। रुडोल्फ़ क्जेल्लेन (Rudolf Kjellen) ने सबसे पहले सन् १९१६ में भौगोलिक राजनीति (Geo-Politics) शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी पुस्तक

'राज्य-जीवन का एक रूप' (The State as a Form of Life) में मीगो-
निक राजनीति को परिभाषित करने हुए बताया है कि यह राज्य की एक
विचारधारा है जो उसे एक भौगोलिक भावधरकी मानती है।

भौगोलिक-राजनीति के कुछ विचारकों का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय
सम्बन्ध भूगोल की मुख्य मुख्य चीजों से सम्बद्ध रहते हैं। पेंडिलफाई तथा
लिनन के कथनानुसार भौगोलिक राजनीति भूमि विज्ञान और राजनीति
विज्ञान के मध्य स्थित क्षेत्र को जोड़ने का एक प्रयास है। यह भौगोलिक
सम्बन्धों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रनीति के रूप में
मूल्यांकित करने का प्रयास करती है। कुल मिला कर भौगोलिक-राजनीति
(Geo-Politics) एक ऐसा शब्द है जो राज्यों की शक्ति और नीतियों
के अध्ययन तथा विक्षेपण के प्रति एक दृष्टिकोण का द्योतक है।

(१) मैकाइन्डर के विचार (The Ideas of Mackinder)

भौगोलिक राजनीति के आधुनिक विचारों के विकास के लिए सर
हाल्फर्ड मैकाइन्डर (Sir Halford Mackinder) को उत्तरदायी बनाया जाता
है जो इंग्लैंड के भूगोलशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने दुनिया की
भूमियों की कुछ भौगोलिक विशेषताओं का विद्वानापूर्ण विश्लेषण किया और
समुद्रों से उनका सम्बन्ध दिखाते हुए बताया कि कुछ भौगोलिक वास्तविकताएँ
भावी विश्व की घटनाओं के विकास को मोड़ने में महत्वपूर्ण कार्य करेंगी।
मैकाइन्डर ने अपने विचार सर्वप्रथम सन् १९०४ में 'रसे और इनको सन्
१९१९ में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'प्रजातन्त्रात्मक आदर्श और सत्य'
(Democratic Ideals and Realities) में परिवर्तित किया और सन्
१९४३ में उनको पुनः समायोजित किया।

मैकाइन्डर ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका को दुनिया के द्वीप के
रूप में वर्गीकृत किया। उन्होंने इस प्रदेश की केन्द्रीय भूमि (Heart land)
यूरोशिया के आन्तरिक क्षेत्र को बनाया जो पश्चिम जर्मनी से आकर
साबिपत यूरोप में जाता हुआ, केन्द्रीय आइबेरिया तक पहुँचा है। उन्होंने
विश्व के अन्य भागों को भी आन्तरिक क्रीसेंट (Inner Crescent),
रिमलैंड (Rim Land), बाहरी क्रीसेंट (Outer Crescent), आदि
श्रेणियों में वर्गीकृत किया तथा उनकी प्रलय-धनग विशेषताओं एवं प्रभावों
का वर्णन किया। मैकाइन्डर का विश्वास था कि प्रभावशाली समुद्र शक्ति
का युग समाप्त होने को है। उनका कहना था कि फँस कर मारे जाने वाले

शस्त्रों के आविष्कार से पूर्वी यूरोपियन मुख्य भूमि आक्रमणों से अपेक्षाकृत स्वतन्त्र रहेगी और क्योंकि इस भूमि में प्राकृतिक साधन और मनुष्य शक्ति बहुतायत से प्राप्त होती है इसलिए यह महान शक्ति को उत्पन्न करने में सक्षम है। मैकाइन्डर का तर्क था कि यदि ग्रन्थ चीजें ममान हैं तो मुख्य भूमि (Heart Land) दुनिया का मुख्य क्षेत्र है। उनका यह कहना था कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वही मुख्य भूमि (Heart Land) पर अधिकार रखता है और जो मुख्य भूमि पर शासन करता है वह विश्व-द्वीप पर अधिकार रखता है और जो विश्व-द्वीप पर शासन करता है वह सत्तार पर अधिकार रखता है।

वार्शिय के शांति सम्मेलन के दौरान मैकाइन्डर ने यह चेतावनी दी कि जर्मनी पुनः खड़ा होकर यूरोपीय रुस पर अधिकार कर सकता है और इस प्रकार मुख्य भूमि पर नियन्त्रण कर लेगा। सन् १९४३ में उन्होंने यह चेतावनी दी कि यदि रुस जर्मनी पर अधिकार कर लेता है तो वह आंतरिक क्रीसेट को जीत सकता है और उसके बाद विश्व साम्राज्य बनाने की ओर अग्रसर हो सकता है। यह डर उस समय और अधिक बढ़ गया जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आल-सेनाओं ने केन्द्रीय यूरोप और पूर्वी जर्मनी पर अधिकार कर लिया। जब चेंको-स्लोवाकिया में फरवरी सन् १९४८ में साम्यवादी क्रांति हो गई तो पश्चिमी यूरोप के देश कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका आदि ने नाटो संधि की। ट्रूमैन प्रशासन की संधियों की नीति, ट्रूमैन सिद्धांत, नाटो, सिएटो, और सैंटो आदि संधियाँ मैकाइन्डर के विश्लेषण के आधार पर ही चल रही थीं ताकि रिगलैंड को मुख्य भूमि की शक्ति के द्वारा प्रशासित होने से रोका जा सके।

विश्व की घटनाओं को देखने तथा उनका अनुमान लगाने की दृष्टि से मैकाइन्डर के विचार पर्याप्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं। इसके आधार पर किमी भी देश की सम्भावित समस्याओं को देखा जा सकता है। मैकाइन्डर के विश्लेषण के आधार पर ही महाशक्तियाँ यूरोप से एशिया की ओर बढ़ रही हैं। यदि सोवियत सभ और चीन एक साथ मिल कर कार्य कर रहे होते तो शायद मैकाइन्डर की भविष्यवाणी पूरी हो गई होती। मैकाइन्डर का विचार मुख्यतः यूरोप से प्रभावित था और उन्होंने अमरीका को एक बड़ी शक्ति के रूप में नहीं देखा। बाद में उन्होंने उत्तरी अटलांटिक मुख्य भूमि के विकास को पहचाना और उसके बाद सैनिक शक्ति पर जोर देना प्रारम्भ किया किन्तु फिर भी इतिहास उसके विश्लेषण को केवल अमिलेख भाग नहीं बना सकता।

(२) समुद्र शक्ति पर माहून के विचार (The Ideas of Mahan on Sea Power)

माहून ने भी एक विद्वत्पूर्ण नीतिगत विवेचन प्रस्तुत किया है और समुद्र की शक्ति के महत्व पर जोर डाला है। माहून का दृष्टिकोण मॅकाइन्डर के उस विचार से भिन्न है कि समुद्र शक्ति का महत्व बट रहा है। वैसे इन दोनों ही विचारकों ने यह कल्पना नहीं की थी कि भूमि, समुद्र, वायु और प्रयोगशालाओं की शक्ति को एक ही संनिव शक्ति में एकीकृत किया जा सकता है। माहून के विचार इस मान्यता पर आधारित थे कि यूरोप या एशिया की कोई भी महाद्वीपीय शक्ति ब्रिटेन या अमरीका के नौ-सैनिक नेतृत्व को मरुततापूर्वक चुनौती नहीं दे सकती। माहून का विश्वास था कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पड़ोसी फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे शक्तिशाली देश हों और फिर भी वह समुद्रों का नियन्त्रण कर सके। ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका ऐसे देश हैं जिनके पास ऐसी भूमि की सीमाएँ नहीं हैं जिनकी रक्षा करें। इसलिए वे बड़ी नौ-सेना की स्थापना पर अपनी मुरझा क्रियाओं को केन्द्रित कर सकते हैं। माहून का विश्वास था कि समुद्र पर ही बड़े शक्ति युद्धों का निगुंन होता है। उनकी मान्यता थी कि ब्रिटेन अपनी नौ-सैनिक सर्वोच्चता को स्थाई रूप में बनाये नहीं रख सकता। इसलिए संयुक्त राज्य अमरीका को चाहिए कि बड़ी नौ-सेना का समर्थन करे ताकि घर से बाहर भी किसी युद्ध में भाग ले सके। राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट माहून के विचारों में रुचि लेते थे किन्तु संयुक्त राज्य अमरीका की नीति इन विचारों पर आधारित नहीं थी। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जो विजय प्राप्त हुई वह संयुक्त राज्य अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन की कुशल नौ-सेना पर आधारित थी जो अपने देश से दूर रह कर लड़ने में सक्षम थी। इस प्रकार माहून के विचारों में मार प्रकट हुआ। आधुनिक काल में होने वाले विचारों ने माहून के विचारों का कई दृष्टियों से सीमित कर दिया है। हवाई बहाक, अंतर महाद्वीपीय प्रयोगशाला, आधुनिक शीशोनीकरण आदि के कारण माहून की कई मान्यताएँ महत्वहीन बन गई हैं। माहून के विचारानुसार महाशक्ति बनने के लिए एक देश को ऐसी सैनिक शक्ति की रचना करनी चाहिए जो अपने देश में बाहर रह कर महार्द लड़ सके। यदि माहून न वायु सेना और भूमि सेना को भी अपने विचारों में स्थान दे दिया होता तो उनका महत्व बढ़ जाता। माहून के विचारों का आज की दुनिया में प्रभाव ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका की नीतियों के द्वारा ही प्रकट नहीं होता बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की शक्तिशाली नौ सेना और

वायुसेना और सन् १९४७ के बाद से नोवियन मघ की जन सेना एव वायु-सेना का विकास उसके विचारों की उद्युक्तता सिद्ध करता है। यदि माशन ने आज की परिस्थितियों में लिखा होता तो वह पल सेना पर अधिक जोर देता।

(३) स्पाईकमैन के विचार (The Ideas of Spikman)

प्रोफेसर स्पाईकमैन (सन् १८६३-१९४३) का मुख्य सम्बन्ध यह देखने से था कि दुनियाँ के भौगोलिक एव राजनैतिक तत्वों का समुक्त राज्य अमरीका की रणनीति की स्थिति एव विदेश नीति से क्या सम्बन्ध है। उनके विचारों में वायु एव प्रलेनलाइवों के रणनीति सम्बन्धी महत्व को ध्यान में रखा गया है। स्पाईकमैन के मतानुसार भूगोल विदेश नीति की रचना में सर्वाधिक मौलिक रूप से प्रभाव डालने वाला तत्व है। उन्होंने यह बताया कि एक देश की सापेक्षिक शक्ति केवल उसकी सैनिक सामर्थ्य पर ही निर्भर नहीं करती बरन् यह अन्य अनेक तत्वों पर आश्रित रहता है जस प्रदेश का आकार, सीमाओं की प्रकृति, जनसंख्या, कच्चा माल, आर्थिक और तकनीकी विकास, वित्तीय शक्ति, प्रभावशील सामाजिक एकता, राजनैतिक स्थायित्व एव राष्ट्रीय भावना आदि आदि। जिस समय समुक्त राज्य अमरीका पार्थिव्य की नीति को अपना रहा था उस समय स्पाईकमैन महाशय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि समुक्त राज्य अमरीका विश्व की शक्ति में सतृप्तन की स्थापना के लिए ग्रेट ब्रिटेन के साथ सहयोग करके अपनी क्षमता को प्रयुक्त नहीं करेगा तो पुरानी विश्व शक्तिगण नए विश्व को घेरने के लिए समझित हो सकती हैं। स्पाईकमैन के विचारानुसार अमरीका की नीति प्रभावशील शक्तियों को यूरोप के महाद्वीपीय रिमलैंड में स्थापित होने से रोकना था। यदि यूरोप, मध्यपूर्व अफ्रीका, दक्षिण एशिया और सुदूरपूर्व रिमलैंड में से किसी भी क्षेत्र में कोई विरोधी महाशक्ति विकसित हो गई तो वह समुक्त राज्य अमरीका के हितों के लिए एक दुर्नीति बन जायगी। समुक्त राज्य अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन के पास पर्याप्त नौसेना है। यदि वे दोनों मित्र बन गए तो उन प्रदेश पर नियन्त्रण स्थापित कर सकते हैं जिसे मैकाइन्डर ने भ्रान्तरिक त्रिषेण्ट कहा था और स्पाईकमैन उसे रिमलैंड कहते हैं। स्पाईकमैन का विचार है कि जो रिमलैंड पर नियन्त्रण करता है वह यूरेशिया पर शासन करता है और जो यूरेशिया पर शासन करता है वह विश्व के माध्य पर नियन्त्रण करता है। स्पाईकमैन के मध्यमन का उद्देश्य यह नहीं था कि समुक्त राज्य अमरीका दुनियाँ पर शासन करे। वह विश्व में शांति चाहते

थे और इसके लिए यूरेशिया के अन्तर्गत शक्ति सतुलन को आवश्यक समझते थे। स्पाईकमैन के समय में ही यह स्पष्ट हो गया है कि कोई भी स्थानीय शक्ति सतुलन विश्व शक्ति सतुलन के अधीनस्थ होता है और समुक्त राज्य अमरीका की शक्ति किसी भी शक्ति सतुलन के लिए परमावश्यक है।

(४) हाशोफर के विचार

(The Ideas of Haushofer)

जर्मनी के भूगोलशास्त्री कार्ल हाशोफर (१८६९-१९४६) ने भौगोलिक राजनीति पर बहुत कुछ लिखा है कि नाजी विचारों पर उनका बहुत प्रभाव था। हाशोफर तथा उसके अनुयायियों के मतानुसार भौगोलिक-राजनीति एक गुप्त वस्तु थी जो जेलेन (Kjollen) के इस विचार पर आधारित थी कि राज्य अपने आप में महत्वपूर्ण है तथा शक्ति राज्य का महत्वपूर्ण अंग है। इस आधार पर हाशोफर ने यह बताया कि जर्मनी के लोगों की उच्च जाति के रहने के लिए अलग से क्षेत्र की आवश्यकता है। इसे भौतिक शक्तों की दृष्टि से प्रारम्भिक होना चाहिए तथा योरोपीय मुख्य भूमि का नियन्त्रण करना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के मार्ग में ग्रेट ब्रिटेन की भी शक्ति एक सोवियत संघ की पल-सेना आती थी, अतः जर्मनी के सामने युद्ध करने के प्रलाप और कोई रास्ता नहीं था। नाजी पार्टी की हार के साथ ही हाशोफर के विचारों का प्रभाव भी समाप्त हो गया। संक्षेप में उसने नाजी आक्रमण का समर्थन करने के लिए भूमि प्रसार की विचारधारा का पक्ष लिया तथा भौगोलिक राजनीति के विश्लेषण की अवहेलना की।

(५) भूगोल पर साम्यवादी विचार

(Communist Ideas on Geography)

साम्यवादी तरीके पूर्ण शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं किन्तु साम्यवादी लेखकों द्वारा कहीं भी भौगोलिक राजनीति के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है। इसके विपरीत उनका विश्वास इतिहास के विकास की दृष्टात्मक प्रक्रिया में है तथा वे वर्ग युद्ध जीतने की मजदूरों की योग्यता में विश्वास करते हैं। साम्यवादी नेतृत्व भूगोल को रणनीति के दृष्टिकोण से समझता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के द्वारा प्रदान किये गये अवसरों का साम्यवादी रुस ने प्रयोग किया और पूर्वी योरोप में प्रभावित राज्यों की स्थापना की। इसके अतिरिक्त टर्की के दरें पे, उत्तरी ईरान में, बोरनम द्वीप में तथा अल्बानिया में भी अपने अपने पक्ष जमाने का प्रयास किया किन्तु सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इसी प्रकार साम्यवादी चीन भी दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व

एशिया में बढ़ता जा रहा है तथा इन क्षेत्रों से साम्राज्यवादी शक्तियों के हटने की निरन्तर मांग करना रहता है। वह भारत के कुछ भाग पर तथा भ्रान्तरिक एशिया में कुछ प्रदेश पर सोवियत सप से दावा कर रहा है। यह कहा जाता है कि साम्यवाद को पीकिङ्ग से पेरिस पहुंचने के लिए जो रास्ता अपनाया होगा वह है यूरोपियन रिमलैंड (Eurasian Rimland) का। यदि इस मार्ग में अफ्रीका या संयुक्त राज्य अमेरिका ने टांग फमाई तो साम्यवाद की विजय सम्भवी पड़ सकती है। सन् १९४५ में जापान के आत्म-समर्पण की शर्तगाठ के अन्तर्गत पर साम्यवादी चीन के उप-प्रधानमंत्री लिन पियाओ (Lin Piao) ने साम्यवादी विजय विजय की राजनीति की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। इस रूपरेखा में भौगोलिक राजनीति के कुछ तत्वों को स्थान दिया गया। यह बताया जाता है कि चीन में मार्क्स-लेनिन की साम्यवादी विजय की राजनीति कबल इसलिए सफल हो पाई थी क्योंकि उसने देहाती क्षेत्रों को क्रान्ति का आधार बनाया और बाद में शहरों की भी घेराबन्दी की गई। इसी नीति को विश्व में साम्यवादी क्रान्ति लाते समय काम में लाया जा सकता है। चीनी नेताओं के मतानुसार यदि हम सम्पूर्ण ग्लोब पर विचार करें तो उत्तरी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप को 'दुनिया के नगर' माना जा सकता है तथा एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका को दुनिया के देहाती क्षेत्र कह सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के पूजावादी देशों में मजदूरों का क्रान्तिकारी आन्दोलन कई कारणों से मन्द पड़ गया है जबकि एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका में जनता का आन्दोलन व्यापक रूप से बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार साम्यवादी विचारकों के मतानुसार विश्व का वर्तमान रूप बहु विध प्रस्तुत करता है जिसमें शहरों के चारों ओर देहाती क्षेत्रों का घेरा डला हुआ है। देहाती क्षेत्रों की जनसंख्या अधिक है और वे ही विश्व में क्रान्ति ला सकते हैं। इस प्रकार चीन के नेता भौगोलिक राजनीति को एक विशेष रूप में लेकर चलते हैं। उनकी दुनिया की तस्वीर अलग है और जब तक उनको नहीं समझा जाता तब तक साम्यवादी देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को सही रूप में समझना कठिन होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भूगोल का प्रभाव

(The Influence of Geography upon International Politics)

वर्तमान काल में अधिकांश भूगोल शास्त्री भूगोल की तापेक्षिता के सम्बन्ध में पर्याप्त सजग हैं तथा यह मानते हैं कि भूगोल कोई निर्णायक तत्व

नहीं है, वरन् यह राज्य के व्यवहार को रूप देने वाले कई तत्वों में से एक है। भूगोल का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कितना प्रभाव है यह जानने के लिए मि० जेम्स (P E James) का यह कथन पर्याप्त उपयोगी प्रतीत होता है कि धरती का भौतिक चरित्र अलग अलग लोगों के लिए अलग-अलग अर्थ रखता है। अर्थात् भौतिक वातावरण का व्यक्ति के लिए क्या महत्व है यह तय करना उसके स्वयं के दृष्टिकोण, तकनीकी योग्यता एवं उद्देश्यों पर निर्भर करता है। मानवीय संस्कृति के इन तत्वों में से किसी में भी परिवर्तन होने पर धरती द्वारा प्रदत्त आधार का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस प्रकार शक्ति के तत्व के रूप में भूगोल का महत्व सापेक्षिक है, किन्तु इस तथ्य से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भूगोल का प्रभाव कम नहीं हो जाता क्योंकि शक्ति के प्रायः सभी तत्वों का महत्व सापेक्षिक है। वह सच है कि भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्रोत, जनसंख्या, वातावरण एवं उद्योग आदि के आकड़ों का उल्लेख मात्र ही कोई महत्व नहीं रखता जब तक कि इस उद्देश्य के प्रसंग में इनको न देखा जाये जिसके लिए कि मनुष्य इनका प्रयोग करना चाहते हैं। मनुष्य अपने वातावरण को अलग अलग रूप से देखने और नियंत्रित करने की क्षमता रखता है और इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भूगोल का सम्बन्ध भी बदलता रहता है। अर्थात् स्पष्ट रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि भूगोल का क्या रूप एक देश के लिए उपयुक्त रहेगा तथा उसी शक्ति को बढ़ाने का साधन होगा तथा किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति उसकी शक्तियों को कम कर दगी।

भौगोलिक तत्व पर विचार करते समय उसकी सापेक्षिकता को नो ध्यान में रखना ही चाहिए किन्तु साथ ही यह तथ्य भी जान लेना चाहिए कि भूगोल राष्ट्रीय शक्ति एवं रणनीति से अनेक विशेष रूपों में सम्बन्ध रखती है। एक के बाद एक होत वाने तकनीकी विकासों के कारण विश्व में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं किन्तु इसमें स्थिति, जलवायु आकार एवं मानचित्र का महत्व कम नहीं हुआ है। स्टीफेन जोन्स (Stephen B Jones) ने सुझाया है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भूगोल के प्रभाव को दो दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिए। प्रथम है गत्यात्मक चीजों की विस्तृत सूची (Inventory) और दूसरा है 'रणनीति' (Strategy)। जॉन्स महाशय के मतानुसार इन्वेंट्री शब्द एक देश की उभय सम्भावित शक्ति को इंगित करता है जो उसके आधार जनसंख्या, साधन स्रोत एवं औद्योगिक आधार के कारण उसे प्राप्त होता है। इसमें आकार एवं विकास का अधिकतम सम्मिश्रण होता है। यह शक्ति उत्पादित वस्तुओं के प्रकार के

भाषार पर अनेक रूपों वाली हो सकती है। इसके प्रतिरिक्त उल्लिखित वस्तुओं का विवरण इस प्रकार किया जाये कि ध्वज की अधिक से अधिक भाषा सैनिक सामान में खड़े। स्विट्जरलैंड में प्राकृतिक साधन भादि पर्याप्त हैं, उनको समुक्त करने के साधनों की भी कमी नहीं है किन्तु फिर भी वहाँ ये सब चीजें लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में ही महत्ताम कर सकती हैं। दूसरी ओर समुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के पास पर्याप्त प्राकृतिक भाषार हैं जिस पर शक्ति अन्तिम रूप से भाशित रहती है। 'रएनीति' उन उक्तकों की ओर इशारा करती है जो भौगोलिक स्थिति की तकनीकी से भिन्न देने पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रभुत्व स्थापित करने से उत्पन्न होती है।

अदि हूण विद्यनी शताब्दी के ऐतिहासिक परिदृश्यों पर दृष्टिपात करें तो इन्वेन्ट्री तथा रएनीति के मध्य स्थित अन्तर का विवेचनएतदनुक मूल्य स्पष्ट हो जायेगा। १९वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में जर्मनी के एकीकरण एवं इतकति से होने वाले भौगोलिक विकास ने उसके प्राकृतिक, जनसंख्या सम्बन्धी एवं भौगोलिक इन्वेन्ट्री को व्यापक रूप से बढ़ा दिया। इसके अन्त-रूप अर्थात् इस भाषा और विभाजित के साथ दो बार विश्वयुद्ध में उभरता कि इसके कारण उसे योराप में प्रभुत्व प्राप्त हो जायेगा। रएनीति की दृष्टि से जर्मनी के एकीकरण एवं भौगोलिककरण ने उसे भौगोलिक विच्छिन्नता की स्थिति के दुष्परिणामों से इन्वेन्ट्रीगत शक्ति के लाभों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान की। एक देश के अस्तित्व पर स्थिति (Location) के रएनीति सम्बन्धी परिणाम क्या हो सकते हैं इस- लिए अल्प उदाहरण स्विट्जरलैंड तथा बेल्जियम भादि देशों द्वारा प्रदान किये जाते हैं। बेल्जियम एक ऐसी अल्प रसा हुआ है जो तीन बड़ी शक्तियों—फ्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स एवं जर्मनी के लिए रएनीति की दृष्टि से पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है। अतः वह चाहते हुए भी निष्पक्ष (Neutral) नहीं रह सकता। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड की स्थिति ऐसी है कि इस-तः पश्चिमी योरोप की इन बड़ी शक्तियों के लिए रएनीति की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं है। यही कारण है कि यह देश अपने भाष की दो विश्व युद्धों से दूर बचाये रह सका।

कनाडा एवं लेटिन अमेरिका के गणराज्यों में कुछ समय पूर्व तक न तो पर्याप्त जनसंख्या थी और न ही भौगोलिक भाषार, कि इनको बड़ी शक्ति कहा जा सके। ये देश भौगोलिक रूप में शक्ति के मुख्य केन्द्रों से दूर थे और इसलिए वे भाषमण से सुरक्षित बने रहे। समुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ को सर्वोच्च शक्ति इसलिए माना जाता है क्योंकि वे राष्ट्रीय शक्ति की

उपयुक्त इन्वेन्ट्री एव एक रणनीति युक्त स्थिति—दोनों ही भौगोलिक सामों का उपभोग करते हैं। इन सामों के सयोग के परिणामस्वरूप ही एक शताब्दी पूर्व डी टांकविल ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक दिन रूस और अमेरिका भाषी दुनिया के भाग्य को अपने हाथों में कर लेंगे। मैकाइन्कर ने यद्यपि विश्व के प्रागुनिक विकासो को न देखा था और न ही इनकी कल्पना की थी किन्तु भौगोलिक आधार पर अध्ययन करने के बाद उतने जो निष्कर्ष निकाले थे आज भी मही ठहरते हैं और उमने समार के जिन क्षेत्रों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया था उनमें से कई एक अब भी सघर्ष के केन्द्र हैं।

मध्यपूर्व एव एशिया के जलवायु पर राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने की दृष्टि के कभी विचार नहीं किया गया जैसा कि योरोप में किया गया है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में जनसंख्या की समस्या भी अधिक है इसलिए अरब एव एशिया के राष्ट्र अपने स्रोतों का विकास नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप ये क्षेत्र शक्ति के केन्द्र रहने की अपेक्षा शक्ति से शून्य रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भूगोल के महत्व के सम्बन्ध में मेकलेसन एव अन्य का यह कथन उचित ही है कि भूगोल वह नींव स्थापित करती है जिस पर कि सामर्थ्य पारस्परिक माध्यता एव सघर्ष निम्न रहते हैं। इसके महत्व को कम नहीं आना चाहिए।

भौगोलिक तत्व एव विश्व राजनीति (Geographical Elements and World Affairs)

भौगोलिक तत्वों का विश्व की घटनाओं पर किस प्रकार और कितना प्रभाव पड़ता है उसके सम्बन्ध में लेखकों ने समय-समय पर अपने विचार प्रकट किये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान प्रायः इस बात पर एक मत हैं कि एक देश का मानचित्र, उसका आकार, उसकी सीमाएँ, जलवायु, स्थिति बाह्य अन्तरिक्ष आदि का किसी न किसी रूप में उस देश की विदेश नीति पर उल्लेखनीय प्रभाव रहता है। इन तत्वों का कौन सा रूप किस देश के लिए सामदायक रहेगा और कितना लाभदायक रहेगा अथवा हानिकारक रहेगा यह बात उस देश में अन्य शक्ति के तत्वों की स्थिति पर निर्भर करती है। ये तत्व निम्न प्रकार वर्णित किये जा सकते हैं।

(१) मानचित्र (Maps)—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए सामान्य रूप से मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। कई बार एक

राष्ट्रीय शक्ति के तत्व

राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध की गई आक्रामक कार्यवाहियों को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए नक्सों का प्रयोग करता है। आक्रान्ता देश भी विश्व जनमत को अपने पक्ष में लाने व उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। भारतीय सीमा संधर्ष के समय संकमोहन रखा का प्रयोग तथा भारत-पाक युद्ध के दौरान समय-समय पर प्रखण्डों में अपने वाले सीमाओं के मानचित्रों की याद दूरके हम यह प्रमाण सकते हैं कि अन्तराष्ट्रीय राजनीति में नक्सों का कितना महत्वपूर्ण भाग है।

मानचित्र को प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके होते हैं। उदाहरण के लिए मर्केटर विधि (Mercator Projection), समान क्षेत्रीय मानचित्र (Equal area maps), उपरी दिशा के प्रस्तुतीकरण (Orthographic projection) आदि। मानचित्र को प्रस्तुत करने का कोई भी एक तरीका पूर्णरूप से सतोपजनक नहीं माना जा सकता। प्रत्येक तरीके का एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की दृष्टि से हम उसे सही मान सकते हैं।

(ii) आकार (Size)—किसी भी देश का बड़ा आकार उसके लिए हितकारी एवं अहितकारी दोनों ही प्रकार का हो सकता है। श्लाइटर (Schleicher) महोदय के मतानुसार यदि अन्य बातें समान हैं तो एक देश जितना बड़ा होगा, सुरक्षात्मक शक्ति उसमें उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए सन् १९३७ में तथा १९४५ में दो बार ऐसे अवसर प्राये कि जापान चीन को कुचल सकता था किन्तु चीन का आकार बड़ा था और इसी कारण दोनों बार उसकी सेनायें विनाश पश्चिमी क्षेत्र में पीछे हट गईं। अपने बड़े आकार के कारण ही रूस १९१२ में 'नेपोलियन' के विरुद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर के विरुद्ध अपनी रक्षा सफलतापूर्वक कर सका था। यदि एक देश का आकार बड़ा है तो आक्रमणकारी को सतार एवं पातापात में कठिनाई होती है, तथा प्रावश्यकता की चीजें समय पर प्राप्त नहीं हो पातीं। यदि देश के किसी भाग पर उसने अधिकार भी कर लिया तो वह प्रभावकारी तथा स्थायी नहीं रह सकता।

आकार में बड़ा होना यह सिद्ध नहीं करता कि वह देश शक्तिशाली होगा। असल में स्थिति यह है कि जब देकार की भूमि जनसंख्या के केन्द्रों को बाट देती है तो उस देश का आकार एक रोड़ा बन जाता है जब तक कि एक समावर्ती संचार व्यवस्था कायम न की जाये। इस बन्धन के उदाहरणस्वरूप अस्ट्रेलिया का नाम लिया जा सकता है। देश की शक्ति पर आकार के अतिरिक्त स्थिति, उपजाऊन, वर्षा की मात्रा, लोगों का

स्वभाव, नेतृत्व का स्तर, तकनीकी ज्ञान का स्तर आदि तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि १९०४-०५ के रूसी-जापानी युद्ध के समय छोटे देश जापान ने बड़े देश रूस को चारों खाने चित्त कर दिया। रूस आकार की दृष्टि से बड़ा होने के कारण दूरस्थ साइबेरिया में सेना एवं समान को एकत्रित करने में असमर्थ रहा। एक देश का आकार बड़ा होने पर यातायात एवं संचार के साधनों का प्रयोग बड़ा महंगा तथा कठिन पड़ जाता है। जनसंख्या ऐसे देशों में फैली रहती है और इस कारण उसमें एकता का प्रभाव रहता है। फलतः उस देश की शक्ति घटती है, सांस्कृतिक एकता एवं प्रभावकारी प्रशासन का अभाव रहता है।

देश का आकार रक्षार्थक एवं आक्रमणकारी दोनों ही प्रकार के युद्धों पर प्रभाव डालता है, किन्तु यह प्रभाव कैसा व कितना पड़ेगा यह अन्य अनेक बातों पर निर्भर करता है जैसे उस देश के कूटनीतिज्ञ कितने दूरदर्शी हैं, उस देश का मौसम कैसा है, आवागमन के साधन कितने प्रभावकारी हैं, तथा सेना के नेताओं का मस्तिष्क कैसा है आदि।

(iii) जलवायु (Climate)—एक देश के निवासियों का स्वास्थ्य तथा मानसिक एवं बौद्धिक स्तर बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश का जलवायु किस प्रकार का है। जलवायु से भूमि के उत्पादन तथा लोगों के चरित्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठण्डे देशों के लोग अधिक सक्रिय एवं परिश्रमी होते हैं, गर्म देशों के निवासी अपेक्षाकृत आलसी होते हैं। एक देश की जलवायु के आधार ही वहाँ की सांस्कृतिक साधन (Natural resources) तथा कुछ सीमा तक राजनैतिक संगठन एवं सरकार के रूप का निर्धारण किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर जलवायु का अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए यदि भारत में अनावृष्टि या अतिवृष्टि होती है तो यहाँ की साख स्थिति शोचनीय बन जायेगी हमें विदेशों से सहायता लेनी पड़ेगी और यह सहायता भारत के विदेशों से सम्बन्धों को महत्वपूर्ण रूप में प्रभावित करेगी। इस प्रकार जलवायु का देश के लोगों की शक्ति पर सीधा तथा राष्ट्रीय शक्ति पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक सर्द तथा बहुत अधिक गर्मी एक देश की राष्ट्रीय शक्ति, उत्पादन क्षमता, एवं शक्ति के लिए बहुत हानिकारक होती है।

(iv) राष्ट्रीय सीमाएँ (National boundaries)—प्रत्येक देश एक निश्चित क्षेत्र में बसा हुआ होता है। इस क्षेत्र की, सीमाएँ कभी-कभी प्रकृति द्वारा बना दी जाती हैं। प्राकृतिक चीजें जैसे पहाड़, नदियाँ, समुद्र आदि के

द्वारा दो देशों के बीच में सीमा रेखा खींच दी जाती है, उदाहरण के लिए फ्रांस और ब्रिटेन को विभाजित करने वाली प्राकृतिक शक्तिया ही हैं। जिन राष्ट्रों के बीच प्रकृति द्वारा सीमायें निर्धारित नहीं की जाती वहाँ पर प्रायः सीमा संधर्ष होते देखे जाते हैं। बहुत समय से हिमालय को भारत का उत्तरी प्रहरी माना जाता है। यह भारत को रक्षा के लिए निर्मित प्राकृतिक दीवार के समान है। यह सच है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के इस युग में इन प्राकृतिक सीमामों का पूर्ववत् महत्व नहीं रहा है किन्तु यह नहीं माना जा सकता कि आज ये महत्वहीन हैं। आल्प्स की पहाड़ियों द्वारा इटली को जो रक्षा रेखा खींची गई है उसने इतिहास में कई बार इटली को विदेशी आक्रमणों से रक्षा की है। इन पहाड़ियों का सैनिक एवं राजनैतिक महत्व आज भी मलया नहीं जा सकता। राष्ट्रीय सीमामों को लेकर आज विश्व में अनेक संधर्ष वर्तमान हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय शानि के लिए गम्भीर खतरा बने हुए हैं, उदाहरण के लिए भारत-चीन संधर्ष, भारत-पाक संधर्ष, उत्तरी एवं दक्षिणी विपतनाम को लेकर अमरीका व चीन का संधर्ष, रूस तथा चीन का संधर्ष आदि-आदि।

प्रत्येक राज्य के पास भूमि का जो क्षेत्र होता है वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की दृष्टि से एक मूल चीज मानी जाती है। प्रत्येक राज्य की सीमाएँ उन क्षेत्रों से मिली रहती हैं जो अन्य सम्प्रभु राज्यों के नियन्त्रण में हैं अथवा वे अन्तर्राष्ट्रीय जल को छूती हैं। प्रत्येक राज्य को अपने प्रदेश के ऊपर के मुक्त प्राजाय पर अधिकार होता है। ये राष्ट्रीय सीमाएँ जम देश की राष्ट्रीय शक्ति और स्वतन्त्रता के प्रतीक होते हैं तथा अपनी सुरक्षा करने की राज्य की योग्यता को प्रदर्शित करते हैं। एक राष्ट्र की सीमायों को साधना अनेक गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय सवट उत्पन्न कर देना है और परम्परागत रूप से राष्ट्रीय सीमाएँ भंगडे का कारण रही हैं। राष्ट्रीय सीमामों को नई प्रकार से राष्ट्रीय सम्प्रभुता का प्रादात्मक सीमा कह सकते हैं। प्रत्येक राज्य अपनी सीमाओं पर रक्षा दल नियुक्त करता है जो हमारे देशों के अनाधिकार आक्रमणों को रोक सके। ये सीमा के रक्षक प्रवेश करने वाले विदेशियों के उनके पासपोर्ट आदि को देखते हैं। कमी-कमी राष्ट्रीय सीमाओं को क्लेबन्दी कर दी जाती है अथवा दीवान खींच देते हैं या तार लगा देते हैं ताकि अनाधिकार रूप से कोई प्रवेश न करे। वर्तमान समय में क्षेत्रीयकरण की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसके कारण यूरोप तथा एशिया महाद्वीपों में इन राष्ट्रीय रक्षावटों का महत्व कम हो गया है ताकि व्यापार का संचालन एवं लोगों का आशानमन सुविधापूर्वक किया जा सके। रेडियों संचार के

माध्यम से राष्ट्रीय सीमाओं को बांधा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अच्छी सड़को तथा आवागमन के साधनों के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय संर को काफी प्रोत्साहन मिला है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सीमा सम्बन्धी अनेक गम्भीर भगड़े हैं। राष्ट्रों के बीच जो लड़ाइयाँ छिड़ती हैं उनका एक मूल कारण क्षेत्रीय सीमा विवाद होता है। रूस और चीन, चीन और भारत, मिस्र और इजरायल, भारत और पाकिस्तान आदि देशों के बीच सीमा सम्बन्धी गम्भीर विवाद हैं जो समय-समय पर मशरूम सघर्ष का रूप धारण कर लेते हैं। एशिया और अफ्रीका में नए राज्यों की रचना के समय उनके माथ ऐसी भूमि जोड़ दी गई जिस पर विश्व के दूसरे देश महमत नहीं हैं। इन अपरिभाषित नई सीमाओं के परिणामस्वरूप काश्मीर समस्या अरब-इजरायली सघर्ष, सोमालीलैण्ड—इथोपिया—केन्या का सघर्ष आदि सामने आए। राष्ट्रीय सीमाएँ प्रायः इस प्रकार निर्धारित की जाती हैं कि सम्बन्धित राष्ट्र प्रदेश की प्राकृतिक विशेषताओं का पूरा पूरा लाभ उठा सके। राष्ट्रीय सीमाओं के लिए राजनैतिक या ऐतिहासिक स्पष्टीकरण ही मान्य ममके जाते हैं। कभी शैतिक शक्ति के आधार पर भी एक देश की सीमाएँ बदली जा सकती हैं। जर्मनी का विभाजन उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की सीमाएँ, इटली एवं यूगोस्लाविया की सीमाएँ इनके कुछ उदाहरण हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय सीमाओं को निर्धारित करने में जनता की आत्म निर्णय की मान्यता का पर्याप्त प्रभाव था। भारत और पाकिस्तान की सीमाएँ, जो खींची गई उनका आधार मुख्य रूप से धार्मिक और साम्प्रदायिक था। वैसे जाति धर्म, सम्प्रदाय, आदि को कठोर रूप से राष्ट्रीय सीमाओं के निर्धारण का आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये चीजें राष्ट्रीय सीमाओं को ध्यान में रखे बिना ही परस्पर सयुक्त रहती हैं। बदलती हुई परिस्थितियों के प्रसंग में यह जरूरी बन जाता है कि राष्ट्रीय सीमाओं में परिवर्तन किया जाए। किन्तु यह परिवर्तन बड़ा कठिन होता है और प्रायः शक्ति के माध्यम से ही किया जाता है। सन् १९५५ में सार के क्षेत्र में जनमत सभ्य को सीमा परिवर्तन का आधार बनाया गया। कुछ राज्यों ने सीमा विवादों पर विचार करने के तरीकों को परिभाषित करने के मार्ग अपना लिए हैं। वैसे सीमा विवाद आज भी अनेक क्षेत्रों में विश्व शांति के लिए गम्भीर खतरा बना हुआ है और अनेक जटिलताओं का कारण है।

(१) स्थिति (Location)—राष्ट्रीय शक्ति पर प्रभाव डालने वाला एक दूसरा भौगोलिक तत्व है स्थिति (Location)। स्थिति का अर्थ है

कि एक देश किस स्थान पर स्थित है। यद्यपि स्थिति को परिवर्तित करना किसी भी देश की शक्ति के बाहर है किन्तु स्थिति के कारण उत्पन्न सम्मस्याओं का सामना करने के लिए जो उस देश को प्रयास करना ही पड़ेगा। स्थिति ही यह तय करती है कि उस देश में क्या पंश हो सकता है, क्या कौन-कौन से खनिज पदार्थ प्राप्त हो सकने, क्या का मौसम कैसा रहेगा, उद्योग-धन्यो के विवास के लिए क्या कितनी परिस्थितियाँ मौजूद हैं इत्यादि।

पामर तथा परकिंस (Palmer and Perkins) के मतानुसार दूसरे प्रदेशो एव राज्यों के साथ की सेनीय स्थिति एक देश की मस्कृति एव अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करती है तथा उसकी धार्मिक एव सैनिक शक्ति पर भी भस्तर डालती है। अर्थव्यवस्था पर स्थिति का प्रभाव पड़ने का कारण यह है कि यातायात के मार्गों का निर्धारण स्थिति के द्वारा किया जाता है। एक देश की स्थिति ही उस देश के कूटनीतिक एव युद्ध-कौशल के स्तर का निश्चय करती है। हो सकता है कि वह देश युद्धस्थल बन जाय और यह भी सम्भव है कि वह देश एक निरोधक राज्य (Buffer State) बने। इस प्रकार स्थिति का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो पर एव एक देश की शक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्थिति के कारण ही अनेक देशो को न चाहते हुए भी युद्ध में शामिल हो जाना पड़ता है।

उक्त सभी भौगोलिक तत्वों का एक देश की शक्ति के ऊपर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। ये तत्व एक देश की कमजोरी का कारण भी बन सकते हैं तथा उसी प्रकार उसकी शक्तिशीलता के भी। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास यह स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखता है कि अतीत काल में भूगोल ने एक देश की शक्ति को किस प्रकार से प्रभावित किया था। राष्ट्रीय शक्ति के भौगोलिक तत्व का महत्व अन्य तत्वों की स्थिति में परिवर्तन के साथ-साथ बदलता रहता है। उदाहरण के लिए भावागमन एव संचार के द्रुतगामी साधनों के द्वारा आज दूरी का महत्व बहुत कुछ दूर कर दिया गया है। फिर भी दूरी एव आकार का सुरक्षात्मक दृष्टि से भारी महत्व है। वायु-मार्गों यानों के आविष्कारों ने इस महत्व को और भी बढ़ा दिया है। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का राष्ट्रीय शक्तियों के विकास के लिए उतना ही महत्व है जितना कि एक पोषे के विकास के लिए उपजाऊ भूमि एव अनुकूल जलवायु का होता है।

(vi) बाह्य अन्तरिक्ष एव अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (Outer space and International Politics)—आज की स्थिति में दुनिया की समस्याएँ

इतनी गम्भीर हैं कि उनको सुलभाने के लिए बंटा जाए तो पर्याप्त समय, शक्ति और धन लगेगा, किन्तु उसके बाद भी आवश्यक नहीं कि प्रयास सफल हो जाए। ऐसी हालत में बाह्य अन्तरिक्ष की समस्याओं पर ध्यान देना कई विचारकों के मतानुसार उपयुक्त नहीं है, किन्तु फिर भी विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मनुष्य को जो क्षमता प्रदान की है उसने उनकी महत्वाकांक्षाओं का बड़ा दिया है। समुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ अन्तरिक्ष की दौड़ में बेहताशा लगे हुए हैं। चन्द्रमा, मंगल और शुक्र ग्रहों पर कृत्रिम उपग्रह भेजे जा रहे हैं और इस प्रकार मानवीय सभ्यता के विकास में नए अध्याय जोड़े जा रहे हैं। अन्तरिक्ष में किए जाने वाले विकासों का एक दूसरा रूप भी है जो राष्ट्रीय गोपनीयता को हटा कर आक्रमण को सम्भव बनाता है। पर्याप्त मानवीय और प्राथिक साधन इस प्रकार की तकनीकी पर खर्च किए जा रहे हैं। अन्तरिक्ष में रहने वाले धरणी शस्त्रों ने एक गम्भीर समस्या उत्पन्न कर दी है क्योंकि उनकी उपस्थिति को धामानी से परखा नहीं जा सकता। अन्तरिक्ष की तकनीकी के विकास में दोनों ही सम्भावनाएँ हैं। यह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम उसका प्रयोग सैनिक उद्देश्य से करते हैं अथवा शान्तिपूर्ण उद्देश्य के लिए। बाह्य अन्तरिक्ष में किए जाने वाले विकासों ने विश्व राजनीति के रूप को एकदम बदल दिया है। फलतः व्यवहार के नए नए साधन विकसित होते जा रहे हैं। विश्व किस दिशा में मोड़ लेगा यह इन साधनों के प्रयोग पर निर्भर है।

प्राकृतिक स्रोत (Natural resources)

राष्ट्रीय शक्ति में अमिवृद्धि करने वाले दूसरे प्रमुख तत्व प्राकृतिक स्रोतों को मूल्यवान लमी समझा जा सकता है जबकि उनसे उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का व्यक्ति उपयोग करने लग जाय। प्राकृतिक स्रोतों से चीज बनेंगी तब काम में लायी जायेंगी यह बात उस देश की तकनीकी प्रगति के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करती है। मार्गेन-घो (Morgenstern) महोदय ने इस तत्व को भी स्थाई प्रकृति का (Stable) होना स्वीकार किया है। पामर तथा परकिन्स ने प्राकृतिक स्रोतों को प्रकृति के उपहारों (Gifts of nature) के रूप में परिभाषित किया है। इन उपहारों की एक निश्चित उपयोगिता होती है। अधिकार शक्ति को, जलप्रपातों को तथा भूमि के उपशाकरण को इन प्रकार के उपहारों में ही गिना जा सकता है।

प्राकृतिक स्रोतों (Natural resources) तथा कच्चे माल (Raw material) के बीच प्रायः अन्तर दिखाया जाता है। जलप्रपात एवं उपजाऊ भूमि को प्राकृतिक स्रोत माना जा सकता है किन्तु उनको कच्चा माल नहीं कहा जा सकता।

प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग एवं महत्व समय और स्थान के साथ बदल जाता है। किसी भी वस्तु को तब तक प्राकृतिक स्रोत एवं राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं माना जा सकता जब तक कि लोग उसका उपयोग करना प्रारम्भ न कर दें। अज्ञानी सभ्यताओं की स्थिति का इस दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। कहा जाता है कि समुद्र में से मनेको खनिज पदार्थ प्राप्त किये जा सकते हैं। इस ओर वैज्ञानिक खोजें की जा रही हैं। ये खोजें जब तक सफल न हो जायेंगी तब तक समुद्र को प्राकृतिक स्रोत नहीं माना जायेगा।

सम्भावित (Potential) और वास्तविक (Actual) प्राकृतिक स्रोत के बीच भेद करना भी आवश्यक है। वास्तविक स्रोत ही समय में एक देश को शक्ति प्रदान करते हैं किन्तु इनका यह अर्थ कदापि नहीं होना कि सम्भावित स्रोत निरर्थक एवं महत्वहीन होने हैं। कभी-कभी तो सम्भावित स्रोतों का भी उनना ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है जितना कि वास्तविक स्रोत राष्ट्रीय शक्ति के विकास के लिए करते हैं।

प्राकृतिक स्रोतों को मार्गो-गो ने दो प्रकारों में विभाजित किया है—

- (१) खाद्य (Food), और
- (२) कच्चा माल (Raw Material)।

पापर तथा परकिन्स ने प्राकृतिक स्रोतों का वर्णन करते समय इनके निम्न रूपों का उल्लेख किया है—

- (१) कच्चा माल (Raw material)
- (२) खनिज पदार्थ (Minerals)
- (३) औद्योगिक शक्ति के साधन
(Sources of Industrial Strength)
- (४) खाद्य पदार्थ एवं कृषि उत्पादन
(Food stuffs and Agricultural products)

थनाइसर ने इन स्रोतों को तीन प्रकार (Types) का बताया है—

- (१) खाद्य (Food)
- (२) रचनात्मक पदार्थ (Construction materials)
- (३) शक्ति उत्पादक (Energy producers)

प्रकृति द्वारा दिये गये उपहारों का उपयोग करके एक देश अपने भाषको अधिकधिक शक्तिशाली बना सकता है। जब तक एक देश द्वारा इनका प्रयोग नहीं किया जाता तब तक इन तत्वों का अपने भाष में कोई महत्व नहीं होता। ये प्रकृति प्रदत्त उपहार अथवा प्राकृतिक स्रोत किस प्रकार के होते हैं तथा इनका राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर कितना और कैंसा प्रभाव पड़ता है, यह जान-कारी करना उपयोगी रहेगा—

(१) खाद्यान्न (Food)—अन्तर्राष्ट्रीय जगत में यह एक कहावत है कि 'सैन्यें उनके उदरों पर यात्रा करती हैं' (Armies travel on their stomachs)। इसे दूसरे ढंग से इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि सैनिक भूखे पेट रह कर नहीं लड़ सकते। खाद्य पदार्थों का अभाव एक राष्ट्र को घराशाही करने में सफल हो सकता है। भारत का इतिहास इस कथन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए अनेको उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। यहां अनेक बार दुश्मन द्वारा किले को घेर लिया जाता था, रसद पहुँचाने के सारे रास्ते बन्द कर दिए जाते थे और फलतः आक्रमणकारी विजयी होता था। आक्रमणकारी के भय से जिन गावों को खाली किया जाता था वहां किसी प्रकार की खाद्य वस्तुयें नहीं छोड़ी जाती थी जिनका दुश्मन द्वारा उपयोग किया जा सके। स्थानीय स्तर की ये चालें (Tactics) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चलती हैं। पी० एल० ४८० के अर्धशतक अमेरिका भारत-पाक संघर्ष के दौरान भारत पर अपना अनुचित प्रभाव डालना चाहता था।

खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर भूमि और जनवायु का भारी प्रभाव पड़ता है। विश्व के केवल कुछ देश ही खाद्य पदार्थों की दृष्टि से आत्मनिर्भर कहे जा सकते हैं। अनाज का निर्यात करने वाले देशों में अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अनाज की अत्यधिक मात्रा होने के कारण कहा जाता है कि वहां भूख के कारण मौतें नहीं होतीं वरन् अधिक खा जाने के कारण होती हैं।

अनाज की कमी एक देश की शक्ति की सबसे बड़ी बाधा है, यह राष्ट्र के ध्यान को अपनी ओर खींच लेती है तथा अन्य विचारों के कार्यों की ओर जाने से रोकती है। भूखा आदमी सतलित बुद्धि से कोई भी कार्य करने में असमर्थ रहता है। मिलर (Miller) महोदय का मत है कि भूख आज के विश्व की सबसे प्रमुख समस्या है। २० वीं शताब्दी की वास्तविक चुनौती मनुष्य तथा भूख के बीच होने वाली दौड़ है। इस दौड़ में परिणाम पर ही

मानव सभ्यता का अस्तित्व निर्भर करता है। वर्तमान में तो प्राकृतिक एवं मनुष्य निर्मित अनेक कारण ऐसे हैं जो इस दौड़ में मनुष्य की विजय को असम्भव बना रहे हैं जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या, अज्ञान और अंधविश्वास, अष्ट एवं अतमयं नेतृत्व, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सदेह और अविश्वास, प्रकृति के प्रकोप आदि।

भारत पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लाख पदार्थों के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनने का प्रयास कर रहा है किन्तु चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी दुश्मनों ने इन प्रयासों की गति को मन्द कर दिया। भारत को आसानी से विदेशों से अनाज का आयात करना पड़ता है। यदि भारत-वासी स्वामि-मानी न होते और एक समय का खाना छोड़ कर या भूखे भर कर भी अपनी सम्पन्नता व स्वतन्त्रता की रक्षा का सकल्प न करते तो निश्चय ही भोजन के नाम पर भारत की ऐसी बातें पानने को मजबूर किया जा सकता था जो उससे हित के विरुद्ध थीं।

मार्गेन्थौ (Morgenthau) महोदय ने माना है कि अनाज की दृष्टि से आत्मनिर्भर एक राष्ट्र उस राष्ट्र की तुलना में अनेक दृष्टियों से श्रेष्ठ है जो अनाज का आयात करते हैं, स्वयं नहीं उगा पाते या भूस्रो मरते हैं। जब तक एक देश अनाज की दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक उस देश की महान शक्ति की उपाधि प्रदान नहीं की जाती और यदि वह अनाज की दृष्टि से लगातार अभावग्रस्त बना रहा तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी वह लगातार कमजोर ही बना रहेगा। किसी भी देश में अनाज की अभावग्रस्त अवस्था के मुख्य-मुख्य पहलू होते हैं—उस देश की निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या, जनसंख्या के मुकाबले में उत्पादन की हीन मात्रा विदेशों से आयात के अवसरों की कमी अथवा निर्यात की जाने वाली उन वस्तुओं का अभाव जिनके बदले में अनाज आयात किया जा सके आदि। एक देश को अनाज की दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के लिए आवश्यक है कि इन सभी पहलुओं पर यथेष्ट ध्यान दिया जाय।

राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व के रूप में खाद्यान्न एक स्थाई तत्व है तो भी विज्ञान की सहायता लेकर इस तत्व में भारी परिवर्तन किये जाने की सम्भावनाएँ हैं।

(२) कच्चा माल (Raw material)—कच्चा माल एक देश की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव डालता है और इस प्रकार अत्यन्त रूप से वह राष्ट्रीय शक्ति को भी प्रभावित करता है। 'कच्चा माल' एक रोमा शब्द है

जिसमें हम अनेक चीजों को समाहित कर सकते हैं उदाहरण के लिए खनिज पदार्थों से वनस्पतिक उत्पादन (Vegetable Products) तथा जानवरों से उत्पादित कच्चा माल (Animal Products) आदि। वनस्पतिक उत्पादनों में अनेक खाद्यान्न, रई रबड़, कुड़ तेल हर प्रकार की लकड़ियाँ, बांस, बीज, नारियल, तारकोन आदि चीजें आती हैं। पशुओं से उत्पादित चीजों के उदाहरणस्वरूप गाय दूध, अण्डे, ऊन, रेशम, कुछ तल, पखे आदि का नाम लिया जा सकता है। कच्चा मान औद्योगिक उत्पादन के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है। युद्ध सम्बन्धी अनेक तैयारियाँ भी इसके बिना नहीं की जा सकतीं।

पुराने युग में, जबकि युद्ध आमने-सामने लड़ होकर लड़े जाते थे, योद्धाओं का महत्त्व अधिक था अपेक्षाकृत उनके हथियारों के, किन्तु आज समय बदल गया है। आज १९ वीं शताब्दी की भाँति एक देश की शक्ति को केवल उसके योद्धाओं व सिपाहियों की मात्रा एवं सामर्थ्य के आधार पर ही नहीं आँका जा सकता। आज तो चाहे शांति काल हो या युद्ध काल, एक राष्ट्र की शक्ति उसके द्वारा प्राप्त कच्चे मान की मात्रा एवं विस्म के आधार पर आँकी जायगी। सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व की महान शक्ति मानने के पीछे यही रहस्य है। य दोनों ही देश उस कच्चे माल की ओर से आत्मनिर्भर हैं जो औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। इस लक्ष्य से भारतीय विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू भली भाँति परिचित थे, जबकि उन्होंने अखिलमता की नीति को भारतीय विदेश नीति का आधार बनाया और रक्षात्मक तैयारियाँ तथा सैनिक तैयारियों की अपेक्षा अधिक अवस्था एवं औद्योगिक उत्पादन को सम्भालने की ओर अधिक ध्यान दिया था। आलोचकों के तर्क नेहरू की विदेश नीति को नगा कर सकते हैं किन्तु उसके पीछे जो उद्देश्य था वह वास्तविक नीति से प्रभावित था।

उद्योग एवं युद्ध की दृष्टि से तेल का महत्त्व भी भुलाया नहीं जा सकता। तेल उद्योगों की तो आत्मा होती ही है किन्तु युद्ध का भी उसके बिना नहीं लड़ा जा सकता। विश्व में मध्य एशिया का महत्त्व बहुत कुछ केवल इसी कारण है कि वहाँ पर तेल का खजाना है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्लेमण्टो (Clemenceau) ने यह कहा था कि 'तेल की एक बूँद हमारे सैनिकों के खून की एक बूँद से भी अधिक मूल्यवान है।' रूस और अमेरिका तेल की दृष्टि से बहुत कुछ आत्मनिर्भर हैं। जिन क्षेत्रों में तेल की बहुतायत पाई जाती है उन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमाय रखने के लिए एक विश्व के

रगमच पर अनेक अभिनेताओं द्वारा प्रयास किये जाते रहे हैं। इन प्रयासों को 'तेल कूटनीति (Oil diplomacy)' की मजा दी जाती है।

आज के अणुयुग में यूरेनियम (Uranium) का कच्चे माल के रूप में भारी महत्व हो गया है। यूरेनियम में जो शक्ति छिपी है उसने विभिन्न देशों के शक्ति स्तर को बदल कर रख दिया। पिछले देश अग्रगण्य बन गये तथा बड़ी शक्तियाँ दूसरी श्रेणी की शक्तियाँ बन गईं। श्लाइमर (Schleicher) महोदय के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कोयला, पेट्रोल, गैस, जलशक्ति तथा सम्भावित यूरेनियम शक्ति के अदम्य भण्डार हैं। ये पर्याप्त खाद्यान्न के उत्पादन के लिए पातायात के लिए तथा उद्योगों के पहियों को घुमाने के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

केवल कच्चा माल अधिक होने से कोई भी देश सम्पन्न नहीं बन जाना यह सच है, किन्तु यह भी सच है कि कोई देश बिना कच्चे माल की अपेष्ट मात्रा के एक बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। यदि एक देश की भौगोलिक स्थिति उपयुक्त है और साथ ही उसके पास प्राकृतिक स्रोत भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं तो स्वभावतः ही दूसरे देशों का उसकी महायता व सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक केन्द्रीय स्थान प्राप्त कर लेगा वरना उसे ही दूसरे राज्यों पर अवलम्बित रहना पड़ेगा। कच्चे माल की अपेष्ट मात्रा आर्थिक एवं सैनिक शक्ति के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

कच्चे माल की मुख्य रूप से तीन जातों में विभाजित किया गया है। ये हैं—खनिज पदार्थ, वनस्पतिक उत्पादन और पशु उत्पादन। खनिज पदार्थों की भी प्रायः कई विभागों में विभाजित किया जा सकता है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से यह विभाजन अधिक उपयोगिता नहीं रखता। कुछ खनिज पदार्थों की उपयोगिता सामान्य एवं सुविदित होती है। उसके बारे में सभी जान जाते हैं जबकि अन्य खनिजों का उपयोग केवल विद्वानों के ही अध्ययन वा विषय है। कच्चे माल के दूसरे समूहों में वनस्पतिक उत्पादन आते हैं। इस शीर्षक में हम अधिकांश मोजन सामग्री, रई, रबड़, कुछ तेल, चीन्हा, दवाइयाँ, रंग एवं वानिज उत्पादन आदि को ले सकते हैं। पशु उत्पादनों के शीर्षक में मांस, दूध, अण्डे, रेशम, कुछ तेल, पखे, हाथी दात, दवाइयाँ जैसे कुछ उत्पादन आते हैं।

दुनिया के देश कच्चे माल की दृष्टि से समान नहीं हैं और कोई भी देश ऐसा नहीं है जो सभी आवश्यक कच्चे माल की दृष्टि से आत्म निर्भर हो। तीन प्रधान भौगोलिक खनिज अर्थात् कोयला, लोहा और पेट्रोलियम

पर्याप्त असमान रूप से वितरित है। जिन देशों के पास इनका अभाव होता है वे इसकी पूर्ति किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध द्वारा करते हैं अथवा उसके विकल्प का विकास करते हैं। ऐसा करने के लिए व्यापक साधनों एवं साधकों की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त आधुनिक औद्योगिक अर्थ व्यवस्था को सहारा देने के लिए भी पर्याप्त कच्चे माल की आवश्यकता है। अनेक खनिज पदार्थ हाल ही में विकसित हुए हैं। यह कहा जाता है कि मशीनीकृत युद्ध का विकास होने के बाद केवल वे ही देश बड़ी शक्ति बन सकते हैं जिनमें कि गुणात्मक एवं सख्यात्मक दृष्टि से पर्याप्त कल-कारखाने हैं क्योंकि खनिज पदार्थ कारखानों की क्षमता को तय करते हैं, इसलिए अत्यन्त रूप में वे प्रभावशाली सैनिक शक्ति की आवश्यक शर्तें होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के वर्तमान कालीन अध्ययन राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में खनिज पदार्थ पर पर्याप्त ध्यान देते हैं।

कच्चा माल और राष्ट्रीय नीतियाँ :—प्रत्येक देश को अपने आयात की मात्रा को अपने देशों में उत्पादित कच्चे माल से मन्तुलित करना होता है और इस प्रकार घरेलू राजनीति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालती है। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोल, लोहा, चीनी, ताम्बा, मैंगनीज, आदि बड़ी मात्रा में आयात करता है यद्यपि यह स्वयं भी उनका उत्पादन करता है। जब भी कभी इन सामानों की खरीद की कीमतों में थोड़ा बहुत अन्तर कर दिया जाता है तो इसके सामान भेजने वाले देश पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक देशों द्वारा कच्चे माल के सम्बन्ध में जो नीतियाँ अपनाई जाती हैं वे दूसरे रूप में उनकी विदेशी नीतियाँ हैं। विदेशों से प्राप्त होने वाले सामान की उपलब्धता एवं मूल्य समय और दूरी पर निर्भर करता है। किसी भी सामान को भेजने की प्रक्रिया आर्थिक या राजनीतिक कारणों से अथवा मतभेदों या अन्य दवावों से रुक सकती है। उदाहरण के लिए भारत के लिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका से भेड़े आ रहा था वह परब-इजरायली संघर्ष के कारण इसलिए देर से आया क्योंकि मिस्र द्वारा स्वेज नहर को बन्द कर दिया गया था। इसी संघर्ष के दौरान कई एक अरब राष्ट्रों ने पश्चिमी देशों को तेल भेजना बन्द कर दिया था। सभी दूरी को पार करने के लिए जल मार्ग अत्यन्त आवश्यक होता है क्योंकि इसके बिना अनेक महत्वपूर्ण कच्चे मालों को नहीं भेजा जा सकता है। कच्चे माल के आयात में रोक धाने की सम्भावना से ही देश उसका स्टाक रखते हैं।

राष्ट्रीय शक्ति के तत्व : जनसंख्या और तकनीकी

[ELEMENTS OF NATIONAL POWER: POPULATION
AND TECHNOLOGY]

जनसंख्या (Population)

जनसंख्या एक राष्ट्र की शक्ति पर प्रभाव डालने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। इस तत्व के द्वारा समय-समय पर राज्यों को एक विशेष प्रकार का नियंत्रण देने तथा एक विशेष नीति अपनाने की प्रेरणा दी जाती रही है। सभार के इतिहास में ऐसे अनक उदाहरण हैं जबकि एक राज्य ने अपनी अधिक जनसंख्या को धमाने की समस्या मुलभाने के लिये अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर दिया, उसके कुछ प्रदेशों को छीन लिया अथवा युद्ध को भडका कर भीषण नरसंहार करके अपनी असहनीय ग्राह्य समस्या से राहत पायी। जनसंख्या अपने मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही पहलुओं से विश्व राजनीति को प्रभावित करती है।

जनसंख्या कम होने पर लोगों में एकता की भावना जल्दी पैदा की जा सकती है और देर तक बनाय रखी जा सकती है। कम जनसंख्या वाले राज्य की सरकार भी प्रायः कार्यकुशल होती है और यद्वा राष्ट्रीयता की भावना अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त होती है। दूसरी ओर अधिक जनसंख्या वाले

राज्य में मतभेद रहते हैं, राष्ट्रीय एकता की समस्या रहती है, कार्यों में एक रूपता नहीं रहती, प्रशासनिक प्रकायंकुशलता एवं वस्तुओं का अध्ययन होता है और इस प्रकार यह देश सड़क का मुकाबला करने में हड़ता के साथ कार्य नहीं कर सकता। कम जनसंख्या एक देश की कमजोरी का भी प्रतीक बन जाती है क्योंकि वहाँ शक्ति एवं सैनिक सामर्थ्य की मात्रा कम होती है। अधिक जनसंख्या वाला देश इस दृष्टि से लाभ में रहता है कि उसके पास मानव शक्ति पर्याप्त उपलब्ध रहती है। शक्ति तत्त्व के रूप में पहलू जिन दो तत्वों (भूगोल और प्राकृतिक स्रोत) का वर्णन किया गया है वे एक प्रकार से स्थायी तत्व होते हैं क्योंकि वे एक देश के लिये प्रदत्त चीजें हैं उनमें परिवर्तन बहुत कम ही किया जा सकता है। दूसरी ओर जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति का ऐसा तत्व है जिसमें कि परिवर्तन होता रहता है तथा आवश्यकता के अनुसार किया भी जा सकता है।

वैसे जनसंख्या के प्रकार तथा एक देश की शक्ति के बीच कोई प्राथम्यत्व एक एकरूप सम्बन्ध नहीं है किन्तु फिर भी इतना तो सच है कि छोटी सी जनसंख्या वाला कोई देश बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। पेडिसफोर्ड तथा लिक्नर का कहना है कि यद्यपि बड़ी जनसंख्या का अर्थ यह नहीं होता है कि वह देश अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर प्रभाव डालेगा किन्तु फिर भी कम जनसंख्या वाले देश अधिक जनसंख्या वाले देशों की तुलना में नुकसान में रहता है। विश्व के कम विकसित देश यदि अपने आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लें तो वे निश्चय ही शक्तिशाली देश बन जायेंगे क्योंकि इन देशों की जनसंख्या अधिक है।

एक समय ऐसा था जबकि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विद्यार्थी जनसंख्या की नवीन प्रवृत्तियों का अध्ययन राष्ट्रीय शक्ति के परिशिष्ट के रूप में प्रारम्भ से किया करते थे। प्रत्येक उम्र के स्त्री और पुरुषों की संख्या की विस्तृत जानकारी करने के बाद यह ज्ञात करना सम्भव बन जाता था कि सैनिक सेवा के लिये कितने लोग प्राप्त हो सकते हैं तथा औद्योगिक कार्यों के लिये कितने मजदूर प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि घाने वाले बीम या पंचवीन वर्षों में क्या अनुपात रहेगा। यह कहा जाता है जब १९वीं शताब्दी में जर्मनी की जन्म दर अधिक हो गई तो पास का एक बड़ी शक्ति के रूप में अभिवृद्धि घटने लगा। वर्तमान समय में साम्यवादी चीन अपनी आक्रामक नीतियों के द्वारा जिस प्रकार विश्व में स्थान बनाता जा रहा है उसके पीछे उनकी एक बड़ी जनसंख्या का तत्व भी

काम कर रहा है। बम जनसंख्या की हानियों को अन्य प्रकार से कम किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की अपने अनेक युवकों एवं प्रौढ़ों से हाथ धोना पड़ा था, किन्तु उसने अपनी जनसंख्या की एक श्रेणी की कमी को दूसरी श्रेणी से पूरा किया। वहाँ की औरतों में काम करने की क्षमता अधिक है और इस क्षमता के आधार पर ही वह अपनी इस क्षति को पूरित कर सका।

जनसंख्या उन अनेक तत्वों में से ही एक है जो एक देश की शक्ति और सम्पन्नता की वृद्धि में भाग लेते हैं। यदि जनसंख्या का प्रकार स्थित उत्पादन के स्रोतों से अधिक होता है अथवा इन स्रोतों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया जाता तो जनसंख्या की अधिकता, लाभ होने के स्थान पर हानि बन जाती है। समाज के छोटे एवं जनसंख्या के प्रकार के बीच एक संतुलन प्रयत्न स्थापना रहनी चाहिये ताकि वह देश अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सके और इस प्रकार महावित्त बनने की दिशा में प्रगति हो सके। जब कमी भी हम जनसंख्या का राष्ट्रीय शक्ति के सम्बन्ध में मूल्यांकन करें तो उससे पूर्व हमें यह देखना चाहिये कि पूँजीगत व्यय तथा शिक्षा एवं विज्ञान के लिए पर्याप्त अनुपात में उपलब्ध है, कितनी जनसंख्या शिक्षित है तथा तकनीकी परिवर्तनों के साथ समावांजित होने की उसमें कितनी क्षमता है।

अन्तरराष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी के लिए जनसंख्या का महत्व शक्ति की दृष्टि से तो है ही, इसके अतिरिक्त भी है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जनसंख्या और साधन स्रोतों के बीच गम्भीर असंतुलन बढ़ना जा रहा है। अर्ध-विकसित देशों में जनसंख्या की प्रकृति को देना माना जाता है तथा उसे रण कौशल की दृष्टि से महत्वहीन बताया जाता है, किन्तु विकसित देशों में जनसंख्या के नियन्त्रण की प्रक्रिया को सफलता के करीब ला दिया गया है अतिरिक्त उत्पादन को मात्रा में वृद्धि करके ही ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ महा शक्ति बन गये हैं।

जनसंख्या का तथ्यात्मक पहलू

(The Numerical Aspect of Population)

प्रायः अत्येव विचारक इस बात को स्वीकार करता है कि अतीत-कालीन युद्धों में सेना की संख्या सदैव ही एक निर्णायक भूमिका रही है, किन्तु उस समय भी बुद्ध लोभ हमरों की अपेक्षा अधिक शक्तियाली होते थे, उनको मर्यादा व अधिक मोर्चन प्राप्त हो जाता था तथा उनके पास अधिक बने

हथियार रहते थे। इन सब के आधार पर लोगों के बीच बहुत कम ही अन्तर रहता था और इसलिए सख्या का महत्वपूर्ण स्थान था। आज का युग पूरी तरह से बदल गया है। आज युद्ध कौशल का रूप, विज्ञान एवं तकनीकी के विकास पर पर्याप्त आधारित हो गया है। युद्ध में एक देश अपने सभी साधन स्रोतों को लगा देता है। ऐसी स्थिति में किसी देश की शक्ति का अनुमान उसके निवासियों के सर गिन कर या कार्यकर्ताओं के हाथ गिन कर नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए यह भी देखना होगा कि सर के भीतर कुछ है या नहीं और हाथों की शक्ति को काम में लाने के अवसर भी देश में उपलब्ध हैं या नहीं। देश के भूगोल, प्राकृतिक साधन जनसख्या, तकनीकी विकास का स्तर, विचारधाराओं का प्रभाव, मोरेल, नेतृत्व का गुण आदि बातें भी ध्यान में रखनी होती हैं। इन सबके आधार पर किसी देश की शक्ति के सम्बन्ध में किये गये अनुमान भी युद्ध भूमि में कभी कभी गलत सिद्ध होते हैं क्योंकि शक्ति के महत्व तत्वों का प्रभाव भी कम नहीं होता।

अधिक जनसख्या वाले कुछ देशों के शक्ति के स्तर को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जनसख्या का राष्ट्रीय शक्ति से कुछ लेना देना नहीं होता। भारत और चीन की आबादी विश्व में सभी राज्यों में अधिक है किन्तु फिर भी सैनिक शक्ति की दृष्टि से वे सर्वोपरि नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ की शक्ति के भागे वे अत्यन्त निम्न श्रेणी के हैं। दूसरी ओर यह भी देखने को मिलता है कि एक कम जनसख्या वाला देश आवश्यक रूप से तीसरी श्रेणी की शक्ति नहीं बन जाता। वस्तुस्थिति का रूप यह होते हुए भी विचारकों का कहना है कि एक अधिक जनसख्या वाला देश अपनी अधिकांश जनसख्या का उपयोग कर भी सकता है और नहीं भी; किन्तु केवल एक अधिक जनसख्या वाला देश ही प्रथम श्रेणी के सैनिक स्थापन के लिए मानव शक्ति एवं साधन प्रदान कर सकता है।

यदि कम जनसख्या वाला छोटा देश भी आधुनिक हथियारों, फँड्रियों एवं अन्धे नेतृत्व के गुणों से सम्पन्न है तो वह अधिक जनसख्या वाले उस देश को आसानी से हरा सकता है जिसके पास ये सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। इतिहास में इस सम्भावना के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। वह मुख्य बात जिससे हम बार-बार दोहराना भी अनावश्यक नहीं मानते वह यह है कि जनसख्या तो राष्ट्रीय शक्ति के अनेक तत्वों में से एक है, केवल एकमात्र तत्व नहीं है। यदि दो देश अन्य सभी बातों में बराबर हैं और उनके बीच जनसख्या की मात्रा का अन्तर है तो निश्चय ही अधिक जनसख्या वाला देश कम जनसख्या वाले देश को परास्त कर देगा। फिर भी जो लोग जनसख्या के आधिपत्य

को बहुत अधिक महत्व देते हैं वे इस तथ्य को भूल जाते हैं कि प्राधुनिक तकनीकी के विकास ने जनसंख्या की शक्ति को महत्वहीन सा बना दिया है।

कुछ विचारकों के मतानुसार जिस देश की जनसंख्या बड़ी होती है वह शक्तिशाली होता है। वाल्टेयर कहा करता था कि ईश्वर सर्वत्र सबसे बड़ी बटालियन के पक्ष में रहता है (शायद उसने महाभारत को नहीं पढ़ा था जिसमें कृष्ण ने कौरव सेना का साथ देने की प्रेरणा अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था)। श्लाइसर (Schleicher) महोदय ने भी इस मत की सत्यता में विश्वास प्रकट करते हुए लिखा है कि उत्पादन तथा युद्ध के लिए मनुष्यों की आवश्यकता रहती है। यदि और तत्व समान रहे तो, जिस राज्य में इन दो कार्यों को करने के लिए बड़ी संख्या में लोग होंगे वह राज्य शक्तिशाली बन जायेगा। यह कथन कुछ प्रथम में सत्य है क्योंकि जब तक एक देश के पास लोग न होंगे जो औद्योगिक साधनों को संचालित कर सकें तब तक वह देश प्रगति कैसे कर पायेगा। युद्ध के समय भी अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण के लिए, उनका प्रयोग करने के लिए जल, पत्त एवं वयु चेतो में युद्ध लड़ने के लिए तथा योद्धाओं को उनकी जख्मों की चोटों पहुँचाने के लिए यथेष्ट जनसंख्या न होगी तब तक कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। यही कारण है कि साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी नीति को अपनाते वाले देश जनसंख्या के प्रसार को रोकने की प्रेरणा बढ़ाया करते हैं। जर्मनों के हिटलर तथा इटली के मुसोलिनी ने यही किया था। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में अधिक से अधिक सतान उत्पन्न करना महिलाओं की अधिक राष्ट्र सेवा का प्रतीक माना जाता था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर विटमन चर्चिल ने २२ मार्च, सन् १९४३ के रेडियो भाषण में कहा था कि यदि यह देश विश्व के नेतृत्व में अपना उच्च स्थान बनाये रखना चाहता है तथा एक ऐसी बड़ी शक्ति के रूप में जन्दा रहना चाहता है जो बाहरी दबावों के होते हुए भी स्वतंत्र में रह सके तो प्रत्येक साधन द्वारा हमारी जनता को बड़े परिवार रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चर्चिल का यह कथन शक्ति-तत्व के रूप में जनसंख्या के महत्व को सामने लाता है। अधिक जनसंख्या के राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से निम्नलिखित लाभ हैं :—

(i) बड़ी जनसंख्या लड़ने के लिए अधिक सिपाही तथा उत्पादन कार्य के लिए अधिकाधिक मजदूर प्रदान कर सकती है।

(ii) अधिक जनसंख्या होने पर अच्छे से अच्छे मैनिक छांटने की सुविधा रहती है।

(iii) अधिक जनसंख्या का ज्ञान लोगों के आचरण या चरित्र (Morale) को ऊँचा उठाने में सहायक होता है।

(iv) जिस राज्य में जनसंख्या अधिक होती है वहाँ असहयोग आन्दोलन एवं छुपी हुई प्रक्रियाओं जैसे साधनों को अपना कर स्वतन्त्रता प्राप्त की जा सकती है।

(v) अधिक जनसंख्या एक राज्य को सैनिक एवं आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकती है ताकि उस अधिक जनसंख्या को बसाने के लिए दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा किया जा सके। हो सकता है कि साम्यवादी चीन को विस्तारवादी नीति के पीछे यही कारण छिपा हो।

जनसंख्या की अधिक मात्रा केवल तभी लाभदायक रह सकती है जबकि और तत्व समान हों। किन्तु प्रायः अन्य तत्वों के बीच संतुलन नहीं पाया जाता और यही कारण है कि व्यावहारिक जगत में जनसंख्या की अधिक मात्रा राष्ट्रीय शक्ति पर उल्टा प्रभाव डालती है। इसी अर्थ में मॉर्गन्थौ (Morgenthau) महोदय ने कहा था कि यह कहना सही न होगा कि एक देश की जनसंख्या ज्यादा है अतः उस देश की शक्ति भी अधिक होगी। अगर हम एक क्षण के लिए इस बात को सही भी मान लें तो इसका स्वभाविक परिणाम होगा कि साम्यवादी चीन विश्व की सबसे बड़ी शक्ति माना जायेगा, जो सभ्यता के विरुद्ध होगा। जनसंख्या की अधिक मात्रा कभी-कभी राष्ट्रीय शक्ति के विपरीत भी चली जाती है। भारत, चीन एवं अन्य देशों के अध्ययन करने के बाद हम पायेंगे कि वहाँ साधन तो कम हैं तथा उपयोग करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। इन देशों में खाने वाले मुँह अधिक हैं तथा भोजन की मात्रा पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी देश उच्च शक्ति नहीं बन सकता। ये देश अति जनसंख्या (Over population) के रोग से पीड़ित हैं। यहाँ सैनिक एवं औद्योगिक दृष्टि से इतने लोगों की आवश्यकता नहीं रहनी जिसके कारण बेरोजगारी फैलती है, समाज में भ्रष्टाचार आदि बुराईयाँ फैलती हैं। अभाव की राजनीति (Politics of Scarcity) के दोषों के बीच रहना हमें कोई भी देश विश्व राजनीति में अपना स्थान शक्तिपूर्ण नहीं बना सकता। अधिक जनसंख्या हानि पर देश में एकता कायम करना और उसे बनाए रखना बड़ा कठिन पद जायेगा।

आज की बदलती हुई परिस्थिति एवं विज्ञान के युग में यह सम्भव नहीं रहा है कि सैनिक शक्ति के संचालन को अधिक लोगों के हाथों में छोड़ा जाय, यह आवश्यक भी नहीं है। कुछ थोड़े से ही लोग विध्वंसकारी मस्त्रों

का प्रयोग करके अतद्योगियों के परिश्रम के परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। घाघनिक तकनीकी ज्ञान के प्रसार से अधिक जनसंख्या का होना निरर्थक बन गया है। राष्ट्रीय शक्ति के लिए इसका अधिक महत्त्व नहीं है।

जनसंख्या का गुणात्मक पहलू

(The qualitative aspect of Population)

निवासियों की केवल अधिक संख्या का होना ही एक देश को शक्तिशाली नहीं बना देता, उन निवासियों की उम्र, लिंग, जन्म-दर की गति, जीवन का स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन क्षमता, चातुर्यता, रीत-रिवाज, विश्वास, नैतिकता, धार्मिक विश्वास आदि बातों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। श्लाइमर (Schleicher) महोदय के मतानुसार युद्ध और शान्ति दोनों ही समय यद्यपि जनसंख्या की अधिक संख्या आवश्यक है किन्तु जनसंख्या के गुण इससे भी अधिक अपेक्षित हैं। उद्योग धर्मों में अशिक्षित एवं अनुपलब्ध बुलियों से काम नहीं चलना वहाँ कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है। उम्र के हिसाब से जिस देश की निवासियों में १८ से ४५ तक के लोगों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर मनुष्य शक्ति को अधिक कामों में लगाया जा सकता है। एक परिपक्व औद्योगिक समाज में बूढ़ों की संख्या उम्र समाज की तुलना में अधिक होती है जहाँ औद्योगिकरण अभी आरम्भ हो रहा है।

लोगों की शक्ति, सामर्थ्य तथा उत्पादन-क्षमता निश्चित रूप से उनके जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर तथा आर्थिक पहलू करने की शक्ति पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त जलवायु, लोगों का चरित्र तथा लोगों के सामाजिक तथा धार्मिक मूल्य एवं दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण हैं।

जातों की जाति (Race) का भी राष्ट्रीय शक्ति पर भारी प्रभाव पड़ता है। एक जाति के लोगों के बीच विचारों की समानता, परम्पराओं की निकटता एवं आपसी मेलजोल का माना जाता है। उनकी यह एकता राष्ट्र को शक्ति प्रदान करती है। यदि एक देश की जाति एवं प्रजाति सबंधी समुदायों का आयोजन कर लिया जाये तो उस देश के चरित्र एवं व्यवहार को समझना आसान हो जाता है। विभिन्न जाति, एक प्रजातियों के रहने पर अत्यावश्यकता के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न उठ खड़ा होता है। अल्पमत तथा बहुमत के बीच भगड़े उस देश की शक्ति में दीमक का काम करते हैं और एक दिन उस देश का पतन हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका के भगड़ों की जातियों की मिश्रता ही है। इसी प्रकार जातिगत (Racial) भेद ने

ही रोडेजिया में ऐसी समस्या निर्मित कर दी है जिसके प्रति आज विश्व का ध्यान बँटा हुआ है। अल्पसङ्ख्यक गोरी सरकार ने वहाँ जो एकतरफा स्वतन्त्रता की घोषणा करके इपान-स्मिथ के अधीन शासन की बागडोर समाली वह बहुसङ्ख्यक लोगों को पसन्द नहीं है। दोनों ने बीच आज दिन प्रकार का सघर्ष चल रहा है उसके होने पर कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता।

जनसंख्या का वितरण

(The Distribution of Population)

यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से दुनियाँ का मानचित्र देखें तो पायेंगे कि कुछ क्षेत्रों में तो जनसंख्या बड़े घने रूप से बसी हुई है और अनेक बड़े क्षेत्रों में केवल कुछ ही लोग रहते हैं। अनुमानतः दुनियाँ की आधी जनसंख्या एशिया के दक्षिण पूर्वी कोने में रहती है जो दुनियाँ की कुल भूमि का लगभग दसवाँ भाग है। कुल जनसंख्या का पाँचवाँ हिस्सा योरोप में रहता है। विश्व की जनसंख्या का लगभग छः प्रतिशत भाग ब्रिटेन और अमेरिका में रहता है। जनसंख्या के इस असमान वितरण के पीछे अनेक कारण रहते हैं। अधिकतर लोग प्रायः उन क्षेत्रों में रहना चाहते हैं जहाँ की भूमि उपजाऊ है तथा जल आसानी से प्राप्त हो जाता है। लोग वहाँ रहना पसन्द नहीं करते जहाँ कि कृषि या उद्योगों के आधार पर जीवन यापन करना कठिन हो अथवा असम्भव हो। उदाहरण के लिए सहारा अथवा अफगानिस्तान आदि स्थान। लोग प्रायः ऐसे स्थानों में बसना पसन्द करते हैं जहाँ आवागमन के साधन पर्याप्त अच्छे हैं, तथा घरेलू भण्डे कम होते हैं तथा युद्ध नहीं होते रहते। जो क्षेत्र कच्चे माल की दृष्टि से सम्पन्न होते हैं वहाँ भी लोग अधिक रहना चाहते हैं क्योंकि उनको वहाँ औद्योगिक विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। वातावरण का भी लोगों की बसावट पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। किसी विशेष वातावरण में लोग बसेंगे या नहीं बसेंगे यह बात उन दृष्टिकोणों लक्ष्यों एवं तकनीकी योग्यताओं पर निर्भर करती है। इस प्रकार किसी विशेष क्षेत्र में अधिक लोग क्यों रहने हैं तथा दूसरे क्षेत्र में कम लोग क्यों रहते हैं इसके लिए कोई एक निश्चित स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता। विश्व में जनसंख्या के वितरण की प्रवृत्तियाँ अनेक प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक तत्वों से प्रभावित होती हैं तथा इनमें से कोई भी एक तत्व बसने या स्थानान्तरण करने का कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं बन सकता।

जनसंख्या का प्रकार एवं विकास
(Size and Growth of Population)

यह अनुमान लगाया जाता है कि सन् १७५० में सप्ताह की जनसंख्या १०० मिलियन थी। एक सौ पचास वर्ष बाद यह संख्या दो गुनी हो गई और उसके पैंसठ साल बाद पुन दो गुनी हो गई। समुक्त राष्ट्र सभ के जनसंख्या सर्वेधी अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या की वृद्धि की वर्तमान दर को देखते हुए विश्व की ३.३ बिलियन जनसंख्या घाने वाले पैंतीस वर्षों में दो गुनी हो जायेगी। यदि वर्तमान प्रवृत्तिया जारी रहीं तो सन् १६८० के बाद विश्व की जनसंख्या में प्रति वर्ष सौ मिलियन से भी अधिक की वृद्धि होगी तथा सन् २००० के बाद यह वृद्धि २०० मिलियन प्रति वर्ष के हिसाब से होने लगेगी। इस विषय के विशेषज्ञ इस तथ्य के प्रति सजग हैं कि जनसंख्या के दो गुना होने का समय निरन्तर घटता ही जा रहा है और भावी जनसंख्या के लिए भोजन, मकान, शिक्षा एव अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही हैं। गणना के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि यदि विकास का झुकाव आज की तरह ही रहा तो सन् २००० तक विश्व की जनसंख्या १ बिलियन हो जायेगी।

जनसंख्या में जो भी वृद्धि होती है उसका लगभग ८५ प्रतिशत भाग लेटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कम आय वाले देशों से सम्बन्ध रखता है। सन् २००० तक दुनियाँ की आबादी का लगभग ४/५ भाग इन क्षेत्रों में रहने लगेगा। ऐसा होने पर उत्तरी अमेरिका, योरोप, सोवियत सभ, जापान आदि उच्च आय वाले औद्योगीकृत देशों तथा इन विकसित देशों के मध्य स्थित अन्तर की लाई बढ जायेगी। विकसित देशों में नियन्त्रित जन्मदर एव निम्न मृत्युदर के बीच लगभग सन्तुलन रखा गया है। विकासशील देशों में सुपरी हुई मंडोकल सुविधाओं एव जन-स्वास्थ्य के प्रयासों के कारण प्रौढ मृत्युदर कम हो गई है जबकि जन्मदर अब भी उच्च बनी हुई है। विकासशील देशों में भावी जनसंख्या अत्यधिक होने लगे जायेगी; यदि जन्मदर इसी तरह ऊँची बनी रही और मृत्युदर धीरे-धीरे घटती चली गई। जनसंख्या की मात्रा में वृद्धि ही इस बात का तथ्य करेगी कि मसारा घाने वाली जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र और मकान का प्रबन्ध कर सकेगा या नहीं।

यदि जनसंख्या विश्व भर में बढ़ती जा रही है फिर भी जनसंख्या के विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि प्रथम-विकसित देशों में तीव्र गति से हो रही है। ऐसी स्थिति में २५ वर्ष या इससे भी कम समय में उनकी जन-

सख्या दो गुनी हो जाती है। अफ्रीका के विभिन्न देशों में जनसख्या की वृद्धि की दर अलग-अलग है, किंतु वहाँ भी आने वाले ३० से ३५ वर्षों में जनसख्या दो गुनी हो जाती है। विज्ञान के विकास ने अनेक लाइलाज बीमारियों का सफल उपचार खोज दिया है। इसके अतिरिक्त टीका कीटाणुनाशक दवा, आदि के आविष्कार ने बीमारियों को कम कर दिया है और इन सबके परिणामस्वरूप मृत्यु दर घट गई है। भोजन में सुधार होने से भी मृत्यु दर के घटने में सहायता मिली है। वस्तुस्थिति इस प्रकार की होते हुए भी यदि एक देश चाहता है कि वह अपने नागरिकों को सार्वजनिक रूप से शिक्षा प्रदान करे, सम्पत्ति की रक्षा करे तथा आधुनिक समाज एवं अर्थ व्यवस्था और जीवनस्तर को ऊँचा करने के लिये अन्य तत्वों की व्यवस्था करे तो उसे जनसख्या की वृद्धि को कम करना होगा।

जनसख्या की वृद्धि में लिंग और उम्र का महत्व होता है। एक पत्नी विवाह वाले समाजों में सन्तानोत्पत्ति में सक्षम स्त्री और पुरुषों के बीच का अनुपात यह तय करेगा कि दूसरी पीढ़ी की जनसख्या क्या होगी। युद्धों के कारण जो भीतें होती हैं और जिस प्रकार जन्म दर घट जाती है उससे जनसख्या के झुकाव में परिवर्तन आ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई के परिणामस्वरूप सोवियत रूस में यही हुआ। स्त्रियाँ अधिक होते हुए भी युवक पुरुषों की सख्या कम होने के कारण वहाँ जन्म दर घट गई। एक देश में किस उम्र की जनसख्या अधिक है, यह बात भी जनसख्या के विकास पर प्रभाव डालती है। जिस देश में सन्तानोत्पत्ति में सक्षम उम्र वाले की सख्या अधिक होती है और कम उम्र वाले समूह अधिक होते हैं वहाँ आने वाले तीस वर्षों में जनसख्या बहुत बढ़ जाती है। ऐसे देशों में सन्तानोत्पत्ति अधिक होती है तथा मृत्यु दर घट जाने के कारण जनसख्या शीघ्र ही अधिक हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा, भोजन, रोजगार आदि से सम्बन्धित गम्भीर समस्याएँ पैदा होती हैं। विकासशील देशों में एक बड़ी सख्या में लोग इस उम्र तक पहुँच रहे हैं जहाँ कि वे सैनिक सेवा, मतदान एवं औद्योगिक मजदूर के रूप में काम कर सकें। चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, लेटिन अमेरिका के कुछ देश, अफ्रीका के कुछ भागों में ऐसा ही हो रहा है। जनसख्या के इन समूहों द्वारा यहाँ शिक्षा एवं लाभदायक रोजगार की विशेष समस्याएँ पैदा की जा रही हैं। अर्थात् जनसख्या होने के कारण इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता तथा राष्ट्रवाद की प्रवृत्तियाँ जोरों पर हैं। दूसरी ओर समुन्नत राज्य अमरीका और संवियत संघ में ४६ वर्ष से अधिक के लोगों का प्रतिशत पर्याप्त ऊँचा है।

जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावनायें भी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ भागों में बढ़ती जा रही हैं। जनता को यह कहा गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनका जीवन स्तर बढ़ जायेगा। यदि जनसंख्या तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो राष्ट्रीय उत्पादन भी उसी दर से बढ़ना चाहिये तभी हम वर्तमान निम्न जीवन स्तर को बनाये रक सकेंगे। उसे ऊँचा उठाने की बात तो सत्य है। वास्तविक प्रगति प्राप्त करने के लिये उत्पादन की वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात से दो गुनी होनी चाहिये।

जनसंख्या की वृद्धि के परिणामस्वरूप अनेक सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जिस औद्योगीकरण के कारण घोषित प्रगति होती है वह औद्योगिक जनसंख्या को शहरी बेन्दो की ओर मोड़ने में सहायता करता है। इसके परिणामस्वरूप परम्परागत बंधन ढीले हो जाते हैं और युवकों में एक स्थिरता छा जाती है। टर्की, भारत और चीन आदि देशों में सत्रमण काल की ये कठिनाइयाँ दोलने को प्राप्त होती हैं। वस्तुस्थिति यह है कि विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा जो आर्थिक और तकनीकी सहायता दी जाती है, वे देश गेहनस करके जिन राष्ट्रीय योजनाओं को बनाते हैं उन सब का परिणाम प्राप्त होने से पहले से ही आर्थिक एक अन्य सामाजिक विकास को जनसंख्या की वृद्धि द्वारा चुनौती दे दी जाती है। प्रधान मंत्री नेहरू ने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले कहा था कि यदि जनसंख्या अभी न पकड़ी जाने वाली गति से बढ़ती रही तो हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का कोई फल नहीं होगा।

इस समस्या का आर्थिक विश्लेषण करने पर कुछ विशेष बारी सामने आती हैं। जन्म दर अधिक होने का अर्थ है कि जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात १५ साल से नीचे का है, वह उपभोक्ता है और आर्थिक दृष्टि से शेष जनसंख्या पर आश्रित है। एशिया और सुदूर पूरव के देशों की ४० प्रतिशत जनसंख्या १५ वर्ष से कम उम्र वाली है। आस्ट्रेलिया, यूजीलैण्ड और जापान में इस उम्र वाली जनसंख्या की मात्रा तीस प्रतिशत है। यदि वे देश चाहते कि यहाँ घाघात पूजा बढ़े, अन्तर्देशीय अर्थ अर्थ हो और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो तो इन्हे उत्पादन को जनसंख्या की मात्रा से दृग्ना करना पड़ेगा। गरिब देश जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति के कारण और गरिब होते जा रहे हैं। वे देश अर्थ करने में पर्याप्त कठिनाई का अनुभव करते हैं। इन देशों को अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को आवश्यकता पूरी करने में भी कठिनाई का अनुभव हो रहा है। यह कहा जाता है कि यदि विदेशी सहा-

यता का कुछ भाग जनसंख्या नियन्त्रण में लगाया जाए तो इससे इन देशों के विकास में गंभीरता होगी।

जनसंख्या में विकास की गति आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। दूसरी ओर वह स्वयं भी आर्थिक विकास के स्तर से प्रभावित होती है। कृषि प्रधान देशों में जन्म-दर और मृत्यु दर प्रायः समान रूप से ऊँची होती है। औद्योगीकरण के बाद जन्म दर बढ़ जाती है और मृत्यु दर कम हो जाती है। जब औद्योगीकरण अपनी परिपक्वता की स्थिति में आ जाता है तो जन्म-दर और मृत्यु-दर दोनों ही कम हो जाती है। ऐसे देशों में वृद्धों की मात्रा अधिक बढ़ जाती है और जनसंख्या के विकास की गति धीमी हो जाती है। जब जन्म दर बढ़ती है तो उस देश के लोगों का मारतल ऊँचा हो जाता है और घटने पर कम। बढ़ती हुई जनसंख्या वाले देशों में सरसाह एव शक्ति पर्याप्त मात्रा में देखी जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या वाले देशों में युवकों की मात्रा अधिक होती है और इन देशों के आर्थिक एव सैनिक विकास की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं।

जनसंख्या सम्बन्धी सञ्चमण

(The Demographic Transition)

प्रत्येक देश का औद्योगिक विकास जिस प्रक्रिया एव तरीके से हो रहा है वह जनसंख्या सम्बन्धी सञ्चमण की है। इस सञ्चमण में पहला काल उच्च जीवन दर एवं उच्च मृत्यु दर का था और दूसरा काल निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर का है। इस परिवर्तन के दौरान जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक ऊँची हो जाती है और यह उस समय तक ऐसी बनी रहती है जब तक कि दूसरे काल में न पहुँच जाए। इस परिवर्तन के द्वारा पर्याप्त कार्यकुशलता बढ़ती है। जब यह परिवर्तन पूरा हो जाता है तो युवक प्रौढ़ों की प्रत्येक नई पीढ़ी कम से कम मन्तानोत्पत्ति करती है और कम बच्चे मरते हैं तथा शिक्षा की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता है। इस विकास की गति के बाद बच्चे मरने की मात्रा में प्रजनन क्रिया कम हो जाने के कारण आर्थिक व्यक्तियों की उम्र बच्चे मरने से बढ़ जाती है। ये सब कारण जनसंख्या सम्बन्धी सञ्चमण औद्योगीकरण को जाने पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं।

विकास की यह गति साम्प्रदिक होने की अपेक्षा प्रभूत अधिक है। सन् १९३० की आर्थिक मंश के दौरान इन औद्योगिक देशों में पर्याप्त कठिनाइयाँ आयीं और उसके बाद से इन सभी देशों की जन्म दर बढ़ गई ताकि जनसंख्या के विकास में नई सहर आ सके। कुछ भी हो किन्तु औद्योगिक

राष्ट्रों के जन्म दर की वृद्धि उन्नीसवीं सदी के स्तर पर नहीं पहुँच सकती। अधिकतर औद्योगिक देशों में तो जन्मदर गिर गई है। जापान में प्रजनन शक्ति घटने में यह सिद्ध हो गया कि पूर्वी देशों में भी औद्योगीकरण का वही प्रभाव होता है जो पश्चिमी देशों पर हुआ। सतैप में जनसंख्या सम्बन्धी सफलता का माडल अत्यन्त उपयोगी है। यह वास्तविकता की पूरी तरह व्याख्या करता है तथा यह हमें तर्कों के देखने के साथ-साथ कुछ मूल अनुमान पर आधारित प्रश्न उठाने में भी सहायता करता है।

जनसंख्या के विकास की वर्तमान प्रवृत्तियाँ

(The Present Trends of Population Growth)

जनसंख्या के विकास के बारे में कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आज के अर्धविकसित देश उस जनसंख्या सम्बन्धी सफलता की दूतरा रहे हैं जिसमें होकर वर्तमान औद्योगिक देश निकले हैं। यदि ऐसा ही हो रहा है तो हम उस समय का अनुमान लगा सकते हैं जो इन देशों को अपने विकास में व्यतीत करना होगा, किन्तु सच तो यह है कि इन देशों को विकास की उनी प्रक्रिया में होकर गुजरना नहीं पड रहा है। एक स-से महत्वपूर्ण अंतर तो यह है कि आज के अर्धविकसित देशों में प्राकृतिक वृद्धि इतनी नहीं हो रही है जितनी कि कमी आज के औद्योगिक देशों में हुई थी। असल में ये देश अधिक प्राकृतिक वृद्धि का दिग्दर्शन करा रहे हैं। इस वृद्धि की गति का उदाहरण मानव इतिहास में प्राप्त नहीं होता। इसका कारण यह है कि आज इन देशों में जन्म दर बहुत ऊंची है और मृत्यु दर घट गई है। इन देशों की मृत्यु दर ऐसे समय में कम हो गई है जब कि ये प्राथिक विकास के प्रारम्भिक सोपानों को ही पार कर रहे हैं, आज के औद्योगिक देशों में यह कमी उन समय आई थी जबकि पर्याप्त सम्पन्नता के स्तर पर पहुँच गये। अर्धविकसित देशों में मृत्युदर इतनी शीघ्र कम हो जाने का कारण यह है कि इनको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध है। स्वास्थ्य की प्रक्रियाओं ने सामूहिक स्तर पर अथवा महत्व सिद्ध कर दिया है। आज के औद्योगिक देशों के विकास की गति धीमी रही, क्योंकि उनको प्रत्येक चीज का प्रयोग करना पडा, उसका आविष्कार करना पडा। जब कि आज मृत्यु से बचने के सभी तरीके ईजाद हो चुके हैं, वर्तमान कृषि प्रधान देश अपनी वैज्ञानिक प्रगतियाँ समझ के बिना ही इन आविष्कारों एवं प्रयोगों द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि आयातित स्वास्थ्य प्रयासों के लिए सामाजिक संगठन में परिवर्तन करने

की आवश्यकता बहुत कम रहती है। इन देशों में जन्म निरोध या प्रजनन शक्ति को कम करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाते, अतः जन्म दर पूर्ववत् उच्च ही बनी रहती है। इसके परिणामस्वरूप इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि यहां के आर्थिक विकास का प्रतीक नहीं होती जैसा कि आज क. प्रौद्योगिक देशों में हुई था। किन्तु इसके विपरीत यह तो आर्थिक विकास की एक बाधा का काम करती है। इसके अतिरिक्त इन देशों में जनसंख्या वृद्धि की यह प्रक्रिया ऐसे समय में हो रही है जबकि सत्तार में इतने अधिक क्षेत्र नहीं बच पाए हैं जहां पर कि अतिरिक्त जनसंख्या को समाया जा सके तथा स्थानान्तरण द्वारा इस समस्या को सम्भारना को कम किया जा सके। आज जो भी देश अपने आपको प्रौद्योगिक बनाना चाहता है उसके सामने इनका बाधाएँ आती हैं, प्रौद्योगिक देशों के साथ प्रतियोगिता पंदा होती है तथा राजनैतिक रूप से इन देशों को हताश किया जाता है।

आज का सत्तार जिसे अल्पसंख्यक एवं अपूर्ण जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया का अनुभव कर रहा है तथा इसके अविनाश अनुपात का भार गरीब एवं अर्धविकसित राष्ट्रों पर पड़ रहा है इससे दो परिणाम उत्पन्न होते हैं प्रथम यह है कि अर्धविकसित देशों में जहां कि पहले से ही जनता घने रूप में बसी हुई है वहां जनसंख्या की वृद्धि अन्य परिहार्य बाधाओं के साथ मिल कर इन पिछड़े हुए क्षेत्रों के आर्थिक विकास की गति को धीमा कर रही है। दूसरा और अनेक कारणोंवत् इन देशों की महत्वाकांक्षायें बड़ी तीव्र गति से घायल बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय सशक्तियों एवं राष्ट्रीय भावनाओं के बीच महान् असमानता हान के कारण इन देशों में राजनैतिक अस्थिरता है। दूसरे, इन देशों की राजनैतिक अस्थिरता एवं उनके आर्थिक विकास की धीमी गति मिल कर इनको विकसित देशों की तुलना में अधिकतम कमजोर बनाती जा रही है। इस स्थिति में एक ऐसी रित्त स्वान की रचना हो रही है जिसे कभी अल्पसंख्यकवाद को जन्म दिया था।

अर्धविकसित देशों में मृत्यु दर कम हान के कारण वहां युवक जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई। इससे आर्थिक बालकों की संख्या बढ़ी जिसे आर्थिक समस्याओं को और भी अधिक बढ़ित बना दिया। जब युवकों का समुदाय रोजगार की तलाश करता है तो उनमें से सभी को इस कार्य में सफलता नहीं मिल पाती और अगर मिलती भी है तो सतृप्त रूप से नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में उनकी शक्तिशाली आन्दोलन, क्रान्ति एवं युद्ध की ओर मुड़ जाती है। भारतवर्ष की वर्तमान स्थिति को इसका एक जीता-जागता उदाहरण माना जा सकता है।

कृषि प्रधान देशों में जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण उससे ठीक विपरीत रूप में हो रहा है जैसा कि भौगोलिक प्रकृति के लिए होना चाहिए था। आर्थिक विकास के दौरान लोगों के रहने की स्थिति में भारी परिवर्तन आता है, वे शहरों की ओर दौड़ने लगते हैं। जो कोई भी तब इस गति को रोकता है वह एक प्रकार से आर्थिक विकास रोक रहा है। इस विकास मार्ग की एक बाधा तो यह तथ्य है कि अधिक प्रजनन शक्ति देहाती क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रों पर जनसंख्या अधिकाधिक घना रूप लेती जाती है तथा कृषि के आधुनिकीकरण की कठिन बना देती है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के परिणाम देहाती क्षेत्रों के कम रोजगार की तुलना में इतने अधिक गम्भीर होते हैं कि सरकार प्रायः इस प्रकार की नाति भंगनाती है जिनमें कि अनेक प्रकार से शहरीकरण को हतोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए उद्योगों की विकेंद्रित कर दिया जाता है, हस्त-कला को प्रोत्साहन दिया जाता है, कृषि सुधार के प्रयासों पर व्यय दिया जाता है, आदि-आदि। ये प्रयास जिस सीमा तक सफल होते हैं वे उतना ही देश के आर्थिक विकास पर रोक लगाते हैं तथा राष्ट्र की कमजोरी का प्रतीक बन जाते हैं।

अन्य विकसित देशों में जो शहरीकरण हो रहा है, उसके पीछे दो कारण हैं। प्रथम तो यह आर्थिक विकास का परिणाम है और दूसरे यह देहाती क्षेत्रों में बड़ा हुई जनसंख्या का परिणाम है। इनका राजनैतिक महत्व तो इस बात में निहित है कि इनमें द्रुत संचार व्यवस्था के लिए सम्भावनाएँ बढ जाती हैं। साथ ही सामूहिक क्रम उठना भी सम्भव बन जाता है। बढती हुई आबादी वाले नगरों में अफवाहें दिवनों की तरह फैलती हैं। विभिन्न वर्गों के बीच पतित सम्बन्धों के कारण धार्मिक एवं सजातीय ईर्ष्या का भावना का उदय होता है। इन सब परिस्थितियों में अशान्ति, भयानक या अत्याचार की प्रतिक्रिया बड़ी शीघ्र, व्यापक एवं हिंसात्मक होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में जनमत का स्थान

(The Role of Public Opinion in International Relations)

एक देश की विदेश नीति में जनमत द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह इस बात का संकेतक है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जनता का स्थान महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। जैसे नीतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के प्रतीक सदा से ही इतिहास के निर्माणक तत्व रहे हैं; किन्तु फिर भी

इनका योगदान इतना महान कभी भी नहीं रहा जितना कि यह प्राधुनिक युग में पाया जाता है। आज का युग मजदूरों की श्रान्ति का युग कहना है जिसमें सत्तार के अधिकांश भागों को समाजवाद के रंग में रंगना एक उद्देश्य है। इस युग में जासूसों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है तथा कोई भी देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से सम्बन्धित किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेते समय जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता।

मजदूर वर्ग हमारे समय के सामाजिक विकास की एक मुख्य प्रेरक शक्ति है। मानव इतिहास में आज तक जिन वर्गों ने समाज की प्रध्यक्षता की है उनमें यह वर्ग सख्या में सभी से अधिक है तथा यह प्रायः सभी दलित वर्गों का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। लेनिन ने विश्व में होने वाले विकासों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताया था कि साम्यवाद की विजय का कारण यह है कि सैकड़ों और हजारों लोग धीरे-धीरे इसके समर्थक बन गये हैं। यह बहुमत अब जागृत हो चुका है तथा कुद्व कर गुजरने के लिए आतुर है। इसी मजबूत से मजबूत और शक्तिशाली से शक्तिशाली सत्ताओं द्वारा भी रोक नहीं जा सकता।

मार्क्स और लेनिन के प्रयासों से मजदूर वर्ग में यह पहचानने की शक्ति आ गई है कि उनका हित क्या है तथा इसकी साधना वे किस प्रकार कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में मजदूर वर्ग का योगदान के साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भी उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में इसके प्रभाव से एक नया विकास यह हुआ है कि विदेश नीतियों का भावनात्मकीकरण हो गया है। आज युद्ध और शान्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों में जनता की रुचि बढ़ती जा रही है। वह विदेश नीति के विनिर्णय पहलुओं में पर्याप्त रुचि लेती है। इस सबके परिणामस्वरूप विदेश नीति की जनता की इच्छाओं से प्रभावित होना पड़ता है।

घारबेटोव (Y Arbatov) जैसे साम्यवादी लेखकों का कहना है कि शोषित मजदूर वर्ग चुनावों में भाग लेता है इसके प्रतिरिक्त भी उसके पास कुछ साधन हैं जिनके माध्यम से वह विदेश नीति को प्रभावित कर सके। मजदूर वर्ग का सक्रिय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं आतृत्व का विकास करना होता है। मार्क्स द्वारा दुनिया के मजदूरों को एक होने का जो नारा दिया गया उसके साम्यवादियों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि जाहिर होती है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के बाद ही साम्यवादी श्रान्ति के लक्ष्यों का पूरा किया जा सकता है। मजदूर वर्ग के पास

हड़ताल आदि के रूप में कई एक शक्तिशाली हथियार हैं जो यदि प्रयुक्त किये जायें तो पर्याप्त प्रभावशाली साबित हो सकते हैं ।

सराजकाल के युद्ध केवल श्यावसायिक सेनाओं के माध्यम से ही नहीं चले जाते । लेनिन के कथनानुसार आज के युद्ध राष्ट्रो द्वारा लड़े जाते हैं । इन युद्धों के संचालन के लिए आवश्यक व्यापक संख्या में जो सेना नियुक्त की जाती है वह मूल रूप से काम करने वाली जनता के कंधों पर बन्दूक रख कर ही चलती है । जनसंख्या का कार्य गृह स्तर पर भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रत्येक सेना का माध्य उसके श्रम एवं भोग्य पर निर्भर करता है । यही कारण है कि युद्ध, शान्ति एवं विदेश नीति के बारे में बड़ी जनसंख्या के विचार एक महत्वपूर्ण तत्व बनते जा रहे हैं । ये एक देश की सैनिक सामर्थ्य का निर्णय करते हैं तथा सेना के भोग्य, अपने डिवीजन के गुण एवं गृह स्तर पर स्थायित्व आदि का निर्धारण करते हैं । यह कहा जाता है कि पिछले दो विश्व युद्धों के अनुभव के बाद यह बात सामने आई कि युद्धों एवं विदेश नीति के प्रति जनता का दृष्टिकोण केवल नैतिक तत्व तक ही मर्यादित नहीं है । यह उस वर्ग के शासन को भी समाप्त कर सकता है जो युद्ध में रत है । यह शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक नवीन शक्ति के रूप में उदित हो रही है । इसके फलस्वरूप प्रभावशाली विदेश नीतियां बनने लगी हैं । इस दृष्टि से उपनिवेशों एवं भाषित देशों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता मोर्चे हैं उनका भी अपने धार में पर्याप्त महत्व है ।

यह माना जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जनसाधारण का जो महत्त्व बढ़ा है वह कोई भ्रमसर की ही बात नहीं है और न ही यह राजनीतिज्ञों एवं कूटनीतिज्ञों के विषयगत गतत भाकलन का ही परिणाम है । यह जो विषयगत ऐतिहासिक विकास का एक प्राकृतिक परिणाम है । यह एक सामाजिक वातावरण है जो मानवता की प्रगतिशील एवं शान्तिवादी शक्तियों का पक्ष लेता है । विदेश नीति पर जनसाधारण का बढ़ता हुआ प्रभाव प्रतिक्रियावादी एवं भाकलणकारी नीतियों तथा रूपों को संभव नहीं होने देता । यह आज की दुनिया की एक अद्वितीय प्राप्ति है । कोई भी देश इस प्राप्ति से छोड़ना नहीं चाहेगा ।

बढ़ती हुई जनसंख्या पर विचार करने के मार्ग (The ways of dealing with Population Increase)

जनसंख्या की वृद्धि का एक देश के ऊपर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो प्रभाव पड़ता है वह बहुधा हानिकारक होता है । ऐसी स्थिति में जन

तरीको की जानकारी उपयोगी रहेगी जो जनसंख्या के बढ़ने पर उसके बु परिणामों को कम करने के लिए काम में लाये जा सकते हैं। विचारकों क कहना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव को रोकने के लिए तीन मा अपनाये जा सकते हैं। पहला, विस्थापन (Migration) दूसरा, उत्पादन वृद्धि (विशेषकर कृषि उत्पादन में) और तीसरा, जनसंख्या नियन्त्रण (Population Control)। इन तीनों मार्गों का कुछ विस्तार के सा अध्ययन किया जाना भी उपयोगी रहेगा।

(1) विस्थापन (Migration) का तरीका—जब से विचारधारामों ने यह निश्चित किया है कि जनसंख्या के दबाव प्रसारवादी नीतियों को प्रोत्साहित करते हैं तब से यह विश्वास किया जाने लगा है कि अधिक जनसंख्या वाला देश पर्याप्त भूमि और साधन स्रोत प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। उन्नीसवीं शताब्दी की उपनिवेशवादी एवं साम्राज्यवादी नीतियों को इन्हीं विचारों का प्रतीक माना जा सकता है, यद्यपि उस समय समुद्र पार के प्रदेशों में बहुत कम लोग जाकर बसे। सोवियत संघ और साम्यवादी चीन अपनी जनसंख्या की समस्या को सुलझाने के लिए अपनी सीमाओं के क्षेत्रों में लोगों को बसा रहे हैं। मास्ट्रिलिया तथा कनाडा जैसे देश अब भी यूरोप के कुशल कार्यकर्ताओं को अपने देश में घुसने के लिए आकर्षित करते हैं किंतु वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार आजकल अधिकांश देश विस्थापितों को स्वीकार करने में अनिच्छा दिखाने हैं; इसका कारण चाहे बेरोजगारी हो अथवा आंतरिक राजनैतिक तत्व। इसका एक कारण यह हुआ कि विस्थापन के द्वारा जनसंख्या की समस्या को सुलझाने के आसार कम हो गए।

(II) साध सामग्री का अधिक उत्पादन—बढ़ी हुई जनसंख्या को बसाने के लिए तथा उसकी समुचित व्यवस्था करने के लिए साध सामग्री के उत्पादन को बढ़ाना परमावश्यक है। यह कहा जाता है कि दुनियाँ की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या कम भोजन से गुजर करती है। एक अनुमान के अनुसार दुनियाँ में भोजन के उत्पादन में वृद्धि कम से कम २.२५ प्रतिशत प्रति वर्ष होनी चाहिए। अनुमान के अनुसार सन् १९५० में यह वृद्धि ०.९ प्रतिशत हुई थी। कृषि उत्पादन में वृद्धि का अभिनेता संयुक्त राज्य अमरीका ने बनाया जहाँ २.२५ प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई, किंतु इस देश को प्रतिरिक्त कृषि उत्पादन की इतनी आवश्यकता नहीं रहती। संयुक्त राज्य अमरीका के कृषि उद्योग की विशेषता यह है कि उनका मशीनीकरण हो गया है, अम बचाने वाले अनेक तरीके अपनाये जा रहे हैं, मारी

पूँजीगत व्यय किये जा रहे हैं, अनेक प्रकार की खाद का प्रयोग होता है। यदि ये बातें अल्पविकसित देशों से लागू की जायें तो इनके लिए पहले सामाजिक और प्राथमिक व्यवस्था में भारी परिवर्तन करने होंगे और अनेक देश इन परिवर्तनों को आने वाली दशाब्दियों तक नहीं कर सकते चाहे उनको विदेशी सहायता दी जाए अथवा न दी जाए। चीन से प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों से साफ जाहिर है कि वहाँ मनुष्य शक्ति का व्यापक प्रयोग किए जाने के बाद भी भोजन की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सका है और इस कमी को पूरा करने के लिए उसे आस्ट्रेलिया तथा कनाडा से भारी खाद सामग्री मागनी होती है। खाद्यान्न की बढ़ी हुई माँग उसी समय प्राप्त की जा सकेगी जब प्रत्येक एकड़ जमीन पर अधिक अन्न उपजने लगेगा क्योंकि जिसनी भी खाती जमीन है वह इस समय खेती के काम में ली जा रही है और ऐसी कोई जमीन शेष नहीं बची जो नए खेतों से खेती के काम ली जा सके।

खाद सामग्री का निर्यात धीरे-धीरे विश्व राजनीति में नीति का एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। समुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया एवं कुछ अन्य देश यह शक्ति रखते हैं कि निर्यात किये जाने योग्य प्रतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन कर सकें। समुक्त राज्य अमरीका ने मार्च-जनिक कानून ४८० (Public Law 480) के माध्यम से सरकारी स्वामित्व के अधीन पर्याप्त प्रतिरिक्त खाद्यान्न का सप्लाई किया है। सन् १९६५ से लेकर सन् १९६५ तक अर्थात् दस वर्षों के काल में समुक्त राज्य अमरीका ने केवल भारत को ही लगभग ३ बिलियन डालर के मूल्य का खाद्यान्न भेज दिया। एक अन्य कार्यक्रम के अधीन राष्ट्रपति जॉनसन ने प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से तीन बिलियन टन प्रतिरिक्त खाद्यान्न देने का वायदा किया ताकि भारत की भूख को मिटाया जा सके। यह कहा जाता है कि जब तक वर्ष भर में प्रत्येक दिन पच्चीस हजार टन अनाज भारतीय बन्दरगाह पर न उतारा जाएगा तब तक भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दूसरी ओर आस्ट्रेलिया और कनाडा अपने गेहूँ के उत्पादन की अधिकता माना को विश्व बाजार में बिक्री या साल के आधार पर निर्यात देते हैं। उनकी बिक्री की अधिकांश मात्रा रूस और साम्यवादी चीन को जाती है। खाद समस्या की गम्भीरता को पहचान कर विदेश सहायता कार्यक्रम कृषि उत्पादन को अधिक महत्त्व दे रहे हैं। समुक्त राष्ट्र सच के साथ और कृषि संगठन के महा संचालक डा० बी० धार० सेन ने इस सन्दर्भ को स्पष्ट करते हुए बताया है कि कुछ अधिक जनसंख्या वाले देशों से गम्भीर अनाज की नहीं रोका जा सकता और यह एक सरल गणितीय निष्कर्ष है कि यदि खाद

उत्पादन को प्रत्येक जगह इसी मात्रा में रखा गया जिसमें कि वह भव है, तो इस शताब्दी के अन्त तक भूखे या अर्ध भूखे लोगों की संख्या घाज की तुलना में दो गुनी हो जाएगी। पे डलफोर्ड तथा लिंकन के कथनानुसार विश्व-व्यवस्था को प्राप्त करने तथा बनाए रखने के मार्ग में एक सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि अनेक अर्द्ध विकसित देश विकसित देशों के खाद्यान्न के जहाजों पर आश्रित हैं। जिन देशों के पास खाद्य सामग्रियों की अतिरिक्त मात्रा है वे अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के बाद भी अकालप्रस्त एवं अभावप्रस्त देशों की आवश्यकताओं को केवल आंशिक रूप से ही पूरा कर पा रहे हैं। इस आवश्यकता को सन्तुष्ट करने के लिए समस्या पर कई दिशाओं से विचार किया जाना चाहिए। आवश्यकतामन्द देशों में उत्पादन को बढ़ाया जाय। अल्पसंख्यक देशों को अधिक सामग्री भेजने का प्रबन्ध किया जाए। इसके अतिरिक्त समुद्र के पानी को सिंचाई के लिए और मानवीय प्रयोग के लिए अधिक रक्षित किया जाए। सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई का उचित प्रबन्ध किया जाए और ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए कि भूमि का अधिक प्रयोग किया जा सके, खेतों पर आश्रित लोगों की संख्या कम हो और साधनों का मित-व्ययता के साथ प्रयोग किया जा सके। वैसे इसमें कोई संदेह नहीं कि खाद्य सन्तुष्ट को दूर करने के लिए स्वयं उस देश को ही प्रयत्न करना होगा। इनके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र सच के अतिकरण और विशेषीकृत क्षेत्रीय निकाय भी इस दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। कम आमदनी वाले देशों में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के मार्ग में अनेक बाधाएँ होती हैं उदाहरण के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक बाधाएँ जो कृषि उत्पादन को परम्परागत बना देती हैं। यहाँ समस्या यह नहीं है कि तकनीकी का अभाव रहता है बल्कि यह है कि उसका पर्याप्त उपयोग नहीं होता। गरीब और अशिक्षित लोग धीमी गति से काम करते हैं और अकार्यकुशल होते हैं। इन देशों में बचत की मात्रा कम होती है और अनेक किसानों को भारी कर्ज मार के नीचे रह कर जीवन व्यतीत करना होता है। इस सबके परिणामस्वरूप व कृषि के क्षेत्र में प्रयोग नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त अच्छा खाद और अच्छे बीज भी नहीं खरीद पाते। इन सभी कमियों को विदेशी सहायता, तकनीकी सहयोग और योग्य नवृत्त के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।

(iii) जनसंख्या का नियन्त्रण—जनसंख्या का नियन्त्रण इस समस्या पर विचार करने का एक तीसरा तरीका है। अर्द्ध विकसित देशों में सरकारी समर्थन के आधार पर इन कार्यक्रमों को सफल बनाया जाना चाहिए। विश्व बैंक के अध्यक्ष मि० लैंक ने संयुक्त राष्ट्र सच की आर्थिक एवं सामाजिक

समिति के सम्मुख कहा था कि जनसंख्या की वृद्धि को रोकना गरीब देशों में जीवन स्तर को सुधारने के लिए किये गये प्रयासों में से एक है। जब तक जनसंख्या की वृद्धि को नहीं रोका जाता, उस समय तक हम मीड में युक्त एशिया और मध्यपूर्व के देशों में प्राथिक उन्नति की आशा इम शताब्दी में नहीं कर सकते। यह ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समिकरण कुछ कर सकें।

जनसंख्या के नियन्त्रण के प्रति दृष्टिकोण धीरे धीरे कम भावुक होते जा रहे हैं और अधिकतर लोग यह समझने लगे हैं कि दुनिया की जनसंख्या की वृद्धि का एक मात्र इलाज साक्ष्य एवं विकास की स्थिति को सुधारने का प्रयास है। एक दर्जन से भी अधिक देशों की सरकारें जन्म दर को कम करने के कार्यक्रमों को अपना रही हैं। इस प्रकार के कुशल राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रभाव जापान में देखा जा सकता है जहाँ पर कि क्रमशः जन्म दर गिरती चली गई। भारत एवं सोवियत संघ की सरकारें जनसंख्या पर नियन्त्रण के प्रयास कर रही हैं, किन्तु भारत में यह कार्यक्रम बड़ी घीमी गति से चल रहा है। इसके लिए उत्तरदायी प्रत्येक कारण है, जैसे डाक्टरों की कमी एवं शिक्षा आदि। शिक्षा के कारण जनसंख्या नियन्त्रण के कार्यक्रमों पर रोक लग जाती है क्योंकि परम्परागत मूल्य एवं रीति रिवाज अधिक से अधिक बड़े परिवार का समर्थन करते हैं। जिन देशों में शिक्षा व्यापक मात्रा में पाई जाती है वहाँ जनसंख्या वृद्धि अधिक हाती है क्योंकि इन क्षेत्रों में किसी बात को सनातित करना अत्यन्त कठिन होता है और नये विचारों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसीलिए छोटे परिवार की बात यहाँ अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती। यह कहा जाता है कि साम्यवादी चीन में जनसंख्या नियन्त्रण की ऐसी नीति को अपनाया गया है जिसमें तीन बच्चों से अधिक बाले परिवार को हतोत्साहित किया जाता है। यह कहा जाता है कि एक तानाशाही सरकार शिक्षा के रहते हुए भी प्रभावशाली जनसंख्या कार्यक्रम को लागू कर सकती है। समुक्त राज्य अमरीका की सरकार एक अन्य व्यक्तिगत समिकरण विदेशी सरकारों की सहायता कर रहे हैं ताकि उन्हें जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रमों में सफलता प्राप्त हो सके। फिर भी इतना अवश्य है कि जन्म दर को कम करने जैसी समस्या को मूलभूतने में विदेशी सहायता कम उपयोगी सिद्ध होगी। जनसंख्या नियन्त्रण की समस्या को अत्यन्त गम्भीर एवं महत्वपूर्ण मान कर चलना चाहिए। यह कहा जाता है कि प्राथिक विकास और जनसंख्या नियन्त्रण की दोहरी समस्या इतने बड़े स्तर का

नियोजन एवं व्यापक दृष्टिकोण चाहती है जितना कि अणुबम के विनाश की समस्या ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय चाहा था।

राष्ट्रीय शक्ति के रूप में तकनीकी (Technology as an Element of National Power)

आज की दुनिया तकनीकी दुनिया है और इसमें अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर प्रायोगिक विज्ञानों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। तकनीकी के कारण जनसंख्या में परिवर्तन आता है, सुरक्षा के मांग बनते हैं और आर्थिक प्रगति का रास्ता खुलता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास से पूर्व किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन को होने के लिए जितने समय की आवश्यकता थी वह एक व्यक्ति के जीवन से अधिक सम्बा होता था। ऐसी स्थिति में मनुष्य जाति को निश्चित परिस्थितियों में समायोजित होने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। किन्तु आज यह समय मानव जीवन की अपेक्षा छोटा हो गया है इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम व्यक्तियों को नए परिवर्तनों में ढलने का अभ्यास करावें। यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रति दस या पन्द्रह वर्षों के बाद विज्ञान की प्रगति दुगुनी हो जाती है। आज दुनिया के अधिकांश लोग तकनीकी का प्रयोग करने लगे हैं। इसलिए विश्व की घटनाओं पर भी तकनीकी के प्रभाव का अनुभव किया जाता है।

तकनीकी को कमी-कमी प्रायोगिक विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें भौतिक विज्ञान एवं जीवशास्त्र को इन्जीनियरिंग, उद्योग एवं अन्य मानवीय क्रियाओं में लागू किया जाता है। विज्ञान अपने शुद्ध रूप में समाज एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव नहीं रखता किन्तु जब वह तकनीकी के रूप में परिणत हो जाता है, तो समाज प्रभावित होने लगता है। एक शुद्ध अनुसंधान विशेषज्ञ या विज्ञान का प्रोफेसर ज्ञान को ऐसे रूप में परिणत नहीं कर सकता जिसे कि शक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। यह कार्य इन्जीनियर या तकनीकी अभ्यासकर्ता द्वारा किया जाता है।

तकनीकी समाज और दुनिया में परिवर्तन लाती है। प्रोफेसर रेमण्ड सोन्टेग (Raymond Sontag) के कथनानुसार प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध के बीच की घटनाएँ तीन मुख्य विचारों से प्रभावित थी—राष्ट्रवाद, सन् १९१४ से १९१९ के बीच के गम्भीर परिवर्तन जिन्होंने इतिहास की प्रगति की धारा को रोक दिया एवं तकनीकी परिवर्तन। ये तीनों ही विचार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रुक गए और इनके स्थान पर अन्य विचार जुड़ गए,

जैसे साम्यवाद का उदय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास। तबनीकी, राष्ट्रवाद, साम्यवाद एवं अन्य शक्तियों ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।

तकनीकी ने मानव जीवन के सभी पहलुओं पर प्रभाव डाला है। इसके परिणामस्वरूप वे मूल्य जो कभी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डाला करते थे वे अब उतने ही महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। आज की दुनिया में नीतिक सन्तोष की इच्छा धार्मिक एवं सैद्धांतिक सत्त्वों से भी अधिक बढ़ गई है और राजनीति में इनका प्रभाव घटिक हो गया है। आज जिस आधार पर सैनिक सुरक्षा को व्यवस्था की जाती है उसमें तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यूरोप और अमरीका विश्व की राजनीति में इसलिए प्रभावशाली हो गए हैं क्योंकि इनका तकनीकी विकास बहुत बढ़ गया है। आजकल तकनीकी विकास गर पश्चिमी देशों में भी घपनाया जा रहा है। इसे वहाँ राष्ट्रवाद के साथ मिला दिया गया है। इस प्रकार यह विश्व राजनीति में एक अनिश्चित शक्ति का स्रोत बन गया है। तकनीकी के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों एवं धार्मिक विकासों की प्रक्रिया पर पर्याप्त प्रभाव डाला है। सोवियत रूस और अमरीका में लाखों लोग हम क्षेत्र में अनुसंधान में लगे हुए हैं। यह सम्मानना की जाती है कि इससे मानव शक्ति एवं व्यय में पांच प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। संयुक्त राज्य अमरीका के ६० प्रतिशत से अधिक प्रयास सैनिक एवं अन्तरिक्ष क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव हो रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार कुल अनुसंधान एवं विकास का ६५ प्रतिशत प्रदान करती है। किन्तु व्यक्तिगत उद्योग कुल कार्य के ७० प्रतिशत से अधिक के लिए मुग्तान करने हैं। अन्य १३ प्रतिशत योगदान विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है और शेष की पूर्ति सरकारी संस्थाएँ करती हैं। तकनीकी क्रांति ने विश्वविद्यालयों के अनुसंधानों को सरकारी कोष पर आधारित बना दिया है। तकनीकी विषयों पर सांस्कृतिक एवं भाषागत रुकावटों का प्रभाव बहुत कम होता है। तकनीकी में यह क्षमता है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवाहित हो सके। इसके लिए केवल शिक्षा और पर्याप्त सम्पत्ति की आवश्यकता है।

कुछ समय पूर्व यह विश्वास किया जाना था कि पश्चात्य देशों की जनता के प्रतिरिक्त लोग सामुनिक तकनीकों की काम में नहीं ला सकते। इसी आधार पर दो विश्व युद्धों के बीच यह मान्यता रही कि जापान सामुनिक जड़ों बहाजों एवं कामुधानों का निर्माण नहीं कर सकता। किन्तु आज जगो जूदा बनाने के कार्य में जापान दुनिया का समुदा है और इस बात में कोई

सदेह नहीं है कि वह आधुनिक तकनीकी को प्रयोग में लाने की योग्यता रखता है। यदि अर्द्ध-विकसित देशों में शिक्षा, समृद्ध-एव पर्याप्त पूँजी हो ती वे अपने और उन्नत पश्चिमी राज्यों के बीच स्थित तकनीकी अंतर को कम कर सकते हैं। तकनीकी प्रगति के प्रभाव स्पष्ट होते हैं। आज दुनिया के देश अधिक पराश्रित बन गए हैं क्योंकि औद्योगिक तकनीकी का विकास विदेशी बाजार और विदेशी कच्चे माल की भाग करता है। पहले यह माना जाता था कि राज्यों को कच्चा माल प्रदान करना चाहिए जबकि औद्योगिकृत पश्चिमी राज्यों को बनी हुई चीजें भेजनी चाहिये। आज औद्योगिकृत राज्यों एव गैर-सरकारी नियमों के बीच पिछड़े हुए राज्यों में तकनीकी का विकास करने के लिए होड़ सी लगी हुई है क्योंकि इससे सुदूर भविष्य में राजनैतिक प्रभाव बढ़ेगा और लाभ के भवसर प्राप्त होंगे। राज्यों के बीच परस्पर अन्तर एव राजनैतिक झगड़े रहते हुए भी व्यक्तियों एवं निगमों के बीच तकनीकी सहयोग रह सकता है। वर्तमान युग में तकनीकी एव अधिक सम्बन्धों की सहर बढ़ती जा रही है इसके प्रभाव और रूप को परिभाषित नहीं किया जा सकता, किन्तु पिछली शताब्दियों में अन्तर्देशीय विवादों का अन्तराष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव पड़ता था उनसे इसकी तुलना की जा सकती है। राज्यों के द्वारा जान बूझ कर यह प्रयास किया जाता है कि उनका तकनीकी ज्ञान दूसरे देशों में न जाए। वे सैनिक तकनीकी को गोपनीय रखने का प्रयास करते हैं। आधुनिक तकनीकी का सम्बन्ध अणु शस्त्रों से है। संयुक्त राज्य अमरीका अपने मित्रों को इस बात के लिए प्रभावित करता है कि वे साम्यवादी देशों को लड़ाई के काम की चीजें न भेजें। दो सताब्दी पूर्व ग्रेट ब्रिटेन ने ऊँची कपड़ा बनाने की मशीन और तकनीकी के निर्यात पर रोक लगा दी। ऐसी कुछ नीतियाँ अल्पकालीन दृष्टि से उपयोगी होती हैं, किन्तु धीमे धीमे तकनीकी राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़ कर फैलने लगती है। जब एक बार संज्ञानिकों का यह मालुम पड़ जाता है कि काम हो चुका है तो वे बड़ी शीघ्रता ही उसे पूरा कर लेते हैं।

आज के युग में बढ़ती हुई आकांक्षामों की क्रान्ति है। आज सरकारें यह आशा करती हैं कि उनका राज्य आधुनिक तकनीकी प्राप्त कर लेगा। उनकी यह आशा सैनिक दृष्टियों से धीमे बढ़ कर औद्योगिक एवं संचार तकनीकी तक फैल जाती है। अर्द्ध-विकसित देश अपनी पराश्रयता का कम करने का प्रयास करते हैं और बड़ा उद्योग के विकास पर जोर दिया जाता है।

जनसंख्या की विशेषताएँ, भूगोल के कुछ तत्व और अनेक अधिक तत्वों को नक्शों, मापकों और चित्रों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, किन्तु तकनीकी स्थिति इस प्रकार उपस्थित नहीं की जा सकती, किंतु इसका कुछ प्रतीकों के माध्यम पर अनुमान लगाया जा सकता है। इसका एक प्रतीक यह है कि उस देश की जनसंख्या का जितना अनुपात कृषि में लगा हुआ है। यदि कृषि कार्य में लगे हुए लोगों की संख्या बहुत अधिक है तो यह माना जाएगा कि कृषि तकनीकी बहुत पीछे है और औद्योगिक तकनीकी ने भी अपनी पिछड़ी स्थिति होने के कारण अधिक मजदूरों की मांग नहीं की। दूसरा सूचक यह है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन कितना होता है। तीसरा सूचक यह है प्रति व्यक्ति शक्ति का व्यय या खपत कितनी है। यह कहा जाता है कि समुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति की प्रति व्यक्ति खपत पश्चिमी यूरोप और सोवियत संघ से तीन गुनी अधिक है। यह भारत से पचास गुनी अधिक है और जापान से छः गुनी अधिक है। किसी राज्य के स्तर को मापने के लिए यह जरूरी नहीं है कि इन सभी सूचकों का बख़्त किया जाए क्योंकि एक राज्य अपनी प्राथमिकता के माध्यम पर तकनीकी के किसी भी एक पहलू पर जोर दे सकता है और इस प्रकार उस क्षेत्र में प्रगति करके एक स्तर प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए साम्यवादी चीन ने हार्डड्रोजन बम का विस्फोट कर लिया।

तकनीकी का अर्थ

(The Meaning of Technology)

तकनीकी शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है जिसमें लोहा, फौलाद एवं मशीनरी को तो लिया ही जाता है, किन्तु अराल में प्रत्येक संगठित ज्ञान (Organized Knowledge) चाहे वह कृषि, रसायन शास्त्र या अन्य किसी भी विषय में हो, उसे हम तकनीकी के क्षेत्र में ले सकते हैं। किन्सी राइट (Quincy Wright) के कथनानुसार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के एक अनुशासन के रूप में तकनीकी एक ऐसा विज्ञान है जो आविष्कार और भौतिक संस्कृति की प्रगति को विश्व राजनीति से सम्बन्धित करती है। यह यान्त्रिक प्रयासों के विकास की कला है जो युद्ध, कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, यात्रा और संचार में इसका प्रयोग करती है। प्रायः प्रत्येक देश की सरकार इस कला के विकास के लिए अधिक से अधिक आयोग, संस्थाएँ एवं अन्य अन्विकरण स्थापित करती है। सामान्य रूप से तकनीकी हम उस कला को कहते हैं जो प.ा.ओं, शक्तियों, प्रक्रियाओं एवं सम्बन्धों को मानवीय उद्देश्यों की सहायता के लिए मिलाती है और प्रयोग में लाती है। दूसरी ओर विज्ञान इन कला के व्यवहार के परिणामस्वरूप होने वाले आविष्कारों और तरीकों

ने मानवीय एवं सामाजिक प्रभावों को नियन्त्रित करती है और उनके बारे में भविष्यवाणी करती है। विज्ञान के अतर्गत आविष्कारों की रचना, विकास एवं प्रयोग के इतिहास के अध्ययन किया जाता है और दार्शनिक अध्ययन जो संस्कृति, सभ्यता आदि के विकास के लिए तकनीकी के महत्व का मूल्यांकन करते हैं वे भी विज्ञान के अन्तर्गत आते हैं। तकनीकी शब्द सामाजिक और नैतिक आविष्कारों को अपने क्षेत्र से निकाल देता है। इन क्षेत्रों में भी अनेक नए आविष्कार होते रहते हैं किंतु तकनीकी इनसे सम्बन्ध नहीं रखती। ऐसे भौतिक चीजों के विकास और नैतिक मान्यताओं के बीच हम विमाजक रेखा नहीं खींच सकते हैं क्योंकि प्रायः उन्हीं चीजों का आविष्कार किया जाता है जिनको हम मूल्यवान मानते हैं और चीजें हम प्रायः मूल्यवान इसलिए मानते हैं क्योंकि वे व्यवहार में अभिव्यक्त हो चुकी हैं।

तकनीकी और राष्ट्रीय शक्ति

(Technology and National Power)

तकनीकी (Technology) मानव सभ्यता एवं मनुष्य जाति के लिए एक बरदान है या प्रमिणाप है, यह एक विवादास्पद प्रश्न है जिस पर विद्वान् लायद कभी एकमत नहीं हो सके क्योंकि दोनों पक्षों के तर्कों में आंशिक सत्यता वतमान है। किंतु यह तो मानना ही पड़गा कि तकनीकी का राष्ट्रीय शक्ति से गहरा सम्बन्ध है। जिस देश के जनजीवन में तकनीकी देनी की बहुतायत रहती है वहाँ का जनजीवन स्तर ऊँचा रहता है तथा जिन राष्ट्रों के सैनिक उत्कृष्ट तकनीकी शस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं वे उन राष्ट्रों की अपेक्षा शक्तिशाली होते हैं जिन राष्ट्रों के पास वे नहीं होते। तकनीकी हथियारों को अपनाने में पहल करने वाले राष्ट्र उन राष्ट्रों की अपेक्षा लाभ में रहते हैं जो इन अस्त्रों का प्रयोग भयवा इनसे बचाव के उपायों को काम में लाना बाद में जाकर सीखते हैं। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने ब्रिटेन के विरुद्ध (Submarines) का प्रयोग करने में पहल करके शत्रु को नीचा दिखाया। इसी प्रकार युद्ध के अन्तिम काल में ब्रिटेन द्वारा प्रयुक्त टैंकों ने मित्र राष्ट्रों की विजय को सम्भव बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ में जर्मनी तथा जापान ने युद्ध की जिम् जाल को अपनाया उसके अनुसार उन्होंने अपनी वायु सेना को घस एवं जल सेना का सहकारी बना दिया। इस प्रक्रिया द्वारा इन देशों को सर्वोच्चता प्राप्त हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के अन्तिम पृष्ठ पर अणुबम की मार से जब जापान को दबा दिया गया तो अमरीका को एक सैनिक शक्ति के रूप में सर्वोच्चता प्राप्त हो गई क्योंकि अणु शक्ति पर उसका एकाधिकार था।

वर्तमान भारत-पाक संघर्ष के समय तकनीकी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह माना जाता है कि पाकिस्तान को अमेरिका से प्राप्त टीका-के ऊपर बड़ा नरोला या और इन्ही नरोला के आधार पर उसने दिल्ली के साल किले पर पाकिस्तानी भड्डा फहराने का शेरबिहली खंसा दिवा-स्वप्न देखा था। किन्तु भारतीय सेनामें इन टैको की शक्ति से परिचिन— थी और इनके प्रतिकार स्वरूप सारे प्रबन्ध कर लिये गये थे। फलतः पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में पीछे दिसानी पड़ी। भारतीय वायु सेना ने भी पल सेना के साथ जिन उद्घोष से कार्य किया, उसने भी उन्ही-के पीर उजाड़ दिये।

तकनीकी का विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि एक देश की शक्ति को निर्धारित करने में इसका बड़ा हाथ रहता है। शक्ति एक देश को सुरक्षा की भावना प्रदान करती है। एक देश के निवासियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है कि उस देश की सेना को तकनीकी तरीकों से सुसज्जित किया जाये।

तकनीकी परिवर्तन की प्रक्रिया को हम भाविष्कार, विकास एवं प्रयोग के स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। कोई भी भाविष्कार एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर होता है। वह भाविष्कार स्वतन्त्र रूप से उठी समय भन्व स्थानों पर हो यह जरूरी नहीं है। भाविष्कार एक सन्धी प्रक्रिया का परिणाम है। इस प्रक्रिया में पूर्ण ज्ञान को ऐसी भौतिक स्थितियाँ बनाने में प्रयुक्त किया जाता है जो समाज के द्वारा आवश्यक ममभी गई हैं। इस प्रकार भाविष्कार तकनीकी सम्भावना और सामाजिक आवश्यकता का योग है। उदाहरण के लिए हवाई जहाज का भाविष्कार उस समय तक नहीं हो सकता था जब तक शक्ति के पर्याप्त रूप के स्रोत का और मानविक कम्प्लेक्स इजिन का भाविष्कार न हो जाता और रेल, मोटर आदि यातायात के साधनों की प्राप्ति इस चीज को बढ़ावा न देती कि अधिक द्रुतगति का यातायात जरूरी है। जब कभी भाविष्कार सामाजिक मांग से पहले ही कर लिये जाते हैं तो वे बर्षों तक मू हा पड़े रहते हैं। वर्तमान तकनीकी में जिन सामानों के लिए उन्हे हुए हैं वे भी भाविष्कार का विरोध करते हैं। यह कहा जाता है कि चाहे सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो किन्तु भाविष्कार अपने आप में एक मनोबैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें भाविष्कार कर्ता जब तक के बिचारे हुए लोगों को नए संयोग में मिला देता है। जब एक बार भाविष्कार हो जाता है, और उसका प्रयोग आरम्भ हो जाता है तो सङ्कति और समाज के भन्व तत्वों को उसके अनुसूच बनाने की समस्या उठ सही होती है। भावि-

कारो के सामाजिक कारण होते हैं। उसी तरह सामाजिक परिणाम भी होते हैं।

तकनीकी की प्रकृति और प्रभाव

(The Nature and Influence of Technology)

तकनीकी को संस्कृति का एक ही तत्व माना जाता है। एक समूह की नैतिक और भौतिक संस्कृति उसके तकनीकी प्रयोग करने तथा आविष्कार करने की क्षमता को प्रभावित करती है। दूसरी ओर तकनीकी आविष्कारों के परिचय से मनुष्यों संस्कृति में परिवर्तन आ जाते हैं। संस्कृति के भौतिक एवं नैतिक पहलू अलग-अलग होते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तकनीकी के द्वारा समाज की मूल्य व्यवस्था को प्रभावित किया जाता है। मानव सम्पत्ता पाषाण युग, चारामाह युग, टुपि युग, लोहा युग, लोहा-युग, आदि में भिन्न-भिन्न सामाजिक मूल्यों को अपनाती रही है। लिखने के तरीके और सामूहिक संचार के तरीकों को सामाजिक प्रगति का स्तरीकरण करने में प्रमुख माना जाता है। यानामान के चरण में बीगाडी, घोड़ा, पालनी, रेल, मोटर, हवाई जहाज आदि साधन संस्कृति को प्रभावित करते रहे हैं। इसी प्रकार मानव शक्ति के प्रतिरिक्त शक्ति के अन्य स्रोतों के आविष्कार ने सम्यता को भौतिक रूप से प्रभावित किया है।

कार्ल मार्क्स का कहना था कि तकनीकी अर्थ व्यवस्था के रूप को ढालने में अत्यन्त प्रभावशाली है। अर्थ व्यवस्था के द्वारा धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक, सोशलिस्ट आदि क्षेत्रों में समाज के जीवन को प्रभावित किया जाता है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने भौतिक प्रगति के प्रभाव का महत्वपूर्ण बताते हुए सुझाया कि व्यक्ति को जैसा माना जाएगा दिया जायेगा वैसा ही बन जाएगा। इतिहासकारों ने युद्ध, तकनीकी एवं नैतिकता के पारस्परिक प्रभावों का वर्णन किया है। युद्ध के द्वारा तकनीकी के विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। किन्तु यह मूल विज्ञान की प्रगति को रोक देता है जिससे नई तकनीकी जन्म लेती है। तकनीकी प्रगति के द्वारा प्रतिरिक्त उत्पादन करके युद्ध को प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है और यह शांति व नैतिक प्रगति के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ भी तैयार कर सकती है। एक देश की नैतिक स्थिति महा युद्ध और आविष्कार दोनों की स्थिति को प्रभावित करती है।

तकनीकी का सभी संस्कृतियों पर एक सा प्रभाव नहीं होता। कुछ संस्कृतियाँ नए आविष्कारों को अपना कर भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। इसलिए

ये उनको प्रदान करने से कतरावेंगी। दूसरी ओर आधुनिक मन्वत्वायुँ आमानो से नई तकनीकी की प्रवृत्त नर लेनी हैं यद्यपि सत्कृति के सभी पहलुओं पर इनका प्रभाव प्रागे उग कर गहरा होता है। इसका धर्म यह हुआ कि तकनीकी हल्ले-पुल्ल प्रदान नहीं है जिनसे कि सभी सत्कृतिवा चानागिबट हो सकें और जो वहीं भी जन्म ले सकें तथा आमानो से और तुरन्त बजाई जा सकें। इनके द्विपरीत तकनीकी मन्कृति के सम्पूर्ण रूप से सम्बन्ध रखती है और इसका जन्म प्रसार एवं प्रभाव उस सत्कृति के सम्बन्ध में ही सम्भवा जाता है जहा जन्मी है और जहा इसका प्रयोग किया जा रहा है। यह सच है कि एक आविष्कार को सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है और उनको मिटाने के लिए भी, किन्तु फिर भी कुछ आविष्कार प्रकृति से ही सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहन देने वाले होते हैं और अन्य आविष्कार उन मूल्यों को मिटाने के काम करते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि अणु शक्ति एवं अणु प्रयुद्धों का आविष्कार एक अनैतिक कार्य है। उनको यह डर है कि यदि ऐसे हथियार रहे तो इनका प्रयोग भी किया जाएगा और इस प्रयोग के द्वारा सम्पूर्ण मानव मन्वता समाप्त हो सकती है। जब हम तकनीकी और नैतिकता के पारस्परिक सम्बन्धों को मान कर चलते हैं तो हम स्पष्ट रूप से तकनीकी की नैतिक निष्पक्षता को अस्वीकार करते हैं। यह सच है कि तकनीकी नैतिक रूप से तटस्थ नहीं होती। एक अनुशासन के रूप में तकनीकी नैतिक मापदण्डों और मूल्यों पर अपने प्रभाव को नहीं डुला सकती। उसे सम्पत्ता पर अपने तात्कालिक एवं अन्तिम परिणामों का ध्यान रखना चाहिए।

तकनीकी के सम्बन्ध में एक अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि इसका प्रयोग इसके उद्देश्य से बाहर भी किया जा सकता है। आज के युग में मनार के साधनों का इतना विकास हो चुका है कि पर्याप्त गोपनीयता रखते हुए भी तकनीकी आविष्कार एक देश से गीघ्र ही दूसरे देशों में फैल जाते हैं। समुक्त राज्य अमरीका ने अणुबम बनाया और पर्याप्त प्रयास किया कि वह उसे गुप्त रखे, किन्तु सोवियत संघ गीघ्र ही इस तकनीक को अपना देने में सफल हो गया। वर्तमान समय इस तथ्य को ध्यान में रख कर अविधान देश यह चाहते हैं कि मनार में स्थित तकनीकी अन्तर को बम किया जाए। समुक्त राज्य अमरीका और समुक्त राष्ट्रसंघ तकनीकी सहायता कार्यक्रमों द्वारा राज्यों के बीच स्थित तकनीकी अन्तरों को समाप्त करने में गीघ्र प्रयत्न करनी चाहते हैं।

विज्ञान और तकनीकी का इतिहास एक रचना और निरन्तरता के साथ आगे बढ़ता रहा है। एक बार जो आविष्कार कर दिए जाते हैं उनको बाद में

भुलाया नहीं जाता। वे मनुष्य जीवन के अग वन जाते हैं। यह समझना बड़ा मुश्किल है कि मनुष्य अणुबम या हवाई जहाज से कैसे छुटकारा पा सकता है। अनेक लोग वैज्ञानिक एव तकनीकी विकासों की आलोचना करते हैं, किंतु फिर भी इनका प्रयोग करने से अपने को तथा अपनी सन्तान को रोक नहीं सकते। यदि हम तकनीकी दृष्टिकोण से मानव इतिहास को लियें तो यह इतिहास उतार-चढ़ाव का इतिहास नहीं होगा वरन् यह निरन्तर प्रगति का इतिहास है। राजनैतिक, आर्थिक, नीतिक और कलात्मक इतिहास के उतार-चढ़ाव कभी कभी तकनीकी के इतिहास की गति को रोक देते हैं किंतु वे उसे पीछे नहीं ढकेल सकते। ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति ने जो आविष्कार किए हैं वह उनको भूल जाए। आधुनिक युद्ध की विध्वंसकारी एव सार्वभौमिक प्रकृति के कारण यह सम्भावना होने लगी है कि युद्ध अथ तक की तकनीकी प्रगति को नष्ट करके मनुष्य को सभ्यता के प्रथम सोपान पर लौटा देगा। यह निराशपूर्ण दृष्टिकोण अणुबम के तकनीकी आलोचकों द्वारा प्रकट किया गया।

तकनीकी और वैज्ञानिक विकास का वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर एव अन्तर्राष्ट्रीय संगठन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में मन-मुटाव बढ़ते जायेंगे और वे इतने उच्च स्तर पर पहुँच जाएंगे कि वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय नियमन जरूरी तथा व्यावहारिक बन जायगा। वैसे बढ़ते हुए मन-मुटाव एव बढ़ते हुए नियन्त्रण को प्रगति की सामान्य विशेषता समझा जाता है। मनुष्य जानि रीति-रिवाजों से पूर्ण प्रारम्भिक समाजों से निकल कर मती से निर्देशित सभ्य समाजों में इसी विशेषता के कारण आ पाई। उच्च लिचाव को प्रायः ऐसी स्थिति समझा जाता है जिसे कि मिटाया जा सके, किन्तु जब यह लिचाव प्रतिशय की स्थिति में पहुँच जाता है तो वह युद्धों को जन्म देता है और यह युद्ध आज की स्थिति में सभ्यता को नष्ट कर देंगे। दूसरी ओर अत्यन्त कम लिचाव व्यक्ति में आसत्य और निष्क्रियता ला देता है जो सभ्यता के विकास का एक रोज़ा है। उदाहरण के लिए एक बाइलर के उच्च दबाव को यदि नियन्त्रित एवं निर्देशित कर दिया जाये तो यह मनुष्य के लिए मन्व्यवान सावित हो सकता है। उसी प्रकार यदि उच्च लिचाव (High tension) को सामाजिक रूप से नियन्त्रित एव निर्देशित कर दिया जाये तो यह प्रगति का जनक बन सकता है। इस प्रकार उच्च लिचाव युद्ध एव प्रगति दोनों का कारण बन सकता है। परिणाम दो में से क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि नियन्त्रण

की दिशाएँ एव प्रभाव क्या है। सामाजिक नियंत्रण एव निर्देशन सत्त्वामो, कानूनो एव सगठनों के माध्यम से किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में विचार्य राष्ट्रों के बीच की सीमाओं पर जन्म होता है तथा दोनों पक्षों की बढ़ती हुई शक्ति के अनुपात में बढ़ता जाता है। मि. ओगबर्न (Ogburn) का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय विचार्य राजनैतिक एव प्रशासनिक सीमाओं की कठोरता से विकसित होता है तथा परिवर्तित परिस्थितियों के प्रति समायोजन न हो सकने के कारण यह बट जाता है। परिवर्तित परिस्थिति का भ्रंश उक्त दबाव से है जो प्रत्येक राज्य द्वारा सामान्य सीमाओं पर डाला जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय विचार्यो से राहत पाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण की स्थापना करना जरूरी है ताकि सभी राष्ट्रों की शक्ति को सामान्य तद्वय के लिए प्रयुक्त किया जा सके। सधर्षपूर्ण साम्राज्यवादी दावों के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों की स्थापना की जाये तथा राजनैतिक सीमाओं के पार भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाये। अन्तर्राष्ट्रीय मन्त्रों पर पठने वाले तकनीकी के प्रभाव को जानने के लिए यह जरूरी है कि राज्य, राज्य व्यवस्था, विश्व की भ्रंश व्यवस्था एव विरल राजनीति पर तकनीकी विकास के परिणाम को जाना जाये।

विश्व राजनीति और तकनीकी प्रगति

(World Affairs and the Progress of Technology)

तकनीकी विकास विश्व राजनीति को चार प्रकार से प्रभावित करता है। यह राज्य के रूप को बदल देता है, राज्य व्यवस्था में परिवर्तन लाता है, विश्व की भ्रंशव्यवस्था को परिवर्तित करता है तथा विश्व सरकार की दिशा में क्रिये जाने वाले प्रयासों को प्रभावित करता है।

(1) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारको का कहना है कि इस बात में कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि तकनीकी विकास एक राज्य के क्षेत्र एव जनसङ्घना को प्रभावित करता है। जिन समय संचार साधन पर्याप्त नहीं थे तथा आवागमन के साधनों का भी विकास नहीं हो पाया था उस समय व्यक्ति कुछ ही वर्ग भौल के प्रदेश में भ्रंशिक रूप से रहते थे। इनकी सङ्घना भी अधिक नहीं होती थी। आवागमन के साधनों के विकास ने लोगों का अधिक से अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण करने की ओर प्रेरित किया। तकनीक आधिपत्यों को राज्य के बड़े मानदार एव जनसङ्घना में मिलाने का प्रयास किया गया। आवागमन व संचारके साधनों के विकास ने साम्राज्यों का आकार बढ़ा दिया।

तकनीकी विज्ञान ने राज्यों के केन्द्रीयकरण एवं ठोसपन को बढ़ा दिया है। द्रुतगामी संचार के माध्यम से कूटनीतिज्ञ अपने विदेश कार्यालय से सीधा सम्पर्क बनाए रख सकते हैं और इस प्रकार विदेश नीति निर्माण का कार्य सरकार में केन्द्रित हो सकता है। दुनिया के प्रत्येक भाग में सरकार की नीति को दूसरे भागों से सम्बन्धित किया जा सकता है। एक उपयुक्त नीति को अपनाने के लिए भाज विश्व भर के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को मिला कर देखा जा सकता है तथा अपनाई गई नीति को साकार करने के लिए सैनिक, आर्थिक, प्रचार एवं कूटनीतिक साधनों का सहारा लिया जा सकता है। संचार के साधनों के क्षेत्र में तकनीकी प्रसार ने तथा सैनिक प्रसाधनों के जन्म ने घरेलू शक्ति की सम्भावनाओं को कम कर दिया है। साथ ही घरेलू प्रचार की प्रभावशीलता को बढ़ा दिया है तथा जनता अपनी सरकार पर अधिक से अधिक आश्रित होती जा रही है। इस प्रकार विदेश नीति एवं घरेलू नीति के व्यवहार में अधिक राष्ट्रीय एकता एवं ठोसपन सम्भव हो पाता है। तकनीकी विकास ने शक्ति के नये स्रोतों का आविष्कार किया है, उत्पादन के नये साधन दिये हैं तथा जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम को प्रभावशील बनाया है, इन सबके कारण सामाजिक शक्ति में वृद्धि हुई है तथा रहन-रहन का स्तर ऊँचा हुआ है।

अधिक आकार वाले, शक्ति वाले एवं केन्द्रीयकरण वाले राज्य अधिक आशावादी होते हैं, अधिक विश्वासपूर्ण होते हैं तथा अधिक सम्प्रभु होते हैं। ऐसे राज्य अपने आपकी अधिक शक्तिशाली एवं आत्मनिर्भर अनुभव करते हैं और इस प्रकार वे आक्रमणकारी बन जाते हैं। तकनीकी उन्नति राज्यों का शक्तिशाली एवं सतर्क बना देती है।

(ii) तकनीकी विकास राज्यों की शक्ति स्थिति में परिवर्तन ला देता है। जब वायुयानों का विकास हो गया तो श्रेट ब्रिटेन की शक्ति पर इसका भारी प्रभाव पड़ा क्योंकि यह समुद्री संचार व्यवस्था पर आश्रित था तथा एक शक्तिशाली नौसेना का स्वामी होने के कारण उसे किसी के आक्रमण का भय नहीं था किन्तु वायुयानों के विकास ने उसे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम श्रेणी की शक्ति न रहन दिया। यदि विश्व इतिहास का ऊपरी तौर पर अध्ययन किया जाये तो ज्ञान होगा कि प्रारम्भ में शक्ति उन देशों के हाथों में थी जो घोड़ों की पर्याप्त संख्या रखते थे एवं कृषि कार्य में सलग्न थे। मध्य युग में शक्ति का केन्द्र उत्तरी योरोप, पश्चिमी एशिया, भारत एवं चीन के कृषि क्षेत्र बन गये। पुनर्जागृति के बाद शक्ति उन देशों

के हाथ में आ गई जो विशाल लड़ाई वेधे के स्वामी थे । बाद में बन्दूक के पाठशर एव छापाखान के आविष्कारन तरनारों की शक्ति को सामन्तों की शक्ति से अधिक बढ़ा दिया । लोहा और कोयले पर प्रेट ब्रिटेन का नियन्त्रण होने के कारण वह आशियन शक्ति की पृष्ठ करने लगा और अपने योरोप में शक्ति धनुनन स्थापित किया तथा १६वीं शताब्दी में गैर योरोपीय देशों पर प्रभुत्व रखा । वायुयान के विकास के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ प्रभावशाली शक्ति बन गये ।

तकनीकी आविष्कारों ने राज्यों की शक्ति स्थिति में जो परिवर्तन किया उनके प्रतिरिक्त हमने छोटे व बड़े राज्यों के बीच स्थित शक्ति के अन्तरो को भी अधिक बढ़ा दिया और इस प्रकार नमी राज्यों की सुरक्षा की शक्ति को प्रभा दिया । केवल वे राज्य ही प्राथमिक युद्ध के उपकरण तैयार कर पाते हैं जिनकी जनसंख्या अधिक है तथा उद्योग धन्धे उच्च स्तर पर हैं । एक राज्य का क्षेत्र जितना छोटा होता है वह अपनी जनसंख्या एव साधनों का केन्द्रीकरण करना भी कम कर पाता है और इस प्रकार वह वायु साधनका शिकार बड़ी जल्दी ही बन सकता है ।

तकनीकी विकास सामान्य रूप से एक देश की सुरक्षात्मक स्थिति को अपेक्षा प्राप्तकारों शक्ति को प्रभा देता है । इस प्रकार नमी राज्यों की शक्तिमत्ता करने की शक्ति तथा नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता बढ जाती है । संविद क्षेत्र में नियंत्रण आविष्कारों ने हथियारों को यंत्रिणीय बना दिया है और इस प्रकार प्राप्तकारों का साम पड़नाया है । अन्तों की विश्व मकारी शक्ति बड़ी तीव्र गति में बढ़ गई है । तलवार और धनुष-बाण के युद्ध में एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति को मार पाता था । राष्ट्रपत के आविष्कार के बाद मनु को विषेता की अपेक्षा अधिक हानि होने लगी । अणु बम का प्रयोग होने पर तो सहार वा क्षेत्र और भी अधिक व्यापक हो गया । युद्ध के औद्योगिककरण में लार्गों के सहार की सम्भावनाओं का बहुत दटा दिया है ।

आय को टैक, जेट विमान, हाइड्रोजन बम आदि देखने में आते हैं उनका उदाहरण युद्ध के इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता । आज प्राप्तकार यह नहीं देखता कि मनु को ब्रिलियन्टी बंसी है अथवा उनके सुरक्षात्मक हथियार कितने प्रभावशील हैं वरन् यह संसता है कि मनु के विरोध की क्षमता कितनी है अर्थात् वह विधान के उत्तर में कितना प्रतिक्रम करने की क्षमता रखता है । कुछ प्राप्तकारों तकनीकी विनिपन्न इत बात पर जोर

देते हैं कि हवाई अणु आक्रमण के विरुद्ध रक्षा के लिए राडार सचेतक व्यवस्था एवं राज्य के चारों ओर रक्षायानों की व्यवस्था की जा सकती है। किन्तु दूसरी ओर राजनीतिज्ञों का यह विचार है कि इस व्यवस्था में सच अधिक होता है और सीमाओं की तम्बाई और जेट विमानों की गति व ऊँचाई को देखते हुए यह व्यवस्था अधिक प्रभावशाली नहीं दिखती।

तकनीकी विकास ने युद्ध के रूप एवं राज्यों के शक्ति स्तर को जिस हासत में ला दिया है वहाँ शक्ति सतुलन में स्वायत्त नहीं बचा है। इस प्रकार यहाँ एक विरोधाभास सा नजर आता है कि एक ओर तो राज्य अपने आपको अधिक शक्तिशाली, स्वतन्त्र एवं सम्प्रभु अनुभव करते हैं। दूसरी ओर शक्ति का सतुलन बड़ी शीघ्रता से बदलता जाता है। सभी राज्य आक्रमण करने में मक्षम हो गये हैं। युद्ध के परिणाम सम्पत्ता के लिये भयानक हो गये हैं तथा अन्तिम परिणाम तो और भी अधिक समस्याजनक है। राज्य यद्यपि अपने आपको सम्प्रभु मानते हैं किन्तु वे असल में बहुत कम सम्प्रभुता सम्पन्न हैं।

(iii) जन साधारण की दृष्टि से तकनीकी विकास जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की आशाओं को बढ़ा देता है। कृषि एवं उद्योगों में होने वाले आविष्कार प्रकृति पर व्यक्ति के नियंत्रण को बढ़ा देते हैं तथा जन्म नियन्त्रण, दवाई एवं सफाई के क्षेत्र में होने वाले आविष्कार उसे जनसंख्या के नियंत्रण की क्षमता देते हैं। इस प्रकार जनसंख्या एवं भोजन के अनुपात को नियंत्रित किया जा सकता है तथा सभी लोग अधिक सम्पन्न हो सकते हैं। जो देश इन आविष्कारों का प्रयोग करता है उसकी शक्ति एवं आशाएँ बढ़ जाती हैं। किन्तु ये सभी लाभ स्थायी शक्ति सतुलन के प्रभाव में रहने वाली अमुरक्षा द्वारा महत्वहीन बना दिये जाते हैं क्योंकि सैनिक तैयारी में भारी व्यय करना होता है। तकनीकी विकास न विश्वव्यापी आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग की भावनाएँ बढ़ा देता है।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय जगत में तीव्र गति में बदलती हुई शक्ति स्थिति से उत्पन्न राजनैतिक अमुरक्षा की भावना, आक्रमण करने की सामान्य शक्ति तथा युद्ध में आक्रमणकारी होने के लाभ आदि बातों ने मिल कर शक्ति को विश्व की मुख्य आवश्यकता बना दिया है। इसके अतिरिक्त तकनीकी विभाग के माध्यम से विश्वव्यापी आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग की भावना भी परिपक्व होती है तथा शक्ति की स्थापना के लिए एक मार्बनौमिक संगठन की जरूरत को महसूस किया जाता है। इन दिशाओं में दिये जाने वाले आन्दोलनों को राष्ट्रीय राज्यों के अपनी सम्प्रभुता में आत्मविश्वास एवं उनकी

जनता की राष्ट्रीय भावनाओं द्वारा मजबूत बना दिया जाता है। ग्राम विकास ने प्रत्येक राज्य के सामने वा विकल्प उपस्थित कर दिये हैं। यह चाहे तो अपनी शक्ति स्थिति को संरक्षित बनाने के लिए प्रयास करे ताकि आक्रमण को रोक सक और यदि युद्ध छिड़ जाये तो वह जीत सके। इस मार्ग को अपनाते के कारण सिंचाई बढ़ेगी और शक्ति की तुल्यमरता और भी अधिक बढ़ायेगी। राज्य के सामने एक अन्य विकल्प यह है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में अपना विषयम जाहिर करे तथा सामूहिक सुरक्षा के विकास का प्रयास करे। इस मार्ग को अपनाने में आशंका यह है कि दूसरे राज्य सहयोग करने से मना करके सामूहिक सुरक्षा के विकास में रोक लगा देंगे। तकनीकी विकास ने यह जरूरी बना दिया है कि या तो दुनिया एक हो जाये अथवा वह नहीं रहेगी। जब तक दुनिया के सभी देश अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को सफल बनाने के लिए दिल से प्रयास नहीं करते तब तक 'एक विश्व' भी बहुत कम सुरक्षा प्रदान करेगा, किन्तु कुछ विद्वानों के मतानुसार यह कम सुरक्षा भी वर्तमान स्थिति से तो अच्छी ही होगी; क्योंकि अथ प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा का प्रयास स्वयं ही करता है किन्तु असल में कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है।

इस प्रकार तकनीकी का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। पेडिनफोर्ड तथा निकन ने एक राष्ट्र के जेप विश्व के साथ सम्बन्धों पर पढ़ने वाले मुख्य तकनीकी प्रभावों के वर्णन को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया है। ये निम्न प्रकार हैं—

प्रथम, तकनीकी के कारण एक देश अपनी मान्यताओं एवं लक्ष्यों को हटाने लगा है। वैसे तकनीकी प्रगति के महत्त्व को तत्काल ही नहीं समझा जाता। समुक्त राज्य अमरीका ने जिस समय अपनी पारंपरिकवादी नीति को छोड़ा उस समय नई तकनीकी के कारण देश की आक्रमण की क्षमता पर्याप्त बढ़ चुकी थी। तकनीकी ने सम्पूर्ण युद्ध को नष्ट कर बना दिया है इसलिए आज युद्ध को रोकना एक प्रमुख लक्ष्य बन गया है। आज तकनीकी ने दुनिया को एक बना दिया है। यह 'एक विश्व' उन आदर्शवादी स्वप्न द्रष्टाओं की कल्पना से भिन्न है जो विश्व शांति के लिए विश्व सरकार की स्थापना करना चाहते थे। आज की दुनिया इस अर्थ में एक है कि सभ्यता के साधन विस्तृत हो चुके हैं, देशों की पराधीनता बढ चुकी है और इसलिए सभ्यता के किसी भी भाग में होन वाला छोटा-मोटा सभ्यता भी सभ्यता के सभी देशों की शक्ति का विषय बन जाता है। इस स्थिति में विश्व के राज्य अपना हित व्यापक बना लेते हैं और कभी कभी तो यह व्यापकता सम्पूर्ण सभ्यता पर फैल जाती है।

तकनीकी के प्रभाव में ज्ञान यह बन गई है कि कोई भी देश अपनी इच्छाओं को केवल शक्ति के माध्यम से अधिनिवृत्त नहीं कर सकता और न ही वह यह सोच सकता है कि पर्याप्त दूरी पर की समस्याओं का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

दूसरे, तकनीकी द्वारा अन्य विषयगत तत्त्वों जैसे आर्थिक तत्व, नौगोलिक तत्त्व एवं जनसङ्ख्या आदि को भी प्रभावित किया जाता है। उदाहरण के लिए तेल का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को परम्परागत रूप से रणनीतिक की दृष्टि से महत्व का समझा जाता था किन्तु अणु शक्ति का प्रसार हो जाने के बाद इन क्षेत्रों को दी जाने वाली प्राथमिकता घट सकती है। दूरी का भौगोलिक तत्व अपने परम्परागत अर्थ का बहुत कुछ भाग खो चुका है। आज सड़क, समाचार एवं फोटो आदि की बड़ी भोद्यता के साथ प्रसारित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति कुछ ही समय में दुनिया के किसी कोने में पहुँच सकता है। जिन समुद्रों के द्वारा पहले दो देशों के बीच स्थापना के मार्ग में एक बाधा का काम किया जाता था वे ही समुद्र आज हम सम्पर्क को बढ़ाने व घटाने की अतिरिक्त कड़ा करने के प्रतीक बन गये हैं। आज 'टांगो' चीन की अपेक्षा समुक्त राज्य अमेरिका के अधिन नगदीन है।

यदि हम जनसङ्ख्या एवं तकनीकी के मध्य स्थित सम्बन्धों पर विचार करें तो ज्ञान होगा कि जनसङ्ख्या का अर्थ एक मनुष्य ही उस समय होता है जिनसे वह तकनीकी पर अधिनकार रखता है। इस अधिनकार को प्रति व्यक्ति के ज्ञान से राष्ट्रीय उत्पादन का देय कर मापा जा सकता है। केवल मात्र जनसङ्ख्या अपनी सीमाओं में बाहर बाई प्रभाव नहीं रखती। हमें तब जिन देशों को महानिम्न बनना होता है व तकनीकी की दौड़ में आगे चलने हैं।

तीसरे, तकनीकी विद्वान नीति की विषयवस्तु को प्रभावित करती है तथा इनके द्वारा सर्वाधिक कार्यक्रमों पर भी प्रभाव डालती है। तकनीकी विषयों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध किया जाता है, तकनीकी महापता कार्यक्रम चलते रहते हैं क्योंकि वे नियंत्रण पर अधिन जोर दिया जाता है, तकनीकी ज्ञान का प्रसार करना होता है, बाह्य अधिनरिक्त एवं संचार मयलों को नियमित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून या विनियम किया जाता है, तकनीकी आदान-प्रदान के द्वारा विदेशी मुद्रा कमाई जाती है, इन प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले वे विभिन्न कार्य तकनीकी में अत्यन्त या अत्यन्त रूप से अधिनष्ठ सम्बन्ध रखते हैं।

चौथे तकनीकी राष्ट्रीय निर्माण में एक प्रमुख भाग है। यह अधिनामी बना रहा वह सम्बन्ध देता है जिसके आधार पर कि वे सम्बन्धित

की रचना कर सकें तथा उसका निर्माण कर सकें। यह प्रबंधित देशों की पूंजी सौजन्य की सामर्थ्य प्रदान करता है। विश्व के देश राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञों का आदान प्रदान करते हैं और इस प्रकार मानवीय एवं साम के उद्देश्यों को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय तकनीकी विषयों सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तरों पर विकसित होने लगती हैं। जो देश विकास की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं वे राजनैतिक एवं सामाजिक प्रगति के अतिरिक्त तकनीकी के क्षेत्र में बेतहामा दौड़ रहे हैं।

पाचवें, तकनीकी का विदेश नीति के संचालन के तरीकों पर आन्विकारी रूप से प्रभाव पड़ा है। पहले जो कूटनीतिक तरीके काम में लाये जाते थे वे आज असाध्यिक बन गये हैं। रेडियो तथा टेलीविजन पर किया गया प्रचार, तकनीकी सहायता एवं वैज्ञानिक आदान-प्रदान, अन्तरिक्ष एवं अणु प्रकार के कार्यक्रम आदि तरीकों ने विदेश नीति के आचरण का रूप ले लिया है। गचार साधनों की गति में जो वृद्धि हुई है वह सचमुच एक आन्विकारी परिवर्तन है।

यद्यपि तकनीकी का पर्याप्त नीति प्रभाव होता है और वह एक प्रकार से स्पष्ट भी है किन्तु फिर भी विश्व राजनीति की घटनाओं के विप्लव के पीछे कोई स्वीकृत बौद्धिक श्रेष्ठिय नहीं है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि तकनीकी एक मापन हार्ता है तथा साध्य नहीं होती। इसका स्वयं का कोई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ नहीं होता किन्तु इसका मूल्यांकन तो अर्थशास्त्र, सुरक्षा एवं अणु तत्वों के सर्वन में करना होता है। योंसे यह मूल्यांकन अतिम रूप में एक राजनैतिक निर्णय होता है। यह हो सकता है कि राजनीतिज्ञ अपने निर्णयों को लेने की दृष्टि से तकनीकी की पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लें किन्तु किसी व्यक्ति के एक अच्छी तकनीकी विशेषज्ञ होने का यह अर्थ नहीं होता कि वह एक कुशल राजनीतिज्ञ भी होगा।

प्रायोगिक विज्ञान का ज्ञान आज राज्यों का एक वास्तविक साधन बन गया है। मार्गण योजना, संयुक्त राज्य सहायता कार्यक्रम, समुक्त राष्ट्र तकनीकी परामर्श कार्यक्रम, विदेशों में मोचित तकनीकी विशेषज्ञ, अर्थ विकसित देशों के विद्यार्थियों को शिक्षा आदि सभी कार्यक्रम ऐसे जाले हैं जिनका लक्ष्य राष्ट्रीय शक्तों की मापना करना होता है। बुद्ध तकनीकी ज्ञान तुलनात्मक रूप से सरल एवं कम खर्चीला होता है, किन्तु अनेक तकनीकी ज्ञान अत्यन्त पटिल होने हैं तथा उनको केवल बड़ी श्रेयोयोगीय शक्तियों द्वारा ही अपनाया जा सकता है। अनी-अनी तकनीकी में ज्ञान लेने के लिए तथा पुंजीगत व्यय के

लिए दीर्घकालीन कार्यक्रम की आवश्यकता होती है किन्तु घरेलू राजनीति के प्रभाव के कारण देश केवल अल्पकालीन कार्यक्रम ही अपना पाता है।

यदि हम मनुष्य शक्ति एवं साधन स्रोतों की दृष्टि से विचार करें तो पायेंगे कि आधुनिक तकनीकी पर्याप्त जटिल तथा सचौली है। जो देश इस लक्ष्य को बहने करने के लिए तैयार रहता है कवल वही तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तकनीकी आविष्कारों के उपयोग में लाने समय उनको वैज्ञानिक ज्ञान, तकनीकी कुशलता, व्यापक शोध कार्य, सुरक्षित पूंजीगत कोष आदि से मिलाना होता है। ये सारी बातें बड़े तथा विकसित देशों में स्थिर बड़े निगमों द्वारा ही उपलब्ध की जा सकती हैं।

आजकल अनेक प्रकार की तकनीकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रही है। इनका अलग अलग विस्तार व साथ अध्ययन करने की अपेक्षा यहाँ केवल यही कहना पर्याप्त रहेगा कि तकनीकी एक महत्वपूर्ण तत्व है तथा इसका महत्व धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है।

तकनीकी के मुख्य प्रकार व उनका महत्त्व (Main Types of Technology and Their importance)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले तकनीकी के रूपों में उल्लेखनीय हैं, संचार, औद्योगिक तकनीकी एवं भौतिक तकनीकी। इनके अतिरिक्त भी तकनीकी के अन्य रूप विश्व राजनीति पर अपना असर रखते हैं। स्वास्थ्य विज्ञानों का जनसंख्या के विस्तार पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार यह जनसंख्या नियंत्रण एवं भोजन की समस्याओं को अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज की मुख्य समस्याएँ बना देती है। तकनीकी के जिन दो प्रकारों को मध्यम की विश्व घटनाओं की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है वे हैं—कृषि एवं जनसंख्या नियंत्रण। वर्तमान काल में सामाजिक एवं व्यावहारिक विज्ञानों को भी चाहिए कि वे बदलते हुए समय की आवश्यकताओं को देख कर उनके अनुरूप बनने का प्रयास करें।

(1) संचार के साधन (The Means of Communication)—आज के युग में वायु मार्ग के यातायात एवं विद्युत मार्गों संचार व प्रसारण आदि के क्षेत्र में भारी प्रगति हो गयी है। संचार साधनों के द्वारा शक्ति, कूटनीति एवं प्रचार के सामयिक प्रयोग पर विशेष प्रभाव डाला जाता है। यातायात के क्षेत्र में होने वाले नये विकासों ने नीति निर्माताओं को आश्चर्य में डाल दिया है। एक स्थान पर घटने वाली घटनाओं की सूचना शीघ्र ही

राष्ट्रीय शक्ति के तत्व ; जनसंख्या और तकनीकी

दूरस्थ देश तक पहुँच जाती है और उम देग को अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवह में उम सूचना के आधार पर कुछ नियंत्रण लेने होते हैं ।

संचार एव यातायात के साधनों के विकास के कारण ही समुक्त राज्य अमरीका जैसे देश के लिए यह सम्भव हो जाता है कि वह पर्याप्त दूरी पर स्थित देशों की समस्याओं में सक्रिय रूप से उताऊ सके, जैसे—कोरिया, उत्तरी अफ्रीका, दियतनाम आदि । संचार साधनों एव यातायात के साधनों के द्रुतगामी हो जाने के कारण एक देश तक शीघ्र ही सेना भेजी जा सकती है, शीघ्र ही आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं, शीघ्र ही आयात-निर्यात को व्यवस्था परिवर्तित की जा सकती है और इस प्रकार किसी स्थानीय सवर्ष में हार-जीत का फंमला कुछ ही दिनों में किया जा सकता है । वायु यातायात के माध्यम से भी विश्व भर में सामान एव श्रम का अद्वितीय आदान-प्रदान होना है ।

इलेक्ट्रॉनिक संचार एवं वायु यातायात के विकास के परिणाम-स्वरूप राजदूतों की कार्य करने की कूटनीतिक स्वतन्त्रता बढ गई है तथा उनको कुछ नये उत्तरदायित्व भी सौंप दिये गये हैं । पहले कूटनीतियों की अत्यन्त वास्तविकता पर जनता का जितना ध्यान जाता था उतना ही ध्यान अब प्रेस साक्षात्कार एव रेडियो तथा टेलीविजन पर कही गई बातों पर जाता है । आज एक कुशल कूटनीतिज्ञ को तकनीकी का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए । अनेक कूटनीतिज्ञ मिशनो में तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं क्योंकि आज भी कूटनीति शस्त्र-निपट्टण एव आर्थिक विकास जैसे तकनीकी विषयों से सम्बन्ध रखती है ।

आजकल यह आम बान हो गई है कि एक राज्य के नेता दूसरे राज्य के नेता की अनुमति के बिना ही रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से वहाँ की जनता से प्रत्यक्ष रूप से अपील करते हैं । उदाहरण के लिए समुक्त राज्य अमरीका का राज्य सचिव उत्तरी अटलांटिक में किसी के भी द्वारा टेलीविजन पर देखा जा सकता है कि वह सन्धन में रिपोर्टों के सम्मुख विपत्तनाम से सम्बन्धित प्रश्नों का जवाब दे रहा है । यद्यपि विश्व के अनेक भागों के अधिकार लोग अनिश्चित होते हैं किन्तु वे भी ट्राजिस्टर रेडियो के माध्यम से सबर सुनते हैं । आजकल अन्तर-महाद्वीपीय टेलीविजनो का भी प्रचार होता जा रहा है । भारत के प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू की अब यात्रा की नौगो ने समुक्त राज्य अमरीका में देखा । तकनीकी के विकास के कारण राज्यों की सौपनीयता गुमाए हो गई है । तीव्र गति से बाम करने वाले आप्ताने के कारण यह सम्भव हो गया है कि बहुत सारी पुस्तकें,

परि-पत्र, समाचार आदि प्रचार के लिए और सांस्कृतिक सम्बन्धों के लिए वितरित किए जा सकें।

(ii) औद्योगिक तकनीकी (The Industrial Technology) — तकनीकी के विकास ने औद्योगिक शक्ति को विश्व-यापी बना दिया है। इस सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण प्रश्न किए जा सकते हैं कि तकनीकी को अर्धविकसित देशों में किस प्रकार भेजा जाए और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर इसका क्या प्रभाव होगा? अतीतकाल में तकनीकी को अर्धविकसित भागों में व्यक्तिगत उद्यम एवं पहल द्वारा प्रसारित किया जाता था। यद्यपि औद्योगिक शक्ति धीरे-धीरे फँसी किन्तु इनमें उत्पादन और रहन-सहन के स्तर को बढ़ाया। यह कहा जाता है कि दुनिया के कम विकसित क्षेत्रों को जिन्होंने कि हाथ ही में उपनिवेशवाद से छुटकारा पा कर स्वतन्त्रता प्राप्त की है, स्वयं की सहायता से ही विकास करना चाहिए, किन्तु यह सुझाव दो कारणों से उपयोगी नहीं रहता। प्रथम यह कि आज की तकनीकी अधिक जटिल बन गई है और प्रगति के लिए सामाजिक तथा आर्थिक दबाव पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बन गए हैं।

औद्योगीकरण तकनीकी और तगई जाने वाली पूँजी के सहयोगपूर्ण स्रोतों का परिणाम है। यद्यपि पूँजी सगाना और तकनीकी दोनों ही नीति को निर्धारित करने वाले साधन हैं, किन्तु मविष्य के अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर इनका प्रभाव अभी तक अनिश्चित है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तकनीकी का महत्व शक्ति की दृष्टि से पर्याप्त है। शक्ति को आर्थिक और सामाजिक प्रगति में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यह उत्पादन को सामर्थ्य प्रदान करता है तथा समाज के छोटे व बड़े काम में सहायता देता है। यह शक्ति, कोयला, प्राकृतिक गैस, पानी और तेल से प्राप्त की जाती है। अब धीरे-धीरे अणुशक्ति भी शक्ति के स्रोत के रूप में प्रभावशाली बनती जा रही है, किन्तु जब तक इमरता और अधिक विकास होगा तब तक पेट्रोल एवं उसके उत्पादन के क्षेत्र ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में महत्वपूर्ण बने रहेंगे।

तकनीकी शक्ति को उत्पन्न करने वाला प्रमुख तत्व होता है और जब शक्ति उत्पन्न हो जाती है तो वह अधिक तकनीकी मांग करती है ताकि उसे उत्पादन के उद्देश्यों में प्रयुक्त किया जा सके। दुनिया के अविशाल भागों में आर्थिक नवीनीकरण की समस्या मुख्य रूप से शक्ति उत्पन्न करने और प्रयुक्त करने की समस्या है। एक राज्य की शक्ति भी बहुत कुछ इस तक उसकी शक्ति बनाने और प्रयुक्त करने की सामर्थ्य पर निर्भर करती है। जब औद्योगिक तकनीकी बढ़ जाती है तो ऐसे देशों की सध्या भी बढ़ जाती

है जो कच्चे माल का आयात करता चाहते हैं। इन प्रकार कच्चे माल की कुछ मांग बंद जाती है। दूसरी ओर विज्ञान और तकनीकी कच्चे माल का बिकरत स्रोत रहे है। तकनीकी के प्रचार का एक महत्वपूर्ण स्रोत यह है कि इसे कम बतन वाले क्षेत्र में सुरक्षित अपनाया जा सकता है। कुछ मिला कर भौद्योगिक तकनीकी अन्तर्राष्ट्रीय पटनाओं में महत्वपूर्ण गत्यात्मक तत्व है।

(iii) सैनिक तकनीकी (Military Technology)—वर्तमान तकनीकी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे द्वारा एक देश की सैनिक शक्ति पर पर्याप्त प्रभाव डाला जा सकता है। बीसवीं शताब्दी तक सैनिक तकनीकी में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। पहले साम्राज्य का मुख्य सामान घोड़ा का जा जनसंख्या हीन हजार वर्ष तक यह कार्य करता रहा। उस समय आक्रमणकारी एक रक्षात्मक हथियारों और तरीकों के बीच संतुलन बना रहा। सैनिक शक्ति उस समय सीमित और स्थानीय थी। मुख्य नगर से पटना-स्थल की नौगोणिक दूरी जितनी बढ जाती थी उतनी ही इस सैनिक शक्ति का प्रभाव कम हो जाता था। भौद्योगिक प्रगति के बाद से सैनिक शक्ति के स्रोत के रूप में तकनीकी पर अधिक निर्भरता बिना जाने लगा। यूरोप की सैनिक तकनीकी ने उन्नीसवीं शताब्दी में उस बड़े उपनिवेशवादी साम्राज्य बनाने की स्वतन्त्रता प्रदान की। उन दिनों तकनीकी और सैनिक परिवर्तन विकास के माध्यम पर थे किन्तु आधुनिक काल में तकनीकी के प्रसार ने सैनिक शक्ति के अर्थ और प्रगति को बिस्तृत बदल दिया है। आधुनिक तकनीकी ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को जिस रूप में प्रभावित किया उसे हम चार क्षेत्रों में विभाजित करके देना सकते हैं—

(1) शस्त्रों की सामर्थ्य में परिवर्तन होने जा रहे है। किसी भी राष्ट्रों की रणनीतिक सम्बन्धों पृष्ठभूमि बनाने के लिए जिन सैनिक विध्वंस की क्षमता थी जाती है, उसका रूप भी बदल गया है। आज शस्त्रों की शक्ति बढ गई है तथा उन्हें कम समय में दूर ले जाना भी सम्भव हो गया है। इन हथियारों के प्रभाव के क्षेत्र में अर्थ व्यवस्था एवं नागरिक समाज भी आ जा रहा है। यदि इन शस्त्रों का प्रयोग नहीं भी किया जाता है तो भी इनकी सुरक्षा के लिए जो सामाजिक एवं आर्थिक प्रयत्न किये जाते है वे महत्वपूर्ण मूल्यों को समाप्त करने में सक्षम है।

प्रायः के तकनीकी के विकास ने पूरा सैनिक शक्ति के महत्व का महत्वात्मक करने में भूगोल को कम महत्वपूर्ण बना दिया है। आज विध्वंस-

कारी शक्ति को कुछ ही मिनटों में हजारों मील दूर भेजा जा सकता है। मुख्तय सचिव मैकनामारा के अनुमान से यदि सन् १९७० में समुक्त राज्य अमरीका पर ग्बूकतीपर आक्रमण किया गया तो इससे उनकी बीम से लेकर मत्तर प्रतिशन तक जनमदना समाप्त हो सकती है। आज के अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की एक मुख्य विशेषता यह है कि यद्यपि राज्यों के पास आक्रमणकारी शक्ति बढ गई है, किन्तु वे मुख्तय प्रयासों की दिशा में इतन नहीं बढ़े हैं।

आज की सैनिक शक्ति यदि युद्ध में सलग्न है तो वह अत्यन्त मयातक है, क्योंकि सैनिक तकनीकी ने उसे कम समय में भारी विध्वंस करने की सामर्थ्य दे दी है। इस सम्बन्ध में डा० जेम्स शाटवेल (Dr. James Shatwell) का कहना पर्याप्त उचित है कि समाज की बदलती हुई प्रकृति ने युद्ध को नीति का न अपनाया जाने वाला माघन बना दिया है। प्रथम युद्ध अघन प्रसार और दिशा में अनिश्चित है। यह राजनीतिज्ञता का सुरक्षित हथियार नहीं है। आज युद्ध का रूप एक छूट के रोग जैसा बन गया है जिसके फैलने पर उसे रोकना उस राज्य के बच की बात नहीं रह जाती जिसने कि इसे प्रारम्भ किया है। इस प्रकार इन अनियन्त्रित साधनों को अपनाता क्षरों से खाली नहीं है।

(ii) आज तकनीकी के विकास न सीमित युद्ध की सामर्थ्य में भी भारी परिवर्तन कर दिया है। आज परम्परागत गोलाबारी के तरीकों एवं सैनिक सत्ता के शीघ्र कार्य करने के साधनों में विरात हो गया है। यद्यपि तकनीकी ने महान् विध्वंसकारी शस्त्र दिए हैं फिर भी इसने व्यक्तियों एवं परम्परागत सैनिक इकायों की गति लोचशीलता, गोलाबारी की शक्ति एवं ध्यावसायिकता पर भी पर्याप्त जोर दिया है। सैनिक एरसवार तकनीकी के कारण आज सैनिक शक्ति स्थानीय नहीं रह गई है। दि इकनामिस्ट (The Economist) ने समुक्त राज्य अमरीका के नये सैनिक वायु यातायात के साधन Sec 5 A के सम्बन्ध में बताया कि ऐसे तीन विमान सन् १९४९ में सम्पूर्ण बलिन की वायु सेना को उठा सकते थे और ऐसे ब्यालीस विमान ^३ आधे दिन में एक द्वीपजन को यूरोप पहुँचा सकते हैं। इस कार्य में सन् १९६० से पूर्व ढाई दिन लगना था और २३४ वायुयानों की आवश्यकता थी। कुछ प्राधुनिक इतिहासकारों का यह कहना है कि सीमित उद्देश्यों के लिए शक्ति का सीमित प्रयोग सम्भव है क्योंकि अधिकांश देशों के पास अणु युद्ध के साधन नहीं हैं इसलिए उनके युद्ध अणु-युद्ध का कारण नहीं बनेंगे जब तक कि अणु शक्तियाँ विवाद में न उलझें। आज तकनीकी विराग ने स्थिति यह

बना ही है कि बड़ी शक्तियाँ किसी सङ्घर्ष में उसभले से पहले पर्याप्त सोचती और विचारती है किन्तु छोटे देश बड़ी जल्दी ही सैनिक कार्यवाही में उतार पाते हैं ।

(iii) वैज्ञानिक ज्ञान ने अपने विकास की गति से अनेक अनिश्चित-ताओं को जन्म दिया है । द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद से सैनिक नीति के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे इतनी जल्दी-जल्दी हो रहे हैं कि जब तक उनको समझा जाता है तब तक कोई नया विकास सामने आ जाता है । ऐसी स्थिति के दो परिणाम होने हैं । पहला यह कि शस्त्रों के निर्माण को जीवन जैसी हो जानी है और दूसरे परम्परागत हथियार प्रामाणिक बन जाते हैं । प्रामाणिक होने हुए भी कुछ क्षेत्रों में इन हथियारों का पूरा सम्पान होना है और यहाँ इनको सैनिक दृष्टि से प्रभावशील माना जाना है । बड़ी शक्तियाँ इन हथियारों को छोटे देशों में वितरण करती हैं जिन देशों में भौतिक शक्त समझा इतनी नहीं है कि वे स्वयं इन हथियारों का उपयोग कर सकें । थॉमस फिन्लेटर (Thomas Finletter) ने बताया है कि सैनिक तकनीकी इतनी तीव्र गति से बढ़त रही है कि सैनिक व्यक्तियों का प्रविष्ट भी योजना बनाने का काम असम्भव बन गया है । सैनिक नियोजन सचिप्य के इन शब्दों को विस्मयित करने के लिए प्रविष्ट नहीं रोक सकता । कोई सैनिक सत्यान किसी विशेष हथियार के प्रभाव एवं विशेषताओं को समझ पाता है उस समय तक नये प्रयोग व्यवहार में आ जाते हैं । द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद स्थिति यह हो गई है कि एक देश किसी शस्त्र के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय करता है तो कुछ समय बाद ही विरोधी पक्ष ऐसे हथियारों का आविष्कार कर लेता है कि यह सुरक्षात्मक कार्यवाही पर्याप्त महत्वहीन बन जाती है । एक देश की सुरक्षा हथियार व्यवस्था की प्राथमिकता पर निर्भर करती है । जब एक राष्ट्र शस्त्रों की दौड़ में पिछड़ जाता है तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए दो ही रास्ते अपनाने होते हैं या तो वह किसी तीसरे देश से प्राथमिक शस्त्रों की खरीद करे अथवा अपने विरोधी की प्रतिद्वन्द्विता करने के लिए प्राये अनुसंधान, विकास एवं शस्त्रों का उत्पादन करे ।

(iv) तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप सैनिक क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि सुरक्षा के लिए राज्यों की पराभयता बढ़ जाती है । भौज्ञानिक एवं भौतिकीय तकनीकी तथा उत्पादन के मूल्य के कारण प्राथमिक हथियार केवल कुछ शक्तियों के एकाधिकार बन जाते हैं । किन्तु यदि उन्हें प्रभाव कर दिया जाय तो अन्य देश इनका प्रयोग कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में सामूहिक सुरक्षा और अन्य पारस्परिक प्रबन्धों पर जोर दिया

जाता है। महाशक्तियाँ अपनी सैनिक शक्तियों का प्रयोग किसी तीसरे दल को शक्तिशाली बना कर करती है। क्योंकि यदि महाशक्तियों के बीच प्रत्यक्ष सङ्घर्ष छिड़ गया तो यह अत्यन्त घतरनाक रहेगा। इसके अनिश्चित निर्रों के साथ सहयोग आज की आवश्यकता बन गया है। छोटे देश सैनिक कार्यक्रमों के न तो अनुसंधान एवं विकास में ही प्रतियोगिता कर सकते हैं और न ही उसके सैनिक पहलू में। यहाँ तक कि कई औद्योगीकृत देश भी सैनिक तकनीकी के क्षेत्र में पर्याप्त आगे नहीं बढ़ पाते। विज्ञान, भूगोल, उद्योग, प्रशिक्षण, आदि की वास्तविकताएँ, पर-निर्भरता एवं सहयोग को प्रोत्साहन देती हैं। कोई भी राज्य शस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता को सन्तुष्ट करने के लिए आर्थिक एवं राजनैतिक जोखिम उठाता है। उदाहरण के लिए भारत ने सोवियत संघ और पश्चिम दोनों से हथियार लिये इसी प्रकार पाकिस्तान ने चीन और अमरीका, आदि देशों से सहायता ली।

छोटे देशों की भाँति संयुक्त राज्य अमरीका जैसे बड़े राज्यों को भी सुरक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति करनी होती है। तकनीकी ने सैनिक शक्ति को शीघ्रता के साथ चलने एवं प्रयुक्त होने की शक्ति प्रदान की है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न किया जाता है कि छोटे राज्यों को किस सीमा तक मित्र बनाया जाना चाहिए। क्या बड़ी शक्तियाँ अपनी सुरक्षा की दृष्टि से राजनैतिक तटस्थता का दृष्टिकोण नहीं अपना सकती? भारत इस प्रश्न का एक जीता जागता उदाहरण है। उसने अमलग्नता की नीति को अपनाया और जब उसकी उत्तरी सीमाओं पर साम्यवादी चीन का आक्रमण हुआ तो संयुक्त राज्य अमरीका ने शीघ्र ही उसकी सहायता की। तब यह है कि जब एक राज्य को मित्र बनाने में तथा तटस्थ होने में अधिक अन्तर नहीं दिखाई देना तो वह तटस्थ रहना चाहता है ताकि उसकी राजनैतिक स्वतन्त्रता मुख्यभारिता को सन्तुलित कर सके।

जो छोटे राज्य अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बड़े राज्यों के साथ मित्रता के दमन में औपचारिक रूप से बंध गए थे उनके ऊपर अब दबाव और चुनौतियाँ डाली जा रही हैं। आज की स्थिति में अणु युद्ध का रूप पूर्ण युद्ध का हो चुका है। ऐसी स्थिति में छोटे राज्यों को यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि एक मित्र देश आक्रमण के समय छोटे राज्य की मदद करने में कितना जोखिम उठाएगा। यह प्रश्न नाटो की शक्तियों की समस्या का एक भाग बन गया है। एक फ्रान्सीसी राजनीतिज्ञ पीयरे गैलाइस (Pierre Galois) ने बताया है कि अणु शस्त्रों ने मित्रों को और सन्धियों को निरर्थक

ना दिया है क्योंकि कोई भी राज्य दुनरे की खातिर अपने अस्तित्व को मजबूत न ठातेगा ।

पर निरंतरता के कारण छोटी शक्तियों की अपेक्षा बड़ी शक्तियों के सामने अहित उठानों का जाती है । ये अपने मित्रों के बीच भाड़ा होने पर शेरारा पक्ष का जाते हैं । तकनीकी विकास की सीध पति ने सामूहिक सुरक्षा का माँग की कुछ सरत बनाया है और कुछ जटिलतायें भी ला दी हैं । उदाहरण के लिए मयुक्त राज्य अमरीका यह अनुभव करने ला है कि कुछ नाटो देशों का सीमित दृष्टि से उसके लिए बार्द महत्व नहीं है ।

जब एक बड़ी शक्ति अनीयोरीक देशों को अहन-अहन भेजती है तो उसके यह उन देश की सहाय सेवा की प्रभावित करने की स्थिति में का जाती है । इस प्रकार वह उन देश के सामाजिक एवं राजनैतिक साठनों पर भी प्रभाव डाल जाती है ।

विज्ञान, तकनीकी एवं विदेश नीति (Science, Technology and Foreign Policy)

विज्ञान और तकनीकी के विकास ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक प्रक्रिया के किसी भी प्रमुख तत्व को मजबूत नहीं छोड़ा है । राज्य एवं राज्य व्यवस्था की बनावट, राज्य की नीति के लक्ष्य एवं प्राकाराणयें तथा इनको प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधन सात भादि सभी की तकनीकी के विकास द्वारा प्रभावित टिया गया है । विदेश नीति से विज्ञान का सम्बन्ध अत्यन्त रूप में रहना है । इसका कारण यह है कि समाज द्वारा नये वैज्ञानिक ज्ञान का अनुभव प्राय तकनीकी के रूप में किया जाता है ।

यह कहा जाता है कि तकनीकी विकास ने विदेश नीति के क्षेत्र में संचार साधनों का विकास करके जो कुछ भी एक हाथ से दिया है उसे दूसरे हाथ से ले लिया है, क्योंकि इनके विरोध लेने के लिए समय नहीं छोड़ा है । तकनीकी विकास ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों जैसे— अखिनेता, तत्त्व, धारासायें, साधन का क्षेत्र, भादि को जिस रूप में प्रभावित किया है वह पर्याप्त महत्वपूर्ण है । इस प्रभाव की कुछ सामान्य विशेषतायें हैं अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर तकनीकी का पड़ने वाला प्रभाव स्वयं की कुछ एवं विशेषतायें रखता है, ये निम्न प्रकार हैं :—

(1) जो तकनीकी विकास राजनैतिक परिवर्तन लाते हैं वे प्रतीते नहीं होने किन्तु उनकी प्रकृति बहुत होती है । किसी देश की विदेश नीति के

सम्बन्ध में निर्णय लेते समय केवल एक ही तकनीकी आविष्कार से प्रभावित नहीं किया जाता बरन् अनेक आविष्कार एक साथ मिल कर उसे प्रभावित करते हैं।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रवृत्ति में जो प्रमुख परिवर्तन आये वे तकनीकी तत्वों के साथ-साथ अनेक गैर-तकनीकी तत्वों के परिणाम हैं। उदाहरण के लिए यदि हम १८वीं शताब्दी के सीमित युद्ध की समाप्ति के कारणों का अध्ययन करें तो हमारे सामने कुछ तकनीकी कारण आयेगे जैसे—अच्छे मार्ग, धातु के उत्पादन की वृद्धि, अग्नि आयुधों की बड़ी हुई कार्य-कुशलता आदि। इसके अतिरिक्त अनेक गैर तकनीकी कारण भी बताये जा सकते हैं जैसे—राजनैतिक लक्ष्यों में आलोचनात्मक परिवर्तन, सैनिक मिथ्यान्त में परिवर्तन, तथा सामान्य सभ्यता के बाढावरण में परिवर्तन आदि।

(iii) तकनीकी परिवर्तन के राजनैतिक लानों को स्थायी एवं अस्थायी रूप में राज्यों के बीच अस्तमान रूप में वितरित किया गया। एशिया तथा अफ्रीका के देशों में आत आर्थिक विकास जटिल बन गया है, क्योंकि महा औद्योगिकरण की मृत्यु दर में बमी से उन्नत समस्याओं का सामना करना होगा। योरोप को ऐसा नहीं करना पडा था। आत समय और स्थान के क्षेत्र में होने वाले विज्ञानों न औद्योगिक सर्वोच्चता के महत्व को कम कर दिया है।

(iv) औद्योगिक प्रान्ति के प्रारम्भिक वर्षों में तकनीकी का विकास उसके वैज्ञानिक ज्ञान में स्वतन्त्र रह कर हुआ। भाप के इंजिन का आविष्कार पहले ही हो गया और उनको प्रगाहित करने वाले वैज्ञानिक नियम बाद में विकसित किये गये, किन्तु बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही तकनीकी का विकास भौतिक विज्ञान के मूल ज्ञान के विकास पर निर्भर रहन लगा है। अणु बम का आविष्कार न्यूक्लीयर भौतिक शास्त्र के अनुसंधानों पर निर्भर था। इस नये ज्ञान के अनेक ब्यवहार स्वयं भौतिक शास्त्रियों के द्वारा सम्पन्न किये गये।

(v) तकनीकी आविष्कार एवं वैज्ञानिक ज्ञान प्रायः एक ही गति से आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान प्रत्येक दस में पन्द्रह साल के बाद दो गुना हो जाता है।

(vi) नये वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति एवं नये उत्पादन का खर्च पर्याप्त बढ़ जाता है। आज विकसित देशों के विश्व विद्यालयों का अनुसंधान बजट सधीय कोष पर आधारित हो गया है, क्योंकि इस कीमत को चुकाने

बाला और कोई भी खात नहीं है। न्यूक्वीयर भौतिकी के क्षेत्र में इस व्यय की स्थिति पर प्रकाश डालने हुए एक वैज्ञानिक ने बताया कि एक प्रथम पूरने तक की बीमन एक मिलियन डालर हो जाती है। इन प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप यह स्थिति भी गई है कि महान् तकनीकी केवल महान् शक्तियों के पास ही रह सकती है तथा भविष्य में केवल महान् शक्तियाँ ही महान् विज्ञान सम्पन्न बन सकेंगी।

(vii) द्वितीय विश्व युद्ध में विज्ञान विदेश नीति के समर्थन में प्रथम बार प्रत्यक्ष रूप से उत्तरा। अपने युद्ध रूप में विज्ञान १९वीं शताब्दी से विकसित होता हुआ मूलतः एक स्वायत्त सामाजिक सम्पदा बन गया। उस समय वैज्ञानिक समाज के अपने कार्य की अवस्थाओं के सम्बन्ध में स्वयं के कुछ नियम थे। उसका एक अन्तर्राष्ट्रीय या अर्थात् प्रकृति के तथ्य उन सभी के लिए खुले हुए थे जो विज्ञान के तरीकों से उनको खोजना चाहे। विज्ञान का विकास अनुसंधान की स्वतन्त्रता पर आधारित था। वैज्ञानिक को अपने अनुसंधान के लिए कोई भी समस्या छानने की तथा अपने अनुसंधान के परिणामों को संचारित करने की स्वतन्त्रता थी; किन्तु इस सबके पीछे सामान्य मान्यता यह भी कि नया ज्ञान अन्तिम रूप से मानव जाति के लिए लाभदायक होगा तथा वैज्ञानिक समाज का इन आविष्कारों के परिणामों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

१९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में होने वाले विचारधारागत युद्धों के दौरान वैज्ञानिकों एवं उनके विचारों की स्वतन्त्रता पूर्वक राजनीतिक सीमाओं पार करने की अनुमति दी गई। वे शक्ति एवं युद्ध दोनों कालों में इस स्वतन्त्रता का उपयोग कर सकते थे, किन्तु ज्यों ज्यों वैज्ञानिक ज्ञान की जटिलता बढ़ती गई तथा तकनीकी आविष्कार अमानव व विध्वंसक होते गये, त्यों त्यों इस क्षेत्र में प्रतिबन्ध बढ़ते चले गये।

अणु और राष्ट्रीय शक्ति (The Atom and National Power)

अणुशक्ति का प्रयोग वर्तमान युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो पुराणों में बलिष्ठ अग्निबाण और अन्य इसी प्रकार की वस्तुनामों को सत्य के धरातल पर ला देती है। अणुशक्ति के धोखेलेन ने विश्व के सामने अनेक प्रश्न और समस्याएँ लाकर रख दी हैं। उनमें से एक यह भी है कि इनने विश्व राजनीति को हिला दिया है तथा देशों की शक्ति स्थिति को बदल दिया है।

अणुशक्ति के विकास ने आक्रमण करने की सामर्थ्य को बढ़ा कर सर्वोच्च शक्तियों की शक्ति को और भी भारी बना दिया है। प्रारम्भ में अणुशक्ति के मालिक केवल दो ही देश थे—सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमरीका किन्तु आज ब्रिटेन, फ्रांस, साम्यवादी चीन, कनाडा आदि देशों ने भी इसी ओर कदम बढ़ा दिये हैं। इण्डोनेशिया जैसे छोटे देश भी आज अणुबम बनाने की सोचने लगे हैं। अणु शक्ति की इस लोकप्रियता के कारण छोटे छोटे देश भी इतने साधन जुटाने में समर्थ हो जायेंगे कि एक बड़ी शक्ति को उन पर आक्रमण करने में भारी खर्च वहन करना पड़ेगा।

अणुबम ने सभी देशों को समान बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया है। 'अणु शक्ति' कितनी विध्वंसक होगी यह बात किसी देश के प्रकार पर अथवा उस देश की जनसंख्या की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। एक बम चाहे वह एक छोटे से देश द्वारा बनाया गया हो या एक बड़े देश द्वारा जब काम में लाया जायगा तो समान रूप से विनाश करेगा और इस दृष्टि से देखने पर हम यह कह सकते हैं कि अणु शक्ति ने राष्ट्रों के बीच समानता की स्थापना कर दी है। सज़बर्गर (Sulzberger) महोदय ने सन् १९५४ में अणु शक्ति के इस पहलू को स्पष्ट करते हुए कहा था कि "एक दिन न केवल सर्वोच्च शक्तियाँ या बड़ी शक्तियाँ ही बरन् छोटे राष्ट्र भी अणु आयुधों से युक्त बन जायेंगे तथा वे इन आयुधों को परम्परागत मानने लगेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन तो आज बदल ही चुका है क्योंकि कमजोर राष्ट्रों को भी एक नया महत्व प्राप्त हो गया है। यह सन्तुलन उस समय तो बिस्तुल ही बदल जायगा जबकि छोटे छोटे भूमि खण्डों के पास ऐसे हथियार प्राप्त जायेंगे जो दुनिया को उड़ाने की शक्ति रखते हैं। इन समय 'अणुबम' राष्ट्रों को समान बनाने का कार्य (Equalizer) करेगा।

तकनीकी विकास का आधार (The basis of Technological Progress)

राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व होने के कारण 'तकनीकी विकास' (Technical Progress) की ओर सभी राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित होने लगा है। प्रत्येक राष्ट्र यह प्रयास करता है कि वह अपने देश के उद्योग व वे, अर्थ व्यवस्था, सैनिक तैयारियाँ आदि में तकनीकी ज्ञान का अधिकारिक प्रयोग करके उच्चता के क्षिपार पर पहुँचने के मार्ग को सुगम बना दे, किन्तु व सभी राज्य अपना वे अनुसंधान परियोजना प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते। इस असफलता का मुख्य कारण उस देश में स्थित

समाज की परम्परायें, सोचने के तरीके, रहने का ढंग तथा विकास के प्रति उसका दृष्टिकोण है। यदि हम विश्व के राष्ट्रों पर इसी दृष्टि से एक सरसरी निगाह डालें तो पायेंगे कि एक और सोवियत रूस और जापान जैसे राष्ट्र हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ही तकनीकी क्षेत्र में इतना विकास कर लिया जिसे देख कर विश्व आश्चर्यान्वित रह जाता है। जापान ने अपने दृष्टिकोण एवं मस्यारों में बिना कोई भारी परिवर्तन किये ही औद्योगिक उत्पादन एवं सैनिक सगटनों की पश्चिमी तकनीकी को अपना लिया है। किन्तु दूसरी ओर साम्यवादी चीन की स्थिति को देख कर यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ तकनीकी शान का प्रसार इसी तेजी के साथ हुआ है या निकट भविष्य में हो सकता है।

रूस, जापान और साम्यवादी चीन के उदाहरणों को देखने के पश्चात् हम कुछ निष्कर्षों पर पहुँचते हैं जैसे कि—

(१) एक देश में होने वाले तकनीकी विकास पर उस देश की सरकार के रूप का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। तकनीकी विकास, दूसरे शब्दों में, पश्चिमी राष्ट्रों या प्रजातन्त्रात्मक देशों का एकाधिकार नहीं है, साम्यवादी देशों में भी यह हो सकता है।

(२) 'तकनीकी विकास साम्यवादी व्यवस्था में अधिक शीघ्रता से हो जाता है' यह मान्यता तथ्यों के विपरीत है। क्योंकि चीन में साम्यवादी शासन होते हुए भी तकनीकी की गति बड़ी धीमी है।

(३) तकनीकी विकास पर सरकार के रूपों का नहीं बल्कि सामाजिक पद्धतियों का प्रभाव पड़ता है। यदि समाज एक परिवर्तनशील एवं विक्रमशील दृष्टिकोण (Radical attitude) वाला है तो तकनीकी विकास का मार्ग सुगम हो जायगा किन्तु परम्परावादी, रूढ़िवादी तथा पुराने विचारों से मुक्त समाज में इसे अनेक बाधाएँ एवं रुकावटों का सामना करना पड़ेगा।

जिस समाज का ढाँचा वैज्ञानिक आधार से मेल नहीं खाता वह समाज पिछड़ा जाता है। भारत के प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू इस तथ्य से बनी भाँति परिचित थे। उन्होंने जीवन भर देश की जो मूल शक्ति पड़ाया, वह था 'विज्ञान तथा तकनीकी का महत्व'। उनके प्रसिद्ध जन-सभा-वार्ता (Public lecture) में अनेकों पर यह प्रभाव डाला जाता था कि हमारा धर्म, संस्कृति एवं परम्परायें ऊँचे हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनको यदि हम छोड़ देंगे तो 'हम', हम न रहेंगे। किन्तु केवल इनमें धिपके रहना भी सम्मोचित नहीं है। इस युग की विशेषता विज्ञान तथा तकनीकी है इसे

यदि न अपनाया गया तो हम पिछड़ जायेंगे, सम्यता की दौड़ में पीछे रह जायेंगे। प० नेहरू ने विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में जो कुछ किया, माने वाली पीढ़िया उसे कभी नहीं भुला सकती। नेहरू के कृत्यों का महत्व प्राकृते समय यह नहीं देखना है कि भारत के पास कितनी वैज्ञानिक उपलब्धिया हैं, वरन् देखना यह है कि क्या भारतीय समाज विज्ञान के महत्व को समझने लगा है ?

साम्यवादी चीन में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के मार्ग की बाधाओं का वर्णन करते हुए केयरबैक महोदय ने यह माना है कि ये बाधाएँ ७ हैं—तर्क की व्यवस्था (System of logic), चरित्र-विवरण (Character writing), सांस्कृतिक शिक्षा (Classical Education), हाथ से किये गये श्रम का विरोध (Aversion of manual labour), भ्रम व्यवस्था पर राज्य का अधिकार (State monopoly of the economy), तिरस्कृत मनुष्य शक्ति (Abundant man power) और शक्तिशाली एवं रूढ़िवादी नौकरशाही (The powerful and conservative bureaucracy)।

अन्तिम पंक्तियाँ

(The Final Lines)

तकनीकी परिवर्तन इतिहास में निश्चय ही एक मुख्य तत्व रहा है। आविष्कारों ने मानव के इतिहास को बदलने में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की दृष्टि से संचार, यातायात, युद्ध, दवाई, भोजन की तैयारी एवं रक्षा आदि के क्षेत्र में किये गये आविष्कारों का अपना महत्व है। उनको सहारा देने के लिए शक्ति के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, धातुओं के क्षेत्र में तथा रचना के क्षेत्र में किये जाने वाले आविष्कारों ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया। यदि सम्पूर्ण मानव जाति की दृष्टि से विचार किया जाये तो ज्ञात होगा कि तकनीकी उन्नति के लिए एक व्यापक आन्दोलन चल रहा है। जो तकनीकें एक बार आविष्कृत हो जाती हैं बाद में उनको समाप्त नहीं किया जाता वरन् वे मानव जीवन का आवश्यक अंग बन जाती हैं।

राष्ट्र और सम्यताएँ गिरती और उठती रहती हैं तथा शक्ति और सम्यता के केन्द्र एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलते रहते हैं किन्तु यह मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि प्रवृत्ति की शक्तियों पर नियंत्रण करे। इसके कारण लोग एक दूसरे के घनिष्ठ एवं निकट सम्पर्क में आये हैं, सारा ससार एक पट्टीसी जैसा बन गया है। दूसरी ओर प्रत्येक देश सैनिक, प्रायिक एवं प्रचार की दृष्टि से आक्रमण करने में अधिक सक्षम बन गया है। प्रत्येक

देश दूरस्थ देश के साथ व्यापार, सस्कृति एवं सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावित हो गया है । देशों में बड़े एवं छोटे समूह बनते जा रहे हैं । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी, मस्यागत एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ता जा रहा है । देशों का व्यवहार सह-प्रवृत्ति, परम्परा एवं आत्म चेतना से कम और मत से अधिक प्रभावित होने लगा है । तकनीकी का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रत्येक पहलू पर व्यापक तथा गहरा प्रभाव पड़ा है । इसने देशों की शक्ति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया है ।

इसी प्रकार जनसंख्या भी शक्ति तत्व के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है । जनसंख्या की मात्रा एवं जनसंख्या का गुण दोनों ही इस दृष्टि से अपना महत्व रखते हैं । गुण के बिना केवल मात्रा का होना एक राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक होने की अपेक्षा उसका कमजारी का आधार भी बन सकता है । इसी प्रकार मात्रा के बिना जनसंख्या का केवल गुण तत्व अधिक उपयोगी नहीं हो पाता क्योंकि युद्ध काल में सैनिक तथा आतंककाल में प्रौद्योगिक श्रम तभी पर्याप्त उपलब्ध हो सकेगा जबकि देश में जनसंख्या को निश्चित मात्रा प्राप्त हो ।

आज तकनीकी, भूगोल एवं जनसंख्या को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का मुख्य विज्ञान माना जाता है । यह कहा जाता है कि इन विज्ञानों का अध्ययन करने के बाद जनसंख्या एवं तकनीकी का इस प्रकार नियमन हो सकेगा कि भौतिक संसाधनों एवं स्रोतों का पर्याप्त उपयोग किया जा सके । इस प्रकार सार्वभौमिक समाज की वह भौतिक नींव रखी जा सकेगी जिससे सस्कृति के आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य तत्व विरहित होंगे ।

राष्ट्रीय शक्ति के तत्व :
विचारधारा, मोरेल और नेतृत्व
[ELEMENTS OF NATIONAL POWER : IDEOLOGY,
MORALE AND LEADERSHIP]

पिछले अध्यायों में राष्ट्रीय शक्ति के जिन मूल तत्वों का हमने अध्ययन किया है उनकी प्रकृति कुछ इस प्रकार की है कि उनके अस्तित्व को देखा जा सकता है, मापा जा सकता है तथा उनके प्रभाव-का-भी-स्पष्टतः पर्यवेक्षण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उनका नियमन एवं नियन्त्रण भी आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। इन तत्वों के अतिरिक्त राष्ट्रीय शक्ति के ऐसे तत्व भी होते हैं जो दिताई नहीं-देते और उनका अस्तित्व केवल अनुभव ही किया जा सकता है। इन तत्वों को पृथक् करके देखना तथा परिभाषित करना निश्चय ही एक कठिन काम है किन्तु इसके कारण इन तत्वों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। ये तत्व असल में मौलिक तत्व न होकर मानवीय तत्व हैं जिनका प्रभाव मौलिक तत्वों का प्रयोग करने में एक निर्णायक का काम करता है। ये मानवीय तत्व विचारधारा (Ideology), मोरेल (Morale) तथा नेतृत्व (Leadership) हैं। इनका अध्ययन करना प्रस्तुत अध्याय का सद्य है।

ये मानवीय तत्व मनुष्य से शक्ति के दृष्टिकोणों विस्तारों एवं उसके सामाजिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में इनका

स्व-उन्नता और पतनता है। ये राज्यों के व्यवहार पर भी गहरा प्रभाव रखते हैं। एक देश के लोग अपने भौतिक एवं राजनैतिक वातावरण के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे यह बात इन्हीं तत्वों के द्वारा निर्धारित की जाती है। सामाजिक वातावरण के रीति-रिवाज एवं परम्परायें दृष्टिकोणों को जन्म देती हैं जो कि धीमे-धीमे चल कर विश्वास बन जाते हैं। व्यक्ति के दृष्टिकोण और विश्वास मिल कर उन मूल्यों को परिभाषित करते हैं जिनको व्यक्ति रखता है और उन मूल्यों को स्पष्ट करते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है।

मूल्यों को हम ऐसे मापदण्ड कह सकते हैं जिनको व्यक्तियों द्वारा सही एवं वाछनीय समझा जाता है। इस प्रकार कोई भी राजनैतिक कार्य उनके द्वारा तथा उनके लिए संचालित हो सकता है। व्यक्ति स्वभावतः अपने वाह्य वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है। वह विशेष वातावरण की स्थितियों में अपने मूल्यों को समायोजित करता है और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक क्रिया का संचालन करता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि जो भी कोई अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवहार को समझना चाहे उसे इस माध्यता को स्वीकार करके धीमे-धीमे बचना चाहिए कि मानवीय समूहों में मिश्र-भिन्न दृष्टिकोण, विश्वास एवं मूल्य होने हैं। मलय-मलय देशों के लोगों का सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण भी अलग-अलग प्रकार का होता है। वाह्य वातावरण के ये विभिन्न तत्व इस बात का निश्चय करते हैं कि उस देश की मिश्रता किसके साथ होगी तथा गठुता किसके साथ होगी।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते समय यह जानना पर्याप्त महत्वपूर्ण समझा जाता है कि व्यक्ति कुछ मूल्यों को क्यों अपनाता है तथा अन्य सृष्टि तथा शक्तियों के प्रभाव से ये मूल्य कैसे तथा क्यों बदल जाते हैं। एक देश के विभिन्न नागरिक समूह सामान्य दृष्टिकोण, मूल्य एवं लक्ष्यों में जितनी अधिक मात्रा में नाग लेते हैं वही उतनी ही अधिक पायी जाती है तथा इससे बड़ा ही राजनैतिक समस्याओं को स्पष्टीकरण प्राप्त होता है। जिन देशों के दृष्टिकोण एवं मूल्यों में समानता रहती है उनके सम्बन्ध शांतिपूर्ण, सहयोगपूर्ण एवं मंत्रीपूर्ण रहेंगे। जिस देश में लोगों के दृष्टिकोण एवं मूल्यों के बीच अंतर ही नहीं रहती वही प्रायः स्थिरता एवं सद्गुण रहता है। यही बात दो देशों के पारस्परिक सम्बन्धों पर भी लागू होती है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व विचारधारा, मोरेल एवं नेतृत्व, जिनका अर्थ हम इस

अप्याय में करने जा रहे हैं, एक देश के लोगों के दृष्टिकोणों, विश्वासों एवं मूल्यों से पर्याप्त प्रभावित होने हैं।

विश्व राजनीति में विचारधारा (Ideology in World Politics)

विचारधारा के द्वारा एक देश की जनता अपने मूल्य तथा दृष्टिकोणों को अपने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्त करती है। पैडेलफोर्ड तथा लिंकन (Padelford & Lincoln) के कथनानुसार विचारधारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से सम्बन्धित विचारों का निकाय है जो कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करती है। विचारधारा व्यक्ति एवं समाज की प्रकृति के बारे में कुछ मान्यताओं पर आधारित रहती है। विचारधारा के द्वारा समाज की कठिन आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं के लिए भी समाधान प्रस्तुत किये जाते हैं। विचारधारा व्यक्तियों एवं समूहों को एक ऐसे समाज में बांध देती है जिसका सामान्य उद्देश्य होता है तथा उसे प्राप्त करने के लिए वे समान तरीकों में विश्वास करते हैं।

विचारधारायें एक देश की शक्ति पर अपना पर्याप्त प्रभाव रखती हैं। यह प्रभाव सीधा न होकर अप्रत्यक्ष होता है। जिस विचारधारा को एक देश मानता है उसी विचारधारा को मानने वाले दूसरे देशों की मदद करना एवं मोची उनके प्रति रहना स्वभाविक है। व्यक्तिगत जीवन में मित्रता दो समान विचार वाले व्यक्तियों के बीच ही निम्न पाती है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दो राष्ट्र प्रायः तभी साथी बनते हैं जबकि उनके राजनैतिक सिद्धांत, आर्थिक नीतियां, विदेश नीतियां आदि बातें समान हो या कम से कम उनके बीच विरोध न हो। सोवियत रूस साम्प्रदाय का समर्थक है, 'साम्प्रदाय' समुक्त राज्य अमेरिका के आदर्शों एवं विचारों के विपरीत जाकर पड़ता है। यही कारण है कि दोनों देश न केवल मित्र हैं वरन् दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, एक के अहित में दूसरा अपना हित पाता है।

आजकल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 'विचारधारा' (Ideology) शब्द पर्याप्त लोकप्रियता पा चुका है। यह कहा जाता है कि राष्ट्रों के बीच जो भेद पाया जाता है उसका मुख्य कारण विचारधाराओं की भिन्नता होती है। परस्पर विरोधी विचारधारायें अनेक बार युद्ध का कारण बन जाती हैं।

स्ताइडर तथा विलसन (Snyder & Wilson) महोदय ने विचारधारा की परिभाषा देते हुए कहा था कि "एक 'विचारधारा' जीवन, समाज, और सरकार से सम्बन्धित विचारों का वह समूह है जो प्रायः सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक नारों या युद्ध के नारों से उत्पन्न होती है तथा जिसका लगातार प्रयोग उसकी एक विशेष समुदाय, दल या राष्ट्रीयता का प्रमुख विश्वास या सिद्धांत बना देता है।"^१ विचारधारा की एक दूसरी परिभाषा स्ताइडर महोदय ने दी है। उनके मतानुसार विचारधारा व्यक्ति के अमूर्त विचारों की व्यवस्था है। ये विचार वास्तविकता को स्पष्ट करते हैं, मूल्यात्मक लक्ष्यों की अभिव्यक्ति करते हैं तथा इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त करने अथवा बनाये रखने का प्रयास करते हैं जिसमें उनके विश्वास के अनुसार लक्ष्यों को सर्वश्रेष्ठ रूप में साकार किया जा सकता है।

अनेक पश्चिमी देशों में लोगों के विश्वास और राजनीतिक जीवन के लक्ष्यों के प्रति समान दृष्टिकोण हैं। जब कभी दूमरे देश द्वारा पुनर्जीवी दी जानी है तो एकता प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्नताओं के बीच समझौता किया जा सकता है। जब पूरे राष्ट्र की एक राय रहती है तो वह अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। बड़ी शक्तियाँ केवल तभी जन्म लेती हैं जबकि अनेक राष्ट्र समान विचारों एवं समान लक्ष्यों के साथ प्रागे बढ़ते हैं।

कुछ विचारकों का यह कहना है कि सत्तावादी समाजों में दल अथवा सरकार के पीछे जनता का सच्चा मत नहीं रहता। केन्द्रीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व, व्यापक प्रचार, कठे राजनीतिक यन्त्र एवं स्वामिमत्त अनुयायियों के कारण केन्द्रीय शासन के पीछे शक्ति की लेकर चल सकता है। सोवियत रूस, साम्यवादी चीन और युद्ध पूर्व के इटली तथा जर्मनी में यही बात देखने को मिलती है। सोशलिस्टिक विचारधारों प्रायः वास्तविकता की कुछ मान्यताओं पर या पूर्ण बलवाओं पर आधारित रहती हैं जिन्हें उनके अनुयायी सत्यता देने का प्रयास करते हैं। यदि ये पूर्ण मान्यताओं बड़ा और व्यापक समर्पण रखती हैं तो सिद्धांत की प्रभावशीलता बढ़ जाती है।

साम्यवाद की सैदान्तिक शक्ति को इतिहास के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के आधार पर बढ़ाया जाता है। इस विचारधारा के द्वारा पूंजीवाद एवं

साम्यवाद पर मजदूर वर्ग की विजय का वायदा किया जाता है। साम्यवाद के ये वायदे अधिवसित समाजों में पर्याप्त योगदान रखते हैं। इन समाजों में जनसदस्य की गलत सूचनायें दी जाती हैं और इन सूचनाओं को वे बिना किसी वाद विवाद के स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें अपनी दशा को सुधारने की आशा रक्खनी है। गीने मच्छा साम्यवादी राज्य तो शायद साम्यवादी रूस और चीन के नताओं के जीवन काल में भी प्राप्त नहीं हो सका, किन्तु फिर भी वे इसको अपना उद्देश्य मान कर चलते हैं। सिद्धांत की प्रतीति को व्यापक संचार के साधनों द्वारा कई गुना बना दिया जाता है। अनेक विभिन्न देशों में उन नए विचारों एवं लोकप्रिय आन्दोलनों के लिए पर्याप्त उपजाऊ परिस्थितियाँ होती हैं जो कि सुधार एवं सुरन्त परिवर्तन का रास्ता करते हैं। सुरन्त परिवर्तन के लिये सामंजसिक समर्थन प्राप्त करने के हेतु साम्यवादी विचारधारा एक उपयुक्त सिद्धांत प्रतीत होती है। सरकार के नए रूप की स्थापना के लिए, उपनिवेशवादी शासन को समाप्त करने के लिये तथा आर्थिक समी को पूरा करने के लिये यह विचारधारा अनेक वायदे करती है। स्थापक महत्वाकांक्षायें एवं शीघ्र प्राप्त किए जाने वाले परिणाम, आजागरिता एवं अनुशासन की मांग करते हैं और यह साम्यवादी विचारधारा में सम्मिल हो जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के प्रणेता शक्ति के लिये सधर्म की महत्त्वपूर्ण मानते हैं और उनसे मतानुसार सिद्धांत इसी की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। विश्व राजनीति में जो वास्तविकता है और जो दिगर्भ देता है उन दोनों के बीच पर्याप्त अन्तर है। राष्ट्र शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियाँ निर्धारित करती हैं, किन्तु ये नीतियाँ उनके द्वारा नीतिक, कानूनी या जीव शास्त्रीय अर्थ में अभिव्यक्त की जाती हैं। कहने का अर्थ यह है कि नीति के सहो रूप को सौदागिक न्यायोचितता एवं सौखिनता के द्वारा छिपा लिया जाता है। मारक्सवादी के मतानुसार जो लोग शक्ति सधर्म में जितने उभरे रहते हैं वे इस बात को उतना ही कम देता पाते हैं कि यह शक्ति सधर्म किस लिए हो रहा है। राजनीतिक रणमंच के अभिनय, राजनीतिक विचारधारा के पीछे जो राजनीतिक क्रियाओं की सच्ची प्रकृति होती है उसे छिपाने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति शक्ति के सधर्म से जितना अभिन्न दूर होता है वह उसकी गहरी प्रकृति को समझने में उतना ही अधिन समर्थ होता है। इस आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि एक देश विशेष की राजनीति को, उसके मूल, क्रियात्मक की विशेषता, विदेशी अधिन सच्छी तरह से समझ पाता है। साथ ही विद्वान अभ्ययनकर्ता

राजनीतिज्ञों की अपेक्षा अधिक जानकारी हासिल कर लेता है। राजनीतिज्ञों की यह सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसे दिखाना चाहते हैं और इसलिये अपने कार्यों की शक्ति की शब्दावली में सम्पन्न न करने नीतिक और कानूनी सिद्धान्तों या जैविक आवश्यकताओं के सम्पर्क में करते हैं। मारकेन्को ने शब्दों में जबकि समस्त राजनीति धानश्यक रूप से शक्ति की राज है विचारधारामें इन शक्ति संपर्क को ऐसा रूप देती हैं जो अभिनेताओं और उनके श्रानाओं के लिए मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक रूप से स्वीकार्य है।

कानूनी एव नैतिक सिद्धांत तथा जीवशास्त्रीय आवश्यकताएँ अन्त-राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में दोहरा कार्य करती हैं; या तो राजनीतिक प्रिया का अभिनेता लक्ष्य है अथवा वे एक नूटे पदों का काम करती हैं जिसके पीछे कि शक्ति संपर्क की यह स्थिति छिपी हुई है जो कि समस्त राजनीति की मुख्य विशेषता है। ये सिद्धान्त और आवश्यकताएँ पहले अथवा दूसरे कार्य को अथवा दोनों कार्यों को एक साथ सम्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए न्याय का कानूनी और नैतिक सिद्धांत या पर्याप्त जीवन स्तर की जीवशास्त्रीय आवश्यकता विदेश नीति का लक्ष्य हो सकती है या एक विचारधारा हो सकती है अथवा एक ही समय में दोनों चीज हो सकती हैं। इस प्रकार नैतिक और कानूनी सिद्धांत तथा जीवशास्त्रीय आवश्यकताएँ विचारधारामें के कार्य सम्पन्न करती हैं। कहा जाता है कि यह राजनीति की प्रकृति में निहित है कि वह राजनीतिक रणमंच के अभिनेता को अपने कार्यों के सफलतापूर्वक लक्ष्य को दिखाने के लिए विचारधारा का प्रयोग करने के लिए बाध्य करती है। प्रत्येक राजनीतिक कार्य का तात्त्विक उद्देश्य शक्ति है और राजनीतिक शक्ति व्यक्तियों के कार्यों एवं मस्तिष्क पर शक्ति होती है। शक्ति की राजनीति में जो व्यक्ति दूसरों की शक्ति का विषय है वह दूसरों पर स्वयं भी शक्ति प्राप्त करना चाहता है। एक ही माय में दोनों कार्य होने हैं कि व्यक्ति दूसरों पर अपनी शक्ति जमाना चाहता है और दूसरे उस पर अपनी शक्ति जमाना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः अपनी शक्ति प्राप्ति की इच्छा को कानूनी और न्यायमूर्त मानता है तथा दूसरों की ऐसी इच्छाओं को जो कि उनके ऊपर शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वह अनुचित और अत्याचारपूर्ण मानता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सोवियत संघ ने जो नीति अपनाई उसे यह अपनी मूर्खता की दृष्टि से न्यायोचित ठहराना है, किन्तु दूसरों की शक्ति के प्रसार को वह विश्व विजय की तैयारी या साम्राज्यवादी प्रयास कह कर आलोचना का विषय बनाता है। दूसरों और संयुक्त राज्य

अपनी भी रुस की महत्वाकांक्षाओं को यही उपाधि प्रदान करता है और अपने अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं बताता है। मारगेन्वी द्वारा उद्धरित जान एडम्स के ये शब्द उल्लेखनीय हैं कि शक्ति हमेशा यह सोचती है कि इसकी आत्मा महान है और इसके दृष्टिकोण व्यापक हैं तथा जिस समय ईश्वर के सारे कानूनों को तोड़ रही है उस समय यह ईश्वर की सेवा कर रही है।¹

जब एक देश खुले रूप से यह एकीकारण कर लेता है कि वह शक्ति चाहता है और इसलिए दूसरे राष्ट्रों की ऐसी महत्वाकांक्षाओं का विरोध कर रहा है तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा और उसे शक्ति सघर्ष में नुकसान होगा। स्पष्ट मान्यता के द्वारा एक और तो दूसरे देशों को इसके विरुद्ध एक बना देगी जो कि मिल कर उसके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करेंगे तथा उसे विदेश नीति के लक्ष्यों को पूरा न करने देंगे। दूसरी ओर स्पष्ट कथन के कारण वह सामान्य रूप से स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय समाज के नैतिक मापदण्डों को अस्वीकृत कर देगा और इस प्रकार वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहाँ स्वयं की विदेश नीति को वह भावे दिल से या बुरी आत्म चेतना से सम्पन्न करेगा। यह कहा जाता है कि अगर कोई सरकार जनता को विदेश नीति के पीछे लाना चाहती है या समस्त राष्ट्रीय शक्तियों को तथा साधनों को उसके पीछे लगा देना चाहती है तो उसे चाहिए कि जीवशास्त्रीय आवश्यकताओं पर जोर डाले, जैसे राष्ट्र का अस्तित्व आदि। नैतिक सिद्धांतों जैसे न्याय पर जोर डालना भी उपयोगी हो सकता है किन्तु उसे शक्ति की शब्दावली में नहीं बोलना चाहिए। केवल इसी मार्ग को अपना कर एक राष्ट्र शक्तिदान के लिए उत्साह एवं स्वेच्छा प्राप्त कर सकता है जिसके बिना उसकी विदेश नीति शक्ति के अन्तिम मापदण्ड से बाहर नहीं निकल सकती।

अनेक मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ होती हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों की विचारधाराओं को अपरिहार्य रूप से प्रभावित करती हैं तथा उन्हें शक्ति के सघर्ष में अस्त्र बना देती हैं। यदि हम उदाहरण के लिए दो सरकारों को लें जिनमें से एक सरकार अपनी विदेश नीति को बौद्धिक भाग्यताओं एवं नैतिक मूल्यांकनों के आधार पर अपनी जनता में प्रसारित करती है और दूसरी सरकार ऐसा नहीं कर पाती तो निश्चय ही हम पहली सरकार को दूसरी की अपेक्षा अधिक लाभ में पावेंगे। मारगेन्वी ने सही लिखा है कि

1. John Adams, Quoted by Morgenthau, op cit, P 88

विचारधारामें मनुष्य विचारों की भाँति ऐसे इन्धितार होते हैं जो कि राष्ट्रीय मारेल को उठा सकते हैं और इसके साथ ही एक राष्ट्र की शक्ति का बड़ा तत्व हैं। ऐसा करके वे अपने विरोधी के मारेल को नीचा कर सकते हैं। वहाँ जाता है कि बड़े विद्वान के चौदह मूवीय कार्यक्रम ने प्रथम विश्व युद्ध में 'मिथ राष्ट्रों की शक्ति में बहुत सहायता दिया क्योंकि इनसे उनका मारेल बड़ा गया था और विरोधियों का मारेल नीचा हो गया था।

विचारधारा के प्रकार (The Types of Ideology)

विचारधारा शब्द का जन्म हुए सौ वर्ष के आसपास हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग डेस्टुट डि ट्रैसी (Destutt de Tracy, 1754-1836) द्वारा किया गया जबकि अन्य लोगों के मतानुसार जेरेमी बेन्थम (Jeremy Bentham) या नेपोलियन ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया। पारमर तथा पर्किन्स का यह कहना उचित प्रतीत होता है कि यद्यपि विचारधारागत तत्त्व इतिहास की शताब्दियों तक सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन के निरन्तर तत्व रहे हैं किन्तु बोगबी शताब्दी से पूर्ण उनका कदाचित्त ही निर्णायक महत्त्व था। आज हम जिनको विचारधारा कहते हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में नई जान फूँकने का काम कर रहे हैं। इस प्रसंग में जोसेफ रोजेक (Joseph Roucek) का यह कथन भी समान रूप से महत्त्व रखता है कि हमारा युग ही वह पहला युग नहीं है जिसे कि विचारों की नवीन स्पष्टता को उत्पन्न किया है या जो कि विचारधारागत सपनों से युक्त है। किन्तु फिर भी सोलहवीं शताब्दी के धार्मिक युद्धों को छोड़ कर ऐसा कोई युग नहीं रहा जबकि इनके प्रकार के विज्ञान ही।

विचारधारा को जिस रूप में परिभाषित किया गया है वह अपने प्रायः में पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है। विश्व राजनीति में विचारधारामें का महत्त्व इनलिए बड़ा गया है क्योंकि वे राष्ट्रीय शक्तियों से सम्बन्ध रखती हैं। जिस प्रकार शक्ति महत्त्ववादी राष्ट्रवाद का जन्म बनी उसी प्रकार से यह विचारधारामें का साधन बन गई है। जैसे सपासपादी विचारकों को मॉन्पेला इससे विपरीत है क्योंकि वे शक्ति को तथः एक विचारधारामें की साधक कहते हैं, किन्तु दूसरे विचारकों के मतानुसार अब तक किसी प्रकार की शक्ति विचारधारा के साथ नहीं है उन समय तक यह विचारधारा निश्चिन्त एक सम्बन्धित विचारों का हानि रहित गीत मात्र रहेगा। इस मत को मानने वालों का यह दावा है कि साम्यवाद को ऊपर उठाने वाला साधक

या लेनिन का उपदेश नहीं है वरन् सोवियत शक्ति है जो इनके पीछे कार्य कर रही है। शक्ति के बिना साम्यवाद एक निष्क्रिय मनोविशेषण मात्र बन जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधाराओं के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करने में पूर्व यह उपर्यागी रहेगा कि उसके बढ़ने हुए महत्व के कारणों का अध्ययन किया जाय। विचारकों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में विचारधारा के बढ़ते हुए महत्व के लिए दो उत्तरदायी कारण बताए गए हैं। प्रथम कारण यह है कि विचारधाराओं एवं समस्याओं—याने—अनेक शक्तिशाली ऐसे राज्यों का विकास—हो-गया-है—जो कि—उत्साहवादी राज्यों के पश्चिमी विश्व की परम्पराओं पर निर्भर, उदार एवं प्रजातन्त्रसमक समाजों का स्पष्ट विरोध करते हैं। सन् १९१७ में रूसी साम्यवादी क्रांति और उसके बाद इटली की फासिस्टवादी और जर्मनी की नाजीवादी विश्व इतिहास की मुख्य घटनाएँ थीं। इन विचारधाराओं का सम्बन्धित देशों की विदेश नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और इस प्रकार दूसरे देशों के साथ उनके सम्बन्धों में भी अनेक मोड़ आए। वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की नीव राष्ट्रवादी शक्ति सन्तुलन से विचारधारागत शक्ति सन्तुलन की ओर मुड़ गई है।

विचारधारा के महत्व का एक दूसरा कारण यह है कि आजकल नीति निर्माण पर जन साधारण का प्रभाव बढ़ गया है। विदेशी मामलों के क्षेत्र में सामान्य जन सक्रिय रूप से रुचि लेने लगे हैं। ई. एच. कार (E. H. Carr) के कथनानुसार सन् १९१४ के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का व्यवहार केवल उन लोगों की रुचि का विषय था जो व्यावसायिक रूप से सलग हैं। प्रजातन्त्रसमक देशों में विदेश नीति को परम्परागत रूप में दलीय राजनीति के क्षेत्र से बाहर समझा जाता था तथा प्रतिनिधि सभायें विदेशी कार्यालयों के रहस्यपूर्ण व्यवहार पर बड़ा निद-ग्रह रतने में अपने आपको योग्य नहीं मानती थी।^१

बैसे विदेश नीति के अनेक विषय ऐसे होते हैं जो विशेषज्ञों को सोप जान चाहिए। इनमें से कुछ विषयों पर तो लोगों का ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि वे उनसे अनभिज्ञ रहते हैं। ये विषय समष्टि समूहों के

1. Edward Hallett Carr, The Twenty Years Crisis, 1919-1939, 2nd ed., 1946, P. 1

विशेष हितों को प्रभावित नहीं करते तथा उन लोगों की सामान्य स्वीकृति पर आश्रित रहते हैं या कि राजनीतिक रूप से जागरूक हैं ।

आज के युग में वैदेशिक मामलों में नागरिकों के जीवन को अनेक प्रकार में प्रभावित करने हैं । इन्हें पर भी जनता विदेश नीति के निर्मादकों पर निर्भर रूप से अपना प्रभाव नहीं रख पायी । वह उपलब्ध विद्वत्ता के चयन में भी विशेष योगदान नहीं रखती । इन्हें पर भी नीति निर्माता मंडल ही जनमत को ध्यान में रखते हैं । जनता के दृष्टिकोणों, विचारों, मूल्यों एवं लक्ष्यों की अवहेलना करके वे अधिक समय तक काम नहीं चला सकते । प्राचीन काल के तानाशाहों की भाँति जनता की धर्मसूत्रियों का विचार किए बिना ही आज वे महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते । प्रजातन्त्रात्मक देशों में तो प्रजा का सहयोग अनिवार्य सम्पन्न ही जाता है, सम्पूर्णतावादी राज्यों में भी यह विशेषता महत्व रखती है । सम्पूर्णतावादी राज्य अपनी जनता के हितों की अवहेलना करने की धमेली जनमत की अपनी नीतियों के अनुकूल ही रखने का प्रयास करते हैं । ऐसा करने के लिए उनके द्वारा दो मार्ग अपनाए जाते हैं । प्रथम यह कि जनता को यह सूचना प्रदान नहीं की जाती जो नेताओं द्वारा उनके हित के विपरीत मानी जाती है । दूसरे, वे इस सूचना को ऐसा सैद्धांतिक रूप प्रदान कर देते हैं जो शासन के दृष्टि में होता है । यद्यपि प्रजातन्त्रात्मक सरकारें भी जनहित की दृष्टि से विचारों पर विद्यमण रखती है किन्तु उनके द्वारा रखे जाने वाले विद्यमण की भाँति सम्पूर्णतावादी राज्यों की सुचना में कम होती है । यह कहा जाता है कि जनता की विचारधारा यद्यपि अत्यन्त अस्पष्ट और उलझी हुई होती है किन्तु यह विदेश नीति के निर्णयों के लिए कुछ ध्यापक बाहरी सीमाएँ निर्धारित कर देती है । साथ ही यह एक ऐसे साधन का काम करती है जो सरकार द्वारा स्वीकृत नीतियों एवं लिए गए निर्णयों पर जनता का समर्थन प्राप्त कर सके । जिस समय विचारधारा की आता का समर्थन प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है उस समय इसका बौद्धिकीकरण (Rationalisation) किया जा सकता है; अर्थात् नीति के वास्तविक कारणों को केवल अर्थवादी अर्थ के दृष्टि तथा ज्ञान है और उसका आचार विचारधारा की रक्षा किया जाता है । यह भी हो सकता है कि नीति यथार्थ में विचारधारा के कुछ पहलुओं से प्रेरित एवं निर्दिष्ट हो ।

विचारधारा के महत्व का एक अन्य आधार यह है कि राजनीतियों का कई क्षेत्रों विदेशों की जनता से भी दिया कर रखनी होती है क्योंकि

उन देशों की विदेश नीति का प्रभाव उनके स्वयं के निर्णयों पर पड़ सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो 'सूचना' कार्यक्रम का नया विकास हुआ है वह विकास कूटनीति के इस नए प्रकार का प्रमाण है। आज अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देशों ने कुछ पदों को चुन लिया है जिनका प्रयोग करके वे अपने देश के आदर्श लक्ष्य एवं मानवीय दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हैं तथा अपने विरोधियों की प्रालोचना करते हैं। विरोधी नीतियों को साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, विस्तारवादी, विध्वंसक आदि कह कर प्रालोचित किया जाता है और दूसरी ओर अपनी नीतियों को साम्राज्यवाद विरोधी, मानवीय, उपनिवेशवाद विरोधी बना कर उसके लिए सम्मान प्राप्त किया जाता है।

प्रचार कार्य की प्रभावशीलता के परिणामस्वरूप एक देश अपनी राष्ट्रीय शक्ति को पर्याप्त बढ़ा लेता है। विचारधारा उसके इस प्रकार कार्य को सशक्त बना देती है। अधिक जनसंख्या वाले नये विकासशील देशों में लोगों के मस्तिष्कों को प्रभावित करने की सम्भावनाएँ अधिक रहती हैं। अतः यहाँ के लोग विचारधारा को अत्यधिक महत्त्व देते हैं। इन देशों की परम्परागत सामाजिक एवं बौद्धिक नींव कमजोर पड़ जाती है तथा ये मजबूत की अवस्था में रहते हैं। यहाँ पर राष्ट्रवाद एक बौद्धिक शक्ति के रूप में कार्य करता है। महात्मा गांधी ने इन प्रदेशों में लोगों को एकीकृत करने में पर्याप्त योगदान किया है तथा इन्हें स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सहायता दी है किन्तु फिर भी ग्लाइसर महाशय का विचार है कि यह राष्ट्रवाद तीन दृष्टियों में अपर्याप्त है। प्रथम, यह वास्तविकता का कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता, दूसरे, यह मूल्यों के सतोपजनक दर्शन के रूप में अपर्याप्त है, तीसरे, यह उन आवश्यक आर्थिक एवं राजनैतिक संस्थाओं के बारे में कुछ नहीं कहता जो कि जनता की बदलती हुई एवं बढ़ती हुई आकांक्षाओं को अनुकूल कर सकें। इस प्रकार इन देशों में एक प्रकार का रिक्त स्थान है जिम्मेरी पूर्ति के लिए विभिन्न विचारधाराएँ प्रयास करती हैं। एक विचारधारा सभी प्रभावशील हो सकती है जबकि यह स्थानीय आदर्शवादी एवं परिस्थितियों के अनुरूप हो। एक वातस्थान में रखने योग्य यह है कि इस विचारधारा को राष्ट्रवाद की भावनाओं को विरोध नहीं करना चाहिए। मार्क्स तथा लेनिन की विचारधारा को इन प्रदेशों के अनुकूल समझा जाता है क्योंकि इनमें पर्याप्त लोकशीलता रहती है जो इसे परिस्थिति के अनुकूल परिणामित होने की क्षमता प्रदान करती है। साम्यवादी विचारक साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद

का विरोध करने इन देशों के लोगों की भावनाओं को अपने साथ मिला लेते हैं। साथ ही वे इन देशों में फैली हुई गरीबी को मिटाने के लिए उपाय भी सुनाने हैं। साम्यवादी कम और चीन ने थोड़े से समय में जा धार्मिक विचारों का विनाश किया है उसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने साम्यवाद इन देशों के धारणों का केन्द्र बन गया है। जो देश साम्यवाद के सर्वाधिकारवादी रूप में विख्यात नहीं करते वे भी यह तो स्वीकार करते हैं कि पश्चिमी प्रजातन्त्र की परम्पराओं उनके वातावरण के अनुकूल नहीं हैं।

विचारधारा के रूपों के सम्बन्ध में यह बताया जाता है कि 'बाद' बड़े जाने वाले समस्त विचारों को हम विचारधारा कह सकते हैं क्योंकि विचार जब 'बाद' का रूप धारण कर लेता है तो वह एक मण्डित विचार बन जाता है। इन दृष्टि से सर्वाधिकारवाद (Totalitarianism), साम्यवाद (Communism), फासिस्टवादी (Fascism), नाझीवादी (Nazism), समाजवाद (Socialism), उदारवाद (Liberalism), समष्टिवाद (Collectivism) आदि सभी को हम विचारधारा के विभिन्न रूप मान सकते हैं। पारदर्शिता पर किन्हीं न तो प्रजातन्त्र, ईसाई धर्म एवं इस्लाम धर्म को भी विचारधारा कहा है।

मार्क्सवादी महात्म्य ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विभिन्न विचारधाराओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। उनके मतानुसार कुछ विचारधाराओं ऐसी हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव (Status-quo) लाएंगी नहीं हैं। दूसरे प्रकार की विचारधाराओं विस्थापनवादी नीति अपनाती हैं और इनके अर्थ 'साम्राज्यवादी' कहा है। तीसरे प्रकार की विचारधाराओं अनेकार्थक एवं अस्पष्ट होती हैं, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति कुछ इस प्रकार की है कि साम्राज्यवादी नीतियों पर हमला ही विचारधारा का पदो धोना जाता है। किन्तु यदि देश बदलाव का समर्थन कर रहा है तो वह अपनी नीतियों को अपने मध्यम रूप में प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विचारधाराओं के कुछ प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के कुछ प्रकारों के साथ समन्वित रहते हैं।

बदलाव की विचारधाराओं

जो देश बदलाव की नीति में विश्वास करता है वह अपने व्यवहार की विचारधाराओं के धारणों से विपरीत नहीं चाहता। इनका

कारण यह है कि वस्तुस्थिति का अस्तित्व होता है और इस आधार पर उसे कुछ नैतिक न्यायोचितता प्राप्त हो जाती है क्योंकि जिस चीज का अस्तित्व है उसमें कुछ न कुछ अन्वयात्मा तो अवश्य ही होगी वरना उमका अस्तित्व ही न रहता। जो देश यथास्थिति की नीति को अपनाता है वह उस शक्ति की रक्षा का प्रयास करता है जो कि उमने प्राप्त की हुई है। इसके लिए सम्भव है कि वह किसी को भी अपना शत्रु या मित्र न बनाए। ऐसा वह केवल तभी कर सकता है जबकि उसके क्षेत्रीय स्वामित्व को कोई कानूनी या नैतिक चुनौती नहीं दी जाती। स्विटजरलैण्ड, डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन आदि देश अपनी विदेश नीति को यथास्थिति बनाए रखने वाली नीति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं क्योंकि उनकी यथास्थिति को न्यायोचित मान लिया गया है। अन्य देशों ने जैसे कि फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया एवं रूमानिया आदि ने दो विश्व युद्धों के बीच में यथास्थिति की नीति को अपनाया। किन्तु ये देश यह घोषणा नहीं कर सकते थे कि उनकी विदेश नीति का लक्ष्य उनकी प्राप्ति की रक्षा करना है। इसका कारण यह था कि सन् १९१९ की वस्तुस्थिति को इन देशों में आन्तरिक रूप से एवं बाह्य रूप से चुनौती दी जाती थी। अतः इन देशों को इस चुनौती का सामना करने के लिए आदर्श सिद्धान्तों की रचना करनी पड़ी। अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं शान्ति के आदर्शों द्वारा उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति की।

जो देश यथास्थिति की नीति को अपनाता है वह आवश्यक रूप से शांति एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन बन जाता है। दूसरी ओर साम्राज्यवादी नीतियाँ यथास्थिति में रहोपदन करने के लिए प्रायः युद्ध का मार्ग भी अपना लेती हैं और इस प्रकार वह युद्ध की सम्भावना को सदैव ध्यान में रखती हैं। जो विदेश नीति शान्तिवाद का समर्थन करती है, वह साम्राज्यवाद का विरोध करती है तथा यथास्थिति को बनाये रखने का पक्ष लेता है। जब एक राजनीतिज्ञ अपनी यथास्थिति की नीति के लक्ष्यों को शान्तिवादी रूप में अभिव्यक्त कर देता है तथा अपने साम्राज्यवादी विरोधियों पर युद्ध प्रेमी होने का आरोप लगाता है तो वह अपनी तथा अपने देशवासियों की नैतिक चेतना को उभार देता है और ऐसी स्थिति में वह उन सभी देशों का समर्थन प्राप्त करने की आशा कर सकता है जो कि यथास्थिति में विश्वास करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आदर्श भी यथास्थिति की नीति के लिए समान मंडान्तिक कार्य करता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्य की सामाजिक

शक्ति होता है। यह युद्ध शक्तों में शक्ति के वितरण को परिभाषित करता है तथा युद्ध ऐसे मापदण्ड प्रदान करता है जिनके द्वारा इसे प्रयुक्त किया जा सकता है।

यथास्थिति की नीति का समर्थन करने के लिए कभी-कभी राष्ट्र सच जैसे अन्तर्राष्ट्रीय सपट्टक की भी प्रयोग में लाया जाता है। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद से ही इस नीति का समर्थन प्रायः कानूनी विचारधाराओं के आधार पर ही किया जाता है। यथास्थिति का बनाम रक्षण का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की रक्षा से लगाया जाता है। दोनों के बीच पारस्परिक शक्ति सम्बन्ध बना कर ही इस नीति के मानने वाले अपने समर्थकों की सहायता बढाते हैं। यह नीति सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की ओर भी प्रेरित हो सकती है क्योंकि यथास्थिति को बनाये रखने के समर्थक देश इसे बदलने वाले देशों के विरुद्ध सगठित हो सकते हैं। यथास्थिति की नीति की एक अन्य विचारधारा यह है कि छोटे राष्ट्रों के अधिकारों की रक्षा की जाए। यह विचारधारा इसलिए आवश्यक बन जाती है क्योंकि यथास्थिति में किये जाने वाले परिवर्तन प्रायः छोटे राष्ट्रों की जीमन पर ही किये जाते हैं।

साम्राज्यवाद की विचारधाराएँ

जब कोई देश साम्राज्यवाद की नीति को अपनाता है तो उसे अवश्य ही एक विचारधारा की आवश्यकता पड़ती है। ये देश जिस विचारधारा को भी अपनाते हैं उसका औचित्य सिद्ध करना इन देशों का उत्तरदायित्व बन जाता है। इन देशों ने यह सिद्ध करना होता है कि वे जिन यथास्थिति को बदलने जा रहे हैं उसे बदला जाना जरूरी एवं उचित है। इनके बाद जो शक्ति का नये सिरे से वितरण किया जाएगा वह नैतिक होगा तथा न्यायपूर्ण होगा। कोई भी युद्ध करने वाला देश अपने युद्ध का लक्ष्य सुरक्षा, सम्मान, सुविधा, उत्साह आदि विमो मो तत्व को बना सकता है।

साम्राज्यवाद की कुछ विचारधाराएँ कानूनी मान्यताओं का भी प्रयोग करती हैं, किन्तु ऐसा करते समय वे स्थित अन्तर्राष्ट्रीय कानून का हवाला नहीं देती। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों की प्रकृति कठोर एवं अपरिवर्तनीय होती है अतः उनको यथास्थिति का ही साथी मान लिया जाता है। दूसरी ओर साम्राज्यवाद की नीति गतिनील होती है। इन गतिनील विचारधारा की ही आवश्यकता रहती है। कहा जाता है कि प्राकृतिक कानून का सिद्धांत साम्राज्यवाद के सैद्धांतिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है।

साम्राज्यवादी राष्ट्र स्थित अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विरोध करने हैं क्योंकि वह यथास्थिति चाहता है; अतः उसे अन्यायपूर्ण बनाने हैं। उनके विरुद्ध उससे भी ऊँचा कानून बना देने हैं जो न्याय की मांगों को पूरा करता हो। नाज़ी जर्मनों ने वास्तविकी मन्धि वाली यथास्थिति को जब बदलने की मांग की तो उसका आधार समानता को बताया और कहा कि वास्तविकी मन्धि में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया था।

नाज़ी जर्मनी का उदाहरण तो ऐसा उदाहरण है जहाँ कि एक साम्राज्यवादी देश ने युद्ध में हारे हुए अपने भागों को वापिस लेने की मांग की थी, किन्तु यदि ऐसी स्थिति न हो तो भी साम्राज्यवादी देश कमजोर देशों की सत्ता को स्वर समान सकता है; और यह सब करते समय वह नैतिकता एवं मानवीयता के नाम की दुहाई देता है। वह इन्ने गिरे लोगों का दासित्व या ईसाइयों का वर्तमान या राष्ट्रीय मिशन आदि कुछ कह कर न्यायपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करता है। उपनिवेशी साम्राज्यवाद को ऊँचे ऊँचे सौडानिक नारों के नीचे ढबाने का प्रयास किया जाता है। अरब विस्तार के काल में अरब साम्राज्यवाद को यह कह कर जासोबिन ठहराया जाता है कि यह धार्मिक वर्तमानों को पूरा करने के लिए उल्लेखी था। इसी प्रकार नरोत्तियन का साम्राज्यवाद, स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुत्व के नाम पर योरोप भर में फैल गया। इसी प्रकार रूसी साम्राज्यवाद विश्व शांति एवं पूँजीवादी धेरे के विरुद्ध सुरक्षा के नाम पर फैल रहा है। अमरीकी साम्राज्यवाद भी साम्यवाद से सुरक्षा एवं स्वतन्त्र दुनिया के हितों की रक्षा के नाम पर बड रहा है।

आधुनिक समय में डार्विन तथा स्पेन्सर के सामाजिक दर्शनों के प्रभाव में साम्राज्यवादी विचारधाराओं ने जीव शस्त्रीय तरीकों को प्राथमिकता प्रदान की। योग्यता की विजय एवं अस्तित्व के लिए मरण के सिद्धांतों का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में ला दिया गया है। इससे परिणामस्वरूप सौनिक शक्ति की दृष्टि से उच्च देशों को कमजोर देशों की अपेक्षा अधिक सम्मान दिया जाता है। इस दर्शन के अनुसार यदि शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्रों पर प्रभाव नहीं रखता अथवा कमजोर राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र के बराबर होने का प्रयास करता है तो यह बात प्रकृतिक विरुद्ध मानी जायेगी क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार तो शक्तिशाली एवं योग्यता की विजय होनी ही चाहिए। शक्तिशाली राष्ट्र का स्थान सर्वोच्च है तथा वह पृथ्वी पर रत्न की भाँति है। एक अतिरिक्त अर्थन समाजशास्त्री का कहना था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में जर्मन हीरों की शिष्टेन के दुर्दान्तों के ऊपर

जीत हांवा अवश्यम्भावी था । जो जलिया कमजोर व घटिया दर्जे की हैं उनको अपने में उच्च जातियों की सेवा करना ही चाहिए । यह प्रकृति का कानून है और केवल दुष्ट व्यक्ति तथा मूर्ख ही इसका विरोध करेंगे ।

ये जीवनास्थायी हक फासीवाद, नाजीवाद एव जापान के साम्राज्यवाद द्वारा दिये गये । इन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्रकृति ने इन राष्ट्रों को परती का स्वामित्व करने के लिए भेजा है और जो इस कार्य में बाधा डाल रहा है वह प्रकृति के नियम का विरोध कर रहा है । इन तीनों राष्ट्रों ने बताया कि यद्यपि प्रकृति ने हमें विश्व का स्वामित्व करने के लिए भेजा है किन्तु कमजोर राष्ट्रों की चालाकी और हिमा के कारण वे अपने निश्चित पद पर नहीं हैं । इन राष्ट्रों को उन पूजावादी राष्ट्रों से लड़ना चाहिए ताकि अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें तथा जर्मनी, जापान और इटली अत्यधिक जनसंख्या के कारण अपनी विचारधारा को प्रभावशील रूप में प्रस्तुत कर सकें । उनका कहना था कि जर्मनी के लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है । यदि वे अतिरिक्त भूमि प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो समाप्त हो जायेंगे । यदि उनको पच्चे माल के और स्रोत नहीं मिले तो वे भूखे मर जायेंगे । कुछ थोड़े बहुत अन्तर के साथ यही विचारधारा इटली और जापान द्वारा अपनी प्रसारवादी नीतियों को उचित ठहराने के लिए और साम्राज्यवादी लक्ष्यों को छिपाने के लिए प्रयुक्त की गई ।

साम्राज्यवादी व्यवहार को न्यायोचित बतान तथा छिपाने के लिए देश साम्राज्यवाद विरोधी विचारधारा को अज्ञात है । इस विचारधारा के अनुसार एक देश यह सिद्ध करता है कि दूसरे देश शक्ति प्रान्ति की महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर अपनी नीतियों को संचालित कर रहे हैं तथा उसकी स्वयं की नीतियां शुद्ध रूप से भावार्थ उद्देश्यों की ओर प्रेरित है । इस विचारधारा को इसलिए अधिकतर प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह साम्राज्यवाद की विचारधाराओं में सर्वाधिक प्रभावशील है । हुएलांग (Hueylong) के कथनानुसार समुक्त राज्य अमेरिका में 'फासीवाद' फामीवाद विरोधी के रूप में आया । इसी प्रकार अनेक देशों में 'साम्राज्यवाद' साम्राज्यवाद विरोधी पदों में छिप कर आता है । पिछले दोनो महायुद्धों में नाग लेने वाले दोनो पक्षों का दावा था कि वे दूसरे पक्ष के साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी रक्षा कर रहे हैं । जर्मनी ने जब सन् १९४१ में मोवियत रून पर आक्रमण किया तो यह कहा था कि वह सोवियत संघ के साम्राज्यवादी इरादों को तोड़ने के लिए ऐसा कर रहा है । तृतीय विश्वयुद्ध के बाद से

साम्प्रदायी एव गैर-साम्प्रदायी दोनों गुटों के राष्ट्रों की विदेश नीतियाँ साम्राज्यवाद के विरुद्ध संचालित हो रही हैं। इस प्रकार के तर्कों के आधार पर एक देश अपनी जनता में सद्बुद्धि एवं विश्वास जागृत करके उनके कार्यों को न्यायोचित ठहराता है और उसके बाद वह जनता देश की विदेश नीति का सच्चे दिल से समर्थन करती है तथा इसके लिए सफलतापूर्वक लड़ती है।

अनेकार्थक एवं अस्पष्ट विचारधाराएँ

साम्राज्यवाद विरोधी विचारधारा की प्रभावशीलता उसकी अस्पष्टता एवं अनेकार्थकता से आती है। इस विचारधारा में देखने वाला निश्चिन्त रूप से यह नहीं जान पाता कि वह साम्राज्यवादी विचारधारा पर विचार कर रहा है अथवा यथास्थिति की नीति की सच्ची अभिव्यक्ति पर विचार कर रहा है। ऐसा प्रायः तब होता है जबकि एक विचारधारा किसी विशेष नीति को समर्थित करने के लिए नहीं अपनाई जाती और उसे यथास्थिति के समर्थकों एवं साम्राज्यवाद के समर्थकों दोनों ही द्वारा अपना लिया जाता है। उदाहरण के लिए शक्ति सन्तुलन (The Balance of Power) को लिया जा सकता है। अठारहवीं एवं उन्नीसवीं शताब्दी में इसे यथास्थिति के समर्थकों एवं साम्राज्यवाद के समर्थकों-दोनों द्वारा एक सैद्धान्तिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया। वर्तमान काल में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धान्त और समुक्त राष्ट्र सभ इस कार्य को निभा रहे हैं।

राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के आधार पर केन्द्रीय एवं पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रीयताओं की विदेशी प्रभावों से स्वतन्त्रता को उचित ठहराया गया। सैद्धान्तिक रूप से इनका विरोध किया गया था, किन्तु राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के आधार पर पुरानी साम्राज्यवादी व्यवस्था को मिटाना उचित बताया गया। पोलैण्ड, रूमानिया, यूगोस्लाविया आदि देशों में पुरानी साम्राज्यवादी व्यवस्था हट गई तथा एक रिक्त स्थान बन गया। इस स्थान पर नवीन स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने लगे। जो ही उन्होंने शक्ति प्राप्त की तो वे अपनी नई यथास्थिति की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धान्त का समर्थन करने लगे।

हिटलर ने अपने प्रचार कार्य की प्रभावशीलता के कारण राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धान्त पर करारी चोट की ताकि वह अपनी प्रादेशिक प्रसार की नीतियों को छिपा सके एवं उचित ठहरा सके। चैंकोस्कोवाकिया और पोलैण्ड में रहने वाले जर्मन अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के भडे के नीचे इन देशों के राष्ट्रीय अस्तित्व को मिटाने के लिए वही कार्य करने लगे

जा कि चैंकस्लोवाक और पोलिस राष्ट्रीयताओं ने इसी सैदान्तिक लक्ष्य के नीचे आस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्य को मिटाने के लिए किया था । इस प्रकार साम्य की सन्धि की दशास्थिति से लाभान्वित होने वाले देशों का सैदान्तिक हथियार उन्हीं के विरुद्ध चला गया । अब उनके पास दशास्थिति की रक्षा करने के लिए कोई विचारधारा नहीं रही और अब वे कानून और व्यवस्था की दुहाई बन लगे । चैंकस्लोवाकिया के साठवें में आधुनिक समझौता हुआ उनमें ही राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धान्त उलझा हुआ था । इस काल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में विचारधाराओं का जो महत्व एवं प्रभाव रहा उसका उदाहरण मानव इतिहास में कहीं नहीं मिलता । इस काल में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की छापट एवं अनेकार्थक विचारधारा का अधिकतम प्रयोग किया गया ।

संयुक्त राष्ट्र सभ की जब स्थापना की गई तो उसे चीन, फ्रांस, ब्रिटन, सोवियत सभ तथा संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा दशास्थिति को बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किया गया जो कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इन शक्तियों की विषय के कारण बनती थीं । द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने के कुछ ही दिन बाद विभिन्न राष्ट्रों के विरोधी दावों एवं व्याख्याओं के कारण यह सिद्ध हो गया कि दशास्थिति केवल सामयिक है । ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र सभ की विचारधारा को इन देशों के द्वारा अपने लक्ष्यों को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तथा अपने विशेष दावों को दिखाने के लिए प्रयुक्त किया गया । अब सभी राष्ट्र अपने-आपको संयुक्त राष्ट्र सभ का एक ही समर्थक बहने लगे और अपनी विदेश नीतियों के समर्थन में उनके चार्टर का उद्धरण देने लगे । इन देशों की नीतियाँ परस्पर विरोधी होती हैं किन्तु फिर भी संयुक्त राष्ट्र सभ और उसके चार्टर का समर्थन एक विचारधारागत प्रदात बन गया जिसके द्वारा एक देश की नीतियाँ सामान्य रूप से समर्थित सिद्धांतों के प्रकाश में नहीं सिद्ध की जा सकें और उनकी सही प्रकृति को दिखाना जा सके । संयुक्त राष्ट्र सभ के अनेकार्थक स्वरूप ने एक ऐसा हथियार प्रदान किया जिसके द्वारा राष्ट्रों का विरोध और मिथों का समर्थन किया जा सके ।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शक्ति की विचारधारा को इन शक्तियों को सम्पन्न करने में योग दे रही है । आज वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के कारण युद्ध का स्वरूप पर्याप्त विध्वंसकारी बन गया है और कोई भी देश अपनी विदेश नीति पर अपनी अनुराधा एवं दूसरे देशों का समर्थन उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उनके

अभिप्राय शांतिपूर्ण हैं। अपने विरोधियों को बदनाम करने के लिए आज उन्हें 'शांति विरोधी' 'शांति भानी' एवं 'शांति विघ्नसक' आदि कहने का रिवाज हो गया है। आज शांति की दुहाई देना और अपने उद्देश्यों को शांतिपूर्ण बताना विलुप्त अर्थहीन बन गया है क्योंकि कोई भी देश शांतिवादी विदेश नीति को आज इसलिए नहीं अपनाता क्योंकि उसे शांति से प्यार है वरन् इसलिए अपनाता है, क्योंकि वह युद्ध छेड़ कर जातिम नहीं लेना चाहता। वर्तमान युद्ध का अकल्पनीय विध्वंसिता के कारण प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को शांतिपूर्ण साधनों से प्राप्त करने का ही प्रयास करेगा। किन्तु फिर भी शांति का नाम लेकर एक देश दो महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य करता है। प्रथम, वह अपनी वास्तविक नीति के उद्देश्यों को छिपाना चाहता है और दूसरे, वह अपनी नीतियों के लिए सर्वत्र सद्भावना प्राप्त करना चाहता है।

प्रजातन्त्रात्मक एवं साम्यवादी विचारधाराएँ

(The Democratic and Communist Ideology)

यद्यपि प्रत्येक विचारधारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का प्रभावित कर सकती है किन्तु फिर भी जो विचारधारा एक सगठित आन्दोलन द्वारा समर्थित होती है अथवा जो राजनीतिक संस्थाओं का रूप ले लेती है उसका प्रभाव अधिक होता है। कुछ विचारधाराएँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों से दूर का रिश्ता रखती हैं अतः उनका प्रभाव भी अपेक्षाकृत कम होता है। किन्तु जो विचारधाराएँ ऐसे मूल्यों को अभिव्यक्त करती हैं जिनका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ता उनका प्रभाव अधिक होगा। इस दृष्टि से राष्ट्रवाद का नाम लिया जा सकता है क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मूल्यों को अभिव्यक्त करता है तथा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के निर्देशक का भी काम करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रवाद एक सार्वभौमिक विचारधारा है। यह अधिकांश साम्यवादियों, प्रजातन्त्रवादियों, फासीवादियों, आदि की विचारधाराओं का एक भाग है। राष्ट्रवाद के अतिरिक्त साम्यवाद भी अपने मित्रों, दुश्मनों एवं निष्पक्षों के मतानुसार एक सर्वाधिक प्रभावशील विचारधारा है। लगभग एक-तिहाई मानव जाति साम्यवाद के क्षेत्र में आती है। इसके अतिरिक्त प्रायः सभी राष्ट्रीय समाजों में साम्यवादियों का प्रभाव है। आज लगभग एक तिहाई सत्तार साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है। यह मत सभी विचारकों को मान्य नहीं है। कुछ का कहना है कि यह सत्य न होकर केवल भ्रम है और इसका कारण यह है कि साम्यवादी नेता अपने देश में जनमत पर नियन्त्रण रखते हैं, उसका अवहलना करते हैं। एक

अन्य विचारधारा फासीवाद एवं नाज़ीवाद द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व इटली और जर्मनी में पनपी। किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध में घुरी राष्ट्रों की हार के बाद एक सगठित शक्ति के रूप में यह समाप्त हो गई। बाद में कुछ देशों में इसे दूसरे नामों से तथा भिन्न माना न अपनाया गया। फासीवाद और साम्यवाद धनक धर्यों में एक जैसे धम हैं और दोनों के सिद्धांत पर्याप्त मेल पाते हैं किन्तु उदारवादी और प्रजातन्त्रात्मक विचारधारारों इतना घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं रखती।

१९वीं शताब्दी के उदारवाद ने अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था कि समाजवाद के ठीक विपरीत है। किन्तु आज इस नीति को हर जगह अस्वीकार कर दिया गया है और इसलिए समाजवादी भी यह दावा करत लगे हैं कि वे अधिक उदार है। आज के स्वतन्त्र समाज की विचारधाराओं को अभिव्यक्त करने के लिए पूँजीवाद, उदारवाद, कल्याणकारी पूँजीवाद, प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिन देशों में प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था नहीं है वहाँ भी प्रजातन्त्र को अच्छी निगाह से देखा जाता है। साम्यवादी देश अपनी व्यवस्था के अतिरिक्त व्यवस्थाओं का प्रजातन्त्रात्मक मानने से इनकार करते हैं। उनका यह दावा है कि केवल साम्यवादी देश में ही अच्छा प्रजातन्त्र रह सकता है—अन्य देश तो नाम के लिए ही प्रजातन्त्रात्मक हैं। वास्तविकता यह है कि वे प्रजातन्त्र के नाम से अपने पूँजीवादी रूप पर पर्दा डालना चाहते हैं जिसमें कि शोषण है, अन्याय है, अनमानता है तथा अनमानवीयता है। इस प्रकार वर्तमान विश्व मुख्य रूप से दो विचारधारारों के प्रभाव में है—प्रजातन्त्र और साम्यवाद। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं तथा दोनों विरोधी लक्ष्यों की पूर्ति का साधन बन रही हैं। इनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है—

(१) प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा (The Democratic Ideology)—यहाँ प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा से हमारा अर्थ सौधानिक प्रजातन्त्र से है; नदीकि गेते ता साम्यवादी भी अपने आपको प्रजातन्त्रवादी कहते हैं तथा उनका दावा है कि उनके यहाँ प्रजातन्त्र का व्यवहार होता है, वह केवल कामगार पर निवे गये कुछ अधिकारों का सकलनमात्र नहीं है। सौधानिक प्रजातन्त्र देश के सविधान को प्रजातन्त्रात्मक रूप देने पर अधिक जोर देता है और इसका विश्वास है कि ऐसा करने से प्रजातन्त्र धीरे धीरे किन्तु निश्चित रूप में स्वत हो या जायेगा।

प्रजातन्त्र को एक विचारधारा के रूप में तथा व्यवहार के एक तरीके के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसे मूल्यों की व्यवस्था तथा

निर्णय लेने का एक तरीका माना जाता है। इस प्रकार 'प्रजातन्त्र' समाज की सामान्य प्रवृत्ति का प्रदर्शन करना है। प्रजातन्त्र का केन्द्र बिन्दु प्रत्येक व्यक्ति की समानता एवं सम्मान को समझना जाना है। उदार सर्वैधानिक प्रजातन्त्र की वर्तमान विचारधारा का जन्म मानवतावादों एवं ईसाई धर्म की सामान्य परिवर्तनी परम्पराओं में हुआ है। इसके विकास पर उन विचारों का प्रभाव पड़ा है जो कि १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ग्रैट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, आदि देश में पनपे तथा प्रचारित हुए। प्रजातन्त्र कोई एक संक्षिप्त घमाचरण नहीं है जो कि किसी एक पुस्तक के कुछ पृष्ठों में पाया जाना हो जहाँ से पढ़ कर उसे समझा जा सके। इसके विपरीत प्रजातन्त्र तो उन अनेक सिद्धांतों एवं मान्यताओं का सङ्कलन है जो कि वाणिज्य, अर्थसंज्ञ, विज्ञान, एवं क्लाइमेट से लेकर आज तक के राजनैतिक विचारकों के लेखों में पाये जाते हैं। प्रजातन्त्र के ये सिद्धांत अनेक महत्वपूर्ण अभिनेत्रों में पाये जाते हैं जैसे मैगनाकार्टा, स्वतन्त्रता का अमरीकी घोषणापत्र, सघीय संविधान एवं अधिकार विधेयक, नागरिक कानून अधिनियम आदि।

प्रजातन्त्र की मूल रूप-रचना में कुछ केन्द्रीय विरवाम होते हैं। इन विषयानों की साधना में सलग्न व्यवस्था को ही प्रजातन्त्रात्मक माना जा सकता है और जो व्यवस्था इनकी अव्यक्ति के मार्ग में बाधा बनती है वह अप्रजातन्त्रात्मक नहीं जाती है। प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था की ये मूल मान्यतायें निम्न प्रकार हैं—

१. प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तिगत रूप से महत्त्व है। उसकी स्वतन्त्रता, सम्मान एवं कल्याण की रक्षा एवं अभिवृद्धि प्रत्येक राज्य का दायित्व है।

२. सरकार अपनी शक्तियाँ प्रशासितों की स्वीकृति में प्राप्त करती है। ऐसी स्थिति में जनता अपना प्रहामन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं ही करती है। उसे अपनी सरकार के रूप के सम्बन्ध में चयन की पूरी स्वतन्त्रता है।

३. सर्वैधानिक व्यवस्था का यह उत्तरदायित्व है कि न्याय की अभिवृद्धि कर, कानून के शासन की स्थापना कर तथा व्यक्ति के न हाने जाने वाले अधिकारों की स्वच्छाचारी आचरण के विच्छेद रक्षा करे।

४. प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह शासक अधिकार और सामाजिक जीवन धर्मोत्तर करने का अवसर प्राप्त करे। राज्य द्वारा उसे ऐसा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

५. व्यक्तियों तथा समूहों को अपने मित्त मन एवं हृष्टिकोण प्रकट करने की म्यन-प्रना रहनी चाहिए और राज्य का यह कर्तव्य है कि यह इन प्रकार की स्वतन्त्रता की रक्षा करे।

६. यह व्यवस्था अपने विधान के मार्ग पर है। यह नवीन परिस्थितियों में अपने मून्यों को बनाय रखन के लिए नय रास्त प्रदान करती है।

७. प्रजातन्त्रात्मक मूल्य उन अतिकारों पर जोर देन हैं जिनको सार्वभौमिक माना गया है।

प्रजातन्त्र के ये विश्वास राजनैतिक जीवन का रूप टानने हैं। इनके धाधार पर कुछ मौलिक मूल्यों, लक्ष्यों तथा अतिकारों एवं कर्तव्यों के समायोजन के सामनों को सामान्य स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन विश्वासों की प्रकृति ही ऐसी है जो कि परिवर्तन के लिए अवसर प्रदान करती है। इनमें राजनैतिक प्रक्रिया के प्रति व्यावहारिक हृष्टिकोण भरनाया जाना है। सधर्षों के समायोजन को शक्तिपूर्ण साधनों द्वारा सस्थापित रूप प्रदान कर दिया जाता है।

प्रजातन्त्र की यह विचारधारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव रखती है। समानता का प्रजातन्त्रात्मक भावना केवल राष्ट्रीय सीमाओं तक ही परिमित नहीं रह जाता, क्योंकि प्रजातन्त्र किसी एक देश विशेष के लोगों की समानता में ही विश्वास नहीं करता बरन् वह तो मनुष्य मात्र की समानता में विश्वास करता है। ऐसी स्थिति में इन भावनाओं को राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर भी लागू किया जा सकता है तथा किया जाना चाहिए। प्रजातन्त्रात्मक भावनाओं को जब अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है तो अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती हैं जो कि इसलिए उत्पन्न होती हैं कि राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर सामाजिक एकता एवं ठोसपन नहीं रहता; दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक समझौतों की तकनीकें प्रभावशील नहीं हैं, और तीसरे, राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया प्रत्येक देश में चलती रहती है। एवाइजर महाशय का यह कथन पर्याप्त अर्थपूर्ण है कि चाहे कारण कुछ भी हो किन्तु समानता विरोधी प्रजातन्त्रात्मक भावनाओं को प्रजातन्त्रात्मक सरकारों एवं लोगों को ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करने में रुचिनाई होती।

प्रजातन्त्रात्मक भावनाओं की राष्ट्रवाद के साथ भी कुछ समझौते बसाई जाती है। यह कहा जाता है कि प्रजातन्त्र व्यक्ति को सर्वोच्च लक्ष्य मानता है तथा राज्य को मानवीय कल्याण का एक साधन मात्र कहता है। दूसरी

और राष्ट्रवाद राज्य को सर्वोच्च मूल्य प्रदान करता है। प्रजातन्त्र 'व्यक्तिगत स्वतन्त्रता' को भी उच्च मूल्य प्रदान करता है। प्रजातन्त्रात्मक देश का नागरिक अपने अधिकारों का पूरा ध्यान रखने हुए दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों को भी पूरा सम्मान देना है। वैसे पूर्ण स्वतन्त्रता तो एक अभावहारिक मार्ग है और आंशिक स्वतन्त्रता का अर्थ हमेशा कुछ लोगों की अधीनस्थता तथा कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है। इन विरोधाभासों को कातून के अतर्गत स्वतन्त्रता की मान्यता द्वारा कम करने का प्रयास किया जाता है। स्वतन्त्रता केवल तभी रह सकती है जबकि एक मान्य व्यवस्था कायम की जाये।

प्रजातन्त्र का सम्बन्ध प्रत्येक जगह व्यक्ति की स्वतन्त्रता को अधिक से अधिक बनाने से रहता है। अतः यह स्वतन्त्रता को प्रत्येक बाधा का विरोध करता है। दूसरी ओर 'राष्ट्रवाद' व्यक्ति को राज्य का अधीनस्थ बना देता है। राष्ट्रवादी द्वारा राष्ट्रीय सम्प्रभुता पर जोर दिया जाता है और इसलिये वह प्रत्येक बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है, चाहे वह प्रजातन्त्र के अनुकूल हो अथवा न हो। इस प्रकार राष्ट्रवाद और प्रजातन्त्र दोनों अपने शुद्ध रूप में साथ साथ नहीं चल सकते। इसके लिये एक सुझाव यह दिया जाता है कि मानवीय अधिकारों के विषय को राज्यों के क्षेत्राधिकार से निकाल लिया जाये तथा उनको अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का विषय बना दिया जाये।

प्रजातन्त्र की विचारधारा साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति को निर्णय लेने में हाथ बटाने का अवसर प्रदान किया जाता है। यह स्वायत्त सरकार का एक मूल लक्ष्य तथा आदर्श है। किन्तु साम्राज्यवादी व्यवस्था में वेद न कुछ लाभ अन्य ममी पर आनन करते हैं जिनको निर्णय लेने की प्रशिया में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाता। साम्राज्यवादी व्यवस्था को प्रजातन्त्रात्मक केवल तभी बनाया जा सकता है जबकि निर्णय की प्रशिया में भाग लेने से वंचित किये गये पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किया जाये।

यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रजातन्त्रात्मक व्यवहार के प्रभाव का अध्ययन करें तो पायेंगे कि यह अनेक प्रकार से इसके व्यवहार का रूप निर्धारण करती है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रजातन्त्रात्मक व्यवहार यह होता है, जो कि जातीय, धार्मिक, सामाजिक, एक राष्ट्रीय स्तर की ओर ध्यान दिए बिना ही सभी व्यक्तियों के कल्याण का प्रयास करता है। इसके

प्रजातन्त्रात्मक रूप का अर्थ विशेष रूप से यह है कि किसी भी देव का बरपाण दूसरे देव के विरुद्ध नहीं किया जायेगा । एक को दवा कर अन्य को उठाना प्रजातन्त्रात्मक प्रक्रिया नहीं है । मानवों में यह है कि विश्व मनाश का सामाजिक तथा आर्थिक एकीकरण कर दिया जाये ।

दूसरे, एक राज्म का मूल्यांकन इन आचार पर किया जायेगा कि उसने व्यक्तिगत सम्मान और गौरव की प्रमिष्टुष्टि में कितना योगदान किया है । ऐसा करने समय केवल उस देव के नागरिकों की दृष्टि में ही विचार नहीं किया जायेगा बल्क सामान्य मानव जाति की दृष्टि में ही विचार किया जायेगा । राज्य अपने आपमें कोई लक्ष्य नहीं होता है और इसलिए यदि राज्य किसी व्यक्ति या समुदाय की स्वतन्त्रताओं पर प्रतिक्रिया करता है तो उसे ऐसा करते समय व्यक्ति की अधिक स्वतन्त्रता एवं मूल्यों की रक्षा को ध्यान में रखना चाहिए ।

तीसरे, सम्प्रभुता मानवीय अधिकारों एवं अन्य मूल्यों की रक्षा के मार्ग में नहीं आनी चाहिए । उसे प्रजातन्त्रात्मक विचारों तथा विश्वासों के मार्ग की बाधा नहीं बनना चाहिए ।

चौथे, प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा उन तत्त्वों की स्थापना में सहयोग देगी जो व्यक्ति की शान्तिपूर्ण सार्वभौमिकता से उन महत्त्वपूर्ण निर्यातों के लेने में योगदान का अवसर प्रदान कर सकें जो कि उनके हितों एवं मूल्यों का प्रभावित करते हैं । समान व्यक्तियों द्वारा सममान शक्तियों के उपयोग के प्रत्येक प्रमाण को रोकना जायेगा । प्रत्येक समूह को प्रतिनिधि नेजने तथा मतदान करने का अधिकार उनी अनुपात में सौंपा जायेगा जिनकी कि उनके सदस्यों की संख्या है । प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था अन्य व्यक्तियों पर कुछ व्यक्तियों के शासन का विरोध करती है अतः यह अनिर्विण्णवाद के प्रत्येक रूप का विरोध करेगी ।

पाचवें, प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा लोगों के शान्तिपूर्ण निपटारे के लिए उपयुक्त एवं अनुकूल वातावरण सौंपार करती है । साथ ही यह बहुमत की इच्छानुसार शान्तिपूर्ण परिवर्तन में विद्यमान करती है । दूसरी ओर इसके द्वारा कुछ प्रजातन्त्रात्मक सुरक्षाओं भी लगाई जायेंगी जिनके आधार पर अधिक से अधिक लोगों की सुरक्षा एवं कल्याण की व्यवस्था की जा सके ।

ये कुछ प्रजातन्त्र की विशेषताएँ हैं जो कि अपने प्रभावशील रूप द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं । कुछ विचारकों का यह कहना है कि प्रजातन्त्रात्मक मूल्यों को प्रभावशील बनाने का प्रमाण करना

उपयोगी रहेगा या नहीं रहेगा—इसके सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मानवीय इतिहास में ऐसे अनेक अत्याचारों के उदाहरण प्राप्त होते हैं जो कि अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गये थे। प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति विभिन्न दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों के प्रति सहनशील होता है। वह सभी सत्यों की ओर सदेहशील नजर से देखता है यहाँ तक कि स्वयं के सत्य पर भी उसे पूरा विश्वास नहीं होता।

(२) साम्यवादी विचारधारा (The Communist Ideology)—साम्यवाद की विचारधारा का रूप एक तत्त्व दोनों ही प्रजातन्त्र की विचारधारा से भिन्न होते हैं। साम्यवाद की प्रकृति मूल रूप से सत्तावादी होती है और इसलिए यह प्रजातन्त्र की अपेक्षा कम अस्पष्ट हो सकती है। प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था का कोई ऐसा प्रणेतृ नहीं है जैसा कि हमको साम्यवाद में देखने को मिलता है। इसी प्रकार प्रजातन्त्र की कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे 'दास कॉपीटल' या 'साम्यवाद घोषणा-पत्र' की भाँति गीता समझा जा सके। प्रजातन्त्र को लेनिन, स्टालिन, ख्रुश्चेव या माप्रो-सेतुङ्ग जैसे नेताओं द्वारा सत्तापूर्ण ध्यात्पायें पदान नहीं की गई है। परिणामस्वरूप साम्यवाद के अनुयायी के लिए एक विशेष समय में पूर्ण सत्य का स्पष्ट ज्ञान हो सकता है। किन्तु एक क्षण का उसका पूर्ण सत्य दूसरे ही क्षण का पूर्ण असत्य भी बन सकता है।

कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माप्रो-सेतुङ्ग आदि के लेखों द्वारा साम्यवाद की जो विचारधारा सामने आई है उसकी अनेक मूल मान्यताएँ हैं। इन मान्यताओं में प्रथम यह है कि इतिहास एक निरन्तर सघर्ष की कहानी है जिसमें साम्यवाद की प्रगतिशील शक्तियों का पूँजीवाद की प्रतिक्रियावादी शक्तियों द्वारा विरोध किया गया है किन्तु वर्ग सघर्ष में पूँजीवादी शक्तियाँ समाप्त कर दी जायेंगी।—

दूसरे, साम्यवाद और उदार सवैधानिक प्रजातन्त्र के बीच मूलभूत सघर्ष है और इस केवल साम्यवाद की अन्तिम विजय द्वारा ही मिटाया जा सकता है। साम्यवादी दल तथा राज्य को अपने मारे साधन इस सघर्ष में प्रयुक्त करने चाहिए। ऐसा करते समय लेनिन का यह बखन ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ विजय अनिश्चित हो वहाँ निर्णयार्थक रूप में न उलझा जाये और जहाँ सोवियत सघर्ष के माध्य के लिए जोरित है वहाँ पूर्णतः निर्णयार्थक रूप से उलझना माना जायेगा।

तीसरे, साम्यवादी विचारधारा एक वर्गहीन समाज की रचना का समर्थन करती है तथा यह अन्तिम रूप से राज्य की समाप्ति के लिए प्रयत्न-

शील है। साम्यवाद के माध्यम से पूँजीगत धन का गरीब मजदूर वर्ग में पुनः वितरण किया जायेगा, अधिक विकास किया जायेगा तथा जनसाधारण का शोषण समाप्त किया जायेगा।

चीने, साम्यवादी दल मजदूर वर्ग की तातागाही का प्रतिनिधित्व करता है। यह सभी देशों में साम्यवाद की प्राप्ति का साधन है। साम्यवादी दल पूर्ण शुभ है। यह पूर्ण आजागरिता की न्यायोचित उद्हराता है।

पाचवें, साम्यवाद के लक्ष्य एवं तरीकों की दृष्टि से शक्ति एवं शक्ति सघर्ष मूल साम्यवादी हैं। लेनिन, स्टालिन तथा माप्रोत्तेतुङ्ग आदि ने मुख्य रूप से शक्ति प्राप्त करने एवं एकीकृत करने की रणनीति तथा तकनीकों का वर्णन किया है।

छठे, विचारधारागत एवं दलीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपायों की सोचशीलता की अनुमति प्रदान की गई है। अनुयायियों को साम्यवाद के लक्ष्यों की साधना के लिए कोई भी साधन अपनाने की स्वतन्त्रता है। गैर-साम्यवादी व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए, विरोधियों के विरोधों का नाम उठाने के लिए तथा कान्तिकारी दृष्टियों की रचना को प्रोत्साहन देने के लिए साम्यवादी अन्दोलन के कर्ता कोई भी साधन अपना सकते हैं।

साम्यवादी रुत एवं अन्य साम्यवादी देशों में साम्यवादी दल की शक्ति के एकाधिकार को विचारधारा के आधार पर न्यायोचित उद्हराया जाता है। इसके द्वारा राजनीति एवं क्रियाओं की वैयक्तिकता तथा बौद्धिकता को सिद्ध किया जाता है। साम्यवादी छोटे देशों में राज्य की विचारधारा सोवियत प्रभाव एवं निर्देशन के साधन के रूप में कार्य करती है। गैर-साम्यवादी देशों में यह दल के पक्के समर्थक छांटने का कार्य करती है। रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों में होने वाली सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति ने साम्यवादी सिद्धांत की व्याख्या करने में पर्याप्त सोचशीलता ला दी है। किन्तु चीन के साम्यवादी नेता मानस एवं लेनिन के कथनों के अनुसार चलना चाहते हैं और इन कथनों का जरा भी उल्लंघन करना उनकी दृष्टि से साम्यवाद के विरुद्ध है। सोवियत प्रवक्ताओं के द्वारा जो उदार व्याख्याएँ प्रस्तुत की जाती हैं उनको चीनी नेता 'सशोषणवाद' कहते हैं तथा साम्यवाद के लक्ष्य से पीछे हट जाना मानते हैं। पहले साम्यवादी रुत तथा पश्चिमी शक्तिधर्मों के बीच एक स्पष्ट किन्तु कठो विभाजक रेखा थी तथा उनके बीच किसी प्रकार के सम्बन्ध, सशिव या विचार-विमर्श की माशा ही नहीं की जाती थी, किन्तु आज रुत

का दृष्टिकोण कुछ उदार हो गया है। यद्यपि अब भी सोवियत सभ कुछ सीमाओं में रह कर ही पश्चिमी शक्तियों से बात करता है। साम्यवादी चीन की अपेक्षा इस में अधिक सहनशीलता है।

प्रजातन्त्र एवं साम्यवाद का इन दोनों विचारधाराओं के बीच पारस्परिक आदान-प्रदान चाहे या अनचाहे रूप में अवश्य ही रहता है। फ्रांस, इटली आदि अनेक देशों में साम्यवादी दल कानूनी दल है तथा जनता के समर्थन को प्राकृष्टिकर रहा है। यह सार्वजनिक भ्रमतोष का साम उठा कर तथा अपने दल के पक्ष में प्रचार करके चुनावों के समय पर्याप्त मन प्राप्त कर लेता है। इतने पर भी यह आशा नहीं की जा सकती कि किसी पश्चिमी प्रजातन्त्र में सामान्य स्थिति के अन्तर्गत साम्यवादी शासन स्थापित हो जायेगा।

[विश्व राजनीति के व्यापक पटल पर आज सोवियत सभ शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पक्षपाती बन गया है तथा पश्चिमी शक्तियों के साथ निःशस्त्रीकरण, आर्थिक सहयोग, विश्व शान्ति आदि अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मिल कर चलने का प्रयास करता है। कुछ विचारकों का यह मत है कि सोवियत सभ की नीति में आये हुए इस परिवर्तन का कारण यह है कि वह पश्चिमी शक्तियों द्वारा उस पर रखी जाने वाली कड़ी नजर एवं सावधानी को ढीला करना चाहता है। दूसरे, वह नव स्वतन्त्रता प्राप्त राष्ट्रों को यह दिखाना चाहता है कि अपने स्टालिन की आक्रमणकारी नीतियों को त्याग दिया है। ऐसा करके वह यथास्थिति को बनाये रखना चाहता है। इसका अर्थ यह नहीं होना कि साम्यवाद ने पश्चिम के साथ अपने संपर्क को समाप्त कर दिया है।]

पश्चिम के साथ सोवियत सभ का संपर्क आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा है। प्रत्यक्ष रूप से यह आर्थिक, राजनैतिक एवं प्रचार के शस्त्रों द्वारा संपर्क में रह है तथा अप्रत्यक्ष रूप से इसने विनामशील देशों में मनमुटाव पैदा किया है। इन संपर्क का परिणाम बहुत कुछ इन दान पर निर्भर है कि विनामशील देशों में क्या होता है। सहायता कार्यक्रम, सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं राजनैतिक समर्थन आदि सभी कार्यों के पीछे एक ही लक्ष्य है और वह यह है कि इन देशों की मित्रता प्राप्त की जाये तथा भविष्य के लिए उनका प्रयासों को निर्देशित किया जाये।

साम्यवादी विचारधारा अब स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित हो गई है। मास्को तथा पीकिंग के नेतृत्व के बीच जो संपर्क की खाई बढ़ती जा

रही है उसकी कल्पना सन् १९१६ में नहीं की जा सकती थी। इस सपने की स्थापना एक प्रभाव पर्याप्त है। चीन के नेता यह मानने से अस्वीकार करने हैं कि सोवियत रुम विश्व साम्यवाद का नेता तथा संचालक है। इस प्रकार इन दोनों देशों के बीच विरोध पैदा हो गया है—यत्र विरोध नेतृत्व के लिए विरोध है। इनमें उम धाधार को नाश कर दिया है जिस पर कि सोवियत सभ व साम्यवादी चीन के बीच सर्वप्रथम नाईचारे के सबब स्थापित हुए थे। इन दो महा शक्तियों के मजबूतों का प्रभाव केवल इनके पारस्परिक सम्बन्धों तक ही सीमित नहीं रहता। यह विश्व साम्यवादी आन्दोलन में सपनों की रचना करना है। छोटे राज्यों का दलीय नेतृत्व भी एक कठिन स्थिति में आ जाता है क्योंकि वह यह नहीं समझ पाता कि किसके निर्देशनों को मानकर भागे बड़े। इससे एशिया और अफ्रीका के देशों में दोनों देशों की प्रतिद्वन्द्विता बढ़ जाती है। भारत पर चीनी आक्रमण के मगर यह बात मिट्ट हो गई कि सावित्रण सभ एवं साम्यवादी चीन दोनों एक ही विचारधारा को मानने वाले देश होने हुए भी एक दूसरे के मक्षट में कितने महारक बन सकते हैं। भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण के मगर भी रुम द्वारा धमकाया जाने वाला रबेमा साम्यवादी चीन द्वारा अनाय जाने वाले रबेय से मित था।

इस समय अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर विचारधारा का प्रभाव उतना नहीं है जितना कि यह जितना समय था। विश्व राजनीति में राज्यों के व्यवहार की प्रकृति महानविष गुणान्त के इन कथन से स्पष्ट हो जाती है कि देश धान की स्थिति में कुछ भावनाओं प्रदर्शित करते हैं, कुछ बड़ी प्रातिक्रियाओं, कुछ कठोरताओं और यहां तक कि कुछ अकडूपन भी।

साम्यवादी विचारधारा जिस रूप में साम्यवादी राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को प्रभावित करती है उसे निर्धारित करना बड़ा कठिन है। विभिन्न समयों एवं स्थानों पर इसके अर्थ अलग-अलग रह हैं किन्तु फिर भी कुछ एक ऐसे तत्व हैं जो कि इन दृष्टि से महत्वपूर्ण मान जा सकते हैं। साम्यवादी देशों विरुद्ध की पटनाओं को देखने के लिए एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह विचारधारा यह मान कर बनती है कि इतिहास कुछ ऐतिहासिक बानूनी को मान कर बनता है जिन्हें नीतिक दशाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। सत्ताओं तथा सत्कृति और कुछ भी नहीं है वरन् सामाजिक विकास के एक विशेष स्तर पर पाई जान वाली नीतिक दशाओं की ही अभिव्यक्ति मात्र है। यद्यपि व्यक्ति ऐतिहासिक परिवर्तन के मूल रूप को नहीं बदल सकता किन्तु फिर भी वह प्रारिहायों को शीघ्रता तक करता है।

यदि साम्यवादी देशों के निर्णायक अपनी विचारधारा को गम्भीरता के साथ मान कर चलें तो उनका विश्व के प्रति दृष्टिकोण अनेक प्रकार से प्रभावित होगा। प्रथम, साम्यवादी एवं पूँजीवादी राज्यों के बीच सघर्ष को अपरिहार्य माना जायेगा। दूसरे, यह समझा जायेगा कि समय साम्यवाद के पक्ष में है तथा पूँजीवादी राज्यों के विरुद्ध है। तीसरे, चीन और सोवियत सघ प्रगतिशील शक्तियों के नेताओं के रूप में अपने राष्ट्र-राज्यों की ओर में ही नहीं लड़ रहे हैं वरन् प्रत्येक जगह रहने वाले सर्वहारा के लिए लड़ रहे हैं। वैसे लेनिन द्वारा विकसित साम्यवादी विचारधारा केवल यह कहती है कि पूँजीवाद में एकाधिकार के परिणामस्वरूप साम्राज्यवाद आता है और साम्राज्यवाद के परिणामस्वरूप पूँजीवादी राज्यों के बीच अपरिहार्य रूप से युद्ध होते हैं। साम्यवादी विचारधारा कही भी यह नहीं कहती कि साम्यवादी राज्यों को अपने हितों की साधना के लिए युद्ध का मार्ग अपनाना चाहिए। इतने पर भी साम्यवादी लोग यह कहते हैं कि प्रगतिशील शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए न्यायपूर्ण युद्ध लड़ा जा सकता है। वैसे साम्यवादी लोग सघर्ष को अपरिहार्य मानते हैं किन्तु युद्ध को नहीं। इस प्रश्न पर लुश्चेव तथा माओ त्से तुङ्ग के बीच पर्याप्त मतभेद था। माओ के मतानुसार पूँजीवाद के साथ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व का लुश्चेव का विचार लेनिन के सिद्धान्तों से भ्रष्ट होना है। जब हम सघर्ष को अपरिहार्य मान रहे हैं और समय हमारे पक्ष में है तो युद्ध क्यों न किया जाए। दूसरे सोवियत रूस के विचारक यह कहते हैं कि विजय के लिए कोई कार्यक्रम का समय निश्चिन नहीं है—कब हमें आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है, यह घटनाओं के द्वारा तय किया जाएगा। यदि पूँजीवादी प्रजातन्त्र अपरिहार्य को रोक सकें तो वे अपने मन को भी अनिश्चित काल के लिए रोक देंगी। साम्यवाद की विचारधारा के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संहारा वर्गों की सेवा करना मुख्य उद्देश्य है। इसलिए साम्यवादियों को प्रत्येक जाह नैतिक, प्राकृतिक एवं प्रगतिशील वर्गों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद को मुख्य स्थान देना चाहिए तथा सोवियत सघ और अन्य साम्यवादी राज्यों के हितों की साधना करनी चाहिए न कि अपने पूँजीवादी स्वामियों की। साम्यवादी विचारधारा के अनुसार ऐसा करके वे साम्यवाद के उम उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जिसकी साधना के लिए वर्तमान साम्यवादी राज्य प्रयास कर रहे हैं। स्टाइनर मन्दाप में कथनानुसार सघेय न साम्यवादी विचारधारा सच्चे रूप में अन्तर्राष्ट्रीय है, जिसका आधार वर्गवाद है। राष्ट्रवाद के लिए यह जागी छूट प्रदान करती है यह अस्थायी है तथा इसकी रणनीति है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मूल्य और दृष्टिकोण (Values and attitudes in International Relations)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवहार को समझने में हमें नेने वाले को यह मान कर चलना चाहिए कि मानवीय समूहों में अनेक दृष्टिकोण, विश्वास ए। मूल्य पाये जाते हैं। मनुष्य भिन्न भिन्न सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और भौतिक वातावरण में रहते हैं। वातावरण की इन विशेषताओं द्वारा ही यह तय किया जाता है कि किसी व्यक्ति का मित्र कौन होगा और उसका शत्रु कौन होगा। व्यक्ति अपने उपलब्ध साधनों की सीमितता को भी जान लेता है जिनके साथ रहने के लिए समायोजन करना जरूरी है। राजनैतिक एवं सामाजिक मूल्य तथा सहयोग की परम्परायें इसी पृष्ठभूमि में विकसित होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यह विचार किया जाता है कि व्यक्ति कुछ मूल्यों को कभी अपनाता है और अन्य मरुति तथा शक्तियों के प्रभाव से वह उन्हें कभी बदल लेता है। एक राष्ट्र के लोगों के दृष्टिकोणों, मूल्यों एवं उद्देश्यों की समानता यह निर्धारित करती है कि उनके बीच विभिन्न प्रश्नों पर कितना मतभेद रहेगा। इसमें राजनैतिक सम्झौतों का स्वायत्त प्राप्त होता है। जिन देशों के मूल्य और दृष्टिकोण मिल जाते हैं; उनके बीच सहयोग, शांति एवं विचार विमर्श की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं। दूसरी ओर दृष्टिकोण और मूल्यों में भारी असमानता रहती है वहाँ सम्झौतों की अस्थिरता एवं संघर्ष पाया जाता है।

विभिन्न राज्यों की जनता और नेता अनेक विषयों पर अपना मत निर्धारित करते हैं और यह मत उनके अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को प्रभावित करता है। शांति, युद्ध, साम्राज्यवाद, जातिवाद, पूंजीवाद, अणु शस्त्र एवं विदेशी सहायता आदि विषयों पर एक राज्य के लोगों तथा नेताओं का जो दृष्टिकोण होता है वही उसकी विदेश नीति को तय करता है। यह दृष्टिकोण उनके मूल्यों द्वारा लिया रन किया जाता है और मूल्य व्यवस्था ही यह तय करती है कि उद्देश्यों का प्राप्ति के लिए वह राज्य क्या साधन अपनाए। अनीत के अनुभव से इन दृष्टिकोणों एवं प्रतिनिधियों के निर्धारण में पर्याप्त महामत्वा मिलती है।

दृष्टिकोण वास्तविकता को स्पष्ट कर सकते हैं अथवा उसे ओभस्त्र बना सकते हैं। व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसके वातावरण द्वारा निर्धारित होती है। यदि व्यक्ति का एटलस यह कहता है कि पृथ्वी खपदी है तो वह उस जगह पर अपनी जान नहीं बचायेगा जहाँ कि उसके मतानुसार निनारा है।

इस प्रकार वास्टर लिपमैन ने यह सही फरमाया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह उसके प्रत्यक्ष या निश्चित ज्ञान पर आधारित नहीं बरन् उन चिन्तों पर आधारित है जो कि उस ने स्वयं बनाए हैं, ~~अथवा~~ उसे दिखे गए हैं।¹

संसार को वस्तुगत रूप से देखने में दो चीजें हमारी योग्यता को सीमित करती हैं। पहली बात तो यह है कि तथ्यों को जानने की व्यक्ति की क्षमता सीमित होती है। उसका ज्ञान अपूर्ण होता है और तथ्यों के समझने की उसकी योग्यता, समय, अनुभव, सम्पर्क एवं कुशलता के अभाव के कारण सीमित रहती है। लिपमैन के ही कथनानुसार हमारे मन को एक व्यापक क्षेत्र से सम्पर्क रखना होता है, बहुत शीघ्र ही वस्तुस्थिति का पता लगाना होता है तथा इतनी सारी चीजें देखने को होती हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देखने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में हमें बहुत कुछ इन बातों पर निर्भर रहना पड़ता है जो कि दूसरों के द्वारा कही गई हैं और हम जिनको कल्पना कर सकते हैं। यह समस्या उस समय और भी कठिन बन जाती है जबकि समान तथ्यों वाले दो व्यक्ति निर्धारित कार्य के सम्बन्ध में विरोधी निष्कर्षों पर पहुँचते हैं।

दोसा निर्धारित करने वाली दूसरी बात अत्यन्त अप्रसन्न एवं उलझी हुई है। यह अपने मनोवैज्ञानिक तत्वों का संयोग है। वास्तविकता को पहचानने की हमारी योग्यता, हमारे ज्ञान और दुराग्रह, हमारे पहले के प्रतीकों एवं हमारे तरीकों द्वारा सीमित होती है। व्यक्ति ने दुनिया के बारे में जो स्वयं की मान्यताएँ बना रखी हैं वह अपने सीमित ज्ञान को जमीन में बैठाने की सोचता है। व्यक्ति की पूर्ण मान्यताएँ एक प्रकार से गुरुक्षा यत्र का नाम करती हैं जो कि दुनिया की तस्वीर को इस रूप में रखने में मदद करती हैं जिसके साथ वह समायोजित हो चुका है। व्यक्ति के मस्तिष्क में यह शक्ति है कि वह अपने ही विचारों और कार्यों के उद्देश्यों को छिपा सके। ऐसी स्थिति में मन्तराष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी के लिए मनोविश्लेषण का महत्व बढ़ जाता है। राजनैतिक त्रियाणों को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण वे होते हैं जिनको अपरिवर्तनशील प्रतिमाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये वे निरूप्य होते हैं जिनको एक व्यक्ति स्वयं निरूप्य होने में समर्थ होने से पहले ही दूसरों से प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति जब विचार करता है तो उसके साथ ही ऐसे अपने

1. Walter Lippmann, Public Opinion, 1921, P. 17

अपरिवर्तनीय 'स्टीरियो टाइप्स' होने हैं जैसे 'मासीसी', 'सैनिक मस्तिष्क' 'विदेशी', 'वांछनीय', 'गुप्त प्रेमी', आदि । इन शब्दों का अर्थ एक विशेष अर्थ होता है । इन अपरिवर्तनीयों को तर्कपूर्ण मतो के स्थान पर रखा जाता है । व्यक्ति उन चीजों को तुरन्त ग्रहण कर लेता है जो कि उसकी संस्कृति में पहले से ही परिभाषित की हुई है । ये प्रतिभाषित व्यक्तिगत जीवन की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भी अर्थक होती है ।

विदेशियों तथा उनके लक्ष्यों के प्रति अविद्वान रहना लोगों की परम्परागत विज्ञेयता है । इसमें वे लोग अधिक विश्वास करते हैं जो कि विदेशी शासन या शोषण के विचार रहे हैं अथवा रह रहे हैं । एशिया और अफ्रीका के देशों में जो तटस्थता की नीति अपनाई जा रही है उसका कारण केवल यह नहीं है कि ये देश युद्ध को दूर रखना चाहते हैं अथवा महा शक्तियों के युद्ध में तटस्थ रहना चाहते हैं । इस नीति की जड़ों में उन पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध स्वतन्त्रता जाहिर करने की कामना है जिन्होंने कि अतीत काल में एशिया और अफ्रीका पर शासन किया तथा शोषण किया था । अब ये देश पश्चिमी प्रभाव का विरोध करने के लिए राजनैतिक शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं । आज सेंटिन अमरीका का समुक्त राज्य अमरीका के प्रति जो विषय का दृष्टिकोण है वह उर और ईर्ष्या से पूर्ण है । इसका आधार अतीत काल में समुक्त राज्य अमरीका के हस्तक्षेप तथा उनके कुट्ट व्यावसायिक व्यवहार हैं । वे मतभेद और विरोध केवल ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर ही नहीं बनने बल्कि विभिन्न सरकारी एवं सामाजिक रूपों पर आधारित निम्न मूल्यों के कारण भी बढते हैं ।

दुराग्रह और प्राथमिकताएँ (Prejudices and Preferences) की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अर्थक महत्वपूर्ण योगदान रखने हैं । पश्चिमी राज्यों ने अपने बीच घनिष्ठ राजनैतिक एकता विकसित कर ली है । उनकी सामान्य, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परम्पराएँ हैं । उनके मूल्यों तथा राजनैतिक व्यवस्थाओं में भी पर्याप्त एकरूपता देखने को मिलती है । दूसरी ओर साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित देश समाज की प्रकृति के सम्बन्ध में विरोधी मान्यताएँ लेकर चलते हैं, वे आपस में भी मतभेद रख सकते हैं जैसा कि सोवियत संघ और चीन के बीच में पाया जाता है । जिन राज्यों के बीच इन विषयों पर मूल अन्तर रहते हैं उनकी मैत्री एवं सहयोगपूर्ण सम्बन्धों की कल्पना नहीं की जा सकती । उनका कोई समझौता अधिक दिनों तक नहीं चलेगा ।

यह कहा जाता है कि सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण का मूल आधार 'वे' बनाम 'हम' की भावना है जो कि सामूहिक जीवन के द्वारा प्रभावित की जाती है। राष्ट्रवाद का विचार, प्राथमिक संचार साधन, इतिहास, परम्पराएँ तथा अन्य वैज्ञानिक तत्व भी इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। प्रजातन्त्रीय समाजों में ये तत्व सरकार को पर्याप्त प्रभावित करके विदेश नीति के सम्बन्ध में उनकी स्वतन्त्रता को सीमित कर सकते हैं।

जो राज्य अपने पड़ोसियों की ओर से सुरक्षित अनुभव करते हैं वे प्रायः अपने अन्तरो को शांतिपूर्ण साधनों से गुलाम लेते हैं। किन्तु जब एक राज्य के हितों को चुनौती दी जाती है और चुनौती देने वाले राज्य के साथ उसके सहयोग का कोई इतिहास या परम्परा नहीं होती तो उनके अन्तरो को मिटाना बड़ा कठिन बन जाता है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मौखिक सम्बन्धों की एक लम्बी परम्परा है और इसलिए उनको पारस्परिक प्रबन्ध करने में पर्याप्त सुविधा रहती है। दूसरी ओर हम और टर्की के बीच औपचारिक सम्बन्ध हैं किन्तु फिर भी टर्की के दर्रे पर नियंत्रण के लिए प्रतिभागिता के इतिहास ने टर्की को हमी उद्देश्यों के प्रति सन्देश-शील बना दिया है और इसलिए वह अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक है तथा नाटा की मददयता स्वीकार करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग की सम्भावनाएँ काश्मीर के ऊपर चलने वाले लम्बे भण्डे के कारण असम्भव बन गई हैं।

नैतिकता और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (Morality and International Politics)

नैतिक एवं कानूनी नियम मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामूहिक व्यवहार को नियमित करते हैं। इन्हें व्यवस्था के आधार कहा जा सकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति पर दूसरों के अधिकारों का आदर करने का कर्तव्य लाय कर सभी की स्वतन्त्रता को बढ़ाते हैं। यदि नैतिक मापदण्ड पूरी तरह से प्रभाव-शील रहे तो कानून अनावश्यक बन जायेंगे। नैतिक आधार महिना सदैव ही कानूनी व्यवस्था को प्रभावित करती है। केवल तानाशाह ही अपने कानून द्वारा प्रभावित कर सकता है। हम समाज सभी को कहते हैं कि अन्ध और भूरे के सम्बन्ध में एमन हाता है तथा दूसरे के अधिकारों का आदर करता है। जो समाज सामान्य मापदण्ड नहीं रखता उसमें नैतिक दृष्टिकोणों पर घोंडा ही ममनीता रहता है। एन सच्चा समाज वह हाता

है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य प्रायः समान होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का स्वामी या सबक नहीं होता। आज हम जब 'अन्तर्राष्ट्रीय समाज' शब्द का प्रयोग करते हैं तो सपता है कि यह वास्तविकता का उद्घाटन होने की अपेक्षा केवल एक वाङ्मयीय आशा मात्र है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें इकाइयों की समानता का तत्व नहीं पाया जाता। अन्तर्राष्ट्रीय समाज (International Community) जैसी कोई चीज न होने की वजह से ही यह कहा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई नैतिक आचरण संहिता भी नहीं होती। कुछ लेखकों का विचार है कि एक राज्य के अधिकारी जब दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार करते हैं तो उनकी नैतिक निर्णयों के अनुसार चलना चाहिए।

नैतिकता की परिभाषा करना बड़ा कठिन है। नैतिकता की न तो कोई सर्वमान्य परिभाषा है और न ही इसका कोई सर्वमान्य व्यवहार है। व्यवहार के नैतिक मापदण्ड प्रत्येक संस्कृति एवं सभ्यता में अलग-अलग होते हैं। एक देश की सभ्यता तथा संस्कृति में जो मापदण्ड तथा मूल्य प्रचलित हैं उनको दूसरे देश पर लागू नहीं किया जा सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका में जिस चीज को आदर्श माना जाता है, यह जरूरी नहीं है कि अफ्रीका और एशिया के देशों में भी उसे आदर्श माना जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में नैतिकता का वही अर्थ नहीं होता जो कि व्यक्तिगत सम्बन्धों में हुआ करता है। एक देश के नेता जब विदेश नीति के सम्बन्ध में निर्णय लेते हैं तो वे अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक मापदण्डों से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को नैतिक तथा मानवीय सिद्ध करने का प्रयास करता है। नैतिकता प्रायः सही आचरण को कहा जाता है किन्तु सही आचरण वास्तव में क्या है, यह जानना बड़ा कठिन है। एक स्थिति में एक आचरण एक व्यक्ति विशेष की दृष्टि से सही है किन्तु हो सकता है कि वह आचरण अन्य स्थिति में उनके लिए अनैतिक हो प्रमत्त उगी स्थिति में अन्य व्यक्ति के लिए अनैतिक हो। नैतिकता के सम्बन्ध में अनेक विचार हैं। इनमें से मुख्य दो निम्न प्रकार हैं—

१. कुछ लेखक यह मानते हैं कि एक सार्वभौमिक नैतिक मापदण्ड होना है और वही कार्य नैतिक कहा जा सकता है जो कि उसके अनुरूप हो। नैतिकता का मापदण्ड केवल एक ही होता है, अनेक नहीं होते। व्यक्ति यह जान सकता है कि नैतिक मापदण्ड उससे किस प्रकार के व्यवहार की आशा करता है। यह नैतिक मापदण्ड सभी व्यक्तियों पर समान रूप से

लागू होता है चाहे वे कुछ भी कार्य करते हों। इसके विरुद्ध किया गया आचरण अनैतिक है। इन पर समय तथा स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हत्या करना पाप है तो वह प्रत्येक परिस्थिति में पाप ही होगा।

२. नैतिकता के इस अर्थ की पर्याप्त आलोचना की जाती है। इसे आदर्शवादी तथा अभ्यावहारिक बताया जाता है। दूसरे लेखकों का कहना है कि नैतिकता का केवल एक ही मापदण्ड नहीं होना। इतिहास एवं अनुभव के आधार पर इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। एक व्यक्ति के लिए शत्रु को मार कर खा जाना एक अनैतिक कार्य है किंतु वह यह सिद्ध नहीं कर सकता कि उसके मूल्य जगती व्यक्ति के मूल्य से किस प्रकार उच्चतर है जो कि शत्रु तो क्या मित्र को भी मार कर खा जाता है। इन विचारकों की मान्यता है कि कार्य एवं स्थिति के अनुसार व्यक्ति के नैतिक आचरण का रूप भी बदल जाता है। यदि एक लखपति व्यक्ति चोरी नहीं करता तो हम उसको एक महान नैतिक व्यक्ति नहीं मान सकते। अमल में उसका नैतिक स्तर उस व्यक्ति से भी नीचा है जो कि अपने धन की भूख को मिटाने के लिए चोरी कर लेता है।

अन्तर्राष्ट्रीय आचार संहिता जैसी कोई चीज है भ्रमवा नहीं है, इस सम्बन्ध में विचारकों के बीच मतभेद है। प्रत्येक देश अपने इतिहास, अनुभव एवं परम्पराओं के आधार पर स्वयं का नैतिक मापदण्ड बना लेता है और उसी के अनुसार आचरण करता है। इस प्रकार आचरण का कोई अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक मापदण्ड होने की अपेक्षा प्रत्येक देश की विशेष आचरण संहिता है।

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक आचरण संहिता के अस्तित्व से सम्बन्धित समस्या का समाधान अनेक रूपों में किया जाता है। कुछ लोग का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई नैतिक आचरण की संहिता नहीं होती। दूसरे लोग कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए भी नैतिक मापदण्ड है। किन्तु यह मापदण्ड क्या है उसके सम्बन्ध में वे एकमत नहीं हैं। कुछ का कहना है कि यह आचरण संहिता ठीक ऐसी ही होनी है जैसी कि व्यक्तिगत सम्बन्धों पर लागू होती है। अन्य का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के नैतिक मापदण्ड तो विशेष प्रकार के होने हैं।

नैतिक मापदण्ड के अस्तित्व की भांति इस प्रश्न पर भी विचारकों के विचार भिन्न-भिन्न हैं कि—क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार अनैतिक होता है? या लोग अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक मापदण्ड के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं

वरने उनके मतानुसार यह प्रश्न अप्रासंगिक है। अन्य के लिए यह प्रश्न जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कठिन भी है। इस सम्बन्ध में एक सामाजिक धारणा यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता और कानून का जिनना पालन किया जाना है उससे अधिक उसका उल्लंघन किया जाता है।

कुछ विचारक यह मानते हैं कि अधिकांश व्यक्ति प्रायः अपराधी प्रकृति के होते हैं। केवल कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जो उन नैतिक मापदण्डों का पालन करने हैं जिनका कि वे उपदेश देते हैं। कुछ नैतिक धारणाएँ ऐसे होने हैं जिनको व्यक्ति समाज परिस्थितियों में अपना लेता है किन्तु अपराधी परिस्थितियों में वह उनका पालन नहीं कर सकता और इस उल्लंघन को बुद्धिपूर्वक एवं न्यायोचित ठहराया जाना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत के अनुसार आवश्यकता कोई कानून नहीं जानती। कुछ परिस्थितियों में राजनीतिज्ञ केवल आवश्यकता से प्रभावित होकर ही व्यवहार करते हैं तथा ऐसे गिरण लेते हैं जिनको वे दित से नहीं लेना चाहते किन्तु उनके सामने कोई विकल्प नहीं है अतः से रहे हैं।

नैतिकता के इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए अन्य विचारक यह मत प्रकट करते हैं कि नैतिक धारणा और सुगमता का प्रायः साथ नहीं रहता। आवश्यकता और मजबूरी यदि हमको नैतिकता के विरुद्ध कर देती है तो यह हमारी स्वयं की कमजोरी का प्रतीक है। आर्नोल्ड वॉल्फर्स (Arnold Wolfers) के कथनानुसार यदि एक राजनीतिज्ञ यह निर्णय लेता है कि उसकी देश की सुरक्षा के लिए अन्तरा इतना महान है कि उसे युद्ध में उलझना आवश्यक बन गया है तो यदा वह राष्ट्रीय सुरक्षा को अत्यधिक मूल्य प्रदान कर रहा है। कहने का अर्थ यह है कि कई बार मूर्खों के बीच सपने उत्पन्न हो जाते हैं और उस समय प्राथमिकता के आधार पर यह चुनना होता है कि किस मूल्य को महत्व दिया जाये। कुछ मूल्यों की साधना में रत रहने पर युद्ध आवश्यक हो सकता है किन्तु तब निर्यातक को यह तय करना होगा कि क्या ये मूल्य इतने उच्च हैं कि उनके लिए अन्य मूल्यों को बलिदान किया जा सकता है। इस प्रकार आवश्यकता एवं मजबूरी का नाम लेना तो केवल बहाना मात्र है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी कार्य पूर्ण शुभ या अशुभ नहीं होगा वरन् प्रत्येक कार्य में अच्छाई व बुराई दोनों के तत्व पाये जाते हैं। यह तय करना पड़ता है कि क्या बुराई क्या है उसी को अपनाया जाये।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता का प्रश्न अत्यन्त जटिल है। अधिकांश व्यक्ति आत्मरक्षा की खातिर दूसरों की हत्या कर देना ठीक मानते हैं। उनके मतानुसार न्यायपूर्ण युद्धों में जो हत्याएँ होती हैं वे ठीक हैं तथा

नैतिक हैं। एक देश जिस समय युद्ध कर रहा होता है उस समय उसका कोई भी नागरिक यह मानने को तैयार नहीं होता कि उसका देश अन्यायपूर्ण युद्ध में सलग्न है। प्रायः सभी व्यक्ति इस बात में विश्वास करते हैं कि अपराधी को उसके दुष्कर्मों के लिए दण्ड दिया जाना चाहिए और गम्भीर अपराध के लिए शक्ति की जान भी ले ली जाये तो बुरा नहीं है। यह कार्य भी न्यायपूर्ण एवं नैतिक ही माना जायेगा, किन्तु यह व्यवहार उन व्यक्तियों के विरुद्ध जाता है कि 'तुम्हारे शत्रु को प्यार करो', 'बुराई का बदला बुराई से न दो' आदि। नैतिकता के समर्थकों का कहना तो यह है कि "भला करने वाले भलाई दिये जा, बुराई के बदले दुष्कार दिये जा।" नैतिकता का यह रूप प्रादुर्भाव है किन्तु केवल व्यक्तिगत जीवन में ही इसे व्यवहृत किया जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नैतिकता को राष्ट्रीय हित से ऊपर नहीं रखा जा सकता। यहाँ विदेश नीति के निर्णायकों के हाथ में असह्य लोगों का जन-जीवन होता है और उनके स्वयं व मूल्यों की खातिर वे इसकी बाजी लगाने का कोई अधिकार नहीं रखते। कभी-कभी अन्याय का विरोध करने के लिए हिंसात्मक साधनों को अपनाना जरूरी बन जाता है। जो लोग यथास्थिति से सतुष्ट हैं वे यह कहते हैं कि यथास्थिति को बदलना और इसके लिए शक्ति का प्रयोग करना अन्याय है, किन्तु ये ही लोग उस यथास्थिति को कायम रखने के लिए शक्ति के प्रयोग को न्यायोचित ठहराते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के पीछे दबाव रहता है जिसके कारण विभिन्न देश उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं। विदेश नीति से सम्बन्धित निर्णय लेने वालों को अन्तरिक या बाह्य दबाव के कारण अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक प्राचरण को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अन्तरिक दबावों में हम निर्णायकों की स्वयं की अन्तरात्मा एवं देशी लोकमत का नाम ले सकते हैं। वैसे लोगों की प्रायः यह प्रवृत्ति रहती है कि वे अपनी सरकार की अपेक्षा दूसरे देशों की सरकार को भला बुरा कहते हैं, किन्तु उनके स्वयं के देश की सरकार भी उनकी आलोचना से बच नहीं पाती। समुक्त राज्य अमरीका में वियतनाम युद्ध एवं बमबारी के विरुद्ध जो प्रदर्शन हो रहे हैं तथा जलूस निकाले जा रहे हैं वे इसी बात के प्रमाण हैं। यह कहा जाना है कि सन् १९६१ में बमबारी के विरुद्ध अमरीकी शक्ति के प्रयोग करने पर देश में भारी विरोध होने की आशंका थी और इसलिए यह प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त नहीं की गई।

जनमत की आलोचना एवं विरोध का अस होने के कारण ही भारत के देश केवल आन्तरिक एवं न्यायपूर्ण युद्ध ही लड़ना चाहते हैं। इसके

अनिरिक्त अनेक कारणों से मात्र विश्व के अधिकांश देश एक स्वामी विश्व व्यवस्था चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वे अपने दीर्घकालीन लक्ष्य को ध्यान में रख कर कुछ छोटी-मोटी इच्छाओं की अभिव्यक्ति की आवश्यकता कर सकते हैं।

विदेश नीति के निर्णयकों पर विश्व जनमन का प्रभाव भी उत्प्रेक्षनीय रूप से पड़ता है। यही कारण है कि प्रत्येक देश सरकार के सामने अनेकों सर्वश्रेष्ठ प्रतिमूर्ति रचना चाहता है। साथ ही वह अपने प्रत्येक कार्य को न्यायोचित ठहराने के लिए प्रचार साधनों का साधन लेता है। जिन लोगों का यह विश्वास है कि केवल शक्ति ही सब कुछ होती है वे भी इन लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं। प्रत्येक राज्य की सामर्थ्य उनकी शक्ति एवं स्वीकृति (Consent) पर निर्भर करती है। उसे जितनी अधिक स्वीकृति प्राप्त है उसे शक्ति की उतनी ही कम जरूरत होगी।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा के कार्य (Functions of ideology in International Politics)

विचारधारा के पीछे राष्ट्रीय शक्ति होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विचारधाराओं के प्रभाव से घटती नहीं रहती। ये प्रभाव अच्छे तथा बुरे दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। 'विचारधारा' विश्व में अलग-अलग भागों में बसे लोगों के बीच एकता, ईश और भाईचारे के भाव को जागृत कर सकती है, यह राष्ट्रीय भी एकता का कारण बनती है, लोगों में सामान्य उद्देश्यों की भावना जागृत करती है किन्तु दूसरी ओर विचारधारा समर्थन, झगडों व विश्व युद्धों का कारण भी बन सकती है।

विचारधाराएँ प्रायः अव्यक्तिक (Irrational) होती हैं; उनका आधार बुद्धि न हाकर भावनायें होती हैं। विचारधाराओं की भाँड में परिस्थिति के तथ्यों को तथा महत्वाकांक्षी नेताओं के वास्तविक लक्ष्यों को ध्यान में रखा जा सकता है। विचारधारा का प्रयोग यदि पूरी वृद्धता से किया जाये तो इसके अनेक अत्यन्त परिणाम निकल सकते हैं जैसे—

(१) दो विरोधियों के बीच व्यक्तिक समझौता तथा विचार-विमर्श कठिन और पहा तक कि असम्भव बन जायगा;

(२) समझौते के क्षेत्र दृष्टि के लिए वां प्रयास किये जायेंगे उनको निराशा मिलेगी,

(३) राष्ट्रीय सम्मान तथा इज्जत का अनूचित रूप से बलिदान किये बिना अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करना कठिन बन जायेगा;

(४) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का प्रयोग कूटनीतिक लाभ प्राप्त के ध्वंसर के रूप में न किया जाकर अपनी विचारधारा के प्रचार के लिए किया जायेगा ।

पामर तथा परकिन्स ने भी यही विचार व्यक्त किये हैं । उनका कहना है कि यदि दो देशों के बीच, जो अपनी-अपनी विचारधारा का कट्टरता के साथ प्रयोग कर रहे हैं, मतमुटाव पैदा हो गया तो वह एक अन्तर्राष्ट्रीय संकट बन कर रहेगा जिसे मुचभाना अपभ्रम है ।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में स्थित विचारधाराओं में प्रमुख हैं साम्यवादी विचारधारा तथा पश्चिमी राष्ट्रों की प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा । इन दोनों ही गुटों के बीच असलम्नता की नीति अपनाने वाले राष्ट्रों की भी एक अलग विचारधारा सी बन गई है । उदाहरण के लिए भारत और अरब के सम्बन्धों का आधार बनाते समय अरब लीग के प्रो० मवमूद ने कहा था कि धर्मनिपेक्षता, साम्राज्यवाद का विरोध, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता व समानता पर बल और असलम्नता को विदेशनीति आदि कुछ तत्व हैं जिनके कारण भारत-अरब सम्बन्ध बड़े गहरे व स्थाई हैं । इस प्रकार असलम्नता की नीति (Policy of Non-alignment) भी देशों को निकट लाने में विचारधारा जैसा ही काम करती है । आजकल विश्व सरकार या विश्वसच के समर्थन में एक नवीन विचारधारा और जोर पकड़ती जा रही है । वैसे तो साम्यवादी भी सार्वभौमिकता के विचारों से युक्त हैं तथा भारे तसार को लाल भण्डे के नीचे लाने के पक्ष में हैं । अनेक राष्ट्र न रहे एक ही विश्व रहे, विश्व-बन्धुत्व और वसुधैव कुटुम्बकम् जैसी भावनाएँ इस विचारधारा की जड़ में हैं ।

मोरल

(The Morale)

अंग्रेजी शब्द 'Morale' का हिन्दी रूपान्तर मानविक या नैतिक अवस्था के रूप में किया जाता है । व्यवहार में इनका सकेत 'मनोबल' शब्द से भी कर देते हैं जो अग्य शब्दों से अधिक उपयुक्त लगता है ।

मनोबल का अर्थ

(Meaning of the term morale)

मनोबल की परिभाषा देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसिद्ध विचारक मार्गेंटो ने बताया था कि राष्ट्रीय मनोबल निश्चय (determination) का वह अनुपात (Degree) है जिसके अनुसार एक राष्ट्र शान्ति एवं

युद्ध के समय अपनी सरकार की विदेश नीति का समर्थन करता है। मनोबल में राष्ट्र की सारी क्रियायें—औद्योगिक व कृषि उत्पादन तथा सैनिक तैयारियाँ और कूटनीतिक सेवाएँ, समाहित होती हैं। लोकमत के रूप में बदल कर राष्ट्रीय मनोबल सरकार की विदेश नीति को इतना प्रभावित करता है कि कभी कभी तो यदि दोनों के बीच मतभेद पैदा हो जाय तो या तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है अथवा सरकार को वह नीति लोकमत के अनुकूल परिवर्तित करने पड़ती है। प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में मनोबल या लोकमत का प्रभाव स्पष्ट एवं वास्तविक रूप से उस देश के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को प्रभावित करता है जबकि दूसरे हानाशाही या राजतन्त्रात्मक राज्यों में ऐसा सम्भव नहीं हो-सकता। किन्तु फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इन राज्यों में मनोबल या लोकमत का कोई महत्त्व नहीं होता। हिटलर की विदेश नीति को जर्मनी की जनता का ६० प्रतिशत से भी अधिक समर्थन प्राप्त था।

यह कहा जाता है कि युद्ध केवल सेनाओं को रणक्षेत्र में भेजने से नहीं जीते जा सकते। जब तक कि जनता का पूरा सहयोग एवं हार्दिक सहभावनार्थ अपने वीर सिपाहियों के उत्साह का वर्धन न करेंगी, तब तक वे अपनी पूरी शक्ति से नहीं लड़ सकते। वे अपनी कुर्बानी की मातृभूमि की सेवा में दक्षिणान न मान कर आत्म हत्या समझने लगेंगे। इस प्रकार जनता का मनोबल किसी भी युद्ध की सफलता, जोश एवं सफलता के लिए एक आवश्यक तत्व होता है।

मनोबल कभी कभी युद्ध के प्रतिरोधक (Deterent) के रूप में भी काम करता है अर्थात् जिस देश के लोगों में एकता होती है तथा वहाँ की सरकार की नीतियों के पीछे जनता का जोर रहता है—उस देश पर कोई भी दुश्मन देश आक्रमण करने का हौसला नहीं कर पाता, यदि करता भी है तो बहुत सोच समझ कर। इस प्रसंग में भारत पर किये गये पाक आक्रमण के कारकों पर, यदि गौर किया जाये तो हम पायेंगे कि पाकिस्तान ने जो दुःसाहस किया उसके प्रमुख कारणों में से एक यह भी था कि उसने भारत में अनेक समस्याएँ एवं भेदभावों के होने से उत्तम अनुमान लगा लिया कि वहाँ का मनोबल ऊँचा नहीं है तथा सरकार की नीतियों को जनता का एकमत से समर्थन प्राप्त होना असम्भव है और ऐसी स्थिति में अव्यगठित भारत शीघ्र ही उसके कदमों में जा गिरेगा किन्तु भारतवासियों ने सफट के समय जो अद्वितीय एकता दिखाई वह अपारचयजनक थी। सरकार की नीतियों को सभी विरोधी दलों ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया। सभी भेदभावों को सफट

का मुकाबला करने के लिए भुला दिया गया। समय-समय पर सरकारी प्रवक्तारों एवं विदेशी पत्रों ने यह स्वीकार कर लिया कि भारत का मनोबल बड़ा ऊँचा है। इस दृष्टि से गृहमन्त्री नन्दा तो पाकिस्तानी आक्रमण को एक परीक्षा की घड़ी कह कर यह मानने लगे थे कि इस सङ्कट में से निवृत्ता हुआ भारत वंसा ही होगा जैसा कि भाग से निकला हुआ खनिज सोना, उसमें कुन्दन जैसी ही चमक आ जायगी।

पामर तथा परकिम्स ने मोरेल (Morale) को परिभाषित करते हुए इसे आत्मा की एक चीज माना है जो स्वामिमक्ति, साहस तथा विश्वास से मिल कर बनती है, यह व्यक्तित्व एवं सम्मान की रक्षा की लालसा है, ज्ञात के प्रति 'भावना' है तथा अज्ञात के प्रति भय एवं भ्रष्टि। यह आत्म-स्वार्थ है। आत्म-स्वार्थ यह इस अर्थ में है कि एक देश का मोरेल (Healthy frame of mind) उस देश के निवासियों में 'समात्मभाव' की स्थापना करता है। इसके अस्तित्व में वह समाज प्रेम, सेवा, बलिदान, बन्धुत्व, दाम्पत्य, सध्य, धारसत्य, भक्ति आदि के माबो से परिपूर्ण हो जाता है। स्थूल जगत में इन भावों के अनेक परिणाम परिलक्षित होते हैं। जब लोग सबके सुख में अपना सुख और सबके दुख में अपना दुख देखने लगते हैं तो स्वामाविक रूप से ही उस देश की विकास योजनाओं की गति तीव्र हो जाती है। सभी लोग मिल कर सच्चे दिल से परिश्रम करते हैं, राष्ट्रीय हित के प्रागे वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का बलिदान कर देते हैं। इस सबका परिणाम यह होता है कि वह देश आर्थिक व्यवस्था, औद्योगिक उत्पादन, सैनिक तैयारी अथवा और जिस किसी भी क्षेत्र में कदम बढ़ाता है, वहीं सफलता उसके कदम धूमती है।

मनोबल के निर्माण के साधन (Means for maintaining Morale)

किसी भी देश में मनोबल के निर्माण के समय कौन-कौन से तत्व प्रभाव डाल सकते हैं इस सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्न मत हैं। कुछ विचारकों के मतानुसार तो मनोबल विकसित होता है, इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। ये विचारक मानते हैं कि कोई सरकार या व्यक्ति विशेष यदि किसी भी कारण से देश में मनोबल का निर्माण करना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता। इसका कारण, जैसा कि पामर तथा परकिम्स महोदय ने बताया है, यह है कि राष्ट्रीय मनोबल (National Morale) कुछ निश्चित तथा अनेक अनिश्चित तत्वों का उल्लेखपूर्ण समवाय है।

दूसरी ओर विचारको का एक समुदाय है जो उक्त मत के ऊपर दो आपत्तियाँ उठाता है। प्रथम, उसका कहना है कि यदि यह मान लिया जाये कि मनोबल निर्माण का नहीं बल्कि विकास का परिणाम है तो भी क्या यह उपयुक्त न रहेगा कि इस विकास पर प्रभाव डालने वाले तत्वों की खोज की जाये। दूसरे, प्रायः यह देखा जाता है कि युद्ध के समय, सकट का मुकाबला करने की दृष्टि से राष्ट्रीय मनोबल एकाएक उठ खड़ा होता है, ऐसी भवस्था में उसे हम विकास का परिणाम न मान कर एक विशेष परिस्थिति की उपज कहेगे। चीनी तथा पाकिस्तानी भाष्यमण्डो के विरुद्ध भारत में जिस मनोबल का निर्माण हुआ था वह इतना तत्काल हुआ कि उसे विकसित मानना अमंगल प्रतीत होता है।

उक्त बौद्धिक मतभेदों में अधिक उलझने की अपेक्षा यहाँ हमारे लिए यह उपयुक्त होगा कि राष्ट्रीय मनोबल (National Morale) के विकास या निर्माण पर सम्भावित या वास्तविक रूप से प्रभाव डालने वाले तत्वों की संक्षिप्त जानकारी की जाय। ये तत्व निम्न प्रकार हैं—

(१) राष्ट्रीय चरित्र (National character)—राष्ट्रीय चरित्र का अर्थ उन मूल्यों तथा भावनों से है जिन्हें एक देश प्राथमिकता देता है, जबकि दूसरे देश उसे नहीं देते। एक देश के लोगों का चरित्र अर्थात् उनका रहन-सहन, विचार, भाषा, भावों, धर्म, संस्कृति आदि उस देश के मनोबल पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। एक धर्म-प्रधान राष्ट्र के लोगों में युद्ध के विरुद्ध मनोबल तैयार करना एक दुर्लभ कार्य है। इसी प्रकार व्यक्तिवादी विचार-धारा से प्रभावित देश के लोग अन्तर्राष्ट्रीय समाज के पक्ष में मनोबल का निर्माण नहीं होने देंगे।

पामर तथा परकिन्स के मत में राष्ट्रीय चरित्र एक देश के मनोबल (Morale) के निर्माण में बहुत कम प्रसर डालता है। वे इतिहास के आधार पर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि समय-समय एक ही देश में दो विरोधी प्रकृति के मनोबल उभरते देखे गए हैं जो इस बात का प्रमाण हैं कि उस देश के चरित्र की दोनों में से किसी एक मनोबल के साथ एकलपता नहीं होगी।

(२) संस्कृति (Culture)—संस्कृति एक देश के निवासियों के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक स्तर को प्रभावित करती है। बदलती हुई संस्कृति के लोगों का सोचने एवं अनुभव करने का तरीका भी बदल जाता है। बहुत से विचार एवं व्यवहार जिन्हें प्राचीन-संस्कृति धारकों मानती है, नवीन संस्कृति

उन्हे मर्णाता कहती है तथा नवीन सस्कृति म जो आचार-विचार उपयुक्त माने जाते हैं प्राचीन सस्कृति उनको अमानवीय या मर्णादायी घोषित करती है।

कुछ विचारक यह सोचते हैं कि पुरानी सस्कृति में प्रभावित एक देश के मनोबल की प्रकृति तथा परिणाम उस देश के मनोबल की प्रकृति एवं परिणामों से विभिन्न प्रकार के होंगे जिनमें कि नवीन सस्कृति का प्रभाव है। किन्तु पामर तथा परकिन्त इस मन को भी नहीं मानते और इतिहास के आधार पर ही दोनों प्रकार के मनाबनाम समानता दर्शाते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि सांस्कृतिक अन्तर एक देश के मनोबल को निश्चित करने के तत्व नहीं होते।

(३) नेतृत्व (Leadership) — एक राष्ट्र का मनोबल उस देश के महान् पुरुषों के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होता है। भारत पार संघर्ष के दौरान आकाशवाणी छोड़े-थोड़े समय के अन्तर पर उन वाक्यों को दोहराती थी जो नेहरू न कभी सभ में कहे थे। यह प्रपक्ष लामकारी था क्योंकि जब एक भारत बानी को यह याद दिलाया जाना कि उसके एक स्वर्गीय नेता ने आजादी की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने की वहा था, तो उसकी नसों का रक्त प्रवाह उत्तेजित हो जाता है। यह मानुषीयता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने में गौरव का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार देश में एक उच्च मनोबल की मृष्टि होती है। पामर तथा परकिन्त न इसी विचार का समर्थन करते हुए कहा है कि यदि एक नेता जनता में लोकप्रिय हो चुका है तो उसके विचारों का प्रभाव उस देश के मनोबल पर पड़ बिना नहीं रह सकता।

ऊपर वर्णित राष्ट्रीय मनोबल पर प्रभाव डालने वाले तीनों ही तत्वों का स्वल्प 'सम्भावित' है अर्थात् वे तब प्रभाव डाल भी सकते हैं और नहीं भी। ऊरोक्त के अभाव में कुछ ऐसी भी नस्व है जो आवश्यक रूप से मनोबल पर प्रभाव डालते हैं। इनमें प्रमुख रूप से उल्लेखनीय दो हैं— सरकार का सश्रिय रूप और प्रवचन।

(४) अच्छी सरकार (A good Govt) — एक राष्ट्र में स्वल्प एक सुगठित मनोबल का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि वहा की सरकार सश्रिय हो, गुणवान हो, तथा प्रजा की इच्छा एवं लोकमत का प्रभाव से संचालित हो। जिस देश की सरकार जनताप्रिय तरीके से चलाई जाती है वहा जनता की महत्वाकांक्षाओं में तथा सरकार की नीतियों में

एकदमता पाई जाती है । एक देश का मनोबल वहां की राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि का साधन बन जाय यह बात वहां की सरकार के गुणों पर निर्भर करती है । जिन देशों की सरकार मुजानिन होती है वहां का मनोबल उन देशों की तुलना में ऊंचा होता है जहां कि सरकार कमजोर है ।

सरकार मुजानिन न होकर यदि कमजोर होगी तो इसका प्रभाव राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों जैसे प्राकृतिक स्रोत, भौतिक सामर्थ्य, सैनिक तैयारिया आदि पर भी बुरा प्रभाव डालेगी और इस प्रकार उस देश को कमजोर बना देगी । मार्गेंथो (Morgenthau) महोदय के मतानुसार राष्ट्रीय मनोबल को सुधारने का एकमात्र उपाय यह है कि सरकार क रूप को सुधार दिया जाय ।

(६) परिस्थिति (Circumstances)—राष्ट्रीय मनोबल का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों में यह भी एक प्रमुख तत्व है जो प्रभावपूर्ण रूप में कार्य करता है । अनेक बार ऐसी परिस्थितियां तथा घबराव या जाने हैं जो राष्ट्रीय मनोबल को मुट्टि का कारण बन जाते हैं । युद्ध में पटने वाली अनेक घटनायें राष्ट्र के मनोबल को उत्तेजित करती हैं । सितम्बर १९६१ में जब भारतीय सैन्य तागानार युद्ध विराम रेखा के उन पार बड़ी जा रही थी, भारतीय जनता में जोश की एक लहर आई हुई थी । प्रत्येक रेडियो के चारों ओर एक भेग-सा लग जाता था तथा प्रत्येक खबर के साथ जनता की करुणा धरति के नीचे रेडियो की आवाज भी दब जाती थी । लोगों में एक असुर्य अन्तान था । दुश्मन के उबड़ने हुए पजों के निम्नों के देखने में वे इतने सौ गर् कि उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि उनकी स्वयं की किन्ती धरति हो रही है । राष्ट्र का मनोबल युद्ध की इन विजयों के कारण इतना बढ़ गया था कि नई, ओर में पूरे ताहौर पर अधिकार करने की या पाकिस्तान की दुविदा के मुकदों में हटाने की बातों की जाती थी । मनोबल परिस्थितियों से बहुत प्रभावित होता है । मार्गेंथो ने इसी अर्थ में कहा था कि यह सब मनमरी पर ही निर्भर करता है ।

घबराव राष्ट्रीय मनोबल को गिरा भी सकते हैं । उदाहरण के लिए यदि लडाई में हार हो जाये, कोई बड़ा नेता मर जाये, जहाज डूब जाये, कोई मिन फूट जाये, शत्रु की शक्ति बड़ जाये अथवा देश में ही फसल मारी जाये, हवताल हो जाये, बाढ या जाये, रेल दुपटनायें हो जायें, बीमारी फैल

जाये तो देश का मनोबल गिर सकता है। कभी कभी जीत की खबर भी लोगों के उत्साह एवं प्रयासों को ढीला कर देती है।

राष्ट्रीय मनोबल (National Morale) को एक देश की रीढ़ कहा जा सकता है जिसके टूटते ही राष्ट्र का सारा ढांचा घराघाहां हाँ जायेगा। एक देश का गिरा हुआ मनोबल उठाना उतना ही कठिन तथा समय लेने वाला है जितना कि टूटी रीढ़ को पुनः कार्य योग्य बनाने का प्रयास। मार्गेंथो ने राष्ट्रीय मनोबल को राष्ट्र की शक्ति का एक प्रमुख भाग माना है जिसके बिना राष्ट्र की शक्ति एक निर्जीव शक्ति बन कर रह जायेगी। यह केवल सम्भावित बन कर रह जायेगी जिसे कभी भी वास्तविक नहीं बनाया जा सकता।

नेतृत्व

(The Leadership)

राष्ट्रीय शक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व नेतृत्व है। राज्य चाहे वह प्रजातन्त्रात्मक हो या राजतन्त्रात्मक, केवल कुछ लोगों द्वारा ही संचालित किया जाता है। स्विट्जरलैंड को भ्रष्टाचार के रूप में निकाल देने के बाद विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं रह जाता है जहाँ की सरकार के कार्य अथवा विदेश नीति के मामलों पर जनता का सीधा हस्तचर हो। देश की वागडोर कुछ नेताओं के हाथों में होती है। इन नेताओं के गुण एवं महानता पर ही उस देश का भविष्य निर्भर रहता है। जितने कुशल नेता होंगे तथा उनका जितना प्रभावकारी नेतृत्व होगा उतना ही अधिक शक्तिशाली वह देश बन जायेगा।

नेतृत्व के मुख्य रूप से दो कार्य हैं जिन्हें करके यह एक राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है प्रथम, नेतृत्व राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों के बीच समन्वय की स्थापना करता है, दूसरे राष्ट्र अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त कर सकें इसके लिए भी नेतृत्व का अस्तित्व आवश्यक होता है। मार्गेंथो (Morgenthau) महोदय के शब्दों में हीनव नेतृत्व के गुण का राष्ट्रीय शक्ति पर बड़ा महत्त्व असर रहता है। उदाहरण के लिए १८वीं शताब्दी में प्रशा (Prussia) फ्रेडरिक महान के नेतृत्व के अधीन था। उस समय उसकी शक्ति भी बढ़ी चढ़ी थी किन्तु उसकी मृत्यु होने ही प्रशा की शक्ति गिर गई और १८०६ में नेपालियन द्वारा उसकी सेना को हरा दिया गया। इसी प्रकार हम जर्मनी के उदाहरण को देख सकते हैं जहाँ बिस्मार्क और हिटलर के नेतृत्व में इतनी राष्ट्रीय शक्ति संचित हो गई थी

कि जिसने सत्ता को चकित कर दिया। सही तथा प्रभावशाली नेतृत्व के होने पर एक देश के भूगोल, प्राकृतिक स्रोत, जनसंख्या आदि का प्रयोग इस प्रकार किया जायेगा कि ये सभी तत्व उस राष्ट्र को विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र बना दें। इस प्रकार नेतृत्व का राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों से बड़ा गहरा सम्बन्ध रहता है। नेतृत्व के अभाव में एक देश की सरकार कोई काम नहीं कर सकती, एक विकसित एवं सशक्ति तकनीक नहीं रह सकती, मनोबल भी इसके अभाव में महत्वहीन होता है। नेतृत्व ही वह तत्व है जो कि शक्ति के सम्भावित कारणों को वास्तविक रूप प्रदान करता है। नेतृत्व दूसरे लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है किन्तु दूसरे लोगों के व्यवहार से वह स्वयं अधिक प्रभावित नहीं होता। मोकाइवर और पेन ने नेतृत्व को एक व्यक्ति की ऐसी योग्यता माना था जो उसके पद से सम्बन्धित न होकर उसकी स्वयं की व्यक्तिगत होती है। इस योग्यता के आधार पर ही वह लोगों को प्रोत्साहित व निर्देशित करता है। गिव महोदय ने नेतृत्व को केवल व्यक्तिगत गुण न मान कर यह स्वीकार किया है कि उस पर सामाजिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है।

नेतृत्व के समय तथा स्थान के अनुसार मिश्र मिश्र रूप बदलते रहते हैं। युद्ध के समय किसी दूसरे प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता रहती है जबकि शान्ति काल में किसी दूसरे ही प्रकार के नेतृत्व की।

नेतृत्व की विशेषताएँ

(Characteristics of Leadership) ✓

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नेतृत्व के स्वरूप, महत्व एवं उत्तरदायित्वों के उक्त संक्षिप्त परिचय के बाद यह उचित रहेगा कि उसकी कुछ सामान्य विशेषताओं को भी समझ लिया जाय जिनके कारण एक नेतृत्व को अधिक से अधिक सक्रिय, सफल एवं प्रभावशाली होने के अवसर प्राप्त होते हैं। ये विशेषताएँ मुख्यतः निम्न प्रकार हैं—

✓(१) नेतृत्व एक आन्तरिक एवं व्यक्तिगत गुण होता है; यह दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करने तथा उनको प्रभावित करने में कार्य करता है।

✓(२) नेतृत्व एक बहुमुखी व्यक्तित्व की मांग करता है। राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक पहलू पर निर्देशन एवं मार्ग दर्शन की आवश्यकता रहती है। यह मार्गदर्शन किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया जा सकता क्योंकि व्यक्ति अपूर्ण है तथा उसकी योग्यता एवं ज्ञान की कुछ सीमाएँ भी होती हैं।

(३) उक्त कमी को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि उच्च शिखर पर राजनीतिज्ञों की सहायता के लिए विशेषज्ञ हो और इन प्रकार नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार न होकर विशेषज्ञ मण्डली के सामान्य निर्देशन के अधीन किया जाय।

इसी भाव को व्यक्त करते हुए पामर तथा परकिन्स ने यह कहा था कि नेतृत्व एक लचीला पद है इसका प्रयोग अनेक ढंगों में किया जा सकता है किन्तु जिस ढंग में यह राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है, इसे अनेक ऐसे व्यक्तियों को समाहित करना चाहिए जिनके नेतृत्व के गुणों पर सैनिक सम्भावनाओं का विकास निर्भर करता है।

शान्तिकाल में नेतृत्व

(Leadership in peace time)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व का एक सर्वव्यापी महत्व है। दो राज्यों के बीच के सम्बन्धों को निर्धारित करने वाली इकाइयाँ उन देशों के नेता होने हैं। सामान्य जनता समस्या एवं परिस्थिति को न तो मती प्रकार समझ पाती है और न ही वह इतना समय एवं योग्यता रखती है कि सरकार के निर्णयों को बदल सके। सरकार की कोई भी नीति यदि प्रजा के हितों पर सीधा आघात करती हो तो वान दूसरी है वरना देश के नेताओं ने जो नीतियाँ प्रपना ली हैं, प्रजा उनका समर्थन कर देती है।

नेतृत्व का यह उत्तरदायित्व है कि वह हमारे देशों के भाव आदिक, सैनिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं अन्य ऐसे सम्बन्ध स्थापित करे जिनके द्वारा उसके देश की राष्ट्रीय शक्ति घटे नहीं तथा बढ़ती चली जाये तथा राष्ट्रीय शक्ति के जो विभिन्न तत्व हैं वे परस्पर सहयोग के माहूल पर बँध कर शक्ति के उच्चतम शिखर की ओर प्रमाण करें। यह सब करने के लिए नेतृत्व जिस नीति को प्रपनाता है वह कूटनीति कहलाती है।

जिस प्रकार राष्ट्रीय मनावन एक देश की धारमा हाता है उसी प्रकार कूटनीति उस देश का मस्तिष्क होती है। इसके अभाव में राष्ट्र के पास पाहे कितने ही अर्थ साधन क्यों न हो, वह स्थायी रूप से एक शक्तिशाली देश कभी नहीं बन पायेगा। कूटनीति (Diplomacy) का मुख्य कार्य जोता कि मार्ग-यो महोदय भी मानते हैं, यह है कि यह विदेश नीति के माध्य और साधनों को प्राप्त राष्ट्रीय शक्ति के स्रोतों के साथ एकरूप करती है। कूटनीति के माध्यम से उन सभी रास्तों को खोजा जाता है जिनसे द्वारा उस राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाया जा सके। कूटनीति का व्यवहार करने के लिए एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है।

शांति काल में नेतृत्व का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह कूटनीति के माध्यम से दूसरी राष्ट्रों के साथ सम्बन्धों को बढ़ावे, अपने अात्म-सम्मान की रक्षा करे तथा राष्ट्रीय स्वार्थों की पूर्ति का भरमक प्रयान करे ।

युद्ध काल में नेतृत्व

(Leadership in war time)

शान्तिकाल में राष्ट्र की शक्ति कूटनीति में रहती है जिसका सञ्चालन नेतृत्व द्वारा किया जाता है । कूटनीति जहा अनकल हो जाती है वही पर युद्ध आरम्भ हो जाते हैं । युद्ध कूटनीति की असफलता का परिणाम है और इस प्रकार यह नेतृत्व की नीतियों को कुछ अंशों में कमजोरी माना जायगा । युद्ध काल में नेतृत्व को जो उत्तरदायित्व सम्भालने पड़ते हैं वे गुण एव अनुपात दोनों ही दृष्टियों से शान्तिकालीन उत्तरदायित्वों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होने हैं ।

पुराने समय में युद्धकालीन नेतृत्व की प्रकृति आज से भिन्न थी क्योंकि युद्ध का स्वरूप भी उस समय आज जैसा न था । उदाहरण के लिए हम महाभारत से लेकर १८५७ के स्वतन्त्रता सप्राग तक के भारतीय युद्धों की ले सकते हैं । इनमें सेनायें सामने-सामने लड़ती थीं, युद्ध की हार-जीत का निर्णय बहुत कुछ योद्धाओं की वीरता, शौर्य, कौशल एव नेता-नायक के नेतृत्व की योग्यता पर निर्भर करता था । सेनापति के गुण और शक्ति को उसकी सेना का गुण एव शक्ति माना जाता था । कुशल सेनारणित्व, मोर्चेबन्दी, घेरा डालना आदि योग्यताओं के साथ सेना का नेता विजय थी को हासिल कर लेता था । उस समय के युद्ध भीमिन थे, केवल सेनायें ही लड़ कर निर्णय कर लेती थीं कि कौन शासन करने का अधिकार रखता है ।

आज के युद्ध इतने सौगिन नहीं वरन् व्यापक प्रकृति के हैं । इसी कारण इनको सम्पूर्ण युद्ध (Total war) की सजा प्रदान की जाती है । युद्ध के समय सारा राष्ट्र ही सक्रिय बन जाता है । राज्य के प्रत्येक स्रोत को सरक्षित, विकसित करने एव काम में लाने की आवश्यकता पड़ जाती है । देश के नेता का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह राष्ट्र की समस्त सामर्थ्यों को तथा उसकी शक्ति के प्रत्येक पहलू को संगठित एव नियोजित करे । इस प्रकार आज के युद्धों की प्रकृति को देखते हुए नेतृत्व का कार्य केवल यहाँ नहीं रह गया है कि वह रखलेत्रों में जाकर सेना का सञ्चालन करे यपितु आज उसे राष्ट्रभूमि से अलग सामान्य नागरिक जीवन में समस्त देश की शक्तियों को सुसंगठित करना होगा ।

राज्य चाहे वह प्रजातन्त्रात्मक हो या सर्वाधिकारवादी अथवा राजतन्त्र, राज्य के नेतृत्व की शक्ति कुछ चुने हुए लोगों के हाथों में ही केन्द्रित रहती है। ये चुने हुए लोग ही यह देखते हैं कि क्या देश के सारे साधन युद्ध में देश के पक्ष को शक्तिशाली बनाने में रत हैं अथवा नहीं। पामर तथा परकिन्स के मतानुसार आज के युद्धों को सम्पूर्ण युद्ध (Total war) इसी कारण कहा जाता है क्योंकि इसमें सम्पूर्ण स्रोतों की, सम्पूर्ण संगठन की तथा सम्पूर्ण प्रयत्नों की तथा कमी कमी सरकार को सारी शक्ति की आवश्यकता पड़ जाती है। राज्य के राजनीतिक नेताओं का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे राज्य की सारी शक्तियों का Coordination करें।

इस प्रकार चाहे शांति हो अथवा युद्ध, चाहे विकास योजनाओं को क्रियान्वित करना हो अथवा युद्ध की सामग्री का निर्माण, प्रत्येक देश को 'नेतृत्व' की आवश्यकता पड़ती है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए प्रत्येक देश को नेतृत्व के रूप में एक 'श्वणकुमार' की आवश्यकता होती है। 'नेतृत्व' राष्ट्रीय शक्ति के घ-य स्रोतों के सहारे देश का लेकर आगे बढ़ता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि किसी दशरथ द्वारा जाने या अनजाने एक देश के नेतृत्व की हत्या कर दी जाय तो वह देश शक्तिहीन हो जायेगा, उसके शक्ति के सारे स्रोत विसर्जित हो जायेंगे तथा अन्धशक्ति की भांति वह रो-रोकर अपने आप को विनष्ट कर देगा।

राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन (Evaluation of National Power)

राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्व भूगोल, प्राकृतिक स्रोत, जनसङ्ख्या, तकनीकी, मनोबल, नेतृत्व आदि की विस्तृत जानकारी करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यदि एक राष्ट्र को शक्तिशाली बनना है तो उसे इन सभी की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा। इन सभी तत्वों का एक सन्तुलित रूप में समन्वय उपयुक्त ही नहीं आवश्यक भी है। राष्ट्रीय शक्ति के परिचय के अध्ययन को समाप्त करने से पूर्व इस अध्ययन को कुछ मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कर देना अधिक उपयुक्त रहेगा क्योंकि इन विशेषताओं पर ध्यान दिये बिना आगे बढ़ने पर हम गलत निष्कर्षों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। शक्ति की दृष्टि से यदि हम एक राष्ट्र का स्तर मापने जा रहे हों तो, हम जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं—

(१) समन्वयात्मकता—किसी भी राष्ट्र की शक्ति का मूल्यांकन करते समय हमको सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर वर्णित सभी तत्व परस्पर सम्बन्धित होते हैं; इन सबके बीच अन्तरे और लगाव का सा सम्बाध है। दूसरे शब्दों में अगर ये तत्व आपस में मिल कर एक समन्वित (Coordinated) रूप में कार्य करते हैं तो भवश्य ही एक राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर पायेंगे। किन्तु अलग-अलग रहने पर न केवल राष्ट्र को कमजोर करेंगे वरन् ये स्वयं का महत्व भी खो देंगे। पामर तथा परकिन्स महोदय ने राष्ट्रीय शक्ति के समस्त तत्वों को एक-एक करके लिया है तथा यह बताने की कोशिश की है कि यदि वे परस्पर सम्बन्धित न रहे तो नष्ट हो जायेंगे, प्रभावहीन रहेंगे। उनके मतानुसार यह कहना भी गलत होगा कि शक्ति केवल वही रहती है जहाँ कि वे सभी वर्तमान हो क्योंकि लोग बिना हथियार, नेतृत्व, मनोबल एवं क्षेत्र के भी लड़ सकते हैं। तो भी यह तो सच है कि बिना तत्वों के कोई भी राष्ट्र उल्लेखनीय राष्ट्रीय शक्ति नहीं पा सकता।

(२) सापेक्षिकता—‘शक्ति’ अपने आप में पूर्ण नहीं होती या यों कहिये कि ‘शक्ति’ की कोई सीमा नहीं होती। आप किस देश को शक्तिशाली कहेंगे यह बात राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों की एक निश्चित मात्रा के स्वामित्व पर निर्भर नहीं करती। आवश्यक नहीं कि एक हाइड्रोजन बम रखने वाले राष्ट्र को हम शक्तिशाली न कहें क्योंकि यदि सभी देशों के पास हाइड्रोजन बम हो तो एक राष्ट्र ऐसी स्थिति में शक्तिशाली न कहला कर सामान्य शक्ति वाला कहा जायेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ‘शक्ति’ एक सापेक्षिक विशेषण है जो उसी को शोभित कर सक्ता है जो कि तुलनात्मक दृष्टि से शत्रु की अपेक्षा शक्ति के तत्वों की अधिक मात्रा का स्वामी है। पामर तथा परकिन्स ने इस बात को बड़े रोचक ढंग से व्यक्त करते हुए बताया है कि एक ४० वर्ष का व्यक्ति १० वर्ष के बालक के सामने तो बड़ा समझा जायगा किन्तु ८० वर्ष के वृद्ध की तुलना में हम उसको युवक ही कहेंगे। इस प्रकार ‘यह देश शक्तिशाली है’ यह कथन धर्महीन है जब तक कि यह उल्लेख न किया जाय कि कौन-कौन से देश इससे कमजोर हैं। इस प्रकार कमजोर राष्ट्र को जानने के लिए भी उसे दूसरे राष्ट्रों की शक्ति की कसौटी पर कसना पड़ेगा।

(३) परिवर्तनशीलता—शक्ति के विभिन्न तत्वों की स्थिति समय के अनुसार बदलती रहती है। एक देश कल यदि सर्वोच्च शक्ति या तो आवश्यक नहीं कि आज भयदा भाने वाले समय में भी वह शक्तिशाली बना

PART III

Instruments for the promotion of national interest, Diplomacy, Propaganda and Political Warfare : Economic Instruments for National Policy, Imperialism and Colonialism, War as an instrument of National policy.

अध्याय ७—राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन : कूटनीति, प्रचार और राजनैतिक युद्ध
(Instruments for the Promotion of National Interest : Diplomacy, Propaganda and Political Warfare)

अध्याय ८—राष्ट्रीय नीति की अभिवृद्धि के साधन : आर्थिक साधन, साम्राज्यवाद-अपनिवेशवाद एवं युद्ध
(Instruments for the promotion of National Interest : Economic Instruments, Imperialism, Colonialism and War)

“अन्तर्राष्ट्रीय पारस्परिक व्यवहार के सभी साधन एवं तकनीकें मंत्रीपूर्ण तथा भगडेपूर्ण, सम्बन्धों में, शान्ति एवं युद्ध दोनों ही कालों में प्रयुक्त की जा सकती हैं। यद्यपि इतना अवश्य है कि इनमें से कुछ की प्रकृति अधिक समझाने बुझाने की है जबकि अन्य दवावकारी हैं।”

—फ्रैंकेल

“कूटनीति अथवा राज्य स्वतन्त्र राज्यों के पारस्परिक राजकीय सम्बन्धों के संचालन में बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग करने को कहते हैं जो कभी-कभी उनके अधिनस्थ राज्यों से उनके सम्बन्धों के लिए भी लागू होता है।”

—सर अरनेस्ट सेटा

“जब कभी राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं, चाहे वे दूसरे देशों का अहित करती हों अथवा नहीं, वे राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन हैं।”

—यामर तथा परकिन्स

“साम्राज्यवाद में दूसरे देशों को जीतने का प्रयास निहित रहना है किन्तु दूसरे देशों को जीतने की नीति को ही हम साम्राज्यवाद नहीं कह सकते।”

—बुखरिन

“उपनिवेशवाद अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में राष्ट्रियता का स्वाभाविक अति-प्रवाह (over-flow) है। इसकी परीक्षा उपनिवेशियों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे अपनी सम्यता को अपने नवीन सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ढाल सकें।”

—हाथसन

“अगर तूम शान्ति चाहते हो तो पहले युद्ध को समझो।”

—सिडेल हाट्ट

राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन :
 कूटनीति, प्रचार और राजनैतिक युद्ध
 [INSTRUMENTS FOR THE PROMOTION OF NATIONAL
 INTEREST DIPLOMACY, PROPAGANDA AND
 POLITICAL WARFARE]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के दो रूप हैं। पहला रूप सहयोग (Co-operation) है। यह बढ़ा पाया जाता है जहाँ पर कि भगड़ा या सघर्ष नहीं होता। दूसरा रूप लड़ाई है। यह तब उत्पन्न होती है जब कि सघर्ष में समझौते की गुञ्जाइश न रह जावे तथा विरोधी को नष्ट करना ही एकमात्र लक्ष्य रह जाये। जैसे अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार इन दोनों ही अतिस्थितियों के बीच में रहता है। इस स्थिति को हम प्रतिपोगिता कह सकते हैं। राष्ट्रों के बीच सदैव किसी न किसी विषय पर सघर्ष की स्थिति रहती है किन्तु यह सघर्ष अधिक नहीं बढ़ पाता और प्रायः समझौते में इसका अन्त होता है। राष्ट्रों के मध्य स्थित व्यवहारों को राज्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाज दोनों की ही प्रवृत्ति के द्वारा प्रशासित किया जाता है। राज्यों की एक मुख्य विशेषता यह होनी है कि वे मानवाय समूहों का सर्वोच्च रूप होते हैं, वे अपने ऊपर किसी भी सर्वोच्च को नहीं देखना चाहते और प्रायः आत्म-हित की दृष्टि से ही कार्य करते हैं। यह आत्म-हित ही उनका राष्ट्रीय हित है। अन्तर्राष्ट्रीय समाज राज्यों के ऊपर अधिकारपूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं करता, वह उनके व्यवहार के लिए केवल कुछ नियम मात्र प्रस्तावित कर सकता है।

इन नियमों का पालन ये राज्य अपने राष्ट्रीय हित (National Interest) की दृष्टि से करते हैं। आज का अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार प्रत्येक स्तर पर सघप का प्रदर्शन करता है। युद्ध एवं हिंसा की घमकियाँ लगातार दो जाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र बहुत कुछ ऐसी स्थिति में आ गया है जिस स्थिति में कि हाइस के कथनानुसार 'अन्तिम राजन की स्थापना से पूर्व रहता था। इस अराजकता एवं अव्यवस्था की स्थिति से कैसे बाहर आया जाये ? यह एक भिन्न प्रश्न है। यहाँ हम इस प्रश्न की गम्भीरता या इसके समाधानों पर विचार नहीं कर रहे हैं वरन् इस अध्याय में तथा आगे अध्याय में हम उन विभिन्न साधनों का अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा एक राज्य अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना आज प्रत्येक राज्य का सब प्रमुख राष्ट्रीय हित है। राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ा कर वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खन रहे निरन्तर सघप में विजय पाने की चेष्टा करता है तदा अपने अस्तिस्त्व एवं विनास के लक्ष्यों की साधना करता है।

अपने राष्ट्रीय हित (शक्ति की अभिवृद्धि) की प्राप्ति के लिए एक राज्य अनेक साधन अपनाता है। स्वयं की सामर्थ्य एवं योग्यता तथा अवसर की अनुकूलता के आधार पर वह यह तय करता है कि उसे किस साधन को किस राज्य के साथ प्रौर कब अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए विश्व के राज्य जिन साधनों को अपनाते हैं तथा अपना सकते हैं वे मुख्य रूप से ये हैं—

- (i) कूटनीति (Diplomacy)
- (ii) प्रचार एवं राजनैतिक युद्ध
(Propaganda and Political Warfare)
- (iii) आर्थिक साधन (Economic Instruments)
- (iv) साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद
(Imperialism and Colonialism)
- (v) युद्ध (The war)

प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन साधनों में से कुछ को अथवा सभी को अपनाता है। कूटनीतिक सम्बंध तो सामान्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की विशेषताएँ हैं जो कि प्रायः सर्व ही राज्यों के पारस्परिक सम्बंधों का आधार बनते हैं। प्रचार का एवं राजनैतिक युद्ध का द्वारा राज्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मलगन कूटनीति की सहायता करता

है। प्रायिक साधन भी उसे कुछ ऐसा ही करने का अवसर प्रदान करते हैं। अपने राष्ट्रीय हितों को स्थायी रूप से सुरक्षित बनाने की सातिर एक देश प्रसारवादी नीतिया अपनाता है और साम्राज्य तथा उपनिवेश कायम करता है। जब कूटनीति एक राज्य के राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में असफल हो जाती है तो वह राज्य युद्ध का मार्ग अपनाता है और जो कामें वह बार्ता द्वारा नहीं कर सका उसे शक्ति द्वारा करने का प्रयत्न करता है। युद्ध के समय भी अन्य साधन सक्रिय रह नकने हैं और प्रायः रहते हैं किन्तु अन्य साधनों की सक्रियता के साथ युद्ध का रहना जरूरी नहीं है। यदा-कदा उसकी घमकी अवश्य प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। प्रस्तुत अध्याय में हम राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के प्रथम दो साधनों अर्थात् कूटनीति तथा प्रचार और राजनैतिक युद्ध का अध्ययन करेंगे, जिन के सम्बन्ध में अज्ञाना अध्याय विचार करेंगे।

अन्तर्राज्यीय व्यवहार का बदलता रूप (The Changing Pattern of Inter-State Behaviour)

राज्यों का पारस्परिक व्यवहार एक बात में सभी स्थानों पर और सभी कालों में एक स्थान पर कभी भी एक जैसा नहीं रहा है। स्थान तथा काल का अन्तर्राज्यीय व्यवहार पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है और इसलिए इसका रूप भी तदनुसार बदलता रहा है। ऐसी स्थिति में हम चाहें तो दो राज्यों के एक निश्चित काल के पारस्परिक व्यवहार को मानानी से जान सकते हैं। किन्तु इन सम्बन्धों में दूसरे बहुत से राज्य भी जोड़ दिये जायें तथा इतने एक समूह समय तक के लिए व्याप्त बना दिया जाये तो मुश्किल हो जायेगी। विभिन्न क्षेत्रों एवं कालों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का रूप बहुत कुछ बदल जाता है। कई देश आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उतर आए जबकि तिब्बत और नेपाल जैसे हिमालय की तराई के देश वर्तमान सत्ताधीन तक पृथक रहे हुए थे। हम किसी भी देश की विदेश नीति का मूलांकन उस समय तक नहीं कर सकते जब तक कि पहले न दोनो क्षेत्रों में वह दूसरे राज्यों के सम्बन्धों में वित्तना उभरता हुआ है। विदेश नीति के प्रायः सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक देश के उत्सन्ने पर निर्भर करते हैं। कुछ देश शक्ति राजनीति के क्षेत्र में परम महिम्ना के साथ उत्तरे हुए हैं, जबकि दूसरे देश शक्ति राजनीति से अलग रह कर एक तटस्थ या अक्षय्य दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं।

परम्परागत रूप से प्रत्येक राज्य विदेशी सम्बन्धों में अत्यधिक उत्सन्नों का बोझ नहीं उठाना चाहता और इसलिए वह पृथक या तटस्थ रहना

चाहता है। आज की परिस्थितियों में पार्यव्ययता की नीति प्रायः समाप्त हो गई है और तटस्थता की नीति ने भी अपना अर्थ पूरी तरह से बदल दिया है। पार्यव्ययवाद का अर्थ यह होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से एक देश अपना हाथ पूरी तरह खींच ले। मौगोलिन पार्यव्यय के आधार पर यह नीति पहले सम्भव थी और इसीलिए यूरोपीय प्रभाव से पूर्व चीन तथा जापान इसे अपना सके, किन्तु आज की परिस्थितियाँ इसे असम्भव बना देती हैं।

आज से पचास वर्ष पूर्व तटस्थता को एक कानूनी मान्यता समझा जाता था जिसका अर्थ था युद्ध में भाग न लेना। यह नीति तटस्थ राज्य की कुछ अधिकार सौंपती थी और कुछ वर्तक्य डालती थी। आज की स्थिति में इसका अर्थ यह है कि दो प्रमुख गुटों के बीच असलमन रहा जाए तथा सन्धियों की व्यवस्था में भाग न लिया जाए। आज के तटस्थ देश सोवियत रूस या समुक्त राज्य अमरीका के गुट की किसी भी सैनिक शक्ति में सम्मिलित नहीं होते, वे किसी भी प्रश्न पर किसी एक पक्ष का समर्थन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। हमारे अनिश्चित के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक रूप से भाग ले सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते समय यह जरूरी है कि एक राज्य की सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सम्बन्ध में दृष्टिकोण को जाना जाए और दूसरे किसी एक राज्य से सम्बन्धित उसके दृष्टिकोण को जाना जाए। इस दृष्टि में हम राज्यों को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। कुछ राज्य यथास्थिति के समर्थन होते हैं। ये राज्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थायित्व को सुरक्षित रखना चाहते हैं क्योंकि उनसे मतानुसार इससे उनके हितों की रक्षा होती है। दूसरे राज्य यह अनुभव करते हैं कि विश्व व्यवस्था उनके राष्ट्र हित के विरुद्ध है और इसे बदलने पर उन्हें प्राप्ति होगी। ये देश सशोधन वाले देश कहलाते हैं। ये सकारात्मक एवं निपेधात्मक दृष्टिकोण स्थापना एवं निश्चय की दृष्टि में पर्याप्त मिश्रता रखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यथास्थिति के सभी समर्थन शिथिल व्यवस्था की रक्षा के लिए समान रूप से तैयार नहीं हैं और सभी प्रकार सशोधनवादी राज्य भी वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करने के लिए समान रूप से उत्कण्ठ नहीं हैं। दुनिया के राज्य अपने मित्रों के प्रति, अपने सम्भावित शत्रुओं के प्रति एवं तटस्थ देशों के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाते हैं उनके बीच पर्याप्त मिश्रता होती है। एक विशेष दृष्टिकोण से प्रभावित होकर ही वे यह तय करते हैं कि दूसरे राज्य से सम्बन्ध रखने के लिए कौन से साधन और तकनीक अपनायें।

कोई भी राज्य अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में हित साधनों का प्रयोग करेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि शक्ति के विभिन्न तत्व वहां किस माना में उपलब्ध होते हैं। जो देश संनिव दृष्टि से कमजोर है वे स्वत ही अपने विदेश सम्बन्धों को गैर-सैनिक साधनों एवं तकनीकों के आघार पर विकसित करेंगे। जो राज्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर है वह विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक साधनों को नहीं अपना सकता। इस प्रकार यह राज्य की इच्छा मात्र का ही प्रश्न नहीं है क्योंकि यह उनके अन्य राज्य के प्रति शैक्षिक दृष्टिकोण तथा उसके साधनों की क्षमता पर निर्भर करता है। अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में कुछ अपरिहार्य तत्व भी पैदा हो जाते हैं। समय के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में अवसर एवं चुनौतियां बदलती रहती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय तौर तरीके तथा अन्तर्राष्ट्रीय आदान प्रदान के खेल को प्रभावित करने वाले नियम स्थायी या अपरिवर्तनीय नहीं होते। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की अमरीकी विदेश नीति की यह कह कर आलोचना की जाती है कि यह असु हथियारों पर अत्यधिक आश्रित थी क्योंकि अमरीका इन हथियारों की दृष्टि से शक्तिशाली था किन्तु तथ्य यह है कि अनेक प्रश्नों पर ये हथियार बेकार थे तथा मुह्य सोवियत चुनौतियां धीरे धीरे संज्ञातिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में आती जा रही थी। ग्रेट-ब्रिटेन तथा फ्रांस ने सन् १९१६ में स्वेज नहर विवाद के समय यह जान लिया कि बीसवीं शताब्दी के मध्यकाल में कोई भी सैनिक हस्तक्षेप केवल तभी किया जाना चाहिए जबकि कम से कम एक बड़ी शक्ति या समुक्त राष्ट्रमध्य का समर्थन प्राप्त हो।

प्रथम विश्व युद्ध तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध केवल दूपरी सरकारों के साथ ही संचालित किय जाते थे किन्तु उसके बाद से अन्य राज्य के लोगों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का महत्त्व बढ गया है। फलत अन्त-सरकारी सम्बन्धों के साधनों एवं तकनीकों को अग्र बढ़ता जा रहा है तथा उनके स्थान पर ऐसी तकनीकों का लाया जा रहा है जो कि जनता में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उपयुक्त हैं। कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इन दोनों हलों के बीच विरोध भी स्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए समुक्त राज्य अमरीका पूर्वी योरोप की गैर-पाराना सरकारों के सम्बन्धों को निश्चित करने के लिए कभी-कभी उनकी आर्थिक बठिनाइयों में इस आशा से मदद कर देता है कि उनकी सद्भावना प्राप्त कर सके तथा सोवियत संघ के प्रति उनकी स्वाभिमानिता का कम कर सके। यह नीति (अलगत्व) (D-achment) की नीति कहलाती है। इसका अर्थ यह है कि इन देशों की जनता से अपील की जाये कि वे अपनी सरकारों का सत्ता पलट दें तथा उनके स्थान पर ऐसी

सरकारें स्थापित करें जो कि समुक्त राज्य अमरीका के प्रति अधिक मंत्री-पूर्ण हो। यह नीति सहार (Subversion) की नीति कहलाती है। स्पष्ट है कि ये दानो प्रकार की नीतियां परस्पर विरोधी हैं।

एक राज्य की विदेश नीति दूसरे देश की सरकारों के प्रति केवल निर्देशित ही नहीं होनी बरन् उनको अपने साधन के रूप में भी प्रयुक्त कर लेती है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से यह प्रवृत्ति पर्याप्त बढ गई है कि महाशक्तियां स्वयं प्रत्यक्ष रूप से किसी सघर्ष में नहीं उलझती तथा किसी देश को अपने हितों की सिद्धि का सहारा बना कर उसे उलझा देती हैं तथा स्वयं पीछे से सहायता करती रहती हैं। यह बात साम्यवादी गुट में अधिक देखने का मिलती है क्योंकि साम्यवादी विचारधारा अन्तर्राष्ट्रीय भाति में विश्वास करती है अतः कोई भी साम्यवादी देश सोवियत सत्र के हितों की साधना का माध्यम बनने में प्रायः एतराज नहीं करता। चीन, यूगोस्लाविया आदि कुछ देशों को विदेश नीति का साधन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वहां राष्ट्रवाद की भावनायें उभर चुकी हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय संधियों पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का प्रभाव भी धीरे-धीरे बढता जा रहा है। समुक्त राष्ट्रसंघ के चाटर् में यह लिखा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति का प्रयोग या शक्ति की घमकी से काम न लिया जाय। इस प्रावधान का यद्यपि सर्वत्र ही पालन नहीं किया जाता किन्तु फिर भी राज्यों के व्यवहार पर इसका पर्याप्त प्रभाव होता है। सामान्य रूप से यदि अथवा बात समान रह तो राज्य उन साधनों एवं तकनीकों को अपनाता चाहते जो कि चाटर् के अनुरूप हो तथा महासभा में अभिभूत अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत की स्वीकृति प्राप्त कर सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में मित्रों एवं शत्रुओं के बीच तथा समझाने-बुझाने एवं दबाव डालने के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं होता। अनेक मामलों में सबंध कई प्रकार का होता है। अधिकतर मंत्रीपूर्ण संधियों में भी दबाव की घमकी प्रायः दी जा सकती है तथा विचारधारागत रूप से विरोधी देश भी व्यापार के मामलों में प्रायः समझौता कर लेते हैं। सातिकात्त का अर्थ यह नहीं होता कि सघर्ष का अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार युद्ध का अर्थ भी यह नहीं होता कि अब दबावहीन साधन बकार ही हो गये हैं। फौजद महाशय का यह कथन इस दृष्टि से पर्याप्त उपयोगी एवं तथ्य संगत प्रतीत होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय पारस्परिक व्यवहार के सभी साधन एवं तकनीकें, मंत्रीपूर्ण तथा भगदपूर्ण सम्बन्धों में, शांति एवं युद्ध दोनों ही कालों में प्रयुक्त की जा सकती हैं। यद्यपि इतना

भवश्य है कि इनमें से कुछ की प्रकृति अधिक समझाने बुझाने की है जबकि अन्य दबावकारी हैं। वर्तमान काल में राष्ट्रीय नीति एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीति के बीच का अन्तर एवं दूरी भी कम होती जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय संबंध उन नीतियों से पर्याप्त प्रभावित होते हैं जिनको कि हम शुद्ध रूप से धरेलू नीति कहते हैं। उदाहरण के लिए एक बड़े देश की प्राथिक नीति उसका स्वयं का धरेलू मामला है किन्तु यह उन छोटे देशों के व्यापार एवं मुद्रा पर भारी प्रभाव डाल सकता है जो कि उम पर आश्रित हैं। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव रखने वाले किसी भी राष्ट्रीय हित को अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का समझा जा सकता है। भारत में रुपये का अवमूल्यन किया गया था। यह विषय शुद्ध रूप से उसकी धरेलू नीति या विषय था तथा विश्व के अन्य देशों को इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। इतने पर भी हम यह नहीं कह सकते कि भारत की इस नीति में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई प्रभाव न डालना शक्य था वह उममें पूर्ण रूप से असम्भव था। भारत द्वारा निर्यात एवं आयात क्रिये जाल वान सामान के मूल्यों पर भारी प्रभाव पडा। दूसरे देशों को भी इसके प्रभावों द्वारा उनकी अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना पडा।

राष्ट्रीय हित का अर्थ (The Meaning of National Interest)

मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की भांति राष्ट्रीय जीवन में भी व्यवहार के दो पक्ष होते हैं—पहला स्वायत्त पक्ष और दूसरा परमार्थ पक्ष। पहले पक्ष के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र के प्रत्येक कार्य का प्रमुख लक्ष्य उसके स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति करना होता है। इस दृष्टि से एक राष्ट्र का न तो कोई स्थायी मित्र होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन, केवल स्थायी स्वार्थ होते हैं। अन्य देश यदि उस राष्ट्र के इस स्वार्थों की पूर्ति में एक सहायक का कार्य करेंगे तो अवश्य ही गहरे मित्र बन जायेंगे किन्तु यह मित्रता केवल तभी तक स्थिर रहेगी जब तक कि इसका आधार 'स्वार्थ पूर्ति' कायम करना रहता है। इस आधार के समाप्त होते ही मित्रता का महत्त्व भी घराशायी हो जायगा और यह भी सम्भव है कि वे देश परस्पर उतने ही शत्रु बन जायें जितने कि पहले वे मित्र थे। विश्व का इतिहास एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का क्रम इस कथन की पुष्टि के लिए इतने प्रमाण दे सकता है कि यह कथन आजकल स्वयं सिद्ध सत्य सा बनता जा रहा है।

राष्ट्रीय क्रियाओं के परार्थमूलक पक्ष में उन सभी कार्यों को समाविष्ट किया जा सकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, विश्व शांति एवं विश्व समाज में समानता, स्वतन्त्रता तथा भाईचारे (Liberty, Equality and Fraternity) के सिद्धांतों को सफल बनाने की दिशा में किये जाते हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से अनेक राष्ट्र पिछड़े देशों के उत्थान के लिए अनेक प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं। वे उनके शैक्षणिक, आर्थिक, तकनीकी, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करके वहाँ के जीवन स्तर को अपने समकक्ष बनाने में प्रयत्नशील हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनेक अभिकरण इन परार्थमूलक क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन (ILO), खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO), अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण (IAEA), विशेष अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास की राशि (SUNFED), अन्तर्राष्ट्रीय विकास सस्था (IDA) तथा बाल विकास की राशि (UNICEF) आदि महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रीय क्रियाओं के स्वार्थमूलक तथा परार्थमूलक पक्षों का तुलनात्मक महत्व आकस्मिक समय प्रायः स्वार्थमूलक क्रियाओं को ही प्रभावशील ठहराया जाता है। अनेक विचारकों की यह मान्यता बहुत कुछ सत्य है कि परार्थमूलक क्रियाएँ अपने आप में साध्य नहीं हैं, वे साधन हैं तथा उनका परम लक्ष्य है उस राष्ट्र के स्वार्थों की पूर्ति। उदाहरण के लिए हम भारत की विदेश नीति के समर्थकों के तर्कों को ले सकते हैं। यह कहा जाता है कि भारत की शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित प्रसन्नता की विदेश नीति को केवल आदर्शवादी मानना भ्रमपूर्ण है क्योंकि देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए विश्व में शान्ति बनाये रखना परम आवश्यक है। भारतीय विदेश नीति विश्व शांति एवं विश्व सहयोग की अभिवृद्धि का प्रयास करती है और इस प्रकार यह राष्ट्रीय हित (National Interest) को उपेक्षणीय या गौण नहीं बनाती बल्कि सच्चे अर्थों में उसे प्राप्त करने का प्रयास करती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को सहयोग एवं सहायता इसलिए देता है कि वह उसके स्वयं के दूरगामी हित में है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक व्यापार के समान है जिसमें कोई भी सर्वां उससे दुगुनी आमदनी की आशा में किया जाता है। मूल रूप में क्रूर स्वार्थ ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों का प्रेरक है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि राष्ट्रों के बीच युद्ध हुए, भगबे हुए, शान्ति हुई, सन्धियाँ हुई,

इन सबके पीछे एक ही मूल कारण था जो कि सारे घटनाचक्र को घुमाने के लिये उत्तरदायी रहा और वह था प्रभावशील राष्ट्रों का धपना-धपना स्वार्थ ।

यदि यह मान लिया जाय कि राष्ट्रीय हित ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सब कुछ है तो अब समस्या यह आती है कि आखिर इस 'हित' की प्रकृति एवं स्वरूप क्या है । किन्-किन बातों को इस शब्द की परिधि में समाहित किया जाय और किस आधार पर । दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय हित को परिभाषित करने की समस्या उठ खड़ी होती है । राष्ट्रीय हित कोई स्थिर या शाश्वत वस्तु नहीं है, वह तो एक परिवर्तनशील तत्व है जिसे गत्यात्मक (Dynamic element) कहा गया है । लम्बे इतिहास में एक समय ब्रिटेन का स्वार्थ भारतवर्ष में धपना साम्राज्य बनाये रखना हो सकता है तो दूसरे पक्ष में उसका यह कार्य हित साधक की अपेक्षा हित का विरोधी भी हो सकता है । राष्ट्रीय हित स्थान एवं काल (Time and Place) के परिवर्तन के साथ अपने स्वरूप को बदलता रहता है । एक राष्ट्र के एक ही समय में अनेक हित हो सकते हैं । इन हितों के बीच परस्पर विरोधामास भी रह सकता है । ऐसी अवस्था में जो हित महत्व एवं प्रभाव की दृष्टि से उच्च स्तर का होता है उसको वह राष्ट्र प्राथमिकता प्रदान करता है । निम्न-स्तर वाले राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने के कारण अनेक बार राष्ट्रों की राजनीति की असफल होशे देखा गया है ।

राष्ट्रीय हित (या हितों) के स्वरूप में भिन्नता, अस्थिरता, विरोधामास, स्तरों की असमानता आदि अनेक विशेषताएँ देखने को मिलती हैं । मार्गेंथो (Morgenthau) महोदय के मतानुसार राष्ट्रीय हित में प्रायः दो तत्व निहित होते हैं—एक तो यह कि यह तार्किक रूप से वाञ्छनीय है और इस प्रकार आवश्यक भी । दूसरे, यह अस्थिर तथा परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होता है । राष्ट्रीय स्वार्थ को आवश्यक मानने से उनका अर्थ यह है कि प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों के विरुद्ध अपनी भौतिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक एकरूपता (Identity) की रक्षा करना आवश्यक बन जाता है । इसके अभाव में उनका स्वयं का अस्तित्व भी मिट सकता है । एक देश का राष्ट्रीय हित दूसरे देश के राष्ट्रीय हित के अनुकूल भी हो सकता है और विरोधी भी, किन्तु भाग के सम्पूर्ण युद्ध (Total War) के युग में एक राष्ट्र के अस्तित्व के लिए तथा राजनैतिक नैतिकता को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्र अपने स्वार्थों को निर्धारित करते समय दूसरे राष्ट्रों के हितों को भी ध्यान में रखे तथा दोनों के बीच अनुकूलता की स्था-

पना का प्रयास करे। राष्ट्रीय हितों की मान्यता यह मान कर नहीं चलती कि विश्व में सहयोग रहेगा तथा ससार में शान्ति बनी रहेगी और न ही यह मान कर चलती है कि ससार में अशान्ति एवं युद्ध छिड़ जायगा वरन् इसका यह विश्वास है कि ससार में हमेशा सघर्ष तथा भंगड़े बने ही रहेंगे तथा ये भंगड़े युद्ध का रूप धारण न कर लें इसके लिए कूटनीति (Diplomacy) के माध्यम से इन सघर्षों के बीच सतुलन की स्थापना कर ली जायगी।

राष्ट्रीय स्वार्थ अथवा राष्ट्रीय हित के उपरोक्त रूप को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय हित के माधनों को जानना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है।

राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित

(National Interest defined in terms of National Power)

राष्ट्रीय हित की प्रकृति एवं स्वरूप के सम्बन्ध में जो विचार ऊपर व्यक्त किये गए हैं यदि उनको मान कर अपने अध्ययन को हम आगे बढ़ायें तो माय में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रीय हित का प्राप्त करने का मुख्य साधन 'शक्ति' है। राष्ट्र के हित का साधन भी रूप एवं लक्ष्य बंधो न हो एक देश उसे तभी प्राप्त कर सकता है जबकि उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। शक्ति अनेक प्रकार की हो सकती है जैसे आर्थिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति, भौगोलिक शक्ति, सैनिक शक्ति आदि। शक्ति के इन विभिन्न रूपों का वर्णन राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का अध्ययन करते समय किया जा चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के गणमान्य विद्वानों के मन में राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित के बीच इतना गहरा एवं अमिश्र सम्बन्ध है कि दोनों को पृथक् करने से दोनों का ही अस्तित्व सतरे में पड़ जाता है। इन विचारकों के मतानुसार यदि राष्ट्रीय शक्ति को ही राष्ट्रीय हित मान लिया जाय तो अनिश्चयता नहीं होगी। यह मत सही भी है क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र शक्तिशाली बनने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना है और शक्ति का सघर्ष ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास का मूल तत्व है। 'शक्ति' यद्यपि एक साधन है जिसका प्रमुख लक्ष्य राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना, उन्हें सम्भव बनाना तथा राष्ट्र को विश्व समाज में उच्च स्थान प्रदान कराना है किन्तु फिर भी ये समस्त बातें आज इतनी प्रचलित हो चुकी हैं कि आज शक्ति एक साधन मात्र न रह कर साध्य बन गयी है। यही कारण है कि अनेक राष्ट्र शक्ति प्राप्त करने की धुन में अपने अस्तित्व तक की दाव पर लगा देते हैं। हिटलर के जर्मनों और मुसोलिनी के इटली को दंगन पर यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है।

इन प्रकार हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति एक राष्ट्र का सबसे प्रमुख 'राष्ट्रीय हित' (National Interest) है जिसे प्राप्त करने के बाद ही अन्य हितों की प्राप्ति करना भी सम्भव होता है। राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्व यदि एक देश में संतुलित एवं सुविकसित रूप में प्राप्त होते हैं तो स्पष्ट है कि वह देश उन देशों की अपेक्षा शक्तिशाली माना जायेगा जिनके पास इन तत्वों के ऐसे रूप का अभाव है। एक राष्ट्र का यह सबसे बड़ा हित होगा कि राष्ट्रीय शक्ति के इन तत्वों का संतुलित विकास किया जाय और उन सभी बाधाओं को दूर किया जाय जो कि राष्ट्रीय शक्ति को उच्च शिखर तक पहुँचने में रोक लगाने हैं। उदाहरण के लिए यदि एक देश की आर्थिक शक्ति को हम बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ औद्योगीकरण करना पड़ेगा। निम्न देश में औद्योगीकरण (Industrialization) किया जाना है वे देश अविश्वसनीय होने के कारण मुख्यतः जर्मन स्वयंसेवकों के होते हैं तथा वे उन सभी दृष्टिकोणों, सामाजिक नीतियों एवं तकनीकों को विरोध करने हैं जिनसे एक औद्योगिक समाज की विकासात्मकता माना जाता है। ऐसी स्थिति में तीव्र गति से औद्योगीकरण नहीं किया जा सकेगा जो कि उन देश का प्रमुख राष्ट्रीय हित होगा है। इस हित को प्राप्त करने के लिए जनता में शिक्षा का प्रचार किया जायेगा, वहाँ के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जायेगा तथा साथ ही विकसित राष्ट्रों से उनका सम्पर्क स्थापित किया जायेगा। किन्तु यह सब करने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है। बिना पूँजी के एक अर्धविकसित (Semi-developed) देश के नागरिकों को ऐसा बनाना असम्भव है कि वे परिवर्तन के लिए महत्तम कर सकें। साथ ही पूँजी का औद्योगीकरण की प्रक्रिया में भी महत्त्व है। यहाँ आकर पूँजी प्राप्त करना उस देश का राष्ट्रीय हित बन जाता है। पूँजी प्राप्त करने के मुख्य रूप से तीन तरीके हो सकते हैं—

प्रथम, पूँजी दूसरे देशों से सहायता एवं ऋण के रूप में प्राप्त की जाय।

द्वितीय, पूँजी अपने देश में ही उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर प्राप्त की जाय; और

तृतीय, पूँजी बढ़ाने का तीसरा अर्थान्वय विधेयात्मक है अर्थात् देश की खपत (Consumption) को कम कर दिया जाय—जैसा कि लाख स्थिति में स्वावलम्बन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक समय का खाना छोड़ने एवं इसी प्रकार के अन्य प्रतिबंध लगा कर किया जा रहा है।

जहाँ तक पूँजी की विदेशों से प्राप्त करने का प्रश्न है वह किया जाना चाहिए और उसके बिना भागे बड़ा भी नहीं जा सकता किन्तु साथ ही केवल

विदेशी सहायता पर निर्भर रह कर ही एक देश अपना समुचित विकास (आत्मसम्मान के साथ) नहीं कर सकता। इसलिए यह आवश्यक बन जाता है कि देश की पैदावार को बढ़ाया जाय। साम्यवादी चीन में मनुष्य शक्ति का जो अमानवीय रूप से प्रयोग किया गया वह इसी तथ्य को लेकर किया गया है। इस प्रकार औद्योगीकरण की प्रक्रिया में एक देश का जीवन स्तर प्रारम्भ में तो बढन की अपेक्षा घटता है और यह जीवन स्तर की कसौटी अप्रत्यक्ष रूप से उस देश का राष्ट्रीय हित (National interest) है।

असल में राष्ट्रीय हित गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है क्योंकि परिस्थितियाँ एवं समय की आवश्यकताएँ उसे जैसा चाहती हैं मोड़ देती हैं किन्तु फिर भी यह एक सार्वकालिक सत्य (Universal truth) है कि राष्ट्रीय हित को बिना शक्ति के प्राप्त नहीं किया जा सकता इसलिए अधिक शक्ति प्राप्त करना एक राष्ट्र का ऐसा हित है जो कि सभी कालों में एवं सभी स्थानों में स्थिर रहता है। परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव आते हैं और चले जाते हैं किन्तु एक राष्ट्र की 'राष्ट्रीय शक्ति' में वृद्धि की अभिलाषा अप्रभावित बनी रहती है। अब तक के अनुभवों में ऐसा प्रतीत होता है कि 'राष्ट्रीय शक्ति' के रूप में परिभाषित 'राष्ट्रीय हित (National interest defined in terms of national power) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक सार्वकालिक अपरिवर्तनशील सत्य है और शायद इसी कारण मार्गें-थो (Morgenthau) महोदय ने यथार्थवाद के समर्थकों को अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते समय दूसरे देश के 'शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित' को ध्यान में रखने का परामर्श दिया है। राष्ट्रीय हित के रूपों को ध्यान में रख कर यदि अध्ययन किया जाय तो हम एक देश के व्यवहार तथा एक विशेष प्रश्न पर उसके दृष्टिकोण के बारे में भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं।

राजनय या कूटनीति (Diplomacy)

एक देश के दूसरे देशों के साथ सम्बन्धों का संचालन एक अधिकारी वर्ग द्वारा किया जाता है जिसे कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। इस वर्ग के कार्यों की प्रणाली एवं उनके परिणामों पर उस देश का विचार एवं भाव्य निर्भर करता है। दो देशों के बीच छोटा मतभेद रहने पर भी मामला प्रबल सम्बन्ध बनाये रखने का काम इन कूटनीतिज्ञों द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार टैलर (Taylor) के मतानुसार यदि कूटनीतिज्ञ डॉनहान के कार्यों को देखा जाय तो हमें कूटनीति का महत्त्व ज्ञान हो जायगा। यह कहना पर्याप्त

होगा कि जव-जव भी व्यक्ति ने ऐसा चाहा है, कूटनीतिक मनुष्यों ने शांति में रहने में सहायता की है। इस प्रकार कूटनीति का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्व है क्योंकि यह शान्ति बनाये रखने में सहायता करता है, देशों की हित प्राप्ति का साधन बनता है और शक्ति संघर्ष के बीच सामंजस्य पैदा करती है।

कूटनीति का अर्थ और परिभाषायें

(Meaning and Definitions of Diplomacy)

कूटनीति को परिभाषित करते समय विभिन्न-विद्वानों ने इसके अलग अलग अर्थ बताये हैं। कूटनीति (Diplomacy) के प्रसिद्ध विचारक हैराल्ड निकोलसन (Harold Nicolson) के मतानुसार कूटनीति शब्द का प्रयोग पाँच मित्र मित्र अर्थों में किया जाता है। इसका प्रयोग विदेश नीति (Foreign policy), समझौता (Negotiation), समझौते की प्रक्रिया (The process and machinery by which such negotiation is carried out), विदेश सेवा की एक शाखा (A branch of Foreign Service) आदि अर्थों में किया जाता है। निकोलसन महोदय के मतानुसार कूटनीति का पाचवें अर्थ में प्रयोग बड़ा दुर्भाग्यशाली है। इन अर्थों में सबसे अच्छा रूप वह है जबकि यह शब्द समझौते (Negotiations) करने की बुद्धि के लिए प्रयुक्त किया जाय तथा इसका सबसे बुरा रूप वह है जबकि इसे एक कण्ठपूर्वक तथ्य (Glibful aspect of fact) के लिए प्रयोग में लाया जाये।

ओर्गेन्स्की (Organski) महोदय ने निकोलसन द्वारा बताये गये कूटनीति (Diplomacy) के उक्त अर्थों में से कुछ को अस्वीकार किया है। उनके कथनानुसार कुशलता, चतुराई और कपट एक अच्छी कूटनीति के लक्षण बने ही हो सकते हैं, किन्तु इनको कूटनीति को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं कहा जा सकता। कूटनीति को विदेश नीति के समन्य भी नहीं माना जा सकता। 'कूटनीति' विदेश नीति का एक ऐसा अंग है जिसके द्वारा स्वयं विदेश नीति का निर्माण पारस्परिक विचार-विमर्श द्वारा किया जाता है। ओर्गेन्स्की ने कूटनीति को परिभाषित करते हुए उसे "दो या दो से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के बीच होने वाले समझौते की प्रक्रिया माना है।"

मैकलेसन, मोलसन तथा सोल्डरभेन के कथनानुसार "कूटनीति की एक सर्वाधिक मूल परिभाषा यह है कि यह प्रत्येक राज्य के द्वारा प्रतिनिधित्व पर आधारित राष्ट्रों के मध्य स्थित सम्पर्क का एक रूप है।"

विन्सो राइट के कथनानुसार "लोकप्रिय रूप में कूटनीति का अर्थ है किसी सौदे में या लेन-देन में चातुरी, धोनेवाजी तथा कुशलता का प्रयोग। अपने विशेष अर्थ में जिसमें कि यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रयुक्त की जाती है यह मोदिवाजी की वह कला है जो राजनीति की उस व्यवस्था में कम मूल्य में अधिक से अधिक सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करती है जिसमें कि युद्ध एक सम्भावना है।

कूटनीति (Diplomacy) एक अनेकार्थक शब्द है जिसकी कोई सामान्य और सन्तोषजनक, सर्वसम्मत परिभाषा सम्भव नहीं हो सकती। आक्सफोर्ड शब्दकोष के अनुसार 'कूटनीति अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का समझौता (Negotiations) द्वारा प्रणव है।' एक दूसरे विचारक सर एर्नेस्ट सैटो (Sir Ernest Satow) के शब्दों में "कूटनीति" स्वतन्त्र राज्यों के पारस्परिक राजकीय सम्बन्धों के संचालन में बुद्धि (Intelligence) और चतुर्य (tact) का प्रयोग करने को कहा जाता है। कूटनीति की प्रकृति समझाने हुए पनिकर (K M Panikkar) महोदय ने महाभारत के एक वृत्तान्त का उद्धृत किया है जिसमें युद्ध से पूर्व समझौते के लिए कौरवों के दरबार में जान वाले श्रीकृष्ण से द्रोपदी ने उनके जाने के महत्व पर सदेह प्रकट किया था। उस समय श्रीकृष्ण ने उत्तर था कि— मैं कौरवों को तुम्हारा पक्ष सही रूप में समझाने जा रहा हूँ, मैं प्रयत्न करूँगा कि वे तुम्हारी मांगों को स्वीकार कर लें। किन्तु यदि ऐसा न हुआ और युद्ध करना पड़ा तो दुनिया यह समझ जायेगी कि गलत कौन था और इस प्रकार वह हमारे बारे में गलत निर्णय नहीं देगी।" कूटनीति का पूरा रहस्य पनिकर के मतानुसार कृष्ण के इस कथन में निहित है। श्री पनिकर के कथनानुसार "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयुक्त 'कूटनीति' अपने हितों को दूसरे देशों से अधिक रखने की एक कला है।"

पामर तथा परकिन्स (Palmer & Perkins) ने सर एर्नेस्ट सैटो द्वारा की गई परिभाषा में सदेह प्रकट करते हुए यह प्रश्न किया है कि यदि राज्यों के सम्बन्धों के बीच बुद्धि और चतुर्य न रहे तो क्या ऐसी अवस्था में कूटनीति सम्भव बन जायेगी? उन्होंने कूटनीति की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है जो निम्न प्रकार है—

(१) कूटनीति अपने भाव में एक मशीन की तरह न नैतिक होती है, न नैतिक, न अनैतिक। इसका मूल्य तो हमें प्रयोग करने करने के परिणामों, य योग्यताओं पर निर्भर करता है।

(२) 'कूटनीति' विदेशी आफिसों, दूतावासों, दूतकर्मों (Legations), राजपुखियों (Consulates) तथा विश्वव्यापी विशेष मिशनो के माध्यम से कार्य करती है।

(३) कूटनीति प्रधान रूप से द्विपक्षीय (Bilateral) है, अर्थात् यह दो राष्ट्रों के बीच सम्बन्धों का ही कार्य करती है।

(४) घाज अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों, क्षेत्रीय प्रयोगों और सामूहिक सुरक्षा प्रयत्नों का महत्व बढ़ जाने के कारण कूटनीति के बहुपक्षीय (Multilateral) रूप का महत्व बढ़ गया है।

(५) कूटनीति राष्ट्रों के बीच माधारण मामले से लेकर शान्ति और युद्ध जैम बड़े-बड़े समी मामलों पर विचार करती है। जब यह दूट जानो है तो युद्ध या कम से कम एक बड़े मकड का खतरा पैदा हो जाता है।

पेरिडलफोड नया निरुन के घटरी में— कूटनीति को प्रतिनिधित्व एव मोडवालों की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा राज्य परस्परसंगत रूप से शांतिकाल में परस्पर सम्बन्ध रखते हैं।"

तकनीकी अर्थ में कूटनीति की व्यापक राजदून जाज के शब्दों में की जा सकती है कि यह सरकारी के बीच संचार का व्यापार है।

कूटनीति के विकास का इतिहास (Development of Diplomacy)

'कूटनीति' अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का सार है और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए स्वानाविक एव दानी आवश्यक है कि इसके बिना राज्यों के बीच परस्पर सम्बन्धों की स्थापना होना सम्भव ही नहीं है। श्री पनिकर (K. M. Panikkar) का कहना है कि "जय से सगठित राज्य का अस्तित्व है तभी से कूटनीति एव कूटनीतिज्ञों का अस्तित्व रहा होगा क्योंकि राज्य एक दूसरे से सम्भूत रखे बिना नहीं रह सकते।" किन्तु फिर भी कूटनीति के सगठित रूप का प्रारम्भ प्राचीन यूनान के नगर राज्यों के समय से ही माना जाता है। थ्यूसीडैडस (Thucydides) ने यूनानियों में प्रचलित कूटनीति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसने ईसा के जन्म से पूर्व स्पार्टा में होने वाले एक सम्मेलन का उल्लेख किया है जिसने स्पार्टा के निवासियों

एव उनके मित्रों ने एदेन्स बानो के विरुद्ध उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विचार-विमर्श किया था।

रोम वालों ने समझौते द्वारा कूटनीति (Diplomacy by negotiation) की दिशा में बहुत कम उन्नति की किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून (International Law) के क्षेत्र में उनकी देन बड़ी महत्वपूर्ण है। रोमन युग में पूर्व के सम्राटों के प्रतिनिधि दूसरे देशों में भेजे जाते थे जिनका कार्य अच्छा से अच्छा प्रतिवेदन (Report) देने के साथ-साथ अच्छा प्रतिनिधित्व करना भी होता था।

मध्य युग में उत्तराधिकारी राजाओं और पोप के प्रभुत्व के अन्तर्गत पहली बार अनुभव एव परम्पराओं पर आधारित कूटनीति का व्यवहार एक विज्ञान के रूप में सामने आया।¹

कूटनीति के आधुनिक रूप का सूत्रपात इटली में उत्तर-मध्यकाल में किया गया। इस युग के प्रथम राजनीतिक विचारक एव 'दी प्रिंस' (The Prince) के अमर रचयिता निकोलो मैकियावेली (Machiavelly) को कूटनीति का पिता माना जाता है। इस विचारक ने तत्कालीन इटली में स्थित नगर-राज्यों के बीच संपर्क तथा उनसे छुटकारा पाने के विभिन्न उपायों का वर्णन बड़े कुशलतापूर्वक ढंग से किया है। इन्हीं दिनों स्याई कूटनीतिक प्रतिनिधि रखने की प्रथा का भी प्रचलन हो गया था जिसे कि आज की कूटनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है।

आगे आने वाले तीन सौ वर्षों तक कूटनीति न तो पर्याप्त थी और न ही स्वरुद्ध। यह केवल दरबारों तक ही सीमित थी। इस समय सम्प्रभु द्वारा विदेशी राज दरबारों में जिस प्रतिनिधि को भेजा जाता था वह सही या गलत, नैतिक या अनैतिक सभी तरीकों से अपने सम्प्रभु के हितों की रक्षा करने का प्रयास करता था। १७वीं शताब्दी में वेस्टफेलिया (Westphalia) की सन्धि के साथ राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय राज्य-व्यवस्था का विकास हुआ और इसके साथ ही कूटनीतिक मिशनों का स्याई रूप अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अभिन्न अङ्ग बन गया।

अठारहवीं शताब्दी में कूटनीतिक व्यवहार को नियमबद्ध कर दिया गया। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अमरीकन व फ्रांसीसी औद्योगिकीकरण ने कूटनीति के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। राजाओं और

1. See Nicolson, Diplomacy, P. 27.

सम्राटों के हाथ से निकल कर शासन सत्ता के प्रजा के हाथों में जाने का सूत्रपात हो गया। अब कूटनीतिज्ञ न केवल अपने सम्प्रभु का बरत पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने लगा तथा अब उसका कार्य केवल शासक की इच्छा देखना न होकर लोकमत की दिशा को देखना बना। इस प्रकार उसके कार्यों का स्वरूप जटिल तथा दुस्तुह बनता चला गया।

समय के परिवर्तन के साथ-साथ कूटनीति के रूप एवं व्यवहार में भी परिवर्तन आए। इससे सम्बन्धित ऐसे नियमों का निर्माण किया गया जो प्रायः सर्वमान्य बन गए। वियना की कांग्रेस (Congress of Vienna) की इस क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस कांग्रेस ने व्यवहार के कुछ नियम बनाए जिनको आज भी माना जाता है।

कूटनीति का उद्देश्य

(Objectives of Diplomacy)

कूटनीति का सबसे बड़ा उद्देश्य एक राष्ट्र के हितों की रक्षा करना तथा उनको बढ़ाना है। सामान्य रूप में एक देश के हितों की पूर्ति एवं विकास शांति काल में ही हो पाना है इसलिए कूटनीति शांतिपूर्ण साधनों द्वारा ही राष्ट्रीय हितों को साधने का प्रयास करती है। यदि कूटनीति का अन्त युद्ध में जाकर होता है तो मार्गोन्मत्त महोदय इसे उनकी अक्षमता का चोत्रक मानेंगे। कूटनीति के भारतीय पण्डित आचार्य चाणक्य के मतानुसार कूटनीति का उद्देश्य अन्धे परिस्थान प्रदान करना है। उनके विचार में कूटनीति का आदर्शों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध तो राज्य के लिए व्यावहारिक परिणाम प्राप्त करने से है। पतिवकर (K. M. Panikkar) के मतानुसार 'कूटनीति का कार्य राज्य की भौगोलिक, राजनैतिक और आर्थिक अखण्डता को बनाए रखना है।' कूटनीतिक व्यवहार का मुख्य रूप समझौता (Negotiation) होता है। इसके माध्यम से एक देश दूसरे देशों को अपना मित्र एवं साथी बनाने का कार्य करता है। पतिवकर ने राज्यों के कूटनीतिक व्यवहार के मुख्य-मुख्य लक्ष्यों का विवरण किया है। इन लक्ष्यों का हम संक्षेप में निम्न प्रकार कह सकते हैं—

(१) मित्र राष्ट्रों के साथ सम्बन्धों को मजबूत बनाना तथा बिन देशों के साथ मतभेद हो उनसे तटस्थ रहना।

(२) अपने राष्ट्रीय हित की विरोधी शक्तियों का तटस्थ बनाये रखना ।

(३) अपने विह्वल दूसरे राष्ट्रा का एक गुट बनने से रोकना ।

(४) यदि दूसरे राष्ट्रा के विह्वल ध्यान हिनो की रक्षा करते समय साम दास और भेद के तीनों ही नीतिया अपकन होनी चनी जायें तो युद्ध का सहारा निशा जाए। कि तु कूटनीति का काय है कि युद्ध ऐसी परिस्थिति में तथा एह ह म अपनाया जाय कि दूसरे देश यह समझ जायें कि तुम्हारा पक्ष पायपूख है तथा तुम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उठ रहे हो और आश्रमणकारी तुम नहीं बरन् दूसरा पक्ष है ।

(५) चाणक्य का मत था कि यदि युद्ध और शांति दोनों से समान परिणाम प्राप्त होता हो तो शांति को अपनाओ, तथा युद्ध और निष्पक्षता का समान नाम मिल रहा हो तो निष्पक्षता को । युद्ध को तो केवल तभी अपनाना चाहिए जबकि अन्य सभी साधन असफल हा जायें ।

(६) युद्ध कूटनीति की अपकनता का धानक है कि तु इसका अर्थ यह नहीं लगाटना चाहिए कि युद्ध के समय कूटनीति ही समाप्त हो जाती है बरन् सच तो यह है कि बिना कूटनीति के न तो युद्ध किये जा सकते हैं और न ही जीत जा सकते हैं । युद्ध से पूर्व गलत कूटनीतिक तयारियां तथा युद्ध के समय की प्रभावहीन कूटनीति हार को स्वामाविक बना कर शक्ति गाली राष्ट्रा का भी विध्वंस कर दती है ।

माग था (Morgenthau) मगशय ने कूटनीति के चार काय वन ये हैं । उनके अनुसार प ता काय तो यह है कि कूटनीति अपन लिए कुत्र वृष्य (Objects) निर्धारित कर । ये लक्ष्य वास्तविक (Actual) और सम्भावित (Potential) शक्ति का ध्यान म रख कर ही निर्धारित किय जायें ताकि उनका प्राप्त किया जा सक ।

दूसरे कूटनीति को दूसरे देशों के लक्ष्यों को प्राप्ता चाहिए तथा उह प्राप्त करने के लिए उनका पाय सम्भावित एवं वास्तविक शक्ति कितनी है यह भा देना चाहिए ।

तीसरे कूटनीति को यह देखना चाहिए कि य उद्देश्य किस सीमा तक एक दूसरे के अनुरूप हैं ।

चौथे कूटनीति को अपने उद्देश्यों (Objectives) को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधन प्रयुक्त करने चाहिए । मार्गों को के कपनानुसार इन चारों

बातों में मे एक की भी सम्फलता एक राष्ट्र की विदेश नीति की सफलता का तथा विश्व की शान्ति को खतरों में डाल देगी।¹

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कूटनीति निम्न तीन साधनों को काम में ला सकती है—

- (1) समझाना (Persuasion);
- (ii) समझौता करना (Compromise);
- (iii) शक्ति प्रयोग की धमकी देना (Threat of Force)।

एक सफल कूटनीति को चाहिए कि जहाँ तक समभव हो सके वह प्रयत्न दो साधनों के माध्यम से ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास करे क्योंकि कोई भी कूटनीति जो केवल शक्ति को धमकी देकर ही काम निकालना चाहती है, न तो पान्तिप्रिय कही जायगी और न ही बुद्धिपूर्ण। किन्तु कभी-कभी ऐसे भी अवसर आ सकते हैं जबकि शक्ति का प्रयोग आवश्यक हो जाये। कूटनीति की कला इन्हीं बातों में है कि वह समय व परिस्थिति के अनुसार ही तीनों में से किसी का प्रयोग करे।²

आधुनिक कूटनीति के अभिनेता (The Actors of Modern Diplomacy)

शास्त्र की कूटनीति के अभिनेताओं में हम जिनको सम्मिलित कर सकते हैं उनमें सरकार के अध्यक्ष, विदेश सचिव तथा उनके विदेश अधिकारी, स्टाफ, दूसरे देशों में स्थित कूटनीतिक कर्मचारी वर्ग एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करने वाले सैनिक तथा अन्य विशेषज्ञ सेवा वर्ग आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त अन्य राजद्रुप भी होते हैं जैसे भ्रमणशील राजदूत, व्यक्तिगत प्रतिनिधि एवं मौलानी लोग।

राज्य के नाम मात्र के अध्यक्ष जैसे ग्रेट ब्रिटेन के राजा या रानी, भारत का राष्ट्रपति आदि विदेशी मामलों में सूचना प्रसारित योगदान करते हैं। वे जब विदेश घूमन जाते हैं तो इसका उद्देश्य मुख्यतः सद्भावना की अभिवृद्धि होता है। दूसरों और सरकारों के अध्यक्ष अपने देश की कूटनीति में व्यक्तिगत रूप से भाग लेते हैं। अमरीका के राष्ट्रपति विल्सन, ट्रूमैन, रूजवेल्ट, आईजनहोवर, कैंनेडी तथा जानसन आदि सभी अपने देश की

1. Morgenthau, op. cit., P. 506.

2. Morgenthau, op. cit., P. 507.

सरकार के अध्यक्ष होने के साथ-साथ देश तथा विदेश में सन्धि समझौतों के कार्यों में सलग्न रहे हैं। यही बात भारत के प्रधानमंत्री नेहरू फ्रांस के राष्ट्र-पति डिगाल, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन आदि के बारे में भी कही जा सकती है।

कूटनीति के क्षेत्र में तानाशाही द्वारा जो कार्य किया जाता है, वह कुछ भिन्न प्रकार का होता है। तानाशाह किसी अन्य के माध्यम से अपने लक्ष्यों की पूर्ति का प्रयास करते हैं। जैसे स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों के साथ तेहरान, यास्ता, पोटस्डम आदि सम्मेलनों में भाग लिया था किन्तु वह साधारणतः पृष्ठभूमि में रहता था और अपने विदेश मन्त्री मोलोटोव (Molotov) के माध्यम से विदेशी मामलों पर नियन्त्रण रखता था। दूसरी ओर प्रधानमंत्री लुश्चेव विश्व राजनीति के क्षेत्र में स्वयं सक्रिय रचि लेते थे। इसी प्रकार संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासिर ने मिस्री कूटनीति का उत्तरदायित्व सम्भाला और एक अरब नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने की कोशिश की ताकि वह एक तटस्थ गुट संगठित कर सके जो महाशक्तियों के साथ सौदेबाजी करने में सक्षम हो।

जैसे को तैसा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ सिद्धान्त है जो सरकार के अध्यक्षों को एक की पहल पर कूटनीति में रीज ताना है। इस सिद्धान्त के क्रियान्वित रहते हुए यह सम्भावना की जाती है कि सरकार के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी नेता कूटनीति में आज की भांति ही सक्रिय रहेंगे। इस नीति का एक उदाहरण हम प्रधानमंत्री कोसीगिन के आमन्त्रण को मान सकते हैं जो उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री श्री शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खा को उनके घापनी मतभेद मिटाने के लिए ताणकन्द में आने के लिए भेजा था। इस आमन्त्रण को दोनों ही देश के नेता नहीं ठुकरा सके।

कूटनीति के क्षेत्र में सर्वाधिक सक्रिय अभिनेता विदेशी मामलों के राज्य सचिव होते हैं। विदेश सम्बन्ध उनका मुख्य कार्य है। वे अपने पूरे जीवन भर कूटनीतिज्ञ वार्तालाप करते रहते हैं, अन्य देशों के दौरे करते रहते हैं, सम्मेलनों में उपस्थित होते हैं तथा महत्वपूर्ण सौदेबाजियों की तैयारी करते हैं। वे अपने राज्याध्यक्षों को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा विदेशी मामलों के सम्बन्ध में उनको सूचित करते हैं। अपने विदेश कार्यालय एवं विदेश सेवा की बहुत बड़ी नौकरशाही को प्रशासित करना भी उनका उत्तरदायित्व है। वे मन्त्रिमण्डल तथा अन्य नीति सम्बन्धी बैठकों में उपस्थित होते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश सचिवों ने सन् १९४५

के बाद से अपना अधिकांश समय अपने कार्यालय से दूर रह कर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को उपस्थित करने में व्यतीत किया। अनुमानतः यह कहा जाता है कि जान फास्टर ड्युलस (John Foster Dulles) न अपने पाच वर्ष के कार्य काल में प्रति वर्ष एक लाख हवाई मील से भी अधिक की यात्रा की। इतनी लम्बी यात्रा करके वह चांद तक जाकर वापस आ सकते थे। यह सारी यात्रा उन्हेने दुनिया के अन्य नेताओं के साथ बातचीत के लिए की। विदेश सचिव डीन रस्क ने स्वयं अधिक यात्रा करने की अपेक्षा यह उचित समझा कि दूसरे लोग ही वाशिंगटन आ जायें।

आज कूटनीति में सन्तुष्ट होनेक लोग ऐसे हैं जिनको हम व्यावसायिक विशेषज्ञ कह सकते हैं। इनमें हम उन नागरिक सेवकों एवं विशेषज्ञों को सम्मिलित करेंगे जो विदेशों में दूतावासों एवं राजगुरुप कार्यालय तथा देश में विदेश कार्यालय में कार्य करते हैं। ये अधिकारी विदेश सम्बन्धों के प्रचलित पहलुओं को सम्पादित करते हैं। ये अध्ययन, प्रतिवेदन एवं निर्देशन तैयार करते हैं। वे दूसरे देशों के अधीनस्थ अधिकारियों के साथ विचार करते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाने वाले प्रतिनिधि मण्डल के स्टाफ का काम करते हैं। उनके कार्य मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। प्रथम यह कि अपने मालिकों के काम को सम्पन्न करें और दूसरा यह कि दूसरों के कार्यों की सहायता करें। व्यावसायिक विशेषज्ञों का यह दल एक दिन में सगठित नहीं हो जाता। आज के युग की परिस्थितियों में एक योग्य विदेश सेवा के विकास के लिए पर्याप्त समय एवं अनुभव की आवश्यकता है।

सरकारें समय-समय पर विशेष गुप्त सन्देशवाहक (Emmissary) नियुक्त कर सकती हैं जो महत्वपूर्ण घवसतों पर विशेष सगमभीते करे तथा सरकार को प्रतिनिधित्व करे। अमरीका के राष्ट्रपति फ्रेडरिक्स डी रूजवेल्ट ने हेरी हॉपकिंस (Harry Hopkins) को अपना विश्वास प्रदान किया और राज्य सचिव तथा सम्बन्धित राजधानियों के राजदूतों की भवहेलना करके कई बार बर्लिन और स्टालिन के पास गुप्त वार्ता के लिए भेजा। इसी प्रकार राष्ट्रपति ब्राइजनहोवर ने अपने नाई मिहलन ब्राइजनहोवर को अनेक विशेष अवसरों पर प्रयुक्त किया। राजदूत एवरल हेरीमैन (Averell Harriman) को राष्ट्रपति ट्रूमैन, कनेडी और जानसन द्वारा अनेक विशेष अवसरों पर प्रयुक्त किया गया। राज्य सचिव बनने से तीन वर्ष पूर्व जान फास्टर ड्युलस को जापान की प्राज्ञि सन्धि में वास्तुवास का काम सौंपा गया। ये सारी नियुक्तियां राज्य के अध्यक्ष के विशेषाधिकार हैं। यह ही सचता है कि कुछ देशों की प्रभावित करने वाले क्षेत्र की किसी विशेष समस्या में गुप्त सन्देश-

वाहन राजदूत की अपेक्षा अधिक कुशल हो। किन्तु फिर भी सम्भावना यह रहती है कि वह उस देश के राजदूत की प्रभावशीलता एवं सम्मान को कम कर देगा और ऐसी स्थिति में हम तकनीकी का प्रयोग सावधानी के साथ किया जाना चाि ए।

आज के जटिल वातावरण में राज्यों के आपसी सम्बन्ध राजनैतिक, आर्थिक, सुरक्षा एवं वैज्ञानिक अनेक विषयों से युक्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि सरकारों के विभिन्न विभागों के सेवीवर्ग को कूटनीतिक सम्बन्धों में तथा नीति-निर्माण में भाग लेने का अवसर दिया जाए। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सर्वाधिक सक्रिय रूप से भाग लेने वालों में सशस्त्र सेनाओं एवं सुरक्षा स्थापनों के सदस्य होते हैं। नाटो देशों के सुरक्षा सचिव तथा उनके अतीतस्थ अधिकारियों जब नाटो की बैठकों में गए सुरक्षा प्रबन्धों पर विचार करते हैं तो एक प्रकार से कूटनीति में उलभ जाते हैं। इसी प्रकार जब जन स्वास्थ्य अधिकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन (W H O) की बैठक में भाग लेते हैं या राजकाय के प्रतिनिधि विश्व बैंक की बैठक में भाग लेते हैं तो वे भी कूटनीति में उलभते हैं। इसी प्रकार से पारस्परिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सम्बन्ध, आर्थिक एवं तकनीकी सहायता कार्य आदि में किसी न किसी प्रकार से कूटनीति से सम्बन्ध रहते हैं। पीयरसन के कथनानुसार अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य अमरीका का भूमि वैज्ञानिक संयुक्त राज्य अमरीका की नीति के बारे में अफगानिस्तान के मत को मन्त्रों या बुद्धों के लिए अधिक प्रभावित कर सकता है अपेक्षाकृत अमरीकी राजदूत के।

कूटनीतिक विशेषाधिकार एवं स्वतन्त्रताएँ (Diplomatic Privileges and Immunities)

कूटनीतियों को कुछ विशेषाधिकार एवं स्वतन्त्रताएँ सौंपी जाती हैं जो अन्य व्यक्तियों को प्रदान नहीं की जाती। पारस तथा पर्सिन्स के मतानुसार इन विशेषाधिकार एवं स्वतन्त्रताओं को प्रदान करने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। प्रथम यह कि कूटनीतिज्ञ अपने राज्य के अध्यक्षों के व्यक्तिगत प्रतिनिधि होते हैं। साथ ही वे अपने सरकार और अपने देश की जनता के भी प्रतिनिधि होते हैं। दूसरे वे अपने कर्तव्यों को मन्तापत्रनरूप में तर्मा मन्त्र कर सकते हैं जबकि स्थानीय वातून द्वारा लगाई गई कुछ बाधाओं से उन्हें मुक्त किया जाए। साधारण रूप से अन्वेषण कर एवं करटम आदि से मुक्त रहने दें। वे जिस देश में रह रहे हैं उनके दीवानी एवं पीज-

दारी क्षेत्राधिकार में मुक्त रहते हैं। घमेल में वे विदेशी राज्य के कानूनों से अप्रभावित रहते हैं। उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर और उनके स्टाफ के सदस्यों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। दूतावास, उनकी सम्पत्ति सामग्रियों एवं सग्रहालयों को उन देशों की राष्ट्रीय सम्पत्ति समझा जाता है जिनका कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसलिए उन पर राज्य के अधिकारियों द्वारा तथा स्थानीय सत्ताओं द्वारा कर नहीं लगाया जा सकता। यही अधिकार और विशेषाधिकार राष्ट्र सभ के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का दिए जाते थे और अब समुक्त राष्ट्र सभ के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को दिए जाते हैं।

राजपुरुषों (Consuls) को सामान्यतः इतने अधिकार एवं विशेषाधिकार नहीं सौंपे जाते जिनसे कूटनीतिज्ञों का सौंपे जाते हैं। इन राजपुरुषों का स्तर दो देशों की सरकारों समझौते द्वारा तय करती है। यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सुस्थापित नियमों द्वारा तय नहीं किए जाते। कुछ उदाहरणों में इन राजपुरुषों को वे सब विशेषाधिकार एवं स्वतन्त्रताएँ दे दी जाती हैं जो कूटनीतिज्ञों को प्रदान की जाती हैं। ऐसा उस समय होता है जबकि राजपुरुष कूटनीतिज्ञों का भी काम कर रहे हो। अन्य राजपुरुषों को बहुत कम स्वतन्त्रताएँ प्रदान की जाती हैं। राजपुरुषों का कार्यालय एवं सग्रहालय को उनके देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति माना जाता है और इस प्रकार यह राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इनको प्रायः स्थानीय करों एवं कस्टम से मुक्त रखा जाता है किन्तु वे उस राज्य के कानूनों के अधीन होते हैं जिनमें कि वे रह रहे हैं।

कूटनीतिज्ञ तथा राजपुरुष अधिकारियों के सामान्यतः मान्य स्तर में अनेक भिन्नताएँ तथा अन्तर हैं। सन् १९२८ की हवाना कन्वेंशन में यह प्रयास किया गया था कि इन अधिकारियों के स्तर के सम्बन्ध में सामान्य रूप से स्वीकृत नियम बना दिए जायें। किन्तु ये कन्वेंशन भी सामान्य स्वीकृति नहीं प्राप्त कर सके। ऐसे अनेक मामलों सामने आते हैं जहाँ कि कूटनीतिज्ञों या राजपुरुषों ने अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया अथवा राज्य ने इन प्रतिनिधियों या उनके साथ वालों के विशेषाधिकारों को तोड़ा। समुक्त राज्य घमेलीका ने समुक्त राष्ट्र सभ के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को पूरे कूटनीतिज्ञ विशेषाधिकार एवं स्वतन्त्रताएँ सौंपे हुए हैं, यद्यपि देश के कुछ लोग तथा कांग्रेस के कुछ सदस्य इसका विरोध करते हैं। दूसरी ओर सोवियत दूतावास में अस्थिर विभिन्न कार्यालय पदयन्त्रकारी कार्यवाहियों के केन्द्र प्रतीत होना है इसलिए उनके ऊपर कड़ी देखभाल रखी जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राजनयिक अधिकारियों को किसी पदयत्र में सम्मिलित होने से मना किया गया है।

कूटनीतिक कार्यों का स्वरूप (The nature of diplomatic functions)

एक देश की कूटनीति के संचालन का उत्तरदायित्व एक पृथक् आफिस को ही सौंपा जाता है जो विदेशों में स्थायी रूप से निवास करता है। इस आफिस के कार्यकर्ता विभिन्न स्तरों के होते हैं, पदथेणी के अनुसार इस आफिस का गठन किया जाता है। इस आफिस के प्रत्येक कर्मचारी के कुछ निर्धारित विशेषाधिकार एवं स्वतन्त्रताएँ होती हैं, साथ ही इनके कार्य राजासत्त के कुछ निश्चित नियम और तरीकों में होते हैं।¹

कूटनीतिज्ञ को अनेक बार एक देश का दूसरे देश में स्थित भाँज और कान भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि कूटनीतिज्ञ के माध्यम से एक देश दूसरे देश की घटनाओं को देख कर तथा सुन कर बहुत शीघ्र ही जानकारी प्राप्त कर सकता है। एक सफल एवं श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस सम्बन्ध में चाणक्य और मैकियावेली से लेकर आज तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है। चाणक्य ने अपनी पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में दूत के निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख किया है—

(१) अपने सरकार के दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करना,
(२) संधियाँ करना;
(३) अपने राज्य के दावों (Claims) को मनवाने के लिए विभिन्न तरीकों से अपनाना। इसके लिए यदि आवश्यकता हो तो ताकत की धमकी भी दी जा सकती है। इसके प्रतिरिक्त उसे अपने मित्र बढ़ाने चाहिए उस देश में बसह के बीज बाने चाहिए, गुप्त रागठनों का निर्माण करना चाहिए, सिपाहियों के आंदोलन की सूचना एवत्रिन बननी चाहिए उन सन्धियों की प्रवहेलना करनी चाहिए जो उसके देश के हितों के विपरीत हो, उस देश के सरकारी अधिकारियों को अपनी ओर मिला लेना चाहिए। ये सभी एक दूत के कार्य हैं।

(४) दूत को मुख्यतः उन सरकारी अधिकारियों से मित्रता बढ़ानी चाहिए जिनके अधिकार में जगलात, सीमावर्ती क्षेत्र आदि विषय होते हैं।

1. Palmer & Perkins, op cit. Pp 100-7

(५) दूत को यह जानकारी रहनी चाहिए कि उस देश के किलो का क्षेत्र व प्रकार क्या है तथा मूल्यवान चीजों के खजाने विधर स्थित हैं।

चाणक्य द्वारा ईसा से ४ शताब्दी पूर्व बताये गये दूत के उक्त कार्य आज भी उसी प्रकार से सत्य एवं उपयोगी हैं। चातुर्ष्य, कुशलता एवं कपट आदि को एक सफल कूटनीतिज्ञ के गुण माना जाता है। जोसेफ स्टालिन ने कूटनीति को एक प्रकार की कला माना है। उसके अनुसार एक कूटनीतिज्ञ के शब्दों का उसके कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये वरना यह कूटनीति ही कौसी? अग्नि एक चीज है और करनी दूसरी। अन्धे शब्द बुरे कार्यों को छुपाने में ढान का काम करते हैं। एक निष्कपट कूटनीति (Sincere diplomacy) उसी तरह सम्भव है जितना कि 'सूखा पानी' या 'नरम लोहा'।¹ इस प्रकार स्टालिन ने कूटनीति का जो रूप प्रस्तुत किया है उसके अनुसार कूटनीति एक देश के वास्तविक उद्देश्यों को छुपाने का साधन है। यह उसके कार्यों के सही रूप पर पर्दा डाल देती है। कूटनीतिज्ञ के चरित्र से सम्बन्धित एक दूसरी बहावत के अनुसार यदि कूटनीतिज्ञ किसी विषय पर सहमति प्रकट करे तो समझिये कि सम्भवतः वह विषय से सहमत है। यदि वह सहमत होने की सम्भावना प्रकट करे तो समझिये कि वह विषय से असहमत है और यदि वह असहमति प्रकट करता है तो वह सच्चे अर्थों में एक कूटनीतिज्ञ नहीं माना जा सकता। कूटनीतिज्ञ की स्थिति एक स्त्री से पूर्णतः विपरीत होती है। किसी भी सम्भव बात के लिए वह 'नहीं' कहती है तथा अपनी स्वीकृति को सम्भव शब्द से जाहिर करती है। यदि वह 'हाँ' कह दे तो सच्चे अर्थों में वह एक स्त्री नहीं है।² मैकियावेली (Machiavelli) ने अपने ग्रन्थ 'दी प्रिंस' (The Prince) में भी राजा के लिये तथा उसके प्रतिनिधियों के लिये व्यवहार से सम्बन्धित अनेक उपयोगी परामर्श दिये हैं। दूसरी पार ऐसे विचारक भी हैं जिनके अनुसार चाणक्य, मैकियावेली, स्टालिन आदि नेता एवं विचारकों द्वारा कूटनीति पर व्यक्त किये गये सुझावों एवं व्यावहारिक से दिखने वाले विचार उचित नहीं हैं। पत्रिकार महोदय के मतानुसार चातुर्ष्यपूर्ण कूटनीति एक देश की उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुराज्य सहायता कर पाती है।³ कारण यह है कि कूटनीति का एक लक्ष्य यह

1. Joseph Stalin, Quoted in David Dallin, the Real Soviet Russia 1944, P. 71
2. Quincy Wright, op cit., P. 165
3. K. M. Panikkar, Ibid, P. 39

है कि यह जगत् देश के प्रति दूसरे देशों की शुभ इच्छा सशुद्धीत करे। यह चार प्रकार से हो सकता है—दूसरे देश उस देश की नीतियों को ठीक प्रकार से समझे एवं उसके प्रति सम्मान के भाव रखें, वह देश दूसरे देशों की जनता के न्यायोचित हितों को जानें, सबसे ऊपर, वह ईमानदारी से व्यवहार करें। ये सारी चीजें निष्पक्ष और ईमानदार व्यवहार द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। यह सच है कि आप बहुत से लोगों को बहुत समय तक धोखे में नहीं रख सकते और इस दृष्टि से चातुर्य, कुशलता और कपट से पूर्ण कूटनीति के पदों में जब छिद्र हो जायेंगे और उस देश की नीति का सही रूप सामने आयेगा तो विश्व समाज में उस देश का क्या स्तर रह जायगा। व्यक्तिगत जीवन की भांति, ये विचारक यह मानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है।

हिन्दू नीति-शास्त्रों में कूटनीति के साधन और उपाय चार प्रकार के बताये गये हैं—साम दाम, दड और भेद। 'साम' के अनुसार एक देश मित्रता-पूर्ण व्यवहार, सुभाव एवं बौद्धिक तर्कों के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को साधने का प्रयास करता है। 'दाम' के अनुसार एक देश अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये धन व्यय करता है। ऐसे समझौते करता है जिसमें स्वयं की प्राथमिक हानि हो और दूसरे पक्ष का लाभ हो। कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कुछ देना, कुछ व्यय करना भी आवश्यक बन जाता है। यह समझौते का एक तरीका है। जहाँ साम और दाम से काम बनता न दीखना हो वहाँ 'भेद' का सहारा लेना होता है अर्थात् शत्रु के शत्रु से मैल कर लेना और शत्रु के मित्रों में आपस में फूट डाल देना आवश्यक बन जाता है। कूटनीति का सबसे अन्तिम हथियार 'शक्ति' है। जब सभी अन्य साधन असफल हो जायें तो कूटनीति को युद्ध अपनाना पड़ता है। पामर तथा परविग्म के कथनानुसार विदेश-नीति की भांति कूटनीति का यह लक्ष्य है कि वह जहाँ तक सम्भव हो शांतिपूर्ण साधनों से देश की रक्षा करे किन्तु यदि युद्ध अपरिहार्य बन जाये तो सैनिक तैयारी द्वारा ऐसा करे। यदि वृष्ण के अनुनय विनय के बाद भी कौरवों का यही उत्तर रहे कि वे बिना लड़े एह सुई के बराबर भूमि भी देना तैयार नहीं हैं तो मजबूर होकर महामाराज का युद्ध करना ही पड़ेगा। युद्ध के समय 'शांतिमालीन कूटनीति' का स्वरूप प्रदर्शन कर युद्ध को अवस्थापना के अनुकूल बन जाता है। विजयी राइट का कहना है कि कूटनीति युद्ध से भिन्न इसलिए है क्योंकि यह मीनत इच्छाओं के स्थान पर हथियारों का प्रयोग करती है। शक्ति का प्रदर्शन एवं युद्ध की घमंती कूटनीति का

ही मायन हैं। किन्तु यदि युद्ध टिङ्ग जाता है तो आनमणवारियों के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध टूट जाता है।

चाटलडन महादय ने कूटनीतिक के कार्यों को मुख्यतः चार भागों में बाटा है, य निम्न प्रकार हैं—

- १ प्रतिनिधित्व करना (Representation)
- २ संमन्धन करना (Negotiations)
- ३ प्रतिबदन प्रस्तुत करना (Reporting)

४ विदेशी भूमि में अपने देश के नागरिकों तथा देश के हितों की रक्षा करना (The protection of the interests of the nation and of its citizens in foreign lands)

कूटनीतिक को उक्त चारों ही कार्य करने होते हैं। ये कार्य एक प्रकार से कूटनीति की सीडिया हैं। इतना अन्तिम लक्ष्य तो एक देश के प्राधिक, राजनैतिक, भौगोलिक, सैनिक एवं अन्य हितों की रक्षा करना होना है। कूटनीतिक व्यवहार के माग में कुछ सुराडिया प्रा जाती हैं। एक कूटनीतिक को चाहिए कि वह अपने धनुमक के द्वारा इन सुराडियों से युक्ति पान या बचन का प्रमाण करे। प्रथमन यदि एक कूटनीतिक ने बहुत ईर्ष्या के दृष्टिकोण को प्रकट कर काम किया तो उमका मार्ग अवरुद्ध हो जायेगा। कूटनीतिक को यह ध्यान में रखना होगा कि कूटनीतिक के प्रत्यक कार्य में शक्ति का अथ किसी न किसी रूप में प्रकट प्रभाव डालना है। यदि अथ शक्ति ला है तो दूसरे देशों का व्यवहार आपके साथ मिश्र प्रकार का होगा और यदि शक्तिहीन या कमजोर है तो उसे व्यवहार का रूप में बदल जायगा।

कूटनीतिक जिस स्थान पर रहता है वहा के वातावरण का, व्यवहार का एवं समन्धनों का प्रभाव उमके व्यवहार पर भी पडता है। राजदूतों की कालोनी में रहने वाले अन्य लोगों के साथ उमके सम्बन्धों में घृणा, प्रेम, सघर्ष, भेद, ईर्ष्या, भगडे आदि सभी तत्वों की स्थान प्राप्त होता है। ये सभी उमके व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। यह देखने हुए एक कूटनीतिक को स्वतन्त्र विचारों वाता हाना चाहिये जो स्थिति को अथिब स अथिन सिफ्यर (Objective) रूप में देख सके।

एक दूसरी बाधा धान आपको हमेंना ठीक मानने की है। इसके अनुसार कूटनीतिक का दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिए कि या चीज उमकी शक्ति व युद्ध के प्रतुहन है उमे उचिन माने और जो विरुद्ध है उसे अनुचिन माने। दूसरे पक्षों में उमे सहनशील होना चाहिए। सहनशीलता कूटनीतिक

के व्यवहार का विशेष गुण है। यदि आप एक देश की कूटनीति की सफलता जानना चाहते हैं तो यह ज्ञात कीजिए कि क्या इसने देश के हितों को प्राप्त किया, क्या इनने मित्त दलों की शुभकामनाओं या अग्रिम देशों से आदर प्राप्त किया? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक है तो कूटनीति अमफल माना जायेगी वरना वह सफल है।

पंडिलफोर्ड तथा लिबन ने कूटनीति के मुख्य रूप से चार कार्य बनाए हैं, ये हैं—सुरक्षा, प्रतिनिधित्व, पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन और वार्तावाप करना। इनके अतिरिक्त आज कूटनीतिज्ञ पदों पर रहने वाले प्रतिनिधि अनेक अर्थ कूटनीतिज्ञ कार्य भी करते हैं क्योंकि उनके राष्ट्र क्षेत्रीय या पारस्परिक सुरक्षा प्रबन्धों में, विदेश सहायता कार्यक्रमों में या अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों के भाग लेते हैं। इन विचारकों द्वारा कथित कूटनीतिज्ञों के प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार दिया जा सकता है—

सुरक्षा (Protection)—एक कूटनीतिज्ञ का यह प्रमुख कार्य माना जाता है कि वह अपने देश के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करे और प्रोत्साहन दे तथा विदेशों में रहने वाले अपनी राष्ट्रीयता वाला व अधिकारों की रक्षा करे। उसे हमेशा दी जाने वाली घमक्रियों अथवा दी जाने वाली असमानताओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि उनके देश के सम्मान के प्रति कोई मौदेबाजी न की जाए। यह उत्तरदायित्व प्रतिनिधित्व, समझौता, सन्धि एवं कार्यपालिका की सहमतियों के द्वारा पूरा किया जा सकता है। कूटनीतिक मिशन के अधिकारियों को उन लोगों से बानधीन करनी होती है जो सहायता की मांग करते हैं तथा जहां कहीं इनके अधिकारों को छीना गया है, सम्पत्ति को ले लिया गया है या उनका व्यक्ति हताहत हुए हैं अथवा उन्हें कानून की पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है तो ये कूटनीतिक उनके कष्टों को दूर करने में पूरा सहयोग देते हैं। जब राजनैतिक परिस्थितियां अस्त-व्यस्त होती हैं तो यह सुरक्षात्मक कार्य एक भारी उत्तरदायित्व बन जाता है। एनी स्थिति में दूतावास को शरणावियों का स्थान बनाना होता है। जिस समय युद्ध युद्ध या अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध की सम्भावना हो अथवा छिड़ रहा हो उस समय कूटनीतिक मिशनो से उनकी शक्ति भर वह सब करने की आज्ञा की जाती है जिससे उनके राष्ट्रीयता के लोग अपने घर लौट जाए अथवा सुरक्षा के स्थानों को पहुँच जाए। जब युद्धरत दलों के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध टूट जाते हैं तो परम्परागत रूप से तटस्थ देशों के राजनयिकों से यह कहा जाता है कि वे प्रत्यक्ष पक्ष की राष्ट्रीयता वाले लोगों के हितों की दूमरे क्षेत्र के देशों में

रक्षा करें। प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के समय स्वीट्जरलैंड तथा स्वीडन ने यह मुरशारमक एवं मध्यस्थता का कार्य किया।

प्रतिनिधित्व (Representation)—प्रत्येक कूटनीतिक वा यह उत्तरदायित्व है कि उसे चाहे दूसरे राज्यों में भेजा जाए अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में, वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करेगा और अपनी सरकार तथा जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा। एक प्रतिनिधि के रूप में कूटनीतिज्ञ अपने राज्य और सरकार का प्रतीक होता है और उनके विचारों को स्पष्ट करता है। यदि दूसरे देश के अधिकारी या गैर सरकारी व्यक्ति एवं समूह एक देश के दृष्टिकोण तथा अभिप्रायों को जानना चाहें तो उन्हें कूटनीतिज्ञ से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। कूटनीतिज्ञ अपने देश के दृष्टिकोण एवं अभिप्रायों को बड़ी चतुरता, स्पष्टता एवं सक्षिप्तता के साथ प्रस्तुत करता है। उसके व्यक्तिगत विचार चाहे कुछ भी हों किन्तु दूसरे देशवासियों को वह उन्हीं विचारों को बतलाएगा जो उनके देश की सरकार के हैं। अपनी सरकार के प्रतीक और प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हुए राजदूत विदेश में अपने देश के लिए मित्रता को बढ़ाता है और इनके लिए वह सरकार के नेमाओं एवं व्यापार, समाज, शिक्षा और राजनैतिक जीवन के नेताओं के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क विकसित करता है। एक कूटनीतिज्ञ के उत्तरदायित्व का वर्णन करते हुए जोसेफ सी० सी० क्रू (Joseph C Crew) ने कहा है कि "उसे सबसे पहले और सबसे प्रमुख रूप से एक व्याख्याता (Interpreter) होना चाहिए। वह व्याख्याता का कार्य दोनों तरीकों से कर सकता है। प्रथम, वह जिस देश में कार्य कर रहा हो उस देश को समझेगा, उसकी परिस्थितियों, उसकी मनाइशा, उसके कार्य, और उसके मूल अभिप्रायों को जानने के बाद यह इन चीजों को अपनी सरकार के लिए स्पष्ट करेगा। दूसरी ओर वह जिस देश में रह रहा है उसकी सरकार और जनता को अपने मूल देश के उद्देश्य, भाषा एवं इच्छाओं से अवगत कराएगा। यह उन विचारों और शक्तियों के बीच पारस्परिक सामञ्जस्य स्थापित करने वाला एक अभिकरण है जिनके आधार पर राष्ट्र कार्य करते हैं। प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है कि कूटनीति गिज्ञान के सदस्य अपने स्वयं के देश के बारे में अच्छी प्रकार से सूचित हो और जहाँ आवश्यकता हो वे निरन्तर और तुरन्त सूचना प्रदान कर सकें। जब कभी वह सार्वजनिक समारोहों में बोलने का अवसर प्राप्त करें तभी उसे व्यापार एवं गृह नीति निर्माण के सम्बन्ध में अपनी नीतियाँ स्पष्ट करनी चाहिए और सरकारी तथा गैर सरकारी अधिषियों में

अपनी प्रगति का वर्णन करना चाहिए तथा अपने देश की कृपा की मुद्रा विद्यमानों को सूचित करना चाहिए।

वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ एवं कूटनीतिक मिशन के अध्यक्ष महन्वपूर्ण अथवा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे यात्रा के माध्यम से पूरे देश की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वे अन्य राजदूतों के सम्मान में स्वयं भाग देते हैं और दूसरों द्वारा दिए जाने वाले नोटों में सम्मिलित होते हैं। इस सम्बन्ध में यह आवश्यकता होती है कि जिन्होंने अभी निमन्त्रित किया था उन्हें जल्द निमन्त्रित किया जाए और सरकार के तथा वाणिज्य के महन्वपूर्ण सदस्यों को निमन्त्रित किया जाए। हेरल्ड सीमर (Harold Seymour) ने कहा है कि एक अच्छा भोज कूटनीति की दृष्टि से बहुत महन्वपूर्ण हो सकता है।

अधिकार देना अपने कूटनीतियों को संचालित करने के लिए पर्याप्त बन देते हैं ताकि वे अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर सकें। सयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत इस बात पर बहुत जोर दिया जाता था और इसलिए कूटनीतिक पद उन व्यक्ति को माने जाते थे जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हों। किन्तु अब यह बात जाने सम्पत्तियों के साथ अन्य अधिकारी भी इन पदों को सम्मान सकते हैं। परम्परागत रूप से अपने देश का सर्वोच्च प्रतिनिधि अधिकारी हान के नाम राजदूत प्रायः मुख्य प्रशासकीय एवं प्रशासनिक उतरदायित्वों को पूरा करना है। सयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत को अथवा अमेरिकी अधिकारियों की क्रियाओं का पर्यवेक्षण करना होता है तथा संस्था अधिकारियों या प्रशासकीय उतरदायित्व सम्मानना प्राप्त है। इन कार्यों के परिणामस्वरूप उनके समय पर पर्याप्त भार पड़ जाता है।

३. पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन (Observation and Reporting)— कूटनीतिज्ञ का विवेकात्मक रूप से एक देश के आर्थिक और कानून का जाना है व अपने सरकार को विदेशी मामलों का सुझाव देना करना की क्षमता देता है तथा उन्हें इस बात की भी जानकारी देता है कि क्या उनसे भिन्न है और क्या उनके विरोधी हैं। विवेकात्मक रूप से काम करने वाली प्रशासनिक या यह प्रदान करती है कि वह अपने देश का निरन्तर प्रतिवेदन भेजता रहे। ये प्रतिवेदन अथवा विवरण पर भेजे जाते हैं, जैसे, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सैनिक परिस्थितियों विचारार्थी व्यक्तियों, स्थान, उपाय एवं उपाय, कानूनी प्रतिस्थापन तथा शिक्षा में आने वाले परिवर्तन आदि।

बाले हैं किन्तु फिर भी यह समभव है कि एक देश की कूटनीति में उक्त में से कुछ रूप एक साथ प्राप्त हो सकें। उदाहरण के लिए एक कूटनीति प्रजातन्त्रात्मक होने के साथ-साथ प्रचार द्वारा, खुली, सम्मेलनों द्वारा एवं दूकानदार जैसी भी हो सकती है। इस दृष्टि से यदि कूटनीति के उनमें उक्त विभिन्न भेदों को 'भेद' की सत्ता न देकर केवल कूटनीति की विशेषतायें कह कर पुकारें तो भी अनुचित न होगा। इन विशेषताओं प्रमदा भेदों का सजिप्त वर्णन प्रागे प्रस्तुत किया जा रहा है।

(१) प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति (Democratic diplomacy)

बीसवीं शताब्दी की 'प्रजातन्त्र' के जन्म एवं विकास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय शासन सत्ता राजा और सम्राटों के हाथ से निकल कर सामान्य जनता के हाथों में आ गई। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का निर्यायिक एक देश का शासन मात्र न रह कर पूरी जनता बन गई। प्रजातन्त्रात्मक प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ने कूटनीतिक व्यवहार पर प्रभाव डालना प्रारम्भ कर दिया। कूटनीतिगत अन्तर्व्यस्य रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी बन गये, किन्तु जैसा कि पामर तथा परकिन्स का विचार है, कूटनीतिक कार्यों पर राज भी उन्हीं लोगों का अधिकार है जिनके हाथ में शक्ति, प्रभाव और धन है। प्राचीन भारत के अनेक राजा, महाराजा और जागीरदार स्वतन्त्र भारत के राजदूतों का पद सम्भाले हुए हैं।

प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति की कुछ विशेषतायें हैं जैने—

१. कूटनीतियों को केवल अपने देश के शासकों की रुचि का ध्यान रखना ही पर्याप्त नहीं है किन्तु उन्हें लोक-रुचि और लोक-हित का ध्यान रखना होता है।

२. कूटनीतिक स्तर पर किये गये सभी मन्त्रि एवं समझौतों से सामान्य जनता को परिचित रखना आवश्यक है ताकि जनता उन पर अपनी इच्छा अभिव्यक्त कर सके।

३. जनता के अनेक समुदाय एवं वर्गों में भाषण, प्रचार, प्राश्नोत्तर एवं जुलूसों द्वारा विदेशों से किये गये मन्त्रि या समझौतों का विरोध या समर्थन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बर्द्ध पर किये गये भारत-पाक समझौते पर जनमध आदि दलों के रुख को लिया जा सकता है।

४. प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति एक देश की स्वतन्त्र प्रेम, भाषण की स्वतन्त्रता, सरकारी प्रपिचारिया पर जनमत का प्रभाव, विभिन्न सत्पापी

एव सगठनों के विशेष हितों आदि के साक्षो में डलने के बाद रूप ग्रहण करती है तथा कूटनीति के इस रूप का लक्ष्य होता है सम्पूर्ण देश का सामान्य हित ।

प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति के भव तक के अनुभव अधिक अच्छे नहीं रहे हैं । निकल्सन (Harold Nicolson) महोदय ने अपनी पुस्तक 'कूटनीति' (Diplomacy) के पाचवें अध्याय में प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति के अनेक दोषों का वर्णन किया है । प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति का प्रथम दोष यह है कि इसमें 'सम्प्रभु जनता' अनुत्तरदायी होती है । कूटनीतिक कार्यों पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव डालना जनता का अधिकार समझा जाता है किन्तु उन कार्यों से होने वाले दुष्परिणामों के लिए वह जिम्मेदार नहीं बनना चाहती ।

इसका दूसरा दोष यह है कि सामान्य नागरिक विदेश नीति से सम्बन्धित निर्णय लेने में असमर्थ रहता है । यदि उसके सामने सभी तथ्य यथाविधि प्राप्त कर दिये जायें तो भी वह विश्व राजनीति का एक सतोप-जनक चित्र अपने मस्तिष्क पर नहीं उतार सकता और न ही वह उसके प्राणियों परिवर्तनों का अनुमान लगा सकता है ।

तीसरा दोष यह है कि भाषिक रूप से सूचित लोग विदेश नीति के उलझे हुए प्रश्नों पर शीघ्रतापूर्वक विषादी (Positive) निर्णय ले लेते हैं । यह उन लोगों के लिए एक दुःखद स्थिति पैदा कर देता है जो तथ्यों के माध्यम पर कुछ बौद्धिक निर्णय लेना चाहते हैं ।

चौथा दोष यह है कि प्रजातन्त्र में लोकमत द्वारा एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है जिसके माध्यम पर एक देश की विदेश नीति को चलना चाहिए । इस सीमा के अनेक लाभ हैं किन्तु सबसे बड़ा दोष यह है कि देश के नेता भवमय क अनुकूल कोई निर्णय तत्काल नहीं ले पाते । पामर तथा परकिन्स के कथनानुसार प्रजातन्त्रीय देशों की 'बहुत कम और बहुत देर की नीति' (too little and too late) भवनाने के लिए भालाचित किया जाता है । समय पर कोई कदम न उठाने से बाद में अनेक दिक्कतें लड़ी हो जाती हैं ।

पाचवाँ दोष यह है कि कयनी और करनी के बीच भारी अन्तर रहने लगा है । वार्ता-नाप, मापरा एव कार्यों द्वारा यही प्रयत्न किया जाता है कि नीति का वास्तविक स्वरूप लोगों की आँखों से छिपाया न रहे । एक कूटनीतिज्ञ जब किसी मामले में बोलता है तो वह कम से कम बोलता है और जो भी बोलता है उसे बड़े लुभावने ढंग से । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि-

प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति के कार्यों में निश्चितता एवं पथापंता की अपेक्षा अनिश्चितता (Vagueness) अधिक है।

(२) सर्वाधिकारवादी कूटनीति (Totalitarian diplomacy)

बीसवीं शताब्दी का ही एक दूसरा विकास सर्वाधिकारवाद है जो प्रजातन्त्र के विपरीत तानाशाही प्रवृत्तियों को भ्रमनाता है। इस व्यवस्था में देशों की कूटनीति के संचालक उच्च स्तर के कुछ मण्डलान्वय नेता होते हैं। प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से ये देश में अपनी महत्वाकांक्षी और सही लक्ष्यों को एक पद के पीछे डाल देने हैं। सर्वाधिकारी राज्यों के आदर्श, विश्वास, लक्ष्य एवं कार्य भिन्न होने के कारण उनकी कूटनीति का रूप भी प्रजातन्त्रात्मक देशों से भिन्न रहता है। इस कूटनीति की विशेषताओं निम्न प्रकार हैं—

१. यह कूटनीति विचारधारा (Ideology) को आधार बना कर घाते बढ़ती है तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए जातीय बडप्पन, भक्तिवादात्मकता, भक्तिवाद आदि का सहारा लेती है।

२. सर्वाधिकारी कूटनीतियों का उद्देश्य मानिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संधियों का निर्माण करना नहीं है बल्कि उनका मूल उद्देश्य अपने विचारधारा का प्रसार करना है। इसके लिए दूसरे देशों में वे विशेष दलों का निर्माण, पोषण एवं समर्थन करते हैं।

३. सर्वाधिकारी कूटनीतिज्ञ कूटनीति के सामान्य नियमों का पालन तभी तब करते हैं जब तक वह उनके स्वार्थों की योजनाओं से मेल खाता हो।

४. ये मुले रूप से यह घोषणा करते हैं कि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि एवं दौप को इच्छा के अनुसार तोड़ा या अस्वीकृत किया जा सकता है।

५. ये कूटनीतिज्ञ यह प्रचार करते हैं कि साम्यवादी एवं पूँजीवादी राज्यों के बीच का संधर्ष एवं मतभेद सदा रहने वाला तथा कभी न मिटने वाला है।

६. दूसरे देशों के मित्रतापूर्ण व्यवहार को ये उस देश की कमजोरी, पापझूसीपूर्ण नीति एवं बुरे इरादों का प्रतीक मानते हैं तथा विश्व सत्त्वा को अपने प्रचार का केन्द्र बना लेते हैं।

७. सर्वाधिकारी राज्यों के साथ दूसरे राज्यों के सम्बन्ध इतने भेदपूर्ण एवं सघर्षपूर्ण हैं कि कूटनीति का व्यवहार असम्भव सा बन गया है क्योंकि कूटनीति तब ही पर कार्यान्वित हो सकती है जहां कि दो राज्यों के बीच कुछ बातों पर तो मेल या एक जैसी राय हो। शीतयुद्ध की स्थिति में कूटनीतिक व्यवहार नहीं चल सकता। अत्र ज्यो-ज्यो शीतयुद्ध समाप्त होता जा रहा है त्यो-त्यो दोनों दलों के बीच समझौते की मात्रा बढ़ती जा रही है और समझौते कूटनीति की धारणा होते जा रहे हैं।

(३) सम्मेलनों द्वारा कूटनीति (Diplomacy by Conference)

कूटनीति के रूप में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस समय में लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना की गई और इससे विश्व के राष्ट्रों को मिल कर तथा सम्मेलनों के रूप में विचार करके अपनी समस्याओं को सुलझाने का विचार सूझा। समय के अनुसार यह विचार व्यवहार में लोकप्रिय बनना चला गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सम्मेलनों के माध्यम से कूटनीतिक व्यवहारों को संचालित करना एक साधारण बान बन गई। पामर तथा परकिन्स के मतानुसार आजकल प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के ६ हजार से १० हजार तक सेशन होते हैं।

सम्मेलन दो प्रकार के होते हैं। प्रथम वे सम्मेलन जो महत्वपूर्ण तथा तबनीकी मामलों पर विचार विमर्श करते हैं। ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या थोड़ी ही होती है। केवल विशेषज्ञ ही भाग लेते हैं। दूसरे प्रकार के वे सामान्य सम्मेलन होते हैं जिनमें सौ सौ व्यक्ति भाग लेते हैं। ऐसे सम्मेलन प्रायः संयुक्त राष्ट्र सभ के तत्वावधान में आयोजित किये जाते हैं तथा उच्च स्तर के कूटनीतिज्ञ भी इनमें भाग लेते हैं।

लार्ड जॉर्ज के युद्ध मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य मॉरिस हेन्के (Lord Maurice Hankey) ने 'सम्मेलन द्वारा कूटनीति' को युद्ध रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय माना है। उनके अनुसार ऐसी कूटनीति के अनेक लाभ हैं जैसे—इसकी प्रक्रिया लचीली होती है, अनौपचारिकता रहती है, सदस्य एक दूसरे से परिचित रहते हैं, सिद्धान्तों के बीच मैत्री रहती है, गुप्त प्रक्रियाओं एवं प्रकाशित परिणामों के बीच एक सामंजस्य रहता है, सचिव एवं व्याकरणता विश्वासजनक होते हैं।¹

1 Lord Maurice Hankey, 'Diplomacy by Conference' (1946)

अनेक क्षेत्रीय तथा ग्रन्थ प्रकार के समूह जैसे नाटो (NATO), अमरीकी राज्यों का संगठन (OAS) तथा योरोपीय एकता आन्दोलन आदि को भी सम्मेलन की कूटनीति के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इन सोमिन समूहों के बीच समझौते की बातचीत कभी-कभी पर्याप्त कठिन हो जाती है क्योंकि इन देशों के बीच का सम्बन्ध पर्याप्त निकट का है। पेडितफोर्ड तथा बिकन का यह कथन पर्याप्त तर्क-मग्न है कि राजनीतिक विपक्षियों एवं विरोधियों की अपेक्षा कई बड़े मित्रों के साथ लेन देन की बात करना अधिक कठिन बन जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जब से जनता शक्ति लेने लगी है तब से सम्मेलन की कूटनीति अधिक लोकप्रिय हो गई है। अब महाशक्तियाँ छोटे राज्यों की आवाज को महत्व देने लगी हैं तथा उनको बराबर का मत प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में वे इन राज्यों के समर्थन की आवश्यकता को जानने लगी हैं। इस प्रकार के प्रबन्ध में एक समस्या यह उठ खड़ी हुई है कि जब बड़े राज्य किसी प्रभावशील निर्णय को लेना चाहते हैं तो छोटी शक्तियाँ यह माग कर सकती हैं कि किसी राज्य की आलोचना करने या बुरा मला बहने से पूर्व इसके लिए मतदान करा लिया जाये। इस प्रकार बड़ी शक्तियाँ बड़ी अटपटी स्थिति में घा जाती हैं जहाँ कि वे छोटे राज्यों पर आक्रमण करने की अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पाती। इसीलिए वे कभी-कभी इस प्रकार के मतदान की उदयुक्तता के बारे में सन्देह प्रकट करती हैं। सम्मेलन की कूटनीति, सयुक्त नियोजन एवं क्रिया का प्रयोग करके विशेष क्षेत्रों में सहयोग का बढावा है। उदाहरण के लिए नाटो को एक महत्वपूर्ण प्राप्ति यह है कि इसने शक्तिशाली शक्ति सहयोग का विकास किया है। यद्यपि अनेक न सुलझाई जाने वाली समस्याएँ हैं किन्तु फिर भी नाटो संगठन सम्मिलित विचार, सयुक्त क्रियाएँ एवं कार्यों की हिस्सेदारी को विकसित करने में पर्याप्त सफल हुआ है और इसलिए उत्तरी एटलांटिक समाज के लिए परमावश्यक है।

सम्मेलन की कूटनीति का एक दूसरा विकास समाज की मान्यता का विकास है। यह योरोपीय आर्थिक समाज तथा इससे सम्बद्ध निकायों की रचना करके प्रोत्साहित किया गया है। सम्मेलन की कूटनीति ने सशस्त्रीय कूटनीति को जन्म दिया जो आज के कूटनीतिक दृश्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है।

सम्मेलन की कूटनीति हमें एक मुली कूटनीति होती है। जिन प्रकार मुझे समझौते मुझे में किए जा सकते हैं उसी प्रकार मुझे मतभेद भी

खुले में ही प्रदर्शित किए जायेंगे। इससे यह सम्भावना है कि सम्बन्धित दोनों पक्षों के हितों का नुकसान हो और उस सम्मेलन या सगठन का नुकसान हो जिसमें कि ये किए गए हैं। कभी कभी वाद विवाद और असहमति का जनता की धाखों से प्रोत्त रहना अच्छा समझा जाता है क्योंकि इससे समस्या स्पष्ट होती है और विवादपूर्ण समस्याओं पर विचार-विमर्श अच्छी प्रकार किया जा सकता है। आज से सौ साल पूर्व ऐसा कोई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं था जो कि निरन्तर रूप से मिलता हो। आज सयुक्त राज्य अमरीका प्रति वर्ष लगभग ४०० सम्मेलनों में भाग लेता है। इनमें से अनेक तकनीकी विचार विमर्श होते हैं और जिनमें सरकारी विभागों के विभिन्न अधिकारी भाग लेते हैं। इस प्रकार के प्रयाससे राष्ट्रों की कूटनीतिक सेवाओं पर पर्याप्त भार बढ गया है। यदि सम्मेलनों के लिए पर्याप्त तैयारी न की जाए तो उनका परिणाम असफलतापूर्ण होगा। सम्मेलन की कूटनीति को कभी कभी प्रचार के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रवृत्ति अत्यन्त खतरनाक है क्योंकि इससे कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने और अन्य की शक्ति को कम करने का प्रयास करता है।

सम्मेलन की कूटनीति की अनेक सीमायें हैं। कूटनीति को इस प्रकार का समर्थन इसलिए किया जाता है क्योंकि यह ऐसी ही प्रक्रिया दिखाई देती है जैसी कि किसी राज्य की व्यवस्थापिका की बैठक में रहती है किन्तु असल में किसी व्यवस्थापिका की बैठक तथा सम्प्रभु राज्यों के सम्मेलनों के बीच पर्याप्त अन्तर रहता है। पहला अन्तर तो यही है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति और महत्व के बीच पर्याप्त अन्तर रहता है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों के प्रतिनिधि स्वतन्त्र एजेंट नहीं होते। किन्तु अपनी सरकारों के निर्देशनों से बंधे रहते हैं और उनका काम होता है अपने राज्य के हितों की रक्षा एवं अभिवृद्धि करना।

साम्यवादी राज्यों एवं पश्चिमी शक्तियों के बीच सम्मेलन की कूटनीति के लिए कुछ बातों पर मित्र राष्ट्रों के बीच समझौता होना जरूरी है कि किस विषय पर समझौता बार्ता की जाए? कब की जाए? क्या समझौते तथा मुक्तियाँ की जा सकती हैं? और कब बड़ा दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है? जा भा महत्वपूर्ण समझौते किए जायें वे सम्बन्धित सरकार द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। कुछ स्थितियों में महत्वपूर्ण समझौते व्यवस्थापकों के सम्मुख स्पष्ट करने होते हैं क्योंकि उनकी स्वीकृति परमावश्यक है। जेम्स रेस्टन (James Reston) का कहना है कि इन समझौतों को करते समय प्रेस पर भी आँख रखनी होती है क्योंकि प्रजासत्तन्त्र में प्रेस पर्याप्त साधन

समझौता होता है और वह यह मान कर कार्य करती है कि सनी कूटनीतिक प्रयास समाचार हों हैं।

सर्वाधिकारी राज्यों के अधिकारियों को राजनीति स्थिति एवं प्रेस के इन दबावों के अधीन कार्य नहीं करना होगा। ये देज दिए गए समझौतों को किसी भी समय बिना किसी परेशानी के बदल सकते हैं। हमके अतिरिक्त महा की प्रेम भी उपयुक्त सत्ता की स्वीकृति प्राप्त किए बिना सम्मेलन के यार्तालाप को प्रकाशित नहीं करती। इनके अतिरिक्त प्रेस द्वारा नियंत्रण लेने वालों के मध्य स्थित विवादों को भी प्रकाशित नहीं करती और न ही यह प्रकाशित करती है कि निर्यातियों द्वारा अपनी बात मनवाने के लिए किस प्रकार प्रयास किया गया, क्योंकि यह समझा जाता है कि ऐसा करने से विरोधियों को बल मिलेगा। सन् १९६१ के बर्लिन संकट के दौरान जब पश्चिमी विदेश मंत्री साबियत विदेश मंत्री से बात करने से पूर्व मिल रहे थे तो जेम्स रेस्टन ने न्यूयार्क टाइम्स में इस पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि सोवियत विदेश मंत्री जब बात के लिए आयेंगे तो उनके हाथ के कांठ छिपे हुए रहेंगे। वह जब राज्य सचिव रस्क से मिलेंगे तो उन समझौतों के बारे में बहुत कुछ जानने के बाद मिलेंगे जो किए जा चुके होंगे तथा उनके लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। यह व्यवस्था स्पष्टतः एक असमान व्यवस्था है और उस समाज के पक्ष में है जो पर्याप्त गोपनीयता रखना है और तब तक ऐसा रहेगा जब तक पश्चिमी देश अपने हित की दृष्टि से कूटनीति के संचालन की कोई नई प्रक्रिया नहीं खोज लेते।

(४) व्यक्तिगत कूटनीति (Personal Diplomacy)

कूटनीति के इस रूप के अनुसार दो देशों के कूटनीति विषयों का संचालन स्वयं उन देशों के विदेश मंत्रियों, प्रधानों एवं प्रमुखों के द्वारा किया जाता है न कि उनके कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा। कूटनीति के इस रूप का प्रयोग संघर्ष पहलू भी होता था किन्तु वर्तमान युग में तो यह एक सामान्य प्रतिपादन बन गई है। अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर इन उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा ही निर्णय लिये जाते हैं। जेनवा सम्मेलन वाप्टुग सम्मेलन अल्जीरस सम्मेलन एवं अन्य अनेक अन्तर सम्मेलनों को इस प्रकार की कूटनीति के उदाहरणस्वरूप लिया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके बाद भी बड़ी शक्तियों के विदेश मंत्री अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श करने को मिले थे। शीत युद्ध के काल में नाटो (NATO) शक्तियों

के विदेश मन्त्री गणो सामान्य हित के मामलो पर विचार करने के लिए कई बार मिला चुके हैं।

व्यक्तिगत कूटनीति को प्रियान्वित करने के लिए कई बार एक देश के प्रधानमन्त्री एवं विदेश मन्त्रियों द्वारा प्रतिनिधियों का सहारा लिया जाता है। स्वयं के कार्य को हल्का करने एवं कार्य की सम्पन्नता में समय की बचत करने के लिये ऐसा किया जाता है। भारत पाक संघर्ष के दौरान भारत ने अनेक मन्त्रियों एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों को कार्यकारिणी के एजेण्ट अथवा प्रधानमन्त्री के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में विदेशों में भेजा था, क्योंकि इस संघर्ष में भारत के पक्ष को स्पष्ट करना तथा दूसरे देशों की सहानुभूति एवं सहयोग प्राप्त करना शीघ्र ही आवश्यक था। ताशकन्द में ४ जनवरी, ६५ को निश्चिन्त शास्त्री-भयवृक्ष का मिलन भी व्यक्तिगत कूटनीति का ही एक रूप कहा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अग्निनेता चर्चिल और रुजवेल्ट प्रायः अनीपचारिक एवं व्यक्तिगत रूप से ही मिला करते थे।

व्यक्तिगत कूटनीति, कुछ विचारकों के मतानुसार, नुस्सानदायक है। इन विचारकों का महना है कि प्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री आदि उच्च स्तर के पुरुषों का काम नीति का निर्माण करना है न कि समझौते करना, यह काम तो कूटनीतिज्ञ विशेषज्ञों को सौंप देना चाहिये। कारण यह है कि उच्च स्तर के अद्विचारी समझौते करने के लिये योग्य नहीं होते। माथ ही डर रहता है कि वे विषय को विषयी (Subjective) दृष्टि से देखेंगे जो राष्ट्रीय हित के विपरीत भी जा सकता है। लार्ड वंसिस्टार्ट (Lord Vansittart) के मत में ऐसी कूटनीति का व्यवहार कभी कभी ही सफल हो पाता है क्योंकि 'परामर्श' की प्रत्येक को आवश्यकता रहती है। हेरल्ड निकल्सन (Harold Nicolson) तथा सिसली हाडलस्टन (Sisley Huddleston) आदि का विचार भी व्यक्तिगत कूटनीति के विरुद्ध जाता है।

दूसरी ओर लार्ड हेन्की (Lord Hankey) आदि के विचार से व्यक्तिगत कूटनीति का अपना महत्व है क्योंकि कई समस्याओं का समाधान इतना बटिन हो सकता है कि कूटनीतिज्ञों के पास जो साधन हैं वे उसके लिये अपर्याप्त रह जायें। इन विचारकों के मत में ससदात्मक प्रजातन्त्र के युग में मध्यस्थों पर निर्भर रहना उपयुक्त नहीं है।

(५) शूकानदार जैसी कूटनीति बनाम युद्धप्रिय कूटनीति
(Shopkeeper diplomacy Vs Warrior diplomacy)

यदि हम विभिन्न देशों की कूटनीति पर एक विह्वल दृष्टिपात करें

तो पायेंगे कि उन सबकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। निक्लसन (Nicolson) महोदय ने ब्रेट ब्रिटेन की कूटनीति में वे सभी गुरा पाये हैं जो कि एक व्यापार में पाये जाते हैं।^१ जो कूटनीति बुद्धिपूर्वक ममत्ता करने को तैयार रहती है, दूसरे राष्ट्रों के साथ प्रेम बढ़ाती है तथा विभिन्न मन्त्रियों के द्वारा शान्ति निर्माण में प्रयत्नशील रहती है, वही कूटनीति व्यवहार में आकांक्षित परिणामों को प्राप्त कर पाती है। एक दूतानदार जैसी यह कूटनीति महत्वपूर्ण एवं लाभदायक है क्योंकि यह अन्य रूपों की अपेक्षा अधिक नैतिक है तथा उन रूपों की तुलना में अधिक सफलता प्राप्त करने में समर्थ रहती है। एक देश की सफलता एवं अन्तर्राष्ट्रीय समाज में उसका स्थान मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करता है—यह देश किस प्रकार की कूटनीति अपना रहा है, उस देश की राष्ट्रीय नीति कैसी है, तथा समझौता बर्तनों का ध्वस्तत्व कैसा है।

कूटनीति का एक दूसरा रूप जो उपर्युक्त से पूर्णतः भिन्न प्रकृति का है, युद्धप्रिय रूप है। यह समझौतों में विश्वास नहीं करता तथा युद्ध के वातावरण को अधिकार्थिक उत्तेजित करने के लिए सर्वप्रयत्नशील रहता है। कुछ विचारक यह मानते हैं तथा इतिहास का हवाला देते हुए कहते हैं कि इस प्रकार की कूटनीति को मानने वाला देश अन्त में स्वयं ही नष्ट हो गया तथा कोई सन्तोषजनक सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहा।

दूतानदार जैसी एवं युद्धप्रिय कूटनीतियों के बीच अनेक भिन्नताएँ हैं। दोनों ही विशेषताएँ परस्पर विरोधी हैं। यदि हम इनके व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहास के पृष्ठ उलटें तो पायेंगे कि आ देन स्थिर व्यवस्था को रणों का रण बनाये रखने के पक्ष में हैं वे पहली को तथा जो देश स्थिर व्यवस्था को पुनर्निर्माण देने हैं तथा अस्तित्व को टोट म रहने हैं वे दूसरी को अपनाते हैं। इस दृष्टि से यदि हम पश्चिमी प्रजातन्त्रों की कूटनीति को देखें तो हमें ज्ञान हो जायेगा कि उसमें वे सभी विशेषताएँ वर्तमान हैं जो एक दूतानदार जैसी कूटनीति की वस्तुतः की गई है। दूसरी ओर साम्यवादी देशों की कूटनीति में हमें युद्धप्रियता का आभास मिलता है विशेषतः साम्यवादी चीन की कूटनीति में।

दोनों ही प्रकार की कूटनीतियों का आधार परिस्थिति, राज्य का स्वरूप एवं विचारधारा है अतः दोनों का ही अपना महत्व है। दूतानदार जैसी कूटनीति की क्रिया-विवरण करते समय ब्रिटेन ने चानुर्न, बुद्धिमत्ता एवं तपट

से भी कई बार काम लिया है। इसमें उसे सफलता और असफलता दोनों ही प्राप्त हुई है। एक देश कूटनीति के किस रूप को अपनाता है तथा उस रूप को अपनाने में उसे सफलता कितनी प्राप्त होती है, इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर इस तथ्य पर निर्भर करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय पदस्थेणी में वह देश कौन सा स्थान रखता है तथा उस देश की शक्ति कितनी है। प्रारम्भ से ही ब्रिटेन की कूटनीति सफल होती चली आई इसका कारण उसकी शक्ति थी। मित्र के मामले पर उसे पीछे हटना पड़ा; इसका कारण यह है कि अब वह दूसरी श्रेणी की शक्ति बन गया है।

युद्धप्रिय तथा दूकानदार जैसी कूटनीतियों के बीच का मुख्य अन्तर इस प्रकार है —

(१) युद्धप्रिय कूटनीति जब समझौते करने बैठती है तो असबोद्धिक (Unreasonable) बन जाती है क्योंकि बोद्धिक रूप से सोचने पर स्थित व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता। इसके विपरीत दूकानदार जैसी कूटनीति बुद्धिपूर्ण समझौते करती है।

(२) प्रभावशील (Dominant) देशों की माग बड़ी होती है, तथा बुद्धिपूर्ण होती है। वे स्थित व्यवस्था से सन्तुष्ट रहते हैं और इसलिए शक्ति के प्रयोग के प्रत्येक रूप को बुरा मानते हैं। वे समझौतों को आवश्यक मानते हैं। इनके विपरीत चीन जैसे देश युद्ध को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का आवश्यक साधन मानते हैं।

(३) प्रभावशील देशों की (जो स्थित व्यवस्था के हिमायती हैं) कूटनीति अस्पष्ट रहती है। उनके कूटनीतिक समझौतों का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं रहता।

(४) प्रभावशील देश ऐसी किसी चीज की माग नहीं करने जो उनके पास नहीं है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि दूसरे देश भी उन चीजों की माग बन्द कर दें जो कि उनके पास नहीं हैं। वे देश स्थित विश्व व्यवस्था से सन्तुष्ट रहने हैं अतः स्पष्ट नहीं जान पाते कि उनकी आवश्यकताएँ क्या हैं।

(५) युद्धप्रिय कूटनीति को अपनाने वाले देशों के कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं। वे वर्तमान को बदल कर अपने अनुकूल विश्व बनाना चाहते हैं जहाँ उनके हितों को सन्तुष्ट किया जा सके। इस नये विश्व का मानचित्र उनके मस्तिष्क में रहता है। जैसे साम्यवादी चीन सारे ससार को लाल भूके नीचे लाने के स्वप्न में मस्त है।

(६) युद्धप्रिय कूटनीति अपनाते वाले देश प्रायः गरीब, कम शक्ति वाले तथा असन्तुष्ट होते हैं, शक्ति के अभाव में उनको कूटनीतिक सफलताएँ कम मिल पाती हैं, विश्व समाज में भी उनका स्तर अधिक ऊँचा नहीं रहता। यही कारण है कि वे वर्तमान व्यवस्था को बदलने के लिए युद्ध और मध्यम का सहारा लेते हैं, सर्वाधिक समझौतों से घाये बटने हैं। दुकानदार जमी कूटनीति अपनाने वालों का स्वभाव व सज्ज इसके विपरीत होता है।

(६) खुली कूटनीति बनाम गुप्त कूटनीति
(Open Diplomacy Vs Secret Diplomacy)

प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति का पालन करते समय प्रथमता यह बताया गया था कि आज के प्रजातन्त्रात्मक युग में जनसाधारण यह अपना अधिकार मानते तथा है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सन्धि, समझौते अथवा कूटनीतिक व्यवहार किये जायें उन सबकी जानकारी उनको ही जानी चाहिए। खुली कूटनीति का समर्थन नैतिक एवं आदर्शात्मक दृष्टिकोणों से भी किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस प्रकार की कूटनीति की मांग बढ़ती गई। युद्धो विलसन के १४ सिद्धान्तों में से पहला सिद्धान्त था कि सभी सन्धिपूर्ण समझौते खुले रूप में किये जाने चाहिए। कूटनीति हमेशा जनता के दृष्टिकोण से एवं स्पष्ट रूप में संचालित की जाये न कि व्यक्तिगत दृष्टिकोणों के आधार पर।^१ खुली कूटनीति के समर्थक धरने पत्र के प्रतिपादन में निम्नलिखित तर्क प्रदान करते हैं—

— (१) एक राष्ट्र के लोगों को यह अधिकार है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गये समझौतों को जानें क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इन और जीवन का बलिदान वे ही करते हैं।

(२) प्रजातन्त्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है यह उत्तरदायित्व तब तक किमान्वित नहीं किया जा सकता जब तक कि जनता को दृष्टियों से परिचित न रखा जाये।

(३) कूटनीतियों द्वारा त्रिन निधिसकारी युद्धों का बनावरण रोपार किया जाता है तथा जिसमें लोगों को सबूत करके भौक दिया जाता है, वह सब न हो यदि जनता का कूटनीतिक कार्यों पर सरक्षण रहे।

(४) खुली कूटनीति का अर्थ जैसा कि स्वयं विलसन ने सीनेट को लिखा था, यह कदापि नहीं है कि महत्त्वपूर्ण मामलों पर व्यक्तिगत रूप से

1. Woodrow Wilson, Message to Congress on Jan. 8th, 1918

विचार-विमर्श ही न किया जाय। इसका अर्थ तो यह है कि कोई समझौता गुप्त न रखा जाय, तय करने के बाद सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्पष्ट कर देने चाहिए, प्रकाशित कर देने चाहिए।

उक्त तर्कों का विरोध करते हुए गुप्त कूटनीति के समर्थक अपने पक्ष के प्रतिपादन में जो तर्क प्रस्तुत करती हैं उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं—

(१) एक सफल कूटनीति के लिए गुप्त रहने की आवश्यकता है।

(२) गुप्त रूप से जो समझौते किए जाते हैं उनमें स्पष्टता (Frankness) रहनी है तथा कूटनीतिज्ञ उन सुविधाओं को देने के लिए भी राजी हो जाते हैं जिनको वे तब नहीं दे सकते जबकि जनता उनसे परिचित हो।

(३) प्रकाशन की परम्परा से 'कूटनीतिज्ञ' प्रचारक (Propagandist) बन जायेंगे तथा वे जनता के क्षणिक दुरापहो से भी प्रभावित किये जायेंगे।

दोनों ही पक्षों के तर्कों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें से प्रत्येक समर्थक नही है। शुद्धी कूटनीति के समर्थकों का सबसे बड़ा तर्क यह है कि उनके द्वारा समर्थित कूटनीति प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था के अनुकूल है। ये विचारक मानते हैं कि कूटनीति अपने आप में एक लक्ष्य होती है। कूटनीति को प्रजातन्त्रात्मक बनाने का लाभ इन विचारकों के मत में यह है कि इससे युद्ध का खतरा टल जायगा तथा शान्ति की जड़ें गहरी होगी। किन्तु यह मत देखने में जितना मानने योग्य लगता है, व्यवहार में हवाई जिले से अधिक सत्य नहीं है।

गुप्त कूटनीति के समर्थकों का मुख्य विश्वास यह है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को प्रकाशित कर दिया गया तो इससे समझौता करने वालों में लचीलापन नहीं रह पायेगा। वर्तमान समय के अधिकांश सम्मेलनों में समझौता करने वालों में लचीलापन नहीं रहता। इसका कारण यही माना जाता है कि उनको प्रकाशित कर दिया जाता है। किन्तु इस विश्वास के पीछे कोई प्रभाव नहीं है, अतः यह भ्रामक है। गुप्त कूटनीति के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि आज सुधी होने के कारण कूटनीति असफल हो गई है। पहले कूटनीति सफल थी क्योंकि वह गुप्त होती थी। यह तर्क भी सत्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि कूटनीति की असफलता के अन्य दूसरे कारण बहुत हैं।

कूटनीति को प्रभावन्त्यात्मक होने के लिये चुना होता न आवश्यक है और न उपयोगी ही। पामर तथा परकिन्स के विचार से जनता का भला इसमें है कि समझौते के परिणामों एवं उद्देश्यों के लिये मतार्थों को उत्तर-दायी ठहराया जाये न कि इसमें कि समझौते ही टेलीविजन के पर्दे पर किये जायें।¹

(७) प्रचार द्वारा कूटनीति (Diplomacy by Propaganda)

कूटनीतिक निरुणों को अपने हितों के अनुकूल बनाने में प्रचार का महत्वपूर्ण कार्य है। रेडियो, प्रेस तथा प्रचार के अन्य साधनों द्वारा जनता को एक विशिष्ट नीति के सम्बन्ध में प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। जार्ज वी० एलेन (George V Allen) के मतानुसार प्रचार कूटनीति का एक सचेतन (Conscious) हथियार बन गया है। बिस्मार्क द्वारा इस हथियार का प्रयोग बड़ी सफलतापूर्वक किया जाता था। ब्रेस्ट लिटोस्क (Brest Litvsk) में ट्राट्स्की ने भी समझौते के तरीके के रूप में प्रचार का प्रयोग किया था। बाद में यह व्यवस्था साधारण बन गई तथा अनेक देश इसे अपनाते गये। कूटनीति में प्रचार दो प्रकार से सहायक बनता है—

(१) प्रचार द्वारा समझौते पर विचार करने योग्य वातावरण तैयार किया जाता है।

(२) जब समझौता हो रहा हो तो उसे प्रभावित करके अपने हित को अनुकूल बनाया जाता है।

जहां तक पहले कार्य का सम्बन्ध है, प्रचार उपयोगी है और इसलिए प्रत्येक देश प्रशासन एवं प्रचार पर बहुत धन खर्च करता है। किन्तु दूसरे कार्य का जहां तक सम्बन्ध है प्रचार बहुत कम ही सफल हो पाता है। प्रचार कार्य मुख्य रूप से विदेश मन्त्री या अन्य राजनीतिज्ञों द्वारा किया जाता है न कि कूटनीतिज्ञों द्वारा। यद्यपि प्रचार के द्वारा जनता में अनेक भ्रमियाँ निरवान एवं भ्रम पैदा होते हैं किन्तु आज की परिस्थितियों में यह अपरिहार्य बन गया है। पनिकर (K M Panikkar) महोदय ने समझौते (Negotiation) को एक गुप्त तरीका माना है। उनके मतानुसार जितने समय समझौते चल रहे हों उतने समय प्रचार बड़ा खतरनाक होता है।²

1 Palmer and Perkins, op cit, P. 115

2 K M Panikkar, op cit, P 93

दिया है कि आज कूटनीति का श्रियान्वित होना रठिन बन गया है। कूटनीति के महत्त्व को गिराने में तथा उनके सफल संचालन के मार्ग में प्रभाव डालने वाले कुछ नवीन विक्राम भी हैं।

कूटनीति पर प्रभाव डालने वाले कुछ नए विकास (New developments responsible for changing role of diplomacy)

आज कूटनीति द्वारा विश्व राजनीति में उम कार्य का सम्पादन नहीं किया जा रहा है जो वह विश्व युद्धों के पूर्व करता था। मार्गेन्थो (Morgenthau) महोदय के मतानुसार "द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कूटनीति अपना महत्त्व खो चुकी है। इसके कार्य अब जितने कम रह गए हैं इतने राज्य व्यवस्था के इतिहास में कभी नहीं रहे थे।" कूटनीति का महत्त्व घटाने लिए उन्होंने ५ कारणों को उत्तरदायी ठहराया है। ये विभिन्न प्रकार हैं—

१ संचार के साधनों का विकास (Development of Communications)

२ कूटनीति का अवमूल्यन (Depreciation of diplomacy)

३. मसदात्मक प्रक्रिया द्वारा कूटनीति (Diplomacy by Parliamentary Procedure)

४ सर्वोच्च शक्तियाँ—कूटनीति में नवागत (The superpowers Newcomers in Diplomacy)

५. वर्तमान विश्व राजनीति का स्वरूप (The nature of contemporary world politics)

उन कारणों से कूटनीति का व्यवहार कठिन बन गया है। विचार-धारा के आघार पर समार के दो गुटों में बंट जाने से सबसे बड़ा उत्तरा कूटनीति को ही हुआ है। जैसा कि पहले भी एक बार कहा जा चुका है कूटनीतिक व्यवहार केवल वही सम्भव होता है जहाँ कि इसकी एवाइयों के बीच कुछ समानता हो। समझौते का प्रश्न ही वही उठता है जहाँ कि कुछ बातों में दोनों पक्ष सहमत हों तथा कुछ बातों पर उनमें मतभेद हो। समझौता इस मतभेद को मिटाने का प्रयास करता है किन्तु जिन देशों के बीच प्रत्येक बात में अंतर एवं विरोध हो वहाँ समझौता सम्भव ही नहीं हो सकता। पत्रिचर महोदय के मतानुसार "विश्व के दो प्रधान गुटों के

बीच इतनी गहरी खाई है कि उनके बीच कूटनीतिक सम्बन्ध रह ही नहीं सकते।”

एक ओर तो विभिन्न कारणों के फलस्वरूप कूटनीति का व्यवहार आज के युग में दुम्ह बन गया है और दूसरी ओर उसकी प्रावश्यकता जितनी आज के प्रायुग में है उतनी प्रायद ही किसी युग में रही होगी। विश्व में शक्ति के लिए मर्दन सपर्य होजा रहजा है, इस सपर्य को सीमित एवं सतुति बना कर कूटनीति विश्व में शान्ति-स्थापना का एक प्रमुख साधन बनता है। कूटनीति के प्रभाव का धर्य होगा युद्ध और युद्ध का धर्य होगा प्रलय तथा मानव सम्पत्ता और सङ्कृति का विनाश। इस सतरे को टालने के लिए उन तरकों को खोज करना प्रावश्यक है जो कि वर्तमान विश्व की परिस्थितियों में भी कूटनीति को सम्भव बना सके। कूटनीति को पुन स्थापित करने के लिए पहले तो उन सभी तरकों को मिटाना होगा या कम करना होगा जो कि पुरानी कूटनीति के पतन का कारण मान जाते हैं। हेरल्ड निकल्सन (Harold Nicolson) के मतानुसार तीन ऐसे विकास हैं जिन्होंने कूटनीति के सिद्धांत एवं व्यवहार को प्रभावित किया है, वे हैं—

१. राष्ट्रीय समुदाय के प्रति बढ़ती हुई चेतना (Growing Sense of the community of nations)
२. सोचमत का बढ़ता हुआ महत्व (Increasing appreciation of the importance of public opinion)
३. सञ्चार के साधनों का विकास (Rapid increase in Communications)

मार्गेन्थो महोदय के मतानुसार आज की परिस्थितियों में एक देश की कूटनीति को सफल रूप से कार्य करने के लिए नौ नियमों का पालन करना चाहिए। इनमें चार मौलिक नियम निम्न प्रकार हैं—

१. कूटनीति को मान्योत्तन करने वाली विचारधारा से पूर्ण रखा जाय। इस नियम का उल्लंघन करने पर युद्ध का सूत्रा बड जाता है।
२. विदेश नीति को राष्ट्रीय हित के प्रकाश में परिनामित किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय शक्ति द्वारा उसे समर्थित किया जाना चाहिये।
३. कूटनीति को चाहिए कि यह राजनैतिक दृश्य को दूसरे देशों के दृष्टिकोण से देखे।

४ एक राष्ट्र को उन सभी विषयों पर समझौता करने को तैयार रहना चाहिए जो उसके लिए अधिक महत्व नहीं रखते हैं।
समझौते के सफल होने के लिए पांच अथवा नियमों का पालन करना चाहिए। ये इस प्रकार हैं—

- १ राजीनामा करते समय राष्ट्र की तरफ ध्यान न देकर जाता के हिन ही ध्यान दिया जाना चाहिए।
- २ ऐसी स्थिति में कभी मत रहो जहाँ से पीछे हटने के लिए तुम्हें अपमानित होना पड़े तथा आगे बढ़ने के लिए गम्भीर आपत्ति का सामना करने पड़े।
- ३ कमजोर गिन राष्ट्र को अपने लिए निर्णय बनाने का असमर्थ न हो।
- ४ गणस्य सेना विदेश नीति का साधन होनी है, उसका स्वामी नहीं। एक विदेश नीति, जो गणितों द्वारा सैनिक बल के नियमों के अनुसार चलाई जाना है, हमारा युद्ध का ही वारण बनती है, क्योंकि जमा बीज बोया जाता है वैसे ही पत्र भी चरणों को मिलते हैं।
- ५ सरकार जनमत का नेतृत्व करती है न कि गुनामी का। लोकमत के पीछे भागने वाली कूटनीति सफल नहीं हो पाती क्योंकि लोकमत बौद्धिक की अपेक्षा भावात्मक अधिक होता है।

कूटनीति के विषय पर ध्यान निर्धारण देने हुए मार्सेयो महादय ने बताया है कि अतः तर के इतिहास में कूटनीति सफल ही रही है। प्राचीन समय में राजाओं द्वारा युद्ध रोकने नहीं बल्कि युद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था अतः वह अपने लक्ष्य में सफल रही, यद्यपि शान्ति की दृष्टि में वह असफल थी। विष्णु कूटनीति तो एक साधन मात्र है जिसे एक राष्ट्र अपने हितों की रक्षा व प्रभिवृद्धि के लिए अपनाता है। कूटनीति का एक ही एक परिणाम इसे प्रयोग करने वाली की योग्यता एवं उद्देश्यों पर निर्भर करता है।

संसदीय कूटनीति

(Parliamentary Diplomacy)

संसदीय कूटनीति शब्द के प्रचलन का श्रेय डेन रस्क को दिया जाता है। इनके मतानुसार संयुक्त राष्ट्र सभ की बैठकें राष्ट्रीय संसद से मिलती-

जुनही है क्योंकि उनमें भी प्रक्रिया के नियमों के अनुसार कार्य किया जाता है। प्रारोपित प्रस्तावों पर संयुक्त राष्ट्र सभ में जो वाद-विवाद एवं कार्य होता है अधिकारियों के चुनाव होते हैं, वोट का निर्धारण होता है और न अन्धविश्वास का वास्तविक प्रतिबन्धन प्रस्तुत किया जाता है वह राष्ट्रीय व्यवस्थापिका की प्रक्रियाओं से भेद नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र सभ की प्रक्रिया की तथा उक्त प्रक्रिया के परिणामों को प्रभावित करने को क्षेत्रीय तथा राजनीतिक गुट ऐसे ही प्रयत्न करते हैं जैसे कि राष्ट्रीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय गुटों एवं विभिन्न हित समूहों द्वारा संसदीय व्यवस्था में किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभ के वाहरी बंधों में प्रतिनिधि सभों का भाषण प्रदान करते हैं, अपनी स्थिति के सम्बन्ध में तर्क देते हैं और अपने पक्ष में मत प्राप्त करने का प्रयास करने हैं। संयुक्त राष्ट्र सभ की बैठक के दौरान भी मोहन दलों में तथा प्रतिनिधियों के विश्वास व्यक्तों में विचार-विमर्श होते हैं। महा सभा के सत्र के दौरान तथा अन्तर्राष्ट्रीय सभ के समय न्यूयार्क नगर में विदेश की किसी राजधानी की प्रेषित अधिकृत नूतनीति विचारों होती हैं।

संसदीय नूतनीति की अपनी कुछ सीमाएँ हैं। यह इन बातों पर जोर देती है कि एक मामले का सबके सामने खाने से तथा उस पर वाद-विवाद करने एवं प्रस्ताव-मांग-करने-मान-ले-गुन-भार-का-संकेत। किन्तु यह एक भ्रम मान है। व्यावहारिक रूप में इस प्रकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप मनमुटाव और राष्ट्रीय मानवायें उत्पन्न हैं। यह भी सम्भव है कि एक राज्य बिना प्रस्तुत की समझे हुए तथा उसके परिणामों पर विचार के ही प्रस्तावित प्रारूप पर मत प्रदान कर दे। जब पूर्ण मतदान होता है तो उसमें अनुसन्धित रहने बाधों की संख्या का भी महत्त्व हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभ में गुट की राजनीति सत्ता राजनीति का रूप धारण कर सकती है जो कि अपने उत्तरदायित्वों से घमण्ड रहे।

संसदीय नूतनीति उपरोक्तों की हो सकती है क्योंकि यह विरल जनमत का रोग देने से पूर्णतः उपरोक्तों से ही ग्रहणी है। यह अनेक देशों के सहयोग को सुविधाजनक बनाती है तथा सामूहिक कार्य के लिए नींव रखती है। इस प्रकार की नूतनीति को अन्य प्रकार की नूतनीति का विकल्प नहीं माना जा सकता।

सोवियत कूटनीति के कुछ रूप (Some Styles of Soviet Diplomacy)

सोवियत मघ द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जिम कूटनीति का प्रयास किया गया है वह अनेक दृष्टियों से पश्चिमी राष्ट्रों से भिन्नता रखती है। बोलशेविक क्रांति के बाद से ही सोवियत मघ विश्व की सरकारों को अन्दरूनी करने में उस समय आगा पीछा नहीं देता जबकि ऐसा करने से उनके हितों की साधना होती हो। सन् १९४५ में पोलैंड, सन् १९४८ में चेकोस्लोवाकिया और सन् १९५६ में हंगरी में किए गए उसके प्रयास इस बात के उदाहरण हैं। सोवियत मघ ने पश्चिमी शक्तियों के प्रति एक अस्पष्ट रणनीति को अपनाया है ताकि इन राष्ट्रों की प्रतिक्रिया अनुकूल न हो सके। सोवियत मघ द्वारा अपनाई गई सरकारों को उखाड़ने की नीति (Policy of Subversion) का समुक्त राज्य अमेरिका ने कई प्रयासों से जवाब दिया है। मासल योजना एवं नाटो का संगठन आदि प्रयास उसकी प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं। बर्लिन के प्रति भी सोवियत मघ की कूटनीति पर्याप्त अस्पष्ट थी। उसने कई बार बर्लिन के घेरे की तथा दीवार की रचना की घमकी दी और जब भी कभी शक्ति प्रदर्शन का अवसर आया वह पीछे हट गया।

सोवियत कूटनीति की एक अन्य विशेषता यह है कि वह मजिदगी एवं समझौते करत समय शब्दों के परम्परागत अर्थों-पर विवाद करता है और इस प्रकार संघर्ष को लम्बा बना देता है। यान्टा समझौते पर जो मतभेद रहा, उसका मूल कारण बहुत कुछ यह था कि सोवियत मघ फासिस्ट एवं डेमोक्रेटिक (Fascist and Democratic) शब्दों के प्रयोग पर मतभेद रखता था। सोवियत मघ ने अपनी विचारधारा को एक मध्य रखते हुए गैर-माम्यवादी सरकारों का फामीवादी कहा और उनकी हटाकर साम्यवादी सरकार की स्थापना के कार्य को न्यायाचित्त ठहराया। सोवियत मघ के मतानुसार साम्यवादी सरकारें ही प्रजातन्त्रात्मक थीं। यान्टा समझौता इन पक्षों का निश्चित अर्थ नहीं बना पाया इसलिए माकिवित्त मघ के तर्कों पर विचार किया जाना मुश्किल हो गया।

सोवियत कूटनीति के दृग की एक अन्य विशेषता यह है कि वह अपने विरोधी को बदनाम करने की खातिर तर्कों को बहुत दूर तक ले जाती है। सोवियत मघ की धार से समझौता बाता करने वाले लोग अपनी स्थिति में उस समय तक परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक कि फासिस्ट स्त्रो को ऐसी-

स्थिति का ज्ञान न करा दें अथवा नए निर्देशन न प्राप्त कर लें। विदेश मन्त्री गालोटांन सोवियत कूटनीति की नीवहीनता का एक प्रतीक माना जाता है। कुछ समय से सोवियत कूटनीति न अपने बठोर दृष्टिकोण को बम बर दिया है।

निन्दा करना एवं भूटे आरोप लगाना सोवियत कूटनीति का एक दूसरा तरीका है। इस प्रक्रिया से एक बार अमरीकी राज्य सचिव जार्ज सी० मार्शल (George C Marshall) इतने नाराज हो गए कि वह रूसियों से युक्त एक सम्मेलन से उठ कर भा गए और फिर कभी वापस नहीं गए। समुक्त राष्ट्र सभ में भी सोवियत कूटनीतियों ने अनेक बार परम्परागत कूटनीति सदाचार की भवहेलना की है, जैसे एक बार मुग्धेव ने अपने जूते द्वारा मेज को बजाया।

सन् १९६० के मध्य तक सोवियत कूटनीति ने जो दृष्टिकोण अपनाया वह अन्दर-राज्य स्थितियों के प्रति सामान्य विरोधपूर्ण एवं विदेशियों के प्रति सन्देहपूर्ण था। फिर भी सन् १९६६ के प्रारम्भ में सोवियत प्रधान मन्त्री कोसीगिन ने कुशलता एवं धैर्य के साथ अपने पद का सदुपयोग करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराने का प्रयाग किया। उस समय सोवियत सभ एक महा शक्ति के रूप में कार्य करते हुए शान्ति स्थापना के अपने उत्तरदायित्व को समझ रहा था।

सोवियत सभ पहले जिन परम्परागत कूटनीतिक तरीकों को पुँजीवादी कह कर दुकराना था आज वह उनको स्वीकार करने लगा है तथा आदर देने लगा है। यह ज्ञान सन् १९६६ के एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। इस वर्ष साम्यवादी चीन में पीकिंग स्थित सोवियत दूतावास के सामने सद्गति रूप से प्रदर्शन किया गया। सर्वहारा वर्ग की सांस्कृतिक शान्ति के अधीन चीन के वयस्को ने सोवियत तरीकों के प्रति विरोध प्रकट किया। भारतका न इसके प्रति चीन की सरकार के विरुद्ध बड़ा विरोध प्रकट किया और कहा कि सोवियत दूतावास के सामने की जाने वाली नारेबाजी और दम धनुषित थे। इसके प्रतिरुक्त सोवियत भूटे से युक्त एक बार को रोफा जाना भी गलत था क्योंकि उसमें सरकारी कार्यबल चार्ज डी प्रेसेंस यात्रा कर रहा था। इस समय पब्लिसिटी कूटनीति की भाषा को धरनाने हुए सोवियत सभ ने चीन को परामर्श दिया कि इस प्रकार के कार्य अन्तर्राष्ट्रीय नियम के सामान्य रूप से स्वीकृत मापदण्ड के प्रथम उन्नयन हैं। राज्यों को कूटनीतिक दूतावास के अधिकारियों के प्रति उपयुक्त सम्मान प्रदर्शित करना होगा है तथा उनकी

व्यक्तिगत स्थानम्भता एवं सम्मान के विरुद्ध लिए जाने वाले प्रत्येक कार्य को रोक्ना होता है।

मित्रतापूर्ण समझौता-वार्ता करके के लिए तथा समझौता-वार्ता से न सुनने वाले विषयों को निरालने के लिए यह यह तरीका भी अपनाया जा सकता है जि समझौता-वार्ता करने वाले को समाप्त कर दिया जाए अथवा सरकार को समाप्त कर दिया जाए अथवा उनके प्रभावशील तत्वों को मिटा दिया जाए। हत्या और संस्कार को बदलना कूटनीति के परम्परागत तरीके नहीं हैं किन्तु फिर भी इनका प्रयोग किया जाता है। हत्या द्वारा कूटनीति (Diplomacy by Assassination) का प्रचलन पुर्जागुति काल में इटली के राज्यों के बीच था और आज भी इसका पूरा प्रभाव नहीं है। जैसे विदेशी प्रभाव द्वारा की गई हत्या का स्पष्टतः तम ही सिद्ध किया जा सकता है। फिर भी ऐसे दोषारोपणों के उदाहरण अनेक प्राप्त हो जाते हैं। कई बार अरब राज्यों द्वारा मिस्र पर ये आरोप लगाए गए हैं उसने हत्या की कार्यवाहियों का समर्थन किया है। सन् १९५० में बुद्ध संघिन अमरीकी राज्यों के अधक्षों ने ऐसा ही दोष ट्रुजिलो (Trujillo) पर निरुद्ध भी लगाया जो डोमोनिकन गणराज्य का तानाशाह था और जिनकी हत्या में हत्या कर दी गई। हत्या के साधन तो विभिन्नान द्वारा बहुत प्रयुक्त किया गया है किन्तु उन्होंने इसे सरकार के उच्च स्तर पर प्रयुक्त करने की अपेक्षा प्राचीण अधिवास्वियों के स्तर पर ही प्रयुक्त किया है। इन्डोनेशिया में सन् १९६५ में साम्यवादी उपद्रव्य इगलिए गफन नहीं हो पाया क्योंकि जिन मंत्रि नवाधों की हत्या की योजना बनाई गई थी वह न ही जा सकी।

सरकार को बदल देना साम्यवादी नीति का एक आम साधन रहा है। साम्यवादी देश यह दावा करते हैं कि गैर साम्यवादी सरकारों को शक्तिहीन बना देना अथवा समाप्त कर देना उनके स्वयं के हित में है और न्यायोचित भी है। ऐसा करके वे अपने एजेण्डों को सरकार की शक्ति सौंप देते हैं और अपने तरीके से समाज का रूप बना लेते हैं। साम्यवादी देश आन्तरिक उपद्रव कराने में, गृह युद्ध छेड़ने में तथा राजनीतिक पद्धतियों रचना में नहीं हिचकिचाते।

साम्यवादी देश समझौता-वार्ता की गृष्टभूमि में शक्ति की घमनी को रखते हैं। उनकी कूटनीति के पीछे सीमित शक्ति हमेशा उपस्थित रहती है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तथा नीतिगत तत्वों को प्राप्त करके लिए जब भी कभी जरूरत समझी जाए, उसे चुना किया जाता है। साम्यवादी राज्य जिस प्रकार की सुरक्षा या संतोष चाहते हैं यदि वह प्रदान न किया

जाए तो वे सगस्य सेना का प्रयोग करने पर उतारू हो जाते हैं। उन्नीसवीं सदी में चीन और जापान की व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए उनकी भूमि खोलने का वाध्य करने के हेतु जति प्रयास का मार्ग प्रपन्नाया गया। इसके बाद चीन में नौ-नावा कूटनीति का तरीका विदेशियों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करने का एक लोकप्रिय टग बन गया। बीसवीं सदी में भी इसका पर्याप्त प्रयोग किया जाता है। मन् १९५६ में लाल सेना का हंगरी भेजा गया था तब साविजन सभ के सम्बन्धों को चुनौती देने वाले का जवाब दिया जा सके। वर्तमान अरब इजरायल सघ के समय सोवियत सभ के का मुद्रागत पाठे गर्द के बखतर तथा रहु ड व दमी दात के प्रतीक हैं कि अरब राष्ट्रों की शक्ति का साथ व भी शामिल हैं तथा का तो सोवियत सभ के मुभावों को मान्यता दी जाय नहीं तो य मुद्रागत विनी भी समय विपन्न व विरुद्ध सधिर हो सकते हैं।

सफल कूटनीति के प्रतीक

(The Symbols of Successful Diplomacy)

वर्तमान समय में कूटनीति अति से अति जटिल बन जा रही है वर्षों में प्रायः प्रसार का अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलभान में गृहणीय बनाने का प्रयास है। कूटनीति की सफलता का लिए यह जरूरी है कि उपयुक्त नीति प्रपन्नायी जाय तथा उस प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली वादनम प्रपन्नाया जाय। एक कूटनीतिक कार्य के लिए एक ही साधन मात्र दाना भी राजपातियों तथा सुदूर राष्ट्र सभ में काम किया जाता जारी है। प्रभावशाली कूटनीति का सर्वप्रथम एकरूपता रहनी है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि एक कार्य द्वारा दूसरे कार्य का समाप्त न कर दिया जाये तथा दो कार्यों का बीच विरोध पैदा न हो जाय। उचित स्थान पर उचित नदम उठाने के लिए पहले से ही समय निम्नित कर लेना उचित रहेगा। कार्य की सम्पन्नता के लिए विशेष कुशलता जरूरी है और कमी-कमी का सामूहिक सगस्य सेना का प्रयोग भी जरूरी बन जाता है। आयुनिष्ठ कूटनीतिज्ञ के कार्यों की सुधी समाप्ति में ध्यान-धीन भी हो सकती है। कूटनीतिज्ञ का यह एक प्रमुख कार्य होता है कि यह सुधीयुक्तता पारस्परिक सामन्दायिक सम्बन्धों की स्थापना करे और इस कार्य की सफलता कोई भी कूटनीतिज्ञ नहीं कर सकता।

कूटनीतिज्ञ द्वारा जो भी समझीये गये जायें उनके अनुसार उचित कार्यक्रम भी जानी चाहिए तभी तो वह प्रभावशाली हो पायेगा। समझीये गये विचारविनिर्देश हमें सन्धि की सही सिद्धि, समझौतों की स्थापना, तथा

कार्यक्रम की श्रियान्विति को ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कूटनीति की सफलता के लिए जहाँ भी जरूरी हो वहाँ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। जहाँ कहीं उपयोगी समझा जाये वहाँ प्रचार यन्त्र को सक्रिय करना चाहिए तथा नीति के कूटनीतिक साधन के समर्थन के लिए सैनिक शक्ति रखनी चाहिए। इस सभी दृष्टियों से कार्यक्रम कूटनीतिज्ञ के शब्दों को जान देता है। प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था में जनमत को भी सरकारी नीति का समर्थक बनाना चाहिए।

तकनीकी तथा कार्यक्रमों को बदली हुई परिस्थितियों के साथ समायोजित करने की योग्यता को भी सफल कूटनीति का एक चिह्न माना जाता है। विश्व के एक भाग में यदि विदेश सहायता का कार्यक्रम सक्रिय है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि विश्व के अन्य भागों में इससे यह नीति अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकेगी। युद्धोत्तर योरोप के लिए मार्शल योजना उपयुक्त थी किन्तु एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमरीका के देशों को अन्य प्रकार का सहयोग चाहिए। योरोप में नाटो के अर्धिन एक संगठित सेना का होना ठीक था किन्तु सीएटो में यह प्रक्रिया सम्भव नहीं थी। प्रभावशाली राजनीतिज्ञता वह होती है जो स्थिति व स्थान के अनुसार तकनीकों के चयन में पर्याप्त सावधानी बरतती है।

इन सब बातों के अतिरिक्त एक सफल कूटनीति के लिए राजनीतिज्ञों को भी कुछ गुण विकसित करने होते हैं। जब वह दूसरों से बातें करे तो इस रूप में करे कि जैसे बड़ी प्रतिभा शब्द कह रहा है। उसे अपने हित की साधना धीरज, प्रेम, एवं शान्ति के साथ करनी चाहिए तथा उसमें अपनी सफलता के प्रति विश्वास होना चाहिए। उसमें यह जानने की क्षमता हो कि वह सौदेबाजी की सीमा को जान सके तथा अपनी कमजोरी को शक्ति में बदल सके। वह अनिश्चय एवं संघर्ष की दुनिया में रहता हुआ भी धीरजयुक्त होना चाहिए। उसे यह मान कर चलना चाहिए कि ये तो विश्व राजनीति की सर्वव्यापी विशेषतायें हैं। उसे यह भी जानना चाहिए कि कब अन्य राज्यों को अपनी सन्धियों तथा नीति के समर्थन में लडा करे।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ऐसी क्रिया और प्रतिक्रिया की धारा होते हैं जिसमें समस्याएँ उठती हैं, समायोजित होती हैं, सुलभनी हैं और उसके बाद नवीन उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ ही समस्याएँ ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से मुक्त ली जायें। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का संचालन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि कूटनीति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्र बिन्दु है

किन्तु फिर भी इसकी सफलता अन्य अनेक तत्वों पर निर्भर करती है जैसे धार्मिक, राजनैतिक एवं सैनिक शक्ति तथा इन शक्तियों का उचित रूप में उपयोग करने की राजनीतिज्ञों की योग्यता एवं क्षमता आदि। लेस्टर पीअर्सन (Lester Pearson) ने उचित ही कहा है कि शक्ति कुशल कूटनीतिक क्रिया के बिना प्राप्त की सीधे परस्पर की दीवाल से टकरा सकती है। किन्तु यदि कूटनीति के पीछे शक्ति नहीं है तो यह एक उद्देश्यहीन कसरत मात्र बन जायेगी।

प्रचार एवं राजनैतिक युद्ध (Propaganda and Political Warfare,

राष्ट्रीय हित के साधन के रूप में प्रचार एक बहुत ही प्रभावशाली साधन है। इसका दो रूपा में महत्त्व है। प्रथम तो यह कि प्रचार द्वारा राष्ट्रीय हित के अन्य साधन जैसे कूटनीति, धार्मिक साधन, साम्राज्यवाद, युद्ध आदि की अधिक सफलतापूर्वक तथा अधिक प्रभावपूर्ण रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरे, प्रचार स्वयं में भी इतना सक्रिय तथा मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाला है कि बिना इसके शक्तिशाली रूप के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, वह विश्व समाज में एक उच्च स्तर प्राप्त नहीं कर सकता। भोज के प्रजातन्त्र के युग में भी प्रचार के महत्त्व को बर्दा गुना कर दिया है क्योंकि वर्तमान युग में अपनी नीतियों के प्रति दूसरे देशों की सक्रिय, सद्भावना प्राप्त करने के लिए यही पर्याप्त नहीं है कि आप उस देश के शासन के कुछ व्यक्तियों को प्रमत्त करके अपनी धोर कर लें वरन् आज तो प्रचार के समस्त साधनों द्वारा उस देश की जनता को प्रभावित किया जाता है। अपने देश की नीतियों के पक्ष में वहाँ जनमत तैयार किया जाता है तब कहीं जाकर उस देश की सरकार को अपने पक्ष में लिया जा सकता है। साम्यवादी देशों द्वारा प्रचार के साधन का उपयोग पूर्ण शक्ति द्वारा किया जाता है। यह स्वभाविक भी है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था को परिवर्तित करने एवं नयी व्यवस्था कायम करने वाले देशों को प्रचार के हथियार की अधिक आवश्यकता पड़ती है। कारण यह है कि उनका कार्य वस्तुस्थिति को बनाये रखने वालों की अपेक्षा दूना है। एक धोर तो उन्हें यह सिद्ध करना पड़ता है कि वर्तमान स्थिति की क्या बुराइयाँ हैं तथा इसे किस प्रकार बदला जा सकता है धोर दूसरी धोर उन्हें अपने आदर्श योजना का चित्र भी खींचना होता है। इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साम्यवादी देश प्रचार के प्रभावशाली पधों का प्रयोग करते हैं।

प्रचार के प्रभावकारी यन्त्र कोई मुनिषिचउ नहीं होते वरन् समय की आवश्यकता एवं नवीन आविष्कारों के प्रवाह में उनका प्रभाव एवं महत्व घटता-बढ़ता रहता है। आज के युग में उपाखाना, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, मन्त्रा परिषदायें, अन्वयार, चतुर्धन आदि साधनों को प्रचार के काम में लाया जाता है। साम्यवादी देशों को अपने प्रचार में बड़ी मुहिमा रहती है जो एक आन्तर्गन्तारी का रहती है। व प्रचार द्वारा स्थित व्यवस्था की कठो से कड़ी आत्माचना कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से उनके प्रचार का प्रभाव विश्व के छोटे देशों पर अधिक होता है जो शक्तिहीन तथा कमजोर हैं तथा साम्यवाद का तानतन्त्र टानित उनको बड़ा सुमानना प्रतीत होता है। दूमरी ओर पश्चिमी प्रजातन्त्रों के पास ऐसा कोई प्रभावोन्मादक टानित नहीं है और उनका साम्राज्यवादी इतिहास भी विश्व के देशों से छिपा नहीं है। इस प्रकार पश्चिमी प्रजातन्त्रों के प्रचार का प्रभाव इतना अधिक नहीं होता। दूमरी ओर साम्यवादी देशों की अपेक्षा इन देशों को प्रचार की इतनी आवश्यकता भी नहीं रहती इनके प्रचार का कवन एक ही लक्ष्य होता है और वह है साम्यवाद के प्रचार का रोकना। अपने प्रचार के यन्त्रों का प्रयोग व कवन साम्यवादी देशों में ही कर सकते हैं क्योंकि साम्यवादी प्रजातन्त्रों में प्रचार का पक्ष विभी भी साम्यवाद विरोधी विचार एवं प्रक्रिया को आन में लाता है। ऐसी समस्या साम्यवादी देशों के प्रचार मार्ग में नहीं आती।

आज की परिस्थितियों में विश्व का कोई भी देश प्रचार की अवहलना नहीं कर सकता। एक देश चाहे अथवा न चाहे प्रचार का मार्ग उनको अपनाता पड़ेगा, नहीं तो विश्व के मध्य में वह देश विद्रुत जायगा, हो सकता है कि उगना प्रभित्व ही अन्तर में पड़ जाय।

प्रचार का अर्थ एवं परिभाषा

(The meaning and definition of Propaganda)

प्रचार की आवश्यकता देश में राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए तथा विद्वानों में अथवा नीतियों पर समर्थन प्राप्त करने के लिए आज दुनिया बह चुकी है तथा व्यक्तिगत, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में प्रचार इतना आवश्यक हो चुका है कि हमारा अर्थ एवं परिभाषा इन का कोई महत्व नहीं रह जाता। "२०वीं शताब्दी में राष्ट्रीय नीतियों का यह प्रमुख अन्तर्गत बन गया है।" इसके रूप में सम्पूर्ण विभिन्न विचारों व कथनों को दायने में यह स्पष्ट हो जायगा कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचार (Propaganda) से

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव डालने वाला प्रचार केवल एक देश की सरकार द्वारा ही किया जाता हो ऐसी बात नहीं है। गैर सरकारी स्रोतों से भी प्रचार के इस रूप का पोषण हो सकता है। अनेक व्यक्ति, व्यापारिक हित, विशेष उद्देश्यों को लेकर बनाये गये असाध्य सगठन इस प्रचार के कार्य में सक्रिय सहयोग दे सकते हैं। विभिन्न राजनैतिक दल दूसरे देशों में प्रचार द्वारा अपने राष्ट्र के हित के लिए समर्थन प्राप्त करते हैं। समय के अनुसार प्रचार के नये-नये साधनों का विकास होता रहता है।

प्रचार के उद्देश्यों पर यदि हम विचार करें तो पायेंगे कि मूल रूप में सभी प्रचार सम्बन्धी कृत्य राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर ही क्रियान्वित किये जाते हैं। ऐसा अनेक रूपों में हो सकता है। उदाहरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समझौते जिस समय होते हैं उनको अपने हित में मोड़ने के लिए एक देश प्रचार का सहारा ले सकता है। दूसरे, किसी समस्या या विशेष प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई सम्मेलन बुलाने के उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए भी प्रचार का सहारा ले सकता है। तीसरे, प्रचार के द्वारा विचार-धारा का प्रसार भी किया जाता है। एक देश के राजनीतिज्ञ सदैव इस बात में प्रयत्नशील रहते हैं कि जिस विचारधारा पर उनका देश आसक्ति है उसी को दूसरे देश भी मानें, क्योंकि मंत्री एवं सहयोगपूर्ण सम्बन्धों का दृढ़ आधार विचारों की एकता होती है। चौथे, प्रचार का सहारा अपनी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों पर समर्थन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। प्रचार का महत्व युद्ध से पूर्व एवं युद्ध के दौरान बहुत बढ़ जाता है। शांतिकाल की भाँति सफटकाल एवं युद्धकाल में भी प्रचार द्वारा विभिन्न तरीके अपना कर राष्ट्रीय हित की साधना की जाती है। कूटनीति और युद्ध के बीच में जो संपर्कपूर्ण स्थिति रहती है उसमें दो देशों के बीच बड़े कटुनापूर्ण सम्भव रहते हैं। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर विषममत किया जाता है। दूसरे को गलत ठहरा कर अपनी नीति का औचित्य प्रस्तुत किया जाता है। इस स्थिति को राजनैतिक युद्ध की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक राज्य के सामने ऐसे अवसर घाने हैं जबकि वह दूसरे राज्यों पर प्रभाव डाल सके। यह प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। इन अवसरों पर प्रचार का सहारा लिया जाता है। प्रचार द्वारा वही भी राजनैतिक युद्ध (Political warfare) की भी स्थिति पैदा कर दी जाती है किन्तु, जैसा कि पामर तथा परकिन्स का कहना है, इन दोनों के बीच अमिन्नता का सम्बन्ध नहीं है। प्रचार का प्रयोग करने पर ध्यान रख नहीं कि राजनैतिक युद्ध (Political warfare) की ही स्थिति पैदा हो जाय तथा राजनैतिक युद्ध भी

प्रचार का रूप ले घौर नहीं भी लें, दोनों ही बातें सम्भव हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का इतिहास हमें बतलाता है कि प्रचार के माध्यम से युद्ध के परिणामों को भी बदला जा सकता है।

प्रचार के तरीके (Techniques and methods of propaganda)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रचार के वे ही तरीके हैं जो व्यापार में विज्ञापन करते समय अपनाये जाने हैं। विज्ञापनबाजी में लोगों की रुचि का तथा भाग का भारी खयाल रखना पड़ता है। लोगों के मनोविज्ञान का काफी ध्यान रखा जाता है। प्रचार की विधि अपनाते समय यह सर्व्व महत्त्व में रहता है कि लोगों की इच्छायें, भय तथा कमजोरियाँ क्या होती हैं। इन सब के अनुकूल ही फिर नीति तैयार की जाती है। प्रचार करने की विधियाँ भयदा तरीके अनेक होती हैं। हार्टर तथा सुलिवान (Harter and Sullivan) महोदय ने प्रचार के तरीकों की सरया बारह बतलाई है। इन सभी तरीकों को पामर तथा परकिन्स न चार शीर्षकों में विभाजित किया है। उनके मतानुसार प्रचार की विधियाँ निम्न प्रकार हैं—

१. प्रस्तुत करने की विधि (Method of Presentation)
२. ध्यान ग्रहण करने की युक्ति (Techniques for gaining attention)
३. उत्तर प्राप्त करने की युक्ति (Devices for gaining response)
४. स्वीकृति पाने के साधन (Methods of gaining acceptance)

उक्त चारों विधियों को अपना कर एक दश द्वारा प्रचार की मशीन का उपयोग किया जाता है।

प्रस्तुत करने की विधि

पहली विधि के अनुसार प्रचारकर्ता देव एक समस्या को प्रस्तुत करते समय उग्रा पूरा विवरण नहीं देता, वह केवल उसी पक्ष का दिग्दर्शन करता है जो उसके हित में होता है। उदाहरण के लिए भारत पाँच सप्ते के समय किये जाने वाले पाकिस्तानी प्रचार को लिया जा सकता है। काश्मीर समस्या के बारे में पाकिस्तानी अखबार तथा अन्य अफिचारी सातों से बराबर यही प्रचार किया जाता रहा कि काश्मीर पाकिस्तान का अङ्ग है क्योंकि वहाँ

की जनता मुसलमान है और वहाँ के जनमत की मांग है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, काश्मीर समस्या पर युद्ध छेड़ने का उत्तरदायित्व भारत का है न कि पाकिस्तान का घ-दि-आदि। इन बयानों के प्रमाणस्वरूप बहुत ही ऐसी घटनाएँ विद्यमान हो चुकी हैं जो यदि सही रूप में रखी जायें तो पाकिस्तान के दावे के विपरीत जायें किन्तु उनको तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक उम यही ही तरह से जा अरब पक्ष के समर्थन के लिये किसी तथ्य के पूर्ण रूप को देखने की अपेक्षा कम से कम मात्र ही देवना है। कहा जाता है कि अफ़्ग़ानिस्तान जिन दिनों बकायत करते थे एक व्यापारिक न उनसे तर्कों पर एतरास किया और कहा 'मि० लिफ्तन इस समय आप जो गणें दे रहे हैं वे आपके द्वारा ही एन दूसरे कम से कम दिये हुए तर्कों के विपरीत हैं।' इस पर लिफ्तन का उत्तर था 'माई लाई, हो सकता है कि मैं न वल जो तर्क दिये थे वो गलत हो किन्तु मेरे ये तर्क पूर्णतः सत्य हैं।' प्रत्येक प्रकार अफ़्ग़ानिस्तान के इस उत्तर को ध्यान में रख कर ही अपना कार्य करता है। वह उन सभी तथ्यों को टिप्पणी लेता है जो उनके मामले के विपरीत जायें हो। काश्मीर का पाकिस्तान जिन कारणों से हथियाना चाहता है उनका ग वना कर वह केवल घम का ही आश्रय लेता है।

आशिक सत्य से पूर्ण प्रकार द्वारा जमनी में विस्मयक तथा हिटलर न कई बार अपने उद्देश्यों को बड़ी सकलतापूर्वक प्राप्त कर लिया था। इन प्रकार प्रकार के भी कई रूप हो सकते हैं, उदाहरण के लिए—

✓ 1 भूतकाल के किसी तथ्य को, जो अथवा किसी भी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, आप इस तरह से तोड़-मरोड़ कर दे कि वह जमानत में आपकी इच्छा के अनुसार परिणाम उत्पन्न प्राप्त किया जा सके।

✓ 2 प्रचार से ऐसी घटनाओं एवं प्रमाणों का अपने पक्ष में समर्थन के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसका उद्देश्य बुरा और ही होना है किन्तु आप उससे अपना उल्लू मीवा कर लेता है। उदाहरण के लिए टिटलर यद्दियों के विरुद्ध जर्मनी में रोप मडवाना चाहता था। उसने अपनी कहानियाँ तथा पुस्तकें प्रस्तुत कीं और उनके आधार पर यह मिथ करने की चेष्टा की कि यद्दूरी लोग पूरे विश्व पर राज्य करने की योजना बना रहे हैं। इस प्रकार का तत्काल परिणाम हुआ। यद्दियों के प्रति जर्मनी में रोप की अग्नि मडक उठी।

३ प्रचार करते समय झूठ-झोठ-धाँसे का मात्र उपयोग केवल ताना-बाँधी प्रतिक्रियाकारवादी दायरा का एकाधिकार नहीं है, वह दूर प्रभावण कहे जायें तब राष्ट्रा द्वारा भी प्रयोग में आना जा सकता है। किन्तु दाँतो व्यवस्था द्वारा किया जाने वाला प्रचार एक जो मोड़ का नहीं बल्कि जो सच्चा सत्य दाँतो के साथ उद्देश्य का संस्कार रहता है। प्रजातन्त्रवादी दायरा का प्रचार ताना-बाँधी दाँतो की तुलना में अधिक उद्देश्य के नियंत्रित जायगा, सौदागरी की भाँति है। वेस व्यवस्था को प्रवेश प्राप्त हो गया ही जाते हैं। यदि हम का टन कर एक प्रकार की अनिश्चित का पूरा भी नहीं बल्कि जा सकता है। सत्तावादी युद्ध के समय प्रचार का प्रयोग के अन्तर्गत समाचार का प्रयोग करने का अनिश्चित दायरा का प्रचार किया गया था किन्तु उद्देश्य की स्पष्टता नहीं बन सके थे। श्री नाम्पल का समयन प्राप्त हुआ।

४ घटनाओं के समय हम को भी प्रचार का विषय बनना जानना है और यह भी सम्भव है कि ऐसा प्रचार दाँतो प्रभावकारी सिद्ध हो। जनमत शक्ति के समय में प्रभावण की स्थिति गंभीर एवं अल्पकालीन द्वारा भागीदारों को चीन और पाकिस्तान के सिद्ध साधन रहने की चलावनी भी जाती है। प्रभावणकारी में यह वास्तव में दुःखायी जाता है कि सिस्टम अभी टूटा नहीं है, मिट्टानों के कारण तब तक यह युद्ध एक लम्बे समय तक चल सकता है। यह प्रकार सत्य है और भागीदारों के रक्त की गर्मी को प्राप्त में नाराज होता है। यहाँ, उनी नदी और नदियों का सहन करने के लिए तैयार हैं जो इस समय ही उपज है।

५ शायद झूठी और सत्य पदनामा को युद्ध का कारण बना दिया जाता है। भारत का युद्ध के दौरान साम्यवाद चीन के भारत पर नई युगने किम मद्रवहीन और महे आगे के तथ्य और एता उताहरण बनाने का प्रयत्न किया कि यह जब चाहे तब भारत पर हमला कर सके। हमला करने का विचार तो उन्हा पट्टन बनाना और बाद में इन कटावण पदनामा को सत्ता का विचार को विद्यार्थि करने के लिए प्रचार का विषय बना दिया।

ध्यान पट्टण करने की युक्ति

दूसरी विधि—यह विचार की प्रक्रिया की प्रतीति सीधी है। जब प्रभावण के मन्त्रिण में एक निश्चित सत्य निर्धारित हो जाता है तो उसे प्राप्त करने के लिए वह विभिन्न साधन अपनाया प्रारम्भ करना है ताकि हमारे दाँतो का ध्यान भी उसका धार प्रकृष्टित किया जा सके। अपने प्रचा-

रिजि हितो पर दूसरे देशो का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक देश द्वारा जो साधन अपनाये जाते हैं वे मुख्यतः निम्न प्रकार हैं—

(१) सरकारी प्रयत्न (Official devices)—दूसरे देश की सरकार के लिए समय-समय पर नोट्स (Notes) भेजे जाते हैं, विरोध प्रकट किया जाता है व राजनीतिज्ञों एवं नेताओं द्वारा दिये गये भाषण भेजे जाते हैं। भारत-चीन संघर्ष एवं भारत-पाक युद्ध के दौरान विरोध-पत्रों का प्रादान-प्रदान एक सामान्य बात बन गई थी।

(२) शक्ति का प्रदर्शन (Power demonstration)—अपनी मांगों तथा हितों की ओर दूसरे देशों का ध्यान आकर्षित करने का एक दूसरा तरीका यह भी है कि एक देश अपनी शक्ति बढ़ा के तथा उसका प्रदर्शन करता फिरे, जल, धूल, तम सेना की पूरी तैयारी करने पर एक देश की ओर विश्व सशक्त दृष्टि से देखने लगेगा। प्रचार के इसी तरीके को अपना कर साम्यवादी चीन ने अक्टूबर १९६८ में प्रणुबम का विस्फोट किया ताकि सम्पूर्ण एशिया और अफ्रीका का नेतृत्व कर वह विश्व की महाशक्तियों में स्थान पा सके।

(३) सांस्कृतिक कार्यक्रम (Cultural programme)—सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा एक देश की जनता को अपने पक्ष में किया जा सकता है। विभिन्न देशों के दूतावातों के द्वारा यह प्रवन्ध किया जाता है कि विभिन्न तरीकों द्वारा उनके देश की संस्कृति, रहन सहन, साहित्य, परम्पराएँ आदि से विदेशों को परिचित कराया जाये।

(४) राजनैतिक दौरे (Political visits)—विदेशों से मित्रता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन, जो अब पर्याप्त लोकप्रिय बनता जा रहा है, सरकार के अध्यक्षों के दौरे हैं। एक देश का नेता जब दूसरे देश में सद्भावना यात्रा के लिए जाता है तो उस देश की जनता और नेता दोनों के ऊपर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है। भारत को पाकिस्तानी आक्रमण के समय मित्रों की आवश्यकता पड़ी। जिनसे उसे आशायें थी वे पूर्ण न हो सकी। विदेश नीति पर पुनर्विचार के लिए दबाव डाला जाने लगा। इस सचवा परिणाम यह हुआ कि नेताओं एवं राजनीतिज्ञों की विदेश यात्राओं की संख्या कई गुनी हो गई। २१ दिन तक नेपाल के महाराज सपरिवार भारत में रहेगे, पूरे भारत का भ्रमण करेंगे तो यह स्वाभाविक हो जाता है कि भारत-नेपाल भीरी हठ हो जायगी। इसके अतिरिक्त विदेश भरी स्वयं-सिंह, प्रधानमंत्री श्री शास्त्री, राष्ट्रपति राधाकृष्णन् आदि नेताओं की विदेश

(२) प्रतीकों का प्रचलन (Symbolic devices)—नारों की माति प्रतीक भी मनुष्य की भावनाओं को प्रभावित करने में बहुत सफल रहते हैं। प्रत्येक देश द्वारा चित्र, जानवर, संकेत, राष्ट्रगीत, झंडा एवं अनेक प्रकार के प्रतीकों का उपयोग देशवासियों में भावनात्मक एकता लाने एवं राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन कराने के लिए किया जाता है। वर्तमान काल में प्रतीकों के रूप में स्वस्तिक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जर्मनी में हिटलर ने इसे नाजी पार्टी का चिन्ह बना दिया। पामर तथा परकिन्स के मतानुसार स्वस्तिक का स्वभाविक अर्थ (Intrinsic meaning) न तो नाजी पार्टी के लिए ही कुछ था और न उन दूसरे देशों के लिए ही जिन्होंने इसे बाद में अपनाया। इसे अपनाने का कारण केवल इसकी सरलता थी। साधारण एवं सरल होना के कारण इसे वही भी चित्रित किया जा सकता था। इस कथन में आशंका सत्य है। पहला बात तो यह है कि इससे भी सरल 'क्रास' जब मौजूद था तो 'स्वस्तिक' को क्यों अपनाया गया जो अपेक्षाकृत टेढ़ा है। दूसरे स्वस्तिक का कोई आन्तरिक मूल्य (Intrinsic value) नहीं है। यह कथन भारतीय संस्कृति की अनभिज्ञता का द्योतक है। भारत में स्वस्तिक को एक अर्थ के साथ अपनाया गया था।

(३) विचारों का वैयक्तिकरण (Personification of Ideas)—विचारों के साथ व्यक्ति को एकाकार कर दिया जाता है। एक व्यक्ति जब यह कहता है कि वह महात्मा गांधी का अनुयायी है तो तुरन्त ही हमारा मतिष्क यह स्वीकार कर लेता है कि उस व्यक्ति में साति, अहिंसा और सत्य आदि गुणों के प्रति श्रद्धा है। असलमन्ता की विदेश नीति (Nonaligned foreign policy) का प्रसंग छिड़ते ही हमारे मानस-पटल पर स्वर्गीय प० नेहरू का चित्र उभर आता है। व्यक्ति को प्रायः उस देश के साथ भी एकाकार कर दिया जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने के पीछे यही भावना है।—

(४) परिस्थिति और दृष्टिकोणों का उपयोग (Utilization of situations and attitudes)—जिस प्रकार एक कुशल रूपक बनी होना है जो वातावरण, जलवायु और भूमि के अनुकूल ही बीज प्रसारित करता है उसी प्रकार एक सफल प्रचारक वह माना जायेगा जो स्थित परिस्थितियों और दृष्टिकोणों का लाभ उठा कर उन्हें अपने हित में मोड़ ले और प्रचारित करे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में सुरक्षा और आर्थिक संकट की जो स्थिति पैदा हुई उसके कारण वहाँ के लोग हिटलर की तानाशाही को स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। साम्यवादी चीन ने भारत विरोधी

प्रचार करके पाकिस्तान की नीची प्राप्त कर ली। चीन-पाकिस्तान के इस गठबंधन की जड़ें काश्मीर समस्या पर टिकी हुई हैं। इस प्रकार पामर तथा पाकिस्तान के मन में "प्रत्येक प्रचारक स्थित दृष्टिकोणों से लाभ उठा कर उहूँ ऐसी दिशा में भाँड़ने का प्रयास करता है जिससे कि उसका हित साधन हो सके।"

स्वीकृति पाने के साधन

प्रचार प्रक्रिया की चौथी एवं अन्तिम सीढ़ी अपने प्रचारित तथ्यों पर स्वीकृति प्राप्त करने की है। प्रचारक द्वारा ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं जिनके द्वारा दूसरे देश उनकी नीतियों की स्वीकृति प्रदान करें। अपनी योजनाओं पर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए यह ध्यान रखना है कि प्रचार के विषय एवं बन्धु के बीच का भेद मिटा दिया जाये। प्राप्त प्रचार तब तक महत्वहीन रहेगा जब तक कि उन लोगों के साथ घाय एककार न हो जायों जिनमें प्रचार करना चाहते हैं। इस तथ्य की महत्ता गांधी ने यही अश्लील प्रचार समझा था। उन्होंने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच उनकी ही बड़ी खाई है जिसकी नि एक भारतीय और अंग्रेज के बीच थी। फलतः उन्होंने अपने रहन-सहन के उन में मारपी बरती, खान-पान बदला, सारे ऊपरी आभूषण जो आदमी-आदमी के बीच भेदभाव बढ़ा देने हैं, गांधीजी ने धाँड़ दिये। यही कारण है कि वे जनता के एक मजबूत सौहार्दिय नेता बनने में सफल हो सके। भारतीयानी उनकी बात पर जान देने को तैयार हो जाते थे।

प्रचार पर स्वीकृति प्राप्त करने का दूसरा तरीका है धर्म और जाति को प्रभावित करना। मनोवैज्ञानिक रूप से यह सच है कि यदि व्यक्ति धर्म में और धर्म में समानता देखने ला जाय तो अपने लिए सब कुछ करने का तैयार हो जायेगा। यह समानता धर्म और जाति के नाम पर की स्वीकृति की जा सकती है। भारत पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर मुस्लिम देशों में सहायता प्राप्त करने की कोशिशें की थीं। वहीं भारत देश उनके प्रचार के प्रभाव में भारत जिहाद का समर्थन करने की आगे आये नी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय धर्म जाति के बहाने का पाठ पढ़ा कर हिटलर ने जर्मनी की अपने प्रचार से बलिभूत कर लिया था।

प्रचार की प्रभावकारी बनाने के लिए एक तीसरा तरीका धर्मनाते समय धर्म की दुहाई दी जानी है। ईश्वर के नाम पर घाय तक धर्म के मुद्दों सब गये हैं। भारत पर हानि करने प्राचीन मुस्लिम पाठकों के पीछे धर्म

प्रचार की भावनाये थीं। मुस्लिम धर्म का प्रचार करते समय मोहम्मद साहब की भावाज पर प्रारम्भ में किसी ने ध्यान न दिया किन्तु जब उन्होंने यह कहना शुरू किया कि वे ईश्वर के पैगम्बर हैं और जो कुछ भी वे कह रहे हैं वह ईश्वर का आदेश है तो लोगो ने उनका अनुगमन किया। ईश्वर की भाति न्याय और इतिहास का सहारा लेकर भी प्रचार को प्रभावशाली बनाया जाता है। इन तरीको से प्रचार सर्वमान्य बन जाता है।

ऊपर जो प्रचार की प्रक्रिया के विभिन्न स्तर वर्णित किये गये हैं उनके सम्बन्ध में विधायी कदम लेने से प्रचार को सफल बनाया जा सकता है। किन्तु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक प्रचार को उसके विरोधी प्रचार का भी सामना करना पड़ता है। विरोधी प्रचार भी एक प्रति-द्वन्दी के रूप में दूसरे का ध्यान आकषिप्त करने, उत्तर प्राप्त करने एवं उनकी स्वीकृति प्राप्त करने का हर सम्भव प्रयास करेगा। प्रचार पर सरकार का नियन्त्रण रहता है, ऐसा किये बिना कोई भी शासन सफल रूप से कार्य नहीं कर सकता, किन्तु इस नियन्त्रण के रहते हुए भी एक देश की जनता बाकी विश्व के प्रचार के प्रभावों से पूर्णतः अछूती नहीं रह सकती।

प्रचार के क्षेत्र में प्रतिद्वन्दिता बहुत रहती है। इसलिए प्रचार-प्रक्रिया में एक तरफ यह भी मिलाना पड़ता है—कि विरोधी प्रचार का खण्डन किया जाय। विरोधी का खण्डन करते समय उसके विपरीत तरह-तरह के नारों का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिये उन सभी कथनों को ले सकते हैं जो पश्चिमी प्रजातन्त्र साम्यवादी देशों के लिए तथा साम्यवादी देश पश्चिमी प्रजातन्त्रों के लिए प्रयुक्त करते हैं। पामर तथा परकिन्स के कथनानुसार "यह एक आवश्यक तथ्य है कि प्रायः प्रत्येक प्रचार की प्रभावशालिता को रोकने के लिए उसका प्रतियोगी रहता है।"

विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ प्रचार के नये नये साधनों का प्रचलन होता जाता है। प्रचार की प्रक्रियाएँ एवं विधियाँ भी समय और आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती हैं। यह तथ्य प्रचार के इतिहास पर एक विहङ्गम दृष्टि डालने से स्पष्ट हो सकता है। यहाँ हम वर्तमान विश्व की दो महान शक्तियों के प्रचार की पद्धतियों को इतिहास के सदम में देखने का प्रयास करेंगे।

प्रभावशाली प्रचार की आवश्यकताएँ (The Requisites for Effective Propaganda)

प्रभावशाली प्रचार के लिए कई बातें जरूरी होती हैं जैसे उसकी सरलता, रुचि उपयुक्तता, धारि। प्रचारक को धरना विशेष उद्देश्य प्रभाव-

शील रूप से प्रचारित करने के लिए समाज शास्त्र, मनोविज्ञान एवं सामूहिक विचारण, आदि का महारा लेना होता है। यह प्रभावशीलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि विभिन्न माध्यमों द्वारा एक बात को कई बार दुहराया जाय ताकि योजनाएँ उसे भली प्रकार सुन सकें। श्रोताओं पर प्रभाव डालने के लिए प्रचारित विषय को देखने, सुनने और पढ़ने योग्य बनाया जाय। यह सब बातें एक प्रचार कार्य को प्रभावशील बना देती हैं।

प्रचार कार्य की वस्तुगतता (The Objectivity of Propaganda)—प्रचार करने का एक सरल तरीका यह है कि सबको तथा सूचनाओं को यथासम्भव वस्तुगत तथा तथ्यगत रूप से प्रस्तुत किया जाय और श्रोता घबरा पाठक को स्वयं ही अपने निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए अवसर प्रदान किया जाए। सीधे और बिना मिलावट की सूचना राजनैतिक दृष्टि से प्रभावशील होती है। इसका प्रभाव उस समय और भी अधिक होता है जबकि यह उन सर्वाधिकारी राज्यों पर प्रभाव डालती है जो सूचना को नियन्त्रित करते हैं। वस्तुगत एवं तथ्यगत सूचना का साम यह है कि श्रोता उसे यह जानने के लिए सुनना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी सबसे ज्ञात की है उनमें सत्यता का कितना भाग है। वैसे पूर्ण वस्तुगतता तो प्रायः प्राप्त नहीं हो पाती। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी बी. सी. की वस्तुगतता के लिए पर्याप्त सौकर्यिता प्राप्त हो गई थी।

बड़ा झूठ और उसका दोहराव (Big Lie and its Repeatability)—प्रचार कार्य को प्रभावशील बनाने के लिए एक अन्य तकनीक यह है कि कोई बड़ा झूठ बाला जाय और उस झूठ को बार-बार दोहराया जाय। इस तकनीकी को ऐडाल्ट हिटलर द्वारा पर्याप्त प्रयुक्त किया जाता था। हिटलर का विश्वास था कि यदि एक बहुत बड़ी झूठ को बार-बार दोहराया जाता है तो वह जनता का विश्वास प्राप्त कर लेती है। अधिकांश जनता में यह समझने की क्षमता नहीं होती कि बार-बार दोहराए जाने वाले कथन पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं। इस तकनीकी को प्रभावशील बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों पर नियन्त्रण रखना जरूरी है ताकि परस्पर विरोधी बातें सामने न आयें। छोटे स्तर की झूठ कम सामंजस्य होती है और इनसे खबर देने वाले की विश्वसनीयता जाती रहती है।

सरसता (Simplicity)—जनता के मस्तिष्क पर सीधे गाँढ़े मारों का अधिक प्रभाव होता है। वह विभिन्न राजनैतिक एवं आर्थिक विचार-पाराओं के सुलनामक पुरानों के सम्बन्ध में ठकं चिन्तन सुनने की क्षमता सरल

नारे सुनना अधिक पसन्द करती है। जैसे—'सामान्य और पूर्ण निःशस्त्रीकरण' 'बम पर रोक लगाओ' तथा पूञ्जीवादी साम्राज्यवादी आदि। हंगरी के 'स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वालों की प्रशंसा की गई।' इसी प्रकार आज के अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में स्वतन्त्र विश्व (Free world) और शीत युद्ध (Cold war) पर्याप्त सामान्य शब्द बन गए हैं।

रुचि, एवम् आकर्षण (Interest and Attraction)—प्रचार उस समय तक प्रभावहीन रहता है जब तक कि वह सुनने वालों को रुचिकर न लगे। एशिया और अफ्रीका के जिन देशों का सम्बन्ध आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय निर्माण से है और जब समुक्त राज्य अमरीका वहाँ साम्यवाद की रोशनी पर जोर देता है तो इन देशों का ध्यान नहीं जाता। यह एक मनो-बैज्ञानिक तथ्य है कि लोग उस विषय में रुचि लेते हैं जो उनसे सम्बन्ध रखता है। किसी विषय पर लोगों की रुचि उतनी ही कम हो जाती है जितना कि वह उनसे दूर है। समुक्त राज्य अमरीका के सूचना अभिन्नरण ने एक प्रकाशन द्वारा अफ्रीका के सम्बन्ध में अमरीकी इन्स्टिट्यूट को प्रस्तुत किया है। इसमें जो लेख हैं वे अफ्रीका से सम्बन्ध रखते हैं और अफ्रीकी पाठकों को यह अनुभूति देते हैं कि अमरीका उनके मामलों में रुचि लेता है। प्रचार कार्य को रुचिपूर्ण बनाने के लिए शारीरिक प्रदर्शन एवं दृश्य प्रभाव भी महत्वपूर्ण रूप से असर डालते हैं।

स्पष्टता एवं प्रामाणिकता (Clarity and Factuality)—एक वान का प्रभाव क्वल तभी हो पाता है जबकि वह सरलतापूर्वक सुनने वालों की समझ में आ जाय। यदि प्रचार का विषय बनावटी है या मृष्टी प्रकृति का है तो उसमें वाटित लक्ष्य नहीं मिल सकते। प्रचार को दीर्घकालीन रूप में नीति के साथ समुक्त होना चाहिए। किसी भी प्रचार पर तथ्य विश्वास किया जाना है जबकि उसका अनुसार कार्य भी किया जाय। जब सोवियत रूस द्वारा अन्तरिक्ष में उपग्रह छोड़ा गया तो यह प्रभावशाली प्रचार का साधन बना; क्योंकि एक तो यह एक विशेष प्राप्ति थी और दूसरे दुनिया के असह्य लोग इस उपग्रह को अपनी आँखों में देख सकते थे। प्रथम शान्ति के कारण सोवियत सभ का पर्याप्त मान हुआ। कुछ दिन पूर्व युद्ध प्रारंभ पर उठरने वाले सोवियत यान ने उसे नारी प्रतिष्ठा प्रदान की है।

समुक्त राज्य अमरीका ने जब यह प्रचार किया कि वह यूरोप में रुचि रखता है, इसके सहित अमरीकी सैनिक शक्ति पश्चिमी यूरोप में रग्यी गई। सोवियत सभ द्वारा समुक्त राज्य अमरीका के सहायता कार्यों की आलोचना

की जाती है किन्तु वह स्वयं ऐसे रूप में सहायता प्रदान करता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके और इस प्रकार इसे वह प्रचार का एक साधन बना देता है।

स्थानीय अनुभवों एवं दृष्टिकोणों से समरूपता (Identification with Local Experiences and outlook)—प्रचार कार्य लोगों का धन्यता और ध्यान ही प्राप्त नहीं करना चाहता बल्कि उनकी प्रतिक्रिया भी चाहता है। प्रचारक जिनको प्रभावित करना चाहता है उनकी स्थानीय दृष्टियों, अनुभवों एवं दृष्टिकोणों का ध्यान रख कर धन्यता और उनके बीच की दूरी को मिटाता है। एक प्रभावशाली प्रचारक वह होता है कि जो सामान्य विशेषताओं और सामान्य दृष्टियों पर जोर देता है। नात्रो जर्मनी द्वारा प्रायः जाति का नाम लेकर और साम्प्रदायी रूप द्वारा विकासशील देशों को अपना नाम लेकर इसी तकनीकी को धन्यता दिया जाता है। जहाँ इस प्रकार की एक-रूपता प्रभावशाली रूप से स्थापित नहीं की जाती वहाँ प्रचार कार्य असफल हो जाता है। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा जो साम्प्रदायिक विरोधी भावनाएँ फैलाई जाती हैं उनका प्रभाव कम होता है क्योंकि दूसरे लोग उनमें विश्वास नहीं करते। पहले संयुक्त राज्य अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन यह सोचा करते थे कि साम्प्रदायी प्रचार इन देशों को साम्प्रदायी और एकाधिकार पूर्ण प्रजावादी बह कर एक मरे घोड़े को पीटता है, किन्तु ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार का धन्यता लाभ है क्योंकि जिन विकासशील देशों में पश्चिमी प्रभावों को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं, वहाँ इस प्रकार की व्याख्याएँ प्रभावशाली सिद्ध होती हैं। इस प्रकार के प्रचार की अनेक बातें बड़ी सरल और गीम समझने योग्य हैं जैसे कम मजदूरी तथा बड़ी विदेशी पूँजी आदि। किसी भी प्रभावशाली प्रचार का मापदण्ड यह नहीं है कि उनमें सभी विश्वास करते हैं या नहीं करते, बल्कि यह है कि उनके लिए विश्वव्यापी है धन्यता नहीं जिनके लिए कि यह वास्तविक परिणाम प्राप्त करने के हेतु किया जा रहा है।

स्थिरता (Consistency)—सबसे प्रचार कार्य को हमें एक जैसा रहने की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु कि जहाँ जहाँ विशेष योजनाओं पर किसी विशेष समस्या के सम्बन्ध में प्रचार किया जा रहा है तो एक-रूपता न रहने पर धन्यता समझावें उत्पन्न होंगी। जोसेफ फ्रांकल (Joseph Frankel) का यह कहना उपयुक्त है कि 'प्रचार की प्रभावशीलता उनकी निर-स्थिरता एवं स्थिरता के कारण बहुत बड़ जाती है। माप ही सूचना के प्रति-योगी जाती की समाप्त कर देना भी उपयोगी रहता है।' धर्म और

(Arthur Krock) ने बताया है कि, एक प्रजातन्त्रात्मक सरकार को अपना प्रचार प्रभावशील बनाने के लिए, वास्तविक कार्यों से, अपने कथनों की सत्यता सिद्ध करनी चाहिए। प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अपनी असफलताओं को नहीं छिपा सकती। दूसरी ओर स्वेच्छाचारी सरकार अपनी असफलताओं तथा असंगतियों को छिपा सकती है और छिपाती है। इस प्रकार की सरकारों का प्रचार उनके कार्यों से असंगत होता है और रातों-रात उल्टा बन सकता है।

सूचना और प्रचार के रूप (The Types of Information and Propaganda)

प्रचार कार्यक्रम के लक्ष्य भयेवा उद्देश्य अनेक होते हैं और ये कर्तों के उद्देश्य के आधार पर समय-समय पर बदलते रहते हैं। प्रचार भयेवा सूचना के उद्देश्य को देख कर ही उसका रूप भी निश्चित किया जाता है। प्रचार के विभिन्न रूपों एवं प्रकारों में से कुछ को निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है।

(१) खबर एवं सूचना (News and Information) — इस प्रकार का अधिकांश प्रचार खबर देने के अलावा और कुछ नहीं करता तथा सुनने वाले को स्वयं ही निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए आमंत्रित करता है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक संचार में आगल अमरीकी प्रयासों की विशेषता है। द्वितीय विश्व के दौरान समुक्त राज्य अमरीका ने जो प्रचार की नीति अपनाई उसे सत्य की रण नीति (Strategy of truth) कहा जाता है। आज का समुक्त राज्य अमरीका का सूचना अभिकरण दूसरों देशों की जनता को प्रभावित करने के लिए और विदेशों में समुक्त राज्य का खाका खींचने के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में तथ्यों एवं स्पष्टीकरणों का प्रयोग करता है। जब मि० कार्ल रोवन (Carl Rowan) का यू० एस० आई० ए० का सचालक बनाया गया तो राष्ट्रपति जानसन ने उनसे कहा कि "सच कहिए" इस पर मि० रावन ने उत्तर दिया कि "मि० राष्ट्रपति केवल यही तो बंध चीज है जिसे मैं जानता हूँ।" इसी प्रकार समुद्र पार के देशों में किये जाने वाले अपने प्रसारणों में धी० बी० सी० भी इन सिद्धांतों को अपनाता है। सत्य प्रतिवेदन अथवा समाचार के आधार पर एक प्रचार यंत्र श्रोताओं का विश्वास प्राप्त कर लेता है और यह एक बड़ी उपलब्धि है।

(२) घबराहट द्वारा तथ्यों को मोड़ना (To distort the Facts through Election) — जब एक देश विदेशों जनमत को एक विशेष रूप

देना चाहता है तो वह तथ्यों को, तोड़, सड़ोड़ कर उनके सामने प्रस्तुत करता है। इस प्रकार की संचार व्यवस्था में ईमानदारी जैसी चीज नहीं रहती और रण क्षेत्र की दृष्टि में कमी भी भूठ को धरनाया जा सकता है। इस प्रकार प्रचार के दो मार्ग दिखाई देते हैं। एक मार्ग यह है कि भूठे तथ्यों को सामने लाया जाए और दूसरा मार्ग यह है कि भूठे तथ्यों को प्रचारित किया जाए। इन दोनों के बीच का भी एक मार्ग होता है और वह यह है कि भूठे तथ्यों को न बोली जाए लेकिन कुछ तथ्यों को धिया लिया जाए ताकि लोग सत्य को समझ न सकें। इस मार्ग को धरना कर प्रचारक उन तथ्यों पर पर्याधिक जोर देता है जो सत्य तो हैं किन्तु उसके पक्ष में हैं। दूसरी ओर वह उन तथ्यों की धार से श्रोताओं का ध्यान हटा देता है जो सत्य होते हुए भी उसके पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकारक द्वारा भावनात्मक व्याख्यायें प्रस्तुत की जाती हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रचार में प्रचारक यह सिद्ध करता है कि वह स्वयं निरपराध है और जो भी गलती की गई है वह सब विरोधी द्वारा की गई है। दोनों पक्ष अपने प्रति प्रेम की दुहाई देते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि उन्होंने इस प्रेम के निर्वाह में क्या बलिदान किया और दूसरे पक्ष ने उन पर क्या धरनाधार किए। इस प्रकार के प्रचार में तथ्यों की जानकारी का कार्य सुनने वाले के मस्तिष्क पर छोड़ दिया जाता है। एक पक्ष द्वारा जो दूसरे पक्ष की तस्वीर खींची गई है यदि वह उस तस्वीर को मिटा कर दूसरी नहीं बना सकता तो निश्चय ही वह भाङ्गमण्डवारी या साझागवादी समझा जायेगा। इस प्रकार का प्रचार विदेशों में दृष्टिकोणों को ढालने के लिए तथा दूसरों पर दबाव डालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रचार के इस रूप में तथ्यों को धरना तथ्यों से मिलती जुलती चीज की बन्द बिन्दु बनाया जाता है और धरने स्वार्थ की दृष्टि से उतकी व्याख्यायें की जाती हैं।

(३) आध्यात्मिक प्रचार (Covert Propaganda)—कमी-बमी प्रचार कार्य में ऐसे साधन धरनाये जाते हैं जो धरना एव दृष्टि से धोझल होते हैं। धरना देना ऐसा करते हैं कि वे धरना राज्यों के समाचार पत्रों एवं प्रकाशनों को सरोद लेते हैं तथा उनसे पक्षपात पूर्ण तथा भूठभूठ की कहानियाँ प्रकाशित करावाते हैं जो स्पष्टतया उनके स्वयं के ही हित में होती हैं। जनता की भाव्यताओं एवं प्रतिभूतियों को बदलने के लिए दुनियाँ के विभिन्न मार्गों में विशेष रूप से संचार की गई फिल्मों बाँटी जाती हैं। इन फिल्मों के मूल निर्माता एव प्रसारक का नाम बाहिर नहीं किया जाता।

ऐसी विदेशनीति अपनाये, के लिए दबाव डालती थी जो सोवियत रूस के अनुकूल हो। १९३५ के ब्राड योरोपीय देशों के साम्यवादी दलों ने मास्को के निर्देशन पर ही नाजी जर्मनी के विरुद्ध उदारवादी समुदायों से सहयोग करना पसन्द किया था।

द्वितीय विश्व युद्ध की उत्तरकाल—द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत रूस के प्रचार के लक्ष्य एवं प्रक्रिया में पर्याप्त अन्तर आ गया। इसका क्षेत्र केवल राष्ट्रीय न रह कर अन्तर्राष्ट्रीय अधिक बन गया। इसका प्रयोग शीत युद्ध की बनावे रखने के लिए किया गया। पामर तथा परकिष्क के मतानुसार १९४५ से ४७ तक सोवियत प्रचार के दो लक्ष्य थे—(१) जन प्रजातन्त्र के विकास को प्रोत्साहन, और (२) अमेरिका के प्रभाव को कम करना।

“ इस काल में किये गये सोवियत प्रचार की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार थी—

(१) साम्यवादी प्रचार का क्षेत्र मुख्य रूप से अर्धविकसित या अविकसित देशों को बनाया गया।

(२) साम्यवादी जीवन के तरीके की प्रशंसा की गई और पूंजीवादी राष्ट्रों के अत्याचारों और शोषणों का रक्तरेजित काला चित्र खींचा गया।

(३) पूर्व में चीन तथा पश्चिम में योरोप में साम्यवाद फैलाने के लिए प्रबल व प्रभावकारी प्रचार किया गया।

(४) अमरीका द्वारा विभिन्न देशों को दी जाने वाली आर्थिक व सैनिक सहायता को उसके साम्राज्यवाद का ही दूसरा रूप माना गया। पत्रों और लेखों द्वारा यह जोरदार प्रचार किया गया कि अमरीका दुनिया को गुलाम बनाना चाहता है।

(५) सोवियत रूस ने शान्ति का अभियान शुरू किया। प्रचार द्वारा सोवियत जनता एवं विश्व वालों को यह बताने का भरसक प्रयास किया गया कि रूस अपनी पूरी शक्ति से शान्ति की स्थापना के लिए तत्पर है तथा अणु अस्त्रों को मिटा कर वह निःशस्त्रीकरण करना चाहता है।

(६) कोरिया के मामले पर सोवियत प्रचार बहुत प्रभावशाली रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही रूस ने यह प्रचार प्रारम्भ कर दिया कि कोरिया की जनता अमरीकी नीति व व्यवहार के प्रति असन्तुष्ट व दुःख है और रूस की प्रशंसा करती है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति की तुलना करके यह प्रचारित

इस काल का मित्रराष्ट्रो का प्रचार तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए किये गये उनके प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके। उन्होंने जो मार्ग अपनाये, शत्रु उन्हें पहले से ही अपना रहा था। मित्रराष्ट्रो के प्रचार की असफलता के कई कारण थे—

(१) प्रारम्भ में मनोवैज्ञानिक युद्ध की जो उच्चस्तरीय योजनाएँ बनाई गईं उनको शत्रु के विरुद्ध क्रियान्वित न किया गया। जापान में यदि प्रचार द्वारा चरित्र (Morale) को गिरा दिया जाता तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध द्वारा उसे कमजोर कर दिया जाता तो वहाँ बम गिराने की वृत्ति द्वारा उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

(२) एक दूसरी बड़ी गल्ती यह की गई कि मित्रराष्ट्रों ने अपने प्रचार द्वारा जर्मनी के सामान्य नागरिकों और शासन के बीच कोई भेद न किया। उनके प्रचार के फलस्वरूप वहाँ के नागरिक इस निष्कर्ष पर आये कि मित्र राष्ट्र उनके भी दुश्मन हैं न केवल नाजी सरकार के। अतः उन्होंने नाजी शासन का पूरा पूरा समर्थन किया। नाजी प्रचार यन्त्र के संचालक गोएबल्स (Goebbels) ने कहा था कि “अगर मैं शत्रु पक्ष में हाता तो नाजीवाद के विरुद्ध लड़ने का नारा लगाता न कि जर्मन जनता के विरुद्ध।”

(३) युद्ध के बाद अमरीकी प्रचार—शीतयुद्ध के प्रवाह के साथ-साथ अमरीकी जनता और सरकार द्वारा प्रचार के महत्त्व को समझा जाने लगा। १९४८ में स्मिथ मंड एक्ट (Smith Mundt Act) पास किया गया। इसका उद्देश्य था अमरीकी जनता और विश्व की जनता के बीच सद्भावना की स्थापना की जाय। प्रचार से सम्बन्धित नवीन योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक संगठनात्मक ढाँचे की स्थापना की गई। १९५१ में राज्य विभाग (State Department) के अन्दर एक पृथक अभिकरण अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रशासन (IIA) स्थापित किया गया। १ अगस्त, १९५३ को राष्ट्रपति द्वारा समुक्त राज्य सूचना अभिकरण (USIA) की एक स्वतन्त्र प्राकृति के रूप में स्थापना की गई। इसको समुद्र पार के सूचना कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व सौंप गया।

USIA ने लगभग ७६ देशों में लगभग २१० सूचना चौकियाँ स्थापित की हैं। यह असाम्यवादी देशों के हजारों भ्रमधारों के लिए करोड़ों की सहायता में परचे, पोस्टर, भ्रमधार एवं पत्रिकाओं के लिए विशेष सामग्री, ध्यगवित्र

तथा सूचना सम्बन्धी मसाला आदि भेजती है। 'वाइस ऑफ अमेरिका' (Voice of America) भी USA का एक महत्वपूर्ण एव प्रसिद्ध भाग है। यह लगभग ३८ भाषाओं में प्रतिदिन चौबीसों घण्टे प्रसारण करता है। इसके अतिरिक्त प्रसारणों का निशाना साम्यवादी देशों की ओर होता है।

अमेरिकी प्रचार में से अधिकांश तो प्रचार की प्रतिक्रिया (Counter propaganda) है। इसके अतिरिक्त विदेश नीति के मुख्य भागों को भी प्रचारित किया जाता है। मार्शल योजना का प्रचार एक प्रभावकारी रूप में किया गया था।

प्रचार में सरकार के अतिरिक्त व्यक्तिगत सस्यार्यों भी अपना सहयोग प्रदान करती हैं। अनेकों अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और नुमाइशों में अमेरिका के व्यक्तिगत संगठनों एवं व्यापारिक सस्यार्यों ने सक्रिय रूप से उत्साहपूर्वक भाग लिया है।

अमरीकी प्रचार साम्यवादी देशों की तुलना में कम प्रभावशील है; इनके पामर तथा परनिन्दा में दो कारण बताये हैं—

(१) सोवियत यूनियन का प्रचार के क्षेत्र में अनुभव अधिक है पर्याप्त साम्यवादी जाति से पूर्व ही वे इसके अभ्यस्त हैं। इसने बाद अनेकों ऐसे अवसर आये जबकि उनको एक प्रभावकारी घटना के रूप में घपनाया पडा था।

(२) अमरीकी प्रचार भाषण की स्वतन्त्रता पर आधारित है, सरकारी नियन्त्रण पर नहीं।

सांस्कृतिक सम्बन्ध और विदेश नीति (Cultural Relations and Foreign Policy)

सूचना कार्यक्रमों के अतिरिक्त अनेक देश सांस्कृतिक माध्यम से भी अपना प्रचार कार्य संचालित करते हैं। यह कहा जाता है कि ज्ञान के आदान-प्रदान का सर्वाधिक प्रभावशील तरीका यह है कि व्यक्ति को अपने साथ वाच लिया जाये। पश्चिमी शक्तियाँ परस्पर शैक्षणिक सम्बन्धों के माध्यम से एक दूसरे के पर्याप्त निकट आ गई हैं। उन देशों के हजारों छात्र एक दूसरे के देश में अध्ययन करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अपने उपनिवेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध थे, इसीलिए वह अधिकांश को शांतिपूर्वक प्रादेशिक स्वतन्त्रता प्रदान कर सका किन्तु राष्ट्रमण्डल के आधार पर उसने इस सांस्कृतिक सम्बन्ध को बनाये रखने की व्यवस्था कर ली। इन देशों के

नेताओं को ब्रिटन में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था उसके कारण यहां के मूल्यों तथा मूल राजनैतिक एवं कानूनी समस्याओं को सराहना करते हैं।

फ्रांस जड़-पहला बड़ा देश है जिसने सांस्कृतिक सम्बन्धों को सरकारी कर्तव्य बना दिया था। फ्रांस के उदाहरण को देख कर १९ वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में इंग्लैण्ड तथा जर्मनी ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिये। ब्रिटेन की दूरदर्शिता के परिणामस्वरूप तथा अमरीकी मिशनरियों एवं अमरीकी सरकार के प्रयास से आज अधिकांश देशों के लगभग दस मिलियन से भी अधिक लोग अंग्रेजी पढ़ लिख सकते हैं तथा इनके माध्यम से ये सरकारें इन क्षेत्रों में भाषानो से संचार व्यवस्था चला सकती हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका का सांस्कृतिक कार्यक्रम—अमरीका में सन् १९३८ में राज्य विभाग के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों का एक समझौता जोड़ा गया। इसने सबसे पहले सेंटिन अमरीका पर अपना ध्यान आकर्षित किया क्योंकि नाजीवाद तथा फासीवाद का प्रभाव वहां बढ़ता जा रहा था। सरकारी एवं गैर सरकारी सहयोग के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या को विकसित किया गया ताकि विद्यार्थियों का आदान-प्रदान एवं विदेशी अध्ययन संभव बन सके।

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने की दृष्टि से विद्यार्थियों के आदान-प्रदान को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया है। साथ ही पासपोर्ट तथा वीसा के सम्बन्ध में उदार नीति अपना कर पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। विकासशील देशों में प्रशिक्षित मानव शक्ति का पर्याप्त महत्व होता है इसलिए वहां पर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा राजनीति में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया जा सकता है। जो विद्यार्थी अमरीका में शिक्षा प्राप्त करते हैं वे राजनीति को पर्याप्त प्रभावित करेंगे और हो सकता है कि वे ही नेता बनें। इसी प्रकार अमरीका के जो विद्यार्थी एवं शिक्षक विदेशों में अध्ययन कार्य में रत हैं वे भी उन लोगों पर प्रभाव डालने का पर्याप्त अवसर पाते हैं जो अपने देश में सम्मान एवं उत्तरदायित्व के पद पर हैं अथवा पहुँच जायेंगे। सन् १९४६ के फुल ब्राइट कानून ने विदेशी छात्रों को वजीफे देने का प्रावधान रखा तथा सन् १९४८ के स्मिथ-मण्ड अधिनियम ने नेतृत्व के आदान-प्रदान का प्रबन्ध किया। इन अधिनियमों ने संघीय सरकार को सांस्कृतिक सम्बन्धों की रचना में रुचि लेने की ओर प्रवृत्त किया। व्यक्तिगत निर्वाह भी अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा के आदान-प्रदान के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य करते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका के करीब दस-पन्द्रह हजार लोग ऐसे हैं जो कि विदेशों में रह रहे हैं। इससे अमरीका को अन्य देशों की जनता से संपर्क बनाये रखने का अवसर प्राप्त होता है। इन अमरीकी लोगों में से अधिकांश का सम्बन्ध सशस्त्र सेनाओं से है तथा पाँच लाख से भी अधिक लोग व्यक्तिगत उद्यमों में सलग्न हैं। प्रति वर्ष दस लाख के लगभग अमरीकी पर्यटक के रूप में अमरीका से जाते हैं। इन सम्पर्कों एवं मंत्रीपूर्ण सम्बन्धों से विदेश के लोगों के साथ निकटता बढ़ती है। किन्तु यहाँ एक यह भी खतरा है कि जाने वाले लोगों ने अमरीकी जीवन के अच्छे पक्ष का प्रतिनिधित्व न किया तो यहाँ की संस्कृति के प्रति सम्मान पैदा नहीं किया जा सकता तथा उल्टा प्रभाव पड़ने का भी खतरा है।

संयुक्त राज्य अमरीका के सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक विशेषता यह है कि विदेशों को यहाँ से पुस्तकें भेजी जाती हैं। प्रति वर्ष लाखों कम कीमत की पुस्तकें विदेशों को भेजी जाती हैं।

स्टालिन की मृत्यु के बाद संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत संघ के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्धों का विकास हो गया है। सन् १९५८ से रुस जाने वाले अमरीकियों की संख्या दो गुनी हो गई है। इसी प्रकार अमरीका आने वाले रुसियों की संख्या भी बढ़ी है।

सोवियत सांस्कृतिक कार्यक्रम—यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सोवियत सरकार द्वारा सांस्कृतिक सम्बन्धों की स्थापना के लिए कितना खर्च किया जाता है। सन् १९५३ में सोवियत सरकार इस कार्य पर दो बिलियन डॉलर प्रति वर्ष खर्च करती थी। अब यह खर्च बढ़ा हो है। कुछ लेखकों का अनुमान है कि सोवियत संघ इस कार्य पर जितना धन व्यय करता है उतना इस कार्य पर राष्ट्र सभी देशों द्वारा मिल कर भी नहीं किया जाता होगा।

विज्ञानशील देशों में अपना प्रभाव लाने के लिए तथा अपनी संस्कृति का निर्यात करने के लिए सोवियत संघ, शोध कार्य, भाषा एवं अन्य विशेषीकृत प्रशिक्षणों पर खर्च—करना है—तथा प्रकाशित सामग्री वितरित करता है। सोवियत प्रचार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्य, संचार अनुसंधान आदि के द्वारा विदेशों में जो सोवियत तस्वीर खींची जाती है वह एक शान्तिप्रिय किन्तु शक्ति सम्पन्न देश की है जिसने बहुत कम समय में ही अपनी

प्राथमिक, सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था के कारण महान् प्राप्तिया की हैं। सोवियत सभ में जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको सरकारी कर्मचारियों द्वारा निर्देशित किया जाता है तथा जहाँ वे चाहे वही उनको ले जाया जाता है।

सोवियत सभ में एक राष्ट्रों का मंत्री विश्वविद्यालय (Friendship of Nations University) स्थापित किया गया है जो मास्को विश्वविद्यालय से अलग है। महा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के देशों के युवकों को रूसी भाषा, विज्ञान, कला एवं साम्यवाद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। इन सम्पर्कों के माध्यम से यह आशा की जाती है कि जब ये युवक अपने देश को वापस लौटेंगे तो साम्यवाद के हित में कार्य करेंगे। अनेक अमरीकी शिक्षा शास्त्रियों ने जब व्यक्तिगत रूप से उच्च सोवियत शिक्षा-शास्त्रियों से बातें की तो उनको यह विश्वास हो गया कि सोवियत सभ विकासशील देशों से अमेरिका को पूरी तरह निकालना चाहता है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो गया कि उदार प्रजातन्त्र अपने सांस्कृतिक सम्बन्धों का प्रसार करे तथा विदेशों से आने वाले छात्रों को अधिक नम्रता एवं शिष्टता का व्यवहार प्रदान करे। यह एक चुनौती है जिसका सामना करना जरूरी हो गया है।

राजनैतिक युद्ध (Political Warfare)

मानव सम्पत्ता के प्रभाव से ही 'युद्ध' समाज की एक अतिप्रति विशेषता बना रहा है। प्रारम्भ से ही इस खतरनाक विध्वंसक व्यवस्था को मिटाने के अनेकों प्रयास किये गये किन्तु असफल रहे और युद्ध मानव विकास के साथ प्रलयकर बनता चला गया। आज विश्व में युद्ध का लगातार भय बना हुआ है। विभिन्न देश या तो युद्ध कर रहे हैं, या करने की तैयारी में हैं। पागल तथा परकिन्स के शब्दों में "शान्ति तो एक अल्पनालीन सपने के समान है जिसमें विचारधारा का प्रत्येक समय अपने लिए उपयुक्त स्थिति प्राप्त करने के हेतु दूसरे को धोखा देने की तैयारी है।" युद्ध केवल सेना द्वारा हथियारों से युद्ध के मैदान में ही नहीं लड़े जाते। युद्ध के कई रूप होते हैं उदाहरण के लिए—

- १ मनोबैज्ञानिक युद्ध (Psychological Warfare)
- २ राजनैतिक युद्ध (Political Warfare)
- ३ सैनिक युद्ध (Military Warfare) आदि।

युद्ध के विभिन्न रूपों को देखते हुए यह कहना गलत न होगा कि युद्ध निरन्तर चलते रहते हैं और शान्ति केवल प्रेरण्य होने पर ही आ सकती है।

राजनैतिक युद्ध का अर्थ कूटनीति तथा प्रचार द्वारा
(Meaning of Political Warfare) दूसरे देश को विजय दिलाने का प्रयत्न, राजनैतिक

राजनैतिक युद्ध क्या होता है यह कुछ थोड़े से शब्दों में बताना अथवा इसे परिभाषित करना सम्भव नहीं है। इतिहास के उदाहरणों को पुनः पुनः कर यह बताया जा सकता है कि इस प्रकार की नीति या कार्यक्रम अपनाने पर एक देश राजनैतिक युद्ध का कर्ता माना जा सकता है। इसमें एक राष्ट्र सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करता बल्कि शक्ति का प्रयोग अक्षर्य करता है। युद्ध का अर्थ होता है विपक्षी को किसी बात को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना। यदि आप ऐसा सैनिक शक्ति अपना कर करते हैं तो वह सैनिक युद्ध माना जाएगा बल्कि एक देश को विजय बनाने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग अपरिहार्य नहीं है। कूटनीति और प्रचार का सहारा लेकर भी ऐसा किया जा सकता है। प्रचार तथा कूटनीति का प्रयोग इस रूप में किया जाय कि दूसरा देश एक देश की नीतियों को मानने के लिए विवश हो जाय तो यह प्रक्रिया राजनैतिक युद्ध कहलायेगी। अगर वह देश उस विवशता को स्वीकार कर लेता है तो यह दूसरे देश को विजय मानी जायेगी और यदि विवशता को स्वीकार नहीं करता तो उसके सामने सैनिक युद्ध के अनिश्चित कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। कूटनीति एवं प्रचार का प्रयोग जब मुझब के रूप में किया जाय तथा निर्णय लेने में दूसरे देश को स्वतन्त्र इच्छा का प्रयोग करने दिया जाय तो यह स्थिति राजनैतिक युद्ध की स्थिति नहीं कही जायेगी।

इस प्रकार राजनैतिक युद्ध को कूटनीति तथा युद्ध के बीच स्थिति (Twilight zone between Diplomacy and War) माना जाता है। प्रचार के साथ राजनैतिक युद्ध का सम्बन्ध बताते हुए सामर तथा परकिन्स ने बताया है कि "दोनों के बीच का सम्बन्ध इतना अस्पष्ट नहीं है न्योडि जिना प्रचार के राजनैतिक युद्ध हो सकता है तथा प्रचार भी बिना राजनैतिक युद्ध प्रकट किए रह सकता है।"

इस प्रकार कूटनीति, प्रचार एवं आर्थिक उपाय आदि को राजनैतिक युद्ध केवल उन्हीं अवस्था में माना जा सकता है जबकि उनका परिणाम विवशकारिता हो।

राजनैतिक युद्ध के साधन (Devices of Political Warfare)

राजनैतिक युद्ध का मुख्य उद्देश्य यहाँ होता है कि दूसरे देश को कमजोर बना दिया जाय और इस प्रकार अपने स्वार्थ की साधना की जाय। दूसरे राष्ट्रों को कमजोर बनाने के लिए एक देश द्वारा अपने तरीके अपनाये जा सकते हैं। इनमें कुछ निम्न प्रकार हैं—

(१) भ्रम में डालने व फूट डालने के लिए प्रचार (Propaganda to confuse and divide)

सगठन में शक्ति होती है। इसके विरुद्ध जहाँ फूट होती है वहाँ अपनेको कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध पक्तियाँ— 'जहाँ सुमान तहाँ सम्पत्ति नाना,' जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना' इसी भाव को प्रदर्शित करती हैं। दो विल्लियों की फूट का फायदा कोई बन्दर ही उठाना है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी फूट डालने की प्रक्रिया को शत्रु के विरुद्ध काम में लाया जाता है ताकि वह कमजोर पड़ जाय और एक देश इस स्थिति का इच्छित लाभ उठा सके। भारत के इतिहास में यह युक्ति प्रारम्भ से ही दुर्भाग्यपूर्ण रही है। जयचन्द और पृथ्वीराज की फूट ने मोहम्मद गोरी के तिर पर भारत का ताज रखा। फूट डाला और राज करो की नीति अपना कर अनेक सदियों भारत का शोषण करते रहे और जाने-जाने में उसके दो भाग कर गए जो अब भी कलह का कारण बना हुआ है। सार यह है कि जिस देश के विरुद्ध मान राजनीतिक युद्ध छेड़ना चाहते हैं उसमें ऐसा प्रचार करिए कि वहाँ के लोग सत्य को न समझ पायें उनमें परस्पर समर्थन की स्थिति पैदा हो जाय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों ने ट्रिपल अलियंस से पृथक् करने के लिए गुप्त सन्धियों का जाल सा बिछा दिया।

(२) अल्पसंख्यकों को समर्थन देना (To Support the minority groups)

शत्रु के देश में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों के समुदायों, मुख्यतः वे जातिवे हित दाकी लोगों से मित्र हैं, को सहायता व समर्थन करके भी एक देश को कमजोर किया जा सकता है। पाकिस्तान ने इसी नीति को अपना कर फीजो को आश्रय प्रदान किया है। पाकिस्तान सरकार द्वारा नागाओं को मड़काया जाता है। यही कारण है कि भारत में नागालैंड की

समस्या अभी तक बनी हुई है; नहीं तो अब तक तो इतका समाधान हो भी चुका होता।

किसी देश के अल्पसंख्यक समुदायों का पक्ष लेकर सरकार के मुचाह संचालन में बाधा डाली जा सकती है। किन्तु ऐसी सम्भावना प्रजातन्त्रात्मक प्रणालियों में ही प्राप्त हो सकती है, साम्यवादी देश सर्वाधिकारवादी होते हैं। वहाँ व्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं दी जाती इसलिए वहाँ का कोई अल्पसंख्यक समुदाय सरकार के कार्यों में बाधा नहीं डाल सकता। यदि उसने ऐसा करने का साहस भी किया तो देशद्रोही होने के अपराध में उसे अपना अस्तित्व खोना पड़ेगा।

(३) क्रान्ति को प्रोत्साहन देकर

(By encouraging the revolt to overthrow the existing Government)

राजनैतिक युद्ध का यह बड़ा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रूप है। यह दूसरे रूपों की एक भगली कड़ी भी माना जा सकता है। प्रारम्भ में तो एक देश में फूट के बीज बोये जाते हैं, तात्पर्यवान् अल्पसंख्यकों के हितों का पक्षपात लेकर उस फूट की खाई को और चौड़ा किया जाता है और जब दो किनारे बहुत दूर हो जाते हैं तथा कुछ-कुछ समान शक्ति पा लेते हैं तो विरोधी पक्ष को उकसा कर स्थिर सरकार के विरुद्ध क्रान्ति करा दी जाती है।

पाकिस्तान ने प्रास्त, १९६५ में एक दिवा-स्वप्न देखा था। वैसे तो अपने जन्म दिन से पूर्व ही उसने भारत को शक्तिहीन बनाने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया था किन्तु जब चीन जैसे सलाहकार मित्र उसे प्राप्त हो गए तो वह अपने स्वप्नों को साकार करने की सोचने लगा। अल्जीरिया के उदाहरणों को देखकर उसने याचना बढ़ तरीके से भारत-प्रधिकृत काश्मीर में क्रान्ति कराने की बात पली। हजारों सशस्त्र पुसर्पठिये चोरी दिये भारतीय सीमा में भेज दिए गए। भासा था कि काश्मीर के मुसलमान घम क नाम पर पुसर्पठियों की सहायता करेंगे तथा निरहृत्यो हिन्दू जनता को दबा दिया जायेगा। पाकिस्तान रेडियो ने प्रसारित भी कर दिया कि काश्मीर में क्रान्ति हो गई किन्तु सत्य इसके विपरीत था। काश्मीर वालों की देशभक्ति और भारतीय रक्षा सेना की जागरूकता के कारण पुसर्पठिये पकड़ लिये गये। पाकिस्तान का स्वप्न उन्टा होकर उसकी शक्तिहीनता नष्ट कर दिया गया।

क्रान्ति का यही तरीका एक दूसरे एशियाई देश चीन द्वारा अपनाया गया। साम्यवादी चीन ने इण्डोनेशिया के साम्यवादियों को उकसाया और डा. सुकर्णो का सरकार को उलट देने का प्रयत्न किया। किन्तु यह क्रान्ति भी सफल न हो सकी। विद्रोही साम्यवादियों ने मध्य जावा आदि क्षेत्रों में भारी उपद्रव किए किन्तु बाद में बन्दी बना लिये गये।

(४) उद्योगों एवं यातायात को क्षति पहुँचाना

(The use of sabotage to wreck industry and transport)

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने उस उद्योग को अपनाया और अमेरिका में जहाँ मित्र राष्ट्रों के लिए हथियार बनने में उसने अपने गुप्तचरों और भेदियों को छोड़ दिया। इन गुप्तचरों का मुख्य कार्य उस उत्पादन को नष्ट भ्रष्ट करना था जो मित्र राष्ट्रों के लिए बन रहा था। इन दिनों अमेरिका में कई स्थानों पर आगें लगीं जिनके कारण ज्ञात न हो सके। अनुमान लगाया जाता है कि यह आगें जर्मनों के द्वारा लगाई गईं थीं। यातायात के मार्गों एवं यानों को नष्ट करने से, रेलगाड़ियों को उड़ा देने से कारखानों में मशीनों को लुडवा देने व तैयार माल को नष्ट करा देने से एक देश के जनजीवन तथा अर्थ-व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है, उसकी कमर तो टूट जाती है।

(५) नेताओं की हत्या करना एवं जनता को अनीतिक बनाना

(The resort to assassination to remove key

leaders and demoralize the population)

भारत पाक संघर्ष के समय अरब राष्ट्रों ने पाकिस्तान का समर्थन न किया। पाकिस्तान को आशा थी कि उसके जिहाद में सभी मुस्लिम राष्ट्र एक होकर मर मिटेंगे। किन्तु कर्नल नासिर का व्यवहार उनकी आशाओं पर तुपागपात के समान था। इसके परिणामस्वरूप नासिर की हत्या का पडयन्त्र रचा गया। कहा जाता है कि पाकिस्तान सरकार का इस पडयन्त्र में पूरा सहयोग था। इसी प्रकार अन्य भी नेताओं के साथ भी हो चुका है। मानव अतिक्रमों के पीछे राष्ट्रपति कैनेडी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे प्रतापसिंह कैरो की हत्या की जा सकती है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश के प्रधान की हत्या करके अपनी स्वार्थ की साधना की जा सकती है। किसी देश की जनता के मनोबल को गिरा कर उस अनीतिक, दुराचारी और भ्रष्टाचारी बना दिया जाय तो वह देश अधिक दिन तक नहीं टिक सकता।

इस प्रकार विभिन्न तरीकों को अपना कर राजनीतिक युद्ध का समाप्त किया जाता है। राजनीतिक युद्ध सैनिक युद्ध की अपेक्षा कम नरसंहार करके ही आश्रमणकारी के लक्ष्यों को पूरा कर देता है। इसमें आश्रमणकारी को भी अधिक नुकसान नहीं उठाना पड़ता। किसी किसी परिस्थिति में तो यह प्राणसात्मक रूप से भी किया जा सकता है। सैनिक युद्ध प्रारम्भ हो पर राजनीतिक युद्ध समाप्त हो जाता हो, ऐसी बात नहीं है। पारस तथा परक्स के मथानुसार युद्ध के समय इसकी भारी आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय नीति की अभिवृद्धि के साधन :
 आर्थिक साधन ; साम्राज्यवाद-
 उपनिवेशवाद एवं युद्ध

(INSTRUMENTS FOR THE PROMOTION OF
 NATIONAL POWER - ECONOMIC INSTRUMENTS,
 IMPERIALISM-COLONIALISM AND WAR)

राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के जिन साधनों का अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं वे ही एवमान साधन नहीं हैं यद्यपि उनका भी अपना महत्व होता है। कूटनीति, प्रचार एवं राजनैतिक युद्ध के द्वारा निरन्तर एक देश अपने हितों की रक्षा में सतत रहता है। ये उसके प्रति-दिन के जीवन की विशेषताएँ हैं किन्तु एक देश कुछ ऐसे साधन भी अपनाता है जो कि उनके प्रति दिन के जीवन व्यवहार का प्रयोग तो नहीं होने क्योंकि इनका प्रयोग प्रायः दीर्घकालीन नीति के रूप में किया जाता है किन्तु फिर भी ये अपने आपमें कोई लक्ष्य नहीं होने तथा साधन के रूप में ही इनका महत्व होता है। इनमें हम आर्थिक साधन, साम्राज्यवाद-उपनिवेशवाद एवं युद्ध आदि का नाम ले सकते हैं। इन साधनों को अपना कर के एक देश अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना चाहता है। इस दायें में उसे किन्ती संपत्ति प्राप्त होती है तथा उसकी शक्ति बढ़ती है भयंकर नहीं, यह हम बात पर निर्भर करता है कि उसने इन साधनों का प्रयोग करने में किन्ती कुशलता एवं व्यावहारिक बुद्धि से काम लिया है। प्रस्तुत अध्याय में इन साधनों के

स्वरूप को निर्धारित करने वाला तीसरा तत्व है ^(३) उन दो राष्ट्रों के बीच के सम्बन्धों का रूप। यदि व सम्बन्ध मित्रतापूर्ण हैं तो एक देश अपने आन्तरिक विकास एवं कल्याण के लिए ऐसी नीतियाँ अपनायेगा जो दूसरे देश के हितों के लिए घातक न हो। किन्तु यदि उन दो देशों के बीच के सम्बन्ध मित्रतापूर्ण न हो कर परस्पर शत्रुतापूर्ण हो तो वह देश ऐसी आर्थिक नीतियों का अनुसरण कर सकता है जिनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से दूसरे देश को हानि पहुँचाना हो। एक देश द्वारा जो आर्थिक नीति अपनायी जायगी उसका निर्धारण करने वालों में चौथा तत्व है, दूसरे देशों का प्रभाव। उदाहरण के लिये रोडेशिया पर लगाये गये आर्थिक प्रतिबन्धों पर ब्रिटेन के हथ को चिया जा सकता है। ग्रेट ब्रिटेन के हथ को देख कर लगता था कि वह इन प्रतिबन्धों का हृदय से समर्थन नहीं करता है, किन्तु विश्व जनमत के प्रभाव से उसने रोडेशिया को तैत न भेजने की नीति को अपना लिया। दूसरे देश के प्रभावों को मानने के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह कि आज विश्व का प्रत्येक देश किसी न किसी सीमा तक दूसरे देश पर आश्रित रहता है और दूसरे यह कि प्रत्येक देश को कुछ चीजों का आयात और कुछ चीजों का निर्यात करने की आवश्यकता रहती है।

आर्थिक साधनों का महत्व

(The importance of economic instruments)

आर्थिक साधनों का प्रयोग शांतिकाल और युद्धकाल दोनों में ही किया जा सकता है; किन्तु उनका उद्देश्य दोनों कालों में एकता नहीं रहेगा। शांतिकाल में इनका प्रयोग जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है व मुख्य रूप से उस देश के कल्याण और आन्तरिक विकास से सम्बन्धित रहते हैं, उदाहरण के लिए देश की बेरोजगारी को दूर करना, तकनीकी का विकास करना, लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों को सुरक्षित रखना आदि। युद्ध के समय आर्थिक साधनों का प्रयोग मुख्य रूप से दो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना है—प्रथम तो अपने देश में युद्ध की तैयारियों को पूरे वेग से करने के लिए और दूसरे शत्रु देश की युद्ध तैयारियों का प्रतिरोध करने के लिए। इस प्रकार युद्धकाल में आर्थिक साधनों के प्रयोग का मूल लक्ष्य दूसरे देश का अधिक से अधिक घात करना होता है। यदि ऐसा करने में स्वयं का भी शोका सा घात होता हो तो कोई बात नहीं है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक साधनों का प्रयोग अच्छे तथा बुरे दोनों ही साधनों के लिए किया जा सकता है। इन्हें एक देश अपने

जन जीवन के कल्याण के लिए प्रयुक्त कर सकता है तथा वह इन्हें अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का साधन भी बना सकता है। एक देश के द्वारा आर्थिक साधनों का प्रयोग चाहे किसी तट से प्रभावित हो कर किया जाये और चाहे उसका कुञ्ज भी उद्देश्य हो किन्तु आज की परिस्थितियों में यह स्वभाविक है कि उसका प्रभाव विश्व के दूसरे देशों पर भी पड़ेगा, यह प्रभाव उन देशों के पक्ष में भी हो सकता है और विपक्ष में भी। आर्थिक साधनों के रूप का वर्णन करते हुए पामर तथा परकिन्स ने लिखा है कि 'जय कमी राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं, चाहे वे दूसरे देशों का अहित करती हों अथवा नहीं वे राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन हैं।'

आर्थिक साधनों का अर्थ

(The Meaning and Scope of Economic Instrument)

आर्थिक साधन शक्ति के प्रयोग के प्रमुख साधन हैं। इन रूप में उन्हें हम विदेश नीति के अस्त्र कह सकते हैं। आजकल राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्थाओं की पराश्रयता के कारण आर्थिक साधन राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। वेडिलफोर्ड तथा लिबन ने आर्थिक साधन को किसी भी आर्थिक क्षमता सत्या या तकनीक के रूप में परिभाषित किया है जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से विदेश नीति के लक्ष्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है। जिन लक्ष्यों की ओर ये संचालित किये जाते हैं उनकी प्रकृति आर्थिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, सैनिक हो सकती है अथवा मनोबोधानिक हो सकती है। इन साधन के द्वारा देश आवश्यक कच्चा माल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं; निर्यात किये जाने वाले व्यापार को बढ़ाते हैं, कम विकसित राज्यों में व्यवस्थित विकास को प्रोत्साहन देने हैं, दूसरे राष्ट्रों की नीति के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं या समर्थन करते हैं।

आर्थिक लक्ष्यों का उनके साधनों के साथ और साधनों का उनके लक्ष्यों के साथ समायोजन अन्तर्राष्ट्रीय मामलों का एक सर्वाधिक जटिल पहलू है। ये जटिलताएँ एक तो इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि स्वतन्त्र दुनिया के देशों में गैर-सरकारी पहलू आर्थिक क्रिया का संचालनकारी तंत्र है। व्यक्तिगत पहलू हमारा मूल्यों एवं लाभ से प्रभावित होती है और इसलिए यह सुरक्षा, कल्याण एवं विश्वास के राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा नीतियों का अनुरूप हो भी

सकती है और नहीं भी। राष्ट्रवाद की शक्तिशाली मत्तायें जिनके द्वारा देशों के बीच अनेक समर्पण रीतियाँ किये जा रहे हैं वे परम्परागत भाषिक लक्ष्यों के भार पार हो जाते हैं।

भाषिक सम्बन्धों की दुनिया अनेक विरोधों से पूर्ण है। प्रत्येक राज्य एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करता है जो उसके स्वयं के हितों के अनुरूप हो। हमारी ओर उसे अन्य राज्यों के साथ भी सहयोग करना पड़ता है जो उनके सर्वश्रेष्ठ ग्राहक भी होते हैं और शक्तिशाली प्रतिपक्षी भी। इसके अतिरिक्त भाषिक दृष्टि से कमजोर राज्य अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान देता है क्योंकि उनको परिवर्तन की दिशाओं चुननी होती हैं। राज्यों के पारस्परिक भाषिक सम्बन्ध इतने अधिक तथा व्यापक होते हैं कि वे अन्य सभी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की कुल संख्या से अधिक होते हैं। कभी-कभी इन भाषिक सम्बन्धों को राष्ट्रवाद एवं सुरक्षा की भावनाओं से प्रभावित होना पड़ता है।

भाषिक शक्ति विश्व की घटनाओं पर उल्लेखनीय प्रभाव रखती है। एक कमजोर अर्थ-व्यवस्था राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनती है और साम्यवाद के लिए अनुकूल भूमि तैयार करती है। किसी भी देश के भाषिक मामलों की अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है। भाषिक दृष्टि से जो महात् प्रतिद्वन्द्वी हैं वे भी भाषिक एवं राजनीतिक दृष्टि से एक दूसरे की अर्थ-व्यवस्था के स्वास्थ्य पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के अनेक निगम वे चाहेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन के समुद्र पार के व्यापार को वे स्वयं समाल लें। किन्तु संयुक्त राज्य अमरीका यह भी सहन नहीं कर सकता कि उसका मित्र ग्रेट ब्रिटेन भाषिक दृष्टि से कमजोर हो।

संयुक्त राज्य अमरीका की भाषिक शक्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही उसकी शक्ति का प्रदान खोने लगी है। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका इसलिए महा शक्ति बन पाया क्योंकि उसके पास अणु शक्ति थी। किन्तु अणु शक्ति भी अमरीका को केवल इमीलिए प्राप्त हो गयी थी क्योंकि वह भाषिक शक्ति सम्पन्न था। संयुक्त राज्य अमरीका अधिकांश देशों का सबसे बड़ा ग्राहक है और सबसे बड़ा व्यापारी है। अमरीका की भाषिक शक्ति ने ही उसे अन्तर्राष्ट्रीय भाषिक मामलों का नेतृत्व प्रदान किया। इसकी भाषिक शक्ति साम्यवाद के विरुद्ध स्वतन्त्र दुनिया के देशों को हीनिक सहायता देने का साधन रही है। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा जिन विदेश नीतियों के साधनों को अपनाया जाता है उन सभी का समर्थन मुख्य रूप से भाषिक व्यवस्था करती है। यही कारण है कि सरकारी अधिकारी कई बार यह तर्क

करते हैं कि आर्थिक मन्दी देश की सुरक्षा के लिए उतनी ही सतर्नाक है जितनी कि साम्यवाद की प्रत्यक्ष चुनौती ।

एक देश विशेष की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था विश्व की घटनाओं को प्रभावित करता है । बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति विदेश नीति के लक्ष्यों का प्राप्त करने के लिए अधिक धन प्रदान करती है । योजनाओं में जब सफलता प्राप्त होती चली जाती है तो एक देश उन साधनों का प्रचार कर सकता है जिनको उसने प्रयुक्त किया था । आर्थिक सम्बन्धों के आधार पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ता है । यह कहा जाता है कि यदि साम्यवादी चीन के बड़े उद्योगों का उत्पादन सन् १९७० तक भारत और जापान को मिला कर अधिक हो जाए और चीन का दृष्टिकोण इतना ही कठोर बना रहे तो यह सम्भावना है कि चीन के नक्शे के अनुसार यहाँ राजनीतिक और आर्थिक गड़बड़ी हो जाए ।

आर्थिक शक्ति को राष्ट्रीय सैनिक शक्ति एवं कुल राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण का मूलभूत आधार-स्तम्भ कहा जाता है । आज के युग में मानव शक्ति, सैनिक शक्ति का उतना महत्त्व माग नहीं है जितना कि पहले कभी होती थी । आज के सैनिक शक्ति अधिकतर तकनीकी उद्योग एवं सरकारी वित्त पर आधारित है । यह एक सर्वविदित तत्व है कि घरेलू आर्थिक संसाधनों एवं साधन स्रोत विदेशी मामलों में एक राज्य की नीतियों एवं कार्यक्रमों को निर्धारित करते हैं । अनेक राज्य उस समय तक पर्याप्त सैनिक शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते जब तक कि दूसरे राज्यों के उद्योगों का समर्थन प्राप्त न कर लें । वे ऐसे समर्थन के बिना बड़े सधनों को नहीं चला सकते । यह कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान और भारत का सन् १९६५ का संघर्ष राजनीतिक प्रयासों में राफ न दिया गया होता तो बीच में इन देशों को अपने सैनिक प्रसाधनों एवं अन्य साधनों की क्षति के कारण इसे रोकना पड़ता ।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक जीवन की प्रकृति (The Nature of International Economic Life)

राष्ट्रों के आर्थिक सम्बन्धों का इतिहास १९वीं शताब्दी के साथ प्रारम्भ होता है । इस समय अनेक कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला तथा पर्याप्त मात्रा में एक देश द्वारा आयात व निर्यात किया जाना प्रारम्भ हुआ—इन कारणों में उल्लेखनीय हैं जैसे—शक्ति तकनीकी के कारण होने वाला औद्योगिक विनाश, अमेरिकन शक्ति, जनसंख्या में वृद्धि

तथा औद्योगिक शक्ति और उसके कारण लोगों द्वारा देशांतरीकरण (Migration) आदि ।

१९वीं शताब्दी में उदारवाद की विचारधारा का बोलबाला था । अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक जीवन पर इस विचारधारा का प्रभाव पड़ा और यह सोचा जाने लगा कि आयात तथा निर्यात पर यदि राज्य का नियन्त्रण कम में कम रखा जायेगा तो इससे दोनों ही पक्ष (निर्यात एवं आयात) लाभान्वित होंगे, किन्तु व्यवहार में यह विचारधारा अधिक कारगर सिद्ध न हो सकी और राज्य का थोड़ा बहुत नियन्त्रण बना ही रहा ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जब वस्तुओं के आयात और निर्यात की परम्परा का शीतलण हुआ तब प्रत्येक देश यह प्रयत्न करने लगा कि वह अपने देश के आयात और निर्यात के बीच सन्तुलन बनाये रखे ताकि उसे विदेशों में घन न भेजना पड़े । लाभ प्राप्त करने के लिए विदेशों में घन लगाया जाने लगा । विदेशों में घन लगाने के दो तरीके थे एक तरीके के अनुसार तो पूँजी मिल, कारखाने आदि खोलने में लगाई जाती थी जहाँ उत्पादन करके लाभ प्राप्त किया जा सके दूसरा तरीका यह था कि वहाँ की सरकार अथवा उसके किसी भाग को बर्जा दे दिया जाय ।

प्रथम विश्व युद्ध ने अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया । युद्ध के परिणामस्वरूप जो परिस्थितियाँ पैदा हुईं उनके अधीन प्रारम्भ में तो यह प्रयत्न किया गया कि उनी अर्थव्यवस्था को कायम रखा जाय जो युद्ध से पहले स्थित थी, किन्तु यह व्यवस्था बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल न थी । फलतः राष्ट्रीय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी (Economic Depression) का सामना करना पड़ा । पहले राज्यों द्वारा आर्थिक जीवन में जा निषेधात्मक रख अनाया जाता था उन्हे मजबूत छोड़ दिया गया । इसके स्थान पर आर्थिक मामलों में राज्य के प्रतिबन्ध बढ गये और राज्य ही समस्त आर्थिक सम्बन्धों का नियमन करने लगा । इस प्रकार आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism) का जन्म हुआ जो आगे चल कर द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की श्रृंखला में तिरोहित हो गया । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक मन्दी के कारण व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था का स्थान समाजवादी अर्थव्यवस्था ने ले लिया । पारस्परिक तथा परस्पर ने ठीक ही लिखा है कि "एक राष्ट्र जब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नियन्त्रण लगाता है तो उसे, चाहे या अनचाहे रूप में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी प्रतिबन्ध लगाने पड़ते हैं ।

जब व्यापार पर प्रतिबन्ध लग जाते हैं तो व्यापार का क्षेत्र एव साकार सीमित रह जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ। दो विश्व-युद्धों के बीच के समय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र निरन्तर कम होता चला गया। १९३३ के बाद स्थिति में कुछ परिवर्तन आया किन्तु इस परिवर्तन का कारण यह था कि अधिकांश देशों द्वारा पुनः शम्नीकरण किया जा रहा था और सभी बड़ी शक्तियों का सैनिक बजट बहुत बढ़ गया था।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित हो गई। एक ओर साम्यवादी देश हैं और आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism) का प्राधान्य है और दूसरी ओर पूँजीवादी प्रजातन्त्र है जो अपेक्षाकृत स्वतन्त्र-विश्व व्यापार के पक्षपाती हैं। वर्तमान विश्व की अर्थव्यवस्था का इतिहास इन दो प्रमुख समुदायों के बीच के मौलिक विरोध एवं संघर्ष की कहानी है। एक राष्ट्र के पास उसके राष्ट्रीय हित के साधनों के रूप में जो आर्थिक हथियार रहते हैं उनका अध्ययन करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है।

आर्थिक साधनों के प्रकार (Kinds of Economic Instruments)

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने हितों को प्राप्त करने के लिए जो आर्थिक साधन अपनाये जाय जाते हैं वे अनेक प्रकार के हैं। इन सब साधनों के समुक्त रूप का पामर लक्ष्य-संग्रह को आर्थिक शस्त्रागार (Economic Arsenal) का नाम दिया है। इस शस्त्रागार के आधुनिकी का प्रयोग केवल सरकार ही नहीं करती बल्कि व्यक्ति भी, बिना सरकार के भाग लिए, कर सकते हैं। इन विभिन्न प्रकार के आर्थिक दवावों का उपयोग किसी आर्थिक लक्ष्य की अपेक्षा राजनैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये सभी साधन परस्पर इतने सम्बन्धित हैं कि एक का अपनापन पर दूसरे को अपनापन आवश्यक बन जाता है। इन सभी साधनों का महत्त्व परिस्थिति के अनुसार बदलना रहता है। शान्तिवादी स्थिति में जो साधन उपयोगी रहते हैं, युद्धकाल में उनका महत्त्व नहीं रह जाता और युद्धकालीन उपयोगी साधन शान्तिमान में अपनी उपयोगिता खो देते हैं।

वर्तमान काल में एक देश द्वारा अपनी राष्ट्रीय नीति के लिए जिन विभिन्न प्रकार के आर्थिक साधनों का उपयोग किया जाता है, वे मुख्य रूप से निम्न प्रकार हैं—

(i) शुल्क लगाना
(The Tariff)

राष्ट्र की प्राय बढ़ाने के लिए एक देश अपने आयात पर कर लगा सकता है। इस शुल्क के लगाने पर विदेशी माल महंगा पड़ेगा और इसलिए स्वदेशी माल की प्रतियोगिता में लाभ रहेगा। आयात की मात्रा नियंत्रित पर भी बर लगाया जा सकता है किन्तु ऐसा बहुत कम होता है और अमरिका आदि राष्ट्रों में तो इसके विरुद्ध कानून भी बन गया है।

आयात या निर्यात पर शुल्क लगाने के कई लक्ष्य हो सकते हैं—

✓ (१) यह उद्योग देश की आय को बढ़ाने के लिए लगाया जा सकता है।

✓ (२) यह शुल्क विदेशी उद्योगों से स्वदेशी उद्योगों को बचाने के लिए लगाया जा सकता है, इसी कारण इसे संरक्षण शुल्क (Protective tariff) भी कहा जाता है।

(३) इस शुल्क का अप्रत्यक्ष उद्देश्य मजदूरों की वेतन वृद्धि, स्थानीय कारखानों के लाभ को बढ़ाना, दूसरे राज्यों की तुलना में अपने राज्य की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना आदि हो सकते हैं, किन्तु यदि शुल्क का आधार ऐसे संरक्षणभेन लक्ष्य हैं तो उद्योग सम्बन्ध केवल एक विशेष उद्योग या कारखाने से होना चाहिए।

(४) शुल्क के द्वारा एक देश आरामदेह चीजों के आयात को कम करके तथा आवश्यक नागरिक वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देकर अपनी अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ बना सकता है।

(५) शुल्क लगाने से जो आयात की मात्रा कम होगी उतनी विदेशी मुद्रा का सुरक्षित रखा जा सकता और आयात के भुगतान में कमी नहीं रहेगी।

✓ (६) एक देश द्वारा शुल्क घटाने की भावना से भी लपटा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि यदि हमारे देश द्वारा इसके किसी माल पर ऐसा शुल्क लगा दिया गया है तो यह भी उस देश से आयात या निर्यात पर ऐसा ही शुल्क लगा देगा। ऊँचे शुल्क का परिणाम सर्वत्र ही ऊँचा शुल्क होगा है इसलिए जब एक देश द्वारा शुल्क की दीवार को तोड़ दिया जाता है तो उसका प्रभाव अनेक देशों पर पड़ता है।

एक देश शुल्क घटाने अथवा अन्य प्रतिबन्धित नीतियों द्वारा जब अपने घावको दूसरे देशों के मूल्य पर सम्पन्न बनाना चाहता है तो ये नीति 'bigger my-neighbour' नीति कहलाती है।

इस प्रकार शुल्क के रूप में प्रत्येक देश के पास एक ऐसा हथियार रहता है जिसके कारण वह दूसरे देश को नुकसान पहुँचा सके। युद्ध के बाद शांति की जो शर्तें लगाई जाती हैं उनमें परिवर्तित शुल्क नीतियों को भी प्रायः समाविष्ट कर दिया जाता है।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय कर्टेल्स का प्रयोग
(The use of International Cartels)

कर्टेल को स्वतन्त्र उद्योगों की एक संस्था कह सकते हैं जो उन कार्यों से समानता रखती है जिनको प्रतियोगिता पर नियन्त्रण रखने के लिए व्यवहृत किया जाता है। यदि इस संस्था के सदस्य अलग-अलग देशों के रहने वाले हैं अथवा विदेशों में व्यापार करते हैं तो यह कर्टेल अन्तर्राष्ट्रीय कही जायगी। 'कर्टेल' शब्द की व्युत्पत्ति 'चार्टा' (Charta) शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ होना है ठेका (Contract)। कर्टेल का उद्देश्य बाजार को नियमित (To regulate the market) करना होता है अर्थात् वह बाजार में किसी का एकाधिकार नहीं रहने देनी और इस प्रकार इसका कार्य केवल विक्रेताओं के हितों की रक्षा करना होता है न कि खरीददारों के हितों की रक्षा। एक संस्था होने के कारण यह स्वाभाविक है कि कर्टेल सभी कार्य कर सकती है जबकि इसके सभी साझेदार सहमत हो। यह निश्चित समझौतों पर एक शक्तिशाली संस्था भी हो सकती है और केवल ऊारी वानचीन पर निर्भर एक कमजोर सप भी। बाजार को प्रभावित करने के लिए कर्टेलों द्वारा जिन साधनों की अपेक्षा जाता है उनके आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है—

- (१) मूल्य निर्धारित करने वाले कर्टेल,
- (२) उत्पादन को सीमित करने वाले कर्टेल, तथा
- (३) विश्व के प्रदेशों को विभाजित करने वाले कर्टेल।

उक्त तीनों ही प्रकार के कर्टेल का आधारभूत तत्त्व मूल्यों को निर्धारित करना होता है। कर्टेल प्रथा के उपयोग का प्रारम्भ कुछ अस्पष्ट रूप से मध्य युग में ही हो गया था तथा अठारहवीं सदी के ग्रेट ब्रिटेन में और उन्नीसवीं शताब्दी के जर्मनी और फ्रांस में ऐसी अनेक संस्थाएँ वर्तमान थी, किन्तु इन संस्थाओं के लिए कर्टेल (Cartel) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग १८७० में जर्मनी में किया गया। जर्मण का 'कर्टेल की पुरातन भूमि' (The classic land of the cartel), कहा जाना है। बाद में अस्ट्रिया, स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों ने कर्टेल के विरुद्ध कानून बना दिये किन्तु जर्मनी, इटली

एक हस्त प्रादि सर्वाधिकारवादी देशों में इस तत्त्वा को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ ।

कर्टेल का प्रयोग उन्ही उद्योगों में अच्छी प्रकार किया जा सकता है जिनमें काफी मात्रा में उत्पादन किया जा सके तथा जहाँ गुणवत्ता धनरों का महत्व नहीं हो । अरविन हेक्सनर (Ervin Hexner) महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय कर्टेल को मुद्रणत घाठ क्षेत्रों में विभाजित किया है । समुक्त राज्य अमरीका का तीव्रतम कर्टेल का विरोध करना है । वहाँ रसायनिक एवं विद्युत उद्योगों में कर्टेल है, यही कारण है कि इन उद्योगों की भारी आलोचना की जाती है । अमेरिका के अर्थशास्त्रियों का एक समुदाय ऐसा है जिसके अनुसार कर्टेल का प्रभाव अन्तिम रूप से एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होता है । एक अमेरिकन विद्वान व्हिटलेसी (Whittlesey) के अनुसार कर्टेल के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

१. कर्टेल व्यवस्था स्वामिनक्ति का विभाजित करके तथा ज्ञान प्राप्ति के स्वार्थ को देशभक्ति की भावना के ऊपर रख कर मुद्रों को प्रोत्साहन देती है ।

२. कर्टेल व्यवस्था के अघोर उत्पादन तथा वितरण पर जो प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं उनके कारण एक देश किसी बड़े मुद्र के लिए उपयुक्त आव-
श्यक सामग्री से वंचित रह जायगा ।

३. कर्टेल एक गुप्तचर का काम करता है क्योंकि यह एक गुप्त अन्वेषण (Undercover agency) है जो वैज्ञानिक सूचनाओं को एक देश में ले जाकर दूसरे ऐसे देश में भी पहुँचा सकता है जो उस देश का सम्भावित शत्रु हो ।

४. कर्टेल द्वारा विदेश में पूँजी लगाने की व्याज दर निश्चय कर दी जाती है और इन प्रकार तीसरा कोई देश वहाँ अपनी पूँजी नहीं लगा सकता ।

५. कर्टेल मुद्रण रूप से सर्वाधिकारवादी राज्यों के विरुद्ध प्रोत्साहन (Special Tool) है और इसलिए इनको बहिष्कृत किया जाना चाहिए ।

व्हिटलेसी (Whittlesey) महोदय कर्टेल के विरुद्ध किये जाने वाले तर्कों की मत्पना स्वीकार नहीं करते । उनका मत है कि कर्टेल के द्वारा जहाँ राष्ट्रवाद का पृष्ठभूतण होता है वहाँ इसके अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है । जर्मन-कर्टेल के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्क अन्ततः

इस प्रकार गुल्फ के रूप में प्रत्येक देश के पास एक ऐसा हथियार रहता है जिसके कारण वह दूसरे देश को नुकसान पहुंचा सके। युद्ध के बाद शांति की जो शर्तें लगाई जाती हैं उनमें परिवर्तित गुल्फ नीतियों को भी प्रायः समाविष्ट कर दिया जाता है।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय कर्टेल्स का प्रयोग (The use of International Cartels)

कर्टेल को स्वतन्त्र उद्योगों की एक संस्था कह सकते हैं जो उन कार्यों से समानता रखती है जिनको प्रतियोगिता पर नियन्त्रण रखने के लिए व्यवहृत किया जाता है। यदि इस संस्था के सदस्य अलग-अलग देशों के रहने वाले हैं अथवा विदेशों में व्यापार करते हैं तो यह कर्टेल अन्तर्राष्ट्रीय कही जायगी। 'कर्टेल' शब्द की व्युत्पत्ति 'चार्टा' (Charta) शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ होता है ठेका (Contract)। कर्टेल का उद्देश्य बाजार को नियमित (To regulate the market) करना होता है अर्थात् वह बाजार में किसी का एकाधिकार नहीं रहने देनी और इस प्रकार इसका कार्य केवल विक्रेताओं के हितों की रक्षा करना होता है न कि खरीददारों के हितों की रक्षा। एक संस्था होने के कारण यह स्वाभाविक है कि कर्टेल सभी कार्य कर सकती है जबकि इसके सभी साझेदार सहमत हो। यह निश्चिन्त समझौते पर एक नक्तिशाली संस्था भी हो सकती है और केवल ऊपरी बातचीत पर निर्भर एक कमजोर संघ भी। बाजार को प्रभावित करने के लिए कर्टेलों द्वारा जिन साधनों को अपनाया जाता है उनके आधार पर इन्हें तीन भागों में बाटा जा सकता है—

- (१) मूल्य निर्धारित करने वाले कर्टेल,
- (२) उत्पादन को सीमित करने वाले कर्टेल, तथा
- (३) विपणन के प्रदेशों को विभाजित करने वाले कर्टेल।

उक्त तीनों ही प्रकार के कर्टेलों का आधारभूत लक्ष्य मूल्यों को निर्धारित करना होता है। कर्टेल प्रथा के उपयोग का प्रारम्भ कुछ अस्पष्ट रूप से मध्य युग में ही हो गया था तथा अठारहवीं सदी के ग्रेट ब्रिटेन में और उन्नीसवीं सदी के जर्मनी और फ्रांस में ऐसी अनेक संस्थाएँ बतमान थी, किन्तु इन संस्थाओं के लिए कर्टेल (Cartel) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग १८७० में जर्मनी में किया गया। जर्मन का कर्टेल की पुरातन भूमि (The classic land of the cartel) कहा जाता है। बाद में आस्ट्रिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों ने कर्टेल के विह्वल पानून बना दिये किन्तु जर्मनी, इटली

एव रूस आदि सर्वाधिकारवादी देशों में इस सस्या को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ ।

कर्टेल का प्रयोग उन्ही उद्योगों में अच्छी प्रचार किया जा सकता है जिनमें काफी मात्रा में उत्पादन किया जा सके तथा जहाँ गुणात्मक अन्तरों का महत्व नहीं हो । अरविन हैक्सनर (Ervin Hexner) महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय कर्टेल को मुख्यतः आठ श्रेणियों में विभाजित किया है । समुक्त राज्य अमरीका का लोकमत कर्टेलस का विरोध करता है । वहाँ रसायनिक एवं विद्युत उद्योगों में कर्टेल है, यही कारण है कि इन उद्योगों की भारी आलोचना की जाती है । अमेरिका के अर्थशास्त्रियों का एक समुदाय ऐसा है जिसके मतानुसार कर्टेलस का प्रभाव अन्तिम रूप से एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक मिद्ध होता है । एक अमेरिकन विद्वान व्हिटलेसी (Whittlesey) का अनुसार कर्टेलस के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

१. कर्टेल व्यवस्था स्वामित्व का विभाजित करके तथा लाभ प्राप्ति के स्वार्थ को देशभक्ति की भावना के ऊपर रख कर युद्धों को प्रोत्साहन देती है ।

२. कर्टेल व्यवस्था के अधीन उत्पादन तथा वितरण पर जो प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं उनके कारण एक देश किसी बड़े मुद्दे के लिए उपयुक्त आव-
श्यता सामग्री से वंचित रह जायगा ।

३. कर्टेल एक गुप्तघर का काम करता है क्योंकि यह एक गुप्त अन्वेषण (Undercover agency) है जो वैज्ञानिक सूचनाओं को एक देश में ले जाकर दूसरे ऐसे देश में भी पहुँचा सकता है जो उस देश का सम्भावित शत्रु हो ।

४. कर्टेल द्वारा विदेश में पूँजी लगाने की व्याज दर निश्चय कर दी जाती है और इस प्रकार तीसरा कोई देश वहाँ अपनी पूँजी नहीं लगा सकता ।

५. कर्टेलस मुख्य रूप से सर्वाधिकारवादी राज्यों के विशेष औजार (Special Tool) हैं और इसलिए इनको बहिष्कृत किया जाना चाहिए ।

व्हिटलेसी (Whittlesey) महोदय कर्टेल के विरुद्ध लिए जाने वाले तर्कों की सत्यता स्वीकार नहीं करते । उनका मत है कि कर्टेलस के द्वारा जहाँ राष्ट्रवाद का पृष्ठपोषण होता है वहाँ इससे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है । जर्मन-कर्टेल के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्क असल

मे वट्टेल-प्रवस्था के दोष नहीं हैं वरन् वे तो नाजी दल के शासन से उत्पन्न हो गयीं थुराईया हैं। वट्टेल व्यवस्था भेदिया अथवा गुप्तचर इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके द्वारा दी जाने वाली सूचना एकपक्षीय नहीं होती, यह दोनों ही देशों को परस्पर परिचित कराता है। व्हिटलेसी (Whittlesey) का विचार है कि वट्टेल अपने आप में एक बुराई नहीं होता वह तो एक साधन (Instrument) है जिसका प्रयोग अच्छे तथा बुरे दोनों ही लक्ष्यों के लिए किया जा सकता है। यह मानना अनुचित रहेगा कि वट्टेल के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर बनाया जाता है।¹

(iii) अंतरसरकारी वस्तु समझौता

(Intergovernmental Commodity Agreement)

अन्तरसरकारी वस्तु समझौता एक देश विशेष को विश्व बाजार में एक निश्चित भाग (Definite Share) के लिए आश्वस्त (assure) करने का प्रयास है। इसका उद्देश्य हमेशा उत्पादकों के हितों की रक्षा करना होता है। ऐसे समझौते उपभोक्ताओं के हितों की ओर कभी ध्यान नहीं देते। ये समझौते तभी किए जाते हैं जब किसी विशेष वस्तु का सामान्य रूप में अति-उत्पादन (Over Production) हुआ हो तथा उसे विनाशकारी प्रतिद्वन्दिता से बचाना हो। ऐसे समझौते के अनेक रूप होते हैं। यदि ये समझौते सरकार द्वारा न किए जाकर व्यक्तियों द्वारा किए जायें तो इन्हें कार्टेल कहा जाएगा।

जब एक वस्तु अनेक देशों में पैदा की जाती है तो केवल एक देश अपनी कीमतों को स्थिर रखने में समर्थ नहीं हो सकता। मान लीजिए एक देश किसी वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दे अथवा उसके उत्पादन को सीमित कर दे तो दूसरे राज्यों द्वारा उत्पादित वही वस्तु बाजार में आयेगी और तब यह आवश्यक बन जाएगा कि वस्तु समझौता (Commodity agreement) किए जाए। अन्तरसरकारी वस्तु समझौता प्रायः कृषि एवं खनिज उत्पादनों पर ही किया जाता है। औद्योगिक उत्पादनों पर प्रायः यह लागू नहीं होता। इसका कारण यह है कि औद्योगिक उत्पादन कुछ थोड़े से व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो व्यक्तिगत रूप से समझौते कर सकते हैं किन्तु कृषि एवं खनिज उत्पादन कार्य अनेक व्यक्तियों द्वारा किया

1 Whittlesey, Charles R., National Interest and International Cartels, 1946, P 36

(४) एक देश द्वारा निर्यात किए जाने वाले सामान की कीमत पटा दी गई है तो जो देश उस सामान का आयात कर रहा है उस देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा तथा यह सम्भव है कि विरोध के रूप में वह दूसरा देश भी अपने निर्यात किए जाने वाले सामान की कीमत पटा दे।

(५) विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए भी एक देश द्वारा डम्पिंग (Dumping) की व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी तथा जापान ने ऐसा ही किया था। विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि-सैनिक तैयारियों के लिए, फैक्ट्रियों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित कुशल मजदूर रखने के लिए, तकनीकी शोध कार्य के लिए आदि।

डम्पिंग यदि दीर्घकाल के लिए किया जा रहा हो तो यह उचित रहेगा कि विदेशी माल के आयात पर शुल्क (Tariff) लगा दिया जाय। इसी प्रकार निर्यात-पारितोषिक (Export-bonues) का भी मारी महत्व है। विनर (Viner) के मतानुसार “आज की प्रतियोगितापूर्ण परिस्थितियों में बिना निर्यात-पारितोषिकों के एक दीर्घकालीन व्यवस्थित डम्पिंग के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता।”¹ डम्पिंग व्यवस्था के अन्तर्गत जो देश माल का आयात कर रहा है उस देश के स्वामीय उद्योग एवं कारखाने प्रतियोगिता में निरर्थक जायेंगे। यद्यपि उस देश के करोड़वार हमस लाभान्वित अवश्य होंगे किन्तु स्वामीय कारखानों पर पड़ने वाला बुरा प्रभाव उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी घातक बन जायेगा।

(४) पहले से ही माल खरीद लेना
(Pre-emptive Buying)

इस प्रक्रिया के अर्थात् उद्योग देश के सामान को इसलिए खरीद लिया जाता है ताकि वह शत्रु के हाथों न पड़ने पाय। ऐसा सामान खरीदते समय उसके व्यापारिक पक्ष अर्थात् लाभ हानि पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार की खरीद प्रायः युद्ध और सन्धि के दौरान ही की जाती है तथा इसका मूल उद्देश्य शत्रु को आवश्यक सामान से वंचित रखना होता है। पॉल एन्जिग (Paul Einzig) ने लिखा है कि “ज्यों ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ

1 Viner, Jacob, Dumping : A problem in International Trade, 1923, P. 93

मे गारतीय निवास करते हैं। इन विदेशी राष्ट्रीयता वाले लोगों की जो सम्पत्ति होती है वह उनकी स्वयं की व्यक्तिगत सम्पत्ति होती है। जिस राष्ट्र में वे रह रहे हैं उसका अधिकार है कि वह इस सम्पत्ति को छीन ले। राज्य का यह व्यवहार दूसरे राष्ट्रों की सम्पत्ति पर नियन्त्रण कर लेना माना जायगा क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से यह सम्पत्ति उस राष्ट्र की थी जिस राष्ट्रीयता का वह व्यक्ति था। यह सम्पत्ति माल, ऋण, कोयमय धन, बीमा पॉलिसी आदि अनेक रूपों में हो सकती है।

सम्पत्ति के अपहरण की यह परम्परा तेरहवीं शताब्दी तक सामान्य मानी जाती थी किन्तु बाद में दूसरी राष्ट्रीयता वाले को कुछ स्वतन्त्रताएँ (immunity) प्रदान की गयीं जिनमें उनको सम्पत्ति रखने का अधिकार था। सन् १६१७ ई० से पूर्व अमेरिका द्वारा किसी भी युद्ध में सम्पत्ति के अपहरण को मान्यता नहीं दी गई किन्तु प्रथम विश्व युद्ध के बाद वार्साय की सन्धि (Treaty of Versailles) के अधीन यह व्यवस्था की गई थी कि मिन राष्ट्र अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में बसने वाले सभी जर्मन राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों की सम्पत्ति का अपहरण कर सकते हैं तथा जर्मनी का यह उत्तरदायित्व माना गया कि ऐसे लोगों की वह क्षति पूरि करे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय डेनमार्क और नार्वे पर जर्मनी का हमला होने पर अमेरिका ने वहाँ के लोगों की सम्पत्ति को अपने में मिला लिया। कहा जाता है कि यह इसलिये किया गया था ताकि निरपराध तन्त्रस्थ लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। इसका कारण हिटलर को सम्भावित प्राप्ति (Potential gains) से वंचित रखना न था।

(viii) ऋणें तथा उपहार (Loans and Grants)

प्राचीनकाल से ही उपहार तथा ऋणें राज्यों के परस्पर सम्बन्धों की विशेषता बने हुए हैं। दो देशों की मंत्री को बढ़ाने में उपहारों का बड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान युग में उपहार तथा ऋणें प्रतिदिन के व्यवहार की बात बन गये हैं। प्रत्येक देश एक देश से ऋणें और उपहार प्राप्त करता है और दूसरे देश को वह प्रदान भी कर देता है।

अन्तर्राष्ट्रीय ऋणें तथा उपहारों की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं—

१. ऐसे ऋणें या उपहार देने वाले राष्ट्र के तथा लेने वाले राष्ट्र के अलग-अलग उद्देश्य हो सकते हैं। उद्देश्य कोई विशेष हो सकता है अथवा सामान्य। लेनदार और देनदार की बातें सीधी हो सकती हैं और किसी तीसरे राष्ट्र द्वारा भी उनके बीच सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है।

२. जो कर्जा दिया जाता है उसकी वापसी प्रायः घन प्रथवा सामानों में की जाकर सामान के रूप में की जाती है।

३. कर्ज देने वाला भी अपने देश के कारखानों के विकास की दृष्टि से कर्जा देना है। उसका दूसरा लक्ष्य अन्य देशों के साथ संबंधों बढाना भी हो सकता है।

४. कर्जा जब दिया जाता है तो उस पर ब्याज अतन्ता कम लिया जाता है कि इसे भी एक प्रकार का उपहार समझा जा सकता है। कर्जा विदेशी मुद्रा, मशीन, सामान, कच्चा माल आदि रूपों में दिया जा सकता है और इसका लक्ष्य दूसरे देश का औद्योगिक उत्पादन एवं विकास योजनाओं को सफल बनाना होता है।

५. कभी-कभी कर्जा लेने वाले देश को कर्जों के प्रभाव में अपनी नीतियाँ बदलने के लिये मजबूर भी होना पड़ जाता है। कर्जा देने वाले देश तथा कर्जा लेने वाले देश के बीच यद्यपि मित्रता की भावनाएँ रहती हैं किन्तु यह संबंध समान भावनाओं पर आधारित नहीं रहती बरन् ऊँच नीच के भावों का अस्तित्व रहता है।

६. कर्जा देने एवं उपहार प्रस्तुत करने के नाम पर कभी-कभी एक देश दूसरे देश पर अनुचित प्रभाव डालने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए भारत पाक संघर्ष के समय अमेरिका और ब्रिटेन के रुख को लिया जा सकता है। ब्रिटेन ने भारत को हथियार भेजना बन्द कर दिया क्योंकि भारत सरकार पाकिस्तान के सम्बन्ध में ब्रिटेन के बताये गये रुख को अपनाते के लिए तैयार न थी। अमेरिका ने भारत को गेहूँ भेजने के ऊपर शर्तें लगानी चाहीं तथा अन्न सञ्चुट को दूर करने में सहायता देने के नाम पर भारत पर अपने कुछ निर्णय थोपने चाहे। किन्तु जब सम्बन्ध भारतीय जनता की प्रतिक्रिया को देखा तो उसे अपना रुख बदलना पडा।

अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए इस साधन का बहुत अधिक प्रयोग किया है। इसी कारण रुख ने इसी नीति को साम्राज्यवाद का ही एक बुरा रूप कहा है। विदेशों की सहायता करने के लिए अमेरिका द्वारा माशेंट योजना, ट्रुमेन सहायता विद्या, परस्परिक सहायता योजना आदि अपनाये गये हैं। अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर ही एक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्कारण (Economic agencies) का समर्थन करता है। कुछ पारितोषिकों में एक देश कर्जा चुकाने से मना भी कर सकता है, उदाहरण के लिए सोवियत रुस ने उन सभी कर्जों का भुगतान करने से मना कर दिया जो कि 'जार' द्वारा लिए गये थे।

(ix) विनिमय नियन्त्रण
(Exchange Control)

प्रत्येक देश के पास उतनी विदेशी मुद्रा नहीं रहती जितनी कि उसके उपयोग के लिए आवश्यक होती है। इसलिए यह आवश्यक बन जाता है कि वह विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण रखे ताकि आयात व निर्यात के बीच सतुलन की स्थापना की जा सके। इसके लिए एक देश कुछ आयातों एवं निर्यातों का प्रोत्साहन देगा और दूसरों को हतोत्साहित (Discourage) करेगा। विनिमय नियन्त्रण के द्वारा एक देश अपनी पूंजी को विदेश जाने से रोक सकता है, वह अपनी मुद्रा की अधिक कीमत स्थिर कर सकता है और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को पृथक करके घरेलू योजनाओं (Domestic programmes) की सुरक्षा कर सकता है। क्रौसे (Krause) महोदय के विचारानुसार "पृथक करने की व्यवस्था के कारण विनिमय नियन्त्रण उन देशों के आर्थिक शस्त्रागार का प्रमुख हथियार रहा है जो योजनाबद्ध रूप से विकास करना चाहते हैं।" विनिमय नियन्त्रण का सबसे अधिक प्रयोग स्टर्लिंग क्षेत्रों (वे देश जहाँ की मुद्रा ब्रिटिश पाउंड से जुड़ी हुई है) में किया गया है।

(x) आर्थिक सहायता
(Subsidies)

आर्थिक सहायता, जैसा कि पामर तथा परकिन्स का मत है, वह भ्रूणतान है जिसका उद्देश्य देश में उत्पादन को तथा विदेश में उनकी विक्री को प्रोत्साहित करना होता है। इस सहायता का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत कुछ वसा ही प्रभाव होता है जैसा कि शुल्क (Tariff) का हुआ करता है। फिर भी दोनों का अपना अपना महत्व है। सरकार द्वारा देश के किसी कारखाने को आर्थिक सहायता प्रदान करके जब देश में और विदेशों में भागे बढ़ा दिया जायगा तो वह निश्चय ही दूसरे देशों के कारखानों के समक्ष एक प्रतियोगी के रूप में खड़ा हो जायगा तथा दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इनका घुरा असर पड़ेगा। डॉटी बन्धुओं के मतानुसार शुल्क (Tariff) और आर्थिक सहायता (Subsidy) के बीच का अन्तर यह है कि "आर्थिक युद्ध (Economic warfare) में शुल्क का प्रयोग केवल आत्म-रक्षा के लिये किया जा सकता है किन्तु आर्थिक सहायता का उपयोग आक्रमण करने के लिए भी किया जा सकता है।" एक आक्रमणकारी हथियार होने के कारण

अधिक सहायता डम्पिंग (Dumping) के लिए वातावरण तैयार करती है किन्तु टारिफ (Tariff) द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता ।

(x) कोटा और लाइसेंस

[Quotas and Licenses]

जब एक सरकार आयात पर सीमा नियंत्रण रखना चाहती है तो वह कोटा व्यवस्था को अपना लेती है । इस व्यवस्था के अधीन एक देश से भ्रयवा सभी देशों से आने वाले माल की एक सीमा निश्चित कर दी जाती है । कोटा व्यवस्था को इसलिए अपनाया जाता है ताकि देश के उत्पादकों की रक्षा की जा सके और यह व्यवस्था की जा सके कि देश का 'आयात' निर्यात की अपेक्षा अधिक न हो जाये, निर्यात व्यापार पर कोटा का प्रयोग प्रायः केवल युद्ध काल में ही किया जाता है । क्योंकि युद्ध काल में यह भावना रहती है कि जिस देश को माल निर्यात किया जा रहा है वह उसी माल को शत्रु देश के लिए निर्यात न कर दे । आयात पर और भी अधिक नियंत्रण लगाने के लिए लाइसेंस व्यवस्था को अपनाया जाता है । इस व्यवस्था के अधीन कोई भी दूसरा देश जब-जब निर्यात करना चाहेगा तब-तब उसे इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा । यह लाइसेंस देते समय एक देश उस समय की अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा । कोटा तथा लाइसेंस प्रणाली द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवाह को रोक दिया जाता है तथा इन व्यवस्थाओं की प्रतिश्रिया एवं विरोध बहुत जल्दी होता है । फिर भी दो महायुद्धों के बीच के समय में इन दोनों प्रणालियों का उपयोग काफी किया गया, मुख्य रूप से फ्रांस ने इनको खूब अपनाया है ।

(xi) वर्ग सूची

[Black lists]

इस साधन के अधीन एक देश द्वारा ऐसी सूची प्रसारित की जाती है जिसमें उन राष्ट्रियताओं के नाम होते हैं जिनके साथ व्यापार को बहिष्कार करना हो । सूची में दिये गये नामों के साथ देश का कोई व्यक्ति या संस्था व्यापारिक सम्बन्ध नहीं रख सकता । उन सूचीबद्ध लोगों की संपत्ति का भी उस देश के द्वारा अग्रहरण कर लिया जाता है । इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि वर्ग सूची किसी राज्य के सम्बन्ध में नहीं बनाई जाती किन्तु केवल व्यक्तिगत उद्योगों और व्यक्तियों पर ही लागू होती है ।

(xii) मूल्य निर्धारित करना
[Valorization]

सरकार जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाती है तो Valorization कहा जाता है। किन्तु यहाँ इसका अर्थ केवल उसी वस्तु की कीमत बढ़ाने में सम्बन्धित है जिसकी कीमत बहुत अधिक गिर गई हो। ऐसा करने के लिए सरकार उस वस्तु को खरीद कर अपने पास रख लेती है अथवा उसके उत्पादन को कम कर देती है। अन्तःसरकारी वस्तु-समझौतों के प्रचलन के कारण अब इस साधन का प्रचलन एव महत्त्व बहुत कम हो गया है।

ऊपर जिन विभिन्न साधनों का उल्लेख किया गया है उनको समय की आवश्यकता एव परिस्थितियों की प्रकृति के अनुसार एक देश द्वारा अपनाया जाता है ताकि उसके स्वार्थों की पूर्ति हो सके। वैसे राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन केवल यही नहीं हैं जिनको कि वर्णित किया गया है वरन् इनके अतिरिक्त और भी हो सकते हैं तथा समय-समय पर सरकारी द्वारा नये भी आविष्कृत कर लिये जाते हैं। दूसरे देशों को हानि पहुँचाने वाले आर्थिक साधनों को यद्यपि बुरा-मला कहा जाता है किन्तु फिर भी अनेक देशों द्वारा इनको अपनाया जाता है। यह तथ्य वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की एक प्रधान समस्या है। आजकल विश्व के अनेक राज्यों में मुख्य रूप से सर्वाधिकारवादी राज्यों में आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism) की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर आर्थिक अन्तर्राष्ट्रीयतावाद (Economic Internationalism) की तरफ भी कुछ प्रयास किये जा रहे हैं। दोनों प्रवृत्तियों में से विश्व किसका वरण करेगा इसका निर्णय भविष्य ही करेगा।

आज का विश्व एक परिवार के समान हो गया है। आवागमन एव संचार के द्रुतगामी साधनों ने देशों की दूरी को बहुत कम कर दिया है। इन उत्तरोत्तर बढ़ते हुए निकटस्थ सम्बन्धों के कारण राष्ट्रीय नीति के साधनों के रूप में आर्थिक साधनों का महत्त्व जितना इस युग में है उतना शायद पहले कभी नहीं था। आर्थिक साधनों के महत्त्व का एक दूसरा कारण यह भी है कि अणुशक्ति ने युद्धों के रूप को परिवर्तित कर दिया है तथा आज के विध्वंसकारी शस्त्रों के रूप में कोई भी राष्ट्र सैनिक क्षय पेंच दिया कर अपने को शक्तिशाली सिद्ध करने का साहस सम्भवतः न करेगा। इसके लिए वह आर्थिक साधनों का आश्रय ले सकता है।

वैदेशिक आर्थिक सहायता [Foreign Economic Assistance]

आज के युग में विदेशी व्यापार, विदेशी सहायता एवं विदेशी व्यय की सीमाएँ मिट गई हैं। ये सभी कार्य संचालन की दृष्टि से परस्पर गुंथ गए हैं। आर्थिक सहयोग से हमारा तात्पर्य एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को आर्थिक साधन प्रदान करने के प्रायधान से है। इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि होता है। यदि गैर सरकारी लोग लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विदेशों में पूंजी लगाते हैं तो यह उचित समझा जाएगा। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान ग्रेट ब्रिटेन का समुद्र पार का व्यापार ऐसा ही था। इन व्यापार के परिणामस्वरूप जो पूंजी ग्रेट ब्रिटेन को मिली तथा उसके हित जितने अधिक उत्तमो उत्तम ही उसे लाभ रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से विदेशी सहायता के तीन रूप रहे हैं। जो युद्ध से पीड़ित देश हैं उनको राहत एवं आर्थिक पुनर्निर्माण की जरूरत होती है। जो राष्ट्र उदित हो रहे हैं उनको अपने सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक आधुनिकीकरण के लिए सहायता की जरूरत रहनी है। तीसरे प्रकार के देश ऐसे होते हैं जिनको कि साम्यवादी दबावों का विरोध करने के लिए सहायता की जरूरत होती है या आन्तरिक उपद्रवों को दबाने के लिए सहायता आवश्यक होती है अथवा खराब फल होने के कारण या कोई ऐसी घटना घटने के कारण जो उस [राज्य के अधिकार के बाहर की चीज थी, सहायता आवश्यक होती है। सहायता के अन्तिम दो लक्ष्यों के बीच कभी कभी अन्विराव हो जाता है।

कुछ लोगों का यह तर्क है कि सहायता के आधार पर निरन्तर भिन्नता एवं समर्थन वायम नहीं किया जा सकता और न ही निश्चित रूप से देश का विकास सम्भव होता है। यह तर्क अधिक महत्व नहीं रखता क्योंकि शक्ति सम्बन्धों को आत्म हित के मापदण्ड से निर्देशित किया जाता है न कि परोपकार की भावना से सहायता कार्यक्रम द्वारा ऐसी घटनाओं को विकसित होने के लिए भी आमन्त्रित किया जाता है जो कि वैसे घटित नहीं होती।

सयुक्त राज्य अमरीका ने उपर्युक्त तीन उद्देश्यों से विदेशी सहायता प्रदान की है। सन् १९४५ से लेकर सन् १९५० तक सयुक्त राज्य अमरीका ने २० बिलियन डालर में अधिक धन पश्चिमी यूरोप की रचना में व्यय कर दिया। इसमें से अधिकांश राशि मार्शल योजना के अन्तर्गत राशियों की गई। इस कार्यक्रम की सफलता के परिणामस्वरूप विश्व व्यापार में बड़ी प्रतियो-

गिता हो गई है और पश्चिमी यूरोप अब इतना समर्थ हो गया है कि उदीयमान देशों के विकास में सहयोग दे सके। मार्शल योजना के अन्तर्गत जो सहयोग प्रदान किया गया उसमें अधिकतर डालर एवं पूंजीगत माल के आदान-प्रदान में ही था। तकनीकी सहायता की मात्रा बहुत कम थी क्योंकि पश्चिमी यूरोप के राज्यों में यह पहले से ही स्थित थी।

सन् १९५० के बाद से दी जाने वाली अधिकांश सहायता का रूप बदल गया है और अब यह अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों, विशेषकर विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। यह सहायता मुख्यतः विकासशील देशों को दी जाती है। इस सहायता में अनुदान की अपेक्षा ऋणों पर अधिक जोर दिया जाता है तथा इन देशों को दिए जाने वाले तकनीकी सहयोगों में अमरीकी सरकार, उसके कई गैर सरकारी अभिकरण और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण योगदान करते हैं। एक विकासशील देश में विभिन्न सहायता कार्यों का समन्वय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण किन्तु नई समस्या है।

सहायता प्रदान करने के तरीके विभिन्न प्रकार के होने हैं। कुछ उदाहरणों में एक सहायता देने वाला देश किसी बड़े उद्देश्यीय अभिकरण को योगदान दे सकता है, जैसे, अन्तर-अमरीकी विकास बैंक को, जो कि बाद में अन्य देशों को कर्जा देती है। कोई देश संयुक्त राष्ट्रसंघ के अभिकरण को भी सहायता प्रदान कर सकता है जो बाद में अन्य देशों को तकनीकी सहयोग दे। सहायता करने वाला देश प्रत्यक्ष रूप से भी अन्य देशों की सहायता कर सकता है अथवा वह सहायता देने वाले कुछ देशों के साथ मिलकर ऐसा कर सकता है। दक्षिण एशिया के लिए बोल्सो योजना कुछ इसी प्रकार की सहायता का उदाहरण है। सहायता करने वाले देश अब अनुदान एवं ऋण के व्यय को सामान्यतः अपने उत्पादन के साथ जोड़ देते हैं। किन्तु जो धन अनेक देशों द्वारा मिल कर दिया जाता है उसे इस प्रकार नहीं जोड़ा जा सकता। सहायता प्राप्त करने वाला देश उस धन को किसी भी काम के लिए प्रयुक्त कर सकता है जैसे कि तैयार माल का आयात करने के लिए, स्कूलों और अस्पतालों के लिए, संचार व्यवस्था की रचना के लिए, नए उद्योगों की रचना के लिए, शिक्षा एवं मानवीय कुशलता के विकास के लिए, प्रादि प्रादि। धन की दृष्टि से नापने पर यह कहा जा सकता है कि विदेशी सहायता एक बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बन गया है। इससे राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों पर परोक्ष प्रभाव डाला जाता है।

सहायता के कर्ता एवं रूप

सन् १९६३ में उदीयमान स्वतन्त्र दुनिया के राज्यों ने ऋण तथा अनुदान के रूप में ८१ बिलियन डालर की आर्थिक सहायता प्राप्त की। इसमें से ६० प्रतिशत सहयोग संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा किया गया, चार बिलियन पीपुल्स द्विपक्षीय आधार पर दिया गया और १४ बिलियन डालर का अनुपात अन्तर्राष्ट्रीय समिकरणों द्वारा प्रदान किया गया। अन्य विकसित देशों ने २.७ बिलियन डालर सहायता के रूप में प्रदान किए। इनमें से अधिकांश ने विकास परामर्शदाता समिति के साथ मिल कर कार्य किया। संयुक्त राज्य अमरीका ने लगभग एक बिलियन डालर सैनिक सहायता के रूप में खर्च किए। केवल साट्विकीय के आधार पर कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एक देश से स्थायित्व की रक्षा के लिए कुछ अल्पकालीन ऋण भी होते हैं। जो देश सहायता प्राप्त करते हैं उन पर विदेशी वज्रों का पर्याप्त भार बढ जाता है और भुगतान की समस्या खड़ी होती है। व्याज तथा भुगतान के रूप में इन देशों को अपनी विदेशी मुद्रा की आमदनी का एक बहुत बड़ा भाग देना होता है।

विदेशी सहायता केवल धन के ही रूप में नहीं दी जाती बरिक्त जिन विद्याथियों, प्रशासकों एवं तकनीकी परामर्शदाताओं को प्रशिक्षित किया जाता है वे जब स्वदेश लौट कर जाते हैं तो आर्थिक सहायता से किमी भी प्रकार कम नहीं होते। विकसित देश अपने तकनीकी विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों को दूसरे देशों के विकास में सहायता देने के लिए भेजते रहते हैं। सन् १९६४ में लगभग १४५०० तकनीकी विशेषज्ञ करीब ३० देशों में कार्य कर रहे थे तथा हजारों विदेशी छात्र वजीफे के आधार पर साम्यवादी देशों में अध्ययन कर रहे थे। साम्यवादी चीन ने अफ्रीका तथा दुनिया के अन्य भागों में अपने सहायता कार्यक्रम को पर्याप्त व्यापक बना दिया है परन्तु उसने सहायता कार्यक्रमों को जिस प्रकार राजनैतिक लक्ष्यों के लिए प्रयुक्त किया वे बड़े घटिया दर्जे के थे और इसीलिए यह कार्यक्रम वांछित रूप में फलदायक न बन सका। संयुक्त राष्ट्र सभ के समिकरण भी विकासशील देशों में अपने हजारों प्रतिनिधि भेजते हैं। संयुक्त राष्ट्र सभ के १८००० कार्यक्रमों में से करीब ६६००० कार्यक्रमों सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं में सलगन हैं। सन् १९५५ में संयुक्त राज्य अमरीका ७० देशों को सहायता प्रदान कर रहा था। उसका अधिकांश धन एक दर्जन देशों में केन्द्रित था और शेष ५८ देशों में आर्थिक मिशन कार्य कर रहे थे। संयुक्त राज्य अमरीका के कितने लोग सहायता कार्यक्रमों में

विदेशों में कार्य कर रहे हैं इसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। किन्तु यह तो निश्चित है कि यह सदा साम्यवादी देशों की तुलना में अधिक है।

सहायता का उद्देश्य

व्यक्तिगत जीवन की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भी परस्पर, सहायता और सहज्यता का स्थान होना है। जिस रूप में विदेशी सहायता दी जाती है उससे ऐसा लगता है कि सहायता देने वाला देश मुक्त-मानवीयता को ध्यान में रख कर ऐसा कर रहा है। सहायता का कार्य विकसित देश की अनिच्छित उत्पादन की समस्या को मुक्त करना है। इनके अनिच्छित जब एक विकसित देश दूसरे देश के विकास के लिए कुछ धन प्रदान कर देता है तो इससे उसके सामान की सप्लाई के लिए दीर्घकाल तक बाजार भिन्न जाते हैं। यह कारण एक तत्पक्ष होते हुए भी सहायता देने का मुख्य कारण नहीं समझा जाता। कहते हैं कि सहायता का मुख्य कारण राजनैतिक है। उदीयमान राज्य शीघ्रता के साथ आधुनिकीकरण करते हैं। इनमें से अविश्वसनीय स्थिति आनिवार्य है, सम्बन्धित है और खतरनाक हो सकती है। समुक्त राज्य अमरीका एवं कुछ विकसित देश यह मानते हैं कि विदेशी सहायता प्रदान करना राष्ट्रीय हित की दृष्टि से आवश्यक है। आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उदीयमान देशों के सम्बन्ध में साम्यवादी तथा पश्चिमी शक्तियों के बीच जो प्रतिद्वन्द्विता है तथा साम्यवादी गुट में जो सघर्ष है उसने विदेश नीति के इस साधन की आवश्यकता करना महाशक्तियों के लिए अत्यावहारिक बना दिया है। राष्ट्रपति कर्नेडी ने २५ मई, १९६१ को कांग्रेस को दिए गए अपने सदेश में यह कहा था कि आज स्वतन्त्रता के प्रचार एवं सुरक्षा के लिए बड़ी युद्धभूमि दुनिया का सम्पूर्ण दक्षिणी भाग अर्थात् एशिया, सेंटिन अमरीका, अफ्रीका और मध्यपूर्व हैं जो उठने हुए लोगों की भूमि हैं। उनकी भाँति मानव इतिहास में महान है।^१

इस प्रकार विश्व में सघर्ष का रूप बदल गया है। आज के दिनों हुए आक्रमण के साधनों में हम हथियार, दगा करने वाले, सहायता, वित्तपत्र, प्रचार, सरकार को बदलना, आग्नि के लिए समर्थन, धारि नावनों को ले सकते हैं। इन सभी हथियारों से युक्त साम्यवादी देश अपने प्रदेशों की एकीकृत करने की योजना बनाते हैं ताकि नए राष्ट्रों का शोषण कर सकें उन

1. President John F. Kennedy, in a message to Congress on May 25, 1961.

पर नियंत्रण रख सकें और अन्त में उनकी प्राप्ति को समाप्त कर सकें। साम्यवादियों का कार्यक्रम है कि शीघ्र ही अपनी इन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करें। इन सघर्ष से कोई भी बड़ी शक्ति अपने आपको अलग नहीं रख सकती।

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा संचालित विदेशी सहायता कार्यक्रम पर अमरीकी जनमत का पर्याप्त प्रभाव है। वहाँ का जनमत इस कार्यक्रम के अधिक पक्ष में नहीं है। भ्रालोचनाओं एवं विरोधों के कारण यह अलोकप्रिय एवं अकार की दृष्टि से सीमित है। जनता दृढ़ बात पर विचार नहीं करती कि सहायता कार्यक्रम मुख्य रूप से कर्ज होता है और इससे उन वस्तुओं की मांग भी पूरी हो जाती है जो कि बड़े खरीदनी पड़ती; जो लोग सहायता कार्यक्रम के सही रूप को समझते हैं वे इसे विदेश नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। एक बार राज्य सचिव डीन रस्क ने सदन की विदेशी मामलों की समिति को यह कहा था कि आर्थिक सहायता संयुक्त राज्य अमरीका की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हित के लिए मूल तत्व है। इसके बिना अधिकांश देश निश्चय ही पिछनी दो शताब्दियों में साम्यवादी बन गये होते और इस प्रकार सतन्त्रता की सीमाएँ बहुत सकरी बन जानी तथा अमरीकी लोग कम स्थिर एवं अत्यधिक चुनौतीपूर्ण दुनिया में निवास करते।¹

विदेशी सहायता कार्यक्रम के माध्यम से कोई देश सहायता प्राप्त करने वाले देश की स्याई गिनना की आशा नहीं कर सकता। पश्चिमी शक्तियों एवं साम्यवादी देशों का इस सम्बन्ध में एक जैसा अनुभव है। इण्डोनेशिया को चीन तथा सोवियन संघ की पूरी सहायता मिल रही थी किन्तु फिर भी वहाँ सन् १९६५ में साम्यवादी दल की शक्ति बढ़ा दी गयी और इण्डोनेशिया ने ३१ अक्टूबर, १९६७ को अपना अन्तिम राजनयिक कर्मचारी भी चीन से वापस बुला लिया। वर्मा के सम्बन्ध में भी चीन को ऐसे ही अनुभव प्राप्त हुए और इनके कारण उसे अपने तकनीकी विशेषज्ञों एवं सलाहकारों को वापस स्वदेश बुलाने का निर्णय लेना पड़ा। साम्यवादी चीन के अनेक अधिकारियों एवं कार्यकर्त्तों को कई अफ्रीकी देशों ने अपने देश से निकाल दिया यद्यपि ये देश चीनी सहायता प्राप्त कर रहे थे।

जब सहायता कार्यक्रम का रूप निर्धारित किया जाता है तथा उसका संचालन किया जाता है तो अनेक विकल्प सामने आते हैं जिनके सम्बन्ध में

1 Dean Rusk, The New York Times, March, 18, 1961.

कोई निश्चित सूत्र नहीं है। किसी देश को सहायता दी जाए या नहीं दी जाए?, सहायता का अनुपात कम हो या अधिक हो?, कम समय के कर्ज पर अधिक जोर दिया जाए या अधिक समय के कर्ज पर?, व्यक्तिगत लागत एवं व्यक्तिगत उद्यम को प्राप्ताह्न देने के लिए विशेष प्रयास किए जायें अथवा न किए जायें?, क्या सहायता कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दूसरों से प्रतियोगिता करने चाहिए?, ये अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर निश्चित रूप से देना बड़ा कठिन है। एक समस्या यह भी उठती है कि सहायता कार्यक्रम के प्रभाव को कैसे नापा जाए तथा प्राथमिकतायें कैसे तय की जायें। कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों द्वारा तय की जा सकती है जिसे नापा नहीं जा सकता।

आर्थिक युद्ध (Economic Warfare)

एक देश अपने आर्थिक साधनों का प्रयोग जब दूसरे विरोधी राज्य की सम्भावित एवं वास्तविक शक्ति को कम करने का प्रयास करता है तो उसे हम प्रायः आर्थिक युद्ध का नाम देते हैं। इस प्रकार से सघर्ष परम्परागत रूप से होने रहे हैं इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। इस सम्बन्ध में वनामविज्ञ का यह कहना अत्यन्त तथ्य मगत प्रतीत होता है कि शान्तिकाल में अपने सन्तुष्टों को कूटनीति और व्यापार द्वारा निःशस्त्र बना दो तब उसे तुम युद्ध के मैदान में आसानी से जीत सोगे। प्रत्येक राज्य अपने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में समानानुमान से लेकर हिंसात्मक साधनों तक प्रत्येक बंदम को अपना सकता है। आर्थिक तकनीकों तथा प्रसाधन इन तरीकों के बीच में ही स्थान रखते हैं। आर्थिक साधन जैसे किसी देश की सहायता के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं वैसे किसी के विरुद्ध भी काम में लाये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि अन्तर्राष्ट्रीय मानदरी फण्ड (International Monetary Fund) एक देश में विनिमय की मात्रा को आर्थिक मुधारों से जोड़ सकता है किन्तु यदि एक देश से इस प्रकार की साध को रोक दिया जाए तो यह उस देश के विरुद्ध आर्थिक दबाव कहलाएगा और स्पष्ट रूप से आर्थिक युद्ध की परिभाषा में आएगा। आर्थिक दबाव एक देश की आर्थिक स्थिति एवं सामर्थ्य को कमजोर बना देते हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व दुनिया के देश आर्थिक दबावों की प्रभावशीलता को बहुत महत्व देते थे। सन् १९३५ में राष्ट्रमण ने इटली के विरुद्ध आर्थिक दबाव लगाये क्योंकि उसने इथियोपिया के विरुद्ध आक्रमण कर दिया

था। किन्तु ये दबाव प्रभावहीन रहे। ऐसे ही दबाव समुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा द्वारा सन् १९५१ में साम्यवादी चीन के विरुद्ध लगाए गए जब कि उसने कोरिया पर आक्रमण किया। ये दोनों ही दबाव प्रभावहीन रहे। ग्रेट ब्रिटेन ने सन् १९६५ में रोडेशिया पर आर्थिक दबाव लगाए और समुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य कुछ देशों ने उसका सहयोग दिया। केवल कागजी रूप से बेराबन्दी उस समय तक प्रभावहीन रहती है जब तक कि इसका समर्थन करने वाले एक या अधिक राज्य उस देश के महत्वपूर्ण आर्थिक प्रयोगों के स्वामी न हों, जैसे—तेल, हथियार, खाद्य सामग्री आदि।

आर्थिक दबाव किसी देश के विरुद्ध केवल सीमित प्रमाण ही डाल पाते हैं। ये केवल थोड़े समय तक ही प्रभावशाली रहते हैं और बाद में मित्र राष्ट्रों के समूह के बीच अनेक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। सम्बन्धित देश यह सोचते हैं कि उनका कितना नुकसान हो रहा है। व्यापारिक लेन-देन के सन्तुलन को प्राथमिकता दी जाती है और इन दबावों की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में सन्देहशील दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में धीरे-धीरे इन दबावों की प्रभावशीलता कम हो जाती है। पैडिंगफोर्ड तथा लिफनका यह कथन उपयुक्त है कि शान्तिकालीन आर्थिक युद्ध की प्रकृति सम्बद्ध रहनी चाहिए, इसमें पर्याप्त कूटनीति एवं समायोजन की आवश्यकता है तथा यह देखना जरूरी है कि बढ़ते हुए मनमुटावों का लाभ हो रहा है या नहीं।

साम्राज्यवाद-उपनिवेशवाद (Imperialism-Colonialism)

समाजवाद की भांति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की तुलना एक ऐसे टोप से की जा सकती है जिसे हर कोई पहन लेता है और इस कारण उसका रूप एवं आकार निश्चिन् नही रह गया है। इन पदों का अर्थ तथा रूप समय और स्थान (Time and Space) के साथ-साथ परिवर्तित होना रहा है। किसी समय साम्राज्यवादी और उपनिवेशवाद को प्रशंसित दृष्टि से देखा जाता था, साम्राज्यवादी देश को विश्व के कल्याण का प्रतीक माना जाता था किन्तु आज इसे हेय-समझा-जाता है। आज के प्रजातन्त्रवादी युग के प्राण 'स्वतन्त्रता और समानता' (Liberty and Equality) में हैं इसलिए एक देश की नीतियों को साम्राज्यवादी अथवा विस्तारवादी कहना उनकी सबसे बड़ी आलोचना मानी जाती है। पहले तो

दूसरे देशों की भूमि को अधिकृत कर लेना ही साम्राज्यवाद कहा जाता था किन्तु आजकल एक देश का दूसरे देश पर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रभाव भी साम्राज्यवाद की परिधि में समाविष्ट किया जाता है। यद्यपि साम्राज्यवाद के स्वरूप, उद्देश्य, साधन एवं परिणामों के बारे में विचारकों के बीच भारी मतभेद है किन्तु इस बात को प्रायः वे सभी स्वीकार करते हैं कि यह राष्ट्रीय हित की प्राप्ति का एक प्रभावशाली साधन रहा है और आज भी है। साम्राज्यवाद का मुखगान करने वाले विचारक एक देश की सड़क, स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य शानन, व्यापार आदि उपलब्धियों का चित्रण करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि एक देश ये सभी चीजें सभी प्राप्त कर सका जबकि वह एक बड़े साम्राज्य का एक भाग बना। दूसरी ओर साम्राज्यवाद के प्रालोचक इसे युद्ध, शोषण, श्रमचरता, दुःख, अमानवीयता, घृणा आदि के विशेषण प्रदान करते हैं। साम्राज्यवाद के रूप को समझने के लिए यह उपयोगी रहेगा कि भिन्न-भिन्न विचारकों द्वारा इसकी जो परिभाषायें दी गई हैं उनका प्रबन्धन किया जाय।

साम्राज्यवाद की परिभाषायें

(Definitions of Imperialism)

साम्राज्यवाद के लक्ष्य का वर्णन करते हुए बोन (Bonn) महानगर ने बताया है कि साम्राज्यवाद वह नीति है जिसका उद्देश्य साम्राज्य स्थापित करना संगठित करना और बनाये रखना होता है। साम्राज्य एक बड़े आकार का राज्य होता है जिसमें अनेक राष्ट्रीयताओं वाले लोग निवास करते हैं तथा जिस पर एक केन्द्रीय इच्छा (Central will) शासन करती है। सी० डी० बर्नस (C D Burns) ने साम्राज्यवाद को विश्व सरकार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना है। उनके कथनानुसार साम्राज्यवाद उस सामान्य पद्धति को कहा जाता है जिसके प्रनुसार अनेक देशों में कानून बनाये जाते हैं और शासन किया जाता है। वह क्षेत्रीय राष्ट्रीयता (Regional nationality) के दोषों को दूर करना है, उनसे ऊपर उठना है। प्रसल में 'साम्राज्यवाद' क्षेत्रीय राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता (Internationalism) के बीच की स्थिति है। शूमा (Schuman) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों का विचार इससे मिल्न है। उनके मतानुसार हम चाहें कितने ही महान् बनार्ये और नीतिकता का चाहें जितना ही डॉम पीटें किन्तु सत्य तो यह है कि अधीन देशों पर शक्ति और हिमा के बल

पर विदेशी राज्य स्थापित रखना साम्राज्यवाद है। एक देश साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाते समय किसी परोपकारी वृत्ति या मानवतावादी भावना से प्रभावित नहीं होता वरन् उसका राष्ट्रीय स्वार्थ ही सदैव उसके ध्यान में रहता है। बीयर्ड (Beard) का मत है कि साम्राज्यवाद यह होता है जब कि एक देश की सरकार एवं कूटनीति की मशीन दूसरी जाति के लोगों के प्रदेशों (Territories), रक्षित राज्यों (Protectorates) तथा प्रभाव के क्षेत्रों (Spheres of influence) को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाती है और औद्योगिक, व्यापारिक एवं धन लगाने के अवसरों को बढ़ाने का कार्य करती है। एक अन्य विचारक मून (Parker T. Moon) के द्वारा दी गई परिभाषा में साम्राज्यवाद के जाति पक्ष की ओर अधिक जोर दिया गया है।

उक्त परिभाषाओं में साम्राज्यवाद की जिन विशेषताओं को प्रमुख माना गया है वे हैं—व्यापिक लक्ष्यों की प्राप्ति, बड़ा प्रदेश प्राप्त करना, दूसरी जातियों पर शासन करना आदि। मॉर्गेन्थौ (Morgenthau) महोदय ने इन सभी विशेषताओं को शुद्ध माना है। उनका विचार है कि एक देश द्वारा अपने राज्य की सीमाओं से बाहर शक्ति का विस्तार ही साम्राज्यवाद है। एक अन्य विचारक बुखारिन (Bukharin) का कहना है कि साम्राज्यवाद में दूसरे देशों को जीतने का प्रयास निहित रहता है किन्तु दूसरे देशों को जीतने की नीति को ही हम साम्राज्यवाद नहीं कह सकते।¹

शुम्पीटर (Schumpeter) महोदय का विचार है कि साम्राज्यवाद का कोई सचेत लक्ष्य नहीं होना तथा इसके उद्देश्यों की परिभाषा भी नहीं की जा सकती। किन्तु इसके विपरीत विन्सलो (Winslow) ने साम्राज्यवाद के सगठन तथा उसके विशेष उद्देश्यों का वर्णन किया है। उसकी परिभाषा के अनुसार साम्राज्यवाद एक बुराई है। बुएल (Buell) महोदय भी साम्राज्यवाद को अच्छी निगाह से नहीं देखते। उनका कहना है कि एक सरकार से दूसरी सरकार द्वारा दी गई प्रत्येक अन्यायपूर्ण भाग तथा प्रत्येक आक्रमणकारी युद्ध को साम्राज्यवादी कहा जाता है। 'साम्राज्यवाद' एक ऐसा शब्द है जिसमें अनेकों पाप समाहित हैं।²

1. N I. Bukharin, Imperialism and world economy. 1929, P. 114.
2. Raymond L. Buell, International Relations, P. 305.

साम्राज्यवाद के अर्थ की समस्या

(The problem of the meaning of imperialism)

साम्राज्यवाद से सम्बन्धित अनेक परिभाषाओं के अवलोकन के बाद यह कहा जा सकता है कि इस शब्द का प्रयोग विचारकों द्वारा अपने-तकों अथवा अपने राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से विभिन्न अर्थों में किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि साम्राज्यवाद शब्द अरुना सही अर्थ खो बैठा। आज किसी भी देश को प्राप्त साम्राज्यवादी कह सकते हैं, यदि उसकी विदेश नीति आपके देश की विदेश नीति के विपरीत पडनी हो। मून (Parker Thomas Moon) ने 'साम्राज्यवाद' शब्द को उपनिवेशी विस्तार का समानार्थक माना है। किन्तु यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि आखिर उपनिवेशी विस्तार (Colonial expansion) शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, क्योंकि विस्तार के सैनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि रूप होते हैं।

मॉर्गेंथो (Morgenthau) महाशय का कहना है कि साम्राज्यवाद का सही अर्थ जानने से पूर्व यह आवश्यक है कि उससे सम्बन्धित भ्रान्तियों का निवारण कर लिया जाय। उनके मतानुसार प्रत्येक विदेश नीति जिसका उद्देश्य एक राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाना है, आवश्यक रूप में साम्राज्यवाद का प्रदर्शन नहीं कही जा सकती। केवल उसी नीति को साम्राज्यवादी कहा जा सकता है जो वस्तुस्थिति (Statusquo) को नष्ट भ्रष्ट करने का लक्ष्य रखती है। इस प्रकार वे लोग भ्रम में हैं जो यह मानते हैं कि अपनी शक्ति को बढ़ाने वाला देश साम्राज्यवादी है। दूसरे वे लोग भी भ्रम में हैं जो कि पहले से ही स्थित साम्राज्य की रक्षा करने वाली विदेश नीति को साम्राज्यवादी कहते हैं। मॉर्गेंथो (Morgenthau) का विचार है कि साम्राज्यवाद की प्रकृति गत्यात्मक (Dynamic) होती है किन्तु पूर्व स्थित साम्राज्य की रक्षा करने वाली नीति में इस प्रकृति का आभास नहीं होता। अतः इस नीति को हम रूढ़िवादी कह सकते हैं न कि 'साम्राज्यवादी'। साम्राज्य (Empire) की रक्षा और एकीकरण (Consolidation) तो एक चीज है तथा साम्राज्यवाद दूसरी। दोनों के बीच भारी अन्तर रहता है। सन् १९४२ में चर्चिल ने जब ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त करने को मना कर दिया तो वह उसकी साम्राज्यवादी नीति का नहीं किन्तु रूढ़िवादी नीति का परिचायक था।

साम्राज्यवाद के स्वरूप से सम्बन्धित तीन मुख्य विचारधाराएँ हैं। प्रथम मार्क्सवाद विचारधारा है जो पूंजीवाद को मुख्य बुराई मानती है

तथा साम्राज्यवाद को उन्ही का आवश्यक या सम्भावित परिणाम। दूसरी ओर हॉब्स जैसे उदार विचारक हैं जो यह मानते हैं कि 'साम्राज्यवाद' पूँजीवाद का आवश्यक परिणाम नहीं है क्योंकि पूँजीवाद के सम्मुख अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। तीसरी विचारधारा शंनान विचारधारा (Devil theory) है जिसके अनुसार युद्ध के कारण जिन समुदायों या व्यक्तियों को लाभ होता है वे सदैव युद्ध को प्रोत्साहन देने रहते हैं ताकि वे स्वयं सम्पन्न बन सकें। इन युद्धों का परिणाम ही साम्राज्यवाद है। ये तीनों ही विचारधारयों एकपक्षीयता (One sidedness) के दोष से दूषित हैं। 'साम्राज्यवाद' असल में एक राजनैतिक तत्त्व है और जैसा कि कुछ विचारकों का कहना है, इसको आर्थिक रूप देने का अशफत प्रयाम इन विचारधारायों द्वारा किया गया है।

साम्राज्यवाद सम्बन्धी कुछ निष्कर्ष (Some conclusions about Imperialism)

'साम्राज्यवाद क्या है' शीपेंक के नीचे अमरीकी विद्वान पामर तथा परकिन्स का प्रथम वाक्य यह है कि हम साम्राज्यवाद पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, इसका विरोध कर सकते हैं, इसका समर्थन कर सकते हैं और इसके पीछे प्राण भी दे सकते हैं किन्तु इसकी ऐसी कोई परिभाषा नहीं दे सकते जो सर्वमान्य हो। कोई सर्वमान्य परिभाषा देना आज इस कारण भी असम्भव बन गया है क्योंकि साम्राज्यवाद का वर्तमान रूप पहले रूप से भिन्न है। साम्राज्यवाद के इन विभिन्न रूपों को एक परिभाषा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता किन्तु विभिन्न परिभाषायों तथा साम्राज्यवाद के वास्तविक व्यवहार को देख कर इसकी कुछ विशेषतायें बताई जा सकती हैं; जो निम्न प्रकार हैं—

(१) 'साम्राज्यवाद' शब्द विषयगत (Subjective) है और इसीलिए विचारक अपनी इच्छानुसार जैसी चाहते हैं इसकी परिभाषा दे देते हैं।

(२) 'साम्राज्यवाद' शब्द अपने विरोधी देशों की नीतियों की भालोचना करने का एक साधन बन गया है।

(३) साम्राज्यवाद की कुछ अवतरणत विशेषतायें जैसे आर्थिक लाभ का लक्ष्य, क्षेत्र का विस्तार, दूसरी जातियों पर शासन, एक मुनिगोजिन कार्यक्रम आदि। ये विशेषतायें प्रायः साम्राज्यवाद के साथ रहती हैं किन्तु साम्राज्यवाद इनके बिना भी रह सकता है।

(४) साम्राज्यवाद नैतिक दृष्टि से शून्य होता है। यह राष्ट्रीय नीतियों का एक ऐसा साधन है जिसका उद्देश्य बुरा भी हो सकता है और

अच्छा भी। हो सकता है कि साम्राज्यवाद के अधीनस्थ देश अधिक, राजनैतिक सामाजिक, सामूहिक आदि क्षेत्रों में पर्याप्त विज्ञान करें और यह भी सम्भव है कि साम्राज्यवादी देश द्वारा अधीनस्थ लोगों का शोषण किया जाय उनका दमन किया जाय तथा उनकी सम्पत्ता और सभ्यता के विकास को रोक दिया जाय। पामर तथा परकि स के मतानुसार साम्राज्यवाद तो शक्ति सम्बन्धों का उच्च और अधीनस्थ के बीच के सम्बन्धों का नाम है नद्वन्द्वता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

(५) साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देने वाले तत्त्व मार्गों को के मतानुसार तीन हैं। पहला तत्त्व वे अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ हैं जो युद्ध के बाद शान्ति स्थापना के की जाती हैं तथा जिनके द्वारा युद्ध से पूर्व की स्थिति को परिद्वन्द्वित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए वार्सा की सन्धि का नाम लिया जा सकता है। दूसरा तत्त्व वह प्रयास है जो कुछ राष्ट्रों को स्थायी रूप से अधीन (Subordinate) बनाये रखने के लिए किया जाता है। ऐसे प्रयासों की प्रतिक्रिया यह होती है कि हारा हुआ राष्ट्र अपनी सोई हुई शक्ति को प्राप्त करने की कोशिशें करता है। फलतः उसकी नीति साम्राज्यवादी हो जाती है। साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देने वाला तीसरा तत्त्व कमजोर एवं राजनैतिक शक्ति से हीन राज्यों का अस्तित्व है। ऐसे राज्य शक्तिशाली राज्यों की अपनी ओर आकर्षित करते हैं ठीक उसी प्रकार जैसा कि 'शव' द्वारा गिद्धों को आकर्षित किया जाता है। ये तीनों ही तत्त्व एसी परिस्थितियाँ पैदा करते हैं जिनमें साम्राज्यवाद की नीतियाँ बनती क्रियान्वित होती तथा सक्रम हाती हैं।

साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद (Imperialism, Colonialism and Nationalism)

साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के बीच का अन्तर इतना कम है कि प्रायः एक के लिए दूसरे का प्रयोग कर दिया जाता है। हॉबसन (Hobson) महोदय ने साम्राज्यवाद विषयक अपनी पुस्तक में साम्राज्यवाद की जो परिभाषा दी है वह असल में उपनिवेशवाद पर अधिक लागू होनी है। उनके मतानुसार 'उपनिवेशवाद अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में राष्ट्रियता का स्वाभाविक अतिप्रवाह (Overflow) है। इसकी परीक्षा उपनिवेशियों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे अपनी सम्पत्ता का अपने नवीन सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ढालें सके।' साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का ही एक

रूप समझा जाता है किन्तु यह उपनिवेशवाद की तुलना में अधिक सगठित होता है, अधिक सैनिक होता है, नवीनतम रूप से अधिक माकभरकारी होता है तथा विभिन्न उद्देश्यों में पूर्ण होता है। इतने प्रकारों के रहते हुए भी व्यावहारिक जगत में इन दोनों के बीच एक विनाशक रेखा सीपना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। इन दोनों ही पक्षों का प्रयोग उच्च तथा होन का सम्बन्ध (Superior-inferior Relationship) स्ताने के लिए किया जाता है।

सिद्धान्त रूप में यदि देखा जाये तो राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद के बीच विरोध रहता है, क्योंकि साम्राज्यवाद दूसरे देशों को पराधीनता के पाश से जकड़ता है जबकि राष्ट्रीयता प्रत्येक देश को स्वतन्त्र रहने की प्रोत्साहित करती है। किन्तु "प्रशान्त" में पराधीन देश स्वतन्त्र होने के बाद जब शक्तिशाली बन जाता है तो प्रायः साम्राज्य निर्माण के स्वप्न दखना प्रारम्भ कर देता है। पराधीन राष्ट्रों में साम्राज्यवाद के प्रभाव से राष्ट्रीयता की भावना उत्तेजित होती है और स्वतन्त्र राष्ट्रों में राष्ट्रीयता साम्राज्यवादी भावनाओं को उठानाती है। बुकल (Buell) का कहना है कि "दुर्लभ राष्ट्रवाद सरकारों को साम्राज्यवाद का रास्ता अपनाते के लिए मजबूर कर देती है।"¹

उपनिवेशवाद की नीति और साम्राज्यवादी नीति के बीच बहुत पोज़ा अन्तर होता है। साम्राज्यवाद का अस्तित्व वहाँ समझा जाना है जहाँ कि स्थानीय विरोध को दूर करने के लिए उपनिवेश को बनाए रखने के लिए या अपना प्रभाव जमाए रखने के लिए शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक होता है। जहाँ यह शक्ति प्रयुक्त नहीं की जाती है तथा जहाँ विदेशी शासन के प्रति कोई विरोध प्रदर्शित नहीं किया जाता है वह कार्य उपनिवेशवाद कहलाता है। समुक्त राज्य अमरीका ने फिलीपाइन्स को स्पेन से छुड़ाने के बाद उस पर उपनिवेशवादी शासन लागू किया। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बीच का अन्तर विषयगत है और यह अन्तः सम्बन्धित लोगों की प्रतिक्रिया पर आधारित है। सैंडिलफोर्ड तथा लिंकन के अनुसार दो प्रकार के प्रशासनो को सामान्य रूप से साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी शासन नहीं समझा जाता। प्रथम उन सरकारीय देशों का प्रशासन जो समुक्त राष्ट्र रूप के सम्मन्धने के अधीन हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अनेक छोटे-छोटे पराधीन देशों को सरकारी परिपक्व के अधीन रख दिया गया जा कि अलग-अलग बड़े

1. Buell, Raymond L., *International Relations*, 1929, P.315.

देशों को इनमें आत्म प्रशासन की क्षमता का विकास करने का उत्तरदायित्व सौंप देती है। दूसरे, किसी अन्य राज्य के प्रदेश में अस्थायी हस्तक्षेप को भी उपनिवेशवादी या साम्राज्यवादी नहीं कहा जा सकता जो अल्पकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया हो, जैसे वहाँ रहने वाले अपनी राष्ट्रियता के लोगों की सम्पत्ति एवं जीवन की रक्षा के लिए अथवा शान्ति बनाये रखने के लिए। यहाँ हस्तक्षेप का उद्देश्य शासन स्थापित करना नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन् १९६४ में कांगो में हस्तक्षेप किया ताकि वहाँ स्थित मिशनरियों की सहायता की जा सके। सन् १९६५ में अमरीका ने अमरीकी राज्यों के संगठन के सहयोग से डोमिनिकन गणराज्यों की सेनाओं भेजी ताकि गृहयुद्ध की स्थिति पर रोक लगाई जा सके। जब अकेला राष्ट्र किसी देश के मामलों में हस्तक्षेप करता है तो उसे साम्राज्यवादी कहा जा सकता है। जब ग्रेट ब्रिटेन की सेनाओं को सन १९६५ में जम्बिया में रोबेचिया की सरकार द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों से देश की रक्षा के लिए आमन्त्रित किया गया तो ग्रेट ब्रिटेन को साम्राज्यवादी कहा गया। इन दोषारोपणों से बचने के लिए राज्य को अपने ऐसे कार्यों पर अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। कांगो, साइप्रस और अन्य स्थानों पर संयुक्त राष्ट्र सभ की अस्थायी शान्ति सेनाओं रखी गई हैं उनको साम्राज्यवाद का प्रतीक नहीं माना जाता क्योंकि उनकी प्रकृति अन्तर्राष्ट्रीय है और वे जहाँ स्थित हैं वहाँ की स्थानीय सरकार का उनको समर्थन प्राप्त है। यह माना जाता है कि इन शान्ति सेनाओं का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय समाज की ओर से शान्ति बनाए रखना है। इसलिए साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग यहाँ अपने ऐतिहासिक अर्थ में नहीं किया जा सकता।

साम्राज्यवाद की नींव के पत्थर (Foundation Stones of Imperialism)

साम्राज्यवाद का विशाल भवन क्यों निर्मित किया जाता है तथा उसके स्थिर रहने का क्या आधार है यह जानना साम्राज्यवाद के समर्थक एवं आलोचक दोनों के लिए उपयोगी एवं आवश्यक है। आधार का पोषण करके साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को उकसाया जा सकता है उसी प्रकार आधार को कमजोर करके साम्राज्यवाद के महल को भी गिराया जा सकता है। साम्राज्यवाद के अधीनस्थ क्षेत्र जिनको प्रायः प्राप्तियां (Possessions), उपनिवेश (Colonies), रक्षित राज्य (Protectorates) अर्धरक्षित राज्य (Semiprotectorates) और आश्रित राज्य (Dependent States) आदि नामों से पुकारा जाता है, आधारणतया अपनी स्थिति से कभी सतुष्ट नहीं

रहते । साम्राज्यवादी और प्रभावित राज्यों के प्राथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि हित परस्पर टकराते हैं और यही कारण है कि उनके बीच सघर्ष और कलह के भाव बने रहते हैं । कारण यह है कि साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा प्रभावितों का प्रायः शोषण किया जाता है, उनको कुचला जाता है तथा उनका इतना दमन किया जाता है कि वे स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए तिलमिला उठने हैं । प्रभावितों के सतत् और कड़े विरोध के बाद भी साम्राज्यवादी शक्तियाँ अपना पाव जमाये रखती हैं । ऐसा नया होता है यह जानने के लिए यह ज्ञात करना उपयुक्त रहेगा कि साम्राज्यवाद के उद्देश्य प्रथवा कारण क्या हैं । नीचे कुछ ऐसे ही कारणों या उद्देश्यों (Causes or Motives) का बखान किया जा रहा है—

(१) डार्विन का सिद्धान्त (Darwin's Theory)—डार्विन ने जीव विज्ञान में दो सिद्धान्तों की रचना की, पहला था जीवन के लिए सघर्ष (Struggle for existence) और दूसरा था योग्यतम की विजय (Survival of the fittest) । डार्विन ने बताया कि ये सिद्धान्त सामाजिक औपचारिक रचना (Social Organism) पर लागू नहीं होते । किन्तु फिर भी यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों का एक महत्वपूर्ण भाग बन गये । लंगर (Langer) के मतानुसार इसने विस्तार के लिए एक दिव्य अनुमोदन (Divine Sanction) प्रदान किया ।¹

साम्राज्यवाद मूल रूप से मनुष्य की लुटेरी प्रवृत्तियों का परिणाम है । जिस प्रकार छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है उसी प्रकार छोटे राष्ट्रों को बड़े और शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा शक्ति तथा हिता के सहारे शोषित किया जाता है । राज्यों के बीच में शक्ति के लिए सघर्ष (Struggle for Power) बहुत पहले से ही पाया जाता है । प्रो० शुमान (Schuman) के विचार से आधुनिक साम्राज्यवादी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा तथा विजय प्राप्त करने की लालसा की एक नई धनिष्कृति है । प्रायः सभी एनाशाह और सर्वाधिकारवादी राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद का समर्थन और अनुशीलन करते हैं । इनकी बड़ी महत्वाकांक्षाये होती है । जिस प्रकार साम्यवादी चीन विश्व को लाल कंडे के नीचे लाना चाहता है वैसे ही हिटलर भी सारे विश्व को जर्मनी के अधीन लाना चाहता था । मुसोलिनी

1 'It.....supplied a divine sanction for expansion'

—William L. Langer, "A critique of Imperialism,"
Foreign Affairs, XIV (Oct 1935), P. 109.

ने शक्ति एवं साम्राज्य प्राप्ति की दृष्टि का फामिस्ट राज्य बताया था। उनके मतानुसार साम्राज्यवाद का अर्थ प्रादुर्भूत, सैनिक और व्यापारिक विस्तार के साथ साथ साम्राज्यीय मूल्यों और नीतियों का प्रसार भी था। साम्राज्यवादो विस्तार को एक देश के द्वारा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यही कारण है कि सवाबिकारवादी राज्यों की जनता अपने तानाशाहों की नीतियों को पूरा-पूरा समर्थन प्रदान करती है। हंस कोह (Hans Kohn) के मतानुसार साम्राज्यवाद में मनोवैज्ञानिक लक्ष्यों का बड़ा महत्व है। साम्राज्यवादी देश की जनता अपने आपको राज्य से अधिक उच्च मानती है तथा साम्राज्य को अपने सम्मान, गौरव एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक।

(२) बढ़ती हुई आबादी (Growing Population)—साम्राज्यवादी विस्तार नीति को न्यायोचित ठहराते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि देश का आबादी निरन्तर बढ़ती जा रही है तथा प्रदेश उतना ही और सीमित है अतः बढ़ी हुई जनसंख्या को बसाने के लिए नए साम्राज्य बनाना और नए उपनिवेश प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। इटली, जापान आदि देशों ने समय समय पर अपनी नीतियों के समर्थन में इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए हैं। किन्तु यद्यपि यह तर्क दिल्ली की घमंतीयता की दुहाइया में अधिक अर्थ नहीं रखता है। ऐतिहासिक तथ्यों द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता है कि साम्राज्यवादी देशों की बहुत बड़ी जनता उपनिवेशों में जाकर बसती है। जितने लोग उपनिवेशों में जाकर बसने हैं तब तब देश में उठने-उत्पन्न ले लते हैं।

(३) आर्थिक उपलब्धियाँ (Economic achievements)—यद्यपि ब्रिटेन और अमेरिका के अनेक विचारक यह मानने लगे थे कि उपनिवेशों से कोई आमदनी नहीं होती (Colonies do not pay) किन्तु फिर भी आर्थिक कारण प्रारम्भ में ही साम्राज्यवाद के सबसे अधिक मौलिक कारणों में से एक रहा है। साम्राज्यवादी देशों में प्रायः कच्चे मान की कमी पाई जाती है। इस कमी का वे अपने उपनिवेशों से पूरा करते हैं। डॉ० श्याक्ट (Dr Shacht) के अनुसार विश्व की राजनीति में ज्ञान वाले अधिकांश संघर्षों का आधार कच्चे मान की प्राप्ति होता है। साम्राज्यवादी राज्य प्रायः औद्योगिक (Industrialized) होते हैं जहाँ जना उत्पादन किया जाता है जिसकी कि मांग नहीं होती। उत्पादित मान का उपभोग के लिए उपनिवेशों में बाजार खोजे जाते हैं। इसी अर्थ में चेम्बरलैन कहे करते थे कि साम्राज्यवाद का अर्थ है 'वाणिज्य'। दूसरी ओर कुछ विचारक ऐसा हैं जिनके मत में साम्राज्यवाद द्वारा वाणिज्य को अधिक लाभ नहीं मिल पाता।

ब्रूफल (Buell) के अनुमान से विश्व के व्यापार का पाचवा भाग उन देशों के साथ होता है जो साम्राज्यवाद के प्रयोग हैं जबकि स्वतन्त्र देशों के साथ होने वाले व्यापार की मात्रा १५ भाग है। साम्राज्यवाद एक देश को ऐसे अवसर प्रदान करता है कि वह विदेशों में पूजा लगा सक। अमेरिका ने विभिन्न देशों में पूजा लगा रखी है, यही कारण है कि वह उन देशों की आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करता रहता है। यह डालर कूटनीति (Dollar Diplomacy) कहलाती है। कुछ विचारकों के अनुसार तो यह जतनी ही उपयोगी तथा प्रभावशाली होती है जितनी कि एक सशस्त्र सेना। प्रो० पानर तथा परकिन्स ने साम्राज्यवाद से होने वाली इन समस्त आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन किया है।

साम्राज्यवाद का आर्थिक कारण पर्याप्त लोकप्रिय माना जाता है। साम्यवादी विचारकों ने, मुख्य रूप से लेनिन ने, तो साम्राज्यवाद को पूजावाद के अन्तर्-विरोधी का ही परिणाम माना है। लेनिन की व्याख्या के अनुसार पूजावाद में एकाधिकार की प्रवृत्ति का विनाश होना है और अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था के कारण वह खपत के लिए बाजारों की मांग करता है। पूजावादी व्यवस्था की इस मांग के कारण ही साम्राज्यवाद के सहारे अतिरिक्त भूमि प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। साम्राज्यवाद और आर्थिक तत्व के बीच इतना गहरा सम्बन्ध है कि साम्राज्यवाद के एक रूप को ही आर्थिक साम्राज्यवाद कहा जाता है। बारबारा वार्ड (Barbara Ward) के मतानुसार आर्थिक साम्राज्यवाद यह होता है जिसमें कि एक बाहरी शक्ति स्वाधीन साधन शक्ति को अपने हाथ में कर लेती है और उन्हें मुख्य रूप से या पूरा तरह से अपने लाभ के लिए प्रयुक्त करती है। आजकल यह परिभाषा अत्यन्त व्यापक मानी जाती है क्योंकि आज की आर्थिक स्थिति में विभिन्न देश आर्थिक रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में अनेक नए राजनीतिक एवं नीतिक विरोधाभास उत्पन्न होते हैं।

विदेशी आर्थिक प्रभाव व्यक्तिगत पूजा की लागत के माध्यम से हो सकता है और सरकारी आर्थिक कार्यों के माध्यम से भी। किन्तु इन नियन्त्रण की मात्रा और तरीके अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। कुछ बड़े औद्योगिक देश अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पूजा बाजार और विभिन्न व्यवस्था को मुख्यतः व्यक्तिगत उद्यमों के माध्यम से नियन्त्रित करते हैं। मध्यपूर्व से जो तेल का व्यापार किया जाता है वह बहुत कुछ विदेशी व्यक्तिगत निगमों के माध्यम से किया जाता है। यद्यपि इन क्रियाओं से स्थानीय राजनीतिक इकाइया भी सामान्वित होती हैं। जिस तरीके से आर्थिक कार्य सम्पन्न किये जाते हैं उसके

आधार पर ही यह निश्चिन किया जाता है कि इसे हम सहयोगी विश्वास के रूप में वर्गीकृत करें प्रथवा साम्राज्यवादी शोषण के रूप में। आधुनिक युद्ध में सरकार द्वारा जो विदेशी सहायता कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं उनको भी साम्राज्यवाद का प्रतीक माना जाता है।

(४) **व्यक्तिगत उपलब्धियाँ (Personal gains)**—साम्राज्यवादी अभिव्यक्तियों में बहुत से लोगों का पोषण होना है। इससे साम्राज्यवादी देश के व्यापारियों को लाभ होता है क्योंकि उनको उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा और स्रोत दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। उनको पर्याप्त रूप से कच्चा माल मिल जाता है तथा निमित्त माल की खपत के लिए बाजार भी प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार साम्राज्यवाद के साथ देश के व्यापारियों के हित जुड़ जाते हैं और यही कारण है कि वे इन नीतियों को पूरा-पूरा समर्थन प्रदान करते हैं। इन व्यापारियों के अतिरिक्त अन्य और भी लोगों का भरण-पोषण होता है। साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ विदेशी उप-वाणिज्य दूतों (Pro-consuls), कूटनीतिज्ञों (Diplomats) तथा विदेशी अर्थशास्त्र-सेवकों (Civil-Servants) के अनेक स्थान रिक्त होते हैं। फलतः साम्राज्यवादी देश के अनेक नागरिकों को इसमें रोजगार प्राप्त होता है। इन सबके अतिरिक्त साम्राज्यवादी देश की सेना का एक बहुत बड़ा भाग विदेशी खर्च पर चलता है। कहा जाता है कि सन् १९४७ से पूर्व प्रत्येक चार अंग्रेजों में से एक की जीविका का भार भारत के ऊपर आता था। साम्राज्य के कारण जिन लोगों का स्वार्थ पूरा होता है वे अधिकृत देश के स्वशासित होने के प्रत्येक उपाय का हठना से विरोध करते हैं। साम्राज्यवाद में निहित स्वार्थ रखने वालों का एक वर्ग बन जाता है जिसका सर्वत्र यही प्रयास रहता है कि साम्राज्य बढ़े और रक्षित रहे।

(५) **राष्ट्रीय सुरक्षा (Defence of the Nation)**—सुरक्षा की दृष्टि से प्रायः शान्तिप्रिय देश भी साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाने लग जाते हैं। विश्वास किया जाता है कि शान्ति का मार्ग कमजोरी नहीं है, शक्ति है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यह एक बड़ा विरोधाभास है कि यदि कोई देश शान्ति का समर्थक एवं इच्छुक है तो उसे बड़े से बड़े युद्ध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिये, क्योंकि राज्यलक्ष्मी सीता उसी का वरण करती है जो शिव के धनुष को तोड़ने की शक्ति रखता है। कमजोर देश शक्तिशाली देशों के उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकार बन जाते हैं। इस सबका निष्कर्ष यही है कि यदि आप किसी अन्य राष्ट्र का साम्राज्य बनने से बचना चाहते हैं और अपने देश की सुरक्षा चाहते हैं तो साम्राज्य-

वाद के पथ पर जाने बढिये । अपने देश की सीमाओं को शत्रु से रक्षित बनाने के लिये सीमा के निकटवर्ती इलाकों को रक्षित-राज्य, अर्धरक्षित राज्य, प्रभावकारी क्षेत्र अथवा बाधक राज्य (Buffer State) बना देना उपयोगी रहता है । उन्नीसवीं शताब्दी में रूस से भारत की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन ने अफगानिस्तान, पर्सिया और तिब्बत आदि राज्यों से बाधक राज्य (Buffer State) का काम लिया था । अधिकृत राज्यों के कच्चे मान और मनुष्य-शक्ति (Man-power) का प्रयोग करके साम्राज्यवादी देश अपनी अर्ध-व्यवस्था को भी मजबूत बना सकता है । कहते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया थी किन्तु साम्राज्यवादियों के हाथों उसे कागज के मोटी से लाल दिया गया ।

(६) साम्राज्यवाद का धार्मिक आधार (Religion as the basis of Imperialism) - धर्म के प्रचारकों और साम्राज्यवादियों के हित प्रायः एक स्थल पर जाकर मिल जाते हैं । जहाँ धर्म प्रचारक यह चाहता है कि उसकी बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य की शक्ति उसका समर्थन करे और साम्राज्यवादी यह सोचता है कि उसकी नीतियों की बर्बरता को ढकने के लिए, जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए और नीतियों को एक आदर्शवादी रूप प्रदान करने के लिए धर्म-प्रचारकों का सहयोग मिल जाय । फलतः दोनों का स्वार्थपूर्ण गठबन्धन हो जाता है और सेनाएँ 'जिहाद' का 'धर्म युद्ध' का नाम लेकर साम्राज्यवादियों की महत्वाकांक्षाओं को संपूर्ण तृप्ति को तृप्त करने के लिए आगे बढ़ती चली जाती हैं । इतिहास में ऐसे गठबन्धनों द्वारा साम्राज्य निर्माण के उदाहरणों की कमी नहीं है । सत्रहवीं शताब्दी में 'श्याम' पर फ्रांस का अधिकार जेसुइट (Jesuit) धर्म-प्रचारकों द्वारा किया गया था । अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार में लन्दन की धर्म-प्रचार-समिति (Missionary Society) ने बहुत उल्लेखनीय कार्य किया था । अमरीकन राष्ट्रपति काल्विन कुलिज (Calvin Coolidge) का कहना था कि अमरीका द्वारा जो सेनाएँ विदेशों में भेजी जाती हैं उनके साथ ललवार नहीं होती वरन् 'शाम' (X) होता है ।

धर्म-प्रचार का प्रभाव साम्राज्यवाद के निर्माण में तो अनुकूल रहता है किन्तु जब उसकी रक्षा का प्रश्न आता है तो धर्म-प्रचार अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद के बन्धनों को ढीला करता है । भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारणों में धर्म-सुधार आन्दोलनों का बड़ा महत्व है । ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीयों को सुशिक्षित, जागरूक, स्वतन्त्रता-प्रेमी एवं मानवतावादी

बना कर अनजाने ही साम्राज्यवादियों का विरोध करने के योग्य बना दिया गया था ।

(७) मानवतावादी दृष्टिकोण (Humanistic outlook)—साम्राज्यवादी नीतियों के समर्थक मानवतावादी तर्कों के आधार पर अपने पक्ष का पोषण करते हैं । यह कहा जाता है कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ निम्नोद्भूत देशों में प्राप्त अज्ञान, अविकसित शासन, न्याय सम्बन्धी आदिम विचार आदि बुराइयों को दूर करके वहाँ ज्ञान, विकसित शासन तथा आधुनिक विचारों की स्थापना करती हैं । अल्पवय देशों में जहाँ दासता, मनुष्य मक्षण, कर्जदारी, मूढबोरी आदि की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, साम्राज्यवादी देशों द्वारा सम्यता का दीप जलाया जाता है । साम्राज्यवाद के समर्थक सीनेटर बेवरिज (Beveridge) का कहना था कि ईश्वर ने हमें (अमेरिकियों को) प्रशासकीय दक्षता प्रदान की है और हमारा यह कर्तव्य है कि जगलियों तथा अशक्तों के ऊपर शासन करें । सन् १८६३-६० में डिजरेनी (Disraeli) ने घोषणा की थी कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम अफ्रीका को सम्य बनाने के कार्य में हाथ बटायें । साम्राज्यवादी देशों के अधिकांश विचारक साम्राज्यवाद की मानवता की कसौटी पर वाद्यनीय ठहराते हैं ; किन्तु अधिकांश राज्यों अथवा साम्राज्यवादी शक्तियों से शामिल राज्यों के कोई विचारक इस दृष्टिकोण के पक्ष में नहीं हैं । अल्पवादस्वरूप कुछ विचारकों को छोड़ कर अधिकांश तो साम्राज्यवाद के काले कारनामों का ही विवरण करते हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाना है कि मानवतावादी तर्कों द्वारा साम्राज्यवाद को न्यायोचित ठहराना तथा इसे काले लोगों को सम्यता सिखाने के गोरे लोगों के उत्तरदायित्व (The white man's burden) की पूर्ति बताना एकपक्षीय और इस प्रकार भ्रामक एवं असत्य तर्कों पर आधारित है ।

साम्राज्यवाद के रूप

[Forms of Imperialism]

साम्राज्यवाद को चाहे पामर तथा परकिन्स द्वारा परिभाषित अर्थ में लिया जाये अथवा मार्गन्थो द्वारा परिभाषित अर्थ में, हम देखते हैं कि मात्रा और गुण के अनुसार इसके कई रूप हो सकते हैं । यदि 'साम्राज्यवाद' सर्वोच्च तथा अधीनस्थ (Superior and inferior) के बीच शक्ति सम्बन्धों (Power relations) का नाम है तो हमें यह भी देखना होगा कि उच्चता (Superiority) किन-किन विषयों पर है, किन विषयों पर नहीं है—

पूर्वोच्चता का प्रयोग कित प्रकार किया जाता है। इस दृष्टि से साम्राज्यवाद के निम्न रूप हो सकते हैं—

- १ संरक्षित तथा अर्धसंरक्षित राज्य (Protectorate and semi-protectorate)
- २ प्रभाव के क्षेत्र (Spheres of influence)
- ३ बाह्य प्रादेशिकता (Extra territoriality)
- ४ अनौपचारिक नियंत्रण (Informal control)
- ५ शुल्क का नियंत्रण (Tariff control)
- ६ संयुक्त विदेशी प्रशासन (Condominium)
- ७ आर्थिक नियंत्रण (Financial control)
- ८ पट्टा (Lease hold)

साम्राज्य-निर्माण में जो साधन अपनाये जाते हैं उनके अनुसार मार्क्सवो ने साम्राज्यवाद के तीन रूपों का वर्णन किया है। उनके मतानुसार साम्राज्यवाद की स्थापना के लिए सैनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीन साधनों को अपनाया जा सकता है। ये साम्राज्यवाद के साधन हैं साध्य नहीं। साध्य भी तीन प्रकार के हो सकते हैं—

- १ राजनैतिक रूप से सङ्गठित सारी पृथ्वी पर शासन करना,
- २ केवल महाद्वीपीय प्रदेशों पर राज्य करना।
- ३ स्थानीय प्रदेशों पर राज्य करना।

इन साधनों को प्राप्त करने के लिये जो सैनिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक साधन अपनाये जाते हैं उनको प्रायः साध्य समझने की भूल कर दी जाती है। साधनों के अनुसार साम्राज्यवाद का रूप भी बदल जाता है। सैनिक साम्राज्यवाद में सैनिक विजय (Military conquest) की जाती है, आर्थिक साम्राज्यवाद में दूसरे लाला का आर्थिक शोषण किया जाता है; सांस्कृतिक साम्राज्यवाद में एक संस्कृति के स्थान पर दूसरी संस्कृति की प्रतिष्ठापना की जाती है। इन तीनों ही रूपों के आधीन जो भी नीतियाँ अपनाई जाती हैं उनका लक्ष्य साम्राज्यवादी, अर्थात् वस्तु-स्थिति (Status-quo) को बदलना होता है।

साम्राज्यवाद का सबसे स्पष्ट और अत्यन्त प्राचीन रूप सैनिक विजय है। प्रायः तक जितने भी विजेता हुए हैं वे प्रायः सभी बड़े-बड़े साम्राज्यवादी थे। सैनिक साधनों से जब साम्राज्य निर्माण का कार्य किया जाता है तो

इसकी प्रतिक्रिया हारे हुए राज्यों पर बड़ी शीघ्रतापूर्वक होती है और वे भी उन्हीं साधनों एवं नीतियों को अपनाते हैं जो साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा अपनायी गयी थी। इस प्रकार 'साम्राज्यवाद' साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देता है। साम्राज्यवाद का दूसरा रूप 'डालर साम्राज्यवाद' कहलाता है। यह आधुनिक युग की उपज है तथा ऐनिक साम्राज्यवाद की तुलना में कम विध्वसात्मक तथा कम प्रभावशाली है। इन दोनों से भिन्न सांस्कृतिक साम्राज्यवाद एक सूक्ष्म साधन है। यदि कोई देश इसका सफल प्रयोग कर सके तो यह माना जायगा कि उसकी साम्राज्यवादी कुशलता तीक्ष्ण है। मार्सेन्यो कहते हैं कि साम्राज्यवाद के इस रूप का उद्देश्य न तो प्रदेश जीतना है और न उसके आर्थिक जीवन पर नियंत्रण करना, इसका लक्ष्य तो व्यक्तियों के मस्तिष्कों को जीतना व उस पर नियंत्रण-करना है ताकि दो देशों के बीच के शक्ति सम्बन्धों को बदला जा सके। आजकल सांस्कृतिक साधनों को साम्राज्यवाद के अन्य साधनों के सहायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके द्वारा शत्रु को नमू बना कर सैनिक आक्रमण के लिए भयवा आर्थिक शोषण के लिए भूमि तैयार की जाती है।

साम्राज्यवाद का मूल्याङ्कन (Imperialism : An evaluation)

अंग्रेजी साम्राज्यवाद के बारे में प्रायः यह कहा जाता था कि अंग्रेजी साम्राज्य विश्व-व्यापी न्याय और उदारता का चिरन्तन स्रोत (Perennial spring) है जिस पर कभी सूर्य अस्त नहीं होता। कोन्ह (Kohn) का विचार है कि एशिया और अफ्रीका में जातीय एवं आर्थिक शोषण, गरीबी और युद्धों की रचना करने वाला साम्राज्यवाद नहीं था क्योंकि ये सारी बातें वहाँ पहले से ही वर्तमान थी। एशिया के लोग एशिया के दूसरे निवासियों को दास बनाते थे तथा अफ्रीकी जातियाँ दूसरी अफ्रीकी जातियों को अपना दास बना लेती थी। कान्हु महाशय के अनुसार पश्चिमी साम्राज्यवाद के अन्य शोष हो सकते हैं किन्तु यह तो सच है कि इन प्रदेशों में उन्होंने जागृति फैलाई और सम्यता का पाठ पढ़ाया। पामर और परकिन्स के मतानुसार साम्राज्यवाद के समर्थकों द्वारा जो ठर्क प्रस्तुत किये जाते हैं उनमें बहुत कुछ सत्य (Much truth) है।

साम्राज्यवाद के साम और हानियों का लेखा-जोखा करने के बाद अधिकांश विचारक इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यह एक बुराई है। इससे प्राप्त होने वाले जिन लाभों की प्राप्ति की जाती है वे काल्पनिक अधिक हैं। यदि वे

प्राप्त भी होते हैं तो इस रूप में प्राप्त होते हैं कि उनका महत्व ही समाप्त हो जाता है। साम्राज्यवाद का इतिहास हिंसा, युद्ध, दमन, शोषण, असमानता और वर्बरतापूर्ण कारनामों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि साम्राज्यवाद से होने वाले तथानुचित लाभ उनकी हानियों की तीव्रता की थोड़ा कम कर देते हैं किन्तु इनके आधार पर इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। साम्राज्यवाद विज्ञान-शक्ति के लिए राह के प्रमात्र है। डिनोय विश्व युद्ध से पूर्व बार्नेस (Barnes) ने लिखा था कि ब्रिटेन इतने बड़े साम्राज्य का भरेला ही स्वामी है यह बात विश्व शान्ति से मेल नहीं खाती, क्योंकि सत्तार के अन्य पूज्यवादी देशों की यह शिवायन रहनी थी कि इसके कारण उनको सत्तार के व्यापार और भू प्रदेशों में उचित भाग नहीं मिल पाता। ऐसे अग्रानुष्ठानावरण में विश्व शान्ति 'बच्चे घरों पर भूचयी है।'

साम्राज्यवाद अमानवीय है। साम्राज्यवाद के समर्थन में यह तर्क दिये जाते हैं कि 'यह मनुष्यों को इसलिए पराधीन-गुलाम बनाना है ताकि वे स्वतंत्रता का महत्त्व सीख सकें, यह उनका इसलिए दमन करता है ताकि उनमें स्वतंत्रता के लिए प्रेम उत्पन्न हो सके, उनका इसलिए आर्थिक शोषण किया जाता है ताकि वे गरीब और हीन बनने के बाद उद्योगों में मजदूर होकर पहल करना सीखें तथा साम्राज्यवाद में अधिभूत प्रदेशों की जातियों को इसलिए हीन और तुच्छ समझा जाता है, जिनसे कि उनमें आत्म सम्मान तथा परस्पर एकता की भावनाएँ आ सकें।' य मसी तक बड़े हान्यस्पर्द हैं तथा उद्देश्य और परिणाम में भ्रम पैदा करने के लिए प्रायः प्रस्तुत किये जाते हैं। यह ही सचता है कि साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया के रूप में ये सब परिणाम उत्पन्न हो किन्तु साम्राज्यवाद इन परिणामों को अपना लक्ष्य बना कर कभी नहीं चलता। व्यवहार में हम देख सकते हैं भारत में राष्ट्रीय आन्दोलनों की साम्राज्यवादी सरकार द्वारा किस प्रकार दबाया गया था, भारतीयों की राजनीतिक प्रवृत्तियाँ एवं स्वतंत्रताएँ कितने त्याग, बलिदान के बाद कठुनी के साथ ही गई थी। अब यह कह कर विश्व को भुत्ताया नहीं दिया जा सकता कि इन सब नीतियों के पीछे 'दूट डालो और राज्य करो' के व्यवहार के पीछे भारतवासियों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था। कोई यह स्वीकार नहीं कर सकता कि जनरल डायर ने भारतीयों को मर्गिन गनों से इसलिए भूना जिससे कि उनका दूसरा जन्म दिनी स्वतंत्र और समृद्ध देश में हो। पार्कर मून (Parker Thompson Moon) के मजानुसार अनेक पहल-पहल भारत में धाये और आकर बस गये। इसका कारण यह नहीं है कि वे भारत की भलाई चाहते थे बल्कि यह कि वे ब्रिटेन को मचाई चाहते

थे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत में अंग्रेजी कानून के शासन (Rule of law) का लक्ष्य जनता का शोषण था। चाहे जितनी बातें बनाई जायें, भूँटे घाबड़े दिरंगा कर चित्र को उजवा बिपा जाग किन्तु अनेक गावा में उस समय जो हड्डियों के चलने-फिरते ढांचे दिखते थे उनके कारण सत्यता पर धूल नहीं डाली जा सकती।

साम्राज्यवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी है। राजनीतिक दासता को साम्राज्यवाद का अभिन्न अंग माना जाता है। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा स्थापित निरन्तर पराधीनता में रहने वाले लोग स्वतंत्रता को अपना सम्पत्ति अधिकार बहुत दिनों बाद समझ पाते हैं। हंसो ने ठीक ही कहा था कि यदि ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रकृति से ही दास हैं तो इसका कारण यह है कि पहले प्रकृति के विरुद्ध उनको दास बनाया गया होगा।

साम्राज्यवाद के पक्षपातियों द्वारा स्वतंत्रता की जागृति लाने के लिए लोगों को दास बनाने का जो तर्क दिया जाता है उसकी असत्यता को प्रो० हाकिंग (Hoking) ने बड़े सीधे और सरल शब्दों में व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि एक अच्छा गुल्म सदैव यह चाहता है कि उसका शिष्य योग्य एवं स्वावलम्बी बने और इसीलिए वह शिष्य की सारी समस्याओं को हल करके नहीं देता। अपने शिष्य की आन्तरिक शक्तियों के विकास को वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता है। इसी प्रकार निवारकों की समस्या का हल यह नहीं है कि हम उनको भीस बाट दें किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें आजीविका कमाने की शिक्षा तथा प्रेरणा दी जाय।

साम्राज्यवाद अधिभूत देशों की जनता के चहुँमुखी विकास के विरुद्ध तो है ही किन्तु यह स्पष्ट साम्राज्यवादी देशों की जनता के हित में भी नहीं है। लोग पालतू कुत्तों को प्रायः इसलिए मास नहीं देते कि कहीं कहीं दिन भूल से वह अपने स्वामी को ही न काट ले। यह अन्देश साम्राज्यवादी शक्तियों पर चरितार्थ हो गया है। जो सरकार अपनी उपनिवेशी जनता पर निरन्तर गत्याचार डालती हैं, उनका शोषण और दमन करती हैं वरना वह अपने देश की जनता को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान कर सकेगी यह आशा नहीं की जा सकती। कुछ विचारकों के अनुसार स्वाधीनता के प्रति स्वाधीनता-प्रेमी शक्तियों का मौलिक उत्साह भव बुण्डित हो चुका है। इसका कारण उन सैनिक अत्याचारों तथा बड़े प्रतिबंधों को बताया जाता है जो उनके देशवासियों द्वारा विदेशी जनता पर निये गये थे।

साम्राज्यवाद के उपर्युक्त दोषों को दूर करने के बाद अनेक विचारकों के मस्तिष्कों को तन्त्रियों में एक ऋकार हुई। वह विचार किया जाने लगा कि

साम्राज्यवाद का विरोध किस प्रकार किया जाय । कुछ विचारकों ने साम्राज्यवाद को समाप्त करने की बजाय उसे सशोषित करने के उपाय प्रस्तुत किये हैं । पार्कर मून (Parker Moon) का कहना है कि साम्राज्यवाद मध्य-विक्टोरियन युग का बचा युवा अंश है जो एक नितान्त गैर-विकटारियन युग में कायम है । यदि सुरुभूत काल में साम्राज्यवाद अपना श्रेष्ठित्य सिद्ध करना चाहता है तो उसे शोषण-मूलक न होकर उत्तरदायित्व मूलक होना चाहिए । कुछ विचारकों के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की भावना का प्रचार करके लोगों की मनोवृत्ति को बदलना साम्राज्यवाद को बदलने, सशोषित करने का अन्त करने की पूर्व आवश्यकता है । दूसरे लोग साम्राज्यवाद को सशोषित करने के लिए निम्न सुझाव देते हैं—

- १ गौरी जाति को उच्चता प्रदान नहीं की जानी चाहिए;
- २ साम्राज्यवादी देश मजदूरों का शोषण न करें,
- ३ पिछड़े देशों में व्यक्तिगत पूँजी के प्रयोग को निर्मितन रचना चाहिए,
- ४ पिछड़े देशों को स्वाशासन के योग्य बनाया जाय;

५ बार्नेम् (Barnes) के मतानुसार साम्राज्यवाद की जड़ें हिलाने के लिए उसके मुख्य आधार पूँजीवाद पर चोट की जाय । यह अन्धा रहेगा कि मातृ देश में पूँजीवाद के स्थान पर समाजवाद को स्थापना की जाय ।

पूँजीवाद का विरोध करने के लिए मार्गो-यो ने उन नीतियों का वर्णन किया है जो विभिन्न देशों द्वारा समय समय पर अपनायी जाती रही हैं । ये नीतियाँ मुख्य रूप से तीन हैं—

- १ तुष्टीकरण की नीति (Policy of appeasement)
- २ घेराबन्दी की नीति (Policy of containment)
- ३ भय की नीति (Policy of fear)

मार्गो-यो का कहना है कि साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया के रूप में जब कोई राष्ट्र तुष्टीकरण की या भय की नीति अपनाता है तो उसके कार्यों का परिणाम प्रायः साम्राज्यवाद को सङ्गठित व अधिक शक्तिशाली बनाने में फलित होता है । साम्राज्यवाद का प्रतिरोध करने के मार्ग में कई कठिनाइयाँ हैं । प्रथम कठिनाई तो यह है कि विजय (Conquest) की नीति को सभी साम्राज्यवादी माना जा सकता है जबकि यह वस्तु-स्थिति (Statusquo) को बदलने का प्रयास करे किन्तु यह अन्तर बरना बड़ा कठिन कार्य है कि कौन सी नीति वास्तव में साम्राज्यवाद की परिधि में घाती है और कौनसी

नहीं। दूसरी कठिनाई यह है कि जब एक देश वस्तुस्थिति को बनाये रखने की नीति अपनाता है तो यह निश्चित नहीं रहता कि वह कब अपनी इस नीति को छोड़कर साम्राज्यवादी बन जायेगा। तीसरी कठिनाई यह है कि जब तक एक देश स्पष्ट रूप से क्षेत्रीय विस्तार की नीति अपनाता है तो उसकी अन्य नीतियों के उद्देश्यों को भी 'भूमि' (Territory) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात् यह कहा जा सकता है कि यह देश प्रमुख प्रदेश पर अपना प्राधिपत्य जमाना चाहता है किन्तु परेशानी तो एक देश द्वारा अपनाई गई सांस्कृतिक तथा धार्मिक नीतियों का उद्देश्य बनाते समय होती है। यह जानना बहुत मुश्किल है कि एक देश द्वारा अपनायी जाने वाली सांस्कृतिक एवं धार्मिक नीति का उद्देश्य साम्राज्यवादी है अथवा नहीं। स्वित्जरलैंड द्वारा विश्व क्षेत्र में सक्रिय धार्मिक नीतियों अपनाई जाती हैं किन्तु उनको साम्राज्यवादी नीति नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार स्पेन का लैटिन अमेरिका की संस्कृति में प्रवेश साम्राज्यवाद की दृष्टि से कोई मदद नहीं रखता क्योंकि अमेरिका की तुलना में स्पेन की शैक्षिक शक्ति इतनी नहीं कि स्पेन द्वारा शक्ति सम्बन्धों को अपने पक्ष में परिवर्तित करने का कोई प्रयास किया जा सके। इन समस्याओं परेशानियों के बावजूद भी यदि यह प्रमाणित हो जाय कि एक देश की नीति साम्राज्यवादी है तो एक दूसरी कठिनाई या उपस्थित होती है वह यह कि इस बात का निश्चय कैसे किया जायेगा कि इस साम्राज्यवाद का लक्ष्य क्या है। अर्थात् यह देश केवल क्षेत्रीय प्राधिपत्य चाहता है या महाद्वीपीय अथवा सम्पूर्ण पृथ्वी पर ही शासन करना चाहता है। सफलताओं और बदली हुई परिस्थितियों के साथ-साथ प्रायः साम्राज्यवाद का लक्ष्य भी बदलता रहता है। पृथ्वी पर शासन करने का लक्ष्य लेकर चलने वाला देश जब प्रारम्भिक प्रयासों में ही सफल नहीं हो पाता तो उसे अपना लक्ष्य बदलना पड़ता है। उसी प्रकार एक राज्य जो केवल स्थानीय प्रदेशों पर ही अधिकार करने का लक्ष्य लेकर चले और इस लक्ष्य में सफल हो जाय तो वह महाद्वीप की जीतने का और बाद में सारी पृथ्वी पर शासन करने का उद्देश्य भी बन सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि साम्राज्यवाद में एक गतिशील ताकत (Dynamic Force) है। इस प्रकार साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ तथा उनकी प्रतिक्रियावादी नीतियाँ कभी निश्चिन नहीं होती। ये दोनों ही बदलती रहती हैं तथा इनका मूल्यांकन भी समय-समय पर होता रहता है।

साम्राज्यवाद का प्रतिरोध करने की पाचवी तथा अठारहवीं कठिनाई यह है कि यह घाने आपकी इस रूप में प्रदर्शित करना है कि इसके सही रूप

को नहीं समझा जा सकता। एक देश की विदेश नीति प्रथम साम्राज्यवादी नीति जैसी लगती है और जैसी वह वास्तव में होती है—इन दोनों के बीच भारी अन्तर रहता है। आज सम्पूर्ण-युद्ध के युग में यह आवश्यक हो गया है कि साम्राज्यवाद के प्रसार को रोका जाय, उसका रूप परिवर्तित किया जाय और हों सके तो उसे समाप्त किया जाय। समुक्त राष्ट्रमण्डल तथा अन्य शक्ति के द्रुत साम्राज्यवाद के रूप की विध्वंसकर्ताओं को घटाने व इसके प्रसार को कम करने में प्रयत्नशील हैं किन्तु उनको कितनी सफलता प्राप्त हो सकेगी इसका निर्णय तो भविष्य ही करेगा।

पश्चात्त्य उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद (Western Colonialism and Imperialism)

पश्चिमी देशों में साम्राज्यवाद का विकास किसी एक राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्य से नहीं किया गया। ईसाई मिशनरी के लक्ष्य तथा गोरे लोगों का उत्तरदायित्व के विचार ने अधिकांश प्रथमस्थ लोगों को सुधारने के नाम पर साम्राज्यवादी व्यवहार को अधिष्ठान प्रदान किया। ईसाई मिशनरियों के प्रयासों के बाद व्यापारिक एवं राजनीतिक नियन्त्रण प्रारम्भ हो जाता था। साम्राज्यवाद के अनेक लक्ष्य शक्ति और धार्मिक उद्देश्यों के साथ मिल कर कार्य करते हैं। अनेक पश्चिमी देशों ने समुद्र पार के देशों में जो साम्राज्य स्थापित किए थे कुछ तो उनके सांठसिक कार्यों के परिणाम थे; कुछ प्रभावित लोगों के आलम्ब, अज्ञान एवं भ्रूट के परिणाम थे। उन्नीसवीं शताब्दी में एक देश के पास जिनके उपनिवेश होते थे और जिनके प्रभाव का क्षेत्र जितना अधिक होता था उसे जितना ही अधिक शक्तिशाली समझा जाता था और सम्मान दिया जाता था। फ्रांस को अपने कुछ उपनिवेशों से तो वस्तुओं के रूप में लाभ होता था और अन्य में केवल सम्मान और स्थिति ही प्राप्त होनी थी। पश्चिमी शक्तियों ने न केवल सम्मान और शक्ति की प्राप्ति के लिए ही बरन् अपने मुख्य हितों की रक्षा के लिए भी विदेशों में प्रदेशों की खोज की। समुक्त राज्य अमरीका पनामा नहर की रक्षा करना चाहता था। इसलिए उसे क्वान्तरामरे और इजिप्त आदि द्वीपों पर अधिकार करना पड़ा। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन भारत, सिंगापुर, हांगकांग और आस्ट्रेलिया के लिए सुरक्षित मार्ग चाहता था इसलिए उसे भूमध्य सागर और हिन्द महासागर पर अधिकार करना पड़ा। उपनिवेशवाद के समर्थक यह तक करते हैं कि उपनिवेशों के द्वारा अनिश्चित जनसंख्या के लिए निवास स्थान प्रदान किया जाता है। किन्तु इस तर्क को अनेक उदाहरणों की साक्ष्यकीय के द्वारा गलत सिद्ध किया जा

मक्ता है। सन् १९१४ में जर्मनी ने अफ्रीका में नौ लाख इन्तनीम हजार वर्ग मील भूमि पर अपने उपनिवेश बनाए। इनकी जनसंख्या वारह मिलियन थी। किन्तु इनमें से केवल बीस हजार लोग ही जर्मन के निवासी थे। अमल में जर्मनी वालों की इससे अधिक जनसंख्या परिम में रहती थी। इस प्रकार जनसंख्या का तर्क तथ्यमय नहीं है यह साम्राज्यवाद को न्यायोचित सिद्ध करने में महत्वपूर्ण हो सकता है।

साम्राज्यवाद कभी-कभी अतिरिक्त साम्राज्यवाद को परित करता है। एक साम्राज्यवादी देश जब दूसरे देश के प्रदेशों पर अधिकार कर लेता है तो वह प्रभावित देश अपनी क्षति पूर्ति के लिए किसी अन्य देश के प्रदेशों पर अधिकार कर लेता है। हिटलर, मुसोलिनी तथा तोमो, प्रादि ने यह दावा किया था कि शोषित शक्तियों के रूप में यह देश समुद्र पार के प्रदेशों पर नियन्त्रण रखने का अधिकार रखते हैं। इस प्रकार सन् १९३६ में पूर्व के उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के लिए विभिन्न प्रकार के राजनीतिक और रणनीतिक सम्बन्धी अधिष्ठान प्रदान किए गए। प्रत्येक जगह पर केवल एक ही सूत्र का लागू नहीं किया गया। प्रत्येक तर्क एक समय न्यायपूर्ण प्रतीत होता था, किन्तु बाद में इनके विच्छेद दिए जाने वाले तर्कों को न्यायपूर्ण बन जाने थे।

पश्चिमी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का धीरे-धीरे पतन हुआ। इस दृष्टि में ब्रिटिश न. जो. उपनिवेश विरोधी नीति अपनाई वह सबसे अधिक प्रभावशाली मानी जाती है क्योंकि उसने ५३० मिलियन में भी अधिक लोगों को स्वतन्त्रता प्रदान की। सन् १९६६ में ब्रिटिश साम्राज्यवाद में केवल ३० छोटे-छोटे अस्थिर प्रदेश थे जिनकी जनसंख्या ६ मिलियन से भी कम थी। ब्रिटिश ने अपने साम्राज्यवाद को एक नियोजित तरीके से सीमित किया और यह प्रयत्न किया कि नव स्वतन्त्रता प्राप्त राज्यों में स्थायी सरकार बनें, प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हो और एक शक्तिशाली वर्ग जन्म ले। इनके अतिरिक्त इन राज्यों को राष्ट्र मण्डल में मिलाए रखा गया ताकि सामान्य हितों एवं विचारों की निरन्तरता बनी रहे। ये सब परिवर्तन बिना अधिक संघर्ष और हिंसा के ही हो गए। यद्यपि कुछ देशों में स्वतन्त्रता आन्दोलन बहुत लम्बा और गम्भीर रूप में चला तथा स्वदेशी सनाथों को दवान और जेल में रखने की नीति अपनाई गई। रोडेजिया ही एकमात्र ऐसा देश माना जाता है जिसे ब्रिटिश ने ब्रिटिश के समर्थन के ही स्वतन्त्रता की एकपक्षीय घोषणा कर दी। राष्ट्र मण्डल के सदस्यों का पारम्परिक सम्बन्ध उस समय उत्तरे में पड़ गया जब इनकी सदस्यता बढ़ गई और दक्षिण अफ्रीका

की ज़ानि भेदभाव की नीतियों ने अफ्रीका और एशिया के देशों के बीच मन-मुटाव पैदा कर दिया। पहले अफ्रीकी राज्यों के दबाव में आकर सन् १९६४ में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र मण्डल में अलग हो गया।

फ्रान्स के साम्राज्य की समाप्ति इसके कुछ कम मरत रूप में हुई। हिन्द-चीन (Indo China) में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी अधिकार ने फ्रान्स की शक्ति को कमजोर कर दिया। विमतनाम के साम्यवादियों की सैनिक प्राणियों के परिणामस्वरूप यह क्षेत्र सन् १९५४ में चार भागों में बांट दिया गया। य वे—उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया। फ्रान्स को अल्जीरिया के सम्बन्ध में कुछ छेड़ता पडा चिन्तु मन् १९५८ में जनरल डिगाल ने उपनिवेशवादी नीति को विपरीत बना कर अल्जीरिया को स्वतन्त्रता प्रदान की। डिगाल के नेतृत्व में एक प्रभुवादी सरकार की रचना की गई। यह प्रिति राष्ट्र मण्डल के विचार पर आधारित था। फ्रान्स के समी प्रकीर्ण देश को स्वतन्त्रता प्रदान की गई और गिनी को छोड़ कर इन समी ने इन सरकार न रहना स्वीकार किया। चिन्तु यहा यत्ने हुए राष्ट्रवाद के प्रभाव ने अग्र ही सम्बन्ध को सीता कर दिया।

समुक्त राज्य अमरीका ने अपने प्रमुख उपनिवेशों को द्वितीय विश्व युद्ध के तुरन्त बाद स्वतन्त्रता प्रदान कर दी। द्वितीय स्वतन्त्र हो गया, प्योर्टो रिका (Puerto Rico) को राष्ट्र मण्डल का स्तर प्रदान किया गया और एलासका तथा हवाई को संघ के राज्य बना दिया गया। समुक्त राज्य अमरीका ने बर्जिन द्वीप, अमरीकी सामोआ, म्यान तथा प्रगन्त महानगर के कुछ द्वीपों पर अधिकार बनाए रखा।

अफ्रीकी राष्ट्रवाद के दबाव के कारण बेनिन को मन् १९६० में कागो स्वतन्त्र करना पडा, यद्यपि इस समय कागो के लोग स्थायित्त सरकार के लिए तैयार नहीं थे। फलन राजनैतिक अन्वयस्था पंजी और समुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं द्वारा सरकार को स्थायित्व प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया। कागो में साम्यवादी शासन की स्थापना की पूरी सम्भावनायें थी, चिन्तु पश्चिमी छूटनीति की सजाता एक समुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिजिया के कारण ऐसा न हुआ।

पुर्गाल और स्पेन के साम्राज्य अब भी बाकी हैं। पुर्गाल का यह दावा है कि अज़ोरा और मोज़ामबीक उसके देश के ही प्रान्त हैं। यह तर्क उपनिवेशवाद के अफ्रीकी आलोचकों को मन्वीपजनक प्रतीत नहीं होता। इन क्षेत्रों के लोगों को स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए तैयार करने की दिशा में प्रयत्न

कम धार्य किया गया है। स्वेन अपने उपनिवेशों के सम्बन्ध में बहुत जागरूक हो कर चल रहा है। अभी तक वह दराचों के प्रथीन नहीं आया जो कि पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका पर आए है।

सन् १९५५ के बाद से एक ऐसा समय शरम्भ होता है जिसमें पुराने साम्राज्यों से नए राज्यों का उदय हुआ। यद्यपि अधिकांश बड़े क्षेत्र एवं जनसंख्या वाले राज्य स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुके हैं किन्तु फिर भी यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। नव स्वतन्त्रता प्राप्त राज्यों में यद्यपि स्थायी स्वतन्त्र अस्तित्व की मूल बातों का अभाव है किन्तु फिर भी वहाँ स्वतन्त्रता, समानता और स्थिति के लिए जो दबाव डाले जाते हैं उनका विरोध नहीं किया जा सकता। यह सब अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के तथ्य हैं।

साम्यवादी साम्राज्यवाद (The Communist Imperialism)

पश्चिमी विचारकों, लेखकों एवं कूटनीतियों का मत है कि एक तरफ पुराना साम्राज्यवाद समाप्त हो रहा है और दूसरी तरफ साम्राज्यवाद की नई शक्ति हमी और चीनी साम्यवाद के रूप में जन्म ले रही है। अनुमानतः सन् १९४५ से अब तक लगभग ८० करोड़ लोगों को पश्चिमी शक्तियों से स्वतन्त्रता प्राप्त हो चुकी है और लगभग इतनी ही संख्या में लाग साम्यवादी अधिनार के नीचे आ गए हैं। साम्यवादी विचारधारा को साम्राज्यवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सर्वहारा वर्ग की विषय व्यापी तानाशाही की स्थापना के लिए शक्ति और क्रांति के प्रयोग का दावा करती है। फ्रांस, रूस, चेक, स्लोवाक, सिङ्गापुर के अनुसार अब पूँजीवादी राज्य और साम्राज्यवादी राज्य परस्पर एक हो जाएंगे तो एक साम्यवादी राज्य राध की रचना होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साम्यवादी अनेक नीतियों का प्रयोग करते हैं जो इस मान्यता पर आधारित है कि पहले सभी राज्य समाजवादी बन जाएंगे और फिर वे साम्यवादी बन जाएंगे। साम्यवादी नेता बदलती हुई परिस्थितियों को यथास्थिति मान कर चलते हैं। वास्टर लिप्पमैन ने सन् १९५८ में निकिता ख्रुश्चेव के साथ विचार विमर्श करन के बाद यह पाया कि पश्चिमी शक्तियाँ यथास्थिति उभर स्थिति को कहती हैं जो उस क्षण मौजूद है किन्तु साम्यवादी नेता उभर शक्ति-कारी परिवर्तन की प्रक्रिया को यथास्थिति कहते हैं जो चल रही है। साम्यवादी साम्राज्यवाद ने पूर्वी यूरोप, उत्तरी कोरिया, बाह्य मङ्गोलिया

और उत्तरी विदलनाम पर नाम मात्र के लिए स्वतन्त्र राज्यों पर राजनीति, शैतिक एवं आर्थिक नियन्त्रण स्थापित कर लिया है। इसके अतिरिक्त यह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका की राष्ट्रवादी क्रान्तियों का शोषण करके उन्हें धनिम रूप से साम्यवादी शासनो की स्थापना की और मोड़ देता है। इस और चीन प्रमुख साम्यवादी देश होने के नाते साम्यवादी साम्राज्यवाद के मुठर नता है।

सोवियत साम्राज्यवाद (Soviet Imperialism)

पूर्वो यूरोप के देशों में सोवियत साम्राज्यवाद ने एक सामान्य रूप धारण किया है। सन् १९४५ से सन् १९४७ तक साम्यवादी अपनी शक्ति को स्थापित एवं एकीकृत कर रहे थे। उन समय विचारधारा पर अधिक जोर नहीं दिया गया और जनता के प्रजातन्त्रों को समाजवाद के लिए विभिन्न मार्ग अपनाते की अनुमति दी गई जो वे जाल रचना के अधीन रह कर ही अपना सकते थे। स्टालिन के शासन के अन्तिम वर्षों के दौरान इन देशों पर नियन्त्रण की मात्रा बढ़ा दी गई। किन्तु इस तानाशाह की मृत्यु के बाद पोलैंड और हंगरी में जातियां हुईं। उसके बाद सोवियत सभ और चीन के बीच सघष पैदा हुआ। उसके बाद ज्यों ही चीन की प्रशुशक्ति बढ़ी त्योंही यहा क राष्ट्रीय नेताओं ने स्वतन्त्र रूप से आर्थिक विकास की नीतिदा बनाना और संचालित करना प्रारम्भ किया। प्रत्येक राज्य में बुद्धिवादियों का एक निरिच्छित वर्ग केन्द्रीय रूप से नियन्त्रणकर्ता बना दिया गया। अल्पि मात्रा जन नियन्त्रण का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है किन्तु फिर भी यहा अब भी सोवियत नियन्त्रण है। सोवियत सभ के साथ इन देशों के सहयोगत आर्थिक बन्धन उनमें ही मजबूत हैं जितने कि शैतिक एवं राजनीतिक प्रभाव।

सोवियत गुट के बाहर साम्यवादी रणनीति ने राष्ट्रवाद के साथ सन्धि कर ली है। साम्यवादी नेता यह माशा करते हैं कि पहले साम्यवादी आंदोलन को भडकाया जाए और उसके बाद राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को पूजावादी सत्ता से लेकर शक्ति सौंप दी जाए। सर्वप्रथम साम्यवादी व्यापार, आर्थिक सहायता आदि के सहारे प्रभाव डरना चाहते हैं। सोवियत सभ की आर्थिक प्रगति का उदाहरण दिया जाता है और प्रभावशाली समूहों तथा पुसपैठियों के द्वारा साम्यवादी प्रभाव को बढ़ाया जाता है। साम्यवादी देशों का विकासशील देशों के साथ व्यापार बढ रहा है। इन देशों की जो सोवियत सहायता दी जाती है वह इतनी स्पष्ट एवं मूर्त रूप में होती है कि उसके सहारे सोवियत सभ का सम्मान एवं राजनीतिक प्रभाव अधिक से

अधिक डाल दिया जाता है। उदाहरण के लिए मिस्र में आस्वन बांध बनाया गया और भारत में स्टील के कारखानों में सहायता दी। प्रचार के सभी साधनों को प्रयुक्त करते यह सिद्ध किया जाता है कि सोवियत सघ बीसवीं शताब्दी में तीव्र गति के विकास का एक नमूना है। सोवियत सघ की नीति यह मान कर चलती है कि हमारे स्तर पर विकासशील देश साम्यवाद को अपना लेंगे। बदलती हुई वस्तुस्थिति एवं बढ़ते हुए आंतरिक गतिरोध साम्यवादियों को शक्ति में आने का अवसर प्रदान करेंगे। ज्योज्यो स्वतंत्रता का आंदोलन आगे बढ़ना है त्यों त्यों यह भाग्य बढ़ती है कि विश्व का शक्ति संतुलन बदल जाएगा और पश्चिमी देश साम्यवाद के प्रभाव और प्रसार को रोक नहीं पाएंगे। सोवियत नीति नेनिन की इस गविध्यवाणी को मान कर चलती है कि सघ का परिणाम दुनियां की जनसंख्या के बहुमत द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो कि रूस चीन और भारत में रहती है।

चीनी साम्राज्यवाद

(The Chinese Imperialism)

साम्यवादी चीन को दगने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि चीन में अपना प्रभाव एवं शासन प्रसारित करना चाहता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसके द्वारा तीन साधन अपनाए जाते हैं। प्रथम, परम्परागत सीमाओं के बाहर सैनिक प्रभाव को बढ़ाया जाता है। दूसरे, तीन स्वतंत्रता प्राप्त राज्यों को नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। तीसरे विश्व साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व किया जाए। इन तीनों साधनों को अपनाते समय चीन को पग पग पर सोवियत रूस का प्रतिद्वंद्वी बनना होता है। चीनी साम्राज्यवाद के इन तीनों साधनों या रूपों के सम्बन्ध में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करना अनुपयुक्त न रहेगा।

परम्परागत रूप से चीन एक प्रसारवादी देश है क्योंकि यह अपने प्रदेश को एक मध्य राजधानी (Middle Kingdom) मानता है जो कि दुनिया का केन्द्र है। जब मा पू साम्राज्य के साथ चीन की शक्ति केन्द्रीय एशिया साइबेरिया और दक्षिण पूर्वी एशिया से हट कर वापस आ गई तो उसका प्रभाव कम हो गया किन्तु बाद में जब यहाँ साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई तो चीन ने अपने शासन को विस्तृत तब बढ़ा लिया। इसका प्रभाव उत्तरी कोरिया में स्थापित हो गया। दूसरी सैनिक शक्ति भारत की सीमाओं के पार प्रवाह करने लगी। चीन के द्वारा इन प्रदेश पर अधिकार जताया जाने लगा जिस पर कि बहुत समय पहले से भारत का अधिकार है।

राष्ट्रवादी चीन के क्वीमोय और मात्सू (Quemoy and Matsu) द्वीपों पर साम्यवादी चीन ने आक्रमण किया तथा यह दावा किया कि फारमोसा द्वारा नियन्त्रित भूमि पर उसका स्वयं का अधिकार है। धीरे-धीरे पीकिंग का प्रभाव उत्तरी वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस पर फैलने लगा। चीन की पोपुलर आर्मी द्वारा यह दावा किया गया कि क्वीमोय एलिना 4 जो भूमि सोवियत रूस के अधीन है वह कभी चीन के अधीन थी और अब उसे चीन को ही लौटा देना चाहिए। पीकिंग ने होचीमिन्ह को प्रभावित करके इस दाव का प्रत्येक प्रयास किया कि अमरीकियों को वियतनाम से बाहर निराल दिया जाए। अनेक प्रस्तावित पत्रों के आघार पर यह कहा जाता है कि साम्यवादी चीन ने इण्डोनेशिया के साम्यवादियों को उभार कर उन्हें उच्च सैनिक अधिकारियों की हत्या के लिए प्रेरित किया ताकि अग्नि साम्यवादियों के हाथ आ सके। नवम्बर १९६५ का यह देवद्राही कार्य स्वामीय दलीय नेतृत्व के विरुद्ध सेना के प्रभावशील कदमों ने सफल न होने दिया। चीन द्वारा बर्मा और थाईलैण्ड की सीमाओं पर भी दबाव डाला जाता है तथा यहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है कि किसी भी मध्य धारामारो को प्रोत्साहित करने से सैनिक कार्यवाही कर दी जाये। कहा जाता है कि भारत में परिवर्ती भगत की जो हिंसात्मक घटनाएँ हुई थी उनमें साम्यवादी चीन का प्रत्यक्ष रूप से हाथ था। पीकिंग के साम्यवादी दल की देशीय समिति द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसका क्रियान्वित करने के लिए अनेक देशों में उसके कार्यकर्ता उन्मुक्त रहते हैं।

राजनैतिक क्षेत्र में चीन के नेताओं ने नव स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्रों को शांति के प्रतीक माना है। सन् १९५५ में एशिया और अफ्रीका के देशों के वाण्युग सम्मेलन में चीन ने इन देशों का नेतृत्व सम्भालने की दिशा में कई कदम उठाए। इसके बाद सन् १९६५ में अल्जीरिस में होने वाले अफ्रीकी-एशियाई देशों के सम्मेलन में भी चीन ने इन देशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया। किन्तु यह सम्मेलन नहीं हो सका क्योंकि यहाँ कान्ति होने के कारण अहमद बेनबेला की अनिच्छा कर दिया गया तथा सोवियत संघ ने एक एशियाई शक्ति के रूप में इस सम्मेलन में उपस्थित होने का दावा किया था। अल्जीरिया सम्मेलन की समाप्ति चीनी धारणाओं पर एक तुपारापान था। सन् १९६५ में चीन के प्रधानमंत्री चाऊ-एन लाई ने अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों का दौरा किया और चीन पर अपने नेताओं को बताया कि अफ्रीका कान्ति के लिए एक बुका है। यह बात उन स्वामीय नेताओं को अधिक नहीं अच्छी जिन्होंने विभिन्न प्रकार की कान्तियों द्वारा

अपना पद प्राप्त किया था। उन्होंने उस परिवर्तन की सम्भावनाओं का स्वागत नहीं किया जो कि नेता द्वारा वर्णित किए गए थे। यह सूचना उन्होंने भांग तुकू नेता को भी दे दी। कुछ अफ्रीकी देशों में साम्यवादी चीन के कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों को देश निकाला दे दिया गया। जब एक के बाद एक अफ्रीकी राज्य ने चीनी मिशनो के लिए दरवाजा बन्द कर दिया तो इससे साम्यवादी महत्वाकांक्षाओं को ठेग लगी। यह बात घाना के उदाहरण को देखकर स्पष्ट हो जाती है। इस दश ने एन्क्रूमा के अग्रदस्य होने के बाद चीनी मिशन को बाहर निकाल दिया और सोवियत संघ के अधिकारियों का आमन्त्रित किया। इस स्थिति के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि चीन अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देगा। वह पुनः इस दिशा में प्रयास कर सकता है। चीन का दर्शन यह है कि उनकी क्रान्ति सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व के अधीन एक समाजवादी क्रान्ति को लाने में सफल पाठ प्रस्तुत करती है जिसे अपनाकर कोई भी देश आगे बढ़ सकता है।

चीनी साम्यवाद अपने सामने दीर्घकालीन लक्ष्यों को रख कर चलता है। इनमें प्रमुख यह है कि चीन द्वारा साम्यवादी दुनिया का नेतृत्व किया जाए। पीकिंग और मास्को के बीच का संझान्तिक संधि साम्यवादी गुट में शक्ति संधि का एक उदाहरण है। चीन अणु शक्ति संपन्न देश बनना चाहता है क्योंकि सोवियत संघ ने उसे यह शक्ति प्रदान करने से मना कर दिया था। वह आधुनिक औद्योगिककरण के माहारे विश्व साम्यवादी आन्दोलन का नेतृत्व प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहा है उसमें उसकी हानि अधिक होती है और लाभ कम। यह अपने आपका मार्क्सवाद-लेनिनवाद का सच्चा समर्थक मानता है और एक आक्रमणकारी शक्ति के रूप में सोवियत नेतृत्व से ऊपर आता है। चीनी प्रचार की सैनिक प्रकृति एवं आक्रमणकारी मिशनों के कारण विकासशील देशों में सोवियत संघ को अपनी रक्षा की रिकू लगी है। चीन के तरीके माओ के इस विचार पर आधारित हैं कि जनता के युद्ध एक राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों का आक्रमणकारी रूप से समयन करके साम्यवादी विजय को शीघ्र लाया जा सकता है।

चीनी साम्यवादियों का यह मत है कि एशिया और अफ्रीका के देशों में सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए उसके उद्देश्य में सबसे बड़ी बाधा-संयुक्त राज्य अमरीका है। अमरीका भी यह अनुभव करने लगा है कि सोवियत प्रसार को यूरोप में रोकने की समस्या जितनी जटिल थी उससे बड़ी अश्विज भाग साम्यवादी चीन के साम्राज्यवाद को घेरने की समस्या बन गई है। क्योंकि यह समस्या उन क्षेत्रों की है जहाँ के लोग पश्चिम से मित्र मूल्य

रखते हैं। ये पश्चिमी शक्तियों की ओर अपने दोषों में आने से उतना ही रोकना चाहते जितना कि चीन की चुनौती को। साम्यवादी चीन के साम्राज्यवाद को एशिया और अफ्रीका में तटस्थता एवं असह्यता की व्यापक नीतियों द्वारा रोकना चा सकता है। इस साम्राज्यवाद को रोकने के प्रयास में जो भयंकर घटनाएँ होगी तथा इस प्रयास के असफल होने पर जो स्थिति सामने आएगी वह अंतराष्ट्रीय जीवन के रूप को निर्धारित करेगी।

वर्तमान स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। अनेक नए राज्यों के दृष्टिकोण अनुत्पन्न हैं। वे पश्चिम के विकास और स्तर की प्रशंसा करते हैं तथा उसे प्राप्त करना चाहते हैं। किन्तु हमारी ओर उपनिवेशी शासन के ऊच-नीच के सम्बन्ध द्वारा एक विरामत छोड़ी गई है। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम विरोधी दृष्टिकोण सामने आता है और ये देश पश्चिम के साथ राजनैतिक सहयोग की नीति को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। पश्चिमी शक्तियों के प्रति ये भावनाएँ साम्यवादी देशों के लिए लाभप्रद बन जाती हैं। साम्यवाद के द्वारा पश्चिमी सभ्यता के आदर्श मूल्यों का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। यह विभिन्नताओं के शक्तिपूर्ण समायोजनों पर और नहीं देता। यह बहुलवाद की सहनशीलता को महत्व नहीं देता। यह व्यक्तिगत महत्व एवं भावाभासों को आदर नहीं देता। उपनिवेशवाद के विरुद्ध अफ्रीका में जो आन्दोलन चलता वह कोई नई बात नहीं है। समुक्त राज्य अमरीका को पूर्वज तेरह उपनिवेशों ने दक्षिण के विच्छन्न शान्तिकारी लड़ाई लड़ी थी। किन्तु उस समय साम्यवाद जैसी कोई शक्ति नहीं थी जो विरोधी को बड़ा कर लाभ उठाना चाहे।

वर्द्ध वार समुक्त राज्य अमरीका के सामने यह सन्देह उत्पन्न हो जाता है कि वह अपने यूरोपीय मित्रों एवं नए देशों के बीच में से किसको चुने। कहा जाता है कि अमरीकी जनता अपने ऐतिहासिक अनुभव और राजनैतिक मूल्यों के आधार पर उपनिवेशों की जनता की स्वतन्त्रता प्राप्ति की महत्वाकांक्षा का आदर करती है। समुक्त राज्य अमरीका ने इन नए राज्यों का जो आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया है वह अद्वितीय है। शीमली शताब्दी के उत्तरार्द्ध में उन प्रदेशों में जासूसी आ गई जो एक सन्धे समय से मुलाम थे। यहां के लोगों की यह इच्छा है कि वह अपने आपको विश्व राजनीति में सम्मान के रूप में अभिव्यक्त करें। यह पश्चिमी शक्तियों और समुक्त राज्य अमरीका के हित में है कि वे इन राज्यों के विकास में सहयोग दें। वर्द्धमान समय में इन नए राज्यों के सम्बन्ध में पश्चिमी शक्तियों तथा साम्यवादी देशों के बीच स्पर्ध इतनी जात पर है कि वे दोनों ही

इन राज्यों के मूल्यों को रूप देना चाहने हैं ताकि ये राज्य अपने भावी विकास की दिशा चुन सकें। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का नया रूप क्या मोड़ लेगा इस सम्बन्ध में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती केवल भविष्य ही इसका निर्धारण करेगा।

युद्ध (The war)

Imp.

युद्ध मनुष्य की सपर्यमयी प्रवृत्ति के परिणाम है। इनका प्रारम्भ तभी से माना जाता है जब स मनुष्य ने इस धराधाम पर प्रथम बार पदार्पण किया। विश्व के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद की अनेक स्तुतियाँ और श्लोक देवता तथा राक्षसों में युद्ध का उल्लेख करते हैं। वैदिक काल के बाद पौराणिक काल, महाभारत एवं रामायण काल में भी युद्धों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। समस्त भारतीय दर्शन और धर्म के ग्रन्थों में युद्ध के उत्तरोत्तर विकसित रूप की ओर सचेत किया गया है। मनुष्य की राक्षसी और दैवीय प्रवृत्तियाँ एक साथ नहीं रह सकती, दोनों के बीच सपर्ध का होना अवश्यमाधी है। जो प्रवृत्ति प्रबल होती है युद्ध में वह विजयी होती है तथा दूसरी का पराधीन बना लेती है। न केवल भारत, किन्तु सम्पूर्ण विश्व के समस्त मानव समाज का इतिहास इसी प्रकार बीभत्स, प्रलयकारी, हिंसात्मक एवं विध्वंसात्मक युद्धों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। यह एक बड़ी विरोधाभासपूर्ण स्थिति है कि मनुष्य सम्पन्न के पथ पर ल्यो-ल्यो आगे बढ़ता चला गया ल्यो-ल्यो युद्ध का रूप अधिक विध्वंसाकारी बनता चला गया। युद्ध के द्वारा मनुष्य जाति को अनेकों द्वार राष्ट्रीय नीति के हिंसात्मक साधनों का बहुधा फल चखाया गया है। इसने असह्य हत्यायों की, सोने की लूना को खार में मिलाया, बड़े बड़े शक्तिशाली और सम्पन्न राष्ट्रों को पददलित किया, लोगों के जीवन को अस्त-वस्त कर दिया और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता के आगे प्रथमवाचक चिह्न ला सड़ा किया।

आज के अणुयुग में युद्ध का क्षेत्र और स्वभाव इतना बदल चुका है कि इसने मनुष्य जाति के अस्तित्व तक को चुनौती दे डाली है। आज मनुष्य जाति के सामने युद्ध की समस्या इतनी प्रबल तथा प्रभावकारी है कि इस पर चिन्ते जाने वाले विचार को आगे के लिए नहीं टाँसा जा सकता। मनुष्य के सामने केवल दो ही विकल्प हैं, युद्ध या शांति। एक मृत्यु है दूसरा बोध, एक विजय है दूसरा विजय। आज, जो विश्व, अस्त-वस्त, पद-दलित, पद-पद, पहुँचा है जहाँ प्रत्येक राष्ट्र को-चाहे वह छोटा हो प्रथमवा बड़ा, शक्तिशाली

हो या कमजोर-यह समझ लेना पड़ेगा कि 'युद्ध' के द्वारा राष्ट्रीय शक्तियों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध आज के युग की अन्यायहारिकता बन गया है तथा राष्ट्रों के बीच के समस्त झगड़ों और मतभेदों को शांतिपूर्ण वार्ताओं एवं सम्झौतों से मूलभूताना वेचल द्वादिर्माण न रह कर एकमात्र सफल, सम्भव, न्यायोचित और सुरक्षित साधन बन गया है।

'युद्ध' के वर्तमान स्वरूप एवं विषय में उसके स्थान को देखने हुए यह जानना अप्राप्तनिक तथा विश्व शांति के ग्रहित में होगा कि युद्ध कितने लड़े जाते हैं, इनमें क्या कौशल अपनाये जाते हैं, ध्यूद्ध रचना किस प्रकार की जाती है आदि। युद्धों को रोकने की दृष्टि से उपयोगी रहेगा कि युद्ध के स्वरूप, कारण तथा प्रतिरोध के उपायों की व्याख्या की जाय।

युद्ध का अर्थ

(Meaning of war)

कैप्टिन लिडेल हार्ट (Captain Lidell Hart) का कहना है कि अगर तुम शांति चाहते हो तो पहले युद्ध को समझो। युद्ध के मयानक परिणामों के चित्रण मात्र से इसकी पुनरावृत्तियों को नहीं रोका जा सकता। युद्ध के अर्थ के सम्बन्ध में अनेक विचारकों ने अपने मत प्रकट किये हैं। प्रो० मेलिनास्की (Professor Malinowski) के मतानुसार युद्ध दो स्वतन्त्र राजनैतिक इकाइयों के बीच का सशस्त्र संघर्ष है, यह संघर्ष राष्ट्रीय अथवा जातीय नीतियों को प्राप्त करने के लिए संगठित सैनिक शक्तियों द्वारा किया जाता है। मेलिनास्की द्वारा दी गई परिभाषा के तीन भाग किये जा सकते हैं—

- (१) युद्ध करने वाली इकाइया राजनैतिक रूप से स्वतन्त्र होती हैं।
- (२) युद्ध एक सशस्त्र संघर्ष है जो संगठित सैनिक शक्तियों द्वारा किया जाता है।
- (३) युद्ध जातीय (Tribal) अथवा राष्ट्रीय नीतियों की साधना के लिए किया जाता है।

युद्ध की इस परिभाषा में युद्ध की जो विशेषताये बताई गई हैं वे प्रायः एक साथ समुक्त रूप में प्रत्येक युद्ध में प्राप्त नहीं होती। उदाहरण के लिए यह युद्ध होते हैं तो उनके कर्त्ता दो स्वतन्त्र राजनैतिक इकाइया नहीं होती। इसी प्रकार वर्तमान काल के आधिक्य युद्ध, शीत युद्ध, राजनैतिक युद्ध आदि में संगठित सशस्त्र सेनाओं का सहारा नहीं लिया जाता। हान का भारत-पाक

सघर्ष सगठित, सशस्त्र सेनाओं द्वारा राष्ट्रीय नीति की साधना के लिए किया गया दो स्वतन्त्र राजनैतिक इकाइयों के बीच का सघर्ष था जिन्हु ऐसा होते हुए भी उसको तकनीकी धर्मों में युद्ध नहीं माना जा सकता क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनैतिक सम्बन्ध बने हुए थे तथा किसी भी पक्ष द्वारा सरकारी तौर पर युद्ध की घोषणा नहीं की गई थी।

नवीन अंग्रेजी शब्द कोष द्वारा दी गई परिभाषा युद्ध युद्ध को भी अपने में समाहित कर लेती है। उसके अनुसार युद्ध सशस्त्र शक्ति द्वारा शत्रुतापूर्ण व्यवहार है जो कि राष्ट्रीय, राज्यो या शासकों के बीच में होता है या एक ही देश के दो देशों के बीच में होता है, यह विदेशी शक्ति के विरुद्ध या उसी राज्य के विराधी दल के विरुद्ध सैनिक शक्ति का प्रयोग है। युद्ध के सामान्य स्वरूप को चित्रित करने वाली एक दूसरी परिभाषा सरल शब्दों में हाफमैन निकर्सन (Hoffman Nickerson) द्वारा की गई है। वे कहते हैं कि युद्ध दो ऐसे मानव समूहों के बीच किया जाने वाला व्यवस्थित बल का प्रयोग है जो कि विरोधी नीतियों का अनुसरण करते हैं तथा जिनमें से प्रत्येक अपनी नीति को दूसरे पर लागू करने का प्रयत्न करता है। युद्ध के एक जर्मन विचारक कार्ल क्लाउजविच (Karl Clausewitz) का कहना है कि 'युद्ध' राजनैतिक व्यवहार का आवश्यक अङ्ग है और इसलिए अपने ध्येय में कोई अन्तर्गत चीज नहीं है। युद्ध और युद्ध नहीं केवल कुछ अन्य साधनों के माध्यम से राजनैतिक व्यवहार (Political intercourse) है। पामर तथा परकिन्स के कथनानुसार क्लाउजविच के शब्दों को 'युद्ध' की परिभाषा मानना उपयुक्त नहीं है, फिर भी यह सच है कि इनके द्वारा युद्ध के स्वरूप की एक भूलक का आभास मिलता है। आज 'न शान्ति-न युद्ध' की जो स्थिति वर्तमान है उमका इन शब्दों द्वारा दिग्दर्शन कराया गया है।

युद्ध की जितनी भी परिभाषायें दी जाती हैं या ता सधुरी होनी हैं अथवा एकपक्षीय इतनी सामान्य होती हैं कि जिनके किसी विशेष युद्ध पर लागू न किया जा सके अथवा इतनी विशिष्ट हानी हैं कि उनका आधार पर युद्ध के अन्य रूपों का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता। इस सबका कारण परिभाषा कर्त्ताओं के अध्ययन का दोष अथवा उनकी अक्षमता नहीं है बल्कि युद्ध की प्रकृति की विभिन्नता है। इसके साधनों, कारणों, परिणामों एवं अर्थों में इतनी विभिन्नताएँ (diversities) वर्तमान हैं कि कोई सर्वमान्य, सर्व-यापी तथा पूर्ण रूप से सतोपजनक परिभाषा दी ही नहीं जा सकती। युद्ध के कारणों को जानने के बाद सम्भवतः इसके स्वरूप का अवगत मुगम बन जायेगा।

युद्ध के कारण (The causes of war)

कार्य के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक कार्य का कारण होता है और यदि उस कारण को हटा दिया जाए तो कार्य स्वतः ही विनष्ट हो जायेगा। युद्ध के मयांक परिणामों और मानव जाति के लिए इसके खतरों को देख कर पश्चिम-प्रेमी तथा बुद्धिशील वर्ग द्वारा उन कारणों को खोजने का प्रयत्न किया गया है जो एक राष्ट्र को युद्ध का रास्ता प्रदान करने के लिए उत्तेजित या मजबूर करते हैं। मिने मिन् विचारकों ने युद्ध के अनेक मूल एव गीण और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कारणों का वर्णन किया है। युद्ध के कारणों को प्रायः दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम भाग में वे सभी कारण हैं जिनके कारण युद्ध की प्राण नष्ट उठती है, इनको युद्ध के तत्कालीन कारण कहा जा सकता है। दूसरी श्रेणी में वे सभी कारण आते हैं जो उस युद्ध के लिए एक लम्बे समय से ही अनुकूल वातावरण तैयार कर रहे थे।

प्रथम विश्वयुद्ध के कारणों का अध्ययन करते हुए प्रोफेसर सिडनी फे (Professor Sidney B. Fay) ने बताया कि युद्ध का सबसे मूल कारण गुप्त संधियों की व्यवस्था (System of secret alliances) थी जो फ्रांको-प्रुमियन युद्ध के बाद प्रारम्भ हुई थी। दूसरे अल्प सहायक कारण चार थे—सैनिकवाद, राष्ट्रवाद, धार्मिक साम्राज्यवाद और समाचार पत्र-स्थापना। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के एक दूसरे विद्वान् क्विन्सी राइट (Quincy Right) ने युद्ध के विभिन्न कारणों का वर्णन किया है—इन कारणों में कुछ तो मूल हैं तथा कुछ तात्कालिक हैं। कभी-कभी कुछ घटनाएँ युद्ध का कारण बन जाती हैं, कभी लोगों की मनोभावनाएँ एक महत्वाकांक्षायें युद्ध को प्रारम्भ करा देती हैं। इनके अतिरिक्त शस्त्रों की दौड़, कूटनीतिक व्यवहारों की अकुशलता, पालिग्य सम्बन्धी नीतियाँ, सम्प्रभुता की मान्यता, उपनिवेशों के मतभेद, देश के विस्तार की प्रवृत्ति, आदि अन्य बातें भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध को मड़काने में सहायक होती हैं। विषमता राइट के मतानुसार युद्ध के कारणों को नहीं दृष्टिकोणों में देखा जा सकता है। इसके राजनैतिक, तकनीकी, सैद्धान्तिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक तथा धार्मिक कारण हैं। टर्नर (Toll A. Turner) ने अपनी पुस्तक 'युद्ध के कारण और नवीन शक्ति' (The causes of war and the new revolution) में युद्ध के ४१ कारणों का उल्लेख किया है। वे इन कारणों

को चार भागों में विभाजित करते हैं—धार्मिक, राजवश सम्बन्धी, धार्मिक और भावात्मक । अन्य अनेक विचारकों द्वारा भी युद्ध के कारणों की व्याख्या की गई है । मुख्य रूप से जिन कारणों को प्रायः सभी विद्वान किसी न किसी रूप में मानते हैं, वे निम्न हैं—

(१) युद्ध का सामाजिक कारण (Social cause of war)

युद्ध का आधारभूत कारण विरोध होता है । जब दो देशों के सामाजिक जीवन की भिन्नता इतनी बढ़ जाती है कि उनके बीच सामंजस्य का कोई तत्व बाकी नही बचता और एक दूसरे के हित परस्पर टकरा जाते हैं तो उन देशों के बीच युद्ध प्रवण्यम्भावो बन जाता है । इतिहास में युद्ध के उदाहरणों पर ध्यान देने में यह स्पष्ट हो जाना है कि धर्म, जाति, संस्कृति और दुःसाहस एवम् इतने प्रभावित होकर अनेक लड़ाइया लड़ी गई हैं । मध्ययुगीन यारोद में धार्मिक आजार पर अनेक युद्ध हुए हैं । यारोप के विभिन्न देशों में एशिया और अफ्रीका में अनेक साम्राज्य बसान के लिए किए गए युद्धों में उनका का समर्थन जातीय आधार पर प्राप्त किया—काने-गोरे का और धार्मिक अथवा अनाथों के भेद की दृष्टि दी गई । विभिन्न जाति एवं धर्म वाले लोगों के बीच सांस्कृतिक सर्वोच्चता का प्रचार करके अनेक देशों को सांस्कृतिक दृष्टि से हीन देश पर आक्रमण करने के लिए उन्माहित किया गया । कुछ देशों का ममान दुःसाहसपूर्ण प्रवृत्तिया का होता है जबकि दूसरे कुछ देश सर्वत्र अनादनीय रूप से भयभीत रहते हैं—इन दोनों ही स्थितियों में दो देश युद्ध के पथ के राही बन जाते हैं ।

(२) युद्ध का राजनैतिक कारण (Political cause of war)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संपर्क का मुख्य कारण राजनैतिक विभिन्नता एवं विरोधों को भी माना जा सकता है । एक देश की शरैख राजनीति उस देश को दूसरे देशों के साथ युद्ध छेड़ने के लिए प्रोत्साहित कर देती है । द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व इटली ने एवीमीनिया पर जा आक्रमण किया था उसका कारण यह बताया जाता है कि इसे प्रकार के युद्धों से बहा के तानाशाही शासक जनता का ध्यान अनेक प्रशासनिक समस्याओं से हटाना चाहते थे । दूसरे अन्य देशों में जहां राजसत्तात्मक शासन होता है, एक राजा की महत्वाकांक्षाएँ एवं प्रसारवादी नीतिया प्रायः युद्ध का कारण बन जाती हैं । एक देश जब साम्राज्यवादी नीतियों को अपना लेता है तो

उसे युद्ध छेड़ने की प्रमुख आवश्यकता पड़ जाती है। साम्राज्यवाद जैसा कि मार्गेश्वो का मत है, वर्तमान स्थिति (Status-quo) को बदलने का प्रयास है। यह परिवर्तन करते समय उन शक्तियों से युद्ध करना आवश्यक बन जाता है जो स्थिति को बनाये रखने के पक्ष में हैं तथा परिवर्तन के द्वारा उनके हितों को भ्रष्ट पट्टवती है। युद्ध के राजनीतिक कारणों में ही एक दूसरा कारण है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रवाद के निर्घातक और विधेयात्मक दो रूप हैं। जब राष्ट्रियता की भावना एक देश के निवासियों को विदेशी शासकों के बगुल से छूटने को बलिदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है और स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद जब उनको राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों की प्रेरणा देती है तो इसे इसका उच्चतम पक्ष माना जाता है। विन्तु राष्ट्रीयता की भावना का कार्य केवल यही समाप्त नहीं हो जाता। एक शक्तिशाली देश के राष्ट्रियता की भावना से प्रभावित लोग दूसरे देश पर प्रपना शासन स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। युद्ध इस प्रयत्न की आवश्यक एवं स्वाभाविक परिणति है। इन सन्दर्भों में अतिरिक्त कूटनीतिक सम्बन्धों में एक देश के स्वार्थों की अत्यधिक अभिवृद्धि भी प्रायः युद्ध का कारण बन जाती है।

(३) युद्ध के युद्ध-कौशल सम्बन्धी कारण (Strategic causes of war)

जिस प्रकार साम्राज्यवाद का कारण साम्राज्यवाद होता है उसी प्रकार युद्ध का कारण शस्त्री-क्रीडा या युद्ध सम्बन्धी अन्य बातें बन जाती हैं। उदाहरण के लिए हम एक ऐसे भूतण्ड का ले सकते हैं जिसका सामरिक दृष्टि से भारी महत्व है और जिस पर अधिकार करके एक देश दूसरे की अपेक्षा अधिक शक्ति-सम्पन्न बन सकता है। ऐसे भूतण्डों के पीछे इतिहास में अनेक बार युद्ध छेड़े गये हैं। इसी प्रकार शस्त्रों की समस्या भी कई बार युद्ध का कारण बन जाती है। कुछ देशों का राष्ट्रीय हित इस बात में निहित रहता है कि अस्त्र शस्त्रों के निर्माण पर रोक लगा दी जाए। इससे दूसरे देश जो शस्त्रों का निर्माण करते हैं उस देश के राष्ट्रीय हित के विरोधी बन जायेंगे क्योंकि ऐसा होने पर उस देश को जो निःशस्त्रीकरण की नीति अपनाता सम्भव बन जाता है।

पाकिस्तान तथा चीन की नीतियों से मजबूर होकर भारत को शस्त्रीकरण का मार्ग अपनाना पड़ा, उसे अपने बजट का अधिकांश भाग रक्षा-व्यवस्था को मजबूर करने एवं सैनिक तैयारियां करने पर खर्च करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों से उस पर अणुबम के निर्माण का भी दबाव डाला जा

रहा है क्योंकि साम्यवादी चीन ने १९६४ में ही अणुबम का परीक्षण कर लिया है। युद्ध के कारणों में विश्व की स्थिति का भी भारी प्रभाव पड़ता है। विश्व में कितने गुट हैं, किम गुट की कितनी शक्ति है तथा एक विशेष देश पर इनका प्रभाव क्या तथा कितना पड़ता है यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व की स्थिति के अनुसार एक देश को हितों में भी भेद प्रा गूँझता है और उस स्थिति के अनुसार यदि युद्ध आवश्यक बन जाए तो देश उसे अपनाते का तैयार हो जायेगा।

(४) युद्ध के आर्थिक कारण (Economic Causes of war)

युद्ध के आर्थिक कारणों का उल्लेख ऐसे तो अनेक विचारकों द्वारा किया गया है किन्तु कार्ल मार्क्स तथा साम्यवाद के अन्य समर्थकों ने तो इसे युद्ध का एकमात्र महत्वपूर्ण कारण माना है। स्टालिन तथा लेनिन आदि साम्यवादों के नेताओं ने यह माना था कि पूँजीवादी देशों में जो आर्थिक विकास होते हैं तथा व्यक्तिगत लाभ के लिए जो उत्पादन किया जाता है उसका यह आवश्यक परिणाम है कि साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाया जाय। माँग से अधिक उत्पादन होने से विदेशों में उस माल की खरीद के लिए बाजारों की खोज की जाती है, आवश्यक नियमित हो जाते हैं और दूसरे देशों को पराधीन बनाया जाता है। साम्राज्यवाद के जितने भी कारण होते हैं उन सबको युद्ध का कारण बताया जा सकता है। एक देश की वाणिज्य नीति, विदेश में उसकी पूँजी का व्यय, तथा अन्य आर्थिक तत्व एक देश को युद्ध के लिए मजबूर करते हैं।

युद्ध के उक्त कारणों के प्रतिरिक्त भी विभिन्न गौण कारण हैं जो या तो इन कारणों के प्रायःनाहक हैं अथवा स्वतन्त्र रूप से ही युद्ध के अनुकूल वातावरण तैयार करने का काम करते हैं। इन समस्त कारणों का महत्व परिस्थिति और अवस्था के साथ साथ बदलता रहता है। यह हीमकता है कि एक युद्ध में राजनैतिक कारण प्रभावकारी रहे हों और यह भी हो सकता है कि वह युद्ध केवल राजनैतिक कारणों से ही संचालित किया जा रहा हो। युद्ध के कारणों के आधार पर युद्धों को अलग-अलग नाम दिया जा सकता है जैसा कि साम्यवादी आलोचकों द्वारा किया जाता है। वे लौंग साम्राज्यवादी युद्ध, क्रान्तिकारी युद्ध, स्वतन्त्रता के लिए युद्ध आदि के बीच भेद दिखाते हैं।

विक्रम स्टीड (Wickham Steed) ने युद्ध के कारणों में 'मय' को प्रधान माना है। वे कहते हैं कि सभ्यता की भाषणा निश्चय ही धातु के

विश्व में युद्ध का सबसे प्रमुख कारण है। दूसरे विचारक 'सम्प्रभु' राज्यों के अस्तित्व को युद्ध का प्रमुख कारण मानते हैं। आर्नोल्ड ब्रेच्ट (Arnold Brecht) न लिखा है कि सम्प्रभु राज्यों के बीच युद्ध होते हैं, इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि विश्व में सम्प्रभु राज्य हैं। इसी बात पर टिप्पणी करते हुए क्विन्सी राइट महोदय ने बताया कि युद्ध का कारण सम्प्रभु राज्यों का अस्तित्व है; यह कहने की अपेक्षा यदि यह कहा जाय कि युद्ध इस कारण होता है कि विभिन्न देश सम्प्रभु बनना चाहते हैं तो अधिक उपयुक्त रहेगा। युद्ध प्रायः इस कारण होते हैं क्योंकि देशों की शक्ति के प्रयोग को नियमित करने के लिए कानून अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसी कोई सशक्त व्यवस्था नहीं है। कुछ विचारक युद्ध को मनुष्य की प्रकृति में निहित मानते हैं। उनका तर्क यह है कि मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही युद्धों का अस्तित्व है। आज तक किसी युग में विश्व का कोई स्थान ऐसा न रहा जिसे युद्ध की विपत्ती गैस से छूना या अप्रभावित माना जा सके। किन्तु दूसरी ओर पामर तथा परकिन्स जैसे विचारक हैं जो इस तर्क की सत्यता में सन्देह करते हैं। उनका कथन है कि इतिहास से युद्धों के उदाहरणों का संचय करके यह कहना उचित नहीं है कि मनुष्य युद्धप्रिय होता है बल्कि यह कहा जा सकता है कि मनुष्य अब तक कोई ऐसी शौर्यपूर्ण, सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्था करने में असमर्थ रहा जिसमें कि युद्ध का कोई स्थान ही न हो।

सच तो यह है कि युद्ध का कोई एक विशेष कारण नहीं बताया जा सकता बल्कि युद्ध तो एक दूसरे से सम्बन्धित अनेक कारणों का समन्वित परिणाम है। इसी भाव का व्यक्त करते हुए क्विन्सी राइट (Quincy Right) ने बताया है कि युद्ध वास्तव में एक ऐसी परिस्थिति का परिणाम है जो उन सारी चीजों से पैदा होती है जो युद्ध प्रारम्भ होने तक मनुष्य जाति में हुई हैं। युद्ध के कारण ही प्रायः एक देश की राष्ट्रीय नीति के आधार बन जाते हैं। राष्ट्रवाद, सामाज्यवाद, सम्प्रभुता एवं अन्य युद्ध के उपयुक्त कारण जब एक देश की राष्ट्रीय नीति का आधार बन जाते हैं; उसके बाद ही युद्ध प्रारम्भ होता है। पामर तथा परकिन्स के मत में जब 'कुछ बीज' युद्ध का कारण बनती हैं तो इसका कारण यही है कि वह 'कुछ बीज' उस देश की राष्ट्रीय नीति का आधार बन चुकी होती हैं।

युद्ध के कार्य

(The Functions of War)

युद्धों के द्वारा अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है और यही कारण है कि विभिन्न देशों द्वारा इसका सहारा लिया जाता है। यदि युद्ध की सख्त हानिपन

ही होती अथवा यह केवल निरर्थक ही होता तो यह व्यक्ति की पूछ की भाँति कमी का मिट गया होता। युद्ध तब तक विश्व में रहेगा जब तक मानव जाति के शासक इसका कोई विकल्प नहीं खोज निकालते। युद्ध से जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है उनको दूसरे किसी साधन द्वारा प्राप्त किया जाना असम्भव है और यही कारण है कि युद्ध खर्चोला, विध्वंसक तथा हिंसात्मक होने पर भी अपनाया जाता है। क्लाइड ईगल्टन (Clyde Eagleton) का कहना है कि युद्ध से कुछ साध्यों की भाँति होती है। युद्ध से जिन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है वे एक दूसरे से इस प्रकार सम्बन्धित रहते हैं कि उनमें से कौन सा प्रधान है तथा कौन सा गौण, यह निश्चित करना बड़ा कठिन हो जाता है। युद्ध के विभिन्न कारणों का निम्न प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है।

(१) न्याय की स्थापना—युद्ध चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, इसके द्वारा समाज में फैले हुए अनेक अन्यायों को दूर किया जाता है। किसी दूसरे साधन के द्वारा इस दुर्गई को दूर करना सम्भव नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की अन्याय की भावनाओं उसके स्वार्थ में गहरी जमी रहनी है तथा सुधारवादी नीतियाँ उसकी जडा को कुरेदने में असमर्थ रहती हैं। किन्तु युद्ध द्वारा जो नीतियाँ अपनायी जाती हैं वे शपथवादी होती हैं तथा उनकी सफलता में थोड़ी निश्चितता का पुट रहता है। यही कारण है कि शताब्दियों से युद्ध को अन्याय को दूर करने वाले साधन के रूप में अपनाया जा रहा है। प्रो० शॉटवेल (Professor Shotwell) के मतानुसार युद्ध का प्रयोग जैसे आक्रमणों के लिए किया गया है उसी प्रकार उसे अन्यायपूर्ण आक्रमणों के एक विरोधी साधन के रूप में भी प्रयुक्त किया गया है। इतिहास में युद्ध के द्वारा जैसे एक अपराधी का अभिनय किया गया है उसी प्रकार इसने अनेक लाभदायक कार्य भी किये हैं।

(२) शोषण का विरोध—जब किसी देश, वर्ग, जाति या धर्म के लोगो द्वारा दूसरे भिन्न देश, वर्ग, जाति या धर्म के लोगो का शोषण इस आकार पर किया जाय कि वे दूसरे की अपेक्षा शक्तिशाली हैं तो प्रायः शोषित वर्ग की मुक्ति के लिए यह आवश्यक बन जाता है कि वह युद्ध जैसे हिंसात्मक साधन को अपनाये। इतिहास साक्षी है कि व्यक्ति एवं समुदायों द्वारा स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए तथा शोषण से मुक्ति के लिए अनेक बार युद्ध लड़े गये हैं। दमन को सहने की व्यक्ति की एक सीमा होती है जिसके अगे बढ़ने पर दमन का विरोध करने के लिए युद्ध का सहारा लेना आवश्यक बन जाता है। अमरीका की आन्ति, फ्रान्स की आन्ति, लेटिन अमरीकियों का स्वतन्त्रता

के लिए युद्ध, अमरीका का गृहयुद्ध तथा स्पेन-अमरीकी युद्ध आदि उदाहरणों तथा उनके परिणामों को देख कर यह कहा जा सकता है कि युद्ध के भले ही अनेकों दुष्परिणाम हों किन्तु इनको स्थगन्यता, अधिकार, न्याय आदि की प्राप्ति के साधन के रूप में अपनाया जा सकता है।

(३) युद्ध एक आवश्यक बुराई है—हिंसात्मक साधनों का प्रयोग शुभ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कभी-कभी आवश्यक बन जाता है। हिन्दु पुराणों एवं धर्मशास्त्रों में जिव प्रयात् कल्याण या शुभ को पार्वती अर्थात् शक्ति का पति माना गया है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप द्वारा शुभ और शक्ति के अभिन्न स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है। देवताओं ने राक्षसों के विरुद्ध अनेक बार युद्ध किये क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। प्राज्ञ के साम्यवादी भी यह मान कर जल्दते हैं कि वे अपने प्रतिम लक्ष्यों को विना युद्ध के प्राप्त नहीं कर सकते। उनका विचार है कि साम्यवादी और पूँजीवादी राष्ट्रों के बीच सघर्ष और युद्ध होना स्वानाधिक है। ये विचारक ऐसे युद्धों को न्यायपूर्ण मानते हैं।

(४) युद्ध का सन्तोषजनक विकल्प नहीं है—मनोविज्ञान यह बताता है कि कमजोर व्यक्ति प्रायः अधिक गुस्सा वाता व भगदालू होता है। इसी प्रकार जो देश अथवा देश के भी जो बर्ग गरीबी से पीड़ित, अज्ञानी और वहिष्कृत व्यक्तियों से पूर्ण होते हैं, वे युद्ध को, अपनी असहनीय दशा से छूटकारा पाने के लिए अपनाता स्वीकार कर लेते हैं। जिस प्रकार दीपक बुझने से पूर्व एक तीव्र चमक देता है उसी प्रकार ये देश भी अपने साम्य के पासे को पतलने की पुनः युद्ध को अपनाते हैं क्योंकि जीवन उनकी दृष्टि से बड़ा सस्ता होता है और युद्ध में जीने के लिए उनके पास बहुत कम या कुछ भी नहीं रहता।

(५) युद्ध सम्प्रभुता की अभिव्यक्ति का साधन है—अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रत्येक राष्ट्र सम्प्रभु है और इन नाने युद्ध छेड़ना वह अपना जन्मिद्ध अधिकार मानता है। यदि सच्चे अर्थों में प्राज्ञ युद्ध को नष्ट करना चाहते हैं तो इसका अर्थ होगा राज्यों की सम्प्रभुता को मिटाना और इसे वाई भी राज्य स्वीकार नहीं कर सकता। त्रिज्व ज्ञानि की स्वयंता के लिए, एक राज्य तब कुछ स्वीकार कर लेगा किन्तु वह 'स्वतन्त्रता' (Self defence) के अधिकार को नहीं छोड़ेगा क्योंकि यह उसकी सम्प्रभुता का परिचायक है। एक राज्य के ऊपर अनेक उत्तरदायित्वों का भार रहता है, इन उत्तरदायित्वों की निभाने के लिए उसे सम्प्रभुता की आवश्यकता रहती है और जब तक सम्प्रभुता रहेगी तब तक युद्ध भी रहेगा। पापय तथा परस्पर का मत है कि

राज्यों का तब तक युद्ध छेड़ने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता जब तक कि उनके पास परा करने के लिए अनेकों उत्तरदायित्व हैं। विश्व में जब तब दुर्ग और बुरादया मौजूद हैं तथा इनको दूर करने का कोई सफल विवक्ष्य नहीं है तब तब युद्ध घना रहेगा। सतार से दमन, अन्याय एवं बुराईयों का दूर किये बिना युद्ध को मिटाने का प्रयास अधिक लाभदायक नहीं लगता है।

(६) युद्ध आधुनिक विश्व का निर्माता है—कहा जाता है कि सोने को प्रायः तपाने पर ही वह कुन्दन बनता है और जैसे प्रापतियों के बीच एक व्यक्ति का व्यक्तित्व निलरता है तथा उसका जीवन प्राये बड़ता है उसी प्रकार युद्ध द्वारा एक राष्ट्र के व्यक्तित्व का सही अर्थों में निर्माण होता है। युद्धों के द्वारा ही एक राष्ट्र की सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं। जैसा कि प्रोफेसर शाटवेल ने लिखा है कि आज के विश्व का नक्शा अधिकांशतः युद्ध के मैदानों में ही निश्चित किया गया है। यह कथन बहुत कुछ सही भी है क्योंकि वर्तमान विश्व के अधिकांश राज्यों की सीमाओं का अन्तिम रूप युद्ध द्वारा ही निश्चित किया गया है। क्विन्सी राइट (Quincy Right) के मतानुसार युद्ध को विश्व के महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तनों को करने के लिए, राष्ट्र राज्यों के निर्माण के लिये, आधुनिक सभ्यता का विश्व भर में प्रसार करने के लिए तथा उस सभ्यता के प्रभावकारी हितों को परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाया गया है। वातून, विदेश नीति, सैनिक, तकनीकी तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की कुछ परिस्थितियों में युद्ध नीति का एक मूल्यवान् साधन बन जाता है। फामर तथा परदि-ता के शब्दों में 'सन्धेय में युद्ध आधुनिक विश्व का—उसके राज्यों, कारखानों, इसकी नैतिकता और इसके सांस्कृतिक रूप का प्रमुख निर्माता रहा है।'

(७) युद्ध ध्वस्त को ऊँचा उठाता है—युद्ध में जीवन घन, जमीन, जायदाद आदि का जो विनाश होता है वह व्यक्ति के मन में इन सब वस्तुओं की नश्वरता के भाव जाग्रत कर देता है। इसके परिणामस्वरूप वह स्वार्थ, परिग्रह, लोभ, मोह आदि दुर्गुणों के स्थान पर उदार मन, निर्भय, तथा अपरिग्रही बनता है, उममें बलिदान करने की शक्ति घाती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि युद्ध के कारण व्यक्ति की नैतिक एवं आध्यात्मिक विशेषताएँ प्रखर होकर सामने आती हैं। भारत-पाक संघर्ष के समय भारत के मनोबल तथा सैनिकों को भारतीयों द्वारा दी गई तन, मन और धन की सह्यता को देख कर लगता है कि इस युद्ध द्वारा भारत में एक नित्य आ गया। गृह-मन्त्री नन्दा ने युद्ध के दौरान राष्ट्र के नाम अपने एक संदेश

में यह स्वीकार किया था कि यह युद्ध एक प्रकार की अग्नि परीक्षा थी और भारत इसमें से निरतन कर एक नया ही रूप धारण कर लेगा। प्रायः दवाईया कड़वी होती हैं किन्तु रोग को दूर करने व स्वास्थ्य में निश्चार लाने के लिए वे आवश्यक होती हैं। उन्ही प्रकार युद्ध भी कुछ दुरे परिणाम लाता है किन्तु देश के अस्तित्व के निर्माण में यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है। कहा जाता है कि सम्मानहीन एव अष्ट शक्ति की अपेक्षा सम्मानपूर्ण युद्ध श्रेष्ठ है जो आत्म-वलिदान, समानता, ईश्वर प्रेम, पराधीन राष्ट्रीय एकता आदि के भारों का विकास करता है।

(८) युद्ध विकास को सही दिशा देता है—डाबिन ने जीव विज्ञान के सम्बन्ध में दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था जन्हीं के आधार पर यह कहा जाता है कि युद्ध का होना राष्ट्रों के सही विकास के लिए आवश्यक है। युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया है जो कमजोर राष्ट्रों को मिटा देती है तथा शक्तिशाली लोगों के उत्थान व विकास के लिए मार्ग साफ कर देती है। बर्नार्डो (Bernhardt) महोदय के मतानुसार युद्ध प्रथम मूल्य की प्राणी-शास्त्रीय आवश्यकता है। बिना युद्ध के कमजोर जातियाँ स्वल्प दरवी के विकास को रोक देंगी तथा सामान्य रूप से पतन प्रारम्भ हो जायगा।^१

युद्ध के उपप्लुत कार्यों अथवा लाभों की अतिशयोक्ति बना कर इनकी आलोचना की जा सकती है किन्तु इनको पूरी तरह से अस्तित्व नहीं माना जा सकता। विलर्ड वालर (Willard Waller) के मतानुसार युद्ध से कोई लाभ नहीं है तथा किसी भी समस्या को इसके द्वारा नहीं सुलभया जा सकता। किन्तु पाकर तथा परकिन्स का कहना है कि प्रमाणों के आधार पर यह हिट किया जा सकता है कि युद्ध के द्वारा कभी-कभी अनेक लाभ प्राप्त हो जाया करते हैं। इसलिए उनका कहना है कि युद्ध का विरोध करते समय यह ठकं देना अनुचित रहेगा कि इनसे कुछ प्राप्त नहीं होता या इनका कोई उपयोग नहीं है वरन् कहना यह चाहिए कि यह एक अमानवीय तथा जगनी साधन है और इनके द्वारा अन्धे उद्देश्य को प्राप्त नहीं करने चाहिए।

युद्ध का अिगत एवं वर्तमान स्वरूप (The Past and Present Form of War)

जब से राज्य व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ उसी समय से राष्ट्रीय सुरक्षा

1. Friedrich Von Bernhardt, Germany and the next war, P. p. 18,20

के नाम पर राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए तथा सधर्मों को सुलभाने के लिए सशस्त्र शक्ति का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की केन्द्रीय विशेषता रही है। सशस्त्र सेना से हमारा तात्पर्य क्विन्सी राइट (Quincy Wright) महाशय की मानि अनुशासित या सोद्देश्य नियन्त्रित हिंसा से है, चाहे उसके साधन हथियों के टुकड़े, परपर, घनुप बाण, बन्दूकें, तोपें, धनुवम या प्रक्षेपणास्त्र कोई भी चीज हो और इस तरीके को प्रयुक्त करने वाले समूह में चाहे दर्जनों व्यक्ति हो अथवा लाखों व्यक्ति। यह सशस्त्र शक्ति अथवा सैनिक शक्ति विश्व राजनीति पर प्रभाव डालने वाला अन्तिम तत्व होता है और गैर सैनिक साधनों की प्रभावशीलता बहुत कुछ इसी पर आधारित रहती है। राजनीति की भाँति युद्ध में एक समूह द्वारा अन्य समूहों के विरुद्ध क्रिया की जाती है। युद्ध का व्यापक रूप असा कि आज हमें दिखाई देता है केवल सशस्त्र सधर्म ही नहीं होता बरन् कूटनीति, आर्थिक साधन एवं प्रचार आदि अनेक साधनों को प्रयुक्त किया जाता है। युद्ध का यह व्यापक रूप अपने प्रारम्भिक काल में इतना जटिल नहीं था। सैनिक शक्ति का अस्तित्व पहले भी एक रक्षात्मक रूप में था और अनेक दबावकारी साधन के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता था। यह अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की एक मापने योग्य वास्तविकता एवं प्रमुख मनोवैज्ञानिक तत्व था। सैनिक शक्ति का अस्तित्व केवल युद्ध में ही नहीं कलकता बरन् यह निष्क्रिय रूप में भी रह सकता है और समय-मसय पर अपनी उपस्थिति का मान भी करा सकता है। आज के राजनैतिक तरीकों में जो गैर सैनिक तकनीकें अपनाई जाती हैं वे भी सैनिक साधनों के सहारे प्रभावशील बनाई जाती हैं।

युद्ध एवं हिंसा का अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में इतना महत्त्व है कि वाल्टेयर जैसे विचारकों को यह कहना होता है कि इतिहास मुख्य रूप से हिंसा विध्वंस, मानवीय कष्ट एवं मृत्यु का अभिलेख है। पेंडिलकोर्ड तथा रिमन इस कथन पर विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कोई इस दर्शन को माने या न माने किन्तु तथ्य यह है कि मानव जाति ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय समाज में रहती है जिसमें कि भगड़े और सधर्म हैं। सन् १८२० से लेकर सन् १९२९ तक करीब ८२ युद्ध लड़े गए तथा इनमें से प्रत्येक में दस हजार से भी अधिक लोग मारे गये। सन् १९४५ से लेकर सन् १९६५ तक के छोटे से बाल में चालीस युद्ध लड़े गए। युद्धों की गति कम होने की अपेक्षा बढ़ती ही जा रही है।

अतीत काल में युद्धों का स्वरूप सीमित था और सामान्य व्यक्ति इसमें बहुत कम सम्बन्ध रखता था। यदि युद्ध में उसका स्थानीय समाज ही उलझ जाए तो उसे ज्ञात होता था। प्रसारहवी शताब्दी तक युद्धों का स्वरूप सीमित

होता था और वर्तमान राज्य व्यवस्था के प्रारम्भ तक वे सीमित रहे। इससे पूर्व युद्धों का सम्बन्ध राजाओं और प्रजातन्त्रियों में रहता था तथा इन भगवों और सधवों का परिणाम भी शाही परिवारों पर होता था। पन्द्रहवीं शताब्दी से लेकर फासीवीं क्रि.वि. तक यूरोप की सेनाएँ छोटे व्यावसायिक निकाय होती थीं। इनमें अधिकतर कार्यकर्ता भाड़े पर रखे जाते थे। युद्ध के क्षेत्र में भी सिपाही के विरुद्ध सिपाही को लड़ाने में अधिक प्रेरणा और विरोध का प्रचार नहीं करना होता था। इन भाड़े के सैनिकों का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्त करना होता था। वे यह नहीं चाहते थे कि युद्ध भूमि पर अपने प्राण दें और न ही उनकी यह कामना होती थी कि वे अपने अधिकतम विरोधियों के प्राण ले लें। इसके प्रतिरिक्त विरोधी सेनाओं के नेता भी यह नहीं चाहते थे कि उनके सिपाही बलिदान हो जाए क्योंकि वे उनकी कार्य करने वाली पूजा थे। वे जब अपनी सेनाओं पर खर्च करते थे तो यह कामना करते थे कि सेनाएँ बनी रहे। विरोधी वर्ग दूसरे पक्ष के सैनिकों को इसलिए नहीं मारना चाहता था कि उन्हें जिन्दा रखने पर या बन्दी बना कर बेचा जा सकता था भयवा स्वयं की सेना में रखा जाता था। शत्रु को समाप्त करना किसी भी पक्ष का उद्देश्य नहीं होना था क्योंकि यदि शत्रु न रहेगा तो वे बेरोजगार हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में हम काल में लड़े जाने वाले इटली के अधिकांश युद्ध क्रूरता एवं क्रूरनीति की मांग करते थे जिसके आधार पर बिना पुनः तरावा किये ही उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। मैक्यावेली (Machiavelli) ने पन्द्रहवीं शताब्दी के ऐसे अनेक युद्धों का वर्णन किया है जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण थे किन्तु जिनमें एक भी व्यक्ति नहीं मरा और मरा भी तो एक या दो। उनकी मृत्यु का कारण भी शत्रु का आघात नहीं होता था बल्कि थोड़े से गिर कर मर जाता था। मैक्यावेली का यह कथन चाहे प्रतिशयोक्ति मान लिया जाए किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस समय के युद्ध पर्याप्त सीमित होते थे। नेपोलियन के युद्धों को तथा धार्मिक युद्धों को छोड़ कर वे श्राव की युद्धों में कोई समानता नहीं रखते थे। फ्रांस की क्रांति ने और बाद में नेपोलियन ने बड़ी सेनाएँ बनाने और उनका समर्थन करने की तकनीकों का विकास किया। राष्ट्रवाद के उदय के कारण इन बड़ी सेनाओं की अन्धा समझा जाने लगा। जनसत्ता की वृद्धि के परिणामस्वरूप और औद्योगिक क्रांति के कारण युद्ध के आचरण का रूप एवं स्तर परिवर्तित हो गया। राष्ट्रवाद की भावना ने व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय हितों को एक बना दिया। इसने लोकप्रिय सेनाओं को न्यायोचित ठहराया। मि० ई० एच. कारे के मतानुसार राष्ट्र का समाजीकरण धार्मिक नीति का राष्ट्रीयकरण तथा राष्ट्रवाद

का भौगोलिक प्रसार आदि तत्व मिल कर हमारे समय के सर्वाधिकारवाद के कारण बने हैं और इसकी अभिव्यक्ति सम्पूर्ण युद्ध में हुई। युद्ध के पुरातन एवं नवीन रूप का तुलनात्मक रूप से उल्लेख करते हुए सन् १९५७ में मार्शल फोक (Marshall Fock) ने फ्रांसीसी युद्ध महाविद्यालय के सम्मुख कहा था कि सचमुच एक नया युग प्रारम्भ हो चुका है। यह युग राष्ट्रीय युद्धों का है जिनमें कि राष्ट्र के सारे साधन खोत लग जाते हैं। इनका उद्देश्य शाही खानदान का हित नहीं होता और न ही एक प्रांत को जीतना या अधिकार में करना होता है बरन् प्रथम तो दार्शनिक विचारों की सुरक्षा एवं प्रसार है और उसके बाद स्वतन्त्रता के सिद्धान्त, एकता तथा विभिन्न प्रकार के भौतिक लाभ आते हैं। ये युद्ध प्रत्येक सैनिक की रुचि और योग्यता को जागृत करते हैं तथा उसके भावों एवं सम्बन्धों का लाभ उठाना चाहते हैं। इन्हें पहले कभी भी शक्ति के तत्व नहीं समझा जाता था। एक ओर तो प्रबल भावनाओं से युक्त मानव शक्ति का व्यापक प्रयोग है जिसमें कि समाज की प्रत्येक क्रिया आ जाती है। इस व्यवस्था में किलेबन्दी, भूमिगत साधनों का प्रयोग, हथियार, गोला बारूद आदि चीजें उपयोगी मानी जाती हैं। दूसरी ओर अठारहवीं शताब्दी के साधन खोतों का प्रयोग अब सैनिक भावना और उचित परम्पराओं के साथ किया जाने लगा है।

इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में आते आते युद्धों का स्वरूप पूरी तरह बदल गया और अब सम्पूर्ण समाज को युद्ध में अपना योगदान देना होता है जहां कि बहुत बड़ी फौज लड़ाई के क्षेत्र में भेज दी जाती है। द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी, जापान, सोवियत संघ, अमरीका आदि महाशक्तियों में से प्रत्येक न लगभग ८० लाख सशस्त्र सैनिक युद्ध के मैदान में भेजे। कुछ राष्ट्रों में तो महिलायें भी सशस्त्र सेनाओं में भाग लेती हैं। सोवियत स्त्रियां लड़ाई के मैदान में हथियार धारण करती हैं। युद्ध की दृष्टि से आधुनिक समय ने एक सैनिक और नागरिक के बीच का अन्तर दूर कर दिया है। अभीसर्वीं शताब्दी तक नागरिकों को जो मुक्ति प्राप्त थी वह अब समाप्त हो गई है और अब आवश्यकता के समय उसे कभी भी युद्ध क्षेत्र में भेजा जा सकता है। आधुनिक युद्ध की मारों को केवल तभी पूरा किया जा सकता है जबकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र युद्ध की ओर चलते हों तथा समाज की सारी शक्तियां इकट्ठी होकर इस एक ही उद्देश्य की ओर लग जायें। प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध की परम्पराओं से हमें जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनके आधार पर तृतीय विश्वयुद्ध की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में अधिक अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि तृतीय विश्वयुद्ध में अणुशक्ति के प्रसार का

एक नया तत्व जुड़ गया है। आज की स्थिति में यह सम्भव है कि यदि तृतीय विश्वयुद्ध हुआ तो सशस्त्र सेनाओं को शायद इतना नुकसान न हो और नागरिक जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाए। युद्ध के अर्थ एवं महत्व के प्रति अब जन धारणाएँ बदल चुकी हैं। साम्यवादी चीन आदि कुछ देशों को छोड़ कर अधिकांश देश यह मानने लगे हैं कि तृतीय विश्वयुद्ध मानव का अन्तिम युद्ध होगा। इतिहासकारों का कहना है कि प्रथम विश्वयुद्ध ही वह आखिरी युद्ध था जिसमें कि राष्ट्रीय ने युद्ध के बाजे बजा कर भाग लिया और नागरिकों न प्रशंसा करके उनके उत्साह को बढाया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद में कुछ नये प्रकार के युद्ध भी सामने आए हैं जैसे राजद्रोह और स्वतन्त्रता के लिए युद्ध, आदि। साम्यवादी देशों द्वारा इन युद्धों को आंतरिक विप्लव द्वारा समर्थित किया जाता है। इस प्रकार के संघर्षों ने सशस्त्र सेनाओं को संयुक्त रूप से राजनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक कार्यों सीप दिए हैं। इन युद्धों में गैर सैनिक साधनों की भी आवश्यकता होती है क्योंकि केवल सेनाओं द्वारा छारामार युद्ध एवं राजद्रोह नहीं किया जाता। आज अणुशक्ति तृतीय विश्वयुद्ध के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक शक्ति बन गई है। ऐसी स्थिति में छोटे राज्यों की सुरक्षा उस समय तक खारे में है जब तक कि कोई अणुशक्ति सम्पन्न बड़ी शक्ति उसकी रक्षा को अपना हित न समझे।

सम्पूर्ण युद्ध (The Total War)

साधनिक युद्ध की प्रकृति को देख कर इसे सम्पूर्ण युद्ध की संज्ञा प्रदान की जाती है। मार्गण्डी महालय ने माना है कि साधनिक युद्धों को चार अर्थों में सम्पूर्ण युद्ध कहा जा सकता है। प्रथम इसलिए कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग भावनाओं तथा प्रेरणाओं की दृष्टि से पूर्णतः एक रूप होकर अपने राष्ट्र के युद्ध में लग जाता है। दूसरे, युद्ध में योगदान करने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी होती है। तीसरे, युद्ध से प्रभावित लोग बड़ी संख्या में होते हैं और चौथे, युद्ध के द्वारा जिन उद्देश्यों की साधना के लिए जो प्रयास किये जाते हैं वे अत्यन्त व्यापक होते हैं। पहले इन सभी दृष्टियों से युद्ध सीमित हुआ करते थे क्योंकि उनका कोई ही लोगों का भावनात्मक एवं धारणात्मक सहयोग प्राप्त होता था; युद्ध में सक्रिय रूप से बहुत छोटे लोग लड़ते थे, युद्ध से प्रभावित होने वाली जनसंख्या प्रचिन नहीं होती थी और युद्ध के उद्देश्य भी सीमित थे; किन्तु आज की स्थिति पूर्णतः विपरीत हो चुकी है।

वर्तमान युग में जब कभी कोई लड़ाई होती है तो समस्त व्यक्तिगत नागरिक अपने देश के द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध के साथ अपने आपको एक रूप कर लेते हैं। यह एकरूपता नैतिक एवं अनुभववात्मक तत्वों के आधार पर स्थापित की जाती है। नैतिक तत्व न्यायपूर्ण युद्ध के सिद्धांत की बीसवीं शताब्दी में पुनरावृत्ति है। इसके अनुसार युद्ध में सलग्न दो राज्यों के बीच भेद करना हुए यह निश्चित किया जाता है कि कौन ऐसा है जिसका कार्य कानून और नैतिकता की दृष्टि से न्यायोचित है तथा किसको कानूनी तथा नैतिक दृष्टि से हथियार न उठाने का अधिकार है। यह सिद्धांत मध्ययुग में अत्यन्त प्रभावशाली था किन्तु प्राधुनिक राज्य व्यवस्था के जन्म ने इस पर पानी फेर दिया। इसके परिणामस्वरूप एक नया सिद्धांत विकसित हुआ जो प्रत्येक प्रकार के युद्ध को न्यायोचित ठहराता है। सीमित युद्ध के दौरान न्यायोचित और अन्यायपूर्ण युद्ध के बीच का अन्तर अस्पष्ट रूप से बना रहा किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी में यह पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब युद्ध को एक तथ्य मात्र समझा जाता है जिसका आचरण कुछ नैतिक एवं कानूनी नियमों का विषय है किन्तु इन नियमों की रचना राज्य अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। इस प्रकार युद्ध राष्ट्रीय एवं शासकों के व्यक्तिगत हित का साधन बन गया जिस कूटनीति के साथ संयुक्त रूप से प्रयुक्त किया जाता है।

इस प्रकार के युद्ध में जनता अपने आपको एकाकार करने में कठिनता का अनुभव करती है। ऐसा बेवत तभी हो सकता है जबकि युद्ध के उद्देश्य को नैतिक सिद्ध किया जाए। दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि शत्रु के विरुद्ध तथा अपने समर्थन में नैतिक उदाहृत करने के लिए यह जरूरी है कि अपने पक्ष को न्यायोचित बनाया जाए और दूसरे पक्ष को अन्याय पर आधारित। हो सकता है कि जो व्यावहारिक रूप से या भाव्यवश सैनिक हैं वे बिना इस सबके भी युद्ध में अपनी जान दे दें। किन्तु शास्त्र धारण करने वाले सामान्य नागरिक बिना इसके आगे नहीं बढ़ सकते। उन्नीसवीं शताब्दी के नेपोलियन के युद्धों में तथा इटली और जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण के युद्धों में राष्ट्रवाद की भावना ने न्याय के सिद्धांत का कार्य किया।

जिस समय युद्धों के पीछे कोई नैतिक या कानूनी सिद्धांत कार्य नहीं करता या उस समय कोई भी सेना कभी भी लड़ना बन्द कर सकती थी क्योंकि लड़ने वालों की प्रेरणा का स्रोत केवल धन था। युद्ध से पूर्व सेना उस पक्ष का समर्थन छोड़ कर दूसरे गुट में मिल जाती थी जिससे उसने वेतन

प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए सन् १६२५ में पाविया की लड़ाई (The Battle of Pavia) से कुछ दिन पूर्व ६ हजार स्विज और २ हजार इटली के सैनिक फ्रांसीसी सेना को छोड़ गए और इस प्रकार फ्रांसीसी शक्ति एक तिहाई रह गई। सौलहवी एव सत्रहवी शताब्दियों के घामिक युद्धों में पूरी की पूरी सेना कई बार पक्ष बदल लेती थी। युद्ध क्षेत्र में पर्याप्त व्यक्ति रखने के लिए फ्रेंचिक महार ने उन लोगों को पुरस्कार देने की घोषणा की जो कि ६ महीने के अन्दर उनकी इच्छाओं में लौट आयें।

पहले सैनिक सेवा को अपराधों के लिए सजा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। जिन लोगों को मौत की सजा सुनवाई जाती थी उनके सम्मुख एक विकल्प यह होता था कि वे चाह तो सेना में आ जायें। इस प्रकार से संगठित सेना में मारेले जैसी किसी चीज के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे लोग न तो अपने देश के प्रति स्वामिमत्ति रखते थे और न ही अपने राजा के प्रति स्वामिमत्त थे। इन लोगों को केवल कड़े अनुशासन और इनाम के आधार पर एक साथ रखा जाता था। उस समय के युद्धों की प्रकृति सैनिकों का सामाजिक सम्मान तथा सामाजिक पृष्ठभूमि आदि बातों के सन्दर्भ में ऐसा होना स्वाभाविक ही था।

सीमित युद्धों के समय जब युद्ध विहासन प्राप्ति के लिए या किसी नगर की प्राप्ति के लिए या राजा के सम्मान के लिए लड़े जाते थे वहाँ सैनिक सेवा को राजा का वश परम्परागत विशेषाधिकार समझा जाता था, किन्तु सन् १७६३ के फ्रांसीसी कानून ने जब १८ और २५ के प्रत्येक स्वस्थ पुरुष के लिए सैनिक सेवा आवश्यक बना दी तो युद्ध की नई प्रकृति को पहली बार व्यवस्थापिका की मान्यता प्राप्त हुई। फ्रांस की भाति प्रुसा (Prussia) ने भी सन् १८०७ में कानून पास किया जिसके अनुसार भाड़े के सैनिकों को रक्षना बन्द कर दिया, सेना में विदेशियों को लेना बन्द कर दिया तथा सन् १८१४ के कानून के अनुसार अपने देश की रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य घोषित कर दिया। इस प्रकार युद्ध का स्वरूप ऐसा हो गया जिसमें कि सारी जनता भाग लेती है।

⑨ सम्पूर्ण युद्ध की दूसरी विशेषता यह है कि यह युद्ध केवल सम्पूर्ण जनता का ही नहीं होता बरन् सम्पूर्ण जनता द्वारा लड़ा जाता है। जब बीसवीं शताब्दी में युद्ध की प्रकृति परिवर्तित हो गई और इसका उद्देश्य केवल राष्ट्रीय मुक्ति न होकर राष्ट्रवादी विश्व व्यापकता हो गया तो युद्ध में जनता का योगदान भी अपेक्षाकृत बढ़ गया। अब न केवल स्वस्थ शरीर वाले पुरुषों

को ही युद्ध में लिया जाता है वरन् सर्वाधिकारवादी देशों में तो स्त्रियों और बच्चों को भी युद्ध में भाग लेना पड़ता है। गैर-सर्वाधिकारवादी देशों में भी स्त्रियों की सहायक सेवाएँ उनकी स्वेच्छा के आधार पर माँगी जाती हैं। हर देश में राष्ट्र की सभी शक्तियाँ युद्ध में लगा दी जाती हैं। मौलिक युद्ध के समय अधिकांश जनता का युद्ध में कुछ लेना देना नहीं होता था। सामान्य जनता पर तो केवल यह प्रभाव पड़ता था कि उनसे अधिक कर लिए जाने थे किन्तु आज का युद्ध प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है और उसे इसमें अपना सक्रिय योगदान देना होता है।

इस विकास के लिए उत्तरदायी दो कारण माने जाते हैं। प्रथम यह कि सेनाओं के आकार में वृद्धि हो गई है और दूसरे यह कि युद्ध का यात्रिकीकरण हो गया है। सोलहवीं, सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में सेनाओं का आकार बढ़ कर अधिक से अधिक दस हजार हो जाता था। नैपोलियन के युद्धों में कुछ सेनाओं की संख्या कुछ लाख व्यक्तियों तक हो गई। प्रथम विश्वयुद्ध में पहली बार सेनाएँ दस लाख से ऊपर निकल गयीं और द्वितीय विश्वयुद्ध में इनकी संख्या एक करोड़ में भी ऊपर निकल गई। युद्धों में हथियारों, आवश्यक सामग्रियों, यानायात्रण एवं संचार आदि का यंत्रीकरण तथा सेना का बड़ा आकार आज यह माँग करता है कि कार्य करने वाली सारी जनसंख्या अपना पूरा योगदान दे। ऐसा होने पर ही सैनिक सम्पत्तियों को युद्ध के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जा सकता है। अनुमान लगाया गया है कि युद्धभूमि में एक व्यक्ति को सक्रिय रखने के लिए कम से कम एक दर्जन व्यक्तियों के उत्पादनशील प्रयासों की आवश्यकता रहती है। युद्ध-भूमि में लड़ रहे सैनिकों को खाना पट्टूचाने, कपड़ा पट्टूचाने, हथियार भेजने, यातायात और संचार की व्यवस्था करने आदि कार्यों में जितने लोगों को सक्रिय होना पड़ता है उसके आधार पर यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वर्तमान युद्ध सम्पूर्ण जनसंख्या द्वारा युद्ध बन गए हैं।

⑤ युद्धों को सम्पूर्ण कहने का एक तीसरा आधार यह है कि ये सम्पूर्ण जनसंख्या के विरुद्ध लड़े जाते हैं। केवल यही नहीं कि प्रत्येक को युद्ध में भाग लेना पड़ता है वरन् प्रत्येक को युद्ध का परिणाम भी भुगनना पड़ता है। किसी भी युद्ध में होने वाली क्षति के आँकड़े यद्यपि वे विश्वसनीय कम होते हैं किन्तु वे इस कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। पहले युद्ध में जनसंख्या का जो प्रतिशत अपनी जान खो देना था वह आज की अपेक्षा बहुत कम है। बीसवीं शताब्दी में युद्ध का स्वयं विध्वंसकारी बन गया है, इसलिए सैनिक कार्यवाही से हाने वाले हताहतों की संख्या भी

अपेक्षाकृत बढ गई है। धार्मिक युद्धों की समाप्ति के काल से ही गैर-सैनिक जनसंख्या को भी युद्धों के दुष्परिणाम भुगतने होने हैं। इसमें कोई संदेह नहीं किया जाता कि द्वितीय विश्वयुद्ध की सैनिक कार्यवाही से सामान्य नागरिकों की जितनी जानें गयीं वे सैनिकों की तुलना में अधिक थीं। द्वितीय विश्वयुद्ध में सोवियत मध्य के हताहतों की संख्या उनकी कुल जनसंख्या का दस प्रतिशत थी। इस प्रकार आधुनिक युद्ध में गैर सैनिक लोगों के विध्वंस की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। सन् १९६५ के भारत-पाक सैनिक संघर्ष के समय पाकिस्तानी बमबारी ने न केवल भारतीय सैनिकों को हताहत किया बरन् जोधपुर, अमृतसर आदि नगरों के मरीजों, बन्दियों एवं अन्य सामान्य नागरिकों को भी निर्मम हत्या की।

(५) आज के युद्धों को लक्ष्य की दृष्टि से भी सम्पूर्ण युद्ध कहा जाता है। आज विश्व की महान् शक्तिषु केवल इसलिए युद्ध नहीं लड़ती कि वे युद्ध क्षेत्र में शत्रु की सेनाओं को हरा दें या अपनी क्षतिपूर्ति कर लें अथवा अपनी सीमाओं को बढा लें। आज के युद्धों का उद्देश्य शत्रु देश की जनता को पूरी तरह से नष्ट करना ही सच्चा है, उसके कल कारखानों एवं युद्ध क्षमता को समाप्त करना ही सकता है उनकी सरकार का पुनर्गठन हो सकता है तथा उस देश की विचारधारागत भाव्यताओं को बदलना हो सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में हारने वाले लोगों के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन तक को परिवर्तित कर दिया गया। ऐसा परिवर्तन जापान में मित्र राष्ट्रों द्वारा और केंद्रीय यूरोप में सोवियत संघ द्वारा किया गया।

युद्ध की प्रवृत्ति में सामाजिक परिवर्तन के रूप में लक्ष्यों को जोड़ना प्रमुख आधुनिक विकास माना जाता है। मुक्ति के लिए युद्ध (Wars of Liberation) असुरक्षा की भावना को बढाते हैं और ये न केवल विजित राष्ट्रों पर ही लागू होते हैं बरन् इनको तटस्थ एवं विजयी राष्ट्रों में भी छोड़ा जा सकता है। युद्ध के द्वारा जो सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था लाई जाती है, वह बिना सैनिक पराजय के भी अन्तिकारी परिवर्तन ला देती है। आधुनिक सम्पूर्ण युद्ध में सम्पूर्ण हार का जोखिम रहता है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में असीमित राजनैतिक उद्देश्यों के लिए असीमित सैनिक साधनों का प्रयोग किया गया। इस दृष्टि से यह सुझाया जाता है कि यदि हम युद्ध में अपनाये जाने वाले साधनों के प्रयोग को सीमित करना चाहते हैं तो हमें लक्ष्यों को भी सीमित करना होगा।

आज के युद्ध विश्व विजय को अपना उद्देश्य बना कर भी लड़े जा सकते हैं। अनेक यान्त्रिक विकासों के परिणामस्वरूप मातृशक्ति, संचार और

राष्ट्रों के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसने यह सम्भव बना दिया है कि विश्व को जीता जा सके और विजयी राष्ट्र द्वारा उसका प्रबन्ध किया जा सके। यह सच है कि इससे पहले भी बड़े-बड़े साम्राज्य थे किन्तु ये साम्राज्य अधिक दिनों तक नहीं चल सके, क्योंकि उस समय ऐसे यान्त्रिक साधनों का अभाव था जिनसे व्यापक जनता पर नियन्त्रण रखा जा सके।

एक विश्वव्यापी साम्राज्य को स्थायी रूप देने के लिए तीन चीजें मूल रूप से आवश्यक हैं। प्रथम, साम्राज्य के सभी लोगों के मस्तिष्क पर केन्द्रीकृत नियन्त्रण द्वारा सामाजिक एकीकरण लागू करना, दूसरे, साम्राज्य में जहाँ भी कहीं एकता के विरोध की सम्भावना हो वहाँ सर्वोच्च सगठित सेना रखना, और तीसरे, नियन्त्रण एवं प्रभाव के इन साधनों में स्थायित्व होना चाहिए तथा सम्पूर्ण साम्राज्य में फैले रहने चाहिए। इन तीनों सैनिक एवं राजनैतिक पक्ष आवश्यकताओं में से अतीतकाल में एक को भी प्राप्त नहीं किया जा सका किन्तु आज ये तीनों ही सम्भव हैं।

पहले संचार के साधन गैर-यान्त्रिक थे और जहाँ कहीं यान्त्रिक थे वहाँ वे कठोर रूप से बंधकीकृत थे और इस प्रकार विवेकीकृत थे। कोई भी समाचार या विचार या तो मुह के शब्दों द्वारा प्रसारित किया जाना था अथवा पत्रों, प्रेस आदि के द्वारा जिनको कि केवल एक ही व्यक्ति अपने घर में संचालित कर सकता था। ऐसी स्थिति में भावी विजेता को असंभव विरोधियों से लड़ना होता था। विश्व विजय की कामना रखने वाला यदि अपने विरोधियों को पकड़ ले और पहिचान ले तो उन्हें जेल में डाल सकता था, उनकी हत्या करा सकता था, किन्तु वह यह नहीं कर सकता था कि उनकी जवान को नरम बना दे या समाचार, रेडियो एवं चलचित्रों पर एकाधिकार कर ले।

पहले हिंसा के साधन भी बहुत कुछ गैर-यान्त्रिक विवेकीकृत और अविनग्न थे। ऐसी स्थिति में विश्वव्यापी साम्राज्य बनाने का स्वप्न देखने वाला पग पग पर ऐसे सगठनों का खड़ा पाएगा जो कि उसमें सगमन बराबरी का स्तर चाहते हैं। दोनों के पाम समान हथियार थे। ऐसी स्थिति में कोई भी विजेता साम्राज्य की स्थापना के लिए सभी सम्भावित विरोधियों के विरुद्ध हर जगह एक सर्वोच्च सगठित सेना कायम नहीं कर सकता था। पहले के साम्राज्य का कोई भी भङ्ग कहीं पर विद्रोह कर दे तो उसे दबाना असंभव बन जाता था क्योंकि केन्द्रीय सत्ता को इसकी सूचना बहुत दिनों में पहुँचती थी और सूचना मिलने के बाद भी विद्रोह का दबाने के लिए जो प्रबन्ध किया जाता था उसमें भी पर्याप्त समय लग जाता था; किन्तु आज की स्थिति में

कोई भी विश्व साम्राज्य की सरकार रेडियो के माध्यम से सीधे ही वस्तु-स्थिति से सूचित हो जाएगी और कुछ ही घण्टों में सैकड़ों शमवर्षक भेज देगी तथा पैराशूट, मोटार, टैंक, तथा हथियारों से भरे हुए बीतियों या न मिजवा देगी जिनका कि वह एकाधिकार रखती है और इस प्रकार राजद्रोह प्रस्त नगर की स्थिति पर काबू पाया जा सकता है ।

भाज यातायात के क्षेत्र में होने वाले आविष्कारों ने ऐसी स्थिति ला दी है कि विश्व साम्राज्य की स्थापना करने वाले को अनुकूल जलवायु और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता जिसके कारण नैपोलियन के प्रयास निरर्थक बन गए और विश्व विजय का विचार रखने वाले दूसरे नेताओं ने अपनी हिम्मत हार दी । पहले हिमपात के समय, शरद ऋतु में तथा बसन्त प्रारम्भ होने के समय युद्ध को रोकना पड़ता था, क्योंकि ऐसे मौसम में सेना की रक्षा करना और लड़ने के लिए आवश्यक सामग्री भेजना असम्भव था । इन शत्रु को यह भवसर मिल जाता था कि वह दुबारा युद्ध प्रारम्भ होने तक अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ले और पुनः सशक्त बन जाए । यह भी हो सकता था कि शत्रु की शक्ति इतनी बढ जाए कि विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाले को अपनी जान के साथे पड जायें । इन परिस्थितियों में विश्व विजय की कामना करना निरी भ्रूलता थी, क्योंकि एक मौसम में लड़ाई के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया वह दूसरा मौसम आने तक बराबर हो जाता था और उसे प्राप्त करने के लिए पुनः उतना ही प्रयास करना होता था । इस प्रकार जितनी दूर भागे बढने और उतनी ही दूर पीछे फिसलने की चाल से विश्व विजय की कल्पना करना दोसचिल्ली के स्वप्नों से अधिक सार्थक नहीं था ।

भाज की स्थितियों में सम्भावित विरत्र विजेता के पास तकनीकी साधन हैं जिनके द्वारा यह एक बार की गई प्राप्ति को स्थायी बना सकता है । जीते हुए प्रदेश में उसकी सगठित सेना की सर्वोच्चता हर समय और हर जगह मानी जाएगी, चाहे मौसम कुछ भी हो और दूरी कितनी भी हो । प्रचार के सशक्त साधनों के माध्यम से विजेता अपने सम्भावित शत्रुओं पर सर्वोच्चता कायम कर सकता है । इस प्रकार से यदि एक बार किसी में विश्व साम्राज्य स्थापित कर लिया तो वह उसको बनाए रख सकता है और सफल रूप में उसका सवालन कर सकता है इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता । जिन लोगों को एक बार जीत लिया गया वे हमेशा के लिए विजित बनाए जा सकते हैं । भाज यदि एक देश प्रभाव के तकनीकी साधनों में सर्वोच्चता रखने में सक्षम है तो वह विश्वव्यापी साम्राज्य भी

स्थापित कर सकता है। यदि एक राष्ट्र अगुशस्त्रा पर और सच्चा तथा याज्यात के प्रमुख मान्यो पर एकाधिकार रख सके तो वह दुनियाँ को जीत सकता है और इस जीत को स्थायी बना सकता है। किन्तु यह तभी सम्भव है जब कि वह इस एकाधिकार और नियन्त्रण को बनाये रखने में समर्थ हो। आधुनिक तकनीकी ने यह सम्भव बना दिया है कि दुनिया के प्रत्येक कोने के लोगों के दिमाग और कार्यों पर प्रत्येक मौनम न नियन्त्रण रखा जा सके।

सैनिक शक्ति की सम्भावनाये (The Possibilities of Military Power)

सैनिक शक्ति एक देश की रचना का आवश्यक भाग होती है जिसके बिना वह एक बंदम नौ भोगे नहीं बड सकता। राज्य के जो चार भावश्यक तत्व माने गये हैं उनमें महत्व की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सम्प्रभुता का स्वान सर्वोपरि माना जाता है और जिसी भी राज्य की सम्प्रभुता उसकी सैनिक सामर्थ्य एवं सम्भावनाओं द्वारा तय की जाती है। सैनिक शक्ति की सम्भावनाओं को चार शीपका के अधीन वर्णित किया जा सकता है। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि एक देश की सैनिक शक्ति उसकी राष्ट्रीय नीतियों को कितना समर्थित करती है तो चार मुख्य पौर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन करना उपयोग रहेगा। ये निम्न प्रकार हैं—

(१) आक्रमणकारी क्षमता (The Offensive Capability)

बहुत समय पूर्व से ही राज्य अपने पड़ोसियों व विरुद्ध प्रायः आक्रमणकारी युद्ध लड़ते रहे हैं। राज्यों के द्वारा अनेक राजनीतिक आर्थिक एवं अन्य गुप्त उद्देश्यों व लिए युद्ध किये जाते हैं। सैनिक शक्ति के प्रयोग के ये उद्देश्य प्रायः अप्रत्यक्ष एवं छिपे रहते हैं। प्रारम्भ में इन युद्धों का स्वरूप एवं प्रभाव सीमित था।

यह सच है कि अनेक आक्रमणकारी युद्धों ने आक्रमणकारियों को अनेक लाभ प्रदान किए। राज्यों ने सैनिक शक्ति के प्रयोग के सहारे अपनी स्वतंत्रता को बनाये रखा। अनेक राज्यों ने अपने प्रदेशों को बढ़ाया और अपनी धन-सम्पदा को भी सैनिक शक्ति के सहारे व्यापक बना दिया। अतीतकाल में सैनिक शक्ति के सहारे राज्यों ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का सफल प्रयास किया। वर्तमान समय के सशस्त्र संपर्कों द्वारा भी यह सिद्ध होता है कि राज्यों ने सैनिक शक्ति के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों का सिद्धि

का मार्ग छोड़ा नहीं है। कई बार आक्रमणकारी को भारी असफलताएँ भी मिलती हैं। इन असफलताओं के अनेक कारण हैं। स्पष्ट आक्रमणकारी के विरुद्ध देश अपनी सुरक्षा के लिए सज्जित भी हो जाते हैं। आक्रमण की नीति को अपनाते पर एक देश अपने पूर्व मित्रों एवं तटस्थ देशों के सहयोग तथा समर्थन को छोड़ देता है। कुछ आक्रमणकारी प्रयासों की सफलता से यह सिद्ध नहीं हो पाता कि नविवृद्धि न भी आक्रमणकारी प्रयास इतने ही खतरनाक होगी। आक्रमणकारी को एक सबसे बड़ा लाभ यह रहता है कि यह आक्रमण के स्वान, समय एवं प्रकार को निश्चित करने का अवसर प्राप्त कर लेता है। पर्यवेक्षकों का मत है कि आधुनिक शस्त्रों के आविष्कार ने आक्रमणकारी की शक्ति को पर्याप्त लाभदायक स्थिति में रखा दिया है।

प्रत्येक आक्रमणकारी को अपने आक्रमण के सम्बन्ध में अनेक निर्णय लेने होते हैं। वही यह तय करता है कि क्या उद्देश्य प्राप्त किए जायें, कौन से हथियार या शक्तिया अनाई जायें, किन भौगोलिक क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाये और किन को तिनारा जाय, युद्ध में रणकौशल से काम लिया जाए अथवा चातुरी से काम लिया जाए, घादि-घादि। तकनीकी युद्ध का अर्थ उम युद्ध से है जिसमें रण की सशस्त्र सेना पर आक्रमण किया जाता है और रणकौशल युक्त युद्ध वह होता है जो शत्रु की अर्थ-व्यवस्था एवं गृह व्यवस्था को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। युद्ध के उद्देश्य एवं तरीके का निश्चय करने के बाद यह निर्णय किया जाता है कि कौन से हथियारों का प्रयोग किया जाए।

आक्रमणकारी को यह स्वतन्त्रता रहनी है कि वह असीमित युद्ध छेड़ दे, शत्रु में बिना कर्ष आत्मसमर्पण की धान करे, घातक शस्त्रों का प्रयोग करे तथा भौगोलिक सीमाओं को न रखे। वह चाहे तो अपने कार्यों को मर्यादित भी रख सकता है, सीमित युद्ध अपना सकता है, कम हथियारों का प्रयोग कर सकता है, वह शत्रु की अर्थ-व्यवस्था में कुछ भी किए बिना केवल सेना पर आक्रमण कर सकता है, घादि-घादि। इन प्रकार आक्रमणकारी द्वारा किए जाने वाले आक्रमण कई श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं; जैसे, सर्व विनाश के लिए आक्रमण, परस्परगत आक्रमण, सीमित युद्ध एवं गृह युद्ध। बाद वाली श्रेणियों के बीच अन्तर करना असम्भव है क्योंकि किसी भी गृह युद्ध में किसी भी महानक्ति का ध्यान आश्रित हो जाता है।

(२) सुरक्षात्मक क्षमता
(Defensive Capability)

शत्रु के आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा की शैतिक क्षमता का एक मुख्य

को मन्द बनाने के लिए उसकी स्वयं की रक्षा को चुनौती देना जरूरी हो जाता है। सुरक्षा के लिए नियोजन एक बड़ा ही जटिल विषय है जिसके सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद पाए जाते हैं।

❶) प्रतिरोध की क्षमता

(Deterrent Capability)

विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सैनिक शक्ति का प्रयोग प्रतिरोधात्मक रूप में भी किया जा सकता है। शक्ति के प्रयोग का यह प्रतिरोधात्मक रूप रक्षात्मक योजना से अधिक मित्र नहीं है। सैनिक शक्ति के इस प्रयोग का पर्याप्त महत्व है किन्तु इसे प्राप्त कैसे किया जाए? यह प्रश्न अत्यन्त जटिल है। यह कहा जाता है कि सुरक्षा का चाहे कितना भी महत्व हो किन्तु केवल सैनिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक सकल रक्षात्मक योजना में प्रतिरोधात्मक शक्ति का होना परमावश्यक है। यह कहा जाता है कि जब आक्रमणकारी के विरुद्ध रक्षात्मक तैयारी में सैनिक शक्ति का विस्तार किया जाता है तो इसकी प्रतिक्रियास्वरूप आक्रमणकारी भी अपनी शक्ति को बढ़ाता है और इस दौड़ में सीमा रेखा कहा जाएगी यह निश्चित नहीं रहता। जैसे एक बड़े आकार की सेना में सबेव ही एक प्रतिरोधात्मक शक्ति रहनी है। किन्तु फिर भी आज प्रतिरोधात्मक शक्ति का महत्व अधिक हो गया है। एक सफल प्रतिरोधात्मक शक्ति की कुछ आवश्यक विशेषताएँ होती हैं। प्रथम आवश्यकता यह है कि रक्षक के पास इतनी पर्याप्त सेना हो कि वह सम्भावित शत्रु के किसी भी प्रकार के आक्रमण का सामना कर सके।^① दूसरे, प्रोत्साहित किए जाने पर रक्षक को उस शक्ति का प्रयोग करने की तैयार रहना चाहिए।

② तीसरे, सम्भावित आक्राता को रक्षक की सामर्थ्य का थोड़ा-बहुत अनुमान रहना चाहिए। उसे रक्षक के प्रतिप्रायो का भी गान रहना चाहिए। यह बात उस परम्परागत सिद्धान्त के विरुद्ध है जिसके अनुसार सेना सम्बन्धी प्रत्येक बात को शत्रु के हाथों में जाने से रोका जाना था।^③ चौथे, रक्षक को आक्राता के मूख्यों का ध्यान रखना चाहिए।^④ अन्तर्भे, सम्भावित आक्राता बुद्धिशील होना चाहिए।

इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त एक बात यह महत्व रखनी है कि उस आक्रमण का प्रकार क्या है जिसका कि प्रतिरोध किया जाना है और क्या सेना द्वारा उसका प्रतिरोध किया जा सकेगा। आक्रमण व्यापक विघ्नस, परम्परागत, पीतमुड एवं गृह युद्ध-किसी भी रूप में हो सकता है और प्रत्येक रूप में आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए एक ही प्रकार की

शक्ति अर्पणार्थ रहनी है। आजकल विध्वंसकारी शस्त्रों के प्रतिरोध की श्रार बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। यह सच है कि यूरोप में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद व्यापक संहार के अथवा परम्परागत शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया है। किन्तु फिर भी आजकल व्यापक संहार के शस्त्रों के विकास को एक मूल सैनिक आवश्यकता समझा जाता है।

केवल व्यापक संहार के शस्त्र ही पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। इन हथियारों के द्वारा आक्राता को व्यापक संहार का युद्ध करने से अथवा परम्परागत युद्ध छेड़ने से रोका जा सकता है किन्तु ये निश्चय ही शीतयुद्ध एवं गृहयुद्ध जैसे आक्रमणों में प्रतिरोध का काम नहीं कर सकते। इन आक्रमणों का विरोध करने के लिए अन्य साधनों एवं तरीकों से युक्त परम्परागत हथियारों की आवश्यकता है।

प्रतिरोधारमक सामर्थ्य की एक बड़ी निहित कठिनाई यह है कि इसके लिये किये गये प्रयासों की सफलता को उस समय तक प्रमाणित नहीं किया जा सकता जब तक कि आक्रमण न हो जाये। प्रतिरोधात्मक शक्ति की एक सफलता तो यह हो सकती है कि आक्रमणकारी अपनी सेना को घटा ले। इस प्रकार सैनिक शक्ति शत्रु के विरुद्ध प्रयुक्त किये बिना भी लाभदायक बन सकती है।

(४) छापामार क्षमता

(Guerrilla Capability)

छापामार तकनीक को सैनिक शक्ति की किसी भी मात्रा के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को छापामार विरोधा तकनीकों का बहुत कम ज्ञान था। इसका कारण यह था कि रूस, चीन आदि साम्यवादी देशों के छापामार मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहे थे। कोरिया के मघर्ष के समय समुक्त राष्ट्र मघ की फौजों ने छापामार युद्ध का विरोध करने की कुछ तकनीकों का विरोध करना सीखा। जब कोरिया में साम्यवादी देशों द्वारा पश्चिम का विरोध किया गया तो उन्हें छापामार युद्ध के प्रतिरोध का अनुभव करना पड़ा। साम्यवादियों को युद्ध के इस तरीके का महत्व ज्ञात है तथा वे इसका हर जगह प्रयोग करते हैं। माओत्से तुङ्ग को छापामार युद्ध का प्रमुख विशेषज्ञ माना जाता है। उसकी पुस्तिका छापामार युद्ध (Guerrilla warfare) सन् १९६७ में चीन में प्रकाशित हुई इसमें उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया जो कि चीनी व रूसी छापामारों द्वारा अपनाये गये थे।

युद्ध को रोकने का प्रयास (Preventive and detective measures)

अमरीका के राज्य-सचिव (Secretary of States) जॉन फास्टर डलेस (John Foster Dulles) द्वारा युद्ध को रोकने के लिए समय-समय पर दिये गये सुझावों की निम्नलिखित सूची पेश की गई है—

१. युद्ध के भयावह परिणामों की शिक्षा देना
(Education as to the horrors of war)
२. 'युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा' इस बात की शिक्षा देना
(Education to the fact that "war does not pay")
३. एकान्त और धार्मिक अन्तर्राष्ट्रीयवाद
(Isolation and Economic Internationalism)
४. केलोग-ब्रियाँ सन्धि या पेरिस की सन्धि
(The Pact of Paris Vs Kellogg-Briand Pact)
५. राष्ट्र संध (League of Nations)
६. आक्रमण से प्राप्त होने वाले लाभों को मान्यता प्रदान न करना
(Non-recognition of the fruits of aggression)
७. शस्त्रीकरण (Armament)
८. निःशस्त्रीकरण (Disarmament)
९. अनुमति या दबाव (Sanctions)

युद्ध को रोकने तथा शान्ति की स्थापना करने के उक्त सभी प्रयासों को डलेस (Dulles) ने असत्य तथा अपर्याप्त सुझाव (False and inadequate solutions) कहा है। उन्होंने इन सभी सुझावों का प्रथमः परीक्षण किया है तथा पाया है कि इनके द्वारा विश्व शान्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, ये बूझा हैं। पामर तथा परकिन्स के मतानुसार डलेस ने इन सुझावों पर जो विचार-विमर्श किया है वह मुख्य रूप से सैद्धांतिक या विद्वतापूर्ण (Theoretical or Academic) है। उनके विचार से डलेस (Dulles) द्वारा दी गई सूची में अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा विषय सरकार का उल्लेख नहीं है। जैसे कई विचारकों ने इन दोनों ही साधनों द्वारा विश्व शान्ति की स्थापना की सम्भावना पर जोर दिया है। किन्तु पामर तथा परकिन्स ने इन दोनों सुझावों पर विचार करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि युद्ध के विकल्प (Alternative) के रूप में ये दोनों ही सुझाव अपूर्ण तथा असन्तोषजनक हैं। आज के प्रणु युग में युद्धों को रोकने का प्रयास करना परम आवश्यक बन गया है। राष्ट्रपति ड्यूब से वार्ता के लिए ताशकन्द जाने से एक दिन पूर्व (२ जनवरी, १९६६) प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने कहा था कि यदि हरेक समस्या का हल करने के लिए शस्त्रों का प्रयोग किया गया तो विश्व में शान्ति नहीं रह सकती। सभी देशों को अपने आपसी

विवाद शान्तिपूर्ण वार्ताओं द्वारा तय करने चाहिये। युद्ध का विकल्प ढूँढना धाँज के युग की प्रमुख आवश्यकता बन गया है किन्तु युद्ध के केवल वही विकल्प कारगर हो सकते हैं जो युद्ध द्वारा किये जाने वाले सुरक्षा के कार्य को सम्भाल सके तथा जो बुद्धिशील व्यक्तियों द्वारा शान्ति स्थापित रखने के लिए प्रयुक्त किया जाये।

युद्ध का परिवर्तित क्षेत्र एवं प्रभाव (The changed area and influence of war)

विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों एवं यातायात व संचार के साधनों के विकास के कारण सारा विश्व उद्यों ही एक परिवार के रूप में आया, युद्ध का क्षेत्र भी क्षेत्रीयता एवं प्रादेशिकता की परिधियों को लाँच कर विश्वव्यापी बन गया। इससे पूर्व युद्धों का क्षेत्र सीमित था और इस कारण इसमें विजय एवं हार का उत्तरदायित्व उसके सेना सैन्य तथा प्रशासकों पर ही जाता था तथा युद्ध के परिणाम भी मुख्यतः इन्हीं वर्गों को भुगतने पड़ते थे। सामान्य जनता के लिए तो प्रशासकों के परिवर्तन से अधिक बाधा या सुविधा प्राप्त होने की सम्भावना न थी, किन्तु आज वस्तुस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है। आज के युद्धों में लड़ाइयाँ केवल सैनिकों और बन्दूकों से नहीं, जनता के मनोबल और लोकमत के सहारे ही लड़ी एवं जीती जाती हैं। यही कारण है कि आज के युग को कभी-कभी पूर्ण युद्ध का युग (Age of total war) कह दिया जाता है। मार्गों के मतानुसार आधुनिक युद्ध को पूर्ण (Total) कहने के चार कारण हैं—

१ क्योंकि जनता के एक भाग के भाव और विचार उसके देश के युद्धों के साथ पूरी तरह एकरूप हो जाने हैं,

२ क्योंकि जनता का एक भाग युद्ध में भाग लेता है,

३ क्योंकि जनता का एक भाग युद्ध से प्रभावित होता है,

४ क्योंकि युद्ध के द्वारा अभीसिप्त लक्ष्यों की प्रकृति ही ऐसी होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान युद्ध पूर्ण (Total) इस कारण है क्योंकि ये पूरी जनता द्वारा लड़े जाते हैं, ये पूरी जनता के होते हैं, ये पूरी जनता के विरुद्ध लड़े जाते हैं, और इन युद्धों में जिन तरीकों तथा यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वे भी इनकी प्रकृति को सम्पूर्ण बना देते हैं, उदाहरण के लिए आधुनिक शस्त्रों का प्रयोग (Mechanization of weapons) तथा यातायात व संचार साधनों का प्रयोग (Mechanization of transportation and communication) आदि।

PART—IV

Limitations of National Power : Balance of Power :
Collective Security and Pacific Settlement of Inter-
national disputes, International Law, World Govern-
ment; Disarmament; International Morality and
World Public Opinion.

अध्याय—६

राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ I
(Limitations of National Power)

अध्याय—१०

राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ—(क्रमशः)
(Limitations of National Power—Contd)

“शक्ति सन्तुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्षिक शक्ति की घोर इंगित करता है।”

—शताइतर

“यदि केन्द्रीकरण की दृष्टि से देखा जाय तो हम पायेंगे कि सामूहिक सुरक्षा बीच की व्यवस्था है। इसमें शक्ति सन्तुलन से अधिक केन्द्रीकृत प्रबन्ध होता है किन्तु विश्व सरकार की मान्यता से यह कम रहता है।”

—बलाड

“अन्तर्राष्ट्रीय कानून उन प्रचलित एव परम्परावादी नियमों का नाम है जिनको सभ्य राष्ट्रों द्वारा अपने आपसी व्यवहार में वैधानिक रूप से बाध्य माना जाता है।”

—ओपेनहिम

“नि शस्त्रीकरण का लक्ष्य आवश्यक रूप से नि शस्त्र कर देना नहीं है। इसका लक्ष्य तो यह है कि जो भी हथियार इस समय उपस्थित हैं, उनके प्रमोच को घटा दिया जाय।”

—हंटमेन

“अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता उसी दिन समाप्त हो गई जबकि राष्ट्रीय उद्देश्यों को वाकी ससार द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए शुद्ध लक्ष्य माना गया।”

—थोम्पसन

“विश्व जनमत स्पष्ट रूप से लोकमत है जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है तथा काम से कम कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मौलिक प्रश्नों पर विभिन्न देशों के सदस्यों को एकमत में संगठित करता है।”

—मार्गेन्थो

राष्ट्रीय शक्ति की सीमार्ये II (LIMITATIONS OF NATIONAL POWER)

प्रत्येक राजा अपने सदस्यों के व्यवहार को नियन्त्रित एवं नियमबद्ध करने का प्रयास करता है क्योंकि इनके बिना घोर अस्त-व्यस्तता व्याप्त हो जायगी और केवल प्राकृतिक शक्ति का ही बोलबाला हो जायगा। इसी दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न देशों द्वारा जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे नियन्त्रित एवं मर्यादित करना बहुत आवश्यक है। इसका कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के दुरुपयोग के परिणाम बड़े भयानक होते हैं। आज की सबसे बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या यह है कि राष्ट्रों को शक्ति को नियमबद्ध करने के लिए अभी तक कोई सन्तोषजनक साधन आविष्कृत नहीं हो सका है। अनेक विचारकों ने इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है और अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं जिनमें से कुछ का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग भी किया गया है। राष्ट्रीय शक्ति को मर्यादित करने वाले विभिन्न साधनों में व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन मुख्य रूप से निम्न हैं—

- (१) शक्ति सन्तुलन (Balance of Power)
- (२) सामूहिक सुरक्षा (Collective Security)
- (३) अन्तर्राष्ट्रीय कानून (International Law)
- (४) विश्व सरकार (World Govt)
- (५) निःशस्त्रीकरण (Disarmament)
- (६) अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता (International Morality)
- (७) विश्व जनमत (World Public Opinion)

प्रारम्भ में शक्ति-सन्तुलन का सहारा लेकर विश्व के देशों को शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकने का प्रयत्न किया गया किन्तु बाद में अनेक कारणों से शक्ति सन्तुलन अत्यावहारिक बन गया और विश्वशांति की स्थापना के लिए सामूहिक सुरक्षा का मार्ग अपनाया गया। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सहारे देशों को सही व्यवहार अपनाने के लिए प्रभावित किया गया। अनेक विचारकों ने विश्व से युद्धों का सदा के लिए विदा करने तथा स्थायी शांति की स्थापना करने के लिए राष्ट्र-राज्यों के म्यान पर विश्व सरकार की रचना करने का विचार रखा। कुछ लोगों के मतानुसार यदि देशों के पाम शस्त्रों का अस्तित्व न रहे तो स्वामाविक रूप से वे किसी देश के विरुद्ध आक्रमणात्मक नीति न अपनायेंगे। इन सभी साधनों के अर्थ, रूप, प्रयोग एवं अपूर्णताओं पर विचार करना अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के भूत, वर्तमान एवं भविष्य को समझने में सहायता कर सकेगा।

'शक्ति' और 'सम्प्रभुता' जब तक राज्यों की विशेषताएँ हैं तब तक यह सम्भावना बनी रहेगी कि दो राज्यों के बीच सघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाय। इस सम्भावना को मिटाने की दृष्टि से ही यथार्थवादी विचारकों का मत है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने प्रदेश और सम्मान का विलान करने का प्रयत्न करना है और दूसरे राज्य में स्थित शैतिक शक्ति द्वारा उनके इन प्रयत्न पर अंकुश लगाया जाता है। यही दूसरे शब्दों में 'शक्ति सन्तुलन' (Balance of Power) है। इसी प्रकार अर्थशास्त्री 'आर्थिक पर निर्भरता' को, कानून विशेषज्ञ अधिकार और कर्तव्यों की मान्यता को तथा एक आदर्शवादी विचारक धर्म, मानव की अच्छाई तथा विश्व जनमन को एक कारण मानते हैं जिसके आधार पर राज्यों के बीच सद्भावना और परस्पर सहयोग के भाव वर्तमान रहते हैं। एक राष्ट्र की आक्रमणकारी प्रवृत्ति को रोकने के अन्य साधन जब असफल हो जाते हैं तो दूसरे देश की राष्ट्रीय शक्ति ही उस पर अंकुश लगानी है और इस दृष्टि से राष्ट्रीय शक्ति (National power) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर नियन्त्रण रखने वाला सबसे अधिक प्रभावकारी साधन है। इसका प्रयोग रक्षात्मक (Protective) तथा आक्रमणात्मक (Aggressive) दोनों ही उद्देश्यों के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय शक्ति पर सीमा लगाने वाले उक्त साधनों के अनिर्दिष्ट नीतिक विश्वास मानवतावाद, शांतिवाद, सहिष्णुता, सजग स्वार्थ आदि विचारों की अनेक दिशाएँ हैं जो विश्व के देशों को अराजकता व सघर्ष के वातावरण की अपेक्षा शांति से रहने को प्रोत्साहित करती हैं।

शक्ति-सन्तुलन (The Balance of Power)

जैसे व्यक्तिगत जीवन में मित्रता का आघार व्यवहार का सन्तुलन और स्थिति व स्तर की समानता होता है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में विश्वगानि तथा राष्ट्रों की परस्पर शक्ति का आघार उनके बीच स्थित शक्ति का सन्तुलन (Balance of Power) है। अतन्तुलित शक्ति के भी जो विशेषबुद्ध प्रयत्न मध्यम का कारण बन सकती है क्योंकि यह शक्तिशाली राष्ट्रों को कमजोर राष्ट्रों पर अपना साम्राज्य फैलाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

शक्ति सन्तुलन की परिभाषाएँ

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सन्तुलन द्वारा लगभग १५०० वर्षों से राज्यों के परस्पर सम्बन्धों को मर्यादित करने का कार्य किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने मित्र-मित्र परिभाषाएँ देकर शक्ति सन्तुलन के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। सुप्रसिद्ध विचारक मार्गेन्थो (Morgenthau) के मतानुसार "प्रत्येक राष्ट्र वस्तु-स्थिति (Status-quo) को बनाये रखने का प्रयत्न करने के लिए दूसरे राष्ट्रों से अधिक शक्ति प्राप्त करने की लालसा रखता है। इसके परिणामस्वरूप जिन ढांचे (Configuration) की आवश्यकता होती है वह शक्ति सन्तुलन कहनाता है और जिन नीतियों की आवश्यकता होती है उनका लक्ष्य शक्ति सन्तुलन का बनाये रखना होता है। श्लाइमर (She'icher) के मत में "शक्ति सन्तुलन व्यवस्थित तथा समुदायों की सापेक्षिक शक्ति की ओर इतिष्ठ करता है। क्लॉड (I L. Claude) महोदय ने शक्ति सन्तुलन की अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति-सम्बन्धों की समस्या से सम्बन्धित माना है। उनका कहना है कि "शक्ति सन्तुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतन्त्र राष्ट्र अपने आपकी शक्ति मादरों का बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वायत्ततापूर्वक संचालित करते हैं। इस प्रकार यह एक विकेंद्रित व्यवस्था (Decentralized System) है जिसमें शक्ति व नीति निर्मायक इकाइयों के हाथों में ही रहती हैं।" प्रो० फे (Prof. Fay) के शब्दों में "शक्ति सन्तुलन का अर्थ है राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों की शक्ति में न्यायपूर्ण सुन्धमारिता (Jus Equilibrium) जो किसी राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र पर अपनी इच्छा लागू करने में रोक सके।" बिकिसन के मत में सन्तुलन (Balance) शब्द का प्रयोग समानता और असमानता दोनों ही अर्थों में किया जाता है।

जब लेखा (Account) सन्तुलन हो तो इसका अर्थ है समानता किन्तु जब सन्तुलन किसी एक के हित में हो तो इसका अर्थ असमानता है। उनका कहना है कि शक्ति सन्तुलन का सिद्धांत प्रथम अर्थ का दावा करता है किन्तु दूसरे के लिए प्रयत्नशील रहता है। मार्गो-यो भी शक्ति सन्तुलन शब्द का अर्थ राष्ट्रों के मध्य स्थित शक्ति की समानता से ही लगता है किन्तु यह तभी सम्भव है जब कि शक्ति शब्द के साथ कोई विशेषण न प्रयुक्त किया गया हो। इसके विपरीत स्पाइरमन (Spykman) के कथनानुसार 'नृत्य तो यह है कि प्रत्येक देश केवल उसी शक्ति सन्तुलन में रुचि लेता है जो उनके हित में होता है।' इस प्रकार जो राष्ट्र शक्ति सन्तुलन की स्थापना करना चाहता है वह 'सन्तुलन' नहीं बल्कि अपने हित में असन्तुलन (Inbalance) की स्थापना का प्रयत्न करेगा।

पामर तथा परकिन्स ने शक्ति सन्तुलन की मान्यता की निम्न सात विशेषताओं का उल्लेख किया है :—

१. विश्व के राष्ट्रों के बीच शक्ति का सन्तुलन सदैव बना नहीं रह सकता,

२. शक्ति सन्तुलन की स्थापना स्वयं ही नहीं हो जाती, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है,

३. शक्ति सन्तुलन का मापदण्ड युद्ध है क्योंकि युद्ध प्रायः तभी प्रारम्भ होते हैं जबकि सन्तुलन विच्छिन्न हो जाता है,

४. शक्ति सन्तुलन की नीति गतिशील (Dynamic) एवं परिवर्तनशील (Changing) है,

५. दृष्टिगोचर शक्ति सन्तुलन को वस्तुगत (Objective) दृष्टि से देखता है किन्तु राजनीतिज्ञ उसे द्विपयगत (Subjective) दृष्टि से देखता है,

६. शक्ति सन्तुलन न तो प्रजातन्त्रात्मक देशों के लिए ही उपयुक्त है और न ही तानाशाही देशों के लिए ही,

७. शक्ति सन्तुलन के खेल में केवल बड़े राष्ट्र ही खिलाड़ी होते हैं, छोटे राष्ट्र केवल प्रभावित (Victim) या दर्शक के रूप में रहते हैं। किन्तु यदि वे आपस में मिल जायें तो इस खेल में सक्रिय हिस्सेदार भी बन सकते हैं।

मान्यता का इतिहास (The History of Concept)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सन्तुलन की मान्यता का इतिहास पर्याप्त पुरातन है। राज्यों के बीच सम्बन्धों में बहुत पहले से ही सधर्म, मतभेद, विरोध एवं सदाश्या रही हैं। इनका निपटारा करने के लिए कोई स्थाई व्यवस्था करने की अपेक्षा प्रारम्भ में एक या एक से अधिक राज्य अनेक राज्यों पर प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा करते थे और फिर विश्व की अपनी मान्यता के अनुसार स्वयं प्रदान करने का प्रयास करते थे। दूसरे राज्यों द्वारा स्थिति को बनाये रखने की चेष्टा की जाती थी और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अपने विभिन्न सोपानों में गुजरती हुई आगे बढ़ती चली गयी थी। जब विरोधी राज्य कुछ राज्यों के सामान्य हितों को चुनौती देते थे तो वे भिन्न-कर अपने हितों की रक्षा के लिए साम्य बढ हा जाते थे। शक्ति सन्तुलन की प्रक्रिया एक प्रकार से दूसरे राज्यों के शक्ति प्रयोग को सीमित करने का प्रयास है।

शक्ति सन्तुलन का तुल्यभारिता का विचार मूल रूप से प्रकृति के विरोधी शक्तियों के बीच स्वभाविक तुल्यभारिता से लिया गया। मनुष्य ने बहुत पहले से ही इस बात की अनुभूति की कि तारे सौर मण्डल में अनेक सितारे और ग्रह निम्न प्रकार सन्तुलन बनाये रखते हैं। राजनीति के क्षेत्र में अस्तु ने यह विचार प्रकट किया कि समाज गरीब, निर्धन और मध्यवर्ग के लोगों के बीच न्याय प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप सन्तुलन बनाये रखते हैं। एक अन्य राजनैतिक विचारक जेम्स मैडिसन (James Madison) का विश्वास था कि सरकार को जनता के बीच सन्तुलन बनाये रखना चाहिए जो परिवर्तन चाहते हैं और यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। राजनैतिक विचारकों ने बहुत पहले से ही शक्ति सन्तुलन के ऊपर अपने विचार अभिव्यक्त किए। ये विचार सही थे, भ्रमवा नहीं थे यह अलग बात है किन्तु इनके समय में ये पर्याप्त प्रभावशाली रहे।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सन्तुलन को पूर्ण शक्ति एवं तानाशाही को दबाए रखने के साधन के रूप में देखा गया है। डेविड ह्यूम (David Hume) ने अपने निबन्ध 'शक्ति सन्तुलन पर' (On the Balance of Power) में पोलिबियस (Polybious) को उद्धरित किया है जिसका कहना था कि किसी भी राज्य या शासक को इतना महान न बनने दो कि वह अपने पड़ोसी को, उसके अधिकारों की रक्षा में असमर्थ बना दे। मैक्यावली ने अपनी

'द प्रिन्स' (The Prince) में यह परामर्श दिया है कि जो कोई भी दूसरे की शक्ति को बढ़ाने में योगदान देता है वह अपनी शक्ति को नष्ट करता है। रिचार्ड कोब्डन (Richard Cobden) ने शक्ति सतुलन को एक असम्भव कल्पना के रूप में विशेषीकृत किया है। यह और कुछ नहीं केवल शब्द मात्र हैं। उनके मतानुसार शक्ति सतुलन केवल मस्तिष्क को छूता है, विचारों को नहीं। हमारे पूर्वजों ने शब्दों के सम्बन्ध में अपने आपको परेशान करने की जो नीति अपनाई थी वह उसी का एक उदाहरण है। फ्रांसीसी दार्शनिक फ़ेनलोन (Fenelon) इस मान्यता को पर्याप्त महत्त्व देने हैं। उनके कथनानुसार अपने पड़ोसी को बहुत अधिक शक्तिशाली बनने से रोकना अपने धर्मोपदेश तथा अन्य पड़ोसियों को गुनाह बनने से रोकने का प्रयास है। यह स्वतन्त्रता, समानता एवं सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि एक देश की अतिशय शक्ति एक सीमा से बाहर निकलने के बाद सम्बद्ध राज्यों की सामान्य व्यवस्था को परिवर्तित कर देती है। लिओपोल्ड वान रांके (Leopold von Ranke) का मत है कि यूरोपीय राजनीति में एक ओर तो दबाव डाले जाते थे और दूसरी ओर उनका विरोध किया जाता था। हम व्यवस्था के कारण ही यूरोप अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा कर सका तथा अपने प्रत्येक राज्य का स्वतन्त्र अस्तित्व बनाए रख सका। कुछ-कुछ यही मत एडवार्ड गिबबन (Edward Gibbon) ने प्रकट किया है। उनका कहना है कि अनेक स्वतन्त्र राज्यों में यूरोप का विभाजन होना अनेक सामंजस्यपूर्ण परिणामों का जनक रहा है। इसमें मानव जाति की स्वतन्त्रता बनी रही। जिस तानाशाह को अपनी जनता के विरोध का सामना नहीं करना पड़ता उसे अपने समकक्ष राजाओं की शक्ति का प्रभाव शीघ्र ही ज्ञात हो जाता था। उसे अपने मित्रों की सलाह और शत्रुओं की चुनौतियों से मर्यादित होना पड़ता है।

सन् १८१५ में जैफ़रसन (Jeffarson) ने अपने एक मित्र को लिखा कि उस बात में हमारा हित नहीं है कि समस्त यू।ए. एक राजतंत्र के रूप में परिवर्तित हो जाए। मैं उसने ध्यान भी कि राष्ट्रों के बीच एक उपयुक्त शक्ति सतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने आपको यूरोपीय व्यवस्था से अलग बनाय रखा किन्तु जब सन् १८१७ और सन् १८४१ में उसे सतुलन की स्थापना के लिए बुलाया गया तो वह मना नहीं कर सका। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बात करने के बाद सन् १८४८ में फॉरेस्ट डेविस (Forrest Devis) ने बताया कि इंग्लैंड की भांति हमारा ऐतिहासिक स्तर भी यह मांग करता है कि यूरोप में शक्ति

संतुलन बना रहे और कोई भी एक राष्ट्र इस महाद्वीप के भागन, मोर्तों तथा मानव शक्ति को हमारी सम्भावित हानि के लिए प्रयुक्त न करे। इस मूल मान में प्रभावित होकर ही हम सन् १९१७ में लड़े और इसीलिए अब सड़ रह हैं ताकि किसी एक आक्रमणकारी शक्ति को यूरोप पर स्वामित्व रखने से रोका जा सके। पर्ल हार्बर (Pearl Harbour) से लेकर अब तक संयुक्त राज्य अमरीका यूरोपीय तथा विश्व रणमय को इसी दृष्टि से देख रहा है।

शक्ति संतुलन या तुल्यकारिता की मान्यता घनेक सन्धियों का आधार मानी जाती है। सन् १६४८ से लेकर सन् १९१४ तक का काल स्पष्टतः शक्ति संतुलन का काल कहलाता है। कहा जाता है कि सन् १६४८ को वेस्ट फ़ालिया की संधि (The Treaty of West Phalia), सन् १८१५ का विवना समझौता (Vienna Settlement), सन् १९१९ की वासाय की संधि (The Treaty of Versailles) तथा सन् १९४५ में संयुक्त राष्ट्र संधि की स्थापना के पीछे शक्ति संतुलन की मान्यता कार्य कर रही थी। ये विभिन्न सन्धियाँ एवं समझौते इसलिए हुये क्योंकि समय-समय पर नैपालियन, कैसर विल्हेम (Kaiser Wilhelm), स्ट्रिज़र और साम्यवादी नेताओं ने विश्व पर स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास किया। शक्ति संतुलन की मान्यता में एक विरोधामास है और वह यह है कि जो देश इसका व्यवहार करते हैं वे भी यह घोषणा नहीं करना चाहते कि वे इसका व्यवहार कर रहे हैं। यही कारण है कि कोई भी देश शक्ति संतुलन को अपनी नीति मानने का दावा नहीं करता। राजनीति की इस प्रकार की व्यवस्था में सम्मिलित होने से मना करते हैं यद्यपि उनकी नीतियाँ दूसरे राज्यों की शक्तियों को क्षाने, विरोध करने, कम करने तथा उनसे घाये घटने की ओर संचालित रहती हैं। अपने पक्ष में शक्ति संतुलन की स्थापना की राष्ट्रीय तदय के रूप में घोषणा दूसरे देशों को विरोधी नीति विकसित करने के लिये प्रोत्साहित कर सकती है। आक्रमणकारी देश ऐसी स्थिति में अपने आपको मजठिन तथा मशक्त बनाने के प्रयासों को न्यायात्मिक उद्देश्य मानता है तथा उद्देश्य अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक मान सकता है।

शक्ति संतुलन की तीन स्वयंसिद्ध बातें

(Three Postulates of Balance of Power)

शक्ति संतुलन के सिद्धान्त की कुछ स्वयंसिद्ध बातें होती हैं उनमें से तीन यहाँ उल्लेखनीय हैं। प्रथम बात यह है कि एक राज्य को परिस्थितियों के बदलने पर तथा नई घमकियों के घान पर अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए तैयार रहना चाहिये। विचारधारणतः दुराग्रह एवं

वचनबद्धता शक्ति सन्तुलन में कठोरता एवं अपरिवर्तनशीलता का तत्व ला देते हैं। इसलिये शक्ति सन्तुलन की राजनीति इनको ठुकरा देती है। किन्तु यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि साम्यवादियों ने हमारे राज्यों पर अपनी विचारधारा को थोप दिया है। इसीलिये विचारधारागत सघर्ष वर्तमान विश्व राजनीति की एक प्रमुख वास्तविकता बन गया है। शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था के समयकी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को कम से कम कर दिया जाता है, क्योंकि ये राजनीतिज्ञों को राष्ट्रीय हितों की साधना के लिए शक्ति की दृष्टि से सोचने से रोक देते हैं। एक देश किसी भी मधि के अनुसार वचनबद्ध हो सकता है किन्तु परिस्थितियाँ बदलने पर वह वचनबद्धता टूट सकती है। उदाहरण के लिए ग्रेट ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान के साथ सधि में वचनबद्ध था किन्तु जब उसने सयुक्त राज्य अमरीका के साथ अपना सहयोग बढ़ा लिया तो यह जरूरी बन गया कि वह सधि को तोड़ दे। इस प्रकार राज्यों को अपने हितों तथा सम्बन्धों का पुनर्निरीक्षण करने के लिये तैयार रहना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति जनरल डिगाल ने नाटो संधि के सम्बन्ध में ऐसा ही किया है। इस दृष्टि से यह भी सम्भावना है कि यदि आवश्यकता हुई और इन देशों के राष्ट्रीय हितों ने जरूरी बनाया तो सयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत साथ साम्यवादी चीन का विरोध करने में ऐसे ही मिल जायेंगे जैसे कि वे जर्मनी का विरोध करने में मिले थे। इतिहास में प्रचानक ही बड़े-बड़े परिवर्तन हो जाते हैं जिनकी हम पहले से कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जिस जर्मनी और जापान के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में सयुक्त राज्य अमरीका ने अपनी सारी शक्ति लगा दी वह अब इनका परम मित्र है।

⑨ दूसरी स्वयंसिद्ध बात यह है कि जब राज्यों को यह ज्ञात हो कि हमारे राज्य शक्ति सन्तुलन को उसके मुख्य हितों के विरुद्ध परिवर्तित कर रहे हैं तो उसे सघर्ष के लिये और यहाँ तक कि आवश्यकता हो तो युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्यूबा के प्रश्न पर सयुक्त राज्य अमरीका का दृष्टिकोण इस बात का द्योतक है। जब सोवियत साथ क्यूबा में बड़े स्तर पर प्रचेदणास्त्र कायम करने जा रहा था तो राष्ट्रपति कॅनेडी ने २२ अक्टूबर, १९६२ को अमरीकी जनता और प्रधानमन्त्री ख्रुश्चेव को कहा कि "सोवियत भूमि के बाहर रणकौशल के हथियारों को स्थापित करने का यह आकस्मिक प्रथम निर्णय यथाम्यति में जानबूझ कर किया गया आक्रमणकारी एवं अन्यायपूर्ण परिवर्तन है जिसको कि इस देश द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता वरना इस देश के शत्रु और मित्र इसके साहस और वचनों

मे कभी दुबारा विश्वास नहीं करेंगे।" इनके पर भी जब चुनौती सामने आई गई तो राष्ट्रपति ने कहा कि 'हम अनावश्यक रूप से धरवा बिना सोचे समझे विश्व-राजी धरमुमुद्ध के परिणामी की जोखिम नहीं लेंगे जिनमें विजय के फलस्वरूप हमारे पक्ष में केवल राख बचेगी। किन्तु यदि हम उन जोखिम से बचने में अनमर्ब रहे तो जिनी भी समय उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है।"

⑤ एक तीसरा सन्धानिद्ध उन्मुक्त दोनों से ही सम्बद्ध है तथा उन्हीं से निकलना है। इनके अनुसार यदि मुद्ध या अन्य शकट उत्पन्न होता है तो उसमें किसी भी देश को इतना पूरी तरह में नष्ट नहीं किया जाना चाहिये कि सम्पूर्ण शक्तिना प्रवेली पड़ जाय और विजेता के लिए अनुपयुक्त शक्ति सन्तुलन की स्थिति बना दे। ऐसा सन् १९४५ में जर्मनी के साथ किया गया, उसका पूरी तरह में विनाश कर दिया गया और इस प्रकार इटली और जापान की शक्ति मद्धिम पड़ गई। इनके बाद पांच वर्षों के भीतर-भीतर पश्चिमी शक्तियों को यूरोप और एशिया में साम्यवादी चुनौती के विरुद्ध शक्ति सन्तुलन को बनाए रखने के लिए इन तीनों पूर्व शक्तियों की सहायता करना जरूरी बन गया।

शक्ति सन्तुलन का मूल तत्व लार्ड पैलमर्स्टन (Lord Palmerston) ने अभिव्यक्त किया है। उनके कथनानुसार "द्वितीय का कोई अन्तरण दिन नहीं है और न ही कोई अन्तरण शत्रु है वरन् उनके तो अन्तरण हित हैं।" प्रीमेमर निहोमन नार्इरमैन ने भी कुछ इसी प्रकार के भावों को अन्य शब्दों में अभिव्यक्त किया है। उनका कहना है कि "तो राज्य शक्ति सन्तुलन का खेल खेलना है उनका कोई स्थायी मित्र नहीं हो सकता। उच्च-स्वामि-शक्ति किसी एक राज्य के प्रति नहीं हो सकती वरन् केवल सन्तुलित शक्ति में प्रति होगी। आज के मित्र प्रायः वाले बल के शत्रु हो सकते हैं।" स्पाइरमैन ने धार्य बताया है कि शक्ति राजनीति का एक मुख्य आदर्श यह है कि यह एक राज्य के मित्रों को विनाश होने का अवसर नहीं देती। यदि हम सन् १९३० के दौरान तथा उसके बाद में होने वाली संघियों तथा सह-योगों पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होगा कि शक्ति सन्तुलन की अवस्था हमें इस बात का आश्वासन देती है कि कोई भी विरोधी हमें का के लिए विरोधी नहीं बनाता क्योंकि यह अक्सर और परिस्थितियों के बदलते ही पुनः-निश्चय का हाथ बड़ा देता है।

शक्ति सतुलन के अनेक अर्थ

(Balance of Power as an ambiguous concept)

शक्ति सतुलन शब्द का प्रयोग इतने अविश्व अर्थों में किया जाता है कि यह शब्द आज अर्थहीन सा बन गया है तथा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कठिन बातों विचारों को सारेत करना चाहना है। पॉलार्ड (Pollard) के मतानुसार शक्ति सतुलन (Balance of power) शब्द के शब्दकोष के अर्थ को अनेक मतलबों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। उनका निष्कर्ष यह है कि 'शक्ति सतुलन का अर्थ कुछ भी हो सकता है और इसका प्रयोग अंदोल मित्र-मित्र लोगों द्वारा मित्र मित्र अर्थों में अथवा एक ही व्यक्ति द्वारा मित्र-मित्र समय अलग अलग अर्थों में प्रयोग नहीं किया जाता किन्तु एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही समय में मित्र-मित्र अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है।' क्लाउड (Claude) के मत में शक्ति सतुलन एक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ के लिए उसी प्रकार है जैसे कि एक रमोइया के लिए नमक की चिकुटी होती है और जैसे एक मार्क्सवादी विचारक के लिए द्वैतवाक्य भौतिकवाद होता है। अर्थात् रमोइया उस नमक की चिकुटी का किसी भी सब्जी या पकवान में प्रयोग कर सकता है उसी प्रकार शक्तिसतुलन का प्रयोग भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञों द्वारा हर किसी अर्थ में कर लिया जाता है। हैम (Ernst B Hass) के अध्ययन के आधार पर इसके आठ मित्र मित्र अर्थ हो सकते हैं तथा चार मुख्य मुख्य आचरण हो सकते हैं। एक देश के लिए एक विशेष स्थिति शक्ति सतुलन हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दूसरे देश के लिए वैसी ही होगी। मार्टिन वाइट (Martin Wight) के अनुसार "इतिहासकार शक्ति सतुलन तब मानेगा जब विरोधी समुदाय भी शक्ति उसके बराबर होंगे किन्तु राजनीतिज्ञ के मन में शक्ति सतुलन तब होगा जब कि उसका पक्ष दूसरे की अपेक्षा शक्तिशाली होगा और वह तभी सतुलन मानेगा जबकि उसके देश को राष्ट्रीय हित के अनुसार चाहे जिस पक्ष में मिलने की स्वतन्त्रता होगी।"

क्लाउड (J. L. Claude) ने बताया है कि शक्ति सतुलन शब्द का प्रयोग मूलतः निम्न रूपों में किया जा सकता है—

(१) एक अवस्था के रूप में (As a Situation)—अर्थात् उदाहरण तथा विचारकों की परिभाषाओं देने के बाद उन्होंने यह बताया है कि शक्ति सतुलन का प्रयोग कभी तो तुल्यमायिता (Equilibrium) के लिए

दिया जाता है और वही इसे तुल्यभारिता के विरोध अर्थ 'Dis-equilibrium' में किया जाता है। इस दृष्टि में शक्ति सन्तुलन 'शक्ति के विन्मूल' का समानार्थक बन जाता है जिस प्रकार कि 'तापम' जलवायु की स्थिति के दनाता है चाहे वह गर्म हो या ठण्डा इसी प्रकार शक्ति सन्तुलन भी शक्ति स्थिति' का दनाता है चाहे वह सन्तुलित हो अथवा असन्तुलित।

(२) नीति के रूप में (As a Policy)—शक्ति सन्तुलन शब्द का प्रयोग प्रायः ऐसी नीति के रूप में भी दिया जा सकता है जो तुल्यभारिता का निर्माण करने अथवा उपको रक्षा करने का कार्य कर सके। यह नीति इस माय्यता पर आधारित रहती है कि असन्तुलित शक्ति उत्तरनाश होती है। जय चर्चिल (Winston Churchill) ने यह लिखा है कि शक्ति सन्तुलन ब्रिटिश नीति की आन्वयजनक अवधारणा परम्परा (Unconscious tradition) रहा है तब उनका अर्थ सन्तुलन की स्थिति से नहीं था बल्कि सन्तुलन करने वाली नीति से था। मोवरर (Mowrer) ने शक्ति सन्तुलन का जो रूप बताया है उससे भी शक्ति सन्तुलन का अर्थ एक ऐसी नीति से लगाया जा सकता है जो बाधों के बीच तुल्यभारिता (Equilibrium) लाने में प्रयत्नशील हो। इस प्रकार शक्ति सन्तुलन शब्द का प्रयोग प्रायः शक्ति स्थिति से सन्नित सम्बन्ध रहता है। मार्गोन्गो और साम्पसन ने भी शक्ति सन्तुलन का प्रयोग नीति के रूप में ही किया है क्योंकि वे मानते हैं कि 'शक्ति सन्तुलन' एक देश के उन प्रयत्नों को कहते हैं जिन्हें वह दूसरे देश के विरुद्ध अपनी ताकत को इतनी बढ़ाने के लिए करता है कि जिससे उनकी ताकत उसके देश से यदि अधिक नहीं हो वन से कम बराबर हो जाय।

(३) व्यवस्था के रूप में (As a System)—प्रायः शक्ति सन्तुलन का प्रयोग अनेक राज्यों से पूर्ण इस दिग्घ में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को विधान-न्दिन करने के किसी प्रकार के प्रयत्न के रूप में भी कर दिया जाता है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से सम्बन्धित पुस्तकों में शक्ति सन्तुलन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। टेलर (Taylor) ने शक्ति सन्तुलन का प्रयोग राज्यों के परस्पर सम्बन्धों के नाम के रूप में किया है।

(४) प्रतीक के रूप में (As a Symbol)—अनेक विचारकों ने शक्ति सन्तुलन शब्द का प्रयोग किसी परिभाषा योग्य अर्थ में न करके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति की समता के अन्तर्द्वयी तथा दूरदर्शी प्रतीक (Symbol) के रूप में किया है। इन विचारकों के मतानुसार शक्ति सन्तुलन नीति के अभाव का अर्थ है सन्नित दमजोरी, मिश्रों का अभाव तथा आश्रम-

कारी की शक्ति को सतुलित करने के प्रयत्नों का अभाव ।¹ बुडरो विनसन की नीति की आलोचना प्रायः इसी आधार पर की जाती है कि उसने शक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तथ्य के रूप में देखने से मना कर दिया तथा एक आशावादी के मस्तिष्क से वाम लेने हुए अन्तर्राष्ट्रीयवाद पर ही विचार करता रहा । इस सब का अर्थ यही होता है कि शक्ति सतुलन को यथार्थवाद का प्रतीक माना जाने लगा है और इसलिए राजनीतिज्ञों एवं विचारकों से आशा की जाती है कि वे इसका आदर करेंगे ।

मि० ई० हेस (Mr Ernst Hass) ने उन लोगों के अर्थ एवं अभिप्राय का वर्णन किया है जिन्होंने शक्ति सतुलन शब्द का प्रयोग किया है । मि० हेस के कथनानुसार कुछ लोग शक्ति, सतुलन को व्याख्या के रूप में (As description) प्रयुक्त करते हैं । ये विचारक किसी भी सैद्धांतिक या विश्लेषणात्मक उद्देश्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने से पूर्व शक्ति सतुलन को समझना आवश्यक मानते हैं । वर्तमान समय में पत्र सम्पादकों एवं रेडियो के आलोचकों द्वारा इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता है । जब श्रोतागण इस शब्द को सुनते हैं तो वे इसका अर्थ केवल शक्ति का वितरण ही लगाते हैं न कि सतुलन । दूसरे भवसरो पर शक्ति सतुलन का अर्थ शक्ति के वितरण से कुछ अलग होता है । यहाँ इसका अर्थ तुल्यमारिता या प्रभुत्व या महत्त्व से हो सकता है । यहाँ एक बात यह उल्लेखनीय है कि इस शब्द का प्रयोग करने वाले के अभिप्राय भी शब्द के अर्थ पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकते हैं । प्रत्येक लेखक अपने उद्देश्य के अनुसार ही एक कार्य को शक्ति सतुलन का स्थापक मानता है जबकि दूसरा अपने उद्देश्य की दृष्टि से उसके विपरीत कार्य को ऐसा मान सकता है । पिछली शताब्दी में फ्रांसीसी लेखकों ने तुल्यमारिता (Equilibrium) शब्द का प्रयोग आस्ट्रिया पर युद्ध की माँग या समर्थन करने के लिए किया । सान वर्ष तक यह युद्ध चला किन्तु इस काल में ब्रिटिश अधिकारी शक्ति सतुलन की नीति के आधार पर प्रुसा (Prussia) के समर्थन को व्यापोजित ठहराने लगे । क्योंकि उनके मतानुसार फ्रीडरिक द्वितीय (Frederick II) ने ही आस्ट्रिया पर आक्रमण करके शक्ति सतुलन को बिगाड़ा था । आज भी शक्ति सतुलन शब्द का जो अर्थ प्रयोग किया जाता है

1 The alternative to balance of power policy 'is to remain poorly armed, without allies and with no attempt to balance the power of the aggressor state "

वह सर्व ही एक अर्थ में नहीं होता । वह शक्ति के वितरण, तुल्यमारिता एवं प्रभावशीलता में से किसी भी अर्थ में प्रयुक्त किया जा सकता है ।

२ शक्ति सतुलन के प्रयोग का दूसरा रूप प्रचार एवं विचारधारा (Propaganda and Ideology) का है । जब सतुलन का अर्थ शक्ति अथवा युद्ध के साथ एक रूप कर दिया जाता है तो उसे सम्भन्ना सहन बन जाता है । जब हम सतुलन शब्द का प्रयोग शक्ति की स्थापना एवं रतरे के लिए तथा युद्ध को छेड़ने एवं रोकने के लिए कर सकते हैं तो यह स्पष्ट है कि सतुलन जैसी कोई चीज 'सतुलन' (अर्थात् शक्ति एवं युद्ध) के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती । यहां सतुलन शब्द का प्रयोग बिना किसी निश्चित अर्थ के ही केवल प्रचार के लिए किया जाता है । शक्ति सतुलन शब्द का प्रयोग करके एक राज्य अपनी नीतियों को यथारिपति रूप में ही न्यायोचित सिद्ध करता चाहता है । कुछ उदाहरणों में इस शब्द का प्रयोग विचारधारागत मतभेदों के सहारे के रूप में किया गया तथा कुछ उदाहरणों में हारे हुए राज्य की शक्ति एवं धारार को न्यायोचित बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया । इस प्रकार इस शब्द के प्रयोग का अर्थ यह नहीं है कि प्रयोगकर्ता किसी निश्चित सिद्धांत में विश्वास करता है वरन् यह है कि वह इसे अपने हितों की प्राप्ति में उपयोगी मानता है ।

प्रचार की दृष्टि से जब किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो तथ्यों का प्रयोग बेईमानी के साथ किया जाता है तथा बौद्धिक रूप से स्थापित मान्यताओं को तोड़-मरोड़ कर रखा जाता है । प्रचार तो चचेत-रूप से जान बूझ कर किया गया भूठ बात का स्थापन होगा है । शक्ति सतुलन के द्वारा विचारधारागत लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है । मानहीम (Mannheim) के कथनानुसार विचारधारा कुछ प्रतीकों में विश्वास करती है चाहे वे प्रतीक वस्तुगत रूप से भूठे ही क्यों न हों । शक्ति सतुलन का सहारा लेकर एक देश नीतियों को प्राकृतिक कानून के रूप में अनिवार्य कर सकता है, नीतिक रूप से उचित सिद्ध कर सकता है अथवा इनको एक ऐतिहासिक आवश्यकता बता सकता है । इस अर्थ में जब शक्ति सतुलन शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हम इसे केवल प्रचार मात्र ही नहीं कह सकते क्योंकि इस प्रकार इसे प्रयोग करने वाला अपने आपको भी धोखा देता है ।

१८वीं सताब्दी में शक्ति सतुलन की मान्यता की आलोचना की गई । मि० जस्टी (Justi) ने अपने एक लेख में बताया कि शक्ति सतुलन का सिद्धांत और कुछ भी नहीं है केवल विचारधारागत तर्क है जो अपने

भारतीय जनता, भारत सरकार द्वारा उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए राजनीतियों द्वारा अपनाया जा रहा है। वस्तु यह है कि राज्य नीति निर्देशों को मात्र केवल भारत व्यक्तिगत तंत्र से ही निर्दिष्ट होने हैं। व तंत्र चाहे वास्तविक ही अद्यतन कल्याण, वे नीति सततन से निर्दिष्ट नहीं हूँ। ए किमी भी 195 का 1 म नहा तिया ज सक्ता ना क्या शक्ति सततन की स्थापना की गायि तः मान हीो व विरुद्ध भयवा करने विरुद्ध हिन व बिना ही मुद्र म सति मी न हुमा हो। त प्रकार प्रचार के लिए तथा विचारधारा के लिए शक्ति सततन शब्द के प्रयोग म कुत्र अधिक प्रचार नहीं है। जब भारतीय राजनीति में अभिनेता स म यह मान लें कि शक्ति को शक्ति स सततन स्थापित करने की सामान्य आवश्यकता म ही उनका व्यक्तिगत हिन सम्बन्ध ह तो शक्ति सततन का माध्यम प्रचार मात्र न रह कर विचारधारा गत बन जाता ह।

(3) शक्ति सततन शब्द के प्रयोग का तीव्र रूप विरुद्धपक्षान्तक मा त्र के रूप म है। यह रूप प्रचार के उद्देश्य से प्रयुक्त किए जाने वाले शक्ति सततन के रूप में पुरान सिद्ध हो नहीं वरन विपरीत भी होना है। इन प्रकार जब यह पद प्रयुक्त किया जाता है तो प्रयोग करने वाला इस अपने विरुद्धपक्ष का घोषणा करना चाहता है। इन अभिप्राय से प्रयुक्त होने होते यह पद 19वीं तथा 19वीं लोकसभा में भारतीय विचार धारा के रूप म विकसित हो गया। इन रूप म प्रयुक्त होने पर भी 'शक्ति सततन शब्द के अनेक अर्थ लगे लगे। मुद्रनापुर वि विरुद्ध के लिए भी त शब्द को शक्ति राजनीति तन्त्रना, प्रभाव, व। प्रजाप। तानुत शक्ति सततन म काम म लाया गया।

रीय डा करवा (Real d- Curban) के अर्थानुसार शक्ति सततन का मूल सिद्धांत अविरुद्धिना है। यदि अनिम विरुद्धपक्ष की दृष्टि से देखा जाय तो एक शासक की शक्ति और शक्ति भी नहा है वरन उनके पक्षियों की कमजोरी एव जरूरत मात्र है। दूसरों की शक्तिहीनता ही एक देश की शक्ति होती है। वर्तमान काल म भारतीय राजनीति ही न द्वारा वास्तविक प्राकृतिक अवस्था से समानता रानी है और इन प्रकार का स्थिति म यह निष्कर्ष पक्षान्तक अनुभव प्रतीत होता है।

शक्ति सततन की भावना का एक विशेषण मा त्र के रूप म प्रयुक्त करने की चेष्टा उन सततों द्वारा भी की गई है जो शक्ति सततन

की अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का मूल तत्त्व मानने हैं। इस अर्थ में सन्तुलन इतिहास का कानन बन जाना है। प्रोफेसर मार्गोवो तथा शुमा ने शक्ति सन्तुलन को स्थापक अर्थ प्रदान किया है। वे इसे केवल तुल्यभारिता एवं प्रभुत्वशीलता मात्र ही नहीं मानते। इन लेखकों का मत है कि 'शक्ति सन्तुलन' सम्प्रभुता पर आधारित वट्टराज्य व्यवस्था में जिहित रहता है। ये राज्य किसी भी लक्ष्य के लिए पारस्परिक विरोधी नीतियों में सलग्न रहते हैं। इस प्रक्रिया में यह स्वामाधिक है कि राज्य सतुलित शक्ति की फिराक में रहें तथा किसी को भी प्रभुतापूर्ण बनने से रोकने के लिए गुट तथा विरोधी गुट बनायें। परिवर्तन लाने में रुचि रखने वाले राज्य सर्व्व ही उन राज्यों के विरुद्ध गुट बना लेते हैं जो पयास्थिति को बनाय रखना चाहते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सामान्य है कि यह एक ऐतिहासिक कानून का रूप धारण कर लेती है। यह कानून राज्यों के व्यवहार का विशेषण प्रदान करता है। जब शक्ति सन्तुलन शब्द का प्रयोग विशेषण के एक औजार के रूप में किया जाता है तो इसकी एक मुख्य विशेषता यह बन जाती है कि इसे सरकारों के लटपों से पृथक कर दिया जाता है।

⑤ 'शक्ति सन्तुलन' शब्द का चौथा प्रयोग एक उपचार के रूप में (As prescription) किया जा सकता है। विशेषण के रूप में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इन बातों पर जोर नहीं दिया जाता कि सरकारें सजगता से माय सन्तुलनकारी नियमों को अपनाती हैं। किन्तु ऐसे घनेक विचारक थे तथा है जो यह मानते हैं कि शक्ति सन्तुलन सरकारों की निर्णय लेने की प्रक्रिया का निर्देशन सिद्धान्त है अथवा होना चाहिए। ये विचारक हीनम की प्राकृतिक अवस्था का बर्णन करने के बाद यह कहते हैं कि इस अवस्था में ही शक्ति सन्तुलन के समर्थक राष्ट्रों को उन राज्यों के विरुद्ध मधिकवड होने के लिए मजबूर किया जो विश्व में अथवा किसी क्षेत्र में प्रभुत्व की स्थापना करना चाहते थे अथवा विश्वभरपी राजतन्त्र की रचना करना चाहते थे। इनमें से कुछ का कहना है कि दुनिया के राज्य एक दूसरे पर निर्भर रहने के कारण परस्पर बंधे हुए हैं। इनकी सामान्य समस्याएँ हैं, सामान्य कानून की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में यदि कोई भी एक राज्य प्रभुत्वपूर्ण बनना चाहेगा तो इसे सम्पूर्ण सावयवी इकाई के विरुद्ध एक मात्र-मण समझा जायेगा। यह राज्य व्यवस्था स्वतन्त्र राज्यों से पूर्ण है तथा प्रभुत्व प्राप्ति की इच्छा रखने वाले राज्य या विरोध प्रत्येक अपनी इच्छा से ही करेगा। इस व्यवस्था में शक्ति सन्तुलन का होना जरूरी था। इसने राज्यों की नीतियों को निर्देशन प्रदान किया।

शक्ति सन्तुलन को विदेश नीति की रचना का व्यावहारिक एवं सिद्धान्तिक रूप में निर्देशक माना जाना उपयुक्त प्रतीत होता है। मैटरनिक (Matternich) जैसे परम्परावादियों एवं उदारवादियों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय सस्या के रूप में यह सिद्धांत पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह सम्पूर्ण सस्यागत यथास्थिति की रक्षा का प्रयास करता है। मैटरनिक के शब्दों में आधुनिक इतिहास इस बात का प्रदर्शक है कि एकता एवं शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्तों का प्रयोग एक ऐसा नाटक हमारे सामने लाता है जिसमें कुछ राज्य मिल कर एक राज्य को प्रभुत्व प्राप्त करने से रोकने हैं तथा उसके प्रभाव को सीमित करते हैं और इस प्रकार उस राज्य को सामान्य कानून की ओर लौटने के लिए बाध्य करते हैं।

शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त के आगार पर राज्य अपनी रक्षा का प्रयास करता है अथवा इसे राज्य व्यवस्था की रक्षा के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्ति सन्तुलन का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह संगठन-आक्रमणकारी के इरादों को मोड़ने तथा उस पर प्रति-बन्ध लगाने का प्रयास करता है।

इस प्रकार शक्ति सन्तुलन शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है जो भिन्न होने के साथ साथ कभी-कभी एक दूसरे के विरोधी भी बन जाते हैं। यदि आप शक्ति सन्तुलन की मायता को समझना या मूल्यांकित करना चाहे तो बड़ी परेशानी होगी क्योंकि अनेक लेखकों की यह प्रवृत्ति है कि इनके एक अर्थ का वर्णन करते-करते इसके दूसरे अर्थ का वर्णन करने लग जाते हैं और कुछ देर बाद पुनः उसी पहले वाले अर्थ पर आ जाते हैं कि तु वही भी इस बात का उल्लेख तक नहीं करते कि उनके द्वारा शक्ति सन्तुलन का प्रयोग भिन्न अर्थों में किया गया है। डाइके के अनुसार 'हम सन्तुलन (balance) शब्द का प्रयोग इस प्रकार करते रहे हैं कि मानो सभी इस बात को जानते हों कि इसका अर्थ क्या है किंतु वास्तव में सब ता यह है कि कोई नहीं जानता कि इसका अर्थ क्या है।''

शक्ति सन्तुलन की स्थापना के तरीके

(Methods for maintaining the Balance of Power)

विश्व में शांति की स्थापना के लिए, युद्धों को रोकने के लिए, शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए तथा प्रत्येक राष्ट्र की सम्प्रभुता एवं

निरास्य लेने की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतियों द्वारा समय समय पर विवाद के राष्ट्रों के बीच शक्ति सतलन की स्थापना का प्रयास किया गया है। शक्ति सतलन में एक देश के रचि लेने का प्रधान कारण यह है कि उसमें उसका राष्ट्रीय हित (National interest) निहित रहता है। शक्ति सतलन की स्थापना करते समय एक राष्ट्र हर प्रकार के साधन अपना लेता है। बड़ी-बड़ी राजनीतिक व कूटनीतिक चालों के द्वारा यह इसे अपने हित में मोड़ लेता है। भाजकल शक्ति सतलन एक खेल सा बन गया है जिसमें उद्योग मपन नियमों, तकनीकों व तरीकों से खेला जा सकता है। मार्गोन्धी के कथनानुसार सतलन की स्थापना या तो मारी पलट्टे के बजन को कम करके की जा सकती है अथवा हल्के पलट्टे में बजन डाल कर की जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सतलन की स्थापना के लिए निम्न तरीके अपनाये जाते या जा सकते हैं—

(१) मुआवजा या प्रतिफल (Compensation)

एक देश द्वारा जब किसी प्रदेश पर अधिकार करने सतलन की सतरा पहुँचाया जाने तो उसे रोकने के लिए उस देश की भूमि पर अधिकार करके पुन शक्ति के सतलन की स्थापना कर दी जाती है, यह प्रथा मकर-रक्षी तथा उभीसधी कृताब्दी में प्रचलित लोकप्रिय थी। १७१३ की युद्ध के सन्धि द्वारा प्रथम बार स्पेन द्वारा अधिहृत भूमि को वांट कर इस साधन द्वारा शक्ति सतलन स्थापित करने की कोशिश की गई थी। इतिहास में पोलोण्ड का तीन बार विनाशन किया गया है और तीनों बार उसका बंट-बारा इस प्रकार किया गया कि सतलन बना रहे। इस समय इस साधन की लोकप्रियता का कारण यह था कि भूमि के उपजाऊपन तथा लोगों की सख्या और गुण को इस समय राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता था। प्रदेशों के मुआवजे प्रायः युद्ध के बाद में बड़ी और विजयी शक्तियों द्वारा पराजित व कमजोर देशों के विपरीत किये जाते थे। १८७० से १९१४ तक इस साधन का रूप केवल भूमि पर बेम्हिल न रहा और प्रभाव क्षेत्रों (Spheres of influences) को भी विभाजित किया जाने लगा। इस युग में कोई भी राजा दूसरे राज्यों को राजनीतिक लाभ देने की सैयार नहीं होता, अब तक कि उसे यह ज्ञात न हो जाय कि बदले में उसे कितना लाभ मिल रहा है या मिल सकता है। मार्गोन्धी के कथनों में राजनीतिक मामलों में इस प्रकार के कूटनीतिक समझौतों की सोदेबाजी अपने

सामान्य रूप में मुझावजे का ही सिद्धान्त है तथा यह मूल रूप में शक्ति सन्तुलन से सम्बन्धित है ।^१

(२) हस्तक्षेप एवं युद्ध

(Intervention and War)

शक्ति सन्तुलन का दूसरा साधन युद्ध है। इतिहास में उदाहरणों को देख कर ऐसा लगता है कि शक्ति सम्बन्धों में परिवर्तन लाने के लिए कई बार युद्ध किये गये हैं। हस्तक्षेप (intervention) का अर्थ एक देश की विदेश नीति के उन पहलुओं व कार्यों से लगाया जाता है जिन्हें दूसरा देश भी अपने कार्य मानता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ग्रेट ब्रिटेन ने यूनान व जॉर्डन में हस्तक्षेप किया, अमेरिका ने क्यूबा, लेबनान व लाओस में किया, रूस ने उत्तरी कोरिया, हंगरी व पूर्वी योरोप में किया। इन सभी हस्तक्षेपों में शक्ति सन्तुलन की स्थापना उद्देश्य था या नहीं यह नहीं कहा जा सकता किन्तु यह परिणाम अग्रव्य था। कुछ विचारक शक्ति सन्तुलन की स्थापना के लिए हस्तक्षेप न करने की नीति को भी इतना ही महत्त्व प्रदान करते हैं। इस नीति का प्रयोग या तो उन कमजोर राष्ट्रों द्वारा किया जाता है जो लड़ाई में भाग लेने की शक्ति नहीं रखते या उन शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा जो कि स्थिर राजनैतिक व्यवस्था में सन्तुष्ट हैं और शान्तिपूर्ण साधनों से ही शक्ति सन्तुलन को बनाये रख सकते हैं। हस्तक्षेप का नाशिक अन्तिम स्वर ही युद्ध है।

(३) सन्धिया

(Alliances)

यह साधन शक्ति सन्तुलन की स्थापना के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त किया जाता है। जब एक राष्ट्र की बढ़ती हुई शक्ति द्वारा विश्व के शक्ति सन्तुलन का चुनौती दी जाती है तो दूसरे राष्ट्र उसके विरुद्ध सन्धियाँ करके इस चुनौती का उत्तर देते हैं। सन्धियाँ दूसरे देशों पर आक्रमण करने की दृष्टि से भी की जा सकती हैं तथा आक्रमण के विरुद्ध रक्षा करने के लिए भी। पहले प्रकार की सन्धियाँ आक्रमणात्मक (Offensive) हैं तथा दूसरे प्रकार की रक्षात्मक (defensive)। वर्तमान में शक्ति सन्तुलन से रहता है। आक्रमणात्मक सन्धियाँ शक्ति सन्तुलन को अपने हित में बदलना चाहती हैं जबकि रक्षात्मक सन्धियाँ शक्ति सन्तुलन को बनाये रखने का प्रयास

(४) फूट डालो व शासन करो
(Divide and Rule)

इसके अनुसार एक देश ऐसी नीति अपनाता है ताकि उसके शत्रु आपस में मिल न सकें, उनके बीच फूट पड़ी रहे और वे कमजोर बने रहे। फ्रांस ने जर्मनी के सम्बन्ध में और सोवियत यूनियन ने शेष योरोप के सम्बन्ध में इस नीति को अपनाने का प्रयास किया। इस साधन के द्वारा एक शक्तिशाली देश की शक्ति को घटा कर कम और सतुलन के निकट किया जाता है। बहुत समय से अन्तर्राष्ट्रीय जगत में इस साधन का महत्त्व रहा है। ग्रेट ब्रिटेन को इस नीति का सबसे बड़ा पण्डित माना जाता है। इसी नीति के आधार पर वह अपने इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करता रहा था। इस काल में सोवियत यूनियन द्वारा उन सभी योजनाओं और प्रस्तावों का विरोध किया जाता है जो पश्चिमी योरोप में राजनैतिक व आर्थिक एकीकरण ला सकते हैं। इसका लक्ष्य मूलतः साम्यवादी व गैर-साम्यवादी गुट के बीच सतुलन को बनाय रखना है।

(५) बाधक राज्य
(Buffer State)

विरत जब दो गुटों में बँट गया तो उनके बीच सतुलन की स्थापना करने के साधन के रूप में बाधक राज्य के अस्तित्व का महत्त्व बढ़ गया। यदि विरोधी शक्तियाँ आमने-सामने रहती तथा उनके बीच कोई बाधक प्रदेश या निष्पक्ष क्षेत्र न रहा तो सतुलन की स्थापना करना बड़ा कठिन हो जायेगा। मार्टिन वाट्ट के मतानुसार दुनिया का सबसे बाधक क्षेत्र 'था' (Tha) है जो रूस को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग करता था। यह क्षेत्र कमजोर व दूरस्थ राज्यों का था जिनके बीच भौगोलिक गड़बड़े हुये थे, जिनमें राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। इस दृष्टि से उन देशों का भी उल्लेख किया जा सकता है जो असलगतता की विदेश नीति अपना रहे हैं। भारत के नेतृत्व में ऐसे देशों का महत्त्व विश्व में शक्ति सतुलन बनाये रखने की दृष्टि से बहुत कुछ बढ़ गया है।

(६) शस्त्रीकरण तथा निःशस्त्रीकरण
(Armaments and disarmament)

मार्क्सवादी के मतानुसार शक्ति सतुलन का एक तरीका यह है कि शक्तिशाली राष्ट्रों की शक्ति को कमजोर कर दिया जाय। उन्हीं के

कथनानुसार ऐसा शस्त्रों की दौड़ द्वारा तथा निःशस्त्रीकरण द्वारा किया जा सकता है। शस्त्रों के नये नये रूपों का आविष्कार करके आक्रमणकारी के विरुद्ध सुरक्षा व्यवस्थाओं को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। सैनिक तैयारी तथा प्राधुनिकतम शस्त्रों का प्रयोग करके विश्व में स्थित असंतुलन का रोकता जा सकता है। विद्वान्त रूप में एक स्थायी सन्तुलन की स्थापना अभी की जा सकती है जबकि शस्त्रों की दौड़ को समाप्त करके विरोधी शक्तियों के शस्त्रों के ऊपर सीमा लगा दी जाय। आज तक निःशस्त्रीकरण के अनेक प्रयत्न किये गये हैं किन्तु उनका परिणाम अशुभ सतोपजनक न रहा। स्पेन के एक विद्वान् सेलवाडर माडरियागा (Salvador Madariaga) के मतानुसार निःशस्त्रीकरण की समस्या, निःशस्त्रीकरण की समस्या नहीं है यह वास्तव में विश्व समुदाय के समठन की समस्या है। पानर तथा परकिन्स के मतानुसार मूल रूप में यह शक्ति सन्तुलन की स्थापना की समस्या है।¹

शक्ति सन्तुलन तथा राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने वाले अन्य तत्व (Balance of Power and other limiting factors)

कई कारणों से जब राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने वाले तत्व के रूप में शक्ति सन्तुलन का महत्त्व कम हो गया तो इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शक्ति सन्तुलन के विकल्पों की खोज की जाने लगी जो व्यावहारिक हों। अमेरिकन राष्ट्रपति वुडरो विलसन ने शक्ति सन्तुलन की आलोचनायें करके विश्व शान्ति की स्थापना के लिए सामूहिक सुरक्षा (Collective Security) पर जोर दिया। सामूहिक सुरक्षा के अधीन सभी देश परस्पर सम्बद्ध रहेंगे। अतः यह कहा जाता है कि किसी प्रकार की सन्धियों की, अस्त्र शस्त्रों की दौड़ की, राजनैतिक मतभेदों की तथा परस्पर सघर्षों की कोई आवश्यकता न रहेगी। ये सभी बातें शक्ति सन्तुलन में पाई जाती हैं। किन्सी राइट (Quincy Wright) का मत है कि शक्ति सन्तुलन का सामूहिक सुरक्षा से सम्बन्ध एक ही साथ पूरक (Complementary) तथा एक विरोधी (Antagonistic) का है। सामूहिक सुरक्षा का आधार शक्ति सन्तुलन है जो ऐसे स्थायित्व का निर्माण करता है जिसमें नीति की क्रियाओं को स्थायित्व देना सम्भव होता है। सामूहिक सुरक्षा के उदाहरण हैं योरोप का मेल (Concert of Europe), राष्ट्रसंघ (League of Nations) और

1. Salvador de Madariaga, Disarmament, 1929, P. 56.

संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations)—शक्ति सन्तुलन का सम्बन्ध इन तीनों ही रूपों से रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ भी शक्ति सन्तुलन का बड़ी सम्बन्ध है जो विन्सी राइट द्वारा शक्ति सन्तुलन और सामूहिक सुरक्षा के बीच बताया गया है। ओपेनहिम (L. F. Oppenheim) के मतानुसार शक्ति सन्तुलन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। राष्ट्रों का कानून (A law of nations) केवल तभी रह सकता है जबकि विश्व में शक्ति का सन्तुलन या तुल्यमारिता रहेगी। राष्ट्रों के ऊपर कोई सम्प्रभु व शक्तिशाली व्यवस्था न होने के कारण केवल शक्ति सन्तुलन द्वारा ही ऐसी स्थिति पैदा की जा सकती है कि एक राष्ट्र दूसरे पर विवशकारी शक्ति का प्रयोग न कर सके। कुछ विचारकों के मत में अंतर्राष्ट्रीय कानून शक्ति सन्तुलन को धीरे-धीरे सामूहिक सुरक्षा में परिणत कर देगा। विन्सी राइट का मत है कि यदि वर्तमान परिस्थितियों में शान्तिपूर्ण साधनों से कानून द्वारा प्रशासित विश्व का निर्माण करना हो तो राजनीतिज्ञों को अधिक सश्लिष्ट सन्तुलन (Complicated balance) का प्रयत्न करना होगा।

शक्ति सन्तुलन पर मार्गेन्थो के विचार (Morgenthau on Balance of Power)

शक्ति सन्तुलन से सम्बन्धित कोई भी अध्ययन तब तक अधूरा माना जायगा जब तक कि इस विषय के प्रमुख विचारक मार्गेन्थो के विचारों का वर्णन न किया जाय।

(१) मार्गेन्थो के मतानुसार शब्द 'शक्ति सन्तुलन' का प्रयोग चार भिन्न-भिन्न अर्थों में किया जा सकता है—(i) एक नीति के रूप में जो कुछ निश्चित कार्य करना चाहती है, (ii) वास्तविक कार्यों के रूप में, (iii) शक्ति के लगभग समान वितरण के रूप में तथा (iv) शक्ति के किसी भी वितरण के रूप में। उनका कहना है कि जब शक्ति सन्तुलन शब्द का प्रयोग बिना किसी विशेषण (Qualification) के किया जाता है तो यह कार्यों के वास्तविक स्तर को बताता है जिसमें कुछ राष्ट्रों के बीच शक्ति का लगभग समान वितरण कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में मार्गेन्थो के अनुसार शक्ति सन्तुलन का अर्थ तुल्यमारिता है। किन्तु जैसा कि क्लॉड (I. L. Claude) का मत है, मार्गेन्थो द्वारा शक्ति सन्तुलन शब्द का प्रयोग

नई अर्थों में किया गया है तथा इस परिवर्तन की सूचना भी पाठक को नहीं दी गई है।^१ उन्होंने इस शब्द का प्रयोग शक्ति के वितरण के रूप में भी किया है। मार्गोन्वो की पुस्तक पढ़ते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि इस बार इस शब्द का प्रयोग किताब में किया गया है। सच तो यह है कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग पाँच अर्थों में किया है।

(२) मार्गोन्वो ने शक्ति सतुलन के सिद्धान्त को अपरिहार्य (inevitable) बताया है। उनका मत है कि शक्ति सतुलन तथा इसे बनाये रखने वाली नीतियाँ न केवल अपरिहार्य हैं बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्रों के समाज में स्थायित्व लाने वाले मूल तत्व हैं।

(३) मार्गोन्वो के अनुसार शक्ति सतुलन विदेश नीति का एक सामान्य साधन (universal instrument) है। इसका प्रयोग अपनी स्वतन्त्रता चाहने वाले प्रत्येक राष्ट्र द्वारा प्रत्येक समय में किया गया है। यह शक्ति के संघर्ष का स्वभाविक एवं अपरिहार्य परिणाम है।

(४) मार्गोन्वो के शक्ति सतुलन सम्बन्धी विचारों में कुछ अतर्कियाँ हैं। जब वे शक्ति सतुलन को अपरिहार्य तथा स्वाभाविक मानते हैं तो वे यह नहीं बताते कि शक्ति सतुलन के कौन से रूप के बारे में वे ऐसा कह रहे हैं। एक ओर वे इसे मनुष्य कृत मानते हैं। इसी प्रकार शक्ति सतुलन का सामान्य रूप भी आजकल प्राप्त नहीं होता है।

(५) तुल्यभारिता को अपरिहार्य मान कर अमेरिकन विदेश नीति के गुण को सुधारने के लिए मार्गोन्वो ने अनेक प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। शक्ति सतुलन को अपरिहार्य मानने का उनका अर्थ क्या हो सकता है यह जानना बड़ा कठिन है। पुस्तक को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति सतुलन की अपरिहार्यता से उनका अर्थ न तो यह है कि तुल्यभारिता (equilibrium) की स्थिति सदैव रहती है और न यह कि राष्ट्रों की नीतियाँ सदैव ऐसी स्थिति बनाने या उसकी रक्षा करने का लक्ष्य रखती हैं। मार्गोन्वो ने यह माना है कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने के लिए शक्ति सतुलन के अतिरिक्त इतिहास में अन्तर्राष्ट्रीय कानून, सामूहिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन आदि साधनों का भी विकास किया गया है। इस नान्यता

का स्पष्ट अर्थ यह है कि शक्ति असंतुलन को अपरिहार्य नहीं माना जा सकता क्योंकि उसका कार्य समालने के लिए दूसरे विकल्प मौजूद रहते हैं। मार्गेन्यो ने बताया कि राष्ट्रों के सामने दूसरा रास्ता ही नहीं होता। बुद्धि के आधार पर निर्मित एक विदेश नीति सदैव शक्ति के संतुलन का सिद्धांत अपनाती है, किन्तु जो देश इसका बहिष्कार करता है, या तो उसे विश्व को विजय करना पड़ेगा अथवा वह नष्ट हो जायेगा।

शक्ति सन्तुलन के सिद्धांत का मूल्यांकन

(An Evaluation of the Balance of Power Principle)

शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त एक ऐसा सिद्धान्त है जिसे विचारकों ने प्रशंसा करके अपरिहार्य बना दिया और साथ ही जिन्हें आलोचना वाणियों का इतना सामना करना पड़ा कि उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। रिचर्ड कोबडन (Richard Cobden) का कहना है कि "शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त केवल एक असम्भव कल्पना मात्र है—राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क की एक उपज है—एक छाया मात्र है जिसका कोई निश्चित रूप ही नहीं है, एक स्वास में बोले जाने वाले शब्दों का योग है, इसके अक्षर हैं जो कुछ आवाज करते हैं किन्तु उनका कोई अर्थ नहीं होता।"¹

कुछ विचारक शक्ति सन्तुलन को एक पाप मानते हैं जिसे शरी ही दूर किया जाना चाहिए जबकि दूसरे एक ऐसा मार्गदर्शक मानते हैं जिसका अनुसरण किया जाना आवश्यक है। परम्परागत अमेरिकी विचार के अनुसार शक्ति सन्तुलन का मूल्य लोगों के जीवन तथा प्रसन्नता से जुड़ाया जाता है। विलसन (Wilson), हल (Hull) तथा रूजवेल्ट (Roosevelt) आदि ने शक्ति सन्तुलन को अगुहो तथा मर्दों का कारण माना है तथा इसके स्थान पर सानूहिक सुरक्षा प्रवृत्तियों की स्थापना का पक्ष लिया है। इसके विपरीत मार्गेन्यो का विचार है कि "अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माता के रूप में शक्ति सन्तुलन इतिहास के विभिन्न स्तरों पर सफल रहा है, इसने किसी भी राष्ट्र को इतना शक्तिशाली नहीं होने दिया है जो अन्य दूसरों को स्वतन्त्रता को समाप्त कर सके।"² प्रसिद्ध इतिहासकार फेररो (Ferrero) के मतानुसार

1. Richard Cobden, Political Writings.

2. Morgenthau & Thompson, Principles and problems of international Politics P. 103.

“उन्नीसवीं शताब्दी का यूरोप युद्धों के लिए प्रसिद्ध है किन्तु इस समय के युद्धों को स्थानीय एवं सीमित बनाने का श्रेय शक्ति सन्तुलन को दिया जा सकता है।” क्लाड (I L. Claude) ने माना है कि “शक्ति सन्तुलन व्यवस्था इस रूप में कार्य कर सकती है कि तुल्यभारिता (equilibrium) की रचना व सँभाल कर सके किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह ऐसा करे और यह इन परिणामों को उत्पन्न करने वाली उपयुक्त व्यवस्था भी नहीं है।”²

दूसरी ओर अनेक विचारक ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था ने कई बार युद्धों को रोका है। फ्रेडरिक गेन्ज (Friedrich Genz) का कहना है कि “युद्ध प्रायः तभी उत्पन्न होता है जब एक देश बहुत अधिक शक्ति (The excessive overweight) प्राप्त कर लेता है। अन्य कुछ विचारकों के मतानुसार भी शक्ति की निश्चित जड़ शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त में निहित रहती है। क्लेमन्सो (Clemenceau) का कहना था कि प्रथम विश्वयुद्ध सन्तुलन के टूटने का परिणाम था। यदि शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था बनी रहती तो निश्चय ही निम्न युद्ध न दिखता। क्लाड (I L. Claude) का विचार है कि “शक्ति सन्तुलन को युद्ध रोकने का साधन मानने वाले तथा उसे ऐसा न मानने वाले विचारकों के बीच कोई खाई इतनी नहीं है कि जिसे पाटा नहीं जा सके।” सत्य तो यह है कि दोनों ही पक्ष इस तुल्यभारिता को बनाने व रक्षित रखने का एक साधन मानते हैं। एक पक्ष का विचार है कि युद्ध इस लक्ष्य को प्राप्त करने का आवश्यक साधन हो सकता है जबकि दूसरा पक्ष यह सोचता है कि तुल्यभारिता आक्रमणात्मक कार्यों पर रोक लगा कर शक्ति की स्थापना करता है। क्विन्सी राइट के शब्दों में ‘शक्ति सन्तुलन एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्येक राज्य में निरन्तर यह विश्वास पैदा करती है कि यदि उसने आक्रमण करने का प्रयत्न किया तो दूसरे राष्ट्रों के संगठित प्रयत्न द्वारा उसका विरोध किया जायेगा।’³

1. The Reconstruction of Europe, P. 338.
2. Power and International Relations, Pp. 66.
3. Quincy Wright, A study of war, I, 254.

शक्ति सन्तुलन को युद्ध का कारण मानने वाले यह भूल जाते हैं कि यह व्यवस्था किसी शान्तिवादी दर्शन से सम्बन्धित नहीं है: इसका अर्थ तो केवल यह है कि राज्यों को अकेले ही या संगठित रूप से शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहां तक कि ऐसी शक्ति को भी कुचल देना चाहिए जो भविष्य में उनके स्वयं की सुरक्षा को चुनौती दे सकती है। इस प्रकार 'युद्ध' तुल्यभारिता (Equilibrium) की स्थापना के लिए आवश्यक हो सकता है या तुल्यभारिता के द्वारा युद्ध को रोका जा सकता है, दोनों ही बातें सच हैं।

शक्ति सन्तुलन की मान्यता के अनेक लाभ हैं—यह आक्रमणों का हतोत्साहित (Discourage) करके राज्यों की स्वतन्त्रता की रक्षा करता है, यह विजय की योजनाओं को हतोत्साहित करके विश्व साम्राज्य को बनने से रोकता है, यह गडबड को रोक कर वस्तुस्थिति (Statusquo) को स्थाई बनाता है। यह हो सकता है कि प्रतिरोध का यह साधन असफल हो जाए और युद्ध को न रोक पाए किन्तु यह गलत नहीं है कि शान्ति स्थापना में इसकी भारी देन है। मार्गो-सकी (Organski) यह नहीं मानते कि तुल्यभारिता शान्ति की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। उनका विश्वास है कि शान्ति और शक्ति सन्तुलन के बीच जो सम्बन्ध माना जाता है वास्तव में यह उससे विचरित है। सन्तुलन का काल चाहे वह वास्तविक या या काल्पनिक—युद्ध का समय है जबकि शान्ति अधिक शक्ति का समय, शान्ति का समय या।¹ मार्गो-सकी ने बताया है कि शक्ति सन्तुलन न केवल पोलैंड की रक्षा करने में ही असफल हो गया किन्तु भूमि के मुद्रावले के रूप में वितरण करने के नाम पर पोलैंड का ही विनाश कर दिया गया। शक्ति सन्तुलन ने किसी राज्य विशेष या पूरी राज्य व्यवस्था के किसी भी कार्य को युद्ध के साधन के अलावा अन्य किसी साधन से पूरा नहीं किया। मार्गो-सकी के मतानुसार इसका कारण शक्ति सन्तुलन की तीन कमजोरियाँ हैं—यह अनिश्चित है, यह अवास्तविक है, यह अपर्याप्त है।²

शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त की मान्यता का मूल्यांकन करते हुए पंडित फोर्ड तथा लिचन ने बताया है कि इस सिद्धान्त के द्वारा यह दावा किया जाता

1. Organski, World Politics, P. 292.

2. Morgenthau, Politics among Nations, P. 185.

है कि इसने युद्धों को रोका है तथा हतोत्साहित किया है। दूसरे राज्यों की स्वतन्त्रता की रक्षा की है और तीसरे, एक राज्य प्रथवा राज्यों के समूहों द्वारा अनुचित प्रभुत्व स्थापित करने पर रोक लगाई है और इस प्रकार बहुराज्य व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता की है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि शक्ति सन्तुलन की राजनीति ने कुछ युद्धों को रोका, कुछ में देरी की और कुछ को हतोत्साहित किया। किन्तु युद्ध की दृष्टि से हम इसे एक प्रचूक शोषधि नहीं मान सकते क्योंकि यह अतीतकाल में अनेक युद्धों की रोकने में असफल रहा और भविष्य में भी यह युद्ध का एक सफल प्रवरोधक नहीं है। शक्ति सन्तुलन की नीति को व्यवहारवादिता के आधार पर समर्थन प्रदान किया जाता है और यह कहा जाता है कि आक्रमणकारी शक्ति को मर्यादित करने का यह सर्वश्रेष्ठ माध्यम है और इस प्रकार यह राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करता है।

शक्ति सन्तुलन की राजनीति ने अनेक यूरोपीय राज्यों की स्वतन्त्रता की रक्षा में सहायता दी है। किन्तु बीसवीं शताब्दी में इसने इटली को इयोपिया पर आक्रमण करने से नहीं रोका और जापान को चीन का एक बड़ा भाग लेने से नहीं रोका। यूरोप में सन् १९३० में जो बड़ी शक्तियों के बीच सन्धि समझौते किये गये उनमें से अनेक ऐसे थे जो छोटे राज्यों के मूल्य पर हुए। हिटलर की माँग पर चेकोस्लोवाकिया को समाप्त कर दिया गया और पोलैण्ड को रुम तथा जर्मनी के बीच बांट दिया गया। चैम्बरलेन तथा डालाडीर ने यह सोचा था कि हिटलर के साथ तुष्टीकरण की नीति अपनाकर युद्ध को रोका जा सकता है किन्तु इतिहास साक्ष्य है कि जब स्थित सन्तुलन को विगाड़ने वाले राज्य की माँगों को स्वीकार किया जाता है तो वह और अधिक प्रोत्साहित होता है।

महत्त्व

शक्ति सन्तुलन के सिद्धांत के महत्त्व के सम्बन्ध में लिखते हुए जोराफ कैंकन ने बताया है कि शक्ति सन्तुलन की मानव जाति के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण नवीन कृति मानने के अनेक कारण हैं। उनके मतानुसार रोमन साम्राज्य के विध्वंस के बाद यूरोप ने पहली बार कुछ थोड़ा बहुत स्थायित्व प्राप्त किया। यह स्थायित्व ऐसा नहीं था जिसे कि किसी एक प्रभुत्वशाली

द्वारा विजय और सत्ता के आधार पर स्थापित किया गया हो और दूसरे लोग जिसे मग से स्वीकार न करते हो। आधुनिक विचारो एव राष्ट्रवादी शक्तियों के अनुरूप राज्य की नवीन व्यवस्था बहुलवादी बनी। शक्ति सन्तुलन की धारणा ने कुछ बड़ी शक्तियों को प्रभावित किया और धीरे धीरे यह यूरोप की सीमाओं से भी बाहर निकल गया। इतिहास के आधुनिक काल में पहली बार विश्व के विभिन्न देशो ने यह स्वीकार किया कि शक्ति सन्तुलन का विचार उनके लिए महत्त्वपूर्ण है। इनका अर्थ यह नहीं होता कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नाम पर राज्यों ने अपनी स्वार्थ माधनाओं को छोड़ दिया था। वरन् इसके विपरीत राज्य अब भी पहले की भाँति प्रतियोगी एव सन्देशील बने रहे। इनमें से प्रत्येक अपने व्यवहार का सर्वोच्च निर्णायक था। राज्य इस व्यवस्था के नियमों को तोड़ने के लिये स्वतन्त्र थे। अन्य पूर्व व्यवस्थाओं की भाँति शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था में भी एक राज्य अपने स्वार्थ की भावना से प्रभावित होकर दूसरो पर विजय पाने के लिये तथा शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था को तोड़ने के लिए प्रयास कर सकता था।

इतने पर भी शक्ति सन्तुलन की धारणा अपनी पूर्व व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक विचारपूर्ण एव व्यावहारिक थी। यदि व्यवस्था के सदस्य राज्य इसके नियमों का पालन करने के लिए तैयार न हों तो उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया जा सकता था। प्रत्येक राज्य अपने सामान्य हित को ध्यान में रख कर उन नियमों की रक्षा के प्रति सजग रहना है जिसे कि दूसरो के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जाता है। जब एक राज्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है तो दूसरे राज्य आत्मरक्षा की दृष्टि से मिल जाते हैं। शक्ति सन्तुलन की धारणा ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में स्वायत्तत्व की रचना की। प्रथम वेस्ट फेलिया की सन्धि द्वारा प्रदेश का पुनर्वितरण करके सन्तुलन स्थापित किया गया और इस प्रकार स्थापित्व की रचना की। इस सन्धि के बाद कुछ प्रमुख शक्तियों का उदय हुआ जो अपने बीच में तुल्यभारिता रखने में समर्थ थी। नेपालियन के काल के बाद वाले समझौते का आधार काग्रेसी औचित्य का बताया गया और इकाइयों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान आटोमन साम्राज्य अमश, छिन्न-भिन्न होने लगा किन्तु यह साम्राज्य शक्ति सन्तुलन व्यवस्था के लिए आवश्यक

नहीं था। जब इटली और जर्मनी के एकीकरण के बाद नई शक्तिशाली इकाइयों का उदय हुआ तो यह व्यवस्था गम्भीररूप से अस्त व्यस्त हो गई।

शक्ति सन्तुलन का व्यवस्था को सुरक्षा की प्राप्ति के लिए अपनाया जाता है। यह विद्वान् ज़्याड़े के स्थान पर समझौता करने के लिए अवसर प्रदान करता है। दूसरों की शक्तियों के साथ तुल्यभारिता रखने के लिए अस्थाई शपथों की जाती हैं। उन शक्ति सन्तुलन को चुनौती दी जाती है और उसे शान्तिपूर्ण साधनों से नहीं दबाया जा सकता तो युद्ध छिड़ जाता है। किन्तु यह युद्ध विरोधियों को समाप्त करने के लिए नहीं लड़ा जाता वरन् हारे हुए राज्य को सभावित भावी मित्र के रूप में बनाने के लिए लड़ा जाता है।

शान्तिपूर्णता

- शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त की आलोचना भी कम नहीं हुई है। कई बार यह दोषारोपण किया जाता है कि यह सिद्धान्त शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए एक प्रभावशाली सूत्र होने की अपेक्षा युद्धों को प्रोत्साहन देने वाला तथा असुरक्षा को बढ़ाने वाला रहा है। बड़े विद्वान् शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त की स्पष्ट रूप से आलोचना करते थे। जनवरी, १९१७ में उन्होंने घोषणा की कि अब मानव जाति जीवन की स्वतन्त्रता की तलाश में है न कि शक्ति के सन्तुलन की तलाश में। उनके मतानुसार अब शक्ति सन्तुलन की जरूरत नहीं है वरन् एक शक्तिपूर्ण समाज की जरूरत है, अब समन्वित विरोधियों की जरूरत नहीं है वरन् एक समन्वित सामान्य शक्ति की जरूरत है। विद्वान् का मत था कि प्रथम विश्वयुद्ध में भाग लेने वाले लोगों का यह उद्देश्य था कि शक्ति सन्तुलन को अब और हमेसा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। अब राष्ट्रों का कोई एक शक्तिशाली समूह नहीं होना चाहिये जो कि दूसरे शक्तिशाली समूह के विरुद्ध खड़ा हो किन्तु राष्ट्रों का एक ही शक्तिशाली समूह होना चाहिए जो कि विश्व की शान्ति का संरक्षक बन जाए।

शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त की अनेक आलोचनाओं के बाद भी प्रोफेसर डी विट सो पूल (De Witt C Poole) जैसे लोगों की यह मान्यता है कि स्वतन्त्रता केवल उस दुनिया में ही रह सकती है जिसमें कि शक्ति को व्यपक रूप से वितरित एवं संतुलित किया गया है। कुछ सन्देहशीलों का इस सम्बन्ध में मतभेद है कि शक्ति सन्तुलन की मान्यता ने वास्तविक स्थिति का कभी अभिन्नवक्त किया है अथवा नहीं। यह कहा जाता है कि जनसंख्या की वृद्धि और आर्थिक तथा तकनीकी परिवर्तन राष्ट्रों की शक्ति स्थिति में निरन्तर परिवर्तन लाते रहे हैं और ऐसी स्थिति में राष्ट्रों के बीच शक्ति सन्तुलन कैसे स्थापित हो सकता है। प्रत्येक राज्य की नीतियों एवं कार्यों की देखने से यह

प्रकट होता है कि हर राज्य अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है
जितनी कि अन्य राज्यों के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी राज्य
सन्तुलन की स्थिति को बनाए रखने की खातिर ऐसे कार्यक्रमों को स्वीकार
नहीं करेगा जो उसकी शक्ति के स्वाभाविक विकास को रोक दे।

कुछ लेखकों का मत है कि शक्ति सन्तुलन का नैतिक रूप में विश्लेषण नहीं करना चाहिए। विल्सन तथा अन्य लोगों ने शक्ति सन्तुलन को एक अनैतिक कार्य माना है। किन्तु उनका यह दृष्टिकोण उचित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति का अस्तित्व एक तथ्य है और वह एक तथ्य बना रहगा। चाहे सन्तुलन को नैतिक माना जाए अथवा अनैतिक माना जाए, किन्तु वह तो हर युग में रहेगा। शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था में आने वाले सम्प्रभु राज्यों के निणयो को उनके सहयोगियों द्वारा नियन्त्रित नहीं किया जा सकता। राजनैतिक नेताओं पर अनेक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। वे अपने राष्ट्रीय राजनैतिक अन्तरो एव दबाव समूहों द्वारा प्रभावित होते हैं। शक्ति सन्तुलन की स्थिति में सहयोग करते हुए भी व्यक्तिगत राज्य द्वारा एक विषय की किस तरह से व्याख्या की जाएगी यह बात किसी समस्या विशेष की प्रकृति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यद्युक्त-राज्य अमेरिका के मित्र राष्ट्र उसकी वियतनाम की नीति से सहमत नहीं हैं। शक्ति सन्तुलन के व्यवहार को प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति के राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एव सैनिक रूपों द्वारा भी जटिल बना दिया जाता है। एक देश अपने मित्र देश से सैनिक सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा आर्थिक सहायता प्राप्त करने में अधिक रुचि ले सकता है। इसी प्रकार कई बार केवल राजनैतिक एव मनोवैज्ञानिक सहयोग ही पर्याप्त होता है। एक राज्य जब अपने मित्र राज्य की सहायता करने का निर्णय लेता है तो उसे अनेक बातों में प्रभावित होना पड़ता है जिनको कि पहले से नहीं देखा जा सकता।

आजकल दुनिया में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं जो कि सन्तुलन व्यवस्था को पर्याप्त प्रभावित कर रहे हैं। विश्व राजनीति में इस दृष्टि से पहला प्रमुख परिवर्तन राज्यों की शक्ति स्थिति में परिवर्तन है। वेने आज भी पश्चिमी यूरोप महा शक्तियों का केन्द्र है किन्तु उससे व्यक्तिगत राज्यों के पाम आज सर्वाधिक शक्ति नहीं है। समुच्चराज्य अमेरिका और सोवियत संघ के पाम सर्वाधिक निर्णायक शक्ति है। शक्ति के अतिरिक्त केन्द्रों के रूप में चीन, जापान और भारत का उदय हो रहा है। इनके अतिरिक्त अफ्रीका के एक दो राज्य तथा पाकिस्तान, इथियोपिया आदि को भी कुछ महत्व की शक्ति माना जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से अनेक छोटे छोटे कमजोर राष्ट्र,

उदाहरण के लिए अफ्रीका राज्य भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार शक्ति किसी देश विशेष या महाद्वीप विशेष में नहीं रही है, वरन् यह पूरी दुनियाँ में फैल गई है। शक्ति-शाली केन्द्रों की बढ़ोतारी ने शक्ति सन्तुलन व्यवस्था की स्थापना एवं प्रयोग को अत्यन्त जटिल बना दिया है। आज यदि कहीं सन्तुलन है तो इसका अस्तित्व बहुत कुछ एक सन्तुलनकर्त्ता या नियन्त्रक के हस्तक्षेप पर निर्भर करता है जो कि सन्तुलन क्षेत्र से बाहर वाला ही कोई होता है।

और शक्ति सन्तुलन की स्थिति पर प्रभाव डालने वाला एक अन्य तत्व आर्थिक विकास है। औद्योगीकरण का प्रसार करने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आर्थिक पर-निर्भरता बढ़ गई है और ऐसी स्थिति में शक्ति सन्तुलन पर आर्थिक तत्व का प्रभाव भी बढ़ गया है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण एक तीसरा विकास राष्ट्रवाद की भावना है जो कि विचारधारा के प्रभाव के साथ मिल कर उल्लेखनीय बन जाता है। आज संचार के व्यापक माध्यमों के द्वारा जनता को सामूहिक रूप से विचारधारा और राष्ट्रवाद के नाम पर प्रभावित किया जा सकता है और इस प्रकार सन्तुलनकारी व्यवस्था पर पर्याप्त प्रभाव पड़ सकता है। आजकल संचार एवं प्रचार की जो तकनीकें अपनाई जाती हैं, उनके द्वारा विश्व के एक किनारे से दूसरे किनारे तक कम समय में ही बात को पहुँचाया जा सकता है और इसलिए कोई भी राज्य जो थोड़े समय पहले मित्र था, अब शत्रु बन सकता है। क्यूबा के उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए यह कहा जाता है कि यह बहुत शीघ्र ही सयुक्त राज्य अमरीका के विरुद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत रूस तथा पश्चिमी शक्तियाँ मित्र बन गए किन्तु सामान्य मूल्यों एवं लक्ष्यों के अभाव में यह मित्रता केवल कुछ समय तक ही चली। इसी प्रकार सयुक्त राज्य अमरीका और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में परम शत्रु थे, किन्तु सन् १९५० के बाद वे परम मित्र बन गए। शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था के लिए आत्म-समागोजन का तत्व बहुत जरूरी होता है और आजकल की परिस्थितियों में यह अत्यन्त जटिल बन गया है तथा इसकी पहले से कल्पना नहीं की जा सकती। आज सोवियत राष और चीन के बीच पर्याप्त संघर्ष है। दूसरी ओर फ्रांस की नीतियों ने पश्चिमी शक्तियों की एकता तथा ठोसपन को कमजोर कर दिया है। इन प्रकार दोनों पक्षों के बीच सन्तुलन की स्थापना हो गई है। आजकल असन्तुलन देशों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इन देशों के विकास ने सन्तुलन की व्यवस्था में अनिश्चय का एक अन्य तत्व जोड़ दिया है जो कि उनीनियों गताश्री में नहीं था। आजकल सम्प्रभु राज्यों के उदय, विचारधारागत विभिन्नतायें,

क्षेत्रीय एकीकरण की प्रवृत्ति, आदि ने शक्ति सन्तुलन की प्रकृति, प्रसार व अस्तित्व को विघादास्पद बना दिया है।

शक्ति सन्तुलन का वर्तमान रूप

(The Modern Picture of Balance of Power)

आज की बढ़ती हुई परिस्थितियों में शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था मुश्किल पड़ गई है। विल्सन ने तो इसे सिद्धान्त रूप में ही आलोचित किया था किन्तु दूसरे विचारक इसे समय के परिवर्तन के कारण अव्यावहारिक बताते हैं। विल्सन का विचार था कि शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था प्रजातन्त्र के लिए घातक थी, मानवतावाद के लिए अभिशाप थी, तथा आत्मनिर्णय के सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता आदि के विपरीत थी। आज शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त की क्या स्थिति है इसका अध्ययन करते हुए पामर तथा परकिन्स ने बताया है कि "वर्तमान विश्व की परिस्थितियाँ शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था के लिए विशेषतः अनुकूल नहीं हैं, किन्तु फिर भी यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक प्रभावकारी रूप है और अभी तक इसका कोई प्रभावशाली विकल्प (Effective substitute) नहीं बन पाया है।"

शक्ति सन्तुलन ने सबसे अच्छा कार्य तभी किया था जबकि अनेक राज्य लगभग समान शक्ति वाले थे। फ्रांसीसी न्त्रांति के बाद जब शक्ति सन्तुलन योरोप की सीमाओं से निकल कर विश्वव्यापी बन गया तो राष्ट्रों के बीच सन्तुलन स्थापित करने वाली परिस्थितियाँ उतनी उपयुक्त न रह गयीं। वर्तमान युग में अनेक विकास ऐसे हुए जिनके कारण शक्ति सन्तुलन एक ही साथ अत्यधिक सहज तथा कठिन नीति बन गया है। इनमें से उल्लेखनीय इस प्रकार हैं—राष्ट्रवाद, औद्योगिकरण, प्रजातन्त्र, शिक्षा का प्रसार, युद्ध के नये तरीके व तकनीक, लोचमत्त का बढ़ता हुआ महत्व, अन्तर्राष्ट्रीय कानून व संगठन में विकास, राष्ट्रों की बढ़ती हुई आर्थिक परनिभरता, उरनिवेशों का अन्त आदि। क्विन्सी राइट (Quincy Wright) ने बीसवीं शताब्दी के उन परिवर्तनों का अध्ययन किया है जो शक्ति सन्तुलन के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। ये मुख्यतः ऐसी चार परिस्थितियों का वर्णन करते हैं—

१ विश्व स्पष्टतः दो गुटों में बंट गया है तथा अब व्यवस्था का कोई सन्तुलनकर्ता (balancer) नहीं है।

२ आज युद्ध का रूप भयावह हो गया है तथा इसने सम्पूर्ण युद्ध (Total war) का रूप धारण कर लिया है जिसके विध्वंसक परिणामों को देख कर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति या राष्ट्र सन्तुलन स्थापित करने की खातिर युद्ध का सहारा नहीं ले सकता।

३ विचारधाराओं (ideologies) तथा शक्ति के दूसरे कम व्यवहार (less tangible) तत्वों का महत्व बढ़ता जा रहा है।

४ राज्यों की शक्ति के बीच भारी अन्तर पड़ता जा रहा है। उच्च शक्ति अधिक शक्तिशाली तथा कमजोर राष्ट्र सापेक्ष रूप में अधिक कमजोर बनते जा रहे हैं।¹ राष्ट्र के कथनानुसार स्थिरता के उभरते तरीके पर (शक्ति सन्तुलन पर) निर्भर करता एक अविश्वासी मनुष्य पर निर्भर रहने के समान है।²

Imp

सामूहिक सुरक्षा और अन्तरराष्ट्रीय झगड़ों का शान्तिपूर्ण निपटारा (Collective Security and Peaceful Settlement of International Disputes)

अन्तरराष्ट्रीय शक्ति को मर्यादित करने का एक दूसरा साधन सामूहिक सुरक्षा है जिसमें विभिन्न राष्ट्र सामूहिक रूप से मिल कर सम्भावित आक्रमणकारों का विरोध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शक्ति सन्तुलन को व्यवस्था में जो सन्धिया की जाती हैं उनका लक्ष्य एक देश या कुछ देशों के गुट का विरोध करना, उन पर आक्रमण करना या उनके आक्रमण से अपनी रक्षा करना होता है किन्तु सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था में विरोधी अस्पष्ट एवं सम्भावित होता है। इस प्रकार की संधि में यह व्यवस्था होती है कि किसी भी एक इकाई पर आने वाला संकट या आक्रमण सन्धिबद्ध सभी इकाइयों के विरुद्ध आक्रमण समझा जाता है और सामूहिक रूप से ही उसका विरोध किया जाता है। इस व्यवस्था को शान्तिपूर्ण एवं शान्ति का अतिरिक्त माना जाता है। क्लॉड (Claude) के मतानुसार यदि केन्द्रीकरण की दृष्टि से देखा जाय तो हम पायेंगे कि सामूहिक सुरक्षा बीच की व्यवस्था है। इसमें शक्ति सन्तुलन से अधिक केन्द्रीकृत प्रबन्ध होता है किन्तु विश्व सरकार की मान्यता से यह कम रहता है।³

सामूहिक सुरक्षा का अर्थ

(The Meaning of Collective Security)

सामूहिक सुरक्षा जैसा कि शब्दों से ही प्रकट होता है, देशों द्वारा सुरक्षा

1. Quincy Wright A study of war, II, P P 760, 766, 809, 860
2. Quincy Wright, cited by I L Claude in Power and International Relations, P 86
3. I L Claude, Power and International Relations, P 94

के लिए विद्ये गये सामूहिक प्रयत्नो से सम्बन्धित है। इसे परिभाषित करते हुए जान स्वर्ज़ेन बर्गर (John Schwarzen Berger) ने इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रमण को रोकने या प्रतिश्रिया करने के लिए किए गये सम्मिलित कार्यों की मशीनरी कहा है। समय-समय पर साम्राज्यवादी महात्वाकांक्षी एवं युद्धप्रिय देशों द्वारा विश्व-शान्ति को चुनौतियाँ दी जाती रहो है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था यह प्रयत्न करती है कि इस प्रकार की चुनौतियों का रोकने व सामना करने के लिए सभी देश सामूहिक रूप से कार्य करें। आज की बदली हुई परिस्थितियों में यह व्यवस्था अपरिहार्य बन गई है। कुछ विचारकों के मतानुसार सुरक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। कहा जाता है कि सामूहिक सुरक्षा का विरोधी है असुरक्षा। राष्ट्रों द्वारा मिल कर किया गया प्रत्येक कार्य सामूहिक सुरक्षा नहीं माना जा सकता।

सामूहिक सुरक्षा की किसी भी व्यवस्था को प्रभावपूर्ण तथा लाभदायक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास पर्याप्त शक्ति हो ताकि वह आक्रमणकारी राज्य का मुकाबला कर सके। एकता में शक्ति होती है किन्तु राष्ट्रों की एकरा सच्चे अर्थों में सभी मानी जायगी जबकि सभी राष्ट्र अपनी शक्ति का प्रयोग सामूहिक लाभ के करने को तैयार रहे। शक्ति के अभाव में एकता केवल कागजी रह जायगी तथा सामूहिक सुरक्षा का कोई प्रभाव ही न रहेगा। जातिव्युत्पन्न एकता का विरोध करने से पूर्व एक आक्रमणकारी राज्य भली प्रकार सोच विचार लेगा। स्टैनले बाल्डविन (Stanley Baldwin) के मतानुसार सामूहिक सुरक्षा तब तक कार्य नहीं कर सकती जब तक कि इसमें भाग लेने वाले सभी राष्ट्र आवश्यकतानुसार आक्रमणकारी को प्रतिबन्धों की धमकी देने तथा लड़ने के लिए एक साथ तैयार न हो जायें। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में प्रत्येक देश को अपनी सम्पत्ता को सीमित करना पड़ता है।

2. व्यक्तिगत राष्ट्रीय सकल्प (National will) का सामूहिक निर्णय के लिए समर्पण (Submission) कर दिया जाता है। इसका सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में सैनिक शक्तियों तथा प्रमुख हथियारों पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण रखना आवश्यक बन जाता है। सकट के समय सभी इकाइया एकमत से सहयोगी बन कर कार्य कर तथा सभी या अधिक से अधिक बड़ी शक्तियाँ इसके सदस्य बन जायें। सामूहिक सुरक्षा केवल सन्धि मान नहीं है इसका लक्ष्य सिर्फ एक सामान्य-राष्ट्र या आक्रमणकारी की चुनौती का सामना करना ही नहीं बरन् इससे भी आगे यह इकाइयों के विकास को विधायी पक्ष द्वारा भी प्रभावित करती है।

सामूहिक सुरक्षा के विचार का विकास

(Development of the Collective Security Idea)

सामूहिक सुरक्षा को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में लाने व लोकप्रिय बनाने का ध्येय बहुत कुछ अमरीकन राष्ट्रपति वडरो विलसन (Woodrow Wilson) को दिया जाता है। किन्तु सामूहिक सुरक्षा की मान्यता (Concept) का न तो वह आविष्कारक था और न सारी व्याख्याएँ व स्पष्टीकरण ही उसकी ओर से दिये गये थे। इस विचार का प्रारम्भ सत्रहवें गताब्दी की आस्नेब्रिक (Osnabrick) की सन्धि में पाया जाता है जिसके सत्रहवें अनुच्छेद में सम्भावित शत्रु के विरुद्ध सामूहिक कदम उठाने की बात कही गई है। विलियम पेन (William Penn) तथा विलियम पिट (William Pitt) ने भी इस पर अपने विचार रखे। १९१० में थियोडोर रूजवेल्ट (Theodore Roosevelt) ने बताया कि शान्तिप्रिय बड़ी शक्तियाँ एक शान्ति संधि (League of Peace) बना लें जिससे न केवल उनके बीच ही शान्ति रहे किन्तु किसी दूसरे राष्ट्र द्वारा उभे तांडे जाने की भी यदि आवश्यकता हो तो शक्ति द्वारा भी रोका जा सके। अमेरिका में शान्ति स्थापना करने वाले संधि में अनेक बुद्धिशील तथा प्रमुख राजनीतिज्ञ शामिल थे। इसने विश्व सगठन का समर्थन किया और कहा कि इस सगठन में अमेरिका को शक्तिपूर्ण साधनों से भी शान्ति स्थापित करने को सम्मिलित होना चाहिए। पेरिस में राष्ट्रसंधि के निर्माण के लिए जो समझौते किये गये उनमें सामूहिक सुरक्षा की मान्यता को नई व्यवस्था का आधार बना दिया गया। राष्ट्रसंधि आयोग की पाचवीं बैठक में संधि के नियमों के सोलहवें अनुच्छेद को बिना अधिक वाद-विवाद के स्वीकार कर लिया गया। मिलर (Miller) ने लिखा है कि प्रतिबन्धों (Sanctions) के प्रमुख सिद्धान्तों को सर्वसम्मति से मान लिया गया, मूल प्रश्नों के बारे में भी कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। इन प्रकार सामूहिक सुरक्षा के विचार को व्यवहार में आने से पूर्व विकास के विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ा।

सामूहिक सुरक्षा और शक्ति सन्तुलन

(Collective Security and Balance of Power)

सामूहिक सुरक्षा को प्रायः शक्ति सन्तुलन का विकल्प माना जाता है।

सामूहिक सुरक्षा के व्यावहारिक रूप के जनक विलसन ने अपने विचारों का प्रतिपादन शक्ति सन्तुलन के विरोध में किया था। वे मानते थे कि शक्ति सन्तुलन में राष्ट्र प्रतियोगितापूर्ण सन्धियों में बढ़ हो जाता है तथा विवशकारी शक्ति (Coercion) का प्रयोग राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को तथा स्वायत्तपूर्ण

लक्ष्यों को पूरा करने के लिये किया जाता है जबकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था ने देशों के सहयोग का अर्थ होता है सभी की न्याय एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा जिसमें विवशकारी शक्ति का प्रयोग सामान्य शान्ति की स्थापना के लिए किया जाता है। क्लाड (I. L. Claude) ने लिखा है कि "विलसन से लेकर आज तक सामूहिक सुरक्षा के सभी समर्थक इसे शक्ति सन्तुलन से भिन्नता दिखाते हुए परिभाषित करते रहे हैं।"¹

विभिन्नताएँ

(The Differences)

शक्ति सन्तुलन एवं सामूहिक सुरक्षा की मान्यताओं के बीच कुछ अन्तर है जो मुख्यतः निम्न प्रकार हैं :—

१. सामूहिक सुरक्षा एक सामान्य सन्धि (Universal alliance) है जो प्रतियोगी सन्धियाँ (Competitive alliances) से भिन्न है जिनको शक्ति सन्तुलन को विशेषता माना जाता है। कॉर्डेल हल (Cordell Hull) ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के बारे में लिखा है कि यह कुछ संगठित राष्ट्रों के विरुद्ध सन्धि नहीं है बरन् प्रत्येक आक्रमणकारी के विरुद्ध है। यह सन्धि युद्ध के लिए नहीं बरन् शक्ति के लिए है।² यह कथन दोनों मान्यताओं के मूल अन्तर को स्पष्ट करता है।

२. शक्ति सन्तुलन की मान्यता दो या दो से अधिक विरोधी गुटों की उत्पत्ति करके चलती है जो परस्पर सघर्षशील प्रकृति के हैं किन्तु सामूहिक सुरक्षा की मान्यता 'एक विश्व' (One World) है जो सहयोग के आधार पर व्यवस्था का निर्माण करने के लिए संगठित होता है।

३. यद्यपि दोनों मान्यताएँ सघर्ष व सहयोग को अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के मूलतत्त्व मानती हैं तथा सघर्ष का मुकाबला करने के लिए सहयोग की सिफारिश करती हैं, किन्तु शक्ति सन्तुलन व्यवस्था के निर्माण के लिए सघर्षपूर्ण सहयोग चाहता है जबकि सामूहिक सुरक्षा सघर्ष को प्रतिवधित रखने के लिए सामान्य सहयोग पर बल देती है।

४. शक्ति सन्तुलन कुछ सीमित गुटबन्दी करके ही आक्रमणकारी का विरोध करता है तथा यह मानता है कि सघर्ष अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की सर्वकालीन विशेषता है किन्तु सामूहिक सुरक्षा सामान्य सहयोग के आधार पर आक्रमणकारी का मुकाबला करने को तैयार रहती है तथा यह मानती है कि आक्रमण अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का केवल अन्तर्भाव है, नियम नहीं।

1. I. L. Claude, Power and International 'Relations P 111.

2. The Memoirs of Cordell Hull, II, 1948

५. सामूहिक सुरक्षा यह मान कर चलती है कि किसी भी राष्ट्र द्वारा किसी भी राष्ट्र पर कभी भी किया गया आक्रमण विद्व-शांति के लिये खतरा है और इसका विरोध करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को कटिबद्ध हो जाना चाहिये किन्तु शक्ति सतुलन की मान्यता इससे भिन्न है। इसमें एक राष्ट्र पर आक्रमण होने के समय दूसरी सहयोगी इकाइया उसका मुकाबला करने में तभी साथ देगी जबकि वह उनके हितों से मेल रखता हो। यदि एक राष्ट्र का राष्ट्रीय हित उस आक्रमण से प्रभावित नहीं होता तो वह युद्ध में भाग लेने से विमुख हो सकता है।

६ इस प्रकार सतुलन व्यवस्था व्यवहारवादी (Pragmatic) है तथा एक राष्ट्र को आक्रमण का विरोध करने की केवल तभी सलाह देती है जब कि आक्रमण उसकी स्वयं की सुरक्षा के लिए घातक हो। किन्तु सामूहिक सुरक्षा की मान्यता में कुछ सैद्धांतिक पृष्ठ अधिक प्रभावशाली है क्योंकि यह राज्य को सदैव आक्रमण का विरोध करने को कहता है, कारण यह है कि उसका हित आक्रमण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।

७. शक्ति सतुलन व्यवस्था बहुत अस्त-व्यस्त होती है। यह स्वायत्त, एवं स्वनिर्देशित अनेक राज्यों से मिलकर बनती है जिसमें थोड़े ही बड़े राज्य होते हैं किन्तु सामूहिक सुरक्षा में एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को एक सगठनात्मक रूप देने की कोशिश की जाती है।

विन्सी राइट के मतानुसार सामूहिक सुरक्षा व शक्ति सतुलन के बीच वही अन्तर है जो कि कला (Art) और प्रकृति (Nature) के बीच होता है।

समानताएं

(The Similarities)

शक्ति सतुलन व सामूहिक सुरक्षा की मान्यताओं के बीच स्थित उक्त अन्तरो के अतिरिक्त कुछ समानताएं भी हैं जो निम्न प्रकार से हैं—

१. कहा जाता है कि शक्ति सतुलन की योजना का आधार दूसरे पक्ष की आक्रमणकारी सामर्थ्य (Aggressive capacity) है जबकि सामूहिक सुरक्षा आक्रमणकारी नीति पर अधिक ध्यान देती है। यह भाविक सत्य है क्योंकि शक्ति सतुलन में दूसरे पक्ष की केवल आक्रमणकारी सामर्थ्य पर ही ध्यान नहीं दिया जाता वरन् आक्रमणकारी नीति को भी देखा जाता है।

✓ दोनों मान्यताएँ प्रतिरोध (deterrence) के सिद्धांत की भूमि पर आधारित हैं। शक्ति संतुलन में अपने का इतना शक्तिशाली बनाया जाता है कि विरोधी मुंह न बटा सके, सामूहिक सुरक्षा में भी शक्ति का एकीकरण वर आक्रमणकारी की महत्वराशाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है।

३ शक्ति संतुलन का आधार तुल्यभारिता तथा सामूहिक सुरक्षा का आधार प्रबलता (Preponderance) माना जाता है किन्तु असल में तुल्यभारिता का रूप भी निश्चित नहीं है। शक्ति संतुलन की व्यवस्था में भी कोई पक्ष किसी देश से यह नहीं कहता कि दूसरा पक्ष कमजोर है अतः संतुलन की स्थापनायें वह उसी के साथ मिल जाय। इस प्रकार दोनों मान्यताओं के बीच वास्तविक अन्तर बहुत कम है।

४. दोनों ही अवस्थाएँ 'शांति के लिए युद्ध' (War for Peace) में विश्वास रखते हैं तथा कहते हैं कि शांति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि लड़ने की इच्छा पैदा करने की सामर्थ्य का विकास किया जाय।

५. दोनों ही राज्यों के सामूहिक सहयोग में विश्वास करते हैं यद्यपि आक्रमणकारी या शांति को चुनौती देने वाला राष्ट्र नहीं है।

६. दोनों मान्यताओं की समानता उन आधारभूत परिस्थितियों के आधार पर भी बताई जा सकती है जो कि दोनों ही व्यवस्थाओं के सफल व्यवहार के लिए आवश्यक मानी जाती है। उदाहरण के लिए दोनों में शक्ति का फैलाव (diffusion) इतना किया जाता है कि कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र या पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय शांति को खतरा न पहुँचा सके, दुनिया का दो गुटों में बट जाना (bipolarity) दोनों ही मान्यताओं के सफल संचालन के लिए आवश्यक है। दोनों में लचीली नीति (Flexible policy) अपनाई जाती है ताकि आवश्यकतानुसार पुराने शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु की तरह देखा जा सके। प्रजातन्त्र के इस युग में दोनों ही मान्यतायें लोकमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। दोनों की स्थापना प्रायः एक ही दुनिया में किया जाता है। विश्व के जिन परिवर्तनों ने शक्तिशाली संतुलन के मार्ग में बाधा डाली है वे सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के सफल संचालन में भी बाधक हैं। एडवार्ड वॉ गुलिक (Edward V. Gulick) के मतानुसार शक्ति संतुलन का विकास हुआ है। सन्धि (alliance), सम्मिलन (Coalition), तथा सामूहिक सुरक्षा (Collective security), इसके विकास प्रम के सोपान हैं। ईलाडु (I. L. Claude) का कहना है कि निष्कर्ष रूप में अनेक विचारकों ने यह माना है कि सामूहिक सुरक्षा को शक्ति

सतुलन का एक परिष्कृत संस्करण मानना चाहिए न कि पूरी तरह से भिन्न और शक्ति सतुलन का विकल्प।¹ शक्ति सतुलन के सिद्धान्त की मान्यतायें सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त की पूरक हैं।

सामूहिक सुरक्षा और राष्ट्रसंघ

(*Collective Security and League of Nations*)

सामूहिक सुरक्षा की मान्यता ने राष्ट्रसंघ के रूप में प्रथम बार सगठनात्मक रूप धारण किया। यही कारण है कि राष्ट्रसंघ को कभी कभी सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त का सत्कार्य अभिव्यक्तिकरण भी कह दिया जाता है। राष्ट्रसंघ के निर्माताओं का यह विश्वास था कि वे दूसरे राष्ट्रों के विरुद्ध कुछ राष्ट्रों का एक सगठन बनाने नहीं जा रहे हैं, किन्तु सामान्य हित के लिए अतिने सम्भव हो सके राष्ट्रों का, एक संघ बनाने जा रहे हैं। आर्थर लिंक (Arthur S Link) के मतानुसार² सभी उदारवादी यह चाहते थे कि संधियों का जाल, शक्ति सतुलन और मुक्त दूतनीति की व्यवस्थाएँ, जिनके कारण युद्ध अपरिहार्य बन जाता है, समाप्त कर दी जानी चाहिए। पुराने तरीके के स्थान पर उन्होंने शक्ति के लिए शक्ति के मेल (Concert of power) का प्रस्ताव किया। अनेक सगठनात्मक एवं व्यावहारिक कारणों से राष्ट्रसंघ के अधीन सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाया। कई बड़ी शक्तियाँ इसका सदस्य न बनीं और जो इसके सदस्य थे वे सामूहिक सुरक्षा के कोई खास प्रतिपादन नहीं थे जिसे किसी राज्य के विरुद्ध अपनी सुरक्षा के लिए वित्तित धर्म कि सामूहिक सुरक्षा के लिए। मध्य क नियम क अनुच्छेद १६ के अधीन सदस्य राज्य सामूहिक सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने को संधि बद्ध थे कि तु यह अनुच्छेद कभी क्रियाशिल नहीं किया गया। पामर तथा परकिंसन क शब्दों में संघ के सदस्यों द्वारा इनक अधों की एकपक्षीय व्याख्या की गयी तथा सिवाय बातें बनाने के और कुछ नहीं किया गया। फलतः अनुच्छेद की आत्मा उल्लंघित हो गई। अपने जन्म के प्रारम्भिक वर्षों में संघ द्वारा कुछ समस्याओं को सुलझाया गया। किन्तु बड़ी व महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करते समय बड़ी शक्तियों द्वारा इसके नियमों (Covenant) पर आघात किए गए। १९३१-३२ में मन्चूरिया के सन्दर्भ से लेकर हिटलर के आक्रमणों की शुरुआत तक अर्थात् द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ तक प्रभावशाली सामूहिक सुरक्षा के अभाव में एक के बाद एक अन्तर्राष्ट्रीय हर्षता से पूर्ण काय होते रहे। संघ की असमर्थता एवं शक्तिहीनता

1. Claude, I L Power and International Relations, P. 132

2. Wilson the Diplomatist, P 92

१९३५-३६ के स्टाली के इयोपिया के आक्रमण के समय पूरी तरह जात हो गई थी। यह सामंजस्य जसकी परीक्षा का प्रतीक था जिसमें वह असफल हो गई।

राष्ट्रसंघ की असफलता का प्रमुख कारण इसके सदस्यों का असंलग्नता पूर्ण दृष्टिकोण था। मार्च १९३६ में स्टालिन (Stalin) के कहा था कि आक्रमणकारी राज्य मुख्यतः इङ्ग्लैन्ड, फ्रांस तथा अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा की नीति को अनाक्रमणकारी का सामूहिक विरोध करने की नीति को त्याग दिया और असंलग्नता की तथा निरपेक्षता की नीति अपना ली। इस नीति का अर्थ था आक्रमणकारी को प्रोत्साहन देना, उसे स्वतन्त्रता देना और इस प्रकार युद्ध को विश्व-युद्ध बना देना। क्लाड (I. L. Claude), का विचार है कि जाने या अनजाने दुनियाँ के राज्यों ने सामूहिक सुरक्षा को मशौन राष्ट्र संघ के दोषों को कम करने की अपेक्षा और अधिक बढ़ाया। अन्तर्राष्ट्रीय सामुदाय की सामूहिक सुरक्षा के वे फल प्राप्त न हो सके जिनकी कल्पना की गई थी। सामूहिक सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की प्रकृति के कारण नहीं बरन् राष्ट्रीय नीतियों के कारण असफल हो गई।

सामूहिक सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र संघ (Collective Security and U. N. O.)

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ (League of Nations) के चोले को छोड़ कर सामूहिक सुरक्षा ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के रूप में पुनर्जन्म धारण किया। इस बाद सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की ओर विश्व के अधिकांश देश जाग्रदृक् थे। अत्युत्तम जैसे अनेक विकासों ने तृतीय विश्व युद्ध के परिणामों को स्पष्ट कर दिया था और कोई भी राष्ट्र मानव सम्भ्यता को मिटाने की अपेक्षा विश्व शान्ति की स्थापना में अधिक रुचि ले रहा था। विश्व की जनता भी अब जाग्रदृक् हो चुकी थी। जोसेफ बेच (Joseph Bech) के मतानुसार जनता अपने शान्ति को माफ नहीं करती, यदि वे पुन पुरानी शक्ति सतुलन की नीति का अपना लेते। क्योंकि इस नीति द्वारा सदस्यों की दोड़ गुरु होती है जो कि दूसरे युद्ध पर जाकर ही रुकेगी। अनेक विचारकों का मत था कि शान्ति प्राप्तियों में वे सामूहिक सुरक्षा की स्थापना के लिए खड़े हुए हैं। इसका अर्थ है विश्व संगठन ताकत द्वारा भी शान्ति को स्थापना कर सनता है और बरेगा। चाटेंर के वारे में बोलते हुए जनरल स्मट्स (Jan C Smuts) ने कहा था कि आक्रमणकारी के विरुद्ध शान्ति-प्रिय देश के संगठित मंच के लिए, बड़ी तथा छोटी शक्तियों के संगठित मंच के लिए यह दानों के साथ शान्ति प्रदान करती है। तथा यह शान्ति

नी संगठित सेनाओं के लिए केन्द्रीय संगठन और निर्देशन प्रदान करती है। इस कथन का अर्थ यही है कि संयुक्त राष्ट्र संधि के रूप में जब सामूहिक सुरक्षा का अवतरण हुआ तो उसकी कई विशेषताएँ थीं। वह शान्तिप्रिय देशों का संगठन है। उसमें बड़ी ब छोटी दोनों ही शक्तियाँ हिस्सेदार हैं। यह शान्ति सेनाओं का एक केन्द्रीय संगठन है तथा यह ताकत (Teeth) से भी शान्ति स्थापित कर सकता है। महासचिव ट्रिग्वे लो (Trygve Lie) के शब्दों में संयुक्त राष्ट्रों की शान्ति की सड़क सशस्त्र आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा की मांग करती है। वह हमें प्राप्त करनी चाहिए और मेरा विश्वास है कि हम प्राप्त करके रहेगे। शान्ति के लिए एकीकरण की योजना (Uniting for peace plan) पर बोलते हुए कनाडा के प्रतिनिधि ने कहा था कि हम सामूहिक सुरक्षा को संगठित करने की दिशा में एक नया कदम उठा रहे हैं जो कि हमारा लक्ष्य (Goal) है।

संयुक्त राष्ट्रसंधि के जन्म के बाद उसकी परीक्षा की घड़ी प्रथम बार १९५० में आई जबकि सारे विश्व की आँखें कोरिया के युद्ध पर जमी हुई थीं। यह एक अवसर था जबकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाना जा सकता था। दक्षिण कोरिया पर साम्यवादी आक्रमण के समय संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा कृत एवं प्रभावित सामूहिक सैनिक कदम उठाया गया, औपचारिक रूप से यह संयुक्त राष्ट्र संधि द्वारा प्रेरित था और संगठन के अंतर्गत द्वारा या निष्क्रिय रूप से समर्थित भी था। संयुक्त राष्ट्रसंधि के जन्म के नीचे किया गया संगठित कार्य-व्यवहार में सामूहिक सुरक्षा के प्रयास का पूर्ण चिन्मग है। कई विचारकों के मन से यह कदम उस सकल्प का क्रियान्वित रूप था जो कि सान फ्रांसिस्को में लिया गया था। दूसरी ओर कुछ विचारकों का मत यह भी है कि कोरिया के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संधि का जो कार्य था उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था ने अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया था। इन अनुभवों के आधार पर पामर तथा पर्किन्स (Palmer and Perkins) ने यह निष्कर्ष निकाला है कि "संयुक्त राष्ट्रसंधि अपनी प्रकृति के कारण वास्तविक सामूहिक सुरक्षा का प्रभावशील साधन न तो कभी था, न है और न भाव्य में ही कभी हो सकता है।" वॉल्फर्स (Wolffers) का भी कुछ ऐसा ही मत है। वे यह मानते हैं कि कोरिया में सामूहिक सुरक्षा का सही रूप नहीं निखर पाया था। यहाँ सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार होना तो यह चाहिए था कि आक्रमणकारी को सजा देने या प्रतिरोध करने के लिए कियो भी आक्रमणकारी के विरुद्ध वही भी लड़ा जाता, किन्तु इसके स्थान पर सामूहिक सैनिक शक्ति का प्रयोग केवल

अमरीका के प्रबल शत्रु के विरुद्ध किया गया था। इन दोनों विचारकों के बीच का विचार अमरीका के तत्कालीन राज्य सचिव (Secretary of State) एचेसन (Acheson) का था जो यह मानते थे कि कोरिया की समस्या को हमें सामूहिक सुरक्षा का अन्तिम घमें युद्ध (Final Crusade) नहीं मान लेना चाहिए। बैसे कोरिया (Korea) के युद्ध ने भी संयुक्त राष्ट्रसभ का कुछ अनुभव प्रदान किए तथा सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया। यह इसी अनुभव का परिणाम था कि महासभा द्वारा शान्ति के लिए एकीकरण का प्रस्ताव (Uniting for peace) पास किया गया था। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उठाये गये इस प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभ की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। उरुग्वे (Uruguay) के प्रतिनिधि का मत था कि कोरिया के अनुभव से हम काफी लाभान्वित हुए हैं तथा इसके व्यवहार को एक व्यावहारिक, यथार्थवादी और विश्वव्यापी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करने के लिए काम में लाया गया।

संयुक्त राष्ट्र सभ के प्रमुख सगठन सुरक्षा परिषद (Security Council) में निषेधाधिकार (Veto) की व्यवस्था को सामूहिक सुरक्षा के विरुद्ध तथा उसका एक करक माना जाता है। यह कहा जाता है कि जब तक यह व्यवस्था है तब तक संयुक्त राष्ट्रसभ किसी बड़ी शक्ति के विरुद्ध कोई कदम उठाने में असमर्थ बन जायगा। यह केवल छोटी शक्तियों के विरुद्ध ही कार्यवाही कर पायेगा। किन्तु सत्य तो यह है कि शक्तिशाली राष्ट्र ही शायद आक्रमणकारी होता है और ऐसे आक्रमण के विरुद्ध कदम उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्रसभ अनुमति न देगा। कहा गया है कि निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्रसभ एक ऐसी व्यवस्था बन गया है जिसमें चढ़ो को कुचला जा सकता है किन्तु धोरो को नहीं रोक जा सकता। निषेधाधिकार न सामान्य सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था का छिन्न-भिन्न कर दिया है। दूसरी ओर फॉक्स (T. R. Fox) जैसे भी विद्वान हैं जो यह मानते हैं कि इसमें छोटे राष्ट्रों को यह आश्वासन प्राप्त हो जाता है कि इसके कारण संयुक्त राष्ट्रसभ बड़ी शक्तियों के गुट के किसी दूसरी बड़ी शक्ति के विरुद्ध युद्ध का समर्थन न करेगी। भारत का भी इस सम्बन्ध में कुछ ऐसा ही विचार है।

सामूहिक सुरक्षा और क्षेत्रीय संधियाँ

(Collective Security and Regional Alliances)

विश्व का दो गुटों में बंट जाना सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के भाग्य-चक्र राह क समान सिद्ध हुआ। शीत युद्ध के दक्षिण तथा धरे बन्दी के

परिणामस्वरूप साम्प्रदायी और पूँजीवादी गुटों द्वारा सन्धि-संगठनों का निर्माण किया जाने लगा। विचारकों के एक पक्ष को यह मान्यता रही और आज भी है कि इन क्षेत्रीय संगठनों के आधार पर सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ तथा लोकप्रिय बनाया जा सकता है तो दूसरे पक्ष वालों का मत है इन सन्धियों का आधार गुट-बन्दी होता है और इन्हें कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये शान्ति और सुरक्षा को नहीं बरन् युद्ध की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। इनके विचार में क्षेत्रीय सन्धियों अथवा प्रादेशिक संगठनों और समझौतों से आम खाने की कल्पना करना आकाश कुसुम की भांति निराधार और मृग-मरोचिका की भांति भ्रामक है।

क्षेत्रीय सन्धियों को चाहे अनेक राजनीतिज्ञों और शान्तिवादियों ने अनुचित बताया, लेकिन इनका विकास होता ही गया। द्वितीय महायुद्ध के मध्य-वर्ती काल में क्षेत्रीय संगठनों और समझौतों का बड़ी संख्या में निर्माण किया गया। बहुत कुछ इन्हीं के कारण राष्ट्रसंघ सामूहिक सुरक्षा की स्थापना में असफल हुआ और वह उन राज्यों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका जिन्होंने आक्रान्ता रूप धारण किया।

जब द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई तो उसके चार्टर में भी प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय संगठनों और समझौतों सम्बन्धी उपबन्ध रखे गये। वस्तुतः अधिकार अमेरिकन और पश्चिमी राजनीतिज्ञों तथा संन्य-विचारकों के लिए यह चिन्ता का विषय था कि 'रूसी दानव' यूरोप में लोह आवरण' (Iron curtain) के पूर्व में उद्दण्डतापूर्वक विचर रहा था और उसका प्रभाव सारे यूरोप पर पड़ रहा था। पामर और परकिन्स ने लिखा है—“यह तो अटकल लगाने की बात थी कि रूसी सेनायें कुछ ही दिनों, सप्ताहों अथवा महिनों में इंग्लिश चैनल तथा अटलान्टिक सागर तक पहुँच सकती हैं अथवा नहीं, परन्तु यह निश्चित था कि 'पूर्व' (अर्थात् रूस) की ओर से हवाई आक्रमण के मार्ग में कोई भौगोलिक अथवा मैतिक बाधाएँ नहीं थी।”

चूँकि राजनीतिज्ञों का बहुमत और अधिकतर राजन यह नहीं चाहते थे कि आक्रमण के समय संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद के ५ स्थायी सदस्यों के हाथ में ही कार्यवाही करने का अधिकार रहे, अतः उन्होंने अपनी भावी सुरक्षा के लिए प्रादेशिक-अथवा-क्षेत्रीय-संगठनों को बनाने के सिद्धान्त का समर्थन किया और इसी बात को सामने रखते हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में संयुक्त व्यवस्था की।

यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर की व्यवस्थाओं में यही घोषणा की गई कि क्षेत्रीय संगठन और समझौते विश्व संगठन के उद्देश्यों का परित्याग न कर रहे हूँ संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होंगे, परन्तु विश्व की महा शक्तियों ने इस आइ.एम.ओ. अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों का खेल खोला। परिणामतः विगत १५-२० वर्षों में क्षेत्रीय सन्धियों और संगठनों की बाढ़ सी आ चुकी है जिनसे विश्व शान्ति और सामूहिक सुरक्षा की समस्या सुलझाने के स्थान पर उलझ रही है। इन संगठनों और समझौतों ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को उत्पन्न किया है, तनाव को बढ़ाया है और संयुक्त राष्ट्रसंघ के महत्व को घटाया है। कुछ प्रमुख प्रादेशिक संगठन और समझौते (Regional Alliances) ये हैं—ब्रूसेल्स सन्धि संगठन, नाटो, वारसा पैक्ट, केन्द्रीय सन्धि संगठन (सेंटो), दक्षिण-पूर्वी-एशिया-सन्धि संगठन (सीटो) आदि। यथायंत क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक सन्धियों और संगठनों का क्रम सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की अपेक्षा शक्ति-संतुलन की मान्यता के अधिक निकट है।

एक मूल्यांकन
(An evaluation)

Amalendu

सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की, एकता में ही शक्ति है, सारे विश्व का हित एक है, विश्व युद्ध मनुष्य सभ्यता की अतीत की गाथा बना देगा आदि। कुछ मान्यताओं को आधार बनाकर आगे बढ़ाया जाना है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था, चाहे वह किसी भी रूप तथा आकार में हो, तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकती जब तक कि उसे नियमित करने के लिए पर्याप्त शक्ति उपलब्ध न की जा सके। शक्ति के बिना किसी भी दमनकारी आज्ञापत्र को कुचला नहीं जा सकता। सामूहिक सुरक्षा की विवशकारी शक्ति के रूप के सैद्धांतिक दृष्टि से तीन विकल्प हो सकते हैं—

✓ (१) सदस्य राज्यों द्वारा सहयोग का वचन दिया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी सैनिक शक्तियों को प्रयुक्त करने का वायदा भी लिया जा सकता है।

(२) राज्य अपनी सेना के कुछ भाग अन्तर्राष्ट्रीय सस्था के पास छोड़ देने ताकि वह सामूहिक सुरक्षा के लिए उनकी आवश्यकता पड़ने पर काम में ला सकें।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय सघ अपनी स्वयं की सेना का अलग से निर्माण करे तथा यह सेना सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का संचालन करे।

राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम विकल्प को अपनाया गया था, राष्ट्रसंघ में किस विकल्प को अपनाया जाय इस सम्बन्ध में बहुत समय तक भारी वाद-

विवाद रहा अन्ध में कुछ देशों की पूरी सहमति न रहते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध की जन्मा लिया गया। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की आज की परिस्थितियों में अकारणकारिण, असम्भव तथा निष्फल माना जाता है। इस विचार का मानन वाले लोग अपने पक्ष में निम्न तर्क प्रदान करते हैं—

(१) आक्रमणकारी जब आक्रमण करता है तो पूरी तैयारी और सोच विचार का प्रयत्न करता है और जिन् देश पर आक्रमण किया जाता है उनकी प्रतिरक्षा भी तत्काल ही होती है—वही पूरी सैनिक तैयारी की प्राप्ति, सफलकारीन बजट पास किया जायगा तथा परिस्थिति के अनुकूल जो भी आवश्यक होगा किया जायगा किन्तु सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को इनानियों को पूरी तरह यह पता नहीं रहता कि कहा, किसके विरुद्ध, कब, किसके साथ मिलकर सैनिक कार्रवाही करनी चाहिए और इसी कारण तत्कालीन सम्मिलित युद्ध बंठित हो जाता है। फलतः सामूहिक सुरक्षा समुदाय की सैनिक शक्ति उसके निचो भाग से उद्वेग कम होगी।

(२) सन् १९४५ ई० के बाद सैनिक तकनीकी न नारो परिवर्तन आ गया है। वैज्ञानिक विकास के कारण आज के युद्ध ऐसे बन चुके हैं कि आक्रमणकारी के विरुद्ध बढ़म उठान के लिए विचार करने की सामूहिक सुरक्षा प्रवृत्ति बरे तब तक आक्रमणकारी के द्वारा देश को नष्ट भी किया जा सकता है। यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र यह जानता है कि वह अपने जीवन और मरण का प्रश्न सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर नहीं छोड़ सकता इनका उर्से स्वयं ही प्रवृत्ति करना होगा।

(३) विश्व का दो छुटों में बंट जाना (Bipolarity) भी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के विपरीत प्रवृत्ति है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था यह मानती है कि उसके प्रतिद्वन्द्वी का प्रभाव प्रत्येक देश पर पड़ेगा और कोई भी देश आक्रमण करने का साहस न कर सकेगा। किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इस व अमरीका की नई दक्षिण का उदय ऐसा हुआ जिस पर सामूहिक सुरक्षा के प्रतिद्वन्द्वी का कोई प्रभाव होने जाने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त दो छुटों की व्यवस्था में यह भी एक बारा होती है कि आक्रमणकारी राज्य किसी भी एक छुट का सदस्य या नेता होते हैं और इन कारण उन छुट के दूसरे राज्य सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं होने देते।

(४) सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि आक्रमणकारी तथा जिन पर आक्रमण किया गया है उस देश को सन्तुष्ट करने से घोषित कर दिया जाये क्योंकि बिना इसके कोई बढ़म नहीं उभरता या

सकता है। भारत-पाक संधि के समय भारत द्वारा बराबर यह माग की जाती रही कि वह पाकिस्तान को आश्रित घोषित करे किन्तु ऐसा न किया गया क्योंकि यह घोषणा जितनी सरल दिखती है उतनी नहीं है, इसमें अनेक राष्ट्रों के हित टकराने हैं। इसी कारण वे किसी भी राष्ट्र को आश्रमणकारी घोषित करने से कतराते हैं। आश्रमण की परिभाषा एवं अर्थ भी अनेक लगाये जाते हैं। इस कारण यह बड़ा कठिन है कि पहले तो यह पता लगाया जाये कि गोया यह कार्य आश्रमण है या नहीं, यदि है भी तो आश्रमणकारी कौन है ?

(५) सामूहिक सुरक्षा की सफलता की विषयगत परिस्थितियाँ बढ़ने की अपेक्षा धीरे-धीरे घटती ही जा रही हैं। जिस समय इस सिद्धांत को अपनाया जा सकता था उस समय राजनीतिज्ञों का ध्यान इसकी तरफ न था अब वे इसे त्रियान्वित करना चाहते हैं किन्तु बाह्य परिस्थितियाँ ऐसा नहीं होने देती। विषयगत आवश्यकताओं (Subject requirements) को देखकर ऐसा लगता है कि यह सिद्धांत अरिपक्व है क्योंकि न तो राजनीतिज्ञ और न ही जनता इसकी पूर्ण आवश्यकताओं से परिचित है। आज के युग में ऐसे समुदाय का विकास हो गया है जो अपने अपने राष्ट्रीय हित के प्रति पूरी तरह जागरूक है और इसी कारण उसमें भिन्नता है। इस समय सामूहिक सुरक्षा की सफल त्रियान्विति यह माग करती है कि ऐसे राजनीतिज्ञ हों जो नेतृत्व कर सकें और ऐसी जनता हो जो उसका अनुगमन कर सके। इस विचार का विकास किया जाय कि जो विश्व के लिये शुभ है वही राज्य के लिए भी शुभ है। राष्ट्रीय हित का विश्व शांति तथा व्यवस्था के साथ एक-त्प कर दिया जाय। क्लाड (Claude) महोदय का मत है कि "कार्यशील सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण आवश्यकताएँ प्राप्त होने से अभी बहुत दूर है और यह भी सदिग्ध है कि इस दिशा में कुछ अर्थपूर्ण विकास हो सकेगा।"

(६) जिस व्यक्ति के हाथों में विदेश नीति के संचालन का भार रहता है वह सदैव व्यवहार प्रधान नीति को अपनायेगा तथा प्रत्येक मामले को गौर से देखने के बाद ही कोई निर्णय लेगा। वह केवल सिद्धांतों के पीछे न दौड़ेगा, कोई भी राजनीतिज्ञ यह पसंद न करेगा कि वह सामूहिक सुरक्षा जैसे किसी भी सिद्धांत की जञ्जीरो में अपने हाथों को जकड़ कर कुछ करने के लिए अपने आपको बाध्य बना ले। एक सफल राजनीतिज्ञ वही है जिसके सामने अनेक विकल्पों के द्वार खुले रहते हैं और परिस्थिति के अनुकूल एक मार्ग को अपनाने में उनके सामने कोई बाधा नहीं आती। दूसरे शब्दों में आज

की दुनिया के लोग यह विश्वास नहीं करते कि सामूहिक सुरक्षा के साधन को अपनाकर विश्व व्यवस्था (World order) या राष्ट्रीय हित को प्राप्त किया जा सकता है।

(७) सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण आलोचना मार्गें-यो आदि विचारकों द्वारा की गई है। ये विचारक यह मानते हैं कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत युद्ध का क्षेत्र सीमित या स्थानीय न रहकर विश्व-व्यापी बन जाता है। जिस युद्ध के परिणामों को एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित किया जा सकता था वे विश्व को विश्वस की आय से झुलस देते हैं। एक देश यदि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अधीन भी आन्तमणकारी के विरुद्ध प्रभावित देश का साथ दे रहा है तो भी यह समझा जायगा कि ऐसा वह अपने स्वार्थ को साधने के लिए कर रहा है। सत्तार में ऐसा सन्ध्यासी राष्ट्र देखने को नहीं मिलता जो बदनामी और आलोचनाएँ सहकर भी परोपकार तथा न्याय की स्थापना में रत रहे। दूसरी ओर कुछ विचारक यह भी मानते हैं कि विश्व में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए बजाय सैद्धांतिक के व्यावहारिक नीति की आवश्यकता होती है। क्लॉड (Claude) महाशय का निष्कर्ष है कि सामूहिक सुरक्षा शक्ति की ओर से अयथार्थ नहीं है वरन् यह नीति की ओर से अयथार्थ है।

शान्तिपूर्ण समझौते

(Peaceful Settlements of International Disputes)

ताशकन्द बार्ता के लिए मास्को खाना होने से कुछ दिन पहले प्रधान मन्त्री शास्त्री ने एक आम सभा में कहा था कि "कोई भी देश हमेशा युद्ध करता हुआ नहीं रह सकता। युद्ध को एक न एक दिन बन्द होना ही पड़ता है। युद्ध के द्वारा किसी भी समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता, हाँ इच्छे नई समस्याओं का निर्माण जरूर किया जा सकता है।" युद्ध को अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने का एक साधन बनाना कितना विघ्नसक तथा खतरनाक है इस बात को अच्छी तरह जानते हुए भी कई राष्ट्र युद्ध के मार्ग पर चलते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। युद्ध का मार्ग एक राष्ट्र केवल तभी अपनाता है जबकि शांतिपूर्ण साधनों से समस्या का हल उसके पक्ष में होता हुआ नहीं देखता है। दूसरे, यदि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अपनी अत्यायपूर्ण मांगों को स्वीकार कराना चाहता है तो उसे आवश्यक रूप से युद्ध का सहारा लेना पड़ता है। तीसरे युद्ध एक राष्ट्र की आन्तरिक कमजोरी का चोकर है। कोई भी देश जो आर्थिक, राजनैतिक एवं अन्य दृष्टियों से सम्पन्न है वह नहीं चाहेगा कि युद्ध का रास्ता अपनाकर अपनी प्रतिष्ठा व सम्पन्नता पर दाग

लगाया जाय। उनके पास शान्तिपूर्ण बूनीनिन साधन इनने प्रबल होते हैं कि युद्ध के बिना भी वह समस्या का समाधान कर सकता है।

सानुहित सुरक्षा व्यवस्था और अन्तर्राष्ट्रीय झगडों के शान्तिपूर्ण निपटारे के बीच काफी सम्बन्ध है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में समस्या को सुनज्ञान के माधन के रूप में युद्ध या शान का सहारा तभी दिया जाता है जबकि दूसरे अन्य साधन अमक हो जाय। प्रारम्भ में तो यह प्रयास किया जाता है कि आक्रमण से प्रभावित राष्ट्र तथा आश्रय करने वाले राष्ट्र के बीच समझौते, शान्ति वार्ता एवं अन्य मित्रतापूर्ण साधनों से मेरु करा दिया जाए किन्तु ऐसा सम्भव न हो सके तब अन्त में मजबूर होकर शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। शान्तिपूर्ण समझौते की सम्भावना तथा उनकी सफलता की सम्भावना केवल तभी रहती है जब दोनों पक्षों के बीच तुल्यभारता (Equalibrium) या शक्ति समुत्कन की स्थिति वर्तमान हो। जैसे सन्धियों जैसे शान्तिपूर्ण साधनों से अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने का प्रयास बहुत समय से ही प्रचलित है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा कि शान्तिपूर्ण साधनों का प्रयोग केवल छोटे-मोटे झगडों के निपटारे के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है जो दो देशों के बीच स्थित मनमुटाव को भावना के परिणाम स्वरूप पश हाते हैं किन्तु इसके द्वारा मनमुटाव को निमूल नही किया जा सकता। इलाइसर (Schleicher) महोदय के दावा में अन्तर्राष्ट्रीय समाज में शान्तिपूर्ण समझौते का अर्थ राज्यों के बीच भेदों को मिटाने के दाकिन के प्रयोग के अतिरिक्त अन्य सभी साधन आ जाते हैं।¹ शान्ति का महत्व शान्तिपूर्ण समझौतों की सफलता के लिए भी आवश्यक है क्योंकि जेन कोई भा न्यायालय का निर्णय तब तक प्रभावशील नही हो सकता जब तक कि पुलिस शक्ति उस निर्णय को शिथिल कराने में सक्षम सहयोग न दे। उभी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन देशों के दावों का प्रभाव अधिक होता है जो शक्तिशाली है तथा निर्णय का उल्लंघन करने वाले राष्ट्र का, जिनसे कुछ सतरा हो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय झगडों के शान्तिपूर्ण निपटारे की दिना में अब तक पर्याप्त विकास हो चुके हैं, उदाहरण के लिए सन् १८६६ की हेग कन्वेंशन, राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थाई न्यायालय सन् १९२४ का टैनवा सन्धि लेख तथा समुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर आदि का नाम लिया जा सकता है।

शान्तिपूर्ण समझौते की दो श्रेणियाँ

(The Categories of Pacific Settlement)

शान्तिपूर्ण समझौतों को मुख्य रूप से दो भागों में बाटा जा सकता है—निर्णायक (Decisional) तथा गैर-निर्णायक (Non decisional)। गैर-निर्णायक शान्ति समझौता उनको माना जाता है जो ऐसा कोई सुझाव नहीं देता जिस अन्तिम रूप में दोनों ही पक्ष मानने को मजबूर हों। ऐसे समझौतों में बातचीत (Negotiation), अनुरजन (Conciliation) आदि साधनों द्वारा बिना निष्कर्षों अथवा निर्णयों पर पहुँचा जाता है उनको मानने या न मानने के लिए दोनों ही पक्ष स्वतन्त्र रहते हैं। निर्णायक (Decisional) समझौते वे होते हैं जिनके निर्णयों का पालन करने के लिए दोनों ही पक्ष बाध्य रहते हैं। पचायत (Arbitration) तथा न्यायीकरण (Adjudication) आदि साधनों द्वारा इस प्रकार के समझौतों तक पहुँचा जाता है। यह व्यवस्था है कि दोनों ही पक्षों को यह स्वतन्त्रता रहती है कि वे अपने झगड़ों को इन व्यवस्थाओं के सुपुर्द करें या न करें किन्तु सुपुर्द करने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि वे उस पचायत अथवा न्यायीकरण के निर्णयों को मानें। कुछ विचारणी के मत में उत्तमसवी तथा बीसवी सताब्दी में यह भाग बढो है कि राजनैतिक तथा कानूनी मामलों को निर्णायक प्रक्रियाओं के सुपुर्द किया जाये। किन्तु समस्या यह है कि राजनैतिक या वैधानिक झगड़े क्या होते हैं तथा इनको सुलझाने के लिए अपनाये गये तरीकों, न्यायीकरण या पचायत व्यवस्था का रूप कैसा होना चाहिए।

शान्तिपूर्ण समझौतों के साधन

(Methods of Peaceful Settlements)

मदकत राष्ट्र सघ के चार्टर में शान्तिपूर्ण समझौतों के विभिन्न साधनों का उल्लेख किया गया है, जैसे—बातचीत (Negotiation), पूछताछ (Enquiry), मध्यस्थता (Mediation), अनुरजन (Conciliation), तथा क्षेत्रीय अभिकरण आदि (अनुच्छेद-३३)

पामर तथा परकिन्स ने उक्त सभी साधनों को दो मुख्य श्रेणियों में बाटा है। पहली श्रेणी में वे भी राष्ट्र आते हैं जो कि बिना शक्ति का सहारा लिए ही प्रोत्साहन पर आधारित रहते हैं। इसमें बातचीत, अन्धे पद, पूछताछ, मध्यस्थता तथा अनुरजन आदि आते हैं। दूसरी श्रेणी में वे सभी साधन आते हैं जिन्हें मानने के लिए दोनों ही पक्ष मजबूर रहते हैं। इस प्रसङ्ग में इन साधनों की थोड़ी जानकारी करना उपयोगी रहेगा।

(१) यातचीत (Negotiation)—छोटे-मोटे मनुमटावों से उत्पन्न होने वाले झगडों को प्रायः बातचीत द्वारा सुलझाने की परम्परा है। इसके अन्तर्गत जिन देशों के बीच झगडे होते हैं उनके कूटनीतिक आरस में बातचीत करके झगडे के रूप, कारण, समाधान आदि पर भी भलीप्रकार से विचार-विमर्श कर लेते हैं। इस प्रकार की बातचीत उन देशों के प्रमुखों अथवा विदेश मन्त्रियों के बीच की जा सकती है। बातचीत करने का अवसर सयुक्त राष्ट्रसभ में, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में तथा प्रादेशिक व्यवस्थाओं आदि में प्रदान किया जाता है।

(२) अच्छे पद तथा मध्यस्थता (Good Officer and Mediation)—अनेक बड़े राज्य कभी-कभी दो राज्यों के बीच के झगडे को दूर करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए ४ जनवरी १९६६ से ताशकन्द में प्रारम्भ, शास्त्री-अयूब शांति-वार्ता को लिया जा सकता है। सोवियत रूस जैसे एक शक्तिशाली देश ने एशिया महाद्वीप में शांति की स्थापना के लिए भारत एवं पाकिस्तान में सुझाव कराने का जो प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है तथा यह उसके अच्छे पद का सदुपयोग है। कभी-कभी प्रतिष्ठित राष्ट्र को मध्यस्थता करने का काम भी सौंपा जा सकता है। मध्यस्थता करते समय यह आवश्यक है कि दोनों ही पक्षों का उसमें विश्वास हो तथा किसी भी ओर से उसके पक्षपाती होने की आशंका न की जाय। अच्छे पद का झगडे के निपटारे में प्रयोग करते समय एक राष्ट्र मित्र की हैसियत से कार्य करता है तथा सुझाव देता है किन्तु मध्यस्थता करने समय यह एक न्यायाधीश बन जाता है तथा उसके निर्णयों को दोनों ही पक्षों द्वारा मानने की आशा की जाती है। १९०५ में राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने जापान और रूस के बीच युद्ध को रोकने के लिए अपने अच्छे पद का प्रयोग किया तथा एक मध्यस्थ के रूप में भी कार्य किया।

(३) पूछताछ और अनुरंजन (Enquiry and Conciliation)—प्रथम हेग सम्मेलन में पूछताछ के आयोग के ऊपर अधिक बल दिया गया था। द्वितीय सम्मेलन में भी इसकी आवश्यकता व महत्व पर विचार विमर्श किया गया था। इस कमीशन को यह काम सौंपा गया कि वह उन-तस्वों की जांच करे जो कि सधर्म के आधार हैं। कमीशन की सिफारिशों को मानने के लिए दोनों ही पक्ष मजबूर नहीं किये जा सकते। राष्ट्रसभ (League of Nations) ने १९३१ से लिटन आयोग (Lytton Commission) का निर्माण किया था। अनुरंजन (Conciliation) में तीसरे देश द्वारा समझौता कराने का भरसक प्रयास किया जाता है। इसके लिए यह पूछताछ (Enquiry) का साधन भी अपनाता है। मध्यस्थता प्रायः व्यक्ति द्वारा की जाती है जबकि

अनुरजन करने वाले कमेटी, कमीशन या कॉमिल हुआ करते हैं। पेलेस्टाइन की समस्या को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा कमीशन की नियुक्ति की गई थी।

(४) पंच फंसले और न्याय व्यवस्था (Arbitration and Judicial Settlement)—पंचायत और अनुरजन में भेद दिखाने हुए प्रायः यह कहा जाता है कि पंचायत व्यवस्था एक कानून से पूर्ण निर्या है, यह फंसला करती है तथा इसका फंसला मानने के लिए दोनों ही पक्ष बाध्य होते हैं किन्तु दूसरी ओर अनुरजन में समझौते की शिफारिशें होती हैं तथा उनका प्रभाव एक मित्र की राय से अधिक नहीं होता जिसे मानने के लिए कोई बाध्य नहीं किया जा सकता। पंच फंसलों का प्रचलन उन्नीसवीं शताब्दी में काफी था। इस काल में किया गया अलबामा का समझौता जिसमें ग्रेट ब्रिटेन को पंच बनाया गया था, उल्लेखनीय है। १८६६ के हेग सम्मेलन में संधियों को कानून द्वारा तय करने के लिए पंचायत के स्थायी न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। १९२२ में अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय की प्रतिष्ठापना की गई।

क्षेत्रीय व्यवस्था और शान्तिपूर्ण निपटारे

(Regional Arrangements and Pacific Settlements)

प्रादेशिक व्यवस्थाओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को दूर करने का प्रयास संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा समर्थित है। उसके चार्टर में यह कहा गया है कि झगड़ों को किसी भी शान्तिपूर्ण तरीके से तय किया जाना चाहिए। यह कहा गया है कि जो देश ऐसे समझौते में सम्मिलित हो रहे हैं उनको सुरक्षा परिषद् के सम्मुख लाने से पूर्व प्रत्येक झगड़ा इन्हीं के द्वारा तय करने का प्रयत्न करना चाहिए। अमरीकन राज्य के संगठन (Organisation of American States) को इस प्रकार को प्रादेशिक व्यवस्थाओं का उदाहरण माना जा सकता है।

संयुक्तराष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद् तथा महासभा के द्वारा शान्तिपूर्ण समझौतों की ओर अनेक सफल कदम उठाये गये हैं। सामूहिक सुरक्षा तथा झगड़ों के शान्तिपूर्ण निपटारे परस्पर सम्बन्धित हैं। पहले की विनाय-क्रम की जगहों साँझा माना जाता है, जबकि दूसरा प्रयत्न साँझा कहा जायगा। कुछ विचारक इन दोनों के सम्बन्ध के बारे में पूर्णतः भिन्न विचार रखते हैं। उनके मतानुसार न केवल ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी व पूरक नहीं हैं बल्कि विरुद्ध भी हैं। किन्तु यह तो एक तथ्य है कि दोनों का प्रयोग युद्ध को रोकने के लिए किया जाता है तथा दोनों साधनों के समर्थक एक ऐसे विश्व का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ शान्ति का साम्राज्य हो, युद्ध और झगड़े न हों।

तथा परस्पर सहयोग और मेल के आधार पर अपने देश का विकास करने के लिए प्रत्येक राजनीतिज्ञ प्रयत्नशील हो। शान्तिपूर्ण समझौतों का अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आधार माना जाता है। इस समय विश्व में अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जो वस्तु स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं, वे अधिकारों एवं कर्तव्यों का रूप बदलना चाहते हैं। इसके लिए उनकी शक्ति का प्रयोग भी करना पड़ता है क्योंकि उनका कामयाबी का विरोध उन देशों द्वारा किया जाता है जो उस व्यवस्था को बनाये रखने के पक्ष में हैं। दोनों गुटों के बीच मनमुटाव से अनेक झगड़े तथा वाद विवाद पैदा होते हैं। इन झगड़ों को सामूहिक सुरक्षा तथा शान्तिपूर्ण समझौतों की व्यवस्था द्वारा दूर किया जा सकता है किन्तु मन-मुटाव तो तभी दूर हो सकेगा जबकि वर्तमान विश्व-व्यवस्था में परिवर्तन का कोई शान्तिपूर्ण साधन हाथ लग जाय। परिवर्तन तो अपरिहार्य है, वह होकर रहेगा। हमारे सामने दो विकल्प हैं कि इसके लिए हम शान्तिपूर्ण साधन अपनाये या शक्तिपूर्ण तरीके। शक्ति को अपनाया नहीं जा सकता क्योंकि इसके परिणाम बड़े भयंकर हो सकते हैं। किन्तु शान्तिपूर्ण साधन जो भी हैं वे अपर्याप्त हैं अतः आवश्यकता है कि अधिक उपयुक्त साधनों की खोज की जाय। कुछ विचारकों के मन में ऐसा उपयुक्त साधन व्यवस्थापन का है किन्तु यह राष्ट्रीय सम्प्रभुता के प्रतिकूल पड़ता है। इस प्रकार विश्व के सामने दो रास्ते हैं—पहला तो सम्प्रभुतापूर्ण राष्ट्रीय राज्यों की ओर जाता है जहाँ की दिनचर्या में युद्धों का वादक्य होगा और दूसरा रास्ता जाता है विश्व सरकार (World Govt) की ओर जहाँ पर शान्ति का प्रभुत्व रहेगा। इस प्रकार आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिए राष्ट्रों की शक्ति को दूषित होने से रोकना है, उससे दुर्घटना पर सीमाएँ लगानी हैं। किन्तु हमने देखा कि शक्ति सन्तुलन तथा सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था यद्यपि इस क्षेत्र में प्रभावपूर्ण रही किन्तु वह पर्याप्त नहीं बनी जा सकती। उनके अपने दोष तथा अपूर्णताएँ हैं, इनको कम करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून, विश्व सरकार एवं निःशस्त्रीकरण आदि दूसरे साधनों द्वारा इसकी सहायता करना उपयोगी रहेगा। इन सभी साधनों को मिल कर एक ऐसे चतुर्व्यूह की रचना करनी है जिसमें युद्ध को घेरे में डाल दिया जाय। विश्व के देशों को यदि युद्ध की आवश्यकता न रहे तो शान्ति का अखण्ड दीप जल सकता है।

राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ-II

(LIMITATIONS OF NATIONAL-POWER)

विश्व में शान्ति बनाये रखने के लिए ऐसी व्यवस्था की भारी आवश्यकता रहती है जो शक्ति के प्रयोग को दूषित होने से बचा सके तथा राष्ट्रीय हित को अन्तर्राष्ट्रीय हित के साथ एकाकार कर सके। यथाथवादी सिद्धान्त के समर्थकों का विचार है और यह बहुत कुछ सही भी है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रधान विशेषता शक्ति के लिए संघर्ष करना है। प्रत्येक राष्ट्र यह प्रयास करता रहता है कि यह विश्व की एक बड़ी शक्ति बन जाये। उसकी नीतियाँ भी इस प्रकार संचालित की जाती हैं कि यह यदि आवश्यकता हो तो दूसरे देश के मूल्य पर भी अपने हित की साजना कर ले। इस प्रकार की नीतियाँ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व्यवस्था एवं सहयोग तथा मित्रतापूर्ण व्यवहार के लिए एक अभिशाप होती हैं। इनके विरुद्ध ऐसी नवीन व्यवस्थाओं की रचना करनी होगी जो ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें सभी राष्ट्र अपनी शक्ति को इतना मर्यादित रख सकें कि दूसरे राष्ट्रों को उनसे किसी प्रकार का खतरा न रहे। दूसरे, यदि उक्त प्रकार की नीतियाँ अनेक रोक लगाने पर भी उकसने से न सकें तो इनका प्रतिकार करना पड़ेगा।

शक्ति सतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था द्वारा गुंडों को रोकने, उनको सोमित करने तथा राष्ट्रों के बीच परस्पर मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण सम्बन्धों का निर्माण करने का भूतकाल से ही प्रयास किया जा रहा है। अनेक विचारकों के मतानुसार शक्ति सतुलन और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था ऐसे साधन हैं जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समय-समय पर बहुत

प्रभावित किया है किन्तु धनमानकाल के विभिन्न विकासों के कारण इन व्यवस्थाओं का व्यवहार धीरे धीरे कठिन तथा असम्भव होता जा रहा है। यही कारण है कि मनुष्य-समाज अन्तर्राष्ट्रीय कानून, विश्व सरकार, और निःशस्त्रीकरण जैसे विभिन्न उपायों को राष्ट्रीय शक्ति पर सीमाय लगाने के लिए प्रयुक्त करता है। ये तीनों ही साधन कुछ आदर्शात्मक प्रकृति के हैं, क्योंकि इनकी पूरी तरह से प्राप्त न तो किया गया है और न किया जा सकता है। किन्तु इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करना तथा इनकी ओर धोखा भी अग्रसर होना विश्व शान्ति के हित में है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून

(International Law)

कानून वा शासन (Rule of Law) भरस्वु के काल से ही मनुष्य को शासन से थोष्ट माना जाता रहा है। अद्वैयस्तिक एव निःस्वायं होने के कारण कानून के आधार पर संचालित व्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर शान्तिया नहीं होती और आशा की जाती है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध नहीं होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का संचालन कानून द्वारा न किया जाय, उसका केवल एक ही विकल्प है और वह यह कि शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के निर्धारण का प्रमुख तत्व बन जायगी। जंगल का नियम, जिसके अनुसार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, का बोल-बाला हो जामगा जिसके परिणामस्वरूप जन-साधारण का जीवन तथा समूची मानव सम्यता सतरे में पड सकती है। अनेक विद्वानों के विचारानुसार अगु-आयुधों के इस वर्तमान युग में कानून के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का निर्धारण करना परम आवश्यक बन गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ

(The Meaning of the International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप एव प्रकृति के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपनी-अपनी सम्मतिया प्रकट की हैं। इन विषय के प्रधान विचारक ओपनहिम (Oppenheim) के शब्दों में "अन्तर्राष्ट्रीय कानून उन प्रचलित एव परम्परावादी विषयों का नाम है जिनको सम्य राष्ट्रों द्वारा अपने आपसी व्यवहार में वैधानिक (legally) रूप से बाध्य माना जाता है।"¹ अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध विश्व के लोगों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता बरन् अप्रत्यक्ष रूप से होता है अर्थात् इनका सम्बन्ध केवल राष्ट्रों से होता है। अन्तर्राष्ट्रीय

1 L Oppenheim, International Law.

कानून कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती जो कि राज्यों के ऊपर हो और राज्यों को कुछ भी मानने के लिए बाध्य कर सके। किन्तु इसमें भिन्न इसका स्थान राज्यों के बीच में रहता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को हम राज्यों की आचार-संहिता (Code of conduct) भी कह सकते हैं जिसके आधार पर उनके परस्पर-सम्बन्धों का संचालन इस प्रकार किया जाता है कि दूसरे राज्यों के अधिकार तथा स्वतंत्रताओं पर बाधा आये बिना ही एक देश अपने हितों की पूर्ति कर सके। कुछ विद्वानों का मत इससे भिन्नता रखता है। उनका विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय केवल राज्य ही नहीं है बल्कि व्यक्ति (Individuals) और वे समुदाय भी हैं जिनके पास राज्य की सभी विशेषतायें नहीं होती।¹ स्टोवेल (Ellery C Stowell) के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून में ऐसे नियम होते हैं जिनका सम्बन्ध समस्त विश्व के मानव सम्बन्धों से होता है तथा जो सामान्य रूप से समस्त मानव जाति द्वारा व्यवहृत किये जाते हैं तथा जो उन स्वतन्त्र समुदायों की सरकार के माध्यम से लागू किये जाते हैं जिनमें कि मानवता बटी हुई है।²

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है। इसका अर्थ यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यक्ति की हैसियत से एक व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं रखता किन्तु जब वह व्यक्ति किसी पद विशेष को शोभित कर रहा होता है तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उससे सम्बन्ध रहता है—एक राज्य के सरकारी प्रतिनिधि के रूप में जब व्यक्ति द्वारा फूटनीतिक कार्यों में भाग लिया जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सुव्यवस्था नैतिकता एवं सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि वह कुछ नियमों का पालन करे, कुछ कानूनों का आचरण करे। इस प्रकार के आचरण के लिये व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो भी सके है और नहीं भी। परम्परागत रूप से तो यदि किसी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्माताओं ने कोई अवैध (Illegal) कार्य किया है तो उसके लिये पूरे देश को ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है।

एक अमेरिकन न्यायाधीश फिलिप जैसप (Philip Jessup) जो १९६० में न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of

1 See Hans Kelsen in Principles of International Law 1952.
Pp 96-188

2. Ellery C. Stowell, International Law, P. 10. fn.

कृष्ण राज्य उसे चाहे किसी भी कारण से मान्यता देते हैं तब यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था का अस्तित्व है। इन विचारकों के तर्क के अनुसार कानून का अधिकतर पालन इसलिए नहीं होता कि इसके पीछे शक्ति है बल्कि इसलिए होता है कि वह कानून है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कानून का आदर और पालन करेगा। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पीछे बाध्यकारी शक्ति अच्छे और बुरे का ज्ञान है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान कबूट तभी हो सकता है जबकि बड़ी शक्तिवाली कानून द्वारा स्थापित सीमाओं को स्वीकार करे तथा हर जगह के लोग इस प्रकार की व्यवस्था को मानने के लिए तैयार हों।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के महत्व के सम्बन्ध में ई. एन. वान क्लेफेन्स (E N Van Kleeffens) ने बताया है कि यह सभी राष्ट्रों के लिए लाभदायक है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक मात्र वस्तुगत एवं निष्पक्ष मापदण्ड माना जा सकता है। यह किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय नीति का एक ठोस आधार है। इसके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाया जा सकता है तथा राजनीति चतुरता एवं अवसरवादिता का एक प्रभावशील आधार है। अन्तर्राष्ट्रीय आशावाद, विश्वास एवं सज्जनता प्रत्यक्ष रूप से एक देश की शक्ति एवं प्रगति में प्रभाव रखते हैं, इसलिए इनके निर्माता अन्तर्राष्ट्रीय कानून को महत्वपूर्ण बना देते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर बासदेवन्त (Basdevant) के कथनानुसार "एक राज्य जब विषयी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियम का पालन करने की स्थिति में होता है तो वह अपने को विशेष रूप से शक्ति सम्पन्न अनुभव करता है।"

वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का महत्व एवं प्रभाव बढ़ रहा है। विचारकों का मत है कि समुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर इस बात की अवहेलना करता है कि लामे चल कर विश्व व्यवस्था व्यक्तियों पर नहीं बल्कि कानून पर आधारित रहेगी जिनमें कि न्याय और नैतिकता के सिद्धान्त अन्तर्निहित रहते हैं। यह तथ्य समुक्त राष्ट्रसंघ की अपर्याप्तता का एक आधार है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को मानने के बाद एक देश की शक्ति इसलिए अधिक हो जाती है कि प्रत्येक देश ऐसा करने में नैतिक दायित्व का अनुभव करता है जैसे व्यक्तिगत जीवन का यह एक कानून है कि किसी व्यक्ति पर आक्रमण न किया जाए और उसकी शक्ति अथवा बेइज्जती न की जाए, इस कानून का सभी के द्वारा आदर किया जाएगा और जो इसका उल्लंघन करेगा उनको गलत समझा जाएगा। कोई भी कानून एक सम्य एवं

विचारशील व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि एक राज्य ने गलती की है या वह गलती करने वाला है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से समझा और स्वीकार किया जा सकता है। केवल शक्ति या नैतिकता के आधार पर किसी चीज को गलत या सही सिद्ध करने की अपेक्षा यह उपयोगी रहता है कि उसे कानून पर आधारित किया जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की उपयोगिता एवं प्रभाव कई बातों पर निर्भर करता है। कुछ राज्यों ने सचिवालय के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को प्रभावशील बना दिया गया है। अन्य कुछ राज्यों में न्यायपालिका द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को आवश्यक घोषित कर दिया गया है। अनेक राज्य ऐसे भी हैं जहाँ कि सचिवालय, कानून अथवा न्यायपालिका द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, किन्तु ऐसा नहीं है कि ये राज्य उसकी अवहेलना करते हों। इनसे पित्त होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की मान्यता केवल राष्ट्रीय सचिवालय, कानून या न्यायिक परम्पराओं पर आधारित नहीं है—इसके लिए उत्तरदायी कुछ अन्य कारण हैं।

अनेक विचारक यह मानते हैं कि कानून का पालन केवल इसलिए नहीं किया जाता कि उसके उल्लंघन करने पर हमें पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर रहता है। यद्यपि यह सच है कि प्रायः कानूनों के पीछे अत्याचारों को रोकने वाली एक शक्ति रहती है, किन्तु इसके बिना भी कानून है।

कानून की मान्यता का आधार जनता की इच्छा की भी नहीं माना जा सकता। यह कहना अपर्याप्त होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून इस कारण बाध्यकारी है क्योंकि लोग इसे ऐसा ही समझते हैं। इससे एक नया प्रश्न उठ खड़ा होता है कि लोग उसे बाध्यकारी क्यों मानते हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय कानून को क्यों माना जाता है ? उसके पीछे कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसे बाध्यकारी बना देती है ? इस सम्बन्ध में सताब्दियों से बहुत कुछ लिखा जाता रहा है। सिसरो (Cicero) ने बताया कि दूसरों के मूल्य पर स्वयं का लाभ करने की प्रवृत्ति प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि यदि हर कोई ऐसा करने लगे तो मानव समाज नष्ट हो जाएगा। ग्रीशियस (Grotius) ने बताया कि जो कुछ भी प्रकृति के विरुद्ध है सत्ता बुद्धिशील लोगों के समाज के विरुद्ध है वह अन्यायपूर्ण है। इन दोनों विचारकों ने कानून के प्रति सम्मान का आधार समाजशास्त्र और नैतिकता के क्षेत्र में छुटा, कानून के प्रदेश में नहीं जब सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से कानून की बाध्यकारिता को देखा जाता है तो लगता है कि स्वयं व्यक्ति के भले-बुरे की भावना ही उसे कानून का पालन

करने के लिए प्रभावित करती है। किन्तु यह बात सही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को कानूनी नियमों का पालन करना ही होता है, चाहे वह उनको न्यायपूर्ण समझे अथवा अन्यायपूर्ण। जब शच्छाई और बुराई को मौलिक कानूनी नियमों का रूप दे दिया जाता है तो वैयक्तिक इच्छा का महत्व बड़ा नहीं रहता।

अठारहवीं शताब्दी के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कानूनी आधार प्रदान करने का प्रयास किया गया। एक जर्मन कनील (सन १६७६-१७५४) ने प्रथम बार एक विचारधारा सामने रखी जिसके अनुसार यह माना गया कि राज्यों के कुछ मौलिक अधिकार होने हैं जो कि राज्य की भाँति स्थायी, पूर्ण तथा अपरिहार्य हैं। इनसे राज्यों को यदि वंचित किया गया तो राज्य, राज्य नहीं रहेगा। इन मौलिक अधिकारों की सूची अलग-अलग विचारकों ने अलग-अलग प्रकट की। किन्तु इनमें सामान्य स्वीकृति मुख्यतः पाँच को मिल सकी; ये थे सुरक्षा का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, आदर पाने का अधिकार और अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य का अधिकार। राज्यों की तुलना व्यक्तियों से करना अधिक गलत नहीं है, जिस प्रकार व्यक्तियों को समान और स्वायत्त समझा जाता है, उसी प्रकार राज्यों को भी समझा जाता है। स्वायत्त होते हुए भी राज्य व्यक्तियों की भाँति अपने साधियों के अधिकारों की इज्जत करते हैं। विशेष रूप से उनके बीच समानता रखी जाती है क्योंकि यदि उनमें से एक के भी पास अधिकार न हुए तो अन्य के अधिकार भी सुरक्षित नहीं रह पायेंगे। वर्तमान शताब्दी में इस विचारधारा का कटु विरोध होता है। विरोध करते समय अन्य बातों के साथ एक बात यह भी कही जाती है कि यह वास्तविकता के साथ अनुरूपता नहीं रखती। यह कहा जाता है कि अगर स्वतन्त्रता राज्य से न छीना जाने वाला अधिकार है तो ऐसा क्यों होना है कि कुछ राज्यों को पूरी तरह से स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती। किन्तु इतने पर भी वे राज्य बने रहते हैं। वर्तमान विश्व राजनीति का तथ्य यह है कि राज्य निरन्तर अधिक से अधिक एक दूसरे पर आश्रित होते जा रहे हैं। इसलिए इस सिद्धान्त को अस्वीकार किया जाना जरूरी है।

कानून का जो वास्तविक स्वरूप है उसका पर्याप्त प्रभाव है। कानून की मान्यता के सम्बन्ध में पर्याप्त विचार विमर्श करने के बाद अन्त में इस निष्कर्ष पर आना पड़ता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आदर का अन्तम आधार यह है कि हम अपने दिल से तथा अपनी चेतना से यह मानने हैं कि कानून का पालन किया जाना उपयोगी है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई मौलिक कानून का शासन हमें यह आदेश दे रहा हो कि हमें इसको ठीक मानना ही पड़ेगा, चाहे हम इसे स्वीकार करें अथवा न करें। कानून के पालन न करने

का विकल्प अराजकता है और अराजकता से व्यक्ति अपने स्वभावस्य दूर रहना चाहता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक मुख्य सुरक्षात्मक हथियार के रूप में काम लाया जा सकता है। अब तक विश्व के देश इसी पर्याप्त अवहेलना करते रहे हैं। नरशा का यह साधन बिना प्रयोग किए ही पड़ा रहा। अब देशों को चाहिए कि वे इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें।

यथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक सत्य है ?

(Is International Law a Reality)

अनेक विचारक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कानून होने में ही सदेह प्रकट करते हैं। मार्गो के दृष्टों में ऐसकों का एक बुद्धिशील समुदाय बनना मन प्रकट करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून जैसी कोई चीज ही नहीं होती। जो विचारक यह मानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा राष्ट्रीय शक्ति को मर्यादित किया जा सकता है और इस प्रकार उसके दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सकती है, उनकी सख्या दिनों-दिन घटती ही जा रही है। विचारकों के इन दोनों पक्षों की स्थिति का दृष्टा अचटा वर्गन ब्रिअर्थी (Brierly) नहीदय द्वारा किया गया है। उनका कहना है कि अनेक विचारक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के चरित्र एवं इतिहास पर विचार किये बिना ही यह कह देते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून हमेशा एक घोना (Sham) रहा है तथा अब भी है। दूसरी ओर कुछ विचारक ऐसे हैं जो कि यह मानते हैं कि यदि दक्षिणों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को पञ्जीबद्ध कर दिया जाय तो हम शान्ति से रह सकते हैं तथा विश्व में भी सब कुछ ठीक ही होगा। ब्रिअर्थी (Brierly) का निवार है कि इन दोनों मतों में से किसी को भी सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों ही समान मर्यादों के मिश्रण हैं यद्यपि दोनों ही यह मानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक ऐसा विषय है जिस पर कोई भी निता सम्बन्धित तत्त्वों का अवगोचन किये बानी अन्तरराज्य के आधार पर कोई भी मत बना सकता है। उदाहरण के लिए श्लेचर (Schleicher) दो धिया ला सकता है जिनके मत में कुछ निदम (Norms) ऐसे होते हैं जिनको कि ज्ञानचेतना (Conscience), सामुदायिक भावना (Community Sentiment) एवं सरकार के जगों द्वारा लागू किया जा सकता है। न्याय की परम्परा एवं आदर्शों के प्रतिकूल होने पर राष्ट्रीय कानूनों का जैने विरोध किया जाता है उसी प्रकार प्रचलित व्यवस्था से अधिक निजता रखने वाला अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी आलोचनाओं एवं विरोधों का शिकार बन जाता है। इन प्रकार के तर्कों द्वारा कुछ विचारक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून सच्चे अर्थों में एक कानून है यद्यपि राष्ट्रीय कानून में उसकी प्रकृति अनेक

बातों में भिन्नता रखती है तो भी कुछ बातों में दोनों के बीच समान लक्षण भी देखने को मिलते हैं।

दूसरी ओर विचारको वा वह वर्ग है जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून जैसी किसी चीज के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं करता और राष्ट्रीय सम्प्रभुता के आधार पर इसे एक असत्य कल्पना भिन्न करने का प्रयास करता है। सम्प्रभुता के विचारक ऑस्टिन (Austin) आदि के मतानुसार जिसे हम अन्तर्राष्ट्रीय कानून कहने हैं वह 'कानून' नहीं है वरन् वह तो अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता की एक शाखा है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कानून न मानने वाले विचारक अपने पक्ष के समर्थन में निम्न तर्क प्रस्तुत करते हैं—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का क्षेत्र बड़ा सीमित है तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक बड़ा भाग इसके कार्य-क्षेत्र में नहीं आता। एक कानून के रूप में इसे राज्य में समस्त आपसी सम्बन्धों पर लागू होना चाहिये किन्तु इसके विपरीत व्यवहार में यह केवल उन्हीं विषयों पर लागू होता है जिनको कि राज्यों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने के लिए कोई भी राज्य बाध्य नहीं है। यह कहा जाता है कि राज्य की सम्प्रभुता और अन्तर्राष्ट्रीय कानून जिसे मानना राज्य के लिए आवश्यक हो, चाहे वह उसकी इच्छा के विपरीत हो या अनुकूल, के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता।

(३) यह कहा जाता है कि जब एक राज्य द्वारा किसी कानून को स्वीकृति दे दी जाती है तो वह उसका पालन करने के लिए बाध्य हो जाता है। स्वीकृति की विचारधारा (Theory of Consent) के समर्थक यह नहीं बता पाते कि जिन कानूनों पर राज्य अपनी सहमति प्रकट न करे उनको हम कैसे कानून कह सकते हैं तथा राज्यों को उन्हें मानने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है। यदि मजबूर किया जा सके तो उस राज्य की सम्प्रभुता का क्या होगा।

(४) ऑस्टिन की परिभाषा के अनुसार कानून सम्प्रभु का आदेश होता है तथा यह उन पर लागू किया जाता है जो कि उमें सम्प्रभु के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। इस परिभाषा के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून सच्चा कानून नहीं कहा जा सकता क्योंकि समुन्नत राष्ट्रसंघ अथवा कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ऐसा नहीं है जो व्यक्तियों अथवा राज्यों के ऊपर सम्प्रभुता रखता हो।

(५) राष्ट्रीय स्तर की भांति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीकृत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका नहीं होती और इस आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून को एक सच्चा कानून नहीं कहा जा सकता।

उक्त अनेक तर्कों द्वारा समय समय पर यह प्रमाण दिया जाता रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कानून का स्तर प्रदान न होने दिया जाय, किन्तु आलोचकों ने इन तर्कों के मुख्य आधार 'राष्ट्रीय सम्प्रभुता' की मान्यता पर आधारित किया है। उदाहरण के लिए इस विषय के प्रिंटिस विचारक प्रिअर्ली को लिया जा सकता है जो यह मानते हैं कि पूर्ण एवं अविभाज्य सम्प्रभुता के समर्थक जीन बोदा (Jean Bodin) और थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes) को गलत समझा गया है। उन्होंने कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता का समर्थन नहीं किया जैसा कि उनके अनुयायियों की मान्यता है। पामर तथा परकिन्स (Palmer and Perkins) के शब्दों में व्यवहार में व्यक्तिगत राज्य भी अपनी इच्छा के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानून से बाध्य हो सकते हैं, किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि वह कानून राष्ट्रों के समुदाय की सामान्य स्वीकृति प्राप्त कर ले।¹ वास्तविकता इन दोनों ही विचारों के बीच में स्थित है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आलोचकों एवं समर्थकों द्वारा दिये गये तर्क केवल आंशिक रूप से ही सत्य हैं। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व है किन्तु जैसा कि मार्गेन्थो का विचार है यह कानून राष्ट्रीय कानून की भाँति प्रभावशाली वैधानिक व्यवस्था (Effective legal System) नहीं है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पर यह राष्ट्रीय शक्ति को सीमित एवं नियंत्रित करने में प्रभावशाली अवश्य है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून पूर्ण रूप से एक विकेंद्रित कानून होता है और इस अर्थ में इसको पुरातन तरीके का कानून (Primitive type of law) कह सकते हैं।² कुछ विचारकों के मतानुसार, 'राज्य एवं व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना अच्छा मानते हैं तथा करना एक कर्तव्य स्वीकार करते हैं, उनके कानून होने के लिए यही पर्याप्त है। यदि उसका पूरी तरह से अनुशीलन नहीं किया जाता तो उसकी कानूनी प्रकृति पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता।'

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकेंद्रित स्वरूप

(Decentralized nature of International Law)

राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के बीच अंतर दिखाते समय प्रायः यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय कानूनों का पालन कराने के लिए व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका आदि विनियम अमिकाएँ होती हैं। यही कारण है कि इसे एक केंद्रित व्यवस्था (Centralized System) कहा जाता है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन वैधानिक समुदाय के सदस्यों

1. Palmer and Perkins, International Relations P. 308

2. Morgenthau, Politics among Nations—P. 251

द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है और इसलिए यह विकेन्द्रित व्यवस्था कहलाती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के निर्माण के तरीके, उनकी व्याख्या के रूप एवं उनके व्यवहार की प्रणालियों पर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक पूर्णरूपेण विकेन्द्रित व्यवस्था है। ऐसे कानूनों का प्रचलन प्रायः प्राचीन समुदायों में पाया जाता था। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की तुलना कभी-कभी मध्ययुगीन ब्रिटिश कॉमन लॉ (British Common Law) से की जाती है। वर्तमान युग की व्यवस्थापिका, वार्डपालिका और शायपालिकाओं से पून भी कानून है। इनका विकास रीति रिवाजों द्वारा होता था और व्यक्तियों एवं समुदायों के द्वारा इनको लागू किया जाता था ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को आज राज्य द्वारा लागू किया जाता है। मार्गों-थो के शब्दों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की विकेन्द्रित प्रकृति अन्तर्राष्ट्रीय समाज के विकेन्द्रित ढांचे का आवश्यक परिणाम है। जिस प्रकार एक राष्ट्र के कानूनों का निर्माण एवं संचालन कुछ सुव्यवस्थित एवं सुविकसित अंगों द्वारा किया जाता है वैसे कोई व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रचलित नहीं है और न हो सकती है। जब तक कि अपने-अपने क्षेत्रों में सम्प्रभु राज्यों द्वारा विश्व समुदाय की इच्छाओं का अभिनय किया जाता है तब तक कानून का निर्माण करने वाले तथा उसे लागू करने वाली कोई केन्द्रीय व्यवस्था जन्म नहीं ले सकती। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का अस्तित्व एवं व्यवहार दो तत्वों के कारण है—

(1) राज्यों के समान अथवा एक दूसरे के पूरक हित,

(2) राज्यों के बीच समुल्लेख की स्थापना। यह कहा जाता है कि जहाँ हितों का युक्त समुदाय नहीं होता तथा उनके बीच शक्ति का समुल्लेख नहीं पाया जाता वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय कानून नहीं रह सकता। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास एवं पालन वस्तुगत सामाजिक शक्तियों (Objective Social Forces) का परिणाम होता है। प्रोफेसर ओपेनहैम ने शक्ति समुल्लेख को अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अभिन्न शक्ति माना है। उनका मत है कि यदि शक्तियाँ एक दूसरे को प्रतिस्पर्ध में नहीं रख सकती तो कानून का नियम का कोई प्रभाव नहीं रह सकता क्योंकि एक शक्तिशाली राष्ट्र स्वभावतः मनमानी करना चाहेगा तथा वह कानून का उल्लंघन करेगा, क्योंकि सम्प्रभु राज्यों के ऊपर कोई केन्द्रीय राजनैतिक शक्ति नहीं रह सकती इसलिए यह आवश्यक है कि शक्ति समुल्लेख से राष्ट्रों के परिवार के किन्ना भी सदस्य को स्वेच्छाचारी हान से रोका जाय। एक रूप एवं परस्पर सहायक हित (Identical and Complementary interests) भी विकेन्द्रीकरण के अभिचरण के रूप में सदैव क्रियाशील रहते हैं व किन्ना भी वैधानिक व्यवस्था के व्यवस्थापक,

न्यायिक एवं कार्यपालिक तीनों ही कार्यों पर प्रभाव डालते हैं। मार्गेंथो (Morgenthau) ने इनकी जीवन रक्त (lifeblood) की सजा प्रदान की है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास

(Development of International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रारम्भ किस समय हुआ तथा वह अपने प्रारम्भिक रूप में किस तरह का था इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आदिम युग के मानव समुदायों के आपसी सम्बन्धों का निश्चय दोनों पक्षों की इच्छा के आधार पर ही किया जाता था। कहते हैं कि इन लोगों के बीच अपने-अपने शिकार, गुफा, घर, नदी का किनारा आदि के ऊपर एक प्रकार का सहज ज्ञान था और दूसरे व्यक्ति को इन्हीं चीजों को लेने में एक व्यक्ति का अन्तःकरण ही बाधक बन जाता था। मानव सभ्यता अपने आदिम काल की परिधियों को पार कर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ने लगी त्यों-त्यों समुदायों, गुटों, प्रदेशों, राज्यों एवं राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों में सुनिश्चितता आने लगी। आज के अन्तर्राष्ट्रीयता के युग में आवर राष्ट्रों के बीच के सम्बन्धों को कानून द्वारा नियन्त्रित करने का सचेतन एवं प्रभावपूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है। हिन्दू धर्म-शास्त्रों में राज्यों के बीच स्थित शांति एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का वर्णन आया है। यैसे तो शान्ति एवं सहयोगपूर्ण विकास की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय कानून जैसी संस्था का किसी न किसी रूप में प्रारम्भिक काल से ही महत्त्व रहा है किन्तु कई कारणों से वर्तमान समय में यह महत्त्व द्विगुणित हो गया है। राज्यों के बीच का बढ़ता हुआ व्यापार, आर्थिक दृष्टि से राज्यों की परस्पर निर्भरता, युद्ध में अणु आयुधों के उपयोग का भयानक परिणाम आदि तत्वों ने मिलकर विश्व-शान्ति एवं व्यवस्था को न केवल महत्त्वपूर्ण बनाने अपरिहार्य बना दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का इतिहास

(The History of International Law)

वातावरण और परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के रूप पर समय-समय जो विचार प्रस्तुत किये गये हैं उन पर एक विहंगम दृष्टि डालना अप्रासंगिक न होगा।

(१) प्रारम्भिक काल

(The Early Period)

यह कहा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की आधुनिक व्यवस्था उस महान् राजनैतिक परिवर्तन का परिणाम है जिसने मध्य युग को आधुनिक युग

में परिवर्तित कर दिया। वैसे इसका प्रयोग प्राचीन यूनान के नगर राज्यों के आपसी सम्बन्धों के निर्धारण में किया जाता था। नगर राज्यों के सम्बन्धों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय कानून को बहुत कुछ दिया है। इस काल में अन्तर्नगर राज्यों के सम्बन्धों को कुछ नियमों के अनुसार संचालित करने का जो प्रयत्न विधा गया उसके परस्पर युद्ध के नियम, पचायत (Arbitration) का प्रयोग आदि का विकास हुआ। रोमन काल में जब नगर राज्यों के स्थान पर बड़े साम्राज्य निर्माण का प्रयत्न किया गया तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता कम हो गई। रोमन काल में विश्व सरकार का जो विचार पनपा तथा दो प्रकार के कानूनों की जो स्थापना की गई उससे अन्तर्राष्ट्रीय कानून बहुत अधिक प्रभावित हुआ व सामान्य नागरिकता और सभी लोगों को 'निष्पक्ष न्याय' का विचार पनपा। मध्य युग में आकर अन्तर्राष्ट्रीय कानून ने आधुनिक रूप लेना प्रारम्भ कर दिया तथा यह विचार धीरे-धीरे प्रभावशील होता गया कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का नियन्त्रण कुछ निश्चित वैधानिक सिद्धान्तों (Legal principles) द्वारा किया जाना चाहिये।

रोमन साम्राज्य के पतन और राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के विकास के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून के चरित्र एवं महत्त्व में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया। अब अन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रवेश विभिन्न पहलुओं में हो गया जैसे— युद्ध का आचरण, निष्पक्षता की रक्षा, समुद्रों का शान्ति एवं युद्ध के समय प्रयोग, उपनिवेशों की सीमाएँ निर्धारित करना आदि। इस युग में लेग्वानो (Leguano), विक्टोरिया (Victoria), सोरेज (Suarez), जेन्टिलिस (Gentilis) आदि अनेक विचारक हुए जिन्होंने कुछ न कुछ नया जोड़ कर अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास को गतिमान रखा। ह्यूगो ग्रीसियस को अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पिता माना जाता है।

(२) ग्रीसियस काल

(Period of Hugo Grotius 1583-1645)

ह्यूगो ग्रीसियस ने पौलैण्ड में जन्म लेकर अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सबंध में जो कार्य किये उनसे ही उसे राजनीति शास्त्र में एक अमर पद प्राप्त हो गया है। ग्रीसियस ने इस विषय पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उनमें 'युद्ध और शान्ति के कानून के ऊपर' (On the Law of War and Peace) को पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई है। ओपेनहिम के मतानुसार इस पुस्तक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक विज्ञान का सूत्रपात किया गया था क्योंकि इस पुस्तक में प्रथम बार अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कानून के विज्ञान की एक स्वतन्त्र शाखा बना दिया गया। वॉलिन हॉवन (Vollen Hoven) के विचारानुसार इस पुस्तक की चार मुख्य विशेषताएँ हैं। प्रथम, ग्रीसियस ने

राज्यों को उन्हीं कानूनों के अधीन रखा है जो व्यक्ति पर लागू होते हैं। इन कानूनों के उल्लंघन को वह अपराध घोषित करता है जिसका प्रतिफल मजा होना चाहिये। दूसरे, धर्म शास्त्र, प्राचीन इतिहास और सांस्कृतिक ग्रन्थों के आधार पर ग्रीसियस ने अपने निष्कर्षों का प्रतिपादन किया है। उसने शान्ति के कानूनों (Law of peace) का वर्णन किया है जो कि वर्तमान कानून की जड़ बन गये हैं। तीसरे, उसने बताया कि 'राज्य' कानून का उल्लंघन करने वाले हमारे राष्ट्र को सजा दे सकते हैं। चौथे, उसने प्राकृतिक कानून या शुद्ध बुद्धि (Natural Law or right reason) को राज्यों के उचित व्यवहार के निर्णायक नियम माना था। पामर तथा परकिनस (Palmer and Perkins) के शब्दों में "आज ग्रीसियस की सबसे अधिक प्रशंसा इस कारण की जाती है क्योंकि उसने राष्ट्र को मानवता के सिद्धान्त स्वीकार करने को प्रेरित किया था। प्राकृतिक कानून को परिभाषित करते समय स्वयं ग्रीसियस ने कहा था कि यह शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है जो कि एक कार्य विशेष का परीक्षण करने के बाद यदि पाता है कि यह मनुष्य के बौद्धिक स्वभाव के प्रतिकूल है जो उसे नैतिक रूप से गलत यथा देता है और यदि वह अनुकूल है तो उसे नैतिक रूप से आवश्यक कह देता है। ग्रीसियस की मान्यता थी कि ईश्वर प्रकृति का अधिष्ठाता है और नैतिक रूप से आवश्यक कार्यों की आज्ञा उसी के द्वारा दी जाती है, अन्य कार्य उसको इच्छा के विपरीत होते हैं। इस प्रकार ग्रीसियस द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई सूची नहीं दी गई वरन् यह बताया गया कि कानून क्या होना चाहिये। उसके द्वारा समर्पित प्राकृतिक कानून की मान्यता लगभग दो शताब्दियों तक विचारकों के मस्तिष्क को प्रभावित करती रही।"

(३) निश्चित कानूनों का युग

(Period of Positive Laws)

ग्रीसियस द्वारा दिये गये प्राकृतिक कानून के विचार व उनकी व्याख्या से भिन्न जोचे (Zouche) आदि कानूनी विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। कई विचारकों के मतानुसार जोचे के कानून सम्बन्धी विचार ग्रीसियस की तुलना में पूर्णतः विरोधी हैं। उसने प्राकृतिक कानून को गौण बता कर प्रचलित कानून (Customary Law) को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। एक नयीन शाखा के प्रतिपादक के रूप में कभी-कभी उसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का हमारा पिता कह दिया जाता है। विश्वास किया जाना है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून (International Law) शब्द का प्रयोग प्रथम बार बेन्थम के द्वारा किया गया था किन्तु जेरेमी बेन्थम (Jeremy Bentham)

को इस शब्द के प्रयोग की प्रेरणा जोचे के द्वारा प्रयुक्त शब्द 'राष्ट्र के बीच का कानून' (Law between nations) से मिली होगी।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून से सम्बन्धित विचारधाराओं को मुख्यतः तीन भागों के बाटा जा सकता है। प्रथम, वे प्रचलित कानून (Customary Law) को गौण और प्राकृतिक कानून (Natural Law) को प्रधान मानते हैं। दूसरे वे जो कि प्रचलित कानूनों को प्राकृतिक कानूनों की तुलना में प्रमुलता देते हैं। तीसरे, विचारकों का दम है जो कानून के दोनों ही रूपों को समान महत्त्व प्रदान करता है। अन्तीसवीं शताब्दी में आकर अन्तर्राष्ट्रीय कानून विचारों, वादविवादों एवं अन्वाडेवाजियों से उत्तर कर व्यवहार के क्षेत्र में आ गया और अब इस पर दार्शनिकों एवं नीतिसास्त्रियों की अपेक्षा राजनीतिज्ञों और राजनीतिसाहिनियों द्वारा विचार किया जाने लगा। दूसरे शब्दों में अब अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप वस्तुगत (Objective) हो गया तथा अपनी विषयगत प्रकृति (Subjective nature) को इसने छोड़ दिया। अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तनों एवं परिस्थितियों का इस पर प्रभाव पड़ने लगा। विचारकों ने अपना आदर्शवादी दृष्टिकोण त्याग कर यथार्थवादी रूप में विचार करना प्रारम्भ किया।

(४) वर्तमान काल

(The Modern Period)

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक विचारकों में क्रॉबे (Krabbe), डुगुई (Duguit) और केलसन (Kelsen) के नाम उल्लेखनीय हैं। इन विचारकों ने मुख्य रूप से इस प्रश्न पर विचार किया है कि सम्प्रदायों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून मानने के लिए किस प्रकार बाध्य किया जा सकता है। इन सभी विचारकों द्वारा एक मत से यह माना जाता है कि सभी कानूनों का एक सामान्य स्रोत (Common Source) है। क्रॉबे का मत है कि उचित व प्रति चेतना का ज्ञान मनुष्य का एक मनोवैज्ञानिक निहित गुण है, जैसे— नैतिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान आदि होता है। डुगुई सामाजिक ठोसता (Social Solidarity) को कानून का आधार बताते हुए यह मानते हैं कि कानून का पालन इस कारण किया जाता है क्योंकि ऐसा करना समुदाय व अस्तित्व के लिए आवश्यक है। केलसन (Kelsen) के विचार से कानूनों का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि वे प्रचलित रीति रिवाजों की उपज हटते हैं। रीति रिवाजों के विरुद्ध एक तो कानून बनता ही नहीं है, और यदि बन भी पाये तो उसका पालन नहीं किया जाता, उदाहरण के लिए भारत के बाल-विवाह विरोधी कानून को लिया जा सकता है जो कि अनेक वर्गों में छोटे छोटे बच्चों की शादी की प्रथा को रोबन में असमर्थ रहा है। किसी भी कानून की

सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसके अनुकूल प्रथाओं और रीति-रिवाजों को मोटा जाए। कानून का केवल एक स्रोत मानने वाले विचारको द्यो, इस धर्म को एकलवादी (Monist) कहा जाता है। इन एकलवादी विचारको के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून या किसी राज्य विशेष का कानून भिन्न भिन्न नहीं है—दोनों के बीच उच्चता एवं अधीनस्थता का सम्बन्ध है। यदि एक अन्तर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका के कानून के बीच विरोध हो जाए तो उसमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इन विचारको के मत में स्वीकृति (Consent) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आधार न तो है और न हा सकता है। समस्त कानूनों का स्रोत अवैधानिक (Nonlegal) तत्वों में पाया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण (Creation of International Laws)

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण नहीं होता इनका तो प्रायः विकास किया जाता है। सम्प्रभु राष्ट्रों के ऊपर ऐसी कोई सत्ता नहीं है जिसे सर्वोच्च कहा जा सके और जो ऐसे कानूनों का निर्माण कर सके जिनको कि राष्ट्रों द्वारा बाध्य होकर माना जाए। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास दो रूपों में होता है अथवा यों कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून दो प्रकार से बनते हैं। प्रथम प्रकार से तो इन कानूनों का व्यवहार एवं चलन (Practice and Process) की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा विकास होता है। दूसरे प्रकार के अनुसार ये 'सन्धियों की रचना एवं स्वीकृति' के माध्यम में जन्म लेते हैं। प्रारम्भ से ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास मुख्यतः प्रचलन एवं व्यवहार द्वारा किया गया है किन्तु इन कानूनों की व्याख्या करने वाला कोई अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय न होने के कारण इनका व्यवस्थित रूप से विकास नहीं हो पाता। यह निश्चय करना भी बड़ा मुश्किल है कि कौन सी प्रथा या प्रचलन कानून बन जायेगा। अनेक बार ऐसा होता है कि रीति रिवाज प्रचलित होने पर भी सामान्य (Universal) नहीं बन पाते। प्रचलित कानूनों (Customary laws) की वही कमी यह भी है कि इनके द्वारा विश्व की घटनाओं के परिवर्तित एवं गत्यात्मक (Dynamic) रूप के साथ समाधान नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि दा या दो से अधिक राज्यों द्वारा सन्धि अथवा सम्मेलनों में नवीन नियमों का निर्माण किया जाता है, सन्धियाँ प्रायः प्रचलित कानून के आधार पर की जाती हैं, सन्धि की इकाइयाँ राज्य होते हैं। सन्धियों की बाध्यकारी राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित की जाती है तथा इसके उपबन्धों का प्रभाव केवल उन देशों पर ही होता है जो इसमें भाग लेते हैं। सन्धि एवं समझौतों द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है वे मुख्यतः

राज्यों की सामान्य समस्याओं का मुकाबला करने के सद्योगपूर्ण प्रयास का प्रतीक होते हैं। कुछ का सम्बन्ध सामाजिक, व्यावसायिक एवं आर्थिक मामलों से होता है जबकि दूसरे शान्ति और युद्ध जैसी समस्याओं से सम्बन्धित रहते हैं। राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ के परित्रो द्वारा संधियों के मार्ग को आसान बना दिया गया था, ताकि कूटनीति को दूर किया जा सके। संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक सन्धि को पहले पंजीबद्ध (Registered) कराया जायेगा तथा बाद में सचिवालय उसे प्रकाशित कर देगा। राष्ट्रसंघ की सन्धि ग्रन्थमाला में २०५ सस्करण (Volumes) हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के ४८३४ समझौते हैं। इसी प्रकार १९६१ तक संयुक्त राष्ट्रसंघ के सन्धि ग्रन्थमाला में भी ३६४ सस्करण बन गये जिनमें ५,२१२ सन्धियों का उल्लेख है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं राष्ट्रीय कानून

(International Law and the National Law)

प्रायः प्रत्येक सत्ता एवं संगठन के अपने कुछ नियम तथा परम्पराएँ होती हैं जिनके आधार पर वह अपना शासन संचालित करता है। अपने कार्यक्षेत्र के आधार पर कानून विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं, उदाहरण के लिए पंचायत कानून, नगरपालिका कानून, राज्य कानून, राष्ट्रीय कानून एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून। इनमें से प्रत्येक कानून का क्षेत्र विशेष होता है और उसी के आधार पर इसका महत्त्व निर्धारित किया जाता है। कुछ विचारकों का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अतिरिक्त कानून के अन्य समस्त प्रकार एक श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि इनका सम्बन्ध एक राष्ट्र की जनता से होता है। किन्तु दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय कानून में वे नियम समाहित रहते हैं जो कि सम्यं राज्यों द्वारा अपने पारस्परिक व्यवहार में आवश्यक मान लिए जाते हैं। राष्ट्रीय कानून द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को विनियमित किया जाता है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के व्यवहार को विनियमित करता है। इन दोनों प्रकारों के कानूनों के बीच एक अन्य अन्तर यह भी है कि एक का सम्बन्ध घरलू राजनीति से है किन्तु दूसरे का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से है। राष्ट्रीय कानून तो सम्प्रभु की आज्ञा होती है और इसलिए वह उस देश के नागरिकों पर लागू किया जाता है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के ऊपर नहीं होता बल्कि राज्यों के बीच रहता है, इसलिए उसकी शक्ति एवं प्रभाव कम है। राष्ट्रीय कानून का यदि किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी न्यायपालिका, कार्यपालिका, अथवा अन्य किसी सत्ता द्वारा दण्ड दिया जा सकता है और कानून का पालन करने के लिए

उसे बाध्य किया जा सकता है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सम्बन्ध में ऐसी कोई प्रभावशील व्यवस्था नहीं है।

राष्ट्रीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मध्य स्थित असमानता को कई प्रकार से वर्णित किया जाता है और इस सम्बन्ध में अनेक विचार-धारायें विकसित हुईं। एक द्वैतवादी सिद्धान्त (Dualist theory) के अनुसार राष्ट्रीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय कानून दोनों परस्पर भिन्न एवं आत्म-भूरीक हैं और एक, दूसरे के क्षेत्र में महत्त्व नहीं रखता। दोनों प्रकार के कानून दो पृथक वैधानिक आदर्श हैं जो कि भिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, अलग-अलग विषयों से सम्बन्ध रखते हैं और उनके लक्ष्य भी अलग-अलग होते हैं।

दोनों प्रकार के कानूनों के सम्बन्ध को वर्णित करने वाली एक अन्य विचारधारा अद्वैतवादी विचारधारा (Monistic theory) है जिसके मतानुसार राष्ट्रीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय मूल रूप से एक जैसा है। यह सच है कि एक का सम्बन्ध व्यक्तियों के व्यवहार को विनियमित करने से है और दूसरे का सम्बन्ध राज्यों के व्यवहार को विनियमित करने से। इस दृष्टिकोण के अनुसार कानून मूल रूप को एक ऐसा आदेश होता है जो कि अपने विषयों पर उनकी इच्छा से स्वतन्त्र रह कर लागू होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून एक ही चीज के दो पहलू हैं।

साहित्यिक एवं आलंकारिक रूप में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून को अभिन्न मानने वाले विचारक सैद्धान्तिक दृष्टि से चाहे कितने ही सही क्यों न हों किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उनकी असत्यता स्पष्ट जाहिर हो जाती है। समस्या उस समय उत्पन्न होती है जबकि हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि कानून के इन दो प्रकारों में से कौनसे प्राथमिकता दी जाए। विषयवस्तु भिन्न होने के कारण कई अवसरों पर राज्य के कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के बीच विरोध उत्पन्न हो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए प्रभावशील कार्यपालिका एवं न्यायपालिका नहीं होती। अतः उसे राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था एवं न्यायपालिका वा हो स्थापना लेना होता है। किन्तु यदि कानून के इन दोनों रूपों के बीच किसी धारामो में सपर्य उत्पन्न हो गया तो महत्त्व एवं प्रधानता किसे प्रदान की जाएगी, इसका कोई निश्चित उत्तर हमारे पास नहीं है। इस उत्तर की तलाश में सैद्धान्तिक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर चार प्रकार से दिया जाता है इसका अध्ययन हम निम्न प्रकार से करेंगे—

(१) सिद्धान्तिक विवेचन

(The Theoretical Analysis)

सिद्धान्तिक दृष्टि से विचार करते हुए विद्वानों ने जो चार मत प्रस्तुत किए हैं उनमें प्रथम को द्वैतवादी विचारधारा कहा जाता है जो कि इन दोनों कानूनों को अलग अलग मानती है। इस विचारधारा के समर्थकों में ट्रिपेल (Triepel) एवं एन्जिलोटी (Angilotti) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्होंने विषयवस्तु, मूल स्रोत एवं साध्यकारिता के आधार पर दोनों प्रकार के कानूनों के बीच भेद दिखाया है। दोनों की भिन्नता के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्र कानून को प्रभावित नहीं कर सकता और इसी प्रकार राज्य का कानून अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सृजन अथवा परिवर्तन करने में असमर्थ है।

इस सिद्धान्त के विरोध में यह कहा जाता है कि असल में कानून व्यवस्था एक निकाय है और ये दोनों प्रकार के कानून उसकी शाखाएँ मात्र हैं जो अलग अलग क्षेत्रों पर लागू होती हैं। जो विचारक अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय व्यक्ति को नहीं वरन् केवल राज्य को मानते हैं वे सही नहीं हैं क्योंकि जब कभी युद्ध अपराधों के सम्बन्ध में मुकदमें चलाये जाते हैं तो वे व्यक्ति पर भी चलाए जाते हैं। दूसरे जो स्रोत अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत सामान्य इच्छा को मानते हैं वे एक ऐसा जटिल स्रोत हमारे सामने रखते हैं जो कि अस्पष्ट है।

दूसरा मत अद्वैतवाद कहलाता है जिसका प्रचार कैल्स (Kelsen), क्रेब (Krabbe), कुन्ज (Kunz), दुरकीम (Durkheim) एवं राईट (Wright) आदि ने किया। इन विचारकों के मतानुसार कानून को दो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय कानून को राष्ट्रीय कानून से पूर्णतः अलग मानते हैं तो इसका अर्थ होगा कि हम अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कानून ही नहीं मान रहे हैं। ये विचारक दोनों कानूनों का प्रादुर्भाव एक ही उच्चतर कानून से मानते हैं जो कि अच्छे तथा बुरे (Right and Wrong) के सिद्धांत पर आधारित है। कानून के ये दोनों प्रकार अभ्योन्यासित और एक जैसे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा राज्यों की सीमाओं को निर्धारित किया जाता है और उनका क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादों को ठय किया जाता है। दूसरी ओर राज्य कानून द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकृति प्रदान करने में पर्याप्त सहायता प्रदान की जाती है। यह कहा जाता है कि साध्यता के आधार पर भी दोनों कानूनों को हम भिन्न नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों ही ऐसी आज्ञाएँ हैं जिनका पालन इच्छा के विरुद्ध भी करना होता है।

इस सिद्धान्त को भी विचारकों की आलोचनाओं का विषय बनना पड़ा। इसके विरुद्ध यह कहा जाता है कि यह बात तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती कि दो पूर्णतः स्वतन्त्र कानूनी पद्धतियाँ एक साथ कार्य करेंगी। इतने पर भी अद्वैतवादी सिद्धान्त द्वैतवादी सिद्धान्त की अपेक्षा अधिक उपयुक्त माना गया। विचारकों का कहना है कि विषयस्तु के आधार पर कानून के इन दोनों रूपों के बीच अधिक भेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय विषय को अन्तर्राष्ट्रीय संधि द्वारा बंधेच्छिक विषय में परिणत किया जा सकता है। यदि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून के बीच सघर्ष होता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों अलग-अलग कानून हैं, क्योंकि कई बार राज्य के दो कानूनों के बीच भी सघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जिन प्रकार कानून के विरुद्ध होने हुए भी एक अभिसमय उन समय तक चलती रहती है जब तक कि उसे रद्द न कर दिया जाये। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध होते हुए भी राज्य का कानून लागू रह सकता है।

तीसरा मत प्रोफेसर स्टार्क (Stark) का है। यह मत रूपान्तरवादी (Transformation) एवं विशिष्ट ग्रहण (Specific adoption) की विचारधारा कहलाता है। इन विचारधारा के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून को न्यायन्वित होने के लिए राष्ट्रीय कानून में परिणत होना पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में जो समझौते किये जाते हैं उनके नियमों को एक देश अपनी जनता पर तभी लागू कर सकता है जबकि वह उनके मध्य में कानून बना दे। इस आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय कानून को प्रभावशील बनाना चाहते हैं तो राज्य के कानून का रूप प्रदान कर देना चाहिए। इस सिद्धान्त की कई प्रकार से आलोचना की जाती है। यह कहा जाता है कि इसके द्वारा राज्य के कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को अलग-अलग मानना उचित नहीं है। दूसरे यह कहना भी सही नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को केवल राज्य के कानूनों के माध्यम से ही मायता प्राप्त होता है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय कानून प्रत्यक्ष रूप में भी मान्य हात हैं।

चौथा मत प्रत्यायोजनवादी कहलाता है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य को इस बात के निश्चय करने का अधिकार प्रत्यायोजित किया जाता है कि संधि एवं अभिसमय राज्य पर कब और किस प्रकार लागू किए जायेंगे। अतएव यह सिद्धान्त भी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून को स्पष्ट नहीं कर पाता।

(ii) व्यावहारिक विवेचन

(The Practical Analysis)

सैद्धान्तिक आधार पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन करने के बाद यह उपयोगी रहेगा कि राष्ट्रों के व्यवहारों को देख कर कानून के इन दोनों रूपों के मध्य स्थित सम्बन्धों का निरूपण किया जाये। ग्रेट ब्रिटेन में जब अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू किया जाता है तो उस समय न्यायालयों के व्यवहार की तीन प्रमुख विशेषताएँ रहती हैं। पहली बात तो यह है कि जिन अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को विश्वव्यापी मान्यता अथवा इंग्लैंड की सम्मति प्राप्त हो चुकी है, वे अपने आप राष्ट्रीय कानून का भाग मान लिये जाते हैं। दूसरे जो अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करती हैं अथवा जिनके द्वारा कॉमन लॉ में परिवर्तन आ सकता है उनको लागू करने से पूर्व संसद द्वारा कानून बनाना जरूरी है। तीसरे, यदि अन्तर्राष्ट्रीय कानून या राज्य के कानून में कभी संघर्ष उत्पन्न हो जाए तो राज्य के कानून को महत्त्व दिया जाएगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवहार को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि सम्मिश्रण सिद्धान्त (Incorporation theory) को अपनाया जाता है जिसके अनुसार यदि अन्तर्राष्ट्रीय कानून देश की परम्पराओं के अनुकूल है तो वह राज्य कानून बन जाता है। दूसरे, संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवहार को एक नवीनता यह है कि अगर राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध भी कोई अन्तर्राष्ट्रीय संधि कर ली जाए तो वह मान्य समझी जाती है। तीसरे, यदि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रथम नियम ही राज्य कानून के विरुद्ध है तो राज्य का कानून मान्य समझा जायेगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ५१ का राज्य की नीति का एक निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान रखने को कहता है। यद्यपि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इन नीति निर्देशक सिद्धान्तों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता किन्तु फिर भी यह आशा की जाती है कि इससे विधि निर्माण की प्रक्रिया पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा।

जर्मनी में और कुछ परिवर्तनों के साथ सोवियत रूस में वही व्यवहार मिलता है जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रकार

(The Kinds of International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण कई प्रकार से होता है और इसके स्रोत भी विभिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए यह स्वामाविक ही है कि इन कानूनों की प्रकृति, रूप एवं लक्ष्य में विभिन्नता आ जाय। कई आधारों

पर अन्तर्राष्ट्रीय कानूनो का विभाजन किया जाता है, इनमे प्रमुख विभाजन निम्नलिखित हैं—

१. व्यक्तिगत एव सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून (Private and Public International Law)
२. प्रक्रिया सम्बन्धी एव वास्तविक कानून (Procedural and Substantial Law)
३. शान्ति, युद्ध एव निष्पक्षता के नियम (Laws of Peace, War and Neutrality)
४. विशेष और सामान्य या सार्वभौमिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून (Particular and general or universal law)
५. शक्ति, सहयोग और परस्पर सम्बन्धो के कानून (Law of power, co-ordination and reciprocity)

प्रो० डिकिन्सन (Professor Edwin D. Dickinson) ने बताया है कि व्यक्तिगत अधिकारो एव कर्तव्यो से सम्बन्धित विषयो पर न्यायीकरण एव नियमन (Adjudication and regulation) की समस्या उठ खड़ी होती है क्योंकि चीजो एव व्यक्तियो का एक देश से दूसरे देश में आवागमन लगा ही रहता है तथा राष्ट्रीय सीमाओं के परे सम्पत्ति, परिवार, समझौते, आदि भी खपते (Consumated) ही रहते हैं। पापर तथा परकिन्स ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दो अन्य रूपों का भी वर्णन किया है। एक तो समुद्रीय व्यापार का कानून है जिसे वे एडमिरैल्टी कानून (Admiralty law) कहते हैं और इसके दूसरे प्रकार को अन्तर्राष्ट्रीय सञ्जनता (International Comity) का नाम देते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनो मे युद्ध के कानून और शान्ति के कानून का नाम भी उल्लेखनीय है।

युद्ध के कानूनो की आवश्यकता इस कारण हुई कि जहा न्याय की स्थापना एव शोषण तथा अन्याय का विरोध करने में शान्तिपूर्ण साधन सफल नहीं हो पाते वहा पर युद्ध अपरिहार्य बन जाता है। यह एक देश की आत्म-रक्षा का अन्तिम तरीका है। कई स्थितियो मे युद्ध न्यायपूर्ण एव घमंयुद्ध बन जाते हैं किन्तु घमंयुद्धो मे भी कुछ नियमो का पालन करना आवश्यक बन जाता है। अनेक अभिसमयो एव अभिलेखों द्वारा भूमि और समुद्र पर युद्ध के विभिन्न कानूनो का निर्माण किया गया है। ऐसे कानून युद्ध के धायलों की देखभाल, युद्ध के बन्दिमो के साथ बर्ताव, मेडीकल कर्मचारियो को सुविधायें देना, अवरुद्ध हथियार एव अभिकरणों, जीती हुई शत्रु की भूमि मे सैनिक कमाण्डर की शक्ति, निष्पक्ष राष्ट्रों के कर्तव्य एव अधिकार, जह-शौली गैसो का प्रयोग आदि बातो से सम्बन्धित रहते हैं। युद्ध के कानूनो ने,

यह माना जाता है कि युद्ध को मानवीय बनाने में भारी सहायता की है। प्रायः सभी देशों द्वारा इनका अनुशीलन किया जाता है। किन्तु अभी तक वायु के युद्ध के सम्बन्ध में किसी प्रकार के ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं किया गया है जो कि प्रभावशाली हों। प्रथम विश्व युद्ध में पूर्व युद्ध के कानून प्रायः निष्प्रयत्नता के कानून थे। इन कानूनों का पालन युद्ध के समय न किया जा सका। जहाँ इन कानूनों का व्यवहार सम्भव था वहाँ भी इनकी अवहेलना की गई। आज जब कि पूर्ण युद्धों (Total wars) का प्रचलन है, निष्प्रयत्नता का प्रयोग बड़ा ही असम्भव बन गया है। फिलिप जैसा (Philip C Jessup) के विचार से यदि समाज के वर्तमान या भविष्य की एकाता को देखा जाय तो हम पायेंगे कि निष्प्रयत्नता (Neutrality) आज एक समाज विरोधी स्थिति (Antisocial Status) बन गई है।

शान्ति के कानून में युद्ध के कानूनों की भाँति विश्व व्यवस्था को बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील रहने हैं किन्तु शान्ति के कानूनों का विषय-क्षेत्र युद्ध के कानूनों से पर्याप्त भिन्न रहता है। शान्ति के कानूनों के विषय क्षेत्र को डिकिनसन (Professor Dickinson) द्वारा मुख्यतः ६ भागों में बाँटा गया है जो निम्न प्रकार हैं—

- १ राष्ट्र राज्यों के जन्म, स्वीकृति, जीवन और मृत्यु में सम्बन्धित,
- २ राष्ट्रीयता एवं उत्तरे तत्वों में सम्बन्धित,
- ३ राष्ट्रीय प्रशासन से सम्बन्धित;
- ४, ५ समझौते, सम्पर्कों और अधिष्ठान क्षेत्रों से सम्बन्धित,
- ६ जगहों के नियंत्रण से सम्बन्धित कानून।

पामर तथा परकिनस (Palmer and Perkins) ने बताया है कि उक्त में से प्रत्येक पटल पर बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है तथा इन पहलुओं का मान्यता ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विभाग हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को विभाजित करने का प्रत्येक आधार दुःशान्ति, अधुराजन एवं परस्पर विरोध जैसे अवस्थाओं से दूषित है। इन दोषों का होना स्वाभाविक है तथा ये अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रकृति की उपज हैं। भाग्य-धर्म ने बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करने में क्या-क्या व्यवस्थापिका सम्बन्धों कायं करने पड़ते हैं तथा उनकी व्याख्या के लिए कौन से न्यायिक (Judicial) और उन्हें लागू करने के लिए कौन-कौन से कार्यपालिका से सम्बन्धित कार्यों की माँगना की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यों का सुधार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है किन्तु इनके न्यायिक तथा कार्यकारिणी सम्बन्धी कार्यों का सुधार करने के लिए अनेक मफल प्रयास किये गये हैं। इन सब प्रयासों के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानून की विवेचित

प्रकृति (Decentralized Nature) ने अपने आपको सबल बनाया है और इस प्रशार विकेंद्रित प्रकृति अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मूलतत्त्व (Essence) बन गई है। जो सिद्धांत विकेंद्रीकरण को अपरिहार्य बना देते हैं वे सम्प्रभुता के सिद्धान्त में प्राप्त होते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को नियमबद्ध करना

(Codification of International Law)

प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अर्थ एवं स्वरूप के बारे में पर्याप्त भ्रम रहता है तथा इनके अनेक अर्थ लगाये जा सकते हैं। इस व्यवहार को रोक्ने की दृष्टि से उनको नियमबद्ध करने का प्रायः सुझाव दिया जाता है ताकि उनकी व्याख्या का एक-सा तरीका अपनाया जा सके। किन्तु नियमबद्ध (Codified) करने से जितनी समस्याएँ दूर होती हैं लगभग उतनी ही कठिनाइयाँ इसके कारण उत्पन्न भी हो जाती हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया है। इसमें कानूनों को ज्यों का त्यों पत्रीबद्ध कर लिया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। किन्तु विभिन्न विचारकों द्वारा यह सुझाया जाता है कि यदि कानून में सुधार करना हो तो उन्हें लिखते समय निश्चितता एवं स्पष्टता लाकर उसके अभावो एवं असहमतियों को प्रकट किया जा सकता है। यह प्रक्रिया कानूनों का परिवर्तन करने में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर सकती है। कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को नियमबद्ध (Codified) करने से अनिश्चय की भावना का प्रसार भी हो जाता है।

विधान के अनेक विचारार्थी इस बात के पक्ष में हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को सकलित एवं व्यवस्थित कर दिया जाय तथा राज्यों के परस्पर सम्बन्धों के विषय में जो विचार हों उनको स्पष्ट किया जाय। नियमबद्ध करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थापन दो अलग-अलग बातें हैं। पापर तथा परकिनस के शब्दों में नियम संग्रह (Code) का निर्माण कानून को एक निश्चित क्षेत्र में व्यवस्थित बनाना है। इस प्रक्रिया द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों वा नियम संग्रह बनाने का कार्य सर्वप्रथम १८६१ में आस्ट्रिया के एक न्यायशास्त्री (Jurist) द्वारा किया गया था। उसके बाद फ्रांसिस लीबर (Francis Lieber), ब्लन्टश्ली (Bluntschli), डेविड डडले फील्ड (David Dudley Field) आदि न्याय शास्त्र के विचारकों द्वारा भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कदम उठाये गये। वर्तमान काल में विभिन्न विचारकों द्वारा ऐसे नियम संग्रह प्रस्तुत किये गये हैं। अनेक संस्थाओं ने इस कार्य में योगदान किया। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून संस्था (International law association), अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अमेरिकन समाज (The American Society of International Law) आदि

महत्त्वपूर्ण है। १८६४ के जेनवा सम्मेलन के बाद में अधिकारी रूप में नी ऐंसे नियमों का समूह प्रकाशित किया जाने लगा। इसके बाद राष्ट्रसंघ (League of Nations) तथा मधुवत राष्ट्रसंघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का समूह तैयार करने का कार्य समाल लिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को नियमबद्ध करने की प्रक्रिया कुछ बिज्ञानों के मतानुसार उतनी ही आवश्यक एवं आधारभूत है जितनी कि उसकी विकेंद्रित प्रकृति होती है। अधिकतर नियमबद्धता उन अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों पर की गई जिनका सम्बन्ध संचार साधनों के क्षेत्र तथा मानवीय उद्देश्यों में होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पीछे दबाव (Sanctions behind International Law)

प्रश्न यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन क्यों किया जाता है। यह सच है कि विश्व शांति में एव व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से यह आवश्यक एवं अपरिहार्य बन जाता है कि सभी देश अपने व्यवहार को कानून द्वारा मर्यादित रखें तथा उच्छूल व्यवहार के प्रत्येक लोभ का संवरण करते रहें। किन्तु यह एक व्यावहारिक तथ्य है कि आवश्यक एवं अपरिहार्य चीजें बड़ी कठिनाइयों के बाद ही व्यवहृत की जा सकती हैं। जीवन का यह एक विरोधाभास है कि प्रेय बहुधा श्रेय नहीं होता और श्रेय प्रायः प्रेय नहीं बनता। इस विरोधाभास को मिटाना ही मानव सभ्यता और संस्कृति के उत्थान का बीज है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों की सबसे बड़ी आलोचना यह की जाती है कि इन कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता। इनका पालन स्वयन्त एवं सम्प्रभु राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर है जो जैसा कि यथार्थवादी विचारक मानते हैं, सदैव स्वार्थ में लिप्त तथा शक्ति वृद्धि के लिए आसक्त रहती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय स्वार्थ एवं राष्ट्रीय शक्ति का अप्रत्यक्ष रूप से सहानुभूति हो सकता है किन्तु प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप में तो वह एक प्रभावशील वाचक का ही कार्य करता है। राष्ट्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को जानबूझ कर, पोषणार्थ नरके अवहेलना की जाती है किन्तु फिर भी ऐसा कोई साधन नहीं कि उनमें इस पृष्ठ वर्म के लिए उनको सजा दी जा सके। तथ्यों के आधार पर कुछ विचारकों ने यह मत प्रकट किया है कि ज्यों-ज्यों अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सुधार होता है, अर्थात् इसका स्तर ऊँचा उठता है त्यों-त्यों इसके मानने वालों की, इस पर अमल करने वालों की संख्या भी कम होती चली जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कुछ निश्चित परिस्थितियों का परिणाम होता है। एक राष्ट्र विशेष के उद्देश्य एवं दृष्टिकोण भी उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

को लागू कराने में अनेक परिस्थितियों, मनो-भावों, घटनाओं आदि पक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हाथ रहता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए एक राष्ट्र को प्रेरित करने वाले विभिन्न तत्वों में मुख्य मुख्य इस प्रकार हैं—

१. आदत २ सुविधा ३ आत्मचेतना ४ अनौपचारिक दबाव ५. आत्महित (Self-Interest) आदि। प्रत्येक राष्ट्र एक समय में अनेक प्रकार के हथ अंपनाने के लिए स्वतन्त्र रहना है, उदाहरण के लिए वह दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक या आर्थिक प्रभाव का उपयोग कर सकता है। ये प्रभाव प्रायः सभी वैधानिक व्यवस्थाओं में प्रयुक्त किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त एक राज्य द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू कराने के कुछ अन्य औपचारिक साधन भी अपनाये जा सकते हैं। इन साधनों को प्रायः प्रतिबन्ध (Sanctions) कहा जाता है। श्लाइसर (Schleicher) के शब्दों में प्रतिबन्ध एक ऐसी क्रिया है जो कि साधारणतः अवैध होती है किन्तु कानून तोड़ने वाले के विरुद्ध वैध समुदाय (Legal Community) द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है।¹ कानून का पालन करने वाले के विरुद्ध ये प्रयुक्त नहीं की जाती। राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ के व्यवस्थापनों में इस प्रकार के प्रतिबन्धों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार के कदम उठाना सामूहिक सुरक्षा प्रणाली के एक भाग के रूप में ही राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि यदि सामूहिक सुरक्षा के शांतिपूर्ण साधन असफल हो जायें तो शक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके विरुद्ध यह कहा जाता है कि एक आदर्श कानून को लागू कराने के साधन भी वैधानिक ही होने चाहिये; शक्ति द्वारा उनको लागू कराने का अर्थ होगा कानून की आत्मा का हनन कर देना। इसी आधार पर श्लाइसर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि “संयुक्त राष्ट्रसंघ मर्यादा में अन्तर्राष्ट्रीय कानून को नष्ट करता है, यह इनको लागू करने का स्वयं उत्तरदायित्व नहीं लेता।”

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मूल्यांकन (An evaluation of International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जो महत्त्व रहा उस पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि अनेक बार इसने अन्तर्राष्ट्रीय मनमुटावों को पैदा होने एवं बढ़ने से रोका है किन्तु फिर भी जैसा कि

1. Schleicher, International Relations, P. 385

2. Schleicher, Ibid, P. 385

अनिकाश विचारकों का मत है अन्तर्राष्ट्रीय कानून के परिणाम आशाजनक एवं अधिक प्रभावशाली न हो सके। पामर तथा परकिन्स महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून की पाँच सीमाओं का वर्णन किया है जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय कानून मफल्तापूर्वक कार्य करने की अपेक्षा एक अपर्याप्त साधन मात्र रह जाता है। ये पाँच सीमाय निम्न हैं—

- १ व्यवस्थान कार्य की अपूर्णता,
- २ न्यायिक कार्यों में विभिन्न गम्भीर सीमायें,
- ३ प्रभावशाली प्रयोग की (नियमितिकी की) कमी,
- ४ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कार्यों एवं क्षेत्रों पर सीमायें,
- ५ कानून के सद्देश्य एवं प्रकृति के सम्बन्ध में गलतफहमिया (Misunderstandings) ।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की ये समस्त सीमायें अन्तर्राष्ट्रीय ममात्र के वर्तमान चरित्र में निहित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समाज सामान्यतः वंघ व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता तथा उसका मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में इसे लागू नहीं किया जा सकता। जेसप (Philip Jessup) का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की मूल कमजोरी यह है कि परम्परागत अन्तर्राष्ट्रीय कानून केवल राज्यों के बीच का कानून है। यह व्यक्तियों के बीच का या व्यक्ति और राज्यों के बीच का कानून नहीं है।^१ जेसप का विचार है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक रूप का विकास करना है तो व्यक्तियों सहित अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विस्तार करना होगा। उन्होंने बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक व्यवस्था की दो मूल बुज्जिया हैं। पहली यह है कि राष्ट्रीय कानून की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी सीधे व्यक्ति पर लागू होना चाहिए। वह परम्परावादी कानून की भाँति व्यक्ति से दूर नहीं रहना चाहिये। दूसरे उस हिन का शरुपीकरण होना चाहिये जो कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पालन करने से पूरा होने वाला है। कानूनों का उल्लघन भी केवल राज्यों का ही मसला नहीं माना जाना चाहिए। हेग्स केलसन (Hans Kelsen) के मतानुसार युद्ध को रोकने का एक प्रभावपूर्ण साधन यह है कि युद्ध क्षेत्र पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लघन करने का उत्तरदायित्व पूरी तरह से सरकार के सदस्यों पर व्यक्तिगत रूप से ढाला जाना चाहिये। बिन्सी राइट ने इस मत के समर्थकों के विचारों की व्याख्या करते हुए बताया है कि ये सिद्धांत रूप से विश्व समाज को सम्प्रभु राष्ट्रों से विश्व सगठन में परिवर्तन करना चाहते हैं जिसमें कि सयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा मानव अधिकारों

1. Philip Jessup, A Modern Law of Nations

की रक्षा को जायगी, अन्तर्राष्ट्रीय अरराषों को सजा दी जायगी तथा व्यक्ति एवं राज्य दोनों पर अपने कानूनों को लागू करेगा ।

विश्वशांति की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय कानून को बहुत प्रशंसा की जाती है । किन्तु कुछ विचारकों के मतानुसार यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक पहलू मात्र है और किसी भी अर्थ में यह एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है । कहा जाता है कि युद्ध और शान्ति पर प्रभाव डालने वाले बड़े-बड़े मसलते अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिधि के बाहर रहते हैं । जिन विषयों पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून का हस्तक्षेप है उनमें भी आवश्यक नहीं कि प्रभावित राष्ट्र उसका आदर करें । राष्ट्रीय सम्मान तथा आदर के प्रश्न इसके सफल संचालन के मार्ग की बाधायें हैं । इन सबके बावजूद पामर तथा परकिन्स जैसे विचारकों का मत है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक व्यवस्था का निर्माण करने में विधेयात्मक प्रयास करता है जिसके अभाव में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति व स्थिरता खतरे में पड़ सकती है ।¹

अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक प्रकार से उन सभी प्रयासों के परिणामों को पजीवद्ध कर देता है जो कि शांति की खोज में किए जाने हैं । डिकिन्सन (Dickinson) के शब्दों में शांति का प्रत्येक दिवस कानून के विस्तार का एक समय है । सीनेटर टाण्ट ने कहा था कि विश्व शांति तब तक असम्भव है जब तक कि राष्ट्र उनके परस्पर के सम्बन्धों की प्रशंसित करने वाले किसी निश्चित कानून पर सहमत नहीं हो जाते । राष्ट्रों को सहमत होकर यह मानना चाहिए कि वे अपने झगड़ों को बिना निषेधाधिकार का प्रयोग न्ये न्यायाधिकरण (Adjudication) के लिए प्रस्तुत करेंगे तथा निष्पन्न न्यायालय का जा निर्णय होगा उसे बाध्य होकर मानेंगे । इसके लिए टैसर अन्तर्राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता पर जोर देते हैं । उनका कहना है कि जब तक विश्व सरकार की स्थापना द्वारा सम्पन्न राष्ट्रों की व्यक्तिगत इच्छा को सामूहिक इच्छा के अधीन नहीं बना दिया जाता तब तक कानून के अन्तिम लक्ष्य, अर्थात् मानव-सघर्षों के सुलझाने में शक्ति प्रयोग को निटाना, को प्राप्त नहीं किया जा सकता ।² अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को सफ़ल रूप से संचालित करने के लिए विश्व के अधिकांश देशों में सहयोग की भावना का होना अनिवार्य है । यह भावना न केवल कानून निर्माण के बाद बल्कि कानून निर्माण के पहले भी होनी चाहिए । विश्व सरकार की स्थापना तथा निःसस्त्रीकरण के प्रयास अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं ।

1. Palmer and Perkins, op cit., p 327

2. Jessup, A Modern Law of Nations, P. 2.

विश्व सरकार

(THE WORLD GOVERNMENT)

विश्व के स्वरूप पर संझाने-न रूप से विचार करते समय अधिकांश विद्वानों द्वारा आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता अन्तर्राष्ट्रीयतावाद को माना जाता है। यातायात एवं संचार साधनों के विकास तथा अन्य वैज्ञानिक प्रगतियों के सहारे विश्व के रूप में जो परिवर्तन आया है उसे देखते हुए यह विशेषता अतिशयोक्ति की परिधि में नहीं आती। यह निःसन्देह स्वीकार किया जाता है कि मानव ने बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ज्योंही प्रवेश किया त्योंही एक विश्वव्यापी समाज या विश्वसभ्यता विश्व के तबसे पर उभरने लगी। विश्व के देश आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक आदि दृष्टियों से परस्पर इतने सम्बन्धित तथा आश्रित हो गए हैं कि एक देश में इन क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता। -

अणु शक्ति के आविष्कार से सम्पूर्ण युद्ध (Total War) का जो उदय हुआ है उससे सभी देशों में एक साथ विनाश की प्रवृत्ति का विरोध करने के भाव विकसित हुए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह आशा की जाती है कि अधिक से अधिक लोग यह सोचने लगेंगे कि मानव जाति ने आज तक जो प्राप्त किया है तथा विश्व का समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संगीत आदि उनका अपना ही है वह उसे विनाश से बचाना चाहिये। किन्तु केवल इस भावना का विकास ही विश्व शांति के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रीय सम्प्रभुता के सधर्ममय रूप का शमन न किया जाए। इस समस्या पर रचनात्मक रूप से विचार करते हुए विभिन्न विचारकों ने विश्व सरकार की स्थापना का सुझाव दिया है जिनके अनुसार वर्तमान स्वतन्त्र सम्प्रभु राष्ट्र विश्व संगठन की उनी रूप में झाई बन जायेंगे जिस रूप में एक सघीय व्यवस्था में इनाइया हुआ करती हैं।

विश्व सरकार की मान्यता का आधार

(Basis of the Concept of World Government)

सारे तत्कार में एक ही शासन व्यवस्था का संचालन बहुत पुराने समय से ही मनुष्य जाति का आदर्श रहा है। इस आदर्श के उद्देश्यों के रूप में समय समय परिवर्तन आता रहा है। भारत में चक्रवर्ती सम्राट् बनने की महत्वाकांक्षा से पीछे प्रजासत्तों की अहंकार भावनाएँ ही व्यक्त होती थीं किन्तु आज की विश्वव्यापी सरकार की मान्यता का आधार इससे भिन्न है। आज का लोग विश्व से युद्धों को दूर करने तथा शांति का विरस्थापी बनाने

के लक्ष्य से विश्व सरकार की मान्यता का समर्थन करने है जबकि प्राचीन साम्राज्यवादी भावनाओं और विश्वव्यापी सरकार के स्वप्नों को साकार करने के लिए युद्ध का सहारा लिया जाता था। आज विश्व सरकार की मान्यता का समर्थन मुख्यतः विचारकों एवं सामान्य जनो द्वारा किया जाता है जबकि पहले इसके समर्थन का स्रोत केवल प्रशासक वर्ग था जिसके प्रति विरोधी एवं जन विरोधी हित इसके साथ जुड़े हुए थे।

वर्तमान काल में विश्व सरकार के विचार का जो समर्थन दिया जाता है वह अनेक आधार स्तम्भों पर स्थित है। मानवीय, राष्ट्रव्यतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि के आधार पर इसे न्यायोचित आवश्यकता ठहराया जाता है। यह कहा जाता है कि मनुष्य मनुष्य के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के कारण भेदभाव रखना अनुचित है। मनुष्य होने के नाते अशरीक का नागरिक भी उत्तना ही मुख्यवान् एवं महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य छोटे देश का होता है। राष्ट्रीय सरकार एवं सीमाओं में परिमित रहने के कारण उन दोनों के बीच प्रायः भ्रंश दिखाना जाता है जो अमानवीय है और इसका एकमात्र इलाज है 'विश्व सरकार'। अनेक विचारकों के अनुसार विभिन्नता एवं क्रियात्मक शक्ति को स्वतन्त्र अभिव्यक्ति की संस्कृति का आधार-स्तम्भ माना जाता है। राष्ट्रवाद की भावना से प्रभावित होकर एक जनसमुदाय अपनी संस्कृति को दूसरे देश की संस्कृति पर लादने का प्रयास कर सकता है और इस प्रकार विश्व के विभिन्न मानव समुदायों को अपने स्थान विशेष एवं स्वयं विशेष के अनुसार स्वयं की संस्कृति का विकास करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। विश्व सरकार की स्थापना करके सांस्कृतिक विकास की इस प्रमान बाधा को दूर किया जा सकता है। आज समस्त विश्व को एक परिवार मानने की धारणा शन-शन जोर पकड़ती जा रही है। 'बमुर्धव बुटुम्बरु' तथा 'सारा जहा हमारा' के नारों के पीछे विश्व सरकार की स्थापना का विचार निहित है।

विश्व सरकार की मान्यता की कुछ विशेषताएँ

(Some characteristics of the concept of World Government)

विश्व सरकार वर्तमान समय की एक अनिवार्य आवश्यकता समझी जाती है। यह महत्व एवं उपयोगिता की दृष्टि से जितनी आवश्यक है, यथायथा एन विधानविधि की दृष्टि में उतनी ही अपावहारिक भी है। विश्व सरकार के स्वरूप का वर्णन करने समय निम्न विचारकों ने जो मत प्रकट किए हैं उनका निरीक्षण करने के बाद इस मान्यता की निम्नलिखित मुख्य-मुख्य विशेषताएँ सामने आती हैं—

(१) विश्व सरकार शांति और व्यवस्था की निर्माता है
(World-Government is maintainer of peace and order)

यह कहा जाता है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर देश में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए एक शक्ति सम्पन्न सरकार की आवश्यकता होती है जिसके पास पुलिस व सैनिक शक्ति रहे तथा जिसकी आज्ञाओं के उल्लंघनकर्ता को दण्ड दिया जा सके, उसी प्रकार यदि विश्व में शांति और व्यवस्था की स्थापना करनी है तो विश्व सरकार की रचना करना जरूरी होगा। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस सरकार के पास सर्वोच्च शक्ति रखी जाएगी— ताकि विश्व के देश सदैव एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते न रह सकें और सर्वे सर्वोच्च शक्ति के अधीन अनुशासन बनाए रख सकें। क्लाड (Claude) महोदय के शब्दों में 'सामान्य रूप से विश्व सरकार के सिद्धांत का अर्थ ऐसी सत्ताधारी, शक्तिशाली केन्द्रीय संस्थाओं का निर्माण करना है जो राज्यों के बीच में सम्बन्धों का, मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों को रोकने के लक्ष्य से, प्रबंध कर सकें।¹ मामोंन्थो के मतानुसार विश्व सरकार के समर्थकों के तर्क अकारण हैं। संसार में तब तक कोई स्थायी शान्ति नहीं हो सकती जब तक कि राजनैतिक विश्व की सीमाओं से ऊपर एक राज्य का अस्तित्व न हो जायेगा। विश्व शांति के लिए अब तक किए गए प्रयासों में मनुष्य जाति को कई बार निराशा का अनुभव करना पड़ा है। इसका कारण यह बताया जाता है कि संघर्ष तथा युद्ध के मूल कारण आघात न करके उसके परिणामों की ही रोकथाम की गई थी। शक्ति मतुलन, सामूहिक सुरक्षा, नि:शस्त्रीकरण आदि साधनों के द्वारा राष्ट्रीय सम्प्रभुता पर केवल सीमाएं लगाने का प्रयास किया गया, उसे समाप्त न किया गया तथा इस सबका फल यह हुआ कि विश्व-शांति को स्थायी रूप से प्राप्त न किया जा सका।

(२) राष्ट्रीय सम्प्रभुता का विरोधी
(Opposite to the National Sovereignty)

वर्तमान विश्व अनेक ऐसे राष्ट्रों से मिल कर बना है जो अपने क्षेत्रों में सम्प्रभु हैं तथा जिनका आन्तरिक एवं बाह्य व्यवहार स्वेच्छा से संचालित होता है न कि किसी दूसरी शक्ति के दबाव के कारण। व्यवहार में स्वेच्छा और स्वतन्त्रता का प्रयोग एक सीमा तक ही उपयुक्त रहता है। उससे आगे बढ़ने पर एक देश का व्यवहार दूसरे देश के व्यवहार की स्वेच्छा और स्वतन्त्रता को नष्ट कर देता है तथा विश्व समाज में शक्तिशाली की विजय का जगली कानून प्रभावशील बन जाता है। इन सम्भावनाओं से बचने के

1 Claude I. L., Power and International Relations P. 206,

लिए विश्व सरकार का समर्थन किया जाता है। यह कहा जाता है कि यदि विश्व को आत्म-विश्वास से बचाना है तो राष्ट्रीय सम्प्रभुता को अन्तर्राष्ट्रीय दारों और समस्याओं से प्रतिबन्धित करना ही पर्याप्त न होगा। इसके लिए व्यक्तिगत राज्यों की सम्प्रभुता का एक विश्व शक्ति को हस्तांतरण करना होगा। यह विश्व सत्ता इन व्यक्तिगत राज्यों के ऊपर उतनी ही सम्प्रभु रहेगी जितने सम्प्रभु वे राष्ट्र अपनी अपनी सीमाओं में रहते हैं। मार्सेल्लो के शब्दों में "अन्तर्राष्ट्रीय समाज में जो सुधार के प्रयास किए गए वे अमफल रहे क्योंकि वे तो असफल होने ही थे। आवश्यकता यह है कि सम्प्रभु राष्ट्रों के इस विश्व समाज को व्यक्तियों के राष्ट्रों से उच्च समुदाय (Supranational Community) में परिवर्तित कर दिया जाये।"¹

(३) विश्व सरकार शक्ति प्रबन्धक के रूप में (World Government as a manager of Power)

राज्यों के शक्ति सम्बन्धों का प्रबन्ध करने के लिए प्रारम्भ से ही अनेक विचार मुद्राएँ गये हैं। किन्तु कोई आशाजनक सफलता अभी तक प्राप्त नहीं की जा सही है। यह कहा जाता है कि विश्व सरकार की स्थापना का दृष्टिकोण हम काम को करने के लिए उपयुक्त है। यही कारण है कि इस विषय पर भारी साहित्य उपलब्ध है। विश्व सरकार की मान्यता का प्रधान महत्व इस बात में निर्भर है कि इसे सर्वसम्मति से शक्ति के प्रबन्ध की समस्या का एक उचित सैद्धान्तिक सुधार माना जाता है। यह स्वीकार किया जाता है कि इस समय हसार में एक प्रकार की अराजकता वर्तमान है, इसके कारण युद्ध अनिवार्य सा बन जाता है। युद्ध को रोकना एक भारी आवश्यकता बन गया है। इस लक्ष्य को विश्व सरकार की स्थापना के अतिरिक्त अन्य किसी साधन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। 'नीलिक रूप से नवीन' इस व्यवस्था की स्थापना विश्व-व्यवस्था (World-order) का आवश्यक और सम्भवतः पर्याप्त साधन कहा जाता है। अल्बर्ट आइन्स्टीन ने कहा था कि "राष्ट्रों के बीच के सम्बन्धों में अभी तक पूर्ण रूप से अराजकता व्याप्त है। मेरा विश्वास नहीं है कि हमने पिछले कुछ हजार वर्षों से इस क्षेत्र में कोई वास्तविक प्रगति की हो।"²

1. Morgenthau, Politics among Nations P. 470.

2. Otto Nathan and Heinz Norden. eds, Einstein on Peace, P. 494.

(४) सामूहिक सुरक्षा का अगला कदम

(World Government is next to 'collective security')

विश्व सरकार की मान्यता को शक्ति सन्तुलन तथा सामूहिक सुरक्षा की मान्यता से नवीन माना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के गम्भीर विचार विमर्श में इसका प्रभाव अभी बढ़ने लगा है। शक्ति सन्तुलन को आधुनिक विश्व व्यवस्था की परम्परावादी मान्यता (Traditional concept) कहा जा सकता है। सामूहिक सुरक्षा की मान्यता ने प्रथम विश्व युद्ध के समय सैद्धांतिक चित्र ग्रहण किया और विश्व सरकार की सभावना तथा संगठित समर्थन द्वितीय विश्व युद्ध के साथ प्रारम्भ हुआ जबकि शीत युद्ध ने जोर पकड़ा था। विश्व सरकार का मान्यता दो दृष्टियों से शक्ति सन्तुलन एवं सामूहिक सुरक्षा से आगे का कदम माना जा सकता है। प्रथम, यह साहित्यिक इतिहास क्रम में एक वाद की मान्यता है। द्वितीय, यह शक्ति के केन्द्रीकरण का प्रतीक है। शक्ति सन्तुलन ने शक्ति के केन्द्रीकरण को मिटा दिया था, सामूहिक सुरक्षा ने इसको पुनः स्थापित किया तथा विश्व सरकार की मान्यता में शक्ति का एकाधिकार (Monopoly of Power) स्थापित हो गया है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की आलोचना करते समय प्रायः यह कहा जाता है कि इसने शक्ति सन्तुलन द्वारा स्थापित विकेन्द्रीकृत व्यवस्था का सही विरुद्ध प्रस्तुत नहीं किया। विश्व सरकार की मान्यता इस आलोचना से बच जानी है तथा सामूहिक सुरक्षा की अपूर्णताओं को दूर करने का प्रयास करती है।

(५) विश्व सरकार एक सघातक व्यवस्था है—

(World Government is a Federal System)

विश्व सरकार का रूप एकात्मक न होकर सघातक है जिसमें विभिन्न राज्य इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। सघातक होने के कारण विश्व सरकार की मान्यता में नियेयात्मक एवं नियेयात्मक दोनों ही तत्वों को समाविष्ट किया जाता है। इसके अनुसार विश्व समुदाय की निर्मापक इकाइयों के ऊपर एक सर्वोच्च अभिकरण की स्थापना की जाती है तथा दूसरी ओर इसके अन्दर सम्प्रभु राष्ट्रों की शक्ति को कम करके उसे विश्व सघातक व्यवस्था के असायंभोमिक सदस्य का स्तर प्रदान किया जाता है। सघातक में कार्यरूप में 'संश्लिष्ट केन्द्रीकरण' होता है। किन्तु प्रभावित क्षेत्र के अनंगत बहूत कुछ केन्द्रीकरण होता है। इस दृष्टि से विधि का शासन (Rule of Law) तथा निस्शस्त्रीकरण (Disarmament) को विश्व सरकार की पूरक बुनियाद माना जाता है।

विधि के शासन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की व्यवस्था में केन्द्रीय सत्ता की स्थापना का प्रयास किया जाता है तथा निश्चयीकरण द्वारा इकाइयों की शक्ति को इतना कम कर दिया जाता है कि वह उस स्थापित सत्ता को चुनौती न दे सके। विश्व सरकार की मान्यता के विधेयात्मक एवं निषेधात्मक दोनों ही पक्षों का लक्ष्य विश्व में शान्ति और व्यवस्था कायम करना तथा युद्धों को दूर करना है। निषेधात्मक रूप से विश्व सरकार की योजना द्वारा राज्यों की विधायी सामर्थ्य को तथा सैनिक सामर्थ्य को इतना कम कर दिया जाता है कि वे प्रभावशाली युद्ध की योजना बनाने में असमर्थ रह जाते हैं। नार्मन कौसेन्स का कहना है कि "एक ऐसी सत्ता का निर्माण किया जाना चाहिए जो कि राष्ट्रों से पूरी तरह न केवल उस मन्त्र को ले ले जो कि युद्ध थालू कर सकता है वरन् निर्णय लेने के उस मन्त्र को भी हस्तगत कर ले जिससे कि युद्ध को प्रारम्भ भी किया जा सकता है।"¹

(६) एक अनिश्चित मान्यता,
(An Indefinite Concept)

विश्व सरकार की मान्यता का विवरण करते समय इसके समयको ने इसके रूप तथा व्यवस्था का विस्तार के साथ वर्णन किया है किन्तु विश्व सरकार का यह नवजा व्यवहार जगत में यथार्थ सिद्ध होगा अथवा नहीं इस सम्बन्ध में विद्वानों का मत एक नहीं है। कुछ लोग इसकी तुलना हवाई किले से करते हैं जो कि देखने में जिनना-सुभावना एवं उपयोगी है, व्यवहार में उतना ही अपयथार्थ एवं अवास्तविक है, किन्तु दूसरी ओर विचारकों का यह वर्ण है जो कि विश्व सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अनिवार्य एवं एकमात्र आणविकी विकास मानना है। प्रतिष्ठित दार्शनिक एवं राजनैतिक विचारक बर्ट्रैंड रसल का मत है कि आज के युद्ध इतने भयानक एवं वीभत्स हो गये हैं कि इसमें हारा हुआ तो नष्ट हो ही जाता है किन्तु जो जीतता है वह भी समाप्त हो जाता है। उनका निष्कर्ष है कि मानव जाति के सामने इस समय केवल दो ही विकल्प हैं—या तो विश्व सरकार की स्थापना करके शान्ति की व्यवस्था की जाय अथवा एक साथ विनाश के लिए तैयार रहा जाय। नॉर्ड (Claude) के मतानुसार विश्व सरकार के केवल कुछ समर्थकों को ही निश्चि भविष्य में अपना आदर्श प्राप्त होने की आशा है। क्लार्क तथा शेन (Clark and Shen) ने एक आशाजनक दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने बौद्धिक विचार विमर्श के बाद यह भविष्यवाणी की है कि सन् १९७५

तक विश्व सरकार की व्यवस्था क्रियान्वित हो जायेगी।¹ रॉबर्ट हट्चिन्स (Robert Hutchins) के शब्दों में "जाब हमारे विश्वास का नारा बह होना चाहिए कि विश्व सरकार आवश्यक है इसलिए सम्भव है।" यह कहा जाता है कि विश्व सरकार के बारे में किया जाने वाला विश्व-व्यापी विचार-विमर्श दुनिया को छिन्न भिन्न करने की अनेकाएक होने के अवसर प्रदान करता है। गेरहार्ड नीमेयर (Gerhart Niemeyer) के मतानुसार "जबकि आगामी अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध के विरुद्ध निश्चित गारण्टी केवल विश्व सरकार की व्यवस्था द्वारा दी जा सकती है, वहा वर्तमान समय में विश्व की एकता भी सुलभ नहीं है।"² इस प्रकार विश्व सरकार की स्थापना की सम्भावनाओं पर दोनों ही प्रकार के दृष्टिकोण उपलब्ध हैं। इसके सम्बन्ध में निरवधानपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

विश्व सरकार की उपयोगिता

(The Utility of World Government)

विश्व सरकार का समर्थन जिन आधारों पर किया जाता है तथा उसकी जो प्रमुख विशेषताएँ वर्णित की जाती हैं उनके आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्व सरकार की स्थापना के पश्चात् मानव-जाति इतने किस प्रकार लाभान्वित हो सकती है। आज की सबसे बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या विश्व में शान्ति स्थापित करने की है जिसकी तुलना में अन्य सभी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याएँ गौण बन जाती हैं। शान्ति स्थापित करने के लिए तथा स्थापित शान्ति को स्थायी बनाने के लिये द्वि-द्वयी कार्यक्रम अपनायाना चाहिये। प्रथम, यह प्रयास किया जाये कि विश्व-समाज का कोई भी देश शान्ति भंग करने की इच्छा ही न करे। इनके लिए यह आवश्यक है कि युद्ध के आशयों की शान्ति की उपलब्धियों की तुलना में इतना गौण बना दिया जाये कि कोई भी राष्ट्र स्वच्छता से ही इस मार्ग को अपनाता पसन्द न करे। साथ ही एक ऐसी सर्वोच्च संस्था का गठन किया जाये जो कि युद्धप्रैमी एवं शान्ति की भंग करने वाले राष्ट्रों की शिकायतों पर प्रतिबन्ध लगा सके।

दूसरे, राष्ट्रों के पास केवल इतनी शक्ति रखनी चाहिये कि वे युद्ध छेड़ने का साहस भी न कर सकें। राष्ट्रीय स्तर पर हम यह देखते हैं कि

1. Clark and Shon, World Peace through World Law

Pp Xlib-Lit.

2. Gerhart Niemeyer, World Order and the Great Powers

समानक व्यवस्था में इकाइया आन्त में ऊपरी कक्ष के साथ शानः हितानक युद्ध पर नहीं उतर आतीं। उनके बीच मान्यता रहती है, उनमें हित कभी २ परस्पर टकरा भी जाने है किन्तु उनके शक्तियों का विन्यास बाधकीय द्वारा एवं वाद-विवाद द्वारा तय कर लिया जाता है। इनका कारण यह है कि राज्यों अथवा मत्र ही इकाइयों के पान केवल पुंजिन शक्ति होती है जो कि राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखने का कार्य करती है, किन्तु केन्द्र ने पाठ राज्यों से भिन्न दुसरी सैनिक शक्ति हाती है कि उनके डर से कोई भी राज्य शक्ति के आकार पर अवनति की रक्षा का प्रयास नहीं करता। ठीक इसी प्रक्रिया का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दायता आये तो विश्व शक्ति समायो बन सकती है। दूसरे मादों में यह कहा जा सकता है कि विश्व सरकार की मान्यता को व्यावहारिक रूप प्रदान करके शान्ति की जगों को अन्तर्राष्ट्रीय दूमि में इतनी गहरी पहुँचाया जा सकता है कि जिस पर बड़े से बड़े तूराय का भी प्रभाव नहीं हो सके। जिस समय विश्व सरकार से प्राप्त होने वाले लाभों का निरीक्षण एवं नूनांकन किया जा रहा हो उस समय हमारी कल्पना के मानन राष्ट्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली समस्त उपभोदिताएँ रूनी चाहिए।

विश्व सरकार द्वारा विश्व के नागरिक को वे सभी लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो कि एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा एक राष्ट्र के नागरिक को प्राप्त होती है। दोनों के बीच अन्तर यह है कि विश्व सरकार के अधीन कोई भी नागरिक किसी अन्य नागरिक की हानि पर लाभ प्राप्त न करेगा जैसे कि कभी-कभी एक राष्ट्र के नागरिक को दूसरे राष्ट्र के नागरिक के विरुद्ध सुविधाएँ एवं विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि सरकार चाहे वह राष्ट्रीय हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय, सर्वेव धरने प्रभाव क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने का कार्य करती है। स्ट्यूवार्ट बोल (Stewart Boal) के शब्दों में "सरकार का 'क्षेत्र' शान्ति का 'क्षेत्र' है। शहर, राज्य एवं राष्ट्र में जिस प्रकार शान्ति स्थापित की जाती है उससे तो सभी परिचित ही हैं। यदि इतने बड़े क्षेत्र पर किसी तरह सरकार की स्थापना की जा सके तो विश्व सरकार निश्चय ही शान्ति के लिए मार्ग है।" विश्व सरकार की अनेक उपभोदिताओं में से कुछ प्रमुख का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है—

(१) विश्व सरकार विश्वव्यापी अरावकता को दूर करती है

अरावतानु, स्वाधी, नापची एवं हिंसक मनुष्य शक्ति एवं सम्पदा की प्राप्ति के लिए सर्वेव दूसरों से झगडा करता रहता है। शक्ति द्वारा शक्ति

रहे हैं। नावों तथा स्वीडन के धारे में कार्ल डेस (Karl W Deutsch) ने बताया है कि उनके शान्ति सम्बन्ध अब अच्छे रहें हैं जबकि वे स्वयं सम्प्रभु राष्ट्र हैं। ऐसे सम्बन्ध उनके बीच तब न थे जबकि वे एक ही सरकार के अधीन थे। सरकार के बिना भी शान्ति रहती है। इस शान में यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सैद्धान्तिक मान्यता गलत है कि बिना सरकार के मानवीय सम्बन्धों को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता।

(३) विश्व शान्ति का एक मात्र साधन है

यह माना जाता है कि स्थायी एवं सुरक्षित रूप से विश्व शान्ति को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी व्यवस्था के लिए विश्व सरकार के रूप में कोई सर्वोच्च सत्ता न हो जो कि शान्ति भंग करने वाले के लिए दण्ड व्यवस्था का विधान कर सके। क्लाड (Claude) के शब्दों में 'विश्व सरकार इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यवस्था उत्पन्न करने वाली सभी विकल्पित योजनायें अर्याप्त सिद्ध हुई हैं तथा यह उचित है क्योंकि यह इस कार्य के लिए एक सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है'। आइन्स्टीन (Einstein) ने बताया है कि जब सारा विश्व एक हो जाएगा, एक सरकार के अधीन हो जाएगा तो युद्धों का रूप आज के जैसा न रहेगा वह बदल जायेगा और एकीकृत विश्व-व्यवस्था में गृह युद्ध होंगे। ये गृह युद्ध परिणामों की दृष्टि से इतने भयानक होंगे कि कोई भी इनको करने का साहस ही न करेगा। यह विश्वास किया जाता है कि सध की विभिन्न दृष्टादया एक दूसरे के ऊपर युद्ध नहीं घेड़ सकती। अतिराष्ट्रीय (Supranational) व्यवस्था द्वारा राष्ट्रीय युद्धों को न केवल अनावश्यक बना दिया जायेगा वरन् उन्हें असम्भव ठहरा दिया जायेगा। जॉफ्रे सावर (Geoffrey Sawyer) का कहना है कि "किसी भी बड़े भयानक युद्ध की सम्भावना को तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक कि सम्प्रभु आत्म-निर्णायक राज्यों की व्यवस्था को विश्व सरकार की स्थापना द्वारा स्थानान्तरित नहीं कर दिया जाता"। आइन्स्टीन का विचार था कि विश्व में वास्तविक सुरक्षा का प्रदत्त अन्तर्राष्ट्रीय सस्था के निर्माण द्वारा किया जा सकता है। यह सस्था इतनी दक्षिणाली होगी कि जो शान्ति को सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो।

विश्व सरकार द्वारा शान्ति की स्थापना के लिये किये गये प्रयासों की सफलता में कुछ विचारकों की सदेह रहता है। उनका मत है कि जब तक युद्ध एवं मन-मुटाद के कारण दो देशों के बीच में वर्तमान रहेंगे तब तक विश्व सरकार द्वारा कितनी भी कोशिशें कर ली जायें वे शान्ति को स्थायी बनाने में नाकामयाब रहेंगी। युद्ध को मानव की प्रकृति में निहित मानने वाले लोगों

का विश्वास है कि विश्व सरकार यदि युद्धों को सबमुक्त रोक देगी या समाप्त कर देगी तो वह कभी बन ही नहीं सकती है और यदि वह वास्तविक जगत में क्रियान्वित की गई तो कोई आशा नहीं है कि वह युद्धों को समाप्त कर देगी। कॉजिन्स (Cousins) का मत है कि विश्व सरकार शान्ति की गारंटी नहीं दे सकती और विश्व कानून युद्ध का दूर करने की एक आशा ही नहीं बन एकमात्र आशा है, एकमात्र अवसर है।

कोर्ड मेयर (Cord Meyer) का विचार है कि "राष्ट्रों में वीर राष्ट्रों के बीच तब तक कोई शान्ति नहीं रह सकती जब तक कि कोई स्थापित कानून न हो तथा वह जान न हो कि इन शान्ति के तुरन्त एवं निश्चित रूप से पालन भी कराया जा सकता है।" रेक्स (Reves) कहते हैं—'शान्ति कानून है, यह व्यवस्था है, यह सरकार है'। विश्व सरकार को एक सरकार के नाते शान्ति एवं व्यवस्था का कर्ता मान लिया जाता है। क्लॉड (Claude) महोदय कहते हैं कि यदि सरकार को शान्ति स्थापित करने वाले पत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है तो विश्व सरकार निश्चय ही युद्ध रोकने का एक पक्का साधन है। विश्व सरकार द्वारा शान्ति स्थापित करने की आवश्यकता उतनी न रहेगी जितनी कि वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों के होने पर रहती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों एवं समुदायों के बीच व्यक्तिगत सम्पत्ति के बारे में कितने झगड़े और संघर्ष होते रहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे की सम्पत्ति या भूमि को हथप जाता है तो दूसरा पहले की सम्पत्ति या भूमि पर अपना अधिकार सिद्ध करता है किन्तु सार्वजनिक सम्पत्ति पर इस प्रकार का कोई विवाद नहीं होता। सड़क, बगीचा, बाजार एवं अन्य सार्वजनिक महत्व की उपयोगी वस्तुओं से सभी व्यक्ति बराबर लाभ प्राप्त करते हैं, किसी को कोई बाधा नहीं होती। इसी प्रकार जब सभी राष्ट्रों की व्यक्तिगत उपलब्धियों को सार्वजनिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय बना दिया जायेगा तो मद्दमाव एवं मन मृदाव के कारण ही नष्ट हो जायेंगे।

अनेक बार एक देश युद्ध इसलिए छेड़ता है क्योंकि वह दूसरे राष्ट्र के खनिज पदार्थों या तेल के कूबा या महत्वपूर्ण बन्दरगाहों पर अपना अधिकार करना चाहता है किन्तु विश्व सरकार व्यवस्था के अभाव में सभी ये स्वतः ही उस राष्ट्र के स्वामि बन आ जायेंगी, वह इनका उपयोग करने में अधिकार न रहेगा। युद्ध कभी-कभी एक प्रदेश विशेष को जतने अधिकार करने के लिए भी किया जाता है। भारत-चीन मोना विवाद तथा भारत-पाक काश्मीर विवाद के समान इस प्रकार के अनेक उदाहरण देये जा सकते हैं। छोटे-छोटे भूमि के भागों के लिए लातों निरोह, निरन्तराव और अनजान लोग का घूँ

बहाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। यह सब किसलिए होता है ? एक देश के मंत्री दूसरे देश के अनजान मंत्रियों पर गोलियों और बमों की बौछारें क्यों प्रारम्भ कर देते हैं ? इस सबका कारण खोजने के लिए हमे आल्ड्रस हर्मले आदि लेखकों को रचनाओं पर ध्यान देना होगा। ये लेखक राष्ट्रीयता की भावना, मिथ्या राष्ट्र अभिमान को युद्ध और सघर्ष के प्रमुख कारण मानते हैं। विश्व सरकार के अधीन युद्ध का यह मूल तोन मूख जायेगा और दुनिया में शान्ति, समृद्धि एवं प्रसन्नता का साम्राज्य हो जायेगा। कुछ लोगों का कहना है कि विश्व सरकार द्वारा युद्धों को समाप्त करके विकास के स्वाभाविक मार्ग को रोक दिया जायगा जिससे कि शक्तिशाली को विजय होती है और योग्यतम ही जीवन रहता है। इसी आधार पर विश्व सरकार की आलोचना करने वालों में युद्धप्रिय एवं फासीवादी प्रवृत्तियों के समर्थकों का नाम उल्लेखनीय है। ये लोग मानते हैं कि विश्व का शांतिकरण (Pacification) कर दिया गया तो इसने एक प्रकार की निर्जीव एकरूपता (Dull uniformity) जन्म लेगी और पतयेगी जिनमें स्वल्प शक्तियों का विकास असम्भव बन जायेगा। किन्तु विश्वयुद्धों एवं क्षत्रीय युद्धों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग यह जानते हैं कि ये तब तक बितने भ्रामक तथा मिथ्या हैं जोर 'शान्ति' विश्व के लिए कितनी लाभदायक एवं मूल आवश्यकता है।

(४) विश्व की प्रगति का प्रतीक

युद्धों द्वारा न केवल प्राप्तियों (Achievements) का ही विध्वंस किया जाता है किन्तु उन तत्वों एवं परिस्थितियों को भी मिटा दिया जाता है जिनके फलस्वरूप विश्व की सम्पत्ता एवं सभ्यता आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में युद्ध द्वारा एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रगति का वर्तमान और भविष्य दोनों ही खतरे में पड़ जाते हैं। विश्व सरकार की स्थापना करके इस चक्रव्यूह को अमम्भव बनाने का प्रयास किया जाता है। एक ओर से तो युद्ध का समाप्त करके विश्व सरकार द्वारा उन सभी घातक जीवों एवं जहरीली चीजों को दूर कर दिया जाता है जो कि शान्ति के पोषे को विकसित एवं प्रस्फुटित होने में घातक बनते हैं। दूसरी ओर साद देकर एवं अनुकूल वातावरण तैयार करके उस पोषे को पुष्टित एवं पालित होने की सामर्थ्य प्रदान की जाती है। इस प्रकार निषेधात्मक एवं विधेयात्मक दोनों ही रूपों में विश्व सरकार द्वारा प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जायेगा।

निषेधात्मक रूप से विश्व सरकार द्वारा उस भारी विनाश एवं विध्वंस से मानव जाति को बचा लिया जाता है जो कि युद्ध के कारण पैदा होती

है। विगत दो विश्व-युद्धों के अनुभवों द्वारा मानव जाति यह भली-भाँति समझ गई है कि इनमें सदियों में अज्ञान की गई मत्प्रति को किस प्रकार से नष्ट कर दिया जाना है। जॉन स्ट्रेची (John Strachey) के शब्दों में “दो युद्धों से योरोपीय सभ्यता को होने वाले नुकसान की यातना को हम सभी न अनुभव किया है और अब पुनः हम इस प्रकार के युद्धों में सम्मिलित होना नहीं चाहते।”¹ युद्ध के कारण होने वाले विनाश का गुण एव परिणाम वर्तमान काल में कई गुना बढ़ गया है। जिस प्रकार प्लेग आदि महामारियों से चटापट मौत होने लगती है उसी प्रकार युद्ध में भी व्यवन के जीवन का मूल्य बहुत घट जाता है। कहा जाता है कि १३४८ तथा १३४९ में ब्रिटेन में जब प्लेग, महामारी का प्रकोप हुआ था तो वहाँ की एक निहाई या तीन चौथाई जनता मौत के घाट उतर गई थी। इसी प्रकार आज के अमेरिका के लगभग १८ करोड़ मूल निवासियों में से ६ करोड़ से लेकर १३ करोड़ तक को ग्लूकॉस्टर युद्ध के कारण मौत के घाट उतरना पड़ सकता है। अणु शक्ति के प्रयोग से पूर्व युद्ध द्वारा जो क्षति होती थी उसे धीरे-धीरे पूरा कर लिया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा जापान, सोवियत रूस और अमेरिका को जो क्षति भुगतनी पड़ी थी वह काफी थी। इन देशों की अधिकांश जनता को युद्ध में फायला या मृत होना पड़ा। अनुमान किया जाता है कि हम को इस युद्ध में एक करोड़ बीस लाख से लेकर दो करोड़ चौबीस लाख देशवासियों की जान से हाथ धोना पड़ा था। इसके साथ-साथ उसके लगभग ४० प्रतिशत उत्पादन के साधनों को नष्ट कर दिया गया। जर्मनी के करीब चालीस लाख व्यक्ति युद्ध में काम आये या फायला हो गये। इसी प्रकार जापान के शहरों को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। हिरोशिमा और नागासाकी के क्षेत्रों में मनुष्य और उसकी सम्पत्ता को जो राख बनी वह हृदय द्रावक थी। किन्तु फिर भी इनकी सारी मीलों के बाद तथा उद्योग-धन्धों के अस्त-भ्यस्त हो जाने के बाद भी बहुत थोड़े से ही समय में इन देशों ने वह प्रगति कर दिखाई जो अद्वितीय थी। इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध द्वारा आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक एव सैनिक आदि सभी दृष्टियों से कुचले गये जर्मनी ने हिटलर के नेतृत्व में इतनी प्रगति की कि वह विश्व-विजय के अपने स्वप्न को साकार करने का दुस्साहस करने लगा। इन उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकाल लेना गलत होगा कि ‘यदि एक देश उन्नति के उच्च शिखर पर पहुँचना चाहता है तो उसको युद्ध का साधन अपनाना चाहिए और युद्ध में वह चाहे हारे या जीये, उसकी प्रगति का मार्ग खुल जायगा, उसकी प्रगति की गति तीव्र हो जायेगी?’

1. John Strachey, On the prevention of war 1962, P. 321,

बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक, ही सकता है कि इन निष्कर्ष में थोड़ी बहुत भी सत्यता रही हो, किन्तु बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में जो विभिन्न वैज्ञानिक विकास हुए तथा युद्ध का जो रूप सामन आया उसे देखकर युद्ध के परिणामों के बारे में किसी प्रकार का भी भ्रम वाको नहीं रह जाता। आधुनिक तकनीकी व सहाय लड़ा जान वाला तृतीय विश्व युद्ध विश्व की रसातल में पहुँचा कर पृथ्वी की उसी स्थिति में ला देगा जिसमें कि वह अपने जन्मदाता सूर्य से अलग हाते समय थी। यह कथन सत्यता से परे नहीं है कि 'यदि चतुर्थ विश्व युद्ध लड़ा गया तो वह जगल के वृक्षों से तोड़ी गई छड़ियों से लड़ा जाएगा।' अर्थात् तृतीय विश्व युद्ध, यदि वह कभी हुआ, तो मनुष्य की समस्त सन्ध्या एव सभ्यता का नाश कर देगा और सदियों बाद पुनः पृथ्वी पर जीवन की सृष्टि होगी। इस तथ्यपूर्ण आशंका को प्रभावहीन बनाने के लिए यह आवश्यक है कि संसार में विश्व सरकार की स्थापना की जाये।

निष्पत्तात्मक रूप से विश्व सरकार का दूसरा उपयोग यह है कि इसके द्वारा विश्व की अर्धव्यवस्था को अन्त-व्यस्त होने से बचाया जा सकता है। युद्ध में करोड़ों रुपये प्रति दिन का व्यय किया जाता है। यह व्यय ऐसा होता है कि जिसका प्रतिकूल कभी प्राप्त नहीं होता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आने वाली विश्वव्यापी आर्थिक मंदी तथा उसने उत्पन्न होने वाली यातनाओं से हम सभी अलग प्रकार परिचित हैं। भारत का संघर्ष के कारण हाल ही में दोनों राष्ट्रों को जितनी क्षति उगानी पड़ी है उसको आने वाले अनेक वर्षों में पूरा किया जा सकता है। इन संकट के समय भारत को चतुर्पक्ष व्यवस्था पर कई बार विचार किया गया और प्रत्येक पुनर्विचार के समय विकास कार्यों पर कटीकिया करके रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की ओर योजनाओं को मोड़ दिया गया। देश को रक्षा का एक बहुत बड़ा भाग मिला है। सैनिकों एवं रक्षा व्यवस्था में व्यय करना पडा। यह ठाँव है कि ऐसा करने के लिए भारत मजबूर हो गया था किन्तु यह मजबूत हुआ ही विश्व सरकार का उत्तरदायित्व है। यामा विवाद एव प्रयोग के विवेक से स्वेच्छापूर्वक हतियारों तब तक नहीं एक सन्तान अतः कि नारा मसार एव रक्षा के नीचे नहीं आ जाता और एक देश के नागरिक दूसरे देश के नागरिक का भा संघर्ष और व्यावहारिक अर्थों में अपने समान नहीं मानने पाते।

कुछ विचारकों का मत है कि विश्व सरकार ही साक्षात् है निरन्तर भविष्य में मूल रूप में प्रारम्भ न कर सकें अथवा यह कभी भी व्यवस्था को परिधि में लाकर न हो सके किन्तु विश्व की इसी वृत्त एव विश्व में दिने गये तर्कों को दखना उनका मूल प्रसार में परीक्षण करता इनलिपु आविष्कार

है क्योंकि इसका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर लोक दृष्टिकोणों का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। विश्व सरकार के विचार का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण (एक साथ ही हमकी समस्योरी भी) तत्त्व हमका विस्तृत रूप है।

यदि विश्व सरकार स्थापित कर दी जाये तो यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की सभी समस्याओं को तय कर देगा। अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायें तो दूर की चीज है यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की ही मिटा देगा। इनमें कोई सम्प्रभु राज्य ही न रहेगा इसलिए राज्यों के बीच झगड़े उठने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विश्व की सारी शक्ति केवल एक ही इकाई में केन्द्रित कर दी जायेगी। यह एक शान्तिकारी बरदान है। विश्व के इतिहास में आज तक यथास्थिति (Status quo) का इतने शान्तिकारी रूप में परिवर्तन कभी नहीं हुआ था। बैसे परिवर्तन हाते रहते हैं, कुछ एकाएक हो जाते हैं, कुछ धीरे-धीरे किन्तु कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं होता जो कि विश्व को ऐसा बना दे जैसा कि वह कल या कुछ वर्ष पूर्व या कुछ दशकों पूर्व नहीं था। विश्व सरकार के इस अव्यावहारिक रूप को देख कर ही कुछ विचारक अर्ध विश्व सरकार (Quasi-World Government) के विचार का प्रतिपादन करते हैं किन्तु यह विचार भ्रामक है क्योंकि सच्चे अर्थों में जिसे विश्व सरकार कहा जाता है वह तो रहेगी या नहीं रहेगी—इन दोनों अवस्थाओं के बीच का विकल्प नहीं हो सकता कि कुछ अर्थों में विश्व सरकार रहे और दूसरे अर्थों में वह न रहे, अथवा कुछ स्थानों पर रहे और बाकी स्थानों पर न रहे। विश्व सरकार का अस्तित्व नैतिक रूप स्वयं में अविरोधी है।

(५) विश्व सरकार और राष्ट्रीय सरकारें

विश्व सरकार के समझने के मतानुसार जो महत्व एक उद्योगिता राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के अस्तित्व को है वही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व सरकार की ही रहेगी अर्थात् राष्ट्रीय समाज का सदस्य होने पर व्यक्ति में अपने राष्ट्रवासियों के प्रति एकता की भावना आती है क्योंकि उसके रीति-रिवाज, भाषा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक एवं राजनैतिक दर्शन तथा राष्ट्रीय प्रतीक इनसे मिलते हैं और यह एक से अलगबार पटना है, समान रेशमो मुनता है, समान छुट्टियाँ मनाता है और समान व्यक्तित्वों की पूजा करता है। यद्यपि एक राष्ट्र में अनेक समाज वाले लोग रहते हैं और उनके आपस में हित परस्पर टकराते हैं किन्तु फिर भी उनके बीच सामंजस्य बना रहता है। राजनैतिक दल धार्मिक प्रभाव, जातीय समुदाय, क्षेत्र और प्रदेशों के आधार पर यद्यपि उनके बीच भारी असमानतायें एवं परस्पर विरोधी तत्व स्थित रहते हैं किन्तु फिर भी उनके ये मतभेद एवं भिन्नतायें प्रायः हिसाबनक

रूप धारण नहीं कर पाते। ठीक इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच अनेको भिन्नतायें, विरोधी स्वार्थ एवं असमान स्थितियाँ रहती हैं जो कि आजकल प्रायः हिंसात्मक रूप में अभिव्यक्त होती हैं किन्तु विश्व सरकार की स्थापना के बाद यह हिंसात्मक रूप परिवर्तित होकर सामाजिकपूर्ण बन जायेगा और तब विश्व के प्रति राजभक्ति को विश्व के नागरिक का सबसे प्रधान कर्त्तव्य माना जायेगा। विश्व की एकता को चुनौती देने वाले किसी कार्य को सहन नहीं किया जायेगा तथा केवल उन्हीं हितों, विचारों और राजभक्तियों को चलने दिया जायेगा जो विश्व की एकता को खतरा पैदा न करें। इस प्रकार विश्व सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजभक्ति (Supranational Loyalties) का समर्थन किया जाता है।

राष्ट्रीय सरकारों की भाँति विश्व सरकार द्वारा न्याय की स्थापना के लिए प्रयास किये जायेंगे। एक राष्ट्र में अल्पमत एवं पिछड़े वर्गों की भी सरकार से यह आशा रहती है कि उनको न्याय प्रदान किया जायेगा तथा उनके हितों और दावों की अवहेलना करने की बजाय उन पर यथोचित ध्यान दिया जायेगा। राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें सार्वजनिक न्याय की व्यवस्था के लिए कानूनों का निर्माण करती हैं तथा उनका पालन कराती हैं और किसी वर्ग विशेष की माँगों पर भी ध्यान देती हैं उसी प्रकार विश्व सरकार द्वारा भी सामान्य हित के विषयों पर समस्त विश्व को समान न्याय प्रदान किया जायेगा। और यदि कोई एक राष्ट्र या कुछ राष्ट्र मिल कर अथवा राष्ट्रों से भिन्न किन्तु सामाजिकपूर्ण कोई विशेष न्याय की माँग करते हैं तथा वह माँग यदि उचित एवं सगत है तो विश्व सरकार उस माँग पर भी गम्भीरतापूर्वक ध्यान देगी, करना शांति के लिए खतरा हो सकता है।

राष्ट्रीय सरकार के पास भारी शक्ति होती है जिसके आधार पर वह शांति की स्थापना करती है और शान्ति भंग करने वाले किसी भी प्रयास को कुचल देती है। इसी प्रकार विश्व सरकार के पास भी शक्ति रहेगी और इस शक्ति के आधार पर वह अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं व्यवस्था को बाधा पहुँचाने वाले तत्वों का दमन कर देगी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व सरकार की शक्ति के दो रूप होंगे। प्रथम, उसके पास सैनिक शक्ति केन्द्रित हो जायेगी और दूसरे विश्व लोकमत भी उसके हाथ में रहेगा जिसकी अवहेलना करने का कोई भी राष्ट्र साहस नहीं कर सकेगा। एक राष्ट्र जो लोकमत के विरोध का शिकार नहीं बनना चाहता है, आवश्यक रूप से विश्व सरकार द्वारा स्थापित व्यवस्था का अनुशीलन करना रहेगा और इस प्रकार विश्व के सभी राष्ट्र शांति और कानून के अनुशासन में रह सकेंगे।

राष्ट्रीय शक्ति पर शक्ति और व्यवस्था की स्थापना के लिए जिन प्रकार कायम एवं आवश्यक साधन हैं उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति एवं व्यवस्था भी विश्व राज्य एवं विश्व सरकार की स्थापना के बाद ही हो सकती है। एक राष्ट्र की शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति पर जो समाज की लोड-फोड के धनेक ताप वर्तमान रहते हैं जिनका समन करने के लिए एक शक्तिशाली विश्व सरकार परम आवश्यक है। वर्ण, जाति, धर्म, क्षेत्र एवं अन्य राजनैतिक प्रगटों से विश्व समाज को छिन्न-भिन्न करने वाले अनेक तत्वों की सृष्टि होती है जो कि जाति, संघर्ष और युद्धों के रूप में प्रतिफलित होते हैं। विश्व सरकार द्वारा इन सभी तत्वों पर अंकुश रखा जायेगा।

विश्व सरकार के रास्ते और साधन

(The Ways and Means of World Government)

विश्व सरकार उपयोगी है तथा विश्व शांति और व्यवस्था की स्थापना के लिए यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विभिन्न विचारक इस बात से सहमत होते हुए भी विश्व सरकार के विचार को अधिक महत्त्व देना उचित नहीं समझते क्योंकि उनके मतानुसार इस विचार को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता तथा वास्तविक जगत में नहीं उतारा जा सकता। केवल कहना लोक में ही इसे रण-विरणे स्वर्णों द्वारा सजाया जा सकता है किन्तु जब समय की घरती पर इसे साया जायेगा तब न खो वे रंग ही रहेंगे और न इसका जीवन सुखम सौंदर्य ही। व्यावहारिक समय के शौकों के आगे चलना लोक की यह बालू की दीवाल तुरन्त ही ढह जायेगी।

किन्तु इन विचार के समर्थकों से भिन्न विचारकों का एक दूसरा वर्ण भी है जिनका यह निरास है कि विश्व सरकार आज नहीं तो कल अथवा आकर रहेगी क्योंकि विश्व उसके बिना पायग नहीं रह सकता। राष्ट्रियता, राष्ट्रों की लोड, सैदान्तिक मनभेद, विज्ञान के आविष्कार आदि से युक्त विश्व आज जिस पौराटे पर आकर खड़ा हुआ है वहा से पुरानी आत्मनिर्भर भगर राष्ट्रों की धोर लोट पाने का कोई मार्ग नहीं है, केवल दो ही पथ सीधे दिखाई दे रहे हैं-एक समाज को विनाश की ओर ले जायेगा, जहा मनुष्य की अब तक अजित सम्भना एवं सहेत एक अनीत की गापा बन जायेगी जिसे न कोई बहने याता ही मीोगा और न ही गुनने पाता। दूसरा मार्ग है विश्व सरकार का शक्ति और व्यवस्था का, प्रगति और उद्यमान का। अब निर्णय की घडी आ चुकी है। पहला मार्ग तो गहज है, उक्तक लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है वह तो विश्व की स्वाभाविक गति का प्रतीक है। मनुष्य जाति को इन मार्गों की स्वाभाविकता में जागृतक रह कर विश्व सरकार

की स्थापना का प्रयास करना चाहिये ताकि ससार में चैन और अमन रह सके तथा आगामी पीढ़ियाँ वर्तमान के निर्माणकों की वृद्धि एवं कुशलता के प्रति आभार प्रदर्शित कर सकें।

अब प्रश्न यह उठता है कि माना हमने दूसरा मार्ग अपना भी लिया तो विश्व सरकार की स्थापित कंस किया जायगा? विश्व सरकार युग की आवश्यकता है, उपयोगी है एवं अपरिहार्य है। यदि बातों में विश्व सरकार स्थापित तो नहीं हो जाती। बहुत सी चीजें आवश्यक एवं अपरिहार्य होते हुए भी अप्राप्य या दुर्लभ होती हैं, विश्व सरकार को भी एक ऐसी ही चीज कहा जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक तथा मानवशास्त्री दार्शनिकों ने विश्व सरकार के रूप एवं इसे प्राप्त करने के उपायों पर अपने विचार प्रकट किये हैं। विश्व सरकार की स्थापना से सम्बन्धित इन विभिन्न विचारों के सागर का मग्न्यन करने के बाद निष्कर्ष रूप में जो सावन हमारे सामने आते हैं उनको मूल रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है —

- (1) रचनात्मक,
- (11) विकासत्मक और
- (111) मध्यस्थिति वाले।

विश्व सरकार की रचना से सम्बन्धित ये तीनों ही प्रकार के साधन सरकार की प्रकृति से सम्बन्धित हैं। जो विचारक यह मानते हैं कि सरकार एक व्यावहारिक कला है तथा मनुष्य की उपयोगिता के अनुसार उसे किसी भी रूप में मोड़ा जा सकता है वे यह स्वीकार करते हैं कि सरकार 'आविष्कार' का परिणाम है। मनुष्य द्वारा इनका निर्माण किया जाना है तथा यह उसी की इच्छा पर अवलम्बित है कि वह सरकार बन य या न बनाये तथा किस ढंग पर और कैसे तरीके से उसे बनाये। इस दृष्टि से यह कहा जाता है कि यदि आप एक श्रेष्ठ सरकार की रचना करना चाहते हैं तो पहले लोगों को समझाइये कि यह श्रेष्ठ सरकार है, इसके बाद उन्हें उस सरकार को अपनाने पर राजी करिये, इस प्रकार आप एक सरकार की रचना करने में सफल हो जायेंगे। विश्व सरकार भी इसी ढंग से बनाई जा सकती है। विश्व सरकार की स्थापना का यह रचनात्मक विचार है।

उपयुक्त से मिला विचारकों का दूसरा वर्ग सरकार को विकास का परिणाम और इस प्रकार सरकार के विज्ञान को प्राकृतिक इतिहास का एक भाग मानता है। इस वर्ग के विचारकों का विश्वास है कि सरकार किसी की इच्छा का विषय नहीं है। वे जैसी भी मिल जायें हमको अपना लेनी चाहिए। पूर्वनिर्धारित रूपों के अनुसार सरकारों का निर्माण नहीं किया जा सकता।

के बनाई नहीं जाती, बरन् उन ही होती हैं। मूल राजनैतिक समस्याओं का जन्म सामाजिक विकास का परिणाम होता है। यह लोगों की प्रकृति और उनके जीवन, उनकी आदतों, मूलप्रवृत्तियों, अचैनन आवश्यकताओं एवं इच्छाओं तथा उनके लक्ष्य आदि से प्रभावित होती है। यदि एक सरकार लोगों की भावना, प्रवृत्ति एवं लक्ष्यों के विरुद्ध निर्मित कर दी गई तो राज्यों में नाश ही जायेगी तथा हिनात्मक रूप से उसका विरोध किया जायगा।

विचारकों का एक तीसरा वर्ग भी है जो कि उक्त दोनों वर्गों के बीच की स्थिति का अग्रगण्य है। इस वर्ग के लोगों की यह मान्यता है कि उक्त दोनों ही मन आदिगुण रूप से सत्य हैं। राजनैतिक सत्यापन मनुष्य द्वारा निर्मित होती है तथा उसी की इच्छा पर अवलम्बित रहती है किन्तु ये राजनैतिक सत्यापन स्वतः ही कार्य नहीं करती, इनके सफल संचालन के लिए कुछ अनुकूल स्थितियाँ का होना आवश्यक है। कोई भी सरकार तभी टिक सकती है जबकि वह कुछ शक्तों को पूरा कर सके, यदि ऐसा न किया गया तो सरकार असफल हो जायेगी।

इस प्रकार सरकार की प्रकृति के सम्बन्ध में मत वैभिन्न्य है और इसी आधार पर उसकी रचना के बारे में भी अलग-अलग विचार हैं। "विश्व सरकार का मनुष्यों द्वारा निर्माण किया जायगा, विश्व सरकार की पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद वह स्वतः ही विकसित होगी, विश्व सरकार का निर्माण कर दिया जाये और उनकी शक्तों का विकास किया जाय ताकि वह सफल हो सके।" इन तीन विचारों के मानने वाले विचारकों ने विश्व सरकार की प्राप्ति के प्रयासों का अपने-अपने ढंग में वर्णन किया है। विश्व सरकार के जन्म से सम्बन्धित विचारकों को हर्टमैन (Frederich H. Hartmann) महोदय ने दो भागों में विभाजित किया है—

१. विकसनीय विश्व सरकार के समर्थक (Evolutionary world Govt. advocates)
२. प्रान्तिकारी विश्व सरकार के समर्थक (Revolutionary world Govt. advocates)

प्रथम श्रेणी में आने वाले विचारक विश्व में संधिवाद की स्थापना के लिए मनुष्य राष्ट्र-त्व को बहाल देना उचित मानते हैं तथा इसमें वे विश्व सरकार के प्रारम्भिक रूप की शलक पाते हैं। इनका विचार है कि विश्व सरकार की ओर तो हमारा विकास किया जाता है अर्थात् एक संधि के रूप में दुनिया का एकदम परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रथम

परिवर्तन के लिए समुक्त राष्ट्र सत्र को एक केन्द्रबिन्दु के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ये विचारक विश्व सरकार के समान रूप रूप का समर्थन करते हैं।

हमारी श्रेणियों में आने वाले विचारक विश्व को एकदम परिवर्तित करके विश्व राज्य का रूप देना चाहते हैं और विश्व सरकार को रचना करना चाहते हैं। एमरो रेव्स (Emery Reves) ने अपनी पुस्तक एनेटामी ऑफ पीस (Anatomy of Peace) में यह सुझाव दिया कि इस ओर अमरीका को अन्य देशों के साथ एक सत्र में सम्मिलित हो जाना चाहिए। दूसरे कुछ विचारकों का मत है कि रूस के नेतृत्व में और अमरीका के नेतृत्व में अलग-अलग दो विश्व सरकारें यदि बना दी जायें तो इस प्रयास का अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि तृतीय विश्व-युद्ध छिड़ जायगा। इस प्रकार विश्व सरकार को प्रतीक्षा करने वाले विकासवादी विचारक विश्व विनाश की एक जोखिम (Risk) को लेकर आगे बढ़ते हैं। युद्ध के समाप्त होने से कुछ पूर्व तक विश्व सरकार से सम्बन्धित यह क्रांतिकारी विचार अपने चरम उत्कर्ष पर था।

उक्त दोनों ही विचारों को अपनी-अपनी विशेषताएँ एवं अभाव हैं। विकासवादी पक्ष के समर्थकों की यह भावना सत्य है कि वर्तमान विश्व के समस्त मधुपर्कों को मिटा कर उनके स्थान पर एक रात में ही सामरस्यपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना नहीं की जा सकती। ये विचारक मानते हैं कि राष्ट्रसंघ (League of Nations) तथा समुक्त राष्ट्र सत्र (United Nations Organisations) दोनों ही सत्यायें क्रांतिकारी नहीं थीं। दूसरी ओर क्रांतिकारी व्यवस्था के समर्थकों का यह विचार सही है कि प्रजातन्त्रों की आशिक विश्व सरकार या एटलांटिक सत्र योजना या घनिष्ठ तथा दो गुटों की अर्ध स्थायी सन्धि व्यवस्था आदि से विश्व शांति की दिशा में अधिक प्रगति न होगी किन्तु यह हो सकता है कि वे सदस्य राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था कर दें। किन्तु इस प्रकार के पन्नाम विश्व को स्थापित करने में दो विरोधी गुटों में विभाजित कर देंगे तथा अन्तिम मनुष्यन क बीच लोचनीलता न रहेगी।

उत्सुक विचारों से प्रभावित होकर अनेक विचारक विश्व सरकार के प्राप्त करने के विन उपायों का समर्थन करते हैं उनमें से कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं—

(१) विश्व विजय द्वारा

(Through World Conquest)

विश्व सरकार में दो बाधों का होना परम आवश्यक है। पहली तो यह कि एक स्थान पर शक्ति का केन्द्रीकरण हो प्रयान् सभार में एक सत्या

ऐसी हो जिनके हाथों में शक्ति का एकाधिकार (Monopoly of Power) हो जाये। इनसे यह कि सरकार के सभी राष्ट्रों के पास से सम्प्रभुता को छीन दिया जान क्योंकि यह एक विशेषता दान होता है जिसके रहने पर एक राष्ट्र सभों की भाँति मजबूर बन जाता है किन्तु दात के टूट जाने पर सभों के साथ बापक को भी खेनन दिया जाय तो कोई हानि न होगी। विश्व सरकार की स्थापना के इन दाना पद्वुओं की उपस्थिति के लिए विश्व-विषय की कल्पना को साकार कर देने में सायंकता बचाई जाती है। यह कहा जाता है कि कोई भी एक राष्ट्र या कुछ राष्ट्रों का समूह, जो कि विश्व सरकार के निर्माण की सभसे हृदय से इच्छा करता हो, सैनिक शक्ति का सहारा ले सकता है। शक्ति के जोर से वह उच्च राष्ट्र या राष्ट्रों के समूह को प्रभावित कर सकता है जो विश्व सरकार की स्थापना करना नहीं चाहते। इस प्रक्रिया में विश्व सरकार के दोनों ही पहलुओं की पूर्ति हो जाती है। जो देश शक्ति का सहारा लेकर सभार को जीतने का अभियान प्रारम्भ करेगा उसकी सभसभसे निरन्तर उच्च शक्तिशाली बनाती जाएंगी, उन्हें धीरे-धीरे विश्व की शक्ति का केन्द्रीकरण होता चला जाएगा। दूसरी ओर जिन राष्ट्रों को विश्व बनाया गया है वे शक्तिशाली राष्ट्र के अधीनस्थ बन जाएंगे, उनका सम्प्रभुता सभी विशेषता दान टूट जाएगा और शक्ति के लिए जो सभरा या बहु टल जाएगा।

सभार के सावर्भिक इतिहास में विश्व विषय के स्वर्णों तथा उनको साकार करने के प्रयासों वाले पहलु पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो हम पदेंगे कि ऐसे प्रयासों द्वारा प्राप्त परिणाम अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सके थे। सिध्दर से सेफर एडॉल्फ हिटलर तक अनेक व्यक्तियों एवं राज्यों ने विश्व साम्राज्य के स्वयं देखे हैं। उन्होंने सैनिक शक्ति के आधार पर सभी विश्व को अधिन करने का अभियान गुरु किया किन्तु इनसे सभे अधिकांश के ये अभियान उनके जीवनकाल में ही अवरुद्ध हो गये। पाश्चात्य सभ्यता जो रोमन साम्राज्य की दीर्घकालीनता पर गर्व है। रोमन साम्राज्य के समय विश्व सभ इतने दिनों तक चला रहा, इसका कारण दो परिवर्तनों को बचाया जाता है। रोमनों ने जिन देशों को जीता, वहाँ के लोगों को, यदि वे सभ्य थे तो अपने देश बना लिया और यदि इतने सभ्य न थे तो उनको दान बना लिया। विश्व के दौरान रोमन विदेशियों ने अपने आप को भी विदेशों के आचार-विचार से प्रभावित होने दिया। इस प्रकार दोहरी प्रक्रिया द्वारा सभ्यता स्थापित करके रोमन साम्राज्य को इतने दिनों तक स्थानी रखा जानका पा। वसा एक निरी-शुनी नई सभ्यता का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त विश्व विषय के प्रायः अन्य सभी प्रयास सभ्य होने

के शोड़े समय बाद ही टिज़ 'मिश्र हो गये। इसका कारण यह था कि विजयी देशों के नैतिक मूल्य तथा राजनैतिक त्रिप विजित देश में मिज़ होने थे और इस कारण विजित राष्ट्र मईव इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता था कि किसी प्रकार विजिता की शक्ति का जागू नो बाट दिया जाये। जब विजयी देश की सैनिक शक्ति साम्राज्य का विस्तार करता रोर देती है या ऐसा करने में असमर्थ हो जाती है तो विजित राष्ट्रों में शक्ति का उद्रेग प्रारम्भ होता है वे दूसरे अविजित राष्ट्रों के साथ मिल कर विजिता राष्ट्र की सफलताओं को धूल धूमरित कर देते हैं।

छोटे स्तर पर की गई विजय जा कि विजयी एवं विजित का सांस्कृतिक समन्वय करके नवीन समुदाय (Community) का निर्माण नहीं कर पाती उसमें गृह-युद्धों और भेद-भावों की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। यदि विजयी राष्ट्र के लोगों की शक्ति एवं सामर्थ्य विजितों की तुलना में कम है तो शीघ्र ही उस राज्य में क्रांति हो जायेगी। सोमिंत विजय के इन सभी परिणामों के साथ एक नवीन समुदाय का विकास नहीं किया जा सकता। मार्गेन्थो (Morgenthau, Hans J) के कथनानुसार "ये विश्व राज्य विश्व समुदाय (World Community) के स्वाभाविक विकास नहीं थे किन्तु ऐसी शक्ति का निर्माण वे जो विभिन्नताओं से पूर्ण राष्ट्रीय सत्ताओं पर उसकी इच्छा के विपरीत थोपी गई थी।"

इस प्रकार विश्व साम्राज्य या विश्व विजय के द्वारा विश्व राज्य एवं विश्व सरकार की स्थापना संभव नहीं की जा सकती। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्न कनिदा पाई जाती हैं—

१ यह विश्व में शान्ति निमाग करन एवं ठो कश्म रयने में सफल नहीं हो पाती। हर समय क्रांति, गृह युद्ध एवं फूट द्वारा उत्पन्न भगणों का मय बना रहता है, कमा कमी तो यह मय यथार्थ भी बन जाता है।

२ इस प्रकार से स्थापित विश्व राज्य का आधार शक्ति होता है, इच्छा नहीं। शक्ति के आधार पर स्थापित इस राज्य में गमानता और स्वतन्त्रता जैसे मून सिद्धान्तों का कोई महत्त्व नहीं रहेगा। विजित राष्ट्र पराधीन, शोषित तथा पतनोन्मुख बन जायेंगे जबकि विजया राष्ट्र उच्छृंखल, मनमानी करने वाला, दमनकारी एवं अधिकाधिक शक्तिशाली बन जायेंगे। शक्ति व्यक्ति को श्रेष्ठ बना देती है और मागे विश्व की शक्ति का कुछ व्यक्तियों में ही केन्द्रीकरण अगुत्रम की भांति भयावह होता है।

३ महात्मा गांधी ने बताया था कि हम बुने मापनों द्वारा कभी भी अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। इस आधार पर यह शक्ति की जा

सकती है कि हिंसा और युद्ध के द्वारा विश्व-शांति और सुरक्षा की खोज करना कहा तक उचित है। यह एक विरोधाभास है कि हम एक व्यक्ति की हत्या इसलिए कर देते हैं ताकि वह भ्रमर हो जाए अथवा एक व्यक्ति को इसलिए दाम देनाते हैं ताकि वह स्वतन्त्र बन सके। मंच तो यह है कि यह विरोधाभास विजयी राष्ट्रीय द्वारा दूसरों को भ्रमित करने का एक साधन है तथा उनका अशुचित इरादों पर पर्दा डालने वाला एक प्रयास है।

४ विश्व विजय द्वारा स्थापित विश्व राज्य में न केवल अनेक भिन्नतायें बरन् अनेक विरोध रहने हैं। इस प्रकार के समाज में एकरूपता नहीं रहती। इस राज्य के लोगो में अभी तक देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता के भाव भरे रहने हैं, वे आज आपको विश्व का नागरिक नहीं मान पाते। दूसरे शब्दों में विश्व राज्य के साध-माध्य विश्व समुदाय का निर्माण नहीं किया जाता और न वह किया जा सकता है उसका न तो केवल विकास ही किया जा सकता है।

(२) एक संघ के निर्माण द्वारा

(Through a creation of World Federation)

कुछ विचारक विश्व सरकार की स्थापना के लिये स्विटजरलैंड के उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए उसी आधार पर विश्व का एक संघ बना देने की सलाह देते हैं। स्विटजरलैंड में अलग-अलग भाषा, संस्कृति, इतिहास, राजभक्ति एवं नीतियों से पूर्ण बार्डिंग सम्प्रदाय गण्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण कर दिया गया है। उसी प्रकार वर्तमान विश्व के समस्त राज्यों को मिलाकर यदि एक संघ में एकीकृत कर दिया जाय तो बहुत अच्छा रहे। गणों राष्ट्रों पर स्विटजरलैंड के तो सविधान को लागू किया जाय तथा सभी राष्ट्र एक दूसरे से उसी प्रकार के सम्बन्ध रखें जिस प्रकार वे सम्बन्ध स्विटजरलैंड के विविध कंटनों के मध्य स्थित हैं। इस प्रकार विश्व सरकार की सम्स्था का स्थापन हो जायगा।

विश्व सरकार की स्थापना के लिये स्विटजरलैंड का आदर्श प्रस्तुत करने वाले विचारकों ने तर्कों में कुछ आक्षेप है किन्तु इसे विचारान्वित करने के मार्ग में जनक दृष्टिनायक एवं अममानतायें हैं—

(१) स्विटजरलैंड संघ को इराइया कंटन हैं। इनका इतिहास देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इनके संघ में एकत्र होने का कारण यह था कि प्रायः सभी को एक समान धनु से अपनी रक्षा करनी थी। इस प्रकार उनके राष्ट्रीय हित समान बन गये थे किन्तु विश्व के राष्ट्रों के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है। विश्व के राष्ट्रों के सम्मुख कोई ऐसा समान खतरा नहीं

है जिसके विरुद्ध वे अपनी सुरक्षा के लिये एक संधि का निर्माण कर लें। एक असम्भव कल्पना के अनुसार यदि चन्द्रलोक या मंगलग्रह के मानव पृथ्वीलोक के निवासिधाय पर आक्रमण करें तो विश्व के सभी राष्ट्र मिलकर स्विटजरलैंड की भाँति का संधि बना सकते हैं।

(१) अन्तः प्रमुख एवं गौण परिस्थितियों के संयोग के कारण यद्यपि स्विटजरलैंड में सामाजिक शासन की व्यवस्था हो गई तथा इस व्यवस्था के अधीन वह अपनी सुरक्षा करने में और बड़ी शक्तियों के बीच अग्रमावित रहने में सफल भी हो गया किन्तु उसमें आन्तरिक शांति की स्थापना नहीं की जा सकी। ३०० वर्षों की अवधि में स्विस् राज्यों में पांच बड़े धर्म युद्ध लड़े गये जिनमें प्रायः सभी ईसाईयों ने सन्तिय भाग लिया था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य छोटे युद्ध भी लड़े गये जिनमें कुछ राष्ट्रों ने भाग लिया। युद्ध कलह के परिणामस्वरूप अनेक प्रांति एवं शासन परिवर्तनों ने स्थान ग्रहण किया।

(२) स्विटजरलैंड के संधि का अनुभव यह बनाना है कि विश्व सरकार की स्थापना नहीं की जा सकती क्योंकि संधि की रचना के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक है और ये परिस्थितियाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पैदा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त स्विस् संधि का त्रियान्वित रूप यह स्पष्ट करता है कि संधि का निर्माण करना न केवल आवश्यक है बल्कि अनिवार्य भी है। युद्ध युद्धों के कारण विश्व में जो स्थिति विश्व संधि के निर्माण के बाद उत्पन्न होगी वह वर्तमान से भी भयंकर होगी। रेपार्ड (William E. Rappard) का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय समाज की सुरक्षा क्योंकि पूर्णतः सम्प्रभु राज्यों के स्वतन्त्र सन्तुलन पर निर्भर करती है इसलिये यह आवश्यक रूप से गौत्र टूटने वाला होना चाहिये।

(३) संवैधानिक परिपत्र द्वारा

(Through Constitutional Convention)

कभी-कभी संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण देकर यह कहा जाता है कि संवैधानिक परिपत्र द्वारा विश्व संधि की रचना कर ली जाय। किन्तु यह सुझाव भी अधिस्त सायंक नहीं है क्योंकि विश्व राज्य की स्थापना एक स्थापित संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थितियाँ भी समरूप नहीं हैं। इस सुझाव के विरुद्ध निम्न तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

(१) संयुक्त राज्य अमेरिका के जन्म से पूर्व ही एक नैतिक एवं राजनैतिक समुदाय का निर्माण हो चुका था जिसने अमेरिका की स्थापना की बिना विरोध किये ही सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसलिये विश्व राज्य की

स्थापना भी केवल स वैधानिक परिपत्र द्वारा नहीं की जा सकती जब तक कि उसके पहले विश्व समुदाय (World Community) की रचना न कर दी जाये।

(२) समुक्त राज्य जमरीरा की इरादया तप म बघने से पूरे स्वतन्त्र एव सम्प्रभु न थी वे सब साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन थी। स्वतन्त्रता प्राप्त करन के बाद ये इनादया अपनी स्वतन्त्रता बनाए रखने के बारे में निश्चित एव विश्वस्त न थी। अनेक आशकाओं ने उनको एक समुक्त राज्य बनाने के लिये प्रेरित किया। किन्तु राष्ट्रों के पान स्वतन्त्रता है, वे सम्प्रभु हैं तथा इनका व एक लम्बे समय से उपयोग भी करने आ रहे हैं। विश्व सरकार की रचना उनको सम्प्रभुता एव स्वतन्त्रता के लिये सहारा या रक्षक नहीं बनगी किन्तु वह तो उल्टे दन पर सीमाएँ लगादगी।

(३) विश्व सरकार का निर्माण विश्व के पृथक-पृथक अनेक छोटे-बड़े राष्ट्रों को मिटाकर किया जाना है, ये राज्य अपने आप में स्वतन्त्र होने के साथ साथ अपना स्वयं का व्यक्तित्व भी रखते हैं। विश्व राज्य इन सभी इकाइयों के लिए एक नया ही अनुभव होगा। किन्तु यह बात अमेरिका की इकाइयों पर लागू नहीं होती। पक्ष पर मित्रों नये राज्य का निर्माण नहीं किया गया, बहू असल में ह्मनानरण किया गया था। इकाइयों के सविधान, सम्प्रभुता एव राज्य पहले साम्राज्यवादियों के हाथों में थे अब समुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया गये।

(४) विश्व समुदाय के निर्माण द्वारा (Through creation of Community)

जो विचारक विश्व सरकार का निर्माण एक कृत्रिम विकास की प्रक्रिया द्वारा करना चाहते हैं उनका यह मत है कि पहले विश्व समुदाय का निर्माण किया जाय। मसलर के सभी देशों के निवासियों के बीच सांस्कृतिक, वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि सम्बन्धों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास करने उनको एक दूसरे के निकट लाया जा सकता है। इन प्रयत्नों द्वारा लोगों में यह भावना पैदा कर दी जाय कि मसलर के किसी भी देश का निवासी उसका अपना भाई है, वह उसका समुनेष्टु है तथा उसको ओर से किसी को किसी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिये। इस प्रकार राष्ट्रीयता की दीवार को तोड़कर अन्तर्राष्ट्रीयता का प्रचार किया जाय। राष्ट्रीय अभिमान, गर्व एवं अहंकार को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान में परिवर्तित कर दिया जाय। ऐसा हो जाने के बाद विश्व सरकार की स्थापना सहज हो जायेगी तथा स्थापित होने के बाद विश्व सरकार का सफल संचालन भी

सम्भव हो सकेगा। विश्व जनमत को राष्ट्रियता को संकुचित प्राचीरो से निकाल कर विश्व के खुले प्राण में ला सडा क्रिया जाये तो विश्व सरकार स्वन ही स्थापित हो जायेगी। इस प्रकार निम्न विश्व सरकार लोगो पर लायी नही जायेगी, उममे शक्ति एव हिमा का प्रयोग नही क्रिया जायगा वरन् प्रेम, सहयोग, सद्भान, नैतिकता आदि गुणो पर उने आश्रित रक्षा जायगा।

विश्व समुदाय का निर्माण करने में सयुक्त राष्ट्रसघ का शैक्षणिक, वैज्ञानिक एव सांस्कृतिक सगठन (UNESCO) तथा अन्य विशेष सगठन महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यूनेस्को (UNESCO) का दशन इस मान्यता पर आधारित है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के निर्माण के लिए तथा शांति को बनाये रखने के लिये शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा विभिन्न राष्ट्रों के सदस्यों के बीच परस्पर सम्बन्ध बढाने वाली सभी क्रियाओं का बडा महत्व है जो कि एक दूसरे को समझने में सहायता करती हैं। इस मान्यता में यह कल्पना निहित है कि राष्ट्र इस कारण राष्ट्रीय होते हैं तथा युद्ध में भाग लेते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते और क्योंकि वे शिक्षा और सस्कृति के विभिन्न स्तरो पर काम करते हैं। कुछ विचारकों के मतानुसार ये दोनो ही मान्यताएँ गूटिपूर्ण एव अस्य हैं। शिक्षा और सस्कृति की मात्रा एव गुण विश्व-समुदाय के प्रश्न में कोई सम्बन्ध नही रखता है। मार्गोन्वो के शब्दों में विश्व समुदाय नैतिक निर्णयो एव राजनैतिक कार्यों का समुदाय होता है न कि बौद्धिक अनुदान एव सौन्दर्यात्मक प्रशंसाओं का। इस प्रकार यूनेस्को द्वारा किए गए कार्यों का विश्व समुदाय की दृष्टि से कोई महत्व नही है। सयुक्त राष्ट्रसघ के अथ विश्व अभिकरण जो विश्व के आर्थिक एव सामाजिक उद्योग व लिये प्रयास करने हैं, भी विश्व समुदाय के निर्माण में कुछ सहायक बन सकते हैं। ये अभिकरण राष्ट्रीय सीमाओं को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीयता को भावना को विकसित करते हैं। प्राफेसर मित्रानी (Professor Mitrany) का मत है कि विश्व समुदाय केवल तभी सिद्धित हा सत्ता है जबकि ससार के विभिन्न देशो के सदस्यों की सामान्य आवश्यकताएँ मनुकुट हो जायेंगी।

विश्व सरकार की मान्यता की आलोचना (Criticism of World Government's Concept)

विश्व सरकार की मान्यता की कई दृष्टियों से आलोचना की जाती है। यह अत्यावहारिक है तथा इसे क्रियान्वित नडा क्रिया जा सक्ता आदि बाने कहकर इसे अयथाव एव बेवड विचार विमो का विषय ही बताया

जाता है। यह दार्शनिकों की आदिमोक्ति कल्पना की भाँति सुन्दर एवं आशाजनक है किन्तु वास्तविक जगत में इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि इसके मार्ग में दुर्जन, बाधाएँ जन्मी हैं जिन्हें अमम्भव मानना पड़ता है। राष्ट्रवाद, मध्यमता, प्रतियोगी दृष्टिकोण, आर्थिक प्रतिद्वन्द्व आदि कुछ प्रमुख एवं गौण तंत्रों व कारणों जो सफल, सुख और विज्ञान की स्थिति पैदा हो जाते हैं उनका कारण ही विश्व सरकार की आवश्यकता एवं उपयोगिता है किन्तु ये तत्त्व विश्व सरकार के मार्ग की बाधाएँ भी हैं। यदि इन बाधाओं को दूर कर दिया जाय तो विश्व सरकार को कोई आवश्यकता नहीं रहती और यदि उन्हें रूढ़ रखा जाय तो विश्व सरकार बन नहीं सकती और यदि इन तीनों में से कोई एक अथवा दो अथवा तीनों को दूर नहीं कर सकती। इस प्रकार विश्व सरकार की सम्भवता का व्यावहारिक दृष्टि में आलोचनायें की जाती हैं।

संश्लेषित दृष्टि में विश्व सरकार की सम्भवता की आलोचना करने हुए अनेक विचारक यह स्पष्ट करते हैं कि विश्व सरकार अनात्मक है। यह तीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जायेगी वे स्वयं प्राप्त नहीं किये जा सकते। यह विश्व की शान्ति, सुरक्षा एवं सम्भावनापूर्ण वातावरण प्रदान नहीं कर सकती। दूसरे ओर यदि विश्व सरकार की स्थापना किसी प्रकार कर दी गई तो यह विश्व को विनाश की उम्र स्थिति में लाकर खड़ा कर देगी अर्थात् उसे अपने बचाव के साधन हूट सकता भी अमम्भव बन जायेगा।

व्यावहारिक एवं संश्लेषित दोनों आचारों पर विश्व सरकार की जो आलोचना की जाती है उनमें से मुख्य-मुख्य निम्नलिखित हैं—

(१) धार्मिक विश्वास द्वारा विश्व सरकार की रचना में विरोध करने वाले विचारक समुक्त राष्ट्रवाद की विश्व सरकार का प्रारम्भिक रूप बन्द देने हैं किन्तु यह कहना गलत है। समुक्त राष्ट्रवाद राज्या का एक साधन (Instrument) मात्र है, इसमें अधिक यह कुछ नहीं है। इस बयान को स्पष्ट करने के लिए सुरक्षा परिषद् के प्रतिरोध (Deadlocks) एवं महासभा (General Assembly) के एक महत्वपूर्ण विभाग के रूप में उद्देश्य को लिखा जा सकता है। महासभा केवल त्रिपक्षीय कर सकती है, उनको कार्य रूप में परिष्कृत करता राज्या की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इसी प्रकार सुरक्षा परिषद् में विनियम धरिष्कार (Veto power) के प्रयोग न भी यह सिद्ध कर दिया है कि राष्ट्रवाद का प्रयोग सभी गण्टों द्वारा अपने राष्ट्रीय हित की साधना के लिए किया जाता है।

(२) विश्व-व्यापी सांस्कृतिक एवं राजनीतिक मिश्रताओं को देखते हुए तथा धर्मों को सम करने की दृष्टि से विश्व सरकार के सम्पर्क हों

एकात्मक के स्थान पर सघात्मक स्वरूप देना अधिक पसन्द करते हैं। किन्तु ऐसा करते समय वे उन सब कठिनाइयों को भुला देते हैं जो कि एक सघात्मक ढाँचे के निर्माण एवं स्थापित्व के मार्ग में स्वाभाविक रूप से आ सकती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्विट्जरलैण्ड और संयुक्त राज्य अमरीका आदि स्थानों पर सघ के निर्माण से सम्बन्धित उदाहरणों को देखने के बाद, यह कहा जाता है कि एक सघ के निर्माण से पूर्व समान हितों वाले समुदाय की आवश्यकता होती है जिसके अनीत को जड़ें दीर्घकालीन इतिहास में निहित हों। सघ निर्माण प्रक्रिया पर बाहरी दबाव भी पड़ते हैं। सघ बन जाने पर 'इकाइया प्रघात होगी अथवा केन्द्र'—इस प्रश्न को लेकर हिनात्मक साधनों का उपयोग भी किया जा सकता है।

(३) अनेक विचारकों द्वारा यह माना जाता है कि विश्व सरकार युद्धों के रूप को बदल सकती है, वह उनको राष्ट्रीय युद्धों के स्थान पर गृह युद्ध बना सकती है, किन्तु पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकती। इसी प्रकार दो राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करके यह आशा की जाती है कि वे एक दूसरे को समझने तथा उनमें धातृत्व एवं मैत्री के भाव पैदा होंगे। सिद्धान्त रूप में हम कुछ भी सोचने को स्वतन्त्र हैं किन्तु, व्यवहार में अशास्य प्रतीत नहीं होती। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में पाश्चात्य राँक एण्ड रॉन नृत्य एवं अन्य सभ्यता के प्रतीकों को भोटे प्रदर्शन एवं वासनायुक्त उत्तेजक क्रियायें समझा जाता है। वहाँ के रहन-सहन, वेष भूषा, आचार-विचार को देख कर पहले तो कुनूडल होता है किन्तु बाद में घृणा के भाव उभर आते हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक अन्तर्विरोध के कारण राष्ट्रों के बीच अविश्वास एवं घृणा पैदा हो जाती है जो कि विश्व सरकार के तलने को पलटने में सहय बन जायेगी।

(४) विश्व सरकार के लिए अनेक संवैधानिक सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं। इन सबका अगना महत्व है तथा ये निस्संदेह विश्व सरकार को रचना में सहयोग प्रदान कर सकते हैं किन्तु ऐसे राज्यों में अंतरा संविधान से पैदा नहीं होगा वरन् उन लोगों से पैदा होगा जो आजाकी से या शक्ति द्वारा इसे एक तरफ रख कर सारी शक्ति अपने हाथ में ले सकते हैं।

(५) विश्व सरकार को सबसे अधिक आज्ञाचना यह की जाती है कि उसमें गृह युद्धों को बड़ावा मियेगा। आज की राष्ट्रीय व्यवस्था में अधिकांश राष्ट्र शान्तिप्रिय होते हैं। आक्रमणकारी राष्ट्र तुलनात्मक रूप से बहुत कम हैं। आक्रमणकारी राज्य के पास सम्प्रभु दासित रहने के कारण उसे निर्णय लेने में सुविधा रहती है। किन्तु कोई भी राज्य तब तक युद्ध नहीं छड़ सकता जब तक कि सामान्य जनता का सहय गठने काय न

हों। इस सहयोग का अर्थ है जनता को सम्प्रभुता। विश्व राज्य स्थापित हो जाने के बाद भी कोई जन-समूह बिना किसी सम्प्रभु शक्ति के चाहे तो, कुछ घेड़ सकता है।

(६) गृहयुद्ध के खतरे को टालने के लिए समस्त सैनिक शक्ति का विश्व सेना के रूप में केंद्रीकरण करना होगा। एक विश्व सय जिसमें वर्तमान राष्ट्रीय सेनाएँ जो भी र्यों बनी रहें, एक स्वविरोधी बात होगी। यदि मन्त्रों के पास हथियार रहें तो सभी उनका प्रयोग कर सकते हैं, यदि किसी के पास हथियार न रहें तो भी वे केवल हाथों से लड़ सकते हैं। यही कारण है कि विभिन्न विचारकों द्वारा विश्व सेना का सुझाव दिया जाता है जिसमें सारी सैनिक शक्ति का एकाधिकार होगा किन्तु यह सुझाव भी खटरे से खाली नहीं है।

(७) विश्व सरकार का विश्व तानाशाही में परिवर्तित होने का खतरा सर्वद्वय बना रहता है। शक्ति की सातगु रखने वाले अथवा दुनिया के मनमुटावों को दूर करने का प्रयास करने वाले आदर्शवादी दोनों ही प्रकार के व्यक्ति दुनिया को नियन्त्रित करना चाहेंगे। चाहे उद्देश्य अच्छा ही अथवा बुरा, विश्व को नियन्त्रित करने के लिए सेना पर नियन्त्रण करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए घोषा, चालबाजी या शक्ति के प्रयोग का सहारा लिया जायेगा। चाहे चालबाजी से या स्वतन्त्र-जित गृह-युद्ध में यदि एक समुदाय द्वारा दूसरे पर अधिकार कर लिया गया तो विश्व ज्यो तानाशाही का जन्म हो जायेगा। यदि उन तानाशाह द्वारा समस्त बिनाशकारी हथियारों पर अधिकार कर लिया गया तो उसके विरुद्ध शक्ति का भविष्य भी धुंधला पड़ जायेगा। इस प्रकार विश्व सरकार जित लक्ष्य को सामने रख कर बनाई गई, वह तो गुरा हो ही न सके उन्हे शक्ति और स्वतन्त्रता भी दीर्घकाल के लिए विश्व का दामन छोड़ कर बली जायेगी।

उन आलोचनाओं के मध्यमन के बाद ऐसा लगता है कि विश्व सरकार पर विचार करना समय को एक व्यर्थ तथा प्रभावहीन कार्य म मण्ड करना है इनसे अधिक कुछ नहीं। किन्तु यह आनास भी एकागो है। यह सब है कि यदि विश्व सरकार बना दी गई तो उसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे किन्तु यह भी सब है कि एकाकीयन की नीति (Unilateralism) भी खतरे से खाली नहीं। यही कारण है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से ही इन दोनों अतियों (Extremes) के बीच का मार्ग खोजने का प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अब तक विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं जैसे 'एक सशोध राज्य के रूप में प्रजातन्त्रों का सप' जो कि एक विचार या सम्भावना बन कर ही

रह गया। दूसरा गुंजाव था नाटो (NATO) का जिसे त्रियान्वित कर लिया गया है। इस प्रकार के गुंजावो को क्षेत्रीय सन्धि (Regional alliances) भी कहा जा सकता है। इस प्रकार की सन्धियों में बड़े राष्ट्र अपने झगड़ों का निपटारा सन्धिपूर्ण साधनों द्वारा कर लेते हैं इस प्रकार ये सन्धियाँ क्षेत्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रतीक मानी जा सकती हैं।

वर्तमान काल में कुछ अथवा गुंजाव भी दिये जाते हैं जिनको न तो क्षेत्रीय संगठन कहा जा सकता है और न ही क्षेत्रीय सन्धियाँ ही। इनकी इन दोनों ही श्रेणियों से अलग माना जायगा। इस प्रकार के गुंजाव मुख्यतः निम्न हैं—

- (१) योरोप का कोयला एवं फीरद समुदाय या शुमेन योजना
(European Coal and Steel Community or Schuman Plan)
- (२) योरोप का सामान्य बाजार
(European Common Market)
- (३) योरोप का अणु अधिकार
(European Atomic Authority)
- (४) योरोप का सुरक्षा समुदाय
(European Defence Community)
- (५) योरोप का राजनीतिक समुदाय
(European Political Community), आदि।

उक्त गुंजावों में न अस्त्रियोग को न त्रियान्वित भी कर दिया गया है। इन गुंजावों की स्वीकार करने के मार्ग में भी प्रायः वही बाधाएँ हैं जो कि राष्ट्रवाद से प्रभावित युग में विश्व सन्धार के समर्थकों का मार्ग अवरुद्ध करती हैं। जहाँ सन्धि एवं राजनीतिक एकिकरण का प्रश्न आता है वहाँ ये बाधाएँ अपना प्रभाव दिखाने लग जाती हैं।

निःशस्त्रीकरण (Disarmament)

विश्व की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शस्त्रों की होड़ पर रोक लगाना एक बड़ा महत्वपूर्ण काम बन गया है जिसमें देरी नहीं की जा सकती। अणु शक्ति से पूर्ण सैनिक तैयारियों का बीच मनुष्य यदि मानव सभ्यता के विकास को रोकना चाहता है तो उसे कुछ करना पड़ेगा। शस्त्रों को जहाँ मनुष्य की हिंसा बल की अभिव्यक्ति माना जाता है वहाँ उनको युद्ध का उत्तम भी कहा जा सकता है। ये हिंसा का प्रतीक हैं और जिसी भी

व्यक्ति या समाज की हितों में पूर्ण प्रवृत्तियों को देखे - नी भी उभरना लगते हैं। कई बार अनुभव किया गया है कि जब व्यक्ति के हाथ में कोई छड़ी रहती है, तो वह लगातार छड़ी पर प्रयोग करने की लातना करने लगता है। जन्तुराष्ट्रीय समाज में जब एक देश द्वारा सत्प्रोत्थरण की नीति पर जमल दिया जाता है तो उधेता प्रभाव उठने पड़ोसी अथवा दूरस्थ राष्ट्रों पर भी पड़े बिना नहीं रह पाता क्योंकि यह नीति अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा एवं विकास के लिए एक मजद का कारण बन जाती है। परिणामस्वरूप इन देशों की नीति में परिवर्तन आता है और वे भी राष्ट्रों की शीट में उतर आते हैं ताकि वे दूसरों से पीछे न रह जायें। इस शीट की प्रतिनिधिता होनी है और राष्ट्रों के निर्माण को उस सीमा पर लाकर खड़ा कर देनी है जहाँ एक देश की समस्त विकास योजनाएँ एवं नागरिक नीतियाँ अगम्य हो जायें। इस प्रकार सत्प्रोत्थरण की नीति का विरुद्ध पर पड़ने वाला प्रभाव बड़ा ही भयानक है। इस नीति के कारण विश्व के राष्ट्रों के बीच भय, संदेह और प्रतिस्पर्धा की भावनाएँ बढ़ती हैं। एक देश की अर्थ-प्रवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है क्योंकि उसे अपने बजट का अविशाल भाग सैनिक लेवारियों पर खर्च करना पड़ता है। देश का जीवन स्तर गिर जाता है। सम्पत्ता और सत्कृति के विकास का मार्ग बन्द हो जाता है।

राष्ट्रों की शीट में भाग लेने वाले सरकार को अपनी लोकप्रियता को जाने का भय पैदा हो जाता है और नागरिकों को दूर रखने एवं अपनी नीतियों का अधिकतम विस्तार करने के लिए वह येन-केन-प्रकारेण किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध व्यक्ति या अनुचित हितों भी कारण पर करने देश को युद्ध की भाग में लाने देती है ताकि जनता को वह दिखा सके कि यदि उसने देश का पेट काट कर इन विध्वंसकारी सत्प्रोत्थरण का निर्माण न किया होता तो देश का स्वतंत्रता और सुरक्षा पर कितने बुरा प्रभाव पड़े होता, और इस प्रकार सत्प्रोत्थरण को जोर देने वाली सरकार अपनी सूख-सूख एवं दुरदशा का प्रभाव जमाने का भय पर आधुनिक बन लेगी। इन सभी विषयों एवं प्रतिस्पर्धाओं पर विचार करने के बाद शक्ति, मानवत्व एवं सद्बोधपूर्ण नीति के समर्थक अन्तराष्ट्रीय राजनीति के विचारक निःसत्प्रोत्थरण पर जोर देते हुए इसे वर्तमान युग का सबसे बड़ा आविष्कार बताते हैं।

निःसत्प्रोत्थरण की नीति का व्यापारिक, नैतिक, बौद्धिक एवं राजनीतिक आदि अनेक दृष्टिकोणों से समर्थन किया जाता है। बौद्धिक आधार पर इस नीति का समर्थन करने में व्यापारी वर्ग का योग महत्वपूर्ण है। वे युद्ध को अन्तराष्ट्रीय व्यापार एवं अर्थ-प्रवस्था के हितों के विपरीत मानते हैं। उनको सत्प्रोत्थरण द्वारा जारी किये विभिन्न देशों के बीच युद्ध होने में सभी

को नुकसान रहता है। यह व्यापारियों के भाग्य चक्र के लिए राष्ट्र के समान है तथा उनके स्वार्थों को यह हीन बना जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं राजनैतिक विचारक कांत (Kant) के मतानुसार युद्ध के समय व्यापारिक उत्साह नाश नहीं रह सकता। इन अनेक कारणों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की निम्नलिखित एक धरानकतावादी प्रवृत्तियों पर सीमा लगाने का समयन किया जाता है। इस प्रकार की सीमाएं लगा कर शांति प्राप्त करने के माध्यमों में सबसे स्थायी प्रभावपूर्ण एवं निश्चित साधन निर्गमनीकरण का मादा जाता है। यह एक सर्वविधित तथ्य है कि वर्तमान विद्वान अनेक समस्याओं एवं संधियों से पूर्ण है जो कि अनेक कारणों एवं शक्तों से पैदा होता है।

विश्व राजनीति की समस्याएं और उनके स्रोत

(The Problems of World Politics and their Sources)

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच व्यापार, वाणिज्य, सम्मान स्तर प्रभाव एवं विचारधारा की सातह अनेक संधय होत रहते हैं। यह के मदान में स्थिति सम्मान एवं शक्ति की प्राप्ति के लिए जानबूझ कर किए जाने वाले प्रयास अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों में बहुत मिल जाते हैं। प्रति दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों में स्थायी एवं शांति का रहना काइ स्वाभाविक विषयवा नहीं है। राष्ट्रों के बीच स्थित प्रतिस्पर्धा द्वारा एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है जिसके आगे शांति नष्ट हो जाएगा। सैद्धांतिक दृष्टि से शांति की समी पूर्ण आवश्यकतायें हैं पर हान के बाद भी शांति का रहना जल्द नहीं है। राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा उनक स्वतंत्र एवं सम्पूर्ण स्वरूप के कारण आवश्यक बना रहती।

शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों का अध्ययन इस प्रतिस्पर्धा को दूर नहीं करता। इसके द्वारा संधय का युद्ध के द्वारा सुरुआत के प्रयासों पर राक लगाद जाती है और यह प्रयास किया जाता है कि युद्ध को राष्ट्र शांति का एक साधन न रहने दिया जाये। इस अध्ययन के द्वारा संधय का समाप्त करने का प्रयास किया जाता है उसकी दवान का नहीं क्योंकि असनुष्ट सफलता में विवाद के कारण बन जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थित संधय को युद्ध के रूप में दकर प्रत्येक राष्ट्र का सम्भावित सन्तान प्रदान करके शांतिदारा विचारधारा युद्ध का अनादपक बनाने का प्रयास करता है।

अंतर्राष्ट्रीय संधय एवं प्रतिस्पर्धा के रूप समय के विशाल एवं परिवर्तित्वरक अंतुसार बदलत रहते हैं। इसी प्रकार संधय को दूर करने के लिए एक युग में जो प्रयास किए जाते हैं वे भी अगले युग में उपयोगी नहीं रहते। विश्व युग में भौगोलिक क्षेत्र की जा रही थी तथा नये वाजारों के

लिए प्रतियोगिता हो रही थी उस समय शांतिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की स्थापना के लिए एक विशेष व्यवस्था की आवश्यकता थी किन्तु तीव्र गति से होने वाले औद्योगिक विकास के युग में अन्य प्रकार की व्यवस्था जल्दी है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का रूप एवं बनावट उन प्रतियोगिता की प्रवृत्ति के अनुरूप होना चाहिए जिसे कि विनियमित किया जाना है। एक युग में जिस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा सघर्ष को दबाया जाता था वह दूसरे युग में सघर्ष को बढ़ाने का कारण बन सकता है। कहा यह जाता है कि एक समय शक्ति सन्तुलन स्थायित्व की रचना के प्रभावशील साधन के रूप में अत्यन्त महत्वपूर्ण था किन्तु आज की विचारधारागत प्रतियोगिता तथा अणुयुग के सतरे में यह महत्वहीन बन गया है।

इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का संगठन एवं नियंत्रण समय के राजनीतिक विचारों एवं सामाजिक मूल्यों से मिलता हुआ होना चाहिए। पहले जब युद्धों में जान-माल की हानि अधिक नहीं होती थी तब अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों को सामान्य रूप से स्वामाविक सस्या माना जाता था। किन्तु अब से युद्ध की प्रवृत्ति बदली है तब से नए मूल्यों का विकास हुआ है और युद्ध को सर्वमान्य रूप से धरा बताया जाता है। अणु शस्त्रों ने युद्ध को राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में न केवल अवाञ्छनीय बना दिया है बल्कि अत्यावहारिक भी बना दिया है। यद्यपि प्रतियोगिता और सघर्ष अब भी अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की एक विशेषता है किन्तु युद्ध सघर्षों को सुन्दराने के लिए अत्यावहारिक बन गया है। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की नई प्रक्रिया एवं नया रूप जरूरी है। अतीत काल से जो विरासत के रूप में लिया गया है वह बीसवीं शताब्दी की राष्ट्रीय नीतियाँ एवं अन्तर्राष्ट्रीय रचना के लिए अनुपयुक्त है।

आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सघर्ष देखने को मिलता है उसके पीछे अनेक कारण कार्य करते हैं। इसका पहला कारण यह है कि परिवर्तन और अस्थायित्व के बीच घोर सघर्ष रहता है। राज्यों में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन के लिए भाग को जाती है। किन्तु यथास्थिति चाहने वाले इस भाग का विरोध करते हैं।

सघर्ष का दूसरा रूप सीमाओं के ऊपर झगड़े हैं। सघर्ष का यह रूप अत्यन्त प्राचीन है और बीसवीं शताब्दी तक इसका बहुत प्रभाव रहा। नई सोवियत रूसी शक्ति पर दावा करना, उपनिवेश की भूमियों को प्राप्त करने के ऊपर सघर्ष करना, आदि सघर्ष के सामान्य कारण थे। रुढ़िवादी शक्ति के अनुसार न्याय वही है जो कि कानून है और कानून का अर्थ वह है जो कि

सामान्यतः स्वीकृत है। किन्तु दूसरी ओर श्रातिशारी शक्ति के मतानुसार वर्तमान स्थिति अन्यायपूर्ण है और आवश्यकता पड़े तो उसे शक्ति के साथ बदला जाना चाहिए। इन दोनों स्थितियों के बीच समझौता होना बड़ा मुश्किल है। इस आधार पर विश्व में अनेक झगड़े होते रहते हैं। सन् १९५६ में जब स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया तो ब्रिटेन तथा फ्रांस ने कानूनी दृष्टिकोण अपनाए तथा वस्तुस्थिति को बनाये रखने की बात कही। किन्तु मिस्र ने अन्य कानूनी दृष्टिकोण अपनाया जो कि उसके सम्प्रभुता के अधिकार पर आधारित था। सीमा सम्बन्धी झगड़े सघर्ष का पुरातन रूप हैं। सीमा सम्बन्धी झगड़े जब तक सम्बन्धित सरकारों की सम्प्रभुता के अनुसार मान्य एवं स्थापित नहीं हो जाते तब तक वे सघर्ष के स्रोत बने रहते हैं। बीसवीं शताब्दी में स्वतंत्र राष्ट्रों की हर जगह निरन्तर स्थापना होती जा रही है तथा उनकी सम्प्रभुता को मान्यता दी जाती है। पहले विदेशियों को शोषण का अधिकार था किन्तु अब स्वदेशियों को सम्प्रभुता का अधिकार है और ऐसी स्थिति में यह आशा की जाती है कि सघर्ष का यह रूप अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का कम से कम महत्वपूर्ण स्रोत बनता जाएगा।

आर्थिक रुकावट को अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का तीसरा कारण माना जाता है। आर्थिक रुकावट उन लोगों के ऊपर डाली जाती है जो कि एक महत्वपूर्ण रणनीति की स्थिति में युक्त होते हैं। वैसे आर्थिक प्रतिरोध प्रायः अशान्तिजनकता पर क्रिया करता है किन्तु अनेक ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र भी होते हैं जो कि दूसरे राष्ट्रों द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों को मानने की प्रवृत्ति रखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ने इस कथन के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस काल के लेखों में जो राजनैतिक सघर्षों से सम्बन्ध रखते हैं, आर्थिक प्रतिबन्धों, उनके कारणों तथा राजनैतिक प्रमाणों पर बहुत जोर दिया गया है। सन् १९३० के पूर्व अनेक व्यापारिक राष्ट्रों ने जापान के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगा दिये, क्योंकि एक तो उनका महा आर्थिक मन्दी की स्थिति थी और दूसरे वे बढ़ती हुई जापानी प्रतियोगिता का मुकाबला करना चाहते थे। जब जापान को उपयुक्त माल और व्यापार नहीं मिले तो उसने शक्ति के साधन को अपनाया। यदि जापान अपने जीवन स्तर को सुधारना चाहता था तो उसे उन प्रदेशों को अपने कब्जे में करना चाहिए जहाँ उस बच्चा माल मिलता है या मात्र की सपत होती है।

अनेक देशों की गरीबी और उस गरीबी के विषय लड़ाई अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष का चौथा कारण है। एक दस की गरीबी और निम्नतर विकास का कारण उसका इतिहास एवं प्राकृतिक साधन है। इन स्थितियों को आज भी

कोई देश पुनर्जाप सहज नहीं करता क्योंकि वह दूसरों की उच्च आमदनी से परिचित हो जाना है और उन साधनों को जान लेता है जिससे कि वह स्वयं की आय को बढ़ा लेता। एसी स्थिति में साम्राज्यवादी चिन्तन के विरुद्ध श्रान्ति की जाती है और उन सामन्तवादी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है जो कि यहाँ निम्न जीवन स्तर के कारण बने। निम्न जीवन स्तर के उद्धार के लिए स्वयंसेवा की माग जोर पकड़नी है। जब स्वयंसेवा प्राप्त करने के बाद अधिक फायदा नहीं होता तो उस राजनैतिक एवं आर्थिक व्यवस्था को चुनौती दी जाती है जो कि साम्राज्यवादी चिन्तन से विरासत में प्राप्त हुई है।

समर्थ का पाचववाँ कारण तब उत्पन्न होता है जब कि बाजार की दशाओं को परिवर्तित किया जाता है। अनेक देश यद्यपि उच्च जीवन स्तर से सम्पन्न होते हैं किन्तु फिर भी वे एक या कुछ चीजों के उत्पादन पर ही निर्भर रहते हैं और ऐसी स्थिति में यदि उस वस्तु के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया तो वह देश विरुद्ध हो जाएगा। कुछ देश मुख्यतः रबर के उत्पादन पर निर्भर होते हैं, अन्य देश कपास के उत्पादन पर निर्भर होते हैं। यदि इन चीजों का विकल्प ढूँढ कर रख दिया जाए तो इन देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय समर्थ का छठा स्तंभ विचारधारागत—समर्थ—है। इसके अनुसार एक देश कुछ विचारों एवं समस्याओं को अपने देश में संगठित करने का प्रयास करता है और उसके बाद उन्हें अन्य देशों में भी फैलाना चाहता है। बीसवीं शताब्दी के पूर्व भी विचारधारा का अस्तित्व था किन्तु उस समय वह समर्थ का कारण नहीं थी। पुनर्जाति के युग में तथा प्रारम्भिक श्रान्ति और वैज्ञानिक युग के युग धार्मिक तथा विचारधारागत अन्तर महत्वपूर्ण थे, किन्तु वे निर्माण नहीं थे। इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री श्री नेहरू का यह कथन महत्वपूर्ण है कि इतिहास के प्रमाण इस बात का समर्थन नहीं करते कि विचारधारागत विचारधाराओं के बीच का समर्थ अन्तर्राष्ट्रीय समर्थ का मुख्य स्रोत रहा है। मात्र भी विचारधारागत पहलू हमारे विभाजित विश्व का कारण होने की अपेक्षा साधन अधिक है। इस मत में चाहे कितनी भी सत्यता हो किन्तु इतना अवश्य है कि जब साम्यवाद की औद्योगिक एवं नैतिक क्षमता बढ़ गई तो उसने विचारधारागत अन्तरो को हल्का कर दिया जो कि पहले समर्थ के मूल स्रोत प्रतीत होते थे। मन् १९५६ में एच. एल. राबर्ट्स (H. L. Roberts) ने कहा था कि प्रायः यह कहा जाता है कि यदि सोवियत संघ को समाप्त होगा है जयदा विश्व साम्राज्य के प्रति दिक को परिवर्तित करना है तो हमें अभी भी अनेक उन समस्याओं को मुँहना है

जिनको कि सोवियत घमकी का पहलू माना जाता है। हम यह नहीं कह सकते कि साम्यवाद के अभाव में अमरीका के लिए सोवियत रुस की चुनौती की प्रकृति क्या होगी किंतु यह सोचना अबुद्धिपूर्ण नहीं है कि यह चुनौती हम के नए औद्योगिक स्तर पर आधारित होगी।

विचारधारा का महत्त्व सम्भवतः कम नहीं होगा क्योंकि जो भी आज तक प्रगति हुई है उसके बीच वे आर्थिक और सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं जिनका आधार उन अध्यापकों एवं समन्वयकर्ताओं की क्रियाएँ हैं जो कि सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था, प्राथमिकता एवं अभिनायों में बिल्टे हुए हैं। यह सब कुछ विचारधारा की पृष्ठभूमि में हुआ जिसके बिना औद्योगिक प्रगति हो ही नहीं सकती थी। इसके अतिरिक्त साम्यवाद की राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याएँ दुनिया के पिछड़े हुए लोगों से सम्बन्ध रखती हैं। ऐसी स्थिति में यह निश्चय करना कठिन है कि भ्रान्तिकारी शक्तियों का अन्य देशों पर जितना असर होगा। सोवियत सभ के नेता बड़े विकसित देशों में तीव्र गति से विकास लाने की बात कहते हैं। वे विचारधारा को अपनी प्राप्ति से सम्बन्धित कर देते हैं और अपनी प्राप्ति के आधार पर विचारधारा को प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। मास्को की एक प्रसिद्ध पत्रिका (International Affairs) में कहा गया था कि अमरीकी तथा अन्य एकाधिकारीवादी व्यवस्थाएँ पूर्वी देशों द्वारा आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अपनाएँ जान वाले क्रान्तिकारी तरीके से बहकाते हैं। वे बड़े विकसित देशों को एक सताव्दी तक प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं जबकि पश्चिम की सहायता से ये देश आर्थिक प्रगति के फल प्राप्त सकेंगे। किन्तु इन देशों के लोग प्रतिक्षा नहीं करना चाहते। वैसे तो पश्चिम भी इन तथ्यों से अनभिज्ञ नहीं है और कई बार सयवन राज्य अमरीका की कार्रवाई में यह माना गया है कि कम विकसित देश प्रतीक्षा नहीं करेंगे वे अपनी आर्थिक शक्ति अभी चाहते हैं तथा उसके फल को दो सताव्दीयों की अपेक्षा दो दशकियों में ही प्राप्त करना चाहते हैं।

बीसवीं सताव्दी के उत्तरार्द्ध का अन्तर्राष्ट्रीय संपर्क मुख्य रूप से बड़े विकसित देशों से सम्बन्धित है। इन क्षेत्रों में अधिकांश देश पहले पश्चिमी प्रभाव में थे किन्तु अब अपनी आर्थिक समस्याओं को जल्दी सुलझाने की फिशा में साम्यवाद की ओर आकर्षित हो गये हैं। इन क्षेत्रों में महाशक्तियों के बीच स्थित सम्बन्ध उस विशेष क्षेत्र की अपेक्षित सैनिक एवं राजनैतिक शक्ति पर निर्भर करते हैं। कहीं-कहीं पर विरोधी शक्तियों के सैनिक अड्डे स्थापित हो गये हैं और कहीं क्षेत्रीय सैनिक संधियाँ कर ली गई हैं ताकि विरोधी शक्ति द्वारा आक्रमण किये जाने पर उसका मुकाबला

निचा जा सके। अन्वेषण एवं सुगन्धा के लिए अपनाए जाने वाले हथियार हैं—मैत्रिक तथा आर्थिक सहायता, प्रचार और राजद्रोह, तथा सरकार उलटने व अशांति फैलाने की अन्य तकनीकें। यह कहा जाता है कि इन सम्बन्धों में महाशक्तियों के बीच जो प्रतिपोगिता हो रही है वह सबसे अधिक खतरनाक है।

महाशक्तियों के इस सघर्ष से सम्बन्धित विकासशील देश प्रायः असह्यता की नीति अपनाते हैं। यह मूलतः इसलिए होता है क्योंकि वे अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की मूल समस्याओं में ही लगे रहते हैं। साथ ही नई शक्तियों के रूप में वे अपने आपको महाशक्तियों के इस सघर्ष से दूर ही रखना चाहते हैं। कुछ विकासशील देशों ने अपने आपको सैनिक सन्धियों का सदस्य बना लिया है क्योंकि उनके ऐतिहासिक बन्धन ये और धर भी वे उन महाशक्ति के साथ इन ऐतिहासिक बन्धनों को बनाये रखना चाहते हैं अथवा अरने कट्टे ऐतिहासिक अनुभवों के कारण एक शक्ति का विरोध करके दूसरे पक्ष में मिलना चाहते हैं। जहाँ तक साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के विरोध तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति का प्रश्न है, वहाँ तक इन देशों की भावनाएँ एक जैसी हैं किन्तु इसके अतिरिक्त इनकी स्वामिभक्ति विभाजित हो जाती है। प्रारम्भ में असह्यता की नीति के प्रति दोनों शक्ति गुटों का एक अनुकूल नहीं था क्योंकि पश्चिमी शक्तिवा इसको अनैतिक मानती थी तथा साम्यवादी देश इसको छिपा हुआ पूँजीवादी कहते थे। किन्तु १९५६ के एशियाई-अफ्रीकी देशों के वाण्य सम्मेलन के बाद से स्थिति में सुधार आ गया। अब दोनों ही गुट इसी नीति का आदर करते हैं।

सन् १९६० में सनेक नये अफ्रीकी राज्यों का जन्म हुआ और उन समय के बाद महाशक्तियों के सघर्ष में भारी परिवर्तन आ गया। अब असह्यता राष्ट्रों को एक तीसरा गुट माना जाने लगा। किन्तु असल में इस नीति को मानने वाले देशों के बीच पर्याप्त एकता एवं सहयोग नहीं था। स्वतन्त्रता एवं साम्राज्यवाद के बारे में कुछ एक जैसे विचार होने के अतिरिक्त उनके बीच मंत्रों की अन्य कोई कड़ी नहीं थी। उनका अन्तिम तथा महत्व इसलिए था क्योंकि वही शक्तियाँ इनके अस्तित्व को उपयोगी मानती थीं। अणु शस्त्रों का विकास होने के बाद यह आवश्यक समझा जाने लगा कि महाशक्तियों के बीच जिन प्रश्नों पर भारी मतभेद है उनको बातों द्वारा सुझाने लिये जाये। सन् १९६१ के प्रारम्भ में लाओस की आन्तरिक समस्या को सुझाने के लिए वहाँ तटस्थ सरकार की स्थापना की गई और इसे दोनों ही महाशक्तियों द्वारा स्वीकार किया गया। इस प्रकार

दोनों गुटों ने अरने दृष्टिकोण को नरम किया तथा बीच के मार्ग को अपनाते का प्रयास किया ।

विचारधारागत सघर्ष के परिणामस्वरूप उत्पन्न समस्याओं को पश्चिमी देश पर्याप्त गम्भीरतापूर्वक लेते हैं । उनके विचार से यह सघर्ष एक आक्रमण से अधिक घातक है तथा केवल ध्वापारिक एवं शून्य परम्परागत हितों पर ही आघात करता हो एसी बात नहीं है । यहाँ समस्या केवल यथा-स्थिति को बनाये रखना ही नहीं है । आज जो यथास्थिति में परिवर्तन किया गया है वह ऐसा नहीं है जैसा कि परम्परागत अर्थ में माना जाता है । सीमाओं, सेनाओं एवं शक्ति के बीच सतुल्यता की स्थापना शक्ति की घमकी द्वारा अथवा शान्ति सन्धियों द्वारा की जा सकती थी और इस प्रकार यथा-स्थिति बनाये रखी जा सकती थी यदि सघर्ष करना भी जरूरी बन जाना था तो मामले को युद्ध के द्वारा सुलझा लिया जाता था । किन्तु आज की स्थितियाँ भिन्न प्रकार की हैं । आज यथास्थिति को जो चुनौती मिली है वह सैनिक शक्ति के आधार पर नहीं मिली है बरन् साम्यवादो गुट की आधिक प्रगति एवं जनसंख्या वृद्धि द्वारा मिली है । जब इस प्रकार की स्थिति पर लागू किया जाता है तो शक्ति यथास्थिति को मान्यता देकर ही जाती है ।

साम्यवादी विचारधारा के बढ़ने से पश्चिमी शक्तियों को जो चुनौती मिली है उनका परिचय सोवियत संघ को भी है । यही कारण है कि जिस समय वह अणु आक्रमण के विरुद्ध रक्षा की व्यवस्था पर्याप्त नहीं कर पाया था उस समय प्रतिक्रियावाद के भय को अभिव्यक्त करता रहता था । इस समय साम्यवादियों की ओर से कहा गया कि वे यथास्थिति को बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं तथा पश्चिमी शक्तियों की ओर से यह खतरा है कि वे इसे बदलने का प्रयास करेंगे । सिद्धान्त रूप में पश्चिम भी यथास्थिति को स्वीकार कर चुका था और उसके द्वारा साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास शायद इसी दिशा में किए जाने वाले प्रयास थे । आश्रित जनता को सुरक्षा की गारंटी दी गई तथा क्षत्रिय सन्धियां तो गयीं । सोवियत रूस उस समय तक भयभीत रहा जब तक कि उसका पर्याप्त औद्योगिक एवं वैज्ञानिक विकास नहीं हो गया तथा पश्चिम की नीतियों का मुकाबला करने योग्य नहीं बन गया ।

नई परिस्थितियों के सदम में पश्चिमी शक्तियों ने भी अपनी नीतियां बदलीं । अब सीमित गुटों एवं शक्तों के नियंत्रण को उठाने अपनी नीति का आधार बना लिया । इस नीति को अपना कर पश्चिम ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह साम्यवाद को एक स्वाइ चीज मानता है तथा मानव सहार के समर्थो का प्रयोग करके वह प्रतिक्रियावाद शान्ति नहीं लाना चाहता ।

इस प्रकार साम्यवाद एवं पूंजीवाद के बीच का विचारधारागत सघर्ष कम हो गया तथा सीमित बन गया। इन दोनों विराती व्यवस्थाओं की उपयुक्तता, गम्य एवं स्थान के अनुसार तब हानी है और इसी के आधार पर यह निश्चय किया जाना है कि कौन सी व्यवस्था कितने क्षेत्रों तथा लोगों पर उपयुक्त रहेगी। कुछ क्षण ऐसे हैं जहाँ पर साम्यवादी विचारधारा का कोई अधिक प्रभाव नहीं होगा, उदाहरण के लिए पश्चिम की विकसित उर्ध्व-व्यवस्थाओं का नाम लिया जा सकता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ कि व्यापक शक्ति की मिटान के साधन न रूप में साम्यवाद का नियोजन एवं तकनीक अधिक प्रभावशाली मिट्टी होती है। इसके अतिरिक्त दोनों विचारधाराओं के मध्य स्थित सघर्ष को छोटे राज्य में विना राष्ट्रवाद एवं स्वतन्त्रता की भावनाओं न पर्याप्त सीमित कर दिया है। नवादिन राष्ट्र अपने व्यापक विकास की अपेक्षा अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा को अधिक महत्त्व प्रदान करते हैं। तटस्थता की नीति न दोनों ही पक्षों को ऐसी सन्धिया करने से रोक दिया जो कि एक सफल सैनिक सघर्ष के लिए आवश्यक समझी जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष का एक अन्य कारण अनुत्तरदायी लोगों के द्वारा अथवा उनका विरुद्ध किए जाने वाले कार्य हैं। इन अनुत्तरदायी व्यक्तियों में हम ऐसे पुरखों, निगमों एवं शक्तिशाली हितों को ल सकते हैं जो कि सवैधानिक रूप से कोई नीति सम्बन्धी उत्तरदायित्व नहीं रखते। गैर मरकाती ध्यायारित सगठनों के कार्य उत्तरदायी सत्ताओं को ऐसी नीतियों को मानने के लिए बाध्य कर देने हैं जो कि यथारिचित न भावमणों को प्रोत्साहन देती हैं।

राष्ट्रों के द्वारा भी अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष को प्रोत्साहन दिया जाता है। मि० एम० टेट (M Tate) के कथानुसार "यूरोप में राष्ट्रों का व्यापक प्रसार तथा उनसे उत्पन्न होने वाली असुरक्षा एवं डर की भावना ने युद्ध को अपरिहार्य बना दिया।" उनका मत है कि इतिहास का सच्चा अध्ययन यह है जिससे कि हम भावी शान्ति के हित में वर्तमान के लिए जतीत से पाठ रते हैं। युद्ध को राष्ट्रों द्वारा इसीलिए अपनाया जाता है ताकि वे शान्ति स्थापित कर सकें। युद्ध की संघारियों में सतोषजनक स्थिति रहने पर अन्य देश के आक्रमण को बिना कम हो जाती है। प्रभावशाली सुरक्षा के लिए यह जरूरी होता है कि राष्ट्रीय राष्ट्रों को सतोषजनक रूप से पूरा कर लिया जाये। किन्तु क्या यह शान्ति का सही रास्ता है? अधिकांश विचारक एवं राजनीतिज्ञ इस मत के समर्थक हैं कि युद्ध की संघारिया युद्ध को रोकती नहीं, वे उसके छिड़ने में देरी कर सकती हैं किन्तु रथाई शान्ति वे नहीं करती ला

सकती। जिस प्रकार 'प्रेम' हमेशा प्रेम को उत्पन्न करता है और क्रोध हमेशा क्रोध-को, उसी प्रकार हिंसा भी हमेशा हिंसा को ही उभारती है। सेनायें शान्ति की रक्षा नहीं करती वरन् वे युद्ध को उभारती हैं। कान्ट (Kant) ने शान्ति की स्थापना के लिए यह बताया था कि सेनाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये हमेशा लड़ने के लिए तैयार रह कर राज्यों को सदा युद्ध की चुनौती देती रहती हैं।

शस्त्रों की दौड़ युद्ध को रोक नहीं सकती वह उनको प्रोत्साहन ही देती है, इस बात का उदाहरण बीसवीं शताब्दी में ही दो बार प्राप्त हो चुका है और मानव जाति तीसरे युद्ध की सम्भावना से भी त्रस्त है। युद्ध आज भी राष्ट्रीय नीति का एक स्वीकृत एवं व्यावहारिक अन्तिम साधन बना हुआ है। जैसे यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि शस्त्रों की कितनी मात्रा युद्ध को प्रोत्साहन देती है किन्तु इतना अवश्य सच है कि सघर्ष के अन्य कारणों में ये प्रभावशाली है तथा भय एवं सन्देह को अन्तिम रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता एवं महत्व

(The Necessity and Importance of Disarmament)

जब युद्धों के भयानक अन्त से मानवता कराह उठी तो यह सोचा गया कि किसी भी प्रकार इनसे छुटकारा पाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के घुरन्धर दिग्गजों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और वे युद्ध के उन कारणों की खोज में व्यस्त हो गये जिनको शान्ति की स्थापना के हेतु दूर में करना आवश्यक था। अपने विचार के दौरान उन्होंने यह पाया कि निःशस्त्रीकरण के बिना शान्ति स्थापना के लिए किये गये अन्य प्रयासों की सफलता सदिग्ध बन जायगी। निःशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करने के कुछ आधार ये जो निम्न प्रकार हैं—

(१) अणु युद्धों का भय

कोई भी सतरा जितना भयानक होना है उससे बचने की मानव की उदात्ता भी उतनी ही तब्र ही जाता है। इस कथन की सत्यता इस तथ्य से सिद्ध की जा सकती है कि युद्ध उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में ही शुरू हुआ है, विचारको एवं राजनीतिज्ञों का ध्यान उससे बचने के उपायों की खोज में उतना ही अधिक केन्द्रित होने लगा है। नागासाकी और हिरोशिमा पर डाले गये अणुबमों का परिणाम देख कर मानवता आश्चर्यचकित रूप से त्रस्त हो गई। इससे पूर्व कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक शस्त्र द्वारा इतने कम समय में इतनी अधिक मात्रा में विनाश किया जा सकता है।

आज विज्ञान के आविष्कारों ने बहुत प्रगति कर ली है तथा आज के वयो में १९४५ की तुलना में कई गुना अधिक विध्वंस करने की शक्ति बढ़ गई है। केवल कुछ ही बमों के विस्फोट से विश्व का विनाश किया जा सकता है, धरती को पाताल में पहुँचाया जा सकता है। इन शस्त्रों के बीच में आज विश्व अनिश्चिन्त भविष्य के साथ रह रहा है, किसी को पता नहीं रहता कि अगला क्षण किस प्रकार की होगा। शक्ति का भूखा कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र भावनाओं के आवेश में अंधा होकर इन शस्त्रों का प्रयोग करके मानव द्वारा अजित अब तक की सृष्टि एवं सम्पत्ता को धूल में मिला सकता है। इन आतंकाओं से भयभीत होकर यह कहा जाता है कि इस प्रकार के शस्त्रों का निर्माण न किया जाय, इन पर रोक लगाई जाय। शान्ति के पक्षपाती लोग निःशस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं। उनके मतानुसार युद्ध एवं विनाश से बचने का एकमात्र मार्ग यही है। निःशस्त्रीकरण की नीति का विरोध करने वाले को युद्ध का समर्थक (War monger) कहा जाता है। अफिरास देश यद्यपि स्वयं शस्त्रों को सीमित नहीं रखते हैं फिर भी अपने आपकी एक शान्ति प्रेमी राष्ट्र बनाने की दृष्टि से वे निःशस्त्रीकरण का जोरदार प्रचार करते हैं।

शान्ति एवं शस्त्रों के बीच के सम्बन्ध के बारे में विचारक एक मत नहीं है। कुछ का मत है कि युद्धों के कारण शस्त्रों का उत्पादन किया जाता है जबकि दूसरे लोग यह मानते हैं कि शस्त्रों से युद्ध को उत्तेजना प्राप्त होती है। प्रथम विचार के समर्थकों का यह मत है कि मान लो पूर्ण रूप से निःशस्त्रीकरण कर भी दिया जाय तो भी जब तक सम्प्रभु राज्य है तब तक शक्ति की समस्या को गौण नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व अनेक होते हैं, केवल सेना ही नहीं होती। सेना और शस्त्रों को मिटा देने के बाद भी आर्थिक एवं अन्य सारनों से एक देश द्वारा दूसरे पर आक्रमण किया जा सकता है। फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि शस्त्रों पर रोक लगाने से सीमित कर न न आक्रमण यदि रोके न भी गये तो भी उनको कम, मर्यादित एवं छोटा विध्वंसक बनाया जा सकता है। निःशस्त्रीकरण द्वारा दो प्रकार से युद्ध रोकने में सहायता की जा सकती है। प्रथम तो इससे कोई भी राष्ट्र तुरन्त एवं अवस्थित रूप से युद्ध छेड़ने में असमर्थ बन जायगा। दूसरे, इससे राष्ट्रीय कक्षीय के परस्पर द्वेषतापूर्ण सम्बन्ध घट जायेंगे तथा राष्ट्रीय हितों के पारस्परिक समायोजन (Adjustment) के अनुकूल वातावरण बन जायगा। प्रोफेसर हार्टमैन (Professor Hartman) के अनुसार 'निःशस्त्रीकरण के प्रयास युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने की कल्पनात्मक आशा की पूर्ति के लिए नहीं अपितु अन्धधुंध में डाल देने वाले तथा यथायथ रूप से होने

घाले आक्रमणों को रोकने के लिए किये जाते हैं।' व आगे कहते हैं कि 'निर्गन्धीकरण का एक आवश्यक रूप से निश्चित कर देना नहीं है। इसका लक्ष्य तो यह है कि आ भी इवियारा एक समय उभरित हैं उनके प्रभाव को घटा दिया जाय।'

अन्य विचारकों का विचार है कि अस्त्रों का कारण युद्ध नहीं किया जाता बरन् अस्त्र विपरीत युद्ध का कारण अस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रसिद्ध विद्वान शुमा (Schuman) का मतानुसार युद्ध एक वस्तु नहीं बरन् एक क्रिया है जो अस्त्रों के निर्माण से प्रारम्भ होता है। 'अस्त्र युद्ध में निकलता है तथा युद्ध में समाप्त होता है। अतः युद्ध का कारण अस्त्रों का निर्माण है। जो लोग यह मानते हैं कि अस्त्रों का कारण युद्ध लगे जाते हैं व शुमा के शब्दों में गांधी को घोरतः पहले रखने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि घोरतः को अवहलना का जो संकट है और उस पर इतना प्रभाव भी नहीं होता जबकि गांधी का इच्छानुसार होता जा सकता है चाहे उस मादन का कोई प्रभाव ही न हो।

(२) शांति की क्षमता और यह विश्वास कि अस्त्रों का कारण युद्ध लड़े जाते हैं

यह सही है कि विश्व के अधिकांश लोगों का अस्त्रों की हानि रोकने की ओर ध्यान इस कारण गया है कि आज का अणु युद्ध एक सम्पूर्ण युद्ध (Total War) का परिणाम मानव जाति का, उसकी आज तक अज्ञित सन्ध्या और सभ्यता का विनाश है किन्तु इसका माप ही यह भी नहीं मूलाया जा सकता कि आज प्रथम जनमृदाय दान प्रारम्भ हो रहा अस्त्रों को कम करने का उद्योग करता रहा है क्योंकि उसका विश्वास है कि अस्त्रों का कारण ही युद्ध लगे हैं। अमेरिकन मित्र सेवा समिति (American Friends Service Committee) का दृष्टिकोण था कि अस्त्रों के निर्माण को रोकना ही युद्ध रोकने का सबसे अच्छा उपाय है। एक दशक के अन्त में अस्त्रों की हानि से ही युद्ध रोकना ही युद्ध रोकने का सबसे अच्छा उपाय है। आज यदि भारत अस्त्रों का निर्माण प्रारम्भ कर दे तो पाकिस्तान का इसका आशय होगा, इसी प्रकार पाकिस्तान भारत में भय पैदा कर सकता है। दोनों के भय विश्व का अस्त्रों की हानि का सापेक्ष बनना होगा कि अस्त्रों की सुरक्षा करने में सफल नहीं हो सकता। एक दशक द्वारा अस्त्रों का निर्माण तथा उसकी प्रतिक्रिया अस्त्रों के द्वारा अस्त्रों का निर्माण यद्यपि सुरक्षा का नाम पर किया जाएगा किन्तु

अपने मुझसे शर्मों हो देश अपने आपही अद्वितीय समझने लगेंगे । यदि प्रत्येक देश यह समझने लगे कि दूसरे देश के पास इतने शस्त्र नहीं कि वह तुरन्त ही कोई भयङ्कर आक्रमण कर सकेगा तो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रवृत्ति में एकदम परिवर्तन आ जायगा । कोहन (Cohen) के शब्दों में शस्त्रीकरण राष्ट्रीय के बीच भय और मन-मुटावों की स्थिति पैदा करता है । निष्पत्तीकरण द्वारा भय और मन मुटावों को कम करके शक्तियों समझौतों की प्रवृत्ति को सुविधापूर्ण एवं शक्तिशाली बनाया जा सकता है ।

कुछ विचारकों का यह मत है कि शस्त्रों द्वारा युद्ध को प्रेरणा मिलती है । हो सकता है कि नूतनकाल में जबकि विश्व का स्वरूप साम्राज्य था, हथियार युद्ध का फल बन जाते थे किन्तु आज की परिस्थितियों में निरुत्पत्त ही हमेशा के कारण विश्व के देशों के बीच मन-मुटाव, झगड़े और भय पैदा होते हैं । किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि वे ही युद्ध के एकमात्र कारण हैं तथा उनको मिटा देने पर लड़ाइयां समाप्त हो जायेंगी । इसके विपरीत अनेक लोगों की यह मान्यता है कि यदि शस्त्रों को पूरी तरह से नष्ट भी कर दिया जाय तो भी लोग लड़ेगे । वे लाठी, छड़ी, कील और नाखूनों से ही लड़ेंगे । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि शस्त्र लड़ाई का साधन है, चाटना नहीं और साधनों का परिवर्तन भी किया जा सकता है किन्तु किसी कार्य को मिटाने के लिए उनके कारणों पर आघात करना होगा कि उनके नाखूनों पर, मुर्गों को मारने की अनेकानेक झगड़ों पर ही बार करना होगा ।

कुछ राष्ट्रीय शास्त्री यह मानते हैं कि पूर्ण निष्पत्तीकरण न तो सम्भव है और न ही उपयोगी । राष्ट्रीय राज्यों से पूर्ण समाज की ही बात ही क्या है यदि अन्तर्राष्ट्रीय समाज में विश्व सरकार की स्थापना हो जाय तो भी शक्ति एवं शस्त्रों का बनावे रखने के लिए वायुन और शक्ति प्रयोग की आवश्यकता रहेगी । किन्तु इन विचार का अर्थ भी यह कदापि नहीं है कि शस्त्रों की बीड़ को ज्यों की दशा चलने दिया जाय । दोनों स्थितियों के बीच का मार्ग बनाना ही उनका ही एक व्यावहारिक उपाय है । यदि पूर्ण निष्पत्तीकरण किया जाय तो उसी लागू करना कठिन होगा क्योंकि कोई भी देश अपने राष्ट्रीय वर्गों में से बीम को नष्ट कर दे तथा बीम को छुटाने का उसे कोई देव नहीं सकता । इन धोखेबाजी से वे देश मुकाम में रहेंगे जिन्होंने ईमानदारी के साथ सभी शस्त्रों को नष्ट कर दिया है । इन जटिलताओं को देख कर ही यह कहा जा सकता है कि सीमित निष्पत्तीकरण करना चाहिए ताकि एक देश यदि निरिच्छित सोचा से कुछ अस्त्र-निष्पत्तीकरण करे तो भी कोई

परेशानी पैदा न हो सके। इस प्रकार निशस्त्रीकरण सीमित हो अथवा पूर्ण इस सम्बन्ध में विश्व के राष्ट्रों एवं विचारकों के बीच भारी मतभेद है।

निशस्त्रीकरण के रूप (The Types of Disarmament)

निशस्त्रीकरण के अभिप्राय और उसकी आवश्यकता तथा महत्त्व आदि को समझने के उपरान्त निशस्त्रीकरण प्रयासों का इतिहास या परिचय जान लेना आवश्यक है, किन्तु इसके पूर्व निशस्त्रीकरण के कुछ प्रमुख रूपों को भी जान लेना चाहिये जो निम्नलिखित हैं—

(१) सामान्य निशस्त्रीकरण (General Disarmament)—
निशस्त्रीकरण के इस प्रयास में भाग लेने वाले सभी सम्बन्धित राष्ट्र होते हैं। उदाहरणार्थ १९३२ के विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन का नाम लिया जा सकता है।

(२) स्थानीय निशस्त्रीकरण (Local Disarmament)—इस रूप में केवल कुछ सीमित राष्ट्र ही भाग लेते तथा प्रभावित होते हैं। कनाडा व अमेरिका के बीच १८१७ का रशवेगाट (Rush bagot) समझौता इसका उदाहरण है।

(३) मात्रात्मक निशस्त्रीकरण (Quantitative Disarmament)—
इस रूप में हर तरह के सभी शस्त्रों की कमी की जाती है। १९३२ के विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन के अधिकांश राष्ट्रों का यही उद्देश्य था।

(४) गुणात्मक निशस्त्रीकरण (Qualitative Disarmament) —
इसके अनुसार विशेष प्रकार के शस्त्रों को कम करने या समाप्त करने की गिकारिस्त की जाती है। जैसे समुदाय राष्ट्रोंप या अणु शक्ति को रोक व समाप्ति पर विचार करना रहा है।

निशस्त्रीकरण के प्रयत्नों का इतिहास

(The History of Disarmament Measures)

विश्व इतिहास या अन्तर्द्वन्द्व करने पर निशस्त्रीकरण के प्रयासों को दो श्रेणियाँ दिखाई देती हैं। एन ओर तो वे प्रयास हैं जो कुछ देशों द्वारा दूसरे देश पर जबरदस्ती निशस्त्रीकरण लागू करने के लिए किये गये हैं तथा दूसरी ओर वे प्रयास हैं जिनमें देश अपनी इच्छानुसार समान शर्तों और सहयोगपूर्ण वातावरण के अनुसार भाग लेते रहे हैं। जबरदस्ती के निशस्त्रीकरण (Enforced Disarmament) के अन्तर्क उदाहरण अतीत के गर्भ से निवाले जा सकते हैं। इतिहास में कई बार जीने हुए राष्ट्र द्वारा हारे हुए राष्ट्र को शस्त्रों रहित होने के लिए बाध्य किया गया है। ऐसे निशस्त्रीकरण

के उदाहरण हमें १८०६ में नेपोलियन द्वारा प्रुषा (Prussia) की हार के समय, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद वारसा की सन्धि में और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली के सप्त शान्ति सन्धि में प्राप्त होते हैं। त्रि-सन्धीकरण के इस प्रकार के प्रमाण कोई स्थायी प्रभाव रखने में असमर्थ रहते हैं। इसके दो कारण हैं प्रथम तो विदेशी राष्ट्र द्वारा कोई प्रमाणहीन एवं निरन्तर निरीक्षण (Supervision) रखने की चेष्टा नहीं की जाती, दूसरे यदि इन प्रकार के नि-सन्धीकरण के उन्मूलन किये जावे तो आवश्यक रूप से उनका विरोध नहीं किया जाता। जब विदेशी राष्ट्रों का सम्बन्ध इन टूट जाता है तो विविध राष्ट्र की यह दृष्टि नहीं रहता कि मैं-नि-को की मर्तों तथा सम्भ-विमानों को पुनः प्रारम्भ कर दें। आधुनिक युग में एक देश को पूरी तरह सम्भ-विहीन करने के लिए उसकी औद्योगिक शक्त को नष्ट करना आवश्यक है। जब तक औद्योगिक आधार रहता है तब तक पुनः सन्धीकरण की शक्यता एवं सम्भवता भी रहती है। इसके अभाव में कोई भी देश सन्धियों से मुक्तिवन् इन समाधि में नि-सम्भ रहकर अपने आपको रक्षित नहीं समझता, चाहे उसके हितों की रक्षा के लिये कितने ही आश्वासन दिये नहीं दे दिये जायें।

नि-सन्धीकरण का अन्य रूप ऐच्छिक (Voluntary) है जिनके माग लेने वाले राष्ट्र स्वैच्छा से ही अपने शस्त्रों को सीमित करने के लिये वाजुबीज और समझौतों द्वारा प्रयत्न करते हैं। नि-सन्धीकरण, जैसा कि मार्गेन्थो (Morgenthau) का कहना है, "सन्धियों की शक्ति के समाप्त करने के लिए युद्ध या सन्धियों की कम उपयुक्त समाप्त कर देना है।" इस नर्-विहित अर्थ में नि-सन्धीकरण की दृष्टि में आज तक अनेक प्रयास किये गये हैं, यद्यपि ये प्रयास असफलता की कहानी मात्र ही हैं।

नि-सन्धीकरण के प्रयासों के इतिहास का अन्यथा सुविधा की दृष्टि से हम दो भागों में कर सकते हैं—

- (१) संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना से पूर्व किये गये प्रयास, एवं
- (२) संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद किये गये प्रयास।

संयुक्त राष्ट्रसंघ से पूर्व नि-सन्धीकरण के प्रयास
(Disarmament Measures before U. N. O)

मार्गेन्थो के शब्दों में "नि-सन्धीकरण के प्रयासों का इतिहास अनेक अक्षर-संज्ञाओं और अक्षर-संज्ञाओं की कहानी है।" संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना से पूर्व ही इन कहानियों का विपन्न विन्नाशित शीर्षकों के जन्म-दिन किया जा सकता है—

(१) हेग सम्मेलन (Hague Conferences)—वैसे तो १८१७ में रूस के जार ने, १८३१ में फ्रांस ने तथा कई बार नेपोलियन तृतीय ने और १८७० में ब्रिटेन ने सामान्य नि-सन्धीकरण के प्रस्ताव दूसरे देशों के सम्मुख

रहे थे। किन्तु इस प्रश्न पर विचार करने के लिये प्रथम सम्मेलन १८९९ में हेग में बुलाया गया। इस सम्मेलन में सभी बड़ी शक्तियों सहित २८ राष्ट्रों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य शस्त्रों तथा सैनिक बजट का सीमित करना था। हमने सभा सदस्य राष्ट्र इस बात पर सहमत थे कि मानवता के नैतिक एवं सामारिक उत्थान के लिए शस्त्रों पर बंदी हुए सख्तों को कम करना जरूरी है। फिर भी तकनीकी कठिनाइयों के कारण यह संकल्प न हो सका और पुनः मिलन की आशा में प्रसजित हो गया।

अमरीका ने चाहा कि १९०४ में इस सम्मेलन को बुलाया जाय। किन्तु रूस व जापान के झगड़े के कारण ऐसा न किया जा सका। दूसरा हेग सम्मेलन १९०७ में हुआ। इसमें भाग लेने वाले ४४ राष्ट्र थे। इस सम्मेलन में १८९९ के सम्मेलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तथा तब से सैनिक बजट अब और भी अधिक हो गया था इसलिए यह कहा गया कि देशों को इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। यह सम्मेलन भी अपने अग्रज की भाँति असफल रहा। सम्मेलन के अध्यक्ष ने बताया कि निःशस्त्रीकरण का प्रश्न १८९९ की भाँति इस सम्मेलन में भी अधिक गभीरता से न देखा जा सका। ऐसी स्थिति में पहले भी इन दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा सका था अतः इस बार भी ऐसा ही हुआ। अगले आठ वर्षों में सम्मेलन की पुनः बैठक बुलाने का फैसला किया गया किन्तु उन दिनों विश्व युद्ध का ज्वार अपनी पूरी तेजी पर था।

(२) राष्ट्रमंडल द्वारा निःशस्त्रीकरण के प्रयास और जेनेवा निःशस्त्रीकरण-सम्मेलन (League of Nations Geneva Disarmament Conference)—प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने के बाद पुनः निःशस्त्रीकरण के लिए उपयुक्त वातावरण तयार हुआ और राष्ट्रमंडल की स्थापना से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक नये युग का सूत्रगत हुआ। राष्ट्रमंडल के संधि (Covenant) के आठवें अनुच्छेद में निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी निम्न लक्ष्य व्यक्त किया गया—

‘इस अनुच्छेद के प्रथम प्रकरण में यह व्यवस्था थी कि ‘सब के सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि सैनिकों की स्थापना के लिए राष्ट्रों की सुरक्षा के अनुकूल न्यूनतम विद्युत् तक राष्ट्रों को सशस्त्र बनाने का सामान्य कर्तव्य द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व के दृष्टिकोण को आवश्यक है।’

दूसरे प्रकरण में यह वर्णित था कि ‘प्रत्येक राष्ट्र को भौतिक-अर्थिक एवं परिस्थितियों के लक्ष्य रखकर परिपूर्ण विचार-मरकटों द्वारा विचार और कार्यवाही के लिये शस्त्रास्त्रों में बनाए गए या बनाए जाने वाले।’

चौथे प्रकरण में यह अंकित था कि "जब बहुत ही सरकारी इन योजनाओं को अपना लेंगी तो उसके बाद उसी निश्चित शक्तों की सीमाएँ परिपक्व की सहमति के बिना नहीं तोड़ी जा सकेंगी।"

पाचवें प्रकरण में लिखा गया कि "सभ के सदस्य सहमत हैं कि व्यक्तिगत साहम द्वारा युद्ध सामग्री के निर्माण के लिये स्पष्ट रूप से गम्भीर हस्तक्षेप किये जा सकते हैं। परिपक्व यह परामर्श देगी कि ऐसे निर्माण से सम्बद्ध बुटिल प्रभाव किस प्रकार हटाये जा सकते हैं।"

छठे प्रकरण में सभ के सदस्यों को "अनेक शक्तों के परिमाण, अपने सामूहिक एवं वायु सम्बन्धी कार्यक्रम तथा युद्ध जैने उद्देश्यों के लिये उपयुक्त उनके उद्योगों की अवस्था की पूर्ण एवं स्पष्ट सूचना के पारस्परिक परिवर्तन के लिये उत्तरदायी ठहराया।"

आठवें अनुच्छेद के अतिरिक्त २३वें अनुच्छेद के 'द' प्रकरण में यह व्यवस्था की कि 'सभ के सदस्य सभ को उन देशों के साथ सहन एवं युद्ध-साधनों के व्यापार का निरोधन चाहे सौं दने जिनमें कि सामान्य हित के लिये इस व्यापार पर नियन्त्रण आवश्यक है।'

जनवरी, १९२० में राष्ट्रसभ के अन्तर्गत एक स्थायी परामर्शदाता (Permanent Advisory Commission) आयोग गठित किया गया जिसमें सैनिक विशेषज्ञ ही सदस्य थे। नवम्बर, १९२० में आयोग में ६ अस्थायी व्यक्ति बढ़ाकर उसे अस्थायी मिश्रित आयोग (Temporary Mixed Commission) के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। इस मिश्रित आयोग को निःशस्त्रीकरण की सन्धि का मसविदा तैयार करने का काम सौंपा गया। अनेक असफलताओं के बाद आयोग ने पारस्परिक सहमति सन्धि का प्रारूप तैयार किया जिसमें निःशस्त्रीकरण को सामूहिक सुरक्षा का मूलाधार बताया गया। अस्थायी मिश्रित आयोग एवं स्थायी परामर्शदाता आयोग ने निःशस्त्रीकरण समस्या के हल के लिये चार सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिन्हें १९२२ में सभ की तीसरी असेम्बली ने स्वीकार कर लिया वे सिद्धांत इस प्रकार थे -

(१) निःशस्त्रीकरण को कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि वह व्यापक रूप से सब पर लागू न हो।

(२) अनेक राज्य अपने शस्त्रास्त्रों में कमी करने की स्थिति में तब तक नहीं जा सकते जब तक उन्हें सुरक्षा के लिये पर्याप्त आश्वासन न मिल जाय।

(३) ऐसे आश्वासन की व्यवस्था एक ऐसी प्रतिरक्षात्मक सन्धि द्वारा की जा सकती है जिसमें प्रत्येक राज्य एक दूसरे को सुरक्षा का आश्वासन तो

दे ही लेकिन यह आश्वासन भी दे कि आनमण की स्थिति में प्रत्येक राज्य आन्तान देश को रक्षा के लिये युद्ध करेगा।

(४) इस आश्वासन की श्रियान्विति बबल तमी सम्भव है जबकि सामान्य योजनानुसार शस्त्राम्त्रा में कमी की जा चुकी है।

पारस्परिक सहायता सन्धि क प्रारूप (Draft Treaty of Mutual Assistance) की अमफलता के बाद मध्यस्थता (Arbitration) के उपाय में सुरक्षा की समस्या हल करने का प्रयत्न किया गया। शूमेन के शब्दों में मध्यस्थता से सुरक्षा और सुरक्षा र नि शस्त्रीकरण का नया मार्ग ढूढान गया।

नि शस्त्रीकरण के सामान्य उपायों के विफल होने पर अक्टूबर, १९२४ के बाद से अन्वयायी मिथिन आयोग ने काम करना बन्द कर दिया। अब नि शस्त्रीकरण सम्मेलन के लिये सज्जीकरण आयोग (Preparatory Commission for the Disarmament Conference) का गठन हुआ। इस आयोग की प्रथम बैठक मई, १९२६ में हुई और दिसम्बर, १९३० तक यह अस्तित्व में रहा। ६ दिसम्बर, १९३० को आयोग ने नि शस्त्रीकरण की योजना का एक स्थायी प्रारूप प्रस्ताव (Dummy Draft Convention) पास करने में सफलता अर्जित की जिसकी मुख्य व्यवस्थाएँ थी—

(१) वजट द्वारा स्थल युद्ध की रण-सामग्री पर नियन्त्रण किया जाय।

(२) सैनिकों की सरया विना किसी भेद भाव के नियन्त्रित की जाय और प्रशिक्षित सुरक्षित सैनिकों (Trained Reserves) का विचार न किया जाय।

(३) अनिवार्य सैनिक सेवा के वर्गों की अवधि घटायी जाय।

(४) नौ-सैनिक जहाजों पर १९२२ के वाशिगटन सम्मेलन की तथा १९३० के लन्दन सम्मन्तन की व्यवस्थाओं को लागू किया जाय।

(५) हवाई अस्त्रों का नियन्त्रण अश्व शक्ति (Horse Power) के आधार पर हो।

(६) रासायनिक एवं जीवाणु फैलाने वाले (Bacteriological) युद्धों को रोक जाय।

(७) एक स्थायी नि शस्त्रीकरण आयोग की रचना की जाय तो नि शस्त्रीकरण की प्रगति के बारे में समय-समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहे।

सज्जीकरण आयोग के इस प्रस्ताव का व्यावहारिक मूल्य बहुत कम था और फरवरी, १९३२ में हान वाले नि शस्त्रीकरण सम्मेलन ने इसका

जर्मनी में टिन्डर द्वारा शासन सत्ता संभालने के बाद यह योजना कारगर न हो सकी। १४ अक्टूबर, १९३३ को जर्मनी ने सम्मेलन छोड़ने की घोषणा कर दी। उसके एक सप्ताह बाद ही उसने राष्ट्र सघ की भी छोड़ दिया। १६ मार्च, १९२५ को जर्मनी ने वारसा की सन्धि के निरस्तोकरण से सम्बन्धित उपबन्धों को खुले रूप से अप्रभावकारी घोषित कर दिया। इस घोषणा के साथ ही युद्ध के नवीन दृश्यों का प्रदर्शन करने के लिए रगमघ का पर्दा उठा। शूमा का यह विचार सत्य ही है कि अमफल निरस्तोकरण सम्मेलन से तो कोई सम्मेलन न होना ही अच्छा है क्योंकि इसकी सफलता से मन मुटाव और गलतफहमी बढ़ती है। पुनः शूमा के ही शब्दों में— '१६ वर्ष तक उपरोक्त पराजय का घेरा बन्द कर दिया गया। राष्ट्रसघ के द्वारा गमार के निरस्तोकरण के प्रयासों का आरम्भ जर्मनी के एक पक्षीय निरस्तोकरण से शुरू हुआ था और जर्मनी के एक पक्षीय पुनः शस्त्रीकरण से इन प्रयासों का अन्त हो गया। यूरोप की सामूहिक वृद्धि सुरक्षा की प्राप्ति में अमफल हो जाने के उपरान्त आत्मघात की तैयारियों में लग गयो।'

राष्ट्रसघ के बाहर निरस्तोकरण के प्रयास—राष्ट्रसघ के बाहर भी निरस्तोकरण के लिए अनेक प्रयत्न किये गये। यहाँ भी अन्य अनेक प्रयत्नों की ही भाँति महा सन्धि के म विभिन्न मतभेद अपना प्रभाव जमाने रहे। राष्ट्रसघ के बाहर निरस्तोकरण के लिए मुख्य प्रयास निम्नलिखित हुए—

- (१) वाशिंगटन सम्मेलन (Washington Conference), १९२१-२२ ।
- (२) जेनेवा नौ सैनिक सम्मेलन (Geneva Naval Conference) १९२७ ।
- (३) लन्दन नौ सैनिक सम्मेलन (London Naval Conference) १९३० ।
- (४) द्वितीय लन्दन नौ सैनिक सम्मेलन (London Naval Conference), १९३५ ।

वाशिंगटन सम्मेलन (१९२१-२२)—राष्ट्रसघ ने जिस समय अपना निरस्तोकरण कार्य आरम्भ किया, उस समय वाशिंगटन में राष्ट्रसघ से सर्वथा पृथक् एक नौ सेना निरस्तोकरण सम्बन्धी सम्मेलन नवम्बर, १९२१ में आयोजित किया गया। इसमें ६ राष्ट्रों ने भाग लिया। जिनके सुदूरपूर्व में हित निहित थे। इसकी अध्यक्षता राज्य सचिव ह्यूजेस (Hughes) द्वारा की गई थी। ह्यूजेस ने अपन उद्घाटन भाषण में जल सेना की शक्ति को सीमित रखने के लिए एक सूत्र (Formula) रखा जिसके अनुसार

अमरीका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस व इटली की शक्ति को क्रमशः ५ ५ ३
 १ ६७ : और १ : ६७ के अनुपात के रख दिया जाना था। किन्तु यह
 अनुपात केवल लड़ाई के जहाजों तथा लड़ाई के क्रूजर्स पर ही लागू होता
 था। लड़ाई जहाजों की लाने वाले पोतों (Aircraft-Carrier Tonnage)
 को किसी अन्य आधार पर सीमित करते हुए इनकी मात्रा को ३५,००० टन
 अमेरिका एवं ब्रिटेन के लिए, ८१,००० जापान के लिए तथा ६०,००० फ्रांस
 के लिए तथा इतना ही इटली के लिए निश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त
 दस वर्ष तक कोई बड़ा जहाज (Capital Ship) नहीं बनाया जा सकता था,
 केवल मरम्मत की जा सकती थी। वाशिंगटन सन्धि के अनुच्छेद XIX के
 अनुसार अमरीका, ब्रिटेन व जापान इस बात पर सहमत हो गये कि कुछ
 अपवादों के अतिरिक्त प्रदान्त महासागर में जो यथास्थिति (Status quo)
 थी उसे पथों का लो बनाये रखा जाए। वाशिंगटन सन्धि के रूप एवं व्यवहार
 पर विचार करने के बाद यह कहा जाता है कि यह एक आंशिक सफलता रही
 है। इसने निःसस्त्रीकरण के स्थान पर स्वायत्तत्व की स्थापना की तथा शस्त्रों
 की दौड़ को रोकने में कुछ कार्य किया किन्तु यह इस दौड़ को न तो समाप्त
 हो कर सकी और न ही इसने दौड़ को पीछे की ओर ही ढकेला। क्रूजर
 पनडुब्बों तथा विध्वंसकों (Destroyers) को सीमित करने की समस्या
 पर यह पूरी तरह से असफल रही। इस सन्धि द्वारा जल सेना के वजट में
 थोड़ी कमी की गई किन्तु बाद में जल-सेना शक्ति की प्रतिद्वन्द्विता उन
 विषयों पर केन्द्रित हो गई जिनको कि सन्धि द्वारा मर्यादित नहीं किया
 गया था।

जेनेवा नौ समझौता १९२७ :— शीघ्र विचारों पर भी सीमा लगाने
 के लिए १९२७ में जेनेवा जल-सेना सम्मेलन बुलाया गया। फ्रांस तथा इटली
 ने इस सम्मेलन में यह कह कर उपस्थित होना अस्वीकार कर दिया कि जल-
 सेना तो एक भाग मात्र है, इस पर सम्पूर्ण शस्त्र समस्या की इकाई के रूप में
 विचार करना चाहिए। ब्रिटेन, जापान व अमेरिका ने इसमें भाग लिया।
 क्रूजर्स के बारे में अमेरिका व ब्रिटेन के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया
 और यह सम्मेलन असफल हो गया।

लन्दन नौ सैनिक समझौता :— इस समस्या पर पुनर्विचार के लिए
 १९३० में लन्दन में जल-सेना सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में
 अमेरिका व ब्रिटेन मुद्द-पोतों, विध्वंसकों एवं पनडुब्बियों की अधिक से अधिक
 समस्या के बारे में एकरात हो गये। किन्तु जापानी पाँच वर्षों तक ये दोनों ही
 देश अपनी जल सेना को स्वोच्छेद सीमा तक रखने में असमर्थ रहे और १९३५
 में दूसरा लन्दन सम्मेलन बुलाया गया।

द्वितीय लन्दन की समझौता — द्वितीय लन्दन सम्मेलन के समय तक जापान १९२२ की सन्धि को तोड़ने की घोषणा कर चुका था और ब्रिटेन ने नाचो जर्मनी के साथ जल सेना के सम्बन्ध में एक सन्धि कर ली थी । इस सम्मेलन में जापान की उम मांग पर विचार किया गया जिसमें उमने जलसेना के सभी प्रकार के शस्त्रों में बराबरी के स्तर की मांग की थी । अगली मांग के अस्वीकृत हो जाने पर जापान ने सम्मेलन को छोड़ दिया । यह सम्मेलन प्रथम सम्मेलन की भांति स्थायित्व बनाये रखने में भी सफलता प्राप्त न कर सका । १९३७ में जर्मनी व रूस ने स्वीकृत सीमा पार कर दी और १९३८ में एक अफवाह के आधार पर सन्धि के तीन मूल हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने लडाकू जहाजों की सीमा ४०००० टन कर दी और इस प्रकार जल सेना नि शस्त्रीकरण का अन्त कर दिया गया ।

निष्कर्षतः १९१९ से १९३५ के मध्य नि शस्त्रीकरण की समस्या को हल करने व लिये राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत और इसके बाहर जो भी प्रयत्न किये गये, वे असफल रहे और अन्ततः गत्वा संसार को दूसरा महायुद्ध लड़ना पड़ा । दुमा के शब्दों में नि शस्त्रीकरण केवल एक याद रह गया । वारसा के बाद दो दशान्दियों में परम्परागत नि शस्त्रीकरण सम्मेलन के द्वारों पर बड़े अक्षरों में अंकित 'असफलता' के अक्षर पडिबसो संसार के आगामी विनाश के अक्षर हो गये ।

नि शस्त्रीकरण के प्रयासों की विफलता के कारण—प्रथम महायुद्ध के बाद नि शस्त्रीकरण के प्रयास मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से असफल हुए—

(१) संसार के विभिन्न राष्ट्रों की वास्तविक शान्ति में कोई आस्था न थी । हर राष्ट्र अपने शस्त्रास्त्रों के उत्पादन को "राष्ट्रीय सुरक्षा" का वाता पटनाना था और जब दूसरा राष्ट्र शस्त्रों की वृद्धि करता तो उसे युद्ध लिपेसु कहता था ।

(२) विभिन्न राज्यों के दृष्टिकोणों में उग्र मतभेद थे । उदाहरणार्थ, फ्रांस नि शस्त्रीकरण से पहले सुरक्षा की स्थापना आवश्यक मानता था और राष्ट्र संघ की अक्षमता में शान्ति एवं सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सेना का पक्षपाती था । इसके विपरीत जे. ब्रिटेन का कहना था कि शस्त्रास्त्रों की उपस्थिति में सुरक्षा का वातावरण कभी सम्भव नहीं हो सकता, अतः पहले नि शस्त्रीकरण की समस्या का समाधान होना चाहिए और तब सुरक्षा का प्रश्न उठना चाहिए ।

(३) महाशक्तिपुंजों ने नि शस्त्रीकरण के सिद्धान्त में अविश्वास और पक्षपातपूर्ण व्यवहार का नाम प्रदत्त किया । उदाहरणार्थ "प्रथम महायुद्ध के विजेताओं ने जर्मनी का नि शस्त्रीकरण तो बलपूर्वक कर दिया, किन्तु

पचनरुद्ध होने पर भी वे अपने निःशस्त्रीकरण को बराबर टालते रहे। जब उन्हें स्वयं को निःशस्त्रीकरण में विश्वास था तो फिर वे उसे मफल भी कैसे बना सकते थे।

(४) शस्त्रास्थो का निर्माण करने वाली कम्पनियों ने निःशस्त्रीकरण सम्मेलनों का विकृत बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया।

(५) शस्त्रीकरण की पद्यार्थ व्याख्या और स्वहय निर्धारण के बारे में विभिन्न राष्ट्रों में मतभेद नहीं था। राष्ट्रों में इस प्रश्न पर गम्भीर मतभेद था कि रक्षात्मक अथवा आक्रमणकारी शस्त्रों के बीच क्या विभेद है।

(६) विभिन्न राष्ट्रों को युद्ध सम्बन्धी मनोवृत्ति में मौलिक मतभेद था। कुछ राष्ट्र युद्ध का सहारा लेने को उत्सुक थे तो कुछ गति के रूपासक। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सत्ता हड़पने के लिए अपने देश के नागरिकों का ध्यान विदेश नीति में ही उनशान्ना चाहते थे ताकि उन्हें अपने देश की आन्तरिक वस्तुस्थिति का पता न लग सके। ऐसे नेताओं का तर्क था कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान शान्तिमय तरीके से करने की बात सोचना निरी बेवकूफी है। फासिस्ट इटली और नाजो जर्मनी के नेता युद्ध को मानव जाति के लिए न केवल आवश्यक अपितु गौरवपूर्ण मानते हुए उसे शौर्य, साहस, वीरता, त्याग और बलिदान आदि धौंठ गुणों को विकसित करने वाला समझते थे।

(७) शान्तिप्रेमियों की सुरक्षा का प्रश्न निःशस्त्रीकरण प्रयासों के मार्ग में बाधा रहा।

(८) निःशस्त्रीकरण-प्रयासों एवं सम्मेलनों की गति का आठवा प्रमुख कारण यह था कि समस्या को सुमझाने का प्रयत्न मौलिक रूप से नहीं, बरन् ऊपरी तौर से तथा प्राविधिक रूप से किया गया था।

सयुक्त राष्ट्रसंघ के बाद निःशस्त्रीकरण के प्रयास

(Disarmament Attempts after U. N. O.)

द्वितीय महायुद्ध के बाद सयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म हुआ जो विश्व में शान्ति और राष्ट्रों के बीच सहयोग की भावना का विकास करने में सफल हो गया। दो महायुद्धों के बाद मानवता इतनी प्रस्त हो चुकी थी कि महायुद्ध को पुनरावृत्ति करके अपना अस्तित्व खोने को वह तैयार न थी। फलतः निःशस्त्रीकरण की समस्या एक बार फिर गम्भीर विचार का विषय बन गई। इस बार अल्लुनविन के आविष्कार ने इस समस्या को अधिक जटिल किन्तु महत्वपूर्ण रूप प्रदान कर दिया। दुर्भाग्यवश समय बीतने के साथ-साथ निःशस्त्रीकरण की समस्या अधिक जटिल होती गई और आज तो यह

जटिलतम रूप लिये हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि अबतक जो भी प्रयास इस समस्या को सुझाने के लिए किये गये हैं वे अत्रिकाशित असफलता का इतिहास बोहराने हैं। यदि कुछ सफलता मिली भी है तो उस नगण्य ही कहना चाहिए।

द्वितीय महायुद्ध के बाद निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में जो वार्ताएँ सम्पन्न हुई उनके इतिहास को हम मोटे रूपा में दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—प्रथम भाग के अन्तर्गत उस समय तक की वार्ताएँ सम्मिलित हैं जब केवल अमेरिका ही अणु-बम का स्वामी था, द्वितीय भाग का आरम्भ तब से माना जा सकता है जब सोवियत संघ ने भी अणु बम का निर्माण कर लिया। निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में ए.जी.वादी और मार्क्सवादी दोनों ही धर्मों में विरोधी दृष्टिकोण मिलता है और इस दिशा में किये जाने वाले प्रयासों का क्षेत्र संयुक्त राष्ट्रसंघ भी है तथा निजी वार्ताएँ भी। द्वितीय महायुद्ध के बाद निःशस्त्रीकरण की दिशा में जो भी प्रयास किये गये हैं उन्हें निम्नलिखित शीर्षकों में प्रकट करना उपयुक्त होगा—

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में निःशस्त्रीकरण की व्यवस्था—यद्यपि राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत निःशस्त्रीकरण के प्रयास असफल रहें थे, किन्तु विश्व के राजनीतियों ने निःशस्त्रीकरण की आशा न त्यागते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःशस्त्रीकरण के प्रयास जारी रखे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाएँ की गई हैं जो आज भी यथापूर्व प्रभावी हैं। संघ का चार्टर निःशस्त्रीकरण को महामत्त और सुरक्षा परिषद दोनों ही की कर्तव्य सूची में सम्मिलित करता है। अनुच्छेद ११ में कहा गया है—“महासभा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने में सहयोग के सामान्य सिद्धान्तों पर विचार कर सकती है, इनमें निःशस्त्रीकरण और शस्त्र-नियन्त्रण के सिद्धान्त भी शामिल होंगे।” अनुच्छेद २६ में उल्लिखित है—“अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की ऐसे ढंग से स्थापना करने और ऐसे ढंग से उसे बनाये रखने के लिए कि जिसमें सशस्त्र की जन शक्ति और आर्षिक साधनों की कम से कम मात्रा शस्त्रों पर स्वर्च हो, सुरक्षा परिषद पर यह भार होगा कि वह अनुच्छेद ४७ में बताई सैनिक सहायता समिति की सहायता से ऐसी योजनाओं को संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों के सामने रखे, जिनसे शस्त्र नियन्त्रण की एक पद्धति स्थापित हो सके।”

आगे चल कर चार्टर का अनुच्छेद ४७ इस बात की व्यवस्था करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना और अभिवृद्धि के लिए सुरक्षा परिषद सेना सहायता समिति की सहायता से ऐसी सेनाएँ बनाने के लिए उत्तरदायी होगी, जिसमें सशस्त्र के मनुष्यों के आर्षिक साधनों का उपयोग

दस्त्रीकरण के लिए कम से कम हो। ये योजनाएं समुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों के सामने पेश की जाएंगी जिससे कि वे दसनों के नियम को समुचित व्यवस्था स्थापित कर सकें।

समुक्त राष्ट्रसभ ने प्रारम्भ में ही निःशस्त्रीकरण की समस्या पर ध्यान देना शुरु कर दिया। २४ जनवरी, १९४६ को सत्र द्वारा परमाणु शक्ति आयोग (Atomic Energy Commission) की स्थापना की गई जिसका प्रधान उद्देश्य था—

“एक ऐसी योजना का निर्माण जिसके अन्तर्गत राष्ट्र परमाणु शक्ति के उत्पादन को अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के अन्तर्गत रखने को तैयार हो जाय, ताकि केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को निश्चित व्यवस्था की जा सके और आणविक तथा सामूहिक विनाश के अन्य सभी दस्त्रों का पूर्ण निषेध किया जा सके।”

अणु शक्ति आयोग कार्य करता रहा, किन्तु इसे वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई। १४ दिसम्बर, १९४६ की महासभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें अणुशक्ति आयोग के कार्य को बढ़ाने तथा सुरक्षा परिषद को दस्त्रों की सीमित एवं मर्यादित करने की सिफारिश की गयी। हमारे शब्दों में इस प्रस्ताव का आशय था कि अणुशक्ति आयोग अपने कार्य में तीव्रता लाये तथा सुरक्षा परिषद् शीघ्रता पूर्वक दसनों के पटाने और उनका निदमन करने की व्यावहारिक योजनाएं बनाये। इस प्रस्ताव के पारित होने के लगभग तीन मास बाद सुरक्षा परिषद् ने ‘परम्परागत हथियारों के आयोग’ (The Commission for Conventional Armaments) की रचना की। इस आयोग में सुरक्षा परिषद् के सभी सदस्य थे। इन आयोग का कार्य केवल परम्परागत दस्त्रों को सीमित एवं नियमित करने के प्रस्ताव रखना ही था, अणु दस्त्रों एवं विनाश के व्यापक साधनों से इसका सम्बन्ध न था। इस कार्य के लिए परिषद् द्वारा अणु शक्ति आयोग की स्थापना पहले ही की जा चुकी थी, जिसका उत्तर दे दिया जा चुका है।

निःशस्त्रीकरण समुक्त राष्ट्रसभ द्वारा उपरोक्त दो आयोगों की स्थापना भी हो गई और महा शक्तियों द्वारा विविध प्रस्ताव भी रखे गये लेकिन इन सब प्रयासों का नतीजा कुछ मिला कर दृश्य रहा। शान्ति की दिशा में दहन के विपरीत उलटै इन प्रयासों ने शीत-युद्ध को प्रोत्साहन दिया। इन दस्त्रीकरण-बातालाप में कोई प्रगति नहीं हो सकी। महा शक्तियां अपने प्रस्ताव-प्रति प्रस्ताव रखती रही और विश्व-शान्ति का भयंकर अन्धकार में डालता रहा।”

१६ नवम्बर, १९५१ को पश्चिमी देशों ने राष्ट्रपति ट्रुमैन के इस सुझाव को अपने प्रसन व द्वारा नमस्तेन दिया कि "अणु शक्ति आयोग" और "अपरमाणु हथियारों के आयोग" को मिलाकर उनके स्थान पर "अणु शक्ति निःशस्त्रीकरण आयोग" (Disarmament Commission) की स्थापना की जाय और उसे यह काम सौंपा जाय कि वह एक ऐसी समिति का प्राण्य तैयार करे जिसमें समस्त अणुशक्त देशों और शस्त्रास्त्रों के इस दृष्टि में नियमन हो, जिसमें प्रत्येक देश के पास सुरक्षा के लिए तो पर्याप्त मात्रा में अणुशक्ति हो, जिसमें अणुशक्ति के प्रयोग की दृष्टि से पर्याप्त न हों। इस प्रस्ताव में यह भी उल्लिखित था कि आयोग विभिन्न देशों के पास अणुशस्त्रों का पना लगाने के लिए प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण की व्यवस्था की योजना बनये। १६ दिसम्बर, १९५१ को महासभा की राजनीतिय और सुरक्षा समिति ने पश्चिमी देशों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यद्यपि अणु शक्ति आयोग की स्थापना ही सभी हिन्दू सोवियत विरोध के कारण आयोग द्वारा पेश किये जाने वाले प्रस्तावों को त्रिधा-त्रिध नही किया जा सका।

८ दिसम्बर १९५३ को मजुक्त राष्ट्र मधीय महासभा के समक्ष अपने भाषण में तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति आर्जजन होवर ने कृत्यागकारी कारणों के लिए अणु सामग्री का अन्तर्राष्ट्रीय संप्रह स्थापित करने की अपील की जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति एजेंसी (International Atomic Energy Agency) अस्तित्व में आई।

अप्रैल १९५४ में निःशस्त्रीकरण सम्मया पर विचार करने के लिए निःशस्त्रीकरण आयोग की एक पक्ष राष्ट्रीय उर समिति की स्थापना की गई। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पनाशा और रूस इसके सदस्य बन। निःशस्त्रीकरण के कार्य में प्रगति के लिए इस उर समिति की अनेक बैठकें हुईं किन्तु कोई नतीजा नहीं निकल पाया। १९५४ तक पूरी तरह यह स्थिति ही चाली रही कि एक पक्ष की ओर से निःशस्त्रीकरण के जो प्रस्ताव आते, दूसरे पक्ष की ओर से टकरा दिये जाते।

बेनेवा-सम्मोजन, १९५५ तथा अणुशक्ति आकाश योजना—लुडार्ड, १९५५ में जेनवा में अमेरिका के राष्ट्रपति तथा रूस, ब्रिटेन एवं फ्रांस के प्रधान मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति आर्जजन होवर द्वारा मुक्त आकाश की योजना (Open Skies Plan) प्रस्तुत की गई। इस योजना के अनुसार यह प्रस्ताव रखा गया कि रूस व अमेरिका एक दूसरे को अपनी सैनिक गतिविधियों के अवगत बनायें रमें और एक देश को दूसरे देश के आकाश पर निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाये। इस प्रकार

से निःसस्त्रीकरण को सम्भव बनाने के लिए प्रभावशाली निरीक्षण पद्धति को गृह किया जा सकता है। सोवियत-घान मन्त्री द्वारा इस योजना की कड़ी आलोचना की गई। यह उनको कियो भी प्रकार स्वीकार्य न था। कारण यह था कि अमरीका के सैनिक अन्धे सारे विश्व में तिरहित हो रहे थे जबकि सोवियत रूस के उसके अपने ही देश में थे। इस हालत में अमरीका तो इस का सारा भेद जान जाता किन्तु सोवियत संघ अमरीका की शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जान पाता। इसलिये सोवियत प्रधानमन्त्री बुगानिन ने एक दूसरा ही प्रस्ताव सम्मेलन के सामने रखा वह यह कि निःसस्त्रीकरण को प्रियान्वित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण अभिकरण की स्थापना की जाय जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर निरीक्षकों की नियुक्ति की जाये—सभी देशों से विदेशी अड़्डों को खत्म कर दिया जाये—आणविक शस्त्रों के परीक्षण पर पाबन्दी लगा दी जाय और परम्परागत शस्त्रों की बनी भी जाय। यह प्रस्ताव पश्चिम को मान्य न हुआ। विस्तर सम्मेलन में मतभेद बन रहे और इन मतभेदों के कारण ही अक्टूबर, १९५५ में हान वाला विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन भी इसी प्रकार असफल हो गया। दिसम्बर, १९५५ में भारत ने आणविक शस्त्रों के परीक्षण पर पाबन्दी लगाने की माय की तथा शस्त्रों से सम्बन्धित एक अल्पजातीय सन्धि का मुस्ताव दिया किन्तु अमरीका को यह स्वीकार न ही मना।

लन्दन सम्मेलन, १९५६ (London Conference)—निःसस्त्रीकरण उपसमिति की बैठकों में पैदा हुए गतिरोध को मिटाने के लिये १४ जून १९५६ को लन्दन में निःसस्त्रीकरण आयोग की उपसमिति की बैठक हुई। इस द्वारा इस सम्मेलन में त्रिसूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार था—

- (१) दो वर्षों के लिये आणविक परीक्षण बन्द कर दिया जाय।
- (२) आणविक परीक्षण की इस पाबन्दी को प्रियान्वित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाय।

(३) उपयुक्त वैज्ञानिक शस्त्रों के सहित अमरीका, रूस तथा ब्रिटेन को मिलाकर प्रशान्त महासागर में नियन्त्रण चौकिया स्थापित की जायें ताकि इस समझौते के प्रियान्वित रूप पर निगरानी रखी जा सक। ये प्रस्ताव पश्चिम को मान्य नहीं हुए। इसके स्थान पर दूसरे प्रस्ताव रये गये। आइजन्होवर ने मुझे आशात वाला अपना प्रस्ताव दुहराया। सोवियत प्रतिनिधि जेरिन ने अपने पक्ष के समर्थन में बहुत कुछ कहा किन्तु सब कुछ अरुण्य-रोदन की भाँति बेकार गया। ६ सितम्बर १९५७ को उपसमिति ने सम्मेलन की असफलता घोषित कर दी। तत्पश्चात् इसकी बैठक बन्द हो गई।

नि शस्त्रीकरण आयोग का विस्तार एवं स्पूननिक बूटनीति—नि शस्त्रीकरण उा समिति को असफलता के बाद महासभा के बारहवें अधिवेशन में सधुन राज् अमेरिका ने नि शस्त्रीकरण की दिगा में सीमित किन्तु स्रष्ट कदम उठाने पर अधिक बल दिया । द्वार सोवियत सघ नि शस्त्रीकरण आयोग की सदस्य सख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा था । उसका कहना था कि महासभा के सभी सदस्य राष्ट्रों को उसमें स्थान दिया जाय । २६ मितम्बर, १९५३ को भारत द्वारा महासभा में एक प्रस्ताव पन करके यह माग की गयी कि नि शस्त्रीकरण आयोग और उसकी उा समिति में सदस्यों की सख्या बड़ाई जाय । इस प्रस्ताव में ओर भी कई सुझाव दिये गये थे जिनमें आणविक शस्त्रास्त्रों को सत्प करने पर अधिक जोर दिया गया । सोवियत सघ ने भारत का समर्थन करते हुए आयोग के सदस्यों को बढ़ाने का जोरदार आग्रह किया । वही इस बात को लेकर नि शस्त्रीकरण वार्ता ही न टूट जाय, इसलिए आयोग के सदस्यों की नवम्बर, १९५७ में सख्या बड़ा कर २५ कर दी गयी किन्तु इस इतने में ही सन्तुष्ट न हुआ उसने स्रष्ट कह दिया कि जब तक नि शस्त्रीकरण आयोग में उनकी माग के अनुसार विस्तार नहीं किया जायगा, वह आयोग की किसी बैठक में शामिल नहीं होगा । वास्तव में सोवियत सघ को इस हठ के पीछे उस समय उसकी स्पूननिक बूटनीति काम कर रही थी । २६ अगस्त, १९५७ को रूस ने यह दावा करके पश्चिमी राष्ट्रों में भय और सन्देह जागृत कर दिया था कि उसने अन्तर-महाद्वीप प्रक्षेपणस्त्र (Inter Continental Ballistic Missile—ICBM) का सफल परीक्षण कर लिया है और इससे विध्वंसक बम के गोले का दुनिया के किसी भी हिस्से में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में पंका जा सकता है । पश्चिम को पहले तो रूस की इस घोषणा पर विश्वास नहीं हुआ लेकिन जब ४ अक्टूबर, १९५७ को रूस ने पृथ्वी के चारों ओर घूमन वाला एक कृत्रिम उग्रह (Sputnik) छाट दिया तो सम्पूर्ण पश्चिमी जगत् रूस की इस वैज्ञानिक प्रगति से स्तब्ध रह गये और नि शस्त्रीकरण की आवश्यकता तीव्रता में अनुभूत की जाने लगी । चू कि इस समय शस्त्रों की दौड़ में सोवियत सघ का पनडा भारी हो चुका था, अतः नि शस्त्रीकरण के प्रति वह कड़े रक्ष का अवलम्बन करने लगा ।

सुलगातित योजना—यद्यपि दानो ही पक्षों की ओर में प्रस्तावों को प्रस्तुत एवं अस्वीकृत किये जाने का क्रम जारी रहा ता भी प्रस्तावकों न द्वार न मानी । ३ फरवरी १९५८ को रूसी प्रधानमन्त्री बुलगातित द्वारा राष्ट्रपति आइज़नहोवर के सम्मुख नि शस्त्रीकरण की एक विस्तृत योजना रखी गई । इस योजना के मुख्य पहलू निम्न प्रकार थे—

(१) अगु यर्षों के परीक्षणों को रन्द दिया जाये ।

- (२) अमरीका, रूस व ब्रिटेन आणविक सशस्त्रों का परित्याग कर दें ।
- (३) जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों में विदेशी सेनाओं को घटाना जाए ।
- (४) नाटो तथा वारसावैकट के देशों में अनाश्रयण समझौता हो ।
- (५) आणविक आक्रमणों को रोका जाए ।

१५ मार्च, १९५८ को इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर सोवियत विदेश मन्त्रालय द्वारा कुछ अन्य प्रस्ताव भी रखे गये । जैसे सैनिक प्रयोजनों के लिए बाह्य आकाश (Outer Space) के प्रयोग का नियंत्रण तथा समुचित राष्ट्रसंघ की देखरेख में एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्था द्वारा उपरोक्त नियंत्रण के पालन का निरीक्षण किया जाये । अमरीकी गुट द्वारा इसका भी कोई संतोषजनक जवाब न दिया गया ।

रापाकी योजना (Rapaki Plan)—इसी समय पीर्लैंड के विदेश-मन्त्री ने एक योजना प्रस्तुत की । इस योजना में यूरोप में सुरक्षा और शान्ति बनाने रखने के लिए पीर्लैंड, चेकोस्लोवाकिया, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी को अणुविहीन क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया गया था अर्थात् इन देशों में आणविक अस्त्रों का निर्माण, संचालन एवं उपयोग न किया जाए । सोवियत संघ द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया किन्तु अमरीका की कोई सतोषजनक प्रतिक्रिया न हुई ।

सोवियत संघ के विविध प्रस्तावों की इस तरह अवहेलना होती रहने पर ३१ मार्च, १९५८ को उसने एकतरफा बयान किया जिसे उस समय अप्रत्यक्ष-सहाय्यीय माना गया । उस दिन सुप्रीम सोवियत ने सर्व-सम्मति से एक प्रस्ताव पास किया जिसमें यह कहा गया कि सोवियत संघ ने इस आशा से सभी प्रकार के आणविक परीक्षण बन्द कर दिए हैं कि अन्य देश भी उसका अनुसरण करेंगे । किन्तु यदि दूसरे देशों द्वारा आणविक परीक्षण बन्द न किये गए तो वह भी उनको पुनः प्रारम्भ कर सकता है ।

आइज़नहोवर की प्रतिक्रिया—अमरीकी प्रशासन सोवियत संघ के स्तुतिक कूटनीति से तंग आ गया था अतः २ अप्रैल, १९५८ को राष्ट्रपति आइज़नहोवर ने रूस को इन प्रस्तावों का जवाब भेजा । उसमें कहा गया कि सोवियत संघ के सभी प्रस्ताव एवं आणविक परीक्षण का स्थान आदि प्रचारात्मक कार्य हैं । राष्ट्रपति द्वारा रूस के उन कार्यों का वर्णन किया गया जिनके कारण निःसस्त्रीकरण के अर्थ तक के प्रयास संभव नहीं हो सके थे । बाद में यह घोषणा की गई कि 'एनो बी टोक' में चल रहे अमरीकी आणविक परीक्षण

के समाप्त होने पर अमरीका को यह निश्चित हो गया कि रूस ने सबमुक्त परीक्षण बन्द कर दिये हैं तो अमरीका भी उनको बन्द करने की बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा।

जेनेवा सम्मेलन १९५८ (Geneva Conference)— ३१ अक्टूबर, १९५८ से जेनेवा में निःशस्त्रीकरण पर अनेक प्रस्ताव पास किये गये। रूस का कहना था कि ये परीक्षण सदा के लिए बन्द कर दिये जायें, किन्तु अमरीका व ब्रिटेन प्रारम्भ में इनको एक वर्ष के लिये बन्द करने के पक्ष में थे। कुछ बातों पर दोनों पक्ष सहमत थे किन्तु फिर भी मतभेद की खाई इतनी चौड़ी थी कि दोनों किनारे मिल न पाये। इससे कोई उपयोगी समझौता न किया जा सका।

खुश्चेव का प्रस्ताव—सन् १९५६ में सोवियत रूस के प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र मध्य की महासभा में पूर्ण निःशस्त्रीकरण का प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि चार वर्ष की अवधि में सभी राज्यों को पूर्ण निःशस्त्रीकरण कर लेना चाहिए ताकि किसी राज्य के पास युद्ध करने का कोई साधन न रह जाए। राज्यों को सब प्रकार की सशस्त्र सेना का परित्याग करना था केवल शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना के लिए कुछ पुलिस शक्ति रखी जा सकती थी। खुश्चेव को इस पूर्ण निःशस्त्रीकरण की योजना को शायद दूसरे गुट वाले स्वीकार नहीं करते, इसी कारण उन्होंने आशिक निःशस्त्रीकरण की योजना भी प्रस्तुत की जिसमें निम्न मूल्य थे—

- (१) नाटो संगठन के सदस्य एवं पश्चिमी राज्यों के साथ वारसा पैक्ट के राज्यों की अनाक्रमण संधि हो,
- (२) एक राज्य दूसरे राज्य पर आकस्मिक आक्रमण रोकने के विषय में समझौता करे,
- (३) यूरोपीय राज्यों से सभी विदेशी सेनाएं हटाई जायें,
- (४) मध्य यूरोप में आणविक आयुधों से रहित क्षेत्र (Nuclear Free Zone) कायम किया जाए,
- (५) आकस्मिक आक्रमणों को रोकना जाए।

खुश्चेव का विचार था कि निःशस्त्रीकरण का समझौता हो जाने के बाद उसे कार्यान्वित करने के लिए कठोर नियन्त्रण रखा जाय किन्तु निःशस्त्रीकरण के बिना नियन्त्रण का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। इसी प्रयागमंत्री के इस प्रस्ताव का सब देशों द्वारा स्वागत किया गया किन्तु पश्चिमी शक्तियों द्वारा इसे मजाक का विषय बना दिया गया और इस प्रकार गतिरोध बना ही रहा।

जेनेवा सम्मेलन (Geneva Conference), १९६०—निःशस्त्रीकरण आयोग पर विचार करने के लिए पुन १९६० में जेनेवा में एक सम्मेलन बुलाया गया। इन बार एक ही समय दो सम्मेलन चल रहे थे एक तो दस राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन और दूसरा था आणविक क्लब के तीन सदस्यों की वार्ता जिसका लक्ष्य था आणविक परीक्षणों को रोक देना। ये दोनों ही सम्मेलन आसामानक रूप से सफलता प्राप्त न कर सके। २६ जून, १९६० को दस राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन भी हो गया।

जुलाई १९६० से मई १९६३ तक का काल (The period between 1960 to 1963)—निःशस्त्रीकरण से सम्बन्धित प्रश्न पर रूसी एवं अमरीकी गुट के बीच कई बातों पर मतभेद है उदाहरण के लिए आणविक परीक्षण, नियंत्रण, आणविक आयु, सैनिकों की सहाय, खुला आकाश, वाह्य अन्तरिक्ष आदि। दिसम्बर, १९६० में १० राष्ट्रों के निःशस्त्रीकरण आयोग का रूस ने इस आधार पर बहिष्कार किया कि वह संधि के सभी सदस्यों का एक आयोग बनाने की मांग कर रहा था। १९६१ में १८ सदस्यों का एक आयोग स्थापित किया गया किन्तु फ्रान्स ने इसका प्रारम्भ से बहिष्कार किया और केवल १३ सदस्य शेष रह गये। १९६१ में महासभा के मतानुसार पर भी सोवियत रूस द्वारा ५० मेगाटन बम का परीक्षण किया गया। नवम्बर ३, १९६१ को महासभा की राजनैतिक समिति में पाच अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर भारत द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि आणविक परीक्षणों पर जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता है तब तक इनको बन्द हो रखा जाय। ब्रिटेन, फ्रान्स, अमरीका व रूस चारों ही शक्तियों ने इसका विरोध किया किन्तु यह प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया। बाद में साधारण सभा ने भी इसे स्वीकार कर लिया। साधारण सभा द्वारा एक और अन्य प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया जिसमें यह कहा गया था कि यदि किसी देश द्वारा आणुशस्त्रों का प्रयोग किया गया तो इसे संधि के चार्टर का खुला उल्लंघन माना जायगा। प्रस्ताव ने अमरीका में आणविक परीक्षण न करने की बात कही। रूस ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि पश्चिमी शक्तियों का मत इसके विरोध में था।

मार्च १९६२ में विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ किन्तु यह अधिक सफल न रहा। इसी समय जेनेवा में निःशस्त्रीकरण आयोग का सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। भारत का यह प्रस्ताव था कि आणविक परीक्षणों का पता लगाने के लिए सदस्य राष्ट्रों के स्टेसन कायम किये जायें। अग्रेत में अमरीका द्वारा आणविक परीक्षण किया गया तथा जुलाई में सोवियत संघ द्वारा भी

ऐसा ही किया गया। इन सबके कारण निःशस्त्रीकरण की सारी आशाएँ लुप्त हो गयीं। १२ फरवरी, १९६३ को जेनेवा में निःशस्त्रीकरण सम्मेलन प्रारम्भ होने पर उस ने यह प्रस्ताव रखा कि दोनों ही पक्ष यह समझौता कर लें कि दूसरे देशों की भूमि में तीन महान् आणविक शक्तियाँ आणविक अड्डे कायम नहीं करेंगी। इस प्रस्ताव को पश्चिमी गुट द्वारा ठुकरा दिया गया।

अणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि १९६३ — कैंनेडी और खुश्चेव के प्रयत्नों से निःशस्त्रीकरण वार्ता में और प्रगति हुई। १४ जुलाई, १९६३ को मास्को में ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ और २५ जुलाई, १९६३ को तीनों देशों ने "सीमित परमाणु प्रतिबन्ध सन्धि" पर हस्ताक्षर कर दिये।

वाशिंगटन, लन्दन तथा मास्को में सपुष्टि-पत्रों के आदान प्रदान के साथ १० अक्टूबर, १९६३ को यह सन्धि लागू हो गयी। उस समय तक लग-भग १०० राष्ट्र इस सन्धि पर हस्ताक्षर कर चुके थे।

इस सन्धि के द्वारा भूगर्भ परीक्षणों को छोड़कर बाह्य आकाश, जल और वायु-मण्डल में अणु-परीक्षण करने पर रोक लग गयी। १९५५ की आस्ट्रिया की शान्ति सन्धि के बाद पूर्व और पश्चिम का यह सबसे बड़ा समझौता था। इसका विश्व में सर्वत्र स्वागत हुआ। भारत ने इस सन्धि पर अन्य राष्ट्रों में प्रथम हस्ताक्षर किये। फ्रांस ने अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और साम्यवादी चीन इस सन्धि का विरोधी रहा है।

अणु-परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि ५ धाराओं की छोटी सी, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में असाधारण महत्त्व रखने वाली सन्धि है। इसकी प्रस्तावना में तीनों देशों (ब्रिटेन, रूस व अमेरिका) ने यह घोषणा की है कि उनका प्रधान उद्देश्य—

"शान्त राष्ट्र समूह के लक्ष्यों के अनुसार बड़े अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण में एक सामान्य और पूर्ण निःशस्त्रीकरण का समझौता यथा सम्भव शीघ्र ही कराना है ताकि शस्त्रों के उत्पादन और निर्माण की प्रतिस्पर्धा बन्द हो सके।"

सन्धि की पाँचों धाराओं का शीर्षक रूप में इस प्रकार है—

पहली धारा में तीनों देशों द्वारा यह निश्चय किया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र और नियन्त्रण में विद्यमान किसी भी प्रदेश के वायु-मण्डल में, इसकी सीमाओं में, बाह्य अन्तरिक्ष में, प्रादेशिक अथवा महासमुद्रों के जल में कोई भी आणविक विस्फोट नहीं करेंगे और इस प्रकार के आणविक विस्फोटों को रोक देंगे।

दूसरी धारा में सन्धि के संशोधन की व्यवस्था है। सन्धि में संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सरकार द्वारा रखा जा सकता है और हस्ताक्षरकर्ता राज्यों में से यदि एक-तिहाई प्रस्ताव के पक्ष में हों तो संशोधनों पर विचार हो सकता है।

तीसरी धारा के अनुसार इस सन्धि पर सब देश हस्ताक्षर कर सकते हैं। यह व्यवस्था है कि हस्ताक्षरकर्ता देश इस पर अपनी ससद अपना राष्ट्रीय परिषद् से इसकी पुष्टि करेंगे और इन पुष्टियों या सपुष्टियों की उन्हें हस, अमेरिका एव फ्रेट ब्रिटेन के पास जमा कराना पड़ेगा।

चौथी धारा में उल्लिखित है कि यह सन्धि असीमित अवधि (Unlimited duration) के लिए है, हालांकि हस्ताक्षरकर्ता प्रत्येक देश को यह अधिकार होगा कि वह अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हुए उस समय स्वयं को इस सन्धि की बाध्यताओं से मुक्त कर ले, जब वह यह निर्णय करे कि इस सन्धि के सम्बन्धन ऐसी असामान्य घटना घटित हुई है कि उससे उस देश का सर्वोच्च हित सवट में पड़ गया है। इस धारा में कहा गया है कि उपरोक्त अवस्था में सन्धि से हटने की इच्छा करने वाले देश सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य देशों को तीन महीने पहले अपने पुष्क होने का नोटिस दे देगा।

पाचवी धारा में यह कहा गया है कि इस सन्धि के वही भाषा के तथा अंग्रेजी के दोनों रूप समान रूप से प्रामाणिक समझ जायेंगे।

अगु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि का सत्कार के अधिकांशतः सभी छोटे बड़े राष्ट्रों ने पूर्ण स्वागत किया। यह सन्धि केवल निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में ही एक महान् घटना नहीं थी, बरन् यह शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में भी एक प्रभावशाली सुसंवात थी जिसके कारण विश्व इतिहास में एक नये अध्याय का प्रारम्भ हुआ।

नि शस्त्रीकरण की दिशा में १९६३ के उपरान्त किये गये प्रयास— १९६३ में राष्ट्रपति कनेडी की हत्या हो गई। नये अमेरिकन राष्ट्रपति लिन्डन बी. जानसन को घुम-कामना सन्देश भेजते हुए वही प्रधानमंत्री खू र्खेव ने इस बात पर बल दिया कि नि शस्त्रीकरण सम्बन्धी प्रयासों के साथ-साथ संघर्षों के कारणों को दूर करने के और सीमा संघर्षों के कारण को मिटाने के तथा सीमा शिवाहों को हल करने के लिए बल-प्रयोग न करने की प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जाय। थी खू र्खेव ने सुझाया कि एव ऐसी सन्धि की जानी चाहिये जिसके अन्तर्गत सीमा संघर्षों के समाधान के लिए बल-प्रयोग करना वर्जित कर दिया जाय।

माचं, १९६४ में जेनेवा में निःशस्त्रीकरण सम्मेलन पुनः प्रारम्भ हुआ जिसमें अमेरिका और रूस की तरफ से प्रस्ताव प्रति प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। किन्तु इन प्रयत्नों का कोई मसुर फल नहीं निकला। सितम्बर में निःशस्त्रीकरण सम्मेलन कुछ काल के लिए स्थगित कर दिया गया और इसी के कुछ दिनों बाद ५ अक्टूबर, १९६४ को काहिरा में तटस्थ राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री और मिश्र व राष्ट्रपति कर्नल नाथूर ने संयुक्त विज्ञापित में पूर्ण निःशस्त्रीकरण पर बल दिया।

कुछ ही दिनों बाद चीन ने अपने प्रथम अणुबम का परीक्षण कर लिया। १९६३ के जेनेवा समझौते का यह प्रथम उल्लंघन था। सारे संसार में इसकी बड़ी आलोचना हुई। २६ नवम्बर, १९६४ को संयुक्त राष्ट्र सभ की महासभा ने एक प्रस्ताव पास करके निःशस्त्रीकरण आयोग से आग्रह किया कि परमाणुबम आयुधों के सम्बन्ध में शीघ्रतापूर्वक किसी प्रकार का समझौता अवश्य होना चाहिए।

२७ जुलाई, १९६५ को जेनेवा में निःशस्त्रीकरण के आयोग की बैठक फिर बुलाई गई। सम्मेलन के आरम्भ होने के समय ही रूसी और अमेरिकन मतभेद तेजी से उभर आये। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने ऐसे ऐसे भाषण दिये कि सम्मेलन के भाग्य का फलला हो गया। यद्यपि दोनों ही पक्षों में आणविक आयुधों की भयानकता के सम्बन्ध में कोई मतभेद न था, लेकिन इन आयुधों की निर्दिष्टता करके तरीकों के बीच हाट-तीन मौलिक मतभेद थे।

तटस्थ राष्ट्रों के प्रयत्नों से १७ राष्ट्रों का (भारत सहित) निःशस्त्रीकरण सम्मेलन पुनः जेनेवा में प्रारम्भ हुआ जो जनवरी, १९६६ से अगस्त तक पूरे ७ महिने चलता रहा। सम्मेलन में दोनों ही शक्तियाँ अपनी हठवादी प्रवृत्ति का प्रदर्शन करती रही जिसका स्वाभाविक परिणाम यह निकला कि यह सम्मेलन भी बिना किसी प्रकार महत्वपूर्ण निर्णय के ही समाप्त हो गया।

१९६८ की परमाणु अस्त्र विरोधी संधि (The Non-Proliferation Treaty, 1968)—निःशस्त्रीकरण की दिशा में तथा परमाणु अस्त्रों पर रोक लगाने के लिए प्रयासों का प्रथम चरण चलता रहा और १९६८ में जेनेवा में पुनः अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन भी ऊपरोक्त लक्ष्य तक नहीं पहुँचा ही था कि अगस्त के अन्तिम सप्ताह में अमेरिकन और रूसी प्रतिनिधियों ने यह घोषणा की कि परमाणु अस्त्र संधि के मसविदे के बारे में दोनों महा शक्तियों में मोटे तौर पर एक समझौता हो गया है।

इस प्रस्तावित संधि अपना समझौते का मसविदा बड़ा लम्बा चींटा था तथापि सारागत उसकी मूल बातें निम्नानुसार थीं —

मसविदे के पहले अनुच्छेद में यह कहा गया है कि परमाणु-अस्त्र सम्पन्न राष्ट्र परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की सहायता न दे देंगे।

दूसरे अनुच्छेद में कहा गया था कि हस्ताक्षर करने वाले परमाणु अस्त्रविहीन राष्ट्र परमाणु अस्त्र बनाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे।

तीसरा अनुच्छेद परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगाने की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सम्बन्ध में था। इस अनुच्छेद में कुल एक पवित्र है। अभी इस विषय में कोई समझौता नहीं हो सकता है।

चौथा अनुच्छेद उन राष्ट्रों को आश्चर्य करने के लिए रखा गया है जिन्होंने अपने यहां आणविक उद्योग का काफ़ी विकास कर लिया है। इसमें कहा गया है कि हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों को अनैतिक कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का विकास करने में पूरी छूट रहेगी।

पाचवें, छठे और सातवें अनुच्छेद में कार्यान्वयन-सम्बन्धी व्यवस्थाएँ थीं—लेकिन संधि में कहीं भी यह नहीं बताया गया कि अगर किसी परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र पर कोई परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र हमला करता है तो हस्ताक्षर करने वाले देश उसके हथियारों की बर्बाद करवा देंगे ? तीसरे अनुच्छेद के बारे में कोई समझौता न हो सकने के कारण किन्हाल किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की परिकल्पना भी नहीं हो सकी है जो किसी परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र का परमाणु-अस्त्र बनाने से रोक सके, जो विभिन्न देशों के परमाणु-शक्ति के विकास के कार्यक्रमों का निरोधक और नियन्त्रण करके यह गारन्टी दे सके कि अनैतिक उपयोग के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह सैनिक उपयोग में नहीं आयेगा और जो हस्ताक्षर करने वाले परमाणु शक्ति-विहीन राष्ट्रों की शान्तिपूर्ण उपयोगों के लिए परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों में परमाणु शक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी और सामग्री दिया सके।

स्पष्ट है कि समुचित व्यवस्थाओं के जन्म में प्रस्तावित संधि का कोई महत्व नहीं रह गया और इसीलिए परमाणु अस्त्र-विहीन राष्ट्रों ने मसविदे की जमकर आलोचना की। फ्रान्स, पश्चिमी जर्मनी, इटली और भारत ने संधि पर बहुत अप्रिय आपत्ति की। पश्चिमी जर्मनी, इटली और फ्रान्स ने यह महसूस किया कि परमाणु अस्त्र सम्पन्न सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन के सामने वे यूरोप में बौने होकर रह जायेंगे। भारत को परमाणु-अस्त्र सम्पन्न

चीन से अपरदस्त खतरा है और प्रस्तावित सन्धि हम खतरे को दूर नहीं कर सकती।

अनक राष्ट्रो द्वारा विभिन्न त्रापत्तियों के बावजूद भी २४ अप्रैल, १९६८ को संयुक्त राष्ट्रमण की महासभा के विशेष अधिवेशन में इस प्रस्तावित सन्धि पर विचार प्रारम्भ हुआ और राजनीति समिति में काफी विचार-विमर्श होने के उपरान्त १३ जून, १९६८ को महा-सभा ने प्रबल सहमति से सन्धि पर अपनी स्वीकृति दे दी। विपक्ष में प्राप्त मतदान में भाग नहीं लिया और भारत भी मतदान में भाग लेने वाले २१ सदस्यों में से एक था। साम्यवादी चीन भी इस सन्धि से बाध्य नहीं होगा। अल्बानिया ने, जो साम्यवादी चीन का समर्थक है, सन्धि के विरोध में वोट दिया। क्यूबा, रमानिया और जाम्बा के भी विपक्ष में वोट पड़े।

जो भी हो यह निःसंदिग्ध है कि निःशस्त्रीकरण की दिशा में यह परमाणविक आयुध प्रसार प्रतिबन्ध सन्धि अगस्त, १९६३ की परमाणविक प्रतिबन्ध सन्धि के बाद एक दूसरा ऐतिहासिक कदम है। पूर्वापेक्षा निःशस्त्रीकरण के अन्य पहलुओं के समाधान की सम्भावना अब अतिक्रम बढ़ गई है। यह सन्धि हम दृष्टिकोण को बल प्रदान करती है कि यदि महा-शक्तियां परस्पर मिल जुलकर प्रयास करें तो सक्षार की सभी समस्याय सुगमतापूर्वक सुलझ सकती हैं। वैसे यह सन्धि कुछ दृष्टियों से बड़ी दोषपूर्ण है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि एक ओर तो यह प्रतिबन्ध घोषणा गया है कि जो राष्ट्र अब तक परमाणु धर्म नहीं बना पाये हैं वे भविष्य में भी इस आरंभ नहीं बढ़ायेंगे और दूसरी ओर उन्हें परमाणु आश्रमण से बचाने के लिए यह आश्वासन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्रमण के ना-यम में उनकी अणु आयुधों से सहायता की जायेगी और यह महायत्ना देने का निणय रक्षा परिषद् करेगी। स्पष्ट है कि सुरक्षा-परिषद् महा शक्तियों के हाथ का खिलौना है। फिर इस आश्वासन का तब कोई महत्व नहीं रह जाता है जब सुरक्षा परिषद् ने किसी भी स्थायी सदस्य को किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार है इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रमण ने 'आश्रमण' शब्द की व्याख्या नहीं की है। अतः यह भ्रम बने रहने की सम्भावना है कि परिषद् किंग हालत में जिसको आश्रमणकारी समझेगी।

निःशस्त्रीकरण की समस्यायें

(Problems of disarmament)

निःशस्त्रीकरण के इतिहास के इन पृष्ठों को पढ़ने से यह ज्ञात हो पाता है कि इनमें से बहुत थोड़े से सफल हो सके थे तथा अधिकांश की असफल होना पड़ा। इस निरन्तर असफलता के पीछे अनेक कारण छिपे हैं। अनेक

ऐसी समस्याएँ हैं जो किसी भी समय को सर्वमान्य नहीं बनने देती। मॉर्गेन्थो (Morgenthau) महीदय ने निःशस्त्रीकरण की चार समस्याओं का वर्णन किया है।¹ वे निम्न प्रकार हैं—

- (१) विभिन्न राष्ट्रों के शस्त्रों के बीच परिमाण सम्बन्ध (Ratio) कितना रहेगा?
- (२) वह मापदण्ड क्या है जिसके अनुसार इस परिमाण सम्बन्ध के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार एवं गुणों के शस्त्र विभिन्न देशों के लिए निर्धारित किये जायेंगे?
- (३) जब उक्त दो प्रश्नों का जवाब दे दिया जाता है तो देखना यह है कि इन दो उत्तरों का हृषियारो की सोची गई कमी पर वास्तविक प्रभाव क्या पड़ेगा?
- (४) निःशस्त्रीकरण का अन्तर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था के विषयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

मॉर्गेन्थो का कहना है कि निःशस्त्रीकरण के किसी भी प्रयास की सफलता जांचने के लिए हमें इन चार प्रश्नों पर ही उसकी कसौटी चाहिए। इन प्रश्नों के जैसे उत्तर दिये जायेंगे उन्से यह जाना जा सकता है कि उनमें सफलता एवं असफलता की मात्रा कितनी-कितनी थी।

निःशस्त्रीकरण के मार्ग को कठिनाइयाँ

(The difficulties in the way of disarmament)

निःशस्त्रीकरण सफल होने के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं जिनमें से मुख्य मुख्य निम्नलिखित हैं—

(१) अणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों के बीच के सम्बन्धों का निर्माण अनेक आन्तरिक एवं बाह्य तत्वों से प्रभावित होता है। एक देश पहले अपने राष्ट्रीय पन की ओर दृष्टि डालता है तथा बाद में यह अन्तर्राष्ट्रीय शांति व हित को देखता है। इसी आधार पर फ्रांस ने परीक्षण प्रतिरोध सन्धि का समर्थन न किया। दो या अधिक राष्ट्रों के बीच के सम्बन्ध आज इतने अस्थिर हैं कि कल का मित्र आज वा दुश्मन बन जाता है। इन परिस्थितियों में अणु-आयुधों के रहने से भाषणकारी पर प्रतिबन्ध लग जाता है और वह सुरन्त युद्ध छेड़ने का साहस नहीं कर पाता क्योंकि दूसरे देश की शक्ति उसका भी विनाश कर सकती है। अस्थिर सम्बन्धों का भय तथा इसमें निहित खतरे और सातव्व की भावनाएँ शस्त्रों को सीमित करने के मार्ग में बाधक बन जाती हैं। आजकल सैनिक तकनीकी का इतना विकास हो चुका है कि

निःशस्त्रीकरण का नाम लेकर किसी को भी आप धोखा दे सकते हैं। शक्तिशाली शस्त्रों का छुटाकर, ऊपरी सेना घटाकर निःशस्त्रीकरण का दिखावा किया जा सकता है। जब तक यह भय दोनों पक्षों के मन में रहेगा तब तक निःशस्त्रीकरण का भविष्य उज्ज्वल नहीं है।

(२) राष्ट्रवाद एवं सम्प्रभुता की भावना के कारण एक देश यह स्वीकार नहीं करता कि उसको निःशस्त्रीकरण की क्रिया-शक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय सहायता बनाई जाये। इस प्रकार के निरीक्षण द्वारा एक देश की स्वतन्त्रता पर जो अंकुश लगता है उसे स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं होता। यही कारण है कि निःशस्त्रीकरण योजना की सफलता से पूर्व विश्व सरकार की स्थापना का समर्थन किया जाता है।

(३) निःशस्त्रीकरण के कारण एक देश की अर्थ व्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ता है। शस्त्रों के निर्माण पर व्यय होने वाली भारी राशि का शस्त्र निर्माण बन्द कर देने पर रचनात्मक कार्यों में कैसे उपयोग किया जायगा, उससे अर्थ व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जायगी आदि भय रहते हैं तथा यह आशा भी रहती है कि इसे अर्थ-विकसित देशों के विकास के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यह भी सम्भव है कि निःशस्त्रीकरण के आर्थिक परिणामों का भय एव आशा अवास्तविक है। इस आशा एवं भय का पश्चिमी सम्पन्न समाज पर क्या असर होता है यह भी अनुमान का विषय है।

(४) निःशस्त्रीकरण करते समय देशों के लिए शस्त्रों का जो अनुपात निर्धारित किया जाता है उसके कारण देशों के बीच मत-मुटाव अविश्वास की भावना पैदा होती है। शस्त्रों की सीमा निर्धारण के समय प्रत्येक देश को दूसरे देश के प्रति यह शक्य रहनी है कि शायद वह अपनी शक्ति को बढ़ाने तथा विरोधी पक्ष की शक्ति घटाने का प्रयत्न कर रहा है। प्रत्येक देश उस शक्ति को कम करना चाहता है जो उसने लिए घातक है। १९४६ में आगु शस्त्रों की मिटाने के लिए रूस एवं अमरीका दोनों ही देशों द्वारा किए गए प्रस्ताव एक पक्षीय थे। तकनीकी रूप से यह बड़ा कठिन काम है कि एक देश की सैनिक आवश्यकता को देखा जाय तथा उसी अनुपात में उसकी सैनिक शक्ति को घटाया जाय। जान फोस्टर टनेस के मतानुसार इसी समस्या के कारण आज तक अमरीका द्वारा निःशस्त्रीकरण की योजनाओं का समर्थन सच्चे दिल से न किया जा सका। इन समस्या के दो मुद्दा प्रस्तुत किये जाते हैं—(१) पूर्ण रूप से निःशस्त्रीकरण बन्द दिया जाये (२) अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस शक्ति द्वारा देशों की सैन्यिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए। विन्तु ये मुद्दा भी तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि पृथके शस्त्रों का कम न किया जाये इनके अज्ञान का भयनाश भूत है।

(५) यह कहा जाता है कि अविश्वासपूर्ण वातावरण में निःशस्त्रीकरण और शस्त्रों का नियन्त्रण तथा अन्य राजनैतिक समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं है। यदि देशों के बीच विश्वास रहे तो शस्त्रों की आवश्यकता ही न रहे और निःशस्त्रीकरण की समस्या भी पैदा न हो। किन्तु पूर्ण अविश्वास का रहना भी अराजकता एवं पूर्ण तानाशाही में से एक को स्थापित कर देगा। यह आशा की जाती है कि निःशस्त्रीकरण की समस्या के सुलझने के बाद दोनों गुटों में विश्वास की भावना भा सकती है। अविश्वास के कारण कोई समझौता नहीं हो पाता, होता भी है तो मजबूत रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाता।

(६) समस्या यह उठ खड़ी होती है कि पहले राजनैतिक समस्याओं को हल किया जाये या निःशस्त्रीकरण किया जाये। ये दोनों एक दूसरे के मार्ग में बाधा डालते हैं और एक के हल हो जाने पर दूसरे का हल हो जाना सुगम है। यह सोचा जाता है कि शस्त्र जगड़ों का कारण है और इनको घटाने से अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम और भंभी बढ़ेगी। किन्तु यह प्रयास एकपक्षीय होगा। होना यह चाहिए कि मनमुटाव, अविश्वास एवं प्रतिद्वन्द्विता को दूर करने के लिए हर दिशा में प्रयास करना चाहिए। महारियागा के शब्दों में निःशस्त्रीकरण की समस्या का समाधान इस समस्या में ही नहीं खोजा जा सकता किन्तु इसके बाहर ही खोजा जा सकता है। अमल में निःशस्त्रीकरण की समस्या निःशस्त्रीकरण की समस्या नहीं है। यह वास्तव में विश्व समुदाय के सगठन की समस्या है।²

राष्ट्रीय शक्ति की कुछ अन्य सीमायें

(Some Other Limitations of National Power)

राष्ट्र की शक्ति को विनाश और विध्वंस की अपेक्षा कल्याण एवं निर्माण में लगाने की व्यवस्था करने हेतु अब तक अनेक उपाय किए गए। इन उपायों में से प्रमुख अर्थात् शक्ति सन्तुलन, सामूहिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय कानून, विश्व सरकार एवं निःशस्त्रीकरण का अध्ययन हम कर चुके हैं। इन सीमाओं के अतिरिक्त देश को बाह्य एवं आन्तरिक परिस्थितियों के कारण ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है जो उस राष्ट्र की शक्ति का उच्छृंखल प्रयोग करने के मार्ग में बाधाएँ उपस्थित कर देती हैं। इस दृष्टि से एक राष्ट्र के व्यक्तित्व तथा उसके व्यवहारों की तुलना व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा व्यवहारों में की जा सकती है। जिस प्रकार व्यवहार करते समय एक व्यक्ति अपने पुत्र के नैतिक मूल्यों एवं मान्यताओं में प्रभावित होता है उसी

प्रकार राष्ट्रीय व्यवहार की भी एक नैतिकता होती है। यदि एक राष्ट्र द्वारा उसका उल्लङ्घन किया गया तो अन्तर्राष्ट्रीय जगत के अन्य सदस्यों का उस पर से विश्वास उठ जायेगा तथा सम्बन्ध अच्छे न रह पायेंगे। इसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन में समाज के रीति-रिवाजों, परम्पराओं तथा तत्कालीन समाज के मती का बड़ा प्रभाव रहता है। अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भी एक देश के व्यवहार की बागडोर पर विश्व के लोकमत का भारी प्रभाव रहता है। इस प्रकार एक राष्ट्र को शक्ति की सीमित करने में अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता एवं विश्व लोकमत का जो प्रभाव रहता है वह भी भुलाया नहीं जा सकता।

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता

(International Morality)

समाज के हित एवं उसके सदस्यों की भलाई के लिए यह आवश्यक है कि शक्ति को मर्यादित रखा जाए। ये मर्यादाएँ शक्ति के लिए सघर्ष का ही एक भाग नहीं होतीं किन्तु ये तो उन सघर्ष पर व्यक्तिगत सदस्यों की इच्छा से उनके आदर्शों या व्यवहार के नियमों द्वारा ऊपर से लादे जाते हैं। नैतिकता प्रायः सही व्यवहार को मना जाता है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में 'सही व्यवहार' क्या है यह जानना कठिन है। कुछ विचारकों के मतानुसार नैतिकता सार्वभौमिक होती है, यह पूर्ण होती है। एक राष्ट्र का कार्य नैतिक स्तर के जितना समीप होता है वह उतना ही अधिक नैतिक होता है तथा जितना दूर होता है उतना ही वह अनैतिक होता है। मनुष्य को इस स्तर का पालन करना चाहिए। यह स्तर सत्य के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण पर आधारित न होकर सत्य पर ही आधारित होता है। इस दृष्टिकोण वाले विचारकों के मतानुसार नैतिकता का केवल एक ही मापदण्ड होता है। प्रत्येक मनुष्य यह जान सकता है कि नैतिक-नियम शास्त्र किस प्रकार के व्यवहार को नैतिक कहता है। इस नियम-शास्त्र के विपरीत किया गया प्रत्येक कार्य अनैतिक समझा जाएगा। नैतिक मान्यताएँ प्रत्येक परिस्थिति में एक सी रहती हैं। हरषा को अनैतिक माना जाता है तो कोई भी परिस्थिति या घात उसे नैतिक नहीं बना सकती। मनुष्य चाहे किनी भी समय, स्थान एवं स्थिति में कार्य कर रहा हो, नैतिक नियम उस पर समान रूप से लागू होंगे। यदि एक व्यक्ति अपने परिवार में पत्नी के साथ अशरम व्यवहार करता है तो वह उतना ही अनैतिक माना जाएगा जितना कि वह अपने शत्रु राष्ट्र के सिपाहियों के साथ झूठ बोलते समय होता है।

नैतिकता से सम्बन्धित उचित विचार का अन्य विचारकों द्वारा खण्डन या जाटा है। उनके अनुसार नैतिकता का मापदण्ड केवल एक ही नहीं

होता है। आत्मा की आवाज तथा 'सही विचार' भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक अनुभवों एवं सभ्रुतियों के साथ-साथ बदलते रहते हैं। एक जंगली जानि अपने शत्रु को खा जाना ठीक मानती है। उच्च विचारों एवं बुद्धि से सम्पन्न हम यह किसी प्रकार सिद्ध नहीं कर सकते कि उन लोगों के मूल्य हमसे निम्न स्तर के हैं। इन विचारकों के मतानुसार एक व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहार करते समय समान नैतिक नियमों से प्रभावित होता है यह भी सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जैसा व्यवहार करता है उसी प्रकार यदि वह अपने पड़ोसी की पत्नी के साथ भी करने लगे तो उसे नैतिक नहीं कहा जा सकता। सच तो यह है कि नैतिकता का रूप तथा मापदण्ड समय, परिस्थिति एवं स्थान के साथ-साथ बदलता रहता है। इस प्रकार नैतिकता उन विचारों को कहा जाता है जो कि उसकी संस्कृति, इतिहास, सामाजिक परम्परा एवं रीति-रिवाज आदि के आधार पर निर्मित तथा मान्यता प्राप्त होती है। एक देश की नैतिक मान्यताओं पर अन्य देशों की सम्यता के सम्पर्क का तथा बदली हुई राष्ट्रीय परिस्थितियों का भी भारी प्रभाव रहता है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जब एक राष्ट्र कदम उठाता है तो दूसरे देशों द्वारा उस कदम का प्रतिकार एवं नैतिकता परखी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता के कुछ मापदण्ड तथा व्यवहार के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर एक देश के व्यवहार के प्रति दूसरे देशों में प्रतिक्रिया होती है तथा दृष्टिकोण बनता है। विभिन्न लेखकों के द्वारा इन नैतिक मान्यताओं का वर्णन किया गया है जिनका आवरण करके राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ राज्यों के परस्पर सम्बन्धों को शांतिपूर्ण एवं कम अराजकतापूर्ण बना सकते हैं। ये नियम हैं, जैसे—अपने वायदों को पूरा करना, दूसरे के शत्रुओं पर विश्वास करना, न्यायपूर्ण कार्य, अन्तर्राष्ट्रीय मानून का आदर करना, अंतरसंघर्षों की रक्षा करना, राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध का बहिष्कार करना आदि-आदि। इन नैतिक नियमों का सुविधा में अधिक सम्बन्ध नहीं रहना। एक कार्य सुविधाजनक नहीं होता तो भी वह अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता द्वारा नहीं ठहराया जाता है; दूसरी ओर अनेक कार्य सुविधाजनक होते हुए भी अनैतिक माने जाते हैं। इत्यादिक के मतानुसार अपने देश के सशान राष्ट्रीय हित के अनुसार कार्य करना संपूर्ण सार्वभौमिक सत्य का पालन करने की अपेक्षा अधिक सुरक्षित तथा अधिक नैतिक है।

नैतिकता की ध्याना समय-समय बदलती रहती है। प्रत्येक देश अपने व्यवहार को नैतिक सिद्ध करने की काशिश करता है। 'शक्ति ही अधिकार है' वाली कहावत के अनुसार विजय एवं सफलता प्रत्येक राष्ट्र के किसी भी

व्यवहार को नैतिक बना देती है। आक्रमणकारी राष्ट्र भी अपने आपको उचित ठहराता है। चीन द्वारा किया गया अणु परीक्षण कमल में मानवता व विश्व शान्ति के विरुद्ध है किन्तु जब यह किया गया तो चीन ने बताया था कि ऐसा वह अमरीकी साम्राज्यवाद को रोकने तथा विश्व में स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए कर रहा है और इसलिए यह कार्य नैतिक है। इसी प्रकार अन्य देशों द्वारा भी कुनक प्रस्तुत किये जाते हैं। फिर भी विश्व-को भूत बनाना, उससे सन्तता का उठाना कोई सरल काम नहीं है। इन बातों को चीन भी समझता है कि उसकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं हो सकता और वह एक अनैतिक कार्य कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता शान्ति एवं युद्ध दोनों ही समयों में मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहती है। शान्ति काल में न केवल प्रमुख जनों को बल्कि समस्त देश-वासियों की रक्षा करना एक देश का नैतिक कर्तव्य होता है। हो सकता है कि यह कर्तव्य उसके नुकसान दायक परिणाम में लाने में अत्यधिक जनसंख्या से पीड़ित रहते हुए भी देश अपने नागरिकों की रक्षा करेगा। युद्ध के समय भी मानवीय जीवन की रक्षा करना अन्तर्राष्ट्रीय नीति का एक अङ्ग माना जाता है। विजेता राष्ट्र द्वारा हारे हुए राष्ट्र के नागरिकों का बंधन नहीं करना चाहिये और न ही उनको दास बनाना चाहिए। विजेता राष्ट्र द्वारा अविजित राष्ट्र के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। युद्ध के समय नागरिकों एवं सामान्य वस्तियों पर बमबारी न करके केवल सैनिक महत्व के अङ्गों पर ही बरसना चाहिए। भारत-पाक संघर्ष के समय जब पाकिस्तान द्वारा नागरिक हत्याओं पर बमबारी की गई तो यह अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का उल्लंघन ही था।

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का जो बिना हमने खोया है, वह निम्नांकित शीर्षकों से अधिक स्पष्ट हो सकेगा।

शान्ति काल में मानव जीवन की रक्षा

(Protection of Human life in peace)

राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अत्यधिक व्यावहारिक प्रयोग का अनुचित समझा जाता है। सत्ता की हानि में लगे हुए देश भी नैतिकता को सामान्य में आबद्ध है और आज सभी सरकारों का कर्तव्य है कि न केवल विभिन्न व्यक्तियों, अपितु सामान्य जनता की भी सुरक्षा की जाय। प्रा० हम मार्ग-यो न लिखा है—

“वही विदेश नीति, जो अरने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जन-संहार को प्रोत्साहित नहीं करती, राजनीतिक समयानुकूलता के कारण इस सीमा को

अपने ऊपर धोती नहीं है। इसके विपरीत, इसका लाभ पूर्ण तथा प्रभावशाली कार्य निधि में होता है। इस सीमा का उद्गम नैतिक सिद्धान्त में निहित है और इनका पालन राष्ट्रीय हितों की रक्षा परनाह किये हुए भी किया जाना अनिवार्य है। ऐसी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों का भी त्याग उम समय कर देती है, जब राष्ट्रीय हितों के लिए नैतिक सिद्धान्त को, जैसे कि शांति काल में जन-मनुष्य की हत्या का निषेध, तोड़ दिया जाना आवश्यक हो जाता है।

श्री मार्गण्यो का मत है कि अनावश्यक पातनाएँ और हत्याएँ न करने के उत्तम्य पावन के कारण ही पृथ्वी पर मानव जीवन विरहित हो सता है। विज्ञान का लक्ष्य किसी ऊँचे ध्येय की प्राप्ति हेतु जिसके लिए याचना अथवा जीवन संहार का होना आवश्यक नहीं है, और इस ऊँचे लक्ष्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय हित भी पूरा सम्भव है।

यदि व्यवहारतः देखा जाय तो आज के युग में शांतिकाल में मानव जीवन की रक्षा के नैतिक दायित्व को बहुत कुछ निभाया जाता है। आज एक निरनुस शासन के लिए भी यह कठिन है कि वह जनता को आवश्यक सुरक्षा न दे।

युद्ध-काल में मानव जीवन की सुरक्षा

(Protection of Human life in war)

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का यह भी तत्त्वात् है कि युद्ध-काल में जन-साधारण के जीवन की सुरक्षा प्रदान की जाय। इसी मानवतावादी उद्देश्य ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों (International Conventions) को प्रेरित किया है जिनका अनुमान करते युद्ध के समय जन-साधारण के विनाश को टाला जाता है। इतिहास का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि समय समय पर युद्ध सम्बन्धी विभिन्न घोषणाएँ जन-जीवन को युद्ध विमोचिका में बचाने के लिए की जाती रही हैं। १८५६ की वेरित घोषणा (The Declaration of Paris of 1856) ने समुद्रीय अथवा समुद्रतट स्थित युद्ध (Maritime warfare) को सीमित कर दिया था। १८६४ की सेन्ट-पीटर्स बर्ग घोषणा ने ऐसे हथियारों के प्रयोग को निषिद्ध ठहरा दिया था जिनसे अनावश्यक रूप से अपंग और असमर्थ व्यक्तियों के बन्ध बड़े। इस घोषणा ने ऐसे प्रक्षेपण ब्रह्मों के प्रयोग को भी निषिद्ध ठहरा दिया था जिसका वजन ४०० ग्राम से कम हो और जिन्हें किसी विस्फोटक पदार्थ से चलाया जाता हो। १८६४ की हेग घोषणा (The Hague Declaration of 1899) ने उन दमटम कारतूतों (Dum Dum Bullets) के प्रयोग को निषिद्ध किया था जो मानव शरीर में प्रवेश करके रुक जाते थे या खाटे हो जाते थे। १९०७ के हेग सम्मेलन (The Hague Convention of 1907) ने विष अथवा

विपाकत हथियारों के प्रयोग को निषिद्ध ठहराया। इस कन्वेंशन ने यह भी निषिद्ध ठहराया कि विरोधी राष्ट्र के वाणिज्यो को घेवा-घड़ी और क्रूरता से घायल किया जाय या मारा जाय। आज भी अनेक ऐसे प्रयत्न किये जा रहे हैं जिनसे आणविक युद्ध सीमित हो जाये। युद्ध बन्धियों के सम्बन्ध में भी, अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता की दृष्टि से, अनेक प्रयत्न किये गये हैं। १८६६ और १९०७ के हेग कन्वेंशनो और १९२६ व १९४६ के जेनेवा कन्वेंशनो में इन बारे में विस्तार से व्यवस्था की गई है कि युद्ध बन्धियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाय।

शासक वर्ग की नैतिकता

(Morality of the Ruling Elite)

प्राचीन काल से शासक वर्ग की नैतिकता के विषय में विवाद रहा है। उनके व्यवहारों के प्रति उत्तम शाकाओ का तीन रूपों में निरूपण किया गया है—उनकी प्रशंसा गाकर, अथवा उनकी निन्दा कर, अथवा उनके व्यवहारों का शासक तथा शासित क दोहरे मापदण्ड को अनाकर। प्रशंसित गाने वालों की यह मान्यता रही है कि "राजा कभी कोई गड़नी नहीं कर सकता," वह सामान्य व्यवस्था के नियमों से परे है, उसकी इच्छा ही नियम है। वर्तमान शासनतन्त्र में शासक जन नेता होता है। वह जनता का प्रतिनिधि होता है। अतः उसका व्यवहार स्तुत्य होता है। यह सिद्धान्त किन्हीं धोषो मान्यताओं पर आधारित है। सोरकिन तथा लन्देन क अनुसार "इन तर्कों को कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सक्ता है और अब भी यह सम्भव नहीं है।" कोई भी सिद्धान्त व स्वयिक तथा सार्थक रूप से शासकवर्ग के सदैव श्रेष्ठ 'व्यवहार' को सिद्ध नहीं कर पाता। इन सिद्धान्तों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। केवल सामाजिक अथवा ऐतिहासिक आधार ही वैज्ञानिक आधार में बन जाये, ऐसा आवश्यक नहीं है।

शासक वर्ग के व्यवहार की निन्दा करने वाले शासक वर्ग पर घेवा-घड़ी झूठ, ढोंग, आर्थिक लोपण तथा सत्ता के प्रति मोह के आरोप लगाते हैं। सैनिक शासन में व्यक्ति का कोई महत्त्व नहीं होता। उस पर सभी प्रकार के आदेश ऊपर से आरोपित होते हैं जिन्हें मानने के लिये वह विवश होता है। सैनिक समाज में विद्यमान सहकारिता एक अनिवार्यता होती है। शासन पद्धति का कोई भी स्वरूप क्यों न हो शासक अथवा शासक वर्ग समाज का उपयोग अपने लाभ के लिये करता है जिसमें व्यक्ति अथवा समाज की एक दास जैसी स्थिति होती है। अपने से पक्षिहीन देशों को अपने आपोपन करने वाले शासकों ने प्रजा के सुखों का भी ध्यान रखा हो, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं रही है। विक्टर हान्, मशल्लेमें फ्रेडरिक तथा पीटर महान इस धोषी के शासक रहे हैं।

ऐसा भी हुआ है कि देश के किसी भाग के किसी व्यक्ति ने अपनी कुटिलता के द्वारा अधिक प्रभावशाली वन स्वतन्त्र व्यक्तियों को अपने आधीन रखने का प्रयास किया गया है। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में सत्ता आने पर उन्होंने अपने हितों तथा लाभों को सामान्य जनता के मुँहों से अधिक महत्व दिया। लार्ड एस्टन के अनुसार "सत्ता मनुष्य को मदान्ध बना देती है। राजनैतिक दृष्टि से सभी महान व्यक्ति विनम्र चरित्र के व्यक्ति रहे हैं। यदि जनता उनके चरित्र को जान पाती तो उन सबको निश्चिन्त हो फाँसी पर चढ़ा देनी।" पर इन लाएनों को लगाने पर भी यह सिद्धान्त अपने पक्ष में कोई निश्चित दृष्ट तथा तथ्यपूर्ण आधार उपस्थित नहीं कर पाता।

दोहरे मापदण्ड को मानने वाले, नैतिक तथा राजनैतिक कार्यों में द्वैत के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। अतः किसी राजनैतिक कार्य के गुण-दोषों का विवेचन नैतिकता के आधार पर नहीं किया जा सकता, ऐसी उनकी मान्यता होती है। राष्ट्र हित में किया गया कोई निन्दनीय कार्य भी नैतिकता के आधार पर निन्दनीय नहीं माना जा सकता। इस प्रकार उनके अनुसार व्यक्ति के जीवन के दो स्वरूप हैं—(1) व्यक्तिगत (2) राष्ट्रीय। दोनों में कोई समता नहीं होती। सम्भवतः इन्हीं कारणों से प्राचीन शासकों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में किसी भी बलि देने में संकोच नहीं किया। मिथ के फराऊन ओमेन हातेग के शासन सूत्र उपरोक्त कथन पर भली भाँति प्रकाश डालते हैं—“मैं तुम न कहता हूँ तुम चाहे धरती के सम्राट हो अथवा देश देशान्त के तुम अपनी प्रजा के प्रति कठोर बनो। प्रजा उम्मी शासन का सम्मान करती है जो उसे भयभीत रखता है। सभी उसके निकट अकेले मत जाओ। अपने हृदय के निरट भाई, मित्र अथवा जन्म किसी को मत आने दो। निद्रित स्थिति में भी अपनी भावनाओं को बाध कर रणो बयोंकि पाप के दिनों में कोई साय नहीं देना।” कोसिमो-दि मेडिसी (Cosimo di medici) के अनुसार भी 'अपनी श्रुति के द्वारा शासन अपनी शक्ति का पुनः संघर्ष करना है। उसके शूर कुटिलों से अच्छे समाज की व्युत्पत्ति होती है।'

नैतिकता के दोहरे मापदण्ड के सिद्धान्त को भिन्न भिन्न युगों में विभिन्न व्यक्तियों ने बल प्रदान करने का प्रयास किया है। मैकियावेली ने इसे स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास किया है। उसके अनुसार "उन शासक के लिये जो अपनी सत्ता बनाये रखना चाहता है, अच्छे न बनने की कला का मर्मज्ञ होना आवश्यक है। उसे आवश्यकतानुसार अपने ज्ञान का उपयोग करना जाना चाहिए।" इसकी और स्पष्ट करते हुए उसने लिखा है, "किसी शासन में समस्त सद्वृत्तों का होना प्रशंसनीय है, किन्तु मानवीय सीमाओं के पारण यह सम्भव नहीं है। अतः पापकर्म में उन दुष्टों का होना भी आवश्यक है,

जिनके अभाव में राज्य-रक्षा सम्भव न हो पाये। अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कार्यों से घृणा जन्म लेती है। कभी कभी राज्यतन्त्र की भली-भाँति चल्न के लिए शासक का भ्रष्ट होना आवश्यक हो जाता है। उन शक्तियों से भ्रष्ट हो जाने पर, जिनके अभाव में शासन सम्भव नहीं है, शासक को भी उनका अनुसरण करना होता है। ऐसा स्थिति में सरकारों का किया जाना शासन के लिए घातु उत्पन्न करता है।'

विभिन्न विचार-धाराय अपने पक्ष तथा अन्य सिद्धांतों के विरोध में विभिन्न तर्क उपस्थित करती हैं। इनमें से किसी एक का अछूटा होना विवादास्पद है।

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का मूल्यांकन

निष्कर्ष रूप में यह कहना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के विषय में विचारकों में मतभेद है। यथासंवादी विचारकों के अनुसार राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्ध शक्ति पर आधारित होने हैं। इनमें नैतिकता को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। इसके विपरीत कल्पना को महत्व देने वाले अवास्तविक विचारकों के अनुसार नैतिकता के नियमों का धर्म तथा राष्ट्र दोनों द्वारा समान रूप से व्यवहार होता है।

यथासंवादी विचारधारा के अनुसार प्राचीन भारत में कौटिल्य के समय से मेकियावेली और हेगल के समय तक विभिन्न राष्ट्रों के माध्यम नैतिकता का कोई निश्चित मापदंड नहीं रहा है। हीगल (Hegel) के अनुसार "प्रत्येक राष्ट्र अपने में एक पूर्ण इकाई है। राष्ट्रों के मध्य सम्भाव अथवा विरोध उनके निजी स्वार्थों को ध्यान में रख कर होता है।" कॅनेथ थॉमसन (Kenneth W. Thompson) के अनुसार, "राष्ट्रीय नैतिकता अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान, नैतिकतापूर्ण दृष्टिकोण की दुर्भेदतायें हैं जिनके मूल में दिखावापन अथवा घोर अहम है।" राष्ट्र द्वारा की गई घोषणाओं तथा स्वीकृत नीतियों के अनुसार राष्ट्र के नैतिक मूल्यों का निर्धारण होता है। इससे स्पष्ट है अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में नैतिकता की कोई स्थान प्राप्त नहीं है।

इसके विपरीत कल्पना प्रधान विचारकों के अनुसार नैतिक नियमों का मूल्य केवल व्यक्ति के लिये ही नहीं अस्तित्व राष्ट्रों के लिए भी है। व्यक्ति तथा राष्ट्र में वैचारिक-व्यवस्था स्थापना के लिये, दोनों द्वारा समान नैतिक मूल्यों का स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय व्यवहार में समान सम्मानित नैतिक मूल्यों का महत्व दिया जाना चाहिये। प्रेजिडेंट विल्सन के शब्दों में, "हम ऐसे युग के प्रारम्भ पर हैं जिसमें राष्ट्रों द्वारा सही व्यवहारों, विचारों तथा मूल्यों को महत्व दिया जावेगा, जिनकी

अपेक्षा सम्यक् देना अपने नागरिकों से करते हैं।' प्रेसीडेंट रूजवेल्ट के अनुसार राष्ट्रीय नैतिकता व्यक्तिगत नैतिकता की तरह नितान्त आवश्यक है।

कसौटी पर जाचने पर उपरोक्त दोनों ही विचार धारयें खरी नहीं उतरती। वास्तविक रूप में अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का अपना विशिष्ट नैतिक स्वरूप है। प्रत्येक निरपेक्ष शासक के भी अन्य देशों के प्रति अपने निश्चित नैतिक भावप्रकृत्य रहते हैं। फ्रॉकमर क्लॉड (Claude) के अनुसार समस्त राष्ट्र-सभ की सभा एक सामान्य मूनिडेरल सभा के अनुसार है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्यों तथा आवश्यकताओं को स्वीकार किया जाता है। उनके विचारानुसार अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता पर प्रभावशाली अनुशा लगाने का मूल कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायगत अन्य समस्याओं का होना है जो अपने धृष्ट स्वार्थों की पूर्ति हेतु नैतिकता के मूल्यों को छोड़ देती है।

अन्त में यह स्वीकार करना अनुचित न होगा कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का महत्त्व निरन्तर घटता जा रहा है। कारण यह है कि प्रजातन्त्र के इस युग में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनैतिक कार्यों के लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जैसा कि अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दियों के राजतन्त्रों के समय सम्भव था। योम्पसन के मतानुसार "अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता उसी दिन समाप्त हो गई जबकि राष्ट्रीय उद्देश्यों की बाणी सत्तार द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए शुद्ध लक्ष्य माना गया।"

विश्व जनमत

(World Public opinion)

प्रजातन्त्र के इस युग में राष्ट्रीय स्तर की भांति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकमत का महत्वपूर्ण स्थान है। कूले के मतानुसार जनमत एक सावधवी प्रक्रिया है, यह एक विशेष समय में एक विशेष प्रश्न पर सहमति मात्र नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर विश्व जनमत का प्रभाव बहुत समय पहले से ही पड़ना आ रहा है। राष्ट्रमन्त्र, बेलाग्निया सन्धि आदि का आधार विश्व लोकमत ही था। २१ जुलाई १९१६ को लॉर्ड रोबर्ट सेसिल (Lord Robert Cecil) द्वारा हाउस आफ कॉमन्स में कहा गया था कि - "हमारा प्रमुख अस्त्र जिस पर हम विश्वास करते हैं लोकमत है यदि हम इसके चार में गलत हैं तो सारी खोज हो गलत हो जाती है।" १७ अप्रैल १९२६ को कार्डेल हल (Cardell Hull) ने कहा था कि "लोकमत शान्ति के लिए सबसे प्रमुख शक्ति है। यह अधिक जोर-जोर से सारे विश्व में विकसित होती आ रही है।" समुक्त राष्ट्रसभ का महत्त्व बताते हुए यह कहा जाता है कि

इस संधि द्वारा विश्व जनमत अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर अपना प्रभाव डालने में सफल होता है। सयुक्त राष्ट्रसंघ भी अपने उद्देश्यों में तभी सफल हो पाता है जबकि विश्व लोकमत को वह अपने साथ कर ले। इसमें जो भी निर्णय लिये जाते हैं वे विश्व जनमत से प्रभावित रहते हैं।

विश्व लोकमत का अर्थ बताते हुए मार्गेंथो (Margenthau) महोदय कहते हैं कि "विश्व जनमत स्पष्ट रूप से लोकमत है जो कि राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है तथा कम से कम कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मौलिक प्रश्नों पर विभिन्न देशों के सदस्यों का एकमत में संगठित करता है।" विश्व जनमत का प्रभाव राष्ट्रीय व्यवहार पर सच्चे अर्थों में एक वास्तविक सीमा निर्धारित करता है। यह एक देश के स्वेच्छापूर्ण उच्छल स्वल व्यवहार पर पाबन्दी लगाना है। आज कोई भी देश बिना दूसरे राष्ट्रों के सहयोग के जीवित नहीं रह सकता। चाहे कितना भी सम्पन्न एवं शक्तिशाली देश हो, उसे अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये आवश्यक रूप से दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध बनाये रखने होंगे, लेन-देन का व्यवहार (Give and take Policy) बनानी होगी और ऐसा तभी हो सकता है जबकि देशों के बीच परस्पर सहयोगपूर्ण सम्बन्ध हों, उनके बीच शांति, सहोदर्य एवं मैत्री के भाव वर्तमान हों। दूसरे शब्दों में वे अधिकांश विषयों पर एकमत हो तथा अधिक भिन्नता न रखते हों। वे परस्पर एक दूसरे की नीतियों एवं व्यवहारों को अच्छी तरह से समझते तथा उसका समर्थन करते हो या कम से कम उसका विरोध न करने हों। इस प्रकार की स्थिति को सशेष में प्रस्तुत करते हुए कहा जा सकता है कि एक देश का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य सभी दृष्टियों से विकास तभी सम्भव है जब कि विश्व का जनमत उस देश की नीतियों का सश्रिय या निःश्रिय रूप से समर्थन करता हो। विश्व जनमत के महत्त्व को समझने के बाद ही प्रत्येक देश द्वारा प्रसार के साधनों पर इतना अधिक व्यय किया जाता है।

वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लोकमत है अथवा नहीं या उसका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रभाव होता है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में विचारकों के बीच मतभेद नहीं है। कुछ विद्वानों के मतानुसार विश्व जनमत वास्तविक रूप से राष्ट्रों के व्यवहार पर प्रभाव डालता है तथा वह उसको स्वेच्छाकारी बनने से रोकता है। इन विचारकों का कहना है कि यदि यह मान भी लिया जाय कि एक राष्ट्र विश्व लोकमत के अनुसार काम करने का जितना दावा करता है उतना वह वास्तव में व्यवहार नहीं करता है। तो भी इनके यह सिद्ध हो ही जाता है कि वह देश विश्व जनमत के महत्त्व की अवहेलना चाहते हुये भी, कम से कम सिद्धांत रूप में तो नहीं कर पा रहा है। जो

विश्व जनमत एक राष्ट्र को उसकी इच्छा के विपरीत मत बनाने के लिये बाध्य कर दे उसके अस्तित्व पर तो शका की ही नहीं जा सकती। इससे भिन्न मार्गेंथो (Morgenthau) आदि विचारकों का मत है कि विश्व जनमत जैसी कोई चीज विश्व में नहीं है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार पर प्रभाव डालती हो। उनका कहना है कि एक देश अब अपनी नीति को विश्व जनमत या मानव-जाति की चेतना के अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है तो इसका कुछ भी अर्थ नहीं होता। यह तो सभी देशों का एक सामान्य दृष्टिकोण सा बन गया है। मार्गेंथो के मतानुसार दो कारणों से लोग विश्व-जनमत-के अस्तित्व को मानने की भूल करते हैं—

(१) विश्व की मनोवैज्ञानिक एकता (Psychological Unity of the World)—आज सत्तार में प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्रता, शक्ति और व्यवस्था चाहते हैं। ये बातें ऐसी हैं जिन्हें सभी व्यक्ति चाहते हैं और इस प्रकार ये बातें एक प्रकार की विश्व जनमत हैं। इनमें से किसी का भी उत्पन्न-विश्व-जनमत का उल्लंघन है और यह निश्चित है कि विश्व-जनमत उल्लंघन-कर्ता के प्रतिकूल अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। मूल रूप में अनिष्ट मात्र की इच्छा का दमन विश्व जनमत को स्वीकार नहीं होगा।

(२) विश्व का तकनीकी एकीकरण (Technological Unification)—तकनीकी विकास के कारण अब विश्व का जन-मानस एक दूसरे के भागी निरट आ गया है। अन्तर्राष्ट्रीय संपार साधनों ने विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्तियों को एक दूसरे की मज्जी-भाँति समझने और सूचित होने का अवसर प्रदान किया है, अतः पारस्परिक मतभेदों को सुगमतापूर्वक दूर करना संभव हो सता है। तकनीकी विकास ने, इस प्रकार, विश्व जनमत को पथार्थ के निरट ला दिया है और उसमें निकटता उत्पन्न की है।

यद्यपि उपरोक्त दो तत्वों ने कारण सत्तार के लोगों में सामिप्य-भावना का विश्वास हुआ है लेकिन इनके आधार पर यह मानना भ्रामक होगा कि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय घटना पर विश्व-जनमत सदैव एक रूप रहता है या रहेगा। विश्व-जनमत में विश्वास करने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि विश्व में हर वही अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में जनमत को राष्ट्रीय नीतियों के अभिकरणों द्वारा मोड़ दिया गया है। विश्व-जनमत का प्रभाव राष्ट्रीयता और संप्रमुना की आग पर पड़कर जल की भाँति भाग्य बन जाता है।

प्रस्तुत अध्याय के सम्पूर्ण विवरण के उपरांत निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि एक राष्ट्र की शक्ति के प्रयोग पर अनेक सीमाएँ लगाई गई हैं। इन सीमाओं के कारण विश्व में व्यवस्था बाधित रहती है। यद्यपि यह

व्ययम्बा अनेक बार भग हो जाती है तब, विश्व शांति के लिये गम्भीर खतरे पैदा हो जाते हैं किन्तु शक्ति को विभिन्न सीमाओं में नै किन्तो एक अथवा एक से अधिक के सहयोग से विश्व को विनाश से बचा लिया जाता है। व्यस्तित्त जीवन की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय जीवन पर भी इकाइयों का व्यवहार विश्व समाज की परम्पराओं, हृदियों, मूल्यों एवं विश्वामो के द्वारा पर्याप्त प्रभावित होता है। विश्व-शांति के लिये यह परम आवश्यक है कि राष्ट्रीय शक्ति की इन सीमाओं को सन्तिय एवं प्रभावशील बनाया जाये।

PART V

Contemporary Emerging Trends, Resurgence of Asia, Africa and Latin America, Rise of Soviet Union and USA; Cold War, Rebuilding and reorganization of Western Europe, Impact of Nuclear weapons; Non alignment, its elements and changing patterns; Bipolarity and polycentrism; Sino Soviet conflict; U.N's impact on International Politics; Problems of Vietnam and West Asia.

- अध्याय १३ समकालीन उभरती हुई प्रवृत्तियाँ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जागृति
- अध्याय १४ (Contemporary Emerging Trends : Resurgence of Asia, Africa and Latin America)
- अध्याय १५ सोवियत संघ का उदय और उसकी विदेश नीति (Rise of Soviet Union and her Foreign Policy)
- अध्याय १६ संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय और उसकी विदेश नीति (Rise of U S A and her Foreign Policy)
- अध्याय १७ शीत-युद्ध (Cold War)
- अध्याय १८ पश्चिमी यूरोप का पुनर्निर्माण और पुनर्संयोजन (Re building and Reorganisation of Western Europe)
- अध्याय १९ अणु-सामुहों का प्रभाव (Impact of Nuclear Weapons)
- अध्याय २० असंलग्नता—इसके तत्व और परिवर्तित होते हुए रूप (Non alligment : Its elements and changing Patterns)
- अध्याय २१ (Bipolarity and Polycentrism)
- अध्याय २२ चीनी-रूसी संबंध (Sino Soviet Conflict)
- अध्याय २३ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रभाव (U. N 's Impact on International Politics)
- अध्याय २४ विस्तृत नाम और पश्चिमी एशिया की समस्याएँ (Problems of Vietnam and West Asia)

PART V

Contemporary Emerging Trends; Resurgence of Asia, Africa and Latin America; Rise of Soviet Union and USA; Cold War; Rebuilding and reorganization of Western Europe; Impact of Nuclear weapons; Non alignment; its elements and changing patterns; Bipolarity and polycentrism; Sino Soviet conflict; U N's impact on International Politics; Problems of Vietnam and West Asia.

अध्याय ११ समकालीन उभरती हुई प्रवृत्तियाँ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जागृति

अध्याय ११ (Contemporary Emerging Trends : Resurgence of Asia, Africa and Latin America)

अध्याय १२ सोवियत संघ का उदय और उसकी विदेश नीति (Rise of Soviet Union and her Foreign Policy)

अध्याय १३ संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय और उसकी विदेश नीति (Rise of U S A and her Foreign Policy)

अध्याय १४ शीत-युद्ध (Cold War)

अध्याय १५ पश्चिमी यूरोप का पुनर्निर्माण और पुनर्संगठन (Re building and Reorganisation of Western Europe)

अध्याय १६ अणु-आयुधों का प्रभाव (Impact of Nuclear Weapons)

अध्याय १७ असंलग्नता—इसके तत्त्व और परिवर्तित होते हुए रूप (Non alignment Its elements and changing Patterns)

अध्याय १८ (Bipolarity and Polycentrism)

अध्याय १९ चीनी-रूसी संघर्ष (Sino Soviet Conflict)

अध्याय २० अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रभाव (U. N's Impact on International Politics)

अध्याय २१ विप्रतनाम और पश्चिमी एशिया की समस्याएँ (Problems of Vietnam and West Asia)

(२) दूसरा महत्वपूर्ण कारण मनुष्य के विश्वासों और आचार-विचारों में होने वाला परिवर्तन है। आज मनुष्य भाग्यवाद और प्राकृतिक शक्तियों के भय से बहुत कुछ मुक्त हो चुके है। प्राकृतिक भयों, धार्मिक अंध-विश्वासों, साम्यवाद आदि के स्थान पर तर्क, बुद्धि और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित निर्णयों को महत्व दिया जाने लगा है। स्वतन्त्रता, प्रेम और नवीन जागृति के अक्षरों का आरोपण हुआ है तथा सम्पूर्ण जीवन दर्शन ही बदल गया है। आध्यात्मवाद की कल्पनाओं और विवेचनाओं से भरे भौतिकवाद को प्राथमिकता दी जाने लगी है। पहले यह विकास और जागरण केवल यूरोप तक ही सीमित था किन्तु अब एशिया और अफ्रीका जैसे अन्धकार के गर्त में पड़े हुए महाद्वीपों में भी जागरण और विकास की क्रान्तिकारी लहर व्याप्त हो चुकी है। पराधीन देशों की जनता में स्वाधीनता के भाव घर कर गये हैं और राष्ट्रवादी शक्तियाँ प्रबल हो गई हैं।

(३) तीसरा महत्वपूर्ण कारण वर्ग-भेद की भावनाओं को माना जा सकता है। साम्यवाद के उदय के बाद से वर्ग-भेद के विचार में जो राजनीतिक रंग लिया, उसके कारण वर्तमान शताब्दी की चतुर्थ दशक तक विश्व स्पष्ट रूप से दो गुटों में विभाजित हो गया। एक ओर शक्ति और सामर्थ्य से पूर्ण साम्राज्यवादी देश थे तथा दूसरी ओर पराधीनता की बेडियों में जकड़े हुए शक्तिहीन शोषित राष्ट्र। इन दोनों ही गुटों के दृष्ट परस्पर विरोधी थे। पहले गुट में जागरणता गुरु से ही थी अब कि दूसरे गुट में जागरणता बाद में आयी। जागरणता आने के बाद दूसरे गुट के राष्ट्र भी अगड़ाई लेकर उठ खड़े हुए और तब साम्राज्यवादी व उपनिवेशवादी समुल से निकल पड़ने की एक प्रक्रिया गुरु हुई जो आज तक जारी है। आज पहले गुट के सामने समस्या है अपने प्रभाव क्षेत्रों को येन-केन प्रकारेण बनाये रखने की जब कि दूसरे गुट के देशों की समस्या है सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से अपना विकास करके अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सम्मानपूर्ण स्थान पाने की। दूसरे गुट के राष्ट्रों की भावनायें साम्यवादी तेषों के साथ विशेषकर रूस के साथ अधिक जुड़ी हैं, पर उसे यह ध्यान रखना होगा कि रूसी शिकजा भी उसी ढंग से खतरनाक हो सकता है जिस ढंग से पश्चिम का पूंजीवादी शिकजा हुआ था।

(४) चौथा मुख्य कारण विश्व-युद्ध है। मार्गम्बो ने ठीक ही लिखा है कि युद्ध सदैव घमा-झपटि को बदलने का साधन रखते हैं। युद्धों के कारण छोटे राष्ट्र बड़े बन जाते हैं और बड़े राष्ट्रों का पतन हो जाता है। वर्तमान शताब्दी के दो महायुद्ध विश्व-राजनीति के विभिन्न आदर्शों और व्यवहारों

को झटका दे चुके हैं। इनके कारण अनेक राजनीतिक व्यवहार असामाजिक बन चुके हैं और बहुत सी नयी व्यवस्थाएँ आविष्कृत हो चुकी हैं।

(५) विश्व स्थितियों में परिवर्तन का पाँचवाँ उल्लेखनीय आधार विश्व संस्था को माना जा सकता है। राष्ट्रसंघ अपनी कमजोरियों और सदस्य-राष्ट्रों की स्वायं लिप्साओं व अमहयोग के कारण अपने उद्देश्य में असफल रहा था। द्वितीय महायुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ का संयुक्त राष्ट्रसंघ के रूप में पुनर्जन्म हुआ। इस बार राष्ट्रसंघ की असफलताओं और अनुभवों से लाभ उठा कर विश्व संस्था को अधिक दृढ़ और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व को राष्ट्रों में स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व की भावना का प्रसार करके उनके बीच परस्पर सहयोगपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना करना चाहता है। इस दृष्टि से साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी मनोवृत्तियों का विनाश आवश्यक समझा जाने लगा है और सभी देशों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान अनिवार्य माना जाने लगा है। विश्व के दो गुटों में विभाजित हो जाने के कारण अविकसित और अर्द्ध विकसित देशों के विकास की ओर ध्यान दिया जाना अधिकाधिक महत्वपूर्ण समझा जाने लगा है। प्रत्येक गुट अपना प्रभाव बढाने और दूसरे गुट के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से अर्द्ध विकसित तथा अविकसित देशों को यथासम्भव आर्थिक सहायता और अन्य सहयोग देने के लिए प्रयत्नशील है।

परिवर्तित विश्व राजनीति पर प्रभाव डालने वाले तत्व

(The Influential Elements of Changed World Politics)

आज विश्व राजनीति के केवल आधार ही नहीं परिवर्तित हो रहे हैं, परन्तु नवीन राजनीतिक रूपों तथा सम्बन्धों की भी धीरे-धीरे सृष्टि होती जा रही है। अमल में हम जिस युग में रह रहे हैं वह प्रान्तीय तथा युद्धों का युग है जिसमें सामाजिक सुधार बड़ी तेजी से हो रहे हैं, नई-नई सन्धियों की जा रही हैं तथा विश्व का राजनैतिक एवं आर्थिक नक्शा बदलता जा रहा है। टी वी कालिजार्वी (T V Kalijarvi) ने वर्तमान विश्व के इन परिवर्तनों की व्याख्या बड़े स्पष्ट शब्दों में की है। उनका कहना है कि 'वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का पुनर्गठन हो रहा है जिसमें कि पहले की राज्य व्यवस्था एवं राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था धीरे-धीरे नवीन राजनीतिक रूपों में बदलती जा रही है। साम्राज्यों का पतन हो रहा है और उपनिवेश स्वतन्त्रता प्राप्त कर रहे जा रहे हैं। राष्ट्र राज्य एक बड़े सच में विनीत होते जा रहे हैं।' विश्व का यह रूप-परिवर्तन, कल्पना की ओर है, कल्पना विनाश की दिशा में, इससे सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में आज अणु-शक्ति के रूप में मनुष्य के पाद बड़ी भारी शक्ति केन्द्रित हो चुकी

है किन्तु उसमें आत्म-नियन्त्रण का विकास अभी तक नहीं हो पाया है और इसीलिए इस शक्ति का दुरुपयोग करने का मय सदैव ही बना हुआ है। तथ्य यह है कि विश्व के आधुनिक परिवर्तन इतने अनिश्चित प्रवाह में बह रहे हैं कि आनावादी और निराशावादी दोनों ही प्रकार की सम्भावनाएँ की जा रही हैं। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं तथा सम्बन्धों पर इन दोनों दृष्टिकोणों का प्रभाव है तथा दोनों ही पक्षों ने विश्व राजनीति पर प्रभाव डालने वाले वर्तमान तत्वों का प्रभावित करने में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले ये तत्व अनेक प्रकार के हैं। इनमें से विश्व राजनीति पर सम्प्रसारक रूप में छाये हुए कुछ महत्वपूर्ण तत्व ये हैं।

(१) राष्ट्रवाद—राष्ट्रवाद की भावना निश्चय ही आज के विश्व की सबसे बड़ी विशेषता है। पेरू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की राजनीति राष्ट्रवाद के प्रभाव से पूरी तरह आक्रान्त है। अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रवाद का मूल्य इस दृष्टि में अधिक बढ़ गया है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के बल पर आज राष्ट्रों की स्वतन्त्रता का अपहरण करने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं रह गयी है। राष्ट्रवाद एक देश की स्वतन्त्रता की रक्षा में शान्ति का काम करता है। इसके नीचे एक ही हाथर सम्पूर्ण राष्ट्रवाद की जनता अपनी स्वतन्त्रता के अपहरण-कर्ता का विरोध करने लगती है। इसी प्रकार यदि किसी देश की स्वतन्त्रता का गटने ही अपहरण हो चुका हो तो भी इस भावना के आधार पर उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रवाद एक देश को कुछ करने की शक्ति देता है, उसे प्रेरणा देता और उन एकता के सूत्र में गाँठता है किन्तु शान्ति शक्ति की भाँति राष्ट्रवाद का रचनात्मक और विश्वसात्मक दोनों ही रूप हैं। विश्वसात्मक रूप में यह एक देश को दूसरे देश पर आक्रमण के लिए उत्तमाता है और उसे साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की ओर अप्रसर करता है। अति राष्ट्रियता का अन्तिम परिणाम साम्राज्यवाद तथा महाविनाशक महायुद्ध होता है। अपने रचनात्मक रूप में राष्ट्रवाद देशभक्ति की भावना है, देशवासियों की एक करने वाला सयोजक तत्व है तथा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद का विनाश करने वाला यह देश को स्वतन्त्रता प्राप्त करने, उसे बनाये रखने और देश का विकास करने की नयी प्रेरणाओं का प्रतीक है। राष्ट्रवाद की भावना का रचनात्मक विनाश एशिया और अफ्रिका को बहिन वाला प्रमुख मंत्र रहा, हालाँकि साम्यवादी चीन जैसे देशों में यह सृजनारमक रूप विश्वसात्मक रूप में परिणत हो गया है।

(२) आत्मनिर्णय का अधिकार — प्रथम महायुद्ध के बाद से ही राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को मान्यता मिली है जिनके अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीयता को यह अधिकार है कि वह स्वयं स्वयं स्वयं का निर्णय करे कि क्या उस दूसरी राष्ट्रीयता के अधिकार में रहना है अथवा स्वयं को सरकार बनाकर उसके अधीन रहना है। इस अधिकार के सहारे अनेक पराधीन राष्ट्रों के स्वाधीनता आन्दोलन को एक हट आकार प्राप्त हुआ है और आज यह अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी भी समय की अवस्था अधिक संशयन स्थान ग्रहण किये हुए है।

(३) साम्यवाद और उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया — १९१७ की बोलशेविक क्रान्ति के बाद हम में आ साम्यवाद पनपा, वह आज विश्व राजनीति पर प्रभाव डालने वाला एक अत्यन्त सक्रिय शक्तिशाली शक्ति है। मजदूरों और किसानों का समर्थन तथा पूँजीपतियों के शोषण का विरोध आदि साम्यवाद के कुछ ऐसे धारणक तरीके हैं जिनकी ओर साधारण जनता का ध्यान जाये बिना नहीं रह पाता। विश्व के पराधीन राष्ट्रों को स्वाधीनता का आश्वासन देकर और उनमें साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रचार करके साम्यवाद ने राष्ट्रीयता की भावना को बल दिया और आज यह विचार घाटा एशिया और अफ्रीका में अपना विशेष प्रभाव जमा चुकी है। साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव के प्रतिक्रिया स्वरूप पश्चिमी शक्तियाँ अपने प्रभाव की रक्षा के लिए तेजी से सतर्क हुई हैं जिसका यह स्वाभाविक परिणाम है कि एशिया और अफ्रीका साम्यवादी और पूँजीवादी शक्तियों के विभिन्न संघर्षों का रंग मच बन गया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का समर्थन कोई भी क्षेत्र इन दोनों शक्तियों की क्रिया-प्रतिक्रिया से बच हुआ नहीं है। यह क्रिया प्रतिक्रिया विशेषतः तीन रूपों में अधिक प्रभावशाली है —

(१) पश्चिमी शक्ति और उनके साथियों द्वारा अनेक ऐसी संधियों और सगठनों का विकास किया गया है जिसका मुख्य लक्ष्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना है। इन सगठनों के जवाब में साम्यवादी शक्ति द्वारा बारम्बार वेकट आदि अन्य सुरक्षामक सगठन कायम किये गये हैं।

(२) गरीब और हीन देशों को जाना साम्यवाद की ओर तुरन्त आकर्षित होती है— यह समय लेने के बाद पश्चिमी शक्तियाँ अर्ध विहित देशों को हर प्रकार से सहायता देने लगी हैं ताकि उनका जीवन स्तर और मजबूत ऊँचा उठे। पश्चिमी शक्तियों के प्रयासों के जवाब में साम्यवादी देश भी एशिया और अफ्रीका के पिछड़े राष्ट्रों की आर्थिक व मैनिक मदद पर उत्तर आये हैं। इनमें रूस का स्थान सर्वोपरि है।

(३) शीत युद्ध और सशस्त्रकरण का प्रसार हुआ है। लेकिन साथ ही सहअस्तित्व की विचारधारा भी पनपी है—विशेषकर इस अनुभूति के बाद कि दानो ही केन एक दूसरे को नष्ट करने में सक्षम हैं। जत महायुद्ध का अर्थ होगा महाविनाश।

(४) शीतयुद्ध — द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व शीत युद्ध (Cold War) है। इस पर सविस्तार प्रकाश आगे "शीत युद्ध" नामक अध्याय में डाला गया है।

(५) शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व — अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में पूँजीवादी और साम्यवादी शक्ति का जो विरोध चला है और उभय शीत-युद्ध के उचार और फलस्वरूप युद्ध आशंका का जो विस्तार हुआ है, उसने कारण शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की विचार धारा पनपी है। यह विचारधारा आज अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना एक विशय स्थान बना चुकी है। महायुद्ध की सम्भावना से आतंकित होकर दोनों ही शक्तियों के राजन तज यह सोचने का मजबूर हो गये हैं कि एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार किया जाए। भात जैसे असलमन राष्ट्रों ने शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के विचार को अपने अधिक उपलब्ध-पल्लवित्त किया है।

सोवियत रूस में स्टालिन और स्टालिनवाद की समाप्ति के बाद जो नया उदारवाद आशिक रूप में उभरा है, उसने असलमन देशों के प्रति मंत्री प्रदर्शित की है तथा सहअस्तित्व की विचारधारा में विश्वास प्रकट किया है। दुर्भाग्यवश साम्यवादी चीन इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। वह युद्ध और शान्ति की अनिवार्यता में विश्वास करता है। सोवियत रूस से, मुख्यतः सहअस्तित्व के प्रश्न को लेकर ही, सैद्धान्तिक संघर्ष छिड़ गया है और उसने वर्तमान सोवियत नेताओं को संशोधनवादी (Revisionist) तथा पूँजीवाद का समर्थक बताकर उन्हें विद्वत साम्यवादी शान्ति का नकार करने के क्षयोग्य ठहरा दिया है। साम्यवादों के बीच की यह फट अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को नयी दिशा में प्रभावित करने लगी है। इसने रूस का पश्चिम के निकट आने की विषय किया है और दूसरी ओर पश्चिमो राष्ट्र भी युद्ध विनाशु चीन की तुलना में सोवियत रूस को अधिक तरजीह देने लगे हैं। विचारकों का मत है कि साम्यवादी समाज में यह सैद्धान्तिक दरार अस्थाई है तथा सोवियत रूस के मूलभूत लक्ष्यों में कोई अन्तर नहीं आया है। श्री एट-जिनी (Amos Et Ziona) इन बात पर बल देना चाहते हैं कि "सोवियत रूस को घेरे-बन्धी और विरोधियों द्वारा मजबूर किया गया है कि वह अपनी विस्तारवादी नीतियों को छोड़कर सशस्त्र-विहीन प्रयासों की ओर अधिक ध्यान दे।"

(६) विश्व सरकार—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारको मे विश्व-सरकार की धारणा ने भी बड़ी हलचल मचा रखी है। यह कहा जाना है कि यदि विश्व में स्थाई रूप से शांति कायम करनी है और तृतीय महायुद्ध में अतृप्तबल के प्रकोप से मानवता को बचाना है तो विश्व के सभी राष्ट्रों को मिलाकर एक विश्व-सभ का निर्माण किया जाना चाहिए। इस प्रकार के सभ की कल्पना एक सभा-मय विश्व सरकार (World Government) की कल्पना है, जिसमें यह बात निहित है कि एक विश्व सभ सारे सभार की एक केन्द्रीय सरकार की तरह कार्य करे और वर्तमान राष्ट्रीय सरकारें राज्य सरकारों की तरह कुछ विषयों में—विशेषकर वैज्ञानिक क्षेत्र में—विश्व सरकार के अधीन बन जाए। विश्व सरकार के समर्थकों का कहना है कि वर्तमान विश्व में सभर्षों और युद्धों का मुख्य कारण राष्ट्रवाद है और जब तक सम्प्रभु राष्ट्र विश्व में रहते तब तक यह कारण भी बसा रहेगा, जब अच्छा पक्षी है कि इस विपरीत दात को ही समाप्त कर दिया जाए। विचारका का दूसरा पक्ष इसे श्रुतिपूर्ण और अव्यावहारिक मुद्दा मचाना मानता है। विश्व सरकार के आदर्श के पक्षधरियों की धारणा है कि विभिन्न क्षेत्रीय मण्डल विश्व सरकार की आर प्रारम्भिक प्रयास माने जा सकते हैं। प्रथम महायुद्ध के बाद राष्ट्र सभ की स्थापना विश्व सरकार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और आज समुक्त राष्ट्रसभ यदि अपनी 'ब्लॉक पॉलिटिक्स' (Block Politics) को छोड़कर अधिक निष्पक्षता और उत्तरता से कार्य करने लगे तो यह स्वल्प बहुत शीघ्र ही ग्यार्यता में बदला जा सकता है।

(७) निःशस्त्रीकरण—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की निःशस्त्रीकरण की समस्या कितनी अधिक प्रभावित कर रही है, यह कल्पने की आवश्यकता नहीं। समस्त दिग्दर्शन बात यह है कि एक आर ता सभी यह मानते हैं कि विश्व शांति के हित में शस्त्रों को समाप्त या सीमित कर दिया जाना चाहिए, और दूसरी आर सभी शस्त्रों के अधिशायिक सग्रह में लगे हैं। निःशस्त्रीकरण की समस्या ने शीत युद्ध को और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपना प्रभाव आदि पर सविस्तार प्रकाश दिखले 'निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी' पृष्ठों में डाला जा चुका है।

निष्कर्षतः यह सभी तत्व और इनके साथ जुड़े अन्य महयोगी तत्व अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के घटना चक्र को पूरी तरह प्रभावित किये हुए हैं। इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को अस्थिर और अनिश्चित बना रखा है।

एशिया को प्रारुक्ति

(Resurgence of Asia)

एशिया, पूर्व में प्रशान्त महासागर से पश्चिम में भूमध्यसागर तक तथा

दुनियाँ में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में हिन्द महासागर के मध्य बसा हुआ विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनियाँ की आधी से अधिक जनसंख्या इस महाद्वीप पर निवास करती है। सभी प्रकार के फसों और सभी सृष्टियों तथा भाषाओं का यह महाद्वीप घर है। इस महाद्वीप पर विभिन्न प्रकार के खनिज, भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु पाई जाती है। महा के अधिकांश देश अति जनसंख्या और आपिन विन्नता के कारण पीड़ित हैं। इन देशों का राजनीतिक जीवन जनता के सामाजिक और आर्थिक विद्येयन से प्रभावित है। लोग प्रायः हठिबारी हैं, अतः प्रजातांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना और उनका सफल संचालन बड़ा कठिन है। शासन व्यवस्था के रूप में चाहे जो भी परिवर्तन कर दिया जाए, शासन-सत्ता प्रायः उन्हीं लोगों के हाथ में बनी रहती है जो पहले से बहा शासन करते आये हैं। अत्याचार इन देशों में कोई अपवाद नहीं है वरन् एक सामान्य नियम के रूप में पर बर चुका है।

एशिया महाद्वीप और पश्चिमी उत्तर अफ्रीका पूर्व और पश्चिम के बीच भारी अन्तर यह है कि जहाँ एक ओर तो लोग अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए भी तरपते रहते हैं वहाँ दूसरी ओर वे लोग हैं जो अधिकाधिक दक्षिण-उत्तर में लगे हुए हैं। यह पूर्व और अस्तित्व के बीच का अन्तर है। एशिया के लोगों की विज्ञान के लिए जाति और सहयोग की आवश्यकता है। उनकी युद्ध और सभ्यता के विकास का तरीका है उन्नत अन्य किशो को नहीं है।

एशिया का यह विद्यमान अतीत से विरासत में मिला है। हुआ यह कि १८ वीं व १९ वीं शताब्दियों में जब यूरोप तथाकथित 'औद्योगिक क्रांति' (Industrial Revolution) के प्रभाव से मनुष्यानीन अवस्था त्याग कर आधुनिक अवस्था में पहुँच रहा था तो ऐसे समय एशिया ने अपनी अर्थ-व्यवस्था, सृष्टि एवं राजनीतिक-संरचना सम्बन्धी प्राचीन प्रथाओं का परिष्कार करने से इनकार कर दिया जिसका स्थानाधिक परिवर्तन यह गिनता कि यूरोप प्रगति करता चला गया और एशिया पिछड़ा गया।

एशिया आर्थिक दृष्टि से ही नहीं पिछड़ा वरन् वह राजनीतिक दृष्टि से भी पश्चिम के हाथों शून्यः शून्यः पूरी तरह पराजित हो गया। पश्चिम ने एशिया को पराजित करते उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को भी समाप्त कर दिया। शून्यः शून्यः जापान, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल और चीन को छोड़कर लगभग सम्पूर्ण एशिया पश्चात्त राज्यों के शासित्व में आ गया। अंग्रेज भारत, बर्मा, श्री लंका, मलाया, सिंगापुर और हावफांग में जन्म गये, फ्रांसिसियों ने हिन्दोचन में डेरा जमा किया, डचों ने ईस्ट इंडीज में पैर रोखा दिया। रूसियों ने चीन के आस-पास प्रान्त सहित साइबेरिया का बालू मंगोलिया में और तुर्किको-स्लोवाक (बाद में अमेरिकियों ने) सिन्हाइल में अपने अड्डे जमा लिये। महा तक कि पुनः-

गाल जैसे छोटे से राज्य ने भी अपने उपनिवेश कायम कर लिये। वे देश भी, जो जाहिरा तौर स्वतन्त्र थे, व्यावहारिक दृष्टि से विदेशी राष्ट्रों के आधिक्य और राजनैतिक प्रभाव से मुक्त नहीं रह सके। पश्चिमी एशिया अथवा मध्य-पूर्व के राष्ट्र, जो प्रथम महायुद्ध से पहले 'ओटोमन साम्राज्य' के अधीन थे, १९१९ के पेरिस शान्ति सम्मेलन द्वारा अन्वेषित एक नवीन व्यवस्था-संरक्षण पद्धति (Mandate System) के अन्तर्गत अब यूरोप के शोषक शासकों के नियन्त्रण में आ गये। केवल जापान ही एक ऐसा राष्ट्र रहा जिसने पाश्चात्य आधुनिकवाद से पूर्ण शिक्षा लेते हुये स्वयं को औद्योगिकृत किया, अपने विछेदन के सभी बिन्दुओं को मिटाया और शीघ्र एशियाई राष्ट्रों के दुर्भाग्य से अपने आपको वचाने में सफल हो गया। यही नहीं वह काल-तर में औद्योगिक एक राजनैतिक क्षेत्र में पश्चिम का एक घोर प्रतिद्वन्द्वी सिद्ध हुआ।

एशिया पश्चिम की चक्की में घिसता रहा, लेकिन आखिर उसने भी करबट ली। एशिया के सभी देशों पर पाश्चात्य विचारों और व्यवहारों का प्रभाव पड़ा। पश्चिमी देशों ने यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, प्रशासन, अर्थ व्यवस्था आदि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन किये। यद्यपि इन परिवर्तनों का प्रारम्भ में विरोध किया गया क्योंकि ये एशियावासियों की परम्पराओं और विश्वासों से मेल नहीं खाने थे, किन्तु धीरे-धीरे जाने या अनजाने इन परिवर्तनों का प्रभाव एशियायी समाज पर पड़ने लगा। 'जिसका जूता उसी का सिर' वाली कहावत चरितार्थ करने हुए एशिया के लोगों ने पाश्चात्य प्रभावों का प्रयोग उनके साम्राज्य को उखाड़ने को किया और इस कथन में कोई अतिशयोक्ति न होगी कि वर्तमान एशियायी शान्ति की जड़ में पश्चिमी विचारों का प्रभाव निहित है। सर्वप्रथम एशियायी देशों में राष्ट्रवाद की एक लहर आयी और तब ऐसे स्वातन्त्र्य आन्दोलन का सूत्रपात हो गया कि जिससे उपनिवेशवादी एशिया के जागरण के मदर्भ में यह देखना रोचक और आवश्यक होगा कि एशिया में किस तरह स्वातन्त्र्य आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ, किस तरह एशिया जागृति के पथ पर आगे बढ़ा और अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुँच गया।

एशिया में स्वातन्त्र्य आन्दोलनों का सूत्रपात और उपनिवेशवाद का ढहना

एशिया के राष्ट्र पहले से ही आधिक्य दृष्टि से अविश्वसित अवस्था में थे। पाश्चात्य शक्तिशालियों ने उन पर अपना आधिपत्य जमाने के बाद उनके आधिक्य शोषण की नीति अपनाई। इस नीति ने प्रथम इतना भयावह रूप ले लिया कि एशिया के अनेक समृद्ध राज्यों को भी भुखमरी पीटा और विभिन्न कष्टों का शिकार होना पड़ा। जब तक एशियावासियों ने विदेशी शक्तों के शासकिक स्वरूप और प्रकृति को नहीं पहचाना तब तक वे चुपचाप और

निश्चय रहे, लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का भाव हुआ अपने बढ़ते हुए कर्णों को विचलित कर देने वाली अनुभूति हुई तो चीत्र ही वे यह निराकरण समझ गये कि उनकी इन सब कठिनाइयों का तमो सम्भव हो सकेगा जब वे विदेशी शासन से मुक्तिपत्र समझेंगे। इस प्रकार की चेतना बहुत कुछ पश्चिमी ज्ञान, छाहिन्य, कानूनों और सस्याओं के कारण पैदा हुई। पूर्व को 'पश्चिम' के राष्ट्रवादी विचारों और उनके उच्च जीवन स्तर ने सर्वाधिक प्रभावित किया। प्रो. शुमन (Schuman) के शब्दों में—“इन पिछड़े हुए राष्ट्रों के नये मुक्ति-जीवियों ने विज्ञान, युद्धकला तथा राजनीति में पश्चिमी राष्ट्रों की दक्षता तथा निपुणता का ज्योही एक आसिक भाग प्राप्त किया क्योंकि उनमें इस बात की माग करने वाले नताग्रथ भी पैदा हो गये कि उन्हें अपना भविष्य स्वयं निश्चित करने का अधिकार मिलना चाहिये।”

प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता, राष्ट्रियता और लोकतंत्र की पहली लहर आई। एशियावासी 'पश्चिम' की सम्पन्नता और अपनी निर्धनता तथा दीन-हीन अवस्था से परिचित होने के बाद 'आत्म निर्णय' की माग करने लगे। 'भारत भारतीयों के लिए,' 'चीन चीनियों के लिए,' आदि आवाज बुलन्द होने लगी। एशिया करवट लेकर 'विश्व में अपने उच्च स्थान' की माग करने लगा। सम्पूर्ण महाद्वीप में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पादचार्य प्रवृत्ति से छुटकारा पाने की एक उदात्त मानसा जादत हो गई जिसने एक लम्बे स्वातन्त्र्य आन्दोलन और सघर्ष का रूप धारण कर लिया। यद्यपि विभिन्न एशियाई राज्यों के इन राष्ट्रवादी आन्दोलनों का स्वरूप एकसा नहीं था, तथापि उनका उद्देश्य बवन्म एका था—पश्चिम के उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और जाति-भेदभाव का विरोध करना। कठस्वरुप एशिया के लगभग सभी पराधीन राज्यों ने, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी स्थिति पर आन्तिकारी पुनर्विचार की माग की। एशियाई राष्ट्रों की इन नवीन भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति अगस्त १९२६ में यूरोप में बापरविले (Biersviele) नामक स्थान पर आयोजित यानि, के लिये 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन' में एशियाई प्रतिनिधियों के उक्त माग-पत्र में हुई जिसमें यह घोषणा की गई कि—

“यूरोपियन विचारकों के अनुसार विश्व सम्भवतः उन्ही क्षेत्रों तक सीमित है जिनमें यूरोपियन जातियाँ निवास करती हैं। मानव सभ्यता के महत्तम तथा अपनी सर्वाधिक प्राचीन सन्मत्ताओं वाला एशिया महाद्वीप यूरोपियन विचारकों के अनुसार विश्व का भाग नहीं है। हमारा यह नम्र निवेदन है कि यह दृष्टिकोण गलत है। यदि विश्व स्पाई यानि का इच्छुक है तो वहाँ स्थानीय या क्षेत्रीय यानि नहीं होने चाहिये—यदि आप

शांति चाहते हैं तो पहले आपको उन कारणों को दूर करना चाहिये जिनसे एशिया में यूरोप के प्रति विरोध पैदा हुआ है—यदि आप एशिया व यूरोप में एक सहयोगी बन्धुत्व की स्थापना करने में सफल हो जाते हैं तो आप विश्व-शांति की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठा लगे। जो चीज इस सहयोग के मार्ग को अवरोध कर रही है वह एशिया के शोषण तथा अधिक से अधिक राज्यों को अधीनस्थ बनाने के पश्चिमी राष्ट्रों की गुटबन्दी है।" ✓

एशियाई प्रतिनिधियों द्वारा ~~अभिव्यक्त~~ किया गया उन्नीस विचार सम्पूर्ण विश्व को इस बात का निर्दिष्ट ^{संकेत} था कि एशिया अब जागने लगा है और अपनी महत्वकांक्षाओं को पूर्ण के लिए अब वह हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहने को मन स्थिति में नहीं है। एशिया के तेजी से होने वाले नव जागरण ने एशिया के इस निश्चय को शीघ्र ही प्रकट कर दिया। द्वितीय महायुद्ध ने, जिसमें यूरोपियन राष्ट्रों के दो गुट परस्पर मरगाक सघर्ष में जुझ रहे थे, सदियों में उोलित और शोषित एशिया महाद्वीप को अपना उद्देश्य प्राप्त करने का सुभ्रवसर प्रदान किया। सैनिक और औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध व अग्रणी जातान ने हिन्दचीन से फ्रांसियों को निकाल फेंका, डच ईस्ट इंडीज को फरेंस में कर लिया, ब्रिटेन के 'अजय' सिंगापुर का जोत लिया और फिलीपाइन्स में अमेरिका जैसी महा शक्ति को पछाड़ दिया। दूसरी ओर १९४२ के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' ने भारत में अग्रणी साम्राज्य की नींव हिला दी। ऐसा लगने लगा कि क्षेत्र जानियों का सितारा अब डूबने को है। परन्तु दुर्भाग्यवश एशिया महाद्वीप को अभी कुछ वर्षों तक साम्राज्यवादी दुर्दिन और देखने थे। १९४५ में पश्चिमी शक्तियों की विजय के पश्चात् साम्राज्यवाद की पुरानी व्यवस्था पुनः उभरी का स्थिति स्थापित रह गई।

लेकिन अब यह स्थिति अधिक समय तक जारी रहने वाली न थी। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर आई हुई स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता और लोकतन्त्र की लहर ने द्वितीय महायुद्ध के बाद प्रबल बाढ़ का रूप धारण करके समस्त एशिया और अफ्रीका को आप्लावित कर दिया। द्वितीय महायुद्ध में श्वेत जातियों की जिन प्रारम्भिक गहरी पराजयों का सामना करना पड़ा था उतसे एशियाई जनता को यह विश्वास हो गया कि पश्चिमी राष्ट्र अथवा 'गोरी-चमडी' अर्थ नहीं है। इस अनुभूति के फलस्वरूप स्वातन्त्र्य आन्दोलनों में नये प्राण फूले गये। पहले हुए यूरोप के लिये उनकी दबाना मुश्किल हो गया और आजादी की लहर चली कि एक के बाद एक सभी राष्ट्रों ने स्वतन्त्र होने चने गये। वास्तव में यह कहना सर्वथा उचित होगा कि १९१९ के बाद एशिया और अफ्रीका ने महाद्वीपों में साम्राज्यवाद की पराजय आरम्भ

हुई और १९४५ के बाद इनका सञ्जुक्त मूकत्व होने लगा। पश्चिम की प्रगति और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एशिया के इस विद्रोह को अमेरिकन पत्रकार गॉरेट पेन (R. Payne) ने वर्णनरत युग की सबसे बड़ी घटना बताते हुए लिखा है कि एशिया को अब अपने महत्व का ज्ञान हो गया है और 'एशिया की शताब्दी' आरम्भ हो गई है। एशिया के इस नवजागरण को देखते हुए ही विख्यात इतिहासकार अर्नाल्ड टॉयबनी (A. Toynbee) ने यह भविष्यवाणी की है कि "माजदल हम (पश्चिमी देश) साम्यवाद की चुनौती को अधिक महत्व दे रहे हैं। किन्तु जब भारत और चीन की अधिक शक्तिशाली सम्मताएँ पश्चिमी जगत की चुनौती का उत्तर देने लगेंगी तो साम्यवाद का महत्व कम हो जाएगा। अन्ततोगत्वा ये सम्पत्ताएँ हमारे पारिचायक जीवन पर उससे नहीं अधिक गहरा प्रभाव डालेंगी जितना प्रभाव रूस अपने साम्यवाद द्वारा हमारी सम्मता पर डाल सकता है।" एशिया की जागृति को स्वर्गीय श्री नेहरू ने १९४७ में प्रथम 'एशियाई-सम्बन्ध सम्मेलन' (Asian Relations Conference) में घोषणा की थी कि "एक परिवर्तन हो रहा है, एशिया अपने स्वयं को पुनः पहिचान रहा है। हम परिवर्तन के महामुग में रह रहे हैं और इसमें नवयुग तब आएगा जब एशिया अन्य महाद्वीपों के साथ अपना सचिन स्थान ग्रहण करे। विश्व इतिहास के इस सङ्कट में एशिया अवश्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।"

भविष्य ने इन सभी भविष्यवाणियों को सच कर दिखाया। आज एशिया के अधिकांश भू-भाग स्वतंत्र वातावरण में साव ले रहे हैं। पश्चिमी देशों की प्रगति की बराबरी करने की बलवती भावना है। वे अपने की औद्योगिक एवं यात्रिक दृष्टि से इतना विश्वसित कर लेना चाहते हैं कि इनके और औद्योगिक विकास के शिखर पर को प्राप्त पश्चिमी देशों के बीच कोई अन्तर न रह जाये। इस भावना को अधिक तीव्र बनाने में राष्ट्रवाद और भी अधिक समय होता जा रहा है। परिणामतः आज उपनिवेशवाद या पश्चिमी देशों के हस्त से मुक्त होने की भावना प्रबल नहीं है वरन् उससे भी अधिक अपने पुराने ढग के रहन-सहन को बदलने के लिए प्रगति विरोधी शक्तियों से पल्ला छुटाने की भी वे तत्पर हैं। सदियों की दासता और सामन्तवादी व्यवस्था के कुप्रभावों से झुकी हुई अपनी रीढ़ को पुनः सदा करने आज का एशिया अपना क्षामरूप करने को कटिबद्ध है। आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री श्री पी० सी० हॉडर के शब्दों में—'एक अरब से अधिक जनता एशिया में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन करने में लगी हुई है। सर्वत्र नई राजनीतिक और आर्थिक नीतियों और नई संस्थाओं का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है और यह विश्व राष्ट्रीय विचार की प्रेरणा

से तथा आर्थिक और सामाजिक सुधार की माग के कारण भविष्य में भी चल्ता रहेगा।

आज एशिया राष्ट्रवाद की लहरों से व्याप्त है। इसके देश अपने को आर्थिक दृष्टि से विकसित करने में प्राणपण से सलगन हैं और अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिये तेज कदमों के आकाशी हैं। परन्तु आकाशाओं के अनुरूप बनने में जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रथम दिया गया है उससे तनाव पैदा हो गया है। एक तरफ एशिया का विशाल जनमत लोकतन्त्रवाद के मार्ग का अनुगामी बनने के लिए सचेष्ट है और दूसरी तरफ साम्यवाद भी अपनी सत्ता जमाने की होड़ में व्यस्त है। यदि एशिया में औद्योगिक शक्ति एवं आर्थिक विकास के कदम स्वतन्त्रता के आगमन के पूर्व ही हो गये होते, तो विशेष परेशानी नहीं होती किन्तु आज विडम्बना यह है कि एक तरफ तो राजनीतिक स्वतन्त्रता मिलती जा रही है और दूसरी तरफ लोगों का जीवन स्तर अब भी मध्यकालीन है। परिणामतः आज का एशिया विभिन्नवादों के संघर्ष का क्रीडा स्थल बन गया है। साम्यवाद अपनी नवीन किन्तु नान भूमिका में अवतरित हुआ है और समग्र एशिया को अपने में समाविष्ट कर लेना चाहता है। पश्चिमी पूँजीवाद लोकतन्त्र में अधिक विकास के कदम सहम सहम कर उठाने की प्रवृत्ति रखने के कारण सफलता की दौड़ में साम्यवाद से पिछड़ा रहा है। रूस की तरक्की का उदाहरण तो विश्व के सामने है ही, किन्तु उसमें भी अधिक एशिया में साम्यवादी चीन का बेहतर उदाहरण है। यदि पश्चिम के शक्तिशाली और समर्थ लोकतन्त्रात्मक राष्ट्र चाहते हैं कि एशिया पूरा लाल रंग में न रंग जाय तो यह अपक्षिप्त है कि उन्हें भारत जैसे लोकतन्त्रात्मक राष्ट्रों की प्रत्येक सम्भव सहायता जी खोल कर करनी चाहिये ताकि वे लोकतन्त्र के अजेग स्तम्भ बन कर एशिया में बढ़ते हुए साम्यवाद पर प्रभावी अंकुश लगा सकें।

एशियायी व्यक्तित्व का विकास

भिन्न भिन्न सांस्कृतिक भूमिकाओं, धार्मिक दृष्टिकोणों और राजनीतिक अनुभवों वाले लोगों का महाद्वीप एशिया, जब स्वतन्त्रता की ध्वजवाह्य लेने लगा तो स्वाभाविक रूप से अनेक प्रकार की अविधटनकारी शक्तिशासतात्त्विक स्वदेशी शासकों को चुनौती देने लगी। जाति वैमनस्य और जातुओं ने, साम्प्रदायिकता व स्वार्थ लिप्सा ने, पूँजीवाद और साम्यवाद आदि ने अपना सिर उठाया। कुछ राज्यों में गृह युद्ध हुए, वही साम्प्रदायिक दंगे और विद्रोह हुए तो वही भूख और निर्धनता से तप्त और पीड़ित जनता के प्रदर्शन हुए। राष्ट्रीय नेताओं को, जिन्होंने “विदेशी शैतानों से लोहा लिया था अब स्वदेशी शैतानों का सामना करना पडा। जब उन्होंने अपने इर्द-गिर्द के विद्रोह पर

दृष्टि डाली तो उन्हें एक दूसरे को पराजित करने पर तुले हुए दो 'शक्ति-गुटों' का संघर्ष दिखाई दिया। यह संघर्ष एशियावासियों के लिए खतरनाक था क्योंकि उनकी भयावह समस्याओं के समाधान के लिए आन्तरिक स्थिरता और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को अनिवार्य आवश्यकता थी। अनेकों को इन खतरनाक परिस्थितियों में पाकर एशियायी राष्ट्रों में एक प्रकार के सामुदायिक हृष्टिकोण से जुझ कर विजय पाने के लिए उन्हें पारस्परिक एकता, संगठन और सहयोग का परिचय देना होगा।

इस प्रकार की एकात्मकता की नवीन धेतना की अभिव्यक्ति मार्च, १९४७ में नई दिल्ली में आयोजित 'एशियायी मंत्री सम्मेलन' (Asian Relations Conference) में हुई। इस सम्मेलन में एक 'एशियायी मंत्री मण्डल' (Asian Relations Organisation) की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई—

(१) एशियायी समस्याओं और सम्बन्धों के महाद्विपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं के अध्ययन और ज्ञान को प्रोत्साहित करना,

(२) एशियायी राष्ट्रों में और एशिया तथा विश्व के अन्य राष्ट्रों के बीच महत्वपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना, एवं

(३) एशियायी जनता की प्रगति और हितों में वृद्धि करना।

एशिया में जागरण और एकता की जो यह चेतना उदित हुई वह तेजी से विकसित होती गई और यह कहना अनिश्चयपूर्वक न होगा कि अप्रैल, १९५१ में होने वाले बाडु ग सम्मेलन में सबसे पहले विश्व के सामने एशियायी व्यक्तित्व बड़े तेजस्वी रूप में प्रकट हुआ। इन 'अफ्री एशियायी सम्मेलन' में भारत सहित २६ राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए और पहली बार एशिया का महान साम्यवादो राष्ट्र चीन भी उपस्थित हुआ। 'बाडु ग-सम्मेलन' में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया गया और 'वास्तविक स्वतन्त्रता' की अभिप्राय की खोज की गई। 'अफ्री एशियायी' राष्ट्रों ने यह निष्कर्ष निकाला कि वास्तविक स्वतन्त्रता तभी है जब अपने निम्नलिखित तत्वों का समावेश हो—

(१) विदेशी प्रभाव से मुक्ति एवं पूर्ण लोकतन्त्रात्मक स्व शासन,

(२) जाति, समुदाय और रंग का किसी प्रकार भेद भाव किये बिना मानव प्रतिष्ठा की मान्यता,

(३) तीव्र आर्थिक समृद्धि जिसका लाभ अधिकाधिक जनता को सुलभ हो, एवं

(४) युद्ध का उन्मूलन तथा सद्भावना का प्रसार।

बाहु ग सम्मेलन में उपनिवेशवाद के सभी रूपों का विरोध किया गया और बाफ़ी विचार विमर्श के बाद सम्मेलन ने यह विचार प्रस्थापित किया कि जनता की इच्छा के विरुद्ध शक्ति और विध्वंस द्वारा स्थापित शासन भी उपनिवेशवाद ही है। बाहु ग सम्मेलन ने सह अस्तित्व और अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के सिद्धान्तों में विरवाम प्रकट किया।

२७ अप्रैल, १९५५ को बाहु ग सम्मेलन की समाप्ति पर लगभग सम्पूर्ण विश्व को यह विश्वास हो गया कि सोया हुआ एशिया और अफ्रीका अब जाग उठा है, एक नयी आवाज और एक नये संदेश के साथ। यह आवाज विद्रोह और सशस्त्र क्रांति की नहीं थी, यह आवाज शीत-युद्ध की नहीं थी, बरन् यह आवाज तो शान्ति, मंत्री, सद्भावना और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की थी। अफ्रीका एशियायी राष्ट्रों के इस महान सम्मेलन के महत्व को इंगित करते हुए सुबिरयात विद्वान बार्नेट ने लिखा है—“बाहु ग सम्मेलन एशिया और अफ्रीका के पुनर्स्थान का प्रतीक था। यह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक सम्मेलन था जिसमें एशिया और अफ्रीका के प्रमुख नेता पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव में मुबन बंटक में मग्नित हुए थे। यह इन बात का ज्वलन्त उदाहरण था कि विश्व के मामलों में अब एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों का प्रभाव बढ़ रहा है।”

एशिया महाद्वीप कुछ विशेषताएँ—एशिया महाद्वीप के उपयुक्त वर्णन से प्रकट है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से यहाँ अनेक श्रृंखलाओं और दृष्टिकोणों का विकास हो रहा है। पामर और पकिन्स ने इन्हें अनेक दीर्घवर्षों में विभाजित किया है। उनके मतानुसार एशिया में शान्ति अभी तक चल रही है। पहले इसका विरोध केवल विदेशी साम्राज्यवाद के प्रति था, किन्तु आज यह विरोध पुराने विचारों, विश्वासों, गरीबी, अज्ञानता, अशिक्षा एवं ऐसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सतुलित किया जा रहा है। राष्ट्रवाद एशिया में सर्वत्र प्रभावपूर्ण बनता जा रहा है तथापि साम्राज्यवादी शक्तियाँ अपने प्रभाव जमाये रखने को प्रयत्नशील हैं। सोवियत साम्यवाद का अधिकार अब भी विशेष रूप से प्रभावशील है। पामर और पकिन्स के अनुसार सोवियत रूस ने साम्राज्यवाद का विरोध कर एशिया-वासियों की भावनाओं को अपने पक्ष में प्रभावित कर लिया है और अब जब कि पश्चिमी शक्तियों का प्रभाव वहाँ से हट रहा है, वह अपना प्रभाव दिनोदिन फैलाता जा रहा है। एशिया के लगभग सभी देश आर्थिक और सामाजिक न्याय चाहते हैं। वे राजनीतिक स्वतन्त्रता के पक्षपाती और साम्राज्यवाद के विरोधी हैं। इसी मूलभूत एकता के प्रभाव से वहाँ की कोई भी बड़ी शक्ति एशिया-वासियों और एशियायी नेताओं के दृष्टिकोणों की उपेक्षा नहीं कर पाती। दो

ग्रुटो के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए भी एशिया के अधिकांश देशों का मत है कि साम्यवादी व्यवस्था और पूंजीवादी प्रजातन्त्रों के बीच में भी एक रास्ता है। काथिक दृष्टि से इसे मिश्रित अर्थ-व्यवस्था एवं विदेश नीति अथवा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से असलग्नता की नीति (Policy of Non-alignment) कह सकते हैं।

पामर और पकिन्स ने एशिया के प्रमुख देशों की विदेश नीति को अथवा उनके अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ५ भागों में विभाजित किया है—

- (१) साम्यवादी चीन का दृष्टिकोण,
- (२) राष्ट्रवादी चीन और कोरिया का दृष्टिकोण,
- (३) पश्चिम पक्षपाती दृष्टिकोण,
- (४) ईरान अरब का दृष्टिकोण, एवं
- (५) असलग्न राष्ट्रों का दृष्टिकोण।

विदेश नीति सम्बन्धी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उपर्युक्त ५ भाग उपयुक्त हैं तथापि इन्हें तीन मुख्य भागों में बांटना ही पर्याप्त होगा अर्थात् साम्यवाद समर्थक दृष्टिकोण, पूंजीवाद समर्थक दृष्टिकोण तथा असलग्नता का दृष्टिकोण। असलग्नता के दृष्टिकोण का अपना विशेष महत्व है। इस पर आगे यथा स्थान प्रकाश डाला गया है। साम्यवाद का प्रभाव एशिया में बढ़ रहा है। एशिया का महानतम राष्ट्र चीन पूरी तरह खल बन चुका है और एशिया व अफ्रीका के विभिन्न देशों पर अपना आतंक फैलाने की प्रयत्नशील है। ताहि यह देश उसका प्रभुत्व स्वीकार करले और उसके बताये हुए तरीके पर चलकर साम्यवाद की स्थापना करले। इस दिशा में उसकी दृष्टि से सोवियत साम्यवाद से है सोवियत रुस भी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की प्राणपन से सचेष्ट है, जिसमें उसे उल्लेखनीय सफलता हासिल हो रही है। साम्यवादी चीन की विस्तारवादी और साम्यवादी नीतियों ने एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों को जगा दिया है। यह स्थिति भारत पर चीन के अकारण आक्रमण के बाद पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। साम्यवादी एशिया पर न छा जाए, इसलिए पश्चिमी शक्तियाँ भी एशिया के राष्ट्रों पर अपना प्रभाव बनाये रखने की सचेष्ट हैं। मुख्य बात यह है कि इस दिशा में नेतृत्व ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों से खिसक कर समुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में आ गया है। यह कहना उपयुक्त होगा कि एशिया विश्व की दो महा शक्तियों का श्रीछास्थल बना हुआ है और एशिया की भलाई इसी बात में है कि वह दोनों महा शक्तियों को अपना मित्र मानते हुए किसी प्रभुत्व में न जाए, वरन् अपना स्वतन्त्र मार्ग अपनाय और अपने भाग्य का निर्णायक स्वयं बने। यह तभी सम्भव है जब एशिया आपसी पूट और मतभेदों से ऊपर उठ जाए, अपनी काथिक उन्नति करले और परिपक्व राजनीतिक सजगता का परिचय दे।

किया। किन्तु इस प्रकार का दमन राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को समाप्त करने की बजाय मजबूत करने में ही सहायक रहा। टर्की ने वहाँ के निवासियों की राष्ट्रवादी भावनाओं को पूरी तरह से समझा नहीं तथा वे उनका बराबर दमन करते रहे। १७ अगस्त, १९४५ को स्वतन्त्र इन्डोनेशियन गणतन्त्र की स्थापना हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति हाटा ने ७ अक्टूबर, १९४५ को गणतन्त्र के ५ सिद्धान्तों की व्याख्या की जो ये थे— (i) ईश्वर में विश्वास (Belief in God), (ii) राष्ट्रवाद (Nationalism) (iii) सार्वभौमवाद (Universalism), (iv) प्रजातन्त्र (Democracy) और (v) सामाजिक सुरक्षा (Social Security)

भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे अनेक कारण थे। जैसे तो कुछ विद्वान १८५७ की क्रांति को भी स्वतन्त्रता संग्राम मानते हैं जिसमें राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर विदेशी शक्तियों को भारत से निकालने का असफल प्रयास किया गया था। भारत में राष्ट्रीयता की भावना का सगठित रूप से प्रारम्भ १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से माना जाता है। कांग्रेस का इतिहास भारतीय राष्ट्रीयता के विकास का इतिहास है। कांग्रेस धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रवाद की अधिकाधिक अभिव्यक्ति करने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीयता स्वतन्त्रता प्राप्ति के अपने प्रयास में सफल हो गई किन्तु यह सफलता उस देश के विभाजन के बाद मिली।

टर्की में मुस्तफा कमालपाशा या अतातुर्क का वहाँ का हीरो माना जाता है। उसने टर्की में राष्ट्रवाद का प्रसार किया। उसका मूल उद्देश्य साम्राज्यवाद का निर्माण करना अथवा विस्तारवादी नीतियों पर चलना नहीं था बल्कि वह तो टर्की के भीतर राष्ट्रवाद का प्रसार करना चाहता था। “तुर्की के लिये तुर्की” (Turkey for the Turks) यह उनका एक प्रसिद्ध नारा था।

साराराय यह है कि एशिया के प्रायः सभी देशों में अब राष्ट्रवाद का प्रसार हो चुका है। इस महाद्वीप का राष्ट्रवाद पश्चिमी देशों के राष्ट्रवाद से कुछ अर्थों में भिन्न रहा है। एशिया में पश्चिमी राष्ट्रवाद को इस प्रकार अपनाया गया कि वह वहाँ की परम्पराओं तथा रीति रिवाजों का विरोध न करे। एशिया में राष्ट्रवाद का रूप मुख्य रूप से निषेधात्मक रहा है। यहाँ इमका लक्ष्य विदेशी शासन को हटाना था। इसमें धर्म, भाषा, अविद्या, गरीबी, अन्ध विश्वास, स्थानीयता आदि के भेदभावों के होते हुये भी एकता प्राप्ति का प्रयास किया गया है। पारंपरिक राष्ट्रवाद में साम्राज्यवाद, जातिवाद तथा युद्ध की प्रवृत्तियाँ पाई जाती थीं किन्तु एशिया महाद्वीप में राष्ट्रवाद

ने इन सभी प्रवृत्तियों को छोड़ दिया। एशिया में राष्ट्रीयता की भावना को न केवल राजनैतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये ही प्रयुक्त किया गया वरन् इसका प्रयोग आर्थिक तथा सामाजिक सुधार आन्दोलनों में भी किया गया। एशिया के राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अन्तर्राष्ट्रीयवाद, शान्ति, सहयोग एवं मानवता का सहायक है। जवाहरलाल नेहरू का विचार था कि अन्तर्राष्ट्रीयवाद प्रभावपूर्ण रूप से केवल तभी विकसित हो सकता है जबकि राष्ट्रवाद ने उन देशों में अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हों जो स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे हैं। पण्डित नेहरू का यह विचार था कि राष्ट्रवाद का प्रत्येक देश में स्थान है तथा इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए किन्तु यह आत्मपणकारी तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास में बाधक नहीं बने।

एशिया में साम्यवाद—राष्ट्रवाद की भावना के बावजूद एशिया के देशों पर जिस अन्य तत्व का प्रभाव बढ़ता जा रहा है वह है साम्यवाद। एशिया के देशों में व्याप्त गरीबी, अज्ञानता, भुखमरी, बीमारी, औद्योगिक पिछड़ाव तथा अन्य ऐसी ही समस्याएँ साम्यवाद के प्रसार के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करती हैं। एशिया महाद्वीप पर साम्यवाद का प्रभाव बढ़ने की आशंका इस कारण भी है कि इस विचारधारा का प्रधान केन्द्र तथा शक्ति का स्रोत मास्को है। यद्यपि यह योरोप का एक भाग है किन्तु एशिया से भी दूर नहीं है। इसको अर्ध-योरोपियन तथा अर्ध-एशियन स्वीकार किया जाता है। इस के अतिरिक्त साम्यवाद का दूसरा बड़ा गढ़ साम्यवादी चीन है। यह देश तो पूरी तरह से एशिया महाद्वीप में स्थित है। एक ओर तो साम्यवादी विचारधारा के विस्तार की इतनी सुविधा है कि इसके प्रचारक इसी क्षेत्र में ही साथ ही यहाँ की समस्याएँ एवं वातावरण भी अनुकूल ही हैं और दूसरी ओर साम्यवाद का विरोध करने वाली शक्तियाँ एशिया से दूर पढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त इनके साथ एशिया के देशों का अतीत अनुभव अधिक अच्छा नहीं है। इस प्रकार विधेयार्थ एवं निषेधात्मक दोनों ही दृष्टियों से एशिया में साम्यवाद के प्रसार का भविष्य उज्ज्वल दिखाई देता है। एशिया के अधिकांश देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों में साम्यवादी दल द्वारा सश्रिय सहयोग प्रदान किया गया था।

एशिया में साम्यवादी चीन ने विस्तारवादी नीति को अपनाया तथा साम्यवाद के प्रचार की धागडोर अपने हाथ में लेने के लिए बड़े जोर-शोर से वह एशिया के देशों को लाल रंग में रंगने लग गया है। चावल, चाँताकी या युद्ध किसी भी साधन द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह तैयार हो गया। उसका विचार है कि पूँजीवाद को समाप्त करने के शुभ लक्ष्य में यदि

युद्ध भी करना पड़े तो कोई खतरा नहीं है क्योंकि चीन की जनसंख्या इतनी अधिक है कि युद्ध में सत्तार के समान हो जाने के बाद भी जो लोग बचेंगे वे साम्यवादी चीन के ही नागरिक होंगे। उस समय सारे सत्तार पर लाल झण्डा फहराया जायेगा। इन प्रकार क कथनों तथा उन पर किए गए व्यवहारों को देख कर पश्चिमी राष्ट्र चौकन्ने हो गये हैं। अब उनकी समझ में आ गया है कि उनका प्रमुख शत्रु साम्यवादी रूस नहीं बरन् साम्यवादी चीन है वन चीन की घरेबन्दी की जाने लगी। अमरीका न दक्षिण कोरिया, फारमोसा तथा फिलीपाइन देशों के माध्यम से जापान से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया तक सैनिक अड्डे तथा सैनिक सन्धियों द्वारा घेराबन्दी डाल दी और चीन को प्रसारवादी नीतियों को रोकना। समुक्त राज्य अमरीका ने अभी तक चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता नही दी है। वह राष्ट्रवादी सरकार को चीन का वास्तविक शासन मान रहा है और इसी कारण वह समुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य है।

साम्यवादी शक्तियों द्वारा लामोस, तिब्बत तथा भारत के विरुद्ध जो कदम उठाए गए उनका पश्चिमी देशों ने दृढ़ता के साथ विरोध किया। इसी प्रकार पश्चिमी शक्तियों द्वारा जापान, इण्डोनेशिया, लामोस तथा फारमोसा में जो किया गया, साम्यवादियों द्वारा उसका घोर विरोध किया गया। कोरिया का युद्ध साम्यवादी तथा गैर साम्यवादी शक्तियों के बीच की लड़ाई का प्रमुख उदाहरण था। किन्तु इन दोनों शक्तियों के बीच वियतनाम में होने वाले सशस्त्र संघर्ष ने उन याद को फिर से ताजा कर दिया कि विश्व के दो गुटों की तरह एशिया में अपने स्वयं के दो गुट नहीं हैं। इस महाद्वीप में साम्यवादी गुट तो इसी क्षेत्र का है किन्तु साम्यवाद का विरोध करने वाली शक्तियाँ इस महाद्वीप की स्वयं की नहीं हैं। पश्चिमी देशों द्वारा एशिया के देशों के हितों को उकसा कर उन्हें साम्यवाद का विरोध करने का साधन बनाया गया है। विश्व-प्रापी शीत युद्ध का प्रभाव एशिया महाद्वीप को भी सहन करना पडा है और अब जबकि संसार शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व की नीतियों में विश्वास करने लगा है, एशिया में स्थित शीत युद्ध न कई बार गर्म युद्ध का रूप धारण कर लिया है। साम्यवादी तथा गैर साम्यवादी शक्तियों के बीच एशिया की भूमि पर अब एशिया के देशों के सन्धिय सहयोग द्वारा विश्व शान्ति को अग करने वाली विभिन्न समस्याएँ आज विशेष चिन्ता की विषय हैं।

एशिया में असलमनता — एशिया महाद्वीप कवल पूँजीवादी और साम्यवादी गुटों से ही प्रभावित नहीं है बरन् वहाँ असलमनता (Non alignment) की विचारधारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान लिये है। यहाँ के अनेक देश असलमनता की विश्व नीति में विश्वास रखते हैं जिनमें भारत का सर्वोपदि

स्थान है। कोलम्बो शक्तियों में सबसे अधिक प्रभावशाली यह देश अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैद्धान्तिक स्थिति के कारण अपनी आवाज प्रभुत्व पूर्ण रूप से प्रकट करने में सक्षम है। समुक्त राष्ट्र तथा और अन्य विश्व सम्मेलनों में भारतीय नेताओं ने सदा ही एशिया की एकता के लिये कार्य किया है और यहां के लोगों के हितों के अनुरूप अपना दृष्टिकोण अपनाया है। असलमन्ता की नीति के सम्बन्ध में अगले एक अध्याय में विस्तार से विचार प्रकट किया गया है और भारत की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को इस नीति की कसौटी पर परखा गया है। अतः यहां विस्तार में न जाकर इतना ही लिखना पर्याप्त है कि एशिया और अफ्रीका में असलमन्ता विदेश नीति के समर्थक राष्ट्रों का अपना महत्वपूर्ण अस्तित्व है और वे विश्व के पूंजीवादी व साम्यवादी खेमों में सतुलनकारी भूमिका अदा कर रहे हैं। असलमन्ता राष्ट्र अपना कोई छुट बनाकर सभार में एक तृतीय शक्ति के रूप में उदित होने का लक्ष्य नहीं रखते, वेन् उनका ध्येय यह है कि वे किसी भी राष्ट्र विशेष या छुट विशेष से न घबर कर अपनी स्वतन्त्र नीति पर चलते हुए अपनी इच्छानुसार अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की छुटबन्दी को वे अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। किन्तु असलमन्ता की यह नीति निष्क्रियता की नीति नहीं है। यह एक सक्रिय और प्रभावशाली नीति है जो न्याय का पक्ष लेने से नहीं चूकती और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह से पीछे नहीं हटती। एशिया के प्रमुख राष्ट्रों में जागरण और उनके द्वारा स्वाधीनता प्राप्ति

इस दृष्टिकोण के उपरान्त अब हमें सांकेतिक रूप में यह भी परिचय पा लेना चाहिये कि एशिया के प्रमुख राष्ट्र उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के चण्ड से कब और कैसे मुक्त हुए तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में उनका वर्तमान दृष्टिकोण क्या है। अध्ययन की दृष्टि से हम एशिया को चार भागों में बांट सकते हैं और उनमें सम्मिलित प्रमुख-प्रमुख राष्ट्रों को ले सकते हैं। ये भाग और प्रमुख राष्ट्र इस प्रकार हैं—

- (I) पूर्वी एशिया—चीन, जापान ।
- (II) दक्षिण एशिया—भारत, पाकिस्तान, लद्दाख ।
- (III) दक्षिण पूर्वी एशिया—दर्मा, इण्डोनेशिया, हिन्द-चीन, मलाया, फिलीपाइन्स, थाईलैण्ड ।
- (IV) पश्चिम एशिया—अफगानिस्तान, अरब राष्ट्र, इजराईल, टर्की, साइप्रस ।

पूर्वी एशिया (चीन एवं जापान)—पूर्वी एशिया में चीन और जापान सबसे प्रमुख राष्ट्र हैं। १९४९ से पूर्व वेचल राष्ट्रवादी चीन का अस्तित्व था,

किन्तु चीन के लम्बे गृह-युद्ध में चांगकाई शेक के राष्ट्रवादी दल को पराजित होना पड़ा और साम्यवादी नेता माओत्से-तुंग को न्यायिक विजय मिली। सोवियत संघ की अपेक्षा और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रबल विरोध के बावजूद लगभग २२ वर्ष के निरन्तर संघर्ष के बाद साम्यवादियों ने चीन में अपने राज्य की स्थापना कर ली। चांगकाई शेक ने भागकर फारमूसा द्वीप में शरण ली और वहाँ चीन की 'निर्वासित सरकार' की स्थापना कर ली जिसे आज भी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्रसंघ की वास्तविक सरकार माने हुए हैं।

चीन की साम्यवादी प्रान्ति ने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को झकझोर दिया है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक ऐसा देश जो कुछ समय पूर्व तक साम्राज्यवादी लिप्सा, दमन, अत्याचार और शोषण का शिकार बना हुआ था, आज स्वयं एक शूर साम्यवाद का बाग पहिन कर अपने मित्रों और शत्रुओं को समान रूप से घमका रहा है, युद्ध का नारा बोलकर रहा है और आज के आणविक युग में भी युद्ध को मनुष्य जाति के बन्धन का एक मात्र साधन बता रहा है। चीन की साम्यवादी प्रान्ति ने एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी शक्तियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है किन्तु साथ ही चीन की विस्तारवादी आकांक्षा ने कमजोर अथवा एशियाई राष्ट्रों में आतंक भी पैदा कर दिया है और उन्हें भय वता रहा है कि कहीं वे चीन के हाथों न चढ़ जाय। चीन ने युद्ध और हिंसा, लम्बे संघर्ष, साम्यवादी प्रचार, सैनिक सहायता कार्यक्रम और दौंगपूर्ण सह-अस्तित्व को अपनी विदेश नीति के साधन माना है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चीन अपनी विदेश नीति के इतने आधारभूत लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्राणपण से सचेष्ट है --

(१) सम्पूर्ण एशिया में साम्यवाद का प्रसार आज के इसी ढंग का नहीं हो, बल्कि विगुद्ध मार्क्सवाद के निरन्तर ढंग का युद्ध साम्यवाद हो।

(२) हिंसा, छल बल और कौशल द्वारा साम्यवादी चीन की सीमाओं का अधिकाधिक विस्तार किया जाय।

(३) एशिया के समस्त देशों पर प्रभावशाली राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया जाय।

(४) सम्पूर्ण एशिया और मुझूर पूर्व में पश्चिम के विशेषकर अमेरिका के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाय ताकि उसकी (चीन की) सैनिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में कोई बाधा न पड़े।

(५) एशिया ही नहीं अपितु समस्त विश्व का एक छत्र साम्यवादी नेता बनने की दिशा में हर उपाय से आगे बढ़ा जाय चाहे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों व जाति से ही संघर्ष क्यों न मोल लेना पड़े।

(६) रोना की आपुनिकतम और आणविक शास्त्रास्त्रों तथा सैनिक उपकरणों से सुसज्जित करके और चीन की राष्ट्रीय शक्ति का सैनिक आधार पर पूर्ण गठन करके उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त किया जाय ।

— चीन के अन्तर्राष्ट्रीय और वैदेशिक दृष्टिकोण का ज्वलन्त प्रमाण उसका भारत जैसे निष्पट मित्र पर किया गया, निर्लज्ज आक्रमण है । वास्तव में यह एशिया का दुर्भाग्य है कि चीन और भारत जैसे दो महान् राष्ट्र परस्पर तलवारें खींचे हुए हैं । चीन ऐसी नीति पर चल रहा है जो न केवल एशिया के लिए ही घातक है बल्कि स्वयं चीन के लिए भी आत्म-घातक है और विश्व शान्ति को पलीता लगाने वाली है ।

पूर्वी एशिया में साम्यवादी चीन को छोड़कर जापान ही ऐसी प्रमुख शक्ति है जो अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित करने में सक्षम है । इस छोटे से एशियायी देश में उत्थान और पतन का इतिहास खूब बड़ा है । इस देश ने १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में न केवल सैनिक शक्ति और राजनीति के क्षेत्र में पश्चिम की अजेयता के दावे की शक्ति का उडा दी थी, बल्कि सम्पूर्ण यूरोप को अच्छी तरह बता दिया था कि पूर्व (East) निष्प्राप नहीं है, इसमें साहस, धीमे, धैर्य, दूर-दक्षिता, लगन और धमला है । १९वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में आक्रमणकारी राष्ट्र के रूप में जापान ने साम्राज्यवादी धारा का स्वाद चख लिया । जापान निरन्तर शक्तिशाली होता गया । १९३२ से ही जापान की शासन सत्ता सैनिकवादियों के हाथ में आ गई और वह चीन जैसे विशाल भू-खण्ड पर अपना अधिकार करने तथा समस्त एशिया महाद्वीप का एकदम शासक बनने का स्वप्न देखने लगा । चीन पर जोर शोर से हमले हुए, किन्तु मित्र राष्ट्रों, विशेषकर अमेरिका द्वारा चीन की आर्थिक और सैनिक सहायता करने के कारण जापान अपने हुरादे में सफल नहीं हो सका । द्वितीय महायुद्ध में जापान ने चारों ओर अपनी विजयों की धूम मचा दी, पर अन्त में अणु बमों की प्रलयकारी शक्ति के सामने घुटने टेकते हुए दो सितम्बर, १९४५ को जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्म-समर्पण की अन्तिम शर्तों पर हथियार कर दिये ।

आत्म-समर्पण करने के बाद जापान पूरी तरह 'पश्चिम के', विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के कब्जे में आ गया । जापान की गृह और विदेश नीति पर वैदिक दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण किन्तु व्यावहारिक रूप में अमेरिकन नियन्त्रण स्थापित हो गया । अमेरिकन सैनिक शासन के आधीनत्व बाल में ही जापानी सम्राट की निरंकुश सत्ता समाप्त हो गई, जापानी सम्राट् वैधानिक शासक मात्र रह गया और मई, १९४७ में जापानी जनता

ने एव नया सविधान स्वीकार कर लिया। जापान में उत्तरदायी प्रति-निध्यात्मक सरकार की स्थापना की गई। जापान अपनी दीन-हीन अवस्था से ऊपर उठने की जी तोड़ कोशिश करने लगा जापान का शासन अमेरिका के लिए अत्यधिक व्ययताग्र्य हो गया और हमरी ओर एशिया में साम्यवाद के प्रसार के साथ साथ जापानी छात्रों और भूमिकों में भी साम्यवाद फलने लगा। इन सभी घटनाओं से प्रभावित होकर अमेरिका ने यही उचित समझा कि जापान को पुन स्वतन्त्रता और सम्मानपूर्ण स्तर प्रदान किया जाय ताकि वह पुनस्त्वान की दिशा में अग्रसर होकर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवाद के प्रभाव का मुकाबला कर सके। यह निश्चय करने के बाद अमेरिकन प्रशासन ने जापान को एक स्वतन्त्र राष्ट्र का स्तर प्रदान करने की नीति पर विशेष सश्रितता से चटना शुरू कर दिया। १९५२ में शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद जापान पुन-स्वतन्त्र हो गया। अपनी स्वाधीनता के उपरान्त जापान तेजी से प्रगति पथ पर बढ़ता गया और आज स्थिति यह है कि एशिया का यह छोटासा राष्ट्र विश्व की आर्थिक शक्तियों में अपना एक विशेष स्थान बना चुका है। अब जापान यह सोचने लगा है कि बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति को सुरक्षित करने के लिये उसके पास यथोचित सैनिक शक्ति भी होनी चाहिये। जापान के पास साधन हैं, तदनीय हैं, केवल समय का इन्तजार है। जिस दिन पुनर्जातीयकरण के प्रतिबन्धों से मुक्त होकर जापान सम्भ्र-मचर की होड में कूद पड़ेगा, उस दिन कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पायेगी। द्वितीय महायुद्ध के दौरान नष्ट-भ्रष्ट जापान आज अमेरिका और सोवियत संघ के बाद बड़ी ताकतों में नाम लिखाने का हकदार बन चुका है और आज की आती है कि शीघ्र ही वह रूस और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सन्नत दश बन जायेगा।

दक्षिण-एशिया (भारत, पाकिस्तान व सरा)—दक्षिण एशिया के राष्ट्रीय में भारत, पाकिस्तान व सरा प्रमुख हैं। पाकिस्तान एक नव गिमित राष्ट्र है जो अखण्ड भारत का विभाजन करके बनाया गया है। १५ अगस्त, १९४७ से पहले अखण्ड भारत अंग्रेजों के प्रभुत्व में था। भारत में विदेशी हुकूमत का खिलाफ एक लम्बा स्वातन्त्र्य संघर्ष चला। इन स्वाधीनता संघर्ष की परिणति देश के विभाजन में हुई। १५ अगस्त, १९४७ को अखण्ड भारत को दो नये राष्ट्र, पाकिस्तान और भारत में विभाजित करके अंग्रेज विदा हुए।

अपनी दासता से मुक्त होने के बाद नये भारत ने स्वतन्त्र राष्ट्रीय की मण्डली में प्रवेश किया और उसे अपनी आ-उरिद तथा विदेश नीति के

निर्धारण का पूरा पूरा ब्यपिकार मिला। भारत ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि-कोण और विदेश नीति की रूप रेखा का निर्धारण तो स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही कर लिया था, लेकिन इस पर नियामक रूप से चलने का अवसर स्वतन्त्रता के बाद प्राप्त हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भारत ने अपने निम्नलिखित आदर्श निर्धारित किये—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुखशा के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करना।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाये जाने की नीति को प्रत्येक सम्भव तरीके से प्रोत्साहन देना।

(३) सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रति विभिन्न राष्ट्रों के परस्परिक सम्बन्धों में सन्धिषों के पालन के प्रति आस्था बनाये रखना।

(५) सैनिक गुट-बन्धियों और सैनिक समझौतों से अपने आपको मुक्त रखना तथा ऐसी गुटबन्दी को निरुत्साही करना।

(६) उपनिवेशवाद का, चाहे वह कहीं भी किसी भी रूप में हो, उग्र विरोध करना।

(७) प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साही करना।

(८) उन देशों की जनता की सश्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हों।

अपने इन्हीं अन्तर्राष्ट्रीय आदर्शों और राष्ट्रीय हितों में परस्पर मेल बँटाते हुए भारत ने विदेश नीति का निर्धारण किया। सह-अस्तित्व और साधनों की पवित्रता में विश्वास करते हुए भारत ने असलगन्ता और नान्तिवाद की नीति पर चलना ही श्रेयस्कर समझा। भारत की असलगन्ता की नीति (Policy of Non-alignment) के महत्व और उसकी प्रभावशीलता का विवेचन "असलगन्ता" (Non-alignment) के अगले अध्याय में विस्तार से किया गया है। यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है कि भारत ने एशिया के जागरण में विशेष और सबसे प्रभावशाली भूमिका अदा की है। भारत की प्रेरणा से अनेक एशियाई और अफ्रीकन राष्ट्रों के स्वाधीनता आन्दोलनों को बल मिला है। स्वतन्त्र भारत का इतिहास बताता है कि इस महान् देश ने इण्डोनेशिया, मलाया, लीबिया, ट्यूनीशिया, मोल्डोविया, साईप्रस, अल्जीरिया आदि राष्ट्रों को स्वतन्त्रता प्राप्ति में वित्तना सहयोग दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने इतने सक्रिय रूप से भाग लिया है और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मुलकाने में इतने उत्साह से अपना सहयोग दिया कि यह कहना आमज है कि वह विश्व राजनीति में प्रथक रहने की नीति पर चल रहा है। भारत की असलगतता एक विघेयात्मक, सभिय और रचनात्मक नीति है। भारत की विचारधारा आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में पश्चिमी तथा साम्यवादी गुटों के बीच है। अतः यह आवश्यक गौर स्वाभाविक है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वह दोनों के बीच के मार्ग का ही अवलम्बन करे। भारत साम्यवाद की समानता, वर्ग-भेद की समाप्ति, सामाजिक सुरक्षा, शोषण का अन्त आदि धारणाओं से सहमत है किन्तु उसमें पाई जाने वाली असहिष्णुता, हिंसा, स्वतन्त्रता के अभाव, दमन आदि दोषों को घृणित दृष्टि से देखता है। एशिया में भारत प्रजातन्त्र का गढ़ है जिसके उत्थान और पतन पर न केवल एशिया के वरन् विश्व के प्रजातन्त्र का भविष्य निर्भर है। दुर्भाग्यवत् पाकिस्तान और चीन जैसे दो पड़ोसी राज्य भारत की सद्भावना और मैत्रीपूर्ण नीति को दुर्बलता का चिन्ह माने हुए हैं और भारत को दबाकर उसके क्षेत्र हृष्टपने की नीति अपनाये हुए हैं। हमें आशा करनी चाहिये कि अन्ततोगत्वा ये दोनों राष्ट्र एशिया और विश्व में इस महान् प्रजातन्त्र और स्वतन्त्रता के स्तम्भ की भूमिका का आदर करेंगे और उसके प्रति सहयोग का हाथ बढ़ायेंगे।

भारत उपमहाद्वीप के विभाजन की कीमत पर जिस पाकिस्तान का निर्माण हुआ, वह भी एक दूसरे से संकड़ो मील दूर दो भू भागों को मिलाकर बनाया गया—एक पश्चिमी पाकिस्तान जिसमें पश्चिमी पंजाब, सिंध, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त, बिलूचिस्तान तथा कुछ देशी रियासतें हैं और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जिसमें बंगाल का पूर्वी भाग तथा आसाम का कुछ भाग सम्मिलित है। अपने जन्म के शीघ्र बाद ही अर्थात् १९४७-४८ में पाकिस्तान को संयुक्त राज्य सभ की सदस्यता प्राप्त हो गई। प्रारम्भ में पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में स्वतन्त्र नीति का अनुसरण किया और वह किसी देश अथवा गुट विशेष की ओर गयी श्रुता। लेकिन भारत के प्रति जन्मजात वैमनस्य और शत्रुता की भावना शीघ्र ही इतनी प्रबल हो गई कि उसकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और परराष्ट्र नीति का मूल उद्देश्य ही यह बन गया कि भारत के विरुद्ध मित्रों की खोज की जाए और सैनिक बल पर भारत को दबाया जाए तथा उससे अनुचित रियासतें प्राप्त की जाएँ व उसके क्षेत्रों पर अनुचित रूप से कब्जा जमाया जाए।

भारत विरोध की उग्र भावना के कारण पाकिस्तान ने तटस्थता की नीति को तिलाजलि देकर स्वयं को 'एक हो दिगा में' मोड़ दिया। एशिया के

इस महत्वपूर्ण राष्ट्र ने पश्चिमी देशों के साथ मैनिफेस्ट गठबंधन में बन्ध जाने का निर्णय किया ताकि उसके दो उद्देश्य — भारत को नीचा दिखाना और इस्लामी जगत का नेतृत्व करना — जीते जा सकें। पश्चिम, विशेषकर अमेरिका के साथ सैनिक दृष्टि से आवद्ध हो जाने के मूल में साम्यवाद का होना दिखाया गया, लेकिन इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस नीति का वास्तविक कारण पाकिस्तान का साम्यवाद के प्रति भय या विरोध न कभी था और न है। भारत चीन के मध्य सीमा प्रश्न को लेकर मुड़ खेड़ने और पाकिस्तान द्वारा चीन के साथ साठवाठ करने से यह तथ्य भली प्रकार स्पष्ट है।

यह हमारा लक्ष्य पाकिस्तान की विदेश नीति की भीमामा करना नहीं है, लेकिन उसकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टिकोण और वैदेशिक नीति सम्बन्धी दृष्टिकोण को मोटे रूप में इस तरह प्रस्तुत करना है कि जिससे एशिया के नव-जागरण में पाकिस्तान की भूमिका स्पष्ट हो सके। एशिया का नव-जागरण यह मान करता है कि एशिया के राष्ट्र आपस में एकता के सूत्र में बँधें और एकजुट होकर अपना आधिकारिक सामाजिक उत्पादन इस तरह करें कि वे विश्व की अन्य शक्तियों के समकक्ष लड़े हो सकें, लेकिन दुर्भाग्यवश साम्यवादी चीन और पाकिस्तान के रूप में एशिया की इन आशाओं को विशेष आघात लगा है और यह भी कम दुःखपूर्ण बात नहीं है कि अरब राष्ट्र भी भारत में घुरी तरह फूट के निकार हो। पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मुख्यतः भारत के साथ विरोध पर आधारित है। उसकी विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य सदा ये ही रहे हैं—

(१) भारत के मुकाबले अधिक शक्तिशाली होकर काश्मीर समस्या को अपने अनुकूल हल कराने के लिये भारत को बाध्य करना,

(२) सैनिक दृष्टि से अपने को इतना सबल बनाना कि भारत किसी भी हालत में उससे सैनिक दृष्टि से श्रेष्ठ न होने पावे,

(३) भारत के विरुद्ध पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त करना,

(४) पश्चिम समर्थक अरब इस्लामी राज्यों को अपने साथ मिलाकर अरब राष्ट्रीयता के अग्रदूत और एशियाई एकता के समर्थक मिश्र के राष्ट्रपति नासिर के नेतृत्व को चुनौती देना तथा पाकिस्तानी लड़के के नीचे एक इस्लामी जगत का निर्माण करना,

(५) पश्चिमी देशों और अन्य देशों के साथ सैनिक गठबंधनों से बँधकर भारत को जाचकिन करना।

एशिया के लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत को अपना प्रमुख शत्रु मानना पाकिस्तान की विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक आधार-

भूत अंग है जिसके लिये आवश्यकता पटने पर वह न मित्रो को बदलने में सकोच करता है और न किसी भी गुट से गठजघन करने में उसे कोई हिचक होती है। पाकिस्तान के रबैये का यह एक अनियमित परिणाम है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूरी तरह शीतयुद्ध का ज्वाला बन चुका है। यदि एशिया को आगे बढ़ना है और विश्व राजनीति में पाश्चात्य शक्ति जैसा साम्यवादी, रूस के समक्ष निर्वल स्थिति में नहीं रहना है तो यह आन्दोलन है कि पाकिस्तान और भारत जैसे दो महान् एशियाई राष्ट्र आपस में सद्भावना और मैत्री का परिचय द तथा चीन अपने को एक पृथक् शक्ति का राष्ट्र न मानकर एशिया का एक अंग समझते हुए अपनी विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति का परिवर्तन करे।

दक्षिण पूर्वी एशिया का एक अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्र श्री लंका है जो भारत के दक्षिणी धलविन्दु के समीप एक छोटे आकार का द्वीप है और भारत के साथ सांस्कृतिक आधारों पर अभिन्न रूप में जुड़ा हुआ है। हिन्द महासागर में भारत की समीपता के कारण इसका सैनिक महत्व बहुत पहले से ही स्वीकार किया जाता रहा है। सामरिक महत्व का ठिकाना होने से भारतीय महाद्वीप पर अधिकार करने वाली अथवा आगमन करने वाली किसी भी महावाक्शी शक्ति की मुक्त दृष्टि से यह द्वीप अलौत में नहीं बच पाया। बाहरी देशों के आक्रमण का शिकार बनते बनते अत में यह ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में इनका पूर्ण शोषण हुआ, क्योंकि ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति यहाँ भी वैसे ही थी जैसी कि अन्य देशों में। फिर भी यहाँ की राजनीति व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, शासन व्यवस्था की कुशल परम्परा आदि ने यहाँ स्वशासन का वातावरण बना दिया और प्रथम महायुद्ध के दौरान वितसन के १४ सूत्रीय सिद्धन्त तथा भारत की राष्ट्रीयता की लहर ने यहाँ राष्ट्रीय आन्दोलन का बीजारोपण कर दिया। भारत की ही भाँति लंका में भी गवैधानिक और सुधारवादी आन्दोलन जोर पकड़ता गया। १९१९ में श्री लंका में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जिसके नेतृत्व में स्वाधीनता सघर्ष चलने लगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति तक विभिन्न संवैधानिक सुधार किये गये, लेकिन श्री लंका का जनमत तो आने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिये बेताब था। अतः १३ नवम्बर, १९४७ को ब्रिटिश संसद में श्रीलंका की स्वतन्त्रता प्रदान करने सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया और लगभग १३३ वर्षों के अंग्रेजी राज्य के उपरान्त श्रीलंका ने अपनी छोई हुई स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त कर ली। ४ फरवरी, १९४८ को ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे पूर्ण 'डोमिनियन स्टेटस' प्रदान कर दिया गया। जुलाई १९५६ में श्री लंका

हमारे समय की ज़बरती हुई प्रवृत्तियाँ

ने राष्ट्रमण्डल में एक गणराज्य के रूप में शामिल होने की इच्छा प्रकट की और ब्रिटिश सरकार द्वारा इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया।

अपनी राजनीतिक परिस्थितियों, भौगोलिक स्थिति और आर्थिक विकास की आवश्यकता के कारण दक्षिण एशिया के इस महत्वपूर्ण राष्ट्र ने प्रारम्भ से ही तटस्थतावादी अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण ग्रहण किया और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में अपनी भास्था प्रकट की। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा विदेशनीति के क्षेत्र में थोल्का के ये प्रमुख तथ्य निर्धारित किये गये—

(i) थोल्का की नवधान स्वतन्त्रता की रक्षा,

(ii) एक पूर्ण स्वतन्त्र राज्य के रूप में राष्ट्रमण्डल की सदस्यता स्वीकार करना,

(iii) दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी देशों, विशेषकर भारत से मंत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना,

(iv) औपचारिक रूप से किसी शक्ति युद्ध के साथ सम्बद्ध न होना और शीतयुद्ध से अलग रहना, एवम्

(v) मित्र देशों के साथ सहयोग करने हुए शांति और आर्थिक विकास के लिये प्रयत्नशील रहना।

यह एक उत्साहजनक बात है कि थोल्का न एशिया और अफ्रीका के देशों के प्रति सदैव सहयोग भावना रखी है और साम्यवाद, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध किया है। इस देश के नेताओं द्वारा सभी की स्वाधीनता और व्यापक मार्गों को हमेशा समर्थन दिया जाता रहा है। एशिया व्यक्तिगत के विकास में थोल्का की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

दक्षिण पूर्वी एशिया (बर्मा, इंडोनेशिया, हिन्द चीन, मलाया, फिलिपाइन्स, थाइलैंड) — अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और विश्व शांति के दृष्टिकोण से दक्षिण पूर्वी एशिया संसार के सर्वाधिक विस्फोटक और महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। एशिया का साम्राज्यवाद के निरुद्ध विरोध वही भी इतना स्पष्ट और सफ़ल न रहा जितना दक्षिण पूर्वी एशिया में। २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में साम्राज्यवाद के चहुँपे में फना हुआ दक्षिण पूर्वी एशिया आज स्वतन्त्र और मुक्त होकर विश्व राजनीति को प्रभावित कर रहा है। इस क्षेत्र के अधिकांश देशों का बनना कोई व्यवस्थित इतिहास नहीं रहा और न ही बहा किन्हीं ऐसी स्थायी प्रणालियों और संस्थाओं का विकास हो पाया जिन पर शक्ति प्राप्त करने और पथ प्रदर्शन के लिये निर्भर रहा जा सके, लेकिन भारत से उठने वाली स्वतन्त्रता की लहर बर्मा होती हुई दक्षिण पूर्वी

एशिया के अन्य राज्यों की सीमाओं से टकराई और तब ओपनिवेशिक शासकों की स्वेच्छा से अथवा रक्त-रजित सघर्ष के उपरान्त विवश होकर इस क्षेत्र से अपना बोरिया विस्तार लादना पड़ा।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त इस क्षेत्र के अधिकांश देशों को इस बात का कोई स्पष्ट अभास नहीं था कि भविष्य के लिये उन्हें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिये और कौन सी प्रणाली उनके लिये उन्मुक्त होगी ? स्वतन्त्रता इन देशों को अवश्य मिल गई, पर उस स्वतन्त्रता की सुरक्षित व सुदृढ़ करने तथा उसे आधार बनाकर शक्तिशाली और प्रगतिशील राष्ट्र बनने के लिये उचित पथ-प्रदर्शन और साधन उन्हें नहीं मिल सके। पारणाम यह हुआ कि आज भी अधिकांश दक्षिण पूर्वी एशियाई देश विभिन्न विचारधाराओं, प्रणालियों और गुट बन्धियों के सिक्कार बने हुए हैं तथा विश्व की महा-शक्तियाँ उन्हें अपने हाथों का खिलौना बनाए हुए हैं।

यह कहना अनिश्चयितपूर्ण न होगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय युग में सघर्ष का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और सम्बन्धों में इस क्षेत्र का प्रधान महत्त्व दो कारणों से है—(1) आर्थिक दृष्टि से, एवं (2) सामरिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र अनेक एम. वच्चे मालों का प्रधान उत्पादन है जिनकी बीजोगिक सस्यार में अत्यधिक माग है। सामरिक दृष्टि अथवा युद्ध नीतिक दृष्टि से यह क्षेत्र इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्व के प्रधान वायु और समुद्री मार्गों पर स्थित है तथा साम्यवादी चीन व समुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सघर्ष का प्रधान केंद्र है। चूंकि शीतयुद्ध के समय में इस प्रदेश के अधिकांश राज्या ने एक त रपतानाधी नीति अपनाई है, जिन दोनों ही गुटों की दृष्टि से इसका विशेष महत्त्व है।

दक्षिण पूर्वी एशिया के देश जान जात उठे हैं और विश्व मामलों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भाग ले रहे हैं। इनमें मुख्य राष्ट्रों का साकेतिक परिवर्तन जान लेना उन्मुक्त होगा—

भारत की पूर्वी सरहद पर स्थित बर्मा एन प्रमुक्त दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्य है। बीड घर्षात्तन्त्रियों के इस क्षेत्र पर १९१२ में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया। यह प्रभुत्व बढ़ता गया और १८८५ से १९२७ तक बर्मा का सामन ब्रिटिश अधीनस्थ भारत के एन अग के रूप में हो रहा। १ अक्टूबर, १९२७ से इसे भारत से पृथक् कर दिया गया और इसके लिये एन अलग प्रशासनिक ढांचे की व्यवस्था की गई। द्वितीय महायुद्ध काल में कुछ समय यह जापानियों के अधिकार में रहा। महायुद्ध समाप्त होने पर पहा पुन ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। लेकिन बर्मा जनता के पटले से चले

आ रहे राष्ट्रवादी आन्दोलन ने अतः मे ब्रिटिश सरकार को विवश कर दिया कि वह बर्मा को स्वाधीन कर दे। ४ जनवरी, १९४८ को बर्मा ने पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त की और इस प्रकार वर्तमान बर्मा सघ (Union of Burmas) अस्तित्व में आया। बर्मा ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति-के क्षेत्र में अमलगत तथा छातिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति पर चलना शुरू किया। भारत के ही समान एशियाई व्यक्तित्व के विकास में बर्मा की यह नीति आज भी सक्रिय है। बर्मा आज भी सैनिक गठबन्धनों से दूर है और एशिया की स्वाधीनता का समर्थक है। दुर्भाग्यवश साम्यवादी चीन बर्मा के साथ भी अपनी छेड़गानियों से बाज नहीं आता।

दक्षिण पूर्वी एशिया में थाइलैण्ड भी एक महत्वपूर्ण देश है जिसका नाम पहले स्याम था। थाइलैण्ड ने दो साम्राज्यवादी राष्ट्रों बर्मा और मलाया में ब्रिटेन तथा हिन्द चीन फ्रांस के मध्य एक बफर स्टेट के रूप में काम किया। यद्यपि यह देश अपनी स्वाधीनता को सुरक्षित रखने में सफल रहा, लेकिन फिर भी इसे अपनी भूमि के कुछ महत्वपूर्ण भाग फ्रांस और ब्रिटेन को देने पड़े। अर्थात् अपनुक्तन के कारण यहां के राजनीतिक जीवन में मदा उचल-नुचल होती रही। द्वितीय महायुद्ध के दौरान प्रारम्भ में थाइलैण्ड ने पूरी राष्ट्रों का पक्ष निभाया, किन्तु बाद में वह मित्र राष्ट्रों के साथ मिल गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद थाइलैण्ड ने अमेरिका से गहरी आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त की क्योंकि उसे साम्यवादी खतरा पैदा हो गया। आज भी थाई-देश दक्षिण पूर्वी एशिया में अमेरिका के सर्वाधिक विद्यमान सहाय राष्ट्रों में से है। चूंकि थाईदेश में साम्यवादी छापाकारों की तांड फौज की कामकाहियाँ तेजी से जारी हैं, अतः अमेरिका की आर्थिक और सैनिक सहायता निरन्तर बढ़ती जा रही है। यदि परिस्थितियों में सुधार न हुआ तो यह आशंका करना निर्मूल न होगा कि थाई देश में अमेरिका को एक दूसरे 'विपतनाम' का सामना करना पड़ सकता है।

दक्षिण पूर्वी एशिया का एक अन्य प्रमुख देश लाओस हिन्द चीन प्रायद्वीप का एक देश है। सामरिक दृष्टि से इस क्षेत्र में लाओस की भौगोलिक स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है लाओस में तीन बड़े शक्तिशाली हैं ... साम्यवादी पाथेट लाओ (Pathet Lao), राज सत्तावादी (Royalists) और तटस्थतावादी (Neutralists)। इनके आपसी संघर्ष के कारण लाओस में गृहयुद्ध की सी स्थिति बनी रहती है। लाओस पर पहले फ्रांस का अधिकार था, लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद यह एक सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न राष्ट्र बन गया। मई, १९५७ से लाओस में एक सर्वधार्मिक राजतन्त्र की स्थापना हुई। जुलाई १९५९ में लाओस को फ्रांसीसी सघ के अन्तर्गत वैधानिक रूप से

स्वतन्त्र देश बना दिया गया। लेकिन साम्यवादी दल ने इस व्यवस्था को मानने से इन्कार कर दिया और सहस्र गृह-युद्ध शुरू हो गये। अन्त में ३१ जुलाई, १९५४ को वेनेज़ा में हुए सम्झौते के अन्तर्गत लाओस राज्य की सर्वोच्च प्रभुत्व सम्पन्न स्वतन्त्रता को मान्यता प्रदान कर दी गयी। पूर्ण स्वतन्त्रता के बाद भी लाओस का आन्तरिक संपर्क अभी तक मिटा नहीं है। वियतनाम में वियतनाम की तरह महा पर साम्यवादियों के नेतृत्व में पापेट लाओ दल की सैनिक सफलता से समुन्नत राज्य अमेरिका पूरी तरह चिन्तित है। लाओस की स्थिति भी निकट भविष्य में वियतनाम जैसी ही हो जाए ता कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अमेरिका की मुख्य चिन्ता यह है कि यदि लाओस व दक्षिणी वियतनाम साम्यवादो सिकुड़े में कस गया तो घेरे-भीरे सम्पूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया ही साम्यवादी बन सकता है।

दक्षिण पूर्वी एशिया का कम्बोडिया नामक देश खामेर सम्राटों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। १३ वीं शताब्दी के मध्य खानेर वंश के पतन के बाद स्याम (अब थाइलैण्ड) के राजा ने कम्बोडिया पर अधिकार कर लिया। लगभग २०० वर्षों तक प्रत्यक्ष या पराक्ष रूप से कम्बोडिया स्याम की अधीनता में रहा। १९ वीं शताब्दी के आरम्भ में फ्रांस ने इन्डोचीन में प्रवेश किया और कम्बोडिया ने पड़ोसियों के आक्रमणों से बचने के लिए फ्रांस का संरक्षण स्वीकार कर लिया। १८८४ में कम्बोडिया को फ्रांस द्वारा सगटिन इण्डोचीन या हिन्द चीन में शामिल कर लिया गया। फ्रांस के संरक्षण में देश की जनता पश्चिमी आधार विचारों से प्रभावित हुई और इस प्रकार कम्बोडियन राष्ट्रियता का प्रादुर्भाव हुआ। द्वितीय महायुद्ध के दौरान इन पर जापान का अधिकार हो गया। अन्तिम अवस्था में अपनी पराजय निश्चित ज्ञान कर ज्ञान ने जब हिन्द चीन को स्वतन्त्र घोषित कर दिया तो मर्च १९४५ में कम्बोडियन प्रधानमन्त्री ने अपने देश की स्वतन्त्रता घोषित कर दी। १९४७ में कम्बोडिया का एक राष्ट्रीय सविधान बनाया गया। नवम्बर १९४९ में कम्बोडियन असेम्बली ने फ्रेंच वूनियन के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में रहना स्वीकार कर लिया और अ-उ में ९ नवम्बर १९५३ का कम्बोडिया पूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित हुआ। स्वतन्त्रता के बाद से ही कम्बोडियन विदेश तांडि प्रायः भारत का तरहूँ अवनतना की ही रही है और वह पश्चिम के अतिरिक्त साम्यवादी देशों के साथ भी अच्छे सम्बन्ध रखने के लिए सचेत है।

मलाया प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वी एशिया के एक छोर पर स्थित है। पहले इस क्षेत्र में अनेक मुसलमानों का शासन था जो परस्पर लड़ने रहने थे। बालान्तर में अंग्रेज लोग ईस्ट इण्डिया कम्पनी के माध्यम से यहाँ आये।

धीरे धीरे सन १९०६ तक अंग्रेजों ने इस सम्पूर्ण प्रदेश पर नियन्त्रण स्थापित कर लिया और राजनीतिक व प्रशासनिक दृष्टि से इसे तीन असमान भागों में विभाजित कर दिया। द्वितीय महायुद्ध में तिगापुर सहित सम्पूर्ण मलाया प्रायद्वीप पर जापानियों ने कब्जा कर लिया। उनके घोषण ने मलायी राष्ट्रवाद को जगृत किया। युद्ध की समाप्ति के बाद मलाया प्रायद्वीप पुनः ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत आ गया लेकिन स्वाधीनता के लिए वहाँ का राष्ट्रवादी आन्दोलन और भी सक्रिय हो उठा। स्वाधीनता प्रेमी मलाया वासियों ने स्वाधीनता के अड्डा बना कर वहाँ समझौता पसन्द नहीं किया और अन्त में विद्रोह होकर ३१ अगस्त, १९५७ को मलाया सघ की स्वतन्त्रता घोषित कर दी गयी। मलाया स्वतन्त्र तो हो गया लेकिन साम्यवादी चीनी वहाँ के राजनीतिक जीवन पर छाने लगे। अतः साम्यवादी चीन की विस्तारवादी नीति से बचने के लिए १९६१ में मलाया के प्रधानमंत्री श्री ट्को अब्दुल रहमान ने मलान, तिगापुर, उत्तरी बोर्नियो, ब्रुनो और सारावाक को मिलाकर 'बृहत् मलेशिया' अथवा मलेशिया सघ की स्थापना की योजना प्रस्तुत की। इण्डोनेशिया ने इस योजना का घोर विरोध किया। अन्त में अनेक विघटन बाधाओं के बाद १५ दिसम्बर १९६३ को मलेशिया सघ की स्थापना हो गयी जिसमें तिगापुर, उत्तरी बोर्नियो और सारावाक सम्मिलित हुए। इण्डोनेशिया का विरोध जारी रहा। सोभाग्यवश १९६६ में इण्डोनेशिया और मलेशिया सघ ने सहअस्तित्व की नीति को स्वीकार कर लिया। दोनों राष्ट्रों के सम्मेलन से दक्षिणी पूर्वी एशिया के एक बड़े क्षेत्र में शांति स्थापित हो गयी।

दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण राज्य इण्डोनेशिया है जो सैकड़ों द्वीपों का एक विशाल समूह है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व इसके अधिकांश भू भागों पर डच लोगों (हालैंडवासियों) का अधिकार था। महायुद्ध के दौरान इस सम्पूर्ण क्षेत्र पर जापान का अधिकार हो गया। जापान के आत्मसमर्पण के तुरन्त बाद १७ अगस्त, १९४५ को इण्डोनेशियायी जनता के एक समूह ने डॉ० सुकार्णो को राष्ट्रपति और जकार्ता को राजधानी बनाकर 'स्वतन्त्र इण्डोनेशियायी गणराज्य' की स्थापना की घोषणा कर दी। लेकिन एचों की स्थिति के लिए मित्रराष्ट्रीय सेनाएँ इण्डोनेशियायी भू क्षेत्र में उतर आयीं। जब इण्डोनेशियायी जनता का राष्ट्रवाद और भी अधिक भड़क उठा तथा मित्र राष्ट्रीय ब्रिटिश सेनाओं से इण्डोनेशियायी राष्ट्रवादियों की लड़पे होने लगी। इण्डोनेशिया में डचों से मुक्ति का आन्दोलन और पकड़ता गया। इण्डोनेशियायी राष्ट्रवादियों और डच सेनाओं में निरन्तर छोटे-मोटे संघर्ष होते रहे और यह युद्ध की सी स्थिति बनने लगी। आखिर

इन्डोनेशियायी राष्ट्रवाद की जीत हुई। २७ दिसम्बर, १९४९ को डचों ने इन्डोनेशिया को प्रभुसत्ता पूर्ण रूप से हस्तान्तरित कर दी। २५ दिसम्बर, १९५० को इन्डोनेशिया सयुक्तराष्ट्रसंघ का भी सदस्य बन गया। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में स्वयं इन्डोनेशिया ने प्रारम्भ में तटस्थतावादो नीति ही अपनायी। किन्तु सान्यवादी चीन का प्रभाव बढ़ने से इन्डोनेशियायी सरकार व्यवहार में तटस्थतावादी नहीं रह सकी। चीन प्रभावित मुक्तगण शासन के समाप्त हो जाने के बाद जनरल सुहार्तो के नेतृत्व में नया इन्डोनेशियायी शासन पुनः तटस्थतावाद और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विश्व समस्या के प्रति अपनाने लगा है।

दक्षिण प्रचान्त महासागर में स्थित हजारों छोटे बड़े द्वीपों वाला फिलीपाइन्स लगभग ३०० वर्षों तक स्पेन के और इसके बाद लगभग ५० वर्षों तक अमेरिका के अधीन रहा। द्वितीय महायुद्ध के बाद यह द्वीप समूह अमेरिका के ही अधीनस्थ था। लेकिन जहाँ स्पेन ने इस प्रदेश का घोषण किया वहाँ अमेरिका ने यहाँ के निवासियों को स्वशासन प्राप्त करने के लिए तैयार किया। द्वितीय महायुद्ध में फिलीपाइन्स पर जापानियों ने अधिकार कर लिया। महायुद्ध के बाद ४ जुलाई १९४७ को अमेरिका ने फिलीपाइन्स को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान कर दी। राजनीतिक मूलमूल्य और शासन काल में कुछना के कारण फिलीपाइन्स अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका बदा कर रहा है। एशिया की राजनीति में भी फिलीपाइन्स की प्रारम्भ से ही यही रुचि रही है। अपने बाहुग सम्मेलन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

पश्चिमी (मध्यपूर्व) एशिया

पश्चिमी एशिया अथवा मध्यपूर्व का क्षेत्र तीन महाद्वीपों का सबसे बड़ा क्षेत्र है—यूरोप, एशिया और अफ्रीका। इसने अनेक साम्राज्यों का उत्थान पतन देखा है। इस क्षेत्र में वर्तमान में अफगानिस्तान, ईरान, ईराक, सीरिया, सऊदी अरब, लेबनान, जोर्डन, मिथ्र (सयुक्त अरब गणराज्य), इजरायल, टर्की, यमन आदि राष्ट्र हैं। यहाँ पर बहुतायत में इस्लाम धर्म है, परन्तु इजरायल में यहूदी और लेबनान में ईसाई धर्म प्रमुख है।

पश्चिमी एशिया अथवा मध्यपूर्व अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। प्रथम संनिन और सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा आन्तमणकारी तीन दिशाओं—तीन महाद्वीपों की ओर एक साथ अग्रसर हो सकता है। दूसरे, इस क्षेत्र की विशाल तेल सम्पदा विश्व की सभी प्रमुख शक्तियों के लिए इतना प्रबल आकर्षण है कि यहाँ की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को 'तेल दूनीति' (Oil Diplomacy) कहा जाने लगा है। तीसरे, इस

प्रदेश में अरब का उग्र राष्ट्रवाद और यहूदियों के प्रति उनकी घोर घृणा ने इसे अन्तरराष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा बना रखा है। चीने, प्रगतिशील और सामान्यवादी तत्वों के मध्य का सघर्ष भी यहाँ की एक प्रमुख समस्या है।

पश्चिमी एशिया अथवा मध्य पूर्व के जागरण में जिस तत्व का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योग रहा है वह है—अरब राष्ट्रियता और यहूदोवाद से उत्पन्न विरोध। यदि हम पिछले इतिहास पर दृष्टि डालें तो पता है कि प्रथम महायुद्ध के बाद से ही मध्यपूर्व में राष्ट्रियता का उदय आरम्भ हुआ। सबसे पहले टर्की ने धार्मिक कट्टरता का परित्याग करके पारचात्य जीवन प्रणाली और राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था को ग्रहण किया। अरबियों का यह राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता के लक्ष्य तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि सामाजिक और आर्थिक फ़ाति का भी वाहक बना। यह राष्ट्रवाद प्रथम महायुद्ध के बाद मध्यपूर्व के देशों पर थोपी गई नयी राजनीतिक और आर्थिक पराधीनता के कारण जोर भी अधिक उग्र हो उठा। २५ दिसम्बर, १९४५ को सिडनरिया में 'अरब-शीम' की स्थापना के द्वारा इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी अरब-एकता की महत्वाकांक्षा को अभिव्यक्त किया। अरब-लोग सम्मेलन मध्यपूर्व के विकास और स्वतन्त्रता की प्रतीक बन गई।

द्वितीय महायुद्ध के बाद मध्यपूर्व के देशों में जहाँ राजनीतिक चेतना ने स्वतन्त्रता को लड़ने की फ़ैलाया, वहाँ आर्थिक चेतना के फलस्वरूप उन्हीं विदेशों के आर्थिक घोषण के विरुद्ध उठ खड़े होने का सफल प्रयास किया। यह सफल विदेशी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के रूप में अभिव्यक्त हुआ—ईरान द्वारा तेल-उद्योग का, मिस्र द्वारा स्वैज का, और तुर्की द्वारा भी अपने तेल-उद्योग का। राजनीतिक स्वतन्त्रता का लेने के बाद अरब-राष्ट्रवाद का एक रूप अपने देशों में स्थान विदेशी फौजी अड्डों की सनापति के रूप में प्रकट हुआ। ये फौजी अड्डे विदेशी दासता के मूर्तिमान् प्रतीक थे और इनका बना रहना राष्ट्रीय गौरव के लिए घोर कलक था, जा मिस्र और ईरान ने अपने देशों से विदेशी फौजों व सैनिक अड्डों को हटाने का प्रबल अभियान चला। जुलाई १९५८ में जब अमेरिकन व ब्रिटिश फौजें लेबनान और जोर्डन में उतरी तो मध्यपूर्व अरब जगत में निम्न और विरोध का एक तूफान खटा कर दिया और जल्द ही इन फौजों को शीघ्र ही यहाँ से हटना पड़ा।

अरब-राष्ट्रवाद का एक अन्य रूप यहूदियों के साथ अपने परराष्ट्रिक सघर्ष के रूप में प्रकट हुआ। यद्यपि इस्लाम यहूदी सभ्यता बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा था, किन्तु द्वितीय महायुद्ध के बाद यहूदियों के एक पृथक राज्य इजरायल की स्थापना हो जाने से द्वेष और सघर्ष की एक नवीन राजनीति का उदय हुआ जिसने सघुक्त अरब गणराज्य अरब-राष्ट्रों का अग्रगण्य

वना। आज अरब-यूद्धों के सर्वप्रथम मध्यपूर्व की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व बना हुआ है। यद्यपि अरब-राष्ट्रों और इजरायल के मध्य हुए विद्रोह युद्धों और जून, १९६७ के युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न तो अरब राष्ट्र इजरायल को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं और न ही इजरायल अरब राष्ट्रों से और अधिक प्रदम छीनने की स्थिति में है, फिर भी दोनों पारस्परिक शान्ति को त्याग करने को प्रस्तुत नहीं हैं।

मध्यपूर्व की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति का प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण चाल अरब राष्ट्रों के एकीकरण की है। अरब लीग का यह प्रयास रहा है कि उत्तरी अफ्रीका और मध्यपूर्व के सब अरबी-भाषी राज्यों का एक सघ बने। वास्तव में यह मुस्लिम-प्रभुता के सर्वाधिक अतीत को पुनः साकार बनाने की योजना है। मिश्र के महान नेता फर्नल नासिर अरब एकता के इस स्वप्न को साकार करना चाहते हैं। उन्होंने १ फरवरी, १९५८ की मिश्र तथा सीरिया को संयुक्त करके 'संयुक्त अरब गणराज्य' की स्थापना करके अरब-राज्यों की एकता की दिशा में पहला पग उठाया। इन दोनों देशों का एक शासनाध्यक्ष, एक विधान सभा, एक संयुक्त सेना और एक झण्डा निश्चित हुआ। ६ मार्च, १९५८ को, अपनी स्वयंसेवक सत्ता रखने हुए, यमन राज्य भी इसमें सम्मिलित हुआ और 'संयुक्त अरब गणराज्यों' (United Arab Nations) का निर्माण हुआ। श्री नासिर की आकांक्षा थी कि इसमें शनैः शनैः ईराक, अल्जीरिया, जोर्डन, सऊदी अरब, लेबनान, कुवैत, मारोको, लीबिया, ट्यूनिशिया, मारीटानिया, चाड, सूडान, अदन, मस्कत ओमन, बहरीन और कातार के प्रदेश भी सम्मिलित हो तथा इन सब के सहयोग से सब अरब राज्यों का एकीकरण हो।

परन्तु श्री नासिर का अरब राज्यों के एकीकरण का यह स्वप्न कुछ अने वर्षों के पहिले ही भग हो गया। १ फरवरी, १९५८ में स्थापित हुआ मिश्र और सीरिया का संयुक्त राज्य भी अधिक समय तक नहीं चल सका। २६ २८ सितम्बर, १९६१ को सीरिया में क्रान्ति हुई और वह इस राज्य से पृथक् हो गया। पर श्री नासिर ने अपने देश का नाम मिश्र के स्थान पर 'संयुक्त अरब गणराज्य' ही रहने दिया। २६ दिसम्बर, १९६१ को मिश्र ने यमन के साथ अपने सघ को समाप्त कर दिया। परन्तु ८ मार्च, १९६३ को सीरिया में पुनः एक नासिर समर्थक क्रान्ति हुई और अग्रेल में मिश्र, सीरिया तथा ईराक ने मिश्र कर पुनः अरब सघ का निर्माण किया। यह सघ भी आगे चल कर भग हो गया।

भविष्य ही यह बतायेगा कि अरब राज्यों की एकता का प्रयास कहा तक सफल होता है। अरब राज्यों में एकता का एवमात्र आधुनिक इजरायल

का उग्र विरोध ही प्रतीत होता है, किन्तु जून १९६७ में इजरायल के साथ सघर्ष में बुरी तरह पराजित होने के बाद एकता के इस आधार की भाधात पहुँचा है और कतिपय अरबराष्ट्र इजरायल के प्रति अपनी नीति पर पुनर्विचार आवश्यक समझने लगे हैं।

यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक चेतना के बावजूद राजनीतिक दृष्टि से मध्यपूर्व के क्षेत्र में अभी तक राजनीतिक स्थिरता नहीं आई है। १९५२ की शान्ति से पहले दस वर्षों में १७ सरकारें बदलती रही और अब भी दहा तानाशाही तरह का ही शासन है और कोई नहीं कह सकता कि वर्तमान में नासिर के नेतृत्व को कम उठाइ दिया जाय। १९४५ से १९५४ तक सीरिया में २४ सरकारें बदली और आज भी वहा की राजनीतिक दशा अस्थिर है। मध्य पूर्व सैनिक पड्यन्त्रों और धामनाय्क्षों की हत्याओं का घर कहा जा सकता है। यहा के अधिकांश देशों में सरकारों का बाना-जाना चलता ही रहता है।

मध्य पूर्व अथवा पश्चिमी एशिया के राज्यों, उनके स्वातन्त्र्य दिवसों और राजनीतिक व्यदस्थाओं का चित्र अग्रिम सूची से एक ही निगाह में स्पष्ट हो सकेगा—

Country	Area (1,000 Sq Km)	Population (Mill) 1967	Capital	Date of Independence	Political System
1. Afghanistan	655 0	15 75	Kabul	28 2 1919	Constitutional Monarchy
2. Burmes Union	678 0	26 25	Rangoon	4 1 1948	Federal Republic
3. Viet Nam Democratic Republic of Viet-Nam	328 0 about 158	36 0 19 5	Hanoi	2,9 1945	Socialist Republic
4. Israel	14 0**	2 67	Tel Aviv	State set up in 1948	Republic
5. India	3,269	511 0	Delhi	15 1 1947	-do-
6. Indonesia	1,904 4	107 0	Jakarta	1 8 1945	-do-
7. Jordan	96 6	2 04	Amman	25 5 1946	Constitutional Monarchy
8. Irac	44 4	8 34	Baghdad	3 10 1932	Republic
9. Iran	1,648 0	26 3	Tehran	—	Constitutional Monarchy

	195.0	about 5	San'a	1918	Republic
10. Yemeni Arab Republic					
11. People's Republic of South Yemen	about 500	about 10	Ash Shaab	29.11.1967	Republic
12. Cambodia	172.5	6.32	Phnom-Penh	9.11.1953	Constitutional Monarchy
13. Republic of Cyprus	9.3	0.61	Nicosia	16.8.1960	Republic.
14. Chinese People's Republic	9,5970***	723.14	Peking	—	Socialist Republic
15. Korea	238.8	42.18		On 15.8.1945 Liberated by the Soviet Army	—do—
Korean Democratic People's Republic	127.2	12.40	Pyongyang	Proclaimed in Sept. 48	
South Korea	96.6	29.78	Seoul	The South Korean "republic was proclaimed in May, 1948	—do—

16	Kuwait	207	057	Kuwait	1961	1961	Constitutional Monarchy
17	Laos	2368	27	Vientiane	1949	1949	Constitutional Monarchy
18	Republic of Lebanon	104	246	Beirut	1943	1943	Republic
19	Malaysia	3326	97	Kuala Lumpur	Independence of Malaya proclaimed on 31 8 1957 On 16 9 1963 it entered the Fede- ration Malaysia		Federal State
20	Maldives Island	03	01	Male	1965	1965	Monarchy (Sultanate)
21	Mongolian People's Republic	15650	12	Ulan Bator	1921	1921	Socialist Republic
22	Nepal	1408	1029	Kathmandu	—	—	Constitutional Monarchy
23	Pakistan	9467	10726	Rawalpindi	1947	1947	Republic

24. Saudi Arabia	1,000, 2,400	about 8.0	Riyadh	—	Entered Malaysian Federation Sept 16, 1963, succeeded August 9, 1965	Republic	Monarchy		
25. Singapore	0.6	1.96	Singapore	—		Republic			
26. Syrian Arab Republic	185.2	5.7	Damascus	22 11 1943		Republic	Monarchy		
27. Thailand	514.0	32.68	Bangkok	—					
28. Turkey	767.1*	33.83	Ankara	—					
29. Philippines	299.4	34.66	Quezon City (Actually Manila)	Became independent of Spain in June, 12 1698		Republic			
30. Ceylon	65.6	11.49	Colombo	4.2 1948		Republic in British Commonwealth	Constitutional		
31. Japan	372.1	99.92	Tokyo	—		Monarchy			

*Including the European part (23,500 Sq Km)

अफ्रीका की जागृति (Resurgence of Africa)

अफ्रीका कोई एक देश नहीं है, अपितु एक महाद्वीप है जिसमें अनेक देश हैं। उत्तरी अफ्रीका विशेषतः अल्जीरिया, सयुक्त अरब गणराज्य और लीबिया के निवासी गोरे हैं, किन्तु शेष अफ्रीका के मूल निवासी काले हैं। लेकिन इन गोरो और कालो के बीच पर्याप्त मात्रा में एकता और प्रेम विद्यमान है।

अफ्रीका महाद्वीप में आज से हजारों वर्ष पूर्व नील नदी की घाटी और कार्थेज की महान् सभ्यताओं का विकास हुआ, फिर भी केवल एक शताब्दी पूर्व तक इसका बाह्य सत्कार से अत्यन्त थोड़ा सम्पर्क रहा और इसलिए इसे अथ महाद्वीप (Dark Continent) की संज्ञा दी जाती थी। १९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक यूरोप और एशियावासी इस महाद्वीप के उत्तर तटवर्ती प्रदेशों और मिस्र से ही थोड़े बहुत परिचित थे। सहारा के विशाल मरुस्थल और भूमध्यरेखा के दक्षिण में स्थित प्रदेश से वे लगभग अपरिचित ही थे। इस समय तक अफ्रीका उनके लिए 'एक महाद्वीप न होकर एक तट मात्र था' और इस प्रदेश में उनकी रुचि केवल इतनी ही थी कि वे वहाँ कुछ ऐसे बन्दरगाहों की स्थापना कर सकें जो भारत जाने वाले जहाजों के लिए विश्राम स्थल बन सकें, जहाँ से वे जहाज ईंधन ले सकें और साथ ही अमेरिका के गन्ने और बपास के बगानों में काम करने के लिए उन्हें गुलाम भी मिल सकें।

लेकिन सन् १८७० के बाद से ही यूरोपियन शक्तियों ने अफ्रीका में उपनिवेशों की प्राप्ति की होड़ लग गई। १८८० से १८९० के बीच उन्होंने सम्पूर्ण अफ्रीका के विविध प्रदेशों को आपस में बाँट लिया। १८७० के बाद के केवल २० वर्ष की अवधि में ही यूरोपियन शक्तियों ने अफ्रीका के लगभग ९/१० भाग को आपस में विभाजित कर लिया। १८८० में उनके पास १ लाख वर्गमील का प्रदेश था जो १० वर्ष बाद ६ लाख वर्गमील का प्रदेश हो गया। अफ्रीका महाद्वीप के समस्त देशों में से, जिनकी संख्या इस समय कुल मिलाकर ५० के लगभग है, प्रथम महायुद्ध से पूर्व केवल एबीसी-निया (अथवा इथोपिया) ही स्वतन्त्र राज्य रह गया था, किन्तु १९३६ में इसकी स्वतन्त्रता भी इटली द्वारा समाप्त कर दी गई हालांकि द्वितीय महायुद्ध में यह राष्ट्र पुनः स्वतन्त्र हो गया था।

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर १९४५ में अफ्रीका महाद्वीप में केवल ४ राज्य स्वतन्त्र थे। एबीसीनिया, लाइबीरिया, दक्षिण अफ्रीका का सप और

मिस्र । महायुद्धोत्तरकाल में सम्पूर्ण अफ्रीका में स्वतन्त्र होने की इच्छा दलबती होती गई और अफ्रीका 'अफ्रीकियों का हो' की भावना अँगड़ाई ले ली । स्वतन्त्रता से पूर्व सामान्य तौर पर अधिकांश अफ्रीका महाद्वीप विभिन्न शक्तिशाली देशों के मध्य इस प्रकार विभाजित था—

क्र० सं०	नाम	क्षेत्रफल (वर्गमील)	१९६१ के अनुसार जनसंख्या
१.	फ्रांसीसी अफ्रीका	४०,२२,१५०	४,४१,५२,६००
२.	ब्रिटिश अफ्रीका	२०,२५,७१६	६,२४,३३,६४५
३.	बेल्जियम अफ्रीका	६,२४,३००	१,२०,००,०००
४.	पुर्तगाल अफ्रीका	७,८६,०००	६५,००,०००
५.	स्पेनिश अफ्रीका	१,३४,२००	१४,६५,०००

द्वितीय महायुद्ध के बाद यह अज्ञान अथवा अंधा महाद्वीप स्वतन्त्रता की आकांक्षा के इतने तीव्र प्रभाव से आक्रान्त हो उठा कि सम्पूर्ण क्षेत्र में यूरोपियन साम्राज्यों का उसी तीव्रता से अंत हो गया जिस तीव्रता से उनका निर्माण हुआ था । २० वर्षों के अल्पकाल में ही अफ्रीका के ६१० देश स्वतन्त्र हो गए । जाति, भाषा, इतिहास, परम्परा और धर्म आदि का विभिन्नताओं के विद्यमान होते हुए भी अफ्रीका में राष्ट्रवाद की मज्जा अँगड़ाई बिलक्षण थी । वस्तुतः इस राष्ट्रवाद का प्रधान कारण यह था कि यूरोपियन लोग अपने जातीय सिद्धान्त के आधार पर अफ्रीका के अनेक लोगों को अपने से विभक्त करके बाँटते थे । इस सिद्धान्त की तीव्र प्रतिव्रिया ने अफ्रीका के दुर्दमनीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया । अफ्रीकन राष्ट्रवाद की मुख्य प्रेरणा जातीय समानता की आकांक्षा की प्राप्ति से मिली और राजनीतिक स्वतन्त्रता उनके लिये जातीय समानता की प्राप्ति का साधन बन गई । ई० हक्सले (E. Huxley) के शब्दों में "समानों के रूप में, स्वीकृति के अर्थों में अभिज्ञान (Identity) की माँग वस्तुतः अफ्रीका की राष्ट्रियता का आधार है ।"¹ अफ्रीका में राष्ट्रवाद और स्वतन्त्रता के जागरण के उदय का दूसरा प्रमुख कारण यह रहा कि युद्धोपरान्त भारत की स्वतन्त्रता के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों में भी स्वतन्त्रता की लहर व्याप्त हो गई । विदेशी दासता

1. Quoted in International Relations, P. 565 (by Palmer and Perkins)

से मुक्त हो कर एक-एक कर एशिया के राष्ट्र स्वतन्त्र होने लगे। अरब गह सागर से लेकर हिन्द महासागर और प्रशांत के तटवर्ती देशों में स्वतन्त्रता के पारिजात बिल उठे। समय और बदलती हुई हवा के रव के साथ साथ इन पुष्पों की मुराबि हिन्द महासागर और अरब सागर की लहरों पर बसे हुए अफ्रीका महाद्वीप के तटों में आ टकराई और तब इन महाद्वीप के करोड़ों हाथ स्वतन्त्रता देखी का धरण करने के लिए उठ गये। उक्त दो प्रमुख कारणों के अतिरिक्त पार्श्वगत शिक्षा के प्रभाव, महायुद्ध के दौरान स्वातन्त्र्य प्रिय अमेरिकनो के सम्पर्क और राष्ट्रताप तथा सयुक्त राष्ट्र सभ आदि में उपनिवेशवाद के विरोध ने भी अफ्रीका के राष्ट्रीय जागरण के विरास में उल्लेखनीय भूमिका अदा की। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी अफ्रीका के देशों को स्वतन्त्रता प्राप्त करने में बहुत सहायता दी। द्वितीय महायुद्ध ने उपनिवेशवादी शक्तियों को अत्यन्त दुर्बल बना दिया और फ्रांस, ब्रिटेन आदि विजयी राष्ट्र इतने दुर्बल हो गये कि उन्हें अपने उपनिवेशों की प्रथम स्वतन्त्रता की अकांक्षा का दमन करने की शक्ति नहीं रह गई। इस तरह उनके एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश तेजी से इसके हाथ से निकल गये। पहले एशिया के उपनिवेश तेजी से स्वतन्त्र हुए जिससे अफ्रीकी राष्ट्रवादियों में प्रबल आत्म-विश्वास जागृत हुआ।

द्वितीय महायुद्ध के बाद अफ्रीका महाद्वीप में एक-एक करके स्वतन्त्रता की तीव्र उतारोतर जबर्दस्त लहर आई। जैसा कि कहा जा चुका है, महायुद्ध की समाप्ति पर अफ्रीका में केवल ४ राज्य स्वतन्त्र थे—एड्मोनिया, लाईबीरिया, दक्षिण अफ्रीका का सभ और मिस्र। यह १३० लाख वर्गमील का क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल का केवल ११ प्रतिशत था और इसकी २८ करोड़ की आबादी अफ्रीका की कुल जनसंख्या का २६ प्रतिशत थी। इसके बाद स्वतन्त्रता की पहली लहर आई। इस लहर में केवल अल्जीरिया के अपवाद को छोड़कर अरबों द्वारा आवासित उत्तरी अफ्रीका से उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों का सफाया किया। इन पहली लहर द्वारा स्वतन्त्र होने वाले राष्ट्रों में १९५१ में स्वतन्त्र होने वाला लीबिया और १९५६ में स्वाधीनता पाने वाले सूडान, मोरक्को तथा ट्यूनीशिया थे। इसके बाद स्वतन्त्रता की दूसरी लहर आई जिसने काले अर्थव्यवस्था लोको द्वारा आश्रित अफ्रीका पर प्रभाव डाला। १९५७ में ब्रिटेन द्वारा पाना को स्वतन्त्रता प्रदान की गई और १९५८ में गिनी पंचम फ्रेंच गणराज्य से पृथक हो गया। १९५९ तक अफ्रीका में अरबों राज्य स्वाधीन हो गये किन्तु अभी तक सहारा के दक्षिण का और जम्बेनी नदी के उत्तर का मध्य अफ्रीका पराधीन था। १९६० में स्वतन्त्रता की तीसरी जबरदस्त लहर आई जिसने

इस प्रदेश के अधिकारी गुलाम देशों को आजाद कर दिया। यह वर्ष अफ्रीका के स्वतन्त्रता का वर्ष कहा जाता है जिसमें १७ देश स्वतन्त्र हो गये। इसके बाद एक एक करके अफ्रीका के शेष देश भी स्वतन्त्र हो गये। १९६६ के अन्त तक केवल इनेगिने प्रदेशों को छोड़ कर सम्पूर्ण अफ्रीका महाद्वीप आजाद हो गया। इस समय तक जो विभिन्न अफ्रीकन देश स्वतन्त्र हो गये, उनका व्योम इस प्रकार से है—

क्र.सं.	नाम प्रदेश	स्वतन्त्रता प्राप्त देश	प्रशासकीय क्षेत्रफल (वर्गमील)	१९६१ के अनुसार जनसंख्या	स्वतन्त्र होने की तिथि
१	साइबेरिया	अमेरिका	४३,०००	२७,५०,०००	१८४७
२	हपियोपिया	—	—	२ करोड	१९४१
३	लीबिया	—	६,७९,३५८	१२,००,०००	२४ नवम्बर १९५१
४	इरिट्रिया	इटली	—	—	सितम्बर १९५२
५	सूडान	ब्रिटेन	९,६७,५००	१० करोड	जनवरी १९५६
६	मोरक्को	फ्रांस	—	—	मार्च १९५६
७	त्यनीशिया	फ्रांस	४८,३१३	३९,२५,०००	मार्च १९५६
८	गाना	ब्रिटेन	९१,८४३	४८ लाख	मार्च १९५७
९	गिनी	फ्रान्स	१,०५,२००	३,००,०००	अक्टूबर १९५८
१०	सयून्न अरब गणराज्य	—	३,८६,१९८	३ करोड	१९५९
११	संप्टन	फ्रांस	१,९६,४८९	३२,९५,०००	जनवरी १९६०
१२	मोरक्को (कुछ अंश) स्पेन	—	—	—	मार्च १९६०
१३	टोंगा	फ्रांस	४,२१,८९३	१२ लाख	अप्रैल १९६०
१४	मालीसय	फ्रान्स	—	—	जुलाई १९६०
१५	कानोली गणराज्य	बेल्जियम	९,४३,०००	१,३० करोड	जुलाई १९६०
१६	सीमांतिया	ब्रिटेन व इटली	—	—	जुलाई १९६०
१७	मालानासी गणराज्य	फ्रांस	२,२८,०००	५१,७४,५२३	जुलाई १९६०
१८	छाद	फ्रान्स	४,९६,०००	२५,८०,०००	अगस्त १९६०
१९	नाइजर	फ्रांस	४९,४५,०००	२४ लाख	अगस्त १९६०

क्र.सं.	नाम प्रदेश	स्वतन्त्रता पूर्व प्रशासकीय देश	क्षेत्रफल (वर्गमील)	१९६१ के अनुसार जनसंख्या	स्वतन्त्र होने की तिथि
२०	आइवरी कोस्ट	फ्रांस	—	—	अगस्त १९६०
२१	बोल्टाई गणराज्य	फ्रांस	—	—	अगस्त १९६०
२२	नेज़ेन	फ्रांस	१,०३,०००	४,१२,५००	अगस्त १९६०
२३	होमी	फ्रांस	४५,६००	१७,११,०००	अगस्त १९६०
२४	वागो गणराज्य	—	—	—	अगस्त १९६०
२५	मध्यवर्ती अफ्रीका	—	—	—	अगस्त १९६०
२६	नाइजीरिया	ब्रिटेन	३,७३,२५०	३५ करोड़	अक्टूबर १९६०
२७	मारिटेनिया	फ्रांस	४,१५,६००	५ लाख	नवम्बर १९६०
२८	सियरालियोन	फ्रान्स	—	—	अप्रैल १९६१
२९	रआडा उराडी	बेल्जियम	२०,५४०	४६,००,०००	६ जुलाई १९६२
३०	अ-जीरिया	फ्रांस	५८,२६,०००	१,०२,६५,०००	सितम्बर १९६२
३१	युगोडा	ब्रिटेन	६३,६८१	७५,१७,०००	अक्टूबर १९६२
३२	तगानिका	ब्रिटेन	३,६२,६८८	६० लाख	दिसम्बर १९६२
३३	बेनिया	ब्रिटेन	—	—	दिसम्बर १९६३
३४	जजीवार	ब्रिटेन	—	—	१० दिसम्बर १९६३
३५	(मलावी) न्यासलैंड	ब्रिटेन	—	—	१९६४
३६	जेम्बिया (उत्तरी रोडेसिया)	ब्रिटेन	—	—	१९६४
३७	गैम्बिया	ब्रिटेन	—	—	१९६५
३८	ब्रिटिश गियाना (नया नाम गुयाना)	ब्रिटेन	८६,०००	६,५०,०००	२६ मई १९६६
३९	बोत्सवाना (बच्चुआनालैंड)	ब्रिटेन	२७,५००	३,३७,०००	३० सितम्बर १९६६
४०	लेसोथो (बमुत्सोलेड)	ब्रिटेन	११,७१६	१,२४,०००	३ अक्टूबर १९६६
४१	बारबाडोस	ब्रिटेन	१६६	२,५०,०००	३० नवम्बर १९६६
४२	मारिषस	ब्रिटेन	—	—	मार्च १९६८

यह स्मरणीय है कि अफ्रीका महाद्वीप की राजनीतिक परम्परायें प्रारम्भ से ही अधिनायकवादी और सर्वसत्तावादी रही हैं। औपनिवेशिक युग के गुरु होने से पहले अफ्रीका महाद्वीप में एकतन्त्रात्मक शासन का बोलबाला था। क्वीलो के सरदार स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करते थे। जब औपनिवेशिक युग प्रारम्भ हुआ तब भी इस स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं आया और इस महाद्वीप की मोलीमानी प्रजा साम्राज्यवादी शक्तियों के निरंकुश शासन से प्रताड़ित रही। इस राजनीतिक अवस्था का परिणाम यह हुआ कि अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश में स्वस्थ लोकतन्त्रीय परम्पराओं का विकास नहीं हो सका, यद्यपि अब भूतपूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों में ससत्तात्मक लोकतन्त्र की स्थापना की गई है तथापि वहाँ भी उदार लोकतन्त्र बहुत सीमा तक सफल नहीं हुआ है। अल्जीरिया या घाना या इथोपिया अथवा मिस्र किसी भी देश को ल, हमें सर्वत्र यही दिललाई पड़ेगा कि इन सभी देशों में निर्वाचित एकतन्त्र की स्थापना की गई है।

अफ्रीका में साम्यवादी प्रभाव अभी तक विशेष रूप से उग्र नहीं हो पाया है तथापि यह बात ध्यान देने योग्य है कि साम्यवादी देशों ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध अफ्रीकावासियों के संघर्ष को नैतिक बल पहुँचाने में सत्रिय सहायता की है। इनमें अग्रगण्य सोवियत गणराज्य है। वह समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र सचय में और उसके बाहर अफ्रीकन जनता की स्वाधीनता का समर्थन करता रहा है। कांगो के प्रथम प्रधानमंत्री पेट्रिस लुमुम्बा की मृत्यु पर मास्को में एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी जिसमें आज भी अफ्रीका के विभिन्न देशों के विद्यार्थी वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस तरह सोवियत सचय अफ्रीका में साम्यवाद का प्रचार-प्रसार करने हेतु सचेष्ट है। यही नहीं उसने स्वयं को अफ्रीका के धर्म आन्दोलनों के साथ जोड़ने की चेष्टा की है और अफ्रीका के गरीब देशों को आर्थिक सहायता देकर उनकी पर्याप्त सहायभूति अर्जित कर ली है। फिर भी अफ्रीका के राष्ट्र इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि साम्यवादी देश उनके प्रति सहायभूति तो रखते हैं, लेकिन यह भी चाहते हैं कि अफ्रीका में साम्यवाद की स्थापना हो। अफ्रीका महाद्वीप में भी चीन सोवियत सचय का प्रतिद्वन्द्वी है। सोवियत सचय और चीन दोनों ही अफ्रीका के देशों को अपने-अपने साम्यवादी ढंग से प्रभाव में लाना चाहते हैं। इसी दृष्टि से दोनों देशों के उच्च नेतागण अफ्रीका के विभिन्न देशों के दौरे करते रहे हैं।

अफ्रीका की समस्या न केवल राजनीतिक, अपितु एक बहुत बड़ी सीमा तक आर्थिक और औद्योगिक भी है। आर्थिक दृष्टि से अफ्रीका के देश

बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं यद्यपि प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से अफ्रीका सत्तार का एक सीमाश्रयशाली देश है। अब तक साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शक्तियाँ अफ्रीका महाद्वीप के विशाल प्राकृतिक साधनों का शोषण अपने लिए करती रही थी, परन्तु अब इनका उपयोग राष्ट्रीय हितों में होना है। अफ्रीका के देश इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि विकसित देश उन्हें बाह्य आर्थिक और प्राविधिक सहायता दें, किन्तु साथ ही उनकी सम्प्रभुता और स्वतन्त्रता पर भी किसी प्रकार की आघात न आ पाये। अब यह सम्भव नहीं है कि अफ्रीका महाद्वीप के देश पार्श्वव्य औद्योगिक-उत्पादन के लिए बाजार बन कर रह जाएं।

अफ्रीका के विभिन्न देशों की एक गम्भीर राजनीतिक समस्या स्वतः यूरेशियनो की है, जिनके पूर्वज यूरेशियन देशों से आकर अफ्रीका में बस गये थे। यद्यपि अफ्रीका की जनता की तुलना में ये लोग अत्यन्त अल्प संख्या में हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका पर शासन करने के कारण उनके मन में उच्चतम की भावना घर बिये हुए है। साथ ही उनके अपने विशिष्ट आर्थिक स्वार्थ भी हैं। अफ्रीका के मूल निवासी इन गोरों उपनिवेशकारियों को घृणा और अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की रणभेदनीति ने सम्पूर्ण सत्तार के समक्ष निर्लेख्य रूप से यह स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ के गोर उपनिवेशकारी मानवीय न्याय और सज्जनता की समस्त मर्यादाओं को लाप कर अपने विशिष्ट आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए शासन के बल पर अपने आरको अफ्रीका महाद्वीप में बनाये रखना चाहते हैं।

कुछ प्रमुख अफ्रीकन देश

(Some Important African Countries)

अफ्रीका महाद्वीप के जागरण के इस सक्षिप्त विवेचन के उपरान्त महा के कुछ प्रमुख राष्ट्रों की जानकारी प्राप्त करना उपयोगी है—

लीबिया—लीबिया नामक सघातक राज्य की स्थापना २४ दिसम्बर, १९५१ को इटली के तीन उपनिवेशों त्रिपोलीतानिया, मायरेनिका तथा फेजान को मिलाकर की गई। यह एक राजतन्त्रात्मक राज्य है जिसकी जनता अधिकांशतः मुस्लिम मतावलम्बी है। लीबिया अरब लीग का एक प्रमुख सदस्य है। दिसम्बर १९५५ से वह संयुक्त राष्ट्रमण्डल का सदस्य है और अफ्रीकन देशों की स्वतन्त्रता के लिये अफ्रीकाई देशों का साथ दे रहा है।

ट्यूनीशिया—यह प्राचीन देश अफ्रीका के भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। पार्श्वव्य सम्बन्धों से गम्भीर रूप में प्रभावित इस देश का राष्ट्रवाद शक्ति सङ्कीर्णता और सामन्तवाद से मुक्त रहा है। २० मार्च, १९५६ को

फ्रांस द्वारा ट्यूनीसिया की स्वतन्त्रता स्वीकार करने के बाद नवम्बर, १९५६ से ही वह संयुक्त राष्ट्र सच का सदस्य है। ट्यूनीसिया के नेता अफ्रीकन देशों की एकता के विशेष रूप से समर्थक हैं। दुर्भाग्यवश अरब राष्ट्रों के साथ इस देश के सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे हैं। संयुक्त राष्ट्रसच के सदस्य के रूप में उसने अफ्रीकी एशियाई देशों का साथ दिया है।

मोरक्को—अरब देशों में मोरक्को ही एक ऐसा देश है जो लगभग पिछले १२०० वर्षों तक एक स्वाधीन देश बना रहा, १९१२ में पहली बार उसे फ्रांस का संरक्षण स्वीकार करना पड़ा। यह स्थिति १९१२ से १९५६ तक रही। १९३० से ही वहाँ स्वतन्त्रता का आन्दोलन शुरू हो गया और फ्रांस के लिये मोरक्को को गुलाम बनाये रखना सम्भव न रहा। अन्त में २ मार्च, १९५६ को मोरक्को की जनता ने पुनः स्वाधीनता की सास ली। दिसम्बर, १९५६ में मोरक्को संयुक्त राष्ट्रसच का सदस्य बना लिया गया।

इथियोपिया—इसे एथीसोनिया भी कहा जाता था। द्वितीय महायुद्ध के बाद यह स्वतन्त्र हो गया और १९३० से चले आ रहे इथियोपियन सम्राट हैल-सेलासी ने पुनः शासन का भार सम्हाल लिया। इथियोपिया अफ्रीका के सर्वाधिक प्रगतिशील राष्ट्रों में से एक है और आर्थिक दृष्टि से उसने स्वयं को काफी सुदृढ़ कर लिया है। यह देश अफ्रीका राष्ट्रों की एकता का प्रतीक है।

कांगो (ब्रजेवील एवं लियोपोल्डविले)—अफ्रीका में दो कांगो हैं जिनमें से एक फ्रांस के अधीन था और दूसरा बेल्जियम के। १९६० में दोनों ही कांगो को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई और दोनों ही में गणतन्त्रात्मक शासन की स्थापना की गई।

नाइजीरिया—यह ब्रिटिश उपनिवेश एक अक्टूबर, १९६० को स्वतन्त्र हो गया। इसका क्षेत्रफल ३,१९,१६८ वर्गमील और जनसंख्या लगभग ३,४०,००,००० है। यह जनसंख्या अफ्रीका के देशों में सबसे अधिक है। नाइजीरिया अफ्रीका का समृद्धतम और महत्वपूर्ण देश है।

यहाँ लोकतन्त्रात्मक परम्परायें पर्याप्त रूप से दृढ़ हैं। यह देश तीव्रता से आर्थिक प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्रसच में नाइजीरिया ने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंगभेद की नीति के विरुद्ध अन्य अफ्रीकी-एशियाई देशों के साथ मिलकर सघर्ष किया है।

यूगाण्डा—लगभग ६८ वर्षों तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत रहने के पश्चात् यूगाण्डा भी ८ अक्टूबर, १९६२ को स्वतन्त्र हो गया। अपनी स्वतन्त्रता के समय ही यह राष्ट्र मडक का सदस्य बन गया। यूगाण्डा एक सघातक राज्य है। आर्थिक दृष्टि से यह एक समृद्ध देश है। यह राष्ट्र

भी अन्य अफ्रीकन राज्यों की भांति रंगभेद नीति और पश्चिमी राष्ट्रों के साम्राज्यवाद का विरोधी रहा है।

केनिया—यह यूगाण्डा के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग २ लाख २५ हजार वर्गमील और आबादी लगभग ६५ लाख है। द्वितीय महायुद्ध के बाद केनिया में, जो उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था, स्वातंत्र्य आन्दोलन बहुत तीव्र हो गया। १२ दिसम्बर १९६३ को यह एक स्वतन्त्र देश बन गया और उसे सर्व सम्मति से राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना लिया गया। इसके शीघ्र बाद ही केनिया ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्राप्त कर ली।

केनिया अफ्रीका में चीनी साम्राज्यवाद का प्रबल विरोधी और स्वतन्त्र, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादी और संगठित अफ्रीका का समर्थक है।

घाना—पश्चिमी अफ्रीका में ब्रिटेन का एक उपनिवेश गोल्ड-कोस्ट था। वहाँ की जनता औपनिवेशिक दासता से छुटकारा पाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रही। जुलाई १९५३ में ब्रिटेन की सहमति से गोल्ड कोस्ट एक स्वतन्त्र प्रभुता सम्पन्न राज्य के रूप में प्रादुर्भूत हुआ। बाद में ब्रिटिश टोगोलैंड के साथ मिल कर १९५७ में गोल्ड-कोस्ट घाना के नाम से एक गणतन्त्रात्मक संघ बन गया और वहाँ अध्यक्षतात्मक शासन की स्थापना हो गई। संयुक्त राष्ट्रसंघ में घाना उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के विरुद्ध बोलता रहा है।

अल्जीरिया—भूमध्य सागर के तट पर ही अफ्रीका का एक अन्य अरब देश अल्जीरिया है। १९वीं शताब्दी के आरम्भ में यह एक फ्रेंच उपनिवेश था।

अल्जीरिया की जनता ने फ्रेंच शासन को कभी भी हृदय से स्वीकार नहीं किया। अल्जीरिया का राष्ट्रीय आन्दोलन सन् १९२५ में मुखरित हुआ जब उसने अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष में माग की। स्वाधीनता के लक्ष्य को पूर्णतः के लिए जुलाई, १९५१ को एक राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण किया गया जो 'राष्ट्रीय स्वाधीनता का मोर्चा' (Front of National Liberation, FNL) के नाम से प्रख्यात हुआ।

राष्ट्रीय स्वाधीनता मोर्चे के नेतृत्व में १ नवम्बर, १९५४ को फ्रेंच शासन के विरुद्ध संघर्ष सशाम आरम्भ हो गया, जो १९६२ तक लगातार चलता रहा जिसमें दोनों ही पक्षों के लोग लाखों की संख्या में कीड़े मकड़ों की तरह मारे गये।

भीषण रक्त रञ्जित सग्राम और कठोरतम दमनकारी उपायो के उपरान्त भी जब अल्जीरिया के राष्ट्रवादियों को धारम-समर्पण के लिये झुकाया न जा सचा तो फ्रेंच साम्राज्यवादिभों ने यह निश्चय किया कि अल्जीरिया की स्वतन्त्रता के प्रश्न पर वहा जनमत संग्रह कराया जाय। फ्रेंच राष्ट्रपति डिगाल ने ब्याप्त निर्णय और जनमत के जायार पर अल्जीरिया की स्वतन्त्रता देने का आश्वासन दिया। जनवरी १९६१ में जनमत संग्रह का कार्य हुआ जिसमें लगभग डेढ़ करोड़ लोगों ने अल्जीरिया में स्थायत शासन स्थापित होने के पक्ष में और पचास लाख लोगों ने इसके विपक्ष में मत दिये। परन्तु डिगाल द्वारा प्रस्तावित स्वायत शासन प्राप्त करने पर भी अल्जीरिया पूर्ण स्वतन्त्र नहीं होता था क्योंकि किसी न किनी रूप में उस पर फ्रांस का अधिकार बना ही रहता।

कुछ दिनों बाद अल्जीरिया की ममानान्तर सरकार ने वार्तालाप का रुत अपनाया। इसी बीच डिगाल की अल्जीरिया-नीति से असन्तुष्ट कुछ फ्रेंच सैनिक अधिकारियों ने २२ अप्रेल १९६१ को सहमा अल्जीरिया पर आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। किन्तु डिगाल द्वारा इस सैनिक विद्रोह को कुबल दिया गया। अतः में १ जुलाई १९६२ को अल्जीरिया की स्वतन्त्रता दे दी गई और इस प्रकार एक महान् स्वतन्त्रता सग्राम का अंत हुआ। अक्टूबर, १९६२ को अल्जीरिया संयुक्त राष्ट्रसभ का सदस्य बना लिया गया और तब से वह अफ्रीका में विकासशील राष्ट्र का प्रतीक बना हुआ है।

स्वतन्त्र अफ्रीका महाद्वीप की समस्याएँ

(Problems of Independent African Continent)

नवोदित अफ्रीका के राज्यों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा है। इसमें से अधिकांश समस्याएँ तो यहा की पिछडी हुई आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति से उत्पन्न होनी है। यहा के देशों के सामने विपन्न के अन्य देशों के उदाहर बाने के लिए पार करने की एक लम्बा रास्ता पडा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यहा के कुछ देशों में क्रान्ति हुई, गृह युद्ध टिडे तथा जातीय भेद भाव के आधार पर अनेको उपद्रव किए गए। महाद्वीप के देशों में विकास के लिए आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता का मूकपाल हुआ। उनरु हिन राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रश्नों को लेकर परस्पर टकराने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय एवं महाद्वीपीय स्तरों पर सर्वोच्चता पाने के लिए यहा के विभिन्न देशों के बीच शक्ति का मजबूत टिड गया। इस प्रकार स्वतन्त्र अफ्रीका में अनेकता, सघर्ष और प्रतिघोषिता का वातावरण जोर पकडने लगा। यहाँ के राष्ट्रों के विकास के लिए परस्पर सहयोगपूर्ण सम्बन्धों

की आवश्यकता प्रमुख है किन्तु यहाँ इस आवश्यकता के विपरीत प्रवृत्तियाँ जन्म ले रही हैं। विश्व को दूसरी शक्तियों के द्वारा इस फूट का लाभ उठाया जा रहा है। साम्यवादी गुट तथा पश्चिमी देश दोनों ही अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न में सतत हैं। योरोप के जिन देशों ने अफ्रीका के अपने उपनिवेशों का आजादी प्रदान कर दी है वे भी यहाँ किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव जमाय रखना चाहते हैं। उनका हित इस बात में रहता है कि इन देशों पर गारी जाति का ही प्रभुत्व बना रहे। स्वतन्त्र अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख समस्याय निम्न हैं—

१ अफ्रीका महाद्वीप में मिली-जुली संस्थाओं तथा विचारों के सहारे नातिन को एकजुट बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे एक नवीन अफ्रीका की सम्भावना निहित है। किन्तु नवीन विचारों एवं संस्थाओं का यह प्रयोग अफ्रीका के पुराने रीति रिवाजों तथा परम्पराओं से भिन्न पड़ता है तथा इसके प्रति यहाँ के लोगों में विरोध की भावनाएँ हैं। समाज के परम्परावादी रूप के दिव्यस से जो असुरक्षा की भावना पैदा होती है वह इन देशों के विकास कार्यों की सफलता में मुख्य रूप से बाधक है।

२ विकास कार्यक्रमों को फलदायक बनाने के लिये अफ्रीका महाद्वीप में पहले सामाजिक तथा सांस्कृतिक शक्ति का लाना परम आवश्यक है। यहाँ के धार्मिक नियम राजनैतिक विचार अनुशासनहीनता की प्रवृत्तियाँ आदि में मूलभूत परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। हो सकता है कि इस परिवर्तन काल में यहाँ के देशों को जबरन हिंसात्मक तथा नृसंहारपूर्ण अनुभव भी करने पड़ जाय।

नौकर स्वामी

३ अफ्रीका के नव दिन राष्ट्रों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में महत्व जानना से पूर्व यह समझना उपयोगी है कि यहाँ की शक्ति का लोगों के जीवन पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है। स्वतन्त्रता से पूर्व यहाँ के लोगों पर हजारों मील दूर बँटे शासकों की आज्ञाय शासन करती थी। उपनिवेशवादी शक्तियों के प्रतिनिधि ही यहाँ के सब कुछ थे। उनके साथ अफ्रीकावासियों का सम्बन्ध नौकर और स्वामी का सम्बन्ध था किन्तु आज यह स्थिति नहीं रही है तो भी जातीय उच्चता के आधार पर योरोप के देश इन देशों पर अपने पूर्ण प्रभाव का बनाए हुए है।

४ गोरे और काले का भेद प्रकृति से उत्पन्न होता है। यह मनुष्य-वृत्त नहीं है और न ही मनुष्य इस परिवर्तित कर सकता है, किन्तु यह शारीरिक भेद अफ्रीका के सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन को प्रभावित करने वाला सख्ते अर्थिक प्रभावशाली तरंग है। गन्धर (Gunther) महोदय

के अनुसार "सब चीजों से ऊपर रग-भेद ही है जो अफ्रीका में अमनोप तथा विद्वेष उत्पन्न करता है। यह अफ्रीकी हीनता का प्रधान कारण है जिससे उन्मत्त और विद्रोह पैदा होते हैं। यह गोरे तथा काले दोनों ही प्रकार के लोगों के मस्तिष्क को विगाड़ देता है।" घोर विषम सामन्याङ्क में जातीय तथा रग पर आधारित भेद मान की नीति का पर्याप्त बटावा दिया गया था। रग भेद के कारण पूरे महाद्वीप में ही एक प्रकार का गहरी साईं पड़ गई थी तथा जिन देशों में यारोविदा उगाते नहीं रहने बहा के काले लोग भी अपने आपको गोरो से हीन मानते हैं। यह साईं तब तक बनी रहेगी जब तक चमड़ी के रोरपन के आधार पर चर्चिवाश जन समुदाय के विरुद्ध घोंडे से लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त होने रहने। जान हच (John Hatch) के छोड़ों में "अफ्रीका के लोग आत्म विश्वास को, जो सहिष्णुता के लिए आवश्यक होना है तब तक प्राप्त नहीं कर सकने जब तक वे रग के आधार पर किये जाने वाले भेद-भाव से अपने आत्मो स्वतन्त्र नहीं कर लेते।" गोरे गोरे अफ्रीका के देशों में अब उन्मत्तियों की सरकारें स्थापित होती आ रही हैं तथा अब गोरे लोगों के विरुद्ध काले लोगों को कुछ विशेषाधिकार देने की प्रवृत्ति मर करती आ रही है।

५ केवल रग-भेद तथा जाति-भेद को समाप्त कर देना ही पर्याप्त नहीं है। अफ्रीका के देशों में यारोविदा देशों द्वारा अनेक मूलभूत परिवर्तनों की स्थापना करके सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन को बढक दिया गया था। अफ्रीका में शान्ति को पूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इस शान्ति को सामाजिक तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लाया जाय। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद इन देशों में जो सरकारें स्थापित की गई हैं, यद्यपि उनका संचालन देश के निवासियों द्वारा ही किया जाता है किन्तु फिर भी वे इतनी अधिक सत्ता एवं अधिकार का प्रयोग करती हैं जितना कि विदेशियों द्वारा किया जाता था।

अनेक अफ्रीकी देशों में एक बलीय समस्या को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। इस मान्यता पर अफ्रीका के आदिवासी जीवन का प्रभाव है। आदिवासी जीवन की सामान्य परम्परा के अनुसार समकित्त विरोधी का होना अनुचित है नयोंके यह अनेक प्रकार के झगडे उत्पन्न करता है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन पर सभी व्यक्तियों के मत का प्रभाव रहता है। साथ एक सामान्य अफ्रीकी अपने जीवन में यह शायदा कि उसके ऊपर सत्ता की कुछ मात्रा का स्वतन्त्रता के बाद में प्रयोग किया जा रहा है वह स्वतन्त्रता के पूर्व प्रयोग की जाने वाली मात्रा से कहीं अधिक है। सत्ता की इस मात्रा

का भी महा के लोग अपनी सुरक्षा के नाम पर स्वीकार कर लेते हैं। इन प्रकार प्रायः पूरे अफ्रीका में ही सरकार के नियन्त्रण तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के बीच बड़ा असन्तुलन होते हुए भी कोई हमका विरोध नहीं करता और न ही किसी को इससे अछड़ोप होता है।

६ राष्ट्रवाद की भावना ने अफ्रीका के देशों में एकता का सूझवात किया और इसी एकता के आधार पर वे विदेशी शक्तियों से अपने आपको छुड़ा सके हैं। महाद्वीप के अफ्रीका भाग पर राष्ट्रवाद का भारी प्रभाव है। हेच (Hatch) के शब्दों में स्वतन्त्रता एकता की मांग करती है और राष्ट्रियता की तेज मानसिक शराब ने सारे देश का साम्राज्यवादी शक्तियों के विश्व एकीकृत करने में महत्वपूर्ण काम किया है। शिक्षा, सम्पत्ता एवं विज्ञान में पिछड़े होने के कारण यहाँ के देशों में राष्ट्रवाद उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि यह एशिया महाद्वीप में गृह्य है। यद्यपि राष्ट्रवाद की जागृति को रोका नहीं जा सकता तो भी अफ्रीका के बड़े क्षेत्र अभी तक राष्ट्रवाद के प्रभावशाली व्यवहार के लिए तैयार नहीं हैं अर्थात् महा पर स्वशासन की स्थापना के अनुकूल वातावरण अभी तक नहीं बना है।

७ अफ्रीका के देशों में नवीन जीवन के प्रति, स्वशासन के प्रति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के प्रति, पारस्परिक सहयोग के प्रति तथा जातीय एकता के प्रति अवज्ञा की भावनाएँ हैं। अफ्रीका अपने इस रूप में अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आया है। अब यह स्वाभाविक है कि अन्तर्राष्ट्रीय महामेदों का, घटनाओं का तथा मनमुटावों का प्रभाव इस महाद्वीप के देशों पर भा पड। किन्तु ये देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं इसलिए किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न पर अपना स्वतन्त्र विचार नहीं रख सकते। अफ्रीका का आर्थिक जीवन अब भी बहुत कुछ शेष समार पर निर्भर करता है। इस आर्थिक परनिर्भरता की अवस्था में जब ये देश उपनिवेशवाद से स्वतन्त्रता की स्थिति में आये तो उनके समस्याएँ उत्पन्न होगईं। नये राज्यों का निर्माण उन प्रदेशों में से किया गया है जिनका यारोपीय शक्तियों ने विभाजन कर रखा था। ये राज्य आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए महयोगपूर्ण दृष्टिकोण नहीं रखत।

८ प्रायः पूरे अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीकान की भावना का प्रभाव है। सभी अफ्रीकी यह निर्णय कर चुके हैं कि सम्पूर्ण अफ्रीका पर भविष्य में केवल अफ्रीकियों का ही राज्य रहेगा। इस दृष्टिकोण के कारण अफ्रीका में विभिन्न सभ तथा उपसभ बनाने के प्रस्तावों पर समय समय पर विचार किया जाता रहा है। भाषा, सभार स्थापन तथा आर्थिक विकास जैसी कुछ बाधाएँ

इस प्रकार के संघ निर्माण के मार्ग में हैं जिनको दूर करने के वाद यहाँ के लोगों में सुरक्षा की भावना आवेगी तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों में भी विकास होगा।

६. अफ्रीका महाद्वीप शीत युद्ध के प्रसार को रोकने के लिए प्रयत्नशील है और इसी उद्देश्य से इसने अन्तर्राष्ट्रीय समाज में परापूर्वक किया है। यद्यपि अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनेक कार्यों की आलोचना करते हैं तो भी यह उनके लिए एक आशा का प्रतीक है जो उनके आर्थिक तथा राजनैतिक विकास में सहायता देकर उन्हें विश्व राजनीति को प्रभावित करने योग्य बना सकता है तथा पूर्व और पश्चिम के झगड़े से दूर रख सकता है। अफ्रीका के देश यह चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्रसंघ साम्यवादी भ्रमवादी पूँजीवादी शक्तियों के हाथ की कठपुतली न रहकर पूर्व, पश्चिम और निम्नो का बराबर प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बन जाय। उनके महाद्वीप में यह संस्था उपनिवेशवाद, नवोपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के नये तरीकों से बहूता है। वे चाहते हैं कि यह उनके अपने आर्थिक विकास में सहायता करे, उनकी राजनैतिक परेशानियों में सहायक बने तथा यही एकमात्र ऐसा अधिकरण है जो विश्व युद्ध को रोकने की सामर्थ्य रखता है।

अफ्रीका में साम्यवाद

साम्यवाद की प्रवृत्तियों का प्रभाव अफ्रीका महाद्वीप पर एशिया महाद्वीप की अपेक्षा कम है। अफ्रीका की राजनीति में यह एक प्रकार का विरोधाभास सा लक्षित होता है। एक ओर तो इस महाद्वीप में साम्यवाद के लिए प्रायः सभी आवश्यक परिस्थितियाँ उपस्थित हैं जिनके कारण इस विचारधारा का प्रचार एवं प्रसार बिना किसी रुकावट के किया जा सकता है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि यहाँ के लोग आर्थिक शोषण तथा साम्राज्यवाद के दपन एवं बातों के कटू अनुभव कर चुके हैं, इन देशों के प्रति यहाँ पर प्रबल विरोध की भावना वर्तमान होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पश्चिमी दग का प्रजातन्त्र, जो स्वतन्त्रता के ऊपर इतना अधिक जोर देता है और समानता के लिए लड़ने समय तक प्रतीक्षा कर सकता है, इन महाद्वीप के लोगों की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं से मेल नहीं खाता। वे तो शीघ्र ही बीमारी से छुटकारा पाकर अपने लिए यथेष्ट भोजन की प्राप्ति में रूचि रखते हैं, अन्य अमूर्त आदर्शों में उनकी कोई रूचि नहीं है। इन सभी आवश्यकताओं को पूरी करने के साधन साम्यवाद के पास मौजूद हैं तथा उसके द्वारा दिये गये आदर्शों के प्रति इस महाद्वीप के लोगों की रुचि रहना स्वाभाविक है। राय ही साम्यवादी देशों द्वारा साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध,

आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को सफ़र बनाना तथा पूंजीपति वर्ग को समाप्त करके शोषण का अन्त करना, व्यक्तियों के बीच समानता की स्थापना करना और जाति भेदभाव की नीति के किसी भी रूप में प्रयोग की निन्दा आदि साम्यवादी नीतियों के कुछ उदाहरण हैं जो अफ्रीका निवासियों का ध्यान अपनी धार गीचन के लिए पर्याप्त में भी अधिार है। इसके साथ ही यह भी एक तथ्य है कि सन्त्रियन रूप और साम्यवादी चीन द्वारा इस महाद्वीप के अनेक देशों को राष्ट्रीय आन्दोलनों में सन्त्रियन सहयोग प्रदान किया गया था। इस सहयोग को ये देश कभी भी नहीं भुला सकते। इन सबके होने के बाद अफ्रीका महाद्वीप पर साम्यवादी गुट की पूरी नजर है तथा वहाँ से हटते हुए पश्चिमी प्रभाव के स्थान को वे स्वयं ग्रहण करने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करने को तैयार रहते हैं। आर्थिक असमानता के प्रति यहाँ के लोगों का दृष्टिकोण स्पष्ट है तथा इसके परिणामों से वे भली भाँति परिचित हैं।

सूडान गणतन्त्र के राष्ट्रपति इब्राहीम अबूद (Ibrahim Abboud) ने सद्युक्त राष्ट्रमण्डल में बोलते हुए कहा था कि "अन्तर्राष्ट्रीय रणमंच पर स्थित असहयोग तथा अशांति का कारण आर्थिक तथा साम्राज्यिक क्षेत्रों में असमानता है जो हमारे समय की एक विशेषता है तथा जो विश्व की अति घनवान और अति गरीब में विभाजित करती है। आर्थिक विकास के ये असंतुलित स्तर ही असंतोष तथा ईर्ष्या के वाज बोलने हैं।" इन सब अनुकूल परिस्थितियों तथा वातावरण के रहने पर भी अफ्रीका में साम्यवाद का प्रभाव इतना कम है। इसका कारण विश्व की स्थिति को माना जा सकता है। अफ्रीका महाद्वीप का देशों से स्वतन्त्रता प्राप्त करने का एक बड़ा लाभ यह प्राप्त हुआ कि जब यहाँ के देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय रणमंच पर पाव रखा तो इनके सामने दो विरोधी तथा प्रतिस्पर्धापूर्ण गुट स्वरूप आ गये थे। उनके बीच शीत युद्ध एवं उसके भयानक परिणामों की कल्पना करने में भी ये देश समर्थ थे। साथ ही दोनों गुटों से अलग रहने की असममता की नीति का भारत के नेतृत्व में अनेक देशों ने पालन करना प्रारम्भ कर दिया था। ऐसी स्थिति में सदियों के बाद प्राप्त की गई अपनी स्वतन्त्रता को बचाये रखने के उद्देश्य से इन देशों ने भारत का अनुगमन करना ही उपयुक्त समझा। शीत युद्ध की शान्त लपटों से यहाँ के नेता अपने प्रदेशों को बचाने के पक्ष में थे। दक्षिणोपसा के कार्यवाहक राज्य मंत्री कटेमा दिफू (Katsma Yifoo) ने सद्युक्त राष्ट्र सभ में कहा था कि "शीत युद्ध का प्रसार एशिया और अफ्रीका के लिए विशेष तत्परता का निर्माण करता है तथा यह उनके साम्राज्य तथा आर्थिक रूप के शान्तिपूर्ण एवं बौद्धिक विकास के लिए चुनौतियों का निर्माण करता है।" इसी प्रकार व विचार नाईजीरिया के

प्रधानमंत्री सर अबुबकर बलेवा (Sir Abubaker Balewa) ने कागो को समझा कर बोलते हुए प्रकट किये थे। उनका कहना था कि "अफ्रीका को सैद्धांतिक मर्षण की घुड़ भूमि नहीं बनने देना चाहिए और इस कारण कागो की स्थिति पर अफ्रीकी राज्यों को राजनैतिक स्तर पर विचार करने देना चाहिए।"

इन समस्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के देशों में साम्यवाद की विरोधी प्रवृत्तियाँ वर्तमान हैं तथा ये किसी भी ढाँचे से अपने आपको बाधना नहीं चाहते। कुछ विचारकों का मत है कि साम्यवाद का इस महाद्वीप के राष्ट्रों में आन्दोलनों पर अधिक प्रभाव नहीं था। अफ्रीका के कई देशों में साम्यवादियों की वृत्तीय चोकिमा बनी हुई है जैसे कॅरों, आदिगजवावा, प्रीटारिया, मोनराबिया आदि तथा अल्जेरिया, ट्यूनीसिया, फ्रांसीसी पश्चिमी अफ्रीका में स्पानीय साम्यवादों दलों का प्रभाव है। अफ्रीका के नेताओं में से बहुत कम ही साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। किन्तु यहाँ के विभिन्न देशों के लिए साम्यवाद का प्रचार एवं प्रसार करने के उद्देश्य से एजेंट भेजे जाते हैं तथा यह सम्भावना है कि यहाँ के कुछ देश साम्यवादी विचारधारा के प्रति झुक जाय।

अफ्रीकी एकता आन्दोलन

(African Unity Movement)

अफ्रीका के विभिन्न देशों ने जब से स्वतन्त्रता प्राप्त की है तभी से उसके एकीकरण के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। अफ्रीका के राज्यों की समस्याएँ समान हैं तथा स्वतन्त्रता के बाद इनमें परस्पर-निर्भरता की भावना की वृद्धि हुई है। समय-समय पर इस महाद्वीप के दो या दो से अधिक देशों का किसी निश्चित लक्ष्य के लिए संधि बन जाता है। किन्तु समस्या यह है कि इस एकता को किस प्रकार प्राप्त किया जाय, इसी प्रश्न को लेकर अफ्रीका के राज्यों का विभाजन हो गया है। अफ्रीकी राज्यों का एकीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं। यहाँ के स्वयन्त्र राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय नवीन युग की देन है। राष्ट्रवाद से प्रभावित अनेक नेताओं ने अफ्रीका के विभिन्न राज्यों के बीच जिन मन-भुटावों की स्थापना की थी उनको अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। उत्तरीसवी सताब्दी में योरोपियन शक्तियों ने अफ्रीका का जो विभाजन किया था उसके कारण एक उपनिवेश दूसरे से घृणित हो गया तथा उनमें उपनिवेशी एकता के भाव आ गए। वर्तमान समय में इन उपनिवेशी संधियों को नवीन अन्तर्अफ्रीकी राध में परिवर्तित करना बड़ा कठिन है। योरोपियन शक्तियों ने अफ्रीकी संधि के महत्व को पहले से नहीं पहचाना तथा इस ओर कोई महत्वपूर्ण कार्य न किया।

अफ्रीकी भ्रातृत्व (Pan Africanism) का आन्दोलन महाद्वीप के एकीकरण के प्राचीनतम आन्दोलन में से एक है। इसके समर्थक प्रायः 'मयुक्त राज्य अफ्रीका' के लक्ष्य का प्रस्ताव रखते हैं। उनके मतानुसार एक सघ के निर्माण के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वे सभी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं। किन्तु जैसा कि रूपर्ट ईमर्सन (Rupert Emerson) ने लिखा है— 'एक यथायथवादी तो यह चाहेगा कि अफ्रीकी भ्रातृत्ववाद को एक आदर्श तथा रगीन स्वप्न मानकर अस्वीकार कर दिया जाय क्योंकि यह राज्य सम्प्रभुता की उन ठोस दीवारों का उपयोगी उल्लंघन करने में असमर्थ है जिनको बनाने में अफ्रीकी लगे हुए हैं।' अफ्रीका में अमरीका के नमूने पर सघ का निर्माण करना असम्भव है क्योंकि अमरीका के १३ उपनिवेशों के सामने जो समस्याएँ थी आज का अफ्रीका उनसे भिन्न तथा सल्लिप्त समस्याओं का सामना कर रहा है। यहाँ एकता के प्रतीक कम हैं तथा यह राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि में एक सघ बनने के लिए उपयुक्त नहीं है।

अफ्रीका के देश अपने आपको बाह्य शक्तियों के प्रभाव से बचाने में असमर्थ हैं। अफ्रीका के देश प्रायः यह चाहते हैं कि वे शीतयुद्ध के प्रभावों से बचकर रहें किन्तु शीत युद्ध की प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार की है कि ससार का कोई भी महत्त्वपूर्ण भाग इस समय से अटूना नहीं रह सकता। अफ्रीका जैसा क्षेत्र, जिसका आर्थिक तथा सैनिक महत्त्व है तथा जहाँ अशान्ति एवं अस्थिरता की भारी सम्भावनाएँ हैं, वह दोनों गुटों की छाया से दूर नहीं रह सकता। अफ्रीकी एकता के सम्बन्ध में यहाँ के राज्यों के बीच जो मतभेद हैं तथा अलग अलग विचारधाराएँ हैं उन पर शीत युद्ध का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। अफ्रीका के अनेक नेता मानसंबाद की खुलकर आलोचना नहीं करते, इसे एक बुराई नहीं कहते। इसके विपरीत यहाँ के अनेक देश अपनी समस्याओं को सुलझान में साम्यवादी देशों के अनुभवों से लाभ उठाना चाहते हैं और कुछ इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। अफ्रीका के सभी राष्ट्र निष्पक्षता अथवा असलक्ष्यता की नीति में विश्वास करते हैं किन्तु जब वे राज्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आते हैं तो इनके व्यवहारों, विचारों एवं धारणाओं में भारी अन्तर आ जाता है। कुछ देशों के सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा सद्भावनाएँ पहले की उपनिवेशवादी शक्तियों एवं पश्चिमी देशों के साथ प्रमुख रूप से जुड़ी हुई हैं, किन्तु कुछ दूसरे अफ्रीकी देशों का झुकाव साम्यवादी देशों के साथ गहरे सम्बन्ध बनाने की ओर होता जा रहा है।

इस प्रकार इस महाद्वीप में अनेकों भिन्नताएँ तथा मतभेद चल रहे हैं तो भी यहाँ के राष्ट्रवादी नेता अफ्रीका का सघ बनाने के पक्ष में हैं। इन

सभी का लक्ष्य यह घोषित किया जाता है कि ये अफ्रीकी लोगों का जीवन-स्तर सुधारना चाहते हैं ; विश्व राजनीति में अफ्रीका का प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, शीत युद्ध सघर्ष में अफ्रीका को निष्पक्ष रखना चाहते हैं, सौप पराधीन अफ्रीकी राज्यों को स्वतंत्र कराना चाहते हैं तथा अफ्रीका के सभी राष्ट्रों के बीच एकता की स्थापना करना चाहते हैं । ये लक्ष्य कुछ सामान्य प्रकृति के से है तथा इनको पूरा नहीं किया जा सकता इसी कारण वर्तमान अफ्रीका के सम्बन्धों पर इनका अधिक प्रभाव नहीं है । तो भी इन लक्ष्यों के कारण अफ्रीका के राष्ट्रीय आन्दोलनों को पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त हुई है । राष्ट्रपति एनक्रूमा (N Krumah) को घाना के बाहर प्रायः अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता था किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इसने यह आन्दोलन चलाकर इस महाद्वीप के लोगों में जागरण की लहर पैदा कर दी है । इस प्रकार की एकता की प्रेरक शक्तियों में प्रथम तो महाद्वीपव्यापी सामान्य हित है दूसरा क्षेत्रवाद के प्रति आकर्षण है जो अफ्रीकी दुष्टों को पुनः रूप देने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है । अफ्रीका के देश कभी-कभी प्राकृतिक एवं मानवीय खोतों को मिलाने का मार्ग ढूँढते हैं तथा कभी उपनिवेशवादियों द्वारा स्थापित स्वेच्छाचारी विभाजन रेखा से होने वाले नुकसानों को कम करने की सोचते हैं । आजकल चल रहे समन्वय आन्दोलनों को परिवर्तन का साधन भी माना जा सकता है और इसका प्रतीक भी । इन आन्दोलनों में से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1. Ghana-Guinea-Mali (Union of African States)
2. The Casablanca Powers
3. All-African People's Conferences
4. Conferences of Independent African States
5. All-African Trade Union Federation (AATUF)
6. African Trade Union Confederation (ATUC)
7. The Brazzaville Powers (African-Malagasy Organisation for Economic Co-operation)
8. Conseil de l'Entente
9. The Monrovia Powers
10. The Lagos Meeting of African Heads of State
11. East African Common Services Organisation (Formerly East Africa High Commission)
12. Pan-African Freedom Movement of East, Central, and South Africa (PAFMECSA)
13. Economic and Technical Assistance Organisations.

अफ्रीका के विभिन्न देशों, गुटों एवं समुदायों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष चल रहा है। स्थायी एकता की स्थापना की दिशा में अर्थपूर्ण प्रगति बहुत कठिन है। यहाँ के कुछ देश साम्यवादी शक्तियों का विरोध करने हैं तो हमारे पश्चिमी देशों को अपने म मलो में हस्तक्षेप करने से रं वते रहते हैं। इस महाद्वीप में दोनों ही गुटों का प्रभाव है किन्तु स्पष्ट रूप से इस प्रभाव को यहाँ का कोई भी देश स्वीकार नहीं करता। इनमें से अधिकांश वा बहुत ही यही है कि "वे न तो पश्चिम के समर्थक हैं और न साम्यवाद के ही समर्थक किन्तु वे तो अफ्रीकियों के समर्थक हैं।" यह विश्व के हित में होगा कि यहाँ की राजनैतिक समस्याओं पर बाह्य शक्तियों का अनुचित हस्तक्षेप न रहे और उन पर अफ्रीका के लोगों को ही विचार करने का अवसर दिया जाय। अफ्रीका महाद्वीप की विकास योजनाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है तथा यहाँ के देश धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। विश्व शान्ति इस बात की मांग करती है कि इस महाद्वीप को शस्त्रों की दौड़ में न पटक जाय तथा यहाँ आणु-शस्त्रों के परीक्षणों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन न दिया जाय।

लेटिन अमेरिका का जागरण

(Resurgence of Latin America)

लेटिन अमेरिका एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अनेक पिछनाये देखने को मिलते हैं। यहाँ के समाज में आर्थिक असमानता बहुत है। एक ओर तो बहुत धनवान व्यक्ति हैं तथा हमारी ओर बहुत गरीब परिवार। इसी प्रकार राजनैतिक दृष्टि से कुछ लोग तो प्रजातन्त्र का गुण गाते करते हैं किन्तु हमारे सैनिक तानाशाही में सुन्दर भविष्य की कल्पना करते हैं। इस प्रदेश के देशों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष चला ही रहता है, ये परस्पर झगड़ते रहते हैं फिर भी किसी बाहर के शत्रु से मुकाबला करने के लिये सभी एक हो जाते हैं। यहाँ के राज्यों में कुछ समानतायें भी हैं, वे इन सभी को स्पेन में समान शत्रुओं में प्राप्त हुई है। सभी एक चर्च को पूजा करते हैं। सभी को अपरिहार्य प्राकृतिक बाधाओं का समान रूप से सामना करना होता है। सभी स्वतन्त्रता के पक्षपाती हैं। सभी उत्तरी अमेरिका की भारी शक्ति से परिचिन हैं तथा अधिकांश को तो इस शक्ति का आधिपत्य भी बनना पड़ता है।

'लेटिन अमेरिका' शब्द का प्रयोग पश्चिमी गोलार्ध के प्रायः उन राज्यों के लिए किया जाता है जो कि लेटिन सभ्यता की समान पृष्ठभूमि रखते हैं। लेटिन अमेरिका को प्रायः तीन मुख्य भागों में बाटा जाता है वे हैं मध्य

अमरीका, इसमें सान गणतन्त्र है, दूसरा कैरीबियन (Caribbean) इसमें तीन गणतन्त्र हैं और तीसरा है दक्षिणी अमरीका, इसमें दस गणतन्त्र हैं । इस प्रकार हम सारे प्रदेश में बीस गणतन्त्र हैं । बाह्य शक्तियों द्वारा प्रशासित द्वीपों को लैटिन अमरीका को परिधि में समाहित नहीं किया जाता है । लैटिन अमेरिका को केवल दक्षिणी अमरीका कहना भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसकी सीमाएँ केवल दक्षिण तक पर्याप्त न रह कर उत्तर में भी प्रवेश कर जाती हैं । इस प्रदेश की भूमि का क्षेत्रफल समुक्त राज्य अमरीका का लगभग तिगुना है तथा अफीना का तीन चौथाई भाग है । यहाँ की जनसंख्या लगभग डेढ़ करोड़ है और समुक्त राज्य अमरीका की तुलना में करीब एक करोड़ अधिक है । यह जनसंख्या बहुत तीव्रगति से बढ़ती जा रही है और यह अनुमान लगाया जाता है कि १९७५ तक यह वृद्ध कर लगभग तीस करोड़ हो जायेगी । यहाँ रहने वालों में भारतीय, स्पेनिश, पुर्तगाली, इटालियन तथा आपसी लोग भी हैं । लैटिन अमेरिका के इतिहास पर दृष्टिगत करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रदेश पर स्पेन तथा पुर्तगाल का भारी प्रभाव पड़ा है । इन राज्यों की उपनिवेशवादी शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था । राजनैतिक एवं आर्थिक स्वतन्त्रता पाने के पक्षपाती यहाँ के राजनीतिज्ञों पर अमेरिकन शक्ति के साहित्य का भारी प्रभाव पड़ा जिसमें स्वतन्त्रता, समानता और मानव अधिकारों पर जोर दिया गया है ।

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद समुक्त राज्य अमेरीका के विचारों एवं राजनैतिक सत्याओं से इन राज्यों ने प्रेरणा एवं मार्ग दर्शन ग्रहण किया किन्तु यहाँ के राजनैतिक विचारकों की यह गलती रही कि इन्होंने उत्तरी अमरीका के स्थित लिखित संविधान सरकार का गणतन्त्रात्मक रूप आदि सत्याओं के सफल संचालन को तो देखा और यह आशा भी की कि इनके अपनाने पर स्थिरता एवं सम्पन्नता प्राप्त की जा सकती है किन्तु उन्होंने यह नहीं देखा कि क्या उनके देश में इन सत्याओं को अपनाने योग्य अनुकूल परिस्थितियाँ हैं । हमारा परिणाम यह हुआ कि गृह युद्ध छिड़ गया तथा अनेक लैटिन अमरीकी राज्यों को स्वतन्त्रता, तानाशाही और गरीबी आदि अभिशापों की सामना करना पड़ा । बीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक ब्राजील, चिली और अर्जेन्टाइना (Brazil, Chile and Argentina) ही तीन ऐसे राज्य थे जहाँ राजनैतिक स्थिरता एवं प्रजातन्त्रात्मक सत्याओं ने विकास की आशाएँ की जाने लगी । बाद में कोलम्बिया (Colombia), कोस्टारिका (Costa-rica), मैक्सिको (Mexico), यूराग्वे (Uruguay) आदि राज्य भी इस श्रेणी में आ गये । अर्जेन्टाइना तथा ब्राजील में तानाशाही शासन था गया किन्तु १९५६ में वहाँ पुनः प्रजातन्त्रात्मक सत्याओं का जन्म होने लगा ।

मैक्सिको में एक दलीय व्यवस्था के साथ विशेषीकृत प्रजातन्त्र (Qualified Democracy) को अपनाया गया। यूरुग्वे (Uruguay) को लैटिन अमेरिका में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथा विकासशील प्रजातन्त्र वाला देश माना जाता है।

लेटिन अमेरिका से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

(Latin America at Home)

लेटिन अमेरिका के राज्यों की स्थित भिन्नताय तथा अन्य प्राकृतिक बाधाये अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनको प्रभावशाली होने से रोकती हैं। इस प्रदेश के राज्यों में आपस में झगडा बना ही रहना है। अधिक झगडे सीमाओं के प्रश्न को लेकर होते हैं। इनके अतिरिक्त रबर, तेल आदि प्राकृतिक साधन भी सघर्ष का कारण बन जाते हैं। इन राज्यों ने अब तक आपस में तीन बड़ी लडाइया लड़ी हैं —

(१) पैरागुआयन युद्ध (Paraguayan war 1865—1870)

(२) प्रशान्त का युद्ध (The war of Pacific 1879—1883)

(३) चाको युद्ध (The Chaco War 1932 — 1935)

ब्राजील की सीमाओं से आठ राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। इन सभी के साथ ब्राजील का नामा सम्बन्धी विवाद था किन्तु उसने युद्ध की अपेक्षा इसको धीरज तथा कूटनीति से मुलजता लिया। सैद्धान्तिक आधार पर इन राज्यों के बीच मतभेद प्रायः नहीं होते। व्यापारिक मतभेदों के परिणामस्वरूप परस्पर सहयोगपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना कर ली जाती है। दक्षिण अमेरिका की दो बड़ी शक्तियां अर्जेन्टाइना तथा ब्राजील के बीच कोई प्रतिस्पर्धापूर्ण अर्थ व्यवस्था नहीं है तथा इन दोनों के सम्बन्ध सामान्य हैं। वैसे कुल मिलाकर लेटिन अमेरिकी राज्यों के आपसी सम्बन्ध अधिक खराब नहीं रहे हैं। उनका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध प्रायः शान्तिपूर्ण रहे हैं। इन राज्यों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध नहीं हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लेटिन अमेरिका

(Latin America in International Field)

संसार के अन्य राष्ट्रों में लेटिन अमेरिका का सबसे अधिक तथा गहरा सम्बन्ध अद्यतन राज्य अमेरिका से है। यहाँ के राज्यों की दृष्टि में अमेरिकन दुनिया की एक शान्तिकारी शक्ति एवं स्वतन्त्रता का प्रतीक था और इसलिए यह तत्कालीन उपनिवेशवादी शक्तियों के लिए एक भारी खतरा था। लेटिन

अमरीका के राज्यों का उनके स्वतन्त्रता आन्दोलनों में यू० ए० ए० द्वारा पूरा समर्थन प्रदान किया गया। इस समर्थन के पीछे उक्त हित निहित था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इन राज्यों को मान्यता प्रदान करने वाला सर्वप्रथम देश संयुक्त राज्य अमरीका था। १८२२ में मुनरो सिद्धान्त द्वारा पवित्र सन्धि (Holy Alliance) को सन्धियों को नई दुनिया में उन्मिषेय बनाने के विरुद्ध चेतावनी दे दी गई तथा अमरीकी राज्यों के मामले में किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप को सहन न करने की बात कही गई। लेटिन अमेरिका के राज्यों में इस सिद्धान्त के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया हुई।

औपचारिक रूप से निष्पक्ष रहते हुए भी संयुक्त राज्य अमेरिका इन नवीन राष्ट्रों का सबसे प्रमुख बाहरी मित्र (Outside Friend) था। १९०४ में यू०ए०ए० ने पनामा के साथ हे-बुनाउ-वरीला (Hay-Bunau-Varilla) की संधि की जिसके अनुसार नहर की रक्षा के लिए वह देश राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था। इस प्रकार संरक्षित राज्यों (Protectorates) का समय प्रारम्भ हुआ। डोमोनिकन गणराज्यों को १९०५ से १९२४ तक अधिकार में रखा गया। निकारा गुजा, हैटी (Haiti) आदि पर यू०ए०ए० का भरपूर प्रभाव बना रहा। यू०ए० ने अमरीकी सहयोग से स्वतन्त्रता प्राप्त की थी अतः उसे भी स्वतन्त्रानुसार जीवन व्यतीत करने की अनुमति न थी गई। इन चार राज्यों पर अमरीका का सैनिक प्रभाव रहा। बुइरो विलसन के समय अमरीकन भ्रातृत्व की भावना का विकास हुआ तथा संरक्षित अमरीकन साम्राज्यवाद का पतन होने लगा और सन्धि पक्षियों के से सम्बन्धों की सृष्टि हुई। फ्रैंकलिन डी० रूजवेल्ट (Franklin D. Roosevelt) के राष्ट्रपति बाल में लेटिन अमरीका के राज्य हैटी (Haiti) पर से अमरीका के अन्तिम प्रभाव को भी हटा लिया गया। इसके बाद इन दोनों के बीच परस्पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का जन्म होने लगा। रूजवेल्ट के राष्ट्रपति काल में पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा, सम्पन्नता एवं सद्भावना की दृष्टि से अनेक कार्य किये गये। अमरीका में भ्रातृत्व के भाव विकसित करने के लिए अनेक सम्मेलन हुए। स्टुअर्ट (Graham N. Stuart) के शब्दों में "राजनैतिक क्षेत्र में पूर्ति करने के लिए अमेरिकन भ्रातृत्व के सम्मेलनों का इकट्ठा गणतन्त्रों के बीच उपयोग के अन्वितरणों के रूप में उपयोग किया गया।"

आईजनहावर (Eisenhower) प्रशासन में यू० ए० ए० द्वारा लेटिन अमेरिका के राज्यों को काफी तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। संयुक्त राज्य अमरीका के निरुत्तम पड़ोसी तथा घनिष्ठ सम्बन्धी होने के कारण लेटिन अमेरिका के राज्यों का इसके लिए बहुत महत्व है। इन राज्यों

मे साम्यवाद का प्रसार स्वयं यू० एस्० ए० की सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन जायेगा। इसी आधार पर राष्ट्रपति केनेडी द्वारा क्यूबा के प्रश्न पर दृढ़ निर्णय लिया गया था। क्यूबा में साम्यवादो सैनिक चोकिया स्थापित हो जाना अमरीका के हिन्दी एव सुरक्षा पर एक गहरा श्राघात था, इसका विरोध करने के लिए अणु द्वाशो के प्रयोग तक की चुनौती दे दी गई।

जहाँ तक लेटिन अमरीका के राज्यों तथा योरोप के देशों के सम्बन्ध का प्रश्न है इस पर यह कहा जाना है कि प्रारम्भ से ही योरोप के देशों ने यहाँ उपनिवेश बना रखे थे। इन राज्यों ने स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने के बाद योरोप की शक्ति राजनीति में बहुत कम भाग लिया किन्तु रिगत दोनों ही महायुद्धो मे इनका सश्रिय सहयोग रहा है। यहाँ के अधिकांश राज्यों पर स्पेन की सत्कृति का स्पष्ट प्रभाव पडा है अतः स्वतन्त्रता के बाद स्पेन के साथ इनके सम्बन्ध गहरे ही गये। स्पेन मे फ्रांको शासन के प्रति लेटिन अमेरिका के राज्यों मे मतभेद था इससे ये सम्बन्ध कुछ कमजोर पडे। ब्राजील तथा पुर्तगाल से इनके सम्बन्ध सदा ही मित्रतापूर्ण रहे हैं। यहाँ के राज्यों के फ्रांस के साथ प्रारम्भ से ही अच्छे सम्बन्ध नहीं रहे है किन्तु फ्रांस की सत्कृति का प्रभाव यहाँ बहुत अधिक है। यहाँ की भाषा, साहित्य, कला, फैशन, पहनाव आदि पर फ्रांस का प्रभाव स्पष्ट है। जर्मनी के साथ लेटिन अमरीका के सम्बन्ध प्रायः जाधिक रहे हैं। स्टिलर के साम्राज्य का पतन हो जाने के बाद इन देशों पर नुरा प्रभाव पडा।

निम्न भविष्य मे लेटिन अमरीका के राज्यों का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे महत्व बढ जायेगा। इस सम्भावना के पीछे अनेक कारण हैं, जिनमें से मुख्य निम्न प्रकार से हैं—

- (१) इस क्षेत्र की जनसंख्या तीव्रगति से बढ़ रही है।
- (२) यहाँ कच्चे माल का सबसे अधिक उत्पादन होता है।
- (३) यह अमेरिकन राज्यों के संगठन (OAS) का एक बड़ा भाग है।
- (४) इन प्रदेश के राज्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति में जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं वे अत्यन्त कुशल तथा तीव्र वृद्धि के राजनीतिज्ञ होते हैं।
- (५) ये राज्य समुक्त राष्ट्र मंच, अमरीकी राज्यों के संगठन तथा अमेरिका के संयोग ने ओद्योगीकरण एवं नवीनीकरण करने में लगे हुए हैं।

लेटिन अमेरिका की प्रगति में उक्त आशा के विन्दु के अतिरिक्त मार्ग की अनेक बाधाएँ भी हैं जो इस क्षेत्र के विकास की चाल को धीमा बनाती हैं। ये निम्नलिखित हैं—

(१) इन राज्यों की भौगोलिक बनावट के कारण एक दूसरे के बीच आवागमन के साधन स्थापित करना तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्बन्ध बढ़ाना मुश्किल है।

(२) इस प्रदेश के अधिकांश राज्यों में बहुत समय से राजनैतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार तथा अप्रजातान्त्रिक व्यवहारों का बोलबाला है।

(३) इन राज्यों की अर्थ-व्यवस्था कुछ ऐसी है जिसका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के साथ मेल ही नहीं हो पाता। व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा आर्थिक विकास दोनों से युक्त अर्थ व्यवस्था का इन राज्यों में अभाव है।

(४) इन राज्यों में लोगों की सामाजिक स्थिति बड़ी अत्यन्तोपजनक है, अधिकांश लोग गरीबी तथा अशिक्षा में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रंग भेद की नीति के कारण व्यक्ति की समानता का सिद्धांत त्रियान्वित नहीं हो पाता।

(५) रोमन कैथोलिक चर्च के महत्व के सम्बन्ध में इन देशों में भारी बाध-विवाद है। कुछ कहते हैं कि चर्च को राजनैतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये किन्तु दूसरों का विपरीत मत है। दक्षिण अमेरिका में जब स्वतन्त्रता के लिए युद्ध किया गया था तो चर्च ने स्पेन का समर्थन किया था। यह बात अभी तक इन राज्यों को याद है किन्तु फिर भी चर्च के समर्थक वर्गों के अनुयायी प्रतिशियावादी प्रवृत्तियाँ रखते हैं।

(६) इन राज्यों पर समुक्त राज्य अमेरिका का भारी प्रभाव रहता है और यही प्रभाव के कारण इस क्षेत्र के राजनैतिक एवं आर्थिक जीवन पर अनेक नुकसानदायक प्रभाव पड़ते रहते हैं।

(७) साम्यवाद का प्रभाव इन राज्यों पर धीरे-धीरे बढ़ना जा रहा है। इसके पूर्व यहाँ फासीवादी प्रवृत्तियों का जोर था किन्तु साम्यवाद ने आस्तानी से उसके स्थान को ग्रहण कर लिया क्योंकि—

(i) महा प्रजातन्त्र का बोना पहने हुए फासीवाद है, (ii) यह एक जाति की सर्वोच्चता पर जोर नहीं देता, (iii) यह धर्म पर बाधार्हित नहीं है। स्टुअर्ट का कहना है कि "लेटिन अमेरिका के गणतन्त्र में प्रजातन्त्र की अपेक्षा साम्यवाद के शास्त्रज्ञ अविश्व प्रभावपूर्ण हैं क्योंकि महा विदेशी पूँजीपतियों अथवा राष्ट्रीय राजनीतियों द्वारा जनता का शोषण एक सामान्य बात हो गई है।" लेटिन अमेरिका के साम्यवादी नेताओं पर सन् १९३० से

कॉमिन्टर्न (Comintern) का प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हो गया । ब्राजील, चिली (Chile), अर्जेन्टाइना, मेक्सिको, क्यूबा आदि राज्यों में साम्यवादों ने ज़ात शक्ति प्राप्त करने लगे । ग्वाटेमाल (Guatemala) की विजय लेटिन अमेरिका में साम्यवादियों की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है । इन सभी सफलताओं के बाद भी लेटिन अमेरिका में साम्यवाद का महा-उहा योडा बहुत प्रभाव है, किन्तु इसको पश्चिमी देशों द्वारा कोई गम्भीर चुनौती नहीं समझी जाती । समुक्त राज्य अमेरिका ने अनेक बहुपक्षीय सन्धियों द्वारा लेटिन अमेरिका के राज्यों को हथियार तथा सैनिक निदान भेजे हैं । सभी सदस्यों की सहमति से अमेरिकी राज्यों के संगठन (OAS) ने यहा साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए अनेक कदम उठाये हैं ।

(८) लेटिन अमेरिका के विकास की सबसे बड़ी बाधा यह मानी जाती है कि यहा के लोगों में सामाजिक चेतना नहीं पाई जाती । इस प्रदेश में अभी तक किसी ऐसे नेतृत्व का जन्म नहीं हुआ है जो सारे प्रदेश का मत अपने साथ कर विश्व राजनीति में उसका प्रयोग कर सके ।

यूरोप के लिए चुनौती

(The Challenge to Europe)

एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका के देशों का उपनिवेशवाद से छुटकारा पाना तथा वहा एक नवीन जागरण की उपस्थिति यूरोप के अविश्वस्य देशों के लिए एक चुनौती बन गया है जिसका सामना करने के लिए इन्हें बाध्य होना पड़ेगा । जैसे माना का सूत्र टूट जाने के बाद उसके शक्तियों की एकबद्धता समाप्त हो जाती है उसी प्रकार इन महाद्वीपों एवं प्रदेशों में से साम्राज्यवाद के विस्तार बाध जाने के बाद इनके बीच अनेक प्रकार के झगड़े तथा उपद्रव पैदा हुए हैं । उपनिवेशवादी शक्तियाँ जब उनके विस्तार की सीमा पर पहुँच गईं तभी उनकी महानता की भी सीमा रेखा आ गई । ठीक उसी प्रकार जैसे कि जब समुद्र में ज्वार आता है और वह बहुत ऊँचा उठ जाता है तब उसमें भाटा आना प्रारम्भ होता है । मॉर्गेंथौ (Morgenthau) का कहना है कि 'यूरोपीय राष्ट्रों का राजनैतिक एवं आर्थिक क्षय ही उपनिवेशी शक्ति का कारण तथा बहुत कुछ इसका परिणाम रहा है ।' यूरोप की शक्तियों का पतन उपनिवेशों के लिए शक्ति और प्रेरणा का एक स्रोत बन गया । द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने यूरोप की प्रमुख शक्ति को हरा दिया तो उपनिवेशों में आत्मविश्वास की चिनगारी सुलगी और यह चिनगारी बढ़ते-बढ़ते एक सफल अथवा प्रभावशील शक्ति के रूप में बदल गई । ग्रेट ब्रिटेन ने स्वेच्छा से ही बर्मा, लद्दा, पाकिस्तान, भारत और

भिन्न को आजाद कर दिया। फ्रांस ने इन्डोनाइया में तथा ब्रिटेन ने मलाया में कब्जाई लड़ी थी इसका कारण यह नहीं है कि वे वहाँ की सत्ता अपने पास रखना चाहते थे वरन् यह है कि वे सत्ता को मनचाहे हाथों में सौंपना चाहते थे। उपनिवेशों शान्ति से, जो योरोप की कमजोरी की उपज है, योरोप और भी अधिक कमजोर बना दिया। आधुनिक काल तक योरोप को एक बड़ी शक्ति माना जा रहा है इसका प्रमुख कारण यह है कि इसने रणयुक्त जातिधर्मों पर आधिपत्य जमा रखा था। तकनीकी, आर्थिक तथा सैनिक दृष्टि से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देशों से भिन्न था और इसी आधार पर उसने यहाँ शासन किया। किन्तु आज यह अन्तर न के बराबर रहता जा रहा है तथा अब योरोप की शक्ति का सैनिक, आर्थिक, राजनैतिक स्रोत सूखता जा रहा है जिसके कारण वे सस्या, स्थान तथा प्राकृतिक साधनों की कमी से उत्पन्न हीनता की भावना को दबा सकते थे।

जैसा कि अन्य सभी शान्तिधर्मों द्वारा किया जाता है उपनिवेशों की इस शान्ति का आधार नैतिक है तथा यह पश्चिमी राष्ट्रों के सामने एक नैतिक चुनौती प्रस्तुत करती है। एशिया के द्वारा जो नैतिक चुनौती दी गई है वह एक प्रकार से पश्चिमी विचारों की विजय है। यह दो नैतिक सिद्धान्तों के मधीन आगे बढ़ती है; ये हैं—राष्ट्रीय आत्म-निर्णय तथा सामाजिक न्याय। योरोप के देशों में जब एशिया के देशों में पदार्पण किया तो वे अपने साथ केवल तकनीकी ज्ञान तथा राजनैतिक सस्या ही लेकर नहीं आये थे वरन् राजनैतिक नैतिकता के सिद्धान्त भी उनके साथ थे। पश्चिम ने ही अपने उदाहरण प्रस्तुत करके एशिया के लोगों को स्वतन्त्रता के लिए लड़ना सिखाया। पश्चिम ने यहाँ एक मंत्र फूका कि गरीबी तथा दुःख ईश्वर प्रदत्त नहीं है किन्तु मनुष्यकृत है तथा इनको प्रयास करके दूर किया जा सकता है। आज एशिया तथा अफ्रीका के देश पश्चिमी नैतिक मापदण्डों के आधार पर ही उनकी वर्तमान राजनैतिक एवं आर्थिक नीतियों के विरुद्ध शान्ति कर रहे हैं तथा इनको दुरा-मला कह रहे हैं।

एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका के नव जागरण से पश्चिमी देशों को जो चुनौतियाँ प्राप्त हुई हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण साम्यवाद के प्रसार को माना जाता है। इन महाद्वीपों में साम्यवाद के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है तथा ये देश इसके सुभावने आश्वासनों की ओर बड़ी शीघ्रता से आकर्षित होते तथा हो सकते हैं। इन देशों का आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विकास करने के लिए अनेक कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए पश्चिमी शक्तियों को यथाशक्ति

सहयोग देना होगा, ऐसा करके ही वे इन क्षेत्रों से साम्यवाद को अलग रख सकते हैं। इस प्रकार एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में परिषदी राज्यों के हित अटक रहे हैं। इन महाद्वीपों में विकासाशील देशों की आवाज का महत्व एवं प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। मस्युम राष्ट्र सभ में इनकी दृष्टि अधिक सज्या है कि उनके मत की अवज्ञा नहीं की जा सकती। परिवर्तन के देशों के इन महाद्वीपों के निवासियों ३ प्रति अपने पूर्ण दृष्टिकोणों में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन करना है। आवश्यकता यह है कि वे इन देशों के विकास कार्यों में पर्याप्ततः प्रत्येक प्रकार की सहायता करें, इनके साथ समानता का व्यवहार करें तथा अपनी सर्वोच्चता की भावना का परिष्कार करके महा के लोगों के मत, आशा एवं महत्वाकांक्षाओं का आदर करना सीखें।

सोवियत संघ का उदय और उसकी विदेश नीति

(RISE OF SOVIET UNION AND ITS FOREIGN POLICY)

१९१७ की शान्ति के फलस्वरूप जो सोवियत व्यवस्था स्थापित हुई उसके कुछ ही महीनों बाद सत्कार के पूजोवादी राज्यों ने मिल कर रुस के नवीन शासन का गला पोटने और उनका नामोनिशान मिटाने के विपुल प्रयास किये। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में यह एक अद्वितीय घटना थी। यदि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना पूजोवादी राज्यों की ओर से नहीं हुई होती तो सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत राष्ट्र की नीति आज कुछ दूसरी ही होती। इनमें कोई समझ नहीं कि सोवियत व्यवस्था की तथा-रूषित कठोरता और सोवियत परराष्ट्र नीति में सका तथा समझ के सर्वो के लिए पूजोवादी राष्ट्र ही एक बहुत बड़े असा तक उत्तरदायी हैं। पर प्रश्न यह उठता है कि जातिर परिचयों पूजोवादी राष्ट्रों ने इस प्रकार की नीति का माध्यम क्यों लिया? इन नीति का माध्यम उन्होंने इसलिए लिया कि १९१७ की शान्ति सम्मेलन प्रयुक्तता के मिटाने को एक शांतिशाही चुनौती थी, क्योंकि सोवियत रुस ही नई व्यवस्था प्रवृत्ति और उद्देश्यों में अन्तर्राष्ट्रीय थी जिसका उद्देश्य समाजवाद के एक ऐसे नये धरा का प्रारम्भ करना था जो पूजोवादी राष्ट्रों की कद्र पर अपना अधःपतन गढ़ा कर सके। पश्चिमी राष्ट्रों के लिये इस प्रकार का कोई भी उद्देश्य एक सुली चुनौती थी जिसका मुकाबला करना वे अग्रे हित के लिए आवश्यक समझते थे।

स्पष्ट है कि नवोदित सोवियत सरकार चारों तरफ से आन्तरिक और बाह्य खतरों से घिरी हुई थी। रुस के उन्मूलन साम्प्रदायी शासन की सबसे

बड़ी कामना यही थी कि सत्तार के अन्य राज्य सोवियत रूस को अपनी नीति के अनुसार अपने देश का निर्माण करने और प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिये स्वच्छन्द छोड़ दे। किन्तु जब साम्यवादी शासकों ने पाया कि पूँजीवादी राज्यों को जब भी मौका मिलेगा वे परस्पर मिल कर या अकेले ही सोवियत सभ का सर्वनाश करने से बाज न आयेंगे तो उन्होंने एक ऐसा मार्ग ग्रहण किया कि रूसी सकटापन्न विकास के पुराने सिद्धान्तों अर्थात् आत्मरक्षा और सुरक्षा की नीति को और वापिस लौटा जाए और पश्चिमी प्रभाव से मुक्त देशों के साथ संधिया की जाए।

अपने उन्नोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए सोवियत शासन ने इस कहावत को सिद्ध किया कि "राजनीति वैश्या की तरह अनेक रूप बदलने वाली होती है।" सोवियत शासकों ने साम्यवादी क्रान्ति से लेकर द्वितीय महायुद्ध के अन्त तक, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सोवियत कूटनीति को अनेक रूप दिये।

७ नवम्बर, १९१७ की बोलशेविक क्रान्ति के बाद सोवियत कूटनीति द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने तक विभिन्न अवस्थाओं में से होकर गुजरी।

प्रथम अवस्था (१९१७-१९२१) पश्चिमी राष्ट्रों के साथ उग्र विरोध और समस्त विश्व में साम्यवादी क्रान्ति का प्रसार करने की थी। सोवियत शासन के प्रारम्भिक ४ वर्ष केवल अपने अस्तित्व को कायम रखने के उस सघर्ष में व्यतीत हुए जो रूसी इतिहास का सम्भवतः समाज से अधिक निराशापूर्ण सघर्ष था जिसमें अन्ततः ट्रॉट्स्की द्वारा सगठित लाल सेना साम्यवादी शासन को स्थायित्व प्रदान करने में सफल हुई।

द्वितीय अवस्था (१९२१-१९३४) रक्षात्मक पार्श्वक (Defensive Isolation) की थी। इस काल में रूस ने आत्मरक्षा की दृष्टि से विभिन्न शक्तियों के साथ संधिया सम्पन्न की, उनसे व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाये और दूसरे देशों में साम्यवादी प्रचार करना कम कर दिया। इस अवस्था में वह सामान्यतः पश्चिमी देशों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग रहा और राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी उसने ग्रहण न की। इस अवधि में यद्यपि रूस ने पूँजीवादी राज्यों से समझौते करने की नीति का अनुसरण किया, परन्तु कोमिन्टर्न द्वारा अन्य देशों में साम्यवादी क्रान्ति फैलाने के प्रयत्नों के कारण पश्चिमी राज्य रूस को अविश्वास और सन्देह की दृष्टि से देखते रहे। इसीलिए समुक्त राज्य अमेरिका १९३३ से पूर्व रूस को वैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए उद्यत नहीं हुआ। किन्तु रूस की अधिक समय तक उपेक्षा करना सम्भव न था। रूस अब कोई सामान्य शक्ति नहीं रह गया

था। वह अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक में एक महान् शक्ति के रूप में उदित हो चुका था। अब जब रूस ने अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो उसने सोवियत संघ को मान्यता प्रदान करने की दिशा में प्रयत्न शुरू कर दिये। नवम्बर में विश्व-अर्थ-सम्मेलन (१९३३) के अवसर पर सर्वप्रथम अमेरिकन प्रतिनिधि विलियम बुल्डि और रूसी प्रतिनिधि लिटविनोव को मुलाकात हुई। इनके बाद दोनों देशों के मध्य एक सन्धि सम्पन्न हुई जिसके द्वारा दोनों सरकारी ने एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता की सुरक्षा का और विरोधी प्रचार करने वाले दलों के दमन का बचन दिया। रूस ने अमेरिका की यह बात मान ली कि अपने देश में आने वाले अमेरिकन यात्रियों को वह धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करेगा। इस सन्धि का यह अनिवार्य परिणाम हुआ कि रूस की साम्यवादी सरकार को सत्ता की सभी महान् शक्तियों ने स्वीकार कर लिया।

तीसरी अवस्था (१९३४-१९३८) के काल में रूप राष्ट्रीय संघ का सदस्य बना और भाष ही उसने पश्चिम के साथ सहयोग करने की नीति का आश्रय लिया। राष्ट्रसंघ में प्रवेश के बाद मई, १९३५ में रूस ने अपने पिछले सभी मतभेदों एवं झगड़ों को भुलाते हुए फ्रांस के साथ पारस्परिक सहायता का १८६४ जैसा सैनिक समझौता किया। इसके बाद पोलैण्ड तथा बाल्टिक राज्यों के साथ भी मास्को ने अनाकण्ण समझौते किये तथा टर्की और ग्रेट ब्रिटेन से घनिष्ठता बढ़ाई। १६ मई, १९३५ को चेकोस्लोवाकिया के साथ भी उसकी सन्धि हुई। इस तरह रूस ने फ्रांस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से नाजी आक्रमण के विरुद्ध संघ का संगठन सुदृढ़ किया। मार्च, १९३६ में ब्राह्म मंगोलिया के साथ एक पारस्परिक सहायता सन्धि की गई जिसका उद्देश्य आन्तरिक मंगोलिया में जापान के प्रवेश को रोकना था। इस समय तक रूस पर्युन एक विशाल शक्ति सम्पन्न देश बन चुका था।

इन सभी समझौतों और सन्धियों से रूस की स्थिति पर्याप्त रूप से दृढ़ हो गई। इस समय रूसी साम्यवादी नीति ने एक और भी नया क्रान्तिकारी मोड़ लिया। देश तथा विदेश दोनों में १९३४-३५ में "कॉमिन्टर्न" (Comintern) में यथायक एक उबाल उठा। विश्व क्रान्ति की नीति के प्रतिकूल रूस ने पारश्चात्य लोकतन्त्रीय राज्यों में साम्यवादियों को फासिस्ट शासन का विरोध करने वाले बुजुर्गों, दलों-उदारवादी, समाजवादी आदि के साथ मिल कर संयुक्त मोर्चा (United Front) बनाने को कहा। फलस्वरूप अब प्रत्येक देश के साम्यवादी दलों ने अन्य प्रगतिशील तत्वों के साथ फासिस्टवाद के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा स्थापित किया। वास्तव में रूसी विदेश नीति में यह एक बिल्कुल नया परिवर्तन था क्योंकि जो समाजवादी, उदारवादी आदि उपरोक्त सभी दल "पू जोवाद" के विरुद्ध "कहे जाते थे, वे १९३४ के

वाद जब "साम्राज्यवाद के विरुद्ध किये जाने वाले अभियान में बहुमूल्य सहयोगी" समझे जाने लगे ।

१९३४ से १९३८ तक सोवियत रूस ने पश्चिमी देशों के साथ सहयोग और मैत्री की नीति तो अपनाई, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से रूस और पश्चिम के मध्य कोई वास्तविक मित्रता स्थापित न हो सकी । हा, पश्चिमी जनतन्त्र अवस्था ही फासिज्म को साम्यवाद के विरुद्ध तथा साम्यवाद को फासिज्म के विरुद्ध करने की अपनी युक्तियों में सफल हुआ और फासिज्म का हर स्थान पर विरोध करना रूसी नीति का एक मुख्य विषय बन गया । रूस अब पश्चिमी देशों के मैत्री सम्बन्धों पर टिप्पणियाँ करत हुए शुमैन (Schuman) ने ठीक ही लिखा है "इस उद्वेग-पूर्ण मैत्री भाव में पारस्परिक विश्वास का अभाव था ।" वास्तव में पश्चिमी राष्ट्रों का विश्वास था कि रूस का उद्देश्य अन्तिम रूप में पूँजीवाद का विनाश करना है । इसलिए उसकी मित्रता केवल एक दिखावा मात्र है । परिणामतः वे फासिस्ट शक्तियों को साम्यवाद विरोधी तत्व समझकर बढ़ावा देने की नीति पर चलते रहे । ऐसे तीन प्रमुख अवसर आये जब पश्चिमी राष्ट्रों की नीति से स्पष्ट हो गया कि वे बोडे वक्त में रूस का साथ देने को तैयार नहीं हैं, उन्हें रूस पर विश्वास नहीं है और फासिस्ट आक्रमणों को रोकने की अपेक्षा उन्हें रूसी साम्यवाद को रोकने में अधिक दिव्यता है । पहला अवसर इटली-एथियोपिया युद्ध था । इसमें रूस ने राष्ट्रमण्डल के माध्यम से मुसोलिनी के वर्चस्व आक्रमणों में आदिश प्रवासा की रक्षा का भरसक प्रयास किया लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने एथियोपिया तथा राष्ट्रमण्डल की बलि देकर भी मुसोलिनी की रक्षा की । दूसरा अवसर स्पेनिश गृहयुद्ध का था । इस अवसर पर रूस ने स्पेन की जनतन्त्रीय सरकार को सहायता भेजी और एंग्लो—फ्रेंच सरकारों से भी फासिस्टवादी फ्रोंटों को सहायता ली । स्टालिन ने अपने वक्तव्यों से हम बात का स्पष्ट आभास दे दिया कि रूस को पश्चिमी शक्तियों से सहयोग की आशा करना पूरी भ्रम-भरी चिन्ता थी ।

चौथी अवस्था (१९३८-१९३९) में रूस ने पश्चिमी राष्ट्रों से घृणक रहने एवं सकटपूर्ण पार्थक्य (Dangerous Isolation) की नीति अपनायी । यह स्वाभाविक भी था क्योंकि पश्चिमी शक्तियों के राजनीतियों ने इस समय तक रूस को न केवल अपने कंधे से निकाल बाहर किया था, बल्कि पश्चिम की ओर की सोवियत कूटनीतिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को बान्ध से उखाड़ दिया था, सितम्बर, १९३८ के म्यूनिख के समझौते के बाद ही रूस ने बस्तुतः अपने आस-पास सड़क-पथ स्थिति में पाया । रूस का कोई विश्वासपात्र मित्र नहीं था । फ्रांस पर अब कोई विश्वास नहीं किया जा सकता था और ब्रिटेन

का मास्को की अपेक्षा बर्लिन की ओर अधिक झुकाव था। इस इस बात की मली भाति भाप चुका था कि पश्चिमी शक्तिशाली जर्मनी को इस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रही है। जब इस पश्चिमी की तरफ से निराशा हो गया तो उसने अपनी आत्म-रक्षा के धुरी राष्ट्रों की मंत्री के प्रयास सेज कर दिये और अगस्त, १९३६ में जर्मन सोवियत अनाक्रमण समझौता हो गया। पश्चिमी राष्ट्रों के लिए सोवियत अक्रमण समझौता एक चतुर्पात के समान था। उन्होंने यह आरोप लगाया कि "यह समझौता पश्चात्प लोकरुतन्त्रों के साथ उनके मंत्री का विश्वासपात, शांति के मोर्चे का विघटक और सोवियत कूटनीति के दुरूपन का परिचायक है। उसने यह समझौता इसलिए किया है कि इसके परिणामस्वरूप पश्चिम और जर्मनी प्राणान्तक सघर्ष में जुड़कर लीन हो जाए तथा सशर में साम्यवाद की प्रभुता स्थापित हो सके, इस को पोलैण्ड के तथा बाल्टिक राज्यों के प्रदेश प्राप्त हो सकें। परन्तु इस प्रकार के आरोप लगाते समय पश्चिमी राष्ट्र यह भूल गये थे कि वास्तव में ऐसे किसी भी समझौते के लिए वे स्वयं उत्तरदायी थे। वे बार-बार जर्मनी को एक साम्यवाद विरोधी शक्ति मान कर प्रोत्साहित कर रहे थे और उसे सोवियत इस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। विश्वासपात का आरम्भ उन्ही के द्वारा हुआ था।

यद्यपि इस ने जर्मनी के साथ अनाक्रमण समझौता कर लिया, तथापि यह जर्मनी के इरादों को भाप कर उसके विरुद्ध अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए निरन्तर तैयारी करता रहा। सितम्बर, १९३६ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। इस महायुद्ध के आरम्भ में तटस्थ बना रहा किन्तु अपनी सम्पूर्ण कूटनीतिक सावधानियों के बाद भी वह जून, १९४१ में अपने ऊपर जर्मनी के आक्रमण की नहीं रोक सवा। इस आक्रमण में समस्त धुरी राष्ट्रों की मानव शक्ति और स्रोत कार्य कर रहे थे। ऐसी रिषति में अन्तर्राष्ट्रीय रगमञ्च के अग्निनेताओं के रूप में सोवियत नेताओं ने अपनी पोशाक बदली और अब वे नाजो जर्मनी के सहायक न होकर राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ बन गए तथा प्रजातन्त्रात्मक ब्रिटेन का समर्थन करने लगे। १३ जुलाई १९४१ को सोवियत इस और ब्रिटेन ने एक पारस्परिक सहायता समझौता किया जो मई, १९४२ में औपचारिक आल-सोवियत संधि के रूप में परिणत हो गया। २४ सितम्बर, १९४१ को सोवियत सभ ने अटलांटिक चार्टर को स्वीकार करते हुए यह घोषणा की कि सोवियत संघ अपनी विदेश नीति को राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धान्त द्वारा निर्देशित करता था और करता है। यह प्रत्येक देश की स्वतन्त्रता व प्रादेशिक अखण्डता के अधिकार की रक्षा करता है तथा उसके इस अधिकार को मानता है कि यह अपने उपयुक्त सामाजिक

व्यवस्था एव सरकार का रूप निश्चित कर ले। १ जनवरी, १९४२ को सोवियत रूस ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करके धुरी राष्ट्र विरोधी संधि में औपचारिक रूप से आगे आगो मिलाया।

जर्मन प्रचार न रूसी आक्रमण को बोल्शेविज्म के विरुद्ध समस्त यूरोप का संघर्ष बताया। अधिष्ठित रूस एन पूर्वी यूरोप में जर्मनी की नीति केवल साम्यवाद विरोधी नहीं थी बरन वह रूस विरोधी भी थी। इसके कारण साक्षिप्त नवाभो का साम्यवाद एव रूसी राष्ट्रवाद में एकता स्थापित करनी पनी। रूस ने मार्क्सवाद तथा अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के प्रचार को घटा कर रूसी तथा राष्ट्रवादी प्रचार की मात्रा को बढ़ा दिया। इस प्रकार द्वितीय साम्राज्यवादी युद्ध को सोवियत रूस न प्रचार द्वारा महान् देशभक्तिपूर्ण युद्ध के रूप में परिणत कर दिया। युद्ध की दशभक्तिपूर्ण प्रकृति को सिद्ध करने के लिए औपचारिक रूप से कमिन्टर्न को मई १९४३ में समाप्त कर दिया गया और इसके कर्तव्य सोवियत साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के विदेशी विभाग को सौंप दिए गए। युद्ध के समय संधि ने भी साम्यवादी सरकार को राष्ट्रवाद के नाम पर समर्थन प्रदान किया। इन सब घटनाओं से सोवियत सरकार की नीति और तकनीकी ने क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिए और यह समझा जाने लगा कि अब यह नाति अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन की अपेक्षा राष्ट्रवादी आन्दोलन की ओर मुड़ गई है।

युद्ध के सोवियत लक्ष्य (The Soviet War Aims)

सोवियत संधि द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता था और उसे क्या मिला, इन दोनों के बीच सम्बन्ध देवना जटिलत पठित है, क्योंकि सोवियत राजनीति में उसक उद्देश्यों का पता लगाना असम्भव प्रायः है। युद्ध के दौरान सोवियत सरकार द्वारा प्रचार के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम अपनाया गया ही ऐसा दिखाई नही देना। साक्षिप्त संधि के युद्ध के लक्ष्यों को इसर संनिह और कूटनीतिक कार्यों द्वारा ही जाना जा सकता है। कई एक पयवशकों का कहन है कि सोवियत नेता जारगाही साम्राज्यवादी लक्ष्यों से प्रेरित थे। इसका जर्म यह नही है कि वे उनके पद चिन्हों पर हो चल रहे हों। किन्तु फिर भी जारगाही के द्वारा सोवियत रूस के हितों का और जनता की महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया जाता था, इसलिए उसे अपनाया जाना उपयोगी था। रूस ने युद्ध के द्वारा पहले तो उन प्रदेशों को पान का प्रयास किया जा जारगाही ने समय दूबरे देशों द्वारा ले लिए गए थे। सुदूर पूर्व में रूसी आसानी युद्ध में हार के कारण

जारशाही ने अनेक प्रदेशों से अधिकार छोड़ दिया था। एत प्रसारवादी उद्देश्यों के साथ-साथ सोवियत सरकार ने युद्ध से कुछ एक ऐसे लक्ष्य प्राप्त करने की भी चेष्टा की जो जारशाही सरकार द्वारा रखी साम्राज्य के हित में निषेधित किए गए थे किन्तु प्राप्त नहीं किए जा सके। इन उद्देश्यों में पहला यह था कि यूरोप में प्रभाव का क्षेत्र इतना अधिक बढ़ाया जाए कि वहाँ सोवियत विपत्ती और कूटनीतिन सुरक्षित रह सके। दूसरे, काले धागर के दर्रे पर नियंत्रण किया जाए और तीसरे, निकट मध्य एश बुद्ध पूर्व में तथा विश्व में हर जगह सोवियत उद्यम का प्रभाव बढ़ाया जाए, जहाँ भी पभी ऐसा करने के लिए अवसर प्राप्त हों।

प्रत्येक विदेशी साम्यवादी का यह कर्तव्य माना गया कि वह अपने पूरे प्रयास से प्रत्येक सोवियत सैनिक एवं कूटनीतिक का समर्थन करे। ऐसा करते समय यदि उसे अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की अवहलना भी करनी पड़े तो वह पीछे न हटे क्योंकि सोवियत सरकार के लक्ष्य एवं उद्देश्य सर्वोच्च हैं और वह विश्व साम्यवादी आन्दोलन की आत्मा है। वैसे सोवियत नेताओं की विदेशी साम्यवादियों के प्रयासों का अधिक भरोसा एवं विश्वास नहीं था किन्तु फिर भी वे प्रसारवादी कूटनीति को अपनाये रखना चाँहे थे। उनके लिए द्वितीय विश्व युद्ध समी युद्धों को समाप्त करने के लिए एक युद्ध नहीं था बल्कि यह तो एक ऐतिहासिक सोनान था जिससे कि दुनिया साम्यवाद की ओर मुड़ सके। स्टालिन ने युद्ध की प्रकृति पर अपना विचार प्रकट करने हुए कहा कि यह युद्ध अतीतकालीन युद्धों की भाँति नहीं है। इसमें जो क ई भी जिस प्रदेश पर अधिकार कर ले उस पर अरब स्वयं की सामाजिक व्यवस्था की उपाय दोगे। जहाँ तक उनकी सेनाएँ पहुँच सफती हैं वहाँ तक वह अपनी सामाजिक व्यवस्था लागू कर सफता है। स्टालिन का कहना था कि “अब युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और हम पन्द्रह-बीस वर्षों में क्षतिपूर्ति कर पाएँगे और इसके बाद पुन संपर्क हिलेगा।” इस प्रकार सोवियत नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध में यद्यपि विश्व साम्यवाद का प्रचार किया किन्तु उनका मुख्य ध्यान सोवियत रूस की राजनैतिक शक्ति पर था। उन्होंने सवर्गता के साथ अपने सैनिक एवं कूटनीतिक कार्यों को समन्वित किया।

युद्धकालीन सोवियत कूटनीति

(Soviet War time Diplomacy)

दिसम्बर सन् १९४१ में ग्रैंट ब्रिटेन के विदेश सचिव एम्पनी ईडन मारको गए और इस प्रकार सोवियत नेताओं की परिचामी मित्रों के साथ उच्च स्तर के सम्मेलन का प्रथम तबसर प्राप्त हुआ। इस समय लाल सेना ने जर्मनी

के सैनिकों को मास्को के दरवाजों पर रोक ही था किन्तु सोवियत सत्ता का अस्तित्व अब भी सदिग्ध था। फिर भी इस सम्मेलन के दौरान स्टालिन अपनी अन्तिम विजय के प्रति आश्वस्त था। स्टालिन ने इस सम्मेलन में युद्ध के बाद की स्थिति पर विचार करने पर जोर दिया किन्तु यहाँ ईडन ने यह बताया कि ग्रैंट ब्रिटेन सीमा सम्बन्धी प्रश्नों पर युद्ध के बाद ही विचार करने के अमरीकी विचार से सहमत है। मई, १९४२ में जब मोस्तोवोव आन्ध-सोवियत संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए लंदन गए तो उन्होंने पुनः सोवियत भाग को दोहराया किन्तु ग्रैंट ब्रिटेन वाली ने पुनः इसे छानने से मना कर दिया।

सोवियत संधि को यूरोप में बड़ी महत्वाकांक्षायें थी और ग्रैंट ब्रिटेन इनसे पारचित था। स्टालिनवाड के युद्ध के बाद सोवियत सेना पूर्वी क्षेत्र में निष्क्रिय बन गई और अब सोवियत सरकार को सफलता का महान् आश्वासन मिला। उसे विश्वास हो गया कि वह सन् १९४१ की सीमानों को सुरक्षित रख सकता है, चाहे इसे पश्चिमी शक्तियों द्वारा स्वीकार किया जाए अथवा न किया जाए। पश्चिमी शक्तियों की परवाह किए बिना ही पूर्व में राष्ट्रीय यूरोप में उसने अपने प्रभाव का क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया। वैसे वह बराबर यह कहता रहा कि उसकी इच्छा यह है कि पूर्व के राष्ट्रीय यूरोप के राष्ट्र युद्ध के बाद अपनी स्वतन्त्रता और सम्प्रभुता को बनाए रख सकेंगे। सोवियत महत्वाकांक्षों से प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित होने वाला देश पोलैण्ड था। पोलैण्ड की निष्कापित सरकार ग्रैंट ब्रिटेन में रह रही थी। उसका सोवियत संधि के प्रति पर्याप्त कटु अनुभव था क्योंकि इसने सन् १९३९ में पोलैण्ड को नष्ट करने में भाग लिया था। सोवियत संधि ने यह प्रदर्शित किया कि वह युद्ध के बाद पोलैण्ड के समूह में अपना हाथ रखता है और इसके बाद उसने सोवियत सेना के आधीन पोलिश संधि के देशभक्तों को मास्को में जमा किया जो साम्यवादी पोलिश सरकार की तामि का काम कर सकें। इसके अतिरिक्त सोवियत संधि ने चेकोस्लाव, यूगोस्लाव और रमानिया की रिग्रेड भी बनाई जिसमें अधिष्ठित सिपाहियों को भर्ती किया गया। मास्को ने लंदन में किंग पीटर II के आधीन यूगोस्लाव सरकार से घातें जारी रखी। इनके फंरो में जाँजे द्वितीय के आधीन ग्रीकानी सरकार से भी सम्पर्क बनाए रखा। सोवियत संधि ने लन्दन स्थित राष्ट्रपति एडवर्ड वीनस (Edward Venus) के आधीन यूगोस्लाव सरकार से भी मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखे। जुलाई और सितम्बर १९४३ में स्वतन्त्र जर्मनी के लिए राष्ट्रीय समिति और जर्मन मजिस्टारियों का संधि मास्को में निर्मित किया गया। इसका निर्देशन निष्कापित जर्मनों द्वारा किया जाता था किन्तु इनमें जर्मन अधिकारी भी शामिल थे। उस समय सम्पूर्ण

जर्मनी या उसके किसी भाग पर सोवियत सभ के अधिकार के आसार दूर दिखाई दे रहे थे। किन्तु उध समय मास्को में स्थित जर्मन समूहों का तात्कालिक कार्य तो यह था कि जर्मन सिपाहियों को आत्मसमर्पण के लिए समझा कर उनका युद्ध क्षमता एक प्रयासों को बरम किया जाये। भवसर आने पर इनका उपयोग नगना पर सोवियत प्रभाव बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता था।

पश्चिमी मित्र एवं सोवियत नीति

सोवियत नीति के जनतुलन ने पश्चिमी शक्तियों को भ्रम में डाल दिया तथा ये सोवियत लक्ष्यों के वास्तविक रूप का अनुमान नहीं लगा सकी। सोवियत सभ द्वारा जो भी आश्वासन दिये जाते थे उनको प्रारम्भ में अमरीका द्वारा ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाता था किन्तु ग्रेट ब्रिटेन के लोगों को उनके बारे में विश्वास कम था। सोवियत सभ का प्रसार योरोप में होता जा रहा था कि तु उच्च स्तर के अमरीकी कूटनीतियों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अमरीकी सरकार एवं जनता यह मान कर चल रही थी कि युद्ध के बाद पूर्व-केन्द्रीय योरोप में सोवियत सभ का प्रभाव होना ही चाहिए। उन्होंने सोवियत प्रभाव को इन क्षेत्रों में प्रजातन्त्र की स्थापना के विरुद्ध नहीं माना। उनका तर्क था कि यदि ऐसा कुछ होता तो सोवियत सभ द्वारा अडलॉफिक चार्टर एवं समुक्त राष्ट्रों की घोषणा में विश्वास ही क्यों किया जाता। उध समय समुक्त राज्य अमरीका में साम्यवाद एवं सोवियत मामलों के कुछ ही ऐसे जानकार थे जो सोवियत सभ के इरादों को सदेह की नजर से देखते थे। उनका विचार था कि सोवियत सभ द्वारा पश्चिमियों के मित्र होने पर चार दिने जाने के पीछे कुछ रहस्य है और वह सम्भवत यह है कि उसक पड़ोसी भी साम्यवादी देश ही होने चाहिए, क्योंकि लेनिन की दो गुण की विचारधारा के अनुसार पूंजीवादी एवं समाजवादी युद्ध तो कभी मित्र हो ही नहीं सकते और इसलिए एक राष्ट्र सोवियत सभ का दोस्त तभी बन सकता है जबकि वह लाल झंडे के नीचे आ जाय। सामा यन अमरीकी सरकार एवं जनता को सोवियत मैत्री में कोई शक नहीं था और पश्चिमी सामान्य हित के विरुद्ध उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को सौत दिये।

मित्र राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का प्रथम सम्मेलन मास्को में अक्टूबर, १९४६ में हुआ। इस समय अमरीकी राज्य सचिव कॉर्डेल हल (Cordell Hull) एवं ब्रिटिश विदेश मंत्री ईडन (Eden) ने सोवियत एवं पश्चिम सरकारों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया किन्तु कोई सफलता न

मिली। अमरीकी दृष्टिकोण पर इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इसका अतिरिक्त स्टालिन ने काटेल हल को यह कहा कि जर्मनी के साथ युद्ध समाप्त हो जाने पर वह सोवियत सश्रु जापान के विरुद्ध युद्ध में हस्तक्षेप करेगा। सोवियत सश्रु ने अप्रैल १९४१ में जापान के साथ अनाक्रमण सन्धि की थी और इस प्रकार का कार्टे इरादा इस सन्धि का स्पष्ट उल्लंघन था। अर्न्तनिर्ण होने हुए भी यह आश्चर्यजनक बात अमरीकी सैनिक नेताओं को पसंद आया जो जापान के विरुद्ध युद्ध में रत थे। किंतु युद्ध के अन्तिम दिनों तक भी जनरल माइकल प्रशान्त युद्ध में सोवियत सहायता के वायदे को मुलता रहा, साथ ही योरोप में सोवियत प्रसारवादी नीतियों से भी वह निश्चिन्त ही रहा।

तेहरान सम्मेलन

(The Teheran Conference)

तेहरान में २८ नवम्बर से १ दिसम्बर, १९४३ तक तीन बड़े राष्ट्र-अध्यक्षों का प्रथम सम्मेलन हुआ। चर्चिल, रूजवेल्ट एवं स्टालिन ने ईरान की राजधानी में पारस्परिक हित के विषयों पर विचार किया। यह तय किया गया कि ब्रिटेन, अमरीका मिल कर सन् १९४८ में फ्रांस पर आक्रमण करेंगे और जर्मनी के साथ अपना युद्ध समाप्त करके सोवियत सश्रु प्रशान्त महासागर के युद्ध में शामिल हो जायेगा। इस विचारविमर्श में पोलैण्ड का प्रश्न मुख्य बात रहा। चर्चिल ने यह सोचा कि शायद सोवियत सश्रु और पोलैण्ड की सरकारों के बीच समझौता होने में मुख्य बाधा मोन्टियत पोलिश सीमा का प्रश्न है। अतः उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि १९८१ की सीमा को स्वीकार कर लिया जाये और पोलैण्ड को पूर्व में जो क्षति होगी उन पश्चिम में जर्मनी के भागों में पूरा कर दिया जाये। यद्यपि यह प्रस्ताव अटलाण्टिक चार्टर का उल्लंघन था किन्तु पारस्परिक मुविषा के लिए इस अपनाया गया। स्टालिन ने मीमांसा ही इस विचार को अपना लिया किन्तु पोलिश सरकार से मनमुटाव बनाये ही रखा। रूजवेल्ट इस सम्बन्ध में लुप ही रहे। चर्चिल ने एक अन्य कार्यक्रम रखा जिसका अनुसार जर्मनी के लोगों को एगीन द्वीपों (Aegean islands) से निष्कात कर युद्ध की भूमध्यसागर में बढ़ा दिया गया, किन्तु यह कार्यक्रम रूजवेल्ट तथा स्टालिन दोनों ने ही स्वीकार नहीं किया। यह कार्यक्रम अमरुत रहा क्योंकि यह टर्की के सहयोग पर निर्भर करता था। जय पश्चिमोन्तता कैरो में राष्ट्रपति इस्मैल इनोन् (Ismet Inonu) से मिले तो इनोन् टर्की को युद्ध में सहयोग देने, यहाँ पर विरुद्ध जब तक कि युद्ध का फँसला नहीं हो जाये।

राष्ट्रपति बेनेस (Bezes) तेहरान हात हुए माइका गये और ब्रिटिश परामर्श के विरुद्ध भी १३ अक्टूबर, १९४३ को सोवियत संघ के साथ

समझौता कर लिया। वेनस मूल रूप से प्रजातंत्र का समर्थक एवं पश्चिमी राजनीति की ओर झुका हुआ था किन्तु ग्युनिव समझौते में ब्रिटेन व फ्रांस के योगदान से वह नाराज था। इसके अतिरिक्त उसे यह विश्वास हो गया था कि पश्चिमी शक्तियों ने पूर्व-केन्द्रीय योरोप से अपना हाथ खींच लिया है अतः उसने सोवियत संघ के साथ सन्धि करना उपयुक्त समझा। चेकस्लोवाक विदेश मंत्री जान मसेरिक (Jan Masaryk) ने लन्दन में अपने साथियों के सम्मुख इसी भाव को प्रकट करते हुए कहा था कि—“हम थाइलैंड-हाइर के नक्शे में ही नहीं हैं।”

जब चर्चिल ने लन्दन लौटने पर पोलिश सरकार की १९४१ की सीमा का बलिदान करके सोवियत संघ से समझौता करने की बात कही तो पोलिश सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस पर पश्चिमी शक्तियों को यह विश्वास हो गया कि पोलिश सरकार की अशुद्धिमत्ता के कारण ही सोवियत संघ से उसका समझौता नहीं हो पा रहा है। किन्तु सन् १९४८ में घटने वाली घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि वेनस की बुद्धिमत्ता भी उसकी सरकार को बचाने में टपक नहीं हो सकी।

पूर्व केन्द्रीय योरोप पर सोवियत विजय

(The Soviet Conquest of East Central Europe)

जून, १९४४ में मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस पर आक्रमण किया। इस अवसर पर सोवियत सेना १९४१ की सीमा पर पहुँच गई तथा वहाँ से उसने पोलैंड, रुमानिया तथा बाल्टिक राज्यों पर आक्रमण करने का नार्थिंगम बनाया। २२ जून, १९४४ को इसने पूर्वी शक्ति के साथ आक्रमण किया जिसके परिणाम-स्वरूप यह लुबार्ड के अन्त तक विस्टुला (Vistula) तक पहुँच गया। १ अगस्त, १९४४ को सोवियत सेना वार्सा (Warsaw) पहुँच गई तथा वहाँ सोवियत संघ के रेडियो प्रसारण द्वारा जकसाने पर पोलिश शूनिगत सेना जर्मनी के विरुद्ध लड़ खड़ी हुई। फिर भी सोवियत सेना विस्टुला के पूर्वी किनारे पर ही रुक गई तथा विद्रोहियों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया किन्तु पोलिस तथा पश्चिमी सरकारों के प्रयास भी निरर्थक गये। ब्रिटिश तथा अमरीकी जहाज जब आन्तर्गत वार्सा को सामग्री पहुँचाने के लिए जाते थे तो उन्हें सोवियत सेना द्वारा अघिभूत भूमि पर नहीं रकने दिया जाता था। यदि वे रुकते भी थे तो रूसी वायुयान भेदी बन्दूकों के निशाने बन जाते थे।

इस व्यवहार के स्पष्टीकरण के रूप में सोवियत सरकार द्वारा यह लक्ष्य दिया जाता था कि सोवियत हाई कमान्ड ने स्प-कोडल की

दृष्टि से यह निर्णय लिया है कि कुछ समय तक विस्टुला से आगे न बढ़ा जाये। विचारको का कहना है कि यह व्यवहार युद्ध रूप से एक राजनैतिक चाल थी। पार्सो मे जो नेतृत्व उभर रहा था वह साम्यवादी नहीं था और ग्रेट ब्रिटेन स्थित पोलिश सरकार को मान्यता दे रहा था। सोवियत सघ ने मई, १९४४ मे ही मास्को मे प्राविधिक पोलिश सरकार की रचना कर दी थी। अतः वह वार्सा मे पूंजीवादी प्रतिपक्षियों की महायत्ना करने मे कोई रुचि नहीं लेता था। दो माह की अमानवीय लड़ाई के बाद २ अक्टूबर, १९४४ को जर्मनों द्वारा उपद्रवियों को दबा दिया गया।

जब सोवियत सेना पोलैण्ड के विरुद्ध लड़ी थी तो उसने बाल्टिक एवं बल्कान्म की ओर भी अपनी टुकड़ियां भेजना प्रारम्भ किया। जर्मनी के पूर्वी प्रदेश विजयी मित्र राष्ट्रों की ओर मिलने के लिए तैयार ही बैठे थे। ये सम्भवतः पश्चिमी देशों को आरम्भसमर्पण करने की प्राथमिकता देते किन्तु जब सोवियत सेनायें उनके ऊपर आ लदी तो उनके सामने कोई विकल्प ही नहीं था। २५ अगस्त, १९४४ को फिनलैण्ड ने हथियार डाल दिये और दस दिन बाद सोवियत फिनिश युद्ध बन्दी समझौता क्रियान्वित किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार युद्धबन्दी समझौता मुख्य रूप से एक सैनिक परिपत्र होता है जिसका अर्थ यह है कि जब तक शान्ति-वार्ता के बाद समझौता नहीं हो जाता तब तक कोई लड़ाई नहीं होगी। किन्तु सोवियत सघ ने किसी शान्ति सम्मेलन की प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझा और उसने तुरन्त ही फिनलैण्ड तथा जर्मनी के अन्तर् पूर्वोपराज्यों के साथ सम्बन्ध निश्चित करना उचित समझा।

इसी समय रूमानिया ने भी मित्रराष्ट्रों की ओर मिलने का निर्णय किया। रूमानिया की सरकार ने, यह कहा जाता है कि, पश्चिमी शक्तियों से गुप्त समझौता करने का प्रयास किया था किन्तु उन्होंने इसे सोवियत रूस के ही हवाले कर दिया। रूमानिया का प्रतिनिधि मण्डल मास्को गया तथा उसने १२ सितम्बर १९४४ को युद्धबन्दी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। रूमानिया को मह योद्धा का स्तर प्रदान कर दिया गया तथा रूमानिया की सेनाएं मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध के अन्त तक लड़ती रही।

रूमानिया के झुकने के कारण सोवियत सेना दक्षिण में डनुबी (Danube) तथा बल्गारिया की ओर तेजी से बढ़ सकती थी तथा कापेवियन पर्वतमाला को पार करके पश्चिम में हंगरी की ओर बढ़ सकती थी। बल्गारिया ही एवमात्र ऐसा पश्चिमी उपराज्य था जिसने सोवियत सघ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की थी वरन् केवल पश्चिमी मित्र देशों के विरुद्ध

ही युद्ध की घोषणा की थी। कुछ समय तक तो बल्गारिया की सरकार पश्चिमी देशों के साथ अन्तमसमर्पण के लिए गुप्त-वार्ता करती रही किन्तु बल्गारिया ने मित्र राष्ट्रों की सेना नहीं थी अतः वह ऐसा नहीं कर सकती थी। ५ सितम्बर, १९४४ को बल्गारिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके सोवियत सघ ने इस समस्या का समाधान कर दिया। सोवियत सेना ने हनुवी को पार करके बिना किसी विरोध का सामना किये ही देश पर अधिकार कर लिया। २५ अक्टूबर, १९४४ को युद्धबन्दी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बल्गारिया का प्रतिनिधि मण्डल साफ़को गया। बल्गारिया को भी सह योद्धा का स्तर प्राप्त हो गया तथा उसकी सेनाएँ मित्र राष्ट्रों के पक्ष में विल गई।

हंगरी इस दृष्टि में कम सौभाग्यशाली था। रूमनिया, स्लोवाकिया एवं युगोस्लाविया की रीढ़ों के बाव सोवियत सेनाएँ हंगरी पर चढ़ गईं। हंगरी की सरकार एडमिरल निवोलस ह्योर्षी के शासन में पश्चिमी मित्रों से सन्धि करना चाहती थी किन्तु उसे भी सोवियत रूस के हवाले कर दिया गया। १५ अक्टूबर को हंगरी ने जर्मनी से अपने मंत्री सम्बन्ध तोड़ने की घोषणा की तथा समर्पण समझौते की बात रही किन्तु जर्मनी वालों ने हंगरी के इस निर्णय को टुकरा दिया। उन्हें नि बुडापेस्ट को घेर लिया तथा ह्योर्षी को बन्दी बनाकर जर्मनी भेज दिया। इसके अतिरिक्त डेनुवे के निकट सुरक्षा की पवित्र तैयार की। अप्रसन्न हंगरी को इटली जैसे भाग्य का सामना करना पड़ा व इसका विभाजन कर दिया गया। जर्मनी की सरकार ने हंगरी के फ़ासीवादी नेता फ़रेन्ज सज़ालसी (Ferencz Szalasi) के नेतृत्व में बुडापेस्ट में एक कठुवृत्ती सरकार की स्थापित की। दूसरी ओर सोवियत सघ ने जनरल बेला मिक्लोस (Bela Miklos) के आधीन डेबेरेसेन (Debrecen) में अन्त सरकार की स्थापना की।

बाद में जनवरी २०, १९५० को हंगरी ने मान्को के साथ युद्धबन्दी समझौता किया जिसके अनुसार हंगरी को म्यूनिख में पूर्व की नीयाएँ प्रदान की गईं तथा उसे क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग तीन सौ मिलियन डालर सोवियत सघ, चेकोस्लोवाकिया एवं युगोस्लाविया को देने थे।

सोवियत सघ ने जब इन उपराज्यों के साथ शान्ति सन्धियाँ की तो पश्चिम से नहीं पूछा गया। यह एक प्रकार से उनकी चेतानि की एक घटना तथा उनके गर्व के लिए गहरी चोट थी। इतने पर भी इन देशों ने मित्र राष्ट्रों की एकता की खातिर इन पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रकार इन सन्धियों को सभी मित्र राष्ट्रों द्वारा किया हुआ मान लिया गया।

उस समय यह कल्पना की गई थी कि ये समझौते केवल अस्थायी प्रकृति के हैं जिनको भावी शान्ति सम्मेलन में परिवर्तित किया जा सकता है। पश्चिमी देशों ने इन उपराज्यों में सोवियत गतिविधियों पर नजर रखने की व्यवस्था की। यह वाय उन्होंने हल्सिंकी युग्नाटेस्ट, सोफिया एवं बुडापेस्ट में रखे गये अपन प्रतिनिधियों के माध्यम से किया। इन प्रतिनिधियों को ऐसा अनुभव हुआ कि मानो सोवियत प्रतिनिधियों से वे पूरक हैं तथा उनकी अवहेलना की जा रही है। सोवियत प्रतिनिधियों को मित्र राष्ट्र युद्धरत्नी आयोगों का सभापति बनाया गया क्योंकि सामान्यतः स्वीडन सिद्धान्त के अनुसार प्रमुख वायित्व उसी देश का माना जाता है जिसने कि एक प्रदत्त क्षेत्र पर विजय प्राप्त की है।

ज्यों ज्यों सोवियत सेना पूर्व-केन्द्रीय योरोप में बढ़ती चली गई त्यों-त्यों उस हत्या, अत्याचार, बलात्कार एवं अमानवीय व्यवहार की चर्चा बढ़न लगी जो सोवियत सेना द्वारा विजित क्षेत्र की जनता पर किया जाता था। इस सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह थी कि सोवियत सेना के सहारे देशों साम्यवादी या तो मास्को से लौटकर अथवा भूमिगत क्षेत्रों से निकाल कर सत्ताधारी बनने लगे। सोवियत शक्ति द्वारा इस काम में इनकी पूरी सहायता की जाती थी। अमरीका अभी तक भी इन घटनाओं से एचेज नहीं हुआ था किन्तु थोट रिटिन पर्याप्त उत्सुक बन गया। चर्चिल ने पहले भूमध्यसागर से योरोप पर द्वायमण का समर्थन किया किन्तु अब वह बाल्कन में एड्रियाटिक सागर के शीर्ष पर मित्र राष्ट्रों की सेना रखने पर जोर देने लगा ताकि पूर्व-केन्द्रीय योरोप में सोवियत शक्ति को मर्यादित रखा जा सके। किन्तु जो अमरीकी जनरल भूमध्यसागर में कार्यवाही करन में रचि नहीं लेने थे उन्होंने इस वायत्रम को रण-नीतल की दृष्टि से अनुपयुक्त एवं हल्का बताया। तब यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय इस क्षेत्र में इटली की सेना न केवल आगे थड सची थी वरन् उसे चुरी तरह भार भी लगनी पडी थी। अब चर्चिल ने आइजनहॉवर के मुख्यालय में जाकर यह बात कही तथा इसके पक्ष में तर्क प्रदान किये तो इके (Ike) ने कहा 'नही, वह शीपहर बाद तब नहीं बहता गया और अन्त में भी उसने अग्रजी भाषा के प्रत्येक रूप में नहीं ही बहा।'

चर्चिल का प्रतिशत सिद्धान्त

(Churchill's Percentage Deal)

चर्चिल आशानी से ही हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने सितम्बर १९४४ में द्वितीय क्वेबेक सम्मेलन (Quebec Conference) में राजदेष्ट के

मानने भी इस बात को रखा। इस समय राष्ट्रपति चुनाव की कलझनी में खसल था। माप ही वह साम्यवादी खतरे की अपेक्षा नाजीवाद के सम्भावित खतरे से अधिक परेशान ही रहा था। किन्तु फिर भी उसने इस पर कोई ऐतराज नहीं किया कि चर्चिल अकेला ही स्टालिन के साथ समझौता कर ले। अक्टूबर १९४४ में चर्चिल तथा ईडन मानने लगे। यहाँ उन्होंने पुनः पोलैंड के प्रश्न को मुद्दा नहीं किया। किन्तु तानाशाह अधिक से अधिक नेबल इन बातों पर राजी था कि मन्त्र के पोलों की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए पोलिश सन्धि में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। स्टालिन ने अन्य ब्रिटिश मुद्दों के प्रति अधिक अट्टा रह्य अपनाया। इस अवसर पर चर्चिल ने स्टालिन को प्रतिशत का विचार सुझाया जिसके अनुसार बल्शान में उत्तरदायित्व को प्रतिशत के आधार पर बांटना था। उदाहरण के लिए रूमानिया पर ६० प्रतिशत सोवियत और १० प्रतिशत पश्चिमी प्रभाव रहे, इसी तरह बल्गारिया पर ७५ प्रतिशत सोवियत और २५ प्रतिशत पश्चिमी। यूनान पर ६० प्रतिशत पश्चिमी और १० प्रतिशत सोवियत, यूगोस्लाव पर ५० प्रतिशत पश्चिमी और ५० प्रतिशत सोवियत तथा हंगरी पर भी ५० प्रतिशत सोवियत एवं ५० प्रतिशत पश्चिमी प्रभाव रहे। स्टालिन ने यह प्रस्ताव बिना किसी आपत्ति के ही स्वीकार कर लिया। उत्तरी आट्टोमैटिक में ब्रिटिश के रहने की योजना को भी उसने इसी प्रकार स्वीकार कर लिया।

पर लौटने पर चर्चिल ने पाया कि उसके स्वयं के जनरल पूरी अमंगीरी सहायता के बिना इन कार्यवाही के करने में उत्सुक नहीं थे। उन्होंने यह भी सुझाया कि यह काम फरवरी, १९४५ में पूर्ण उठाना प्रभावनीय नहीं रहेगा। दिसम्बर, १९४५ में उसने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। इस तब देन का एकमात्र फायदा चर्चिल को यह हुआ कि वह यूनान में अपना प्रभाव बढाने में सफल हो सका। अक्टूबर में ब्रिटेन की मैजिक टुकडिया यूनान तथा उनके आगे लक पहुँच गई। दिसम्बर की मारी लडाई में यूनानी साम्यवादियों ने एयन का अधिभार में कर लिया। यद्यपि राजधानी में इनकी हालत गराव कर दी गई किन्तु देहाती क्षेत्रों में साम्यवादियों को नहीं दखाया जा सका और यह गृह संधर्ष क्यों तक चलता रहा। सोवियत सरकार फ्रंट ब्रिटेन के साथ समझौते के परिणामस्वरूप इतनी सीमित रहों कि उसने बाल्कन क्षेत्र में बागे बडना रोक दिया। २१ अक्टूबर, १९४४ को बेलग्रेड की अधिकार में करने के बाद सोवियत नेता बूडापेस्ट की ओर उत्तर में मुड़ गई। जर्मन के लौगो ने हंगरी की राजधानी को अपने अधिभार में करने के लिए भरमरु प्रयत्न किए। दूसरी ओर सोवियत सेना १७ जनवरी, १९४५ की

वासों पर अधिकार कर लिया। वासों और बुडापेस्ट पर अधिकार १२ जनवरी, १९४५ को किए गए अन्तिम सोवियत आक्रमण के भाग थे। बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वासों होती हुई सोवियत सेनाएँ पश्चिम वियना, प्राग, बर्लिन की ओर आगे बढ़ी।

याल्टा सम्मेलन

(The Yalta Conference)

सोवियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति पर याल्टा सम्मेलन ने एक रोक लगा दी जो 'तीन बड़ों' का द्वितीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन में सामान्य सोवियत नेताओं ने उन विजयों की रक्षा का प्रयास किया जो सोवियत सेना प्राप्त कर चुकी थी और उन विजयों के लिए गारन्टी चाही जिन्हें सोवियत सेना प्राप्त कर सकती थी। सोवियत रूस पूर्व-केन्द्रीय यूरोप पर तो अधिकार कर ही चुका था। याल्टा में सोवियत नेताओं की समस्या यह थी कि वे इस प्रदेश में अपने अधिकार पर पश्चिम की मान्यता प्राप्त कर सकें। जहाँ तक अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का सवाल है वह पूर्व-केन्द्रीय यूरोप के भाग की ओर से उदासीन थे और इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत आगा पीछा करके बात मान ली। किन्तु चर्चित ने कई कठिनाइयाँ उत्पन्न कीं। नवम्बर बड़ा प्रश्न तो पोलैंड की समस्या थी जिनमें याल्टा में इन 'तीन बड़ों' का ध्यान केन्द्रित रखा। पोलैंड की सीमाओं के सम्बन्ध में चर्चित सेहरान सम्मेलन में पहले ही यह सुझाव दे चुके थे कि पोलैंड रूस की शक्तियों को पूर्वी भाग में चुनाएगा और पश्चिम में जर्मनी के प्रदेश से इसका भरोसा कर लेगा। अब प्रश्न यह था कि क्षतिपूर्ति की मात्रा क्या हो? सोवियत नेताओं का प्रस्ताव था कि वे आडर-निस्सी पक्ति (Oder Neisse Line) और पूर्वी प्रगा के उत्तरी भाग को अपने लिए सुरक्षित रखेंगे जिसमें कि कोनिसबर्ग भी सम्मिलित है। पश्चिमी नेताओं के मतानुसार कोनिसबर्ग से युवत पूर्वी प्रगा के उत्तरी भाग तक तो बात ठीक थी किन्तु इसके अतिरिक्त और कुछ मागना बहुत अधिक हो जाता। इस प्रश्न पर कोई समझौता नहीं हो सका। ब्रिटेन वालों ने पोलिस सरकार और सोवियत सरकार के बीच समझौता करने वाले प्रयासों को टुकरा दिया और अब वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की पोलिस समिति को मान्यता देने के लिए तैयार थे। यह समिति मास्को में पोलैंड की प्राविधिक सरकार के रूप में मानी गई। ग्रेट ब्रिटेन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस सीमांत में रुन्दन में रहने वाले पोलों के कुछ प्रतिनिधि होने चाहिए। सोवियत नेताओं ने सिद्धान्त रूप से यह बात मान ली। किन्तु ब्रिटेन तथा सोवियत संघ के नेता यह समझौता करने

मे असमयं रहे कि सिद्धान्त को कैसे विशान्वित किया जाए ? इस प्रश्न को आगे अध्ययन के लिए एक विशेष आयोग को सौंप दिया गया जिसमें सोवियत विदेश बमीस्तर एव मास्को स्थित ग्रेट ब्रिटेन के और थपरीकी राजदूत थे।

पूर्व केन्द्रीय यूरोप में श्राटय निराशा का एक अन्य कारण यह था कि वह लन्दन स्थित युगोस्लाव सरकार को समर्थन दे रहा था। इस प्रश्न पर मास्टा सम्मेलन में सोवियन नेताओं ने इसे सुझाया और ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार किया तथा इसके आभार पर मांसल टोटोव और लन्दन स्थित युगोस्लाव प्रधानमन्त्री ईवान सुबासिक (Ivan Subasic) ने समझौता किया जिसमें नई युगोस्लाव सरकार में विभिन्न प्रजातन्त्रात्मक दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व (Token Representation) देने की व्यवस्था की गई। यह सरकार टोटोव के अधीन कार्य करेगी और वहा राजतन्त्र की स्थापना की जाए अथवा गणराज्य की स्थापना की जाए—यह बात जनमत के आभार पर तय की जाएगी।

सामान्य रूप से पूर्व केन्द्रीय यूरोप में स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र की गारन्टी के सम्बन्ध में अमरीका द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि स्वतन्त्र यूरोप के सम्बन्ध में एक घोषणा जारी की जाए जिसके अधीन मिन राष्ट्रों द्वारा यूरोप के स्वतन्त्र लोगों को उनकी मर्जी की प्रजातन्त्रात्मक सत्था बनाने में सहायता की जाए। यह अटलांटिक चार्टर के अनुरूप होगा। सोवियत नेता इस प्रस्ताव से सहमत हो गए क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास था कि यूरोप की जनता किस प्रकार की प्रजातन्त्रात्मक सत्था चाहती है। यही सब ध्यान में रख कर सोवियत नेता बिना कुछ आना-पीछा किए इस बात को स्वीकार कर गए। कहा जाता है कि उन्होंने स्वतन्त्र यूरोप पर घोषणा को उसी प्रकार बिना किसी परेशानी के स्वीकार किया जिस प्रकार कि बाद में बिना किसी परेशानी के तोड दिया।

सोवियत रषि का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जर्मनी था। सितम्बर, १९४४ में लन्दन में यूरोपीय परामर्शदाता परिषद् (European Advisory Council) में जर्मनी के भागों पर सहमति हो चुकी थी। अमरीकी सैनिक प्रतिनिधि इस परिषद् में जर्मनी के भागों को हस्तगत करने के लिए अमरीकी सेना को उलझाने के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि अमरीका जापान के साथ युद्ध में उलझा हुआ है अतः जर्मनी में उसे अधिक नहीं उलझना चाहिए। सन् १९३७ के जर्मनी के क्षेत्र का ५२ प्रतिशत भाग जिसमें कि ४८ प्रतिशत जनता रहती थी, सोवियत क्षेत्र माना गया। यह क्षेत्र

उस क्षेत्र की अपेक्षा अधिक था जो मोविपत सेना ने अधिभूत किया था। जर्मनी का प्रशासन निम्न राष्ट्रों द्वारा मित्र कर करता था और इसके लिए वॉलिन में मित्र राष्ट्रों की नियंत्रण परिषद स्थापित की गई। वॉलिन का अधिकांश भाग सोवियत क्षेत्र में आता था, इनको भी अनेक भागों में बाटा जाना था किन्तु प्रशासन मित्र कर दिया जाना था। वॉलिन तक पहुँचने के तरीका पर यूरोपीय परामर्शदाता परिषद में कोई विचार नहीं किया गया क्योंकि अमरीकी सैनिक अधिकारियों के मतानुसार जर्मन संचार व्यवस्था के बारे में भरोसा नहीं जान बिना यह सब सोचना गड़बड़ होगा। याटा में 'तीन बटों' ने यूरोपीय परामर्शदाता परिषद की सिफारिशों को स्वीकार किया। इसमें केवल एक परिवर्तन किया गया वह यह कि प्रान्स के लिए एक भाग और दिया जाए जो ब्रिटिश तथा अमरीकी भागों में से बनाया जाए।

जर्मनी के सम्बन्ध में दूसरी महत्वपूर्ण बात क्षतिपूर्ति की थी। सोवियत रूस का कहना था कि इसके बिना उसका युद्धांतर रचना कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। याटा सम्मेलन में रूस ने यह प्रस्तावित किया कि जर्मनी को सामान और सेवा के रूप में २० मिलियन डॉलर की क्षतिपूर्ति देनी चाहिए और इससे से आगे पर सोवियत रूस का अधिकार हो। पश्चिमी देस इस बात पर सहमत थे कि जर्मनी को क्षतिपूर्ति देनी चाहिए किन्तु इस क्षतिपूर्ति का मात्रा कितनी हो इसके सम्बन्ध में सहमति नहीं थी। सोवियत नेता स्टालिन द्वारा मुझाए गए गत विहीन आरम्भमार्ग के मूल को मान रहे थे किन्तु जर्मनी के अधिकार के सम्बन्ध में कोई सामूहिक समझौता न कर सक। याटा में 'तीन बटों' ने केवल इस बात पर सहमति प्रकट की कि वे जर्मनी की सैनिक शक्ति तथा सम्पत्ति को घटा सकें तथा इन समस्याओं को आगे आगे बढ़ने के लिए आयोग को सौंप सकें।

याटा सम्मेलन में उस समय जर्मनी के नाप युद्ध समाप्त होने को था इसलिए तहरान की अपेक्षा यहाँ मुद्दों पर सभ्यताओं पर अधिक ध्यान दिया गया। मोविपत नेता यह चाहते थे कि जारान पर विजय के बाद उनको क्या हिस्सा दिया जाएगा, इस बात को पहले ही तय कर लिया जाए। त्रिम समय यूरोपीय मामलों पर सीदेजार्जी हो रही थी उस समय पश्चिमी हिस्सों की रक्षा का उत्तरदायित्व ग्रेट ब्रिटेन पर छोटा गया। किन्तु जब मुद्दों पर सभ्यताओं पर सीदे-बाबी हुई तो यह उत्तरदायित्व मोविपत रूप पर आया गया। सोवियत नेताओं ने अपने इस आशय को दोहराया कि जर्मनी के साथ अपना युद्ध समाप्त करने के बाद दो या तीन महीने के अन्दर-अन्दर जारान के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो जाएगा। किन्तु इस समय उन्होंने इसके लिए

कीमत मागी और वह यह थी कि सन् १९०४ में जापान के शासन द्वारा जो सोवियत अधिकार चीन लिए गए हैं वे उसको वापस मिल जाए। इस प्रकार साम्यवादी सोवियत सघ भी जारसाही साम्राज्यवाद के अवशेषों एवं निशानियों को बनाए रखने में पूरी रुचि ले रहा था।

सोवियत सघ के इन दावों ने चीन के हितों को बहुत प्रभावित किया, किन्तु चीन यास्ता सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस दावे पर स्वीकार कर लिया कि वे चांगकाई शेर की स्वीकृति प्राप्त कर लें। यह स्वीकृति प्राप्त करने का उन्हें विश्वास था। इसके बदले सोवियत नेताओं ने चीन की राष्ट्रवादी सरकार का समर्थन करने का आश्वासन दिया जिससे कि अमरीकी नेता बहुत प्रसन्न हुए। अमरीका को संतोषजनक लगने वाला एक अन्य सोवियत वायदा यह था कि संयुक्त राज्य अमरीका की वायु सेना उस समय सोवियत सुदूरपूर्व के अड्डों का प्रयोग कर सकती है जब कि सोवियत रूस प्रशान्त युद्ध में सम्मिलित हो जाए। यह वायदा बाद में महत्वहीन प्रतीत हुआ।

सोवियत रूस और संयुक्त राष्ट्र संघ (Soviet Russia and U. N. O)

यास्ता सम्मेलन में स्वीकार को गई दूसरी योजना संयुक्त राष्ट्रसघ के चार्टर का प्रावण थी। इसकी अगस्त अक्टूबर १९४४ में उनके प्रतिनिधियों द्वारा डम्बर्टन ओक्स (Dumbarton Oaks) सम्मेलन में कार्य एवं प्रदान किया गया। सोवियत नेताओं को इस प्रकार के सङ्गठन के मूल्य के सम्बन्ध में पर्याप्त शक था। वे इसे केवल अपने प्रचार के साधन के रूप में देखते थे। किन्तु फिर भी सोवियत नेताओं ने यह निर्णय किया कि वे अब विश्व राजनीति से पृथक रहने की नीति नहीं अपनाएंगे और प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठन में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। किन्तु दावे यह है कि उसका प्रयोग राष्ट्र सघ को भाति सोवियत सघ के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

सोवियत सघ को अवेदा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका अल्पमत हमेशा रहेगा और इसलिए उन्होंने प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान की विशेष व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। इसके अनुसार प्रक्रिया से सम्बन्धित निर्णयों के अतिरिक्त निर्णयों को इसे ११ सदस्यों में से ७ के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। इन ७ में इसके सभी स्थायी सदस्य अर्थात् बड़ी शक्तियां होनी चाहिए। इस एकमत सम्बन्धी धारा ने महाशक्तियों को सुरक्षा परिषद के निर्णयों पर निषेधाधिकार प्रदान किया। इस प्रक्रिया में पश्चिमी शक्तियां सोवियत रूस के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर पायेंगी। इसी

प्रकार सोवियत नेताओं ने प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी मत शक्ति को बढ़ाने की दृष्टि से यह माग की कि सोवियत संघ के १६ गणराज्यों को इसमें अलग से मनाधिकार प्रदान किया जाए। उनका तर्क था कि ब्रिटिश साम्राज्य क सदस्यों को भी महामन्त्रों में पृथक् से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा और इस प्रकार उसके मत बढ़ जायेंगे। सोवियत संघ के इस तर्क का जवाब इस रूप में दिया गया कि इस आधार पर संयुक्त राज्य अमरीका भी अपने ४८ राज्यों के लिए ४८ मतों की माग कर सकता है। ऐसी स्थिति में सोवियत संघ को दो अतिरिक्त मतों से ही संतोष करना पड़ा—रुक यूक्रेन (Ukraine) के लोगों के लिए तथा दूसरा सफ़र हज़ियों के लिए।

याल्टा सम्मेलन की भंग करने से पूर्व 'तीन बड़ों' ने सभी मित्र राष्ट्रों को तथा धुरी राष्ट्रों पर आक्रमण करने वाले राष्ट्रों को १ मार्च १९४५ को सान फ्रान्सिस्को में एक महामन्त्रों के लिए आमन्त्रित किया जिसमें कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के प्रारूप पर विचार किया जा सके।

जर्मन का आत्मसमर्पण

(The German Surrender)

सान फ्रान्सिस्को सम्मेलन (San Francisco Conference) २५ अप्रैल से २६ जून, १९४५ तक चला। इस समय तक युद्ध भी समाप्त होने को आ रहा था। युद्ध के अन्तिम समय में सोवियत सेना तथा पश्चिमी सेनाओं के बीच जर्मनी पर हावी होने की दौड़ लगी हुई थी। मार्च के प्रारम्भ में सोवियत सेना कुस्ट्रिन (Kuestrin) पर पहुँच गई जहाँ से बर्लिन केवल ५० मील दूर रह गया था। किन्तु उसी समय जर्मनों का विरोध कड़ा हो गया और सोवियत सेनाओं का बढ़ना १६ अप्रैल तक ठेक लिए रुक गया। इस बीच अमरीकी सेनाएँ राइन नदी को पार कर चुकी थी तथा ११ अप्रैल को वे एल्बे पहुँच गई। यहाँ से बर्लिन केवल सठ मील पूर्व में था। बर्लिन सोवियत एवं अमरीकी सेनाओं के बीच में आ गया। इसकी हस्तगत करना एक मूक्यवान राजनैतिक चाल बन गई। सोवियत संघ को गिरन्तर यह भयकर स्वप्न आ रहा था कि जर्मनी पश्चिमी शक्तियों के साथ सन्धि वार्ता करेगा अथवा पश्चिमी सीमा को खोल देगा और पूर्वी सीमा पर कड़ा रुक अपनायेगा। ऐसी स्थिति में पश्चिमी सेनाएँ जर्मनी पर छा जायेंगी। यह बात कुछ नाज़ी जनरलों एवं नेताओं के मस्तिष्क में भी बनाई जाती थी। किन्तु यह सब नहीं हुआ क्योंकि पश्चिमी देशों ने अपने सोवियत मित्र पर पूरा विश्वास रखा तथा युद्धबन्दो समझौते से लड़ने इस बात पर ज़ार दिया कि जर्मनी एक साथ सभी मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण करे।

ब्रिटेन के पूरे प्रयाशों के बावजूद भी जनरल आइजनहाॅवर ने अमरीकी सेनाओं की एल्बी (Elbe) पर रोक दिया तथा जानबूझ कर बर्लिन के आधिपत्य का अवसर छो दिया। सोवियत सेनाओं ने १२ अप्रैल को बिचना पर अधिकार कर लिया और २ मई को बर्लिन उसके नीचे आ गया। अब देखा जा रहा गया था। अमरीकी सेनाएँ चैकस्लोवाकिया में आगे बढ़ी; उससे बाद ५ मई, १९४५ को प्राग भी जर्मनों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। इसी समय जनरल आइजनहाॅवर ने सेना को पिल्सेन (Pilsen) पर ही रोक दिया। चैकस्लोवाकिया के साम्यवादियों के मन्तव्यकार यह कदम इसलिए सज्जा गया था ताकि जर्मनों के लोगों को विद्रोह खाने के लिए समर्थ मिल सके। सम्भवतः ऐसा ही सोवियत सेनाओं द्वारा बार्सा में किया गया था। सोवियत सेना ने प्राग को ६ मई, १९४५ को स्वतन्त्र कराया। सोवियत रुब ने राजधानियों पर कब्जा करने में तथा युद्ध को समाप्त करने में पर्याप्त रुचि ली। जब जर्मनों ने आइजनहाॅवर के हेडक्वार्टर में ७ मई, १९४५ को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया तो सोवियत सेना ने इस बात पर जोर दिया कि यहाँ प्रशिवा मार्शल आर्जे सुफोव के सामने भी दूसरे दिन बर्लिन में दोहरायी जाये।

पूर्व-केन्द्रीय योरोप में प्रादेशिक समझौते

(Territorial Settlement in East Central Europe)

तीन बलों के बीच की एकता में दरारें जर्मन आत्मसमर्पण से पूर्व ही पड़ गई थी। सोवियत सरकार का मत था कि उसकी सेनाओं द्वारा विजित प्रदेशों के साथ वह जी-वाहा व्यवहार करेगी। ऐसी स्थिति में उतने पश्चिमी राष्ट्रों के मत की ओर ध्यान दिने बिना ही पूर्व केन्द्रीय योरोप के क्षेत्रीय प्रश्नों की मुलझाना प्रारम्भ किया। फिनलैण्ड तथा रमानिया ने रुब ने सन् १९४४ की सन्धि में ही वांछित प्रदेश के लिए कहा था। २५ जुलाई, १९४४ को ही मास्को में राष्ट्रीय सहज्जता की पोलिश समिति के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किये गये जिसके द्वारा पोलिश-सोवियत सीमा विवाद को मुलझाना गया। बाद में सोवियत सेना के साथ पोलिश समिति को फेलेण्ड भेजा गया। मई, १९४५ में इसके पश्चिमी अङ्गिकों को पूरे बिना ही फेलेण्ड को ओडरनिची पवित्र का जर्मन-क्षेत्र देकर उसकी वांछित कृत कर दी।

इसके साथ ही सोवियत सभ कोनिसवर्ग तथा पूर्वी प्रया के भाग की ओर बढ़ने लगा। चैकस्लोवाकिया भी बीचे तो फेलेण्ड की भांति एक विश्व राष्ट्र था किन्तु उससे कहा गया कि वह स्वेडला से ही अपने बड़े 'स्टाव' आईसी को प्रदेश प्रदान करे। २६ जून, १९४५ को मास्को में एक सन्धि पर

हस्ताक्षर किये गये जिसके अनुसार चेकोस्लोवाकिया ने सोवियत संघ को रुथेनिया (Ruthenia) सौंप दिया जो पहले वही भी सोवियत साम्राज्य का भाग नहीं रहा था। इसके फलस्वरूप सोवियत रूस और हंगरी सीमायें सामान्य बन गई तथा डुनवियन के मैदान पर उसकी शक्ति बढ गई। सोवियत संघ ने अपने इन पड़ोसी राज्यों को, चाहे वे औपचारिक रूप से मित्र थे अथवा शत्रु, अब अपना उपराज्य बना लिया।

सोवियत संघ ने अपनी प्रदेशों की भूल मिटाने के बाद पोलैण्ड की क्षतिपूर्ति की तथा बल्गारिया को छोटी सी प्राप्ति कराई और रोप के लिए उसने युद्ध पूर्व की सीमाओं को बनाये रखा। कहा जाता है कि इससे सोवियत रूस को लगभग दो लाख वर्ग मील प्रदेश का लाभ हुआ जिसमें २२ मिलियन निवासी रहते थे। पूर्व केन्द्रीय योरोप के राज्यों में यदि बसमानता एवं समस्यायें बनी रही तो उसने इसके लिए पेरिस के शान्ति समझौता करने वालों को उत्तरदायी ठहराया।

युद्ध के अन्तिम दिनों में यूगोस्लाव के सैनिकों ने उस समस्त प्रदेश पर अधिकार कर लिया जिसके बारे में प्रथम विश्व युद्ध से ही संघर्ष चल रहा था। उन्होंने आस्ट्रिया में भी ट्रीस्टे (Trieste) तथा क्लगेनफर्ट (Klagenfurt) पर भी अधिकार कर लिया। ग्रेट-ब्रिटेन यह मान चुका था कि यूगोस्लाविया उसके प्रभाव से गया। अब उसे इटली को बचाने की अधिक चिन्ता थी क्योंकि यहाँ साम्यवादी आन्दोलन प्रचलित हो रहा था। ब्रिटेन के प्रोत्साहन पर अमरीका ने शक्ति प्रयोग के आधार पर इन बन्दरगाहों से यूगोस्लाविया को पीछे हटाने का उपक्रम किया। हॉपकिन्स तथा स्टालिन की वार्ता के बाद ६ जून, १९४५ को बैलगेड में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। इसके अनुसार एक विभाजक रेखा 'मॉगन लाइन' बना दी गई जो कि आंग्ल-अमरीकी तथा यूगोस्लाव सेनाओं के बीच रखी गई। इसका अन्तिम निर्णय शान्ति सम्मेलन के लिए छोड़ दिया गया। इस लाइन के अनुसार ट्रीस्टे तथा आस्ट्रिया के उत्तर में एक रेन्डोड तो आंग्ल-अमरीकी नियन्त्रण में रखी गई तथा पहले के अन्य इटालियन क्षेत्र यूगोस्लाविया के पास रहे।

पोट्सडाम सम्मेलन

(The Potsdam Conference)

यह सम्मेलन 'बड़े तीन' का अन्तिम सम्मेलन माना जाता है जो १७ जुलाई, १९४५ से २ अगस्त १९४५ तक पोट्सडाम में चलता रहा। इस सम्मेलन में सोवियत नेताओं के लिए मुख्य प्रश्न जर्मनी तथा क्षतिपूर्ति,

से सम्बन्धित थे। स्वतन्त्र दोंरोर पर राज्य घोषणा-पत्र द्वारा अनुरोध ने यह प्रमाण किया कि पूर्व केन्द्रीय दोंरोर का साम्यवादिकरण होने से रोहा जाये। किन्तु सोवियत नेताओं ने इस क्षेत्र जो सुरक्षित बताया तथा इसके सम्बन्ध में पश्चिमी नेताओं को कुछ भी हस्तक्षेप न करने के लिए कहा। पश्चिमी राजनीतिज्ञों ने सोवियत वर्ग पर सोवियत अधिकार दुरुन्त स्वीकार कर लिया किन्तु पोलैण्ड को दी जान वाली क्षतिपूर्ति का आकार कम करने पर जोर डाला। पर्लमैण्ट सत्र के बाद वे इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्रीय प्रश्नों को शान्ति समझौते के अन्तिम निर्णय के लिए रखा जाये तथा तब तक इस प्रदेश पर पोलिश राज्य का प्रशासन रहे।

जब तक क्षतिपूर्ति का सम्बन्ध है, सोवियत सरकार उन मांगों को दोहराती रही जो उठने वाला में प्रथम बार रखी थी। वह १० मिलियन डॉलर की कीमत की क्षतिपूर्ति चाहता था किन्तु पश्चिमी सरकारों ने पुनः इस मांग को दुहरा दिया। सोवियत संघ ने भिन्न राष्ट्रों के क्षतिपूर्ति आयोग के घाटन की प्रतीक्षा नहीं की तथा जर्मनी पहुँचते ही उन्ने अपने क्षेत्र को समस्त बल सम्पत्ति से वधित करने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया। दुर्भाग्य से कभी क्षेत्र वृत्ति प्रधान था जबकि उने औद्योगिक सामान तथा मशीनों की जरूरत थी। किन्तु वे चीजें जर्मनी के पश्चिमी भाग में थी, विशेषतः उत्तम भाग में जो इटली के अधिकार में था। इतने पर भी सोवियत संघ कीदेवाजी करने की स्थिति में था क्योंकि जर्मनी के पश्चिमी भागों को सोवियत भाग से ही अनाज आपाज करना जरूरी था। यदि ऐसा नहीं करने तो बिदेसों से अन्न मगाना होगा और इसका खर्चा उनकी स्वयं पुनर्जाता पड़ता। उक्त समय जर्मनी के आधान का भण्डार अधिक नहीं था। इसको अर्धव्यवस्था पर कुछ का कुछ खरब पण तथा सत्तावादी शक्तियों की भात का खोज और था। ऐसी स्थिति में जर्मनी क्षतिपूर्ति करने में असमर्थ था। पर्लमैण्ट याद-विवाद के बाद तीन बड़े एक जटिल रूप पर सहमत हुए। इसकी शून्य बात यह थी कि जर्मनी को एक आर्थिक इकाई (Economic Unit) बनना जाये। सोवियत संघ को उनके क्षेत्र में जो भी प्राप्त हुआ उसके अनिश्चित पश्चिमी क्षेत्र की सामान्य आवश्यकताओं के अन्तर्गत जीविक सामान में से एक प्रतिशत दिया जाता था। जब पश्चिमी क्षेत्र सोवियत क्षेत्र से साथ सामग्री तथा अन्य चीजें लेते तो इसके लिए वे १५ प्रतिशत और देते। इसपर पोलैण्ड को अपनी क्षतिपूर्ति की मांग कर रहा था। उने अनुष्ट करने के लिए सोवियत संघ को जर्मनी के एन्-विहाई व्यापारिक पीठ एवं मुद्रा-पीठ दिये जाते थे। इतने अतिरिक्त जर्मनी को पूर्व-केन्द्रीय दोंरोर में स्थित सम्पत्ति पर सोवियत संघ का अधिकार हो गया।

जर्मनी के राजनैतिक भविष्य के बारे में सोवियत संघ एवं पश्चिमी राजनीतिज्ञ स्पष्ट नहीं थे। पोट्सडाम सम्मेलन में इस बात पर विचार ही नहीं किया गया। वे जर्मनी के राजनैतिक रूप का विकेन्द्रीकरण करते ही सन्तुष्ट हो गये। किसी केंद्रीय सरकार की स्थापना नहीं की गई। कुछ समय तक मित्र राष्ट्रों की नियंत्रण परिषद यह कार्य करती रही। स्थानीय एवं राज्य स्तर पर प्रजातन्त्रात्मक मिद्धान्तों पर आधारित स्वायत्त सरकार को बनाये रखा गया। प्रशासन को पहले तो अनेक राज्यों में विभाजित कर दिया गया और बाद में उसे समाप्त कर दिया गया। तीन बड़े जर्मनी का विसैन्यीकरण करने पर राजी हो गये तथा जर्मन युद्ध अपराधियों पर शुक्रदमा चलाने पर भी सहमत हो गये।

अप्रैल, १९४५ में पश्चिमी शक्तियों को पूरे बिना ही सोवियत अधिकारियों ने समाजवादी नेता कार्ल रेनर (Karl Renner) के नेतृत्व में आस्ट्रियन सरकार बनाने के लिए कदम उठाये। कार्ल रेनर १९१८ में आस्ट्रियन गणराज्य का प्रथम अध्यक्ष था। सोवियत संघ का यह चयन आश्चर्यजनक था क्योंकि रेनर लेनिन के साथ सैद्धान्तिक मतभेद रखता था तथा उसे साम्यवाद विरोधी माना जाता था। यह कहा जाता है कि उस समय आस्ट्रिया में अन्य कोई साम्यवादी ही नहीं था। आस्ट्रियन मन्त्रीमण्डल के १२ पदों में से केवल तीन पदों पर ही साम्यवादी थे। इनमें से एक को अन्तरग का मन्त्री बनाया गया तथा पुष्टि उसने हाथ में सौंभी गई।

सोवियत संघ के इस एक तरफा कार्य से पश्चिमी शक्तियां नाराज हुयीं तथा आस्ट्रिया की सरकार को पोट्सडाम सम्मेलन तक मायता प्रदान नहीं की। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि विषय में मित्र राष्ट्रों की एक नियंत्रण परिषद बनाई जाये तथा नगर और शहर को कार्यकारी क्षेत्रों (Occupation Zones) में बांट दिया जाये। इस प्रकार आस्ट्रिया में भी जर्मनी की ही स्थिति पैदा हो गई। रेनर ने इसकी तुलना करने हुए बताया कि यह ऐसा लगता है जैसे कि चार बड़े हाथी किसी छोटी नाव डोंगी में चढ़ गये हैं। आस्ट्रिया की क्षतिपूर्ति के भार से मुक्त कर दिया गया।

तेहरान तथा पाल्टा सम्मेलनों में स्टालिन ने कालासागर स्ट्रेट का प्रश्न उठाया किन्तु उन पर अधिक जोर नहीं दिया। उसने स्ट्रेट में अट्ठों की मांग इस आधार पर की कि इन पर अधिकार करके ही टर्की रूस के गले को पकड़ने में सक्षम हो जायेगा। पाल्टा सम्मेलन के बाद टर्की ने धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार वह एक मित्र राष्ट्र बन गया। २० मार्च को सोवियत सरकार ने सन् १९२५ की सोवियत-तुर्किस सन्धि को

रद्द कर दिया। टर्की ने इसकी प्रतिनिध्यास्वरूप अपनी सेना को सक्रिय रखने हुए पश्चिमी शक्तिशाली से जपान की। पोट्सडाम सम्मेलन में सोवियत अधिकारियों ने स्ट्रेट के सोवियत कब्जे पर पश्चिमी स्वोक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। राष्ट्रपति ट्रुमैन ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में यह सुझाव कि स्ट्रेट का विमैन्डकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। १९४५ बाद-विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया कि १९३६ की मान्डीआक्स कन्वेंशन का सन्तोषन किया जाये क्योंकि यह समय की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। इस कन्वेंशन के अनुसार टर्की को स्ट्रेट का सरक्षक बनाया गया था।

जापान की हार

(The Defeat of Japan)

पोट्सडाम सम्मेलन में तीन बड़ों ने इस बात पर विचार किया कि जापान को किस प्रकार हराया जाये। अमरीकियों की भांति सोवियत सभ का भी यह विचार था कि जापान जापानियों के साथ युद्ध कुछ समय तक चलाना पड़ेगा। याल्टा सम्मेलन में रुस ने यह वायदा किया था कि पश्चिमी युद्ध के समाप्त होने के तीन माह बाद ही यह प्रशान्त-युद्ध में शामिल हो जायेगा। अप्रैल १९४५ में रुस ने १९४१ में दिये गये सोवियत-जापान समझौते को रद्द कर दिया। स्टालिन ने मर्दे-डून में जब हॉपकिंग से बातचीत किया तो यह शिकायत की कि चीन युद्ध में शामिल होने की उन सोवियत शर्तों पर सहमत नहीं है जो तीन बड़ों द्वारा याल्टा सम्मेलन में मानी गई थी। जब तक चीन इनकी नहीं मानेगा तब तक रुस भी प्रशान्त युद्ध में शामिल नहीं होगा।

चीन की सरकार ने याल्टा सम्मेलन के निर्णयों का बहिष्कार कर दिया था क्योंकि इनमें चीन के हितों का ध्यान नहीं रखा गया था तथा इससे बातचीत भी नहीं की गई थी। चीन का प्रतिनिधि मण्डल जुलाई में नास्को आया। अभी उसने बात चल रही थी कि सोवियत नेताओं को पोट्सडाम जाना पडा। जाने के कुछ समय पूर्व ही उनको जापान का यह प्रार्थनापत्र मिला जिसमें उनसे शान्ति के लिए मध्यस्थता करने को कहा गया था। इससे यह लगने लगा कि युद्ध सम्भवतः सोचे गये समय से पूर्व ही समाप्त हो जायेगा।

बहा जाता है कि पोट्सडाम में राष्ट्रपति ट्रुमैन ने प्रथम अणुबम के सफल परीक्षण की सूचना दी थी किन्तु सोवियत तानाशाह पर इस सूचना का बहुत कम प्रभाव हुआ। यह परीक्षण १६ जुलाई, १९४५ को आलाभागीडों

(Alamagordo) में किया गया था। सम्मेलन में स्टालिन के दृष्टिकोण पर इस परीक्षण का कोई प्रभाव न हुआ।

पोट्सडाम से लौटने के बाद सोवियत नेताओं ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सोवियत सेना ने ८ अगस्त, १९४५ को मचूरिया पर आक्रमण किया। इस दिन जर्मनी के आत्मसमर्पण की ठीक तीन माह हुए थे। इसके एक सप्ताह बाद अर्थात् १४ अगस्त, १९४५ को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस एक सप्ताह के युद्ध के लिए सोवियत सभ ने प्रचुर पुरस्कार प्राप्त किया।

१४ अगस्त, १९४५ को ही चीन के विदेशमंत्री ने मास्को में एक सन्धि समझौते पर दस्तखत किये। इससे छह सहायक समझौते भी संयुक्त थे। इनके अनुसार ये दोनों देश जापान के विरुद्ध तीस वर्षों के लिए सन्धि समझौते में बंधे। दोनों देशों ने एक दूसरे के सम्मान एवं सम्प्रभुता का आदर करने का तथा एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। सोवियत सरकार ने चीन की राष्ट्रीय सरकार को नैतिक एवं भौतिक समर्थन देने का वायदा किया। रूस ने सिन्कियांग तथा मचूरिया में चीन के अधिकार को मान्यता दी तथा युद्ध के तीन माह बाद इन प्रदेशों को खाली करने का आश्वासन दिया। आर्थर श्वेदरगाह चीन तथा सोवियत सभ का संयुक्त रूप से नौसैनिक अड्डा बन गया। डैरिन (Dairen) को स्वतन्त्र बंदरगाह घोषित कर दिया गया। चीनी चान्गुंग रेलवे को सोवियत सभ व चीन के सम्मिलित स्वामित्व एवं प्रबन्ध के अधीन रखा गया। चीन ने बाहरी मंगोलिया की स्वतन्त्रता को मान्यता दे दी किन्तु इसके लिए यहाँ जनमत संग्रह किया जाना जरूरी था। २ अक्टूबर, १९४५ को प्रसारित शान्ति के घोषणा पत्र में स्टालिन ने कहा कि पुरानी पीढ़ी के लोग चालीस वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे।

जापान में सोवियत सभ को पर्याप्त लाभ रहा। इसके अतिरिक्त योरोप तथा अन्य प्रदेशों में उसकी प्राप्ति का पर्याप्त था। पूर्व एशिया में जारशाही की सरकार ने जो छो दिया था उसे सोवियत सभ ने पा लिया। इसके साथ ही योरोप में भी उसने नये प्रदेशों को जोड़ लिया। इस संग्रहों मिलाकर सोवियत सभ को लगभग ४६०००० वर्ग मील भूमि प्राप्त हो गई जिस पर लगभग दस करोड़ लोग रहते हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही जो शान्ति स्थापित हुई वह शीत युद्ध की भूमिका बन गई। क्लासविज (Clausewitz) के मतानुसार सोवियत नेताओं के लिए सन्धि व अन्य साधनों से युद्ध को जारी रखना था।

द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सोवियत रूस अग्रवा

द्वितीय महायुद्धोत्तर सोवियत विदेश नीति

द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सोवियत रूस ने जो भूमिका उदा की अग्रवा उसकी जो वैदेशिक नीति रही, उसे हम दो भागों में बाट सकते हैं—

(१) उपग्रवादी नीति का स्टालिन काल (१९४५-५३), एवं

(२) नातिपूर्ण प्रतियोगिता का स्टालिनोत्तर काल (१९५३-१९६६)

उपग्रवादी नीति का स्टालिन काल, १९४५-१९५३

(Stalin Period, 1945-1953)

सोवियत रूस के इस काल में सोवियत नीति का नियामक मार्शल स्टालिन था। जहाँ द्वितीय महायुद्ध के समय स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों को पूर्ण सहयोग दिया वहाँ युद्ध की समाप्ति के पश्चात् उसकी नीति उपग्रवादी, कठोर एवं कालू हो गई। युद्धोत्तर उसकी नीति ने उसके इस विश्वास को प्रकट कर दिया कि पूँजीवादी पश्चिमी जगत सोवियत रूस के विनाश का पहलू रच रहा है और उसके साथ मंत्री असम्भव है। पूर्वी यूरोप में स्टालिन की सैनिक एवं राजनीतिक साम्राज्यवादी नीतियाँ और देश-विदेश में मार्स, लेनिन के सिद्धांतों के पूर्ण पालन पर जोर देना, तथा कभी समझौता न होने योग्य मन मुटावों को बनाये रखना आदि स्टालिन के कार्य शीत-युद्ध को सत्यागत रूप देने के कारण बन गये।

परन्तु इस प्रकार के वातावरण और शीतयुद्ध के विकास के लिये अवैला रूस ही जिम्मेदार नहीं था। पश्चिमी राष्ट्रों ने द्वितीय महायुद्ध के दौरान ही प्रचंड-वप्रचंड रूप से और द्वितीय महायुद्ध के बाद भयावह रूप से साम्यवाद का हौवा उठा करना आरम्भ कर दिया था। उनके इस व्यवहार ने सोवियत रूस के हृदय में प्रस्फुटित हुई सहयोग और सौहार्द की कलियों को खिलने के पहले ही नष्ट कर दिया और स्टालिन ने महायुद्ध के उपरान्त एक उग्रतावादी और हठधर्मी का रूप अपनाया जिसने शीतयुद्ध को उसकी मृत्यु तक घरम सीमा पर पहुँचा दिया।

स्टालिन द्वारा इस दुराग्रही मनोवृत्ति एवं व्यवहार पर आगे बढ़ते जाने का एक प्रधान कारण यह था कि युद्ध समाप्त होने पर सोवियत संघ की स्थिति कई दृष्टियों से पूर्वपिशा अधिक अच्छी हो गई थी। पश्चिम में उसकी काल सेनाएँ मध्य यूरोप तक के प्रदेश पर अधिकार जमा रही थी। पश्चिम और पूर्व में उसके दो बड़े सन्तु जर्मनी और जापान पूर्णतः पराधाही हो

सुके थे। पश्चिमी यूरोप की भीषण आपिण इदेश से प्रस्त जनता साम्यवाद को आम-जन दे रही थीं वहा मन्वारों अस्थिर थीं और साम्यवाद के प्रसार की दृष्टि सम्भावना विद्यमान थी। एशिया और अफ्रीका में यूरोपियन साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रयत्न विद्यमान थे और अन्त-युद्ध का सागर लहरा रहा था। ब्रिटिश फ्रेंच और डच साम्राज्य अणु विनाश की अन्तिम कहानी सुनाने को थे। रूसी साम्यवाद के घोर सन्तु पादचात्य पूजीपति राष्ट्र युद्ध से विप्वस्त और आन्तरिक दृष्टि से अस्त-व्यस्त अवस्था में थे, और भी नाना प्रकार की परल्ल समस्याएँ उन्हें निर्वल एक क्षीण बनाये हुई थीं। इस तरह द्वितीय महायुद्धोत्तर स्थिति लगभग सब ओर इस प्रकार की थी कि जहा साम्यवाद अपने पर रोपने में हर दिशा में न्यूनाधिक रूप से सफल हो सके। विश्व का यह वातावरण साम्यवाद के प्रसार के अनुकूल था और रूस के लिये अपना प्रभाव बढ़ाने का यह स्वर्ण अवसर था। स्टालिन जैसा पाप राजनीतिज्ञ इस अवसर का प्रत्येक लाभ प्रत्येक तरीके से उठाना चाहता था, और इसके लिये सबसे उपयुक्त मार्ग यही था कि पश्चिम की अतीत की कहानी को बुरेदा जाय। चारोपो-प्रत्यारोपो की गोल्ल वर्षा में चीनयुद्ध को बढ़ावा दिया जाय और पश्चिम के प्रत्येक प्रस्ताव के प्रति अडगोगानी की नीति अपनाई जाय। चारो ओर व साम्यवाद के लिये अनुकूल वातावरण से लाभ उठाने का लोभ सवरण कर पाना स्टालिन के लिये मुश्किल था और स्थिति ऐसी थी कि यदि पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति शिफायत के वृद्ध जायज कारण वास्तव में न हो ता भी सोविशत रूप द्वारा बन्ध पैदा किया जाता। मोल्डोवोन न ६ नवम्बर, १९४७ को रूस की उपगोत्र भागना का व्ययन करत हुए ही, ये शब्द बहे थे—“हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें सब मडक साम्यवाद की ओर ले जाने वाली हैं।”

स्टालिन का विश्वास था कि इस समय पश्चिमी देशों पर डाला गया प्रबल दबाव साम्यवाद के प्रसार में सहायक होगा और इशीलिये उनमें सर्वथ उग्र, आक्रमणात्मक एवं अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। उसके शासन काल में मध्यपूर्व में टर्की और ईरान पर दबाव डालने की घटनायें हुईं, यूनान के शूद्रयुद्ध में भाग लेने, कामिनफोर्म बनाने, बर्लिन का घेरा डालने, सयुक्त राष्ट्र सभ में अमेरिका के साथ सभर्ष करने, साम्यवादी चीन में समझौता करने और कोरिया के युद्ध में उलशनें आदि की दूररी महत्वपूर्ण बात हुईं जिन सब पर पहले यथाम्यान प्रकाश डाला जा चुका है। स्टालिन काल में रूस की विदेश नीति की जो प्रकृति रही, उसे निम्नानुसार प्रकट करना सुविपाजना होगा—

(१) पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुता का विस्तार

पूर्वी यूरोप में रूसी प्रभुता की स्थापना पीटर महान् क काल से ही रूसी विदेश नीति का एक प्रधान लक्ष्य रहा है। द्वितीय महायुद्ध ने सोवियत सघ को अपने इस प्राचीन स्वप्न को पूरा करने का एक स्वर्ण अवसर प्रदान कर दिया। युद्ध क अननुभव से लाभान्वित होकर रूस न यह दृष्ट निदरूप कर लिया कि उसकी विदेश नीति का सञ्चालन इस प्रकार होना चाहिये जिससे उसके पश्चिम में स्थित पड़ोसी राज्य उसके साथ हमेशा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखें। चूं कि साम्यवाद पूर्वी यूरोप के सभी देशों को जर्मनी की दासता से लाल सेना ने ही मुक्ति दिलाई थी, अतः इन देशों में सोवियत सघ के प्रति अपार सहायुभूति थी। रूसी प्रभाव इन देशों में पहले ही से इसलिए भी व्याप्त था कि युद्धकाल में इन देशों की साम्यवादी पार्टियों ने ही जर्मनी के विरुद्ध लड़े जान वाले छापामार सपनों का नेतृत्व किया था। इन परिस्थितियों में युद्धोपरान्त इन देशों को साम्यवादियों के हाथ में ही राजनीतिक सत्ता आयी। इस सत्ता स्थापना में रूसियों की लाल सेना से बड़ी सहायता मिली जिसने अदभुत रूप से युद्धकाल में ही मध्य और पूर्वी यूरोप के बड़े भाग पर अधिकार कर रखा था। १९२६ से सोवियत सघ ने अपने क्षेत्रफल में २७ करोड़ ४० लाख वर्गमील की वृद्धि कर ली थी, और अब चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, अल्बानिया, बल्गेरिया तथा यूगोस्लाविया के लगभग ३६ करोड़ वर्गमील के क्षेत्र के ७ राज्य मास्को क शृष्टपोपक बन गये यद्यपि युगोस्लाविया कुछ समय तक सोवियत शृष्ट में रहने के बाद सोवियत प्रभाव से काफी दूर हट गया। इन देशों क अतिरिक्त अधिष्ठान पूर्वी जर्मनी भी रूसी संरक्षण में ही था और यहाँ जिस दासता प्रणाली को कायम किया गया वह समाजवाद के सिद्धान्तों के ऊपर आधारित थी।

रूस की वास्तव में यह एक आश्चर्यजनक सफलता थी कि अपने युद्धोपरान्त १९४८ तक की तीन वर्ष की अल्पकाल में पूर्वी यूरोप क सात देशों को पूरी तरह लाल बना दिया था। स्वभावतः पश्चिमी देश सोवियत सघ के प्रभाव को इस तरह बटता हुआ नहीं देख सकते थे। फरवरी, १९४५ के याल्टा सम्मेलन में पश्चिमी शक्तियों ने पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुत्व के विकास को रोकने का जो प्रयास किया था उसकी यह पूरा हत्या थी। इस सम्मेलन में ट्रुवेल्स, स्टालिन और चर्चिल ने "मुक्त यूरोप सम्बन्धी घोषणा" (Declaration on Liberated Europe) पर हस्ताक्षर किये थे जिसमें पूर्वी यूरोप के देशों के लिए यह वचन दिया गया था कि उनमें से प्रत्येक में "जनता के लोकतान्त्रिक सत्ता का विस्तृत रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली एक ऐसी

अन्तरिम सरकार स्थापित की जायगी जो यथाशीघ्र स्वतन्त्र चुनावों के जरिये जनता की इच्छा के अनुसार एक नयी सरकार स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हो। परन्तु पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों की स्थापना करने सम्बन्धी कार्य 'याल्टा भावना' का परिणाम था। स्टालिन द्वारा अपने वचन को पूरा नहीं किया गया था और यह स्थिति पश्चिमी देशों को क्रुद्ध करने वाली थी।

स्टालिन फिनलैंड को भी अपने वशीभूत करने से नहीं चूका। फरवरी, १९४७ में फिनलैंड के साथ अपने शांति संधि की और अप्रैल, १९४८ में मैत्री की संधि। इस संधि द्वारा स्टालिन ने फिनलैंड की स्वतन्त्रता को बने रहने दिया, परन्तु फिनलैंड से यह वचन भी ले लिया कि वह रूस विरोधी विदेश नीति नहीं अपनायेगा।

सोवियत सभ ने पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों की स्थापना करके अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लक्ष्य में निश्चित रूप से उत्साहप्रद सफलता प्राप्त की। सोवियत सभ ने इन देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु बहुत से समझौते किये। इनके अन्तर्गत उसने इन्हे निश्चित अवधि के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों देना स्वीकार किया। १९४७ की 'मोलोटोव योजना' ने इन देशों के व्यापिक पुनर्निर्माण के लिए इनके औद्योगिक-परण पर बल दिया। लोक गणतन्त्रों की स्थापना अथवा दूसरे शब्दों में साम्यवादी शासन सत्ता की स्थापना के बाद इन देशों का पश्चिम के साथ व्यापार पूर्वापेक्षा बहुत कम हो गया। जहाँ १९३८ में पश्चिमी देश पूर्वी यूरोप को ३४ करोड़ डालर का सामान भेजते थे वहाँ १९५० में यह राशि गिरकर केवल १४ करोड़ डॉलर पर आ गयी। इनके विपरीत जहाँ १९३८ में सोवियत सभ का इन देशों के साथ व्यापार कुल २ प्रतिशत था, वहाँ १९५२ में यह बढ़कर ८० प्रतिशत हो गया।

६ मार्च, १९४१ को सोवियत सभ और पोलैंड के मध्य हुए एक समझौते के अन्तर्गत रूस ने पोलैंड को ३, ७८, ७५, ००० डॉलर विदेशों से खाद्यान्न, मशीनरी और कच्चा माल खरीदने के लिए उधार दिये। १२ जुलाई, १९४७ को चैकोस्लोवाकिया के साथ एक व्यापारिक संधि की गयी जिसके अनुसार सावित्रत सभ ने चरु मशीनरी एवं मशीनों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के बदले में चैकोस्लोवाकिया को खद्योत, रुई, खाद और धातुएँ देना स्वीकार किया। चैकोस्लोवाकिया के साथ ही १९४८ में एक अन्य समझौता हुआ जिसके द्वारा रूस ने उसे श्रम के रूप में एक बड़ी राशि देना मजूर किया। १९४८ में हंगरी के साथ भी दो व्यापारिक संधियाँ की गयीं जिनके अनुसार कपड़ा, तेल और धातुआइट के बदले में रूस ने उसे कच्चा

मात देना स्वीकार किया। इस क्षेत्र के अन्य देश के साथ भी स्टालिन काल में सोवियत सघ द्वारा इसी प्रकार की संधियाँ सम्पन्न की गयीं।

सोवियत सघ और पूर्वी यूरोप के देशों में आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को और भी घनिष्ठ बनाने के लिए १९४६ में 'आर्थिक क्षेत्र में पारस्परिक सहायता के लिए कोविल' (Council for Economic Mutual Assistance, Com Con) की स्थापना की गयी। इस 'कोम कोन' को पश्चिम द्वारा स्थापित 'यूरोपियन पुनर्निर्माण कार्यक्रम' (European Recovery Programme, E R P) का प्रवृत्तर कहा जा सकता है।

राजनीतिक क्षेत्र में पूर्वी यूरोप पर सोवियत प्रभाव स्थापित होने का आघात तो पश्चिमी शक्तियों को लगा ही था, आर्थिक क्षेत्र में भी रूस के व्यापक प्रभुत्व से पश्चिमी देशों और रूस के तनावों में अभिवृद्धि हुई। पूर्वी यूरोप परम्परा से पश्चिमी देशों को खाद्यान्न एवं कच्चे माल का निर्यात करता था। पश्चिम के कुछ देश तो अपनी अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं के लिए पूर्वी यूरोप पर आश्रित थे, उदाहरणार्थ इमारती लकड़ों और निकेल (Nickel) पश्चिम को अधिकांशतः पूर्वी यूरोपियन देशों से ही प्राप्त होती थी। ये देश सोवियत प्रभाव क्षेत्र में चले जाने से पश्चिम के लिए 'निर्यातक' देश नहीं रहे जिससे पश्चिम के कुछ देशों की आर्थिक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। साथ ही पूर्वी यूरोप में बंशे, कान्गानो और तद्योग बन्धों के राष्ट्रीयकरण हो जाने से पश्चिमी देशों को जो पूँजी इन देशों में लगी हुई थी, उससे भी उन्हें हाथ धोना पड़ा। इन सब बातों का परिणाम यही निकला कि पश्चिमी देशों में सोवियत सघ और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी शासन तन्त्रों के प्रति पूर्ण कटुता पैदा हो गयी। स्टालिन की नीति ने शीत युद्ध को तेज किया।

सोवियत सघ और पूर्वी यूरोप के देशों के बीच मंत्री और पारस्परिक सहायता की अनेक सैनिक संधियाँ भी हुईं। पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया तथा युगोस्लाविया के साथ तो सैनिक संधियाँ युद्धकाल में ही की जा चुकी थीं। इसके बाद १५ मार्च, १९४६ से १६ अप्रैल, १९४६ तक १७ द्विपक्षीय संधियाँ (Bilateral Treaties) की गयीं। इन संधियों को किन्हीं भी समावित जर्मन आक्रमणों को रोकने के लिए किया गया। बाद में १४ मई, १९५५ को इन देशों ने वारसा पैक्ट पर हस्ताक्षर करके सोवियत सघ के साथ अपने को और भी घनिष्ठ मंत्री में बाबद्ध कर लिया।

स्टालिन काल में सोवियत सघ और पूर्वी यूरोप के पारस्परिक सम्बन्धों में जहाँ हर प्रकार से सफलता का पल्ला रूस के पक्ष में भारी रहा,

वहाँ रुस को इस क्षेत्र में कुछ अयकतनाओ का सामना भी निश्चित रूप से करना पड़ा। यूनायन में एक साम्यवादी शासन की स्थापना के रूची प्रयास असफल रहे। ट्रूमैन सिद्धान्त के कारण रुस वाले सागर में टर्की से मनोवाञ्छित रियायत और अधिकार पाने में सफल नहीं हो सका। परन्तु इनमें सबसे अधिक साधितक असफलता रुस को युगोस्लाविया के मामले में हाथ लगी, क्योंकि कुछ समय तक रूसी गुट में बने रहने के बाद युगोस्लावियन राष्ट्रपति टीटो ने रुस के प्रभुत्व को स्वीकार करने से मना कर दिया और जून, १९४८ में युगोस्लाविया रूसी गुट से पृथक हो गया। मार्शल टीटो ने, जो स्वतंत्र विचारों वाले एक कट्टर राष्ट्रवादी हैं, स्टालिन की इस नीति को पसन्द नहीं किया कि सोवियत रुस पूर्वी यूरोप के साम्यवादी शासन तन्त्रों पर या युगोस्लाविया पर अपनी निगरानी रखे और उन्हें 'लौह आवरण' (Iron Curtain) के भीतर छिपाये रखे। मार्शल टीटो ने जर्मन दानना से अपने राष्ट्र को मुक्त करने के लिए घोर छानामार सर्प किया था, रूसी सहायता से उन्हें बहुत बाद में जाकर मिल पायी। अतः टीटो की लोक-प्रियता युगोस्लाविया में आकाश छूसी थी और वह इस बात को पसन्द नहीं करते थे कि उन्हें 'स्टालिन का अनुचर' माना जाय, अथवा उनके राष्ट्र को 'सोवियत रुस का पिछलग्गु' कहा जाय। अतः युद्ध समाप्त होने के उपरान्त जर्मन शान-शान मार्शल टीटो ने स्टालिन के शिकंजे से बचने का प्रयास किया और मास्को के नियन्त्रण में रहने के प्रति अनिच्छा जाहिर की तो रुस की साम्यवादी पार्टी ने मार्शल टीटो की दल विरोधी एवं हन-विरोधी नीतियों को मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के विरुद्ध बताया और कहा कि यह राष्ट्रवाद से प्रभावित एवं पूँजीवाद की ओर झुका हुआ कृत्य है जिससे विश्व के मजदूर आन्दोलन पर गहरा एवं विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मार्शल टीटो पर स्टालिन ने हर प्रकार से दबाव डालने की चेष्टा की किन्तु वह टीटो को अपने कब्जे में नहीं ला सका। टीटो को यह कतई पसन्द न था कि युगोस्लाविया स्थित लाल सेना युगोस्लाविया के अन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, अतः उसने सोवियत नागरिक और सैनिक अफसरों पर कड़ी निगरानी रखते हुए स्टालिन से स्पष्ट उम्मीदें में माग की कि रूसी फौजें युगोस्लावियन क्षेत्र से हटा ली जाय।

स्टालिन और टीटो के मतभेद बढ़ते गये। फरवरी २८ जून, १९४८ को 'कॉमिन्फोर्म' (Communist Information Bureau, *Совинформбюро*) ने युगोस्लाव साम्यवादी पार्टी पर यह आरोप लगाया कि उसने अपनी सरस्यता से निवृत्त कर दिया कि उसकी नीतियाँ मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के सिद्धान्तों के प्रतिवृत्त हैं। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि

युगोस्लाविया की सरकार सोवियत सभ के प्रति अर्भवो की नीति का अनुसरण कर रही है और कृपणों के प्रति अपनी नीति को निर्धारित करते समय वह बड़े विवेकी की अकहेलता करके भावर्मवाद के सुस्थापित मार्ग से हट गयी है। प्रस्ताव में यह आरोप भी लगाया गया कि युगोस्लाविया की साम्यवादी पार्टी न उसके विरुद्ध की गयी आलोचनाओं को आत्म-आलोचना की कसौटी पर नहीं कमा है और इस प्रकार साम्यवादी पार्टी सगठनात्मक सिद्धान्तों के विपरीत आचरण करने की दोषी है। २९ जून को युगोस्लाव नेताओं ने कोमिनफोर्म द्वारा लगाये गये आरोपों को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सोवियत सभ और युगोस्लाविया के बीच गीत युद्ध की स्थिति पैदा हो गयी जो स्टालिन की मृत्यु पर्यन्त (मार्च १९५३) चलती रही। वास्तव में स्टालिन ने टीटो को अपने समकक्ष मानने से इन्कार कर दिया और उसके प्रति पूर्ण विरोध की नीति पर आचरण किया। रोबिन्सटोन (Alvin Y Rubins-tein) के शब्दों में 'टीटोवाद' सोवियत प्रभाव की प्रतिक्रिया से कुछ अधिक था। इसमें राष्ट्रवाद तथा साम्यवाद को एक ऐसी विचारधारा व आन्दोलन में मिला दिया गया जिसके विभिन्न रूप में स्वतन्त्रता की वृत्ति जो मास्को को स्वीकार नहीं थी।¹

अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के 'भाईचारे' के विरुद्ध किये गये टीटो के इस विद्रोह का पश्चिमी देशों ने स्वभावतः मुकन कठ से स्वागत किया। इस विद्रोह को 'सोवियत साम्राज्यवाद' के विरुद्ध पूर्वी यूरोप के विद्रोह का सूचक बताया गया। जुलाई, १९४८ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने युगोस्लाविया की ६ करोड़ डॉलर की सम्पत्ति उसे लौटा दी। युगोस्लाविया न भी अमेरिका को १ करोड़ ७० लाख डॉलर का भुगतान दिया। अन्य पश्चिमी देशों के साथ भी इसी तरह के सद्भावनापूर्ण और ले-दे की भावना के समझौते किये। मार्शल टीटो ने, सोवियत रुम से क्षुब्ध होकर, पूर्वी यूरोप के देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की अपेक्षा पश्चिमी देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध वापस करना मुहुर कर दिया, किन्तु यह सदैव ध्यान रखा कि उनका राष्ट्र पूर्णतः एक स्वतन्त्र राष्ट्र रहे जो सोवियत या पश्चिमी प्रभाव से उन्मुक्त अवस्था का आनन्दोपभोग करे।

(२) विश्व में साम्यवादी क्रांति का प्रसार

साम्यवाद का एक मौलिक सिद्धान्त सम्पूर्ण विश्व में साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रसार व पूंजीवाद का उन्मूलन है। द्वितीय महायुद्ध के बाद

1. Alvin Z. Rubinstein, *The Foreign Policy of the Soviet Union*, P. 245.

विश्व की परिस्थितियों को सोवियत संघ के अनुकूल पाकर मास्को ने साम्यवादी क्रान्ति के प्रसार की नीति पर घटना शुद्ध किया। साम्यवादी क्रान्ति को दूसरे देशों में फैलाने के लिए स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ द्वारा सभी प्रकार के उपायों का अवलम्बन किया गया। यूनान में गृहयुद्ध में यूनानी साम्यवादियों को पड़ोसी साम्यवादी देशों अल्बानिया, बल्गेरिया और यूगोस्लाविया द्वारा सहायता पहुंचाई गई। तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय (Third International) के विश्व कांग्रेस क्रान्ति के कार्यों को करने के लिए १९४७ में वारसा में एकत्रित यूगोस्लाविया, बल्गेरिया, रूमानिया, हंगरी, पोलैण्ड, रूस, पूरब, चेकोस्लोवाकिया और इटली की साम्यवादी पार्टियों के नेताओं ने 'बेल्ग्रेड में साम्यवादी सूचना संस्थान या कामिनफार्म (Communist Information Bureau Cominform) की स्थापना की। इस संस्थान की स्थापना के घोषणा पत्र में कहा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पिछला युद्ध "विश्व की मण्डियों में प्रतियोगिता को समाप्त के लिए लड़ा गया था।" सेकिन रूस ने यह युद्ध यूरोप में लोकतन्त्र के पुनर्निर्माण और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए लड़ा था। कामिनफार्म का उद्देश्य विश्वव्यापी साम्यवादी आन्दोलन का नेतृत्व करना था।

विश्व में साम्यवादी क्रान्ति के प्रसार के मौलिक सिद्धान्त की पूर्ति के हेतु द्वितीय महायुद्ध के बाद रूस ने ऐसी नीति का अनुसरण किया कि जिससे पूर्व और पश्चिम में रूसी साम्राज्य का विस्तार हो, रूसी सीमाओं पर रूस समर्थक राज्यों की सरकार स्थापित हों, पुराने बूजुबा साम्राज्यों का विघ्न हो और इस सम्पूर्ण नवीन सोवियत साम्राज्य का साम्यवादी विचारधारा के आधार पर निर्माण हो। अपने इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए स्टालिन ने युद्धोत्तर विश्व समझौतों का समाधान करने में शीघ्रता प्रदर्शित नहीं की। वह अडगेवाजी करके शांति व्यवस्था में विलम्ब करना चाहता था ताकि सत्ता की स्थिति सोवियत संघ के लिए और भी अनुकूल हो जाय। मास्को के विदेश मंत्री सम्मेलन में अमेरिकन विदेश मंत्री मार्शल जब सोवियत नीति से व्याकुल हो गया तो स्टालिन ने उसे कहा "धबराने की कोई बात नहीं है। समय हमारे पक्ष में है, वह स्वयं समझौता करा देगा।"

(३) पश्चिम का विरोध और शीत युद्ध की उत्पत्ति

सोवियत रूस की पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी शासनों की स्थापना के प्रयत्नों और पश्चिमी घटितियों द्वारा रूसी प्रभाव के प्रसार को रोकने की चेष्टाओं के कारण सोवियत संघ और पश्चिम को 'अनोखी मंत्री' का अन्त हो गया तथा युद्ध समाप्त होने के तीन वर्ष के अन्दर ही दोनों गुटों में गम्भीर

शीत युद्ध प्रारम्भ हो गया। जर्मनी, आस्ट्रिया, इटली आदि शत्रु राज्यों के साथ संधियों की शर्तें इटली के उपनिवेशों का तथा राष्ट्रमण्डल के मैग्डेट बाल्टि प्रदेशों का विभाजन, जर्मनी के निःशस्त्रीकरण और एकीकरण की समस्या, पश्चिमी देशों तथा रूस के स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र सम्बन्धी विचारों का मौलिक अन्तर, क्षतिपूर्ति, मध्यपूर्व में प्रयुक्त पाने के लिये तीव्र प्रतियोगिता आदि ऐसी घटनाएँ या बातें उपस्थित हुईं कि जिन पर दोनों पक्षों में उग्र मनभेद प्रकट हुए और फलस्वरूप शीत युद्ध की उग्रता बढ़ी। जहाँ पश्चिमी राष्ट्र कामिनिफॉर्म की गतिविधियों और रूसी प्रभाव के प्रयासों व स्टालिन की अद्भुत कूटनीतिक चालों व हठधर्मों आदि से आशङ्कित और बस्त हो गये वहाँ सोवियत संघ के इस विरिजान को सम्बन्ध मिला कि पश्चिमी राष्ट्र उनके सम्मेलन का पडमन करने में लगे हुए हैं। रूस की दृष्टि में द्रुमैत सिद्धान्त, मार्क्स योजना बर्लिन के घेरे के समय दी गई हवाई महायता, आपान व जर्मनी का पुनः शस्त्रीकरण, यूनेन एव प्लेवन योजनाएँ, कोरिया युद्ध आदि पश्चिमी राष्ट्रों के ऐसे कार्य थे जो रूस के प्रति पश्चिम के विशेष कर अमेरिका के घोर विरोध और उनकी उग्र शत्रुता के प्रमाण कहे जा सकते थे। आणविक दक्षित से सम्पन्न समुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी गुट को इन कार्यवाहियों से स्टांलिन को आग्रहाएँ उतरोत्तर बढ़ती गईं और वह पश्चिम की प्रत्येक कार्यवाही तथा गतिविधि का विरोध करने लगा।

यद्यपि स्टालिन पश्चिम के प्रति अपनी नीति को शान्तिपूर्ण सहव्यस्तित्व, (Peaceful Coexistence) का जाया पहनाता था, परन्तु उसके कार्य-कलापो से यह स्पष्ट हो गया कि 'शान्तिपूर्ण सहव्यस्तित्व' की इस नीति से ससक्ता अभिप्राय केवल इतना था कि दोनों पक्षों में सशस्त्र युद्ध नहीं होता चाहिए। एक प्रचारात्मक वाक् युद्ध और कोरिया जैसे स्थानीय युद्धों को वह इस नीति के विरुद्ध नहीं समसता था। स्टालिन की इस नीति का एक अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि घेरे घेरे पश्चिम और साम्यवादी दक्षितयो का शीत युद्ध उग्रतर होता चला गया। स्टालिन ने अपने समय में जो चीज बो दिये और उसके फलस्वरूप पश्चिमी राष्ट्रों की जो प्रतिक्रियाएँ हुईं तथा उन प्रतिक्रियाओं के कारण रूस में जो अन्य प्रतिक्रियाएँ हुईं और इस प्रकार क्रियाओ प्रतिक्रियाओ का जो चक्कर चला उसके फलस्वरूप जर्मनी से अथ तक और आस्ट्रिया से १९५५ तक शान्ति संधि नहीं हो सकी। रूस और उसके साथी देशों ने जापानी शान्ति संधि पर हस्ताक्षर करने से भी इन्कार कर दिया। यस्तुतः स्टालिन युग में जो नो कार्य किये गये उन सभी से न्यूनाधिक रूप में शीत युद्ध की अभिवृद्धि ही हुई।

(४) लौह आवरण की नीति

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त सावियत सभ ने एक ओर तो विश्व में साम्यवादी क्रान्ति के प्रसार के उद्देश्य से एक उग्र नीति को अरनाया तथा दूसरी ओर पूर्वी यूरोप में स्थापित साम्यवादी व्यवस्थाओं और स्वयं सोवियत रूस को मजबूत प्रसार के पश्चिमी प्रभावों से अछूता रखने के उद्देश्य से लौह आवरण (Iron Curtain) की नीति का प्रथम लिपि। महायुद्ध के तुरन्त बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी राज्य साम्यवादी प्रसार को सीमित करने (Policy of Containment of Communism) की नीति का अनुसरण करने लगे जिन्होंने अन्तर्गत साम्यवादी देशों की जनता को साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध भड़का कर विद्रोह करने का कार्यक्रम भी रखा गया। साम्यवादी देशों के इन्हें निर्दिष्ट अन्तरेडियो स्टेशन स्थापित किये गये जिनका नाम 'आजाद हंगरी रेडियो' 'आजाद पोलैण्ड रेडियो' आदि रखा गया और इनके माध्यम से साम्यवाद के विरुद्ध घनघोर जहरीला प्रचार कार्य शुरू हो गया। स्टालिन को यह समझने देर न लगी कि पश्चिमी राज्य साम्यवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न जोर शोर से शुरू कर चुके हैं। उसे भय लगा कि कहीं पश्चिमी शक्तियाँ इस या पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन को दुबल न बना दें। इस भय से बहुत कुछ मुक्ति का अर्थवा पश्चिमी शक्तियों के उद्देश्य को विकल बनाने का एक ही उपाय था कि साम्यवादी जगत पर चारों ओर ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाय कि उसके भीतर अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी राष्ट्रों का प्रचार प्रवेश न कर सके। स्टालिन ने इसी उपाय को अपनाते हुए यह निर्णय कर लिया कि वह रूस एवं पूर्वी यूरोप के साम्यवादी जगत को मजबूत साम्यवादी देशों के सम्पर्क से पृथक रखेगा ताकि यह क्षेत्र पश्चिमी प्रभावों से अछूता रह सके। स्टालिन इस बात को समझता था कि रूसियों तथा विदेशियों के पारस्परिक सम्पर्क साम्यवादी व्यवस्था पर प्रतिशूल प्रभाव डालने वाले सिद्ध हो सकते हैं।

पश्चिम के प्रचार को निरस्त करने और साम्यवाद की उभरते 'दूषित' होने से बचाने के लिए १९४५ से ही ऐसे कानून बनाये जाने लगे कि जिनमें बाह्य जगत के साथ रूसियों का सम्पर्क रूक जाय। ऐसे ही एक कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि युद्ध के समय रूस में आये हुए विदेशी सैनिकों के साथ जिन रूसी स्त्रियों ने विवाह किया था वे अपने पतियों के पास विदेश नहीं जा सकेंगी। एक अन्य कानून के द्वारा विदेशियों के साथ मोदिप्रन नामरिहों के विवाहों को निषिद्ध बना दिया गया। इनका ही नहीं, विदेशी राजदूतों तथा पत्र प्रतिनिधियों के साथ भी बड़ी कड़ाई का व्यवहार किया

गया। विदेशों में सोवियत राजदूतों पर भी कठोर अनुशासनात्मक प्रविश्यन लगाये गये। रूस पर भी कठोर नियन्त्रण लगा दिया गया।

(५) अफ्रीका तथा एशिया के प्रति सोवियत नीति एवं शान्तिवादी आन्दोलन

अफ्रीका एवं एशिया के प्रति स्टालिन की नीति कौशलपूर्ण किन्तु अनुशासक थी। उसने मध्यपूर्व में साम्यवादी प्रभाव को बढ़ाने की चेष्टा की और दक्षिण कोरिया को साम्यवादी बनाने के लिए कोरिया-युद्ध की प्रेरणा दी। यद्यपि इन दोनों ही प्रयासों में उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, तथापि कोरिया युद्ध ने चीन की सोवियत सभ पर निर्भरता को स्पष्ट कर इस बात का सबूत दे दिया कि तत्कालीन समय में सम्पूर्ण साम्यवादी जगत पर सोवियत नियन्त्रण भली प्रकार स्थापित करने में स्टालिन को पर्याप्त सफलता मिली है।

इसके अनिश्चित, आणविक आयुधों एवं अणुबमों के आतंक से पीड़ित मानवता के परित्राण के लिए सोवियत सभ ने "शांति आन्दोलन" (Peace-Offensive) आरम्भ किया और युज्जोवादी परिचय को युद्ध-लोभुष (War-monger) कहकर बदनाम करने की प्रत्येक चेष्टा की। स्टालिन का "शांतिवादी-आन्दोलन" एक अत्यन्त चानुर्यपूर्ण और सफल चाल सिद्ध हुई। इस आन्दोलन की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना मार्च, १९५० तक स्टारबोम में हुई विश्वशांति समिति की आणविक आयुधों पर विना शर्त प्रतिबन्ध लगाने की अपील थी।

इस अपील पर कुछ समय ही में लगभग ५० करोड़ व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त किये गये। इस शांति-आन्दोलन ने एशिया और अफ्रीका की विशाल जनसंख्या को बड़ा प्रभावित किया। वे साम्यवाद की ओर आकर्षित हुए तथा सोवियत रूस की पश्चिम की अपेक्षा अधिक शान्तिप्रिय और जननिवेश-वाद विरोधी मानने लगे। साम्यवादियों ने इस आन्दोलन में सब देशों के मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों से सहयोग मांगा। इन्होंने जहाज से सामान उतारने वाले थमिकों में यह प्रचार किया कि अमेरिका से शस्त्रास्त्रों को लाने वाले जहाजों से माल न उतारा जाए और हड़ताल कर दी जाए।

प्रचार की दृष्टि से हाफिदादी आन्दोलन को प्रारम्भ में बड़ी सफलता मिली और न केवल एशिया तथा अफ्रीका बल्कि पश्चिमी राष्ट्रों की सामान्य जनता में भी इसका स्वागत किया। परन्तु स्टालिन के अनुशासक दृष्टिकोण के कारण रूस इस आन्दोलन में प्राप्त लोकप्रियता का पूरा लाभ नहीं उठा सका। वह दृश्य राष्ट्रों की भावनाओं को ठीक प्रकार से न समझकर उन्हें अपना शत्रु मानता रहा। पश्चिमी राष्ट्रों ने रूस के शांतिवादी आन्दोलन

को एक 'निरे ढोंग' की सजा दी और कहा कि यह तटस्थ एव गैर साम्यवादी देशों को अपनी ओर आकृष्ट करने तथा अपना समर्थक बनाने का सोवियत कूटनीतिक जाल है।

(६) संयुक्त राष्ट्र सच के प्रति सोवियत नीति

स्टालिन के नतुत्व में सोवियत सच ने संयुक्त राष्ट्र सच के निर्माण में सक्रिय भाग लिया। वह संयुक्त राष्ट्र इसी विश्वास पर आधारित था (और है) कि महाशक्तिवा, विशेषतः सोवियत सच और संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोगपूर्वक कार्य करते हुए सच के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक बनेगी। परन्तु दुर्भाग्यवश यह आशा पूरी न हो सकी और अपने जन्म काल के कुछ ही समय उपरान्त सच शीतयुद्ध का प्रधान अखाड़ा बन गया। लगभग प्रत्येक समस्या पर दोनों राष्ट्र अथवा दोनों गुट दो विरोधी दृष्टिकोण लेकर सच के मंच पर उदस्थित हुए। चूंकि सच में पश्चिमी शक्तियों और उनके समर्थकों का स्पष्ट बहुमत था, अतः सोवियत रूस ने अपने को एक स्थाई एव निरन्तर अल्पमत में पाया। ऐसी स्थिति में अपनी इच्छा के प्रतिबल होने वाले निर्णयों को रोकने के लिए उसके पास इसके अतिरिक्त कोई उपाय न था कि वह सुरक्षा परिषद में खुल कर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करे जिससे संयुक्त राष्ट्र सच पश्चिमी शक्तियों के इंगारों पर नाचता हुआ उनके पक्ष में कोई प्रभावशाली कार्य न कर सके। कोरिया युद्ध के समय अल्पकाल के लिए रूस ने संयुक्त राष्ट्र सच की बैठकों का बहिष्कार कर दिया। लेकिन यह बहिष्कार उसके लिए घाटे का सौदा सिद्ध हुआ, क्योंकि इस बहिष्कार के कारण ही संयुक्त राष्ट्रीय सेनाय दक्षिणी कोरिया की सहायता के लिए भेजी जा सकी। इस घटना से हम न यह समझ लिया कि वह संयुक्त राष्ट्र सच की कार्यवाहियों में भाग लेकर, परिषद की बैठकों में उपस्थित होकर पश्चिमी राष्ट्रों के इरादों को अधिन अच्छी तरह रोक सकता है वनिस्पत हमके कि वह सच से बाहर रः और ऐसी चेष्टा करे। इस अनुभूति के बाद से ही फिर कभी रूस ने सच की बैठकों का बहिष्कार नहीं किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोवियत सच ने सुरक्षा परिषद में अपने निषेधाधिकार के प्रयोग से पश्चिम के अनेक अन्वयायपूर्ण प्रस्तावों को, जिनमें काश्मीर प्रस्ताव भी शामिल है, धराशायी किया।

स्टालिन की विदेश नीति का मूल्यांकन

यद्यपि स्टालिन ने १९४५ से १९४८ के बीच पूर्वी यूरॉप पर सोवियत प्रभुत्व स्थापित करने एक बड़ी सीमा तक पीटर महान् के बाल से चली आ रही रूसी महावाफादाओं को पूरा कर लिया, परन्तु उसके बाद स्टालिन

के गर्व, अहंकार और हठधर्मिता से भरी हुई उष नीति सोवियत सभ के लिए अलामकारी ही सिद्ध हुई। दरअसल मे स्टालिन ने मृत्यु पर्यन्त एक आक्रमणकारी, गतिशील, अउगेशात्री और लौह आवरण की तथा समझौता विरोधी नीति का अनुसरण किया। पूर्वी यूरोप में अपने बचनों को ज़ुठला कर सोवियत प्रभुत्व का विस्तार किया गया, यूनान के गृह युद्ध में साम्यवादियों की सहायता की गईं टर्की पर वास्कोरस तथा दर्रे दानियाल के जलदमस्-मध्यों के सम्बन्ध में माण्ट्रेक्स (Montreux) के समझौते को बदलने के लिए दबाव डाला गया, मार्शल योजना की सहायता लेना अस्वीकार कर दिया गया, ईरान से साविपन सेनाओं के हटाने में देर लगाई गई, ट्नीटो को मास्को के गुट से निष्कालिन किया गया, कोरिया व हिन्द चीन में युद्ध हुए। स्टालिन की इस आनामक नीति से पश्चिमी दक्षिणय सशक्त हो गईं और उन्होंने बढ़ते हुए सोवियत प्रभाव को रोकने तथा साम्यवाद के प्रसार के विरोध के लिए अनेक उपाय किए। दृढ़त सिद्धान्त, मार्शल योजना, डक्क, प्रसेल्स सधिया, नाटो, पश्चिम यूरोप की एकता के लिये बनाए गए विभिन्न संगठन आदि स्टालिन की कठोर नीति के प्रभावशाली प्रत्युत्तर थे। १९४५ ४७ तक यूरोप की स्थिति स्टालिन के लिए बड़ी अनुकूल थी, लेकिन १९५३ तक यह स्थिति ऐसी नहीं रही। १९४६ में चीन में साम्यवादी विजय तथा १९५० में कोरिया-युद्ध के प्रारम्भ में पश्चिमी शक्तियों को कोरिया, जापान, फारमोसा और दक्षिणी पूर्वी एशिया में साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए कटिबद्ध कर दिया। मध्यपूर्व में टर्की और यूनान में हस्तक्षेप के कारण सोवियत रुस को वंसी हो बदनामी मिली जंसी बाद में आइजनाहोवर सिद्धान्त के प्रयोग से अमेरिका को मिली। एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों के प्रति भी स्टालिन की नीति अनुदार रही। अपनी हठधर्मिता के कारण वह इन राष्ट्रों की, स्वयं को दोनो मन्त्रि गुटों के प्रभाव से बचाने की इच्छा जोर नीति को नहीं समझ सका, उन्हें साम्यवाद का शत्रु मानने लगा। इससे उत्पन्न एक बड़ी सीमा तक इन राष्ट्रों का समर्थन छो दिया। तदस्थ देशों के प्रति स्टालिन ने विरोधी नीति का अनुसरण किया। उदाहरणार्थ, भारत को उसकी तदस्थता के कारण ही स्टालिन रुम विरोधी समझता रहा था। इसीलिए स्टालिन काल के इसी विन्धकौप में भारत के स्वाधीनता संग्राम को और महात्मा गांधी को पुञ्जीवाद का समर्थक बताया गया था।

स्टालिन की उषवादी कठोर नीति ने स्वयं साम्यवादी गुट में काफी दोष उत्पन्न कर दिया। जब यूगोस्लाविया में मार्शल ट्नीटो ने सोवियत सभ का अ धातुकरण करने से इन्कार कर दिया तो स्टालिन के निकले से निकल पड़ने के लिए अन्य साम्यवादी देशों में भी राष्ट्रवादी साम्यवाद की प्रवृत्तियों

को अधिक समर्थन मिलने लगा। इसकी अभिवृत्ति बाद में १९५६-५७ में पोलैण्ड तथा हंगरी के उपद्रवों में हुई। स्टालिन की 'लोह आवरण' की नीति से अन्य देशों में रूढ़िवादी प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न हुईं और अखिरकार की धारणाओं को बल मिला। जार्ज एफ केनन (George F. Kennan) का मत है कि १९५२ तक सोवियत नीति अनुपम हो गई थी और १९५३ में स्टालिन के उत्तराधिकारियों के लिए समय परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया।

बृहत्तराज्य स्टालिन की विदेश नीति में रूढ़िवाद (Conservatism) की शक्ति पाती है। उनके अनुसार वह पश्चिम पर शक्ति के बल पर हावी नहीं होना चाहता। उसने पश्चिमी शक्ति एवं सम्मान को नीचे गिराने तथा अपने साम्राज्य को शक्ति एवं स्थायित्व देने के प्रयत्न किये। अखिरकार में व्याप्त असन्तोष के प्रति वह सजग था तो भी सोवियत शक्ति के विस्तार के प्रत्येक अवसर का उसने लाभ उठाया। सन् १९५३ को पश्चिमी विचारकों द्वारा सोमाल्यावादी माना जाना है जबकि स्टालिन अपने नाम को छोट कर इस विश्व में सिधार गये। कदा जाता है कि स्टालिन ने एक जैसे पिछड़े व अविश्वसित देश को दुनिया की महान् श्रेष्ठ शक्ति एवं सैनिक शक्ति बना दिया तथा चगेररान और तैमूरलग जैसा साम्राज्य स्थापित कर दिया।

शांतिपूर्ण प्रतियोगिता का स्टालिनोत्तर काल

(१९५३-१९६७)

स्टालिन की मृत्यु तक सोवियत विदेशी नीति में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, किन्तु बाद में उसकी नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और वह फिर से विकासमुखी बनी। स्टालिन के बाद तीन मुख्य विकासों ने सोवियत संघ की शक्ति को बढ़ा दिया। प्रथम विदेश में यह था कि पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य में स्थायित्व आ गया। दूसरे सोवियत संघ की आर्थिक तथा सैनिक शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। तीसरे, रूस के दक्षिणी क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ने लगा। मध्यपूर्व, दक्षिणी एशिया और अफ्रीका के विकासशील देश उनका प्रभाव के क्षेत्र बन गये। विश्व का मतलब एक प्रकार से साम्यवाद की ओर झुक गया। स्टालिन के बाद यद्यपि सोवियत साम्राज्य नहीं बढ़ा किन्तु सोवियत संघ की अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति इतनी बढ़ गयी जितनी कि उसे कभी नहीं थी। स्टालिन के उत्तराधिकारियों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा वे थे—सोवियत साम्राज्य की रक्षा करना पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्य के स्थायित्व का पालन, पश्चिम में शक्ति प्राप्त करना, तथा जहाँ सम्भव हो सके वहाँ जिन साम्यवादी गुटों का उत्पन्न हो जाने की शक्ति का विस्तार करना, साम्राज्य की रक्षा करना, उसे प्राप्त करने से अधिक

कठिन होता है इसलिए उन्होंने इनकी स्थानीय स्वायत्तता प्रदान की, आर्थिक सम्बन्धों को कम शोषणयुक्त बनाया तथा जीवन स्तर के आधुनिक विकास को प्रोत्साहन दिया। स्टालिन के बाद नवियत रुस को चलित समस्या का सामना करना पडा, साम्यवादी चीन के साथ इसका रणनीतिक विवाद बढ़ा, माश्ल टीटो के साथ मतभेदों का उतार चढ़ाव आया, पोलैण्ड और हुंगरी में भाँतिपा हुई तथा एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीपों में बड़े नातिकारी परिवर्तन एवं सघर्ष हुए और इन सबके कारण सोवियत सघ की विदेश नीति के चक्र की गति काफी तेज हो गई।

मोस्कोव-वाल

स्टालिन की उग्रतावादी कठोर वैदेशिक नीति के जो परिणाम निकले और पारचात्य देशों एवं तटस्थ देशों में उसकी जो प्रतिप्रियाएँ हुईं, उनके फलस्वरूप अब सोवियत नीति का एक नवीन दिशा में उन्मुख होना स्वाभाविक तथा अनिवार्य था। इसीलिए स्टालिन के अविलम्ब उत्तराधिकारी मालेन्कोव ने दिवंगत नेता के अन्त्येष्टि सस्कार में ही घोषणा की कि— "लेनिन और स्टालिन की शिक्षाओं के अनुसार साम्यवादी तथा पूँजीपति देशों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने के लिए प्रबल प्रयत्न किया जाएगा।" मालेन्कोव का यह आश्वासन स्पष्टतः इस बात का संकेत था कि स्टालिन के उत्तराधिकारी पश्चिमी एवं गैर साम्यवादी देशों के प्रति स्टालिन-कालीन विरोध की उग्रता और कठोरता में कमी लाना चाहते थे। इसके तुरन्त बाद ही १५ मार्च, १९५३ को सुप्रीम सोवियत ने अपने देश की वैदेशिक नीति का उल्लेख करते हुए सोवियत प्रधानमन्त्री ने जोरदार शब्दों में कहा— "अब सोवियत विदेश नीति का महालान व्यापार की वृद्धि और शांति को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से किया जाएगा। कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसे शांतिपूर्वक हल न किया जा सकता हो। यह मिद्धान्त समुक्त राष्ट्र अमेरिका सहित विश्व के सब देशों के सम्बन्ध में समान रूप से लागू होता है।" सोवियत रुस की नीति में परिवर्तन का संकेत करने वाले इन विभिन्न घोषणाओं के कारण अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों में रुस के विरुद्ध प्रचार में कमी आयी। इसी के परिणामस्वरूप, अब तक पश्चिम के विरुद्ध जाग बरसाने वाले रूसी विदेश मन्त्री विस्सिस्की ने संयुक्त राष्ट्र सभ्य महा सभा की एक बैठक में भाषण देते हुए पश्चिम को निमन्त्रण दिया कि "आप मित्रता की सुरण में आये रास्ते तक आगे बढ़कर हमसे मिलें।" इससे साथ ही पश्चिमी देशों के विरुद्ध रुस द्वारा किये जाने वाले विरोधी प्रचार की उग्रता में भी कमी आ गई।

रूस की इस नई विदेशी नीति के सुखद परिणाम भी शीघ्र ही निकलने प्रारम्भ हो गए। अक्टूबर, १९५२ से चले आने वाले कोरियाई युद्ध का गति-रोध खत्म हो गया और १० अप्रैल, १९५३ को पानमुनजोन में ऋण एव घायल युद्ध बन्धियों का समझौता होने पर युद्ध भी समाप्त हो गया। रूस द्वारा टर्की और जर्मनी के प्रति मृदु नीति अपनाई गई। १५ मई, १९५५ को वास्ट्रिया के सम्बन्ध में शांति संधि हो गई। फ़िनलैंड के सैनिक अहड्डे सोवियत सैनिकों द्वारा खाली कर दिये गये। सोवियत सेना में १ लाख ८० हजार सैनिकों की कमी की गई। १९५४ में जेनेवा सम्मेलन द्वारा हिन्दचीन की समस्या का शांतिपूर्ण हल निकाला गया। सोवियत सघ ने यूनान और इजरायल के साथ पुनः कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये। यूगोस्लाविया के साथ मतभेदों को दूर करके उसे पुनः साम्यवादी परिवार में लाने की चेष्टा की गई। २६ अप्रैल, १९५३ को मोलोटोव ने यूगोस्लाव प्रतिनिधि से कूटनीतिक सम्बन्धों की पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में बातचीत की और मई, १९५३ में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध फिर से कायम हो गए। इसके उपरान्त सोवियत नेताओं ने यूगोस्लाव साम्यवादी पार्टी के साथ भी अपने सैद्धान्तिक मतभेदों को दूर करने के प्रयत्न किए।

मालेन्कोव के नेतृत्व में सोवियत रूस की लौह आवरण की नीति में भी शिथिलता का वर्ताव किया जाने लगा। बाह्य दुनिया से निकट सम्पर्क कायम करने का प्रयास किया गया ताकि सोवियत सघ छोड़े की दीवार में बन्द नहीं समझे जायें। स्टालिन विन्व को दो विरोधी गुटों में विभाजित मानता था, लेकिन नई नीति के अनुसार इसको शक्ति सतुलन की प्रक्रिया माना गया और इसको अपने पक्ष में करने के लिए तउत्सव राष्ट्रों को सदिच्छा प्राप्त करने की चेष्टा की गई।

ख़ुश्चेव युग

इस समय सोवियत सघ में भीतर ही भीतर नेतृत्व के लिए सघर्ष चर रहा था। श्री मालेन्कोव इस सघर्ष में पराजित हुए, फलतः ८ फरवरी, १९५५ को उन्हें प्रमानमन्त्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। अब मार्शल बुग्गानिन नये सोवियत प्रधानमन्त्री बने तथा श्री खुश्चेव पार्टी के महा सचिव नियुक्त हुए।

१९५५ से १९६३ तक की सोवियत विदेश नीति का युग ख़ुश्चेव युग है क्योंकि फरवरी, ५५ से मार्च १९५८ तक के बुग्गानिन के प्रधान मन्त्रीत्व काल में भी वास्तविक प्रभाव एक प्रकार से श्री ख़ुश्चेव का ही था। इस युग में सोवियत विदेश नीति में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और उसका जिस प्रकार

उत्थालन हुआ, इन सबका अध्ययन पृथक-पृथक शीर्षकों के अन्तर्गत निम्न रूप से किया जा सकता है—

(१) लौह आवरण में शिथिलता, यात्राओं की कूटनीति—इस युग में सोवियत लौह आवरण की नीति में पर्याप्त शिथिलता आई और 'यात्रा-कूटनीति' का महत्व बढ़ा। सोवियत संघ के विभिन्न सांस्कृतिक, सशस्त्रीय शिष्ट मण्डल विदेशों में जाने लगे और विदेशों के ऐसे ही शिष्ट मण्डल साम्यवादी जगत में आमन्त्रित किए जाने लगे। स्टालिन बाह्य देशों के साथ सम्पर्क का घोर विरोधी था और सम्भवतः केवल एक बार तेहरान सम्मेलन के समय अपने देश से बाहर गया था अथवा युद्ध सम्मेलनों में ही चर्चिल और रुजवेट्ट से उसकी मुलाकात हुई। लेकिन अब श्री ख्रुश्चेव, बुल्गानिन आदि उच्चतम स्तर के सोवियत नेता दूसरे देशों का सद्भाव पाने और उनकी मंत्री अजित करने के लिए विभिन्न देशों की यात्राएँ करने लगे और उन देशों के नेताओं को अपने महा आमन्त्रित करने लगे।

जून, १९५५ में भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नेहरू सोवियत रूस द्वारा आमन्त्रित किए गए और नवम्बर, १९५५ में श्री ख्रुश्चेव तथा बुल्गानिन ने भारत यात्रा की। इससे दोनों देशों में सद्भाव और मैत्री की वृद्धि हुई तथा सोवियत नेताओं की भारत की असलमनता की नीति के प्रति स्टालिन काल से जो सन्देह बना हुआ था, वह दूर हो गया। अग्रेल, १९५६ में दोनों नेता ग्रैंट ब्रिटेन गए। १९५६ के आरम्भ में प्रथम सोवियत उपप्रधानमन्त्री श्री निकोयान ने १५ दिन तक अपने प्रबल विरोधी समझे जाने वाले अमेरिका की यात्रा की और १७ जनवरी को राष्ट्रपति ओइजनहॉवर द्वारा अमेरिका में १९४५ में मोलोटोव के बाद पहली बार व्हाइट हाउस में किसी रूसी राजनीतिज्ञ का स्वागत किया। सोवियत उपप्रधानमन्त्री ने दोनों देशों में व्यापार की वृद्धि की आवश्यक बताया और इस बात पर ध्यान दिया कि 'शीत-युद्ध (Cold-war) का स्थान 'शांतिपूर्ण प्रतियोगिता' (Peaceful competition) को लेना चाहिए। स्वदेश वापस लौटने पर श्री निकोयान ने ३१ जनवरी, १९५६ को सोवियत साम्यवादी पार्टी के २१ वें अधिवेशन में मास्को में कहा कि उन्होंने अमेरिकन राजनीतिज्ञों और नेताओं के साथ जो भी वार्तालाप किया उसमें उन्हें कहीं सोवियत साम्यवाद के 'निरोध' (Containment), 'पीछे धकेलने' (Roll back) तथा "साम्यवाद को दासता से मुक्ति" (Liberation) की कोई चर्चा नहीं सुनाई दी। निकोयान द्वारा अमेरिका की अपनी यात्रा से उपयुक्त वातावरण तैयार कर दिए जाने के उपरान्त सितम्बर १९५६ में सोवियत प्रधानमन्त्री श्री ख्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की। फरवरी-मार्च,

१९६० में श्री ख्रुश्चेव ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों-भारत, वर्मा इण्डोनेशिया अफगानिस्तान आदि की यात्रा की।

सोवियत नेताओं द्वारा लौह आवरण में सिधिलता किए जाने और विश्व के विभिन्न दशा की यात्रा करने से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में निश्चित कमी हुई और दोनों विराधी पक्ष एक दूसरे के प्रति उतने जबरदस्त रादेहगील न रहे जितने स्टालिन काल में थे।

अपनी इन यात्राओं में रूसी नेताओं ने शासनाध्यक्षों के निस्तर सम्मेलन बुलाने पर बारम्बार बल दिया। एसा एक सम्मेलन जुलाई, १९५५ में जेनेवा में हुआ जिसने हिं दचीत की समस्या को बल दिया। दूसरा सम्मेलन मई १९६० में हुआ जो दुर्भाग्यवश सू २ विमानकांड से उत्पन्न वातावरण का शिकार बनकर असफल हो गया।

(२) शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की ओर विचारों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करने की नीति—स्टालिन की मृत्यु के बाद शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का शुभारम्भ मालेन्कोव के प्रधानमन्त्रित्व काल में ही हो चुका था, किन्तु इसे निखार ख्रुश्चेव युग में और बाद में वर्तमान कोसीगिन युग में मिला। फरवरी १९५६ में रूसी साम्यवादी दल की जो २०वीं कांग्रेस हुई उसमें स्टालिन तथा उसकी नीतियों की कटु आलोचना की गई और साम्राज्यवादी देशों से युद्ध की अनिवार्यता के लेनिन सिद्धांत को सशोधित कर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सोवियत विदेश नीति का आधार बना दिया। कांग्रेस की विशेष रिपोर्ट में श्री ख्रुश्चेव ने स्टालिन युग में किए गए अराधना का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि स्टालिन हम प्रकार से व्यवहार करता था मानों वह सब कुछ जानता है सब कुछ दखता है सब के लिये मोचता है सब कुछ कर सकता है और गलती भी भा नहीं करता है। वह अपना आपको ईश्वर मान कर चलता था। उसका व्यवहार अमानवीय एवं हिमात्मक था। श्री ख्रुश्चेव ने कहा कि यदि उन्हें और बुगानिन की कभी स्टालिन बुलाता था तो उन्हें यह विद्वान नहीं होता था कि वे सजुगल करने पर लौट सकेंगे। 'स्टालिन कभी भी समस्या बुझाकर काम नहीं लेता था किन्तु वह अपनी मान्यताओं को लादता था तथा अपने मतों पर पूर्ण अडिग की मांग करता था। स्टालिन ने एक बार ख्रुश्चेव से मार्गन टीटा के प्रति श्रेय प्रकट करत हुए कहा था कि—' मैं अपनी छोटी अगुली टटा दूंगा और टीटा नहीं रहगा, वह गिर जायेगा।'

श्री ख्रुश्चेव की प्रेरणा से इनके समय को विश्व नीति अंगीकृत की गई उसकी ५ प्रमुख विशेषतायें थी—

प्रथम, जहाँ स्टालिन के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अर्थ केवल युद्ध का न होना माना था, वहाँ श्री खुद्सेव ने इसका अर्थ यह माना कि सभी गैर साम्यवादी राष्ट्र (विशेषतः एशिया और अफ्रीका के तटस्थ राष्ट्र) सोवियत संघ के साथ नहीं हैं ।

दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर दृढ़ विद्या गया ।

तीसरे, साम्राज्य की कूदनीति स्वीकार की गई और यह माना गया कि दूसरे देशों से अन्धे सन्धियों की स्थापना करने के लिए सोवियत नेताओं को अन्य देशों की मात्रायें करनी चाहिये तथा लौह आवरण को सिद्धिल कर साम्यवादी एवं गैर-साम्यवादी देशों के मध्य सम्पर्कों की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिए ।

चौथे, सोवियत संघ द्वारा विश्व के अल्प-विकसित देशों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता अनुभव की गई ।

पाचवें, पश्चिमी शक्तिशाली को साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादी बता कर उनकी निन्दा करते हुए भी उनके साथ लुके संधयें की नीति का परित्याग किया गया । खुद्सेव के शब्दों में "सोवियत संघ शांति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति को मालता है । " हम सद्बल राष्ट्र अमेरिका या अन्य किसी भी देश के विरुद्ध युद्ध करने की नहीं सोच रहे हैं " हम शांतिपूर्ण निर्माण में, रचनात्मक कार्य में प्रतियोगिता करना चाहते हैं ।"

शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नई सोवियत नीति के अनुसार गैर साम्यवादी देशों को एक नहीं, अतिसु हीन वर्गों में बाटा गया है—(१) मजबूत राष्ट्र अमेरिका (२) अमेरिका के समर्थक और सहयोगी, एवं (३) तटस्थ देश, जैसे भारत, इण्डोनेशिया, इराक, मिस्र, सीरिया, यूगोस्लाविया, जर्मनी, स्विट्जरलैण्ड । दूसरे दो दो में पहले रूस दुनिया में दो ही रंग के फूल देखा था—लाल और सफ़ेद । अब वह इसमें लाल, पीले, नीले, हरे, सभी प्रकार के फूल देखने लगा । पहले उसकी नीति लाल रंग के फूलों के सिवाय सब तरह से फूलों के सम्पर्क-रन्धन की थी, अब वह सबके साथ-साथ रंग के 'शांतिपूर्ण सहअस्तित्व' की बात करने लगा था । १२ अक्टूबर, १९५४ को सोवियत संघ और चीन की सरकारों की एक सद्बल घोषणा में स्पष्टतः कहा गया कि व समस्त देशों के साथ पंचशील के सिद्धान्तों के आधार पर मैत्री सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं ।

यह उल्लेखनीय है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति ने सोवियत

संघ में किसी प्रकार का घरेलू परिवर्तन नहीं किया है। हा इस सिद्धान्त के आधीन रूसी विदेश नीति में एक निश्चित लचीलापन (Flexibility) अवश्य प्रविष्ट कर सका है। इण्टरनेशनल म्यूज सर्विस एजेंसी के मुख्य सम्पादक टर्नर आर हर्स्ट (W R Hearst) को एक इन्टरव्यू में श्री खुश्चेव ने स्पष्ट किया था कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका वा शांतक पक्ष इसी अराधिष्ठ तन्त्र को स्वीकार कर ले कि विश्व में एक समाजवाद की दुनिया कायम है जो अपने आदर्शों के अनुरूप जनता के मार्ग पर अग्रसर है एवं इस समाजवादी दुनिया के अतिरिक्त एक पूंजीवाद का समार भी है तो वह (सोवियत रूस) इन दो विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच सह-अस्तित्व की सम्भावनाओं को स्वीकार कर ले। अपने इसी इन्टरव्यू में श्री खुश्चेव ने दृढ़ शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि रूस इस बात को किसी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकता कि समार के प्रत्येक देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका हावी होने की चेष्टा करे। यदि अमेरिका पूंजीवादी दृष्टिकोण से विश्व का सर्वाधिक विकसित और और शक्तिशाली देश है तो सोवियत संघ भी सबसे अधिक शक्तिशाली समाजवादी देश है। अत उचित यही है कि दोनों देश अपने विवादों का हल शस्त्रीकरण की शीट में भाग लेकर के और युद्ध सामग्री एकत्रित करके नहीं करें बल्कि इन्हे हल करने के लिए अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को समुन्नत बनाने और अपनी जनता के सांस्कृतिक विकास व कल्याण को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। श्री खुश्चेव ने तन्त्रपूर्ण शब्दों में बताया कि कौनसी व्यवस्था अच्छी है—इसका निर्णय हमियारों द्वारा नहीं किया जा सकता, इसके लिए तो विवेक की आवश्यकता है।

स्टालिन की मृत्यु के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त को मानने व निश्चित प्रमाण भी सोवियत रूस ने प्रस्तुत किये। उदाहरणार्थ, जुलाई, १९५३ को कोरिया युद्ध की समाप्ति में रूसी सहयोग मित्रा, जनवरी-फरवरी १९५४ में चार बड़ों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें किये गये निरवय के अनुसार अप्रैल में जो जेनेवा सम्मेलन हुआ उसमें विषयनाम की समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया गया। १५ मई, १९५५ को आस्ट्रिया के साथ शांति संधि हुई। जुलाई, १९५५ में चार बड़ों का शिखर सम्मेलन हुआ जो १९४५ के पोर्ट्समथ सम्मेलन के बाद चार बड़ों की पहली बैठक थी। इसमें हिन्दचीन के प्रश्न का शांतिपूर्ण निबटारा हुआ। इसी मध्य १५, जून १९५५ को सोवियत संघ ने बालेमागरीय प्रदेश में टर्की के विरुद्ध अपनी प्रादेशिक मार्गों का परित्याग करने की घोषणा की।

सोवियत संघ ने समुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव को नियुक्ति पर अपने पहले के दुरायही रख को छोड़कर श्री डाग हैमरशोल्ड को महासचिव के रूप में स्वीकार कर लिया। जुलाई, १९५५ में भारत के प्रयत्नों और रूस के समर्थन से साम्यवादी चीन ने ११ बड़ी अमेरिकन विमान चालकों को रिहा कर दिया। रूस द्वारा अपनायी गयी इस सहयोगपूर्ण और उदार नीति का समुक्त राष्ट्रसंघ पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ा। इसी सहयोग पावर अब वह अधिक प्रभावशाली रूप में कार्य करने लगा। नवम्बर-दिसम्बर १९५५ में एक तरफ सोवियत रूस ने और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन एवं समुक्त राज्य अमेरिका ने यह निश्चय किया कि वे एक दूसरे के द्वारा प्रभावित राज्यों को समुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के प्रस्तावों का विरोध नहीं करेंगे। इस निश्चय के परिणामस्वरूप ८ दिसम्बर, १९५५ को १८ राज्यों को समुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्रदान की गई। सोवियत नेताओं ने दूसरे देशों की सद्भावना बनाए रखना शुरू किया। १८ अप्रैल, १९५६ को कामिनफोर्म को भंग कर दिया। जुलाई-अगस्त १९६३ में अणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि सम्पन्न की गई जिसे १९२२ की वाशिंगटन संधियों के पश्चात् निःशस्त्रीकरण के प्रयत्नों की प्रथम सफलता कहा जा सकता है। अगस्त में ही मास्को और वाशिंगटन के मध्य सीधा टेलिफोन तथा रेडियो सम्पर्क स्थापित करने का समझौता (U. S. Soviet Hot Line Agreement) किया गया जिसका उद्देश्य यह था किसी भी सकलकालीन स्थिति में दोनों राष्ट्रों के अन्वय एक-दूसरे से सीधी वार्ता के द्वारा विवाद को आणविक तिकार होने से रक्षा करें।

सुदृष्ट काल में 'पूर्व' और 'पश्चिम' के सम्बन्धों में निश्चित रूप से सुधार हुआ, किन्तु इसका यह आशय नहीं है कि शीतयुद्ध समाप्त हो गया अथवा रूस और पश्चिमी शक्तिशा परस्पर मित्र बन गये। इसके विपरीत राजनीतिक अन्तु के रूप में दोनों की स्थिति यथा पूर्वं रही और कूटनीतिक दाव पेशों के जरिये अपना-अपना प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाने में दोनों ही पक्ष अग्रसर रहे। मूल अन्तर केवल यही हुआ कि स्टालिनवादी उपवादी नीति का स्थान चानुर्प-पूर्ण और गहन कूटनीतिक उदार नीति ने ले लिया जिसमें प्रत्येक अनुकूल अवसर ने प्रत्येक लाभ उठाने की चेष्टा जारी रही। मोरे-बमोके ऐसे अवसर उपस्थित होते रहे और ऐसी घटनाएँ घटीं जिनमें समय-समय पर स्थित युद्ध को तीव्रता मिली और दोनों पक्षों में कटुता का व्यापक प्रसार हुआ; उदाहरणार्थ, १९५६ में स्पेन नहर और हंगरी के प्रश्न को लेकर दोनों पक्षों में अत्यधिक कटुता उत्पन्न हो गई, मई १९६० में यू-२ विमान की घटना ने दोनों पक्षों में शीत युद्ध का अन्त ला दिया और १९६२ में क्यूबा के संकट

ने दोनों महाशक्तियों को सघर्ष के इतने निकट ला दिया कि तृतीय महायुद्ध के विस्फोट की सम्भावना से विश्व की सम्पूर्ण शांतिवादी जनता प्रसन्न हो उठी। फिर भी इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सबूट के प्रत्येक अवसर को ढालने में न्यूनाधिक रूप से दोनों ही पक्षों ने विवेक और धर्म का महारा लिया तथा रस्सी को इतना नहीं खिंचने दिया कि वह टूट जाय। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ इन दोनों महाशक्तियों में इस अनुभूति को बल मिला कि सैनिक शक्ति अथवा युद्ध के द्वारा एक-दूसरे को समाप्त करने की नीति न केवल अव्यावहारिक बल्कि आत्मघाती होगी और यदि यह अस्तित्व को नहीं अपनाया जायगा तो उसका एक मात्र विकल्प सह-विनाश रोग।

(३) अविश्वसित राष्ट्रों को आर्थिक सहायता—जैसा कि कहा जा चुका है, मालेन्कोव और खुश्चेव के युग में सोवियत संघ ने भी अल्प-विकसित देशों को आर्थिक, प्राविधिक और सैनिक सहायता की नीति अपनायी जो आज तक सोवियत विदेश नीति का एक प्रमुख अंग बनी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा १९८० से ही ट्रुमैन सिद्धान्त और मार्शल योजना के अन्तर्गत अल्प-विकसित देशों के लिये आर्थिक सहायता का कार्यक्रम अपनाया गया था ताकि उन देशों में बढ़ते हुए साम्यवादी प्रभाव को रोका जा सके। इसके प्रत्युत्तर में स्टालिन युग में सोवियत संघ ने अल्प विकसित देशों को विकसित करने की अपेक्षा उनमें साम्यवाद के प्रचार और तोड़फोड़ के सिद्धांत को अपनाया। परन्तु स्टालिनोत्तर युग में नवीन नीति का समारम्भ हुआ जिसके अनुसार संघ द्वारा अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास पर बल दिया जाने लगा। इसके परिणामस्वरूप जनवरी १९५४ से जनवरी १९६३ तक दोनों ही देशों द्वारा अल्प विकसित एवं अविश्वसित राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने की एक प्रतियोगिता सी प्रारम्भ हो गई।

सोवियत संघ द्वारा अविश्वसित तथा अल्पविकसित राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति का प्रभावशाली रूप में अनुकरण करने में ही वाल्टर लिपमन (Walter Lippmann) को यह लिखने पर विवश कर दिया कि "पहले संघ ने आणविक आयुधों पर पश्चिम के एकाधिकार को भंग किया और अब वह अल्प-विकसित देशों का आर्थिक महत्त्व ग्रहण करने में पश्चिम के आर्थिक एकाधिकार को तोड़ने लगा है।"

अविकसित देशों को आर्थिक सहायता देने की नीति का अवतारम्भ करने के साथ सोवियत संघ ने उत्पादन और सैनिक शक्ति में अपने को पश्चिमी देशों से श्रेष्ठतर सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया। श्री गुन्नेव का

स्पष्ट मत था कि, "अब सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है ? यह है पूँजीवाद को पराजित करना । जो बड़े पैमाने पर उत्पादन के द्वारा अधिक पैसा करेगा वह विजयी होगा ।" इस नीति के फलस्वरूप रूस के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई सैनिक शक्ति में भी सोवियत संघ तेजी से आगे बढ़ा । १९५७ में स्पूतनिक और १९५९ में ५० मेगाटन बम का निर्माण करके वह राकेट तथा आणविक शस्त्रों की शीड में समुक्त राज्य में भी आगे निकल गया ।

(४) उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध—श्री ख्रुश्चेव ने एशिया और अफ्रीका के देशों तथा अमलग्न विश्व (Uncommitted World) की महानुभूति प्राप्त करने के लिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोधी प्रचार को और भी तीव्र कर दिया । समुक्तराष्ट्र संघ में और अन्यत्र वह साम्राज्यवादी शक्तियों की घोर निन्दा करने लगा और उपनिवेशों तथा गुलाम राष्ट्रों को स्वतन्त्र बनाने के सभी प्रस्तावों और आन्दोलनों को प्रबल समर्थन देने लगा । उसी नेताओं की मान्यता थी कि इस नीति से उन्हें दोहरा लाभ मिलना है । पहला तो यह कि एशिया और अफ्रीका की साम्राज्यवाद से पीड़ित जनता की सहानुभूति उसे प्राप्त होती है और दूसरे साम्राज्यवाद के विघटन में रूस के प्रबल एवं कट्टर शत्रु पूँजीपति पश्चिम की प्रभुता क्षीण होती है ।

वास्तव में स्टालिन की मृत्यु के बाद से ही, विरोधकर श्री ख्रुश्चेव के प्रभाव में आने के उपरान्त से एशिया और अफ्रीका के अल्पविकसित या अविकसित देशों और उपनिवेशों के प्रति सोवियत नीति के निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्य रहे—

(i) भूतपूर्व उपनिवेशी अथवा अर्ध-उपनिवेशी देशों के सदेह एवं राष्ट्रीय सम्मान का अच्छी प्रकार ध्यान रखने हुए उनके प्रति पूरी तरह मित्रता एवं सौहार्द दिखाना,

(ii) इन देशों के पश्चिम के साथ अतीत के बटु सम्बन्धों का फायदा उठाते हुए इन्हें पश्चिम से और भी विमुक्त बना देना;

(iii) न केवल उपनिवेशवाद विरोधी बरन जातिवाद विरोधी प्रवृत्तियों को भी उगाड़ना;

(iv) राजनीतिक सहम्यता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना;

(v) औद्योगीकरण के द्वारा उनकी अपनी अर्थ-व्यवस्था को विकसित करने की महत्वाकांक्षा को सहारा देना; ही सऊ तो सोवियत सहम्यता एवं पारस्परिक व्यापारों के सम्बन्धों की ओर उनकी झुकाना,

(vi) प्रत्येक झगड़े को उकसाना जो वे पश्चिम के साथ रख सकते हैं,

(vii) विदेशी पूँजी या सहायता को उनकी स्वतन्त्रता एवं सम्मान के विरुद्ध बना कर सन्देह की भावना फैलाना,

(viii) उनकी आँखों के सामने सोवियत रुम के तीव्र औद्योगीकरण की आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना ताकि स्थानीय लोग यह समझ सकें कि केवल साम्यवाद ही बहुत कम समय में ऐसी उपलब्धियाँ को साकार कर सकता है।

सोवियत राष्ट्र के शक्ति एवं प्रभाव के विस्तार के मुख्य आकर्षण केन्द्र तीन हैं, अफ्रीका, एशिया एवं लेटिन अमेरिका। शेपिलोव (Shepilov) ने पूर्व के सम्बन्ध में कहा था कि सोवियत जनता पूर्वी राष्ट्रों के समाप्त होते हुए उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वायत्त सधर्मों को प्रेम तथा सहानुभूति से सम्मान प्रदान करती है। उन्होंने एक बार कहा था कि हमारा विश्वास है कि प्रत्येक जनता (People) को उसकी राष्ट्रीय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता तथा आत्म निर्णय का कभी न छोना जाने वाला अधिकार है।

ख्रुश्चेव का पतन, उसकी नीति का मूल्यांकन—ख्रुश्चेव के समय सोवियत नीति में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में यह जिन नई दिशाओं की ओर उन्मुख हुई, उसका समीक्षात्मक वर्णन हम कर चुके हैं।

ख्रुश्चेव की नीति का मूल्यांकन करते समय प्रमुख प्रश्न यह उठता है कि क्या उसके समय की विदेश नीति की नई विशेषतायें मौलिक परिवर्तनों की सूचक हैं? स्टालिन द्वारा प्रतिपादित नीतियों का विरोध और नि-स्टालिनीकरण (De Stalinization) स्याई है अथवा अस्याई। और क्या यह एक स्याई तथ्य है कि रुस में विश्व भ्रान्ति का उत्साह वास्तव में शिथिल हो गया है तथा उसमें उदारवाद की प्रवृत्तियाँ स्याई रूप से प्रबल हो गई हैं। इन सब प्रश्नों का यथार्थ उत्तर तो भविष्य ही देगा। यद्यपि श्री ख्रुश्चेव के बाद से (अक्टूबर १९६४ के बाद से अभी तक) (अगस्त १९६६ तक) सोवियत नेताओं की नीति ख्रुश्चेववादी ही रही है और सोवियत प्रधानमंत्री श्री कोसीगिन एवं राष्ट्रपति ब्रेज्नेव रुस की सह अस्तित्व एवं शान्तिवादी नीति को जारी रखने के लिए कटिबद्ध प्रतीत होते हैं, तथापि इतने अल्पकाल में एवं राष्ट्र की परिवर्तित विदेश नीति का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, हाँ कुछ वर्षों के इतिहास से इसी बात की आशा बनती है कि सोवियत रुस अपनी उदार नीति पर चलता रहेगा।

इस उदय में यह उल्लेखनीय है कि कुछ विद्वानों ने सोवियत विदेश नीति के बारे में अनेक मनोरंजक कल्पनाएँ की हैं। सुप्रसिद्ध इतिहासकार टायनबी ने वही यह अस्तित्व एवं उदारवाद की नीति की व्याख्या के लिए साम्यवाद की इस्लाम के साथ तुलना की है। उनका कहना है कि साम्यवाद इस्लाम की भाँति उच्च प्रचारक, संनिकवादी आन्दोलन है। जिस तरह दूधरे देशों को जोतने और बहा की जनताओं को मुसलमान बनाने के बाद इस्लाम का उत्साह छिपल हो गया था और उसने अन्य धर्मों के साथ समझौता कर लिया था वही प्रकार साम्यवादियों का जोश मन्द पड़ रहा है और उन्होंने भी अन्य देशों के साथ मित्रता पूर्वक रहने के लिए सन्दिग्ध यह अस्तित्व की नीति ग्रहण की है।

लेकिन श्री रॉबर्ट स्ट्राउज़-हुपे (Robert Strausz-Hupe) ने टायनबी के मत का खटन किया है। उनका कहना है कि "इस्लाम के उत्साह म मदी या नयी कई शताब्दियों बाद शायों व्यक्तियों को मुसलमान बनाने और मारने के बाद विरोधी शक्तियों के प्रबल होने से आई थी। साम्यवाद में वही ऐसी कोई अवस्था दृष्टिगोचर नहीं होती।" श्री हुपे और तर्कों के समान कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि उदारवाद रुक की अल्पकालिक नीति है अन्यथा उसकी मूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। स्टालिन के समय बुद्धि-आंदोलनों में अनेक बड़े नेताओं की पदावनति होती थी जो आज भी ज्यों की त्यों है। उदाहरण के लिए स्टालिन के बाद उसके विश्वास-पात्र बेरिया को मौत की सजा मिली। स्टालिन के उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री मालेन्कोव कजाखस्तान के एक बिजली घर के सवालक बनाकर राजनीति से दूर पटक दिये गये, प्रधानमंत्री बुल्गानिन को स्टाइरोपोल प्रदेश की आर्थिक परिषद का अध्यक्ष बना कर निकाल फेंका गया और उसके बाद, स्टालिन ही की तरह उस पर छा जाने वाले श्री ख्रुश्चेव तक को अक्टूबर १९६४ में अपदस्थ कर दिया गया और १५ अक्टूबर, १९६४ को वास एजेन्सी ने घोषणा की कि, "अधिक भाग्य तथा स्वास्थ्य खराब होने के कारण श्री ख्रुश्चेव को साम्यवादी पार्टी के मंत्री तथा प्रधानमंत्री के पद से मुक्त किया गया है। केन्द्रीय समिति ने १४ तारीख को इन दोनों पदों से ख्रुश्चेव का त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है तथा त्रिशीदिन को प्रधानमंत्री और ख्रुश्चेव को साम्यवादी पार्टी का सचिव बनाया गया है।" रुक के मामले में विशेष रूप से सिद्धहस्त पाश्चात्य पूँजीपतियों की मान्यता है कि वही विदेश नीति का प्रमुख घटक पूँजीवादी समाज और वातावरण का उन्मूलन है, इसमें कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं है।

खुश्चेव के पतन के बाद सोवियत विदेश नीति तथा सोवियन कूटनीति को नयी दिशाएँ

खुश्चेव के पतन के बाद अक्टूबर, १९२४ में सोवियत संघ का नेतृत्व दो नये व्यक्ति—तोमिगिन और ब्रेजनेव के हाथों में आया। अनेक क्षेत्रों में यह आगमन व्यक्त की गई कि नया नेतृत्व स्टालिनवादी होगा तथा सोवियत विदेश नीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आयेगा। किन्तु इस प्रकार की आशाओं का समाधान करते हुए नये सोवियत नेताओं ने घोषणा की कि नयी विदेश नीति के क्षेत्र में खुश्चेववादी परम्परा ही अरनायी जायेगी। नये नेताओं ने कहा कि पहले की विदेश नीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होगा तथा सोवियत संघ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त में विश्वास करता रहेगा। यह भी कहा गया कि परमाणुविक परीक्षण को बन्द कराने और निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयास जारी रहेंगे, चीन युद्ध में तीव्रता नहीं आने दी जायेगी तथा समार के पिछड़े राष्ट्रों की विकास योजनाओं में रुचि यथाशक्ति सहायता देता रहेगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि १९६४ के अन्त से लेकर अब तक अर्थात् १९६६ की समाप्ति तक सोवियत विदेश नीति में अधिकांशतः खुश्चेववादी परम्परा का ही निर्वाह किया गया है और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की सम्भावनाओं को पहले से अधिक सकल धनाया गया है, किन्तु साथ ही यह भी सच है कि सोवियत कूटनीति ने कुछ नये पैतरे भी बसके हैं—विशेषकर भारत व पाकिस्तान के सम्बन्ध में। अग्रिम पत्रियों में हम खुश्चेवोत्तर युग में सोवियत विदेश नीति और कूटनीति के क्षेत्र में उसके नये पैतरो का उल्लेख करेंगे।

अमेरिका व पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति रुढ़ी रवैया—पश्चिमी राष्ट्रों, विशेषकर समुच्चत राज्य अमेरिका के प्रति सोवियत विदेश नीति का रवैया बहुत कुछ खुश्चेववादी है। रुढ़ी नेताओं का विश्वास है कि अमेरिका से उन्हें कोई तात्कालिक सैनिक या राजनीतिक खतरा नहीं है। खुश्चेव के बाद की सोवियत विदेश नीति में पश्चिम के प्रति किसी विशेष परिवर्तन का संकेत नहीं मिला है। अमेरिका के साथ उलझने और शीत युद्ध को पुनः चालू करने के बर्दे बरसर आये हैं, लेकिन सोवियत नेताओं ने स्थिति को बिगड़ने देने का प्रयास नहीं किया है। उत्तरी कोरिया में जॉनसन प्रशासन और निसन प्रशासन के समय हुए अमेरिकी जासूमी वाण्डों के दौरान भी सोवियत संघ ने सयम् ही प्रदर्शित किया और ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जिससे आपसी तनाव बढ़े तथा शीत युद्ध का प्रसार हो। वियतनाम की समस्या पर भी रुस का यही

रख रहा है कि वार्ता द्वारा समस्या का समाधान हो जाय । उत्तरी विषयनाम को विशाल सैनिक सहायता देते हुए भी सोवियत नेताओं ने ऐसा मान घण पैदा नहीं किया है जिससे अमेरिका के साथ समझौता वाता के द्वार ही बन्द हो जाय ।

खुशबूखालीन यात्राओं की हूटनीति भी जारी रखी गई है । अक्टूबर, १९६६ में सोवियत विदेश मंत्री शोमिको ने राष्ट्रपति जानसन से मुलाकात करके निःशस्त्रीकरण और विषयनाम के प्रश्न पर बातचीत की थी । तब राष्ट्रपति द्वारा सोवियत प्रधान मंत्री कोसिगिन को अपन देश जाने का नियन्त्रण दिया गया और यह भी मकेत किया गया कि वदने में बहू कम की यात्रा के नियन्त्रण का स्वागत करने । सौभाग्यवश इन दो महान् राष्ट्रों के सर्वोच्च नेताओं का शिगर सम्मेलन जून, १९६७ में सम्भव हो सका । जून १९६७ में हुए अरब-इजराइल सघर्ष के फलस्वरूप दोनों देशों के सुधरने हुए सम्बन्धों में कुछ कटुता भा गई । सभ्य राज्य अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों ने इजराइल का और सोवियत रूस ने अरब राष्ट्रों का पक्ष लिया । अरब-इजरायल सघर्ष के फलस्वरूप सभ्य राष्ट्रों में पश्चिमी एशियायी सङ्घ पर समुक्त राष्ट्र सघ की महा-सभा का जो अधिवेशन जून, १९६७ में हुआ उसने भाग लेने के लिए सोवियत प्रधान मंत्री कोसिगिन स्वयं उपस्थित हुए । प्रारम्भ में ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो दिल्ली झुका होने के बावजूद जानसन और कोसिगिन में से कोई भी सिलर वार्ता के लिए उतुक्ता नहीं दिखाना चाहता था । किन्तु घाद में अचानक ही प्लासबरो में दोनों नेताओं ने घटी एवान्त मत्रणा की और फिर अपने परामर्शदाताओं के साथ की गई बातचीत अपने दिन रविवार, २५ जून, १९६७ को भी जारी रखी । वार्तालाप में विषयनाम और पश्चिमी एशिया पर मुख्य रूप से वैचारिक आदान-प्रदान हुआ और निःशस्त्रीकरण तथा परमाणु शक्ति के विस्तार के सवाल भी बहने लगे रहे । परमाणु अस्त्रों के विस्तार पर जहुश लगाने के बारे में दोनों पक्षों की ओर से अनुकूल वाता-वरण बनाने की बात कही गई ।

विद्व की दोनों महा शक्तियों द्वारा एक दूसरे के प्रति समय बरतने की कूट नीति से यही संकेत मिलता है कि आधुनिक विश्व शान्ति में ये दोनों महान् राष्ट्र पहले की अपेक्षा अब एक दूसरे के अधिक नजदीक आने लगे हैं । साम्यवादी चीन की साथ सोवियत रूस के सम्बन्ध कटु से कटुतर होने जा रहे हैं और सीमा क्षेत्रों पर दोनों देशों में सैनिक झड़पें भी हुई हैं । अतः अनेक राजनीतियों की धारणा है कि पश्चिमी, विशेषकर समुक्त रा-य अमेरिका के प्रति सोवियत संघ में इन प्रकार का परिवर्तन परिस्थितियों से विद्व

हो कर किया गया है। चीन से उलझने की भावी आशंका को ध्यान में रखते हुए ही सोवियत नेताओं ने पश्चिम के प्रति कुछ अधिक समझौता और साम्य नीति ग्रहण की। लेकिन यह स्थिति आगे बढ़ तक दली रहेगी, यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता। जून, १९६७ में यूरोप के साम्यवादी देशों के प्रतिनिधियों की कोंग्रेस में जो बैठक हुई थी उसमें सोवियत नेताओं की इस बात के लिए कटु आलोचना की गई थी कि वे अमेरिका और अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति उदार नीति का अनुसरण कर रहे हैं। साम्यवादी जगत के इस प्रकार के प्रभाव का सामना सोवियत नेता अब तक कर सकेंगे, यह भविष्य के गर्भ में है। समय समय पर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में ऐसे तूफान उठते रहते हैं जिनसे रूस और अमेरिका के सम्बन्धों में पुनः जबरदस्त बिगाड़ आ जाने और शीत-युद्ध भड़क उठने का खतरा पैदा हो जाता है। अगस्त १९६८ में चेकोस्लोवाकिया पर रूसी आक्रमण की घटना के समय इसी प्रकार का खतरा पैदा हो गया था। यह स्वाभाविक था कि समुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी राष्ट्र सोवियत रूस के इस अन्यायपूर्ण कदम का विरोध करते। चेकोस्लोवाकिया में सोवियत सेनाओं और वारसा पैक्ट के अन्य साम्यवादी राज्यों की सेनाओं का प्रवेश एक प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र के आन्तरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप था। यह एक शक्तिशाली राष्ट्र का छोटे राष्ट्र पर आक्रमण था। रूस की इस कार्यवाही ने शीत-युद्ध के महारक्षियों को एक नया अवसर प्रदान किया। पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका ने 'बैंक जनता के मुक्ति सशम' का समर्थन किया और तुरन्त ही इस मामले में सुरक्षा परिषद् में उठाया गया। सुरक्षा-परिषद् में एक प्रस्ताव पेश करके सोवियत रूस और उसके साथी देशों की इस कार्यवाही की निन्दा की गई। बहुमत होने पर भी यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका क्योंकि रूस ने १०५वीं बार अपने विधेयविचार का प्रयोग करते हुए इसे रद्द कर दिया। बाद में चेकोस्लोवाकिया और रूस में परस्पर समझौता हो गया और धीरे धीरे चेकोस्लोवाकिया की स्थिति सामान्य होती गई।

जर्मनी के प्रश्न पर यद्यपि रूस और अमेरिका में मतभेद समापूर्व कायम है, किन्तु कोंग्रेस में साम्यवादी देशों के प्रतिनिधियों की जून, १९६७ में हुई बैठक के बाद जारी की गई समुक्त विज्ञप्ति से इस बात की पुष्टि होती है कि सोवियत संघ पश्चिमी जर्मनी से अपने सम्बन्ध सुधारना चाहता है। पर इसके लिए शर्तें वही दोहराई जा रही हैं जिनकी रट सोवियत संघ आरम्भ से ही लगाये हुए है। इतने पट्टी प्रमुख शर्तें यह हैं कि पश्चिमी जर्मनी समूचे जर्मनी का प्रतिनिधित्व करने का अपना दावा छोड़ दे और दूसरी प्रमुख शर्त यह है कि पूर्व जर्मनी को वह अपनी मान्यता प्रदान करे।

सोवियत संघ की कुछ इस प्रकार का विद्वान हो गया है कि पश्चिमी जर्मनी में ऐसे तारों का विकास हो रहा है जो उत्तरी गोलार्ध में बुनियादी परिवर्तन ला सकते हैं और सोवियत संघ की इन तरंगों के विरुद्ध होने में सहायक बनना चाहिए।

ताशकन्द सोवियत कूटनीति में एक नया मोड़—सितम्बर, १९६५ में सोवियत कूटनीति के क्षेत्र में एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ। सितम्बर में भारत और पाकिस्तान के बीच काश्मीर की लेकर जो भयंकर युद्ध हुआ उसकी बन्द कराने में सोवियत नताश्री ने प्रत्यक्ष प्रयास किये। सोवियत प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खा और भारत के प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पक्ष छिन्न कर तत्काल युद्ध बन्द करने का अनुरोध किया और यह सुझाव दिया कि यदि दोनों पक्ष समझौता बातों को तैयार हो तो सोवियत संघ अपनी भूमि पर शान्तिपूर्ण वातावरण में शर्तलाप करने की सुविधा प्रदान कर सकता है और दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिए अपनी सेवाएँ प्रेषित कर सकता है। सोवियत संघ का यह सुझाव वास्तव में सोवियत कूटनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चान्तिकारी परिवर्तन था। सोवियत संघ ने अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में मध्यस्थता के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया था। अतः जब उसने भारत और पाकिस्तान के क्षणों को सुलझाने में मध्यस्थता का प्रस्ताव किया तो समूचा राजनीतिक विद्व स्तब्ध रह गया।

रूसी प्रयत्नों में ४ जनवरी, १९६६ को सोवियत संघ के प्राचीन नगर ताशकन्द में भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति के बीच समझौता बातों प्रारम्भ हुईं। १० जनवरी को प्रातःकाल यह निश्चित सा हो गया कि ताशकन्द बातों का कोई परिणाम नहीं निकल सकेगा लेकिन सोवियत कूटनीति अत्यन्त सज्जि रहो। ताशकन्द में सोवियत संघ के दीर्घस्थ नेता मौजूद थे। १० जनवरी को उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप गतिरोध टूट गया। रात्रि को ६ बने सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन की उपस्थिति में श्री अयूबखा और श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। ताशकन्द समझौता बन्धुत तर्कों कूटनीति का एक महान सफलता थी।

यदि ध्यान से देखा जाय तो ताशकन्द समझौते के मूल में सोवियत संघ की भारत और पाकिस्तान के प्रति परिवर्तित होती हुई नयी नीति के बीच निहित है। सोवियत संघ के नये नेताओं ने भारत और पाकिस्तान के प्रति सुस्नेहवादी नीति को जारी न रखने का निश्चय कर लिया था। सुस्नेह के पत्रन के कुछ काल बाद से केन्द्र अब तक का इतिहास बताता

है कि भारत के प्रति सोवियत रूस उतना मँधीपूर्ण नहीं रहा है जितना खुश्चेव क समय था। काश्मीर के प्रश्न पर सोवियत रूस में पाकिस्तान के पक्ष में निश्चित रूप में कुछ नरमी आयी है। १९६५ में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण क समय संयुक्त राष्ट्रसंघ में और उसके बाहर सोवियत रूस ने भारत तथा पाकिस्तान को समान स्तर पर माना और दोनों ही को युद्ध बन्दी तथा बाग-द्वारा समझौता करने को कहा। इसके बाद दोनों देशों के नेताओं का अपना भूमि पर आमन्त्रित कर बराबरी के स्तर पर ताशकन्द समझौता करवाया। रूसी रूस इस बात का स्पष्ट संकेत करता है कि रूस के नये नेताओं ने भारत को वह समर्थन देने से इंकार कर दिया है जिसका आश्वासन खुश्चेव ने अपनी भारत यात्रा के दौरान काश्मीर पर खड़े हो कर इन शब्दों में दिया था—“आप हमें यहाँ खड़े होकर आवाज दीजिए, हम आपकी मदद को दौड़े आयेगे।”

सोवियत नेताओं का मन और मस्तिष्क भारत राष्ट्र के प्रति जितना निष्कण्ठ, उदार और मँधीपूर्ण है, इसे अब भविष्य ही सिद्ध करेगा। वर्तमान में तो भारत की आशाओं को उनकी तरफ से आघात ही पहुँच रहा है। जुलाई १९६८ में उसके द्वारा पाकिस्तान को फौजी सहायता देने का निर्णय भारत की मँधी पर एक समावाही कहा जायेगा। भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को रूसी सस्त्रास्त्रों की सप्लाई बढ़ती जा रही है। जनवरी १९७० में रूस द्वारा पाकिस्तान को भारी मात्रा में सस्त्रास्त्र दिये जाने के समानारो पर सरकार सहित सभी राजनीतिक क्षेत्रों में बड़ी चिन्ता व्यक्त की गयी है। पाकिस्तान के पिछले व्यवहार को देखते हुए इस प्रकार के आश्वासन कोई महत्व नहीं रखते कि रूसी सस्त्रों का प्रयोग पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ नहीं किमे जाये।

पाकिस्तान के प्रति नवीन दृष्टिकोण—जंसा कि कहा जा चुका है, खुश्चेव युग तक रूस का दृष्टिकोण पाकिस्तान के प्रति सख्ती का था। लेकिन नये नेतृत्व के रूस में शान शान नयी आने लगी जो भारत पाक युद्ध, ताशकन्द समझौते, पारस्परिक यात्राओं और विभिन्न व्यापारिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समझौतों के रूप में स्पष्ट रूप से प्रकट हो गयी। अप्रैल, १९६५ में ही दोनों देशों के बीच कुछ व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक समझौते हुए। सितम्बर १९६५ में भारत पाक मधुर्य और तत्पश्चात् ताशकन्द सम्मेलन के समय सोवियत रूस ने भारत और पाकिस्तान को समान स्तर पर माना। अप्रैल, १९६८ में सोवियत प्रधानमन्त्री ने पाकिस्तान की यात्रा की और जुलाई में रूस ने पाकिस्तान को फौजी सहायता देने का

दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय किया। सोवियत सच की यह नीति तो अन्तरवादी होती है, अतः भारत को रूस या किसी अन्य राष्ट्र की अटूट भेन्नी के घोले में न रह कर यथाशीघ्र हर क्षण में आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बन जाना चाहिए।

वियतनाम के सम्बन्ध में सोवियत नीति युद्ध के समय से ही वियतनाम के सम्बन्ध में सोवियत नीति प्रायः तटस्थता की थी। लेकिन १९६४ में जब वियतनाम में अमेरिकन सैनिक हस्तक्षेप भयवह रूप में बढ़ता गया तो रूस ने वियतनाम के प्रति अपनी नीति बदलते हुए उत्तरी वियतनाम को आवश्यक सैनिक सहायता देने की घोषणा की। अप्रैल १९६७ में हुए एक समझौते के अनुसार उत्तरी वियतनाम को सोवियत सच से निरन्तर सैनिक सहायता दिया जाना तय हुआ। ३१ मार्च, १९६८ को जब राष्ट्रपति जॉन्सन ने वियतनाम में बमबारी को सीमित करने की घोषणा की तो रूस ने इसे 'पहली अप्रैल का भजाक' बताया। सोमार्गवद जॉन्सन प्रशासन ने बाद में मुद्दे को तीव्र नहीं किया और निवृत्त प्रशासन तो मुद्दे को समाप्त करने की दिशा में पूरी तरह सज्जिद है। अमरीका की इस परिचित नीति को देखते हुए सोवियत रूस का भी यही प्रयत्न है कि बातचीत द्वारा समस्या का समाधान निकल आवे और वियतनाम में युद्ध की लपटें बुझ जाएं।

चेकोस्लोवाकिया पर रूसी आक्रमण और उदारवाद का बमन—सुव्चेन के समय से शक्तिपूर्ण सहशक्तिवाद और राष्ट्रों में पारस्परिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले रूस ने अगस्त १९६८ में चेकोस्लोवाकिया पर जिस दम से आक्रमण किया, उसने रूस के नेत्र इरादों में एक बार फिर सदेह पैदा कर दिया। चेकोस्लोवाकिया रूसी कायबाही का शिकार इसलिए बना क्योंकि १९६७ के मध्य से ही वहाँ उदारवादी प्रवृत्ति जोर पकड़ती गयी। उदारवादियों का प्रभाव इतना बढ़ गया कि स्तालिनवादी नीति पर चलने वाले अनेक अधिस्तारियों को पद त्याग करना पड़ा। जनवरी १९६८ में क्लेकजेण्डर दुबचेक साम्यवादी दल के महामन्त्री बने जिनके नेतृत्व में चेकोस्लोवाकिया के साम्यवादी दल ने समाजवादी लोकतंत्रीकरण के सिद्धान्त को स्वीकार किया और उदारवाद के पक्ष में अनेक सुधार प्रस्तावित किये जो सोवियत समाजवादी व्यवस्था से मेल नहीं खाते थे।

सोवियत रूस को चेकोस्लोवाकिया में उदारवाद की यह प्रवृत्ति पसन्द नहीं आयी। उसने पहले तो इस प्रवृत्ति का धीरे धीरे विरोध किया, किन्तु बाद में उत्तका रूस बढोर होता गया। जब चेकोस्लोवाकिया के सुधारवादी नेताओं ने रूसी नाराओं की बोई परपाह नहीं की और एक पूर्ण प्रभुत्व,

सम्पन्न राष्ट्र के रूप में अपनी स्वतन्त्र नीति पर चलने का निश्चय किया तो सोवियत रूस ने चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप करने का दुर्भाग्यपूर्ण निश्चय कर लिया। रूस ने वारसा पेक्ट के अन्तर्गत सारगो हंगरी, पूर्वी जर्मनी, पोलैण्ड और बलगेरिया के साथ २१ अगस्त, १९६८ की रात्रि को अज्ञानक ही चेको-स्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया और कुछ ही घंटों में राजधानी प्राग सहित सभी बड़े नगरों पर अधिकार कर लिया गया। चेकोस्लोवाकिया ने रूसी सैनिक शक्ति से न टकराने में ही भला समझा। पारस्परिक वार्ता चलती रही और अन्त में रूसी दबाव के समक्ष चेकोस्लोवाकिया को झुकना पड़ा। चेक नेताओं ने यह मान लिया कि चेकोस्लोवाकिया में समाजवाद को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने पर ११-१२ सितम्बर १९६८ तक राजधानी प्राग से सोवियत टैंक सैन्याँ लौट गयीं। लेकिन इस वापसी को भारी कीमत चेक जनता को चुकानी पड़ी। प्रेस की स्वतन्त्रता पर कठोर प्रतिबन्ध लग गया, नये राजनीतिक दलों के निर्माण पर अकुश लगा दिया गया और सैसरधिप स्थापित कर दी गयी। अप्रैल, १९६९ में दुबचेक को चेक साम्यवादी दल के प्रथम सचिव के पद से हटना पड़ा और उनका स्थान रूसी विचारधारा के प्रबल समर्थक डा० गुस्ताव हसाक ने लिया। इस प्रकार चेकोस्लोवाकिया में पुनः ऐसा श्लीष यज्ञ और शासन यज्ञ स्थापित कर दिया गया जो रूस का विश्वलम्बू बना रहे। चेकोस्लोवाकिया काण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद् में भी गुंजा और सोवियत संघ की इस कार्यवाही के प्रति परिचयी देशों ने निंदा प्रस्ताव रखा जिसे रूस ने १०५वीं बार अपने वीटो का प्रयोग करके रद्द कर दिया।

अरब इजरायल युद्ध और सोवियत संघ - प्रारम्भ में रूस का रवैया
इजरायल समर्थक था लेकिन बाद में अरब समर्थक बन गया क्योंकि रूस ने अनुभव किया कि मध्यपूर्व के अरब राज्यों में समाजवादी प्रगति लायी जा सकती है और रूसी प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। रूस ने पहले तो अरबों को नैतिक समर्थन देना शुरू किया और बाद में सैनिक सहायता के द्वार भी खोल दिये। १९५५ के बाद से ही अरब राज्यों को भारी मात्रा में सोवियत सैनिक सामग्री पहुँचाने लगे। १९५६ के स्वेज सड़क के समय सोवियत संघ ने अरबों को पूर्ण समर्थन दिया।

जून १९६७ में पुनः अरब इजरायल संघर्ष भड़क उठा। इस बार भी सोवियत संघ ने अरब राज्यों का शूलकर समर्थन किया। सोवियत रूस अरबों के पक्ष में विश्व युद्ध का खतरा उठाने तक के लिए तैयार हो गया, बशर्ते कि अमरीका उसके साथी इजरायल का पक्ष लेकर युद्ध में नूद पड़े। पर

पूर्व पश्चिमी राष्ट्र सैनिक हस्तक्षेप से दूर रहे, अतः इजरायल के हाथों अरब राष्ट्रों को पिटने देकर भी रुस ने सक्रिय हस्तक्षेप नहीं किया।

सोवियत संघ ने यद्यपि युद्ध क्षेत्र में अरबों को सक्रिय सहयोग नहीं दिया, लेकिन उनके धसतीय को दूर करने के लिए एक बोर तो सुरक्षा परिषद् में और बाहर भी इजरायल के विरुद्ध जबरदस्त कूटनीतिक युद्ध छेड़ दिया और दूसरी ओर अरबों को विपुल सैनिक सहायता दी। उसने इजरायल के साथ अपने कूटनीतिक सम्बन्ध भी तोड़ लिये। अरब राज्यों में अपनी साख बनाये रखने के लिए जून १९६७ में सोवियत राष्ट्रपति स्वयं काहिरा गये और बाद में संयुक्त अरब गणराज्य को आधुनिकतम रूसी सस्त्रास्त्र मिलने लगे। सितम्बर १९६८ में रूस ने अपनी एक शक्ति योजना रखी जिसमें निम्नलिखित बातें प्रस्तावित की गयीं :—

(i) शांति कायम रखने के लिए सीमाओं पर सुदृढ़ संयुक्त राष्ट्रीय व्यवस्था की जाए।

(ii) इजरायली सेनाएं जून १९६७ से पहले की सीमाओं पर शोर्ट जाएं।

(iii) दोनों पक्षों के चार बड़े देश (अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, और सोवियत संघ) दोनों पक्षों के बीच युद्ध को पुनः प्रारम्भ न होने दें।

(iv) अरब राष्ट्र भी इजरायल के विरुद्ध युद्ध की स्थिति समाप्त कर दें।

सोवियत संघ का यह उचित प्रस्ताव इजरायल और उसके समर्थक देशों को मान्य नहीं हुआ। ३ अप्रैल १९६६ को पश्चिमी एशिया के लिए न्यूयार्क में अमेरिका, फ्रांस और रूस का सम्मेलन हुआ जिसमें रूस ने अरब राज्यों का पूर्ण पक्ष लिया। सम्मेलन का कोई परिणाम न निकल सका। पश्चिमी एशिया का यह संकट आज भी जारी है। सोवियत संघ की पूर्ण सहायुभूति अरब राज्यों के साथ है। कूटनीतिक स्तर पर वह उन्हें पूर्ण समर्थन दे रहा है और सैनिक स्तर पर उन्हें सस्त्रास्त्र की भारी मदद दे रहा है। रूसी सहायता के बल पर ही अरब राज्य न केवल युद्ध में विनष्ट अपनी शक्ति को ही पुनः प्राप्त कर सके हैं बल्कि वे पहले से भी अधिक सैनिक शक्ति सम्पन्न हो गये हैं।

सोवियत संघ और चीन

साम्यवादी जगत के इन दो महारथियों के आपसी सम्बन्धों का उल्लेख 'रूसी चीनी संधि' नामक एक अगले अध्याय में विस्तार किया है। यहाँ केवल इतना ही लिखना पर्याप्त है कि प्रारम्भ में इन दोनों महान् राष्ट्रों

मे घड़े मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे लेकिन आज विश्व नेतृत्व के लिए दोनों में भारी होड़ लगी हुई है। दोनों दलों में सद्धान्तिन सघर्ष तो छिटा हुआ है ही, लेकिन सीमा विवाद भी बड़ा गहरा है और कभी कभी सैनिक संघर्ष भी होने लगे हैं।

सोवियत विदेशी नीति का मूल्यमाकन

सोवियत सघ के द्वितीय महापुद्ग के बाद के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भी उतार चढ़ाव कर रहे हैं। विदेश नीति के क्षेत्र में सोवियत सघ की नीति समय समय पर बदलती रहती है। अनन्तता सोवियत विदेश नीति के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी ही की जा सकती है और न निश्चित अनुमान ही लगाया जा सकता है। सोवियत विदेश नीति के कुछ सैनिक दृष्टि हैं जो सम्भवतः किसी समय से बचे हुए नहीं हैं। स्टालिन काल के बाद रुस ने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का नाग नुलन्द किया है, लेकिन उसके इरादों की एक निपती पर विश्वास करने के सम्बन्ध में विद्वानों और कुशल प्रेक्षकों के बीच घोर मतभेद है। अनेक आलोचकों का कहना है कि सोवियत चालबाजी और इससे हथियार बदलते रहते हैं। रुस का सह-अस्तित्व का नारा भी एक ढोंग है जो तटस्थ राष्ट्रों को अपना समर्थक बनने के लिए रचा गया है। रुस की विदेश नीति में एक प्रकार का लचीलापन रहता है और इसके व्यवहार पर कोई एक मात्र कठोर व्याख्या नहीं दी जा सकती। आलोचक अपने पक्ष में उदाहरण देते हैं कि जो रुस प्रारम्भ में इजराइल का समर्थक था वही अरब राज्यों में अपने प्रभाव को बढ़ाने की दृष्टि से और साम्यवाद का प्रसार करने के लिए इजराइल का विरोधी बन गया है। इसी तरह भारत और पाकिस्तान के प्रति भी रुस रविया बहुत बदल गया है। पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा फौजी सहायता देने के विरोध में जो रुस कभी तूफान खड़ा करता था वही अब स्वयं उसे सैनिक सहायता देने को तत्पर है। अपने पुराने और विद्वस्त मित्र भारत की आशाओं का महत्व उसके लिए पहले जैसा नहीं रहा है। चेकोस्लोवाकिया जैसे निर्दल और असहाय देश पर अपना नग्न आक्रमण करके रुस ने सह-अस्तित्व के सिद्धान्त का जो निरूपण दिया है वह कुछ अभीष्ट है।

इस प्रकार की आलोचनाओं के प्रत्युत्तर में कुछ अन्य समीक्षक यह विश्वास प्रकट करते हैं कि विश्व शांति में रुस का उत्साह मन्द पड़ गया है। सोवियत सघ में उदारवादी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सोवियत रुस अपनी विदेश नीति का निर्धारण कठोर साम्यवादी सिद्धांत के आधार पर नहीं बल्कि वस्तु स्थिति पर आधारित करता जा रहा है। रुस अब व्यावहारिक दृष्टि में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात करने और सोचने लगा है।

वह समझना है कि कोई भी महापुंड्र विदेश और विजित के लिए समान रूप से विनाशकारी सिद्ध होगा।

सोवियत विदेश नीति के सम्बन्ध में बहाने हुए स्वतंत्रों के कारण कोई निरिक्त भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बारनव ने जान रेसेलर (John Reshekar) का यह विचार डीढ़ ही है कि सोवियत नेता अब वीसा व्यवहार कर बैठेंगे इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता। केवल यही कहा जा सकता है कि वे अपने लाभों को अधिक से अधिक बनाना चाहेंगे और उनके लिए कम से कम ज्योतिम उठाना पसन्द करेंगे। सोवियत विदेश नीति में परिवर्तन की संभावनाओं और सोवियो एन न्यूबान विरुद्ध एलेक्स इन्सेस (Alex Inceles) ने किया है। उनके अनुसार सोवियत विदेश नीति में यदि कोई परिवर्तन आया तो वह तीन मुख्य चीजों से आ सकता है—

पहली संभावना तो यह है कि सोवियत रूस में उत्तराधिकार के संकट की समस्या कभी भी नहीं सुलझायी जा सकती। जब कभी भी गोप्य पर दमिर्न के लिए खुले रूप से संघर्ष होता है तो यह संभावना बनी रहती है कि नया नेतृत्व पुरानों व्यवस्था को समाप्त कर देगा। इस प्रकार के संघर्षों के जो अब तक परिणाम निकलने रहे हैं उनसे यह आशा की जाती है कि रूस प्रजातन्त्र की दिशा में कुछ आगे बढ़े।

दूसरी संभावना यह है कि सोवियत अधिराज्यों का साम्राज्य सम्बन्ध सुलभ जाए। हंगरी में गानि हो चुकी है, यूगोस्लाविया रूसी दबे से निरल रहा है और अब बँडोस्लोवाकिया में उदारतावाद ने फिर उठाया है। इन बातों से यह आशा की जाती है कि सोवियत संघ प्रजातन्त्र की दिशा में जाने की अपेक्षा अधिकाधिक सम्पूर्णतावाद या सर्वाधिकार की ओर आकर होगा।

तीसरी संभावना यह है कि औद्योगिक दृष्टि से परिपक्व सोवियत रूस का सामाजिक ढांचा अब तनावग्रही में नहीं रह सकेगा। रूस के सामाजिक जीवन में परिवर्तन होगा। वे परिवर्तन सोवियत समाज के प्रजातन्त्रीकरण और सोवियत विदेश नीति में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यह कहा जाता है कि महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हो जाने पर भी रूस में तनावग्रही बनी हुई है। किन्तु इनका कारण यही है कि वहाँ के नेता वर्तमान परिस्थितियों से पुराने ढाँचे का साम्राज्य कर लेते हैं। फिर भी एक स्थिति ऐसी आयेगी जब इस प्रकार का साम्राज्यस्य पूरी तरह से प्रसम्भय बन आयेगा।

यह निष्कर्ष निकालना अनुचित न होगा कि उन्मुख तीनो ही तत्वों और संभावनाओं पर सोवियत संघ की विदेशी नीति का भावी रूप बहुत कुछ अवलम्बित है।

संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय और उसकी विदेश नीति

(RISE OF U S A AND ITS FOREIGN POLICY)

संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का एक महानतम प्रजातान्त्रिक राष्ट्र है जिसकी विदेश नीति की प्रवृत्ति एवं व्यवहार का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आरम्भिक विदेश नीति के मुख्य आधार दो थे—पार्यंक्य (Isolation) और मुनरो सिद्धान्त (Munroe Doctrine)।

पार्यंक्य की नीति—संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राष्ट्र के रूप में जन्म १७७६ के अमेरिकन स्वातन्त्र्य संग्राम के फलस्वरूप हुआ था। अपने पन्महाल की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से मजबूर हो कर अमेरिका के इस नये गणतन्त्र को तटस्थता और पार्यंक्यवाद की नीति का सहारा लेना पड़ा। १७६७ में प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने अपने विचार-मापण में पार्यंक्य नीति का स्वटीकरण करते हुए कहा—“विदेशों के सम्बन्ध में हमारे व्यवहार का महान् नियम यह है कि हम उनके साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखें किन्तु राजनीतिक सम्बन्ध यथासम्भव कम से कम रखें। हमारी सच्ची नीति यह है कि हम विदेशी जगत के किसी भी अंग के साथ स्थायी संबंधों न करें।” यू कि अमेरिका यूरोप के झगड़ों से बिल्कुल पृथक् और तटस्थ रह कर अपनी उन्नति करना चाहता था, इसीलिए उसकी नीति को पार्यंक्यवादी कह कर सम्बोधित किया गया। इस सन्दर्भ में यह ध्यान देने योग्य

घात है कि अमेरिका का यह पार्थक्य केवल यूरोप के मामलों तक ही था उसने पश्चिमी गोलार्द्ध के अन्य अमेरिकन राज्यों के बारे में पार्थक्य की नीति का कभी अनुसरण नहीं किया, और न ही एशिया के सम्बन्ध में वह इस नीति को व्यवहार में लाया। उदाहरण के लिए, १८१४ में अमेरिकन नौसेना ने जापान को अपनी परम्परागत पार्थक्यवादी नीति का परित्याग करने को बाध्य किया तो १९०० में चीन के बाक्तर विद्रोह में अमेरिकन सेनाओं का हस्तक्षेप हुआ तथा सुदूरपूर्व के मामलों में अमेरिका ने पहली दिलचस्पी प्रकट की। इस दृष्टि से शर्मन का यह लिखना ठीक ही है कि "वास्तविक राजनीति की परिभाषा में पार्थक्यवाद तथा इस पर आधारित अहस्तक्षेप और सघर्षों में न उलझने द्वारा सुरक्षा पाने की नीति का वस्तुतः कभी अस्तित्व नहीं रहा।"

तटस्थता और पार्थक्य की अमेरिकन नीति को सिद्धान्त रूप में राष्ट्रपति जेफरसन (Jefferson) ने १८०१ में इस प्रकार किया—“शान्तिपूर्ण व्यापार सब के साथ, पर हथकड़ा पैदा करने वाली सन्धिवा किसी के साथ भी नहीं।” इसका आशय यही था कि अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करे लेकिन यूरोपीय राजनीति के फन्दे में नहीं फसे।

मुनरो सिद्धान्त—१८२३ में मुनरो सिद्धान्त के प्रतिपादन से अमेरिकन विदेश नीति के इतिहास में एक दूसरा अध्याय शुरू हुआ। १८२३ में जब प्रशिया, अस्ट्रिया और रूस के “पवित्र सभ” ने स्पेन में निरंकुश शासन के विरुद्ध हुई शान्ति को कुचलने के बाद स्पेन के दक्षिण-अफ्रीका के उपनिवेशों में मंड्रिड के विरुद्ध हुए स्वातन्त्र्य आन्दोलनों को दबाना चाहा तो २ दिसम्बर, १८२३ को तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति मुनरो ने यूरोपीय राज्यों को अमेरिकन महाद्वीप के मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी देते हुए यह ऐतिहासिक घोषणा की कि—

१. “हम यह जता देना चाहते हैं कि यूरोपियन शक्तियों के युद्धों में हमने कभी कोई भाग नहीं लिया और न कभी भाग लेने का हमारा विचार है, हम इनसे सर्वथा घृणित रहे हैं,”

२. “हम अपनी शान्ति और सुख की दृष्टि से अमेरिका के किसी भी भाग में यूरोपीय शक्तियों की राजनीतिक सत्ता का विस्तार नहीं होने देंगे और दक्षिणी अमेरिका के गणराज्यों की स्वतन्त्रता में किसी हस्तक्षेप की सहन नहीं करेंगे,” एव,

३. “अमेरिकन महाद्वीप का प्रदेश भविष्य में यूरोपियन शक्तियों द्वारा उपनिवेश (Colonisation) का क्षेत्र नहीं बनाया जा सकेगा।”

राष्ट्रपति मुनरो ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी यूरोपीय राष्ट्र द्वारा अपनी प्रगल्भी को अमेरिकन गोल्डार्ड में फँसाने का प्रयत्न किया गया तो समुद्र राज्य अमेरिका उसे पूरा अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही समझेगा। स्पष्टतः मुनरो सिद्धान्त यूरोपियन राज्यों को एक चेतावनी थी कि वे अमेरिकन महाद्वीपों में साम्राज्यवादी चेष्टाओं से दूर रहें। साथ ही यह एक आश्वासन भी था कि अमेरिका भी यूरोपीय झगड़ों से अलग रहेगा। हमारे संबंधों में, मुनरो सिद्धान्त का जय था "तुम पृथक रहो, हम भी पृथक रहेंगे।"

मुनरो सिद्धान्त १८२३ में अपने प्रतिपादन से लेकर प्रथम महायुद्ध तक पाषण्यवादी नीति के साथ साथ मुत्सद्दर रूप से चलता रहा। परन्तु, १९१४ में प्रथम महायुद्ध का समाप्ति हो जाने पर समुद्र राज्य अमेरिका के लिए परम्परागत पाषण्यवादी नीति पर चलते रहना सम्भव न रहा। ४ सितम्बर, १९१४ को विल्सन ने कांग्रेस के समक्ष कहा, "हमारा हम युद्ध में कोई भाग नहीं, किन्तु इसके बिल की अदायगी हमें करनी पड़ेगी।" विल्सन का यह वक्तव्य एकदम सत्य और मनो की चेतावनी जैसा प्रमाणित हुआ। अमेरिका महायुद्ध से किमी भी दूर में अप्रभावित नहीं रह सका था। "अमेरिकन जन मध्या में प्रत्येक वर्गीय दल के प्रतिनिधि शामिल थे, उनके देश युद्ध से ग्रस्त थे, उन उनके उद्देश्य स्वाभाविक रूप से उत्तेजित हुए। इसके अतिरिक्त अमेरिका का व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्ध यूरोप के प्रत्येक राष्ट्र से था और विशेष रूप से वह जर्मनी की अपेक्षा सम्बन्धित था।"

महायुद्ध में अमेरिका प्रारम्भ में तो किसी प्रकार तटस्थ बना रहा, लेकिन शीघ्र ही १९१५ के मध्य उसे युद्ध क्षेत्र में बढ़ना पड़ गया। हुआ यह कि मित्र राष्ट्रों के आर्थिक तटरोध (Economic Blockade) को तोड़ने के लिए जर्मन पनडुब्बियों ने मित्र राष्ट्रों के जहाजों को डुबाना शुरू किया। मई में एक अमेरिकन तेलवाहक जहाज पर आक्रमण हुआ और इसके ६ दिन बाद ही एक निरक्षर जहाज जो न्यूयॉर्क में सैनिक सामग्री ला रहा था, डुबो दिया गया जिससे फनस्वहण १२८ अमेरिकनों सहित लगभग १२०० व्यक्तियों की हत्या हुई। २४ मार्च १९१६ को एक सैन्य रजिमेंट में बेनल स्टोमर पर बिना चेतावनी के जर्मन पनडुब्बी द्वारा प्रहार किया गया और फितने ही अमेरिकनों के जीवन की क्षति पहुँचाई गई। इन काल में अमेरिका समुद्रों की स्वतन्त्रता (Freedom of Seas) तथा तटस्थ देशों के अधिकारों (Neutral Rights) पर बड़ा बल देता रहा।

जर्मनी द्वारा समुद्री आक्रमण की इन हरकतों ने अमेरिकन राष्ट्र को एक बारगी ही साक्षर दिया और अमेरिकन सरकार कोई हद्द रुक बरताने

के निरवयव की ओर अपसर होने लगी। इस समय अमेरिकन पूजोपति मित्र राष्ट्रों की सरकारों को भारी कर्ज दे रहे थे तथा बहुत बड़े मुनाफे के साथ उन्हे राष्ट्राम्त्र एत्र उन्नत उपयोगी सामग्री बेच रहे थे। मित्र राष्ट्रों की पराजय का अर्थ इनका दिशालिया होना था, अतः इस स्थिति से भी अमेरिकन सरकार और जनता विशेष चिन्तित होने लगी। अमेरिका का हित मित्रराष्ट्रों की विजय में सन्निहित था। जर्मनी की विजय से अमेरिका को न केवल भीषण आर्थिक क्षति होती अपितु इससे यूरोप का शक्ति समुत्पन्न बिगड़ने की तथा यूरोपियन महाद्वीप सहित सम्पूर्ण विश्व में जर्मनी के हावी होने की ओर अमेरिकन सुरक्षा की भ्रष्ट उत्पन्न होने की आशंका थी। इन सब राष्ट्रीय स्वार्थों ने अमेरिका में इस निश्चय को परिपक्व किया कि मित्र राष्ट्रों की विजय होनी ही चाहिए। अतः इस पक्ष की न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिए जनता से यह कहा जाने लगा कि जर्मनी में निरक्षुण्ण शासन है और मित्र राष्ट्र लोकतन्त्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं तथा उनकी सहायता करना अमेरिकन लोकतन्त्र का पवित्र बर्तव्य है।

इसी समय ३१ जनवरी १९१७ को जर्मनी ने घोषणा की कि ब्रिटिश नौ शक्ति को समूह नष्ट कर देने के लिए ब्रिटिश द्वीप समूह, फ्रांस और इटली के मित्र आने वाले प्रत्येक जहाज को जर्मनी 'बिना किसी चेतावनी के' सब उपायों में डुबो देगा। इस घोषणा ने सम्पूर्ण अमेरिकन राष्ट्र को धुन्ध कर दिया। १ फरवरी १९१७ को राष्ट्रपति विल्सन ने जर्मनी से कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिये। १ अप्रैल १९१७ तक ८ अमेरिकन जहाज डूबो दिये गये। अमेरिकावासियों का रोष अपनी सीमा लाघ गया और ६ अप्रैल १९१७ को अमेरिकाने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार १७२३ में चलती आ रही पार्थिववादी एवं तटस्थतावादी अमेरिकन नीति का पहली बार सम्पूर्ण रूप में परित्याग हुआ।

अमेरिका ने बड़े ही सकटपथ काल में मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध-प्रवेश किया। आर्थिक शक्ति से युद्ध का पासा फलट कर जर्मनी की भीषण पराजय को निश्चित बना दिया। "तटस्थता की नीति अमेरिकन स्वार्थों की रक्षा में असमर्थ सिद्ध हुई थी, अतः पार्थिव के स्वान पर यूरोपीय महायुद्ध में भाग लेने की नीति अपनाई गई" जिसके फलस्वरूप विजयी जर्मनी पराजित जर्मनी में दबल गया और ११ नवम्बर १९१८ को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण करते हुए विराम सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये।

दो महायुद्धों के बीच अमेरिका

(America between Two World Wars)

द्वितीयकी सहायता के बल पर प्रथम महा युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने विजय

पायी जिससे अमेरिका की प्रतिष्ठा में चार चाद लग गये। राष्ट्रपति विन्सन ने मत प्रकट किया कि महायुद्ध में उजलने के बाद जब अमेरिका की पारंपर्यवाद की नीति समाप्त हो गयी है तथा अमेरिका की नीति के इस मूलभूत परिवर्तन का कोई विकल्प नहीं है। ६ सितम्बर १९१६ को अपने एक भाषण में उन्होंने बताया कि 'समुक्त राज्य अमेरिका के पारंपर्य का केवल इसीलिए अन्त नहीं हुआ है कि हमने विश्व राजनीति में भाग लेना पसन्द किया है वरन् इसलिए हुआ है कि अमेरिकी जनता की योग्यता और हमारी शक्ति के विकास के कारण हम मानव जाति के इतिहास में निर्णायक तत्व बन गये हैं। ऐसी स्थिति में आप चाहे या न चाहें, छूपक नहीं रह सकते।'

अमरीकी जनता को प्रतिक्रिया को देखकर राष्ट्रपति विलसन को यह पूरा-पूरा भरोसा हो चला था कि वाशिंग्टन की सन्धि की तथा राष्ट्रसंघ की सदस्यता को उजवा देय स्वीकार कर लेता। किन्तु जब रिपब्लिकन पार्टी से प्रभावित सीनेट ने विनसन-विरोधी रत्न बनाया तो न केवल राष्ट्रसंघ का ही बहिष्कार किया गया वरन् अर्मनी की हार में उत्पन्न किसी भी राजनैतिक एवं आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए किये जाने वाले सामूहिक प्रयास का भी विरोध किया गया। जब अमरीका की सदस्यता पर राष्ट्रसंघ में विचार किया जा रहा था अविनाश सदस्यों का विचार यह था कि युद्ध समाप्त हो जाने के बाद समुक्त राज्य अमरीका को १९१३-१४ की स्थिति में ही आ जाना चाहिए जहाँ से कि वह बना है। उसे अपनी पहले वाली पारंपर्य नीति को अपना लेना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी इस प्रक्रिया पर प्रभाव डाला। सन् १९१६ का वर्ष समुक्त राज्य अमरीका के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें शक्ति आर्थिक मशीन आर्द्र, हिंसात्मक तथा अव्यवस्थापूर्ण औद्योगिक आन्दोलन किये गये, आर्थिक दबन के करीब राज्यों में जाति के आधार पर रक्तस्राव दये हुए। इन सबके कारण उत्पन्न अज्ञानि एवं अव्यवस्था में यह दर होने लगा था कि कहीं बोलशेविक क्रान्ति महा भी न दुहरा ही जाये। इन सभी समस्याओं को समाचार पत्रों में मुख्य स्थान दिया गया तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का महत्त्व कम हो गया। राष्ट्रसंघ की सदस्यता के समर्थन प्राप्त को इन समस्याओं द्वारा उजड़ दिया गया।

सुझावपूर्ण आदर्शवाद का किला टूट चुका था तथा यह आशा की जाती थी कि यदि समुक्त राज्य अमरीका राष्ट्रसंघ का सदस्य बन भी गया तो बना फायदा होगा। लार्ड से छोटने वाले सैनिकों को जो अनुभव प्राप्त हुए उनका वाकिफ़ लक्ष्यो से बहुत कम सम्बन्ध था। उत्तरी भाग के रक्तस्राव क्षेत्रों पर जो ध्यानक सहाय हुआ उसे स्वतन्त्रता एवं प्रजातन्त्र के

लिए किये जाने वाले युद्ध की मान्यता से नहीं जोड़ा जा सकता था। इन कनेग अनुभवों के कारण युद्ध से लौटने वाले का यह विचार था कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में फँसने से बचासम्भव बचना चाहिए। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया तो निश्चय ही वह कार्य करने को पूर्ण स्वतन्त्रता की परम्परागत नीति से वंचित हो जायेगा। वाशिंग्टन की सन्धि को स्वीकार करने के लिए कुछ शर्तों की व्यवस्था का लॉज (Lodge) द्वारा समर्थन किया गया। किन्तु बोरा (Borah) का मत था कि राष्ट्रसंघ में अमेरिकी सदस्यता जैसे विषय पर कोई शर्त लगाना महत्वहीन है। इन प्रचार का बदम या तो मौलिक रूप से सही है बल्कि गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रसंघ की सदस्यता का या तो पूरा उत्तरदायित्व सम्भालना चाहिए अथवा इन प्रकार के उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देना चाहिए।

राष्ट्रपति विलसन ने अपने अनेक भाषणों द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्ण योगदान से युक्त प्रभाव पूर्ण राष्ट्रसंघ के विकासकार पुनः एक बार युद्ध के गर्त में गिर जायेगा। उसके शर्तों का रूप अब भी आदर्शवादी था, वह राष्ट्रसंघ की सदस्यता राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बल्कि एक नयी विश्व व्यवस्था की दृष्टि से चाहता था। विलसन ने जो भी तर्क एवं विचार प्रस्तुत किये वे आदर्श के रूप में तो प्रशस्तनीय थे किन्तु उनके द्वारा व्यावहारिक, सजीर्ण, स्वार्थी एवं कठोर पारंपरिकवादियों के विरोध का जवाब न दिया जा सका। फोस्टर डलेस का कहना है कि "वह अपने अनुशो से उनके आने स्तर पर ही बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वह उनमें बहुत ऊँचा उठ चुका था।"

अन्त में वाशिंग्टन की अस्वीकार कर दिया गया। रिपब्लिकन मतदाताओं ने हार्डिंग (Harding) को अपना राष्ट्रपति चुना। हार्डिंग ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे राष्ट्रों के साथ विचार करने के लिए तदा सम्मेलन करने के लिए सदैव तैयार रहेगा। वह विश्व में निःशर्त करण की स्थापना का प्रयास करेगा तथा पक्ष-फैसले एवं मध्यस्थता की प्रोत्साहन देगा। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी समझौते किये जायेंगे वे राष्ट्रीय सम्प्रभुता की ध्यान में रख कर किये जायेंगे न कि किसी अन्तर्राष्ट्रीय विश्व संस्था द्वारा। हार्डिंग ने यह स्वीकार किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में एक नया स्थान प्राप्त हुआ है किन्तु उसकी भ्रान्तुधार राष्ट्रवाद को ताक पर रख कर अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की नीति अपनाना उचित नहीं है। वाशिंग्टन की सन्धि पर स्वीकृति प्राप्त न

करने का कारण विलसन को गम्भीर आघात लगा और निराशा भरे शब्दों में उसने यह कहा कि अमरीकी जनता अपने कड़वे अनुभवों का बावजूद यह सीखेगी जो उसने अभी खो दिया है। हमें विश्व का नया स्वरूप बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था कि नु हमने उसे खो दिया तथा गीब्र ही हमें इन सबका दुष्परिणाम नात हो जायेगा।

यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध का बावजूद सयुक्त राज्य अमरीका ने पाश्चिमी की नीति को ग्रहण कर लिया किन्तु तो भी इसके कारण उसका प्रभाव विश्व राजनीति में अधिक कम न हुआ। यह जटिल है कि यदि उसने मध्यम रूप में भाग लिया होता तो सम्भवतः उसका प्रभाव और भी अधिक हो जाता। राष्ट्रपति विल्सन द्वारा यद्यपि आत्मनिर्वादी भाषा में बात की जाती थी किन्तु वह भी राष्ट्रीय प्रभाव की भौतिक उपस्थितियों के प्रति अचत न था। पेरिस के प्रति सम्मेलन में उन यह विश्वास था कि अब योरोप के देश उसने नतीजों को स्वीकार कर लेंगे। राष्ट्रसंघ में अमरीका को वह एक बरिष्ठ भागीदार के रूप में शामिल करना चाहता था। विलसन के कथनानुसार वित्तीय नेतृत्व हमारा होगा औद्योगिक प्रधानता हमारी होगी व व्यापारिक लाभ भी हमको ही प्राप्त होगा। दुनिया के दूसरे देश हमारे ओर निरद्वन्द्व तथा नेतृत्व के लिए दब रहे हैं। सयुक्त राज्य अमरीका द्वारा इस समय सन्निहित सन्तुलन बर्ताने का कार्य किया जा रहा था।

अमरीका की शक्ति अनेक तर्कों पर आधारित थी जसे प्राकृतिक साधन औद्योगिक तकनीकी के तरीके उद्यमों एवं साहसी जनता की गणसामक प्रवृत्ति आदि। केवल यही सब कुछ नहीं था। युद्ध के समय की मांग के कारण उत्पादन एवं आविष्कार की गति पर्याप्त तेज हो गई थी। विश्व-पानी व्यापार की व्यवस्था के कारण अमरीकी वाणिज्य को नये विदेशी बाजार स्थापित करने का अवसर एवं क्षमता मिली। विश्व की वित्तीय राजधानी बनने की अपना वाणिज्य बन गयी। रेमण्ड माइंसल का विचार है कि बहुत कम लोग ही इसकी जल्दी आर्थिक प्रवृत्ति प्राप्त करते हैं कि अमरीका ने १९१८ व १९१९ के बीच प्राप्त कर ली। सयुक्त राज्य अमरीका एक ऐसा देश था जिसने युद्ध में हुए अपने नुकसान को पूति की ओर साथ ही आर्थिक प्रगति को भी आगे बढ़ाया। इसके मूल स्रोतों की मात्रा का अनमान लगाया जा सकता है। सयुक्त राज्य अमरीका द्वारा दुनिया के कार्य का ४० प्रतिशत उत्पादन किया गया। यह मात्रा उसके निरक्षर प्रतिद्वन्द्वी एवं विदेश में दो गुनी थी। यह देश समस्त पेट्रोल का लगभग ७० प्रतिशत उत्पादन करता था। अथवा चूने माल की हार्ड स इत्यादि उत्पादन अत्यन्त व्यापक था। कुछ एवं चीजों का उत्पादन

समुक्त राज्य अमेरिका का उदय

महा नहीं होता था, जैसे रबर, मुद्र के लिए आवश्यक कुछ घातुयें, कॉफी, चीनी और चाय, आदि। इनके लिए वह अन्य देशों पर अवलम्बित था। सन् १९३० तक अमरीका के व्यापार और वित्त की स्थिति पर्याप्त एकीकृत बन गई। दुनिया का लगभग १५ प्रतिशत निर्यात इसके द्वारा किया जाता था। इसका औद्योगिक उत्पादन इससे भी अधिक व्यापक था।

इन सभी विवासों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि समुक्त राज्य अमरीका दुनिया के आर्थिक और वित्तीय मामलों में एक प्रभावशाली योगदान कर रहा था। वह यूरोप के पुनर्निर्माण में कर्ज और भट्टे कर योगदान कर रहा था। व्यक्तिगत एवं सरकारी अभिकरणों की राहट के लिए एवं पुनर्रचना के लिए बहुत बड़ा धन खर्च किया जा रहा था। अमरीका द्वारा जर्मनी, फ्रान्स और इटली को उनकी शाखा बनाए रखने के लिए पर्याप्त मदद की गई। इसके साथ ही स्थानीय सरकार की इकाइयों को, सार्वजनिक उपयोगिताओं को एवं व्यक्तिगत निगमों को कर्ज देने के लिए व्यवस्था की गई। इस देश ने पोलैण्ड में रेल रचना के लिए, यूगोस्लाविया में बदरगाह की रचना के लिए, आस्ट्रिया में गृह रचना के लिए सहायता की। मध्यपूर्व में तैल के नए कुयों खोदने के लिए, क्यूबा में चीनी के नए उद्यम स्थापित करने के लिए और टोकियो तथा शंघाई में सार्वजनिक उपयोगिताओं के विकास के लिए पर्याप्त खर्च किया गया।

समुक्त राज्य अमरीका का सोवियत रूप से भी पर्याप्त आर्थिक लेन-देन रहा। वैसे अमरीका ने १९३३ तक सोवियत रूस को कूटनीतिक मान्यता प्रदान नहीं की किन्तु फिर भी व्यापार को नए बाजार खोजने से नहीं रोका जा सका। जनरल इलेक्ट्रिक ने सोवियतों को लाखों रुपये का बिजली का सामान दिया। यहां की तैल कम्पनियों ने रूस के साथ समझौते किए। कई कम्पनियों ने सोवियत स्वचालित उद्योगों की स्थापना में सहायता की। अमरीकी तकनीकी सहायकों ने सोवियत बान्धों की रचना में सहयोग दिया।

समुक्त राज्य अमरीका ने यद्यपि बार्ता की सधि और राष्ट्र सप की सदस्यता को अस्वीकार किया किन्तु फिर भी उसने विश्व राजनीति से सम्बन्ध नहीं लिया और मार्च १९३३ में फ्रॉकलिन डी रूजवेल्ट के राष्ट्रपति बनने के बाद ही अमेरिकन विदेशनीति स्पष्ट रूप से पर्यैक्यवाद से शून्य-दान अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की ओर उन्मुख होने लगी। यथायंत मुक्त से अनेक कारणों वश अमेरिका की शक्ति और महत्ता बढ़ती चली गयी। इनमें से कुछ का वर्णन उल्लेखनीय है—

(१) अमरीका के उपनिवेश
(The American Colonies)

अमरीका का क्षेत्र केवल अमरीका महाद्वीप तक ही सीमित नहीं था । अंग्ल में अमरीका का एक साम्राज्य था अन्य क्षेत्रों पर इसका राजनैतिक प्रभाव था और वहाँ पर स्वयं का शासन भी । इससे विश्व में उसका स्थान महत्वपूर्ण बना । मयुक्त राज्य अमरीका का लैटिन अमरीका के राज्यों पर दक्षिण की दिशा में और एशिया के किनारों पर पश्चिमी दिशाओं में पर्याप्त प्रभाव था । यह इस महाद्वीप में सर्वोच्च स्थिति रखता था तथा प्रशान्त महासागर तक इसका प्रभाव था । पोर्टो रिको (Puerto Rico) मयुक्त राज्य अमरीका का प्रथम समुद्र-गार का उपनिवेश था । इसे जब से स्पेन से प्राप्त किया गया था तब से यहाँ स्वायत्त सरकार का विकास प्राप्त हो चुका था । व्यवस्थापिका की शक्तियाँ व्यापक कर दी गईं और सन् १६९७ के नए अधिनियम के अनुसार एक नियुक्त परिषद की जगह निर्वाचित उच्च सदन स्थापित किया गया । यहाँ के नागरिकों को मयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक बना दिया गया और उनको अधिकार-पत्र सौंप दिया गया । सन् १६९० में यहाँ का नया संविधान बना और इस प्रकार इस द्वीप को पूर्णतः स्वायत्त शासन प्रदान कर दिया गया । इसके दो वर्ष बाद इसका स्तर एक स्वतन्त्र सलग्न राष्ट्र मण्डल का हो गया ।

इस प्रदेश से अधिक महत्वपूर्ण ब्रिजिन द्वीपों (Virgin Islands) एवं पनामा नहर क्षेत्र को माना गया । ब्रिजिन द्वीपों को लेने के लिए अनेक व्यक्त सपत्तीना-जातियों की गयीं और अन्त में उन्हें डेनमार्क से खरीद लिया गया । प्रारम्भ में उन्हें नौसेना-आयोग के आधीन रखा गया और सन् १६३१ में उन्हें अन्तरिम विभाग को सौंप दिया गया । पनामा नहर क्षेत्र पर सन् १६०३ में अमेरिका का नियन्त्रण था और इसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा युद्ध विभाग के माध्यम से दिया जाता था । इन प्रदेशों पर अधिकार के द्वारा बरिबिचन पर अमेरिका के नियन्त्रण ने उसकी शक्तियों को और व्यापक बना दिया । मयुक्त राज्य अमेरिका का क्यूबा में एक महत्वपूर्ण सैनिक-बहुता था तथा क्यूबा भी इस देश के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता था । पनामा गणराज्य, निकारागुआ, हैटी तथा डोमिनिकन गणराज्य भी कुछ-कुछ मर्याद राज्य की स्थिति में थे । मयुक्त राज्य अमेरिका सन् १६२० के अधिनियम केवल तक इन राज्यों पर से अपने अधिकार को स्थापन के लिए तैयार हो गया ।

प्रशास्य क्षेत्र में मयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी रक्षा के लिए एल्सलियन महाद्वीपों से हवाई होते हुए पनामा नहर क्षेत्र तक एक शक्ति की

रचना की। बाद में एलास्का (Alaska) और एल्यूसियन द्वीपों का महत्व बढ़ गया। प्रिगेडियर-जनरल विलियम मिचल (William Mitchell) ने सन् १९२५ में यह दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया था कि वायु शक्ति एलास्का को धरती पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण रणनीतिक का स्थान बना देगी। उनके बयानानुसार जो कोई भी एलास्का पर अधिकार रखेगा वह सारी दुनिया पर शासन करेगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत क्षेत्र के उपनिवेशों में हवाई का सम्बन्ध निपट का और गहरा था। जब ये द्वीप एन-अमेरिका के मुक्त में लिया गया था तब से इसको रणनीतिक सम्बन्धी एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। अमेरिका से दूर स्थित सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं कष्टदायक समुद्र-गार के प्रदेशों में फिलिपाइन द्वीप समूह था। यह आशा की गई थी कि इनके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशांत महा सागर में नौसैनिक एवं व्यापारिक सर्वोच्चता प्राप्त हो जाएगी किन्तु बाद में यह भावना जोर पकड़ने लगी कि आक्रमण की दशा में उनकी रक्षा नहीं की जा सकती। अनुभव ने यह प्रदर्शित किया कि पूर्वी एशिया में व्यापार के विकास की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं था। बहुत समय से संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना यह उद्देश्य जाहिर किया कि फिलिपाइन के लोगों को यथा सम्भव स्वायत्त सरकार प्रदान करेगा और अन्त में उनको पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान कर देगा। सन् १९०२ के कानून के अनुसार यहाँ निर्वाचन व्यवस्थाविकाओं की स्थापना की गई तथा आने वाले वर्षों में स्वायत्त सरकार की दिशा में पर्याप्त प्रगति की गई। सन् १९१६ के जॉन्स अधिनियम में यह बताया गया कि स्थायी सरकार की स्थापना होते ही यहाँ स्वतन्त्रता प्रदान कर दी जाएगी। फिलिपाइन के लोगों की बढ़ती हुई स्वतन्त्रता की मांग को अधिक समय तक दबाए रखना सम्भव नहीं था। हुवर प्रशासन ने फिलिपाइन को स्वतन्त्रता देने का विरोध किया क्योंकि उसके मतानुसार ये प्रदेश पूर्ण स्वायत्त सरकार के लिये तैयार नहीं थे तथा दूसरे, उनको तत्काल स्वतन्त्रता दे दी गई तो प्रशांत महा सागर में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर खतरनाक रूप से प्रभाव पड़ेगा। फिलिपाइन के सम्बन्ध में अमेरिकी नीति विरोधाभासपूर्ण थी क्योंकि एक ओर तो यहाँ के लोगों को स्वायत्त सरकार प्रदान करके स्वतन्त्रता प्राप्ति के हेतु प्रोत्साहित किया और दूसरी ओर इसके प्रति जो आर्थिक नीति अपनाई गई उसके परिणामस्वरूप यह प्रदेश अधिक से अधिक आश्रित होता गया। जैसे अमेरिका इस प्रदेश पर नियन्त्रण रखने में रुचि नहीं के रहा था किन्तु वह नियन्त्रण को हटाना भी नहीं चाहता था। रहने का अर्थ यह है कि

यहा से पुराना राजनैतिक साम्राज्यवाद तो हट रहा था किन्तु नए प्रकार का आर्थिक साम्राज्यवाद छा रहा था।

(२) नौसेना का विकास (Growth of the Navy)

संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति के विकास में प्रभाव डालने वाला अन्य तत्व उसकी नौसेना का विकास था। समुद्री पर नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष की दुनिया में एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका का विकास यहा तक होना जरूरी था कि वह ग्रेट ब्रिटेन की नौसैनिक सर्वोच्चता को चुनौती दे सके। जब अमेरिका ने आर्थिक शक्ति को अपने प्रभाव का मौलिक आधार बना लिया तो यह जरूरी था कि उसकी स्पष्ट अभिप्रेक्षा के लिए अमेरिकी नौसेना का विकास किया जाता। व्योडोर रूजवेल्ट ने सन् १९०० में ही जो नौसेना शक्ति का विकास किया उसके कारण अमेरिका हवाई और बयूटा आदि में अपने नौसैनिक अड्डे खोल सका तथा कैरिबियन और पूर्वी प्रशान्त महासागर पर अपना अधिकार रख सका। किन्तु दो महायुद्धों के बीच जो अमेरिकी नौसेना की स्थिति थी उसके कारण विश्व राजनीति में उसे प्रभावशील नहीं कहा जा सकता था। प्रथम विश्व युद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका को नौसैनिक शक्ति बढ़ाने की ओर प्रेरित किया। सन् १९१६ के नौसेना विनियोग कानून में यह उद्देश्य बनाया गया कि नौसैनिक शक्ति का इतना विकास किया जाए जिसकी कोई प्रतियोगिता न कर सके। राष्ट्रपति विल्सन को यद्यपि नौसेना में अधिक रुचि नहीं थी किन्तु फिर भी उन्होंने उन योजनाओं को स्वीकार किया। विल्सन के परामर्शदाताओं ने भी अमेरिकी नौसैनिक शक्ति पर पर्याप्त ध्यान दिया। राज्य सचिव डेनियल्स (Daniels) के कथनानुसार यदि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रजातन्त्रात्मक भावना के नेता के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहता है तो उसे आक्रमण के विरुद्ध रक्षा के लिए अद्वितीय रूप से शक्तिशाली होना चाहिए और अत्याचारियों के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए सशस्त्र होना चाहिए।

अमेरिकी जनता का यह मत नहीं था कि जर्मन पत्तीट को नष्ट करने वाली नौसेना के देश को अपनी सुरक्षा के लिए सशस्त्र होना चाहिए। यद्यपि प्रशान्त में जापान की शक्ति का उदय इस बात का द्योतक था कि अमेरिका अपनी शक्ति को कम नहीं कर सकता। कुल मिला कर अमेरिकी जनता का यह विश्वास नहीं था कि अमेरिका को ग्रेट ब्रिटेन से अधिक शक्तिशाली

नीकेता रखनी चाहिये। अनेक लोगों ने सरकारी धन को खर्च के लिए तथा सार्वभूमिक नीति का अन्तगम के लिए भी इन कारिगनों का विरोध किया। ऐसी स्थिति में नीतिगत प्रकार की योजनाएँ तब नहीं और हाईजि प्रशासन को सख्तों का प्रचार रोकने के लिए वाणिज्यिक सम्बन्धन सुधार पडा।

कुछ समय बाद यह अनुभव किया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका अनेक दृष्टियों से एक सर्वोच्च शक्ति बन गया है और इन्हीं सब नीकेता के क्षेत्र में भी प्राथमिकता प्राप्त करने चाहिये।

(३) अमरीकी निर्यात

(The American Exports)

सन् १९२० के दौरान अमरीकी उद्योग को सहाय देते जाने लगे हैं इसके द्वारा किये जाने वाला सामान, शर्करा, सेबीडर और विद्युत का निर्यात था। यूरोप में तथा एशिया के अनेक भागों में समुद्र राज्य अमेरिका की अनेक सामाजिक संस्थाओं ने और सार्वजनिक सुधारों ने विदेशों की सम्पदा एवं खन-खन के खरीके पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला। अमरीका का विदेशी व्यापार बहुत बढा गया तथा और उनके ही उत्पादकों को फायदा अधिक होनी गई। सम्पूर्ण यूरोप में और मध्यपूर्व, जापान, चीन, लैटिन अमरीका तथा एशिया और अफ्रीका के अनेक भागों में अमरीका द्वारा निर्यात अनेक चीजें जाने लगीं। इन वैश्विक उद्योग की वस्तुओं ने विभिन्न देशों के खन-खन एवं सोखने विचारों के क्षेत्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला। जब यूरोपीय उत्पादकों को इन चीजों के आयात में प्रतिस्पर्धिता हुई तो उन्होंने भी उत्पादन के तरीकों को समुद्र राज्य अमरीका के अनुसार रचना। जापान अमरीकी उत्पादन में प्रभाव प्रभावित हुआ। सोवियत रुब और अन्य देशों के लोगों ने भी इसकी बहुत सी विशेषताओं को अपनाया। इन क्षेत्र में अमरीका द्वारा जो धन दिया गया वह वैश्विक व्यापार की अनेक अधिक महत्वपूर्ण था।

(४) अमरीकी पर्यटक

(The American Tourists)

सन् १९२० के दौरान विश्व तरह अमरीकी सामान और धन अन्य देशों में फैल जा गया वहीं तरह अमरीकी नावियों की सेवाएँ भी अनेक देशों में छा गयीं। यूरोप के प्रायः प्रत्येक भाग में उदात्त प्रवेश हो गया। कुनिना के हुन्दरे भागों ने भी ये पर्यटक भाग में जाने लगे। इन नावियों के द्वारा हुन्दरे राज्य की भी कार्यिक लाभ होता था उनके कारण वह इन्हें पुरे सुविधाएँ उपलब्ध करने का प्रयास करने लगे। अमरीकी व्यापारियों,

विद्यालयों तथा अकादमियों में प्रसार करने वालों, आदि के द्वारा अमरीकी सभ्यता का प्रसार किया गया। इन्होंने अमरीकी विचारों एवं परम्पराओं के प्रसार द्वारा विदेशों में संयुक्त राज्य अमरीका का सम्मान और प्रभाव बढ़ाया।

(५) अमरीकी चलचित्र

(The American Films)

विदेशों में अमरीकी सभ्यता का जो प्रभाव बड़ा उसमें अमरीकी चलचित्रों ने पर्याप्त योगदान किया। हॉलीवुड को पश्चिम यूरोप के देशों में भी वैसा ही सर्वोच्च माना जाता था जैसा कि यह अपने स्वयं के देशों में था। जो लोग अमरीकी चलचित्र देखते वे उनकी यह इच्छा होती थी कि उस देश का वास्तविक जीवन भी देखा जाए जो उन्होंने पर्दों पर देखा है। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि अमरीकी फिल्मों ने किस मात्रा में अपना प्रभाव डाला किन्तु फिर भी यह निश्चित है कि यह प्रभाव पर्याप्त महत्वपूर्ण रूप से हुआ जिसे कि गम्भीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए। चलचित्रों के माध्यम से अमरीका, पेरिस और रोम, ओसलो और बर्लिन, लन्दन और मेट्रिड के मध्यम वर्गों के फैशन तथा आचार विचारों को प्रभावित करने में प्रभावशाली रहा।

सन् १९२० में अपनाई गई विदेश नीति की प्रशासकीय सुविधाओं तथा विदेशी मामलों को राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्व नहीं माना जा सकता। वाणिज्य सचिव हूवर ने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त कोशिशों की व राज्य विभाग को पुनर्गठित किया गया। संयुक्त राज्य अमरीका की शक्ति एवं धमती को देखते वे बाद रीनहोल्ड नेबर (Reinhold Niebuhr) ने यह कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका आधुनिक सभ्यता का वास्तविक साम्राज्य बन गया है किन्तु यह शक्ति शक्ति के आधार पर नहीं बरन् डालर के आधार पर। कुछ अमरीकी लेखकों ने अपने देश के सद्गुणों पर अभिमान है। उनके कथनानुसार अमरीका की शक्ति की अपेक्षा वहाँ के सद्गुणों से अन्य देशों को ईर्ष्या होती है।

सन् १९२० के मध्य में संयुक्त राज्य अमरीका के सामने एक विरोधाभास पैदा हुआ। राष्ट्रपति वॉकलिन डी रोजवेल्ट ने कांग्रेस को अपने व्यक्तिगत सदेश में कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका शान्ति एवं युद्ध की समस्याओं पर नैतिक दृष्टि से देखता है। कैलाशप्रिया सचिव द्वारा जो पूरा कार्यक्रम स्थापित किया गया था उसे अनुचित माना गया। इस पाल के बड़े देश तत्त्वार के कानून को ही महत्व देने लगे थे और इस प्रकार उनके विश्वास की गति

विपरीत दिशा में जा रही थी। ऐसी स्थिति में सभी अन्तर्राष्ट्रीय जगहों का स्थानितपूर्ण निरन्तर कठिन बन गया। समस्या यह थी कि क्या संयुक्तराज्य अमरीका को शान्तिप्रिय एवं युद्ध मित्र राष्ट्रों के बीच एक समझौते पूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापना के कार्य से अपना हाथ पीछे खींच कर मजल स्वयं की सुरक्षा एवं शान्ति के लिए प्रयास करना चाहिए? क्या उसे अन्य राष्ट्रों के विवादों में एक तटस्थ दर्शक का ही काम करना चाहिए?

एक अन्य विकल्प में इस समस्या को और भी अधिक गम्भीर बना दिया। सन् १९२० की दुनिया में जो परिस्थितियाँ थीं उनमें प्रजातंत्र अपसृष्टत सुरक्षित था। उस समय तक फ्रांसीवाद एक गम्भीर चुनौती का रूप धारण नहीं कर पाया था। गांधी ही साम्यवाद के पीछे भी दृढ़ता से चिन्तित नहीं थी। इस वातावरण में रह कर संयुक्त राज्य अमरीका के नेता अपनी विदेश नीति के शान्तिवाद पर जोर देते थे और वहाँ की जनता को यह विश्वास हो गया था कि इस देश को अब कभी भी हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किन्तु सन् १९३० के समय में फ्रांसीवाद को कई एक जगह विजय प्राप्त हो चुकी थी तथा अन्य प्रदेशों में तानाशाही शासनो का विकास हो गया था। इनसे वहाँ के विचारों में पर्याप्त परिवर्तन आया तथा संयुक्त राज्य अमरीका को भी अपनी नीति के व्यापक रूपों पर विचार करना पड़ा। अब समार सम्पूर्णतावाद के खतरे में पड़ चुका था और यह सम्भव था कि संयुक्त राज्य अमरीका इस विकास से आलू भूद ले।

संयुक्त राज्य अमरीका के नेताओं का अब यह विश्वास हो चला था कि तटस्थता एवं पार्थक्य का अर्थ कोई महात्वा नहीं रह गया है। राज्य सचिव हल (Hull) का कहना था कि पार्थक्यवाद कभी भी सुरक्षा का साधन नहीं बन सकता वरन् यह तो अनुरक्षा का एक फलदायक स्रोत है।¹ इधर योरोप की घटनायें बढ़ से बढ़तर होती जा रही थी। हिटलर जर्मनी को एकीकृत एवं शक्तिशाली बनाने के लिए सभी सम्भव उपाय कर रहा था। वह सैनिक साधन भी अपनाने में नहीं झिझक रहा था। मार्च, १९३५ में जर्मनी ने आस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया तथा छ महीने बाद वह चेकोस्लोवाकिया से बह माग करने लगा कि जर्मन जनसत्ता वाले सूडेटनलैण्ड को समर्पित कर दे। इंग्लैण्ड तथा फ्रांस आस्ट्रिया के जर्मनी के साथ विलय को देखते रहे किन्तु चेकोस्लोवाकिया के समर्थन में उन्होंने कदम उठाना उपयुक्त समझा। ऐसी स्थिति में योरोप में सम्भावित युद्ध के लक्षण दिखाई देने लगे। अग्नि, प्राय,

¹ Peace and War, PP 57, 418, Vital Speeches, VI (April 1, 1938), 368-372

पेरिस, रोम और लन्दन में इस सघर्ष को दूर करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किये गये। अनेक प्रारम्भिक वाद विवादों के बाद हिटलर प्रैट ब्रिटेन, फ्रांस तथा इटली के राज्य अन्वयशो क साथ वानचैत करने को तैयार हो गया। म्यूनिख समझौता किया गया किन्तु यह समझौता हिटलर को मार्च, १९३९ में शक्ति के आघार पर चेकोस्लोवाकिया को लेन से नहीं रोक सका। इसमें प्रोत्साहित होकर मुमोन्टनी ने अल्बानिया को घेर दवावा। समस्त योरोपीय शक्ति विषय को दिगा में बढनी गई।

द्वितीय विश्व युद्ध और अमरीका

(Second World War and U S A)

मार्च १९३८ को चार्ल्स म राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक के बाद एक करके अनेक संदेश विदेशों को प्रसारित किये तथा अमरीका की यह आशा व्यक्त की कि शान्ति स्थापित करने के लिए कोई तरीका मिल सकेगा। जनवरी, १९३९ में कांग्रेस को भेजे गये अन्त संदेश में राष्ट्रपति ने विदेशी समस्याओं पर ही आपत्त प्रकाश डाला। उनका मत था कि म्यूनिख समझौते ने अन्तिम सकट को मुलझाया नहीं है यरन् टाल दिया है।

१ सितम्बर १९३९ को यह बात सत्य साबित हो गई जब कि हिटलर ने अपनी सेनायें पोलैण्ड को आक्रमण करने के लिए भेज दी। समस्त राज्य अमरीका की जनता अभी भी तटस्वता एवं पार्थक्य के विचारों से प्रभावित थी। उसका मत था कि यारोप में चाहे कुछ भी हो रहा तो हमको इससे कोई मन्लब नहीं है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यह वायदा किया कि वह अपनी पूरी शक्ति से यह प्रयास करेगा कि अमरीका की शान्ति भंग न हो। वाद की घटनाओं ने यह निश्चय कर दिया कि अमरीका अघिक समय तक पार्थक्यवाद की नीति को नहीं अपना सक्ता है और इसलिए मानव जाति को अस्तभ्यस्त सम्पना, सङ्कलित, व्यापार एवं शान्ति में उसे हस्तक्षेप करना जरूरी है।

राष्ट्रपति एवं राज्य सचिव यद्यपि कुछ करने के लिए उद्यत थे किन्तु अमरीकी वानावरण को देखते हुए कुछ भी न किया जा सका। वे जनता की अमरीका के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में बेचक कुछ भाषण एवं संदेश देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पाये किन्तु जर्मनी के आगे बढ़ते हुए कदमों ने परिस्थिति में फेर बदल किया। अप्रैल, १९४० में हिटलर ने नीचे तथा डेनमार्क पर अचानक ही आक्रमण कर दिया। मई में इन देशों को जीत लिया गया। जून में मध्य में फ्रांस का पतन हो गया तथा युद्ध में रत प्रैट ब्रिटेन को भी धमकी दे दी गई। इस सबको देख कर अमरीका की जनता की आँखें खुल गयीं। परिवर्ती योरोप पर जर्मनी की विजयों ने राष्ट्रीय सुरक्षा की

भाग को बढ़ा दिया तथा देश का जनमन रातों रात कुछ करने के विचार का समर्थक बन गया। उन देशों को तुरन्त सहायता देने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो आक्रान्ता एवं अमरीका के विनाश के बीच स्थित थे। रुजवेल्ट ने यह विचार व्यक्त किया कि यदि इण्डिया और धूम्रा के देवताओं ने चल सेना एवं नौ सेना के द्वारा ही विजय प्राप्त करली तो पश्चिमी दुनियाँ में प्रजातन्त्र की समस्याएँ खतरे में पड़ जायेंगी।

संकट की गम्भीरता को देख कर संयुक्त राज्य अमरीका ने अपनी नौसेना एवं चल सेना को बढ़ाया। १९४० के अन्त तक इन कार्यों पर किये जाने वाले व्यय की मात्रा १७ बिलियन डॉलर तक पहुँच गई। जब रुजवेल्ट ने दो समुद्री नौसेना बनायी तथा आन्तिकालीन प्रबन्ध किये तो उसे किसी भी विरोध का सामना नहीं करना पडा। जुलाई १९४० के हवाना सम्मेलन में कुछ समझौते किये गये जिनमें कि अमरीकी गणराज्यों ने यह मत प्रकट किया कि पश्चिमी गोलार्ध में यथास्थिति को तोड़ने वाले कियों भी कार्य का विरोध किया जायगा और नई दुनियाँ में किया गया कोई भी आक्रमण इन सबके द्वारा उनके अपने विरुद्ध आक्रमण समझा जायगा। कुछ समय बाद ही आगडन्सबर्ग (Ogdensburg) में कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमरीका की सम्मिलित सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई। हिटलर के विरुद्ध योगोपीय देशों को अब भी सहायता दी जा रही थी।

संयुक्त राज्य अमरीका मित्र राष्ट्रों की विजय में पूरी तरह से रुचि लेने लगा क्योंकि यदि पूरे योरोप पर हिटलर की विजय हो जाती है तो उस पर भारी संकट आ जाता। इस सम्बन्ध में किसी को कोई सदेह नहीं था किन्तु समस्या यह थी कि क्या इन राष्ट्र के निवारणार्थ अमरीका को प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में आना चाहिये अथवा उसे अपने स्वयं के स्रोतों पर भरोसा करके केवल महाद्वीपीय सुरक्षा का ही प्रबन्ध करना चाहिए। दूसरे विकल्प को मानने वालों का कहना था कि धुती राष्ट्रों के जीत जाने पर भी संयुक्त राज्य अमरीका अपने साधन स्रोतों के आधार पर अपनी रक्षा करने में समर्थ है। यद्यपि पश्चिमी प्रजातन्त्रों को दबाना जरूरी था किन्तु फिर भी यह आवश्यक था कि देश में शांति रहे। युद्ध और शांति के इस द्वन्द्व में फस कर अमरीका यह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए।

११ मार्च, १९४१ को संयुक्त राज्य अमरीका ने लेण्डलीज अधिनियम को कानून का रूप दिया। इसका समर्थन करते हुए रुजवेल्ट ने बताया कि मैं जान लीजिए मेरे मित्र के पर मैं आग लग जाती है और मेरे पास बचीबे की एक बंदी टकी है। यदि वह पशोती उस टंकी का प्रयोग करके आग बुझा

सकता है तो मैं इस कार्य में उसकी सहायता करूँगा। १५ मार्च, १९४१ को एजवेल्ट ने यह बताया कि संयुक्त राज्य अमरीका प्रजातन्त्र के लिए सस्त्रागार का काम करेगा। उसके बयानानुसार 'यदि ब्रिटिश जनता तथा उसके मित्रों को जहाजों की जरूरत है तो अमरीका से वे जहाज प्राप्त करेंगे। यदि उनको हवाई जहाजों की आवश्यकता है तो उनको प्रदान किया जायेगा। उनको लाने की आवश्यकता है अमरीका इस पूर्ण करेगा। उनको टक, यन्त्र, सस्त्र एवं अन्य साधनों की आवश्यकता है, उनको यह सब दिया जायेगा। 'अमरीका' यहाँ के लोगों की घोषणा के अनुसार प्रजातन्त्र का सस्त्रागार होता जा रहा था।

जब एजवेल्ट प्रशासन ने मित्र राष्ट्रों को प्रत्येक प्रकार की सहायता देने का विचार सामने रखा तब वह युद्ध में नहीं उलझ रहा था बल्कि वह अत्यन्त साधनों को खपना कर प्रजातन्त्र विरोधी ताकतों के विनाश को रोकने का प्रयास कर रहा था। कई एक अमरीकी लेखकों का मत है कि संयुक्त राज्य अमरीका युद्ध को बढ़ाना नहीं चाह रहा था और मित्र राष्ट्रों को दिया गया उसका आश्वासन इस बात पर आधारित था कि हिटलर द्वारा प्रभावित विश्व से संयुक्त राज्य अमरीका की सुरक्षा नहीं रह सकती तथा पार्थक्यवाद के आधार पर सुरक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती।

संयुक्त राज्य अमरीका की इन नीतियों ने उसे युद्ध की ओर प्रेरित किया किन्तु फिर भी यह कहा जाता है कि वह पुरी राष्ट्रों के साथ आने अन्तिम संघर्ष का रोक ही नहीं सकता था। संयुक्त राज्य अमरीका ने युद्ध में प्रविष्ट होने से ही नाजीवादी और फासीवादी शक्ति पराजित हो सकी। जब जापान और जर्मनी को अन्तिम रात से हराने के लिए अमरीका को अपने जल, धूल नौसैनिक का पूरा प्रयोग करना पड़ा तो यह स्पष्ट हो गया कि ऐसा न किया जाता तो वह इनको हरा नहीं सकता था। यह कहा जाता है कि पुरी राष्ट्रों के हराने के बाद भी विश्वव्यापी शांति जैसी कोई चीज स्थापित नहीं हुई क्योंकि साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव और पूँजीवाद से उसके सघर्ष गम्भीर रूप धारण कर चुका था। किन्तु फिर भी सन् १९४१ के जापान और जर्मनी के आक्रमण ने जो समस्या उत्पन्न की उसमें और कोई विकल्प नहीं रह गया था।

जून १९६० में जय फ्रांस का पत्र हुआ और दिसम्बर १९४१ में पहले शर्त पर जो सन्तुलन जापान के आक्रमण द्वारा नष्ट हो चुका था, युद्ध की प्रभावशाली विदेशी नीति बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की जनता में भेदभाव चला रहा। यहाँ राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने पूरे

समर्थन की जरूरत थी। उसके बाद ही यह राष्ट्रीय सुरक्षा और लेंडलीज (Lend lease) सहायता के कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सकता था। प्रभावशाली रूप से कार्य करने के लिए अमरीकी जनता को यह समझना जरूरी हो गया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दायित्व आवश्यक बलिदान करे।

जब १० अप्रैल १९४१ को अमरीका के राज्य विभाग ने यह घोषणा की कि जर्मन नियन्त्रण के डेनिस प्रभाव को सम्भावित प्रसार से रोकने के लिए चीन ईंधन पर कब्जा करना जरूरी है तो इस दिशा में कार्यवाही की गई थी और तीन महीने बाद राष्ट्रपति ने यह कहा कि इस डीप के लोगों से समझौता हो गया है जिसके आधार पर यह सुरक्षा की दृष्टि से अमरीकी सैनिक टुकटिया रस्तों जा सकते हैं। रूजवेल्ट ने कांग्रेस को बताया कि संयुक्त राज्य अमरीका अटलांटिक में जर्मनी को रणकौशल के लिए महत्वपूर्ण ऐसी चीजियों पर अधिकार नहीं करने देगा जिनको पश्चिमी गोलार्ध पर आक्रमण करने के लिए जल सेना या वायु सेना के अड्डे के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। कुछ दिनों बाद जर्मनी की सेनाओं ने यूगोस्लाविया और यूनान का पतन कर दिया। सोवियत रूस की ओर विजय के उत्साह में भरी हुई वे बढ़ने लगी।

जापान और संयुक्त-राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका अटलांटिक महासागर की घटनाओं को अधिक महत्व दे रहा था और उसने मतानुसार प्रतान्त की घटनाओं से साति को अधिक उतरा था। जापान चीन में लगातार आक्रमण कर रहा था। सन् १९४० की शरद ऋतु में उसने घुरी राष्ट्रों से सन्धि कर ली। उत्तरी इण्डोचीन पर उसने दोष ही अधिकार कर लिया। जब पूर्वी एशिया में युद्ध के प्रसार का खतरा स्पष्ट हो गया। अमेरिका की नीति यह रही कि कूटनीतिक और आर्थिक दबावों के आधार पर जापान को रोकने के लिए कुछ किया जाए तथा राष्ट्रवादी को सहायता दी जाए। फलस्वरूप जापान को भेजे जाने वाले माल के जटानों पर निर्जन नियन्त्रण उठोर कर दिया गया और जब जापान ने इन्डो चीन और चीन में हटना अस्वीकार कर दिया तो २५ जुलाई, १९४१ को जापान-अमेरिकी व्यापार समाप्त हो गया। जापान और अमेरिका के सम्बन्ध बिगड़ते गये और ७ दिसम्बर १९४१ को एकदम आधिकारिक रूप से जापान ने पर्न हार्बर पर प्रत्यक्षारी बम बर्षा करदी। अमेरिका में कोई भी यह आशा नहीं कर रहा था कि साफ्ट इतना जल्दी उपस्थित हो जायेगा।

७ दिसम्बर को पले हार्बर पर जापानी बम बर्षा ने सम्पूर्ण अमेरिकी राष्ट्र को एकबारगी ही क्षुब्ध कर दिया। ८ दिसम्बर को जापान के विरुद्ध

अमेरिकी कांग्रेस ने युद्ध की घोषणा कर दो और ३ दिन बाद ही अमेरिका को जर्मनी और इटली के साथ भी उलझ जना पडा। राष्ट्र के नाम जाने एक रेडियो प्रसारण में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिकी जनता को सवक का मुकाबला करने के लिए आह्वान किया और कहा कि "हम अब युद्ध के बीच में हैं, विजय के लिए नहीं, बदले के लिए नहीं वरन् एक ऐसी दुनिया के लिए जिसमें कि यह राष्ट्र और इसके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली सारी चीजें इसके बन्धों के लिए सुरक्षित रहगो। हम आशा करने हैं कि जापान से उत्पन्न खतरे को समाप्त कर लगे किन्तु यह भी हमारे विरुद्ध होगा कि सौंप दुनिया पर हिटलर और मुसोलिनी का अधिकार हो जाए। हम युद्ध जीतने जा रहे हैं और उसके बाद आने वाली सन्ति को जीतने जा रहे हैं।" प्लं हाबेंर की घटना से अमेरिका पर एक बहुत बड़ा भावात्मक असर हुआ और रातों रात अमेरिका की जनता यह समझ गई कि उनका देश विश्व समाज का एक अंग है और इसका भाग उसी के साथ जुटा हुआ है। युद्ध में उसके प्रत्यक्ष सघर्षों को भौगोलिक स्थिति के कारण रोका नहीं जा सकता।

सयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में परिस्थितियों के कारण उलझा और अब धुरी राष्ट्रों पर विजय प्राप्त करती गई तो उसे कुछ आत्म-संतोष हुआ। मई १९४५ में जोसेफ स्टूफ ने बताया कि "जहां तक सयुक्त राज्य अमेरिका के हितों का सवाल है यह युद्ध एक उद्देश्य प्राप्त करना था और वह यह है कि जर्मनी और जापान के सैनिक प्रसार से रक्षा। इस उद्देश्य के लिए हमको लड़ना पडा। यदि हम न लड़ते तो हमारा राष्ट्र प्रत्यक्ष रूप से खतरे में पड जाता। जहां तक हमारे स्वयं के हितों का सम्बन्ध है, युद्ध युद्ध रूप में आत्मरक्षा के लिए युद्ध था जो हम पर घोसा गया।"

द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अमेरिका

अथवा

द्वितीय महायुद्धोत्तर अमेरिकी विदेश नीति

**(America in the Field of International Politics
after the Second World War)**

१९३६ में द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने पर सयुक्त राज्य अमेरिका ने पाथक्ववाद की नीति को निलाजलि दे दी और अपने अतीत के अनुभवों से लाभ उठाकर फिर कभी इस नीति का अनुसरण नहीं किया। पाथक्ववाद की नीति का परित्याग होने से अमेरिका की महायुद्धोत्तर वैदेशिक नीति में बहुत एक बड़ा नातिकारी मूखपात हुआ। अब सयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवाद के प्रसार को धवहड करने के लिए सब देगों से

समुच्चय राज्य अमेरिका का उदय

सैनिक समझौते करने और उन्हें लगभग सभी प्रकार की सैनिक एवं आर्थिक सहायता देने की नीति का अनुसरण करने लगा। तथापि, माइकेल डोनेलन (Michael Donelan) के अनुसार युद्धोपरान्त अमेरिकन वैदेशिक नीति की आत्मा सुरक्षात्मक ही बनी रही और इस ही कारणवश जहाँ उसे जनक लाभ हुए वहाँ अनेक हानियाँ भी उठानी पड़ी। किन्तु यह सुरक्षात्मक नीति सैनिकरण कोशल (Military Strategy) से कहीं अधिक विस्तृत थी और केवल अमेरिका की सुरक्षा से इमना क्षेत्र कहीं अधिक चौड़ा था। युद्धोपरान्त अमेरिकन विदेश नीति द्वारा मानव कल्याण की भावना भी रचालित का गई थी, यह केवल अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक नये प्रकार की अवसरवादिता नहीं थी।

वास्तव में द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद की अमेरिकन विदेश नीति मुख्य रूप से साम्यवादी देशों के साथ उसके विरोध, समझौते, प्रति-द्वन्द्विता एवं सन्धियों की कहानी है जिसमें कभी-कभी पुनः अपनी पारंपरिकवादी नीति पर आ गए और कभी अपने विचार के आदर्श समाज की रचना में भी बूढ़ पड़े। आखिर उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया जो असतोषजनक परिस्थितियों में रहना था। यह आशा की गई कि समय के साथ-साथ या तो ये सम्झौतों सुलझ जायेंगी अथवा स्वतः ही मिट जायगी और इस प्रकार संपूर्ण युद्ध के खतरे को टाला जा सकेगा। युद्धोपरान्त वर्षों में अमेरिकन विदेश नीति ने विश्व के आकार को बरुपनात्तित एवं तीव्र गति से विस्तृत कर लिया। पश्चिमी यूरोप की साम्राज्यवादो एवं व्यापारिक शक्तिशासकतावादियों से विश्व में अपनी शक्तिशाली बढ़ाती जा रही थी किन्तु समुच्चय राज्य ने दो दशाब्दियों में ही अपने सामंतिकालीन उत्तरदायित्वों को यूरोप, मध्यपूर्व, दक्षिणी एशिया तथा अफ्रीका में बसा लिया। माइकेल डोनेलन (Michael Donelan) के शब्दों में युद्धोपरान्त अमेरिकन विदेश नीति का विषय शोलाद्ध सम्बन्धी मान्यताओं का समय विश्व के रूप में विस्तार कर लेना था। युद्धोपरान्त अमेरिकन कार्यरत्नापों से स्पष्ट है कि युद्ध के बाद अमेरिका ने न केवल यूरोप के मामलों में सक्रियता ली है, बल्कि सुदूरपूर्व, मध्यपूर्व और अफ्रीका के मामलों में भी सक्रिय भाग लिया है।

महायुद्ध के बाद अमेरिकी विदेश नीति अनेक परिवर्तनों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर प्रकट होती रही है और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अमेरिका ने स्वयं को बड़े प्रभावशाली टुकड़े से प्रस्तुत किया है। सुविधा की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अमेरिका के युद्धोत्तर स्वरूप को निम्नलिखित ५ भागों में बाटना अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी होगा—

- १ मधु-रात्रि का काल (The Honeymoon Period)—मई १९४५ से अगस्त १९४६ तक,
- २ नवीन दिशान्त्रेयण का काल (Period of New Departure)—अगस्त १९४६ से जून १९५० तक,
- ३ खुले मघर्ष का काल (Period of Open Conflict)—जून १९५० से जुलाई १९५३ तक,
- ४ नवीन दृष्टि का काल (Period of New Look)—जुलाई १९५३ से जनवरी १९६१ तक,
- ५ सह अस्तित्व का काल (Period of Co-existence)—जनवरी १९६१ के उपरान्त ।

मधु-रात्रि का काल (मई १९४५ से अगस्त १९४६ तक)

द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका को लगभग एक डेढ़ वर्ष तक यह विश्वास बना रहा कि युद्ध काठ में अमेरिका और रूस को जिम मित्रता का विकास हुआ है, वह युद्धोत्तर शांतिकाल में भी बनी रहेगी। अमेरिका और रूस का युद्धकालीन सहोदर फरवरी १९४५ के याट्टा सम्मेलन में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था और तभी से सामान्यतः यह विश्वास किया जाने लगा था कि याट्टा की भावना युद्धोत्तर काल को भी अनुप्राणित करती रहेगी। इसी विश्वास के आधार पर अगस्त-जून १९४५ के मान-प्राप्ति की सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र मघ का चार्टर तैयार किया गया तथा जुलाई-अगस्त में पोर्ट्स-टम सम्मेलन में जर्मनी व जापान से शांति-मघियों एवं भुक्तोत्तर व्यवस्थाओं के बारे में विभिन्न समझौते किये गये।

युद्धकालीन सहयोग और मंत्रों की युद्ध के बाद इनकी सुमारी छापी रही कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 'सहयोग और अनुकूलन की नीति' (Policy of Co-operation and Accommodation) का अनुसरण करते हुए युद्ध से विश्वस्त देशों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य आरम्भ किया, अगु शांति के नियंत्रण की योजनायें बनायीं, यूरोप से अपनी सेनाओं को हटाया, चीन में माफ्यवादियों और राष्ट्रवादियों के मन्त्र समझौता कराने के प्रयास किये, जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों के साथ यथामन्य शोत्रातिनिध्न शांति सघिया करने का आग्रह और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सघटन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। २८ अक्टूबर, १९४५ को तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रुमैन ने सहयोग और अनुकूलन की तत्कालीन अमेरिकन विदेशी नीति के 'बारह सूत्री

(Twelve Point) उद्देश्यों की घोषणा की। ये उद्देश्य सा, रूप में इस प्रकार थे—

(i) अमेरिका प्रादेशिक विस्तार अथवा स्वार्थपूर्ण लाभ नहीं चाहता, यह किसी छोटे या बड़े देश पर आक्रमण नहीं करेगा।

(ii) अमेरिका का मत है कि जिन देशों से सर्वोच्च प्रभुमत्ता के अधिकार बलपूर्वक छीने गये थे, वे उन्हें वापिस दिये जाने चाहिए।

(iii) अमेरिका किसी भिन्न देश में स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवस्था की गयी जनता की सहमति के बिना दिये गये किसी प्रादेशिक परिवर्तन की स्वीकार नहीं करेगा।

(iv) अमेरिका का यह विश्वास है कि स्वशासन के लिए समर्थ और उद्यत देशों की विदेशी हस्तक्षेप के बिना अपने शासन का स्वरूप चुनने में स्वाधीनता होनी चाहिए। यह सिद्धान्त यूरोप, एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी गोलार्द्ध में समान रूप से लागू होता है।

(v) अमेरिका का लक्ष्य अपने साथियों के साथ सहयोग करत हुए पराजित देशों में शांतिपूर्ण लोकतन्त्रोप शासन स्थापित करना है।

(vi) संयुक्त राज्य अमेरिका विदेशी शक्ति द्वारा किसी देश में बलपूर्वक थोपी गयी सरकार की मान्यता प्रदान नहीं करेगा।

(vii) अनेक देशों में ये होकर गुजरने वाली नदियों में तथा समुद्रों में शान्तिपूर्ण नीति निर्वाह स्वतन्त्रता सब देशों की होनी चाहिए।

(viii) विश्व में कच्चे माल की प्राप्ति तथा व्यापार में सब देशों को स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

(ix) अमेरिका का यह मत है कि पश्चिमी गोलार्द्ध के राज्यों को इस गोलार्द्ध के बाहर से किसी शक्ति के हस्तक्षेप के बिना, उत्तम पद्धतियों की भांति अपनी सामान्य समस्याओं का समाधान करना चाहिये।

(x) अमेरिका चाहता है कि समूचे विश्व में शान्ति को दूर करने तथा जीवन के स्तर को ऊँचा करने के लिए सब देशों में पूर्ण आर्थिक सहयोग होना चाहिए।

(xi) संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में अभिव्यक्ति तथा धर्म की स्वतन्त्रता को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेगा।

(xii) अमेरिका का यह दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रों में शांति बनाये रखने के लिए ऐसे संयुक्त राष्ट्र सभ की आवश्यकता है, जिसके सदस्य शांति-प्रेमी हों, तथा शांति बनाये रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सैनिक कार्य-वाही करने के लिए भी तैयार हों।

युद्धोत्तरकाल में, युद्धकाल की भांति ही, रूसी सहयोग के प्राप्ति हेतु रूढ़िवादी अमेरिकन आशा इतनी बड़ी नहीं थी कि अमेरिका ने अपनी सशस्त्र सहायता लगभग दो वर्षों के भीतर १ करोड़ २० लाख सैनिकों से घटा कर १५ लाख सैनिक कर दिये। परन्तु शीघ्र ही इस आशा का खोखलापन सिद्ध होने लगा। अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए भी अमेरिका विश्व राजनीति में दो महत्वपूर्ण विभागों के प्रति चूक कर बैठा—सोवियत संघ की ध्वान्तमण्डली चाल और एशिया महाद्वीप में शक्ति। लगभग सभी क्षेत्रों में शीघ्र ही यह प्रकट हो गया कि रूस एवं अमेरिका परस्पर एक दूसरे के पूर्ण विरोधी हैं और विश्व के प्रत्येक भाग की प्रत्येक सम्भव समस्या पर उन दोनों में मतभेद है। स्पष्टता की दृष्टि से यह कहना होगा कि विशेषतः ५ क्षेत्रों में उनके मतभेद विशेष रूप से उग्र हो गये—

(i) जर्मनी के समीकरण का प्रश्न,

(ii) पोलैंड में रूस द्वारा याल्टा सम्मेलन में दिये गये वचनों के उल्लंघन की अमेरिकी शिकायत,

(iii) इटली, हंगरी, रमानिया, बल्गेरिया तथा फिनलैंड के साथ शान्ति संधियों का प्रश्न,

(iv) समुक्त राष्ट्र सत्र तथा उसमें रूस द्वारा निषेधाधिकार के प्रयोग का प्रश्न, तथा

(v) ईजान, टर्की और यूनान में रूसी महत्वाकांक्षियों का प्रश्न।

इन सभी मतभेदों के कारण और अन्य विभिन्न असहमतियों के फलस्वरूप उन्हें उन्हें पश्चिम और पूर्व की युद्धकालीन 'अनोखी मैत्री' (Strange Alliance) एक 'शीतयुद्ध' (Cold War) में परिणतित हो गयी। रूस के असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण से अमेरिका में आशावादी नेताओं को बड़ा धक्का लगा। एशिया महाद्वीप में जो शक्ति हो रही थी उसका साम्यवादी देशों ने लाभ उठाया तथा पश्चिम विरोधी, उपनिवेश विरोधी और साम्राज्य विरोधी भावनाओं का प्रचार कर यहाँ के देशों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया तथा विश्व की नजरों में अमेरिका को प्रतिशियावादी तथा पूँजीवादी बना दिया।

नवीन दिशावेषण का काल

(अगस्त १९४६ से जून १९५०)

१९४६ के मध्य तक "अनोखी मैत्री" की असफलता अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की एक बड़ी यथार्थता बन गयी। साम्यवादी देशों के रूस को देश-दर-राष्ट्रपति रुजवेत्स और ट्रुमैन के प्रधान परामर्शदाता एथरिज हैरीमैन

तथा विदेश विभाग के रूसी विशेषज्ञ जार्ज केनन (Kennan) ने क्रैमलिन के साथ सहयोग की नीति में सदेह प्रकट किया। उस के साथ सहयोग करने की नीति को अविवेकपूर्ण बताया हुए यह मत प्रकट किया गया कि 'रूस केवल हड़ता की नीति को ही समझ सकता है और उसी का सम्मान भी कर सकता है, किसी दूसरी नीति को तो वह दुर्बलता और क्षिणिलता की ही निशानी समझता है।' दिसम्बर १९४६ में विदेश मंत्री बर्नार्ड एच अगले वर्ष उमरु उत्तराधिकारी विदेश मंत्री मार्शल भी मास्को के विदेश-मंत्रों-सम्मेलनों से ऐसे ही विचार लेकर लौटे। दोनों का यह विश्वास हो गया कि रूस के साथ सहयोग की नीति सफल होने की कोई संभावना नहीं है।

उपरोक्त अनुभूति होने के फलस्वरूप अमेरिकन विदेश नीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए और उसे सहयोग की अपनी प्रारम्भिक नीति का परित्याग करना पड़ा। यह समझा जाने लगा कि रूस, चीन एवं पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के प्रसार ने अमेरिका की सुरक्षा के लिए गभीर खतरा पैदा कर दिया है, अतः अमेरिका को सुरक्षित ही ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे साम्यवादी प्रसार को प्रभावशाली रूप से अविलम्ब 'अवरुद्ध' कर दिया जाय। इस प्रकार अमेरिका "सहयोग और आनुकूल्य" (Co-operation and Accommodation) की नीति के स्थान पर "अवरोध की नीति" (Policy of Containment) पर आया। सोवियत खुनीती के प्रति जागरूक होकर अमेरिका ने कठोर नीति को अपनाना आरम्भ किया किन्तु फिर भी राष्ट्रपति ट्रुमैन का मत इस धारणा में बना रहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मूल हित इसी बात में निहित हैं कि शांति बनायी रखी जाय ताकि विश्व ने सभी देश उत्पादन और पुनर्निर्माण के अपने मूल कार्यों की ओर लौट सकें। उपराष्ट्रपति हेनरी वॉलस (Henry Wallace) का विश्वास था कि सोवियत सभ्र भयभीत है और परिचयी आक्रमण के विरुद्ध आदेशात्मक चाहता है।

जो भी हो, साम्यवाद को सीमित या अवरुद्ध करने की नीति राष्ट्रपति ट्रुमैन के युग में प्रारम्भ हो गई और इसकी निश्चित अभिव्यक्ति 'ट्रुमैन सिद्धांत' (Truman Doctrine) में हुई जिसकी पूर्ण आधिकारिक व्याख्या स्वयं राष्ट्रपति ट्रुमैन ने १२ मार्च, १९४७ को आने एक भाषण में कांग्रेस के समक्ष की।

ट्रुमैन सिद्धांत का विवरण देने से पूर्व उन तीन मुख्य घटनाओं को संक्षेप में जान लेना चाहिए जिनके बरीभूत होकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अमेरिका ने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से यही प्रकट किया कि

यूनान, टर्की और ईरान पर बढ़ते हुए साम्यवादी दबाव के कारण ही "विपुल आर्थिक सहायता द्वारा साम्यवाद के प्रसार को रोकने की नीति" कार्यान्वित की गई। इन तीनों देशों की समस्याएँ इस प्रकार थी—

(क) यूनान की समस्या—यूनान में दो राजनीतिक दल थे—एक साम्यवादी समर्थक (E.A.M.) और दूसरा राजतन्त्रवादी (E.D.E.S.)। द्वितीय महायुद्ध के दौरान ब्रिटेन फौज न यहाँ प्रवेश किया। अक्टूबर, १९४४ में एक समझौते के अनुसार रूस न यूनान को ब्रिटेन का प्रभाव क्षेत्र स्वीकार कर लिया। ब्रिटेन यूनान को अपने प्रभाव क्षेत्र में इसलिए रखना चाहता था कि उसके साम्राज्य के पूर्वी हिस्से को जाने वाला मार्ग सुरक्षित रह सके।

यूनान में प्रवेश के बाद ब्रिटेन न यूनान के साम्यवादी दल (E.A.M.) का विरोध किया। इसके समर्थन से मार्च, १९४५ के चुनावों में राज-सत्तावादियों की विजय हुई और यूनान में राजतन्त्र की स्थापना हो गई। साम्यवादियों ने यूनानी सरकार के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। दिसम्बर, १९४६ में सुरक्षा परिषद् में यूनान में विद्रोही दलों को विदेशों से सहायता दिये जान की शिफारिश पेश की। संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग की रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हुई।

इस समय ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं थी कि वह अपनी सेना बढ़ा कर अकेला विद्रोहियों का मुकाबला करता। इसलिए ब्रिटेन ने घोषणा की कि बड़ा वित्तीय नर्प की समाप्ति तक ५ सप्ताह के भीतर अपनी फौजें यूनान से हटा लेगा। अमेरिका के सामने यह चिन्ता सही हो गई कि ब्रिटिश फौजों को हटते ही यूनान पूरी तरह साम्यवादी प्रभाव में चला जायेगा। राष्ट्रपति ट्रुमैन के सहायकों—एवगेन और मासॉल ने स्पष्ट शब्दों में कहा—“यदि यूनान ह्राय से निकल गया तो टर्की के टापू की रक्षा असम्भव हो जायेगी” (२६ फरवरी, १९४७)। फरवरी २६, १९४७ में ट्रुमैन ने निश्चय कर लिया कि यूनान को आर्थिक सहायता दी जाय।

(ख) टर्की की समस्या—महायुद्ध के बाद भूमध्य सागर और कृष्ण सागर का जोड़ने वाली बामंदोरग और दर्रादनियाल जल-डमरू मध्य पर जो टर्की के अधिकार में था, सोवियत रूस कब्जा करना चाहता था। इस क्षेत्र पर कौन से बड़े कृष्ण सागर के तटवर्ती देशों का व्यापार बन्द कर सकता था और कृष्ण सागर एवं भूमध्य सागर से नौसैनिक आक्रमण भी कर सकता था। अक्टूबर ७, १९४६ को रूस ने टर्की के समक्ष जल-डमरू-मध्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किये—

(१) वे युद्ध और शान्तिकाल में सब देशों के व्यापारिक जहाजों के लिए खुले रहेंगे।

(२) कृष्ण सागर की शक्तियों के युद्ध पोतों के लिए वे सदैव खुले रहेंगे।

(३) विदेश अवस्थाओं को छोड़ कर कृष्ण सागर में भिन्न शक्तियों के युद्धपोत इनमें से गुजरें।

(४) इनका शासन प्रबन्ध टर्की व कृष्ण सागर की अन्य सभी शक्तियों के हाथ में हो, तथा

(५) इनकी रक्षा टर्की और रूस दोनों के सामान्य साधनों से हो।

काफ़ी आरोपों प्रत्यारोपों के बाद और अन्त में वाशिंगटन की मलाह के आधार पर टर्की ने मास्को के सभी प्रस्तावों को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। साथ ही अमेरिका ने भी रूस को चेतावनी दे दी कि यदि टर्की पर आपत्तय किया गया तो मामला सुरक्षा परिषद में उठाया जायेगा। टर्की ने भी अपनी सुरक्षात्मक तैयारियाँ आरम्भ कर दीं। चूंकि आवश्यक संशय शक्ति खटाने के लिए उसके पास समुचित आर्थिक साधन न थे, अतः अपने अमेरिका से सहायता की प्रार्थना की और राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यूनान की भांति टर्की को भी सहायता देने का निश्चय कर लिया।

(ग) ईरान की समस्या—द्वितीय महायुद्ध के दौरान ब्रिटेन और रूस की सेनायें अफगान, उत्तरी यूनान और दक्षिणी यूनान में प्रवेश कर गईं। जर्मनी के पराजित होने के बाद २ मार्च, १९४६ के दिन ईरानी क्षेत्रों में सभी सेनाओं का हट जाना निश्चित हुआ। कतिपय कारणों से रूस ने ईरानी क्षेत्र से हटना अस्वीकार कर दिया। सुरक्षा परिषद के प्रयासों का कोई फल नहीं निकला। अन्त में अप्रैल, १९४६ में रूस और ईरान के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार मई, १९४६ में रूसी फौजें ईरान से हट गईं। ईरान में घटी इस घटना से राष्ट्रपति ट्रूमैन को रूसी मत्त्वानाक्षाओं के बारे में कोई सन्देह नहीं रहा।

टर्की, यूनान और ईरान की घटनाओं के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका ने निश्चय कर लिया कि मध्य-पूर्वी क्षेत्र में रूस को शिथिल देने के लिए इन देशों की सहायता देने की नीति पर चला जाय। यह नीति उस समय के राष्ट्रपति ट्रूमैन के नाम पर 'ट्रूमैन विद्यान्त' (Truman Doctrine) कहलाती है।

ट्रूमैन विद्यान्त

(Truman Doctrine)

मार्च १९४७ को राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अपने मन्त्रिमण्डल को बैठक में

बताया कि उन्होंने कांग्रेस से यह सिफारिश की है कि यूनान को २५ करोड़ डॉलर की तथा टर्की को १५ करोड़ डॉलर की सहायता दी जाय। १२ मार्च, १९४७ को कांग्रेस में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अपील की कि साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए यूनान और टर्की को आर्थिक सहायता स्वीकार की जाय। उन्होंने घोषणा की कि स्वतन्त्र देशों की बाह्य प्रभाव से रक्षा करना समुक्त राज्य की नीति होनी चाहिए। श्री ट्रूमैन की इस ऐतिहासिक भाषण की, जिसमें 'ट्रूमैन सिद्धांत' की धारणा निहित है, मुख्य बातें इस प्रकार थी—

'आज यूनान राज्य की सत्ता सकट में है। इसका कारण कम्युनिस्टों के, सरकार को चुनौती देने वाले कई हजार सशस्त्र व्यक्तिमों के आतंकवादी कार्य हैं। यूनान सरकार इस स्थिति का सामना करने में असमर्थ है। उसको सहायता की आवश्यकता है, समुक्त राज्य अमेरिका को उते सहायता देनी चाहिए। टर्की की भी यही स्थिति है, अभी हाल में दुनिया के कई देशों ने सर्वाधिकारवादी शासन बहा की जनता की इच्छा के विरुद्ध स्थापित कर दिये गये हैं। समुक्त राज्य अमेरिका ने पान्टा समझौते को भंग करते हुए पोलैण्ड, रूमानिया, बल्गेरिया में धमकी और दबाव से स्थापित शासनों के विरुद्ध प्रतिवाद किया है।

मेरा विश्वास है कि समुक्त राज्य अमेरिका की यह नीति होनी चाहिए कि वह बाह्य दबाव से या सशस्त्र अल्प संख्या द्वारा स्थापित किये जाने वाले शासनो का प्रतिरोध करने वाली स्वतन्त्र जनताओं का समर्थन करे। मेरा विश्वास है कि हमें स्वतन्त्र जनताओं को अपने तरीके से अपना भाग्य निर्माण करने में सहायता देनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि हमारी सहायता प्रथमतः आर्थिक और वित्तीय सहायता के द्वारा होनी चाहिए, जो कि आर्थिक स्थायित्व और मुख्यस्थित राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य है। यदि यूनान सशस्त्र अल्पसंख्या के हाथ में आ जाता है तो इसका उत्कांठित और भीषण प्रभाव हमारे पड़ोसों पर पड़ेगा। समस्त मध्य-पूर्व में गड़बड़ और अस्थिरता का साम्राज्य हो जायगा। इसका प्रभाव यूरोप में स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने वाली जनता पर पड़ेगा। स्वतन्त्र संस्थाओं का विध्वंस और स्वाधीनता का अपहरण न केवल उनके लिए बल्कि समस्त विश्व के लिए घातक होगा।

सर्वाधिकारवादी शासनों के बीच दुश्मनी और दरिद्रता में पनपने हैं। उनका विश्वास और वृद्धि निर्धनता तथा संघर्ष में होता है। जब जनता में उत्कृष्ट जीवन के लिए आशा नष्ट हो जाती है तो इनका पूर्ण विश्वास हीता है, हमें यह आशा नष्ट नहीं होनी चाहिए।

जगत की स्वतन्त्र जनता अपनी अपनी स्वाधीनता बनाये रखने के लिए हमारी ओर निहार रही है। यदि हमने नेतृत्व में चुक की तो समस्त विश्व की शान्ति रुकट में पड़ जायगी। हम अपने राष्ट्र के कल्याण को संकटपूर्ण बना देंगे। समय तथा परिस्थिति के परिवर्तन के कारण हमारे ऊपर बड़ा भारी उत्तरदायित्व आ गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस उन समस्त उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से निभायेगी।'

मई के प्रारम्भ में अमेरिकन कांग्रेस ने यूनान और टर्की को ४० करोड़ डालर की सहायता देने का राष्ट्रपति ट्रूमैन का बिल स्वीकार कर लिया और इस पर २९ मई, १९४८ को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गये।

'ट्रूमैन सिद्धान्त' के अन्तर्गत प्राप्त विपुल सहायता के चल पर १९५० के अन्त तक यूनान और टर्की ने साम्यवादी दबाव से सफलतापूर्वक मुक्ति प्राप्त कर ली। वास्तव में ट्रूमैन सिद्धान्त ने अमेरिकन वैदेशिक नीति के इतिहास में असाधारण महत्व के कीर्ति-स्तम्भ की स्थापना की। जिन दृष्टियों अथवा कारणों से इसका इतना महत्व है, वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं—

(i) यह अमेरिकन विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और अमेरिकन परम्पराओं में मौलिक शान्ति का प्रणेता था। इस सिद्धान्त के मान्य होने के समय से ही विश्व को यह ज्ञात हो गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब घृण्यतावादी नीति का परित्याग करके संपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय जगत की समस्याओं के सम्बन्ध में सक्रिय बनता जा रहा है।

(ii) ट्रूमैन के 'सर्वाधिकारवादी' और "स्वतन्त्रता का अपहरण करने वाला राज्य" आदि शब्द निःसन्देह रूप में उस को एक स्पष्ट चेतावनी थी, उस के साथ शीत युद्ध की घोषणा थी और रजिमेंट की मास्को के साथ सहयोग करने वाली नीति का परित्याग था।

(iii) ट्रूमैन सिद्धान्त 'अवरोध' की नीति में विश्वास का प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण था। यह सोवियत रूस को स्पष्ट संकेत था कि उसकी अपने प्रभाव का विस्तार करने की महत्वाकांक्षाओं को सहन नहीं किया जायगा।

(iv) ट्रूमैन सिद्धान्त से अमेरिका की यह धारणा पुष्ट हो गई कि विश्व की विचारधारा दो भागों में विभक्त है—एक तो स्वतन्त्रता का अपहरण करने वाले राष्ट्रों की विचारधारा और दूसरी 'असुरी रक्षा करने वाली विचारधारा'। ट्रूमैन के अनुसार रूस पहली विचारधारा का प्रवर्तक या जबकि अमेरिका दूसरी का।

(v) यह सिद्धान्त 'मुनरो सिद्धान्त' का बृहत् और विद्वद्भाषी रूप था। मुनरो सिद्धान्त में वाशिंगटन ने घोषणा की थी कि पश्चिमी गोलार्द्ध के किसी राज्य में अमेरिका से बाहर की कोई शक्ति हस्तक्षेप न करे। इसी नीति को व्यापक बनाते हुए ट्रूमैन सिद्धान्त में कहा गया था कि अमेरिका द्वारा पूर्वी और पश्चिमी गोलार्द्ध में स्वतन्त्रता की आकांक्षी जनता को उसके स्वाधीनता सघर्ष में सहायता दी जायगी।

(vi) ट्रूमैन सिद्धान्त इस तथ्य की स्पष्ट स्वीकृति थी कि ब्रिटेन अपनी आर्थिक दुर्बलता के कारण पूर्वी भूमध्यसागर और मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बनाये रखने में असमर्थ है अतः ऐसी स्थिति में उत्पन्न हुए 'शक्तिशून्य' का साम्यवादी रुझान द्वारा लाभ उठाये जाने से पूर्व अमेरिका द्वारा लाभ उठा लिया जाना चाहिए।

(vii) टर्की और यूनान को 'स्वतन्त्रता की रक्षा' के नाम पर सहायता देना अमेरिकन वास्तविक उद्देश्यों को मनमोहक शब्दों के जाल में छिपाना था। ट्रूमैन सिद्धान्त का मूल उद्देश्य तो यूनान एवं टर्की को, बाल्कन प्रायद्वीप में रूसी अधिकार को रोकने के लिए और साथ ही रूस को घेरने के लिए मटत्वपूर्ण सैनिक अड्डे के रूप में सुरक्षित रखना तथा मध्य पूर्व के विशाल तेल गण्डार को अपने अधिकार में बनाये रखना था।

(viii) ट्रूमैन सिद्धान्त से यह स्पष्ट होता है कि समुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस सिद्धान्त का प्रतिपादन रूस के प्रति अपने मन मुटाब, घृणा, वैमनस्य, अविश्वास आदि के परिणामस्वरूप ही किया गया था। ट्रूमैन सिद्धान्त रूस के प्रति अमेरिकन वैमनस्य की स्थूल अभिव्यक्ति थी।

ट्रूमैन सिद्धान्त को जहाँ इतना असाधारण महत्त्व मिला है वहाँ अनेक दिसाओं से इसे बटु आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा—

प्रथम, साम्यवादियों ने अमेरिका की आर्थिक और सामरिक सहायता देने की नीति को साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का एक नवीन रूप बताया। सोवियत संघ ने आराध लगाया कि अमरीका मध्य पूर्व के अल्प विकसित देशों की आर्थिक कठिनाइयों का अपने स्वार्थ के लिए लाभ उठाता है, "सहायता के नाम पर इन देशों के साथ ऐसे समझौते होते हैं जिनसे अमरीकन अर्थ-व्यवस्था इन पर हावी हो जाती है। वह इन देशों के कच्चे माल पर अधिकार कर लेता है, नैतिक अड्डों और सामरिक मटत्व के मार्गों को अपने बाबू में कर लेता है।"

दूमरे, इस सिद्धान्त को सर्वाधिकारवाद के निरुद्ध लोकतंत्र का रक्षक कहना विश्व को भ्रम में डालता है क्योंकि यूनान अथवा टर्की को इस सिद्धान्त

की आठ में जब सहायता दी गई तो दोनों में से एक का भी शासन लोक-
तान्त्रिक नहीं था। इस सिद्धांत का उद्देश्य तो पश्चिमी और मध्य एशिया के
रेशम सण्डारों की रूसी प्रभाव से बचाना था।

तीसरे, इस सिद्धांत से संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थिति दुर्बल हो गई क्योंकि
यूनान और टर्की को संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से नहीं, बरन् पृथक् रूप से
सहायता प्रदान की गई।

चौथे, स्वयं अमेरिकनो की दृष्टि में ट्रूमैन सिद्धांत मुनरो सिद्धांत का
ही विकसित रूप है।

युद्धोपरान्त की प्रारम्भिक नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के फल-
स्वरूप अब यह भली-भांति स्पष्ट हो गया कि अमेरिकन विदेश नीति का
मौलिक उद्देश्य साम्यवाद और सोवियत प्रसार को रोकना बन गया। इस
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने अपनी विदेश नीति में तीन तत्त्वों को स्थापित
दिया—प्रथम, आर्थिक, द्वितीय राजनीतिक, एवं तृतीय सैनिक। आर्थिक तत्व
में आर्थिक सहायता और आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्यक्रम अपनाये गये, राज-
नीतिक नीति को सम्पादित करने के लिए पश्चिमी यूरोपियन संघ की स्थापना
की दिशा में आगे बढ़ा गया और सैनिक नीति के अन्तर्गत सैन्य सगठनों की
स्थापना पर बल दिया जाने लगा।

मार्शल योजना

(Marshall Plan)

“अवरोध” की नीति (Policy of Containment) का दूसरा
धरण मार्शल योजना थी जिसका उद्देश्य युद्ध विध्वस्त यूरोप का आर्थिक
पुनर्निर्माण करके उसे साम्यवाद से बचाना था। यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण
थले अगले एक अध्याय में इस योजना पर सविस्तार प्रकाश डाला गया है।
यहां इतना ही लिखना पर्याप्त है कि मार्शल योजना सभ सामयिक कूटनीतिक
दृष्टिहानस की सर्वाधिक दिलचस्प और मुग-प्रवर्तक घटनाओं में से एक थी जिससे
रूस और पश्चिम का विरोध पहले की अपेक्षा और भी अधिक उत्पन्न हुआ।
इस योजना के अन्तर्गत चार वर्षों (१९४७-१९५१) में अमेरिका ने यूरोप
को लगभग ११ बिलियन डॉलर की सहायता दी। इस योजना के बल पर एक
ओर तो पश्चिमी यूरोप आर्थिक वृद्धि और साम्यवाद आधिपत्य से बच गया
तथा दूसरे ओर मधुशत राज्य अमेरिका पाश्चात्य जगत का सर्वमान्य नेता बन
गया। अमेरिका ने यूरोपीयन देशों की आर्थिक सहायता देते हुए यह सर्व-
समाप्त किया कि वे अपनी सरकारों में साम्यवादी तत्वों का उन्मूलन करेंगे। १९४६-
४७ तक ढॉच शासन में साम्यवादी थे, लेकिन १९४८ में जब ब्लूम फ्रांस के

लिए ऋण प्राप्त करने हेतु वाग्विगटन गया तो उस पर दबाव डाला गया कि ऋण प्राप्ति के लिए फ्रेंच सरकार से साम्यवादियों का निवाला जाना आवश्यक है। इसी प्रकार इटली में मार्शल सहायता पाने वाली सरकार को मन्त्री-मण्डल में से साम्यवादियों को निकालना पड़ा।

मार्शल योजना एक प्रकार से ट्रूमैन सिद्धान्त का एक ही विकसित रूप थी। इसने ट्रूमैन सिद्धान्त में प्रतिपादित अवरोध की नीति को तीन प्रकार से आगे बढ़ाया—

(१) ट्रूमैन सिद्धान्त में अलग अलग राज्यों की सहायता देने की व्यवस्था की गई थी, मार्शल योजना में यूरोप को समग्र रूप से सहायता देने की व्यवस्था की गई।

(२) मार्शल योजना की 'अवरोध की नीति' में आर्थिक तत्वों के महत्त्व को मली प्रकार स्पष्ट कर दिया गया।

(३) इसके द्वारा पहली बार अमेरिकन आर्थिक सहायता की एक सहयोगी एव योजना बद्ध रूप दिया गया।

यह बल्लेखनीय है कि आर्थिक स्तर पर साम्यवाद के अवरोध की नीति के अनुसार अमेरिका ने जर्मन अर्थव्यवस्था को भी पुनर्गठित करने का प्रयास किया। जून, १९४८ में पश्चिमी शक्तिवर्गों द्वारा जर्मनी के अपने क्षेत्रों में उन्होंने कुछ मुद्रा सम्बन्धी सुधार किये, जिसके विरोध में रूस द्वारा बर्लिन की 'बुस्पात नाकेबन्दी' की गयी जो अतन्त असफल सिद्ध हुई। पश्चिमी शक्तियों के मोद्रिक सुधारों और बर्लिन संकट पर उनकी हठता ने जर्मन जनता को यह विश्वास दिला दिया कि पश्चिमी शक्तियां उन्हे टिठो की रक्षा करने के लिए उत्सुक और समर्थ हैं।

चार सूत्री कार्यक्रम

(Four Point Programme)

मार्शल योजना का उद्देश्य केवल यूरोप की आर्थिक अस्त-व्यवस्था को पुन हट्ट करना था, लेकिन चीन में साम्यवादियों की महान् विजय से अमेरिकन और अन्य पश्चिमी राजनवा ह्य शक्त में चिन्तित हो गये कि विश्व के अल्प विकसित देश साम्यवादी प्रसार के उत्तम क्षेत्र सिद्ध हो सकते हैं। अत राष्पति ट्रूमैन ने, ऐसे प्रदेशों में साम्यवादी प्रसार का अवरोध के लिए, अमेरिकन विदेश नीति का 'चार सूत्री कार्यक्रम' (Four Point Programme) की घोषणा करत हुए २० जनवरी, १९४९ का कृता कि—

“आगामी वर्षों में शांति और स्थिरता का वायनम में चार प्रयास करने पर बल दिया जायेगा—

- (i) समुक्त राष्ट्रमण्डल का पूर्ण समर्थन,
- (ii) विश्व के आर्थिक पुनरुत्थार के कार्य को करते रहना,
- (iii) आन्तमण्डल के विरुद्ध स्वतन्त्रता प्रेमी राष्ट्रों का मुहृद बनाना,
एव
- (iv) अल्पविकसित देशों के उत्थान के लिए प्राविधिक (Technical) सहायता देना ।¹

कांग्रेस ने १९५० के 'अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिनियम' (Act for International Development) के द्वारा इस कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया । रिचर्ड स्टेबिन्स (Richard P. Stebbins) के शब्दों में "यह कानून अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण मिला का पत्थर था ।"² इस योजना द्वारा प्रथम बार तकनीकी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता धीरे-धीरे बढ़ने लगी क्योंकि अर्ध-विकसित देशों की आवश्यकताएँ बहुत अधिक थी तथा अमेरिका के राष्ट्रीय हित की इसके द्वारा साधना होती थी । आलोचकों द्वारा चार सूत्री कार्यक्रम को कीतमुद्ध का ही एक अल्प भाग माना गया और कहा गया कि यह अर्ध-विकसित देशों का समर्थन प्राप्त करने तथा उनसे आवश्यक रणनीति का सामान प्राप्त करने का एक तरीका है न कि अर्ध-विकसित देशों को आर्थिक सहायता प्रदान कर अपने पावों पर सटे होने तथा अन्य स्वतन्त्र देशों के साथ अपना सामान्य सम्बन्ध बनाने की सुविधा देने का प्रयास ।

नाटो अखरोप की रण विधि

(NATO . The Strategy of Containment)

राजनीतिक तथा आर्थिक स्तर के साथ समुक्त राज्य अमेरिका ने सैनिक स्तर पर भी साम्यवादी प्रसार के अखरोप का प्रयत्न किया । उसने दूसरे देशों के साथ सैनिक रुद्धिदो बीर पारस्परिक प्रतिरक्षा महादत्ता कार्यक्रम (Mutual Defence Assistance Programme) का तरीका प्रारम्भ किया जो अमेरिकन विदेश नीति का एक नवीन प्रयोग था । वैसे इस दिशा में प्रथम पण १७ मार्च, १९४८ की श्रुसेल्स सन्धि थी, जिसके द्वारा ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लक्जमबर्ग ने यूरोप से सशस्त्र आक्रमण होने की दिशा में परस्पर सहायता देने का वचन दिया । किन्तु यह सन्धि, वस्तु स्थिति का दृष्टि से, समुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की वचनबद्ध सशस्त्र सहायता के अभाव में कुछ भी प्रभावशाली नहीं थी । अतः सैनिक अखरोप की व्यवस्था को विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए अमेरिका द्वारा

1. Richard P. Stebbins, The U. S. in World Affairs, 1950 P. 96.

नाटो का आयोजन किया गया और ४ अप्रैल, १९४९ को यह प्रथम सैनिक सन्धि सयुक्त राज्य, कनाडा, इटली, आइसलैंड, नार्वे, डेनमार्क और पुर्तगाल के बीच हो गई। यह उत्तरी अटलांटिक संधि अनेक तरह से एक 'नवाचार' (Innovation) थी। यह प्रथम सन्धि थी जिसके प्रति अमेरिका ने स्वयं को बचनबद्ध किया। इसी के साथ यूरोपीयन देशों की रणशक्ति बढ़ाने के लिए पारस्परिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम भी अपनाया गया।

सयुक्त राज्य अमेरिका को तेजी से सैनिक सधियों के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी एक और महत्वपूर्ण घटना यह थी कि सोवियत रूस ने १९४९ में ही एटम बम (Atom Bomb) के रहस्यों को खोज निकाला था जिन्हें कि सयुक्त राज्य अमेरिका ने सावियन रूस से सर्वथा गुप्त रखा था। रूस की खोज से अणुबम पर सयुक्त राज्य अमेरिका का अणुशक्ति पर एकाधिकार (Monopoly) का अन्त हो गया और उसकी सर्वोच्च शक्ति को खतरा पैदा हो गया। इस घटना के परिणामस्वरूप अमेरिका के लिए साम्यवाद का आतंक बढ़ गया। इसलिए सयुक्त राज्य अमेरिका ने कोरिया (Korea) में साम्यवाद के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही का भी नेतृत्व किया।

खुले संघर्ष का काल

(जून १९५० से जुलाई १९५३)

वास्तव में साम्यवाद का खतरा ज्यों ज्यों बढ़ता जा रहा था, अमेरिकन प्रतिश्रिया उसी के अनुरूप हो रही थी और इसी प्रतिश्रिया का एक स्वरूप यह था कि सयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण सैनिक सधियों व प्रतिरक्षा संगठनों की स्थापना की दिशा में झुका। जून १९५० में दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया का आक्रमण हो जाने से, जिसमें सयुक्त राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत अमेरिकन सेनाओं ने लगभग पूर्ण युद्ध किया, अमेरिकन विदेश नीति में सैनिक शक्ति का महत्व द्विगुणित हो गया। श्लेचर (Schleicher) महोदय के शब्दों में "अमेरिकी सैनिक शक्ति के लिए विनियोग तिष्ठने से भी अधिक हो गया, यूरोप को दिये जाने वाले सहयोग में सैनिक शक्ति पर जोर दिया जाने लगा, तथा मार्शल योजना की मदद 'सुरक्षा समर्पण की मदद' बन गयी।"¹

कोरिया युद्ध जून, १९५० से जुलाई १९५३ तक चला और यह अन्तिम दोन युद्धों की जगह खुले संघर्ष अथवा सश्रिय युद्ध की रही। इसलिए अमेरिकन युद्धोत्तर वैदेशिक नीति व इतिहास में यह एक प्रकार का 'खुले संघर्ष का काल' (Period of Open Conflict) रहा। इस अवधि में, अवरोध नीति के राजनीतिक और आर्थिक पक्ष की अपेक्षा सैनिक पक्ष को विशेष -

महत्व देते हुए ३० अगस्त, १९५१ को अमेरिका ने फिलिपाइन्स के साथ एक प्रतिरक्षा समझौता किया, १ सितम्बर १९५१ को आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के साथ एन्जस समझौता किया और इसी तरह ८ सितम्बर, १९५१ को जापान के साथ एक प्रतिरक्षा समझौता सम्पन्न हुआ।

स्पष्ट है कि अमेरिकन प्रशासन में सैनिक शक्ति के उपयोग एवं सैनिक तथा प्रतिरक्षा समझौतों ने महत्व की विचारधारा बलवती हुई। इस तरह अमेरिका अपनी विदेशी नीति में अब आर्थिक और सैनिक दोनों ही तत्वों को प्रधानता देने लगा। ये दोनों ही तत्व आज भी अमेरिकन विदेशी नीति के प्रधान अंग बने हुए हैं और यदि देखा जाय तो द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद के कुछ काल को छोड़कर अमेरिकन विदेश नीति का अब तक सम्पूर्ण इतिहास इन दोनों तत्वों की प्रधानता घटन क्रिये हुए है।

नवीन दृष्टि का काल

(जुलाई १९५३ से जनवरी १९६१ तक)

जनवरी १९५३ में २४ वर्षों में प्रथम बार एक रिपब्लिकन राष्ट्रपति के रूप में जनरल ड्वाइट हाउस में प्रवेश किया। उन्होंने अपने निर्वचन अभियान में कोरिया युद्ध की समाप्ति करने का वचन दिया था और जुलाई १९५३ में कोरिया युद्ध समाप्त हो गया। इसके पूर्व ही मार्च, १९५३ में रूस के कठोर और लोह पुरुष स्टालिन की मृत्यु हो चुकी थी। १९५३ के वर्ष की इन सब घटनाओं के सम्मिलित परिणामस्वरूप शीतयुद्ध की गर्मी में कुछ समय के लिए कमी आई, अमेरिकन विदेश नीति में इस स्थिति से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा।

वई कारणों से अमेरिका की इस नवीन सरकार, नवीन राष्ट्राध्यक्ष और नवीन सचिव के प्रति लोग सदेह भरी दृष्टि से, देखते हुए आशंका कर रहे थे कि संभवतः वे अपने पहले वालों से अधिक सैनिकवादी एवं युद्ध-प्रिय रहेंगे। किन्तु जेम्स वि. पामर तथा परकिंस (Palmer and Perkins) का कहना है, कि ड्वाइट हाउस ने किसी विदेश नीति की रूपरेखा नहीं रखी बल्कि 'कुछ निश्चित सिद्धान्त' रखे जो उनके प्रशासन का संरक्षण करने का थे।^१ विदेश नीति के सिद्धान्त मुख्य रूप से इस प्रकार थे—युद्ध का दृष्टिकार, अमेरिकन शक्ति का विकास दूसरे देशों के साथ सहयोग की दृष्टि, सुप्रीमरी का अभाव, अमेरिकन शक्ति का दुरुपयोग नहीं, दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए समर्थन, विदेश के उत्पादन तथा साम पूर्ण

1. Palmer and Perkins, op. cit. P. 710.

व्यापार को प्रोत्साहन देना, सन्तुलित राष्ट्र सत्र के प्रति भक्ति भावना, पश्चिमी मोल्डाव' के देशों के साथ सहयोग, यूरोपीय एकता को बढ़ावा देना, सभी लोगों एत्र जातियों को समानता तथा सन्तुलित राज्य को शान्ति के लिए एक प्रभावशाली शक्ति बना देना ।

शान्तिव न रुस द्वारा परमाणु बम के निर्माण, विपुल अमेरिजन सहायता न बावजूद चीन न साम्यवाद की विजय और सबसे बाद न कोरिया न युद्ध न सन्तुलित राज्य अमरीका की अरती विदेश नीति पर एक नई दृष्टि (New look) डालने पर विचार कर दिया । अत्र फ्रान के साथ सहयोगित्व का इच्छा व्यक्त अनिच्छापूर्वक स्वीकार करना आवश्यक हो गया । साम्यवादी चीन की बढ़ती हुई शक्ति न भी यह जता दिया कि रुस का अवरोध न केवल यूरोप न दक्षिण सुदूर पूर्व में भी किया जाना आवश्यक है । फिर कोरिया युद्ध से यह आशंका और भी दृढ़ हो गई कि यूरोप और पूर्वी एशिया में अवस्था हो जाने के बाद दक्षिण मध्यपूर्व में बढ़ने का प्रयत्न करेगा । इस आशंका के फलस्वरूप मध्यपूर्व का प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका की दिलचस्पी का प्रधान केन्द्र बन गया ।

राष्ट्रपति आइज़नहोवर के शासन काल में घटना चक्र कुछ ऐसा घुमा कि जिससे शीत युद्ध में कुछ समय के लिए स्थिरता आ गई और अन्तर्राष्ट्रीय मनमुटाव मिटने की आशाओं की जाने लगी । मार्च १९५३ में स्थापित की मृत्यु के बाद सोवियत नेतृत्व जिन लोगों के हाथों में आया उन्होंने भी पूर्वाशा कुछ लचीली और समझौतापूर्ण नीतियाँ अपनायीं पाहो । फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति में कुछ सुधार हुआ । १६ अगस्त, १९५३ को राष्ट्रपति आइज़नहोवर ने यात्रा कप्तान में दा दशाल की निम्न सुन कर लोगों का यह भ्रम बहुत कुछ दूर हुआ कि यह हीनिक जनरल अमरिका की पूरी तरह मेनिकवाद की ओर दृष्ट देता । ११ मई को चर्चिता द्वारा फ्रान, ब्रिटेन, फ्रान और अमेरिका का सियर सम्मेलन बुलाया गया । पश्चिमी यूरोप की अधिनायक एकीकृत करने के प्रयत्न किये गये । जुलाई १९५३ में ३ साल में भी अधिनायक समय में चलने वाला नाटोई युद्ध बन्द हो गया । अगस्त में सोवियत फ्रान ने भीषण की कि उनका हाइड्रोजन बम का विपटन कर लिया है । इसी तुरन्त बाद दिसम्बर में सन्तुलित राष्ट्र सत्र की महासभा में आइज़नहोवर ने आणु शक्ति पर नियंत्रण रखने और उनका शान्ति के लिये प्रयोग करने का प्रस्ताव रखा ।

सन् १९५४ में इस अधिनायक सम्मेलन हुए कि जॉन फोस्टर डब्लिन की - यात्री राज्य सन्धि की शंका दी जाने लगी । पश्चिमी यूरोप को एकीकृत

वरने के घबत्तो के फलस्वरूप इसी वर्ष पश्चिमी यूरोपियन राष्ट्र (Western European Union) की स्थापना की गई और जर्मनी को नाटो का सदस्य बना लिया गया। १९५४ में ही साम्यवादी चीन की सहायता से साम्यवादी छाप मारो द्वारा हिन्द चीन में गम्भीर स्थिति उत्पन्न कर दी गई जिसके फलस्वरूप जुलाई में हिन्द चीन, फ्रांस, साम्यवादी चीन, रूस और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने जेनेवा सम्मेलन में हिन्द चीन को विभाजित करने का निर्णय लिया। इसके उत्तरी भाग में वियतमिन्ह (बाद में उत्तरी वियतनाम) का साम्यवादी राज्य स्थापित किया गया और दक्षिणी भाग को एंगोस, कम्बोडिया तथा दक्षिणी वियतनाम के तीन गैर-साम्यवादी राज्यों में विभाजित कर दिया गया। इस घटना-वक्र ने संयुक्त राज्य अमेरिका को साम्यवादी चीनी प्रसार को अवरोध करने के लिए कृत-संकल्प बना दिया, और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए सितम्बर १९५४ में थाइलैंड, फिलिपाइन्स, पाकिस्तान, ब्रिटेन फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के साथ 'दक्षिणी-पूर्वी एशिया सामूहिक सुरक्षा संधि' (South East Asia Collective Defence Treaty) पर हस्ताक्षर करके सोटा (SEATO) की स्थापना की गई।

मध्यपूर्व आइजनाहोवर सिद्धान्त

(Middle East Eisenhower Doctrine)

यूरोप और सुदूरपूर्व में साम्यवादी प्रसार के अवरोध के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिरक्षा संधियों आदि की स्थापना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य-पूर्व की ओर मुड़ा। इस क्षेत्र में साम्यवाद के प्रसार पर अकुशल लगाने के लिए आइजनाहोवर प्रशासन ने टर्की, ईरान, पाकिस्तान और ब्रिटेन आदि की प्रेरित कर के १९५६ में बगदाद पॅक्ट (जिसे १९५६ में सेप्टेम्बर में बनाया गया) की रचना कराई। यद्यपि मध्यपूर्व में अमेरिका का यह प्रयास प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुआ परन्तु इस क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने का उसे एक अन्य सुत्रवस्तर मिल गया। हुआ यह कि १९५६ में स्वेज नहर के प्रश्न को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल ने संयुक्त रूप से मिस्र पर आक्रमण कर दिया। सीमासम्बन्ध संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस को इस कार्य-वाही को अपना समर्थन प्रदान नहीं किया प्रतु उन्होंने यही सद्सहायता दी कि वे अपना आक्रमण खत्म कर दें। अन्त में, अमेरिका सहित विश्व-जनमत के विरोध पर, विदेशी जायतियों को स्वेज से हटना पड़ा। स्वेज वाद में पराजय का परिणाम यह निकला कि एक लम्बे समय में मध्यपूर्व को राजनीति पर नियंत्रण करने वाले ब्रिटेन और फ्रांस इस क्षेत्र में अपना प्रभाव खो बैठे और मध्यपूर्व में इस क्षेत्र की शून्यता से यह आसता ही गई कि रूस इस क्षेत्र में

अपना प्रभाव स्थापित कर लेगा। इन समारना को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र में कूद पड़ा। उसने यहाँ शांति बनाये रखने तथा साम्यवादियों का प्रसार रोकने के लिए सुप्रसिद्ध 'आइजनहावर सिद्धान्त' प्रतिपादित किया।

“आइजनहोवर सिद्धान्त” की घोषणा ५ जनवरी, १९५७ को राष्ट्रपति आइजनहोवर द्वारा कांग्रेस को भेजे गये एक संदेश में की गयी। यह संदेश मध्यपूर्व के सम्बन्ध में अमेरिका की नीति की घोषणा थी। इस संदेश के अनुसार कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा मस्युक्त रूप में पास किये गये कानून पर राष्ट्रपति ने ६ मार्च १९५७ को हस्ताक्षर कर दिये। इस कानून के अन्तर्गत राष्ट्रपति को मध्यपूर्व के किसी भी देश में अपनी विवेक बुद्धि से साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए कौजें भेजने तथा सैनिक कार्यवाही करने का अधिकार मिल गया।

कांग्रेस ने आइजनहोवर सिद्धान्त के अन्तर्गत अमेरिकन सहायता के इच्छुक मध्यपूर्व के देशों की सहायता के लिए २०० मिलियन डालर की धनराशि की स्वीकृति दी।

आइजनहोवर सिद्धान्त की प्रतिक्रियाएं और सिद्धान्त का विश्लेषण— आइजनहोवर सिद्धान्त और कानून की प्रतिश्रियाएं मिश्रित हुईं। मध्यपूर्व में जोर्डन, लेबनान, ईरान, ईराक, सऊदी अरब और पाकिस्तान आदि ने इसका स्वागत किया। परन्तु मिस्र और सीरिया आदि ने इसे एक साम्राज्यवादी चाल बताया। सोवियत रूस ने इसका घोर विरोध करते हुए इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की आश्रामक नीति की शृंखला की एक और कड़ी कहा। स्वर्गीय श्री नेहरू ने शक्ति शून्य के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहा—“यदि पश्चिमी एशिया में एक शून्य है तो यह स्वयं उस क्षेत्र के देशों के द्वारा भरा जाना चाहिए। यदि दूसरे गोल आने का प्रयत्न करते हैं तो विपत्ति प्रारम्भ हो जाती है और सुरक्षा के स्थान पर हम उसका उल्टा पाने हैं।”

आइजनहोवर सिद्धान्त का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह सिद्धान्त स्वच्छ, द्रुमंन सिद्धान्त का एक विकसित रूप था—

प्रथम, द्रुमंन सिद्धान्त में सहायता का क्षेत्र बिल्कुल गुनिश्चित— टर्की और यूनान था, जबकि आइजनहोवर सिद्धान्त के अन्तर्गत अमेरिकन राष्ट्रपति मध्यपूर्व के विशाल प्रदेश में किसी भी देश को सहायता दे सकता था।

दूसरे, इसके अन्तर्गत दो जाने वाली सहायता का क्षेत्र भी अरिक्त व्यापक था। जहाँ द्रुमंन सिद्धान्त के अन्तर्गत प्रधानतः आर्थिक सहायता की

मध्यम राज्य अमेरिका का उदय

व्यवस्था की गई थी वहा आइजनहोवर सिद्धान्त के अन्तर्गत आर्थिक और सैनिक दोनों प्रकार की सहायता की व्यवस्था थी।

तीसरे, इस सिद्धान्त ने राष्ट्रपति को ट्रूमैन सिद्धान्त की अपेक्षा सेनायें भेजने व लड़ाई छेड़ने के अधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किये।

चौथे, इस सिद्धान्त में आप्रमण की प्रवृत्ति की भी अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई। यह स्पष्ट कर दिया गया कि सहायता वाले साम्यवादी आप्रमण भयना उसकी आशका पर सम्बन्धित देशों की प्रार्थना और इच्छा पर ही भेजी जायगी।

पाचवें, ट्रूमैन सिद्धान्त की भांति इस सिद्धान्त का घोषित लक्ष्य भी मध्यपूर्व के देशों में स्थिरता और स्वतन्त्रता की रक्षा करना था, जबकि इसका वास्तविक लक्ष्य मध्यपूर्व के तेल भण्डारों को पश्चिमी गुट के लिए सुरक्षित रखना था। दूसरे शब्दों में यह कहना उचित होगा कि ट्रूमैन सिद्धान्त की भांति आइजनहोवर सिद्धान्त भी अमेरिका के नवीन साम्राज्यवाद का सूचक था।

आइजनहोवर सिद्धान्त का प्रयोग— इस सिद्धान्त के प्रचार और प्रसार के लिए अमेरिका के विशेष राजदूत जेम्स पी रिचर्ड्स को मध्यपूर्व के देशों का दौरा करने के लिए भेजा गया। इस समय इन देशों में दो बड़े वर्ग थे— पश्चिम ने समर्थक, एव पश्चिमो विरोधी किन्तु सोवियत पक्षपाती। पश्चिम समर्थक टर्की, ईरान, ईराक और पाकिस्तान (बगदाद पेंक के सदस्य राज्य) ने २१ जनवरी को इस सिद्धान्त का समर्थन कर दिया। इन राज्यों के अलावा लेबनान, सीरिया और इजरायल ने भी इसके प्रति अपनी सहमति प्रकट की। किन्तु पश्चिम विरोधी सीरिया और यमन ने इस सिद्धान्त की अस्वीकार कर दिया, मूझान ने कोई निश्चित जवाब नहीं दिया और मिस्र ने मौन साथ लेना उचित समझा।

शीघ्र ही ऐसा अवसर भी उपस्थित हो गया जबकि दो देशों में अमेरिका को 'आइजनहोवर सिद्धान्त' का प्रयोग करने का मौका मिला। ये देश थे—लेबनान और जोर्डन। लेबनान में अमेरिका ने स्वयमेव इस सिद्धान्त का प्रयोग किया जबकि जोर्डन में ब्रिटेन की सहायता से। परन्तु इन दोनों देशों में ही यह सिद्धान्त व्यावहारिक दृष्टि से सफल न हो सका।

(1) लेबनान में अमेरिकी सेना का प्रवेश—ईसाई और मुसलमानों के प्रदेश लेबनान के तत्कालीन राष्ट्रपति चामो और प्रधानमंत्री साफी सोलह के विच्छेद ६ मई, १९५५ को विद्रोह हो गया। यह सरकार अमेरिका समर्थित थी ब्रिटेन आइजनहोवर सिद्धान्त की स्वीकार कर लिया था। लेबनान

ने सुरक्षा-परिपद में निष्कासन की कि इस विद्रोह को मिस्र और सीरिया में भड़काया है तथा वे विद्रोहियों की सहायता कर रहे हैं।

राजधानी राष्ट्रमन्त्रीय जांच आयोग ने लेबनानी आरोपों को गलत बताया, लेकिन लेबनानी सरकार ने जांच की रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए मरुतान राज्य अमेरिका से सैनिक सहायता की मांग की। १५ जुलाई, १९५८ को राष्ट्रपति आइज़नहावर द्वारा घोषणा की गई कि लेबनानी राष्ट्रपति की अत्यावश्यक अग्रील पर अमेरिकन सेनाएं बहा भेजी जा रही हैं। इसी दिन अमेरिकी सैनिक लेबनान को राजधानी बेरूत उतर गये और २० जुलाई तक अमेरिकन सैनिकों की संख्या १० हजार तक पहुँच गई। अमेरिकन फौजा ने विद्रोह को तो दबा दिया लेकिन लेबनानी जनता ने अपनी भूमि पर विदेशी सैनिकों की उपस्थिति को पसन्द नहीं किया।

सोवियत संघ ने सुरक्षा परिपद में २५ जुलाई को यह प्रस्ताव रखा कि लेबनान से अमेरिकी सेना वापस बुला ली जाए। विन्सु अमेरिकन ग्रुट से नियन्त्रित परिपद ने इस प्रस्ताव को नामजूर कर दिया। १३ अगस्त को प्रश्न महसभ में पेश हुआ और २३ अगस्त को यहाँ एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें अमेरिका से अपनी सेनायें वापस बुलाने की मांग की गई। अमेरिका ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया।

इस बीच लेबनान में गृह-युद्ध जारी रहा। ३१ जुलाई, १९५८ को राष्ट्रपति बामा के स्थान पर चह्र राष्ट्रपति निर्वाचित हो गये। चूंकि विरोधी दलों की पश्चिमी-समर्थक बामा को हटाने की मुख्य मांग पूरी हो गई अब लेबनान का गृह-युद्ध भी शांत हो गया। नयी सरकार ने अमेरिका से तुरन्त अपनी फौजें लेबनान से हटा देने का मांग की। अतः विवाद हो कर उसे अपनी फौज लेबनान से हटानी पड़ी। २६ अक्टूबर, १९५८ तक अमेरिकन फौजों ने लेबनान छोड़ी कर दिया।

(11) जोर्डन में हस्तक्षेप—१८ जुलाई, १९५८ को ईराक पश्चिम-पश्चिमी सरकार ने विद्रोह एक सैनिक विद्रोह हो गया। अतः यह आश्चर्य की जाने लगी कि वहाँ जोर्डन भी ऐसी शान्ति का निवारण न हो जाय। फरवरी १० जुलाई को जोर्डन के शाह हुसैन ने रेडिया से घोषणा की कि ईराक शान्ति से उत्पन्न स्थिति में जोर्डन भी देश के लिए मित्र राज्यों से प्रभावगाला सैनिक सहायता की याचना की गई है। शाह हुसैन ने ब्रिटेन और अमेरिका में अविश्वसनीय रूप से सहायता देने की अग्रील की। ब्रिटेन ने भी इस ही अर्थी सेनायें जोर्डन में भेजा और अमेरिका ने शाह हुसैन को ७५ लाख डॉलर की नयी आर्थिक सहायता दी। इस अनिश्चित अमेरिका की

वायु-मण्डल ने जोर्डन ने उत्पन्न हुई पेट्रोल की जमीन का काले के तिर बहरीन से तेल खोला गुप्त कर दिया ।

जोर्डन के मामले में भी अमेरिका को कावेरती जनमन्वी रही । सन्तुल्य राज्य का महासभा के २३ अक्टू, १९५८ के एक प्रस्ताव के अनुसार जिडेन को पानी सेनायें जोर्डन से प्राप्त बुगनी पडी । इस तरह जिडेन की स्थापना से आइबनहोवर विद्वान का सैनिक प्रयोग जोर्डन में किया गया, यह जन्त में निरस्त हुआ ।

आइबनहोवर विद्वान का मूल्यांकन—केरनात और जोर्डन इन दोनों देशों में आइबनहोवर विद्वान का जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रयोग किया गया, उनसे इस विद्वान के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण परिणाम निकलने हैं—

(i) आइबनहोवर विद्वान को मध्य-पूर्व में साम्यवादी एवं सौविम्य प्रभाव को रोकने में सफलता नहीं मिली और न ही वह इस क्षेत्र में शक्ति स्थापित करने अपना अन्तर्राष्ट्रीय सनाव दूर करने में सफल हुआ । इसके विपरीत लेबनान और जोर्डन में सैनिक हस्तक्षेप का उल्टा प्रभाव यह हुआ कि इन देशों में पश्चिमी विरोधी एवं साम्यवादी तत्वों को पुष्टि मिली तथा दोनों राज्यों में पश्चिमी प्रभाव का प्रतिरोध करने वाली सरकारों की स्थापना हुई ।

(ii) यह स्पष्ट हो गया कि द्रूमन विद्वान की तरह आइबनहोवर विद्वान भी समुच्चय राष्ट्र सभ को विफल बनाने वाला था क्योंकि इसके कारण सन्तुल्य राज्य अमरीका द्वारा समुच्चय राष्ट्र सभ के नाम को करने हाथ में लेने का प्रयास किया गया था ।

(iii) राष्ट्रपति आइबनहोवर ने मध्य पूर्व में नवीन राष्ट्रीयता के आन्दोलन की उदया की । वह भूल गये कि मध्य देश अब विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध थे । इस विद्वान की अनकल्पना का एक अन्य कारण मध्य-पूर्व में बर्तक नाशिर का व्यक्तित्व भी था जिसकी अनरोला द्वारा प्राप्त उदया ही कर दी गयी थी ।

निष्कर्ष रूप में यही कहना चाहिए कि व्यावहारिक दृष्टि से आइबनहोवर विद्वान एक सानारण गुरुवता रही । इसके अन्तर्गत १९५८ में केरनात में भेजी गयी अनरोला मेनाओं के द्वारा शक्ति अवसर स्थापित की गयी, हिन्दु पश्चिम ने कट्टर सनसंह राष्ट्रपति चाको पुनर्निर्वाचित नहीं हो सके और बाद में अमेरिकन फौजों की केरनात से हटाया गया । इसी प्रकार जोर्डन में भी अमेरिकन सहायता से यह हुसैन के विरुद्ध विद्रोह की दवा दिया गया, परन्तु इसके कारणसे सीरिया, ईराक और विश्व में साम्यवादी प्रभाव में वृद्धि हुई तथा ईराक वादात जनसौते से अलग हो गया ।

शीत-युद्ध में निश्चितता (१९५६-६०)—आइज़न होवर सिद्धांत के कारण शीत-युद्ध तीव्र हो गया और आइज़न होवर प्रशासन की विश्व के अधिकांश भाग में कठु-आलोचना होने लगी। लेकिन सितम्बर, १९५६ में जब अमेरिकन राष्ट्रपति के निमन्त्रण पर सोवियत प्रधानमंत्री खुश्चेव ने अमेरिका की राजकीय यात्रा की, तो वातावरण में सुधार हुआ। दोनों महान् नेताओं के मध्य वार्ता से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में बड़ी कमी आयी। दोनों नेताओं ने यह निर्णय किया कि पारस्परिक मतभेदों के प्रश्नों पर बातचीत करने के लिए मद्दुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन और फ्रांस इन चार बड़े राष्ट्रों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाय। अमेरिकन राष्ट्रपति ने १९६० के वसन्त काल में रूस की यात्रा के निमन्त्रण को भी स्वीकार किया।

शिखर-सम्मेलन की अमफलता—काफी विचार-विमर्श के बाद १६ मई, १९६० को प्रस्तावित शिखर सम्मेलन होना निश्चित हुआ। दुर्भाग्यवश सम्मेलन के पूर्व ही कुछ ऐसे अपशकुन हो गये जिन्होंने पहले तो सम्मेलन के होने में ही संशेह उत्पन्न कर दिया और बाद में जत्र सम्मेलन हुआ तो उसे असफल बना दिया। मुख्य रूप से ये अपशकुन दो हुए—

(i) जर्मनी से सम्बन्धित विवाद, एवं

(ii) यू-२ विमान काण्ड।

(i) जर्मनी से सम्बन्धित विवाद—पहला अपशकुन जर्मनी पर हुआ। १४ जनवरी, १९६० को पश्चिमी जर्मनी के चांसलर आडेनौर ने आरोप लगाया कि रूसी वर्गिन पर हमला कर रहे हैं तथा शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय जर्मनी नहीं बरन् निगरानीकरण का प्रश्न होना चाहिए। खुश्चेव ने घमकी दी कि "यदि पूर्व और पश्चिम की वार्ता ने वलिन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया तो वह पूर्वो जर्मनी से पृथक् सन्धि कर लेगा और पीलंड तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ उसकी सीमा का निर्धारण करेगा।"

फरवरी, १९६० में रूस ने वलिन में एक नया सश्ट पैदा कर दिया। पूर्वो जर्मनी में विद्यमान पश्चिमी देशों के सैनिक विधानों को दिये जाने वाले पाम पूर्वो जर्मन सरकार के नाम से जारी कर दिए गये जत्र कि अतएव ये पूर्वो जर्मनी के सोवियत अधिकारियों द्वारा जारी किये जाते थे। इस नयी व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि रूस इस प्रकार पश्चिमी देशों से पूर्वो जर्मनी की सरकार को 'तथ्यानुसार मान्यता' (De facto recognition) दिलवाना चाहता था। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के दृढ़

विरोध के उपरान्त अन्त में १४ मार्च, १९६० को सोवियत रुस इस बात पर राजी हो गया कि पश्चिमी देशों के सैनिक अधिकारियों को पूर्वी जर्मनी में यात्रा के लिए जो पास दिये जायेंगे उन पर सोवियत अधिकार का क्षेत्र (Zone of Soviet Occupation) लिखा रहेगा।

इसके बाद फिर तनाव पैदा हुआ। १६ मार्च को पश्चिमी जर्मन-कान्सलर ने घोषणा की कि १६ मई को गिबेर सम्मेलन होने से पहले ही पश्चिमी बर्लिन में इस बात पर जनमत संग्रह लिया जाय कि लोग बर्लिन में वर्तमान स्थिति बनाये रखने के पक्ष में हैं अथवा नहीं। इसके विरोध में दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया कि इस प्रकार का जनमत संग्रह बर्लिन के दोनों भागों में हो।

स्पष्ट ही, ऐसे वातावरण में, दोनों पक्षों में एक दूसरे के प्रति मन्देह पूर्वापेक्षा अधिक बढ़ गया जिसका कुप्रभाव गिबेर-सम्मेलन पर पड़ा।

(ii) यू-२ विमान-काण्ड—गिबेर सम्मेलन के मार्ग में दूसरा सबसे बड़ा अपघात यू-२ विमान काट हुआ। ५ मई, १९६० को सोवियत प्रधानमंत्री ने रोपपूर्ण शब्दों में घोषणा की कि रुस के हवाई अड्डों की जाम्बो करते हुए एक यू-२ अमेरिकन विमान को १ मई, १९६० को राकेट द्वारा नीचे गिरा दिया गया है। रुस ने अमेरिका पर चट्ट-प्रहार किये और बाद में राष्ट्रपति थाइजन होवर की इस घोषणा ने आग में घी का काम किया कि अमेरिका की हवाई जाम्बो उड़ाने न्यायसंगत हैं और 'पंचंहार की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठ न भावश्यक है।' सोवियत रुस ने आइजन होवर के इन चुनौती भरे शब्दों को अपना राष्ट्रीय अपमान समझा।

यू-२ विमान काण्ड से दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुँच गया और गिबेर सम्मेलन की सफलता की आशा धूमिल हो गई, लेकिन ज़ुइचेव की इन घोषणाओं से फिर भी आशा बनी रही कि 'अन्तर्राष्ट्रीय दबाव कम करने के प्रयत्नों में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए' और 'गिबेर सम्मेलन में यू-२ का विषय नहीं उठाया जायेगा।'

लेकिन जब १६ मई को गिबेर सम्मेलन प्रारम्भ हुआ तो सोवियत प्रधानमंत्री ने अज्ञान ही यू-२ काण्ड के लिए अमेरिका की निन्दा करते हुए निम्नलिखित मार्ग पेश कर दी—

(१) अमेरिका को अपने उत्तरेजनात्मक कार्य की निन्दा करनी चाहिए, इसके लिए धमा मागनी चाहिए, इन कार्य को बन्द करना चाहिए और इस काण्ड के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्डित करना चाहिए।

(ख) यदि ऐसा नहीं किया जाता तो रुस की दृष्टि में शितर सम्मेलन में जमेगिना के साथ बातचीत करना व्यर्थ है और वह इसमें भाग नहीं ले सकता।

खुश्चेव ने यह भी कहा कि सम्मेलन को दिया न महीने के लिए स्थगित कर दिया जाय ताकि अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनावों के बाद जनवरी, १९६१ में यह आयोजित हो सके। आर्जन् होवर द्वारा जानूसी उठानों को भविष्य में स्थगित कर देने के आश्वासनों के बावजूद खुश्चेव अपनी मांग पर बड़े रहे। १७ मई को सम्मेलन आरम्भ होने पर खुश्चेव जब नहीं आये तो यह घोषणा कर दी गई कि 'खुश्चेव द्वारा अपनाय गये रुस के कारण शितर सम्मेलन की बातों आरम्भ करना सम्भव नहीं है।' अमेरिकन राष्ट्रपति आर्जन् होवर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकमिलन तथा फ्रेंच राष्ट्रपति डिगॉल के समिलित प्रयास भी सम्मेलन को निष्फल होने से नहीं बचा सके।

सहस्रस्तित्व का काल (जनवरी, १९६१ के उपरान्त)

बैनेडी युग

जानूसी विमान-कांडों को लेकर रुस और अमेरिका के मध्य सम्बन्धों में कुछ निगाह अवसर का गया लेकिन अक्टूबर, १९६० में श्री खुश्चेव ने अपने एक उत्साहजनक और शान्तिवादी भाषण में दोनों देशों के बीच सुधार की आशा को पुनः जगृत कर दिया। इसका बाद ही नवम्बर, १९६० को अमेरिकी राष्ट्रपति कर्नेन्डिन में सेंटर जॉन फिटजराल्ड बॅनेडी की सफलता से शीत युद्ध की समाप्ति की और सह-अस्तित्व के विचार की अभिवृद्धि की आशा दृढ़ गई। बॅनेडी-प्रशासन ने विदेश नीति में नूतन सिद्धांतों को लगभग अपरिवर्तनीय ही रखा, लेकिन उन्हें इतना सजीव और सश्रिय अवश्य बना दिया कि ऐसा लगने लगा मानो अमेरिकन विदेश नीति में नई जान आ गई हो। श्री बॅनेडी ने १९५६ की "बॅम्प डेपिड भावना" में विश्वास प्रकट करते हुए कहा कि महा शक्तियों के हित स्पष्ट हैं और उन्हें अधिक दिन तक अपने पारस्परिक सम्बन्धों को ढीला या विगड़ा हुआ नहीं रखना चाहिये। जून, १९६१ में वियना में बॅनेडी और खुश्चेव की मुलाकात हुई, और बॅनेडी का यहाँ यह मत पुष्ट हुआ कि दोनों शक्तियों के बीच अस्पष्टता, सन्देह, गलत पहचानों के कारण अनक राकट पंदा हो जाते हैं किन्तु विचारों के स्पष्ट आदान प्रदान के द्वारा उन्हें मिटाया जा सकता है।

बैनेडी प्रशासन ने विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण विश्वास यह किया कि साम्यवाद को सीमित करने के लिए दूर विश्व को यहाँ तक कि सोवियत

दीवार के पीछे के प्रदेशों को भी राजनीतिक और आर्थिक विद्यार्थों का क्षेत्र बना लिया। कॅनेडी ने अमेरिकन विदेश नीति को एक नया निखार दिया। उनकी विदेश नीति का विश्लेषण निम्नलिखित तन्दमों में किया जाना उपयुक्त होगा—

(क) मानवीय अधिकारों के सम्बन्ध में कॅनेडी की विदेश नीति—श्री कॅनेडी ने मानवीय अधिकारों के प्रति दृढ़ निष्ठा प्रकट की और कहा कि उनका देश मानव अधिकारों के प्रातिवादी विचारों की मसाल को सुलने नहीं देगा तथा स्वतन्त्रता की सुरक्षा और सफलता के लिए किसी भी मित्र की सहायता करने या किसी भी शत्रु का अवरोध करने के लिए तैयार रहेगा। २० सितम्बर, १९६२ को उन्होंने नागरिक अधिकारों के प्रश्न पर समुद्रत राष्ट्रसंघ में विचार विमर्श और स्पष्ट शब्दों में कहा कि “ऐसी महान् रास्ता इस समय आसँ मूँदे सही नहीं रह सकती जब किसी सदस्य राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों का दुरुपयोग और हनन किया जा रहा हो।” उनका शक्तिव दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अन्याय की ओर था।

(ख) समुद्रत राष्ट्रसंघ, शान्ति एवं युद्ध तथा सह-अस्तित्व के प्रति कॅनेडी की विदेश नीति—श्री कॅनेडी ने समुद्रत राष्ट्रसंघ के पूर्ण समर्थन की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका सत्ताशु को छोड़ी हुई नहीं चान् ऐसी शान्ति की कामना करता है जिनसे पृथ्वी पर जीवन जीने योग्य बने और राष्ट्रो तथा सभ्यताओं को विकास के स्वर मिलें। उन्होंने शान्ति और विश्वीकरण के प्रश्नों पर मन को जोसा नही बल्कि उनके उद्वेगों को विचारपूर्ण रहाते हुए शान्ति के लिए उसके प्रयासों को उबसाया। उन्होंने विदेश नीति के क्षेत्र में यह व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाया कि—“सामाजिक शान्ति के समान विश्व शान्ति के लिए यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अपने पड़ोसी को धार करे। इसके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि वे एक दूसरे को बरदाश्त करते रहे और कोई झगडे सठ सडे ों तो उनके उपयुक्त एक शान्तिपूर्ण निपटारे के लिए प्रस्तुत रहें।”

सह-अस्तित्व की धारणा में विश्वास रखते हुए श्री कॅनेडी ने सोवियत रूस और साम्यवादी प्रणाली के प्रति अमेरिकनों की प्रणा के प्रसार को उचित नहीं माना। उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष का विह्वल और निराशापूर्ण क्षेत्र मत देखो और न ही हापर को अवश्यमावी मानो।

(ग) पुराने मित्रों के प्रति वफादारी का वचन—राष्ट्रपति कॅनेडी ने कहा सोवियत रूस और साम्यवादी व्यवस्था के प्रति सहअस्तित्व का नारा बुलन्द किया वही “वफादार मित्रों के प्रति निष्ठा” रखने का वायदा भी

किया और उसे निभाया भी। उन्होंने नाटो (NATO) का अधिकार और राजनीतिक आधार मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये तथा जर्मनी के प्रश्न पर झुकने से इनकार कर दिया। जून १९६१ में ख्रुशचेव ने पूर्वी जर्मनी के साथ एक पृथक सन्धि पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी और कहा कि इससे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रान्स के लिए पश्चिमी बर्लिन में जाने के अधिकार समाप्त हो जायेंगे। लेकिन कॅनेडी ने सोवियत धमकी का जवाब विवेकपूर्ण अस्वीकृति में दिया। उनके नेतृत्व में पश्चिमी शक्तियों ने रूस को स्पष्ट संदेशों में बताया कि रूस की एक पक्षीय कार्यवाही उन्हें किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगी। अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों की इस दृढ़ता का परिणाम यह हुआ कि रूस ने अपनी धमकी को कार्यान्वित नहीं किया।

(घ) बयूबा का संकट और कॅनेडी की विदेश नीति—राष्ट्राति कॅनेडी के कार्य-काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना बयूबा का घटना थी जिसने केवल सम्पूर्ण अमेरिकन राष्ट्र को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व को झकझोर दिया। इस घटना में कॅनेडी की विदेश नीति की दृढ़ता स्पष्ट रूप से प्रकट हुई।

बयूबा का टापू समुच्चय अमेरिका के दक्षिण पूर्व में बंस्ट-इन्डोनेज का सबसे बड़ा टापू है। प्रारम्भ में बयूबा काफी समय तक अमेरिका की नीति का समर्थक था, लेकिन २ जून, १९५९ को किडेलकास्ट्रो के नेतृत्व में एक क्रान्ति हुई जिसके फलस्वरूप वह साम्यवादी रूप का समर्थक और अमेरिका का विरोधी बन गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कास्ट्रो सरकार साम्यवादी रूस की ओर झुकती गई।

अक्टूबर, १९६२ में बयूबा पर एक ऐसा महान संकट उत्पन्न हुआ जिससे रूस और अमेरिका के बीच खुले संघर्ष की समाप्ति हो गई। इस घटना की शुरुआत इस प्रकार हुई—२ सितम्बर, १९६२ को रूस ने घोषणा की कि वह बयूबा को साम्राज्यवादियों से अपनी रक्षा के लिए सहायता की पूर्ण सहायता प्रदान करेगा। उधर राष्ट्रपति कॅनेडी ने एक वचनव्य प्रकाशित किया कि सोवियत रूस ने बयूबा को प्रक्षेपणास्त्रों, पन्डुब्धियों तथा राकेट आदि से सज्जित किया है जिनसे अमेरिका को सुरक्षा का भारी खतरा पैदा हो गया है। ७ सितम्बर को अमेरिकन कांग्रेस ने राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया कि आवश्यकता पड़ने पर वह डेढ़ लाख रिजर्व सैनिकों को सैनिक सेवा के लिए बुला सकता है।

बयूबा में रूसी शस्त्रास्त्र पहुँचते रहे और १६ अक्टूबर, १९६२ को कॅनेडी ने बयूबा की पूरी तरह हवाई जांच हटाने का आदेश दे दिया जिससे इस घात की पुष्टि हो गई कि बयूबा में प्रक्षेपणास्त्रों का भारी भण्डार हो रहा

है। २२ अक्टूबर को ब्रूबा संसद पर राष्ट्रपति कैंनेडी ने अपने कार्य काल का सबसे महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसमें भली प्रकार जता दिया गया कि अमेरिका की विदेश नीति में सुरक्षा का तत्व कितना जबरदस्त है और मंत्री तथा सहयोग का हाथ बढाने हुए भी अमेरिका विदेश नीति में किस हद तक सैनिक कार्यवाही का आश्रय ले सकता है।

२२ अक्टूबर की अपनी चेतावनी के बाद २३ अक्टूबर को ही कैंनेडी ने ब्रूबा को नाकेबन्दी की घोषणा कर दी। इसका स्पष्ट अर्थ था कि अमेरिका के सैनिक जहाज ब्रूबा के बन्दरगाहों को घेर लगे और ब्रूबा साविपक्ष सम्मानों से सुसज्जित जहाज नहीं पहुंच सकेंगे। राष्ट्रपति कैंनेडी का यह आदेश रूप की एक साइट चेतावनी थी कि वह ब्रूबा को सैनिक सहायता देना बन्द करदे या युद्ध के लिए तैयार हो जाय।

सोवियत संघ सोवियत प्रधानमन्त्री सुख्चेव ने दूर-दर्शिता से काम लिया। २३ अक्टूबर को सुख्चेव द्वारा घोषणा की गई कि रूस ब्रूबा से अपने प्रक्षेपणास्त्र वापस मगाने की आज्ञा दे रहा है और वह उस द्वीप पर स्थित सभी प्रक्षेपणास्त्र भण्डों को समुक्त राष्ट्र सभ की देखरेख में तुड़वा देने को सहमत है। सोवियत प्रधानमन्त्री ने यह भी कहा कि भविष्य में इस प्रकार की सभ्यो ब्रूबा नहीं भेजने का भी रूस आश्वासन देता है। राष्ट्रपति कैंनेडी ने सुख्चेव की घोषणा का तुरन्त उत्तर दिया कि "यह एक सच्चे नेता सरीखा निर्णय है।"

इस प्रकार कैंनेडी की दृष्टता और तत्परता तथा सुख्चेव का विवेक और संयम के फलस्वरूप ब्रूबा का संकट समाप्त हो गया तथा अणु-युद्ध की आशंका से भयभीत मानव जाति ने सन्तोष की साक्षी ली।

(६) निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में प्रगति अनुपरीक्षण प्रतिबंध संधि-कैंनेडी प्रशासन ने निरस्त्रीकरण के लिए भरसक प्रयास किया। उन्होंने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए—

(i) सभी राष्ट्रों द्वारा परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की संधि पर हस्ताक्षर करना, जो तुरन्त किया जा सकता है। परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की धार्ता गुरु करने के लिए आम निरस्त्रीकरण होने की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है और न करना चाहिए।

(ii) संस्थाओं में प्रयुक्त होने वाले विस्फोटक पदार्थों का उत्पादन बंद किया जाए और इन समय जिन राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र नहीं है, उन्हें इन विस्फोटक पदार्थों को हस्तांतरण न किया जाए।

(iii) परमाणु अस्त्रों पर उक्त राष्ट्रों को नियन्त्रण हस्तांतरित करने से रोकना, जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं हो।

(iv) परमाणु अस्त्रों को अन्तरिक्ष में नये मुख्य क्षेत्रों के बीच बोने से रोकना।

(v) इस समय तक जो परमाणु अस्त्र बन चुके हैं उन्हें धीरे-धीरे नष्ट करना और उनमें लगी सामग्री को शांतिपूर्ण कामों में प्रयुक्त करना।

(vi) परमाणु अस्त्रों को ठे जाते-वाते सामरिक महत्त्व के वाहनों के उत्पादन और असीमित परीक्षण पर रोक लगाना व धीरे-धीरे उन्हें भी नष्ट करना।

राष्ट्रपति केनेडी और प्रधानमन्त्री जूइन्चेव इन दोनों दूरदर्शी नेताओं के सहयोगपूर्ण रक्त के कारण अन्त में २५ जुलाई, १९६३ को तीन प्रमुख परमाणु शक्तियों—संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच एक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर हुए। बाद में फ्रांस और जनवादी चीन को छोड़कर विश्व के लगभग अन्य सभी राष्ट्रों द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए गए। इन संधि का विस्तार से वर्णन 'निःशस्त्रीकरण' वाले अध्याय में किया जा चुका है। इस संधि में कुछ ही दिनों पूर्व १५ अग्रेल, १९६३ को संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ ने सीधा टेलीफोन और रेडियो सम्पर्क स्थापित करने का समझौता (U.S.—Soviet Hot Line Agreement) हुआ जिसका उद्देश्य बयूरा लेन सत्रण के समय दोनों देशों में सीधा सम्पर्क स्थापित करके गलती से या आह-हिम्मा घटना से छिटकने वाले युद्ध व सन्नत का निवारण करना था।

राष्ट्रपति केनेडी ने समय उपरोक्त दोनों ही महत्त्वपूर्ण समझौतों से छीतदुद्ध क तनाव में घटी वर्ष हुई। दुर्भाग्यवश इस प्रतिभावान् नेता को २२ नवम्बर, १९६३ को हत्या हो जाने से विश्व की भावी शांति की आशाओं को बड़ा आघात पहुँचा।

(घ) केनेडी की लेटिन अमेरिका के प्रति नीति प्रगति के लिए मंत्री—लेटिन अमेरिका के प्रति राष्ट्रपति केनेडी ने अत्यन्त उदार और मनीषपूर्ण नीति अपनाई। बड़े द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका और लेटिन अमेरिका के देशों के पारस्परिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिए १९४८ में अमेरिकन राष्ट्रों के 'संगठन' (O.A.S.) की स्थापना की जा चुकी थी, परन्तु जहाँ केनेडी से पूर्व इस संगठन में सैनिक तथा कूटनीतिक सहयोग पर अधिक बल दिया जाता था, वहाँ केनेडी ने आर्थिक सहयोग पर अधिक बल देना शुरू किया। १३ मार्च, १९६१ में उन्होंने औपचारिक रूप से

अमेरिकन गणराज्यों के राजनयिक प्रतिनिधियों के समक्ष 'प्रगति के-व मे मंत्रो' (Alliance for Progress) का प्रस्ताव रखा। इससे अन्तर्गत न गया कि अन्य स्वतन्त्र देशों, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और व्यक्तिगत पूँजीपतियों के साथ समुन्नत राज्य अमेरिका, सेंटिन अमेरिका के आर्थिक विकास एवं जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए २० हजार मिलियन डॉलर की सहायता तथा ऋण देगा। अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति कनेडी ने पश्चिमी गोलार्ध के राष्ट्रों के प्रति एक विशेष प्रतिज्ञा ली कि वे समुन्नत राज्य अमेरिका के 'अच्छे शब्दों को प्रगति के लिए मंत्रों के रूप में, अच्छे कामों में परिणत करेंगे जिससे स्वतन्त्र लोगों तथा स्वतन्त्र सरकारों की निर्धनता को खजोरे तोड़ फेंकने में सहायता दी जा सके।'

कनेडी ने प्रगति के लिए मंत्रों प्रस्ताव रखते हुए अपने भाषण में सेंटिन अमेरिका के प्रति समुन्नत राज्य की उदार नीति पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समुन्नत राज्य अमेरिका इस गोलार्ध के देशों को हर सम्भव सहायता देने को उद्यत है। प्रत्येक दक्षिण अमेरिकी योजना ऐसी होनी चाहिए जिनसे दक्षिणी अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ बने, मुद्रा सम्बन्धी स्थिरता आये, गृहल करने की भावना को प्रोत्साहन मिले, अधिकतम राष्ट्रीय प्रयास सम्भव हो और वैज्ञानिक तथा तकनीकी विनास सम्भव हो सके।

राष्ट्रपति कनेडी न दक्षिणी अमेरिका के देशों के प्रति जो सहायता नीति अपनायी, उसका सुपरिणाम निकला। दक्षिणी अमेरिका के देश अल्प-काल में ही आर्थिक और सामाजिक विकास के पथ पर आगे बढ़ने लगे।

अन्त में यही कहना होगा कि राष्ट्रपति कनेडी की प्रधानमन्त्र-काल में यद्यपि अमेरिका की वैदेशिक नीति के आधारभूत सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन उन सिद्धान्तों में कनेडी ने रचनात्मक रंग भर दिये और उन्हें एक नया निखार दे दिया।

जानसन युग

२२ नवम्बर, १९६३ को राष्ट्रपति कनेडी की हत्या के बाद सरकारीन उप-राष्ट्रपति लिन्डन जानसन समुन्नत राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने और बाद में १९६४ के निर्वाचन में विजय प्राप्त करके पुनः राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के तुरन्त बाद ही श्री जानसन ने घोषणा की कि वे विदेश नीति के क्षेत्र में दिग्गज राष्ट्रपति कनेडी का अनुसरण करेंगे और अमेरिका की विदेश नीति के मूल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

घोषणा प्रारम्भ में तो बहुत कुछ यथायं सी वायुमाल के इतिहास में उनकी घोषणा की गई। जर्मन ने एक ओर तो चीत युद्ध के क्रम और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्तर्जातीय अन्तर्जातीय। जर्मन प्रशासन की विदेश नीति अन्तर्जातीय प्रभाव पहलुओं के संदर्भ में देखा जा सकता है —

(क) जर्मनी और बर्लिन के एकीकरण का प्रश्न

जर्मनी और बर्लिन के प्रश्न पर अभी तक दोनों पक्षों (अमेरिका एवं रूस) के मतभेद यथापूर्व हैं। युद्ध के बाद से ही जर्मनी दो राज्यों में तथा बर्लिन चार भागों में बँटा हुआ चला आ रहा है। तब से लेकर अब तक जर्मनी के बर्लिन के एकीकरण के सम्बन्ध में अनेक बार अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वायव्योत ही चुकी है। सम्झौता का निराकरण करने के लिए दोनों पक्षों ने अनेक अनेक सुझाव पेश किये हैं परन्तु इनमें वास्तविक भी सम्झौता अभी तक हुआ नहीं हो पाया है। इन समय बर्लिन से ८०-१०० मील पश्चिम में उत्तर से दक्षिण का ओर साँची जाने वाली एक रेखा से दोनों जर्मन राज्य विभक्त होते हैं। इस रेखा के पश्चिम में पश्चिमी जर्मनी का 'जर्मन संघीय गणराज्य (German Federal Republic) है और पूर्व में पूर्वी जर्मनी का 'जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य' (German Democratic Republic) है। पश्चिम जर्मनी पश्चिम का प्रबल पक्ष होती है जबकि पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ का प्रभाव क्षेत्र है। दोनों ही राज्यों में आर्थिक उन्नति, उद्योगों, सम्पत्तियों तथा जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी राज्य बड़ा चढ़ा है।

१९५४ में २५ जनवरी से १८ फरवरी तक दोनों भागों के एकीकरण के लिए बर्लिन में विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें पश्चिमी शक्तियों ने निम्न बातों पर बल दिया—

(i) जर्मनी के दोनों भागों में तथा बर्लिन में स्वतन्त्र मतदान द्वारा सश्रित परिषद का निर्वाचन किया जाय।

(ii) यह परिषद एक के श्रेष्ठ जर्मन सरकार को स्थापना करे।

(iii) यह सरकार विजैता शक्तियों के साथ मंत्रि करे और वह पौंडेड तथा रूप द्वारा हथियारों गये जर्मनी प्रदेशों का अन्तिम बटवारा करे।

(iv) यह सरकार अन्तिम मध्यम सन्निहित शर्तों के अनुसार अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्वयं निश्चय करे।

पश्चिमी शक्तियों के प्रस्तावों से असहमत होते हुए सोवियत संघ ने एकीकरण के लिए इन बातों पर बल दिया—

(i) पश्चिमी देश पूर्वी जर्मनी के 'जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य' को सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न राज्य स्वीकार कर लें।

(ii) पश्चिमी देश साविद्यत संसद की यह बात मान लें कि जर्मनी पर अधिकार करने वाले देश अब जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

(iii) पूर्वी और पश्चिमी दोनों गणराज्य एकीकरण के लिए आसक्त में सीधे बातचीत करें।

(iv) यह बातचीत कुछ निश्चित दलों या मान्यताओं के आधार पर हो जो इस प्रकार होंगी—दोनों राज्यों की सरकारों का वेला रहना, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट सहयोगियों की सुनका, बोन के मधीय जर्मन गणराज्य को नाटो से वृषक होना तथा पश्चिमी देशों की सेनाओं का जर्मनी के प्रदेश से हट जाना।

दोनों पक्षों की दलों की सुलमा से स्पष्ट है कि पश्चिमी शक्तियों का बल दोनों क्षेत्रों के सम्मिलित चुनाव बरान पर था क्योंकि पश्चिमी राज्य की आवादी पूर्वी क्षेत्र से तिष्ठनी हंन के कारण उन्हे वांछित परिणाम निवलने के विषय में लगभग कोई सन्देह नहीं है। पश्चिमी शक्तियों का विश्वास है कि समुक्त जर्मनी निश्चित रूप से पश्चिम का समर्थक होगा और इसका अर्थ होगा यूरोप में सोवियत सीमांत का २०० मील पूर्व में चला जाना, पूर्वी जर्मनी में विद्यमान संसद के २२ डिप्टीजनों का पूर्वी पोल्ण्ड से हट जाना, पश्चिम पर आक्रमण के लिए प्रक्षेपणार्थ पंक्तों के छुट्टों का पीछे हटना और साथ ही पूर्वी यूरोप में दक्षी समर्थक राज्यों पर बुरा प्रभाव पटना। साफ जाहिर है कि ऐसे परिणामों का जन्म देने वाले पश्चिमी प्रस्ताव को माहको स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी ओर संसद की एकीकरण की दलों पश्चिम को इसलिए मान्य नहीं हुई क्योंकि यदि इसके आधार पर सधि हो जाय तो जर्मनी का एकीकरण करन पर सारा देश साम्यवादी हो जायगा, पश्चिमी देशों की सीमा राइन नदी पर आ जायगी, पश्चिमी जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक केन्द्र सोवियत संसद के हाथ में चले जायेंगे और सोवियत संघ के नेतृत्व में उसकी शक्तिशाली सेना हिटलर की नाजी सेना की भांति पश्चिम के लिए सवट बन जायगी।

संघ और पश्चिमी शक्तियां दोनों ही के प्रस्तावों के परस्पर टकराने के कारण जर्मनी के एकीकरण के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं हो सका।

जहाँ तम बर्लिन का प्रश्न है, पश्चिमी यूरियन यथास्थिति को शाश्वत रखने के पक्ष में रहा है जबकि सोवियत रुस का सुझाव रहा है कि जत्र तक जर्मन समस्या का हल नहीं हो जाता तत्र तक जगे स्वतन्त्र नगर सोवियत करके उसका विभक्तिकरण कर दिया जाय। चूँकि दाना पक्ष एक दूसरे की शर्तों को मानने को तैयार नहीं हैं अतः यह समस्या भी अभी तक लटकती हुई है।

जर्मनी के प्रश्न पर सोवियत रुस और अमेरिका के मौलिक मतभेद तब अधिक उग्र हो गये जब मई, १९५५ में पश्चिमी जर्मनी को नाटो का सदस्य बना लिया गया और मार्च १९५८ में अमेरिका ने पश्चिमी जर्मनी को आणविक्र आयुधों तथा प्रक्षेपणास्त्रों से सुसज्जित करने का फैसला लिया। कुपित होकर मई, १९५८ में रुडवेव ने घोषणा की—“पश्चिमी जर्मनी के आणविक्र शस्त्रों से सुसज्जित होने से जर्मन राष्ट्रीय एकता सम्पन्न करने का क्या हुआ एकमात्र सुला दरवाजा भी बन्द कर बन्द कर दिया गया है।”

१० नवम्बर १९५८ को श्री रुडवेव ने यह घोषणा की कि—“सम्पूर्ण बर्लिन जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य के प्रदेश है, इस क्षेत्र पर इस गणराज्य की सर्वोच्च प्रभुता है। इसके पश्चिमी भाग पर पश्चिमी शक्तियों के अधिभार का कोई कानूनी आधार नहीं है। अतएव सोवियत सरकार ने यह निश्चय किया है कि बर्लिन में विदेशी शासन को समाप्त कर दिया जाय। सोवियत सरकार पश्चिम के साथ इस विषय पर वार्तालाप करने को तैयार है। सोवियत सभ चाहता है कि पश्चिमी बर्लिन को निरस्त्र (Demilitarized) स्वतन्त्र नगर बना दिया जाय और यह परिवर्तन ६ महीने के भीतर सम्पन्न हो जाय ताकि इस नगर का सोवियत विरोधी जामुबी के लिए प्रयोग बहुत अधिक दिनांक लिए न किया जा सके।” सोवियत रुस ने यह भी घोषणा की कि यदि पश्चिमी देशों ने पश्चिमी बर्लिन में बने रहने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग किया तो सोवियत सभ को भी युद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। २० नवम्बर को रुस ने इस विषय में निश्चित प्रस्ताव पश्चिमी देशों के सामने रखा, किन्तु सोवियत घमडी से सर्वथा अप्रामाणिक रहते हुए उन्होंने कहा कि बर्लिन में उनकी वर्तमान स्थिति ५ जून, १९४९ के पोद्सहम के तथा ४ मई, १९४९ को बर्लिन-घेरे की समाप्ति पर हुए समझौते के अनुसार है।

११ दिसम्बर, १९५८ को पश्चिमी देशों (फ्रांस, ब्रिटेन व अमेरिका) ने बर्लिन के प्रश्न पर जर्मनी और यूरोपीयन सुरक्षा की व्यापक बैठक में विचार करना स्वीकार कर लिया। १० जनवरी, १९५९ को सोवियत रुस

द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि समस्या पर विचारार्थ सामनाव्ययों का एक विश्व सम्मेलन आयोजित हो। किन्तु पश्चिमी देशों ने आग्रह किया कि विश्व सम्मेलन से पूर्व परराष्ट्रमन्त्रियों का सम्मेलन रखा चाहिए। १६ मार्च, १९५६ को सावित्रा नगर में इस परिवर्तित प्रस्ताव के प्रति अपनी सन्मति दी।

११ मई, १९५६ को संयुक्त राष्ट्र सभ के तत्वावधान में चारों देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आरम्भ हुआ। अमेरिका की तरफ से रिचियन हर्टर नाम की लफ स टाट्रेई घोषित, ब्रिटेन की तरफ से सेल्विन लायड तथा फ्रांस की ओर, ने युवद मरवीय (Couvede Murville) इस जेनेवा सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन के आरम्भ में पश्चिमी देशों ने संयुक्त रूप से जर्मन एकीकरण के लिए कुछ प्रस्ताव रखे जिन्हें अस्वीकार करते हुए घोषितों ने कहा कि पहले शांति संधि की जानी चाहिए क्योंकि ऐसी संधि के अभाव में ही पश्चिमी जर्मनी आणविक आयुधों से सुसज्जित होकर और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य बन कर यूरोप में तनाव उत्पन्न कर रहा है। ६ जून को बर्लिन विवाद को प्र-ताबों पर बाधा म पतिराप पैदा हो गया। ये प्रस्ताव इस प्रकार थे—

(i) एक वर्ष के बाद पश्चिमी बर्लिन से पश्चिमी देशों का अधिकार समाप्त हो जाना चाहिए। एक वर्ष की अवधि तक वे कुछ सीमित अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं।

(ii) इस बीच में (इस एक वर्ष की अवधि में) पश्चिमी देश यहां अपनी सेनाओं को हटाने, कम्युनिस्ट विरोधी प्रचार पर प्रतिबन्ध लगाएँ और कम्युनिस्ट विरोधी जासूसी और तोड़-फोड़ करने वाली गथाओं को समाप्त कर दें तथा वहां आणविक अथवा राकेट अड्डे नहीं बनाएँ।

(iii) एक वर्ष के भीतर पश्चिमी और पूर्वी बर्लिन को एक अखिल जर्मन समिति बनाया जाए। इसमें दोनों जर्मन राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या समान हो। यह दोनों राज्यों में समरक बढ़ाएँ तथा एकीकरण एवं शांति के प्रस्ताव तैयार करें। धीरे धीरे घोषितों ने कहा कि यदि पश्चिम दो वर्षों के भीतर इन शर्तों के आधार पर समझौता करने में अडरन ड लेगा तो सावित्रा नगर संधि जर्मनी के साथ शांति संधि कर लेगा।

पश्चिमी राष्ट्रों ने नावियन प्रस्तावों को ठुकराते हुए उन्हें (पश्चिमी देशों को) अस्टोमेटम को सहा दो। अमेरिका ने प्र-ताबों का "पूर्णतया अस्वीकार" कहा। सावित्रा प्रस्तावों के प्रत्युत्तर में पश्चिमी देशों ने बर्लिन के सम्बन्ध में

ये प्रस्ताव रहे—

(i) पश्चिमी देश बर्लिन में विद्यमान अपनी ११ हजार सेना में वृद्धि नहीं करेंगे। यदि स्थिति अनुकूल रही तो इसमें कमी करने का विचार किया जा सकता है। इन सेनाओं का साधारण शस्त्र ही दिये जायेंगे।

(ii) रुस द्वय पश्चिमी बर्लिन को आगे वाले स्थलीय, जलीय और आकाशीय मार्गों को मुला रखने की गारन्टी दी जाय।

(iii) पश्चिमी देश पारस्परिक आधार पर इस बात के प्रति सहमत हैं कि वे विरोधी प्रचार अथवा तोड़फोड़ की कार्यवाहियों की जाच करेंगे।

चू कि दोनों ही पक्षों की जर्मनी व बर्लिन के सम्बन्ध में रहे गये एक दूसरे के प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुए अतः ११ जून को यह सम्मेलन १३ जुलाई १९५६ तक के लिए स्थगित हो गया। १३ जुलाई से ५ अगस्त १९५६ तक विदेश मन्त्रियों का पुनः सम्मेलन हुआ, किन्तु बर्लिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका और फलस्वरूप सम्मेलन विफल हो गया। तत्पश्चात् मई, १९६० के शिखर सम्मेलन में इस समस्या पर विचार किया जाना निश्चित हुआ किन्तु दू-२ विमानकाण्ड हो जाने के फलस्वरूप शिखर सम्मेलन की भ्रूण हत्या हो गई और उसमें किसी प्रकार का विचार-विमर्श नहीं हो सका।

तब से लेकर अभी तक जर्मनी और बर्लिन का प्रश्न समाधान के लिए अटका हुआ है। राष्ट्रपति जॉनसन के प्रशासन काल में भी संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति लगभग वही रही जो पहले थी। २० जनवरी, १९६६ से चलने वाले निकसन-प्रशासन की नीति में भी पहले से कोई भिन्नता इस मामले पर नजर नहीं आती है। वास्तव में अमेरिका चाहता है कि जर्मनी के दोनों भागों में और बर्लिन में स्वतन्त्र मनदान द्वारा विधान निर्मात्री सभा चुनी जाय और यह सभा एक केन्द्रीय जर्मन सरकार की स्थापना करे। यही सरकार विदेशी शक्तियों के साथ संधि करे और इसमें पोलैण्ड एवं रुस द्वारा हथियाने गये प्रदेशों का आन्तम बंटवारा हो। इसके विपरीत सोवियत रुस भी पहले ही के समान यही है कि पश्चिमी देश पूर्वी जर्मनी को एक प्रभुत्व सम्पन्न राज्य स्वीकार कर लें और फिर पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के दोनों गणराज्य अपने एकिकरण के लिए परस्पर प्रत्यक्ष बातचीत कर। दोनों ही पक्षों की ओर से जर्मन एकिकरण के लिए रचनात्मक उपाय अपनाये जाने की अपेक्षा कूटनीतिक दावपेचों से उलझे हुए मुझाब पेन किये जाते हैं जिनसे समस्या का समाधान निकट भविष्य में होता दिखाई नहीं पड़ता।

(स) साम्यवादी चीन की मांग्यता का प्रश्न

जॉनसन प्रशासन यह मानता रहा कि जिम लाल चीन ने आज तक हिंसा और युद्ध का सहारा लिया है, संयुक्त राष्ट्र संधि से युद्ध किया है,

तिव्वट की स्वतन्त्रता का अपहरण किया है और जो अमेरिका के विनाश की बात करता है, उसे सध में प्रवेश के योग्य एक जातिप्रिय राष्ट्र नहीं माना जा सकता तथा अमेरिका उसे मान्यता नहीं दे सकता। नव-निर्वाचन राष्ट्र-पति निकसन यद्यपि अधिक समझौतावादी प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं लेकिन लालचीन को मान्यता देने के प्रश्न पर उनके प्रशासन की नीति में अभी तक पूर्ववर्ती प्रशासन की नीति से कोई भिन्नता प्रकट नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र सध की महासभा ने ११ नवम्बर, १९६६ को साम्यवादी चीन को सार का सदस्य बनाने से १६वीं बार इन्कार कर दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का मत चीन की सदस्यता के विरोध में पड़ा।

(ग) लैटिन अमेरिका और जानसन प्रशासन

जानसन प्रशासन के अन्तर्गत लैटिन अमेरिका अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बरकरार रखने की 'विवशता' के अभिभाव से ग्रस्त है। स्वर्गीय राष्ट्रपति कैंनेडी ने इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि के लिए मार्च, १९६१ में 'प्रगति के लिए मैत्री' (Alliance for progress) का कार्यक्रम प्रारम्भ किया था, किन्तु जानसन प्रशासन इस कार्यक्रम को प्रभावशाली रूप में कार्यान्वित करने में असफल रहा और उसकी मौलिक नीति यही रही कि राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों की भौगोलिक दूरी का लाभ उठाने हुए लैटिन अमेरिका को हर तरह से अमेरिकन प्रभाव क्षेत्र में रखा जाये। यह वास्तव में एक दुखद तथ्य है कि आकार में भारत से चौगुना यह महाद्वीप उन सभी विषमताओं से पीड़ित है जिनसे कि अफ्रीका या दक्षिणी एशिया के देश। लगभग २५ करोड़ की आबादी वाले इस महाद्वीप के देशों को आर्थिक प्रगति के लिये अमेरिका के सत्कावधान में समर्पित किया गया 'प्रगति के लिये मैत्री कार्यक्रम' अपने उद्देश्य को पाने में असफल ही रहा है। कई अरब डॉलर की आर्थिक सहायता इस रूप में प्रदान की गई है या इस सहायता कार्यक्रम को इस तरह लागू किया गया है कि इस महाद्वीप की आर्थिक समृद्धि बढ़ने की बजाय घटी ही है। अमरीका के साथ में पलनी गरीबी का हाल यह है कि इस महाद्वीप के ५-६ देशों में वामपंथी छाशमार गतिशील रहते हैं, हालांकि लैटिन अमेरिका रूस और चीन से हजारों मील दूर है। उधर अमेरिका चाहता है कि इन देशों के बाजार तो उसे मिलें लेकिन उधरों कम से कम कीमत चुकानी पड़े। इसने लिये राष्ट्रपति जानसन सैनिक प्रशासनों को भी उतना ही महत्व देने हैं जितना कि अनुदार अर्थात् निरप्रशासनों को। स्वर्गीय श्री कैंनेडी १५वां से थोड़ा दूर नहीं चाहते थे कि लैटिन अमेरिका में साम्यवाद पनपे, लेकिन उनसे उत्तराधिकारी राष्ट्रपति जानसन ने उदार नीति छोड़ कर सख्त रवैया

अपनाया। लेटिन अमेरिका के प्रति उनकी नीति "कथनी और करनी" के अन्तर की रही।

वियतनाम के सम्बन्ध में जानसन प्रशासन की नीति—वियतनाम पर आक्रामक रुख अपनाया का निर्णय राष्ट्रपति कॅनेडी के समय ही ले लिया गया था और जानसन के शासन काल में यह नीति उत्तरोत्तर उग्र होनी गई। वियतनाम युद्ध पर विस्तार से प्रकाश 'वियतनाम युद्ध एवं पश्चिमी एशिया का संकट' नामक अगले अध्याय में डाला गया है। यहाँ इतना ही जान लेना काफी है कि अगस्त, १९६४ से ही अमेरिका अपनी विशाल सैनिक शक्ति के साथ वियतनाम युद्ध में कूद पड़ा और यह युद्ध हनोई तथा वाशिंगटन का युद्ध बन गया। युद्ध में अमेरिका को प्रारम्भिक सफलता भले ही मिली हो, किन्तु बाद में उसे अनेक भीषण और अपमानजनक पराजयों का सामना करना पड़ा। वियतनाम युद्ध के प्रति अमेरिकी जनता का आक्रोश और विश्व जनमत का दबाव बढ़ गया। २१ मार्च, १९६१ को जानसन ने राष्ट्र के नाम अपने एक सन्देश में घोषणा की कि वियतनाम में शान्ति-वार्ता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उत्तरी वियतनाम पर बम बारी सीमित करने के आदेश दे दिये गये। राष्ट्रपति ने साथ ही यह भी घोषणा की कि वह आगामी चुनावों में राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी नहीं बनेंगे। सीमित बम-बारी का उनका निर्णय वियतनाम से अमेरिका को समाविष्ट वापसी का पहला लक्षण था जो वर्तमान निरमन प्रशासन में स्पष्ट है साकार रूप में प्रकट होगा। जानसन ने अपने शासन के शेष काल में वियतनाम के प्रति सहिष्णुता की नीति से काम लिया।

(४) कोरिया और प्सेवलो संकट—राष्ट्रपति आइज़नहोवर के समय की 'अन्तर्राष्ट्रीय चौकीदारी' की नीति को जानसन ने न केवल जारी रखा बल्कि उसका कार्य क्षेत्र और भी बढ़ा दिया। इस नीति ने सीधे ही एक ऐसा संकट पैदा कर दिया जिसमें अमेरिका को बड़ा अपमानित होना पड़ा। अमेरिका के एक जासूसी पोत प्सेवलो को २३ जनवरी, १९६८ को उत्तरी कोरिया न अपनी प्रादेशिक अन्त-सीमा में पकड़ लिया और जहाज पर स्वार ८३ ध्वजियों को हिरासत में ले लिया। अमेरिका जैसी महाशक्ति के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पोत को हिरासत में ले लेना अमेरिका का अपमान था और उत्तरी विदेश नीति पर एक करारी चोट थी। उत्तरी कोरिया ने यह निश्चय भी प्रकट कर दिया कि पोत पर पकड़े हुए अमेरिकी जासूसों पर मुकदमा चला जायेगा। जानसन प्रशासन ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि प्सेवलो 'सूचना संप्रदाय का सहायक पोत' था जिसे जापान सागर में समुद्र

एक से २५ मील दूर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पकड़ा गया है। जानसन प्रशासन ने चुनौती दी कि उत्तरी कोरिया की सरकार अवैध रूप से पकड़े गये पोंत को छोड़ दे। इतना ही नहीं अमेरिका ने उत्तरी कोरिया को मयमौत करने के लिए विशाल पैमाने पर नैतिक संधारिया की ओर दक्षिण कोरिया में अमेरिका के लगभग ५५ हजार नैतिक युद्ध के लिए तैयार हो गये। अमेरिकन वायु सेना और नौ-सेना को भी युद्ध पर जाने के लिए आदेश दे दिये गये। उत्तरी कोरिया इन कार्रवाहियों से मयमौत नहीं हुआ। उसने जामूसी पोंत वापस करने से इनकार कर दिया और यह भी कह दिया कि नन्दुक्त राष्ट्रमण का बोर्ड भी प्रस्ताव उसे मान्य नहीं होगा।

अब अमेरिका के सामने दो ही मार्ग रहे—युद्ध या समझौता। सोभाग्यवश जानसन प्रशासन ने दूसरा मार्ग ही अपनाया। सोवियत प्रधानमंत्री ने यह सकेत दिया कि यदि अमेरिका अपनी गलती के लिए माफी माग ले तो प्चेवलो को रिहा किया जा सकता है, और तब अमेरिकन विदेश सचिव डीन रस्क ने कूट-नीतिक भाषण में अपनी गलती कबूल करते हुए कहा कि अमेरिकन पोंत 'भूल से उत्तरी कोरिया के प्रादेशिक जल में गटक गया था।' इस स्वीकारोक्ति के बाद उत्तरी कोरिया ने प्चेवलों को छोड़ दिया।

(घ) जानसन प्रशासन और पश्चिमी एशिया का संकट—जून, १९६७ में पश्चिम एशिया में जो महान संकट उत्पन्न हुआ उसके प्रति जानसन प्रशासन की नीति बड़ी अदूर-दर्शितापूर्ण रही। इस संकट का सविस्तार उल्लेख हमले एक अध्याय में किया गया है। जानसन प्रशासन ने पूर्णतः अरब विरोधी रण्य अपनाया और इजरायली आक्रमण की योजना तैयार करने में भी सहायता दी। वास्तव में जानसन प्रशासन की नीति ने पश्चिमी एशिया के संकट को तीव्र किया। यदि अमेरिका दूर-दर्शिता से काम लेता तो इजरायल और अरब राज्यों के बीच घनघोर युद्ध नहीं छिड़ता।

जब अरब इजराइल संधर्ष छिड़ गया तो पहले तो जानसन इस बात से अनभिज्ञता प्रकट करता रहा कि आक्रमणकारी कौन है। बाद में उसने सुरक्षा-परिषद् में तथा बाहर पूर्वतः पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और इस बात का विरोध किया कि आक्रमणकारी इजरायली सेनाएँ वापस लौटें। अरब-इजराइल संधर्ष में जानसन प्रशासन की नीति स्वयं अमेरिकी हितों के भी अतिकूल नहीं थी। अमेरिका ने अरब राज्यों की नाराजगी मोत ले ली। अरब देशों ने अमेरिका के साथ अपने कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लिये और अपने देश में रहने वाले अमेरिकन नागरिकों का वापस चने जाने के आदेश

दे दिये। जानसन प्रशासन ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इजरायल को इतना प्रोत्साहन दिया कि वह पूर्णतः स्वेच्छाचारी आचरण पर उतर आया और अन्त में जानसन प्रशासन के लिए भी उसे घात भोच कर समर्पण देना कठिन हो गया। २५ दिसम्बर, १९६८ को बेरुत हवाई अड्डे पर इजरायली वायु आक्रमण की सम्पूर्ण विश्व में निन्दा की गई। विश्व जनमत के रवये से बाध्य हो कर जानसन प्रशासन को भी इजरायली कार्यवाही की कटु आलोचना करनी पड़ी।

यद्यपि सोवियत रूस का रवैया भी पूरी तरह बरब पक्षपाती रहा, लेकिन सकट का समाधान करने के लिए उसका रत्न इतना अडियल नहीं था जितना जानसन प्रशासन का। इसके अतिरिक्त इजरायल को मुद्द के लिए उक्साने में भी जानसन की नीति अधिक बजनी सिद्ध हुई।

राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की विदेश नीति

राष्ट्रपति जानसन अपने वायदे के अनुसार दुबारा राष्ट्रपति पद के लिए लड़े नहीं हुए और रिपब्लिकन उम्मीदवार रिचर्ड निक्सन ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। २० जनवरी, १९६९ को यह समुक्त राज्य अमेरिका के ३७वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अपने उद्घाटन-भाषण में अपनी शानि प्रियता की दुहाई दी। उन्होंने विश्व को विश्वास दिलाने की चेष्टा की कि उनके नेतृत्व में समुक्त राज्य अमेरिका विश्व शांति स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास करेगा और इन प्रयासों में अन्य राष्ट्रों से साझेदारी के लिए तैयार रहेगा। नव निर्वाचित राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हमें प्रत्येक से मैत्रीभाव विकसित करने चाहिए। यद्यपि हम हर एक को अपना मित्र नहीं बना सकते, लेकिन हम यह प्रयत्न जरूर कर सकते हैं कि हमारा कोई शत्रु भी न हो।

राष्ट्रपति निक्सन ने पद ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही यूरोप की सद्भावना यात्रा की तैयारी की।

(क) यूरोप की सद्भावना यात्रा—२३ फरवरी, १९६९ को वह यूरोप की आठ दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। निक्सन विद्यमान और पश्चिमी एशिया के सबूट के बारे में तथा विश्व की अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में यूरोप के देशों से अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहते थे। ब्रिटेन में राष्ट्रपति निक्सन और प्रधानमंत्री विंस्टन में ब्रिटेन अमेरिका सम्बन्धी, पूर्वी पश्चिमी समस्याओं, नाटो, साक्षात् बाजारों आदि के बारे में लम्बी बातचीत हुई। फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और रोम में राष्ट्रपति निक्सन की यात्रा पर कोई विशेष उत्साह प्रदर्शित नहीं हुआ। पश्चिमी जर्मनी में

संगु प्रसार विरोध सन्धि पर चासलर कीसिन्जर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हुए। वास्तव में यूरोप की इस यात्रा के दौरान बेल्जियम को छोड़कर राष्ट्रपति निरमन जहाँ भी गए, अमेरिका विरोधी नारे भी उनके पीछे लगे रहे।

यद्यपि यूरोप की सम्भावना यात्रा का कोई विशेष महत्व नहीं निकला लेकिन राष्ट्रपति निरमन को यूरोपीय समस्याओं के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त हुई और उन्हें यह पता चल गया कि शीत युद्ध को उभारने में पश्चिमी यूरोपीय राज्यों का संयुक्त राज्य अमेरिका को अब पूरा-पूरा समर्थन नहीं मिल सकेगा। राष्ट्रपति निरमन को यह अहसास हो गया कि पश्चिमी यूरोप के राज्य अब पूरी तरह अमेरिका के पिछलग्गू नहीं रहना चाहते।

(ख) विपत्तनाम समस्या के प्रति हल—राष्ट्रपति 'निरमन ने विपत्तनाम समस्या के प्रति व्यावहारिक रुख अपनाते हुए प्रारम्भ से ही ऐसे प्रयास शुरू कर दिये कि पेरिस में चल रही शांति-सम्मेलन में प्रगति हो सके और विपत्तनाम से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का मार्ग प्रशस्त हो सके। धीरे धीरे किन्तु दृढ़ता से उन्होंने ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिये कि अन्ततः विपत्तनाम युद्ध टपका पड़ते-पड़ते समाप्त हो जाए। निरमन ने न केवल बम-बाँधों को बंद कर दिया बल्कि बड़ी संख्या में समझौते से अमेरिकन सैनिकों को भी स्वदेश लौटा लिया और साथ ही विपत्तनाम से अमेरिका को तकनीकी सामरिक सक्ति को भी इस ढंग से बनाये रखा कि उत्तरी विपत्तनाम दक्षिणी विपत्तनाम पर हावी न हो सके। मई, १९६६ में विपत्तनाम से ५० हजार अमेरिकन सैनिक वापस बुलाने का निर्णय किया गया। शांति स्थापना के लिए एक सात मूखीय प्रस्ताव भी रखा गया जिसे हनोई ने स्वीकार नहीं किया। १९६६ के वर्ष के अन्त तक इस बात की पर्याप्त सम्भावना प्रबल हो गई और निरमन प्रशासन ने बड़ी संख्या में अमेरिकन सैनिकों को वापिस स्वदेश बुलाना शुरू कर दिया।

निष्कर्ष रूप में यही कहना चाहिये कि निरमन प्रशासन के व्यावहारिक और समझौतावादी रुख तथा हनोई की अनुकूल प्रतिक्रिया के कारण विपत्तनाम युद्ध के समाप्त होने की आशा बलवती हो गई है। यद्यपि पूर्ण सफलता-असफलता का निर्णय तो भविष्य ही करेगा लेकिन वर्तमान आसार यही है कि निष्कट भविष्य में ही यह सूनी हत्याकाण्ड बन्द हो जायेगा।

(ग) पश्चिमी एशिया के संकट के प्रति निरमन की नीति—निरमन

प्रशासन की पश्चिमी एशिया के सकट के प्रति नीति अभी तक जानसन-प्रशासन के एक पक्षीय रुख से कोई अधिक भिन्न नहीं है। ३ अप्रैल, १९६६ को चार बड़े राष्ट्रों की जो वार्ता न्यूयार्क में हुई, उसे सफलता विरोधतः इसी कारण नहीं मिल सकी कि निक्सन प्रशासन का रुख एकदम अरब विरोधी और इजरायली समर्थक रहा। यह वास्तव में दुख की बात थी कि निक्सन प्रशासन ने उस सीमा-रेखा को भी मानने से इन्कार कर दिया जहाँ तक इजरायली सेना को हटाने के लिये कहा जा रहा था। इतना ही नहीं, मिस्री इलाके में तो विसंन्योकरण की बात बही गई लेकिन इजरायली इलाके के बारे में कुछ नहीं कहा गया।

पश्चिमी एशिया का यह सकट, जिस पर सविस्तार अगले एक अध्याय में प्रकाश डाला गया है, तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस जैसी महाशक्तियाँ समस्या के प्रति निष्पक्ष होकर ईमानदारी से शांति स्थापना का प्रयत्न नहीं करेंगी।

(घ) उत्तरी कोरिया ने अमेरिकी जामूसी-‘अन्तर्राष्ट्रीय चौकीदार’ की हिमायत निक्सन प्रशासन ने पहले ही की भाँति जारी रखी है। निक्सन प्रशासन के समय भी अप्रैल, १९६६ में एक भयंकर जामूसी काण्ड हुआ। उत्तरी कोरिया ने अमेरिका के एक जामूसी विमान ई सी १२१ को मार गिराया। यह जहाज उत्तरी कोरिया की सीमा में घुसकर जामूसी कर रहा था। अमेरिका ने पहले तो कहा कि विमान उत्तरी कोरिया की सीमा में प्रविष्ट नहीं हुआ था और बाद में यह घोषणा करके अपनी असलियत दिना की कि दक्षिण कोरिया और प्रशान्त महासागर में अमेरिकन हितों की रक्षा के लिए तथा उत्तरी कोरिया की सैनिक तैयारी को जानने रहने के लिए यह आवश्यक है कि अमेरिका इस प्रकार की जामूसी कार्यवाहियाँ करे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने विशाल नौ सैनिक बड़े को भी उत्तरी कोरिया के निकटवर्ती समुद्र में एकत्र कर लिया ताकि भविष्य में जामूसी हवाई उड़ानों को निषिद्ध जारी रखा जा सके। एक स्वतन्त्र राष्ट्र के प्रति निक्सन प्रशासन का यह रुख निश्चित रूप से आश्रामक कहा जाएगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का मूल्यांकन

संयुक्त राज्य अमेरिका की द्वितीय महायुद्धोत्तर विदेश नीति का उपरोक्त विस्तृत वर्णन हमारे समक्ष अमेरिकन विदेश नीति के मूल तत्वों का स्पष्टीकरण देता है। इस विवेचना से कुछ स्पष्ट निष्कर्ष निकलने हैं। प्रमुख बात तो यही है कि अमेरिकन विदेश नीति में उपनिवेश विरोधी

कयवा साम्राज्य विरोधी शक्तों को कभी विशेष महत्व नहीं दिया गया है बल्कि स्वयं अमेरिका ने आर्थिक व सैनिक सहायता की नीति द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास किया है। लंडन अमेरिकन देश और सुदूरपूर्व स्पष्टतः ऐसे ही क्षेत्र हैं जहाँ अमेरिकन साम्राज्यवादी आकांक्षाओं ने अपना खेल खेला। यही कारण है कि स्वर्गीय पटित नेहरू अमेरिकन विदेश नीति को 'अदृश्य साम्राज्य बनाने की नीति' कह कर उसकी आलोचना करते थे। यह ठीक है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में कहीं कोई उपनिवेश नहीं है और उसने युद्धोपरान्त अपने उपनिवेश फिलिपाइन्स को भी मुक्त कर दिया है, किन्तु विश्व भर में फँले हुए अमेरिका के सैनिक बड़ों और उसके असमान व्यापारिक सम्बन्ध के प्रबल साधन हैं जिनके माध्यम से उसने विभिन्न देशों की आर्थिक व्यवस्था को अपने नियन्त्रण में कर रखा है। अमेरिका से असमान आर्थिक और सैनिक संधियाँ होने के कारण सम्बन्धित देशों को वही काम करना पड़ता है जो अमेरिकन प्रशासन को मजूर होता है।

मध्यपूर्व के तेल को अपने अधिकार में रखने के लिए ही अमेरिका ने वहाँ की राजनीति में सुलभकर हस्तक्षेप किया है। टूर्मन सिद्धान्त, आइज़नहोवर सिद्धान्त आदि तो इस हस्तक्षेप को उचित ठहराने के आवरण या प्रयास मान हैं। सुदूरपूर्व और दक्षिणी-पूर्वी एशिया में अपने प्रभाव को बनाये रखने के लिए ही उसने चीन में च्यांगकाई-जेक, दक्षिणी कोरिया में सिधमन-री और दक्षिणी वियतनाम में दामोदाई के भ्रष्ट शासन को सुलासमर्थन दिया है। लंडन अमेरिका ने फासिस्ट और अर्द्ध फासिस्ट शासनतंत्र उन्हीं के समर्थन से आज तक कायम हैं। विश्व में स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र की रक्षा करने का उत्तरदायित्व लेने वाले अमेरिका ने स्पेन में फ्रांको तथा पाकिस्तान में अयूब के तानाशाही शासनों के साथ पूर्ण सहायुमूर्ति दर्शायी है जबकि स्वतन्त्रता और शांति प्रेमी भारत के प्रति कटुता चालबाजी और पक्षपातपूर्ण रवैया रखा है। काश्मीर पर उसका हथ और पाकिस्तान को दिये जाने वाले पैटन डैक और सैंडर जेंट इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी जर्मनी का सशस्त्रीकरण करके और उसे आणविक आयुधों से सुसज्जित करके अमेरिका ने पीट्सबम निर्णयों के प्रतिकूल आचरण किया है। वियतनाम युद्ध में अपनी दानवी शक्ति का प्रयोग कर के विश्व शांति को उसने खंड में डाल रखा है। सधार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रादेशिक सैनिक सशक्तियों की स्थापना उसने यह कह कर की है कि इनसे अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के प्रसार को रोका जा सकेगा। परन्तु इन सैनिक सशक्तियों की स्थापना के कारण साम्यवाद की लोकप्रियता को तो कोई विशेष आपात नहीं पहुँचा, जस्टे अमेरिका की प्रतिष्ठा ही समूचे संसार

में और विशेषकर एशिया तथा अफ्रीका के महाद्वीपों में पूर्वदिशा कहीं अधिक कम हुई है। और ही और, उसके पुराने छापी भी उसकी नीति से ऊब कर उसके चंगुल से निरलने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रान्स इसका उदात्त प्रमाण है। एशिया में अमेरिका की प्रतिष्ठा को गहरा जाघान लगा है। स्वयं एक अमेरिकन लेखकने लिखा है कि "आज एशिया में सभ्यत राज्य अमेरिका की पहचान स्वतन्त्रता के प्रतीक के रूप में नहीं अपितु बन्दूकी से होती है।"

शीत-युद्ध

(COLD WAR)

शीत युद्ध का जन्म—द्वितीय महायुद्ध का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि विश्व में प्रथम बोटि की दो ही महाशक्तियाँ रह गयीं—गोविपत रुस और संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि जहाँ महायुद्ध के दौरान अमेरिका, रुस और ब्रिटेन आदि ने परस्पर कंधे से कंधा मिला कर 'युरो राष्ट्रों' (जर्मनी, जापान व इटली) के विरुद्ध संघर्ष किया था और उनके राजनीतिज्ञों और बूटनीतिज्ञों ने सम्मेलनों व पत्र व्यवहार आदि में एक दूसरे से सहयोग किया था, वहाँ युद्ध के बाद इन राष्ट्रों में सहयोग के सभी आघार समाप्त हो गये। युद्ध के समय के दोस्तों में युद्ध के बाद, बल्कि युद्ध समाप्त होने के कुछ समय पूर्व से ही, तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गये। शीघ्र ही इन मतभेदों ने इतने तनाव, वैमनस्य और मनोमालिन्ध्य की स्थिति उत्पन्न कर दी कि पश्चिमी और पूर्वी सेमे के राज्यों में "द्वारुद के गोले-गोलियों से लडे जाने वाला सशस्त्र सैनिक संघर्ष न होते हुए भी, बागज के गोलों, अवधारों से लडा जाने वाला परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का सप्राम छिट गया।" इसी सप्राम की 'शीत-युद्ध' (Cold War) की संज्ञा दी गई, जिससे आज का सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर युरो, अरुद, पेरिल, कै, अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य पश्चिमी, युरोपियन शक्तियाँ मिल कर 'पश्चिमी' (West) सेमा कहलाती है और सोवियत संघ व उसके पूर्वी युरोपियन मित्र राज्य संयुक्त रूप से 'पूर्वी' (East) सेमा कहलाते हैं। पहले सेमे अथवा विविद या युट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरे सेमे का अग्रका सोवियत संघ है।

भाज लगभग सम्पूर्ण ससार इन दोनों पक्ष या गुटों में विभक्त है और इनके 'शीत-युद्ध' ने विश्व को एक तृतीय महायुद्ध के विस्फोट के निकट ला दिया। यदि समय रहते इस पर नियन्त्रण न हुआ तो यह एक न एक दिन 'व्यावहारिक युद्ध' को जन्म दे डालेगा। यह (शीत-युद्ध) एक ऐसी स्थिति है जिसमें दोनों पक्ष परस्पर शाण्णिकालीन कूटनीतिक सम्बन्ध बनाये रखते हुए भी परस्पर शत्रुभाव रखते हैं और सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति को दुर्बल बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह एक कूटनीतिक युद्ध है, जो व्यावहारिक युद्ध का जनक हो सकता है।

इस 'शीत युद्ध' में अमेरिका साम्यवाद को स्वतन्त्रता और विश्व शांति का शत्रु बताते हुए रूस के प्रभाव के विस्तार को रोकने का प्रयत्न करता है और हमरी आदि पूर्वी यूरोपीय देशों में हुए राष्ट्रीय विद्रोहों के आधार पर रूस को एक साम्राज्यवादी शक्ति बताता है तो रूस पश्चिमी शक्तियों को उपनिवेशवादी घोषित करते हुए साम्यवाद को एशिया और अफ्रीका के अधिकृत देशों के लिए तथा विरव की हीन जनता के लिए एक रामबाण औपनिवेश के रूप में प्रस्तुत करता है। दोनों ही पक्ष अपने अपने प्रभाव के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए अपनी अपनी मैदायिक मान्यताओं पर बल देते हैं तथा धार्मिक सहायता, प्रचार, जासूसी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक गुटबंदियों, प्रादेशिक संगठनों, समुक्त राष्ट्र सघ, सस्त्रीकरण, वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति का प्रदर्शन आदि सभी सम्भव साधनों का प्रयोग करते हैं। अपने प्रभाव क्षेत्र की वृद्धि करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे जाति और वर्गगत द्वेष को बढ़ाने, राष्ट्रीय भावनाओं का दुरुपयोग करने, औद्योगिक असंतोष व स्थानीय सघर्षों को प्रास्ताहन देने आदि के सभी हीन उपायों का आश्रय लेते हैं। वे दरिद्रता, मुजमरी आदि मानवीय दुर्भाग्यों का लाभ उठाने में भी नहीं हिचकिचाते।

शीत-युद्ध का प्रारम्भ, कारण और इतिहास

महायुद्धोत्तर स्थिति ने दोनों महाशक्तियों के मध्य जिस शीत युद्ध को जन्म दिया, उसने याल्टा-सम्मेलन से लौटने वाले प्रतिनिधियों के विचारों को व्यक्त करने वाले हैरी हॉपकिंस (Harry Hopkins) के इन शब्दों को श्रुतला दिया कि—"हम वस्तुतः अपने हृदय में यह विश्वास था कि यह एक नूतन दिवस का नया दृष्टिकोण था जिसके लिए हम इतने वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे। हमें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि हमने शांति की प्रथम-चिन्म प्राप्त कर ली है। रूस वासियों ने यह सिद्ध कर दिया था कि वे युक्ति-युक्त और दूरदर्शी हो सकते हैं तथा हम भविष्य में जहाँ तक सोच सकते हैं

यहाँ तक उनके साथ शान्तिपूर्वक रह सकते हैं और चल सकते हैं।¹ अब अमेरिका के नेतृत्व में पाश्चात्य राष्ट्रों ने रूस पर गालियो और आरोपों की बौछार करना शुरू किया और उधर रूस ने उन पर आलोचना एवं प्रत्या-रोपण की झड़ी लगा दी। दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे को शत्रुतापूर्ण मनो-भावना और सदेहपूर्ण प्रवृत्तियों से भरा सिद्ध करने के लिए अपने-अपने तर्क पेश किये। यहाँ हम, शीत युद्ध के कारणों को बताते हुए, दोनों ही पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों का पृथक्-पृथक् रूप से वर्णन करेंगे।

(क) 'पश्चिम' की 'पूर्व' के विरुद्ध शिकायतें

अमेरिका के नेतृत्व में पाश्चात्य शक्तियों ने सोवियत मध्य के विरुद्ध महत्वपूर्ण शिकायतें प्रस्तुत की अथवा उरा पर जो विभिन्न प्रमुख आरोप लगाए, वे इस प्रकार हैं—

(१) रूस द्वारा पाल्टा समझौतों की अवहेलना—ब्रिटेन और अमेरिका की रूस के विरुद्ध सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिकायत यह थी कि उसने पाल्टा-समझौतों का पूर्ण उल्लंघन किया है। फरवरी १९४५ में रज्वेल्ड, चर्चिल और स्टालिन ने कुछ समझौते किये थे, उदाहरणार्थ जर्मनी की चार 'आधिपत्य क्षेत्रों' (Occupation Zones) में विभाजित किया जायगा, 'पोलैण्ड में सोवियत मध्य द्वारा सुरक्षित 'लुबलिन सरकार' और पश्चिमी देशों द्वारा सुरक्षित 'लन्दन सरकार' के स्थान पर स्वतन्त्र चुनाव किये जाकर एक प्रतिनिधिक सरकार की स्थापना की जायगी, नये पोलैण्ड से उसके पूर्व में स्थित रूसी भाषा-भाषी प्रदेश वर्जिन-रेखा के आधार पर पृथक् कर दिये जायेंगे, परन्तु पश्चिम में उसे मुआवजे के रूप में कुछ जर्मन-भूमि दी जायेगी। सोवियत रूस द्वारा यह भी बचन दिया गया था कि वह "बाह्य मनोलिया" में 'पूर्व स्थिति' (Status quo), दक्षिणी सूखालिन तथा कुराइल द्वीपों पर रूसी स्वामित्व, दारेन का अन्तर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization of Dairen), पोट्टे आर्दर में एक रूसी नौसैनिक बड्डे की स्थापना तथा एक चीनी-रूसी कम्पनी द्वारा मचूरिन रेलवे के समुक्त-संचालन की शर्तों के साथ जर्मनी के आरम्भ समर्पण के दो तीन महीने बाद जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो जायगा। स्टालिन ने यह भी कहा था कि वह चीन की 'राष्ट्रवादी' सरकार को ही वैध सरकार के रूप में मान्यता प्रदान करेगा।

1. Sherwood, Robert. Roosevelt and Hopkins Vol II, P. 516.

लेकिन रुस द्वारा यास्ता-समझौते की उपेक्षा की गई। राष्ट्रपति रुजवेल्ट की मृत्यु के बाद अर्बल, १९४५ में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने हैरो होपकिंस को माफ़को यह सूचन करने के लिए भेजा कि उसका राष्ट्र (अमेरिका) रुजवेल्ट की नीतियों को निर्यान्वित करने पर कटिबद्ध है। प्रत्युत्तर में स्टालिन द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि सोवियत नव भी यास्ता-समझौते के पालन से पीछे नह्रा हटेगा।

रुस ने उपरोक्त आश्वासन भन्ने ही दे दिया, परन्तु उसकी नीति यास्ता-समझौते का पालन करने को न थी। उसने अनेक ऐसी कार्यवाहिया की जिनसे पश्चिमी राष्ट्रों को यह स्पष्ट हो गया कि रुसों-दृष्टिकोण में यास्ता-समझौता रूसों कागजों के ढेर के अलावा कुछ नही है—

(i) रुस ने पोलैण्ड में स्वतन्त्र चुनावों पर आधारित एक प्रतिनिधिक सरकार की स्थापना करने की अपेक्षा पोलिश जनता पर अग्ने द्वारा नरक्षित 'लुबनिन-सरकार' (Lubnia Government) को लादने का प्रयत्न किया। इस कठगुनली 'लुबनिन सरकार' अथवा 'Polish Committee of National Liberation' की स्थापना दिगम्बर, १९४१ में रुसों भूमि पर की गई थी और २५ अग्रेष, १९४३ को रुस ने प्रवासी पोलिश सरकार से सम्बन्ध तोड़ कर २६ जुलाई, १९४४ को लुबनिन सरकार से जोड़ दिये थे।

रुस ने न केवल लुबनिन सरकार को पोलिश जनता पर लादा ही बल्कि देश के अन्य प्रजातन्त्रीय दलों को गिरफ्तार भी कर लिया। पोलैण्ड के कैटिन (Katyn) वन हत्याकांड में ४ हजार गैर साम्यवादी पोलों का लाल सेना द्वारा सफाया कर दिया गया। यह आशंका भी की जाती है कि संभवत ११ हजार अन्य लापता पोलों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया होगा।^१ जब अमेरिकन और ब्रिटिश प्रेसकी ने पोलैण्ड में प्रवेश करना चाहा तो इसकी उन्हें अनुमति नहीं दी गई।

रुस की लाल सेना द्वारा पूर्वी यूरोप में साम्यवादी दलों के प्रादुर्भाव और विरोधी तात्वों के विध्वंस ने मिन राष्ट्रों को बड़ा चिन्तित बना दिया और रुस के प्रति गहरी आशंका व सन्देह का वातावरण उनके मन-मानस में पुष्ट हो गया।

(ii) हंगरी, बल्गेरिया, रूमानिया और चकोस्लोवाकिया में भी रुस द्वारा युद्ध विराम समझौतों तथा मन्दा व पाइपिन गुथिया का उन्मूलन

1 Charles Schleicher Introduction to International Relations, P 421.

किया गया। रूस द्वारा मित्र राष्ट्रों के साथ पहले यह निश्चय किया गया था कि— "नाजियों से मुक्त किए गए राष्ट्र अपनी इच्छानुसार सैन्यतन्त्रीय मस्या चुनेगे और इसके लिए मित्र राष्ट्रों के बीच सम्मिलित विचार-विनिमय किया जायगा।" परन्तु रूस ने इस पूर्व निश्चय को ठुकराते हुए पूर्वी यूरोप के इन सभी देशों में प्रजातन्त्र की पुनर्स्थापना में मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करने से इन्कार कर दिया और इन देशों के जनमत तथा पश्चिमी राष्ट्रों के विरोध की पूर्ण अवहेलना करते हुए वहाँ रूसी सैन्यिक सरकारें स्थापित कर दीं।

रूस द्वारा गाल्टा और पोटासडम समझौतों को इन सुली अवहेलना और उसके बड़ो हुए प्रभाव ने पश्चिमी राष्ट्रों में रूस के प्रति सन्देह भावना को और भी बढ़ाया।

(11) सन् १९४४ के मध्य साम्यवादी सेना बाल्कन प्रदेश में प्रविष्ट हो गई। इस पर चर्चिल को आशंका हुई कि रूस सामरिक महत्व के इस सम्पूर्ण क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेगा। अग. १९४४ में ही उसने स्टालिन के साथ पूर्वी यूरोप के विभाजन के प्रश्न पर यह निर्णय किया कि रूस को बल्गेरिया व रमानिया पर छाये रहने की अनुमति होगी और ब्रिटेन को ग्रीस में इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे। यह निश्चय किया गया कि हंगरी और यूगोस्लाविया में दोनों ही देशों का समान प्रभाव माना जायगा। चार्ल्स स्पीयर के कथनानुसार, चर्चिल के मत में यह व्यवस्था "तत्कालीन युद्ध-साम्यवादी परिस्थिति का नियोजन थी और इसमें पूर्ण समझौते की कोई आशा उन्हें प्रतीत नहीं होती थी।" पश्चिमी देशों के लिए यह स्थिति बड़ी चिन्ता जनक और भय तथा आशंका से परिपूर्ण बन गई कि जर्मनी द्वारा आत्म-समर्पण किये जाने से पूर्व ही रूसी फौजों ने ग्रीस के उत्तर में अधिकांश पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूरोप पर अपना नियन्त्रण जमा लिया, जनता पर साम्यवादी सरकार घोष की और कुछ ही वर्षों में ग्रीस और बाल्टिक सागर के बीच सुदृढ धमिल तानाशाही राज्य स्थापित हो गये।

(12) सोवियत रूस की जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की अनिच्छा और उसके द्वारा मित्रराष्ट्रों को साइबेरिया—अर्द्धों की सुरक्षा प्रदान करने में हिचकिचाहट ने भी पश्चिमी राष्ट्रों में रूस के प्रति सन्देह और शंका को बढ़ाया। रूस ने जापान के विरुद्ध युद्ध-घोषणा तभी की जब अमेरिका द्वारा प्रथम अणुबम के प्रहार से जापान की पूर्ण पराजय एतदग सुनिश्चित व सन्निकट हो गई। साइबेरियाई जङ्घों की सुरक्षा मित्रराष्ट्रों में इसलिए चाही थी कि इससे प्रत्याप्त सागरीय सुदृढ शीघ्र सम्पत्त हो जाने में सहायता मिलती।

(13) पश्चिमी देश रूस की इस शक्त से भी बड़े धुंघुंए हुए कि जब

ब्रिटिश अमेरिकन अधिकारी इटली में जर्मन सेनाओं के आत्मसमर्पण के बारे में एक जर्मन सेना से बातें कर रहे थे तभी स्टालिन ने रुजवेल्ट को एक पत्र लिखा जिसमें उन पर और चर्चिल पर इस प्रकार का आरोप लगाया कि ब्रिटिश-अमेरिकन अधिकारियों का जर्मन सेनापति से वार्ता का आशय यह है कि रूसी सेनाओं के बर्लिन पहुँचने से पूर्व ही आर्य प्रमरोकी सेनाएं उस पर कब्जा कर लें।

(vi) सोवियत रूस द्वारा चीन में भी याल्टा-समझौते की गंभीर अवहेलना की गई। मधुरिया स्विन सोवियत फोर्सों ने सन् १९४६ के प्रारम्भ में राष्ट्रवादी सेनाओं को तो वहाँ प्रवेश करू नहा करने दिया जबकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश-सम्बन्धी सभी सुविधायें देते हुए वह सम्पूर्ण युद्ध सामग्री भी सौंप दी, जो जापानी सेना भागते समय छोड़ गई थी।

(२) रूसी सेनाओं का ईरान से न हटाया जाना—१९४२ में एक समझौते द्वारा यह निश्चित हुआ था कि युद्ध के दौरान जिन विदेशी सेनाओं ने ईरानी प्रदेश में प्रवेश किया था उन्हें जर्मनों द्वारा आत्मसमर्पण के अधिकतम ६ माह बाद वहाँ से हटा लिया जायगा। युद्ध के उपरान्त एंग्लो-अमेरिकन फौजे दक्षिणी ईरान से हटा ली गयी, लेकिन रूसी फौज उत्तरी ईरान में ज्यों की त्यों जमी रही। इतना ही नहीं, रूस ने इस उत्तरी क्षेत्र में साम्यवादी पार्टी को समर्थन देकर जाति करवाने का प्रयत्न भी किया। यद्यपि बाद में, काफी प्रयासों और संयुक्त राष्ट्र सचोय हस्तक्षेप के बाद, रूसी फौज ईरान से हटा ली गयी, किन्तु यह घटना पारवात्य राष्ट्रों के सन्देश और विश्वास को पनवाने में सहायक हुई।

(३) टर्की पर रूसी दबाव—युद्ध की समाप्ति के तुरन्त बाद रूस ने टर्की से कुछ भू-प्रदेश एवं बास्फोरस (Bosphorus) में सैनिक अड्डे निर्मित करने के अधिकार की माग की। इन प्रदेशों पर प्रभुत्व पाने के लिए वह टर्की पर प्रभाव डालने और उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा। पश्चिमी राष्ट्रों ने रूस के इस कदम को सर्वथा अनुचित बताते हुए अपनी नाराजगी प्रकट की और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसे यह चेतावनी दी कि यदि उसने टर्की पर आक्रमण किया तो यह विषय सुरक्षा परिषद् में देखा लिया जायगा। मूनान और टर्की की घटनाओं के कारण ही अमेरिका ने इन देशों को अपनी सुरक्षा हेतु जापिक सहायता देना प्रारम्भ किया।

(४) रूस का अमेरिका-विरोधी 'प्रचार-अभियान'—साम्यवादी पत्रों ने युद्ध समाप्त होने के कुछ समय पूर्व से ही, अमेरिकन नीतियों और नीति-निर्माताओं के विरुद्ध विषयमन करना शुरू कर दिया। साम्यवादी पत्रों 'प्रावदा' और 'इजवेस्तिया' में अमेरिका के प्रति घोर आलोचनात्मक

लेख प्रकाशित होने लगे। इस 'प्रचार-अभियान' से अमेरिका के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में बड़ा विशोभ फैला। यद्यपि यह प्रमाणित नहीं हो सका कि इस आलोचना को प्रोत्साहन देने के पीछे हेमलिन का हाथ था, किन्तु इन्होंने भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि यदि किसी अधिकारी चाहें तो ऐसी अवांछित आलोचनाओं को एकटा सकते थे। अमेरिकन राष्ट्र इन बातों को भली भाँति समझता था कि इस प्रचार का उद्देश्य एतिया एव अश्रीना की जनता की दृष्टि में अमेरिका को बदनाम करना था।

(५) रुस द्वारा जर्मनी पर बोस लादना—युद्ध काल में जर्मनी के हाथों सर्वाधिक जन घन की हानि रुस को उठानी पड़ी। याल्टा-सम्मेलन में स्टालिन ने माग की कि जर्मनी से क्षति-पूर्ति स्वरूप रुस को १० बिलियन डालर दिलाये जायें। अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने रुस की माग को 'अग्रिम वार्ता के आधार के रूप में' स्वीकार कर लिया। परन्तु स्टालिन ने इसका अर्थ यह लगाया कि उसकी माग अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। अतः यद्योपरान्त उसने जर्मनी उद्योग को सशुद्ध विखण्डित करते हुए मूल्यवान् मशीनों का स्थानान्तरण रुस में करना शुरू कर दिया। रुस के इस कार्य से पहले ही से अस्त व्यस्त जर्मनी आर्थिक व्यवस्था पर अतिरिक्त रूप से भारी बोझ पड़ा। ब्रिटेन और अमेरिका में रुस की इस कार्यवाही से काफी विशोभ फैला गया और साथ ही उन्हें विवश होकर जर्मन अर्थ व्यवस्था की सहायतायें प्रदान करना व्यय करना पड़ा।

रुस ने जर्मनी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के भी अनेक गम्भीर उल्लंघन किये—

(i) १ अगस्त १९४५ के पोट्सडम समझौते तथा मित्र राष्ट्रीय नियन्त्रण परिषद् (Allied Control Council) के वाद के निर्णयों में यह निर्दिष्ट हुआ था कि जर्मनी जनता को कुछ आधारभूत व्यक्तिगत राजनीतिक स्थानप्रताओं से वंचित नहीं किया जायगा। लेकिन सोवियत संघ ने अपने द्वारा अधिभूत जर्मनी क्षेत्र के हजारों व्यक्तियों को केंद्र करके रुस भेज दिया या बन्दी शिवरों में डाल दिया।

(ii) पूर्वी जर्मनी की जनता को पश्चिमी जर्मनी की जनता से एकरूप प्रयत्न कर दिया गया।

(iii) अग्रेल, १९४६ में रुसियों ने जर्मनी समाजवादी दल को बलपूर्वक साम्यवादी दल में दसलिये मिला दिया कि बर्लिन और पूर्वी क्षेत्र के समाजवादी मन्दाताओं को अपने काबू में रखा जा सके।

(iv) पोट्सडम संधि में यह निर्दिष्ट हुआ था कि जर्मनी को एक पृथक वार्षिक इकाई माना जायगा और सभी आवश्यक पदार्थों का विविध क्षेत्रों में समान वितरण किया जायगा। लेकिन रूस ने अप्रैल, १९४६ में स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि प्रत्येक क्षेत्र अपना व्यापार स्वयं करे। इसके अतिरिक्त फिनलैंड, पूर्वी आस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया और रूमानिया में जर्मनी की जो सम्पत्ति 'German External Property Commission' के अधिकार में रखी गई थी उसका रूस ने स्वयं उपयोग किया।

(v) २६ नवम्बर, १९४४ का प्रकाशित लंदन-प्रोटोकॉल नामक समझौते में युद्धोत्तर बर्लिन को प्रशासन व्यवस्था के बारे में कहा गया था कि बर्लिन पर अस्थाई रूप से अधिकार करने वाली शक्तियों को बर्लिन-प्रवेश का मार्ग प्राप्त होगा। परन्तु जून १९४८ में सोवियत संध ने बर्लिन की कुख्यात नाके-बंदी का दौर चलाया और पश्चिमी बर्लिन तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच सभी रेल, सड़क और जन यातायात की बंद कर दिया। यही नहीं, रूस ने हजारों जर्मन-युद्ध बंदियों और नागरिकों को स्वदेश लौटने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया।

(vi) याल्टा समझौते और पोट्सडम-प्रोटोकॉल दोनों में ही यह तय किया गया था कि जर्मनी-पोलैंड सीमा का निर्णय जर्मनी के साथ पूर्ण निपटारे तक उठा रखा जाये। लेकिन रूस ने इस समझौते का कोई परवाह न करते हुए ओडर-नीसे (Oder-Nisse) रेखा को जर्मन-पोलिश-सीमा के रूप में मान लिया और लुब्लिन सरकार को यह अनुमति प्रदान कर दी गई कि वह उस भूमि पर कब्जा करके वहाँ वैसे जर्मन नागरिकों को बाहर निवाले दे। ६ जुलाई, १९५० को पोलैंड और पूर्वी जर्मनी (रूस-संरक्षित) ने एक समझौते पर भी हस्ताक्षर कर दिये जिसके अनुसार ओडर-नीसे रेखा को मान्यता प्रदान कर दी गई।

(६) रूस द्वारा समुक्त राष्ट्र संधि में निषेधाधिकार का बारम्बार प्रयोग—पश्चिमी राष्ट्र और विशेषकर समुक्त राज्य अमेरिका को यह बात बहुत माली कि समुक्त राष्ट्र संधि ने अतना काम ठीक प्रकार से शुरू भी नहीं किया था कि सोवियत रूस ने अतन निषेधाधिकार के अनियंत्रित प्रयोग द्वारा उत्तके मार्ग में बाधाएँ डालना आरम्भ कर दी। सोवियत संधि ने समुक्त राष्ट्र संधि को अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों की विदेशी नीति का एक अंग समझ कर, निषेधाधिकार के अंत पर, गुरसा परिपक्व में, उत्तके (पश्चिमी राष्ट्रों व अमेरिका के) लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपना ली। इसका स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि पश्चिम ने यह धारणा बना ली कि सोवियत रूस एवं ऐसे समूहों को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है

त्रिसूची स्थापना विन्ध-शांति और सुरक्षा को बनाये रखने के लिए हुई है। इस सदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि जहाँ अगस्त १९६१ तक अमेरिका ने एक बार भी निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं किया था वहाँ रुस ९५ बार इसका प्रयोग कर चुका था। इंग्लैंड ने दो बार, फ्रांस ने चार बार और चीन (राष्ट्रवादी) ने एक बार इस अधिकार का प्रयोग किया था।

(७) रुस द्वारा शांति-स्यवस्था में बिप्ल-महायुद्ध की समाप्ति के उपरान्त शांति-स्यवस्था की पुनर्स्थापना के मार्ग में रुस द्वारा इटली-अइग्रेवाजी की गई कि उससे पश्चिमी शक्तियों के हृदय में रुस के प्रति वैहद शक्य पैदा हो गयी। इटली के साथ शांति मवि तय करने के लिए लंदन में जो विदेश मन्त्रियों की परिषद बुलाई गई उसमें रुसी विदेश मन्त्री मोलोतोव ने अपनी ऐसी भाषे प्रस्तुत की कि पश्चिमो राष्ट्र हतुन्व हो गये। परिणाम यह निकला कि विदेश मन्त्री परिषद की बैठकें शांति की समस्यायें सुलझाने के स्वान पर उन्हें उलझा कर नये विवाद उत्पन्न करने लगीं।

(८) अमेरिका में साम्यवादी गतिविवियां—सोवियत रुस ने न केवल अन्य देशों में बल्कि स्वयं सयुक्त राज्य अमेरिका में भी साम्यवादियों को विभिन्न प्रकार से प्रेरित किया। सन् १९४५ के प्रारम्भ में 'स्ट्रेटेजिक सर्विस' (Strategic Services) के अधिकारियों को पता चला कि उनकी संस्था के बहुत से गुप्त दस्तावेज (Secret Documents) साम्यवादी सरक्षण में चलने वाले 'अमेरेशिया' (Amerasia) नामक मासिक पत्र के सम्पादक के हाथ में पहुंच गए हैं। इसके अतिरिक्त १९४६ में 'कनाडियन शाही आयोग' (Canadian Royal Commission) की रिपोर्ट ने यह प्रमाणित किया कि कनाडा का साम्यवादी दल 'सोवियत सघ की एक भुजा' (An arm of the Soviet Government) है। इस आयोग ने अनेक सोवियत जासूसी गिरोहों का पता लगाया और यह रहस्योद्घाटन किया कि विश्वसनीय पदों पर आसीन अनेक कनाडी व्यक्ति (Canadians) जिनमें एक सत्त सदस्य व एक प्रमुख अगु वंशानिक भी शामिल हैं, साम्यवादी गुट के एजेन्ट हैं और उन्होंने मासिकों की आणुविक भेद तथा यूरैनियम धातु के नमूने भेजे हैं। इस रिपोर्ट से अमेरिका सरकार साम्यवादियों के प्रति पूरी तरह से सगवित हो गई और एम्पूमें अमेरिकन राष्ट्र तथा अन्य पश्चिमी शक्तियों में रुस के प्रति विरोध की गहरी छहर फैल गई। इसरी और मासिकों रैडियों ने प्रजातन्त्रा मह सरकारों के विप्ल धरना प्रचार-अभियान तेजी से चालू रखा।

पश्चिमी राज्यों ने उन्नोक्त गिरामयें करके हुए और विभिन्न आरोप लगाते हुए सोवियत सघ के प्रति अपना पूर्ण अविश्वास व्यक्त कर दिया।

अगस्त १९४५ में अमेरिका के राज्य सचिव बर्नेस और ब्रिटिश विदेश मंत्री बेविन ने इस बान पर अत्यन्त श्रेय प्रकट किया कि सोवियत संघ ने किसी भी रूप में अपने पवित्र यत्न का पालन नहीं किया है। पूर्वी यूरोप के सोवियत नियन्त्रण को चुनौती देन हुए उन्होंने घोषणा की—

हमें तानाशाही के एक स्वप्न के स्थान पर उनके दूमरे स्वरूप के सम्मान का रोचना चाहिए।'

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री चर्चिल ने अमेरिकन राष्ट्रपति थ्रो ट्रूमैन की उपस्थिति में साम्यवाद के विरोध की एक नई नीति का निर्देश ५ मार्च, १९४६ को अपनी सुप्रसिद्ध "फुल्टन वक्त्रता" (फुल्टन नामक स्थान पर चर्चिल ने यह वक्त्र-प दिया था) में किया। इन भाषण में चर्चिल ने यूरोप के द्वार पार सोवियत "लौह आवरण" (Iron Curtain) की निन्दा की तथा "स्वतन्त्रता की दीपशिखा प्रज्वलित रखने एक ईसाई सभ्यता की मुद्रा के लिए" एक अश्लो-अमेरिकन गठबंधन की माग की। सन् १९४६ के अप्रैल मास के बाद से ही दोनों पक्षों (पश्चिमी व पूर्वी गुट) ने अपने मनभेदों का एलेत्राम उगटना शुरू कर दिया। १२ मार्च, १९४७ को यूनानी गुट युद्ध के सम्बन्ध में काप्रेस में यूनान एवं तुर्की को ४०० मिलियन डालर की सहायता देने का अनुरोध करते हुए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने विदेशत "ट्रूमैन सिद्धान्त" (Truman Doctrine) का प्रतिपादन किया। इस सिद्धान्त के अन्तगत उन्होंने उन सभी स्वतन्त्र देशों की सहायता देने की नीति पर बल दिया जो मंगस्त अन्तराष्ट्रको अथवा बाह्य शक्तियों के द्वारा आघातस्थ स्थापित करन व प्रयत्नों का विरोध कर रहे थे। ५ जून १९४७ को 'मार्शल योजना' की घोषणा की गई जिसका उद्देश्य यूरोप की अस्त-व्यस्त आर्थिक दशा को सुधारने का था। जहां पाश्चात्य यूरोपियन राष्ट्रों ने इस योजना का उत्साहपूर्वक स्वागत किया वहां कम ने इसे अपने लिए गम्भीर चुनौती समझा। ३ जुलाई, १९४७ को ब्रिटेन और फ्रान ने यूरोपियन आर्थिक पुनर्र्थान की समस्या पर विचार करने के लिए पेरिस में २२ देशों के एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें प्रारम्भ में तो पोलैंड और चेकोस्लावाकिया ने भाग लेन की इच्छा प्रकट की, परन्तु बाद में सोवियत संघ के विरोध के कारण इस नियन्त्रण का ठुकरा दिया। एटली (Attlee) के शब्दों में—“जब पोलैंड और चेकोस्लावाकिया ने मानल गतायता के विचार का स्वीकार कर लिया तब पूर्वी ओर पश्चिमी यूरोप, एक एकाकरण की उसकी (उचित की) आशाओं को उठ गया। परन्तु ट्रूमैन के आदेश पर इन स्वाहृणियों के परावर्तन ने इस आशा को नष्ट कर दिया। परन्तु यह 'शीत युद्ध' की एक घोषणा थी।”

(ख) पूर्व की (एस की) पश्चिम के विरुद्ध तिकायते

पश्चिमी राज्यों द्वारा एस के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए, उनसे यह नहीं समझना चाहिए कि शीत-युद्ध के नाटक का एरमान सलनायक सोवियत एम ही था। जहां पश्चिमी शक्तियों ने अपने विभिन्न आरोपों द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि पूरा तरह से युद्धात केन्द्र सोवियत संघ ने ही की है और उसी ने सारे पूर्ववर्ती समझौते व निश्चयों का उच्छेदन किया है, वहां 'पूर्व' न अर्थात् सोवियत संघ और उसके समर्थक राष्ट्रों ने अपने आरोपों में यह प्रमाणित करने की चेष्टा की कि युद्धोत्तर काल के तनाव और अस्थिरता का नारा दोष पश्चिमी राष्ट्रों का है। जहां पश्चिमी शक्तियों ने साम्यवादियों को "गुण्डों का निकुण्डतम गिरोह" (Worst scoundrels) कहा, वहां शक्तियों ने उन्हें "लुटेरों तथा डाकुओं के गुट" (A den of robbers) की संज्ञा दी। एम और उसके समर्थक राष्ट्रों द्वारा पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध जा शिक्षायते की गयीं—वे इस प्रकार थीं—

(1) युद्धकाल में पश्चिम द्वारा 'द्वितीय मोर्चा' खोले जाने में देरी—

एस की पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध एवं नवने बड़ी शिक्षायत यह थी कि जर्मनी द्वारा पूरा तरह से दबे रहने की स्थिति में स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से बार-बार अनुरोध किया था कि पश्चिमो यूरोप में जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मार्चा खोला जाय ताकि सोवियत एस पर किए जाने वाले जर्मन आक्रमण में बर्बाद हो सके। पल्टु स्मिथ और चाबिल ने एस की इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा एमी मुझाय की यह कह कर अस्वीकार कर दिया गया कि उनकी तैयारी अभी अधूरी है। दूसरा मोर्चा खोले जाने में पर्याप्त विलम्ब किये जाने का परिणाम यह हुआ कि सोवियत एस की जर्मनी के हाथों जन-घन की भयंकर क्षति उठानी पड़ी। इस हानि की ओर सकेत करते हुए स्वयं आइज़नहोवर ने लिखा है—“१९४५ में जब हम हवाई जहाज से एस गये तो हमने इसकी पश्चिमी सीमा से मास्को तक के विशाल प्रदेश में एक भी मकान सड़ा नहीं देखा।” सैगसम के स्लानुनार, 'विश्व और दिनांक के इस ताण्डव में एस द्वारा उठाई गई अमीम जन-घन की क्षति का सही अनुमान लगाना बहुत कठिन है किन्तु यह बात ज्ञात करना है कि एलबर्टी का संपर देव करोड शक्तियों के वकिलान ने जबरन भरा होगा।’ इतनी अपित मात्रा में जन-घन की हानि के कारण एम में मित्र राष्ट्रों की नेहनिधती पर सदा उदात्त हो गई। सोवियत नेताओं और इतिहासकारों ने यह मान्यता प्रकट की कि अमेरिका और ब्रिटेन में पूर्व सोच-समन कर तथा आन-बूम पर दूसरा मोर्चा खोलने में देर लेनी थी ताकि जर्मनी किसी

तरह रूस की साम्यवादी व्यवस्था का नाश कर दे। वास्तव में रूस के मन में सदेह के बीज तो तभी पड़ गये थे जब मित्र राष्ट्रों ने अघूरी तैयारी के बहाने पर हुए मोर्चे को खोलने की सोवियत प्रार्थना टाल दी थी। बैली (Bailey) के शब्दों में, "इससे त्रेमलिन ने यह सन्देह जड़ पकड़ गया कि पश्चिमी राष्ट्र, जो युद्धोत्तर वर्षों में एक शक्तिशाली सोवियत सशक्त सत्त्वान की सम्भावना से भयभीत हैं, युद्ध के अखाड़े में कूदने से पूर्व रूस को पूर्णतया 'आहत तथा शक्तिहीन' होते देखना चाहते हैं।"¹

(ii) पश्चिमी देशों की फासिस्ट देशों से साठगांठ—रूस ने इस बात पर बड़ा विश्वास प्रकट किया कि सैनिक व्यावहारिकता की आड़ में अमेरिका ने इटली और फ्रांस के फासिस्ट तत्वों से सम्पर्क स्थापित किया है और फिनलैंड द्वारा रूस के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने तथा लेनिनग्राड पर आक्रमण करने के काफी समय बाद तक वाशिगटन से उसने अपने कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद नहीं किये।

(iii) युद्धकाल में पश्चिम की अपर्याप्त सहायता—सोवियत सशक्त ने यह आरोप लगाया कि युद्धकाल में, जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण होने पर पश्चिमी देशों ने जो भी सैनिक सहायता सोवियत रूस को दी, वह रूस द्वारा उत्पन्न की गई युद्ध सामग्री का अत्यल्प अंश केवल ४ प्रतिशत था। वास्तव में मित्र राष्ट्रों की आन्तरिक इच्छा यही थी कि रूस जर्मनी के साथ सघर्ष में विलुक्त क्षीण हो जाय। इसीलिये उन्होंने प्रथम तो बहुत विलम्ब से और दूसरे अत्यल्प मात्रा में केवल सहायता के लिए सहायता दी। फिर जो कुछ भी सहायता दी गई वह भी इसीलिये कि पश्चिमी राष्ट्र समझ गए कि जर्मनी द्वारा रूस को पूर्ण रूप से नष्ट किया जाना सारे ससार के लिए घातक सिद्ध होगा।

(iv) अमेरिका द्वारा अणुबम के रहस्य को रूस से गुप्त रखना—अमेरिका ने अणु बम का आविष्कार को सोवियत रूस से सर्वथा गुप्त रखा जबकि ब्रिटेन और फ्रांस को इस बात का पता था। जब इस अणुबम का प्रयोग जापान पर किया गया तो उससे केवल हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं हुआ अपितु मित्र राष्ट्रों की मंत्री भी टूट गई। स्टालिन ने अमेरिका द्वारा अणुबम का रहस्य को रूस से गुप्त रखने की बात को परस्पर विद्वान्ताप माना। इससे उसे व्यक्तिगत रूप से भी बड़ा दुःख हुआ। परिणामस्वरूप रूस और अमेरिका में परस्पर तनाव उत्पन्न हो गया और दोनों ही

देश युद्ध रूप से वैज्ञानिक अस्त्र-शस्त्रों के आविष्कार की होड़ में लग गए । रूस ने युद्ध-समाप्ति के बाद ४ वर्षों में ही अगुवम के रहस्य का पता लगा लिया और अक्टूबर १९५७ में तो स्पूतनिक छोड़ कर वैज्ञानिक क्षेत्र में अमेरिका की गाँठ दे दी ।

(v) सोवियत सघ को 'लैंडलीज' सहायता बन्द किया जाना— अमेरिका द्वारा 'लैंडलीज अधिनियम' (Land Lease Act) के अन्तर्गत सोवियत सघ को जो आर्थिक सहायता दी जा रही थी, उससे वह (रूस) पहले से ही असंतुष्ट था, क्योंकि सहायता एकदम ना-हाफी थी । किन्तु यूरोप में विजय के उपरान्त राष्ट्रान्ति दमन ने अब यह आर्थिक सहायता भी एकाएक बन्द कर दी तो सोवियत रूस इससे भड़क उठा । अमेरिका द्वारा इस सहायता को रोकने और पश्चिमी शक्तियों द्वारा स्टालिन की सति पूर्ति की माँगों के विरोध ने मास्को को यह सन्देह विस्वास्त में परिणत कर दिया कि पाश्चात्य राष्ट्र साम्यवादी रूस के शत्रु हैं और उने फलते फूलते नहीं देखना चाहते ।

(vi) सोवियत विरोधी प्रचार अभियान—रूस पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति इस बात में भी बहुत असंतुष्ट था कि युद्धकाल में ब्रिटिश सरकार अपनी सेनाओं में निरन्तर सोवियत विरोधी साहित्य का प्रचार करती रही है । युद्धोपरान्त जहाँ पश्चिमी शक्तियों ने रूस पर पश्चिम के विरुद्ध विष-बमन का आरोप लगाया वहाँ रूस ने भी पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध यही गिनायत की । पश्चिमी प्रेस पहले आम साम्यवादी देश के प्रति घृणा प्रचार में सलग्न हो गयी । साम्यवादी स्वतंत्र को सूत्र बजा चढ़ा कर पेश किया जाने लगा और ऐसा वातावरण पैदा करने की सरसकत चेष्टा की जान लगी कि जनता में मास्को के भावी इरादों के प्रति नय और आशंका की भावनाएँ व्याप्त हो जायें । सोवियत सेनाओं के शक्ति के निरुद्ध पहुँचते ही अमेरिकन समाचार पत्रों में इस प्रकार के शीर्षक छपने शुरू हो गए—“साम्यवादी प्रसार से ईसाई सभ्यता के टूटने का खतरा”, “सोवियत मर विश्व का एकमात्र आशामक राज्य” आदि । जिस सोवियत सघ ने अस्त्र हानि सह कर अद्वयन शीर्ष के साथ दुर्दमनीय नाशों का पछाड़ा था और जिसके वल्लिदानों ने मित्र राष्ट्रों की विजय को सरल बना दिया था, उसी के विरुद्ध इन प्रकार का अन्तर्गत प्रचार मास्को को एकदम शरुप कर देने वाला था ।

(vii) ५ मार्च, १९४६ की पब्लिक रिलेशन 'फूस्टन बिल' ने सोवियत रूस को एकदम बोधला दिया । इसमें इस बात का स्पष्ट निर्देश था कि “हमें तानाशाही के एक स्वयं के रमान पर उनके दूसरे स्वयं के स्थापन को रोकना चाहिए ।” यह दूसरा स्वयं साम्यवादी साम्राज्यवाद के

के इतिहास में 'शीत-युद्ध' का जन्म एक इतना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विकास था कि इसने सम्पूर्ण विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया, यद्यपि इसके प्रधान केन्द्र कुछ देश ही थे।

१९४७ से वर्तमान समय तक के शीत युद्ध पर एक दृष्टि

१९४५ से १९८७ तक का काल 'शीत-युद्ध' के प्रारम्भ का काल था जिस पर पूर्ववर्ती विवरण में प्रकाश टाला जा चुका है। अब हम १९४७ के बाद के 'शीत युद्ध' के इतिहास की प्रमुख बातों की चर्चा करेंगे। द्वितीय महायुद्धोत्तर काल की सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ही 'शीत-युद्ध' की सन्तान है और इस अवधि में अरब तक जो भी घटनाएँ घटी हैं, उनका प्रधान कारण अधिकांशतः 'शीत-युद्ध' ही रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के जिस इतिहास का अध्ययन हम प्रस्तुत पुरस्वक में कर रहे हैं वह सम्पूर्ण इतिहास ही अपने आप में इस 'शीत-युद्ध' का इतिहास है। इसलिए प्रस्तुत सर्ग में कुछ प्रमुख घटनाओं का सक्षिप्त विश्लेषण कराते हुए 'शीत युद्ध' के उतार-चढ़ाव को बताया जायगा।

(१) १९४७ से १९५३ तक शीत युद्ध—१९४५ से १९५३ तक पश्चिमी देशों और रूस में सम्पुक्त राष्ट्र सभ के भीतर और बाहर अणुशक्ति के नियंत्रण व नियमीकरण, निःस्त्रीकरण, पराजित राष्ट्रों के साथ सशस्त्र-संधियों, जर्मनी, बर्लिन, यूरोपियन सुरक्षा समस्याओं, एशिया एवं अफ्रीका के अल्प विकसित राष्ट्रों के भविष्य आदि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के लगभग सभी प्रश्नों पर तीव्र वाद-विवाद तथा कूटनीतिक संघर्ष चला। रूस द्वारा मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में अक्टूबर १९४७ में यूरोप के नौ-साम्यवादी देशों के 'कॉमिन फॉर्म' (Cominform or Communist Information Bureau) की स्थापना के बाद से ही शीत युद्ध की उग्रता बढ़ती गई। रूस ने पूर्वी यूरोप पर अपने नियंत्रण को और भी अधिक कठोर बना दिया। शक्ति के दो घटे अथवा गूट या खेमे बन गये और उनमें अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों के विकास के लिए जो-सोड सपना हान लगी। रूसी दबाव के कारण फिनलैंड को मार्शल सहायता देने प्रस्ताव को अस्वीकार करना पड़ा। परन्तु एक साम्यवादी देश यूगोस्लाविया ने ही, अपने नेता मार्शल टिटो के नेतृत्व में, स्टालिन के प्रभुत्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मार्शल टिटो का यह कार्य 'शीत-युद्ध' की एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि जहाँ इसने एक तरफ गैर साम्यवादी देशों को नवीन चल प्रदान किया, वहाँ दूसरी तरफ रूस के दृष्टिकोण को और भी अधिक कठोर बना दिया। १९४८ में रूस ने बर्लिन की नाकेबंदी करके एक नया सफट उभार कर दिया। इस घटना ने 'शीत युद्ध' को एक

नया मोड़ दिया। बर्लिन के घेरे के समय ही दोनों पक्षों को ताकत आजमाने का पहले पहल वास्तविक मौका मिला और शीत युद्ध में इस बार अमेरिका का रूख पहले बार अत्यधिक कठोर हो गया। यद्यपि रूस की बर्लिन नाकेबंदी असफल सिद्ध हो गई और मई १९४८ में इस नाकेबंदी को समाप्त कर दिया गया, परन्तु इस घटना का एक गम्भीर परिणाम यह निकला कि अब सोवियत सभ का विरोध करने के लिए अमेरिका तरह-तरह के सैनिक-संगठनों की स्थापना करने की दिशा में सभिया हो गया।¹ दूसरी ओर पहले से ही विनष्ट जर्मनी 'शीत युद्ध' का एक प्रधान केन्द्र बना रहा। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपने द्वारा अधिकृत जर्मनी के तीनों पश्चिमी क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया और इस तरह २१ सितम्बर, १९४६ को "जर्मनी के संघीय गणतन्त्र" (Federal Republic of Germany) अथवा पश्चिमी जर्मनी का उदय हुआ। मित्रराष्ट्रों अर्थात् उपरोक्त तीनों शक्तियों के इस कार्य के प्रत्युत्तर में ७ अक्टूबर, १९४९ को जर्मनी के रूसी क्षेत्र में "जर्मन प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य" (German Democratic Republic) अथवा 'पूर्वी जर्मनी' की स्थापना कर दी गई। इस तरह पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के दो जर्मन राष्ट्र अस्तित्व में आये और उनके एकीकरण का प्रश्न अभी तक शीत-युद्ध की बलिबेदी पर चटा हुआ है तथा निम्नलिखित में जर्मनी के संयुक्त होने की कोई आशा नहीं दिखाई देती।

रूस के कठोर होते गये रूस और साम्यवाद के प्रसार की नीति का उत्तर पश्चिमी शक्तियों ने ४ अप्रैल, १९४९ को 'नाटो' (NATO) की स्थापना करके दिया। शीत युद्ध का क्षेत्र केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, परन्तु एशिया भी इसको छपेट में आ गया। रूस ने टर्की और ईरान में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहा, परन्तु पाश्चात्य शक्तियों की सहायता से ये दोनों देश रूसी दबाव का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करते रहे। १ अक्टूबर, १९४९ को पेरिस में साम्यवादियों का जन गणराज्य स्थापित हो जाने से 'शीत युद्ध' में बड़ी गर्मी आ गई। साम्यवादियों की इस विजय ने रूस के सत्ताह को बहुत बड़ा दिया। संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर के अनुसार चीन सुरक्षा परिषद का एक स्थाई सदस्य है। परन्तु जब प्यागवाई शोक की राष्ट्रवादी सरकार भाग कर फारमोसा चली गई तो चीन की साम्यवादी सरकार ने महासभा एवं सुरक्षा परिषद में अपना स्थान पाने की माग की। परन्तु पश्चिमी गुट यह नहीं चाहता था कि सुरक्षा परिषद में सोवियत सभ का एक और समर्थक हो जाय। परिषद के ५ स्थाई सदस्यों में से २ साम्यवादी

हो जाने के डर से सयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन की नई सरकार को मान्यता नहीं दी और साम्यवादी प्रतिनिधि के मघ में बिटाने का घोर विरोध किया। साम्यवादी चीन की सदस्यता की मांग को इस प्रकार ठुकरा दिये जाने का रूस द्वारा तीव्र विरोध किया गया और एक बार तो उसने परिपद की बैठकों तक का बहिष्कार कर दिया। वास्तव में साम्यवादी चीन की मघ में सदस्यता के प्रश्न को लेकर शीत युद्ध में जिन कटुता और गम्भीर वैमनस्य का समावेश हुआ, उसने आगे वाले वर्षों में शीत युद्ध की भयकरता और पारस्परिक मतभेदों की तीव्रता को हर प्रकार से बढ़ाया। भारत ने भी चीन की सदस्यता के प्रश्न पर सदैव सोवियत गुट का समर्थन किया, यद्यपि अब यह समर्थन उतना सक्रिय प्रतीत नहीं होता जितना कि पहले था। मयुक्त राज्य अमेरिका के विरोध के कारण ही साम्यवादी चीन आज तक—सयुक्त—राष्ट्र सघ का सदस्य नहीं बन पाया है और यह प्रश्न आज भी शीत युद्ध-का-एक प्रमाण अङ्ग बना हुआ है।

बलिन-प्रश्न पर और मयुक्त राष्ट्र सघ में साम्यवादी चीन के प्रवेश की समस्या पर शीतयुद्ध की बड़ी हुई ख़ुमारी अभी कम भी न हो पाई थी कि जून १९५० में उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया गया जिससे 'शीतयुद्ध' ने कुछ समय के लिए 'उष्ण अथवा सशस्त्र युद्ध' का रूप धारण कर लिया। प्रत्यक्ष में यह युद्ध दो कोरियाई क्षेत्रों में था, परन्तु वास्तव में यह दोनों शक्ति गुटों के नेताओं रूस एवं अमेरिका के बीच था। सयुक्त राष्ट्र सघ न उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया और उसके शब्दों के नीचे अनेक देशों की, विशेषतः अमेरिका की सेनाओं ने दक्षिण कोरिया की सहायता की। परन्तु किसी भी पक्ष को निर्णयात्मक विजय प्राप्त न हो सकी और ८ जून, १९५३ को अन्ततः कोरिया में युद्ध विराम हो गया। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस की सरकारों ने युद्ध बन्द हो जाने का स्वागत किया किन्तु इन देशों का वास्तविक मन मुटाव का हृदयों में चलने वाला युद्ध समाप्त नहीं हुआ, फलतः शीत युद्ध जारी रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरिया युद्ध शीतयुद्ध की ही एक महत्वपूर्ण घटना थी। चैस्टर बॉल्स (Chester Bowles) के शब्दों में, "कोरिया युद्ध ने सभी ओर चीनी नीतियों को एव ही घुंके में एकर कर दिया।" चीन के लिए सोवियत सहायता की आवश्यकता स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गई और चीन और पश्चिमी राज्यों के सम्बन्ध और भी अमैत्रीपूर्ण हो गये।

1 Chester Bowles • The New Dimensions of Peace,

नियत सन्धय को रिया—'युद्ध चल रहा था, सभी सितम्बर १९५१ में अमेरिका और कई अन्य देशों ने जापान के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किये। इस को यह बात बहुत चुरी लगी और उसने इस एकपक्षीय कार्यवाही की खुर कर आलोचना की।

(२) १९५३ से १९५८ तक का 'शीतयुद्ध'—मार्च १९५३ में स्टालिन को मृत्यु के बाद शीतयुद्ध के इतिहास में एक नया मोड़ आया। स्टालिन उग्रवादी था और पश्चिम के प्रति कठोर नीति का पक्षपाती भी। उसका दख १९५३ ने प्रारम्भ तक शीतयुद्ध का एक प्रधान कारण बना था। सर एलबरी गैस-कोमने के अनुसार, '१९४७ के बाद यद्यपि स्टालिन ने पश्चिमी राष्ट्रों से कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित रखे परन्तु वह इतना अटक्काबाज और दुःसाध्य हो गया कि उसके साथ कार्य करना सहज नहीं था। जो सुझाव भी सामने रखा जाय उसको ही वह अस्वीकार कर देता था।' सोनाम्पयस स्टालिन के बाद के उत्तराधिकारी, क्रिगेपत, खुश्चेव ने समझौतावादी नीति को अपनाने की कोशिश की, यद्यपि शीतयुद्ध निरन्तर जारी रहा और आज भी वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक निर्णायक तथ्य बना हुआ है। अमेरिका के नेतृत्व में भी एक परिवर्तन आया और शीतयुद्ध के उन्नायक राष्ट्रपति ट्रूमैन के स्थान पर जनरल आइजनहोवर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अगस्त १९५३ में सोवियत संध का प्रथम आणविक परीक्षण हुआ और हृषियारो के क्षेत्र में विद्यमान खाई को धीरे-धीरे कम करने की आवश्यकता दोनों ओर से महसूस की जाने लगी।

परन्तु शीतयुद्ध की यह स्थिति एतदम अल्पकालीन ही रही क्योंकि रूस के विदेश मंत्री मोलोटोव और अमेरिका के विदेश सचिव डेलिस दोनों ही शीतयुद्ध के बाके छोड़के थे। एक तरफ तो हिन्द चीन के प्रश्न पर शीतयुद्ध में पुनः तेजी आ गई क्योंकि फ्रेंच साम्राज्यवाद के विरुद्ध वहाँ चलने वाले युद्ध में दोनों ही गुटों ने अलग-अलग पक्षों का पुर-जोर समर्थन किया, और दूसरी तरफ अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए सैनिक समझौते तथा सैन्य समठनों की स्थापना करने की नीति अपना कर शीतयुद्ध को बढावा दिया। अमेरिका ने किस तरह नाटो, सीटो और बगदाद पॅक्ट बनाए और इनके जवाब में किस प्रकार रूस ने वारसा पॅक्ट कायम किया—इन सबका सल्लेख हम प्रादेशिक समठनों के अव्ययन में कर चुके हैं। भारत में दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी कार्यवाहियों से एक दूसरे के प्रति सदेह और शकामों को दृढ़ बनाया तथा अपनी प्रत्येक कार्यवाही से न्यूनताधिक मात्रा में शीतयुद्ध को आगे बढाया। उदाहरणार्थ यदि सितम्बर १९५३ में रूस ने उसके और पश्चिमी देशों के मध्य के एक अन्तानमण प्रस्ताव को ठुकरा दिया

तो मार्च १९५४ में जब रूसो विदेश मंत्री मोलोटोव ने रूस के उत्तर अटलांटिक संधि में सम्मिलित होने के प्रश्न पर विचार करने की अपनी तत्परता जताई तो नाटो देशों ने इस सद्भावना का पूर्ण अवास्तविक और पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया व्यवस्था व सुरक्षा के आधारभूत सिद्धांतों के प्रतिबल बता कर इसका तिरस्कार कर दिया। जनवरी १९५६ में रूसी प्रधानमंत्री बुलगानिन ने राष्ट्रपति आइजन-होवर के सम्मुख एक रूसी अमेरिकन मंत्री व सहयोग संधि का प्रस्ताव रखा, परन्तु वह भी फंजीभूत नहीं हुआ। ऐसे प्रस्ताव समय-समय पर किए जाने रहे किन्तु पारस्परिक भयभेद व सदेह इतन गहरे थे कि कोई सफलता प्राप्त न हो सकी। संयुक्त राष्ट्र संधि, यूरोप, अफ्रीका, मध्यपूर्व, सुदूरपूर्व, आदि सभी क्षेत्रों में पूर्व और पश्चिम का सघर्ष बराबर जारी रहा। जापान और जर्मनी व पुन संश्लेषण ने दोनों ही गुटों में काफी तनाव उत्पन्न कर दिया। जर्मनी के भविष्य और वर्तमान के स्तर पर भी मतभेद न मिट सके। अणुसशस्त्र निर्माण और नियंत्रण पर कोई समझौते न हो सके। सुधार के सबसे प्रमुख प्रश्न निःसंश्लेषण पर दोनों ही गुटों में मतभेद बला—प्रस्ताव व प्रति प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते रहते, किन्तु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रत्येक प्रश्न पर शीत युद्ध के पृष्ठाधार में दोनों गुटों के दृष्टिकोण निर्धारित होने लगे।

१९५६ में हंगरी के प्रश्न ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव और शीतयुद्ध में पर्याप्त अभिवृद्धि की। पश्चिमी देशों ने रूस के 'अनाचार' की कटु निंदा की, और उधर रूस ने स्वयं नहर के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप मिश्र पर १९५६ में ही होने वाले एडनो फोर्बेस द्वारा उठाए गए आक्रमण को तीव्र भर्त्सना की। जून १९५७ में "आइजनहोवर सिद्धान्त" की घोषणा की गई जिसके अनुसार अमेरिकन कांग्रेस ने राष्ट्रपति को मध्य-पूर्व व किसी भी देश में अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए फौज भेजने तथा सैनिक कार्यवाही करने का अधिकार दिया। "आइजनहोवर-सिद्धान्त" की घोषणा के बाद मध्यपूर्व में 'शीतयुद्ध' में काफी तीव्रता आ गई। रूस ने पश्चिमी एशिया के लिए इस सिद्धान्त को एफएम अनुचित बताया तो अमेरिका और इंग्लैंड ने उस क्षेत्र में रूसी घुसपैठ व तोड़-फाट की कार्यवाहियों की निंदा की। कहने का अर्थ है कि १९५५ से १९५८ तक पश्चिमी एशिया शीतयुद्ध का भयंकर अखाटा बना रहा। वास्तविकता यही थी कि उस क्षेत्र के कम्युनिस्ट-राष्ट्र और तैज-रूसों पर प्रभुता कायम रखने के लिए दोनों पक्षों में घोर सघर्ष होता रहा। फारस के तेल-विवाद, हजेर नहर के गड़बड़, मेक्सिको में अमेरिकी फौजों की उतारने, ईरान की प्राप्ति आदि अवसरों पर दोनों ही

पक्ष ताल ठोक कर मैदान में डट गये। इस क्षेत्र में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जो शीत युद्ध का परिणाम न हो या उससे प्रभावित न रही हो।

(३) १९५८ से १९७० तक का शीतयुद्ध—इस समय के शीत-युद्ध के इतिहास को निम्न रूप में प्रकट करना सुविधाजनक होगा—

सुइचेव की अमेरिकी यात्रा तथा यू०-२ विमानकाण्ड—१९५६ में कुछ कारणों से शीत युद्ध में थोड़ी कमी आयी। ३ अगस्त को मास्को और वाशिंगटन से यह घोषणा हुई कि कुछ ही दिनों में सोवियत प्रधानमन्त्री सुइचेव मधुस्त राज्य अमेरिका और उसके बाद अमेरिकन राष्ट्रपति आइजनहोवर सोवियत सभ का भ्रमण करेंगे। इन समाचारों से प्रतीत होने लगा कि शीत युद्ध या तो समाप्त हो जायेगा या उसका प्रभाव नगण्य रह जायेगा।

दोनों देशों में बढ़ते हुए तनाव में कमी लाने के लिए श्री सुइचेव ने १५ सितम्बर से २८ सितम्बर, १९५६ तक अमेरिका की यात्रा की। यात्रा के दौरान तीन दिन तक राष्ट्रपति आइजनहोवर और सुइचेव में मत्रीपूर्ण वार्तालाप हुआ। श्री सुइचेव की यात्रा पर प्रकाशित सधुस्त वस्तु-व्य में कहा गया कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हैं कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों का निर्णय शान्तिपूर्ण साधनों तथा पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से किया जाना चाहिए।

शीत युद्ध के तनाव को कम करने और आपसी मतभेदों को समाप्त करने के लिए चार बड़े देशों (सधुस्त राज्य अमेरिका, सोवियत सभ, ब्रिटेन और फ्रांस) के शासनाध्यक्षों का एक शिखर सम्मेलन बुलाया जाना आवश्यक समझा गया। पर दुर्भाग्यवश शिखर सम्मेलन के आरम्भ से पूर्व ही १ मई, १९६० को यू०-२ विमान काण्ड हो गया जिसने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि करके अन्ततः शिखर सम्मेलन को असफल बना दिया। बात तब बहुत बढ़ गई जब राष्ट्रपति आइजनहोवर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि सोवियत सभ में सामरिक गतिविधियां बड़ी गुप्त रहती हैं, अतः किसी भी आवहिक आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिका ऐसी जामूसी कार्य-वाहिया करता है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इसकी मनाही नहीं है। इस घोषणा से सुइचेव आग बजूला हो गया। उसने ऐसी जामूसी उद्घाटनों को राष्ट्रीय अपमान बताने हुए इन्हें भविष्य में बन्द करने की मांग की और साथ ही यह धमकी दी कि भविष्य में इस प्रकार की किसी घटना से यदि युद्ध छिड़ गया तो उतका दायित्व मधुस्त राज्य अमेरिका पर होगा। यू०-२ काण्ड ने शीत युद्ध में जो तूफान खड़ा कर दिया उससे एक नै खूब लाभ उठाया। सुइचेव ने यह सिद्ध करने में कोई कसर

नहीं छोड़ी कि हम शांति का सबसे बड़ा प्रेमी और अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन है तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के लिए यही एक मात्र उत्तरदायी है।

रूसी चेतावनी के फलस्वरूप अब अमेरिकी अड्डों को इजाजत देने वाले देश यह अनुभव करने लगे कि यू०-२ विमानों को अपने देश में ठहराना भयंकर खतरा का मोड़ लेना होगा।

पेरिस शिखर सम्मेलन—यू०-२ विमान कांड की घटना से १६ मई, १९६० से होने वाले शिखर सम्मेलन की असफलता साफ नजर आने लगी। लेकिन ११ मई को नुरीम सोवियन में अरने एक भाषण में ख्रुश्चेव ने सम्मेलन की सफलता के प्रात आशांभिन कर दिया। ख्रुश्चेव ने कहा "संयुक्त राज्य अमेरिका के इस उत्तेजनापूर्ण कार्य से हम अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने के प्रयत्नों में शिथिलता नहीं लानी चाहिए। पेरिस में यू-२ का विषय नहीं उठाया जायेगा।"

लेकिन जब पेरिस में शिखर सम्मेलन शुरू हुआ तो ख्रुश्चेव ने यू-२ का प्रश्न उठाते हुए अमेरिकन जामूसी कार्यवाही की तीव्र निन्दा की। श्री ख्रुश्चेव ने बड़े ही नाटकीय ढंग से माग की कि अमेरिका को अपने जामूसी काम की निन्दा करनी चाहिए, इसके लिए माफो मागनी चाहिए, भविष्य में ऐसे उत्तेजक कार्य बन्द करने चाहिए और इस घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड देना चाहिए। ख्रुश्चेवने यहा तक कह दिया "यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका के साथ वार्ता करना निरर्थक समझता है और वह उसने भाग नहीं ले सकता। सम्मेलन को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाय ताकि यह अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जनवरी में हो सके।" ख्रुश्चेव ने शीत युद्ध को तब पराजय पटा पर पहुँचा दिया जब उसने डिगाल और मंक्मिलन से तो हाथ मिलाया, लेकिन जब राष्ट्रपति राइजनहोवर ने हाथ बढ़ाया तो ख्रुश्चेव ने इन्कार कर दिया। इतना ही नहीं ख्रुश्चेव ने अमेरिकन राष्ट्रपति को दिये गये दसों दाना व निमन्त्रण को वापस ले लिया और कहा कि राष्ट्रपति महोदय को अब रूस आने की आवश्यकता नहीं है।

रूसी नेता के इस दख से शिखर सम्मेलन असफल हो गया। आइजनहोवर के आश्वासन और डिगाल व मंक्मिलन के प्रतिरोध को दूर करने के प्रयत्न सम्मेलन को भंग होने में सहाय न सके। सम्मेलन के दूसरे नम्र में ख्रुश्चेव ने भाग ही नहीं लिया, अन्त सम्मेलन की कार्यवाही बन्द कर दी गई।

कैंनेडी का अमेरिकन राष्ट्रपति निर्वाचन होना और क्यूबा काण्ड—
ख्रुश्चेव ने पेरिस शिखर सम्मेलन की असफल बनाने के बाद अपने विभिन्न

भाषणों में आश्वासन दिया कि रूस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को बिगाड़ने का कोई कार्य नहीं करेगा। ८ नवम्बर, १९६० को अमेरिकन राष्ट्रपति के निर्वाचन में सीनेटर जान फिट्ज़राल्ड कॅनेडी की सफलता के बाद शीत युद्ध में नमी की आशा की जाने लगी। ख्रुश्चेव न कॅनेडी को अपनी बर्बादी में और प्रत्युत्तर में कॅनेडी न ख्रुश्चेव को बड़े आशावादी राष्ट्र लिखे।

दोनों नेताओं की आशाओं और उनके आश्वासनों का कुछ समय तक प्रभाव पड़ा और शीत युद्ध में कुछ थना आयी लेकिन मन् १९६२ में वयूबा के सकट ने पुनः एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी। वयूबा के प्रश्न पर एक बार फिर विश्व-युद्ध की सम्भावना उत्पन्न हो गई। सीमाग्यवश कॅनेडी और ख्रुश्चेव की बुद्धिमत्ता के कारण वयूबा का सकट समाप्त हो गया। सीधियत रूस ने वयूबा सकट पर सधर्ष क्षेत्र से हट जाना का निर्णय करके बड़ी सहनशीलता का परिचय दिया।

शीत युद्ध में शिथिलता—वयूबा सकट अन्तिम अवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को सुधारने और शीत युद्ध में शिथिलता लाने की दृष्टि से एक गुप्त बरदान सिद्ध हुआ। अब ख्रुश्चेव और कॅनेडी दोनों ही नेता विश्व-सन्धो-कारण की दृष्टि में प्रगति के लिए साराहनीय प्रयास करने लगे। परिणाम-स्वरूप शीतयुद्ध में काफी समय तक कोई वाद नहीं आयी। ५ अगस्त, १९६३ को रूस, अमेरिका और इंग्लैंड ने मास्को में आणविक परिक्षण पर रोक सम्बन्धी सन्धि पर हस्ताक्षर किये और वाद में चान, फ्रांस आदि कुछ राष्ट्रों को छोड़कर विद्व के सौ से भी अधिक राष्ट्रों ने सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये। इस सन्धि के फलस्वरूप दानों गुटों में तनाव कम हुआ और शीतयुद्ध ठण्डा पड़ गया। १९५५ को आस्ट्रिया की शांति सन्धि के बाद पूर्व और पश्चिमों का यह सबसे बड़ा समताता था।

ख्रुश्चेव और कॅनेडी दोनों ही के प्रयत्नों से शीत युद्ध में शिथिलता आयी और यह आशा की जाने लगी कि दोनों नेता आपसी विश्वास और शांति के बीज बो दगे, पर दुर्भाग्यवश २२ नवम्बर, १९६३ को कॅनेडी एक हत्यारे की गोली के शिकार बने और १५ अक्टूबर, १९६४ को ख्रुश्चेव अपद-स्थ हो गये।

कॅनेडी की मृत्यु के बाद लिम्बन जानसन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जानसन ने आश्वासन दिया कि अमेरिका की ओर से शीत युद्ध को फँलाने की कोई चेष्टा नहीं की जायेगी। नये राष्ट्रपति ने अपने शासन के प्रारम्भिक दिनों में इस वचन का पालन भी किया और ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जिससे यह आरोप लगाया जा सके कि अमेरिकी-प्रशासन शीतयुद्ध के फँलाव की चेष्टा कर रहा है।

दूमरी और खुश्चेव के पत्र के बाद अक्टूबर, १९६४ में रूस का नेतृत्व कोसिगिन और प्रोजनेव के हाथों में आया। इन दोनों नेताओं ने भी घोषणा की कि रूस खुश्चेव की विदेश नीति पर चलते हुए शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करता रहेगा, निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयास करेगा और शीत युद्ध को नहीं बढ़ायेगा।

सौभाग्यवश कुछ असें तक शीत युद्ध में शिथिलता आती गई, लेकिन बाद में वियतनाम युद्ध की तीव्रता और अरब इजराइल सघर्ष के फलस्वरूप एक बार फिर शीत युद्ध भटक उठा।

वियतनाम युद्ध, भारत पाक सघर्ष, अरब इजराइल संघर्ष और शीत युद्ध—सन् १९६४ में ही शीत युद्ध के तीव्र होने के आसार बगट होने लग गये। रूस ने कागो आदि में राष्ट्र सभ के शान्ति स्थापना सम्बन्धी कार्यों के व्यय व अपने अक्ष की अदायगी से इनकार कर दिया। अमेरिका ने मांग की कि यदि रूस अपना अक्ष अदा नहीं करेगा तो चार्टर के उन्नीसवें अनुच्छेद के अन्तर्गत उसे महासभा में मताधिकार से वंचित कर दिया जाय। इस घटना से शीत युद्ध बड़ा उग्र हो गया।

वियतनाम युद्ध में तीव्रता ने शीत युद्ध को और बढ़ावा दिया। अमेरिकन राष्ट्रपति जानसन ने वियतनाम के प्रति अत्यन्त उग्र और आक्रामक नीति का अनुसरण किया। उत्तरी वियतनाम की सीमाओं में घुस कर अमेरिकी वायुयान बम वर्षा करने लगे। वियतनाम युद्ध को अधिकाधिक फैलाने की कोशिश की गई। सोवियत रूस ने इन आक्रामक कार्यवाहियों का कड़ा विरोध किया। अमेरिका की वियतनाम नीति के कारण शीत युद्ध की लहर पहले से अधिक तेज हो गई।

सितम्बर, १९६५ में कादमोर को लेकर भारत पाक सघर्ष ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि की। पश्चिमी राष्ट्रों ने भारत के विरुद्ध अपना कूटनीतिक युद्ध चलाने में कोई कसर नहीं रखी। सौभाग्यवश उनकी शीत युद्ध बुरालला और कूटनीतिक पैतरेबाजी स्वर्गीय साल बहादुर शास्त्री की दृढ़ता और स्पष्टता के सामने विशेष सफल नहीं हो सकी।

जून, १९६७ में अरब इजराइल सघर्ष के समय शीत युद्ध और सशस्त्र सघर्ष के नाटक गगार को बरफ को मिले। सोवियत सभ ने अरब राज्यों का पक्ष लेकर अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह इजराइल को आक्रामक कार्यवाही के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बदलाव में अमरीका न इस सघर्ष के लिए सोवियत कूटनीति को दोषी ठहराया। पश्चिमी एशिया के सङ्कट को लेकर दोनों छुट्टों में इतना धक्का युद्ध चला कि उनके आपस में टकराने का

सकट पैदा हो गया। दोनों के जहाजी बेड़े भी भू-मध्य सागर में घबकर काटने लगे और अमेरिका व रूस जैसे महा शक्तिशाली के प्रत्यक्ष सघर्ष की नींवत आ गई। अरब और इजराइली नेताओं द्वारा भी जबरदस्त कूटनीतिक एव वाग्युद्ध लड़ा गया। यही शीतयुद्ध संसत्त्र युद्ध में परिणत हो गया जिसकी समाप्ति सयुक्त राष्ट्र सघीय हस्तक्षेप और अरब राष्ट्रों की आकस्मिक पराजय में हुई।

अरब इजराइल सघर्ष के समय सुरक्षा परिषद की प्रत्येक बैठक में शीत युद्ध का नजारा देखने को मिला। अमेरिका और सोवियत तब एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते रहे और एक दूसरे को परिचय एशिया के सकट के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे। अरब राष्ट्रों की पराजय के बाद सोवियत सघ के प्रति अरबों में सन्देह और अविश्वास व्याप्त हो गया, क्योंकि उसने युद्ध में अरबों की सघिय और प्रत्यक्ष सहायता नहीं की थी जब कि इजराइल को अमेरिका व ब्रिटेन दोनों से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता मिली थी। इस वातावरण को देखते हुए रूस ने अरब जगत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिये यह भाग का कि अरब इजराइल सघर्ष का मामला सयुक्त राष्ट्र सघ की महासभा में पेश किया जावे। १५ जून, १९६७ को जब महासभा में प्रश्न पर विचार होने लगा तो स्वयं रूसी प्रधान मन्त्री ने कार्यवाही में भाग लिया। कासीजिन ने महासभा में खुद ने एक प्रस्ताव पेश किया जो अरब भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला था। लेकिन परिचयी गुट उसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अतः १९ जून को बैठक में सोवियत प्रतिनिधि मण्डल ने महासभा से बहिर्गमन करके अरबों की सहानुभूति जीती। सोवियत प्रधान मन्त्री ने अमेरिकन प्रशासन पर कस-कस कर प्रहार किये। अरब इजराइल सघर्ष के सन्दर्भ में इस प्रकार शीत युद्ध आकाश छूने लगा।

ग्लासबरो का शिखर सम्मेलन— सोवियत प्रधान मन्त्री कोसीजिन ने जो महासभा के अधिवेशन में जाये हुए थे, अमेरिकन राष्ट्रपति जानसन से ग्लासबरो में भेंट की ताकि शीत युद्ध का गर्म वातावरण कुछ शान्त हो सके। दोनों शासनाध्यक्षों का यह शिखर सम्मेलन ग्लासबरो में २३ जून से २६ जून, १९६७ तक चला। दोनों नेताओं ने विद्यतनाम और परिचयी एशिया पर मुख्यतः विचार-विमर्श किया। निरुत्सुकता एव परमाणु शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक प्रश्न भी अछूते नहीं रहे। दोनों नेताओं का यह शिखर सम्मेलन चीन द्वारा हाईड्रोजन बम का परीक्षण किये जाने के प्रभाव से व्याप्त था। दोनों ही नेता इस बात को भली भाँति समझते थे कि

आणुगतिक से सम्पन्न चीन विश्व के दानों की खेपों के लिए खुलना ही सकता है।

आणुसुरा में गई सौदवात्री नहीं है। मुझे लेकिन इस सम्मेलन के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में अवश्य कमी आयी। पश्चिमा एशिया के सफट के सम्बन्ध में दानों महा शक्तियों के बीच सहमति का क्षेत्र कुछ अधिक बढ़ा। उस विश्व सम्मेलन के बाद चीन युद्ध की उपरता कम हो गई और दानों का महा शक्तियों के बीच अधिक नयमित माया का प्रयोग करने लगी।

वियतनाम युद्ध में शिथिलता और शीत युद्ध में कमी—१९६७-६८ में वियतनाम का प्रश्न शीत युद्ध का भटकाता रहा। सीमावर्ती वियतनाम में अमेरिकी नीति के विरुद्ध विश्व जनमन ने ही नहीं बल्कि स्वयं अमेरिकियों ने भी प्रबल आक्षेप दिये। उन बाध्य होकर राष्ट्रपति जानसन ने एक बार तो उत्तरी वियतनाम पर बम्बारी रोकने की घोषणा की और दूसरी ओर आ मन्त्रालय में पीठित होकर राष्ट्रपति पद के लिए पुन उम्मीदवार न हान का निम्नम व्यक्त किया। फलस्वरूप चीन की वियतनाम युद्ध शिथिल होना गया और शीत युद्ध ठण्डा पड़ना गया।

वियतनाम में शान्ति समझौता बानाये चले गये हैं और इस बात की पूरी सम्भावना दिखाने दे रहा है कि युद्ध समाप्त हो जाय और शीत युद्ध का एक महान् कारण खत्म हो जाय। जानसन के बाद निर्वाचित राष्ट्रपति रिमसन ने अक्टूबर, १९६९ तक हजारों अमेरिकी सैनिक वापस स्वदेश बुला दिये। दूसरी ओर उत्तरी वियतनाम की आक्रामक वायवायु भी कम होनी जा रही है। मितम्बर, १९६९ में उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति हाचामिन्ह की मृत्यु के बाद आ नये नेता प्रभुच में आय हैं, उन्होंने भी अभी तक युद्ध छोड़ करन में कोई व्यावहारिक रुचि नहीं दिखाने है। इस प्रकार वियतनाम युद्ध के शान्त हान के लक्षण प्रबल हैं।

मार्च, १९६९ का बर्लिन संकट और शीत युद्ध—यह हम कह चुके हैं कि शीत युद्ध उत्तार-चढ़ाव का नाटक रहा है। यद्यपि बपूका वागड के बाद ही शीत युद्ध में, शिथिलता आना गद है, लेकिन याव-वीव में विभिन्न कारणोंका उपन तापता भी आता रहा है। शीत युद्ध के शिथिल में एक बार सभी तरह आया अब पश्चिमा जमाना ने निश्चय किया कि ५ मार्च, १९६९ का संकट जनना के राष्ट्रपति का चुनाव पश्चिम बर्लिन में सम्पन्न दिया जाय। पूर्वो जमाने सरकार ने इस निश्चय का विरोध करत हुए कहा कि पश्चिम बर्लिन शर्मो नर १९६९ के राष्ट्रपति सम्मेलन के अधीन है, अतः पश्चिम बर्लिन की सरकार का इस तरह का समाराह करत इस पश्चिमी

जर्मनी का ही एक भाग सिद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है। पूर्वी जर्मनी न यह आरोप लगाया कि पश्चिमी जर्मनी के राष्ट्रपति का चुनाव बर्लिन में कराने का निर्णय पूर्वी जर्मनी के दावे के खण्डन के लिए किया गया है।

पूर्वी जर्मनी ने केवल मौखिक विरोध ही नहीं किया बरन् पश्चिमी बर्लिन जाने वाले मार्गों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया ताकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाला निर्वाचक मण्डल बर्लिन न पहुँच सके। लेकिन पश्चिमी जर्मनी भी इस बात पर तुल गया कि राष्ट्रपति का चुनाव पश्चिमी बर्लिन में ही किया जायगा। अतः वायुयानों द्वारा (हवाई यातायात प्रतिबन्ध से मुक्त है) निर्वाचक मण्डल अपने दल बल सहित पश्चिमी बर्लिन पहुँचा। पश्चिमी जर्मनी को इस सम्पूर्ण कार्यवाही में पश्चिमी राष्ट्रों का पूरा पूरा समर्थन था। यद्यपि पूर्वी जर्मनी ने, जो हम समर्थित है, उग्र विरोध प्रगट किया और स्वयं रूस ने भी पश्चिमी जर्मनी को स्थिति से बचाने की चेष्टा-वनी दी, तथापि राष्ट्रपति का चुनाव कार्य शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया। इन प्रश्नों को लेकर सोवियत संघ ने कोई बड़ा पूर्व पश्चिम संकट खड़ा नहीं किया क्योंकि इसमें उसका कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा था। उल्टे इसका दो बातों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता था—प्रक्षेपास्त्रों के बारे में रूस द्वारा प्रस्तावित वार्ता पर तथा नये अमेरिकन राष्ट्रपति निकसन के साथ सोवियत संघ के शिखर सम्मेलन की योजना पर। सोवियत संघ के समय और पश्चिमी राष्ट्रों की हठना के फलस्वरूप स्थिति बिगड़ने से बच गई और शीत युद्ध पुनः शुरू होने से रुक गया। यह भी कहा जाता है कि बर्लिन में चुनाव सम्पन्न होने के तीन दिन पहले ही २ मार्च, १९६९ को हसी-बोनी रीनिको में एक सैनिक सङ्घ हो गई थी, अतः रूस ने बर्लिन संकट पर अधिक ध्यान नहीं दिया।

शीत युद्ध की वर्तमान स्थिति

यह कहना तो भ्रामक होगा कि शीत युद्ध अब समाप्त हो गया है, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि इसकी उग्रता हाल के वर्षों में काफी घटी है। आज स्थिति यह है कि दोनों ही गुट स्पष्ट रूप से महसूस करने लगे हैं कि बिना एक सहारक महायुद्ध के दूसरे गुट का दमन सम्भव नहीं है और यदि ऐसा कोई महायुद्ध छिड़ा तो दोनों ही पक्षों का लगभग पूर्ण विनाश हो जायेगा। अतः शीत युद्ध को अनावश्यक रूप से भड़का कर 'वास्तव-युद्ध' में परिणत कर देने से दोनों ही महाशक्तियाँ हिचक रही हैं। इस अनुभूति ने दोनों ही पक्षों को सहअस्तित्व की अनिवार्यता में विश्वास दिला दिया है जिससे शीत युद्ध की गर्मी एक बड़ी सीमा तक शांत हो गई है और उतने एक

प्रकार के 'ठण्डे सहअस्तित्व' (Cool Coexistence) का रूप धारण कर लिया है। रूस ने पश्चिम के अस्तित्व को मिटाने का सकल्प स्वप्न समझ लिया है और पश्चिम में भी यह एक आम-विश्वास फैल रहा है कि रूस कुछ विवादों को मुलजाने में तो अवश्य ही निष्कपटता रखता है। फिर भी कुछ निराशावादियों का यही कहना है कि रूस का विश्वास करना पश्चिमी देशों का भ्रोलापन है। यह मत सम्भवतः विश्व के अधिकांश वर्ग और अधिकांश जनता को स्वीकार्य नहीं होगा।

शीतयुद्ध के १९५३ के बाद के इतिहास से, और विशेषकर ब्यूवा-सकट की समाप्ति के बाद से निष्कर्ष यही निकलता है कि यद्यपि समय समय पर ऐसी घटनाएँ होती रही हैं जिनसे मौके-मौके काफी अन्तर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न हो जाता है, फिर भी जैमाकि एडवर्ड ब्रेकशा का मत है कि—'ब्यूवा के बाद से ज्वार एक ही दिशा में बह रहा है। वार्शिंगटन के साथ एक लगातार और द्रुत कथोपकथन के साथ 'उष्ण स्थलों का एक क्रमिक शीतलीकरण' (Damping down) हुआ है।'¹

शीत युद्ध केवल 'पूर्व' और 'पश्चिम' की विशेषता ही नहीं रही है बल्कि स्वयं साम्यवादी दुनिया में भी इसने अपना प्रभाव दिखाया है। साम्यवादी दुनिया में 'शीत युद्ध के नेता सोवियत रूस और साम्यवादी चीन हैं। जहाँ रूसी स्टालिन की मृत्यु के बाद से ही सहअस्तित्व के प्रति पूर्वापेक्षा अधिक आश्चर्य हुए हैं वहाँ चीन साम्यवादियों का कहना है कि पूँजीवाद के साथ समाजवाद का अस्तित्व एक बेतुकी बात है। स्वयं को सत्कार का सबसे बुद्धिमान और विवेकशील तथा युद्ध-अनुभवी समझने वाले माओत्सेतुंग का अलाप है कि देवता और दानव एक साथ अगल-वगल में नहीं रह सकते। दानव रूपी पूँजीवाद का विनाश करना प्रत्येक साम्यवादी का परम पुनीत कर्तव्य है। उसका मत है कि जो साम्यवादी शान्तिपूर्ण सहजीवन की बात करते हैं वे असली मार्क्सवादी नहीं हो सकते। इस प्रकार साम्यवादी दुनिया में चलने वाला यह भयंकर सैद्धान्तिक मतभेद 'एक ही घर में शीत युद्ध' वाली बात है। स्वयं इस में इस सैद्धान्तिक मतभेद के कारण अन्दर ही अन्दर दो गुट हैं—स्टालिनवादी गुट, जो पहले से ही विश्वमान है और ख्रिश्चत्ववादी गुट, जो सहअस्तित्व का पक्ष करते हैं। यद्यपि श्री ख्रिश्चव ना लगभग राजनीतिक सन्यास हो चुका है, किन्तु वर्तमान रूसी नेतृत्व अपनी विचारधारा में बहुत कुछ ख्रिश्चत्ववादी ही है।

साम्यवादी सत्तार के इस सघर्ष का प्रभाव पश्चिम द्वारा चलाये जाने वाले 'शीत युद्ध' पर निश्चित रूप से पड़ा है। पश्चिमी गुट यथासंभव ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते कि जिसमें कमलिन में स्टालिनवादी पक्ष को सहारा मिले। स्वयं सयुक्त राज्य अमेरिका को अधिकाधिक विश्वास होता जा रहा है कि पूंजीवादी विश्व के लिए अब साम्यवादी ऋण संभवतः इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि साम्यवादी चीन निकट भविष्य में हो सकता है। चीन की आक्रामक नीति से न केवल पश्चिमी राष्ट्र अपितु स्वयं इस सहित विश्व के अन्य शांतिप्रिय राष्ट्र नस्त हैं। सभी इन बात में अपना ओर विश्व का हित समझने लगे हैं कि या तो चीन को सहयोग का हाथ बढ़ाने के लिये विवश कर दिया जाय या फिर उसे अकेला बना दिया जाय। इसके साथ ही अब यह नवीन चर्चा भी चल पड़ी है कि एक ऐसा दिन भी आ सकता है जब चीन के विरुद्ध अमेरिका और सोवियत रूस का एक सयुक्त मोर्चा बन जाय।¹ रूस और चीन के सैद्धान्तिक मतभेद खुट-पुट तथा सीमा-सघर्ष शीत युद्ध में निश्चित रूप से शिथिलता लाये है। अब देखना यह है कि ऐसी स्थिति कब तक कायम रहनी है। जहां तक शीत युद्ध की पूर्ण समाप्ति का प्रश्न है; इस बात की आशा निकट भविष्य में नहीं की जा सकती, क्योंकि युद्ध का कृत्रिम आतावरण अमेरिकन आर्थिक व्यवस्था को जिन्दा रखने के लिए आवश्यक है और इस हालत में शीत युद्ध की स्थिति कायम रहना भी जरूरी है।

अन्त में, शीत युद्ध के सम्बन्ध में यह बात याद रखनी जानी चाहिए कि 'शीत युद्ध के परस्पर विरोधी खेमों में यदा-कदा सेतुबन्ध (Bridge) का काम भारत सहित कुछ तटस्थ राष्ट्रों ने किया है, अन्यथा 'शीत युद्ध' में सलग्न राज्य के बीच कभी भी सघर्ष महायुद्ध हो सकता था। भारत ने 'शीत युद्ध' वाले राज्यों के मध्य सह-अस्तित्व स्थापित करने पर हमेशा बल दिया है और विश्व के सैनिक सगठनों को सदा निरस्त्राहित किया है।

सैद्धान्तिक संघर्ष बनाम शक्ति-राजनीति (Ideological Conflict or Power Politics)

अब हमें 'शीत-युद्ध' के एक दूसरे पक्ष पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिए। प्रायः यह कहा जाता है कि 'शीत-युद्ध' एक सैद्धान्तिक सघर्ष (Ideological Conflict) है जिसमें दो विरोधी जीवन-वृद्धतिया-उदारवादी लोकतन्त्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद—सर्वोच्चता के लिए सघर्ष-रत हैं। वास्तव में इससे इनकार करना आमक होगा कि शक्ति राजनीति के इस युग में सोवियत सघर्ष और सयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो एक विशेष प्रकार

की प्रतिद्वन्द्विता है, वह सचमुच सैद्धान्तिक है। इसके पीछे एक गहन सामाजिक दर्शन है जो अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का एक मुख्य कारण बन गया है। समुक्त राज्य अमेरिका सोवियत प्रणाली की एक अन्तर्राष्ट्रीय पटवन्त्र मानता है जिसका उद्देश्य अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करके अथवा एन-केन प्रकारेण अपना प्रभाव डालकर साम्यवाद का प्रसार करना है। दूसरी ओर सोवियत मध्य अपने कटु अनुभवों के आधार पर पड़ोसी देशों की प्रणालियों को शोषण, आनमण, हीनतर उपायों से भी स्वार्थ लाभ तथा सगठित लूट-खसोट के ऊपर आधारित मानता है। दोनों देशों और उनके पिछलग्गू राष्ट्रों के दृष्टिकोण परस्पर इस तरह विरोधी अथवा प्रतिकूल हैं कि उनका प्रभाव हर क्षेत्र पर पड़ा है और सर्वत्र रूस, अमेरिका के वैचारिक मध्यम प्रवेश कर गये हैं। यह वैचारिक अथवा सैद्धान्तिक मध्यम आज विश्व राजनीति का एक आधार बन चुका है और इसी मध्यम को जारी रखने एवं इसमें सफलता प्राप्त करने के प्रत्येक समभव उपाय सोचे जा रहे हैं।

दोनों राष्ट्र एक दूसरे के प्रति इतने सशक्त हैं कि अपनी व्यवस्था के रक्षार्थ उन्होंने गुप्तचरी का एक विश्वव्यापी जाल बिछा रखा है। सैद्धान्तिक मध्यम में और एक-दूसरे के दर्शन से अपने दर्शन को अथवा अपनी जीवन-व्यवस्था को थोड़ेतर सिद्ध करने के लिए प्रचार के सही-गलत माध्यम हैं, उनका निर्भर रूप से अनुसरण किया जाता है, प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देकर अविश्वसित देशों की मित्रता खरीदी जाती है, सामरिक सामग्रियों पर नियंत्रण किया जाता है और दुर्गल देशों के आर्थिक तन्तुओं पर भी कब्जा जमा लिया जाता है। इतना ही नहीं, अन्य देशों के अन्दर जो राजसत्ता के लिए मध्यम होते हैं उनमें भी किसी दल का पक्ष लेकर सैद्धान्तिक मध्यम को बढ़ाया जाता है।

इस तरह इस तथ्य में सदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि वर्तमान शीत-युद्ध का एक तबोपरि आधार सैद्धान्तिक अथवा वैचारिक मध्यम (Ideological Conflict) ही है। अर्नोल्ड टायनबी ने शीत-युद्ध को एक सैद्धान्तिक मध्यम मानते हुए विश्व-राजनीति की 'दि-ध्रुवी' व्याख्या की है। श्री टायनबी के अनुसार वर्तमान समय में विश्व राजनीति में केवल दो सिद्धांत और केवल दो शक्तियाँ हैं—उदारवादी लोकतन्त्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद और समुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस।

निष्कर्ष यह निकलता है कि शीत युद्ध को एक सैद्धान्तिक मध्यम की समा दी जाना गलत नहीं है। हाँ, यह कहना अवश्य धामक है कि १९वीं शताब्दी की शक्ति-मत्तुलन की राजनीति से सर्वथा भिन्न यह केवल एक सैद्धान्तिक

तिक मंघर्ष मान है। कहने का आशय यह हुआ कि शीत युद्ध और सौदागिक सघर्ष परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं बल्कि सौदागिक सघर्ष शीत युद्ध के एक प्रधान कारण के रूप में स्वीकार्य है। इस बात के अनेक प्रमाण हमारे सामने हैं कि सौदागिक मतभेदों पर चल दिये जाने के बावजूद शीत युद्ध शक्ति-राजनीति का २०वीं शताब्दी का संस्करण है। प्रथम, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की 'द्वि ध्रुवी' व्याख्या (Bi-polar interpretation) पूर्णतया सही नहीं है। भारत तथा एशिया और अफ्रीका के अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जो पाश्चात्य प्रजातन्त्र अथवा सोवियत या चीनी साम्यवाद में से किसी एक को भी पूर्णतः स्वीकार नहीं करते हुए एटर्नलिटी तथा अमलगनता की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। दूसरे, दोनों ही गुटों (रूसी व अमेरिकन) द्वारा कुछ ऐसे देशों को सहायता दी जा रही है जो इन सिद्धान्तों में विश्वास नहीं करते, जिनका संरक्षक होने का ये गुट दावा करते हैं। उदाहरणार्थ लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों में अलोकतांत्रिक और फासिस्ट प्रवृत्ति की सरकारें पाई जाती हैं, किन्तु फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं को उनका प्रधान संरक्षक मानता है। तीसरे, प्रत्येक गुट में समान सिद्धान्तों के बावजूद आंतरिक मतभेद विद्यमान हैं। रूसी अथवा अमेरिकन कोई भी गुट मतभेदों तथा नेतृत्व की होड़ से परे नहीं है। साम्यवादी गुट में चीन ने सोवियत संघ के विरुद्ध अगाधता का झंझट उठा रखा है तो पश्चिमी गुट में फ्रांस अपने गुट के विरुद्ध विद्रोह के मार्ग पर चल रहा है। चौथे, रूस और अमेरिका के मध्य का तनाव यह बताता है कि शीत युद्ध शक्ति-राजनीति (Power Politics) का ही एक रूप है। इन दोनों राष्ट्रों में संपर्क और प्रतिस्पर्धा का तीव्र विनाश इसलिए हुआ क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के विरुद्ध से बचे हुए संसार में यह दोनों ही राष्ट्रों विरुद्ध की महाशक्तियों के रूप में उदित हुए और अन्य किसी भी दिशा में चुनौती के अभाव में विश्व नेतृत्व के लिए सघर्षी हो गये और अब तो साम्यवादी चीन के रूप में एक तृतीय महाशक्ति का उदय हो रहा है जिसने इन दोनों महत्तर शक्तियों को सौदागिक सघर्ष के बावजूद परस्पर मंत्री और सहयोग की दिशा में अग्रसर होने को प्रेरित कर दिया है।

यूरोप का पुनर्निर्माण तथा पुनर्गठन

(RE-BUILDING AND RE-ORGANISATION
OF EUROPE)

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति घुरी राष्ट्रों की पराजय और मित्र राष्ट्रों की विजय में हुई। मानव इतिहास के एक अध्याय को इतिथो हो गयी और दूसरे का समारम्भ हुआ। इस महायुद्ध से पूर्व तक यूरोप विश्व इतिहास का निर्माता था, किन्तु अब वह आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व की दृष्टि से अपाहिज बन गया। महायुद्ध ने यूरोपीयन राष्ट्रों की राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक शक्ति को गहरा आघात पहुंचाया। प्राचीन काल का 'ससार को अनुशासित करने वाला यूरोप' (World Dominating Europe) महायुद्ध के बाद नवीन 'समस्या प्रधान यूरोप' (Problem Europe) बन गया। १९४५ में यूरोपीयन प्रभुत्व का एक प्रकार से जनाजा ही निकल गया।

युद्ध के समय की उखाड़-पछाड़ों के कारण अनेक राष्ट्रों की सीमायें बदल गयीं और कुछ राष्ट्रों की शक्ति का पूरी तरह विनाश हो गया। द्वितीय महायुद्ध के पहले जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत रूस, इटली आदि यूरोप के कुछ देश बड़ी शक्तियों में गिने जाते थे। लेकिन ६ साल की भयानक लड़ाई के कारण यूरोप का चित्र ही बदल गया। विश्व विजय का स्वप्न देखने वाला और उसे त्रियाम्वित करने की शक्ति और कोशिश वाला जर्मनी पराजित, बर्बाद और विभाजित हो गया। इटली को घातक राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इटली की भाँति ही फ्रांस का भी बुरा हाल था। उद्योग औद्योगिक और कृषि उत्पादन चौंटा हो गया। जर्मनी द्वारा दिये गये विनाश से इसे जो हानियाँ उठानी पड़ीं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए उसे

बहुत दिनों तक प्रमत्त करने पड़े। ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था घातक रूप से प्रभावित हुई। एक प्रमुख ऋणदाता राष्ट्र से उसकी स्थिति एक ऋणि या कर्जदार राष्ट्र की हो गयी। सोवियत रूस की जन-जन की भारी हानि हुई, किन्तु फिर भी वह पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली बन गया। युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि अब सत्तार में दो ही महानतम शक्तिशाली रह गयी हैं— सोवियत सभ और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दोनों ही देश प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों के रूप में उदित हुए और युद्धोत्तर विश्व तैजो से इनके प्रभाव क्षेत्रों में बढ़ता गया।

युद्ध-जनित परिवर्तनों के कारण यूरोपीय महाद्वीप के देशों में एकदम अव्यवस्था और अस्थिरता आ गयी। युद्ध में हारे हुए राष्ट्रों के स्वरूप निरूपण, यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण और पुनर्गठन की समस्याएँ उठ खड़ी हुईं। शीत-युद्ध का शीघ्रगणेश हुआ और यूरोप के पुनर्व्यवस्था के प्रश्न पर विजेता शक्तियों में मतभेद खड़े हुए। इन मतभेदों के बीच सामंजस्य स्थापित करने तथा स्थाई शांति का निर्माण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन बुलाये गये और इनमें भारी विचार विमर्श के बाद यूरोप का एक नया रूप सामने आया।

यह कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद योरोप की परिस्थितियों में परिवर्तन आये उनका उदाहरण आधुनिक इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता। सोवियत रूस को छोड़कर शेष सारा यूरोप शक्ति राजनीति में इतना पिछड़ गया कि एरिक फिस्चर (Eric Fischer) आदि इतिहास के अनेक विद्वान 'योरोप का समय गुजर गया' (The passing of the European age) आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। विलियम फॉक्स (William T R Fox) का कहना है कि योरोप का सत्तापूर्ण प्रभाव बदल कर समस्यापूर्ण बन जाना ही हमारे समय की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक केन्द्रीय तथ्य है। योरोप की शक्ति क्षीण होने के कारण इसका स्थान अन्य दूसरे राष्ट्रों द्वारा ग्रहण किया जाने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की महान् शक्ति के रूप में उदित हुआ। योरोप के अधिकांश देश दूसरे या तीसरे नम्बर की शक्ति बन गये। शक्ति-राजनीति में इत उलट-फेर के अनेक कारण बताये जाते हैं। पहला तथा महत्वपूर्ण कारण तो द्वितीय विश्व युद्ध ही है जिसने योरोप के देशों को सैनिक शक्ति को समाप्त प्रायः कर दिया तथा वहाँ की आर्थिक स्थिति को डाबाडोल बना दिया। युद्ध के समय हथियारों तथा युद्ध की अन्य सामग्रियों का भारी मात्रा में निर्माण होने से आवश्यक चीजों के तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन को सटका लगा और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

में योरोप कुछ पिछड़ने लगा। खर्चा बढ़ जाने के कारण एव रक्षा बजट कई गुना हो जाना व कारण यहाँ की जनता पर करो का भार बढ़ गया। इसके अतिरिक्त योरोप व देशों का एशिया तथा अफ्रीका आदि महाद्वीपों में जो साम्राज्य फैला हुआ था वहाँ भी नवजागरण का उदय होना लगा तथा योरोप के देशों की सत्ता वहाँ से तिमटने लगी। इन सब आन्तरिक तथा बाह्य कारणों व परिणामस्वरूप योरोप का जो रूप हमारे सामने आया उसे देख कर हेरल्ड तथा मार्गरेट स्प्राउट (Harold and Margaret Sprout) का कथन तथ्य समत ही प्रतीत होता है। वे कहते हैं कि "अब राजनैतिक शक्ति एव विश्व नेतृत्व में केन्द्रीय तथा पश्चिमी योरोप का एकाधिकार नहीं रहा है।"

कुछ विचारकों के मतानुसार योरोप की शक्ति का ह्रास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही प्रारम्भ नहीं हुआ था यह बहुत पहले से ही शुरू हो गया था किन्तु फिर भी बाद में अनेक व्यापारिक, प्राकृतिक, राजनैतिक एव आर्थिक कारणों से इस प्रक्रिया की गति तीव्र हो गई। शीत युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण बढ़ी शक्तियों के बीच जो मतभेद तथा अतृप्त्यपूर्ण वातावरण तैयार हुआ उसने युद्ध से उत्पन्न धाँस की पूर्ति को कठिन बना दिया। अब सारा विश्व का गुटों में विभाजित हो गया—साम्यवादी तथा असाम्यवादी। इन गुट राजनीति व परिणामस्वरूप जर्मनी का दो भागों में विभाजन कर दिया गया तथा भविष्य में उसका एकीकरण की आशा ही खूब गई। यूरोप की इन परिवर्तित परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया कि यहाँ के करोड़ों निवासियों व कल्याण एव सु-व्यवस्थित जीवन यापन के लिए योरोप का पुनर्निर्माण किया जाय।

शान्ति स्थापना के प्रयास

(Peace Making Attempts)

द्वितीय विश्व युद्ध के भयानक परिणामों तथा अणुशक्ति के आविष्कार के कारण तृतीय विश्व युद्ध की आशंका का हार बीमत्त पर निवारण करने के लिए मानवता तैयार हो गई। विश्व के प्राय सभी राजनीतिज्ञ दिल से यह चाहते लगे कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थायी स्थापना का कोई मार्ग खोज निकाला जाय, किन्तु शान्ति को स्थायी बनाने से पूर्व उसे स्थापित करना आवश्यक था। इसके लिए विजेता राष्ट्रों के नेताओं ने सोचा कि इस बार कोई सामान्य शान्ति सम्मेलन नहीं बुलाया जाये क्योंकि इस प्रकार के प्रयासों की असफलता का अनुभव इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुआ था। इसी कारण ब्रिटेन, अमरीका तथा सोवियत संघ की सरकारों ने पोर्टस्मथ (ब्रिटेन)

सम्मेलन, जुलाई-अगस्त, १९४५ में विदेश मंत्रियों की एक परिषद का निर्माण किया। इसमें तीन बड़े (ब्रिटेन, रूस व अमेरिका) तथा फ्रांस और चीन-इस प्रकार पाच राष्ट्रों के विदेश मंत्री थे। इस परिषद का कार्य शान्ति समझौते से सम्बन्धित आवश्यक कदम उठाना था। इस परिषद के निर्णय सर्वसम्मति से होने से अतः इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक था कि सभी बड़ी शक्तियाँ एक मत हों।

इस परिषद की प्रथम बैठक लन्दन में सितम्बर-अक्टूबर, १९४५ में हुई तथा इसके बाद इस परिषद के इटली, रूमानिया, बल्गारिया, हंगरी और फिनलैण्ड आदि देशों के साथ सन्धि करने के लिए सितम्बर १९४५ से दिसम्बर १९४७ तक विभिन्न सम्मेलन बुलाये गये। ये पेरिस, न्यूयार्क, मास्को तथा लन्दन आदि स्थानों पर हुए। एक पाचो राष्ट्रों के बारे में शान्ति समझौते इन शर्तों के अनुसार किये जाने थे जो उन्होंने आत्म-समर्पण करते समय लगाई थी। यह व्यवस्था की गई कि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका तथा रूस मिल कर इटली के साथ की जाने वाली सन्धि का मसौदा (Draft) तैयार करेंगे। रूस, अमेरिका व ब्रिटेन द्वारा बल्कान क्षेत्रों के लिए सन्धि का मसौदा तैयार किया जायेगा और फिनलैण्ड के लिए मसौदा तैयार करेगा व कार्य ब्रिटेन तथा सोवियत रूस करेंगे। बाद में इन सभी मसौदों पर मित्र राष्ट्रों तथा उनके समर्थक सभी राष्ट्रों के एक सामान्य सम्मेलन में उस पर विचार किया जायेगा। इस सम्मेलन की मित्फारिंगो की ध्यान में रखकर सन्धियों के अन्तिम रूप का निर्धारण विदेश मंत्रियों की परिषद द्वारा ही किया जाता था। इन पाच राज्यों के लिए सन्धि का मसौदा तैयार करने के काम का निरीक्षण करने के लिए विदेश मंत्री परिषद ने पेरिस में दो सम्मेलन किये (१९४६)।

सन्धियों के मसौदों तैयार हो जाने के बाद इन पर विचार करने के लिए पेरिस में एक सामान्य सम्मेलन (General Conference) बुलाया गया। सन्धि मसौदों के लगभग ६० अनुच्छेद ऐसे थे जिन पर विदेश मंत्री परिषद एकमत न थी। इन मसौदों को सामान्य सम्मेलन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मई १९४६ की २६ जुलाई से १५ अक्टूबर तक इक्कीस राष्ट्रों के लगभग पन्द्रह सौ प्रतिनिधियों ने सन्धि मसौदों पर अनुच्छेदों के अनुसार विचार किया। कैम्पबेल (Campbell) महोदय का विचार है कि "इस सम्मेलन में विचार विमर्श का जो तरीका अपनाया गया तथा प्रतिनिधियों द्वारा जो दृष्टिकोण रखा गया उसके कारण किसी सर्वमान्य समझौते पर पहुँचने की सम्भावना ही समाप्त हो गई।" अनेक राष्ट्रों ने सम्मेलन पर

बड़ी शक्तियों के अतिशय प्रभाव का विरोध किया तथा इसी प्रश्न पर असंतुष्ट होकर आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने सम्मेलन को ही छोड़ दिया ।

सन्धियों की मुख्य मुख्य धारामें

(The Main Provisions of Treaties)

पेरिस में होने वाला सामान्य सम्मेलन प्रायः असफल ही माना जाता है किन्तु फिर भी इस सम्मेलन का महत्त्व है क्योंकि इसमें जो संधियों की गई थी उन पर विदेश मंत्री सम्मेलन में बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया तथा उनमें से कुछ को अपनाया भी गया । सन् १९४६ में विदेश मंत्रियों को इस परिपद की व्याख्या में बैठक हुई । इस बैठक में पाँचों सन्धियों की शर्तों को अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया । इन सन्धियों की मुख्य मुख्य बातें निम्न प्रकार थी—

(१) इटलियन प्रायद्वीप का अधिकांश भाग, इटली का कुछ सीमा-वर्ती प्रदेश तथा ट्रिस्टे (Trieste) बन्दरगाह को मिलाकर एक स्वतंत्र प्रदेश बना दिया गया तथा इसे संयुक्त राष्ट्र सभ को सुरक्षा परिपद के निरोक्षण में रखा गया । इस उपपत्र को चारों ही बड़ी शक्तियों ने स्वीकार कर लिया किन्तु यथायंम यह मुझाव मंत्री के लिए असतोषजनक था ।

(२) इटली और यूगोस्लाविया के बीच सीमा रेखा खींचने के लिए अमेरिका तथा रूस दोनों की ओर से मुझाव आये थे । सम्मेलन द्वारा इन दोनों ही मुझावों के बीच का रास्ता अरनाया गया ।

(३) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली को जो सीमाएँ थीं उनमें कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया । ब्रिगा टेन्डा (Briga Tenda) तथा उसके अन्य कुछ छोटे क्षेत्र प्राप्त की दे दिए गए ।

(४) इटली के उपनिवेशों की व्यवस्था से सम्बन्धित विषयों को आगे के लिए छोड़ दिया गया तथा यह तय किया गया कि यदि विदेश मंत्री परिपद एक वर्ष के भीतर भीतर इस विषय पर कोई निष्पत्ति ले सके तो यह मामला संयुक्त राष्ट्र सभ की महासभा को सौंप दिया जायेगा और महासभा का निर्णय बाध्य होकर मानना पड़ेगा । फरव्र महासभा ने १९४९ के अन्त काल में इस समस्या पर विचार किया ।

(५) वह तय किया गया कि इटली इजान्ते के दरम ३६ करोड़ डॉलर की राशि बढ़ा करेगा । इस राशि का अधिकांश भाग यूनान तथा यूगोस्लाविया को दिया जाना था । हंगरी, चेकोस्लाविया तथा फिनलैंड में प्रत्येक पर इजान्ते की रकम दस करोड़ डॉलर रखा गई । इनका अधिकांश भाग सहायित

रूस को दिया जाना था। बल्गेरिया को दो करोड़ पाच लाख डालर यूगोस्लाविया को देना था तथा चार करोड़ पाच लाख ग्रीनान को देना था।

(६) रूमानिया ने बिसाराविया तथा बुकोविना पर रूस का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और सारा ट्रान्सिल्वानिया उसके स्वयं के अधिकार में आ गया।

(७) फिनलैण्ड ने पेतसामो प्रान्त सोवियत रूस को सौंप दिया तथा पचास साल के पट्टे पर हेल्सिंकी के पश्चिम की ओर उद्यीत मील दूर पोरकाला उद् (Porkkala-Udd) का क्षेत्र सोवियत रूस को ही नौ-सैनिक अड्डा बनाने के लिए दे दिया।

(८) सोवियत रूस की सहमति से बल्कान सन्धियों द्वारा डनूबे (Danube) में स्वतन्त्र नौ संचालन की गारंटी दी गई किन्तु बाद में रूस ने इस प्रकार की स्वतन्त्रता को नियामित होने से रोक दिया। चारों बड़े राष्ट्रों ने यह निश्चय किया कि सन्धियों के प्रभावशाली होने के छ मास बाद डनूबे पर एक अन्तर्राष्ट्रीय नौका संचालन सत्ता की व्यवस्था के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाय। इस प्रकार का एक सम्मेलन सन् १९४८ के जुलाई-अगस्त में ब्रैलगेट में बुलाया गया।

इन शांति सन्धियों द्वारा पराजित राष्ट्रों को आक्रमणकारी प्रयासों का समुचित दण्ड मिला और विजयी राष्ट्रों को उनकी क्षतिपूर्णे की व्यवस्था के लिए घन एवं प्रदेश दिलाने का प्रबंध किया गया। शांति-सन्धियों ने यूगोस्लाविया को बल्कान प्रायद्वीप में सर्व शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक लाभ रूस को हुआ। राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से भी पूर्वी यूरोप में रूस का अधिकार स्थापित हो गया। इन शांति-सन्धियों से पश्चिमी राष्ट्रों को आर्थिक अथवा प्रादेशिक दृष्टि से किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ, उल्टे भावी समझौते में रूस की मांगें उत्तरोत्तर बढ़ती गयीं जिनके परिणामस्वरूप मित्र राष्ट्र जर्मनी, जापान और आस्ट्रिया के साथ सामूहिक रूप से शांति सन्धिया करने में असफल रहे।

ये शांति सन्धिया यद्यपि १५ सितम्बर, १९४७ से अन्तिम रूप में लागू कर दी गयीं तथापि इन सन्धियों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। इनके अनेक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ अथवा उनकी उपेक्षा की गई।

आस्ट्रिया के साथ सन्धि

(Peace Treaty with Austria)

छोटे-छोटे राज्यों के साथ तो पाचों शान्ति सन्धिया सम्पन्न कर ली गईं, लेकिन आस्ट्रिया, जर्मनी और जापान के साथ शान्ति-सन्धि करने में

गम्भीर मतभेद और उग्र-तनाव बढ़ता गया। फिर भी आस्ट्रिया के साथ सन्धि करने की दिशा में कुछ अधिक आशा दिखाई दी।

द्वितीय महायुद्ध काल में १९४३ में मास्को सम्मेलन में यह निश्चय किया गया था कि युद्ध के बाद आस्ट्रिया की स्थापना पुनः एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में की जाएगी। लेकिन जुलाई १९४५ में एक अन्य समझौते के अनुसार न केवल आस्ट्रिया को चार क्षेत्रों में बांट दिया गया, बल्कि उसकी राजधानी वियना के भी चार टुकड़े कर दिए गए। फिर भी आस्ट्रिया की इच्छानुसार सरकार स्थापित करने तथा विदगी सम्बन्धों का समाप्त करने का अधिकार दिया गया।

युद्ध समाप्ति के बाद विदेश मंत्रियों की परिषद में आस्ट्रिया और जर्मनी का मामला अनेक बार उठा और गिरा। १९४७ के मास्को सम्मेलन में इस मामले पर पुनः विचार हुआ। पाश्चात्य शक्तिशाली और सोवियत रूस के मध्य मुख्य मतभेद तीन बातों पर था—

(i) दक्षिणी कैरन्थिया में आस्ट्रियन प्रदेश के एक भाग पर युगोस्लाविया का दावा, (ii) युगोस्लाविया द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में १५ करोड़ की धनराशि की मांग, एवम् (iii) जर्मन सम्पत्ति की परिभाषा।

अंतिम विवाद (जर्मन सम्पत्ति की परिभाषा का) अधिक बाधक प्रतीत था। सोवियत रूस का तर्क था कि आस्ट्रिया में किसी भी सदन द्वारा अधिकृत की गई जन सम्पत्ति पर उसका स्वयं का अधिकार है जबकि पश्चिमी राष्ट्रों को यह अस्वीकार्य था।

१९५५ के प्रारम्भ तक अनेक बार विचार विमर्श होने पर भी आस्ट्रिया का प्रश्न अन्तःकाल में लटका रहा। अप्रैल, १९५५ में आस्ट्रियन चांसलर ने अपने देश की निरपेक्ष नीति (Policy of Neutrality) घोषित की। तत्पश्चात् पर्याप्त सोवियत विचार के बाद, १५ जुलाई, १९५५ को आस्ट्रिया के साथ शांति सन्धि पर हस्ताक्षर हो गए। सन्धि पर मधुवत राज्य अमेरिका, रूस, फ्रैंक्रेन और आस्ट्रिया ने हस्ताक्षर किए। यद्यपि आस्ट्रिया एक प्रमुख गम्भिर, स्वतन्त्र और प्रजातन्त्रात्मक राज्य बन गया, लेकिन यह निश्चित कर दिया गया कि वह जर्मनी के साथ कोई राजनीतिक या आर्थिक सम्बन्ध नहीं बनाएगा तथा विस्फोटकारी शस्त्रों की दौड़ में नहीं उलझेगा।

जर्मनी के साथ सन्धि शर्तें

(Peace Talks with Germany)

युद्ध काट में ही जर्मनी के साथ शांति रचना के मिशनों को तय कर लिया गया था, लेकिन युद्ध के बाद सम्बन्धित पक्षों में इतना उग्र मतभेद

प्रकट हुए कि आज तक इस सम्बन्ध में विधिवत् कोई सधि सम्पन्न नहीं हो सकी है।

युद्ध की समाप्ति पर स्थिति यह थी चारों महाशक्तियों ने जर्मनी को चार क्षेत्रों में विभक्त कर उन पर अपना अधिकार जमा लिया था और चारों ही क्षेत्रों के प्रधान सेनापतियों को अपने प्रदेश में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त थे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी चार भागों में विभक्त कर दिया गया था। चारों राष्ट्रों की मित्र राष्ट्रों ने नियन्त्रण परिषद बर्लिन में फिर स्थापित हुई जो आपसी मतभेदों के कारण अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकी और १९४८ में समाप्त हो गयी।

युद्ध के बाद १९४६ में जर्मनी से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर हस्त एव अमेरिका में जबरदस्त खींचातानी होने लगी। इस की मांग थी कि जर्मनी को शक्तिशाली सघीय राज्य बनाया जाय और वह १८ वर्षों के भीतर दस अरब डालर क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करे। इसके अतिरिक्त रूस का अन्तर्राष्ट्रीयकरण किया जाय और पूर्वी सीमाओं का नये ढंग से निर्धारण हो। आंग्ल-अमेरिकन युट चाहता था कि जर्मनी में प्रजातांत्रिक सघीय सरकार की स्थापना की जाय, सेनाओं का पुनर्निर्धारण किया जाय और जर्मनी की हालत आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ बना दी जाय ताकि वह क्षतिपूर्ति आसानी से अदा कर सके।

पेरिस बैठक में अमेरिकन विदेश मन्त्री बर्नेस (Burnes) ने रूसी मंत्रियों को बम करने की दृष्टि से जर्मन निःशस्त्रीकरण और अस्त्रिकीकरण के सबब में एक २५ वर्षीय सधि का सुझाव रखा, परन्तु ९ जुलाई, १९४६ को मोलोटोव ने यह कहकर इस सधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि यह अपूर्ण है और इसका उद्देश्य जर्मनी के शक्ति का पुनरुत्थान करना है। इसके अगले ही दिन मोलोटोव ने परिषद में घोषणा की कि जर्मनी के साथ सधि करने से पूर्व एक ऐसी अखिल जर्मन सरकार की स्थापना की जानी चाहिए जो विमुक्त रूप से लोकतान्त्रिक हो और नाज़ी तत्वों को मूक करने में तथा मित्र राष्ट्रों के प्रति अपने दायित्वों को—विजयकर क्षतिपूर्ति के दायित्वों को पूरा करने में समर्थ हो। रूस के इस रवैये से अमेरिका, जर्मनी की आर्थिक एकता के प्रयत्न में लग गया और उसने घोषणा की कि वह जर्मनी की आर्थिक एकता की दृष्टि से जर्मन अधिकार-क्षेत्रों से सम्बन्धित सरकारों के साथ मिल-जुल कर काम करने को तैयार है। २० जुलाई, १९४६ को ब्रिटेन ने स्पष्टतया रूस को यह बता दिया कि यदि वह (रूस) जर्मनी की आर्थिक एकता के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा तो ब्रिटेन अमेरिका के प्रस्ताव को मांग लेगा और ब्रिटेन तथा अमेरिका के जर्मन अधिकार क्षेत्रों को समुच्चय कर दिया

जायगा। रूस की कटु आलोचनाओं अरु उसके उग्र विरोध का मित्र राष्ट्रों के निश्चय पर कोई प्रभाव नहीं पडा और १ जनवरी, १९४७ को ब्रिटिश-अमेरिकन अधिकार क्षेत्रों को मिला कर एक द्विक्षेत्र (Bizonia) का निर्माण किया गया। इस द्विक्षेत्र के प्रशासन हेतु एक संयुक्त बोर्ड, एक संयुक्त आर्थिक नियंत्रण बोर्ड एवं एक जर्मनी कार्यपालिका कमेटी की स्थापना की गयी।

स्पष्टतः उपरोक्त व्यवस्था जर्मन समस्या का कोई समाधान न थी। जनवरी १९४७ से मार्च १९४७ के मध्य जर्मनी और आस्ट्रिया की समस्या को हल करने के लिए विदेश-मन्त्रियों की अनेक बैठकें हुईं। १० मार्च, १९४७ से आरम्भ होने वाली मास्को की विदेश-मन्त्री परिषद की बैठक में जर्मन समस्या के सम्बन्ध में ५० दिन तक लम्बा वाद-विवाद होता रहा। परन्तु इसमें केवल दोनों पक्षों में कटुता और घमनस्य की वृद्धि ही हुई। तत्कालीन अमेरिकन विदेश-मन्त्री जॉन फास्टर डलंस के मतानुसार दोनों पक्षों में मतभेद के निम्नलिखित कारण थे—

१ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी का ऐसा पुनर्निर्माण चाहते थे जिससे भविष्य में जर्मनी कभी भी युद्ध न कर सके। जबकि रूस जर्मनी को पुनः मध्य यूरोप में एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का आकांक्षी था।

२ पोट्सडम सम्मेलन में तय हुआ था कि जर्मनी में अधिक शक्ति-सम्पन्न केन्द्रीय सरकार न हो, किन्तु रूस शक्तिशाली क्षेत्र में पलिन से संचालित होने वाली शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार, शक्तिशाली राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन तय के निर्माण का पक्षपाती था।

३. जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से निर्वहल बनाने के लिए पोट्सडम सम्मेलन ने यह व्यवस्था की थी कि युद्ध-सामग्री का उत्पादन करने वाले जर्मन कारखानों की मशीनों एवं अन्य साधनों क्षतिपूर्ति के रूप में रूस आदि को दे दी जायगी। रूस ऐसे बहुत से कारखाने व मशीनें अपने देश में ले गया लेकिन इन्हें चलाने में सफल नहीं हो सका। अधिकांश मशीनें रेलवे स्टेशनों पर पड़ी हुईं जंग खाने लगीं। अतः अब रूस यह चाहने लगा कि क्षति-पूर्ति के रूप में जर्मन कारखाने न उठाये जायें अपितु उन कारखानों में उत्पादित माल लिया जाय और इसके लिए जर्मनी का औद्योगीकरण हो और वह जर्मनी से १० अरब डालर का हर्जाना वसूल कर सके।

उपरोक्त मतभेदों के अतिरिक्त दोनों ही पक्षों में और भी कुछ मतभेद थे—

(1) पश्चिमी राष्ट्र जर्मनी का नया संविधान संघात्मक (Federal) बनाना चाहते थे जबकि रूस, आरम्भ में सहमत होने पर भी बाद में इसका विरोध करने लगा ।

(11) पश्चिमी देश राइन प्रदेश को जर्मनी से पृथक करना चाहते थे पर रूस इस बात से सहमत न था ।

(111) मित्र राष्ट्र इस पक्ष में थे कि जर्मनी के औद्योगिक व्यापारिक सर्धों तथा बड़ी जमीदारियों को नष्ट किया जाय, जबकि मास्को रूस पर चार सर्धियों के नियन्त्रण का और व्यापारिक सर्धों (Cartels) तथा जमीदारियों आदि की समाप्ति का पक्षपाती था ।

(11V) जर्मनी की पूर्वी सीमाओं के सम्बन्ध में भी वे एक मत नहीं थे । सोवियत रूस पोट्सडम सम्मेलन द्वारा निर्धारित सीमा को अन्तिम मानता था जबकि पश्चिमी राष्ट्र इसमें संशोधन के पक्षपाती थे ।

(V) सोवियत रूस द्विक्षेत्र (Bizonia) के निर्माण से बहुत नोबिन हो गया था । इसका अभिप्राय, पश्चिमी जर्मनी को शेष जर्मनी से पृथक करना था और रूर क्षेत्र से (जो खनिज मयदा का भण्डार था) सोवियत रूस को दूर रखना था । रूस की आकांक्षा थी कि "रूर क्षेत्र पर भी चारों राष्ट्रों का नियन्त्रण रहे ।"

(VI) पूर्व और पश्चिम की लोकमान्यताओं में आधारभूत अन्तर था क्योंकि पश्चिम ने निवासियों को विशेषकर अमेरिकन लोगों को—महायुद्ध से उत्पन्न धन जन के विनाश का उतना व्यावहारिक अनुभव नहीं था जितना रूसियों को था । मोलोटोव का कहना था "कनि पूर्ति का प्रश्न संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक भिन्न अर्थ रखता है जोर सोवियत मध के लिये दूसरा । संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति दूगरी होई । ताजा अधिकृत क्षेत्रों में उनके द्वारा किये गये विनाश, घोर दुष्कर्म और लूट पाट आदि का अनुभव करने के उपरांत सभी नागरिक जो महसूस करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग वैसा महसूस नहीं करते ।"

उपरोक्त सभी मतभेद इतने व्यापक और उग्र थे कि पूर्व और पश्चिम में कोई समझौता हो सकने की सम्भावना मास्को सम्मेलन में नजर नहीं आई और फलतः जर्मनी के साथ कोई रधि नहीं की जा सकी । अब मित्र राष्ट्र (ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस) रूस की उपेक्षा करते हुए अपने द्वारा अधिकृत जर्मन प्रदेशों के बारे में एक पदम और आगे बढ़े । जनवरी १९४७ में ब्रिटेन और अमेरिका द्विक्षेत्र (Bizonia) का निर्माण कर ही चुके थे, ३१ मई १९४८ को फ्रांस के साथ मिल कर उन्होंने, अर्थात् अमेरिका ब्रिटेन व फ्रांस

तीनों ने अपने-तीनों क्षेत्रों (Trizonia) के लिए एक केन्द्रीय सरकार बनाना स्वीकार कर लिया। २१ सितम्बर, १९४९ को पश्चिमी जर्मनी में सर्वोच्च गणराज्य (Federal Republic of Germany) की स्थापना हुई जो अब तक चला आ रहा है और जिसकी राजधानी बोन (Bonn) है। मित्र राष्ट्रों के सैनिक कमिशन ने पश्चिमी जर्मनी के इस सशय गणराज्य के प्रशासनिक अधिकार प्रदान किये। दूसरी ओर पूर्वी क्षेत्र में सोवियत संघ ने ७ अक्टूबर १९४९ को जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य (German Democratic Republic) की स्थापना की जिसकी राजधानी सोवियत क्षेत्र के बर्लिन में स्थित है।

बू कि अभी तक जर्मनी के साथ कोई शान्ति संधि सम्पन्न नहीं हो सकी थी, अतः वैधानिक दृष्टि से जर्मन और मित्र राष्ट्रों के मध्य युद्ध की अवस्था विद्यमान थी। सन् १९५१ में पाश्चात्य राज्यों ने अपनी तरफ से जर्मनी के साथ युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी और २६ मई, १९५२ को 'Contractual Agreements' के द्वारा पश्चिमी जर्मनी को व्यावहारिक स्वशासन प्रदान कर दिया गया। ५ मई, १९५५ को जर्मन नेताओं की बोन पार्लियामेन्टरी कौंसिल द्वारा 'जर्मनी के सशय गणराज्य का मौलिक कानून' (Basic Law of the Federal Republic of Germany) तैयार किया गया और उसे पश्चिमी क्षेत्रों के मित्र राष्ट्रीय सैनिक गवर्नरों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस अधिनियम द्वारा पश्चिमी जर्मनी पर से पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने सैनिक अधिकार समाप्त कर दिये और इस प्रकार सशय गणराज्यों की स्वाधीनता तथा सर्वोच्च प्रभुता प्राप्त हो गयी। सोवियत संघ ने भी २० सितम्बर, १९५५ को एक संधि द्वारा पूर्वी जर्मनी के जनतांत्रिक गणराज्य को पूर्ण स्वाधीनता और प्रभुता प्रदान कर दी जो वास्तव में मात्र सैद्धान्तिक ही थी क्योंकि व्यावहारिक रूप से पूर्वी जर्मन सरकार पर पूरा नियन्त्रण सोवियत संघ का ही है।

जर्मनी की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिए अभी तक एक प्रश्न चिन्ह बनाया हुआ है क्योंकि इसके सम्बन्ध में पाश्चात्य शक्तियों और सोवियत संघ के मध्य अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है। आज भी जर्मनी में दो सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य-जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य तथा जर्मनी का सशय गणराज्य मौजूद हैं।

यूरोप का आर्थिक विकास एवं एकीकरण

(Economic development and integration of Europe)

यूरोप का विकास करने के लिए पश्चिमी शक्तियों द्वारा मर्शल योजना आदि का प्रस्ताव किया गया किन्तु इन सभी योजनाओं को सोवियत

रूस तथा उसके गुट के अन्य देशों द्वारा बस्वीकार कर दिया गया। इस मतभेद के कारण कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बनाया जा सका जिसके द्वारा योरोप के सभी राष्ट्रों का विकास किया जा सके। हार कर दोनों गुटों द्वारा उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अलग-अलग योजनाएँ बनाई जाने लगी। महाद्वीप विभाजित हो गया तथा क्षेत्रीय आधार पर उसकी हानि पूर्ति करने के प्रयास किये गये। सभी देशों की लगभग समान समस्याएँ थी और उनको दूर करने के मार्ग भी प्रायः एक से ही थे। इन कारणों से इन देशों के बीच एक अभूत-पूर्व सहयोग के वातावरण का जन्म हुआ। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पश्चिमी योरोप का एकीकरण करने की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। पश्चिमी योरोप के देशों की सभी समस्याएँ प्रायः समान थी और इनको सुलझाने के लिए राजनैतिक, नैतिक तथा आर्थिक कदम उठाने परम आवश्यक थे। योरोप ने आर्थिक एकीकरण के लिये जो मुख्य-मुख्य कदम उठाये गये उनमें बेनेलक्स (Benelux), मार्शल योजना (Marshal Plan), दूपेन योजना आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका संक्षेप में परिचयात्मक विवरण नीचे दिया जा रहा है।

(१) बेनेलक्स

(Benelux)

योरोप के देशों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने का यह प्रथम महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह सन्धि बेल्जियम, नीदरलैंड्स तथा लक्सम्बर्ग-इन तीन देशों के बीच सितम्बर, १९४४ में ही कर ली गई थी। जनवरी, १९४८ से इसे संशोधित रूप में स्वीकार किया गया। पामर तथा परकिन्स के शब्दों में इस सन्धि द्वारा इसमें भाग लेने वाले सभी राष्ट्रों के बीच चुंगी (Custom duty) को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया तथा आयात पर एक समान टैरिफ कार्यक्रम की स्थापना की गई। यह बताया जाता है कि इस सन्धि का अन्तिम लक्ष्य पूर्ण आर्थिक-सह का निर्माण करना था। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने १ जनवरी, १९५० को इस प्रकार के सप प्रारम्भ करने की तिथि निश्चित की और बाद में इस तिथि को कई बार आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि इसे क्रियान्वित करने के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएँ थी। बाद में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब तक कुछ बड़े उद्योगों के विशेष हितों को और यहाँ तक कि राष्ट्रीय हितों को भी अधीनस्थ या शीघ्र नहीं बना दिया जाता तब तक पूरे योरोप के आर्थिक लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बेनेलक्स देशों का प्रारम्भिक प्रयास प्रचलनीय होते हुए भी पर्याप्त नहीं था तथा उसके क्षेत्र एवं प्रभाव का विस्तार किया जाना आवश्यक था।

मार्शल योजना एवं यूरोपीय आर्थिक सहयोग तथा विकास का संगठन (Marshall Plan and OECD)

साम्यवाद का खतरा बढ़ता जा रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका को यह आशंका होने लगी थी कि यदि योरोप के पिछड़े तथा युद्ध से पीड़ित देशों का उत्थान न किया गया तो वे सम्भवतः साम्यवाद का मार्ग ग्रहण कर लेंगे और इस प्रकार अमेरिका के हित खतरे में पड़ जायेंगे। यह अनुमान लगाया गया कि शायद इसी आशा में सोवियत रूस योरोप का आर्थिक विकास करने वाली किसी सन्धि में सम्मिलित नहीं हो रहा था। राज्य सचिव जार्ज सी० मार्शल द्वारा ५ जून, १९५७ को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दिये गये अपने भाषण में बताया कि योरोप के पुनरुद्धार के लिए प्रयत्न किया जाना परम आवश्यक था। एक ऐसी व्यर्थ व्यवस्था का पुनरुत्थान किया जाये जिसमें ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो कि जो स्वतन्त्र संस्थाओं का विकास कर सकें। मार्शल द्वारा योरोप को सहायता देने की योजना प्रस्तुत की गई जिसमें यह बताया गया कि योरोप के देश स्वयं यह बतायें कि उनको कैसी तथा किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। इस प्रकार पहले योरोप के देशों की ओर से ही होनी चाहिये, संयुक्त राज्य अमेरिका तो रूस माग को पूरी करने का प्रयास भर कर सकता है। मार्शल की घोषणा के बाद योरोप के १६ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा पुनरुत्थान के लिए किये जाने वाले सामूहिक कार्यक्रम पर विचार किया गया तथा बाह्य सहायता की मांग एवं महत्व को भी ध्यान में रखा गया। मोलोटोव तथा अन्य रूसी प्रतिनिधियों ने कुछ दिनों तक इस सम्मेलन में भाग लिया तथा बाद में उसे छोड़ कर चले गये। रूस की सरकार द्वारा मार्शल योजना के आधार की ही गलत बताया गया और इसे अमेरिकन साम्राज्यवाद का प्रतीक तथा छिपे हुए स सोवियत सश्र के विरुद्ध एक गठबन्धन माना गया। रूस के इस दृष्टिकोण का अनुगमन करते हुए चेकोस्लोवाकिया तथा पोलैंड आदि देशों ने भी योजना में भाग लेना अस्वीकार कर दिया। हर्बर्ट ल्यूथी (Herbert Luethy) के मतानुसार इस अवसर न पश्चिम तथा सोवियत गुट के बीच एक विभाजन रेखा खींची जिसके कारण योरोप का आगामी वर्षों का इतिहास प्रभावित रहा।

कठिनाइयों के बावजूद जुलाई १९४७ में १६ यूरोपीय देशों (दक्कैंट, फ्रान्स, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, ग्रीस, आइसलैंड, इटली, नार्वे, लक्जम्बर्ग, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड और टर्की) के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें एक यूरोपीय आर्थिक सहयोग समिति (Committee of European Economic Co-operation) की स्थापना की गयी और यूरोपीय पुनरुद्धार का चार वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया गया।

यूरोपियन आर्थिक सहयोग समिति ने समुक्त राज् अमेरिका को एक रिपोर्ट अर्पित की जिसमें कहा गया कि अमेरिका यदि १६ ३ बिलियन डालर धन राशि खर्च करने को तैयार हो तो मन् १९५१ तक एक आत्म-निर्भर यूरोपियन अर्थ व्यवस्था (Economy) की प्राप्ति की जा सकती है। यह रिपोर्ट 'मार्शल योजना' के नाम से प्रसिद्ध हुई। दिसम्बर १९४७ में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 'मार्शल योजना' में सम्बन्धित व्यय का अनुमान कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उक्त चार वर्ष की अवधि के लिए १७ अरब डालर और १५ महीनों के लिए ६ अरब ८० करोड़ डालर के खर्च का अनुमान लगाया गया। इस प्रस्ताव के उद्देश्य (Motive) की व्याख्या करने हुए ट्रूमैन ने कहा—'मेरा प्रस्ताव यह है कि अमेरिका उन १६ राज्यों को जो उसी की तरह स्वतन्त्र सस्थाओं की सुरक्षा एवं राष्ट्रों के बीच स्थायी शांति के लिए हठ सक्षम हैं, उनके पुनर्निर्माण कार्यों में सहायता देकर विश्व शांति एवं अपनी सुरक्षा में योगदान करें।'

'मार्शल योजना' की, जो अधिकृत रूप से 'यूरोपियन रिलीफ प्रोग्राम' (European Relief Programme) कहलाई कांग्रेस ने पास कर दिया। ३ अप्रैल, १९४८ को कांग्रेस ने 'विदेशी सहायता अधिनियम' पारित करके मार्शल योजना को मूर्त रूप प्रदान किया और इसको कार्यान्वित करने के लिए 'यूरोपियन आर्थिक सहयोग सगठन' (Organization for European Economic Co-operation) की स्थापना की गयी।

इस नवीन सस्था में अमेरिका और कनाडा पूर्ण सदस्य मान लिये गये। इस प्रकार अब यह केवल मात्र विशुद्ध यूरोपीयन सगठन ही नहीं रहा। १४ दिसम्बर, १९६० को इस सगठन के सम्बन्ध में जो मध्याह्ने स्वीकार किये गये उनके अनुसार इसके निम्नलिखित उद्देश्य और कार्य हैं—

(क) सदस्य देशों को उच्चतम आर्थिक विकास और रोजगार प्रदान करना तथा जीवन-यापन के स्तर को उन्नत बनाना,

(ख) आर्थिक स्थिरता बनाये रखते हुए विश्व की अर्थ-व्यवस्था के विकास में सहायक होना,

(ग) सदस्य देशों को और अन्य देशों में स्वास्थ्य, आर्थिक विस्तार और विकास में सहयोग देना,

(घ) विश्व व्यापार के ऐसे विस्तार में सहयोग देना जो बहुपक्षीय हो तथा विशेष भेदभाज न करने वाला हो।

उपरोक्त उद्देश्यों और कार्यों की पूर्ति के लिए सगठन के अन्तर्गत आर्थिक नीति समिति, व्यापार समिति, विनाश सहायता समिति आदि ना

गठन किया गया है। दिसम्बर १९६१ के एक निर्णय के अनुसार यह लक्ष्य रखा गया है कि संगठन के सदस्य राष्ट्रों के वास्तविक कुल राष्ट्रीय उत्पादन में १९६० से १९७० तक की १० वर्षीय अवधि में ५० प्रतिशत वृद्धि की जाए।

सार्वभूमिक योजना और उसके फलस्वरूप अस्तित्व में आये अन्य आर्थिक सहयोग संगठन के कारण यूरोप के देशों का औद्योगिक उत्पादन, कृषि की उपज, शोर्गों का जीवन-स्तर तथा पूरी अर्थ-व्यवस्था सुधर गई। देशों के आपस के व्यापारिक सम्बन्धों में सहयोग की स्थापना हुई तथा इस प्रकार पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद की आसक्तियों को अकल्पित बना दिया गया। इसने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं की प्राप्ति में सहयोग दिया। आर्थिक क्षेत्र में सहयोग के इस प्रयास ने उन्निक क्षेत्र में सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। इसने राष्ट्रवाद की बठोर दीवारों को भेद कर एकीकरण की आसक्तियों शिवाई तथा महाद्वीप को एकीकृत, सम्मन्न तथा शान्तिपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण कार्य किया।

शुमान योजना एवं यूरोपीय कोयला-स्पात समुदाय

(Shuman Plan and European Coal & Steel Community)

पश्चिमी यारोप का आर्थिक एकीकरण करने के लिए 'शुमान प्लान' के रूप में एक अन्य नवीन योजना सम्मुक्त आई। प्रायः इसे ऐसी आर्थिक योजना कहा जाता है जिसका लक्ष्य राजनैतिक था। जून, १९५० में बेल्जियम, नीदरलैण्ड, लक्जमबर्ग, फ्रांस, इटली और पश्चिमी जर्मनी, दे छ योरोपीय राष्ट्र फ्रांसीसी विदेश मन्त्री शुमान के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए। इस प्रस्ताव में यह बात थी कि इन सभी राष्ट्रों का कोयला तथा फौलाद का सारा उत्पादन एक सम्मिलित उच्च सत्ता के अधीन रखा जाय तथा इस प्रकार एक अति राष्ट्रीय राजनैतिक संस्था का निर्माण कर दिया जाय। इस रूप में यह योजना फ्रांस-जर्मनी की समस्या को मुलजाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम थी। इसके अनुसार एक योरोपीय सभ सभद का निर्माण करना था।

पेरिस की इन मेट के नौ मास बाद अर्थात् १८ अप्रैल, १९५१ को छ-देशों के विदेश मन्त्रियों ने सत्र के मसौदे पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार एक योरोपीय कोयला एवं फौलाद के समाज (European Coal and Steel Community) की स्थापना की जानी थी। इन सभी देशों ने एक के बाद एक इस मसौदे की स्वीकार कर लिया। १० अगस्त, १९५२ को ६ व्यक्तियों की एक उच्च सत्ता (High Authority) की स्थापना की गई। जीन मोनेट

(Jean Monnet) इसके चेयरमैन बनाये गये। बाद में इन सभी राष्ट्रों द्वारा कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाये गये जिनके कारण न केवल इस समाज को ही ठोस आधार प्रदान किया गया किन्तु योरोपीय एकता की सम्भावनाओं को भी बढ़ाया गया। योजना के लगभग चार वर्ष बाद शूमा प्लान को बार्द रूप दे दिया गया। अपने जन्म से लेकर आज तक इस योजना ने योरोपीय कोयले तथा फीलाद के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। इसकी उच्च शक्ति (High authority) द्वारा नीति सम्बन्धी अनेक निर्णय लिए गये हैं। योरोपीय एकता का इस समाज को एक नया प्रयोग माना जाता है। मई, १९५५ में सामान्य सभा (Common Assembly) को योरोप के आवागमन का एकीकरण करने के लिए बुलाया गया तथा इस सम्बन्ध में समाज की शक्ति एवं उत्तरदायित्व बढ़ाने के सुझाव माये गये। इन मन्त्रों द्वारा एक ही दो अतिराष्ट्रीय सम्मेलनों का सुझाव दिया गया जो कि योरोपीय एकीकरण की सम्भावनाओं पर आगे विचार कर सकें। २० मई को वेनेलक्स देशों की सरकारों के अन्य तीन देशों की सरकार को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा जिसमें आर्थिक क्षेत्र में एकीकरण बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई थी। बाद में सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों ने एक समिति नियुक्त की जो एकीकरण की योजना से उत्पन्न समस्याओं पर विचार कर सके।

यूरोपीय साक्षा-बाजार

(European Common Market)

शूमा योजना ने ही आगे चलकर यूरोपीय साक्षा बाजार की स्थापना को सम्भव बनाया। इसकी स्थापना शूमा योजना के सदस्यों द्वारा १ जनवरी, १९५८ को की गई। यह योजना आज भी जारी है। यह एक क्षेत्रीय योजना है जिसका उद्देश्य यूरोप के ६ देशों का आर्थिक एकीकरण करना है। ये ६ देश हैं—बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड तथा लक्जमबर्ग। कभीका के बहुत से राष्ट्र इसके छोटी सदस्य हैं। मद्यपि इस समुदाय का अन्तिम अथवा दीर्घवधि लक्ष्य यूरोप के देशों का राज-संघ बनाना है, लेकिन इसके तात्कालिक लक्ष्य आर्थिक हैं। आर्थिक लक्ष्य के रूप में समुदाय बनाने का एक मात्र उद्देश्य उत्पादन के क्षेत्र में बड़े पैमाने की उत्पादन प्रमाणी द्वारा उत्पादन करके विशिष्टीकरण और धन-विभाजन के लाभों को प्राप्त करना है। यह योजना इस आशा का परिणाम है कि ६ देशों के व्यापक क्षेत्रफल में पहले विस्तृत बाजार में बड़े पैमाने के उद्योगों को अधिक बुजालतापूर्वक चलाया जा सकेगा और इस प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से एकितशाली बनाया जा सकेगा।

साक्षात् बाजार की स्थापना न केवल यूरोप वरन् विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस समुदाय या मात्रा बाजार ने प्रचलनीय प्रगति की है और बड़े पैमाने के विस्तार जाँचकर लाभ सदस्य राष्ट्रों को प्राप्त हुए हैं। किन्तु यह कहना अनुचित न होगा कि इस प्रकार की योजनाएँ सच्ची अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता और मुक्त व्यापारक हित के घातक हैं।

यूरोप की सैनिक संधियाँ

(The Military Pacts of Europe)

यूरोप की आर्थिक उन्नति के साथ-साथ यह भी आवश्यक था कि उसे सैनिक रूप से भी समस्त बनाया जाये। कहा जाता है कि साविजन समझौते के बाद इंग्लिश नहर पर आक्रमण कर सकता है। पश्चिमी यूरोप तथा पूर्वी यूरोप के बीच प्राकृतिक अवरोध न होने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि यूरोप के इन दोनों भागों के बीच समुक्त राष्ट्र अमेरिका व सेनाय रखी जाय। आर्थिक क्षेत्र की भाँति यूरोप के देश अब सैनिक दृष्टि से भी एकीकृत होने जा रहे हैं। उत्तर अटलांटिक सैन्य गठन (NATO) के अधीन यूरोप ने समुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा स्वतन्त्र विश्व के अन्य सन्निगली देशों से भी अपना सम्बन्ध बना लिया है। पश्चिमी यूरोप के आठ देशों ने मिल कर एक पश्चिमी यूरोपीय संध (Western European Union) की रचना की है जिसे नाटो (NATO) के माध्यम से अमेरिका तथा ब्रिटेन का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। योरोपियन सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए जो सैनिक संधियाँ की गई वे निम्न प्रकार हैं—

डंकर्क संधि

(Dunkirk Treaty)

यह सन्धि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य ४ मार्च, १९४७ को ५० वर्षों के लिये की गई। इसका प्रयोजन सम्भावित वर्तमान आक्रमण के विरुद्ध पारस्परिक सैनिक सहायता है। ब्रिटेन तथा फ्रांस ने यह निश्चय किया कि (क) जर्मनी व आक्रमण करने पर, (ख) अनजाने द्वारा आक्रमण का प्रात्याहित करने की नीति स्वीकार करने पर, एवं (ग) समुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जर्मनों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने पर दाना देना एफ डूगरे का सैनिक तथा अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध करेंगे। इस संधि के द्वारा दोनों ही देशों ने एक दूसरे को यह भी आश्वासन दिया है कि वे दाना एफ डूगरे को निरन्तर आर्थिक सहयोग तथा सहायता प्रदान करेंगे।

ब्रुसेल्स-संधि

(Brussels Treaty)

१७ मार्च, १९४८ को ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, लक्जमबर्ग और

हाईड ने अर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग एवं सामूहिक सुरक्षा के उद्देश्य से ५० वर्ष के लिये यह संधि की। यह संधि वेन्जियम के ब्रूकेल्स नगर में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि उपरोक्त राष्ट्रों में किसी पर भी आक्रमण होता तो सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संधि के चार्टर की धारा ५१ के अनुसार उभका सैनिक सहायता करेगे। इन संधि के प्रमुख ध्येय इस प्रकार गिनाये जा सकते हैं—मूलभूत अधिकारों में विस्वास की पुष्टि तथा संधि के चार्टर में उल्लिखित अर्थों की पुष्टि, जन तन्त्र एवं स्वतन्त्रता का स्थायित्व, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों की स्थापना यूरोपियन धार्मिक पुनर्गठन मन्त्रालय, अन्तरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में सहयोग, युद्ध नीति के विरुद्ध माथा आदि।

उल्लेखनीय है कि १९५४ में पेरिस के समझौते से पश्चिमी जर्मनी और इटली भी यूरोपियन संधि सगठन में सम्मिलित हो गये हैं और अब इस सगठन का नया नाम पश्चिमी यूरोपीय संधि (Western European Union) रखा गया है।

उत्तरी अटलाण्टिक सन्धि सगठन (NATO)

ब्रूमलम सन्धि द्वारा सुरक्षा का जो गड तैयार किया गया वह उपयोगी होने पर भी पर्याप्त नहीं था। मनुष्य शक्ति एवं धन के अभाव में इस सगठन के लक्ष्यों को पूरा करना कठिन था, इसी कारण पश्चिमी योरोप के देशों ने संयुक्त राज्य अमरीका की ओर सहयोग तथा मैत्री का हाथ बढ़ाया। सैनिक, राजनैतिक तथा कूटनीतिक स्तरों पर एक-दूसरे समय तक विचार विमर्श होने के बाद वाशिंगटन में ४ अप्रैल, १९४९ को नाटो (NATO) पर हस्ताक्षर किये गये। हस्ताक्षर करने वालों में ब्रूसेलस सन्धि के पांच देश तथा कनाडा, डेनमार्क, आइसलैण्ड, इटली, नार्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमरीका—इस प्रकार कुल बारह देश हैं। नाटो सन्धि के निम्न लक्ष्य बताये जाते हैं—

- (१) सदस्य राष्ट्रों को उनकी स्वतन्त्र सत्वाओं का विकास करने का अवसर प्राप्त करना,
- (२) धार्मिक सहयोग को बढ़ावा देना,
- (३) सैनिक आक्रमण का विरोध करने के लिए सदस्य देशों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक सामर्थ्य को बनाना एवं विकसित करना,
- (४) पोरुप अथवा उत्तरी अमरीका में किसी एक या सब देशों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण को सभी देशों द्वारा अपने विरुद्ध आक्रमण समझा जाना।

यूनान तथा टर्की १९५२ में इस सन्धि में सम्मिलित हो गये तथा पश्चिमी जर्मनी १९५५ में आकर मिला। इस प्रकार सदस्यों की संख्या बढ़कर १५ हो गई। यह समझौता २० साल तक प्रभावकारी है किन्तु १० साल बाद यदि आवश्यकता हो तो विचार किया जा सकता है। सर्वोच्च सैनिक हंड-क्वार्टर्स को पेरिस में रखा गया है, नाटो के लिए पर्याप्त डिवीजन रखे गये हैं। फ्रांस चाहता है कि ब्रिटेन तथा यू० एल० ए० इस सन्धि से बाहर हो जाय। योरोप में वह स्वयं एक तीसरी शक्ति के रूप में उदित होने की महत्वाकांक्षा रखता है और इस प्रकार इस संगठन की सशक्तता कम पड़ने लगी है।

वारसा पॅक्ट या पूर्वो यूरोपियन संधि संगठन (Warsaw Pact)

पारशात्य राष्ट्रों ने जब पश्चिमी जर्मनी का शस्त्रोकरण करने का निश्चय कर लिया और उसे नाटो संधि संगठन तथा पश्चिमी यूरोपियन संधि का सदस्य बना लिया तो सोवियत रूस ने ११ से १४ मई, १९५५ तक वारसा में "यूरोप में शांति एवं रक्षा की सुरक्षा के लिए यूरोपियन देशों का एक सम्मेलन" आयोजित किया। इस सम्मेलन में सोवियत संधि के अनिश्चित शत्रु ७ साम्यवादी देश—पोलैंड, रूमानिया, हंगरी, पूर्वो जर्मनी, अल्बानिया, बल्गेरिया और चेकोस्लोवाकिया सम्मिलित हुए।

१४ मई को सोवियत रूस सहित उपरोक्त सातों देश इस बात पर सहमत हो गये कि उनकी सेनाओं की एक संयुक्त नगान बनाई जाए और वे आपस में मैत्री, सहयोग एवं पारस्परिक सहायता की संधि बनायें। इस निश्चय के फलस्वरूप १४ मई, १९५५ का ही उपरोक्त सभी राष्ट्रों ने "सुरक्षा और शांति" के दृढ़ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये।

यह संधि जिसे वारसा संधि या पूर्वो यूरोपियन संधि संगठन के नाम से सम्बोधित किया जाता है, २० वर्ष के लिये की गई। इसका उद्देश्य पारस्परिक शक्ति के प्रयोग से बचे रहना तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शांति-पूर्ण उपायों से निपटारा करना है, परन्तु साथ ही इसमें सदस्य राष्ट्रों की बाह्य आक्रमण के समय सामूहिक सुरक्षा की गारंटी दी गई है।

संधि की प्रस्तावना एवं कुछ प्रमुख धारणों इसके प्रधान स्वरूप व इसकी शक्ति को व्यक्त करती हैं। संधि की भूमिका में यूरोप में सामूहिक सुरक्षा पद्धति स्थापित करने पर बल देते हुए कहा गया है कि पश्चिमी यूरोप के संधि एवं पश्चिमी जर्मनी के पुनः शस्त्रोकरण से यह आवश्यक हो गया है कि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र अपनी सुरक्षा सुदृढ़ करें तथा यूरोप में शांति कायम

रलें। इस दृष्टि से इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों में घनिष्ठ सहयोग का वर्णन है।

यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय

(The European Defence Community-EDC)

सम्पूर्ण पश्चिमी यूरोप की प्रतिरक्षा के लिए एक संगठन का निर्माण करने की दृष्टि से काफी लम्बी और जटिल वार्ता के बाद, २७ मई, १९५२ को 'यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय की सन्धि' पर पेरिस में हस्ताक्षर हो गये। इस सन्धि के द्वारा ही यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय का जन्म हुआ। इस ५० वर्षीय सन्धि पर फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग इन ५ देशों ने हस्ताक्षर किये।

यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय का उद्देश्य एक ऐसे संगठन की स्थापना करना था जिसमें हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र मिल कर अपने सैन्य बल, सैन्य बजट और अपनी सैन्य सहायकों का एकीकरण कर सकें। इसके संविधान में यह व्यवस्था थी कि नाटो के सैन्य संगठन में उपरोक्त ६ राज्य अपनी सेनाओं को एक इकाई की तरह शामिल करेंगे।

यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय यूरोप के राजनीतिक एकीकरण के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम इस तेजी से घूमा कि समुदाय की व्यावहारिक स्थापना और सफलता सन्धि हो गयी। स्टालिन के मरने से रूसी आक्रमण का आतंक घट गया और ग्रेट ब्रिटेन ने इस समुदाय के साथ सहयोग करना अस्वीकार कर दिया। ३० अगस्त, १९५४ को फ्रांस की राष्ट्रीय परिषद ने भी यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय सन्धि को अस्वीकार कर दिया।

पश्चिमी यूरोपियन संघ

(Western European Union-W E U)

यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय की असफलता के परिणामस्वरूप २८ सितम्बर से ३ अक्टूबर १९५४ तक लन्दन में होने वाले सम्मेलन में पश्चिमी यूरोपियन संघ की स्थापना की गई। ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली और बेनीलक्स देश (हालैंड, बेल्जियम तथा लक्जमबर्ग) कम से कम १९६८ तक के लिए परस्पर प्रतिरक्षा और अन्य उद्देश्यों को लेकर संगठित हो गये। इस संघ का एक अन्य उद्देश्य 'यूरोप के एक अन्य संगठन को प्रोत्साहन देना' भी था। संघ की स्थापना के समय यह निश्चय किया गया कि पश्चिमी जर्मनी को भी नाटो में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया जाए। बदले में पश्चिमी जर्मनी ने स्वीकार किया कि वह अपने शस्त्रास्त्रों के उत्पादन पर

स्वेच्छा से नियन्त्रण रहेगा। यह भी तय हुआ कि जब तक पश्चिमी जर्मनी स्वयं अपनी प्रतिरक्षात्मक सेनाओं तैयार न करले तब तक अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाय पश्चिमी जर्मनी और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की रक्षा के लिए बहा रहें।

पश्चिमी यूरोपियन संधि की सभी सशस्त्र सेनाओं नाटो क सवाच्च सनापति व अधीन रखी गयी। इस संधि का सचिवालय लन्दन में स्थापित किया गया। सचिवालय न अलावा संधि के कार्य संचालन करने वाले अन्य अंग में धनाय गये—परिषद बना, सैन्य नियन्त्रण एजेन्सी तथा स्पाई इन्फ्रान्स्ट्र समिति। अपनी स्थापना के समय में लगभग १॥ वर्ष तक यह उचित ढंग में कार्य करता रहा लेकिन शीघ्र ही इसके मद्दय दशों में मतभेद प्रकट होने लगे। फरवरी १९५७ में ब्रिटेन ने जर्मन स्थित अपनी सेनाओं में फिर कटौती करने का निश्चय किया और जनवरी १९५८ में संधि की परिषद ने घोषणा की कि उसने ब्रिटेन के १९५८ में यूरोप में अपने ८,५०० सैनिक पश्चिम युलाने क प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है।

१९५८ में ही पश्चिमी यूरोपियन संधि ने अपने को सुदृढ करने के विभिन्न प्रयास किये लेकिन सदस्य राष्ट्रों के मतभेद पूरी तरह मिटे नहीं। फिर भी यह संधि कठिनाइयों से गुजरता हुआ अभी विद्यमान है।

पश्चिमी यूरोप का राजनीतिक एकीकरण

(The Political Integration of Western Europe)

यूरोप की द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विगड़ी हुई आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आर्थिक सहयोग की स्थापना करने वाली अनेक योजनाएँ बनाई गईं। इस महाद्वीप की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए विभिन्न प्रस्ताव रखे गये। ठीक इसी प्रकार बहा का राजनीतिक एकीकरण करने के लिए भी अनेक प्रस्ताव रखे गये ताकि इस क्षेत्र क दशों के बीच उदरान शमली तथा द्विर्तों के विरोध को सदा के लिए समाप्त किया जा सके। विलियम बुलिट (William Bullitt) का कहना है कि योरोपीय संधि के बिना किसी भी मूलभूत समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता। यही विचार क्लेमेंट एटली (Clement Attlee) का भी है। वे कहते हैं कि योरोप को या तो संधीय ही बनाया जाहिये अथवा यह नष्ट हो जायगा। योरोप में एक संधि बन जाने का महत्त्व है फिर भी पूर्व तथा पश्चिम में भारी मतभेद होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सकता। पाश्चात्य विचारकों क अनुसार साम्यवादी दश भी योरोप का एकीकरण चाहते हैं किन्तु उनका यह एकीकरण संधि राज्य के रूप में न होगा वरन् वे तो आधिपत्य तथा विभव द्वारा ऐसा

करने। यद्यपि पूरे योरोप का सपना का आसंद बहुत दूर है तो भी इसमें सन्देह नहीं कि पश्चिमी योरोप में जो आर्थिक एवं सैनिक सम्बन्ध बड़े हैं इससे इस क्षेत्र के देश परस्पर निकट आये हैं तथा पश्चिमी योरोप के एकीकरण की ओर भी इन्होंने कुछ कदम बढ़ाये हैं। ६ मार्च, १९५२ को काब्रिज के तान भेजे गये अपने सन्देश में राष्ट्रपति ट्रुमैन ने बताया था कि योरोप एकीकरण की ओर पिछले पाच वर्षों में इतना बढ़ा है जितना यह पहले के ५०० वर्षों में नहीं बढ़ा था।

योरोप के एकीकरण का विचार अतः प्राचीन माना जाता है। रोमन साम्राज्य के पीछे भी यह विचार कार्य कर रहा था। सन् १९२२ से १९३० के बीच का समय यारोपीय संधि के विचार तथा समर्थन का मुख्य समय है। सन् १९४१ में रिचार्ड कुडेनहाइव कलेर्गी (Richard Coudenhove Kalergi) ने पान-योरोप (Pan-Europe) नामक पुस्तक प्रकाशित की तथा योरोप की एकता का महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया। राष्ट्र संधि की सभा में बोलते हुए १९२६ में ब्रियान (Briand) ने योरोप के देशों को योरोप का संधि बनाने के लिए आमंत्रित किया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर योरोप का संधि बनाने के अनेकों प्रयास किये गये। मई, १९४८ में होने वाली हेग काब्रिज योरोपीय एकता के लिए किये अनाधिकृत सगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। इसमें योरोप के पन्द्रह देशों के प्रतिनिधि, सप्तराज्य के अन्य भागों के दूरक-दूर प्रकार कुल लगभग सात ही लोगों ने भाग लिया। इसमें अल्पज पद से बोलते हुए चर्चिल ने कहा था कि हम पूरे योरोप के एक संधि को छोड़ कर अपना कोई दूसरा लक्ष्य नहीं बना सकते। इन काब्रिज में अनेकों प्रस्ताव पाम किये गये तथा योरोपीय एकता के आन्दोलन के लिए एक स्थाई अन्तर्राष्ट्रीय समिति का निर्माण किया गया जिसका काम यह था कि सरकारों को हेग काब्रिज के प्रस्तावों की दिशा में चलने के लिए प्रेरित करना।

योरोपीय एकता समिति ने एक योरोप की परिषद (Council of Europe) की स्थापना का सुझाव दिया। इस सुझाव को ५ मई, १९४६ को स्वीकार कर लिया गया। यह परिषद एक प्रकार से पश्चिमी योरोप की ससद थी जिन्से इसके पास किसी प्रकार के सम्प्रभुता के अधिकार न थे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले इस परिषद का विचार क्षेत्र में नहीं आते थे। योरोपीय फौलाद तथा कोयला समाज की नामान्य सभा में सितम्बर १९५२, में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मंत्रियों की परिषद के सुझाव पर सभा ने एक सन्धि तैयार करने का विचार किया जो एक ऐसे योरोपीय राजनैतिक समाज की स्थापना कर सके जिसमें वास्तविक शक्ति रखने वाली एक

समान ससद हो । यह इन छ. राज्यों के बीच सघ स्थापना का प्रयास करेगी और इस प्रकार बाद में दूसरे राष्ट्रों पर भी प्रभाव डालेगी । इस प्रकार योरोपीय एकता प्रयासों के इतिहास में एक नया अध्याय खुला । १९५३ के बाद इस सघात्मक दृष्टिकोण की समाप्ति हो गई । योरोपीय सुरक्षा सभाज (E. D. C.) के अस्तित्व हो जाने के बाद योरोप के राजनैतिक एकीकरण की ओर किये जाने वाले सभी प्रयास अतीत की गाथा बन गये । फामर तथा परकिन्स ने लिखा है कि पश्चिमी योरोप एक प्रभावशाली एकता के रास्ते से अर्थात् भी बहुत दूर है तथा पूरे योरोप या अटलाण्टिक सभाज के मापार पर वास्तविक एकता के आसार नजर नहीं आते ।

असंलग्नता-इसका तत्व और बदलते हुए स्वरूप

(NON-ALIGNMENT-ITS ELEMENTS AND CHANGING PATTERNS)

गुट निरपेक्षता या असंलग्नता का सिद्धान्त विश्व राजनीति में पर्याप्त महत्व रखता है। इस सिद्धान्त का समर्थक भारत को ही माना जाता है। वंते इस सिद्धान्त का अस्तित्व भारत द्वारा इसे अपनाए जाने से पहले भी था एवं इसके सम्बन्ध में पर्याप्त साहित्य की रचना हो चुकी थी। किन्तु भारत को इस सिद्धान्त को लोकप्रिय बनाने का तथा व्यावहारिक रूप में महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय दिया जा सकता है। यह कहा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का कोई भी सिद्धान्त उस समय तक पूरा नहीं होता जब तक कि वह गुट-निरपेक्षता के विकास के उस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण नहीं कर देता। अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के विद्यार्थी के लिए इस सिद्धान्त का अध्ययन अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसका पहला कारण यह है कि गुट निरपेक्षता की नीति वर्तमान विश्व-व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो शक्ति पर आधारित न हो कर संचार व्यवस्था पर आधारित है। दूसरे, इसके द्वारा आने वाले विश्व-समाज की कुछ विशेषताओं को प्रतिबिम्बित किया जाता है। तीसरे, गुट-निरपेक्षता की नीति ने अनेक ऐसी विशेषताएँ अन्तर्निहित रहीं हैं जो गुट-सापेक्ष-देशों में भी विकसित हो रही हैं और चौथे, गुट-निरपेक्ष के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र का एक विकल्प प्रस्तुत किया जाता है और कुछ नए नियम सीधे जाते हैं जो कि अणु-शक्ति के प्रतिरोधात्मक रूप के समाप्त होते ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

हमें देखना चाहिये कि इन असंलग्नता या गूट निरपेक्षता की नीति का अर्थ क्या है ? उनका विचार किन प्रकार हुआ ? विभिन्न राष्ट्रों ने इस नीति को क्यों अपनाया ? शीत युद्ध के काल में इस नीति का क्या योगदान रहा ? इसे विदेश नीति के माध्यम के रूप में कितना महत्व दिया जा सकता है ? ये सभी प्रश्न अपना विशेष महत्व रखते हैं ।

गूट निरपेक्षता की नीति का अर्थ

(The Meaning of Non-alignment)

गूट निरपेक्षता (Non-alignment) शब्द का प्रयोग प्रायः उन राष्ट्रों की विदेश नीति की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो कि साम्यवादी और पश्चिमी गूट के साथ किसी सेनिक संधि में बद्ध नहीं हैं । इस अर्थ के सम्बन्ध में गूट निरपेक्ष राष्ट्रों ने नेताओं का विचार है कि यह उनकी नीतियों की सन्तोषजनक व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता । गूट निरपेक्षता का कोई सकारात्मक मूल्य या अर्थ नहीं है किन्तु फिर भी अधिकांश राष्ट्र व्याख्या के इस सकारात्मक मूल्य को अभिव्यक्त करना चाहते हैं । इस नीति के बेलग्रेड (Belgrade), कैरो (Cairo), दिल्ली आदि विभिन्न बैठकों द्वारा इसे अभिव्यक्त करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे, गूटबिहीन (Not Block), असंलग्न (Uncommitted), सक्रिय तटस्थ (Actively Neutral) आदि-आदि । इस नीति के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक शब्द न होने के कारण उत्पन्न असन्तोष को दूर करने के लिए लम्बे लम्बे भाषण दिए जाने हैं । इस सम्बन्ध में एक बाल ध्यान में रखने योग्य यह है कि गूट निरपेक्षता की नीति की तट-रक्षकता प्राप्त देशों द्वारा मुख्यतः सन् १९४५ के बाद लोकप्रिय बनना गया है । यह नीति विभिन्न छेला के लिए विभिन्न समूहों पर विभिन्न अर्थ रखती है । इसीलिए यह कहा जाता है कि गूट निरपेक्ष नीति का अन्वयण देश विदेश के प्रसंग में ही करना चाहिये । जवा, लास, मिस्र, भारत, इण्डोनेशिया, यूगोस्लाविया और अफ्रीका के देशों में जिस गूट निरपेक्षता की नीति का विकास हुआ है वह वहाँ की ऐतिहासिक परम्पराओं और स्थित राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित रही । ऐसी स्थिति में यह उपयुक्त होगा कि गूट निरपेक्षता का यही अर्थ जानने के लिए सतत प्रयत्न करना कि प्रसंग में समया व्यवधान रिया जाए । केवल वे राष्ट्रों ही सन्तुष्ट हो पाएंगे नहीं हैं जो कि गूट निरपेक्षता के लिए विशेष हैं तथा उनसे भिन्न हैं जो निरपेक्षता एवं मापे जा सकने के लिए सामान्य हैं । सम्बन्धिता के सम्बन्ध में स्वीकार महामय ने यह बताया कि वह संप्रवाद एवं

उपनिवेशवाद का निरोध गुट-निरपेक्ष नीति के कारण रहे। यह तत्व केवल गुट निरपेक्ष राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं है क्योंकि जो राष्ट्र गुट निरपेक्ष नहीं हैं वे भी इनमें विश्वास करते हैं।

पश्चिमी लेखकों, विचारकों एवं राजनैतिक नेताओं ने गुट निरपेक्षता को समझने के लिए तटस्थता अथवा तटस्थतावाद शब्द का प्रयोग किया है। मि० पिटर लायन (Peter Lyon), मारगेनथो (Hans J Morgenthau), हैमिल्टन फिश आर्मस्ट्रांग (Hamilton Fish Armstrong), राबर्ट ए० स्केलेपिनो (Robert A. Scalapino), फ्रान्सिस लाबीयर (Francis Lowbeer), वार्नर लेवी (Warner Levy) आदि लेखकों ने तटस्थता (Neutrality or Neutralism) शब्द का प्रयोग किया है। यह कहा जाता है कि गुट-निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सम्भवतः वैज्ञानिक अर्थ में जार्ज लिस्का (George Liska) ने किया होगा। उसके बाद तो तटस्थता के स्थान पर अनेक विचारक गुट-निरपेक्षता शब्द का प्रयोग करने लग गए और अब इसे एक सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो गई है। कई एक गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के नेता भी अपनी विदेश नीति के लिए वर्मा के यून (U Nu) की भाँति तटस्थता शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त समझते हैं। तटस्थता एवं गुट-निरपेक्षता के बीच यह तो सामान्यता है कि वे शीत युद्ध के समय सघर्ष से असलमन रहते हैं किन्तु अन्तर यह है कि वास्तविक युद्ध छिड़ने पर तटस्थ राष्ट्र युद्ध से अलग रहता है किन्तु गुट-निरपेक्ष राष्ट्र युद्ध में किसी भी पक्ष की ओर से सलज्य सकता है। स्वीट्जरलैण्ड तटस्थ देशों का एक उदाहरण है। ऐसे देश के राजनैतिक एवं कानूनी स्तर को युद्ध करने वाले दोनों ही पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाता है। दूसरी ओर असलमन नीति विरोधी विचारधारार्यों के बीच स्थित सघर्ष को प्रकट करती है। इस सघर्ष में सम्मनित देश किसी भी पक्ष के साथ सलज्य नहीं रहता। स्वारजन्बर्गर (Schwarzenberger) के मतानुसार गुट निरपेक्षता सघर्षों से दूर रहने की नीति है। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश नीति को असलमन नीति का नाम दिया है। कुछ विचारकों के मतानुसार यह उचित नहीं है क्योंकि असलमनता या गुट निरपेक्षता (Nonalignment) की नीति के लिए गुटों का तथा उनके बीच सघर्ष का होना अत्यन्त आवश्यक है। जब तक ऐसा नहीं है तब तक गुटों से अलग रहने वाली नीति जैसी किसी चीज के होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। गुट निरपेक्षता की नीति शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास परती है, यह शांति की दिशा में एक सक्रिय नीति है, एक सकारात्मक तटस्थता है। इस अर्थ में हम संयुक्त राज्य अमरीका की प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व की नीति को पार्यव्यवादी कह सकते हैं,

उसे तटस्थ मान सकते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय घटना चक्र में कोई रुचि ही नहीं लेती किन्तु उसे गुट-निरपेक्षता की नीति नहीं कहा जा सकता। तटस्थ नीति का महत्त्व केवल तभी तक रहता है जब तक कि युद्धरत राष्ट्रों द्वारा उसे मान्यता दी जाये। १९वीं शताब्दी के दौरान होने वाले युद्धों में तटस्थ नीति को कई देशों द्वारा सफलता के साथ अपनाया गया किन्तु इसके बाद या पहले यह नीति प्रभावशील न रही।

पहले विश्व राजनीति में सशक्त सतुलन का रूप अनेक राष्ट्रों से युक्त था। इसमें प्रत्येक युद्धरत राष्ट्र यह चाहता था कि युद्ध से अलग राष्ट्र को उल्लेखित करके विरोधी पक्ष से साथ शामिल होने के लिए प्रेरित न करे। इसी कारण तटस्थता का सम्मान किया जाता था किन्तु प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तटस्थता की नीति भयानक होती है।

तटस्थता एक प्रकार से कूटनीति का अङ्ग है न कि विदेश नीति का। तटस्थता के सहारे हम एक देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का केवल एक ही पहलू देख पाते हैं और वह यह कि युद्ध के समय उसकी स्थिति क्या रहेगी।¹ किन्तु इससे हम उस देश का विदेश नीति के सामान्य रूप को जानकारो नहीं कर पाते। तटस्थ नीति एक देश की मजबूरी या सुविधा का परिणाम होती है जबकि गुट निरपेक्षता एक सिद्धान्त की बात है।

गुट-निरपेक्षता की नीति की एक मुख्य विशेषता यह होती है कि इस व्यवस्था को मानने वाला देश सैनिक संधियों का विरोध करता है। सैनिक संधियों का विरोध मानव इतिहास के प्रारम्भ से ही एक नीति के रूप में वर्तमान है, यह कोई नया आविष्कार नहीं। किन्तु फिर भी आज का सधि विरोधी दृष्टिकोण पहले के सधि विरोधी दृष्टिकोण से पर्याप्त भिन्न है। पहले किसी एक सधि विशेष में सम्मिलित करने से मना कर दिया जाता था किन्तु ऐसा करने वाला देश सामान्य रूप से सैनिक सधि का विरोध नहीं करता था। एक दूसरे प्रकार की सधि विरोधी नीति यह होनी थी जिसे अपना कर वह देश सभी देशों के साथ सभी प्रकार की संधियों का विरोध कर देता था। यद्यपि वह स्वयं सन्धिबद्ध नहीं होता था किन्तु दूसरे देशों द्वारा भी जाने वाली सैनिक संधियों को वह बुरा नहीं मानता था। इस प्रकार के सधि विरोधी देश परिस्थितियों के बदलते ही सधिबद्ध हो जाते हैं। वे स्थायी रूप से सैनिक संधियों का विरोध नहीं करते। गुट निरपेक्ष नीति के

1. स्व० पण्डित जवाहरलाल नेहरू व मत्तानुसार भी तटस्थता की मान्यता या सम्मर्थन केवल युद्ध से होता है।

मानने वाले देश स्वयं सैनिक संधियों में बद्ध नहीं होते तथा दूसरों के बद्ध होने की नीति का विरोध करते हैं और यह नीति उनके स्थायी जीवन की विशेषता होती है। इन देशों के मतानुसार सैनिक संधियाँ सहयोग का परिणाम नहीं होती बरन् विरोध का परिणाम होती हैं। इससे एक देश शत्रु की दौड़ में सम्मिलित हो जाता है। इस प्रकार की संधियों को तोड़ने का एकमात्र उपाय युद्ध होता है। संधि विरोधी नवीन दृष्टिकोण के अनुसार संधियों के न होने पर प्रत्येक राष्ट्र अलग रहेगा और इस प्रकार उस पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून की भली प्रकार लागू किया जा सकेगा।

स्व० प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने ७ सितम्बर, १९४५ को अपने एक रेडियो प्रसारण में कहा कि भारत को एक दूसरे के विरुद्ध संधिवद्ध समूहों की दक्षिण राजनीति से अलग रहना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप अतीत-काल में दो विश्व युद्ध हुए तथा जो आगे भी और अधिक स्तर के विध्वंस की ओर प्रेरित कर सकती है। स्व० श्री नेहरू के इस कथन में गुट निरपेक्ष नीति का सैनिक संधियों के प्रति विरोध झलकता है। किसी भी देश द्वारा अपनाई जाने वाली गुट निरपेक्षता की नीति उस देश की आन्तरिक एवं बाह्य परिस्थितियों का परिणाम होती है। कोई देश सैनिक संधियों का विरोध अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कर सकता है अपना आन्तरिक स्थायित्व के लिए। किन्तु फिर भी उसकी मुख्य प्रेरणा प्रायः भावात्मक विचारधाराएँ होती हैं और कभी-कभी विदेशी सहायता एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करने की कामना भी प्रेरणा बन जाती है। गुट-निरपेक्षता की नीति को राष्ट्र-सम्मान का भी प्रतीक माना जाता है। स्व० पंडित नेहरू ने कहा था कि “किसी एक गुट में सम्मिलित होने का अर्थ यह होता है कि किसी एक खास प्रश्न पर आप अपने विचार का परित्याग कर दें और दूसरों को खुश करने तथा उनकी सद्भावना प्राप्त करने के लिए उनके विचार को मान लें।” वैसे गुट निरपेक्षता की नीति को मानने वाला एक देश अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति अपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण बाध नहीं होता बरन् वह दोनों पक्षों की स्थिति को समझ कर उचित पक्ष की ओर मिलने का प्रयास करता है। सन् १९४६ में अमरीकी जनता के समक्ष बोलते हुए स्व० प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने कहा कि “जहाँ कहीं स्वतन्त्रता संकट में पड़ती है, न्याय की चुनौती दी जाती है या आक्रमण होता है वहाँ हम सटस्य नहीं रह सकते और व रहेंगे।” भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता के तत्वों का वर्णन स्व० नेहरू द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले भाषणों के आधार पर जाना जा सकता है। ६ दिसम्बर, १९५८ को उन्होंने लोक सभा में बताया कि “जब हम यह कहते हैं कि हमारी नीति गुट-निरपेक्षता की है तो स्पष्ट रूप में हमारा अप सैनिक गुटों से निरपेक्ष रहने का होता है।”—

गुट-निरपेक्षता की विदेश नीति एक देश को निष्प्रिय नहीं बनाती वरन् जैसा कि मि० एम० एच० राजन का कहना है "यह एक विधेयात्मक सक्रिय एवं रचनात्मक नीति है जो सामूहिक सुरक्षा की ओर अग्रसर होती है तथा एकमात्र इस पर ही सामूहिक सुरक्षा स्थित रह सकती है।" एक गुट-निरपेक्ष देश सैनिक संधियों में बद्ध न होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर निष्पन्न-निष्पन्न नीतियों, प्रेरणाओं और सिद्धान्त के अनुसार धमल करता है। गुट-निरपेक्षता की नीति एक राष्ट्र को कोई भी एक दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य नहीं करती वरन् उसे राष्ट्रीय हित, विश्व शांति एवं न्याय की दृष्टि से कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्रता देती है।

गुट-निरपेक्षता की नीति का विकास

(The Development of Non alignment)

जिस समय भारत, बर्मा, सीलोन, इण्डोनेशिया द्वारा सर्वप्रथम गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाई गई उस समय अधिकांश राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस इन दो विरोधी शक्तियों के साथ संधिबद्ध थे। गुट निरपेक्षता की नीति अपना कर विभिन्न देशों ने स्वतन्त्रता के प्रति अपनी इच्छा को अभिव्यक्त किया। गुट निरपेक्षता की नीति के विकास में अनेक तत्वों ने प्रभाव डाला है। इन तत्वों ने मिल कर ही देश को गुटों से अलग रहने की नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। जब हम गुट-निरपेक्षता की नीति के विकास का अध्ययन कर रहे हैं तो इसके लिए हमें दो रास्तों से आगे बढ़ना होगा प्रथम, यह देखना होगा कि कोई देश अपनी स्वतन्त्रता को दाव पर लगा कर भी सैनिक संधियों में सम्मिलित होना क्यों चाहता है और उसके बाद इस पर विचार करना उपयुक्त रहेगा कि गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए कौनसी प्रेरणायें काम करती हैं।

(A) सैनिक संधि के कारण

(The Causes of Military Alliances)

प्रत्येक राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता को सम्मान देता है और वह अपनी स्वेच्छा से उन बन्धनों को स्वीकार नहीं करना चाहता जो सैनिक संधियों में बद्ध होने के कारण उन पर लग जाते हैं। जो सरकारें सुरक्षित, स्वतन्त्र एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहती हैं उनके लिए सैनिक संधि में शामिल होना आवश्यक बन जाता है। प्रत्येक संधिबद्ध देश यह सोचता है कि वर्तमान परिस्थितियों में संधिबद्ध होने का कोई विकल्प नहीं है। यदि शक्तिशाली बलशाली राष्ट्रों के विरुद्ध सैनिक शक्ति के प्रयोग की धमकी दे कर उन संधि में बद्ध होने के लिए मजबूर कर सकता है। उदाहरण के लिए

जर्मनी, कोरिया और वियतनाम के विभाजित भागों को किया जा सकता है। इन देशों में जब एक भाग का समर्थन पश्चिमी शक्तियों ने करना प्रारम्भ किया तो यह स्वाभाविक था कि दूसरा भाग साम्यवाद की ओर झुक जाता। इन देशों के दोनों भागों ने महाशक्तियों के साथ सैनिक संधि में बद्ध होना उचित समझा। वैसे बाध्यकारी रूप से किसी देश को अधिक दिनों तक संधि में बद्ध नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार की संधि केवल तभी तक रहती है जब तक कि सम्बन्धित देश पर कोई सक्कट हो किन्तु इसके बाद वह देश इस संधि को छोड़ देता है। यदि किसी देश की संधि को दोषकालीन बनाना है तो इसके लिए यह जरूरी होता है कि उस देश में ऐसी सरथायें तथा सरकार स्थापित की जायें जो संधि युक्त नीति का समर्थन करे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत सघ ने पूर्व वैश्वीय यूरोप में जो हस्तक्षेप किया और पश्चिमी शक्तियों ने यूनान, इटली एवं मध्यपूर्व तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में जो हस्तक्षेप किया उसका कारण इन प्रदेशों में ऐसी सरकारें कायम करना था जो सम्बन्धित महाशक्ति के साथ संधि-बद्ध रह सकें। मि० वटन के मतानुसार "अधिकांश मामलों में संधि न तो योपी जाती है और न ही यह बाध्यता का परिणाम होती है वरन् इसके लिए एक राष्ट्र अनेक परिस्थितियों पर विचार करता है और विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर आता है कि अपनी रक्षा के लिए वह दूसरी शक्ति के साथ सम्बद्ध हो जाए।" कोई भी देश बड़ी शक्तियों के साथ अनेक कारणों से संधि में बद्ध होता है।

① पहला कारण यह है कि परम्परागत रूप से जिस देश से हम आक्रमण की आशा करते हैं उसके विरुद्ध दूसरी शक्ति के साथ संधिबद्ध हो जाते हैं। आक्रमण की समस्याएँ उस समय अधिक स्पष्ट हो जाती हैं जब दो राष्ट्र परस्पर राजनैतिक संपर्क में उलझ जाते हैं। सन् १९५० में फ्राईलैंड, दक्षिण वियतनाम आदि राज्यों की यह विश्वास था कि यदि चेराबन्दी न की गई तो चीन के आक्रमण लगातार होते रहेगे। दूसरी ओर चीन यह सोच रहा था कि यदि किसी उपनिवेशवादी प्रशासन या सरकार को थोड़ा बहुत भी स्थानीय समर्थन मिला तो यह विदेशी सहायता प्राप्त कर लेगी और इस प्रकार चीन के लिए यह दूसरी चुनौती बन जाएगी। जब कुछ मन-मुटाव हो जाता है तो आक्रमण की सम्भावनाएँ पूरी-पूरी हो जाती हैं और उसके विरुद्ध कोई प्रमाण स्वीकार नहीं किया जाता।

② सैनिक संधि में बद्ध होने का 'दूसरा कारण शीत युद्ध है। शीत युद्ध में अनेक देश एक या अन्य महाशक्ति के साथ सैनिक संधिबद्ध हो गए जैसे

कि वे भी विचारधारागत सघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उलझ हुए हों, यद्यपि इन देशों की सधि का केन्द्रीय सघर्ष से अधिक लेना देना नहीं होता। इस प्रकार की सधि में एक देश इस आशा से सम्मिलित होता है कि सकट के समय उससे सहायता प्राप्त होगी। यद्यपि ऐसे देश प्रत्यक्ष रूप से विरोधी महाशक्ति के साथ अथवा उसके मित्रों के साथ सघर्षपूर्ण सम्बन्धों में उलझे नहीं रहते। आस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैण्ड आदि साम्यवाद के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सन्निवद्ध हैं। किन्तु इनमें से कोई भी देश आन्तरिक रूप से साम्यवादी समस्या नहीं रखता और न ही उनके सामने कोई अन्तर्देशीय या विदेशी साम्यवाद की चुनौती है। आस्ट्रेलिया ने सीएटो तथा एन्जस (ANZUS) की सन्धि को स्वीकार किया है किन्तु उसके लिए यह सधिया साम्यवाद का विरोध नहीं है। शीत युद्ध की सधियों का एक उदाहरण पाकिस्तान है। पाकिस्तान में वे सभी शक्तियाँ पाई जाती हैं जो एक गुट-निरपेक्ष नीति को अपनाने की प्रेरणायें देतायी जाती हैं। पाकिस्तान में भी उपनिवेशवाद विरोधी तथा राष्ट्रवादो भावनायें पाई जाती हैं। मध्य पूर्व के देशों के साथ पाकिस्तान का इतिहास, परम्परायें तथा धार्मिक बन्धन हैं। इसके अतिरिक्त चीन व रूस के साथ एव पश्चिमी शक्तियों के साथ पाकिस्तान के जो सम्बन्ध हैं उन सब के देखने से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को भी गुट निरपेक्षता की नीति का ही अनुसरण करना चाहिए। इसके विपरीत पाकिस्तान ने १९५४ तथा १९५५ में सीएटो एव बगदाद-सधि को स्वीकार कर लिया। यद्यपि पाकिस्तान की असेम्बली में इसका पर्याप्त विरोध किया गया किन्तु फिर भी देश की सुरक्षा के नाम पर इसे स्वीकार किया गया। मोहम्मद अहम चौधरी (Mohammed Ahsen Choudhri) के मतानुसार पाकिस्तान ने यह आशा की कि सीएटो तथा बगदाद सन्धि में शामिल हो जाने के बाद संयुक्त राज्य अमरीका उसे आर्थिक एव सैनिक सहायता देने के अतिरिक्त काश्मीर के झगड़े को सुलझाने में नैतिक तथा राजनैतिक सहायता प्रदान करेगा।

बाद के अनुभवों से पाकिस्तान को पर्याप्त निराशा हुई क्योंकि अमरीका द्वारा भारत को भी सहायता दी जा रही थी। ऐसी स्थिति में सीएटो सन्धि को कोई लाभदायक समझौता न मान कर एक भार समझा गया।

सैनिक सधियों को स्वीकार करने का तीसरा कारण एक देश की आन्तरिक राजनैतिक अवस्था होती है। युद्ध के तुरन्त बाद क्लिपवाह्य तथा मलया की आन्तरिक अवस्था ने इन देशों को सैनिक सधि में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इन दोनों देशों में जापान से लड़ने वाले

छापामारों का शासन था। इस शासन के विरुद्ध देश की प्रतिव्रियावादी शक्तियों ने संगठन बनाया और देशों के बीच विरोध का सूत्रगत हुआ। बाद में पश्चिम की सहायता से प्रान्तिकारियों को दवाने के बाद इन देशों में पश्चिम समर्थक सरकारों की स्थायी रूप प्रदान कर दिया गया। किन्तु इण्डोनेशिया तथा इण्डोचीन में राष्ट्रवादी एवं छापामार सत्त्वों को नहीं दबाया जा सका क्योंकि पश्चिमी शक्तियों की सेना वृद्ध से हट चुकी थी। एक देश की सरकार को जब अपने अस्तित्व के लिए खतरा दिखाई देता है तो वह शीघ्र ही किसी महाशक्ति के साथ सन्धिबद्ध हो जाती है।

सैनिक सन्धि में शामिल होने का चोपा कारण तब उत्पन्न होता है जबकि एक देश की आन्तरिक गड़बड़ी को नीति युद्ध का राजनैतिक लाभ उठाने के लिए विदेशी एजेंटों द्वारा प्रेरित या समर्थित किया जाता है। यह कारण पाइलैण्ड तथा ससेलोन द्वीपों, अफ्रीका के अनेक राज्यों, मध्य पूर्व एवं लेटिन अमरीका आदि राज्यों पर बहुत कुछ लागू होता है।

(B) गुट-निरपेक्षता के कारण (The Causes of Non-Aligment)—सैनिक सन्धि को स्वीकार करने के लिए प्रभावित करने वाले कारणों का अध्ययन करने के बाद अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि कोई देश गुट निरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाता है, इसके क्या कारण हैं? ऐसा नहीं होता कि जिस देश पर सन्धि-बद्ध होने के लिए दबाव न डाले जायें, वह स्वतन्त्र ही गुट निरपेक्षता की नीति को अपना के। सन्धि बद्ध होने के कारणों का प्रभाव निपेक्षात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है किन्तु सकारात्मक रूप से इस दिशा में प्रेरित करने वाले दूसरे ही तत्व होते हैं। विलियम हेन्डर्सन (William Henderson) ने गुट निरपेक्ष नीति के लिए उत्तरदायी आठ मुख्य प्रेरणाओं का उल्लेख किया है, ये हैं—सांस्कृतिकरण का विरोध, नव प्राप्त स्वतन्त्रता को बनाये रखने का संकल्प, भावनाओं की अधिकता किन्तु भौतिक कमजोरिया, विदेश-ध्यवहार का अज्ञान तथा उदासीनता, भावसंवाद का प्रभाव, साम्यवादी चीन के साथ समाशोषित होने की आवश्यकता, यह विश्वास कि गुट-निरपेक्ष नीति शान्ति को बढ़ावा देती है तथा गुट-निरपेक्षता के द्वारा साम्यवाद को रोक जा सकता है।

गुट-निरपेक्षता की नीति को अपनाने के लिए एक देश क्यों प्रेरित हुआ? इस प्रश्न का जवाब हमें उन देशों के सामान्य प्रभावों एवं विशेष प्रभावों को देखने पर प्राप्त हो सकेगा जो इस नीति पर चल रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार एवं उन्नि-वेशवाद का विरोध तथा आर्थिक विकास की समस्याओं के दबाव ने विश्व-कद-

उन सभी परिस्थितियों को पैदा किया है जिनमें गुट-निरपेक्षता की नीति संचालित होती है। ये विशेषतः ऐसी हैं जो प्रायः अफ्रीका और एशिया के सभी देशों में पाई जाती हैं चाहे वे गुट-निरपेक्ष हों अथवा न ही। ये तत्त्व एक गुट-निरपेक्षता की नीति अननाने के लिए भा उभरा हो बजाब डालते हैं जितना कि सम्भव हो जाने के लिए। इन तत्त्वों का गुट निरपेक्षता की नीति अननाने में जितना योगदान रहता है यह एक विवादास्पद प्रश्न है। अधिकांश विचारकों का मत है कि ये सहायक परिस्थितियाँ इन नीति के विकास में सहायता अवश्य देती हैं किन्तु ये आवश्यक पूर्व शर्तें नहीं हैं।

गुट-निरपेक्ष नीति की सहायक परिस्थितियों में प्रथम उल्लेखनीय राष्ट्रवाद की भावना है जो स्वतन्त्रता आन्दोलनों की एक मुख्य विशेषता रही है। सामान्य भाषा एक सङ्घति न होते हुए भी एशिया, अफ्रीका तथा मध्य पूर्व के देशों में इस भावना का पर्याप्त प्रसार एक प्रभाव हुआ। गुट के बाद अफ्रीका के देशों का राष्ट्रवाद एक दृष्टि से अफ्रीकावाद (Africanism) था। यह अतीत के प्रति प्रतिनिधा थी। यह निम्न स्तर के विरुद्ध, जातीयता के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी जो भाषा, संस्कृति और जाति की सीमाओं को पार कर गई। नये राष्ट्रों का राष्ट्रवाद उन परिस्थितियों के अनुसार मिश्र-भिन्न होता है जिनमें यह उत्पन्न हुआ। जिन देशों को साम्राज्यवादी शक्तियों ने जातानी से स्वतन्त्रता दे दी उनके बीच बाद में भी सम्ग्रन्थ अच्छे बने रहे तथा जिन देशों को इन्दोनेशिया को तरह स्वतन्त्रता प्राप्त करने में पर्याप्त संघर्ष करना पड़ा उनके सम्ग्रन्थ परस्पर विगड गये। प्रायः सभी नव स्वतन्त्रता प्राप्त राष्ट्रों के राष्ट्रवाद में राष्ट्रपन को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। राष्ट्रवाद और गुट निरपेक्षता के बीच सहयोग इसलिए है क्योंकि इन देशों के नेताओं ने अपनी गुट-निरपेक्षता की नीति का समर्थन करने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लिया। एक बार हव० प्रधानमन्त्री नेहरू ने कहा था कि "यदि किसी आन्दोलन को जनता के लिए वास्तविक बनना है तो उसे राष्ट्रवाद के रूप में परिभाषित होना चाहिए। किसी भी एशियाई देश में एक आन्दोलन उसी मात्रा में सफल अथवा असफल होगा जिस मात्रा में कि वह राष्ट्रवाद की महत्त्वम भावना के साथ संयुक्त है।" जॉन मार्कस (John Marcus) का कहना है कि फ्रांस, जर्मनी तथा घेन ब्रिटेन में जब कभी सङ्घर्षता थी नीति का प्रभाव आया है तो वह मुख्यतः इन देशों में अल्प राष्ट्रवाद की भावना के कारण आया।

दूसरी सहायक परिस्थिति उनिडेनशड का विराध है। एशिया तथा अफ्रीका के देशों में राष्ट्रवादी एवं पान्तिशारी आन्दोलन चले, उनका मुख्य

प्रेरणा उपनिवेशवाद का विरोध था। सन् १९५५ में हुए वाण्डुङ्ग सम्मेलन का यह मुख्य विचार था। यदि एक देश को सैनिक संगठन में शामिल होने को मजबूर करने वाली कोई चीज नहीं है तो उपनिवेश विरोधी भावना उसे गुट-निरपेक्षता की दिशा में प्रभावित करेगी। एशिया और अफ्रीका के देशों का यह विश्वास है कि अतीतकाल में होने वाली सभी लड़ाइयाँ मुख्य रूप से योरोपीय लड़ाइयाँ थीं और इसमें एशिया तथा अफ्रीका के देशों को गतराज के मोहरों की तरह प्रयुक्त किया गया। आज इन शोषित राज्यों को यदि सैनिक सधियों में मिला दिया गया तो वही पुराना इतिहास दोहराया जायेगा। इस व्यासका से वे अपने आपको अलग ही रखना पसन्द करते हैं। उपनिवेश विरोधी भावना के कारण एशिया और अफ्रीका के ये देश पश्चिमी शक्तियों के साथ नहीं मिलना चाहते किन्तु अतीत के सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी एवं प्रशासनिक सम्बन्धों के कारण वे उनका विरोध भी नहीं करना चाहते अतः गुट निरपेक्षता की नीति अपना लेते हैं। शीत युद्ध में दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे को साम्राज्यवादी कहा जाता है। नये राज्य यह तय नहीं कर पाते कि कौन साम्राज्यवादी है और कौन नहीं, अतः वे दोनों को ही सदेह की नजर से देखते हैं। यही कारण है कि इन देशों में से कोई भी यह नहीं चाहता कि वह किसी भी एक पक्ष से ही आर्थिक या सैनिक सहायता प्राप्त करे। इस प्रकार गुट निरपेक्षता की नीति को पराधीनता के विरुद्ध आत्मरक्षा का एक साधन बनाया गया है।

तीसरी सहायक परिस्थिति इन देशों की अर्द्धविकसित स्थिति है। इनकी गरीबी तथा उच्च जीवन स्तर की मांग ने इन देशों में आर्थिक विकास को पर्याप्त महत्त्व प्रदान किया है। यह भी गुट-निरपेक्ष नीति की एक प्रेरणा है। ये देश मंगोलोइड तथा लिन्गोइडों को कम करके इस बात का प्रयास करते हैं कि शस्त्रों के निर्माण पर अधिक खर्च न करके उत्पादन व विकास पर किया जाये। गुट-निरपेक्षता के समर्थन में यह तर्क दिया जाता है कि इस नीति को अपनाने पर दोनों ही गुटों की पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती है जबकि गुट में शामिल होने पर तो केवल एक ही देश की सहायता प्राप्त होती। कुछ विचारकों के मतानुसार यह तर्क अत्यन्त हल्का है क्योंकि तुलनात्मक दृष्टि से सन्निवृद्ध देशों को अधिक सहायता प्राप्त हुई है। प्रारम्भ में तो असलम देशों को महाशक्तियों द्वारा सहायता ही नहीं दी गई। इनके अतिरिक्त इन देशों को अपनी सुरक्षा योजनाओं पर भी पर्याप्त ध्यान बरतना पड़ा। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का विचार है कि उनको जो भी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है वह उनका अधिकार था न कि कोई अहसान। राष्ट्रपति नासिर के कथनानुसार अतीत काल में साम्राज्यवादी शक्तियों ने जिस

राष्ट्रीय सम्पत्ति का अपहरण किया वह यदि उनको वापिस प्राप्त होती है तो इसमें किसी का भी क्या अहसान है। सहायता प्रदान करना प्रगतिशील देशों का एक स्वेच्छापूर्ण कर्तव्य है। यह एक प्रकार का कर है जो अतीत के उपनिवेशवादी शोषण कर्त्ताओं द्वारा उनको प्रदान किया जाना चाहिए जो शोषित किये गये हैं। विकसित देशों के प्रति गरीब देशों में एक ईर्ष्या की भावना पैदा हो रही है अतः यह आवश्यक है कि इनके जीवन स्तर में जो असमानतायें हैं उनको दूर किया जाये।

चीन, गुट निरपेक्षता की नीति का एक ज्ञानीय एवं सांस्कृतिक पहलू भी है। इस नीति को मानने वाले देश मुख्यतः अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के रहने वाले हैं। ये देश ऐसे हैं जो योरोप से भिन्न दुनिया में रहते हैं। इन देशों का आर्थिक रूप से शोषण किया गया था तथा इस पर समान रूप से राजनैतिक अधिकार रहा था अतः इनके बीच एक पारस्परिक सहानुभूति रहना स्वाभाविक है। अवसरवश गुट निरपेक्ष देश अद्वैत हैं। इन देशों के बीच परस्पर सांस्कृतिक एकता इतनी अधिक नहीं है किन्तु वेबल यही एकता है कि वे समान रूप से एक बड़ी शक्ति के आधीन रहें।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद का विरोध, आर्थिक सहायता की आवश्यकता एवं सांस्कृतिक एकता आदि तत्वों द्वारा अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करके गुट निरपेक्षतावादी नीति के विकास के लिए एक घुंठभूमि का काम किया गया जैसे ये परिस्थितियाँ कई ऐसे देशों में भी पाई जाती हैं जो सैनिक सगठनों के सदस्य हैं। इन देशों को इन परिस्थितियों ने सन्धि करने की दिशा में प्रेरित किया गया है। ऐसी स्थिति में हम इन परिस्थितियों को गुट निरपेक्ष नीति के विकास का मुख्य कारण नहीं मान सकते। मुख्य कारण तो अन्य परिस्थितियाँ हैं। इनका निर्धारण भी हम एशिया और अफ्रीका के सभी देशों का निरीक्षण करने के बाद ही कर सकते हैं। गुट निरपेक्षता के ये विशेष लक्षण एशिया व अफ्रीका के सभी देशों में सामान्य रूप से पाये जाते हैं किन्तु इतने पर भी गुट निरपेक्ष देशों में इनका प्रभाव अधिक होता है। इनका सम्बन्ध राजनैतिक दृष्टिकोणों से रहता है तथा इसकी अभिव्यक्ति अनेक आर्थिक एवं राजनैतिक सगठनों में होती है। गुट निरपेक्ष देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संघर्ष किया था। वे स्वाधीनता से पूर्व ऐसी सत्ताओं की मांग करती थी जो उपनिवेशवादी सरकार को मान्य न थी। विश्व राजनीति में भी ये देश स्थित व्यवस्था का समर्थन करने की अपेक्षा पारिन्तकारी आन्दोलन का समर्थन करने लगे।

गुट-निरपेक्षता की दृष्टि से जो उत्पन्न महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डालते हैं उनमें पहला समाजवाद है। योरोप में तटस्थता की नीति का समर्थन साम्यवादियों द्वारा किया गया था तथा महा समाजवादी एवं तटस्थतावादी लोगों में अधिक भेद नहीं था। अफ्रीका और एशिया के देशों में भी अधिकांश अर्द्धविकसित देश इसी प्रकार समाजवाद एवं तटस्थता की नीति से प्रभावित हैं। इन देशों द्वारा अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए नियोजन, राष्ट्रीयकरण, सरकारी हस्तक्षेप आदि साधनों को अपनाया जा रहा है। इन देशों की प्राप्त अल्प सम्पत्ति प्रायः ऋषि कार्य में केन्द्रीकृत रहती है अतः औद्योगिक विकास का कार्य केवल सरकार की पहल पर ही किया जा सकता है। भारत में कांग्रेस सरकार ने प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाया है। जिस किसी देश में मजठित शक्ति द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त की जाती है उस देश की विशेषता केन्द्रीय शक्तियाँ, केन्द्रीय निर्देशन एवं नियोजन बन जाता है।

रगून में सन् १९५३ में एशिया के समाजवादियों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद एक एसियाई समाजवादी व्यूरो स्थापित किया गया। वर्मा में समाजवादी दल के संस्थापक के शब्दों में "समाजवादी नेताओं के रूप में हमको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो मस्तिष्क की राजनीति को समाप्त करदे अथवा एक नये स्वतन्त्र विचारधारागत दृष्टिकोण को रोक दे। इस स्वतन्त्र दृष्टिकोण के कारण ही हम इस तीसरी शक्ति का विकास कर सके हैं तथा प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद का विचार विकसित कर सके हैं।"

इस प्रकार का मानसिक दृष्टिकोण लोचनील, स्वीकार करने योग्य तथा किसी भी विचारधारा से असह्य होता है। किन्तु यह किसी न किसी प्रकार से नियोजन का समर्थन करता है ताकि अपनी कृषक अर्थव्यवस्था को बढा सके। ऐसी स्थिति में ये देश अमरीका और सोवियत संघ के बीच का ही मार्ग अपनाते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि ये देश दोनों युद्धों से बचकर अपना अस्तित्व बनायें। सन् १९५० तक समुन्नत राज्य अमरीका द्वारा इन देशों को साम्यवादी माना जाता था और साम्यवादी देश इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से पूर्वाधीनता का ही एक रूप कहते थे। समाजवाद गुट निरपेक्ष नीति की पूर्ण आवश्यकता नहीं है, किन्तु यह अर्द्धविकास की समस्याओं के प्रति नए राज्यों की प्रतिनिधिता है। समाजवाद, अर्द्धविकास और गुट निरपेक्षता तीनों एक ही साथ एक ही बालावरण में पाए जाते हैं।

समाजवाद की भांति गुट निरपेक्ष देशों की एक अन्य विशेषता यह है कि वे अपनी घरेलू नीति के प्रति भागित्वारी दृष्टिकोण रखते हैं। स्वतन्त्रता

प्राप्त करके इन देशों ने स्वतन्त्रता की महत्वाकांक्षाओं को सन्तुष्ट किया। एक दूसरी शक्ति की आवश्यकता और थी जो इन देशों की भौतिक महत्वाकांक्षाओं को सन्तुष्ट कर सके। इण्डोनेशिया में विदेशी सम्पत्ति और पूंजीगत उद्यमों को समाजीकृत कर दिया गया। एशिया और मध्य-पूर्व के अनेक क्षेत्रों में चीन की भांति भूमि की व्यवस्था में पर्याप्त परिवर्तन किया गया। अन्य देशों में भी वार्षिक शक्ति प्रारम्भ हो चुकी थी। वहाँ उन संस्थाओं को बदला गया जो इस शक्ति के मार्ग की बाधा थी और उसे आने से रोक रही थी।

समाजवादी शक्तिशाली सरकारें पश्चिम के साथ अपने आपकी सधियद्ध नहीं कर सकती थीं। संयुक्त राज्य अमरीका में इस समय समाजवाद का विरोध ज्वर जोरों पर था। जो सरकार जमींदारी, जागीरदारी को दूर करने का प्रयास करती थी उसे अमरीका चीन का हमदम मान लेता था। इस व्यापार पर इन नये राज्यों के नेताओं के प्रति अमरीका का दृष्टिकोण सन्देह-पूर्ण रहा। संयुक्त राज्य अमरीका की नीति इन राज्यों में सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तनों को हनी-साहित्य करने की रही। यह प्रतिनिध्यावादी सरकारों को समर्थन देता रहा ताकि प्रशासनिक अव्यवस्था से लाभ उठा कर साम्यवादी आगे न आ जायें। एशिया और अफ्रीका के देशों ने जो आन्तरिक शक्ति की उमने उनको पश्चिमी देशों के साथ मिलने से रोक दिया। किन्तु जहाँ पश्चिमी दबाव उन पर अधिक पडे वहाँ इन देशों ने साम्यवादी देशों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, उदाहरण के लिए वजूबा को लिया जा सकता है। जहाँ इस शक्ति को मजबूत पश्चिमी विरोध का सामना नहीं करना पडा वे गुट-निरपेक्ष बने रहे, उदाहरण के लिए मिस्र।

इसका अर्थ यह नहीं होता कि सामनवादी सरकारें गुट-निरपेक्ष नहीं होतीं। बेलग्रड सम्मेलन में इस तथ्य को स्वीकार किया गया, फिर भी यह बताया जाता है कि साम तथादी देशों की जनता आन्तरिक सुधारों की मांग करती है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित सरकार विदेशों में अपनी रक्षा की मांग करती है और वे गुट निरपेक्ष नहीं रह पाती। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित है कि गुट निरपेक्ष देश प्रायः वे होते हैं जहाँ तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो चुके हैं या हो रहे हैं।

तीसरे, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का राजनैतिक दृष्टिकोण भिन्न है। वे युद्ध को, शोकाके के परस्परगत, पक्षिभ्यो, दिवसों, से दिखाल नहीं करते और हमारे शक्ति-सन्तुलन आदि को मान्यता नहीं देते। नाबिनीय प्रतिरोध के नवीन प्रयासों को भी वे बहुत कम आदर देते हैं। गुट-निरपेक्ष नीति के

समर्पक युद्ध, शक्ति एव प्रत्येक शक्ति गुट के बावों का अवमूल्यन करते हैं। स्व० श्री नेहरू ने सन् १९५४ में कांग्रेस समिति को भेजे हुए एक पत्र में लिखा कि शान्ति केवल शान्ति के तरीकों से ही प्राप्त हो सकती है। शान्ति के प्रति युद्ध पूर्ण दृष्टिकोण अपने आप में एक विरोधाभास है। स्व० श्री नेहरू के मतानुसार पहले से ही सुरक्षा का प्रबन्ध करना उत गलत प्रवृत्तियों को बिनशित करना है जो सही प्रवृत्तियों को विकसित होने से रोक देती हैं।

गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के नेता चीत युद्ध के सभी पहलुओं पर नया दृष्टिकोण रखते हैं। इस दृष्टिकोण के कारण ही वे गुट-निरपेक्षता की नीति को अपनाते के लिए प्रेरित हुए। ये देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विभिन्न समस्याओं के प्रति अपना स्वयं का दृष्टिकोण अपनाते हैं। इन देशों के द्वारा ससदीय व्यवस्था को सरकार का एक मात्र प्रजातन्त्रात्मक रूप कहा जाता है। गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा महाशक्तियों को इस रूप में नहीं देखा जाता है जिस रूप में वे दिखना चाहती हैं बरन् इस रूप में देखा जाता है जैसा कि किसी बाहरी दलक को प्रतीत हो। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का मत है कि दोनों ही पक्ष विश्व शान्ति के लिए खतरनाक हैं और कोई भी एक पक्ष सदगुण या बुद्धि पर कोई एकाधिकार नहीं रखता। ये देश चीत युद्ध समर्प के केवल दर्शन हैं, अभिनेता नहीं हैं इसलिए स्वयं स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। इन देशों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिपूर्ण सम्बन्धों के लिए अलग से मार्ग बताया जाता है, उदाहरण के लिए स्व० प्रधानमंत्री श्री नेहरू पंचशील में विश्वास करते थे। उनके कथनानुसार "यदि पंचशील को पूरी तरह और गम्भीरता के साथ सभी देशों के द्वारा स्वीकार किया जाता है तो प्रत्येक का शान्ति प्राप्त होगी और सहयोग की भावना बढ़ेगी।" स्वतन्त्रता और गुट-निरपेक्षता मुख्य दार्शन हैं। स्वतन्त्रता की प्राप्ति किसी एक बड़ी शक्ति या शक्ति समूह के साथ सधि करने से नहीं हो सकती बरन् प्रत्येक विवादपूर्ण एवं झगड़े वाली स्थिति पर एक स्वतन्त्र दृष्टिकोण रखने से हो सकती है। एक राष्ट्र की पराधीन जनता को स्वतन्त्रता देना, जातीय भेदभाव को समाप्त करना, आवश्यकता, बीमारी और अज्ञान को समाप्त करने, आदि विभिन्न पहलुओं के प्रति स्वतन्त्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

यह कहा जाता है कि गुट निरपेक्ष देशों के नेताओं के भावों और कथनों में पर्याप्त अन्तर रहता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति मुबारक ने यह घोषणा की थी कि वे पश्चिमी इरियान (West Irian) की समस्या पर रूसों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। किन्तु सन् १९६१ में उसने

सोवियत सभ से युद्ध प्रमाण प्राप्त किए जिन्हें परिषदों इरियान के क्षेत्र में रखा गया। शक्ति प्रयोग के अन्य कुछ उदाहरण भी प्राप्त होते हैं जिनके पक्ष में यह कहा जाता है कि गुट-निरपेक्ष देशों ने इन्हें आत्मरक्षा और उपनिवेशवाद के विरुद्ध अपनाया। किन्तु यह तर्क अधिक न्यायोचित नहीं है, क्योंकि इसे तो युद्ध करने वाला कोई भी देश दे सकता है; या तो गुट-निरपेक्ष राज्यों को यह स्पष्ट करना होगा कि जिन परिस्थितियों में वे शक्ति के प्रयोग को उचित मानते हैं और क्यों? अथवा उन्हें भी इस दोष का भागो बनना पड़ेगा कि वे महाशक्तियों से मौलिक रूप से भिन्न नहीं हैं।

चौथे, अनेक बड़े गुट निरपेक्ष राष्ट्र, जैसे भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया और इण्डोनेशिया अपनी राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग सुरक्षा के कार्यों पर खर्च करते हैं। गुट-निरपेक्ष और गुट-भाषेक्ष देशों के कार्य तो लगभग एक जैसे हैं किन्तु दानों के दृष्टिकोण में अन्तर है। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का विद्वान्त है कि भय को हटा दीजिए, और आक्रमणकारी नीतिवा अगले आग हट जायेगी। दूसरी ओर सशिवद्ध राष्ट्रों का विचार है कि जब तक सम्भावित आक्राता का प्रतिरोध करने के लिए शक्ति का परिचय न दिया जाए उस समय तक युद्ध की नहीं रोका जा सकता। गुट-निरपेक्ष देशों की मान्यता है कि आषमण की आशा तथा उसे रोकने के लिए की जाने वाली सधिया ही अन्तिम रूप में ससंपूर्ण स्थिति वैश कर देती है। अनेक वैज्ञानिकों द्वारा इस दृष्टिकोण का समर्थन किया जाता है कि युद्ध का आधार भय है।

पाचव गुट-निरपेक्ष देशों में प्रारम्भ से ही अमाधारण नेतृत्व रहा है। स्व० थो नेहरू, यूनु, सुकार्ना, नासिर, एनकूमा, टीटो आदि का नाम युद्ध के बाद अफ्रीका और एशिया की घटनाओं में प्रमुख रहा है। अफ्रीका और एशिया के जिन देशों ने पहले की उपनिवेशवादी शक्तियों से सधिया की हुई है उनमें कुछ एक अन्वादी गो छाड कर, नेतृत्व का अभाव है। यह एक विनाशपूर्ण विषय है कि क्या इन देशों के नेतृत्व ने गुट-निरपेक्षता की नीति का विकास किया? कई विचारकों का कहना है कि गुट निरपेक्षता की नीति प्रभावशाली नेतृत्व का परिणाम नहीं है बरन् जिन परिस्थितियों ने प्रभावशाली नेतृत्व को जन्म दिया वे ही गुट-निरपेक्षता की नीति के लिए भी उत्तरदायी हैं। गुट-निरपेक्षता की नीति को अपनाते वाला पहला देश भारत था। भारतीय विदेश नीति के वर्णनार स्व० पंडित नेहरू को राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान ही उदस्यता की शिक्षा प्राप्त हुई। उन घृष्टमूर्ति के होने हुए भी यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं है कि भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद से ही एक स्वतन्त्र विदेश नीति का अनाया जो कुछ

सकारात्मक विशेषताओं से युक्त तटस्थ नीति थी। स्व० श्री नेहरू ने सन् १९५० में यह कहा था कि "मेरे सदन में यह कहना चाहता हूँ कि जिस नीति को हम अपना रहे हैं वह केवल तटस्थ या निष्क्रिय या निपेक्षात्मक नहीं है वरन् यह एक ऐसी नीति है जो हमारे ऐतिहासिक तथा वर्तमान अतीत से प्राप्त हुई है। यह हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन और विभिन्न आदर्शों से निकली है जिनकी हम समय-समय पर घोषणा करते रहते थे।

शांति की रक्षा भारतीय विदेश नीति का केन्द्रीयभूत लक्ष्य है। इस नीति की खोज में ही भारत ने किसी सैनिक या अन्य सन्धि में सम्मिलित नहीं हो कर गुट-निरपेक्षता की नीति का मार्ग अपनाया है। गुट-निरपेक्षता का अर्थ दिमाग और कार्यों की निष्क्रियता नहीं है, यह विश्वास और मान्यताओं की निष्क्रियता नहीं है, इसका अर्थ बुराई के सामने झुक जाना भी नहीं है, वरन् यह विश्व की समस्याओं के प्रति एक सकारात्मक और गम्भीर दृष्टिकोण है। यद्यपि नेतृत्व के कारण गुट-निरपेक्ष नीति के विकास में पर्याप्त सहायता मिली किन्तु नेतृत्व का पहलू इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह दिनाई देता है, क्योंकि जिन परिस्थितियों ने गुट-निरपेक्षता की नीति को जन्म दिया उन्होंने इन नेताओं का भी विकास किया। कारण चाहे कुछ भी हो किन्तु गुट-निरपेक्षता की नीति और प्रभावशाली नेतृत्व दोनों साथ-साथ चले हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुट-निरपेक्षता की नीति एक देश द्वारा उठा सपना बन गई जाती है जब कि उस पर सधि में बचने के लिए अधिक दबाव न डाले जाय। इतने पर भी गुट-निरपेक्षता को एक स्वभाविक चीज नहीं कहा जा सकता जो अपने आप विकसित हो जाती हो, वरन् अनेक विभिन्न प्रकार के प्रभाव हैं जो राष्ट्री को इस नीति की ओर प्रेरित करते हैं। इनमें से कुछ प्रभाव तो ऐसे हैं जो गुट-निरपेक्ष और गुट-मापेक्ष देशों में समान रूप से पाए जाते हैं जब कि अन्य कुछ प्रभाव ऐसे हैं जो केवल गुट-निरपेक्षता की नीति के लिए भी विशेष हैं।

गुट निरपेक्ष नीति का उद्देश्य

(The Object of Non-alignment)

गुट-निरपेक्ष नीति एक देश को मत प्रकट करने की स्वतन्त्रता प्रदान करती है। इस नीति को मानने वाले देश किसी भी प्रकार की विदेशी सहायता को अस्वीकार कर देते हैं यदि वह उनके आन्तरिक विषयों पर हस्तक्षेप करने का प्रयास करे। स्वतन्त्रता की रक्षा इस नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है और यदि सहायता देने के माध्यम से विदेशों द्वारा उसकी

स्वतन्त्रता को छीना जाता है तो वह इस सहायता का बलिदान कर देगा। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर जो दृष्टिकोण अपनाया जाता है वह विषय का प्रकृति एवं औचित्य पर आधारित होता है। इन देशों की मान्यता है कि महाशक्तियों द्वारा कही गई बात अन्तिम सत्य नहीं होती, क्योंकि वे अपने स्वार्थ एवं अन्य भावनाओं से प्रभावित होती हैं। शीत युद्ध से अलग रहने के कारण गुट निरपेक्ष देश किसी समस्या को वस्तुगत रूप से देख सकते हैं और दृष्टिकोण की यह स्वतन्त्रता ही गुट-निरपेक्ष नीति का एक मुख्य उद्देश्य है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेक विचारक गुट-निरपेक्षता की नीति को केवल एक साधन मानते हैं तथा उसे विदेशी नीति का स्तर देने को तैयार नहीं हैं। यह सच है कि गुट निरपेक्षता की नीति द्वारा सम्बन्धित देशों ने आर्थिक विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है और विदेशों से पर्याप्त सहायता प्राप्त की है किन्तु इस आधार पर गुट निरपेक्षता को कोई नीति न मानना गलत है। लेखकों के मतानुसार विदेश नीति भी एक साधन होती है जिसने सहारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। अमल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में साधन और नीति के बीच कोई महत्वपूर्ण अन्तर स्थापित करना मुश्किल है। गुट निरपेक्षता विदेश नीति का एक मुख्य साधन है।

गुट-निरपेक्षता की नीति के द्वारा एक राष्ट्र अपनी सम्प्रभुता एवं प्रादेशिक अखण्डता को रक्षा का प्रयास करता है। जब भारत को दोनों ही गुटों से सैनिक सहायता प्राप्त हुई तो पाकिस्तान और चीन आदि देशों ने यह दृष्टि लगाया कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का त्याग कर दिया है। सन् १९६२ के चीन आक्रमण से पूर्व भारत द्वारा विदेशों से केवल आर्थिक सहायता प्राप्त की जाती थी किन्तु समय की आवश्यकताओं से प्रभावित हो कर भारत ने अपनी विदेश नीति को समायोजित किया और सैनिक सहायता स्वीकार की। यद्यपि भारत ने सैनिक सहायता ली किन्तु—उसने—अपने प्रदेश पर विदेशी सेनाओं एवं सैनिक अड्डों को स्थापित होने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार विदेशी सहायता, चाहे वह सैनिक हो अथवा आर्थिक, उस समय तक गुट-निरपेक्षता के विरुद्ध नहीं कही जा सकती जब तक कि वह सम्बन्धित देश की विदेश नीति की दृष्टान्तता समाप्त नहीं करती। यदि कोई देश अपनी स्वतन्त्रता एवं प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा के लिए विदेशी सहायता की स्वीकार करता है तो एक प्रकार से वह उन्हीं लक्ष्यों को दिना में अप्रमत्त हो रहा है जिनकी ओर हमें गुट निरपेक्षता की नीति ले जाती है। सैनिक सहायता के माध्यम से गुट निरपेक्ष नीति का मार्ग गुप्त तथा निर्वाचन बन जाता है।

गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का एक अन्य लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना है। इस नीति में विश्वास करने वालों का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति एक नैतिक एवं मानवीय उद्देश्य है जो युद्ध की अमानवीय बर्बरताओं से बचा कर सम्यता एवं सस्कृति के प्रसार को आगे बढ़ाता है। गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा विश्व शांति का समर्थन केवल इसीलिए नहीं किया जाता कि वह उनके आर्थिक विकास एवं राजनैतिक स्थिरता के लिए जरूरी है बल्कि इसलिए भी किया जाता है कि आज का युद्ध विश्वसंस्कारो बन गया है। इसके अतिरिक्त शांति अपने आप में एक अच्छाई है और इसे किसी अन्य कारण के लिए नहीं चरन् इसकी अन्तर्निहित अच्छाई के लिए ही अपना लिया जाना चाहिए। युद्ध के न होने पर ही मानव मात्र द्वारा सम्यता एवं सस्कृति के क्षेत्र में नई प्रगति का कुछ मूल्य होता है। नेहरू के कथनानुसार गुट-निरपेक्ष नीति युद्ध नहीं चाहती है, यह शांति के लिए सकारात्मक रूप में प्रयास करती है तथा सहयोग में विश्वास करती है।

गुट निरपेक्षता की नीति राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का साधन भी है। कुछ लेखकों के अनुसार जब गुट निरपेक्षता के माध्यम से राष्ट्रीय हितों को साधने का प्रयास किया जाता है तो वह नीति बन जाती है और जब इसे विश्व शांति की स्थापना के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो यह एक साधन बन जाती है। यदि गुट निरपेक्षता को हम आर्थिक आत्मनिर्भरता, या राजनैतिक स्वायत्तता अथवा उपनिवेशवाद के विरोध का साधन मात्र ही मान लें तो ऐसी स्थिति में इन लक्ष्यों के प्राप्त हो जाने पर गुट निरपेक्षता का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए यह जरूरी है कि इसके साथ किमो स्थायी एवं सर्वनालीन मूल्यों को समुक्त किया जाये। इस मूल्यों के साधन के रूप में ही हम इसका मूल्य भाक सकते हैं। विश्व शांति की प्राप्ति को एक ऐसा ही मूल्य बताया गया जिसको प्राप्त करने के लिए गुटनिरपेक्षता को नीति को साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। गुटनिरपेक्ष देश विश्व शांति को राष्ट्रीय हित में भी अधिक प्रयुक्तता प्रदान करते हैं। यह कहा जाता है कि अनेक विचारक गुट-निरपेक्षता की नीति में छिपी शक्ति को नहीं पहचान सके जिसके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण निराकरण किया जा सके। यही कारण है कि जार्ज श्वार्ज़ेनबर्गर (George Schwarzenberger) ने गुटनिरपेक्षता की नीति को आत्म-केन्द्रित नीति बताया है। मार्क्स-यो तथा रीनाल्ड नीबर आदि लेखक इसे केवल विचारधारा मात्र कहते हैं। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन विचारकों का अर्थ यही है कि गुटनिरपेक्षता की नीति विदेशी सहायता प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। यह बचन अतिशयोक्तिपूर्ण होने

क माय माय गठन भी है क्योंकि यह नीति मुख्य रूप से विश्व शांति की स्थापना का प्रयास करती है।

गुटनिरपेक्षता का नीति समुच्चय राष्ट्रमय का तथा निःशस्त्रीकरण को दिना में नियोजन वाले प्रयासों का मनन करती है। यह नीति उन सभी कार्यों का समर्थन करती है जो अन्तर्राष्ट्रीय शिवाय को दूर करने में सहायक करते हैं। एना स्थिति में समुच्चय राष्ट्रमय एवं निःशस्त्रीकरण सम्मेलन को सफलता का गुटनिरपेक्षता राज्यों के लिए अत्यन्त महत्व होता है। गुटनिरपेक्षता नीति का अस्तित्व ही विश्व शांति के अस्तित्व पर निर्भर करता है। युद्ध छिड़ जाना पर गुटनिरपेक्षता नाम की कोई चीज न रहेगी। स्वर्गीय धरा नहल यह कहा करते थे कि यदि वास्तविक युद्ध छिड़ गया तो गुटनिरपेक्षता अथवा अलम्बन राज्यों के सामने इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं रहता कि व जिसे भी उचित समझें उस पक्ष के साथ व्यापकतया या सांख्यिक रूप से युद्ध में शामिल हो जाएँ। इस प्रकार तृतीय विश्व युद्ध की रोकना इस नीति का केवल लक्ष्य ही नहीं है वरन् यह उसके अस्तित्व की आवश्यक घटक भी है।

भारत में गुटनिरपेक्षता व असंलग्नता की नीति

(Non aligned Policy in India)

भारत न स्वतन्त्रता व वाद से ही अपनी विदेशी नीति का आधार गुटनिरपेक्षता या असंलग्नता को बनाया है। भारत की यह नीति है कि वह वनमान दि व राजनीति व दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल नहल होगा। किन्तु अ ग रहते हुए भी उनसे मैत्री सम्बन्ध कायम रखने की चेष्टा करेगा और उनकी प्रिनागत सहायता में अपनी उन्नति करने में तत्पर रहेगा। भारत का विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति में वह महत्वपूर्ण योग्यता दे सकगा जब अवन विवेक को स्वतन्त्रता को वह सुरक्षित रहे। भारत की गुटनिरपेक्षता या असंलग्नता की नीति सकारात्मक और गतिशील (Positive and Dynamic) है।

स्वाधीन भारत का इतिहास बताता है कि इस देश ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर सश्रिय रूप से भाग लिया है और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुनधान में पूर्ण समाह से अवन सहायक दिया है। भारत की नीति तत्स्थ वही तन है कि नक वह पक्ष में ही किसी पक्ष व साथ अवन को वाधना नल चाहे, चाहे शांतिविरुध्द है कि अत्यन्तकरन अन्तरे पर भारत धृष्टकर अन्तर समागत अवन वाता नहल है। भारत कभी भी और किसी भी एक पक्ष का समर्थन करने का तयार रहा है जिसकी नीति को उसने

विश्व शांति और सुरक्षा के लिए उपयोगी माना है। इसी तरह वह ऐसे पक्ष का विरोध करता रहा है जिसकी नीति को उसने शांति और सुरक्षा के लिए अहितकारी समझा है।

भारत की असलमता की नीति का उद्देश्य किसी तृतीय गुट का निर्माण करके उसका नेतृत्व करना नहीं है। भारत तो दो विरोधी गुटों के बीच सन्तुलन स्थापित करना चाहता है। वह विश्व राजनीति रूपी समुद्र के दो किनारों के बीच एक पुल बनाने का आकांक्षी है। भारत की असलमता की नीति उसे भौतिक गुटों से दूर रखे हुए है। लेकिन पड़ोसी और अन्य राष्ट्रों के बीच अन्य सब प्रकार के सहयोग को प्रोत्साहन देने में यह नीति बाधक नहीं है। हमारा इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि हमने असलमता की नीति पर चलते हुए विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार की संधियाँ की हैं किन्तु इन सन्धियों का चिह्न भौतिक न होकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रहा है।

भारत की असलमता का अभिप्राय कोय शांतिवाद नहीं है। भारत की असलमता, निर्बलता या अशक्ति की छोटकरी नहीं है। यदि भारत पर आक्रमण होना है तो निश्चय ही हथियारों का जवाब हथियारों से दिया जायेगा। १९६२ में चीनी आक्रमण के समय भी यही हुआ और बाद में १९६५ के पाकिस्तान के आक्रमण के समय भी यही हुआ। पर भारत के हथियार भारत की रक्षा के लिए हैं, दूसरे देश की सीमाओं का प्रतिरक्षण करने के लिए नहीं।

असलमता की नीति के कारण

भारत ने असलमता की यह नीति कुछ अल्पसंख्यक कारणों के आधार पर अपनायी है जो संक्षेप में इस प्रकार हैं—

(१) भारत किसी भी देश पर शासन करना नहीं चाहता, अपितु विश्व में शांति बनाये रखने का इच्छुक है। इस दृष्टि से उसके लिये किसी भी गुट में शामिल होकर अकारण ही विश्व में तनाव की स्थिति पैदा करना उपयुक्त नहीं है।

(२) भारत युद्ध को दूर रखने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहता है, किन्तु यदि किसी गुट विरोध में सम्मिलित होने की उसने चेष्टा की तो उसका यह प्रभाव निश्चित रूप से क्षीण हो जायगा।

(३) भारत अपनी विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता को बनाये रखना चाहता है। यदि उसने किसी गुट विरोध को अपना लिया तो उसे अनिवार्य रूप से विरोध की समस्याओं पर वही रूप अपनाना पड़ेगा जो उसका गुट अपना रहा है।

(४) असलमता की विदेश नीति भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है। बहुत से विचारक, जो अबसरवादिता की विदेश नीति को श्रेष्ठ मानते हैं, वे भी इस प्रकार की नीति से सतुष्ट होंगे। स्वतन्त्र वैदेशिक नीति कालान्तर में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। भारत, अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को और अपनी याजनाओं की सिद्धि के लिए विदेशी सहायता एवं सहायता पर बहुत कूट निर्भर है। असलमता की नीति उसके इस लक्ष्य को भली प्रकार सम्भव बना रही है। किसी गुट में शामिल न होने के परिणामस्वरूप ही यह सम्भव हुआ है कि भारत के सम्पन्न विश्व के दोनों शक्तिशाली शक्तियों के साथ अच्छे हैं और साविधत रूप तथा अमेरिका दोनों से एक ही साथ उच्च सहायता मिल पा रही है। इससे अतिरिक्त किसी एक गुट के हाथों में खेदने की नाति न केवल अर्थात् है वरन् भारत जैसे राष्ट्र के लिये अस्मानजनक भी है।

(५) भारत की भौगोलिक स्थिति भी उसे असलमता की नीति अपनायन को बाध्य करती है। हम पश्चिमी गुट के साथ सैनिक गुटबन्दी नहीं कर सकते क्योंकि विद्वत् के पश्चिम विरोधी दो प्रमुख और अत्यन्त शक्तिशाली साम्यवादी देशों की सीमाएँ भारत की सीमाओं के सन्निकट हैं। दुर्भाग्यवश साम्यवादी चीन से हम संपर्क की स्थिति में हैं और यदि पश्चिमी सैनिक खेमों में शामिल हो कर हमने रूस की सहानुभूति भी खो दी तो यह हमारे लिये निश्चित रूप से अहितकर होगी। भारत के निकटवर्ती साम्यवादी एवं अन्य देशों में सैन्यपूर्ण सम्बन्धों का होना इसलिए भी आवश्यक है कि उनके आक्रमण की शूरत में पाश्चात्य शक्तियों की सहायता उपयुक्त समय एवं प्रयुक्त मात्रा में प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरी ओर यदि हम साम्यवादी देशों के खेमों में सम्मिलित होते हैं तो इसका स्पष्ट परिणाम अमेरिका एवं दूसरे पाश्चात्य राष्ट्रों को अप्रसन्न करना होगा जिससे उनके द्वारा दी जाने वाली सतत विनाश आर्थिक सहायता अवरुद्ध हो जाएगी और भारत का आर्थिक ढांचा बुरी तरह लज्जता जाएगा। इसके अतिरिक्त साम्यवादी खेमों में हमारी दान-कटी दाम्नी इसलिए भी नहीं हो सकती कि अपनी अतीत की परम्पराओं के कारण हम साम्यवादी सिद्धान्त को अच्छा नहीं मानते और हितात्मक एवं दमनकारी नीतियों तथा व्यवहारों को बुरी निगाह से देखते हैं।

(६) असलमता की नीति भारत की परिस्थितियों और उसकी परम्पराओं में मेल खाती है। ९ दिसम्बर, १९५८ को तत्कालीन प्रधान मंत्री प० नेहरू ने लोकसभा में कहा था कि गुटबन्दी में शामिल न होने की नीति को उन्होंने कब्र बानी दी है, उमरा उपादन नहीं किया है। यह एक ऐसी

नीति है जो भारत की परिस्थितियों में, भारत की प्राचीन विचारधाराओं में और विश्व की वर्तमान आवश्यकताओं में स्वभाविक है। इस विचारधारा का सार भारत के लोगों के सहायक म सहिष्णुता की विचारधारा का पाया जाना है। भारतीयों ने इस परम्परा को पत्र-धर्मग्रन्थों और इतिहास में उत्तराधिकार में पाया है।

(३) भारत की विचारधारा आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तनीय तथा मान्यवादी गुणों की वीच की है और इसलिए यह सादृश्यक एवं स्थानाधिक बन जाता है कि उनकी विदेश नीति में ऐसे दोषों के बोध के भाग का ही अन्वयन किया जाए। भारत साम्यवाद की समानता, वा भेद की उपस्थिति सामान्य गुराण, शोधन का एक सादे विचारों से सहमत है परन्तु उसमें पाई जाने वाली असहिष्णुता हिंसा, स्वतन्त्रता का अभाव एवं दमन पादि दोषों को दृष्टि से दूरता है। इस प्रकार भारत परिवर्तनीय देशों की इस परम्परा ने प्रभावित है कि व्यक्ति के शान्त एवं स्वतन्त्रता का सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किन्तु साम्यवाद के व्यक्ति इन दोषों में साम्यवाद की प्रतिदिना स्वरूप जो दृष्टि एवं कटुता का वातावरण बनता है वह भारत के लिए एक उचित मूल्य परेशी है जिसमें वह असहिष्णुता का प्रतीक मानता है।

पंडित नेहरू ने यह ठीक ही कहा था "किसी मुठ के साथ सैनिक सन्धि में बंध जान के कारण नदी उसका इशार पर नाचना पड़ता है और साथ ही अपनी स्वतन्त्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। अतः चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी देश के साथ सैनिक सन्धि नहीं करते। अब हम असहयोग (Non-alignment) का विचार छोड़ते हैं तो हम अपना रास्ता छोड़ कर बहने लगते हैं। किसी देश से अपना आत्म सम्मान सौना है, यह बहुमूल्य निधि का विनाश है।"

भारत की असहयोगता की नीति एक कमीटी पर

असहयोगता की भारतीय नीति की स्पष्टता करत के उद्देश्य अब हम यह सभ्य में इसना चाहिए कि भारत ने इन नीति का पत्र तर केंने प्रयोग किया है। इस नीति के इतिहास की मुख्य तीन भागों में बांटा जा सकता है—१९४७ से कारिया के मुठ (१९५०) तक, कोरिया मुठ से द्वितीय भारतीय आन विभाजन (१९६७) तक एवं १९५७ के बाद से अब तक।

(१) सन् १९४७ से १९५० के बीच—१९४७ से १९५० के मध्य भारत की असहयोगता की नीति बहुत अस्पष्ट सी रही है और उसकी प्रकृत अन्तराष्ट्रीय मामलों में परिवर्तनीय मुठ की एक हद तक पत्राचार रही।

पश्चिमी गुट की तरफ इस प्रारम्भिक झुकाव के कुछ विशेष कारण थे—
 उदाहरणार्थ मुरखा के मामले में भारत उस समय तक पूर्णतः पश्चिमी
 गुट पर आश्रित था, भारत के शिक्षित वर्ग पर पश्चात्पक्ष देशों का पर्याप्त
 प्रभाव छाया हुआ था और सर्वोपरि आर्थिक दृष्टि से हमारा देश पश्चिमी
 गुट पर बहुत अधिक आश्रित था। स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद कुछ काल तक
 भारत का व्यापारिक सम्बन्ध केवल पश्चिमी राष्ट्रों से था और देश के आर्थिक
 पुनर्निर्माण के लिए सहायता मुख्यतः ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से ही
 प्राप्त हो सकती थी। अतः स्वाभाविक था कि इन परिस्थितियों में भारत
 असलमता की नीति के सही रास्ते पर चलते हुए भी एकदम निष्पक्ष नहीं
 रह सका। उदाहरणों द्वारा इस बात को मली प्रकार समझा जा सकता है।
 सर्वप्रथम पूर्वी जर्मनी के प्रति भारत की नीति एकदम निष्पक्ष नहीं रही।
 विभाजित जर्मनी में एक को (पश्चिमी जर्मनी को), जो पश्चिमी गुट से सम्बद्ध
 था, कटनीतिक मान्यता प्रदान की गई जबकि दूसरे (पूर्व जर्मनी) को यह
 मान्यता नहीं दी गई। भारत का यह तर्क कोई विशेष प्रबल नहीं था कि
 उसने पूर्वी जर्मनी को इसलिए मान्यता नहीं दी है कि ऐसा करना जर्मनी के
 विभाजन को मान लेना होगा। इसी तरह का थोड़ा बहुत पक्षपातपूर्ण रव
 कोरिया युद्ध के प्रारम्भ में रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी
 राष्ट्रों की तरह भारत ने भी एकदम के शिञ्जक उत्तरी कोरिया को आनामक
 घोषित कर दिया जबकि वस्तु स्थिति यह है कि पश्चिमी देश आज तक भी
 अपन कथन के समर्थन में पूर्णतया विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके
 हैं। यह सम्भावना आज भी वर्तमान है कि स्वयं दक्षिणी कोरिया ने ही
 उत्तरी कोरिया पर आक्रमण किया हो। इस विषय में थोड़ा बरणाकर गुप्त
 का लिखना है—भारत का निर्णय श्री कोण्डापी (Kondapi) की रिपोर्ट
 पर आधारित था और यह रिपोर्ट उसके व्यक्तिगत विचारों से अत्यधिक
 प्रभावित थी।

(ii) सन् १९५० से १९५७ के बीच—१९५० से १९५७ के काल
 में सोवियत सघ के प्रति भारत के रव में कुछ परिवर्तन हुआ। इसने कुछ
 विशेष कारण थे। प्रथम तो १९५३ में स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत
 व्यवस्था में कुछ उदार तत्वों का समावेश हुआ। दूसरे, सामरिक दृष्टिकोण
 से भी सोवियत सघ अधिक सक्रियशाली बना और अपने अणु राष्ट्र होने का
 गौरव प्राप्त कर लिया। तीसरे, अमेरिका के साथ भारत के सम्बन्धों में कुछ
 कटुता आन लगी क्योंकि १९५४ में अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य एक
 सैनिक सन्धि हुई जिसके अन्तर्गत, भारत के तीव्र विरोध के बावजूद, अमेरिका
 ने पाकिस्तान को विशाल पैमाने पर सहायता देने का निर्णय किया। फिर

गोवा की समस्या के प्रति अमेरिकन रक्त ने भी भारतीय जनमत को अमेरिका के विरुद्ध विस्तृत कर दिया। अमेरिका के विदेश मन्त्रि जान फोस्टर डलैस ने सार्वजनिक तौर पर गोवा में पुर्तगाल का समर्थन किया। इन परिस्थितियों में यह भारतीय विदेश नीति स्वभावतः सोवियत संघ के प्रति, जिन्होंने भारतीय रक्त का हमेशा समर्थन किया, कुछ उदार एवं मैत्रीपूर्ण बनी। इन दोनों देशों के बीच इस बड़ती हुई मित्रता को पण्डित नेहरू और श्री स्ट्रुचेव के भ्रमणों ने भी अधिक मजबूत कर दिया। सोवियत संघ के साथ केवल राजनीतिक सम्बन्ध ही प्रगाढ़ नहीं हुए बल्कि व्यापारिक सम्बन्ध में भी काफी वृद्धि हुई और भारत को उससे पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलने लगी। इस काल में ही दो महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ घटी—स्वेज पर ब्रिटेन और फ्रांस का आक्रमण तथा हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। स्वेज पर से पश्चिमी राष्ट्रों के आक्रमण को दूर करने और विश्व से आतङ्कता फोनों को हटाने के मामले में भारत ने सोवियत संघ के साथ पूर्ण सहयोग किया। हंगरी की समस्या पर भी भारत की नीति प्रारम्भ में सोवियत संघ का समर्थन करती रही।

(iii) सन् १९५७ से १९६६ के अन्त तक—१९५७ में द्वितीय आम निर्वाचन हुए और इसके बाद से ही भारत की नीति पुनः पश्चिमी गुटों की ओर कुछ अधिक झुक गई। इसके भी कुछ कारण थे। प्रथम तो निर्वाचकों ने यह प्रकट कर दिया कि भारत में साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ रहा है। दूसरे १९५७ के गम्भीर आर्थिक संकट ने, देश में स्वायत्त और विदेशी मुद्रा की कमी ने तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भावी असफलता ने भारत को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वह असलम्नता की नीति पर चलते हुए भी, यथासम्भव पश्चिमी गुट के साथ अपना मेलजाल बढाये। स्वयं कांग्रेस पार्टी के अन्दर दक्षिण पन्थियों का प्रभाव बढ़ा और नेहरू मन्त्रिमण्डल में कुछ ऐसे लोगों का प्रवेश हुआ जिनकी सहानुभूति अमेरिकन गुट के प्रति अधिक थी। भारत की इस नीति में इस परिवर्तन का पहिले स्पष्ट मकेत हंगरी की समस्या में भारतीय रक्त के बदलने से मिला; जहाँ शुरू में इस बारे में भारत ने सोवियत संघ का समर्थन किया था वहाँ बाद में वह अपनी पूर्ण स्थिति से हट कर सोवियत संघ का विरोध करने लगा। अब पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया में पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध भी भारत बहुत बन्द षवान से करने लगा। विपत्तनाम संकट में भारत की अस्पष्ट दुःसुख नीति भी परिस्थितियों का परिणाम बनी जा सकती है।

नवम्बर १९६२ में चीन द्वारा भारत पर विशाल पैमाने पर आक्रमण किये जाने पर असलम्नता की नीति की अग्नि परीक्षा हुई। अधिकांश क्षेत्रों

से यह माग की जान लगी कि असलानता की नीति पूर्णतः अस्फुट हो चुकी है, अतः देश के हित में इसका जल्दी से जल्दी परिवर्षण होना चाहिये, लेकिन राष्ट्र के नाम अपने रेडियो ब्राडकास्ट में श्री नेहरू ने स्पष्ट घोषणा की कि भारत अपनी असलानता की नीति का अनुसरण करता रहेगा। चीन के आक्रमिक और विनाशकारी आक्रमण के कारण भारत को कुछ सम्भार सैनिक पराजयों का सामना करना पडा और भारत सरकार की अपील पर अमरीका व ब्रिटेन से सहायतायें बहुत बड़ी मात्रा में सस्त्रास्त्र भारत पहुँच। इस अवसर पर विरोधियों को असलानता की नीति की आलोचना करने का और उस व्यर्थे दानान का एक और अवसर मिला। यह कहा जाने लगा कि जब सम्पूर्ण विश्व ही दो विरोधी गुटों में विभक्त है तो भारत द्वारा असलानता की नीति का अवलम्बन करना पूर्णतः अव्यावहारिक है। भारत का गुटों में से—साम्यवादी गुट के प्रमुख सदस्य चीन के साथ युद्धरत है और उसका सामना करने के लिये अमरीकन गुट द्वारा सैनिक सहायता ले रहा है। अब इन परिस्थितियों में असलानता की नीति को कोई बका रहा है और समय आ गया है कि भारत को अब अपनी स्थिति का पुनर्निर्धारण स्पष्ट दिशा में कर लेना चाहिये।

यद्यपि स्वयं पण्डित नेहरू का चीनी आक्रमण से बहुरा आधान पहुँचा था, किन्तु फिर भी वे विरोधियों और आलोचकों के तर्कों के सामने परास्त नहीं हुए और उन्होंने यह मानना गम्हार कर दिया कि असलानता की नीति ग्राहनी है अथवा देश के लिये अहितकारी है। उन्होंने यहो कहा कि भारत के एक में यह नीति सर्वोत्तम है तथा वे उसका अनुसरण करते रहेंगे। श्री नेहरू का प्रवल तर्क यह था कि आक्रमणकारी का मुकाबला करने के लिये भारत न जो भी सस्त्रास्त्र की सहायता ली है, उसके साथ किसी प्रकार की राजनीतिक या अन्य दान नही लगी है। किन्तु भा अतर्क सहायता को लेने का अनिप्राय असलानता की नीति से दूर हटना नही कहा जा सकता। असलानता की नीति के आलोचकों को इस नीति के समर्थकों ने यह करारित उत्तर दिया कि यदि इस नीति का परिष्कार कर दिया गया तो भारत, चीन-सीमा-सम्पर्क सन्धि युद्ध का एक अंग बन जाएगा और तब भारत चीन विवाद १०० वर्षों में भा हल नहीं हो सकेगा। इसके अनिश्चित इतिहास बताता है कि गुटों की नीति कभी भी सही रूप में फलदायक नहीं हो सकी है। अमेरिका के समर्थन के बावजूद न तो कारिया और जर्मनी का एकीकरण हो सका है और न पाकिस्तान को काश्मीर सिन सहा है। इसलिये यह आशा करना निरासूल्य होगी कि यदि भारत पाश्चात्य राष्ट्रों के गुट में या

साम्यवादी गुट में मिल गया तो इसे उनके खोये हुए प्रान्त वापस मिल जायेंगे ।

भारत सरकार की ओर से यह एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि देश अपनी रक्षा के लिए सभी मित्र राज्यों से सहायता लेगा परन्तु असलमनता की नीति का परित्याग नहीं करेगा । भारत चीन सघर्ष के बाद सितम्बर १९६५ में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में असलमनता की नीति की शक्ति को एक बार फिर सही सिद्ध कर दिया गया । पाकिस्तान, सोवियत और संयुक्त राज्यों से सहायता प्राप्त नहीं कर सका । टर्की और ईरान ने उसे सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया भी तो अन्य राज्यों के विरोध, जिसमें पश्चिमी राज्य भी सम्मिलित थे, के कारण पाकिस्तान की मदद पर आये नहीं । इस युद्ध में पाक दृष्टिकोण से यह सिद्ध हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गुटों में सम्मिलित होने की नीति गलत है । बात यही तक सीमित नहीं रही । पाकिस्तान के बहुत बड़े समर्थक समुदाय अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये और यह घोषणा की कि जब तक दोनों पक्ष युद्ध बन्द नहीं कर देंगे तब तक उन्हें किसी भी प्रकार की सैनिक सहायता नहीं दी जाएगी । स्पष्ट ही अमेरिका ने अपनी इस घोषणा द्वारा एक साथी राज्य और असलमन राज्य को एक ही जोड़ में रखा । जब गुटों में सम्मिलित होने से पाकिस्तान को भी लाभ नहीं पहुँच सका तो फिर भारत को लाभ पहुँचने की क्या आशा की जा सकती थी । वास्तव में देखा जाए तो यह असलमनता की नीति का ही परिणाम था कि सऊद की अस्थिरता में भारत को अनेक क्षेत्रों से पूरा समर्थन मिला और युद्ध के समय उसकी कूटनीतिक स्थिति किसी तरह कमजोर नहीं हुई । सुरक्षा परिषद में युद्ध पर बहस के दौरान भी सोवियत संघ द्वारा उसे पर्याप्त समर्थन दिया गया । भारत पाक युद्ध ने असलमनता की नीति की श्रेष्ठता को फिर सिद्ध कर दिया ।

नेहरू की मृत्यु के बाद असलमनता की नीति को नेहरू युग से भी अधिक सफलता प्राप्त हुई । साम्यवादी जगत और पश्चिमी संसार दोनों ही भारत के विचारों की ओर उसके असलमनता की नीति की बढ कर रहे । २७ मई, १९६४ को उनकी मृत्यु के उपरान्त यह आशंका व्यक्त की जाने लगी कि भारत अब असलमनता की नीति का अवलम्बन सम्भव नहीं कर पायेगा । किन्तु उनके उत्तराधिकारी स्वर्गीय लाल-बहादुर शास्त्री ने भी स्पष्ट शब्दों में बतला दिया कि भारत के हक में असलमनता की नीति सर्वोत्तम है और यह उत्तरा किमी भी दशा में परित्याग नहीं करेगा । भारत पाक युद्ध के समय और बाद की घटनाओं ने इस मत की पुष्टि कर दी । भारत

की विदेश नीति का मूल्यांकन करते समय इस पर सविस्तार प्रकाश डाला गया है।

जनवरी, १९६६ में श्री शास्त्री की मृत्यु के बाद जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनी तो उन्होंने भी यह घोषणा की कि भारत हर सूरत में असंलग्नता की नीति का अनुसरण करेगा। अभी तक इन्दिरा प्रशासन ने इस नीति का पालन किया है। विभिन्न दवावों के बावजूद भी इन्दिरा-सरकार इस या उस गुट की ओर नहीं झुकी है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने समय-समय पर पश्चिमी राष्ट्रों की आलोचना की है और सोवियत रूस के पाकिस्तान के प्रति रवैये पर जिन स्पष्ट शब्दों में भारत की नाराजगी प्रकट की है उनमें यह स्पष्ट है कि भारत किसी भी एक गुट से वध कर अपने स्वतन्त्र विचारों को बाध नहीं सजता। शास्त्री और इन्दिरा सरकार ने भारत की विदेशी नीति को असंलग्नता की नीति पर भले प्रकार चलाते हुए भी उसे अधिक यथासंवादी बनाया है। आज विदेश नीति के क्षेत्र में पहले से अधिक यथासंवादी और स्पष्टता दिखाई देती है। अमेरिका की नाराजगी के बावजूद वियतनाम में भारत ने अपनी पहुँचे हो की नीति जारी रखी है और बेकोसलोवाकिया की घटना पर भारत रूसी कार्यवाही के विरुद्ध अपना महाराक्षीय प्रकट करने से नहीं चूका है। पाकिस्तान को सत्शास्त्र देने के प्रश्न पर भारत मुझे शब्दों में अपना क्षोभ प्रकट कर चुका है और यह सकेन दे चुका है कि रूस की यह कार्यवाही भारतीय हितों के लिए घातक है।

असंलग्नता के बदलते हुए रूप

(Changing Patterns of Non-alignment)

प्रायः यह देखा गया है कि सिद्धान्त व्यवहार में परिणत होने समय कुछ भिन्न स्वरूप धारण कर लेता है। आज की तेजी से बदलती जटिल परिस्थितियों में व्यावहारिक रूप से असंलग्नता का वह स्वरूप नहीं रहा है जो हम सिद्धान्त रूप में पढ़ते या सुनते हैं। विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक दवावों के अनेक शणाकणित असंलग्न राष्ट्रों की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से गुट-विशेष के साथ बाध दिया है या उनकी नीतियाँ उम पक्ष में झुक गई हैं। ऐसी प्रवृत्तियों और गतिविधियों को खोज निकालना कठिन नहीं है जो इस मत को बढ़ाते हुए पुष्ट करती हैं कि ये 'असंलग्न' (Non-aligned) राष्ट्र वास्तव में 'संलग्न' (Aligned) होते जा रहे हैं।

हम सर्वप्रथम मयुक्त अरब गणराज्य व सीरिया आदि अन्य अरब राष्ट्रों को ले सकते हैं जो अपने को असंलग्नता की नीति के प्रति निष्ठावान मानते हैं और असंलग्न राष्ट्रों की पंक्ति में बँटने हैं। लेकिन 'व्यवहारतः' यह छिपा

नहीं है कि पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा समर्थित इजरायल के हाथों गम्भीर अपमान-जनक पराजयों ने और इजरायल की निरन्तर बढ़ती हुई सैन्य क्षमता ने उन्हें विवश कर दिया है कि वे अपने सहायक सोवियत रूस के पक्ष में झुक जाय और उसका पूर्ण समर्थन प्राप्त करें। फिर भी इस खतरे के प्रति ये राष्ट्र सचेत हैं कि आर्थिक व सैनिक सहायता के माध्यम से कहीं सोवियत संघ इस क्षेत्र को 'लाल' न बनादे। कहने का आशय है कि इस क्षेत्र में एक प्रकार से 'सचेत व सावधान' गुटबन्दी का अखाड़ा है।

भारत के सम्बन्ध में भी, जो असलमन राष्ट्रों का विरोधी है, आलोचकों का कहना है कि इसकी विदेश नीति को स्वतन्त्र व असलमन कहना एक भ्रान्ति है। महासन्धियों के संधर्ष में प्रारम्भ में भारत सरकार, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर झुकती रही तो बाद में सोवियत रूस के पक्ष में। अरब-इजरायल सम्बन्धों के प्रति भी पूरी तरह अरबों का एकतरफा पक्ष लेकर भारत ने असलमता की नीति के प्रति अपने विश्वास को पक्का ही पहुँचाया है। यद्यपि हमारा लक्ष्य भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन करना नहीं है, तथापि यह अवश्य कहा जा सकता है कि असमजस में पड़ कर भारत की विदेश नीति निरपेक्ष रहने से कभी-कभी विपत्ति ज़रूर हो गई लेकिन अत्यन्तता और मन्देह का कोहरा मिटते ही वह सही मार्ग पर आ गई। फिर यह भी नहीं भूलना चाहिये कि प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का मूल लक्ष्य अपनी सुरक्षा, समृद्धि और स्वतन्त्रता की रक्षा करते हुए देश के हितों की अभिवृद्धि करना होता है और इसी लक्ष्य के अन्तर्गत कूटनीति का आशय लेते हुए कठिनय ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिनके लोभों को यह भ्रम पैदा हो सकता है कि विदेश नीति अपनी दिशा बदल रही है। भारत की असलमता की नीति कठिनय अवसरों पर इसी प्रकार के भ्रम का शिकार बनी है। इसके अतिरिक्त यदि हम किसी राष्ट्र से अत्यंत आर्थिक व सैनिक सहायता लेते हैं तो इसके हमारे असलमता की नीति सन्धित नहीं होती।

वस्तु स्थिति यह है कि 'असलमता' का अर्थ निश्चित मादण्ड नहीं है और आज के पटिल अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को देखते हुए यह कहना कठिन है कि कौन राष्ट्र निश्चित रूप से किस सीमा तक असलमन है। असलमता अपने आदर्श रूप में सम्भवतः कहीं भी विद्यमान नहीं है और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते हुए मोहरे भविष्य में असलमता की नीति को नहीं बरक सफल व प्रभावी होने देंगे—यह नहीं कहा जा सकता।

चीन और सोवियत रूस का संघर्ष

(SINO SOVIET CONFLICT)

सोवियत रूस और चीन सप्ताह के दो महान् शक्तिशाली देश हैं जिनका पारस्परिक सम्बन्ध विश्व राजनीति को बहुत गहरे रूप में प्रभावित करने की क्षमता रखता है। साम्यवादी जगत के इन दो महान् राष्ट्रों में प्रारम्भ में बड़े मंत्रोपार्ण सम्बन्ध थे लेकिन शान्ति शान्ति कतिपय सैद्धान्तिक और राजनीतिक कारणों से दोनों के मध्य मन-मुटाव बढ़ते गये और आज इनका पारस्परिक सम्बन्ध अथवा मन मुटाव विश्व राजनीति के लिए गहरे अध्ययन और सूत्रि की सामग्री बना हुआ है। हमारे लिए यह अपेक्षित होगा कि हम इन दोनों महान् देशों के पहलू के मंत्रोपार्ण पारस्परिक सम्बन्धों को जान लें और तब यह देखें कि दोनों के वर्तमान सम्बन्धों की गूढमूर्ति क्या है और किन किन मुद्दों पर दोनों के मध्य खींचतान या मन मुटाव है।

चीन में लम्बे गृह युद्ध के बाद १ अक्टूबर, १९४९ को वर्तमान साम्यवादी चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। क्यागवाई सेना की राष्ट्रवादी सरकार ने भागकर फारमोसा में शरण ली। आज भी इन दोनों चीनों - राष्ट्रवादी और साम्यवादी चीन का अस्तित्व है।

साम्यवादी चीन की स्थापना के तुरन्त बाद सोवियत रूस के साथ उसकी मंत्री सेना में फटती फूलती गयी। माओत्सेतुंग ने अपने महान् जाति भाई रूस की यात्रा की और २४ फरवरी, १९५० को दोनों देशों के मध्य तीन संधियाँ हुईं—(i) ३० वर्ष के लिए मंत्रोपार्ण पारस्परिक सन्धि, (ii) चांग-शुंग रेलवे, पाईप लाइन्स और ट्रांसमिशन लाइन्स के सम्बन्ध में सन्धि (iii) जंगल सम्बन्धी

सन्धि। प्रथम संधि के द्वारा यह निश्चय किया गया कि आक्रमण की स्थिति में दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। द्वितीय सन्धि द्वारा यह निश्चय हुआ कि सोवियत संघ चांग-चुंग रेलवे को चीन को सौंप देगा एवं पोर्ट आर्थर भी चीन को लौटा दिया जाएगा। तृतीय संधि के द्वारा रूस ने चीन को विशाल मात्रा में ऋण देना स्वीकार किया।

उपरोक्त सन्धियों के सम्पन्न हो जाने के उपरान्त सोवियत रूस और चीन के सम्बन्ध कुछ वर्ष तक अत्यन्त महत्वपूर्ण रहे। सितम्बर १९५२ में चांग-चुंग रेलवे चीन को लौटा दी गयी। १९५५ में पोर्ट आर्थर चीन को हस्तान्तरित कर दिया गया। इस अवधि में सोवियत संघ द्वारा चीन को दी जाने वाली वित्तीय, वाणिज्यिक और प्राविधिक सहायता में भी निरन्तर वृद्धि होती गयी। चीन का लगभग ७० प्रतिशत व्यापार रूस के साथ होने लगा जिसमें १९५० के बाद निरन्तर वृद्धि होती चली गई। १९५४ में ही रूस ने चीन को प्रमुख उद्योगों में भी सहायता देना स्वीकार किया परन्तु साथ ही यह निर्णय भी हुआ कि चीन द्वारा अणु-परीक्षण रूस की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। इसके अनिश्चित चीनी-रूसी मैत्री संगठन स्थापित किये गये। रूसी साहित्य का चीनी भाषा में अनुवाद करवाना भी आरम्भ हुआ।

राजनैतिक क्षेत्र में भी दोनों राष्ट्रों ने एक दूसरे के सारकारी समय तक सहयोग से काम किया। सोवियत संघ ने चीन को मजबूत राष्ट्र रूप में स्थापित करने के लिए निरन्तर प्रयास किया। १९५४-५५ में दोनों ही देशों ने पश्चिमी शक्तियों, विशेषकर अमेरिका द्वारा निर्मित प्रादेशिक सैनिक संगठनों की बटुतम आलोचना की। १९५६-५७ में दोनों ने मिस्र पर ब्रिटेन व फ्रांस के आक्रमण की निन्दा की। हंगरी और पोलैण्ड में जब दक्षिण पक्षी दंगे हुए तब भी दोनों देशों ने निरन्तर रूस से विचार विमर्श होने रहे। १९५८ में टोटो के समोपनवाद की बटु आलोचना भी दोनों ही देशों के द्वारा की गई। सोवियत संघ की नाति ही अन्य साम्राज्यवादी देशों के साथ चीन के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सम्पन्न रहे।

परन्तु चीन और समाजवादी छेमे के अन्य देश - विशेषकर रूस के पारस्परिक सम्बन्ध अधिक समय तक मैत्रीपूर्ण नहीं रह सके। वास्तव में इनके संबंधों में तनाव का बीजारोपण तो तब ही हो गया जब १९५४ में सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टियों को २०वाँ कांग्रेस की बैठक सम्पन्न हुई। इस कांग्रेस में भाषण करने हुए थी खुरचेव ने दो बातें ऐसी कही थी जो बटुतम मार्क्सवादियों की समझ से परे थी और जिनसे साम्यवादी जगत में सैद्धांतिक तर्कों

को अकारण ही जन्म दे दिया। अभी तक समूचा साम्यवादी आन्दोलन यह मानता आया था कि जब तक पूंजीवाद व्यवस्था का अस्तित्व रहेगा तब तक समाज में युद्धों की अनिवार्यता भी बनी रहेगी। साम्यवादी आन्दोलन की यह भी मान्यता थी कि विभिन्न देशों में समाजवाद की स्थापना प्राति के द्वारा ही संभव हो सकती है। परन्तु श्री लुश्चेव ने परम्परागत इन दोनों मान्यताओं की उपेक्षा की और आणविक आधुनिकों के वर्तमान युग के लिए इन्हें असंगत बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी समाज आज इतना शक्तिशाली है कि किसी भी गैर-साम्यवादी देश को उस तरह आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं हो सकता, बल्कि यह कहना अनुचित है कि युद्ध अवश्यमावी है। इसी तरह फ्रांसि री खलिवार्सका के सम्बन्ध में श्री लुश्चेव ने कहा कि आज समाज के सभी देशों में जन-आन्दोलन इतने गहन हो चुके हैं कि कुछ देशों में समाजवाद की स्थापना हिंसात्मक प्राति द्वारा नहीं बल्कि विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा हो और संभवतः सशस्त्रीय तरीके से ही सम्पन्न हो सकती है। श्री लुश्चेव की ये दोनों स्थापनाओं चीनी नेताओं के गले नहीं उतर सकी। कम-स्वरूप चीनी साम्यवादी पार्टी ने सोवियत नेताओं विशेषकर श्री लुश्चेव पर सशस्त्रीय हमले का आरोप लगाया और उनकी कटु आलोचना करना शुरू कर दिया।

सन् १९५६ के बाद दोनों देशों के बीच शान्ति के लिए संपर्क छिड़ जाने के कारण दोनों के राष्ट्रीय हितों में भी क्लेश पैदा हो गया। साथ ही दोनों का मैकमनिक संपर्क भी पूर्वपिछा तीव्रतर हुआ। श्री लुश्चेव द्वारा मास्को में रखी साम्यवादी दल की सन् १९५३ में आयोजित कांग्रेस और १९६१ की २२वीं कांग्रेस में भी स्टालिन की तीव्र भर्त्सना एवं निन्दा की गई। श्री लुश्चेव के इस स्टालिन विरोधी अभियान को विग्टालिनिकरण की संज्ञा दी गई। पेरिस की इस नये नेताओं का यह व्यवहार बड़ा नागावार गुत्तरा। इसी तरह जब मास्को युगोस्लाविया को साम्यवादी भ्रातृत्व में वापिस बुलाने के लिए तत्पर हुआ तो चीन को बड़ा बुरा लगा। चीनी विदेश मंत्री श्री चैन यी ने युगोस्लाव पुनर्विचारवाद पर तीव्र आक्रमण आरम्भ कर दिया— तीसरा इसलिए क्योंकि चीनियों की दृष्टि में युगोस्लाव राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने अमेरिकावासियों के साथ सहअस्तित्व का इरादा जाहिर करके घोर अपराध किया था।

सोवियत तम और चीन के मध्य मतभेदों की खाई निरन्तर चौड़ी होती गई। सितम्बर, १९५९ में श्री लुश्चेव की अमेरिका यात्रा को चीन ने बहुत बुरा समझा इसलिए श्री लुश्चेव की, जब उन्होंने चीन की यात्रा की, पेरिस में कोई विशेष स्वागत प्राप्त नहीं हुआ। श्री लुश्चेव ने अपनी इस चीन यात्रा (१९५९ में) के दौरान स्वयं जान पर बण दिया कि यदि साम्यवादी अस्तित्व ही समाप्त क्यों न हो जाए, उन्हें पूंजीपति राष्ट्रों के विरुद्ध गठित कर

प्रयोग करत से बचे रहना चाहिये । चीन के मार्क्सवादी नेताओं को श्री खुश्चेव का यह बयान 'प्रतिनिधावादी शक्तियों की प्रगतिवादी शक्तियों पर विजय के समान प्रतीत हुआ ।' श्री खुश्चेव न अमेरिकन राष्ट्रपति आइजनहोवर की राजनातिज्ञता की जो प्रशंसा की वह भी चीनवासियों के गले न उतर सकी । चीनियों को श्री खुश्चेव की अमेरिका यात्रा एक प्रकार का विश्वास-पात लगी ।

चीन और रूस के सम्बन्धों में तर और भी बढ़ता चला जाई जब १९५६-६० में चीन के भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद पर श्री खुश्चेव ने यह आशा व्यक्त की कि दोनों देश अपने तत्मा सम्बन्धी जगडों का सीध ही कोई शान्तिपूर्ण हल खोज लगे । श्री खुश्चेव ने चीन का कोई पृष्ठपोषण न करते हुए, उनकी मित्रता को लगभग वैसा ही दर्जा दिया जो भारत को । माओ, चाऊ और अन्य चीनी नेताओं को यह बड़ा बुरा लगा ।

साम्यवादी चीन और सोवियत रूस में १९५० से विभिन्न प्रदलों पर मैक्रानिक मतभेद उत्पन्न होने लगे । साम्यवादी आन्दोलन का सत्तार भर में पैलात के विषय में मतभेद प्रबलता अधिक उत्पन्न हुए । जून, १९६० में बुखारेस्ट में हुए रमानिया नवंबर दश के तृतीय सम्मेलन के अवसर पर श्री खुश्चेव ने अपने इस मत की पुन पुष्टि की कि सैनिक का 'प जीवाद के अधीन युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धांत' अब लागू नहीं होना । दूसरी ओर चीनी प्रतिनिधि मण्डल के नेता ने घोषणा की कि जब तक साम्राज्यवाद विद्यमान है युद्धों का खतरा बना रहेगा इसके बाद नवम्बर, १९६० में मास्को में साम्यवादी नेताओं का जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसमें भी उत्तरी-चीनी सिद्धान्तिक मतभेद और भी तेजी से उत्पन्न कर सामने आये । चीन रूस से इस कारण भी बहुत अधिक विड गया कि जुलाई, १९६० का रूस ने चीन को विक्राम योजनाओं में लगे समस्त सोवियत वैज्ञानिकों को सीा दिन का नोटिस देकर घुला लिया जोर यह उत्तरी कर्मचारी अरब साथ विश्वास योजनाएँ बन्द हो तब उन गये । सोवियत रूस ने चीनों को सामर्थ्य और भगीनें आदि भ्रमना भी बन्द कर दिया । दोनों देशों के बीच मतभेदों को यह लाई तब और भी अधिक चौड़ी हुई जब १९६१ में सोवियत साम्यवादी पार्टी का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ जिसमें २० पय की अवधि में सोवियत रूस में साम्यवाद को स्थापना का नारा दिया गया । इन कार्यक्रम में साम्यवाद का लक्ष्य वस्तुओं की प्रचुरता बढाई गई । चीनी साम्यवाद पार्टी का कार्यक्रम मही हुई साम्यवाद का यह अर्थ जल्पन आवृत्तियों लगा । दोनों देशों के सम्बन्ध तब और भी अधिक कटू हुए जब १९६२ में सोवियत रूस ने भारत को

मिग-विमान देने तथा उतकी बनाने के कारखानों में सहायता देने का समझौता किया। १९६२ में हा क्यूबा संकट में अपनाई गई रूसी नीति न भी चीनीयों को बहुत छुट किया। चीनी नेताओं ने आरोप लगाया कि क्यूबा के सम्बन्ध में सोवियत नीति आदि से अन्त तक गलत रही है। रूस न पहले तो क्यूबा में अरब प्रक्षेपणास्त्र भेजे, किन्तु बाद में नयुक्तर राज्य अमेरिका द्वारा युद्ध की घमका देने पर उन्हें वापिस मगा लिया। चीन नेताओं ने कहा कि रूस का पहिला दाव 'दुम्साहस का था और दूसरा कागजी शेर अमेरिकन साम्राज्यवाद के आगे 'घृणित आत्मसमर्पण करने का। १९६२ में ही भारत पर चीन के आक्रमण के सम्बन्ध में रूसी नीति ने भी चीनी को असंत कर के अग्नि में धीका काम किया। दोनो दवा के मध्य सैद्धान्तिक मतभेदों की यह साई बदती हो गई। १८ नवम्बर, १९६२ की साफिया में हुए वल्लेस्विपन साम्यवादी दल के सम्मेलन में रूसी प्रतिनिधि ने कहा कि "राजतुर्पुर्ण महप्रस्तित्व के अतिरिक्त किसी भी नीति को युक्तिमगत नहीं माना जा सकता।" चीनी प्रतिनिधि ने सोवियत सरकार के इस दृष्टिकोण को घोर निन्दा की।

जुलाई, १९६३ में रूस और चीन की साम्यवादी पार्टियों में बातों हुईं ताकि परस्पर विचारधारा में मेलमज प्राप्त किया जा सके। किन्तु मास्को में हुई यह वार्ता पूरी तरह असफल हो गई और दोनों ही देशों के द्वारा एक दूसरे की बटु धारा में निन्दा की गई। रूसी नेताओं ने अपना यह स्वष्ट मत प्रकट किया कि पश्चिम के साथ युद्ध होने पर मानव जाति समूह नष्ट हो जायगी जिसमें रूसी जनता और उसकी सभ्यता भी सम्मिलित है, अतः ऐसे विनाशक युद्ध की बात सोचना सुर्वेनापूर्व होगा। किन्तु इसके विपरीत चीन नेताओं का यह विचार बना रहा कि साम्राज्यवाद के सम्पूर्ण विनाश के लिए युद्ध संपाद्य है। उतकी (रूसी नेताओं की) विचार प्रणाली कुछ इस प्रकार की थी कि परमाणुविह युद्ध से लडा गया तत्पश्चात् महायुद्ध अन्तिम रूप में अमेरिका और रूस को ही समाप्त करेगा, चीन को नहीं। अपनी विशाल सख्या व बल पर, महायुद्ध के बाद भी, चीन सत्तार की महानतम शक्ति शेष रह जाएगा और तब समार में साम्यवादी शान्ति का प्रदत्त सुगम हो जाएगा।

२५ जुलाई १९६३ का मास्को में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने एक शिष्टाचार परीक्षण निराप मन्धि पर हस्ताक्षर कर के आकाश, बाह्य अन्तरिक्ष और पन के नीचे अतु परिणाम पर रोक लगा दी। किन्तु साम्यवादी चीन न न केवल इस मन्धि का बहिष्कार ही किया बल्कि अपने इस कार्य को उचित ठहरते हुए सोवियत सभ पर यह आरोप लगाया कि वह सकल राज्य अमेरिका के साथ मित्रवर आगविह शक्तों के क्षेत्रों में अतः एकाधिकार कायम रखना चाहता है।

१९६३ तक दोनों देशों के बीच कटना को एक गहरी और लगभग स्थायी खाई बन गई। फिर भी रूस ने जहाँ संयम से काम लिया वहाँ चीन सोवियत रूस के राजनीतिक व्यवहार, विचारधारा व अन्य नीतियों का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कटुतम रूप में विरोध करने लगा। फलस्वरूप रूस को भी अपने बचाव के लिए खुल कर बागे जाना पड़ा और इस तरह इन दोनों महारथियों का धार्म्युद्ध सम्पूर्ण साम्यवादी जगत की एकता को गहरा आघात पहुँचाने लगा।

१९६४-६५ के वर्षों में भी रूस और चीन के सम्बन्धों में और विगाड़ हुए। चीन रूस को पाश्चात्य देशों का अनुचर बताने लगा और उसने यह आरोप लगाया कि वह (रूस) अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर विश्व साम्यवादी आन्दोलन की पीठ में छुरा भोकना चाहता है। जनवरी १९६४ में श्री सुस्चेव को अपदस्थ कर दिये जाने पर पकिंग में बड़ी खुशियाँ मनाई गईं और यह आशा प्रकट की गई कि रूस के नये नेता शक्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को त्याग कर विश्व साम्यवादी आन्दोलन को बलपूर्वक आगे बढ़ायेंगे। परन्तु जब रूस के नये प्रयागमत्री श्री कोसीगिन और राष्ट्रपति ब्रेज्नेव ने पाश्चात्य देशों के साथ सहअस्तित्व की नीति का परित्याग नहीं किया तथा उसके साथ अपने विवादों को शक्तिपूर्वक सुलझाने के भाग्य पर चलने का निश्चय किया तो चीनी नेताओं को बड़ी निराशा हुई और उन्होंने रूस के नये नेतृत्व पर भी उसी प्रकार के लाछन लगाये जिस प्रकार के वे श्री सुस्चेव पर लगाते रहे थे।

रूस और चीन की तनातनी निरन्तर बढ़ती गई। सुस्चेव के पतन के बाद रूस बोरोसेविक पार्टी के ४७ वें वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन-साई भारको गये। उन्होंने अपने भाषण में सोवियत नेताओं से अपील की कि अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन की एकता के प्रयासों में रूस को चीन का साथ देना चाहिए। चाऊ-एन-साई ने सोवियत नेताओं को चेतावनी भी दी कि उन्हें पश्चिमी देशों की साम्राज्यवादी धारों से सावधान रहना चाहिए। सोवियत नेताओं ने अपने जवाब में स्पष्ट कर दिया कि शक्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत में सोवियत रूस का विश्वास है और वह इस सिद्धांत का परित्याग नहीं करेगा। चीनियों की कटनीतिक धारों असफल हो गईं और चाऊ-एन-साई को निराशा होकर पकिंग लौटना पड़ा।

अगले वर्ष अक्टूबर, १९६५ में सोवियत संघ के प्रति वार्शिकोत्सव के समय चीन ने सोवियत संघ के विरुद्ध अजरदस्त प्रचार आन्दोलन शुरू कर दिया। रूस ने सिद्धांत बनेव आरोप लगाये गये। यह भी कहा गया कि

अमेरिका और रूस अन्य देशों को सैनिक दृष्टि से कमजोर बना कर अपना प्रभुत्व पायम करना चाहते हैं।

सीमा सघर्ष—सोवियत सघ और साम्यवादी चीन के सैद्धांतिक मतभेद उग्रतर होने गये। दोनों देशों के बीच इसना मत मुटाव पैदा हो गया कि दोनों के बीच सीमा विवाद ने सीमा सघर्षों का रूप ले लिया। २ मार्च, १९६६ को पूर्वी एशिया में उमुरी नदी के टापू दमिस्क को लेकर दोनों देशों में सीधी सैनिक भिड़न्त हो गई। १५ मार्च को दोनों पक्षों में उसी टापू को लेकर फिर एक सैनिक मुठ-भेड़ हो गई। रूसी सूत्रों के अनुसार पहली झड़प में चीन के लगभग ३०० सैनिक मारे गये जब कि रूसी पक्ष के ३१ सैनिक मरे और १४ घायल हुए। रूस का एक कर्नल भी चीनी गोलीबो का शिकार बना।

रूस और चीन के बीच होने वाले ये सशस्त्र सीमा सघर्ष इस बात का स्पष्ट सबूत करते हैं कि दोनों के बीच न केवल गहरे सैद्धांतिक मतभेद ही हैं बल्कि गहरे सीमा विवाद भी हैं। दोनों देशों के बीच सैनिक भिड़न्त केवल एक निजन छोटे से झोंप के लिए नहीं है बल्कि मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के विस्तृत भाग के लिए है। रूस और चीन की सामान्य सीमा लगभग ४५०० मील लम्बी है। इस सीमा का अधिकांश भाग मध्य एशिया के ऊँचे पहाड़ों पर मरुस्थलों से गुजरता है। रूसी क्षेत्र में कजाखस्तान, किरगिज और उज्बेक गणराज्य हैं तो चीनी इलाकों में सिक्किम का प्रान्त है। पूर्वी एशिया में दोनों की सीमाओं का निर्माण जापूर और उसकी सहायक नदी उमुरी करती है।

रूस और चीन की वर्तमान सीमाओं का निर्धारण रूस के जारों और चीन के मच् सझाटी के बीच हुई सन्धियों द्वारा हुआ था। ये सन्धियाँ १८५८ और १८६० में की गई थी। इन सन्धियों के फलस्वरूप चीन को लगभग ५ लाख वर्ग मील का विस्तृत क्षेत्रफल रूस की देना पड़ा था। साम्यवादी चीन का कहना है कि रूस ने चीन की सत्ताहीन निर्वृत्ता का लाभ उठाते हुए उस पर जबरदस्ती ऐसी सन्धियाँ लाद दी थी जिनके अनुसार उसे अपना विशाल भू-खण्ड देने के लिए बाध्य होना पड़ा था। दूसरी ओर रूस चीन के दावों को दखीना करती है। सन् १९५७ में ख्रुश्चेव ने और बाद में वर्तमान रूसी प्रधान मंत्री ने चीनी दावों को टुकरा दिये हैं। रूस का कहना है कि पुरानी कितानों या पुरानों की हड्डियों के आधार पर इस प्रकार के दावों को नहीं माना जा सकता।

रूस ने कई बार सीमा के प्रश्नों को वार्ता द्वारा दानिपूर्वक हल करने के प्रस्ताव रखे हैं। हाल ही में ३ मई, १९६६ को मास्का द्वारा यह घोषण

की गई थी कि रूस नदियों के सीमा विवाद को मुलजाने के लिए नदी सीमा आयोग बुलाने को तैयार है। लेकिन चीन वा रूस अडगने वाजी और दबाव का है। चीनी सीमा प्रदेश मे रूस का कोई दावा नहीं है। दावा स्वयं चीन का है अतः रूस के अनुसार, भडकाने वाली वायवाहिया चीन ही कर रहा है। पहले तिब्बत और तब भारत के प्रति चीन का जिस प्रकार का रवैया रहा है और भारत के साथ चीन ने जोर जवरदस्ती का जो रूस अपनाया है उतने चीन के सीमा दावों के सम्बन्ध में विश्वास न किये जाने की बात स्वभावतः पैदा हो जाती है। फरवरी १९७० तक समय समय पर चीनी सोवियन प्रतिनिधियों की जो मुलाकातें हुई हैं, उनका इस दिशा में कोई उत्साहजनक फल नहीं निकला है।

अनेक राजनीतिक समीक्षकों वा यह मत है कि सोवियत संघ से छोटी-मोटी शडपें करके चीन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। वह पाकिस्तान और उत्तरी वियतनाम को बताना चाहता है कि चीन एक शक्तिशाली देश है और वे अपने हितों की रक्षा के लिए उस पर निर्भर रह सकते हैं। रूस चीन सीमा संघर्ष अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र मे बहुत महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करेगा, लेकिन इस बात में पूरा सन्देह है कि रूस चीन के साथ बड़े पैमाने पर टकराने वा साहस कर सकेगा। रूस की अपार सैनिक शक्ति के सामने चीन अपनी निर्बलता को खुद भी अच्छी तरह समझता है।

चीन-सोवियत संघर्ष के कारण

(Causes of Sino-Soviet Conflict)

रूस और चीन दोनों देशों के संघर्ष के सम्बन्ध में विचारकों के अलग-अलग मत हैं। कुछ लोग इस दृष्टि और पश्चिमी राष्ट्रों को बुलाने मे डालने वाला मानते हैं तो कुछ लोग इसे सैद्धान्तिक भ्रमभेद न मानकर राजनीतिक शक्ति का प्रतीक बताते हैं। दूसरे विचारकों वा मन है कि संघर्ष का कारण मुख्यतः दोनों देशों का आर्थिक और सामाजिक विकास तथा विश्व राजनीति में दोनों देशों का स्थान है। रोबर्ट ए० स्केलपिनो के मतानुसार इन दोनों महान् साम्यवादी देशों का वर्तमान संघर्ष तीन कारणों वा परिणाम है—(१) सगठन, निर्णय प्रणाली और साम्यवादी गुट वा नेतृत्व, (२) शान्ति-कारी तरीके तथा बीसवीं शताब्दी के मध्य की विश्व राजनीति, एवं (३) अन्तर्गुट सम्बन्ध तथा पारस्परिक सहायता वा रूप।

दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध में दिन प्रति दिन जो कटूता आ रही है, जिन प्रकार दोनों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं और

जिस प्रकार दोनों के मध्य सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, उस सबसे इसी धारणा को बल मिलता है कि इन दोनों देशों के मतभेद वास्तव में उग्र और गहरे हैं तथा अपने अपने सैद्धान्तिक पक्षों की आड़ में दोनों देश साम्यवादी जगत पर अपना अपना प्रभुत्व जमाने के लिये हठ प्रतिज्ञ हैं। दोनों ही सैद्धान्तिक रूप से अपने अपने पक्ष में मार्क्स और लेनिन के मौलिक सिद्धान्तों की दुहाई देते हैं और एक दूसरे पर इन सिद्धान्तों से अलग हटने का आरोप लगाते हैं। चीन का विचार है कि सोवियत रूस के वर्तमान नेता मार्क्स के मौलिक सिद्धान्तों में परिवर्तन और संशोधन करने का जघन्य कार्य कर रहे हैं जबकि माओ और उसके सहयोगी विपुल मार्क्सवादी और साम्यवाद के सुदृढ़ समर्थक हैं। दूसरी ओर रूसी नेता यह आवश्यक समझते हैं कि मार्क्सवाद की नवीन परिस्थितियों के यथार्थवादी विश्लेषण पर प्रतिष्ठित करना चाहिये। आज दोनों राष्ट्रों के मध्य सघर्ष के जो प्रधान सैद्धान्तिक और राजनीतिक कारण दृष्टिगत हो रहे हैं वे मक्षेप में ये हैं—

(१) दोनों देशों के मध्य पहला गंभीर सैद्धान्तिक सघर्ष युद्ध की अनिवार्यता पर है। लेनिन की मान्यता थी कि जब तक साम्राज्यवाद है तब तक युद्ध अनिवार्य है और केवल युद्ध से ही पूँजीवाद का विध्वंस किया जा सकता है। चीन का आरोप है कि सोवियत रूस ने लेनिन के इस सिद्धान्त को तिलाजलि दे दी है और वह युद्ध की अनिवार्यता के प्रश्न पर उगमगाने लगा है तो यह अस्तित्व की चर्चा करता है। इसके विपरीत सोवियत रूस का कहना है कि चीन आज के धाणविक युग में युद्ध की अनिवार्यता का गीत गाकर पूर्ण विध्वंस को निरुद्ध खाने की बात कर रहा है। रूस का विचार है कि वर्तमान काळ का धाणविक युद्ध दोनों ही पक्षों के लिये इतना प्रबल विध्वंसकारी होगा कि इसमें न केवल साम्राज्यवादी बल्कि साम्यवादी भी समाप्त हो जायेंगे। अतः आज की परिवर्तित परिस्थितियों में साम्यवाद का रस्ता न लिये पूँजीवाद के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति वाञ्छनीय है। न्यूवाक ग्रन्थ पर अमेरिका की बात मानने का कारण स्पष्ट करते हुए रूस के प्रधानमन्त्री श्री कुश्चेव ने कहा था कि यदि उस समय पूँजीवादी जगत के साथ सघर्ष किया जाता तो पहले ही दिन सात करोड़ व्यक्ति मर जाते। श्री कुश्चेव और उनके सहयोगी सोवियत नेताओं ने बलपूर्वक यह मत अभिव्यक्त किया कि इस प्रकार के महाविनाश के तथ्य से बचाने में ही यह मंगलपूर्ण युक्ति दे सकते हैं कि युद्ध समाजवाद के प्रसार में सहयोगी होगा। "मार्क्सवाद का निर्माता अगुवना न विस्कोट न विध्वस्त न मण्डल पर नहीं हो सकता है। रूस के सैद्धान्तिक पक्ष "कम्युनिस्ट" में इन मत का समर्थन करते हुए बेलयाकोव और बुरलागोवी ने लिखा था—

“आणविक आयुद्धों का उपयोग करने वाले विद्वत् युद्ध में, संतियों तथा अर्थात्मिक जनता में कोई मतभेद नहीं रह जायेगा। इस युद्ध का परिणाम सम्पत्ता के प्रधान केन्द्रों और सम्पूर्ण राष्ट्रों का पूर्ण विध्वंस होगा। यह युद्ध समस्त मानव जाति के लिये महान विपत्ति लाने वाला होगा, और केवल उचित व्यक्ति ही ऐसी विपत्ति को आमंत्रित करने की इच्छा कर सकता है। यह स्पष्ट है कि आधुनिक आणविक युद्ध अपने आप क बायों को और समाजवाद की विजय को अधिक निकट लाने में सहयोगी सिद्ध नहीं हो सका। इनके विपरीत इस प्रकार का युद्ध तो मानव जाति जो सम्पूर्ण प्राणियों को प्राणिकारी धर्मियों के आन्दोलन के विकास को और साम्यवाद के निर्माण के कार्यों को रीसियों वर्ष पीछे धकेल देगा।”

पुस्तक (२) रूस और चीन के मध्य दूसरा संज्ञानात्मक झगड़ा आणविक युद्ध में सम्बन्धित है। चीन आणविक क्षत्रों से भयभीत होना कायरता समझता है। चीन की मान्यता है कि प्रथम महायुद्ध में रूसी प्राणियों की जन्म देना था, उत्तम महायुद्ध में चीनी प्राणियों की जन्म दिया और तीसरा महायुद्ध जो आणविक युद्ध होगा, सम्पूर्ण सभार से पूर्ण विनाश करके साम्यवाद को सफल बनायेगा। युद्धोत्सुकी मात्रा और उसके साधनों का विचार है कि चीन की आणु युद्ध से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें उनके दो तर्क हैं—पहला तर्क यह है कि चीनी जनता रूस और पाश्चात्य देशों की भाँति ही विनाश कारखानों वाले कुछ बड़े शहरों में केन्द्रित न होकर देहातो व ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई है। आणुबम सपन आकाशों वाले नगरों को ही अधिक क्षति पहुँचा सकती है। दूसरा तर्क यह है कि चीन सभार की विशालतम जनसंख्या वाला देश है, अत आणविक युद्ध में चीन की सम्पूर्ण जनता नष्ट नहीं हो सकेगी। चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई के बयानानुसार ‘चीन की ३० करोड़ जनता में से २२ करोड़ बच जाएगी और यह आणविक युद्ध के मल्ले से एक सुन्दर समाजवादी समाज का निर्माण करेगी।’ हर चीनी नेताओं का यह विचार रूस की स्वीकार नहीं है। रूसी नेताओं का यह निश्चित मत है कि आणविक युद्ध से नवीन समाज का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि वह जो पूर्णतः विध्वसात्मक होगा, इसके अतिरिक्त धार्मिक जनता का सहृदय जनदार तरीके से माना नहीं चरन् नया सम्पूर्ण जीवन का निर्माण करना है। सोवियत रूस आणविक युद्ध को टालने में ही समाजवाद का कल्याण देखता है और इसीलिये चीन के युद्धोत्सुकी को अनुचित और विद्वेषकारी मानते हैं।

पुस्तक (३) रूस और चीन में तीसरा गम्भीर मतभेद प्राणियों के सिद्धांत के बारे में है। चीनियों का लेनिन के सिद्धांतों में विश्वास है कि समाजवाद

लाने के लिये क्रान्ति अनिवार्य है तथा क्रान्ति में व सशस्त्र युद्ध में साम्यवादियों को शासन सत्ता बलपूर्वक छीन लेनी चाहिये। चीनियों का यह कहना है कि प्रत्येक तरीके से विश्व में क्रान्ति का प्रसार किया जाना चाहिये। माओ की मान्यता है कि क्रान्ति का प्रसार में चीनी अनुभव विशेष रूप से उपयोगी है और यह यह है कि सशस्त्र सघर्ष तथा छापामार युद्ध का आश्रय लेना चाहिये और बुजुर्ग वर्ग के साथ मिलकर कोई सरकार नहीं बनानी चाहिये। माओ का सोवियत नेताओं पर यह आरोप है कि उन्होंने क्रान्ति के विचार को विस्मृत कर दिया है और वे क्रान्ति की अपेक्षा शांति और आर्थिक विकास को महत्त्व देने लगे हैं। माओ के अनुसार क्रान्ति में इस प्रकार का पलायन मार्क्सवाद से निनवाद को पीछे हटाना है और साम्यवादी आदर्श को भूलना है। इसके विपरीत रुस की मान्यता है कि साम्यवाद क्रान्तिपूर्ण साधनों से भी आ सकता है। सोवियत नेताओं का कहना है कि तीसरी शताब्दी के मध्य से विश्व राजनीति में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आरम्भ हो गये हैं और साम्यवाद की प्रजातन्त्रात्मक तरीकों से लिया जा सकता है। विभिन्न देशों की समस्याओं के राजनीतिक दलों के साथ गठबन्धन करके भी साम्यवादी शासन स्थापित किया जा सकता है, जैसा कि १९४५ में चेकोस्लावाकिया में हुआ था। रुस का मत है कि क्रान्ति केवल सशस्त्र साधनों से ही हो, यह आवश्यक नहीं है। क्रान्ति शांतिपूर्ण साधनों से भी लाई जा सकती है। मार्क्सवाद से निनवाद की सच्ची शिक्षा यह है कि साम्यवादियों को क्रान्ति लाने के लिये हिंसक और अहिंसक सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग समस्त व आवश्यकतानुसार करना चाहिये। अतः आज के परिवर्तित विश्व में, जब कि सम्पूर्ण मानव जाति अणु युद्ध के कगार पर खड़ी है, क्रान्ति के अहिंसक साधनों को ही अपनाया जाना चाहिये।

(४) दोनों देशों में चीना विवाद निःशस्त्रीकरण के बारे में है। सेनिकवाद का पुजारी और युद्ध का घोर समर्थक चीन निःशस्त्रीकरण का विरोधी है। इसीलिये वह रुस द्वारा अमेरिका के साथ की गई अणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि का बटु आलोचक है। लेकिन रुस का कहना है कि अणु शस्त्रों को छोड़ एक दिन सम्पूर्ण मानव जाति को नष्ट कर देगी और साम्यवाद या नर साम्यवाद कोई भी नहीं बच पायेगा। अतः निःशस्त्रीकरण के मार्ग पर बढ़ना आज की परिस्थितियों की मांग है।

(५) दोनों देशों के मध्य पाचवा शगडा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के बारे में है। चीन का आरोप है कि सोवियत समाज पूंजीपति बनता जा रहा है, क्योंकि उत्तम उत्तम और उच्च जीवन स्तर पर चल दिया जा रहा है। इस प्रकार वह सशस्त्र क्रान्ति का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं हो सकता।

आज का रूस सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करने का दावा नहीं कर सकता। चीन के आरोग्य से पूर्णतः असहमति प्रकट करते हुए रूस का कहना है कि मान्ति का सदेश यह नहीं है कि गेट पर पट्टी बाधना अनिवार्य है। यदि मजदूर अच्छा जीवन बिताते हैं तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वे पूँजीपति बन जाते हैं। आखिर जीवन की दशाओं को उन्नत करना साम्यवाद का उद्देश्य है ही। चीनियों के निम्न जीवनस्तर पर ध्यान करते हुए रूसियों का कहना है कि "रूसियों का बना हुआ जूता पहिनना और एक साधारण प्याले में अत्यन्त पतला घोरवा पीना ही तो साम्यवाद नहीं है।"

(६) मास्को और पेरिंग में छठा मतभेद 'व्यक्ति पूजा' का है। ख्रुश्चेव ने स्टालिन द्वारा रूसी जनता पर किये गये अत्याचारों का पर्दाकाश करते हुए बताया था कि उसे देवता तुल्य बनाने से और उसकी पूजा करने से रूस की जनता को कितनी यातनायें और हानियाँ उठानी पड़ी थी। इसीलिये ख्रुश्चेव ने व्यक्ति पूजा के स्थान पर सामूहिक नेतृत्व पर बल देते हुए स्टालिन की निन्दा का अभिप्राय आरम्भ किया। रूस के वर्तमान नेता भी व्यक्ति पूजा के स्थान पर सामूहिक नेतृत्व का परिचय देते रहे हैं। चीन सोवियत रूस के इस कार्य को लज्जाजनक और अत्यन्त अनुचित बात मानता है। चीन का मत है कि स्टालिन भी माओ के साथ आराध्य देव है। चीन व्यक्ति पूजा के सिद्धान्त में आस्था रखता है और यह स्वाभाविक है क्योंकि माओ अपने भाषणों से सत्तर वा महान् योग्यतम, महानतम और आदर्शतम महापुरुष मानता है। आज माओ ही चीन का भगवान, उसका आराध्य देव है।

(७) मास्को से पेरिंग के संपर्क का एक बड़ा कारण यह भी है कि चीन की आन्तरिक स्थिति अस्थिर है। माओ उसे युग की चीन में अपने विरोधियों से बाँटन-भरण का संपर्क करना पड़ रहा है। अतः वह रूस के साथ सीमा-विवाद छेड़ कर और यदा-कदा सैनिक टाठपें करके अपने देशवासियों का ध्यान इस ओर बटाना चाहता है। साम ही सोवियत विरोधी प्रचार के नाम पर उसे अपने आन्तरिक शत्रुओं का सफाया करने का अवसर भी मिला रहा है।

(८) दोनों देशों के बीच संपर्क का सबसे बड़ा और व्यापारमूलक कारण यह है कि साम्यवादी चीन साम्यवादी जगत में रूसी नेतृत्व को चुनौती देना चाहता है। उद्योग उद्देश्य है कि भवेता रूस साम्यवादी जगत का एकमात्र नेता न रहे अल्बानिया, मादि साम्यवादी देशों को उसने अपने पक्ष में कर लिया

है। उसे साम्यवादी विश्व में फूट की दरार डालने में सफलता मिल चुकी है। सोवियत रूस उसकी इन गतिविधियों से परेशान है।

(६) चीन के सन्तुलापूर्ण रवैये को देख कर रूस इस बात से चिन्तित है कि अणुशक्ति का प्रभावी विकास कर लेने पर रूस के लिये उसकी ओर से जबरदस्त खतरा पैदा हो जायगा। अतः रूस को सुरक्षात्मक तैयारियों और सैनिक व्यूह रचना ने एक नया मोड़ ले लिया है।

इस सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि मास्को और पेरिंग आज एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। पर साम्यवादी चरित्र के विरोधाभास की प्रुष्ठ-भूमि में सोवियत रूस का विचार है यह कहना कठिन है कि दोनों के सम्बन्ध भविष्य में निश्चित रूप से क्या मोड़ लेंगे।

आणविक शस्त्रों का प्रभाव, द्वि-ध्रुवीयता और बहुकेन्द्रवाद

(IMPACT OF NUCLEAR WEAPONS, BIPOLARITY
AND POLYCENTRISM)

अणु शस्त्रों का प्रभाव

(Impact of Nuclear Weapons)

द्वितीय महायुद्ध के अन्तिम चरण में अगस्त, १९४५ में समुन्नत राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अणु बम गिराकर सम्पूर्ण विश्व को आणविक शस्त्रों की विनाशकारी शक्ति से दहला दिया। उस समय एकमात्र समुन्नत राज्य अमेरिका ही अणु शक्ति का स्वामी था। लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक नहीं बना रही। विश्व की दूसरी महा-शक्ति सोवियत रूस ने यह समझ लिया कि यदि आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में अमेरिका ही एक छत्र स्वामी बना रहा तो उसने अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव को भविष्य में चुनौती देना असम्भव ही जायेगा। आणविक शक्ति से सम्पन्न अमेरिका का भय विश्व के राष्ट्रों को इतना आतंकित करता रहेगा कि वे एक-एक सटके पूरी तरह अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र से भागे जायेंगे। इतना ही नहीं, साम्यवाद के प्रसार का मार्ग भी बड़ा अवदल हो जायेगा।

स्वामिक या कि उपरोक्त परिस्थिति ने सोवियत रूस को विन्तित कर दिया। वह भी प्राणपन से अणु-शक्ति का स्वामी बनने की चेष्टा करने लगा और चीन ही उसने इस क्षेत्र में अमेरिका के एकाधिकार को समाप्त

कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद केवल चार वर्षों में ही उसने अणु-बम के रहस्य का पता लगा लिया, इसके बाद तो आणविक रास्त्रास्त्रों के निर्माण की भयानक होड़ लग गई। ब्रिटेन और फिर फ्रांस भी अणु-शक्ति के स्वामी बन गये। साम्यवादी चीन भी पीछे लगा। प्रारम्भ में बहुत कुछ सोवियत सहायता के बल पर और बाद में अपने प्रयत्नों से उसने अद्भुत आणविक रास्त्र-निर्माण क्षमता पैदा कर ली और आज विश्व की दोनों महा शक्तियाँ इस क्षेत्र में उसकी बढ़ती हुई क्षमता से चिन्तित हैं।

आणविक रास्त्रों ने प्रारम्भ से ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में उथल-पुथल मचाना शुरू कर दिया। इन्हीं के फलस्वरूप विश्व की दो महा शक्तियों के बीच पारस्परिक अविश्वास विकसित हुआ जिससे 'गोल्ड वार' (Gold war) को प्रोत्साहन मिला। आणविक शक्ति से सम्पन्न होने की छालसा ने शस्त्रीकरण की ऐसी विनाशकारी प्रतियोगिता को जन्म दिया जो आज सम्पूर्ण मानव जाति के लिए बारूद का ढेर बनी हुई है। विश्व के राजनीतिज्ञ और सैन्य-विचारद्वय इन बातों से आतंकित हैं कि तृतीय महायुद्ध यदि छिडा तो अणु-आयुधों के प्रयोग से वह इतना विनाशकारी होगा कि युद्ध के बाद विजैता और विजित में कोई फर्क नहीं होगा। इतना ही नहीं सम्पूर्ण मानव जाति का अधिकांश भाग नष्ट और विभिन्न कु-प्रभावों से प्रस्त हो जायेगा।

आणविक रास्त्रों का प्रभाव शुरू से ही राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रभाव डालने लगा और समय के साथ साथ उसने विश्व की महा शक्तियों के लिए राजनीतिक प्रभाव के नये द्वार और कूटनीति के नये आँकड़े खोल दिये। साम्यवादी जगत में भी आणविक रास्त्रों ने सघर्ष के तत्वों को प्रोत्साहित किया। एशिया और अफ्रीका के देश भी आणविक कूटनीति के प्रभाव से न बच सके। विश्व के अनेक देशों को सैनिक व्यूह रचना बरल गई। अन्तर्राष्ट्रीय अणु व्यवस्था पर भी आणविक रास्त्रों के विपुल व्यय ने और इससे प्रभावित कूटनीति के नये पैतारों ने प्रभाव डाला।

इस प्रकार आणविक रास्त्र अपने जन्म के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और सम्बन्धों को प्रभावित करने लगे, तेजी से यह प्रभाव क्षेत्र बढ़ता गया और आज तो स्थिति यह है कि सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक किसी न किसी रूप में आणविक रास्त्रों के प्रभाव से आनान्त है। विस्तार और स्पष्टता के लिए यह उपयुक्त होगा कि हम अणु-आयुधों के प्रभाव का पृथक पृथक रूप से विवेचन करें.—

(१) आणविक रास्त्रों का सबसे पहला प्रभाव यह हुआ कि विश्व की दो महा शक्तियों सम्बन्धित राज्य अमेरिका और सोवियत रूस में फूट की जड़ें

प्रारम्भ से ही निरन्तर गहरी होती गई। अमेरिका ने अणु-बम के आविष्कार को सोवियत रूस से सर्वथा गुप्त रखा जब कि ब्रिटेन और कनाडा को इस बात का पता था। जब अणु-बम का प्रयोग जापान पर किया गया तो उससे केवल हिरोशिमा का ही विनाश नहीं हुआ अपितु रूस और पश्चिमी राष्ट्रों की युद्धकालीन मंत्री भी टूट गई। स्टालिन ने अमेरिका द्वारा अणु-बम के रहस्य को रूस से गुप्त रखने की बात को परस्पर गम्भीर विश्वासघात माना। उसे इस घटना से व्यक्तिगत रूप में भी बड़ा दुःख हुआ। परिणामस्वरूप रूस और अमेरिका में परस्पर तनाव उत्पन्न हो गया और दोनों ही देश एक दूसरे को शका की दृष्टि से देखने लगे।

(२) रूस अणु-शक्ति पर अमेरिका के एकाधिकार को अपने लिए और संपूर्ण साम्यवादी जगत के लिए एक भारी खतरा मानने लगा। अतः उसने अपनी सम्पूर्ण बुद्धि और सामर्थ्य अणु-बम के निर्माण में लगा दी। चार वर्षों के अल्प-काल में ही सन् १९४९ में उसने अणु-बम के रहस्य का पता लगा लिया। अब अमेरिका और रूस दोनों ही देश गुप्त रूप से वैज्ञानिक अस्त्र-शस्त्रों के आविष्कार को होड़ में लग गये। दोनों ही राष्ट्र अणु शक्ति की दृष्टि से अधिकाधिक सम्पन्न हो कर विश्व राजनीति को अपनी ओर मोड़ने के प्रयत्नों में लग गये।

(३) अणु-शक्ति जनित सन्देह और अविश्वास ने द्वितीय महायुद्ध के बाद शीत-युद्ध को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। सम्मेलनों और पारस्परिक विचार-विमर्श पर किसी न किसी रूप में आणविक शस्त्रों का प्रभाव छापा रहा। पश्चिमी देशों और रूस में समुक्त राष्ट्रसंघ के भीतर और बाहर अणु शक्ति के नियन्त्रण के नियन्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, यूरोपीयन सुरक्षा समस्या आदि प्रश्नों पर शीत युद्ध-विवाद और कूटनीतिक मर्मपं चला जो आज भी यथापूर्व विभिन्न उतार-चढ़ावों के साथ जारी है। निशस्त्रीकरण और शीतयुद्ध के क्षेत्र में आणविक शस्त्रास्त्रों का प्रभाव कितना आकाशदित रहा और आज भी इन क्षेत्रों में अणु-शक्ति अपना कितना आतंक जमाये हुए है, इसका स्पष्ट चित्र 'शीत युद्ध' और 'निशस्त्रीकरण' के विभिन्न अध्यायों में चित्रित किया जा चुका है।

(४) अणु-शस्त्रों की प्रलयकारी शक्ति और अणु-युद्ध से मानव-सभ्यता के विनाश के मय में सह-अस्तित्व की धारणा को आज पूर्वापेक्षा नहीं अधिक व्यावहारिक बना दिया है विश्व की दोनों ही महाशक्तियाँ, पारस्परिक सन्देह और अविश्वास के बावजूद, यह बली प्रकार समझ चुकी हैं कि अणु युद्ध में हार और जीत का कोई महत्त्व नहीं रहेगा क्योंकि विजेता देश भी

रतता ही नष्ट हो जायेगा जितना विजित देश । अतः, अणु-युद्ध की निरयंकता में सैद्धान्तिक रूप से विश्वास करते हुए दोनों ही देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथामुम्भव ऐसा कठोर मार्ग ग्रहण करने से बचने की कोशिश करने लगे हैं जिससे कोई व्यापक युद्ध भड़क उठने की सम्भावना हो । सह-प्रस्तित्व के महत्व का आज विश्व के राष्ट्र पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समझने लगे हैं । स्टालिन युग के बाद सोवियत विदेश नीति भी इसी तरह संचालित होने लगी है जिससे शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व की सम्भावनाएँ अधिक प्रबल हुई हैं । रूसी और पश्चिमी दोनों ही गृह यह मानने लगे हैं कि आज के अणुयुग में साम्यवाद व पूँजीवाद व सह अस्तित्व की बात करना ही विवेकपूर्ण है ।

कोरिया, बयबा, विपतनाम, स्वेज आदि की घटनाएँ सिद्ध करती हैं कि आणविक अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग के मय न महाशक्तियों को कितना नियन्त्रित किया है । कोरियाई युद्ध में अमेरिका ने अणुबम का प्रयोग इसीलिये नहीं किया कि रूस का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो जायगा और अणु-युद्ध का स्फोट न केवल साम्यवादी वरन् पूँजीवादी क्षेत्रों को भी नष्ट-भ्रष्ट कर देगा । अणु-युद्ध के मय ने ही कोरियाई युद्ध को स्थानीय और सीमित क्षेत्रीय युद्ध का रूप दिये रखा ।

स्वेज बाँध के समय ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल की सैनिक-गोजनाएँ इसीलिये मिट्टी में मिल गईं कि रूस की ओर से आणविक प्रयोगशस्त्रों के प्रयोग की धमकी दी गई । अणु-आयुधों के सम्भावित प्रयोग की चेतावनी मात्र ने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सलबली भन्दाही और ब्रिटेन व फ्रांस को अपने कूटनीतिक व सैनिक बँतरे बदल कर स्वेज से हट जाना पड़ा । इस प्रकार स्वेज का राष्ट्रीयकरण पूरा हुआ और अरब राजनीति अरबों के पक्ष में झुक गई । ब्रिटेन के हट जाने से हुई रिक्त-शून्यता को भरने के लिए अमेरिका व रूस में होठ घुस ही गई और आज लगभग समूचा मध्यपूर्व इन दोनों महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में बसा हुआ है । इन कूटनीतिक असाहों ने सम्पूर्ण मध्यपूर्व की अराजक बना रखा है ।

बयबा प्रदन पर भी आणविक आयुधों के प्रभाव ने अरबी पूरी छाप डाली । अमेरिका की बात मानने का कारण स्पष्ट करते हुए तत्कालीन सोवियत प्रधानमंत्री नुस्चेव ने कहा कि यदि उस समय पूँजीवादी जगत के साथ सघर्ष किया जाता तो पहले ही दिन सान करोड व्यक्ति नष्ट हो जाते । उन्होंने और उनके सहयोगियों ने सम्पूर्ण रूप से कहा कि इस प्रकार के महाविनाश के तथ्य से और मूढ़ने वाले ही यह मूर्खतापूर्ण युक्ति दे सकते हैं कि युद्ध समाजवाद के प्रसार में सहायक होगा । साम्यवादी नेताओं ने घोषणा की कि

समाजवाद का निर्माण अणुबमों के विस्फोट से ध्वस्त नू मण्डल पर नहीं हो सकता ।

A वियतनाम युद्ध भी आणविक युद्ध के भय से विश्वव्यापी युद्ध का रूप धारण करने से बचा रहा और सौभाग्यवश अब वह उन्हें शून्य: शिपिल पड़ता जा रहा है ।

(५) आणविक-शक्ति सम्पन्नता के बल पर प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की इच्छा ने ही साम्यवादी जगत के दो महान राष्ट्रों रूस और चीन में मतभेदों का संमनस्य को गार्ई को चीड़ा कर दिया । आज चीन साम्यवादी जगत पर सोवियत नेतृत्व को चुनौती दे रहा है और रूस को पूरा भय है कि विशाल जनसत्ता वाला चीनी अजगर आणविक विष से सम्पन्न होकर निकट भविष्य में रूस के लिये एक भारी सतरा बन जायगा । आणविक शक्ति के रूप में चीन के उदय ने और नेतृत्व का प्रभाव के चीनी मन्त्रियों ने दो ध्रुवीयता (Bipolarity) के अन्त को दिरा में प्रभावकारी भूमिका अदा की है ।

(६) आणविक शस्त्रास्त्रों के प्रजन ने अनेक एशियाई राष्ट्रों की विदेश नीति और सामरिक नीति को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है । विश्व की अणुशक्ति सम्पन्न शक्तियों का प्रयत्न और आप्रह है कि अणु-शस्त्र विहीन राष्ट्र ऐसे शस्त्र बनाने का प्रयत्न न करें । वे चाहते हैं कि ये राष्ट्र परमाणु शक्ति का विकास केवल असैनिक कार्यों के लिये करें । लेकिन विदम्बना यह है कि परमाणु अस्त्र-विहीन राष्ट्र परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र के आक्रमण की मूर्त में उसके बचाव की व्यवस्था का कोई ठोस आश्वासन या समाधान नहीं है । स्पष्ट है कि इस परिस्थिति ने परमाणु अस्त्रविहीन राष्ट्रों की शस्त्राओं और सन्देशों को बड़ा दिया है । इसीलिये कुछ राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था और विदेश नीति को इस तरह मोड़ देने को प्रयत्नशील हैं कि वे या तो स्वयं अणु आयुधों का निर्माण कर सकें या ऐन-बैन-प्रकारण उन्हें प्राप्त कर सकें । भारत यद्यपि अणु आयुधों का निर्माण न करने का निश्चय व्यक्त कर चुना है किन्तु उसने १९६८ की परमाणुविह्न आयुध प्रसार प्रतिबन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है । अणुशक्ति सम्पन्न चीन के सम्भावित सन्देश और पाकिस्तान चीन के नापाक गठशोध को देखते हुए इस सम्भावना को टुकराया नहीं जा सकता कि भारत सरकार अणु-आयुध न बनाने की अन्ती नीति पर पुनर्विचार के लिये तैयार हो जाय । देशों और विदेशी पर्यवेक्षकों की धारणा है कि भारत ने परमाणु अस्त्रों के विनाश की समस्या पर सन्धिय रूप से सोचना शुरू कर दिया है और अधिन समय तक जनमत को उन्देशा करता उसने लिये सम्भव नहीं होगा । मध्यपूर्व की राजनीति

व सामरिक व्यूह-रचना पर भी अणु-आयुधों की काली छाया पड़ रही है। इजरायल द्वारा अणुबम के निर्माण की ओर तेजी से अग्रसर होने की सूचनाएँ मिल रही हैं जिसका प्रभाव अरब राष्ट्रों की सैनिक व कूटनीतिक पंथरेबाजी पर पड़ना स्वाभाविक है। इजरायल की सैनिक शक्ति का भय सयुक्त अरब गणराज्य, सीरिया आदि को रूस के साथ पहले ही बान्धे हुए है, किन्तु उसकी सम्भावित अणुशक्ति का भय यदि उन्हें सोवियत सेमे में पूरी तरह आ जाने को बाध्य कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।

(७) आणविक सस्त्रास्त्रों ने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय जगत में असुरक्षा, अविश्वास, सन्देह और तनाव का वातावरण पैदा किया है जो नाटो, वारसा पैक्ट, आदि अनेक सैनिक संगठनों के जन्म में सहायक हुआ है। एक-दूसरे पर परमाणविक आक्रमण के भय से सोवियत रूस और अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को जन्म दिया है अपने-अपने पक्ष के देशों में अणु-आयुध सम्पन्न सैनिक केन्द्र स्थापित किये हैं। इससे उन देशों की आन्तरिक राजनीति और प्रभुसत्ता भी बड़ी सीमा तक प्रभावित हुई है। पराये देश में अपने आणविक केन्द्र स्थापित करने के लिये शक्तिशाली देशों ने उद्य देश को विशाल आर्थिक और सैनिक सहायता देकर अपना पिछलग्नु बनाने के सफल प्रयास किये हैं। उदाहरणस्वरूप पाकिस्तान में अमेरिका नियन्त्रित गिलगित हवाई अड्डे की और इस आधार पर पाकिस्तान-अमरीकी सम्बन्धों की कहानी उहराना अनावश्यक है।

सारान यह है कि आणविक सस्त्रास्त्रों ने आधुनिक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय, राजनीतिक, सैनिक व आर्थिक नीति की प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप में कम या अधिक प्रभावित अवश्य किया है।

द्वि-ध्रुवीयता (द्वि-केन्द्रीयता) एवं बहु केन्द्रवाद (Bipolarity and Polycentrism)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में द्वि-ध्रुवीयता अथवा द्वि-केन्द्रीयता का सरलतम अर्थ है—विश्व का दो शक्ति-ग्रुटो या केन्द्रों में विभाजित हो जाना। इसी प्रकार बहुकेन्द्रवाद का आशय है—विश्व में शक्ति के केवल मात्र दो केन्द्रों की अपेक्षा शक्ति के अनेक केन्द्रों का उदय हो जाना। द्वितीय महा-युद्ध के तुरन्त बाद विश्व द्वि-ध्रुवीयता (Bipolarity) की ओर बढ़ा और १९६० के आते-आते इस द्वि-ध्रुवीयता के बन्धन सिद्धिल पड़ने लगे। अब विश्व शन-शन बहु केन्द्रवाद (Polycentrism) की ओर अग्रसर होने लगा। आज स्थिति यह है कि विश्व में शक्ति के दो से अधिक केन्द्र स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुके हैं, यद्यपि उनका स्वरूप गुनिश्चित नहीं हुआ है। अग्रिम

पक्षियों में हम प्रमत्त दोनों ही स्थितियों को अर्थात् द्वि-ध्रुवीयता और बहु-केन्द्रीयता को सविस्तार प्रकट करेंगे।

द्वितीय महायुद्ध का एक अत्यन्त नातिकारी और महत्वपूर्ण परिणाम यह निश्चय कि प्राचीन शक्ति-सन्तुलन का पूरा तरह विनाश हो गया। युद्ध के उपरान्त दो प्रमुख फासिस्ट शक्तियाँ जर्मनी और इटली पूर्ण पराभव को पहुँच गईं। ब्रिटेन राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बहुत क्षीण हो गया। यूरोपीय महाद्वीप पर यदि कोई देश युद्धकालीन महान् शक्तियों के बावजूद भी शक्तिशाली होकर निकला तो वह था सोवियत संघ। उसकी विशाल प्रदेशों की उपलब्धि हुई और अनेक पड़ोसी देशों पर उसकी आर्थिक नीतियों का प्रभाव पड़ा। युद्ध काल में तो उसने अपनी सीमाओं का पश्चिम में विस्तार कर ही लिया, अब उसके सीमान्तों में वे सम्पूर्ण प्रदेश भी शामिल हो गये जो किसी समय जात्र कालीन हस्त में हुआ करते थे। उसका विश्व की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव स्थापित हो गया और साम्यवादी सिद्धान्तों तथा जीवन-दर्शन में मानव की आस्था में वृद्धि हो गई। महायुद्ध से विनष्ट और अत्य-व्यस्त संसार में केवल एक ही देश ऐसा बचा जो सोवियत संघ का मुकाबला करने में सक्षम था और लोकतन्त्रवादी शक्तियों को समुक्त भेदभाव दे सकता था। यह देश था समुक्त राज्य अमेरिका जिसे युद्ध में कोई विनष्ट शक्ति नहीं पहुँची थी, न विनाशकारी बम वर्षों का शिकार होना पड़ा था और न जिसकी भूमि पर खन रजित होली ही खेली गई थी। आर्थिक दृष्टि से वह संसार का समृद्धतम देश था। युद्ध के बाद संसार के सभी पूँजीवादी देश अमेरिकन सहायता के बल पर अपनी अर्थ-व्यवस्था को ठीक रास्ते पर लाने की आशा लगाये बैठे थे।

महायुद्ध के बाद युद्ध काल तक समुक्त राज्य अमेरिका ही अणु रहस्य का एक मात्र स्वामी था। सोवियत संघ के लिए यह एक गम्भीर चुनौती थी। स्वाभाविक था कि वह शक्ति-सन्तुलन को अपने विपक्ष में, जाने से रोकने के लिए अणु-शक्ति व रहस्य का पता लगाने में जुट जाता और अपने देश की सेनाओं को अपने सहयोगी और मित्र राष्ट्रों से घेरकर सुरक्षित बनाने का प्रयत्न करता।

महायुद्ध के पश्चात् उत्पन्न हुई उत्तरोत्तर स्थितियों ने दृष्ट पर दिया कि विश्व में शक्ति के दो ही प्रमुख केन्द्र हैं—सोवियत संघ और समुक्त राज्य अमेरिका। न कि युद्धोत्तर विश्व में प्रारम्भ से ही दोनों महाशक्तियों परस्पर प्रतिद्वन्द्वी बन गईं, अतः दोनों ही के नेतृत्व में दो विरोधी शक्तिशाली शक्तियों का निर्माण होने लगा। दो शक्तियों के इस निर्माण को विद्वान्तों ने सपर्य

ने विशेष प्रोत्साहन दिया। द्वितीय महायुद्ध के बाद सिद्धान्तों और आदर्शों पर विशेष आपस किया जाने लगा। सोवियत रूस साम्यवाद के प्रचार और प्रसार के लिए प्रयत्नशील हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी राष्ट्र साम्यवाद की अवरोध करने के लिए कटिबद्ध हो गया। रूस और अमेरिका दोनों ही महाशक्तियाँ अपने सिद्धान्तों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गईं और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में वे एक दूसरे के प्रति अमहिष्णु बन गईं। साम्यवाद की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं की अमेरिकन सुदृढ़ विरोध और मरहट से ठन गई।

यद्यपि द्वि-ध्रुवीकरण की प्रक्रिया द्वितीय महायुद्ध के तुरन्त बाद ही शुरू हो गई, तथापि १९४७ तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि विद्व द्वि-ध्रुवीय (Bipolar) बन गया था। इस समय तक रूस का प्रतिरोध मुख्यतः ब्रिटेन के प्रति था अमेरिका के प्रति नहीं। रूसियों को विश्वास था कि अमेरिका शीघ्र ही पुन अपनी परम्परागत पार्थक्यवादी नीति (Traditional Isolationism) की ओर लौट आयेगा। लेकिन रूसी अनुमान पलत सिद्ध हुआ। महायुद्ध के बाद ब्रिटेन राजनीतिक, आर्थिक व सैनिक दृष्टि से इतना सक्षम नहीं रहा था कि वह पूँजीवादी विस्म को नेतृत्व दे सकता। ब्रिटेन तो शीघ्र ही आर्थिक दृष्टि से अपने पुन-निर्माण के लिए अमेरिका का मुख्यापेक्षी हो गया। नेतृत्व अमेरिका ने सम्भाल लिया। मार्च १९४७ में ट्रूमैन सिद्धान्त (Truman Doctrine) के अन्तर्गत अमेरिका यूनान और टर्की में ब्रिटिश उत्तरदायित्वों को पूरा करने की सहमत हो गया। अमेरिका ने अपना यह दृढ़ निश्चय स्पष्ट कर दिया कि वह उस प्रत्येक देश की सहायता करेगा जो साम्यवाद के विरुद्ध उसकी सहायता मागेगा। अमेरिकन राजनीतिकों को यह विश्वास हो गया कि रूस, चीन और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के प्रसार ने अमेरिका की सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा पैदा कर दिया है। अतः अमेरिका को अविलम्ब ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे साम्यवादी प्रसार को प्रभावशाली रूप से 'अवरोध' कर दिया जाय।

अमेरिका और रूस एक दूसरे के प्रति अविश्वास और संदेह की धारा में बहते हुए अपने-अपने पक्ष में शक्ति संचय करने लगे। शीत-युद्ध (Cold war) शुरू हो गया जो क्रमशः तेज होता गया। दोनों महा-शक्तियों का संघर्ष (Conflict) पहले तो यूरोप तक सीमित रहा, किन्तु धीरे-धीरे यह अन्य महा-क्षेत्रों में भी फैल गया। सबसे पहले एशिया संघर्ष स्थल बना, बाद में मध्य-पूर्व और सब लेटिन अमेरिका व अफ्रीका। दोनों ही महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को अपने-अपने क्षेत्रों में लेने का प्रयत्न करने लगे। सोवियत रूस ने आदर्शजनक तीव्रता से पूर्वी यूरोप में अपनी प्रभुता का विस्तार कर

लिया। युद्धोपरान्त १९४८ तक की केवल तीन वर्षों की अल्पावधि में ही पूर्वी यूरोप के सात देशों को पूरी तरह 'लाल' बना दिया गया। इतना ही नहीं, युद्ध के बाद की केवल चार वर्षों की अवधि में ही सोवियत रूस ने अणुबम के रहस्य को खोज लिया। अब स्थिति यह थी कि रूस और अमेरिका—ये दोनों महाशक्तियाँ न केवल एक दूसरे को आणविक हथियारों की धमकी देने लगीं वरन् विश्व के हर भाग में और हर मामले में एक दूसरे को सीधा दिसाने का प्रयास करने लगीं। अमेरिकन युद्ध और रूसी युद्ध में संयुक्त राष्ट्र सभ के भीतर और बाहर अणु शक्ति के निःशस्त्रीकरण, निःशस्त्रीकरण, पराजित राष्ट्रों के साथ शांति सन्धियों, जर्मनी व बर्लिन के प्रश्नों, यूरोपीयन सुरक्षा-समस्याओं एशिया व अफ्रीका के अल्प विकसित राष्ट्रों के भविष्य आदि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के लगभग सभी प्रश्नों पर तीव्र वाद विवाद और कूटनीतिक संघर्ष चलने लगे।

सोवियत प्रभाव और साम्यवाद के प्रसार को अवरुद्ध करने के लिये अमेरिका की मार्शल योजना के अन्तर्गत यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रभावशाली प्रयत्न चले। मार्शल योजना के प्रति—उत्तर में अक्टूबर १९४७ में रूस ने यूरोप के नौ साम्यवादी देशों के 'कोमिन्फार्म' की स्थापना की। रूस ने पूर्वी यूरोप पर अपने नियंत्रण को और भी कठोर बना दिया। शक्ति के दो पड़े अथवा युद्ध या सेमे बन गये और उनमें अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों के विकास के लिये जीतोड़ स्पर्धा होने लगी। चीन में साम्यवादियों की महान् विजय ने जहाँ सोवियत युद्ध को बड़ा प्रबल बना दिया वहाँ अमेरिका और अन्य पश्चिमी राष्ट्रों में यह भय पैदा हो गया कि उपनिवेशों या नये जागृत राज्यों में बसने वाली अविच्छिन्न जनता चीन का अनुकरण करके पश्चिमी लोकतन्त्र की अपेक्षा कहीं साम्यवादी व्यवस्था की ही पसन्द न कर ले। अमेरिका व अन्य पश्चिमी राज्यों के राज-नेता इस बात से चिन्तित हो गये कि विश्व के अल्प विकसित देश साम्यवादी प्रसार के लिये उत्तम क्षेत्र सिद्ध हो सकते हैं। अतः जनवरी १९४९ में अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने प्रसिद्ध 'चार सूत्री कार्यक्रम' (Four Point Programme) की घोषणा की।

विश्व का तेजी से दो शक्ति ध्रुवों या शक्ति-केन्द्रों में विभाजन होता गया। १ अक्टूबर, १९४९ को पेरिस में वाक्यावदा साम्यवादियों का अन्त-गणराज्य स्थापित हो गया। पश्चिमी शक्तियाँ साम्यवाद के अपरोध के लिये राजनीतिक व आर्थिक स्तर के साथ सैनिक स्तर पर भी उत्तर जारी। अमेरिका ने अन्य देशों के साथ सैनिक सन्धियों व पारस्परिक प्रति रक्षा सहायता कार्यक्रम का तरीका प्रारम्भ किया और अप्रैल १९४९ में नाटो की

स्थापना हुई। चूँकि नाटो-फार्मूला ने यूरोप में अच्छा काम किया, अतः अमेरिका ने इसका प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया। इसके अन्तर्गत नाटो-सदस्यों की सैनिक सहायता दी गई, सदस्य देशों में सैनिक बन्दे स्थापित किये गये और विभिन्न संधि सन्धिया जियान्वित की गई। सारा सारा इस प्रकार तेजी से दो भागों में बंटता गया—एक था साम्यवादी भाग (The Communist Part) और दूसरा था अमेरिकनों के शब्दों में 'मुक्त विश्व' (The Free World)।

कुछ समय तक यही प्रतीत हुआ कि विश्व का यह द्वि-ध्रुवीयकरण या द्वि-केन्द्रीयकरण स्थायी बन गया है और भविष्य में यह व्यवस्था अर्थात् द्वि-ध्रुवीयता (Bipolarity) अधिक सुदृढ़ होती जायगी। इस समय जिन तटस्थ राष्ट्रों (Neutrals) का उदय हुआ, उन्हें इस द्वि-ध्रुवीय विश्व (The bipolar world) में कोई स्थान नहीं दिया गया। रूसी और अमरीकी दोनों ही भारत जैसे राष्ट्रों को शक व सन्देह की निगाह से देखते रहे। दोनों ही महाशक्तियों ने इस उचित पर आचरण किया कि "जो हमारे साथ नहीं है, वह हमारे विरुद्ध है" (He who is not with us is against us)। युद्धोत्तर विश्व का द्वि-ध्रुवीय चरित्र इस तरह प्रकट हुआ कि अनेक देश वास्तविकता के अन्य पहलुओं को भुला बैठे और इस बात के प्रति आश्वस्त हो गये कि अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण विश्व दो परस्पर प्रतिरोधी गुटों में बंट जायगा और द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था पक्की या स्थिर (Fixed) हो जायगी।

पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ने करवट ली, नवीन परिस्थितिया उत्पन्न हुई, नई विचारधाराएं पनपी, राष्ट्रीय चरित्र अथवा राष्ट्रीयता को प्रतिष्ठित करने की भावनाएँ बलवती हुई और धीरे-धीरे द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था बहु-केन्द्रवाद (Polycentrism) की ओर बढ़ने लगी। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था कठोर रूप में द्वि-केन्द्रीय या द्वि-ध्रुवीय बनने की अपेक्षा एक भिन्न दिशा में प्रभावित होने लगी जिसका स्वरूप अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका।

विश्व के द्वि-ध्रुवीय चरित्र को राखने पहले राष्ट्रियता की शक्तियों (The forces of Nationalism) ने चुनौती देना प्रारम्भ किया। यह चुनौती वास्तव में १९४८ में ही मिल गई जबकि युगोस्लाविया ने सफलतापूर्वक सोवियत प्रभाव क्षेत्र से अपने को मुक्त कर लिया। यद्यपि सोवियत-युगोस्लाव संधर्ष की सैन्य संधर्ष का याना पहनाया गया तथापि यह एक सन्ध है कि युगोस्लाविया की राष्ट्रिय महत्वाभावा ही सावियत शक्ति के प्रति विद्रोही बना। सोवियत सशक्त-गुट व लिये जून १९४८ में युगोस्लाविया का पृथक् हो जाना एक भारी आघात था। स्वतन्त्र विचारों वाले कट्टर राष्ट्र-

वादी मार्शल टीटो यह बर्दाश्त नहीं कर सके कि सोवियत रूस यूरोप के साम्यवादी शासन तन्त्रों या युगोस्लाविया पर अपनी कठोर निगरानी रखे और उन्हें 'लौह-आवरण' (Iron Curtain) के मोतर उड़ाये रखे । युगो-स्लाविया ने एसी प्रभाव से मुक्त होकर अपने को पश्चिमी खेमे के साथ आवद्ध नहीं किया वरन एक स्वतन्त्र और सक्रिय असतन्त्र-नीति पर चलना शुरू कर दिया । विश्व की द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था पर यह पहला आघात था जिसके दूरगामी प्रभाव हुए ।

रूस और अमेरिका के शक्ति-गुटों ने विश्व के जो नवोदित एशियायी और अफ्रीकी राष्ट्र सम्मिलित नहीं हुए थे, उन्हें भी दोनों गुटों से पृथक रहने की नीति अपना कर द्वि-केन्द्रीय व्यवस्था को स्थिर बनाया । इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका भारत की रही । भारत के प्रधान मन्त्री और विदेश मन्त्री स्व० नेहरू ने कहा कि उनके देश का प्रमुख लक्ष्य है दो विरोधी गुटों के विश्व राजनीति के सागर के दो कूलों बीच एक पुल का निर्माण करना—ऐसा पुल जिसके द्वारा दोनों गुटों की दूरियों और मतभेदों को दूर करके उन्हें मिलाया जा सके । यद्यपि भारत की यह आकांक्षा नहीं रही कि वह एक तीसरे गुट का निर्माण करके उसका नेतृत्व करे, तथापि अनेक एशियायी और अफ्रीकी राष्ट्री ने भारतीय दृष्टिकोण का अनुसरण किया और इस प्रकार विश्व के द्वि-केन्द्रीय चरित्र को घुमिल बनाने में निर्णायक योग दिया । नासिर का मिस्र और एनकूमा का घाना इनमें अग्रणी रहे । धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि लगभग एक तिहाई विश्व ने यही निर्णय किया है कि दोनों शक्ति गुटों में से किसी में भी सम्मिलित न हुआ जाय और सक्रिय तटस्थता अथवा अमंलग्नता की नीति पर चला जाय ।

शीघ्र ही दोनों शक्ति गुटों में जोर भी स्थिरता आयी । पश्चिमी यूरोपियन शक्तियों ने अपना आर्थिक पुनर्निर्माण करके और अपने को पुनः शक्ति-सम्पन्न करके यह चाहा कि अब वे अमेरिकन नीतियों का अन्धानुकरण नहीं करें अर्थात् अमेरिका के पिछलग्नु बन कर नहीं रहें । यही कारण था कि १९५६ में ब्रिटेन और फ्रांस ने स्वेज पर आक्रमण किया, यद्यपि रूस की आणविक अस्त्रों के प्रयोग की घमकी और अमेरिका की नाराजगी के कारण उन्हें अपने कदम पीछे हटाने पड़े, लेकिन इस घटना ने इस तथ्य की पुष्टि कर दी कि अमेरिका का नेतृत्व अब स्थिर पड़ने लगा है और पश्चिमी खेमे में दरार आने लगी है ।

विरोधकर फ्रान्स ने, जनरल डिगॉल के नेतृत्व में, विश्व की द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था को विशेष आघात पहुँचाया । राष्ट्रपति डिगॉल की प्रमुख जिज्ञा सदैव यही रही कि फ्रांस किसी न किसी तरह अपने विलुप्त अन्तर्राष्ट्रीय

सम्मान को फिर से प्राप्त करे। इसीलिए शनः शनः वह अपने राष्ट्र को अमेरिकन प्रभाव से मुक्त करने लगा और दूसरी ओर ब्रिटेन के बढ़ते हुए प्रभाव को भी रोकने की चेष्टा में लगा रहा। इसीलिए साम्यवादी देशों के साथ उन्होंने मधुर सम्बन्ध स्थापित किये। साम्यवादी चीन के साथ फ्रान्स के मित्रतापूर्ण सम्बन्धों में विकास हुआ। मास्को की अगुा परीक्षण निरोध सन्धि पर हस्ताक्षर न करने वाले केवल दो ही बड़े देश रहे—चीन और फ्रान्स और दोनों ही ने यह तर्क दिया कि सन्धि का ध्येय यह है कि सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन अगुा-शस्त्रों के क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं एवं उनका प्रयोजन यह है कि अन्य देश इस शक्ति का विश्वास न करने पायें।

फ्रान्स ने विषयनाम में संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यवाही की निन्दा की, यूरोपियन साक्षात्वाजार में ब्रिटेन के प्रवेश को रोकने की डिगॉल की नीति ने पश्चिमी खेमे में फूट का संकेत दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुत चाहा कि ब्रिटेन का यूरोपियन साक्षात्वाजार की सदस्यता मिल जाये। किन्तु डिगॉल अपने हठ पर दृढ़ रहे। इतना ही नहीं, निःशस्त्रीकरण के प्रश्न पर इनमें मतैक्य नहीं हो सका। जब फ्रान्स को संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग का सदस्य बनाया गया तो उसने इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया। इनमें भी बढ़ कर घटना नाटो को पोलरिस यन्त्रों से युक्त करने के प्रस्ताव को ले कर घटी। १९६२ में अमेरिका और ब्रिटेन में एक समझौते द्वारा यह तय हुआ कि नाटो राज्यों की सेनाओं को पोलरिस प्रक्षेपणास्त्रों से लैस किया जाय। परन्तु फ्रान्स ने इसमें शामिल होने से इन्कार कर दिया और निर्णय लिया कि वह इस कार्य में साथ नहीं देगा। १९६३ में फ्रेंच सरकार द्वारा चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर देना और दोनों राष्ट्रों के बीच राजदूतों का आदान-प्रदान हो जाने की घटना से यह और भी स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति डिगॉल का अपना अलग ही रास्ता है जो नाटो राज्यों से भिन्न है।

राष्ट्रपति डिगॉल ने साक्षर के समक्ष एक और मुझाव रखा। उन्होंने कहा कि दक्षिण-पूर्वी एशिया की राजनीतिक स्थिति अत्यन्त टावाडोल है, अतः इस क्षेत्र का अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करके उदरक्षीकरण (Neutralisation of S. E. Asian Region) कर दिया जाय। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी राज्यों ने डिगॉल के मुझाव का कटु-विरोध किया। खाल्द में फ्रान्स की ये सभी कार्यवाहियाँ अटलाण्टिक समुदाय की एकता को भंग करने वाली थीं। इस एकता की कठोरतम आघात तो १२ मार्च, १९६६ की

डिगॉल की इस घोषणा से पहुँचा कि फ्रान्स नाटो संगठन से ही अलग होना चाहता है। फ्रान्स की माग पर ही संयुक्त राज्य अमेरिका को फ्रान्स की माग पर स्वयं नाटो अड्डो को खाली कर देना पडा। फ्रान्स के नाटो के परिवर्णन के निर्णय से पश्चिमी गुट पर एक महान् शकट आ गया। नाटो में पश्चिमी जर्मन को इस शर्त पर १९५५ में शामिल किया गया था कि वह स्वतन्त्र रूप से अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि नहीं करेगा। इस शर्त के लिए स्वयं फ्रान्स बहुत दृढ था। परन्तु जब फ्रान्स ही नाटो से निकल जाता तो पश्चिमी जर्मनी भी इस शर्त से मुक्त हो जाता और तब वह सैन्य शक्ति में वृद्धि करने का कार्यक्रम जोर-शोर से चलने की सम्भावना हो जाती। पश्चिमी जर्मनी द्वारा सैनिक शक्ति बढ़ाने के प्रयास की प्रतिप्रिया सोवियत गुट के देशों में होती और इस तरह हथियारबन्दी की होड का कुक्क फिर जोरो से चलना शुरू हो जाता। राष्ट्रपति डिगॉल के इस निर्णय के कारण यूरोप की नूतनीतिक स्थिति खराब हो सकती थी और पश्चिमी जर्मनी को लेकर युद्ध की सम्भावना बढ़ सकती थी।

जनरल डिगॉल ऊपर से विविध दीखने वाले अपने व्यवहार से राजनीतिक जगत को चौंकाते रहे। कुछ लोगो ने इसे 'वृद्धपस्था की सतक' का नाम दिया। मगर जो लोग इन कार्यवाहियों के पीछे उद्देश्य खोजने के पक्ष में थे उनके अनुसार यूरोप और सम्पूर्ण विश्व के प्रति जनरल डिगॉल का अपना विशिष्ट दृष्टिकोण था। उन्होंने कहा था—“अमेरिका विश्व में सबसे पश्चिमात्मी राष्ट्र बन गया है और सारभाविक रूप से वह अपनी शक्ति को बढ़ाने पर तुल्य हुआ है।” इस शक्ति विस्तार से बचने के लिए उनके अनुसार दो ही रास्ते थे। पहला मार्ग यह था कि उसी गुट का एक सदस्य बना जाये जहाँ अमेरिकन शक्ति सर्वोपरि है और यह रास्ता आसान था। दूसरा रास्ता था अपने व्यक्तित्व की सुरक्षा। इसके लिए यह जरूरी था कि फ्रान्स और जर्मनी एक-दूसरे के निकट आये, अन्यथा अमेरिकन प्रभाव से नहीं बचा जा सकता था। इसीलिए फ्रान्स और जर्मनी में राजनीतिक घनिष्ठता के प्रति सन्धिय कदम उठाये जाते रहे। जनरल डिगॉल का विस्वास था कि फ्रान्स ने जिस आर्थिक ढांचे को पिछले ६ वर्षों में खडा किया है, उसे नष्ट न होने दे, ताकि उसे अमेरिकन पद्धति द्वारा आत्मसात् न किया जा सके। अपने व्यक्तित्व को धनाये रखने के लिए ही उनकी तीसरी शर्त यह थी कि विश्व में इस बहम को समाप्त कर दिया जाये कि शक्ति के कुल दो ही गुट हैं, उसके बाहर कुछ नहीं है। तीसरे गुट की रचना के लिए उन्होंने फ्रान्स को पूर्वी यूरोपीय देशों के निकट लाना चाहा ताकि 'विश्व राजनीति में दो गुटों

की पद्धति के अतिरिक्त भी कुछ हो ।' इसी नीति को अपनाकर ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में सम्मिलित होने का उन्होंने विरोध किया ।

जनरल डिगॉल ने अत्यन्त सदिग्ध और विवादास्पद परिस्थितियों में भी फ्रान्स की प्रतिष्ठा का निरन्तर विकास किया । डिगॉल ने अपने राष्ट्रपतित्व-काल में फ्रान्स को वास्तव में नूफानी माना पर चलाया और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फ्रान्स की अहाज की शक्ति और प्रतिष्ठा को स्थापित करने की बहुत कुछ सफल चेष्टा की । अप्रैल, १९६६ में राष्ट्रपति डिगॉल के शासन काल के समाप्त होने के बाद न केवल फ्रांस के इतिहास में बल्कि वास्तव में समस्त यूरोप के इतिहास में एक युग का अन्त हुआ । पॉम्पिडू नये राष्ट्रपति बने । नयी फ्रेंच सरकार ने डिगॉल शासन की अपेक्षा अपने रवैये में अभी तक कुछ नरमी प्रदर्शित की है और इस बात पर सम्भावना नजर आने लगी है कि फ्रांस अब नाटो का परित्याग नहीं करेगा तथा फ्रांस व मित्र देशों की फौजों में सहयोग की भावना पैदा होगी । जो भी हो यह स्पष्ट है कि फ्रांस ने डिगॉल के नेतृत्व में अपने इस पृथक् अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को निखारा है, उसकी वह हर सूरत में रक्षा करेगा । फ्रांस यह नहीं चाहेगा कि एक शक्ति-केन्द्र के रूप में उसका जो उदय हो रहा है—वह समाप्त हो जाय ।

विश्व की द्वि ध्रुवीय व्यवस्था को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में इस बात से भी आघात पहुंचा है कि अब अणु-आयुधों का एकाधिकार केवल अमेरिका और रूस के पास ही नहीं रहा है । ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी अणु-शक्ति के स्वामी बन चुके हैं । यद्यपि इनकी अणु-शक्ति अभी इतनी सम्पन्न नहीं है कि वह अमेरिका अथवा सोवियत संघ की अणु शक्ति का मुकाबला कर सके और यद्यपि कुछ समय तक उनके कारण आणविक शक्ति का सन्तुलन अधिक प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है, तथापि यह अवश्य है कि ये राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अधिकाधिक स्वतन्त्र आचरण करते जायेंगे और अमेरिका या रूस के पिछलग्गू कहलाने की स्थिति से बचना चाहेंगे । चीन की महत्वाकांक्षा तो एकदम स्पष्ट हो चुकी है । चीन ने अपने को जिस प्रकार सोवियत संघ से एकदम मुक्त कर लिया है और जिस ढंग से साम्यवादी जगत में सोवियत नेतृत्व को चुनौती दी है, वह आश्चर्यजनक है । साम्यवादी सेना आज दो शक्ति-केन्द्रों में बंट चुका है—एक केन्द्र है रूस तो दूसरा केन्द्र है चीन । इसी शक्ति को हंगरी, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के व्यवहार से भी भय पैदा हो चुका है । ये राष्ट्र यद्यपि इसी सैनिक बल के कारण अपनी आवाज को दबाए हुए हैं लेकिन रह रह कर प्रस्फुटित होने वाले इनके व्यवहारों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में लम्बे समय तक

सम्भवत इन्हें जबरदस्ती सोवियत-शक्ति-केन्द्र के साथ बाधकर नहीं रखा जा सकेगा अथवा इन पर सोवियत नियन्त्रण आज के समान कठोर नहीं रह पायेगा ।

सेवा से बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हाल ही के कुछ वर्षों से एक नया मोड़ दिखाई देने लगा है और वह है सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य परस्पर सह अस्तित्व की धारणा का विकास होना । दोनों ही राष्ट्र यह समझ चुके हैं कि कोई भी अराज्य युद्ध विजेता और विजित के लिए समान रूप से विनाशकारी सिद्ध होगा । अतः दोनों यह मानने लगे हैं कि अपने सैद्धान्तिक सधर्षों के बावजूद पूँजीवाद और साम्यवाद का सहअस्तित्व सम्भव है । इसी नेता आज कि परिवर्तित जटिल और विस्फोटक परिस्थितियों में यह मानने लगे हैं कि साम्यवाद का प्रसार अब शान्तिपूर्ण उपायों से ही करना हितकारी होगा—इसके लिए सैनिक शक्ति का आश्रय लेना विनाश को आमन्त्रण देना होगा । दुर्भाग्यवश साम्यवादी चीन का रवैया अभी तक युद्धोन्मादी है । वह आज के युग में भी युद्ध की अनिवार्यता पर बल दे रहा है और सैनिक-शक्ति से पूँजीवाद के विनाश पर चीनी साम्यवाद का महत्व खटा करने के स्वप्न देख रहा है । प्रगुता और नेतृत्व की लालसा में वह सोवियत संघ से भी दुरी तरह उलझ गया है । रूस और अमेरिका दोनों ही यह मलीमाति समझने लगे हैं कि निकट भविष्य में ही प्रबल आणविक शक्ति से सम्पन्न चीन दोनों ही के लिए जबरदस्त खतरा सिद्ध हो सकता है । इस दृष्टि ने भी दोनों को पूर्वापेक्षा कुछ निकट लाने में सहयोग दिया है ।

उभरती हुई नवीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को रूप रेखा अभी तक सुस्पष्ट और सुनिश्चित नहीं है । यद्यपि यह कहा जा सकता है कि दो शक्ति गुटों अथवा दो सेमों की जगह तीन गुट या सेमों साफ तौर पर उभर आये हैं जिनमें असंलग्न गुट दो की अपेक्षा कम शक्तिशाली है, तथापि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था बहु केन्द्रीय (Poly-centric) है, क्योंकि शक्ति के केन्द्र (Centres of Power) अनेक हैं जिनमें केवल उपरोक्त दोनों सेमों ही शामिल नहीं हैं बल्कि अकेले राष्ट्र और समुक्त राष्ट्र संघ भी सम्मिलित हैं । यह स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रीय राज्य अपने महत्व को खोना पसन्द नहीं करेंगे । आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसी है कि शौके पर कमजोर से कमजोर एशियायी और अफ्रीकी राष्ट्रों की आवाज भी अपना महत्व रखती है । ऐसे अनेक अवसर आये हैं जब क्षेत्रीय मामलों (Regional Issues) में इन राष्ट्रों ने दोनों महा शक्तियों का सफलतापूर्वक विरोध किया है । इन राष्ट्रों ने समुक्त राष्ट्रसंघ की महा सभा,

को अपना राग मच चुना है और सब तेजी से उनका प्रवक्ता बनना जा रहा रहा है। मध्य-पूर्व में इजराइल और सयुक्त अरब गणराज्य शक्ति के ऐसे केन्द्र हैं जो अपने रवये में परिवर्तन द्वारा सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को और महा शक्तियों के आपसी सम्बन्धों को झकझोर सकते हैं। शक्ति सन्तुलन की ऐतिहासिक परम्परा का आज विशेष महत्व नहीं रह गया है और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की बात अब्यावहारिक प्रतीत होने लगी है। आणविक हथियारों की भयकरता ने शक्ति सन्तुलन के स्वरूप को बदल दिया है और सामूहिक रक्षा व्यवस्था की प्रणाली को बहुत कुछ खण्डित कर दिया है। नवीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था अभी अपनी निर्माणात्मक अवस्था में है और भविष्य में इसमें अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होये रहने की सम्भावना है। वर्तमान आसार यही है कि अभी अनेक महत्वपूर्ण शक्ति के श्रो का उदय होना बाकी है। आधुनिक ससार द्वि-केन्द्रीयवाद से बहु-केन्द्रवाद की ओर अग्रसर है।

१६

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रभाव

(IMPACT OF U. N. O. ON INTERNATIONAL POLITICS)

प्रथम युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई जो विभिन्न दुर्बलताओं और महाशक्तियों के अतृप्त्योग के कारण अपने उद्देश्य में असफल हुआ। १९१९ में द्वितीय महायुद्ध भड़क उठा जो अपार धन-जन के विनाश के बाद १९४५ में समाप्त हुआ। महायुद्ध काल में ही दुनिया के विचारचौल और शान्तिवादी राजनीतियों तथा विचारकों ने पुनः कोई ऐसा साधन सोचना चाहा जो ऐसे विनाशकारी युद्ध की पुनरावृत्ति को रोक सके। इस आवश्यकता को पूर्ण रूप देने के लिए मिन राष्ट्रों में विचार-विमर्श शुरू हो गया और अन्त में विभिन्न मुलाकातों और सम्मेलनों के बाद विश्व-संगठन के चार्टर पर २६ जून, १९४५ के दिन ५० राष्ट्रों के ५५० प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिये इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म हुआ और राष्ट्रपति ट्रूमैन ने भाषण देते हुए कहा कि—“यह एक ऐसी शक्तिशाली नींव है जिस पर हम एक सुन्दर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए इतिहास आपका सम्मान करेगा।” २४ अक्टूबर, १९४५ से संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर लागू हुआ और १० फरवरी, १९४६ को संघ की प्रथम बैठक हुई।

प्रस्तुत अध्याय में हमारा उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघ के स्वरूप और उसके रूप विधान या ढांचे या संगठन का वर्णन करना नहीं है बल्कि यह देतना

है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर सयुक्त राष्ट्र संधि ने क्या प्रभाव डाला है और भविष्य में इस प्रभाव की क्या सीमाएँ हैं ? अतः इस प्रभाव को जानने के प्रसंग में यह भी ज्ञात करना होगा कि सयुक्त राष्ट्रसंधि के उद्देश्यों और सिद्धान्तों में ऐसी क्या बातें रखी गई हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को प्रभावित करने वाली हो। यह भी देखना होगा कि संधि के विभिन्न अंगों को ऐसी कौनसी शक्तियाँ दी गई हैं जिनके माध्यम से वे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना प्रभाव लागू कर सकती हैं अथवा करती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने की दृष्टि से संधि का स्वरूप

सयुक्त राष्ट्र संधि का स्वरूप उसके चार्टर या सविधान से स्पष्ट है। चार्टर की प्रस्तावना के आरम्भ में सदस्य राष्ट्रों के विश्व-शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी सकारणों को प्रकट किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और विश्व-शान्ति और सुरक्षा को प्रभावित करने की दृष्टि से संधि के उद्देश्य यह रहे गये हैं—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना करना, शान्ति पर होने वाले आक्रमणों को रोकना और उनके विरुद्ध प्रभावशाली सामूहिक कार्यवाही करना, शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून भंग करने वाली चेष्टाओं को दबाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सुलझाना।

(२) जनता के आत्म-निर्णय तथा समान अधिकार के आधार पर राष्ट्रों से मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना तथा सार्वभौम शान्ति को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं को सुलझाने में सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं को बिना किसी भेदभाव के प्रोत्साहित करना।

(४) उपरोक्त देशों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों के कार्यों में सामञ्जस्य स्थापित करने हेतु केन्द्र के रूप में कार्य करना।

सयुक्त राष्ट्र संधि का आधार ऐसे सिद्धान्तों पर रखा गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सम्बन्धों को प्रभावित करने की भूमिका तैयार करते हैं। संधि के सदस्य राज्यों को इन बातों या सिद्धान्तों के अन्तर्गत कार्य करना होता है —

(i) सभी राज्य समुक्त सन्धिसन्ध हैं और समान हैं।

(ii) सभी सदस्य चार्टर के अनुसार अपने उत्तरदायित्वों व कर्तव्यों का सम्भालना से पालन करेंगे।

(iii) सभी सदस्य राष्ट्र अपने सगड़ों का निपटारा शान्तिपूर्ण ढंग से इस प्रकार करेंगे कि शान्ति, सुरक्षा व न्याय के मंग होने का मय नहीं रहे।

(iv) सदस्य राष्ट्र अपने सम्बन्धों में आक्रमण की धमकी देने या दूसरे राज्यों के प्रति बल प्रयोग करने से दूर रहेंगे।

(v) सदस्य राष्ट्र चार्टर के अनुसार की जाने वाली संधि की प्रत्येक कार्यवाही में सब प्रकार का सहयोग व सहायता देंगे और वे किसी ऐसे देश की मदद नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संधि शान्ति और सुरक्षा के लिए कोई कार्यवाही करेगा।

(vi) शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए यह संधि आवश्यक कार्यवाही करेगा। संधि यह भी देखेगा कि गैर-सदस्य राष्ट्र भी यथासम्भव ऐसे कार्य न करें जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाय।

(vii) विरुद्ध-शान्ति और सुरक्षा के अतिरिक्त संधि किसी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संधि के उद्देश्यों और सिद्धान्तों की रचना इस प्रकार की गई है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की दृष्टि से कारगर बनाते हैं और इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संधि के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखना, विभिन्न राष्ट्रों में पेशीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना और मानव कल्याण के कार्य करना उसका कर्तव्य है। संधि का सदस्य बनने वाला प्रत्येक राष्ट्र इन उद्देश्यों और सिद्धान्तों में अपनी निष्ठा प्रकट करता है। इस प्रकार वह यह स्वीकार करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा के क्षेत्र में और इसी प्रकार के अन्य कार्यों में वह संयुक्त राष्ट्र संधि के हस्तक्षेप को स्वीकार करेगा तथा प्रोत्साहन देगा। सदस्य-राष्ट्रों की यह स्वीकृति ही संयुक्त राष्ट्र संधि की इस दृष्टि से सशक्त बनाती है कि वह शान्ति व सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में, अपनी सीमाओं में रहते हुए हस्तक्षेप कर सके।

अब हम संधि के विभिन्न अंगों को लेते और देखते हैं कि यह अंग अपने विभिन्न अधिकारों और कर्तव्यों के बल पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में समर्थ है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की दृष्टि से

संधि के अंगों के अधिकार व कर्तव्य

चार्टर के सातवें अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्रसंधि के ६ प्रमुख अंगों की व्यवस्था की गई है—

- (१) साधारण सभा या महासभा (General Assembly),
- (२) सुरक्षा परिषद् (Security Council),
- (३) आर्थिक व सामाजिक परिषद् (Economic and Social Council)
- (४) न्याय परिषद् (Trusteeship Council),
- (५) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice), एव
- (६) सचिवालय (Secretariat)

साधारण सभा या महासभा

महासभा सभ की व्यवस्थापिका सभा कहो जा सकती है जिसमें सभी सदस्य राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। महासभा के कार्यों को प्रकृति मुख्य रूप से निरीक्षणत्मक और अन्वेषणात्मक है। इसे विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने की शक्ति है। यह उन प्रयासों को खोज करती है जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है तथा विश्व के राष्ट्रीय व मध्य पारस्परिक सहयोग की स्थापना की जा सकती है। महासभा शस्त्रों को सीमित करने और निःशस्त्रीकरण के विषयों पर विचार करती है। विश्व में शान्ति स्थापित करना उसका प्रमुख लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह कोई भी सम्भव कदम उठा सकती है।

महासभा की शक्ति और महत्ता आज घटत उठ गई है। यदि सुरक्षा परिषद अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ पाई जाय तो महासभा को अधिकार है कि वह सम्बन्धित विषय पर फौरन विचार करके सामूहिक उपायों के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा बनाये रखने के लिए सैनिक कार्यवाही का निर्देश दे। महासभा को यह भी अधिकार है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय तनाव वाले क्षेत्रों में स्थिति का निरीक्षण करने और रिपोर्ट देने के लिए एक 'शान्ति निरीक्षण आयोग' की व्यवस्था करे। सदस्य-राष्ट्रों का यह कर्तव्य है कि वे आवश्यकता पडने पर महासभा सुरक्षा परिषद् की सिफारिशों पर सभ के अधीन कार्यवाही करने के लिए सशस्त्र सेना प्रदान करें।

वास्तव में महासभा को हम सम्पूर्ण विश्व का अन्तर्राष्ट्रीय रण-मंच कह सकते हैं। कठार्क आइन्बर्गर के मतानुसार महासभा मानव जाति को सदस्य का एक रूप है, जिसमें विश्व के राष्ट्र, राष्ट्रियतंत्र, परिसरतंत्र की अनेकों समसदाओं पर विचार करने का साधन दृढ़ रहे हैं। कानून व ससदात्मक प्रक्रिया के द्वांचे में महासभा में सदस्य राष्ट्र स्वतन्त्र रूप से अपनी शिक्षायत्त,

प्रस्ताव और सुझाव आदि प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार महासभा विश्व का उन्मुक्त अन्तःकरण (Open Conscience of the World) है। महासभा में अणुबम से लेकर मानवीय कल्याण, भोजन, वस्त्र और आवास साधन तक की सभी समस्याओं पर विचार किया जाता है।

सुरक्षा परिषद

सुरक्षा-परिषद् सभ की कार्यकारी और उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भूमिका निभाता है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की स्थापना की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए सुरक्षा-परिषद् की व्यापक शक्ति दी गई है और उस पर व्यापक जिम्मेदारियाँ हैं। चार्टर के अनुच्छेद २४ में स्पष्ट उल्लिखित है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है और उसे यह देखना है कि सभ की ओर से प्रत्येक कार्यवाही जल्दी और प्रभावपूर्ण ढंग से हो सके। अनुच्छेद २५ के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों का मतव्य है कि वे चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद् के फैसलों को मानेंगे और उन पर अमल करेंगे। सुरक्षा परिषद् को जिन अधिकारों व शक्तियों से सम्पन्न बनाया गया है उनका उल्लेख चार्टर के ६, ७, ८ और १२ वें अध्याय में किया गया है। इन अध्यायों के अनुसार शान्ति व सुरक्षा की दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की दृष्टि से परिषद की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

(१) यदि किसी झगड़े से विश्व की शान्ति और सुरक्षा को खतरा हो तो दोनों विवादी पक्ष उस झगड़े को सबसे पहले बातचीत, पूछताछ, बीच बचाव, मेल, न्यायपूर्ण समझौतों, प्रादेशिक सस्थाओं या व्यवस्थाओं द्वारा या अपनी पक्ष के अन्य शांतिपूर्ण साधनों से सुलझाने का प्रयास करेंगे, और सुरक्षा परिषद आवश्यकता समझने पर विवादी पक्ष को अपने झगड़े ऐसे साधनों से निपटाने की मांग करेगी। (अनुच्छेद ३३)

(२) सुरक्षा परिषद किसी ऐसे झगड़े अथवा स्थिति की जाच-पड़ताल कर सकती है जो अन्तर्राष्ट्रीय सभ का हित हो सकता हो अथवा जिससे कोई दूसरा झगड़ा उठ सकता हो। सुरक्षा परिषद इस बात का भी निश्चय करेगी कि ये झगड़े अथवा स्थिति जारी रहे तो उनसे विश्व की शान्ति और सुरक्षा को कोई खतरा पैदा हो सकता है अथवा नहीं। ऐसे झगड़े या इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा हो जाने पर सुरक्षा परिषद किसी भी समय उसके लिए उचित कार्यवाही करने या सुलझाने के उपायों की सिफारिश कर सकती है। (अनुच्छेद ३४, ३६)

(३) उपरोक्त सिफारिशें करते समय सुरक्षा परिषद को इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि सामान्य रूप से कानूनी झगड़ों को अन्तर्राष्ट्रीय अदालत के विधान के उनबन्धों के अनुसार पेश किया जाये । (अनुच्छेद ३६)

(४) सुरक्षा परिषद ही इस बात का निर्णय करेगी कि कौनसी चेष्टायें शांति को खतरे में डालने वाली, शांति भंग करने वाली और आक्रमण की चेष्टाएँ समझी जा सकती हैं । वही सिफारिश करेगी और तय करेगी कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करने अथवा फिर से स्थापित करने के लिए कौनसी कार्यवाही की जानी चाहिए । किसी स्थिति को विगड़ने से बचाने के लिए सुरक्षा परिषद अपनी सिफारिशें करने अथवा किसी कार्यवाही का निश्चय करने से पहिले विवादो पक्षों से ऐसी अस्थायी कार्यवाहियाँ करने की माग करेगी जिन्हें वह उचित या आवश्यक समझे । इन अस्थायी कार्यवाहियों से विवादो पक्षों के अधिकारों, दावों या उनकी हैसियत का कोई अहित न होगा । यदि कोई पक्ष इस प्रकार की अस्थायी कार्यवाहियाँ नहीं करता है तो सुरक्षा परिषद इसका भी विधिवत ध्यान रखेगी । (अनुच्छेद ३६, ४०)

(५) सुरक्षा परिषद अपने फैसलों पर अमल कराने के लिए ऐसी कार्यवाहियाँ भी निश्चित कर सकती है जिनमें सशस्त्र सेना का प्रयोग न हो । वह संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों से इस प्रकार की कार्यवाही करने की माग कर सकती है । इन कार्यवाहियों के अनुसार आर्थिक सम्बन्ध पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से समाप्त किये जा सकते हैं, समुद्र, वायु डाक, तार, रेडियो और यातायात के अन्त्यान्व साधन बन्द किये जा सकते हैं, अथवा राजनीतिक सम्बन्ध विच्छेद किया जा सकता है । (अनुच्छेद ४१)

(६) अनुच्छेद ३१ में बतलाई गई उपरोक्त कार्यवाहियाँ यदि सुरक्षा परिषद की दृष्टि में नाकाम हो अथवा नाकामी शिद्ध हो गई हो, तो अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने या फिर से स्थापित करने के लिये वह जल, स्थल और वायु सेनाओं की सहायता से आवश्यक कार्यवाही कर सकती है । इस कार्यवाही में संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य देशों की जल, थल, वायु सेना विरोध प्रदर्शन कर सकती है, घेरा डाल सकती है अथवा अन्य दूसरे प्रकार की कार्यवाहियाँ कर सकती है । (अनुच्छेद ४२)

(७) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने में सहायता देने के लिये संयुक्त राष्ट्र सभ के सब सदस्यों का यह कर्तव्य बताया गया है कि वे सुरक्षा परिषद के मागने पर और विनियम समझौते के अनुसार,

अपनी सशस्त्र सेनाएँ, सहायता और अन्य सुविधाएँ, जिनमें मार्ग अधिकार भी शामिल होंगे, मुहैया करेंगे। सेनाओं की सख्या, उनके प्रकार, उनकी तैयारी और स्थिति आदि के बारे में निश्चय, समझौते या समझौतों से किए जाएंगे और इस प्रकार के समझौतों की बाह्यत सुरक्षा परिषद को प्रेरणा से जल्दी से जल्दी गुरु को जानी चाहिए। ये समझौते सुरक्षा परिषद और सदस्यों अथवा सुरक्षा परिषद तथा सदस्य दलों के बीच किये जाएंगे और इन पर अमल तब ही किया जा सकेगा जब हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र अपनी अपनी वैधानिक प्रक्रियाओं द्वारा इनकी पुष्टि कर देंगे। चार्टर में यह भी लिखा गया है कि सदस्य सामूहिक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिये अपनी अपनी राष्ट्रीय वायुसेना के दल जल्दी से जल्दी उपलब्ध करायेंगे ताकि संयुक्त राष्ट्र सच सुरक्षा सैनिक कार्यवाही कर सके। इन सैनिक दलों की मस्या और तैयारी आदि के बारे में निश्चय सुरक्षा परिषद अपनी "सैनिक स्टाफ समिति" की मदद से करेगी। सैनिक स्टाफ समिति की मदद से ही सामूहिक कार्यवाही के लिये योजनाएँ बनाई जाएगी। (अनुच्छेद ४३, ४५)

(८) अनुच्छेद ४७ के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि सुरक्षा परिषद को निम्नलिखित प्रश्नों पर स्थानत्र सलाह देने और सहायता के लिये एक सैनिक स्टाफ समिति बनाई जायगी—(क) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा परिषद की सैनिक आवश्यकताएँ, (ख) उसके अधीन सेनाओं का प्रयोग और उनकी कमान, (ग) शस्त्रों का नियंत्रण, और (घ) सम्भावित नि शस्त्रीकरण। सैनिक स्टाफ समिति में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के स्टाफ अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि रहेगे। यदि संयुक्त राष्ट्र सच का कोई सदस्य समिति का स्थायी प्रतिनिधि न हो और समिति के दायित्वों को ठीक तरह पूरा करने में उस सदस्य का भाग लेना आवश्यक हो तो समिति उसको अपने साथ काम करने के लिए बुला लेगी। इस अनुच्छेद में यह भी लिखा गया है कि सुरक्षा परिषद के उपयोग के लिए जो सशस्त्र सेनाएँ दी जाएगी, उनका युद्ध सम्बन्धी निर्देशन सैनिक स्टाफ समिति के हाथ में रहेगा और यह समिति सुरक्षा परिषद के अधीन रहेगी। सैनिक स्टाफ समिति उपर्युक्त प्रादेशिक सस्याओं से सलाह लेने के लिए प्रादेशिक उपसमितियों का निर्माण भी कर सकती है। सैनिक स्टाफ समिति को यह अधिकार सुरक्षा परिषद द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(९) जब सुरक्षा परिषद किसी राष्ट्र के विरुद्ध रोकथाम की या अपने निषेधों को अमल कराने की कोई कार्यवाही कर रही हो उस समय यह हो सकता है कि किसी दूसरे राष्ट्र के सामने कुछ विशेष आर्थिक

समस्याएँ उठ खड़ी हों। अतः अनुच्छेद ५० में यह व्यवस्था दी गई है कि ऐसी सूरत में उस राष्ट्र को, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र सभ का सदस्य हो या नहीं, अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए सुरक्षा परिषद से सलाह लेने का अधिकार होगा।

(१०) यदि संयुक्त राष्ट्र सभ के किसी सदस्य पर कोई संशय आक्रमण होता है तो वह व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से आत्मरक्षा करने का अधिकारी है। अनुच्छेद ५१ यह व्यवस्था देता है कि उस राष्ट्र पर उस समय तक कोई रोक नहीं होगी जब तक कि सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए स्वयं कोई कार्यवाही न करे। आत्मरक्षा के लिए सदस्य जो भी कार्यवाही करेंगे उसकी सूचना तुरन्त ही सुरक्षा परिषद को दी जाएगी। लेकिन इससे सुरक्षा परिषद के अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने या फिर से स्थापित करने के लिए जब कभी, जो कार्यवाही चाहे, कर सकती है।

(११) स्थानीय झगडों और विवादों के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद प्रादेशिक सगठनों और एजेन्सियों को माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक सगठन या एजेन्सियाँ अपने क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाये रखने की दिशा में जो भी कदम उठाती हैं, उनकी सूचना उन्हें नियमित रूप से सुरक्षा परिषद को देनी पड़ती है।

(१२) सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सभ ने जो दायित्व ग्रहण किया है, उन्हें निभाने का भार भी सुरक्षा परिषद पर ही है। सरक्षित प्रदेशों को किसी भी राष्ट्र के सरक्षण में देते समय सरक्षण सम्बन्धी शर्तों भी सुरक्षा परिषद द्वारा ही तय की जाती हैं। वही इन शर्तों में फेर बदल या संशोधन कर सकती है। यदि ऐसे कुछ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हों जो संयुक्त राष्ट्र सभ के सरक्षण में हों, तो इन क्षेत्रों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रगति के लिए सुरक्षा परिषद आवश्यक कदम उठा सकती है।

सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया और निषेधाधिकार (Voting and Veto power)—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की दृष्टि में परिषद की शक्तियों के प्रसंग में उसकी मतदान प्रक्रिया और स्थाई सदस्यों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, व. राष्ट्र, जापान, चीन), के निषेधाधिकार का शांति, प्रभाव, पर केना आवश्यक है। सभी हम ठीक ढंग से यह मूल्यांकन कर सकेंगे कि परिषद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में वहाँ तक सक्षम है।

सुरक्षा परिषद के वर्तमान कुल १५ सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक मत प्राप्त है, लेकिन मतदान की प्रक्रिया बहुत कुछ विभिन्न प्रदेशों के स्वरूप या परिषद् के कार्यों पर निर्भर करती है। परिषद् के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया गया है—(१) साधारण, और (२) असाधारण। साधारण कार्यों में परिषद् के कार्यभार आदि आते हैं। अन्य मामले असाधारण कार्यों में आते हैं, जैसे विवादों के दान्तिपूर्ण समाधान सम्बन्धी मामले, जानमणकारी शक्ति के विह्वल प्रतिद्वन्द्व लगाना आदि।

साधारण मामलों पर किन्हीं ९ सदस्यों के स्वीकारात्मक (Affirmative) मत पर्याप्त हैं, लेकिन असाधारण मामलों पर ९ सदस्यों के स्वीकारात्मक मतों में ५ स्थायी सदस्यों के मत शामिल होना आवश्यक है। इन ५ स्थायी सदस्यों में कोई भी सदस्य अपनी असहमति प्रकट करे अथवा प्रस्ताव के विरोध में मतदान करे तो प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं समझा जाता। निषेधाधिकार या वेटो (Veto) की यह सुप्रसिद्ध व्यवस्था है।

परिषद का कोई भी सदस्य अथवा अस्थायी सदस्य यदि प्रस्तुत विवाद से सम्बन्धित हो तो उसे भी मतदान करने का अधिकार नहीं रहता। संघ का कोई भी सदस्य-राष्ट्र ऐसे किसी भी प्रश्न पर जो विचारधीन हो सुरक्षा परिषद में हो रहे वाद-विवाद में भाग ले सकता है। सुरक्षा परिषद, यदि उचित समझे तो ऐसे किसी भी राष्ट्र को जो सुरक्षा परिषद अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य न हो, उससे सम्बन्धित विवाद पर विचार करते समय उसे बैठकों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित कर सकती है। इस प्रकार आमन्त्रित होने वाले राष्ट्र मतदान में भाग नहीं ले सकते।

दोहरा निषेधाधिकार (Double Veto)—जब यह प्रश्न उठता है कि कोई साधारण मामला माना जाये अथवा असाधारण, तब दोहरे निषेधाधिकार (Double Veto) का प्रयोग होता है अर्थात् पहले तो निषेधात्मक मतदान द्वारा किसी प्रश्न को साधारण विषय ठानने से रोका जाता है और तत्पश्चात् प्रस्ताव के तत्वों (Substance) के विरोध में दोहरा मत दिया जाता है।

निषेधाधिकार की समालोचना—सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया के अध्ययन से स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में कोई भी किसी भी प्रस्ताव के विरोध में मत देकर उसे पारित होने से रोक सकता है। इसके केवल दो ही अपवाद हैं—प्रथम, प्रक्रिया सम्बन्धी मामले, द्वितीय, वे मामले जिनमें स्वयं विरोध में मत देने वाली एक महा शक्ति एक पक्ष हो। आलोचकों का कहना है कि इस निषेधाधिकार के कारण सुरक्षा परिषद अपने सामूहिक सुरक्षा के कार्य में असफल हो गई है। बर्नोल्ड फोर्स्टर (W. Arnold

Foster) क अनुसार "निषेधाधिकार का भय सम्पूर्ण व्यवस्था पर छाया हुआ है। ऐसी व्यवस्था के रक्त में ही पक्षाघात है। यह उस कार के समान है जिसका स्टार्टर (Starter) किसी भी समय उसकी यन्त्र व्यवस्था में गड़बड़ करके उसका इन्जिन को रोक सकता है।"

निषेधाधिकार की उपयोगिता एवं आवश्यकता के बारे में सभी विचारक एक मत नहीं हैं। इस सम्बन्ध में विपक्ष में प्रचलित चार बातें कही जाती हैं—

प्रथम, यह कहा जाता है कि निषेधाधिकार के कारण ही सुरक्षा-परिपद शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था के अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ हो गई है। यह अधिकार ही अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण हल में सबसे बड़ा बाधक है। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें प्रयोग अनिवार्य हो जाता है, परन्तु निषेधाधिकार के कारण सुरक्षा परिपद ऐसा नहीं कर पाती। इस विषय में ट्रिग्वेली (Trygve Lie) ने कहा था कि "संयुक्त राष्ट्रसंघ निषेधाधिकार के कारण नपुंसक है। यह महा शक्तियों के संघर्ष द्वारा पक्षाघातग्रस्त कर दिया गया है।"

दूसरे, निषेधाधिकार विधि के समक्ष समता और राष्ट्रों की सम्प्रमुख-समानता के मौलिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है।

तीसरे, निषेधाधिकार पृष्ठपोषक राज्यों (Client States) की एक न्यूनाधिक खुली राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दे सकता है। यह हो सकता है कि प्रत्येक म्यामो सदस्य अपने मित्र राष्ट्रों को निषेधाधिकार का संरक्षण प्रदान करे। ऐसी स्थिति में यह भय पैदा होना स्वाभाविक है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य स्थायी सदस्यों के नेतृत्व में गुटों में विभक्त हो जायेंगे। यह भय निराधार नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत रूस के नेतृत्व में ऐसे दो शक्तिशाली गुट जन्म ले भी चुके हैं।

चौथे, निषेधाधिकार के कारण सुरक्षा परिपद में जो गतिरोध उत्पन्न होता रहा है, उसने विश्व के राज्यों की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में आस्था को पूरी तरह डगमगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र सभ की तरफ से निराश होकर ही उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए NATO, SEATO जैसे प्रादेशिक सुरक्षा सगठनों का आश्रय लिया है।

निषेधाधिकार की व्यवस्था में निःसन्देह कुछ दोष अवश्य हैं, किन्तु हम व्यवस्था को बिनापट बनाना न तो चाहती हैं और न व्यावहारिक ही। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी सगठन को सफलता सभी मिल सकती है जब उसे विश्व की महान शक्तियों का सहयोग प्राप्त हो परन्तु इन

महान देशों का किसी ऐसे संगठन में भाग लेना सम्भव नहीं है जिसमें अन्य देश केवल अपने बहुमत से इसे किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य कर दें। इसे रोकने का एक मात्र उपाय निषेधाधिकार ही है। शूमन (Shuman) ने लिखा है "इसके निमित्तों ने यह स्पष्ट ही समझा था कि यदि सुरक्षा परिषद किसी महान राज्य के विचार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करती है तो इसका अर्थ विश्व शांति नहीं बरन् युद्ध होगा।

निषेधाधिकार एक अनिवार्यता है। विद्वानों और विधि शास्त्रियों द्वारा व्यक्त विचारों और अब तक की सुरक्षा परिषद की कार्यवाहियों के आधार पर अनेक कारण इस पक्ष में प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

प्रथम, संयुक्त राष्ट्र सभ को सुचारु रूप से चलाने के लिए निषेधाधिकार का होना अत्यावश्यक है। निषेधाधिकार इस सभ की अनुमति पर आधारित है कि बिना महा शक्तियों के सहयोग के सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था सम्भव नहीं है। राष्ट्र सभ की असफलता का एक प्रमुख कारण संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत रुस का सबसे पृथक् रहना था। आज भी रुस और अमरीका निषेधाधिकार के बिना संयुक्त राष्ट्र संघ में रहने को उद्यत नहीं होते और उनके बिना संयुक्त राष्ट्र संघ निरर्थक तथा निष्फल होकर राष्ट्र संघ की कहानी की पुनरावृत्ति कर देगा। इस सम्बन्ध में विशिनस्की (Vishinsky) का मत है कि "निषेधाधिकार की शक्ति के अन्त का अर्थ होगा संयुक्त राष्ट्र सभ का अन्त, क्योंकि एक महा शक्ति के विरुद्ध प्रयोग का अर्थ है, युद्ध की निश्चित निम्नशाखा।" निषेध का मूल विचार स्वर्गीय पण्डित नेहरू के शब्दों में "विश्व युद्ध की सम्भावना को हटाने और विवादों को सम्मेलनों द्वारा सुलझाना है।"

दूसरे, यह कहना गलत है कि निषेधाधिकार के फलस्वरूप सुरक्षा परिषद का काम टप्प हो गया है। अब तक का अनुभव बताता है कि निषेधाधिकार शक्ति के इतने अधिक प्रयोग होने के कारण किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में इसने अधिक बाधा नहीं पहुँचाई है। जिन निर्णयों के लेने में यह बाधक बना है उनके न लेने पर भी विश्व शांति में किसी प्रकार का खतरा नहीं पहुँचा है।

तीसरे कई बार निषेधाधिकार पत्रपातपूर्ण निर्णय लेने में बाधक रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों की शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने में सफल हुआ है। उदाहरणार्थ, जब कश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद के समक्ष प्रस्तुत था तो सोवियत रुस के निषेधाधिकार के प्रयोग ने स्थिति को सम्हालने में और सत्य की रक्षा करने में सहायता प्रदान की। यदि निषेध की व्यवस्था

न होती तो संयुक्त राष्ट्र साथ पूरी तरह एक गुट विशेष का साथ बन जाता और उस गुट विशेष को अपनी मनमानी करने की पूरी छूट मिल जाती।

चौथे सुरक्षा परिषद् की सीमित निषेधाधिकार प्रणाली दोषपूर्ण होते हुए भी राष्ट्र साथ परिषद् की सर्वसम्मत मतदाग प्रणाली से कहीं अधिक श्रेष्ठ है।

पाचवें, सुरक्षा परिषद् का अधिकांश कार्य महासभा द्वारा सम्हाल लिया गया है तथा १९५० में 'शांति के लिये एकता' का प्रस्ताव पास होने के बाद से निषेधाधिकार का तथा निषेध (Veto) करने वाली सुरक्षा परिषद् का महत्व घट गया है। अब इसका प्रभाव मुख्य रूप से सदस्यता के सम्बन्ध में ही रह गया है। न तो यह कोई नया अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ उत्पन्न करता है और न इसके आगे ही बढ़ता है। निषेधाधिकार संयुक्त राष्ट्र साथ के कार्य को पगु भी नहीं करता। इसके होते हुए भी महासभा द्वारा अनेक कार्य सम्पादित किये जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र साथ की वास्तविक सफलता तो इस बात में निहित है कि वह विभिन्न राज्यों से अपने निर्णयों को न्यायवित कर सकने में सफल हो।

छठे, अनेक और भी ऐसे व्यावहारिक पग उठाये जा चुके हैं जिनसे निषेधाधिकार के महत्व को पूर्वापेक्षा बहुत कम कर दिया है। अन्तरिम समिति या लघु सभा (Interim Committee or Little Assembly), शांति निरीक्षण आयोग (Peace Observation Commission) तथा सामूहिक उपाय समिति (Collective Measures Committee) आदि की स्थापना के द्वारा महासभा ने सामूहिक सुरक्षा-अवस्था को निषेधाधिकार के दुष्प्रभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि नई सदस्यता और शांति-पूर्ण समझौतों के सम्बन्ध में तो निषेधाधिकार आशिक है, अतः समाप्त होना चाहिये। परन्तु शांति भंग और आक्रमण की स्थिति में ऐनिक कार्यवाही के लिये इस अधिकार का प्रयोग अत्याज्य है, अतः इसे बनाये रखना लाभप्रद है।

आर्थिक व सामाजिक परिषद्

यह राष्ट्र का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है जिसके माध्यम से राष्ट्र के अराजनीतिक प्रकृति के लक्ष्यों को पूरा किया जाता है। यह संस्था अपने सहायक अंगों द्वारा विश्व के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रों में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह संसार से गरीबी और हीनता को मिटा कर एक स्वस्थ, विकसित और समोन्नत विश्व

के निर्माण में प्रयत्नशील है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में उठ खड़े होने वाले वाद विवादों को व झगड़ों को भी यह परिपक्व मिटाने का प्रयत्न करती है। इस परिपक्व द्वारा स्थापित विभिन्न आर्थिक व प्रावैधिक सहायता योजनाओं के माध्यम से विच्छेद हुई जातियों और जन समुदायों के विकास का प्रयत्न किया जाता है। परिपक्व का मुख्य लक्ष्य मानव अधिकारों को प्रोत्साहन देना है। इस दायित्व की पूर्ति के लिए परिपक्व ने विभिन्न प्रकार के मानव अधिकारों का अध्ययन किया है और इनके लिए विभिन्न आयोग स्थापित किये हैं। सरणार्थियों व राज्यहीन व्यक्तियों के लिए निरम बनाये गये हैं, ट्रेड-यूनियनों के अधिकारों का, दासता और बेगार का अध्ययन किया गया है।

यद्यपि आर्थिक व सामाजिक परिपक्व के उपरोक्त सभी कार्य अराजनीतिक हैं, तथापि अप्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा एक स्वस्थ राजनीतिक वातावरण तैयार होने में सहायता मिलती है। आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्र में सहयोग के कारण राष्ट्रों में जो पारस्परिक सद्भावना और सहयोग की प्रवृत्ति जागृत होती है वह दूषित राजनीतिक वातावरण को सुधारने में अपरोक्ष रूप से सहायन होती है। मानव-अधिकारों में आर्थिक व सामाजिक अधिकारों के अतिरिक्त राजनीतिक अधिकार भी सम्मिलित हैं। इन मानव अधिकारों को प्रोत्साहन देने के उत्तरदायित्व के फलस्वरूप आर्थिक व सामाजिक परिपक्व राजनीतिक क्षेत्र में कुछ न कुछ सुधारात्मक अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य डालती है। अर्द्ध विकसित व अल्प विकसित देशों को आर्थिक व प्रावैधिक सहयोग दे कर यह परिपक्व उन्हें उन्नत बनाने में और बड़ा अपिन्न स्थिरता लाने में बड़ी सहायक सिद्ध हुई है। यह कोई टिपा तथ्य नहीं है कि आर्थिक स्थिरता अन्तर्गोपत्या राजनीतिक स्थिरता को जन्म देती है। जब राष्ट्रों में राजनीतिक स्थिरता की प्रोत्साहन मिलता है तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति इससे अप्रभावित नहीं रह सकती। राजनीतिक स्थायित्व स्वस्थ राजनीतिक दृष्टिकोण के विकास में बड़ा सहायक हुआ है।

न्याय-परिपक्व व न्याय-व्यवस्था

संघ का चौथा महत्वपूर्ण अंग 'न्याय-परिपक्व' (Trusteeship Council) है। चार्टर के अध्याय १२ के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था (Trusteeship System) को समझाया गया है और अगले अध्याय में न्याय-परिपक्व पर प्रकाश डाला गया है।

समुक्त राष्ट्रसंघ की न्याय पद्धति (Trusteeship System) राष्ट्र-संघ की संरक्षण-व्यवस्था (Mandate System) का विकसित और उच्चतम रूप है जिसके प्रमुख उद्देश्य, चार्टर अनुच्छेद ७६ के अनुसार ये हैं—

- (१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना,
- (२) न्यास प्रदेशों के निवासियों का स्व शासन की दिशा में विकास करना
- (३) मानव अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाना और यह भाव जागृत करना कि ससार के सभी लोग अग्योन्या-धित हैं।
- (४) सामाजिक आर्थिक, तथा बालिग्नियन मामलों में संयुक्त राष्ट्र-सभ के सब सदस्यों और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासक राष्ट्रों व न्यास पद्धति के प्रदेशों की राजनीति को प्रभावित करते हैं जिसका अतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव पड़ता है। न्यास पद्धति के अन्तर्गत आने वाले सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेशों को स्वयं सुरक्षा परिषद का संरक्षण मिलना है जब कि सामान्य न्यास प्रदेश महासभा व न्यास परिषद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और उनके शासन संचालन के लिए एक राज्य, अनेक राज्यों अथवा स्वयं संयुक्त राष्ट्र सभ की संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है। संरक्षण परिषद का काम है कि वह उन राज्यों पर नियन्त्रण रखे जो संरक्षक (Trustees) बनाये गये हैं। इन संरक्षकों को संयुक्त राष्ट्र सभ ने कुछ कार्य सौंपे हैं, जैसे संरक्षक प्रदेशों की राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक उन्नति के लिए प्रयास करना, दुराचार व भ्रष्टाचार को दूर करना, सद् व्यवहार करना, स्वायत्त शासन का विकास करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को सुदृढ करने के लिए क्रियात्मक कदम उठाना आदि। न्यास परिषद् शासन कर्ता अथवा संरक्षक देश से न्यास प्रदेश की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करती है। इन हेतु परिषद द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली में न्यास प्रदेशों के शासन से सम्बन्धित सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। न्यास परिषद् प्रतिवर्ष अपने निरीक्षक मण्डल पूर्वी अफ्रीका के न्यास प्रदेशों, प्रशांत महासागर के न्यास प्रदेशों, टांगानिका, सीमालीकेण्ट आदि में इस प्रकार भेजती है कि तीन वर्षों में एक बार प्रत्येक प्रदेश का निरीक्षण हो जाय। ये निरीक्षक मण्डल पराधीन प्रदेशों पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के अत्यन्त प्रभावशाली साधन हैं। ये परिषद् का 'नेत्र और कान' है क्योंकि एक ओर तो ये निरीक्षक मण्डल परिषद् के सदस्यों को व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष रूप से न्यास परिषद् के निवासियों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करते हैं

और दूसरी ओर ये न्यास-प्रदेशों की जनता को इस बात का सन्तोष प्रदान करते हैं कि परिषद् उनकी स्थिति की वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं है। ये निरीक्षण-मण्डल निष्पक्ष और स्वतन्त्र भन्वेषण करने में सक्षम हैं। ये निरीक्षण मण्डल न्यास प्रदेश में शासन सरकार की विभिन्न नीतियों का अध्ययन ही नहीं करते हैं बल्कि सुधार के लिए आवश्यक सुझाव भी देते हैं।

स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सभ न्यास-परिषद् के न्याय व्यवस्था के माध्यम से विश्व के विभिन्न प्रदेशों में शान्ति, सुरक्षा और स्वायत्त-शासन को प्रोत्साहन देता है और इस प्रकार स्वस्थ राजनीतिक-आर्थिक वातावरण बना कर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को उचित दिशा में मोड़ने का प्रयत्न करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र सभ का मुख्य न्यायिक अंग है। सभ के सभी सदस्य इस न्यायालय के अधीन हैं। न्यायिक प्रश्नों पर आधारित उनके सभी विवादों का निर्णय इस न्यायालय में अन्तर्राष्ट्रीय विधानों के अनुसार होता है। वह देश भी, जो संयुक्त राष्ट्रसभ का सदस्य न हो, सुरक्षा-परिषद् की सिफारिशों के आधार पर महासभा द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधान का पक्षकार (Party) बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत तौर पर अपने मामले न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किये जा सकते, केवल राज्य ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। चार्टर के अनुच्छेद ६४ में यह व्यवस्था है कि यदि कोई पक्षकार या विवादी न्यायालय के निर्णय को न माने तो सुरक्षा परिषद् की सूचित कर दिया जाता है। परिषद् स्थायी सदस्यों की सहमति और ९ सदस्यों के बहुमत से यह निश्चित करती है कि न्यायिक निर्णय का निष्पादन कराया जाय। अनुच्छेद ४१ के अनुसार परिषद् क्षैणिक बल-प्रयोग की छोट कर ऐसे उपायों का प्रयोग कर सकती है जिनमें आर्थिक सम्बन्ध, रेल, समुद्र, डाक, रेडियो, अन्य यातायात के साधनों एवं राजनीतिक सम्बन्धों के अनुच्छेद सम्मिलित हैं इन उपायों के असफल होने पर, अनुच्छेद ४२ के अनुसार, परिषद् जल, स्थल और वायु सेना द्वारा ऐसी कार्यवाही कर सकते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। हेनरी क्लेवेल ने इस व्यवस्था की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि "इस बात की दृष्टि में रखते हुए कि चार्टर में न्यायालय के निर्णय के अनुपालन न होने की दशा में अधील की प्रतिया दी हुई है, यह विचार करना बर्तन है कि ऐसे अनुपालन को शान्ति के लिए घमकी अपवा उत्तरा भग कहा जाये।" ओपेनहेम का विचार है कि इस प्रकार का सचीवन होना चाहिए जिससे सुरक्षा-परिषद्

का कार्य आदेशात्मक हो जाय और इस विषय में सुरक्षा-परिपद् की कार्यवाही स्यायी सदस्यों के मतकथ होने को आवश्यकता के ब-या से मुक्त हो जाय ।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय विवादों का निर्णय करने के अतिरिक्त, माग की जाने पर, महासभा व सुरक्षा परिपद् की जयवा सयुक्त राष्ट्र सभ के किसी अन्य अंग को वैधानिक प्रश्न पर परामर्श भी दे सकता है । इसके अनिश्चित वादों पक्ष अपने मनोरथ के अनुसार उत्तम कानूनी राय प्राप्त कर सकता है जिसके औचित्य व अनौचित्य को भली भांति समझता है । स्टोन ने लिखा है "दोषी राज्य पोल खुलने से बचने के लिए विवाद के सहमतिपूर्ण निरादारे के लिए तैयार हो जाते हैं । न्यायालय के मत का नैतिक बल भी बहुत अधिक होता है और यदि कोई राज्य अडियलपना करे तो उसे विश्व के जनमत के सम्मुख भर्त्सना सहनी पड़ती है । अतः यह परामर्शदात्री मत चाहे कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, परन्तु राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त मूल्यवान है ।

सचिवालय

सयुक्त राष्ट्र सभ के कार्यों के सम्पादन के लिए सचिवालय की व्यवस्था है । महासचिव की अनेक ऐसे अधिकार मिले हैं और उसे अनेक ऐसे कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं । चार्टर के अनुच्छेद ९९ के अनुसार यह व्यवस्था है कि "यदि महासचिव यह समझे कि किसी मामले में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को खतरा पैदा होता है तो वह सुरक्षा परिपद् का ध्यान उस मामले की ओर आकर्षित कर सकता है ।" यह महासचिव का निश्चय ही सभ से बड़ा अधिकार है जिसके बल पर वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर विश्व-शांति कायम रखने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है । इसके अतिरिक्त अनुच्छेद १०० (२) के अनुसार सयुक्त राष्ट्र सभ का प्रत्येक सदस्य यह प्रतिज्ञा करता है कि वह महासचिव और उसके कर्मचारियों के दायित्वों के पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को मानेगा और उन दायित्वों के निर्वाह में किसी प्रकार का प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं करेगा ।

महासचिव का सभ में महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण उसके द्वारा शक्ति से दुष्प्रयोग की सम्भावनायें भी बढ़ जाती हैं । इसी कारण नूतनूँ सोवियत प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव ने यह गुस्ताव दिया था कि महासचिव के वर्तमान पद को समाप्त कर देना चाहिये तथा इसके स्थान पर ट्रिभ्यूनेट (Tribunate) की स्थापना कर दी जाये अर्थात् तीन राष्ट्रों की कार्य-कारिणी बना दी जाये जो सोवियत रूस, सयुक्त राज्य अमेरिका तथा अस्तकम देशों का प्रतिनिधित्व करे । तीनों के पास वीटो का अधिकार होना

चाहिये। इस मुसत्ता को अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अनुपयोगी समझा गया है।

संयुक्त राष्ट्र सभ में महासचिव के पद पर अभी तक तीन व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है—ट्रिम्बेले, हैमर शोल्ड तथा ऊ-याण्ट। वर्तमान समय में ऊ-याण्ट ही इस पद पर हैं।

महासचिव का पद बड़ा महत्व का है और उसे न केवल प्रशासनिक अपितु राजनीतिक कार्य भी करने पड़ते हैं। राजनीतिक कार्यों में वह बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। १९५० में चीन के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर रूस द्वारा सभ को कार्यवाहियों में भाग न लेने की घोषणा करने पर, इस एकदम को टालने के लिए महासचिव ट्रिम्बेले ने अथक प्रयास किये और समझौते के लिए योजनाएं प्रस्तुत की। पुनः १९५० में सुरक्षा परिषद को बैठक में महासचिव ट्रिम्बेले ने कोरिया समस्या पर सर्वप्रथम उपयुक्त प्रकाश डाला और उत्तरी कोरिया के विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रस्तावकारी अग्रील की। इसके बाद परिषद द्वारा अब उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने की छूट दे दी गई तो उन सैनिक कार्यवाहियों के लिए सदस्य राज्यों का सहयोग अजित कराने और उनमें समन्वय स्थापित कराने का उत्तरदायित्व भी महासचिव की ही उठाना पड़ा।

इसी प्रकार कांगो में छिड़े गृह-युद्ध के सम्बन्ध में भी महासचिव को बहुत बड़े उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ा। गृह-युद्ध को समाप्त करके शांति की स्थापना करने के लिए राष्ट्र सभिय सैन्य दलों में प्रविष्ट हुई और महासचिव हैमरशोल्ड ने अत्यन्त साहस और भूक्षेत्र के साथ इस सैनिक अभियान का निदेशन किया। वह अपने दायित्वों को निभाते हुए, प्राणों की परवाह न करते हुए भी, अनेक बार कांगो गये और इसी क्रम में उन्हें हवाई दुर्घटना में प्राणों से हाथ भी पीना पड़ा।

महासचिव को राजनीतिक जिम्मेदारी का ताजा उदाहरण सन् १९५५ में भारत पाक युद्ध में अरा को गई ऊ-याण्ट की भूमिका से मिलता है। उन्हीं के अथक प्रयासों के फलस्वरूप दोनों देशों में युद्धबन्दी की अवस्था निवट आई।

वस्तुतः महासचिव को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के अवसर मिलते हैं। महासचिव का विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों मण्डलों के साथ निरन्तर सम्पर्क रहता है, अतः उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वह संयुक्त राष्ट्र सभ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकारों को प्रभावित कर सके। उसे यह स्वतन्त्रता होती है कि वह सदस्य राज्यों के विदेश मन्त्रालयों में जा सके और स्वतन्त्रतापूर्वक सलाह मागकर कर सके। उसे सामंजस भाषण देने का भी अधिकार होता है। अपने-भाषणों द्वारा वह विरल जनमत की

प्रभावित कर सकता है । इतना ही नहीं अपनी रिपोर्टों में भी वह इस तरह की सिफारिशें कर सकता है कि संध को कौनसी नीति एवं कार्यक्रम अपनाना चाहिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की विश्व-शान्ति में भूमिका

अथवा

संघ का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव (The Role of U. N. O. in World Peace)

or

(The Impact of U N O in the field of International Politics)

संयुक्त राष्ट्रसंघ को राष्ट्रों के बीच के राजनीतिक झगड़े सुलझाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । अपने इन महत्वपूर्ण कार्य के माध्यम से संघ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना-चक्र को बड़ा भारी प्रभावित करता है । चार्टर द्वारा यह महत्वपूर्ण कार्य यद्यपि मुख्यतया सुरक्षा परिषद के कंधों पर डाला गया है तो भी कुछ विशेष परिस्थितियों में महासभा भी इन पर अपना योगदान कर सकती है । इन विवादों को तय करने का सुरक्षा-परिषद के पास कोई विकल्प तरीका नहीं है । वह अनेक तरीकों में से समयानुसार किसी को भी अपना सकती है । सुरक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रों के केवल राजनीतिक विवादों पर ही विचार किया जाता है । वैधानिक विवादों पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय विचार करता है । संयुक्त राष्ट्र संघ के मम्मूल २५ वर्षों की इसकी अल्पावधि में छोटे बड़े अनेक राजनीतिक विवाद प्रस्तुत हुए हैं । उनका समाधान करने में जहाँ इसे उल्लेखनीय सफलताएँ मिली हैं, वहाँ महा-शक्तियों की अडगेवाजियों के फलस्वरूप गम्भीर असफलताओं का भुल भी देना पड़ा है । अग्रिम पवित्तियों में हम कुछ प्रमुख विवादों की प्रकृति और उन्हें हल करने में संघ के योगदान का मूल्यांकन सक्षेप में कर रहे हैं ।

रूस ईरान विवाद

संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रस्तुत किया जाने वाला यह प्रथम विवाद था । ईरान के एक प्रान्त आजरबाइजान (Azerbaijan) में सोवियत फौजें घुसी हुई थीं । १६ जनवरी, १९४६ को ईरान ने सुरक्षा परिषद से शिकायत करते हुए रूस पर ईरान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और ईरानी प्रान्त में रूसी सेनाओं की उपस्थिति को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए खतरा बताया । सुरक्षा परिषद में आरोप-प्रत्यारोप चले और रूस ने यह सकेत दिया कि वह ईरानी सरकार के साथ प्रत्यक्ष वार्ता करना पसन्द करेगा । परिषद ने दोनों पक्षों को सीधे बानचीन करने और वार्ता की प्रगति से सूचित करने का सुझाव दिया । जब वार्ता से कोई परिणाम न निकला तो परिषद ने सोवियत संघ से प्रार्थना की कि वह ५ मई, १९४६ तक ईरान से अपनी फौजें बुला ले । इसी बीच ईरान और रूस के मध्य समझौता हो गया और महासचिव ने बताया कि परिषद को अब इस प्रश्न

पर विचार करने का अधिकार नहीं रहा है। २२ मई, १९४६ को टैहरान तथा मास्को ने घोषणा की कि सोवियत सेनाएँ ६ मई को ही ईरान खाली कर चुकी हैं।

ईरानी सरकार को सुलझाने में यद्यपि सुरक्षा-परिषद द्वारा की गई किमी विशेष कार्यवाही का भाग नहीं था, किन्तु परिषद में हुई बहसों ने समस्या पर प्रबल दल विरोधी लोकमत जागृत कर दिया और रूस ने अपनी सेनाएँ ईरानी भूमि से हटा लेना उचित समझा।

यूनान विवाद

३ जनवरी, १९४६ को रूस ने सुरक्षा परिषद से शिकायत की कि महायुद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी ब्रिटिश फौज यूनानी भू-प्रदेश पर बनी रह कर उस देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव पैदा कर रही है। परिषद में विचार विमर्श के दौरान यूनानी प्रतिनिधि ने कहा कि यूनानी जनता ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति को जन-यवस्था और सुरक्षा के लिए अनिर्धार्य समझती है। इस स्थिति में यह स्वाभाविक था कि सुरक्षा परिषद ने मामले को सुनवाई समाप्त करने का निश्चय कर लिया। दिसम्बर १९४६ में यूनान ने परिषद से शिकायत की कि पड़ोसी साम्यवादी देश छापामारों को सहायता दे रहे हैं और यूनान के माथ तनाय पैदा कर रहे हैं। परिषद द्वारा नियुक्त आयोग ने मई, १९४७ में इस शिकायत की गृष्टि की। परिषद ने जब आगे जाच-पड़ताल करने का प्रयत्न किया तो सोवियत रूस ने वोटों का प्रयोग कर दिया। इसके बाद महासभा ने जाच-पड़ताल के लिए आयोग नियुक्त किया जिसे अल्बानिया, बल्गेरिया व यूगोस्लाविया ने अपनी सीमाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। अन्त में ३ मुख्य कारणों से यूनानी समस्या का समाधान हो गया —

(१) महासभा द्वारा नियुक्त आयोग की उपस्थिति में साम्यवादी देशों द्वारा पूर्वोक्त मात्रा में छापामारों को सहायता नहीं दी जा सकी।

(२) टोटो-स्टालिन-विवाद के कारण यूनानी छापामारों को यूगो-स्लाविया की सहायता बन्द हो गई।

(३) संयुक्त राष्ट्र सभ के निरोधन में अमेरिका द्वारा यूनान को पूरी पूरी आर्थिक व सैनिक सहायता मिली।

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र सभ के सामयिक और साहजिक हस्तक्षेप से दक्षिणी यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश साम्यवादी नियन्त्रण में जाते जाते बच गया।

बर्लिन की समस्या

१९४५ के पोट्सडम सम्झौते के अनुसार बर्लिन नगर रूस, फ्रांस,

ब्रिटेन और अमेरिका के नियन्त्रण में बांट दिया गया था। पश्चिमी बॉलिन मित्र राष्ट्रों के नियन्त्रण में और पूर्वी बॉलिन रूस के नियन्त्रण में रहा था। तभी से आज तक यह स्थिति चली आ रही है। पोतुसडम सम्मेलन में यह भी तय हुआ था कि दोनों जर्मनी की आर्थिक एकता कायम रखी जायगी। लेकिन चारों देश इस निर्णय को कायम न रख सके। पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा नई मुद्रा प्रचलित करने से क्षुब्ध हानर रूस ने १ मार्च, १९४८ को पश्चिमी बॉलिन के जल और रेल मार्ग बन्द कर दिये। इस नाके-बन्दी का प्रत्युत्तर पश्चिमी राष्ट्रों ने हवाई मार्ग का अधिकाधिक प्रयोग करके दिया।

२३ सितम्बर, १९४८ को सुरक्षा-परिपद में रूसी नाके-बन्दी के विरुद्ध शिनायत की गई और इन कार्यवाही को शान्ति के लिए शांत बताया गया। जगदा महासमितियों के बीच था, उन सुरक्षा-परिपद समस्या पर विचार करने के अतिरिक्त और कुछ भी कर सन्ने में असमर्थ थी। इसी मध्य चारों महा-समितियों के बीच अनौपचारिक रूप से समस्या को सुलझाने की बातचीत चलती रही और ४ मई १९४९ को फ्रांस, ब्रिटेन व अमेरिका ने सुरक्षा-परिपद को सूचित किया कि बॉलिन समस्या पर रूस से उनका समझौता हो गया है।

यद्यपि समस्या का हल महासमितियों के आपसी समझौते से हुआ, तथापि संयुक्त राष्ट्र सभ ने विचार-विमर्श, पत्र-व्यवहार और सम्पर्क आदि के माध्यम से दोनों पक्षों को परस्पर मिलने के लिए महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी पृष्ठभूमि तैयार की और स्थान तथा सुविधायें उपलब्ध की।

कोरिया संकट

यह एक ऐसा गम्भीर संकट था जिसमें संयुक्त राष्ट्रसभ की सामाजिक सुरक्षा और दण्ड व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा थी और जिसके समाधान के लिए सत्र को पहली बार सैनिक कार्यवाही का आसरा लेना पड़ा। द्वितीय महायुद्ध के बाद विभाजित उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में विरोध बढ़ता गया। २५ जून, १९५० को उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर विशाल सैनिक आक्रमण कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सभिय जाव-पडनाल से इसकी पुष्टि हो गई। इन दिनों रूस ने संयुक्त राष्ट्र सत्र की बैठकों का बहिष्कार कर रखा था। सुरक्षा-परिपद ने उत्तरी कोरिया की आक्रमणकारी घोषित करके सैनिक हस्तक्षेप का निश्चय किया। जुलाई, १९५० में संयुक्त राष्ट्र सभिय सत्र के अधीन लगभग सोलह राष्ट्रों की एक संयुक्त कमान की रचना हुई जिसका सेनापति जनरल मैकार्यर बनाया गया। पहले तो संयुक्त राष्ट्र सभ की सेना को सफलता मिली लेकिन अब सभिय पक्षों ने ३८ अज्ञात पार करके उत्तरी कोरिया क्षेत्र में लड़ना शुरू किया तो साम्यवादी चीन के सैनिक उत्तरी कोरिया की ओर में लड़ाई में बूढ़ पड़े।

एक ओर तो संयुक्त राष्ट्रसच की सैनिक कार्यवाही जारी रही और दूसरी ओर सच ने शान्तिपूर्ण समझौते के प्रयास जारी रके। महासभा ने चीन और उत्तरी कोरिया को युद्ध-सामग्री भेजने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया पर इसका कोई फल नहीं निकला। युद्ध की भीषणता से दोनों ही पक्ष तग आ गये और किराम-सन्धि की चर्चा चलने लगी। अन्त में १० जुलाई, १९५१ को राष्ट्र सचीय संयुक्त कमान और साम्यवादो चीन व उत्तरी कोरिया की संयुक्त कमान के प्रतिनिधियों में अधिकांश विषयों पर समझौता हो गया। शेष मतभेदों और युद्ध बन्धियों के मुसले पर जून, १९५३ में समझौता सम्पन्न हो सका।

संयुक्त राष्ट्र सच के प्रयासों से कोरिया का युद्ध विश्व-युद्ध बनने से रक गया। ए. ई. स्टीवेंसन के शब्दों में—“संयुक्त राष्ट्र सच के इस प्रथम महान सामूहिक सैनिक कार्यवाही ने यह सिद्ध कर दिया कि यह सगठन शक्ति और शान्ति दोनों से काम लेने के रूपों को ग्रहण करने योग्य है।” वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रबल सैनिक शक्ति के बल पर ही सच कोरिया युद्ध में सफल हो सका।

फिलिस्तीन विभाजन की समस्या

प्रथम महायुद्ध के बाद यह प्रदेश संरक्षण प्रदेश (Mandate) के रूप में ब्रिटेन को प्राप्त हुआ था। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त फरवरी, १९४७ में ब्रिटेन ने घोषणा कर दी कि उसके लिए इस मण्डल के शासन-प्रबन्ध को चलाना सम्भव नहीं है। अप्रैल १९४७ में ब्रिटेन ने यह समस्या महासभा के सामने पेश कर दी। महासभा द्वारा नियुक्त विशेष समिति ने अगस्त, १९४७ में सिफारिश की कि फिलिस्तीन को दो भागों में बांट दिया जाय—एक भाग में अरब राज्य की स्थापना हो और दूसरे में यहूदी राज्य की। महासभा ने सिफारिश स्वीकार कर ली। लेकिन फिलिस्तीन विभाजन के प्रश्न पर अरबों और यहूदियों में सघर्ष बढ़ता गया। दोनों पक्षों में प्रभावो युद्ध-किराम के सभी संयुक्त राष्ट्र सचीय प्रयास विफल हो गये। १४ मई, १९४८ को ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर से अपना शासन प्रबन्ध हटा लिया (जिसकी घोषणा १५ मई को की गई) और यहूदियों ने फिलिस्तीन में इजराइल राज्य की घोषणा कर दी। यद्यपि वे ईराक, लेबनान, ट्रांस-जोर्डन आदि अरब राष्ट्रों ने फिलिस्तीन पर आक्रमण कर दिया। इजराइल के प्रत्यागमण को अरब राष्ट्र नहीं सँभल सके। ११ जून, १९४८ को संयुक्त राष्ट्र सचीय प्रतिनिधि बर्नाडोट के प्रयत्नों से दोनों पक्षों में चार सप्ताह के लिए युद्ध किराम हो गया किन्तु उपद्रव चलते रहे और १७ सितम्बर को बर्नाडोट भी गोली के शिकार हुए। सुरक्षा परिषद

ने अब डा० राल्फ जे बन्च को कार्यवाहक मध्यस्थ नियुक्त किया। २६ दिसम्बर को तीसरी बार युद्ध-विराम स्थापित हुआ। इसके बाद महासभा ने एक "मधुवत राष्ट्र समझौता आयोग" (U N Conciliation Commission) नियुक्त किया जिसने अनेक विकट प्रश्नों को सुलझाया और इजराइल व पड़ोसी राज्यों में सीमा सम्बन्धी सन्धिया सम्पन्न हुई।

यद्यपि मधुवत राष्ट्रमण्डल के प्रयासों से फिलिस्तीन विभाजन की समस्या का समाधान हो कर इजराइल और अरब राष्ट्रों में सन्धिया हो गई लेकिन इस क्षेत्र में स्थायी शान्ति की समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। अक्टूबर, १९५६ में मिस्र और इजराइल के मध्य पुन युद्ध छिडा तथा रूसी हस्तक्षेप व राष्ट्र सघीय प्रयासों से शान्ति स्थापित हुई। इसके बाद १९६७ के मध्य एक बार फिर अरब राष्ट्रों और इजराइल के बीच घन-धोर युद्ध छिडा तथा मधुवत राष्ट्र सघीय प्रयत्नों से अस्थायी तौर पर शान्ति हो गई।

इण्डोनेशिया विवाद

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व इण्डोनेशिया पर हालैण्ड का अधिकार था। युद्ध काल में जापान ने अधिकार जमा लिया। जापान की पराजय के बाद इण्डोनेशिया के राष्ट्रवादिशों ने अपने यहा एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर दी। फरवरी १९४९ में इण्डोनेशिया में युद्ध छिड गया। मामला सुरक्षा-परिषद में आया। परिषद द्वारा नियुक्त 'सत्कार्य समिति' (Good Offices Committee) के प्रयत्नों से अगस्त, १९४७ में दोनों पक्षों में युद्ध बन्द हो गया और स्थायी सन्धि की बातों चलने लगी। लेकिन दिसम्बर, १९४८ में हालैण्ड ने इण्डोनेशियन गणराज्य के विरुद्ध पुन युद्ध छिड दिया तथा इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति व अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। परिषद ने इस सन कार्य का विरोध करते हुए हालैण्ड से कहा कि इण्डोनेशिया में एक सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न मघात्मक गणराज्य की स्थापना की जाय जिसे डच सरकार १ जुलाई, १९४९ तक मप्रभू सन्धि हस्तान्तरित कर दे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'सत्कार्य समिति' को 'इण्डोनेशिया आयोग' में परिवर्तित कर दिया गया।

जाफ़ी विचार-विमर्श और दबाव के बाद डचों ने इण्डोनेशियाई राजधानी से अपनी फौजें बुताली और यह सहमति प्रकट की कि ३० दिसम्बर, १९४९ तक इण्डोनेशिया के गणराज्य को सर्वोच्च सत्ता हस्तान्तरित कर दी जायगी। बाद में २७ दिसम्बर, १९४९ को ही इण्डोनेशिया को एक स्वतन्त्र मप्रभू गणराज्य मान लिया गया और २८ दिसम्बर, १९५० को उसे मधुवत राष्ट्र मण्डल की सदस्यता भी प्रदान कर दी गई। इण्डोनेशियाई विवाद को हट करने में हम प्रकार मधुवत राष्ट्र मण्डल की उत्प्रेक्षनीय सफलता मिली।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार का प्रश्न

दक्षिण अफ्रीका सरकार 'वाले-गीरे' में भेद मानने के लिये बहुत समय से बदनाम है। १९४६ में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के प्रथम अधिवेशन में ही भारत ने यह प्रश्न उदात्पित कर दिया और दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर मानवीय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत की शिकायत पर यह सफाई दी कि यह उसका घरेलू मामला है और संयुक्त राष्ट्र संघ का इसमें दखल नहीं देना चाहिये। महासभा ने दक्षिण अफ्रीका के एतत्तत्त्व को जमान्य घोषित करते हुए भारतीय प्रस्ताव पास कर दिया। किन्तु दक्षिण अफ्रीका इस प्रस्ताव की चिन्ता न करते हुए अपनी जाति-भेद की अमानवीय नीति पर चलता रहा। १९४९ में यह प्रश्न पुनः महासभा में उठाया गया जिसने एक प्रस्ताव द्वारा सिफारिश की कि भारत, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका एक गोलमेज सम्मेलन करके समस्या का निदान करें। सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका की विरुद्ध के कारण कोई निर्णय न हो सका। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अब तक यह प्रश्न बराबर उठाया गया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने अपना रुख नहीं बदला है। महासभा में प्रस्ताव पास होते हैं, पर समस्याओं की रसो बनी हुई है। वास्तव में इस प्रकार की मानवीय व्यवहार की समस्या को न मुहता पाता संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बहुत बड़ी विकलता है। ऐसी महान् अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के लिये यह दुर्भाग्यपूर्ण असंगतता है कि समस्त विश्व अग्रहान होकर तानता रहे और दक्षिण अफ्रीका में रणभेद अपना गन्ध नृत्य करता रहे तथा समस्त नैतिक और मानवीय मूल्यों पर आघात करता रहे।

काश्मीर समस्या

१५ अगस्त, १९४७ को भारत डा-महाद्वीप में दो स्वतंत्र राष्ट्रीय-भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुई। स्वतंत्रता देने से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था की कि दोनों राज्यों अपनी इच्छानुसार अपनी स्थिति का निर्धारण कर सकत है और पाहे तो भारत या पाकिस्तान के साथ मिला सकते हैं। काश्मीर भी इसी तरह का एक देशी राज्य था। इस राज्य ने स्वतंत्र रहने का निर्णय किया।

पाकिस्तान की नियत काश्मीर को अवैधता बताने काय निलाने की थी। अतः २२ अक्टूबर, १९४७ को उसने उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त के कश्मीरियों द्वारा काश्मीर पर हमला कराया दिया। पाकिस्तान की एक नियमित सेना के एक बड़े भाग ने भी इस आक्रमण में हिस्सा लिया। राजधानी श्रीनगर का पञ्च सन्निकट होने पर काश्मीर के महाराजा ने

२६ अक्टूबर, १९४७ को भारत सरकार ने काश्मीर को भारत में शामिल कर अविलम्ब मौनिक सहायता देने का अनुरोध किया। महाराजा ने 'प्रवेश पत्र' (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर कर दिए। तत्पश्चात् भारतीय सेनामें काश्मीर की रक्षा के लिये भेज दी गई। काश्मीर में पाकिस्तान का नाम आक्रमण जारी रहा और १ जनवरी, १९४८ को भारत ने सुरक्षा परिषद में शिकायत की कि इस आक्रमण से अन्तर्राष्ट्रीय शांति को खतरा है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान का काश्मीर पर आक्रमण स्वयं भारत के विरुद्ध किया गया आक्रमण है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने घोषणा की कि काश्मीर का स्थायी विधान भारत में वहां की जनता की मत-गणना (Plebescite) पर होगा।

सुरक्षा परिषद में दोनों पक्षों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप होते रहे। २० जनवरी, १९४८ को सुरक्षा परिषद ने एक मध्यस्थ आयोग (Mediation Commission) नियुक्त किया जिसे युद्ध बन्द कराने के लिये और जनमत संग्रह का कठिन काम सौंपा गया। आयोग का प्रयत्न से युद्ध विराम हो गया और १/३ काश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। आयोग ने जनमत संग्रह कराने के लिये दोनों देशों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जिन्हें पाकिस्तान ने भंग कर दिया। काश्मीर में परिस्थितियां तेजी से बदलती गईं और भारत व पाकिस्तान में समझौता कराने के सम्बन्ध राष्ट्र सघीय प्रयास कोई सफलता अर्जित न कर सके। पाकिस्तान को पश्चिमी राष्ट्रों का खुला समर्थन मिलता रहा और उनके हाथों में खेले हुए सुरक्षा परिषद भारत के साथ अग्रिम करती रही। १९५४ में काश्मीर सन्धिमान समा ने काश्मीर के राजाशाही भारत में विधान का अनुमोदन कर दिया। १९५६ में राज्य के लिये एक नया सन्धिमान स्वीकार किया गया जिसके द्वारा काश्मीर प्रत्येक दृष्टि से भारत का वैध अंग बन गया। इस तरह अब काश्मीर समस्या का स्वरूप बिल्कुल बदल गया और जनमत संग्रह का कोई प्रश्न न रह गया। पाकिस्तान द्वारा अमेरिकन मौनिक गुट में शामिल हो जाने के कारण और काश्मीर को बलपूर्वक लेने की धान खेदन के कारण जनमत संग्रह की बात बड़े बड़े पहेले ही निरर्थक हो चुकी थी।

पाकिस्तान, पाश्चात्य राष्ट्रों के समर्थन के बल पर रह रहा अब काश्मीर के प्रश्न को सुरक्षा परिषद में उठाता रहा, लेकिन भारत के दृढ़ हथके कारण और न्याय का पक्ष लेते हुए सावित्र मंत्र के निषेधाधिकार के प्रयोग के कारण समझे कठिन वृद्धि पर न हों सके।

काश्मीर का मामला आज भी सुरक्षा परिषद की विषय सूची में है। दुर्भाग्यवश विश्व युद्धबन्दी के कारण सुरक्षा परिषद अभी तक इस विवाद का

हल नहीं कर सकी है। सुरक्षा परिषद में पश्चिमी शक्तियों का बहुमत है, जब पाकिस्तान परिषद के फैसले को अपने पक्ष में कराने का कोई मौका नहीं चूकता। किन्तु सितम्बर १९६५ के भारत-पाक युद्ध के बाद अब स्थिति इतनी बदल चुकी है कि पाकिस्तान भी यह समझ चुका है कि परिषद के माध्यम से भारत पर कोई भी निर्णय घोषित करने की बात सोचना व्यर्थ होगा।

वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये काश्मीर का विवाद राहू के समान सिद्ध हुआ। मद्यपि इस प्रश्न को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्धों को बह शांत कर सका है, लेकिन पश्चिमी शक्तियों के हाथों में खेलते हुए उसने जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है, उससे इस महान् समस्या के गौरव पर आपात ही लगा है। न्याय और निष्पक्षता का तकाशा यही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आक्रामक पाकिस्तान की सेनाओं को काश्मीर की भूमि से हटाने की कार्यवाही करे।

स्वेज नहर विवाद

१८६६ में बनकर पूरी हुई स्वेज नहर का संचालन एक स्वेज नहर कम्पनी करती थी जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के अधिकांश शेयर थे। समझौते के अनुसार इसकी रक्षा के लिये ब्रिटिश सरकार अपनी सेना रखती थी। नवम्बर १९५० में मिस्र की सरकार ने यह भाग को कि ब्रिटिश सेना स्वेज नहर क्षेत्र से हट जाए। ब्रिटेन द्वारा यह मांग ठुकरा देने पर दोनों पक्षों के सम्बन्ध कटू होते गए। मिस्र में राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ता गया और अंत में जुलाई १९५४ में एक नये समझौते के अन्तर्गत ब्रिटेन का स्वेज क्षेत्र से अपनी सेना हटा लेनी पड़ी। इस समय मिस्र में कर्नेल नासिर का शासन था। उपरोक्त समझौते के बाद भी मिस्र और ब्रिटेन व अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के सम्बन्धों में कोई सुधार नहीं हुआ और २६ जुलाई, १९५६ का नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा मिस्र में स्वेज नहर कम्पनी की सम्पत्ति जब्त कर ली। ब्रिटेन और फ्रांस ने यह सम्पूर्ण विवाद २६ सितम्बर को सुरक्षा परिषद के समक्ष रख दिया। १३ अक्टूबर, १९५६ को परिषद ने समस्या के हल के लिये ६ सिद्धान्तों का प्रतिपादन एवं प्रस्ताव के रूप में किया जिसमें स्वेज नहर पर अन्तर्राष्ट्रीय निष्पक्ष रखने का भी सुझाव दिया गया, लेकिन सोवियत वीटो से यह प्रस्ताव रद्द हो गया।

आपसी तनातनी इतनी बढ़ गई कि २६ अक्टूबर, १९५६ को ब्रिटेन और फ्रांस को प्रेरणा पर इजराइल ने स्वेज नहर क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इसके दो दिन बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस भी इजराइल के साथ युद्ध में पड़ पड़ा। सुरक्षा परिषद में युद्ध बन्द करने का प्रस्ताव फ्रांस और ब्रिटेन के

बीटो के कारण पास न हो सका। संघ के जीवन में यह घोर संकट का समय था जब सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य स्वयं संघ के चार्टर का उल्लंघन करके संघ के एक सदस्य राज्य पर हमला कर रहे थे। २ नवम्बर, १९५६ को महासभा के एक विशेष अधिवेशन ने अमेरिका का एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस को सैनिक कार्यवाही की निन्दा करते हुए अविलम्ब युद्ध बन्द करने पर बल दिया गया। ४ नवम्बर को यह प्रस्ताव पास किया गया कि महासचिव श्री डाग हेमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र-मध्य की एक आपातकालीन सेना तैयार करें जो मिस्र में लड़ाई बन्द कराने जाय तथा युद्धबन्दी का कार्य करे। १० राष्ट्रों ने मिलकर लगभग ६ हज़ार सैनिक दिये जो संयुक्त राष्ट्र मध्य के नीले और स्वेत ध्वज के नीचे एकत्र हुए। ५ नवम्बर को सोवियत रूस ने ब्रिटेन और फ्रांस को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि एक निश्चित समय के भीतर मिस्र पर हमला बन्द नहीं किया गया तो सोवियत मध्य नवीनतम घस्रों के साथ इस मकद में हस्तक्षेप करेगा। इस चेतावनी से तृतीय महायुद्ध की सम्भावना दिखाई पडने लगी और ब्रिटेन और फ्रांस ने भयभीत होकर युद्ध बन्द कर दिया। ७ नवम्बर, १९५६ को महासभा ने अपने एक प्रस्ताव में कहा कि ब्रिटेन, फ्रांस व इजराइल की सेनायें मिस्र से हट जाए तथा स्वेज नहर क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की व्यवस्था की जाए। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप युद्ध पूरी तरह बन्द हो गया और १५ नवम्बर को संयुक्त राष्ट्र सघीय आपातकालीन सेना का पहला दस्ता मिस्र पहुँच गया। मिस्र ने संघ की सेनाओं को तभी घुसने की आज्ञा दी जब मिस्र की प्रभुसत्ता को हानि न पहुँचने का वचन दे दिया गया। अप्रैल १९५७ में स्वेज नहर से जहाजों का आना जाना पुनः प्रारम्भ हो गया।

मिस्र में युद्ध बन्द कराने और भिदेसी सेनाओं को हटाने में संयुक्त राष्ट्र सघ को पूरी सफलता मिली और स्वेज पर ब्रिटेन व फ्रांस के पुनः आधिपत्य के सपने चूर चूर हो गये।

कांगो समस्या

संयुक्त राष्ट्र मध्य की सबसे बटिन परीक्षा कांगो में हुई और सोमाग्व-घराइय परीक्षा में वह सफल हुआ। १९५६ से पहले रूस पर बेल्जियम का अधिकार था। रूढ़िवादी आन्दोलन के परिणामस्वरूप ३० जून, १९६० को स्वतन्त्र कांगो गणराज्य की स्थापना हुई। लुमुम्बा प्रधानमन्त्री बन और कासाबुंजू राष्ट्रपति।

रूढ़िवादी के लिये यह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता महंगी सिद्ध हुई। कांगो के ६ प्रान्त स्वतन्त्र होना चाहे प्रयत्न करने लगे। ६ जुलाई १९६० को

लिओपोल्डविले नामक प्रान्त में सैनिक विद्रोह हो गया और वेल्जियम कागो में पुनः हस्तक्षेप की ताक में था, अतः वेल्जियम की जनता की सुरक्षा के बहाने २ जुलाई, १९६० को उसने कागो में अपनी सेनाओं भेज दी। वेल्जियम के पड़ोस से ११ जुलाई को कटगा प्रान्त ने एक पृथक स्वतंत्र राज्य बनाने की घोषणा कर दी। १२ जुलाई को प्रधानमंत्री लुमुम्बा ने संयुक्त राष्ट्र संधि से प्रार्थना की कि वेल्जियम के आक्रमण से रक्षा करने के लिये कागो को तुरन्त सैनिक सहायता दी जाए। १४ जुलाई को परिषद् ने यह प्रस्ताव पारित किया कि वेल्जियम की सेनाओं कागो से वापस चली जाएं और महासचिव कागो को आवश्यक सैनिक सहायता देने की व्यवस्था करे। इस प्रस्ताव के अनुपालन में २८ जुलाई तक संधि की सेनाओं के १० हजार से भी अधिक सैनिक कागो पहुँच गये। संयुक्त राष्ट्र संधि सैनिकों ने कागो और वेल्जियम के बीच होने वाले संधि को समाप्त कर दिया। शीघ्र ही संधि की सेनाओं विद्रोही कटगा प्रान्त को छोड़कर पूरे कागो में फैल गई।

कागो का मामला सुलझने की बजाय उलझता ही गया। अगस्त १९६० के अंत तक स्थिति बहुत बिगड़ गई। कटगा का अनुसरण करते हुए कागो के अन्य प्रान्तों ने भी पृथक राज्य स्थापित करने की नीति अपनाई। विद्रोहियों को कुचलने के लिये लुमुम्बा ने नैतिक शक्ति का आश्रय लिया। विद्रोहियों को वेल्जियम की खुली मदद मिलती रही। विदेशी हस्तक्षेप से कागो को बचाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संधि सैनिकों ने कागो के सभी हवाई अड्डों पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया, लेकिन कागो के गृह-मुद्दे में तटस्थता की नीति स्वीकार की। संयुक्त राष्ट्र संधि का यह कार्य इस दृष्टि से पक्षपातपूर्ण था कि पृथक्तावादियों को तो कागो में पहुँची हुई सेनाओं से खूब मदद मिल रही थी जबकि हवाई अड्डों पर संधि सैनिकों का बच्चा होने से केन्द्रीय कागोली सरकार को बाहर से सहायता मिलना संभव हो गया था।

सितम्बर के प्रारम्भ में प्रधानमंत्री लुमुम्बा और राष्ट्रपति कासानुबू में सत्ता संघर्ष छिड़ गया। दोनों के सत्ता संघर्ष से कागो में मेना परेशान हो गई और १४ सितम्बर को कर्नल मोबूतू ने सारी शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली तथा कागो में नैतिक शासन की घोषणा कर दी। कागो की हालत बिगड़ती गई। जनवरी १९६१ में लुमुम्बा की हत्या कर दी गई। उधर कटगा के शीम्बे ने संयुक्त राष्ट्र संधि को यह धमकी देना शुरू कर दिया कि यदि संधि सेनाओं कटगा भेजी गईं तो उसके विरुद्ध घोर आत्मघातक कार्यवाही की जाएगी। कागो की बिगड़ती हुई स्थिति पर विचार करने के उद्देश्य से सुरक्षा परिषद् में २१ फरवरी, १९६१ को यह प्रस्ताव पारित किया कि कागो में गृह-मुद्दे रोकने के लिये सत्र उपाय चरते जाएं। इस प्रस्ताव के

अनुपालन में समुक्त राष्ट्र सच की एक सैनिक कमान नियुक्त की गई। २४ नवम्बर, १९६१ को सुरक्षा परिषद् ने अपने एक प्रस्ताव में आदेश दिया कि कागो से कटगा के पृथक होने के कार्यों को रोकने का प्रयत्न किया जाए। इसके बाद ही दिसम्बर में समुक्त राष्ट्र सच की फौजों ने कटगा प्रदेश पर नियंत्रण रखने और केन्द्रीय कांगोली सरकार के अधिकार में उसे लाने के लिये सामरिक दृष्टि में महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया। सितम्बर, १९६२ में महासचिव हेमरसोल्ड कागो के नेताओं से पृथक बातचीत के लिये स्वयं कागो गये जब वे शोम्बे से वाता के लिये लियोपोल्डविले से इन्दोला गए तो मार्ग में ही उनका वायुयान गहस्पपूर्ण ढंग से दुर्घटना का शिकार हो गया और महासचिव सहित विमान के सभी यात्री जलकर खत्म हो गये। अगस्त १९६२ में नये महासचिव ऊथान्ट ने कागो के पुन एकीकरण की योजना तैयार की जिसमें कटगा को केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में लाने के लिये अनेक संवैधानिक, सैनिक, आर्थिक उपायों का निर्देश था। शोम्बे ने समुक्त राष्ट्र सच की शांति प्रयासों की पूर्ण समर्थन दी। इतना ही नहीं, कटगा का सेनायों समुक्त राष्ट्र सच की सेनाओं पर हमला भी करने लगी। अतः में अमेरिका और रूस समर्थित समुक्त राष्ट्र सच की प्रभावशाली सैनिक कार्यवाही के सामने शोम्बे ने घुटने टेक दिये और २५ जनवरी, १९६३ को घोषणा की कि कटगा का कागो के साथ पृथक्करण समाप्त होता है तथा वह महासचिव की एकीकरण योजना में पूरा सहयोग देगा।

इस प्रकार कागो में अखण्ड शांति स्थापित कर दी गई और समुक्त राष्ट्र सच की शांति स्थापना का प्रधान कार्य कागो व एकीकरण के साथ समाप्त हुआ।

यमन की समस्या

१९ सितम्बर, १९६२ को यमन के शासक इमाम अहमद की मृत्यु हो गयी। २६ सितम्बर को एक आन्ति द्वारा राजतन्त्र की समाप्ति कर दी गयी और आन्तिदारी परिषद् ने गणराज्य की स्थापना की। दूसरी ओर राजतन्त्रवादियों को अपने पक्ष में करके शाहजादे हमन ने सउदी अरब में जिद्दा नामक स्थान में यमन की निर्वासित सरकार की स्थापना की। दोनों यमनी सरकारों एक दूसरे को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक और सामरिक नीतियाँ अपनाती रहीं। अक्टूबर के समाप्त होने होते राजतन्त्रवादियों और गणतन्त्रवादियों में भीषण संघर्ष शुरू हो गया। सउदी अरब और जाटन ने राजतन्त्रवादियों की सहायता की और मित्र ने गणतन्त्रवादियों की। गृह युद्ध को व्यापक बनने से रोकने के लिए समुक्त राष्ट्र सच ने हस्तक्षेप किया।

मार्च १९६३ में संधि की ओर से राल्फ बुन्च ने प्रत्यक्ष मुलाकात द्वारा दोनों पक्षों को इस बात के लिए राजी किया कि वे अपने-अपने सैनिकों को वापिस बुला लें और समस्या का शांतिपूर्ण हल खोजें। संयुक्त राष्ट्र संधि के बाद के प्रभावपूर्ण प्रयासों के फलस्वरूप धर्म धर्म बाह्य शक्तियों ने यमन से अपनी सेनाएँ हटा लीं और यमन में शांति स्थापित हो गयी।

साइप्रस की समस्या

१३ अगस्त, १९६० को साइप्रस ब्रिटिश प्रभुता से मुक्त होकर स्वतन्त्र गणराज्य बना। साइप्रस का जो सचिवालय बनाया गया उसमें वहाँ के बहुमतरक यूनानियों और अल्पसंख्यक तुर्कों के बीच सामंजस्य और शांति बनाये रखने की व्यवस्था की गयी। स्वतन्त्रता के कुछ ही समय बाद राष्ट्रपति मकारियोस ने सचिवालय में ऐसा सशोधन प्रस्तावित किया जिनसे दोनों जातियों के मध्य स्थानित किया गया संतुलन और सामंजस्य समाप्त हो जाता। फलस्वरूप दोनों जातियों में राजनीतिक सघर्ष और गृह युद्ध की शुरुआत हो गयी। समस्या पर यूनान, टर्की और साइप्रस के बीच इंग्लैंड में शांति सम्मेलन शुरू हुआ। ब्रिटेन ने साइप्रस में नाटो फौजें भेजने का कुछ खतरा रखा। राष्ट्रपति मकारियोस ने दिसम्बर १९६३ में सारा मामला सुरक्षा परिषद् के सामने रखते हुए संयुक्त राष्ट्र नवीय पर्यवेक्षक भेजने और स्थिति समालने के लिए संधि क हस्तक्षेप की मांग की। लम्बे विचार विमर्श के बाद मार्च १९६४ में साइप्रस में शांति स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र नवीय शांति सेना भेजने का निर्णय किया गया। शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय सेना साइप्रस पहुँच गयी जिसने बड़ा नानून और व्यवस्था बनाये रखने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। इसके बाद इस आपातकालीन सेना का अवधि बढ़ायी जाती रही और आज भी यह सेना साइप्रस के कलहप्रस्त क्षेत्रों में तैनात है।

डोमिनिकन गणराज्य विवाद

लेटिन अमेरिका के इस छोटे से देश में अप्रैल, १९६५ में गृह युद्ध छिड़ गया। अमेरिकन राष्ट्रपति ने अपने पक्ष की सरकार को बचाने के लिए सैनिक हस्तक्षेप किया। बहाना यह दिया गया कि डोमिनिकन गणराज्य को साम्यवादियों से बचाने के लिए यह आवश्यकता की पेशी है। हमने सुरक्षा परिषद् से अनुरोध किया कि वह मामले में हस्तक्षेप करे। अन्त में परिषद् द्वारा यह प्रस्ताव पास किया गया कि युद्धरत दोनों पक्ष युद्ध विराम करें और महासचिव आवश्यक जाच-पड़ताल के लिए अपने प्रतिनिधि डोमिनिकन गणराज्य में भेजें। अमेरिकन राज्यों के मगठन ने भी समस्या के समाधान की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाये। अन्त में अमेरिकन राज्यों के मगठन और

सयुक्त राष्ट्र मंडल के प्रयासों से, ४ माह के गृहयुद्ध के उपरान्त ३१ अगस्त, १९६५ को दोनों पक्षों में समझौता होकर शांति स्थापित हो गयी। महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में हृदयशून्य भावों में कहा कि डोमिनिकन गणराज्य में युद्ध बन्द कराने के कार्य में सघ ने बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया है।

अरब इजरायल संघर्ष

१९५६ के अरब इजरायल संघर्ष में युद्ध-विराम होने पर सयुक्त राष्ट्र-संघ की अन्तर्राष्ट्रीय सेना गाजा और मिस्र की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हो गयी थी ताकि इजरायल अरबों में पुनः संघर्ष न छिड़ जाए। लेकिन दोनों पक्षों में तनाव बढ़ना गया। १९६७ में जोरों से युद्ध की तैयारियाँ शुरू हो गयीं। मई में, राष्ट्रपति नासिर के जिद्द करने पर, सयुक्त राष्ट्र संधीय सैनिक हटा लिये गये। अब सयुक्त अरब गणराज्य और इजरायल की सेनायें धामने सामने हो गयीं। एक दूसरे की कार्यवाहियों से स्थिति में पूरा विगाड़ आ गया और ५ जून को एकाएक इजरायल ने अरबों पर अपना विनाशकारी आक्रमण कर दिया। जोर्डन, सीरिया, मिस्र, ईराक आदि १० करोड़ वाली जनसंख्या के देश छोटे से इजरायल का आक्रमण न सह सके। केवल ५ दिन की लड़ाई में ही अरब राष्ट्रों की सामरिक क्षमता का विनाश हो गया। इस बीच सुरक्षा परिषद् युद्धविराम के लिए पूरे प्रयास करती रही। ७ जून को परिषद् ने यह आदेशात्मक प्रस्ताव पार किया कि युद्धरत सभी देश युद्ध बन्द कर दें। चूंकि अरब राष्ट्र युद्ध क्षमता खो चुके थे और इजरायल सामरिक उद्देश्यों को पूरा कर चुका था, अतः ८ जून को इजरायल और मिस्र के बीच युद्ध विराम हो गया और १० जून तक सभी अरब राष्ट्रों और इजरायल के बीच पूरी तरह लड़ाई बन्द हो गयी। संयुक्त अरब गणराज्य स्वेज के किनारे सयुक्त राष्ट्रसंधीय पर्यवेक्षक रखने में सहमत हो गया। १६ जुलाई से स्वेज नहर क्षेत्र में सघ के पर्यवेक्षकों की देख-रेख में युद्धविराम लागू हो गया। किन्तु फिर भी पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो सकी और आज भी इस क्षेत्र में दोनों पक्षों में भौतिक झड़पें होती रहती हैं। आपसी तनाव पुनः विस्फोटक स्थिति में पहुँचता जा रहा है और स्थाई शांति कोसों दूर दिखाई देती है। अरब राष्ट्रों और इजरायल के बीच बारम्बार युद्ध विराम कराने में सघ को सफलता अवसर मिली है, लेकिन इसे समस्या का स्थाई समाधान नहीं कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में शांति तभी सम्भव हो सकेगी जब विश्व की महाघबिनियाँ बीच में पड़कर रुचिपूर्वक कोई हल निकालने का प्रयत्न करेंगी।

भारत-पाक संघर्ष

काश्मीर की हड़पने के लिए पाकिस्तान ने १९६५ में पुनः युद्ध का

आश्रय लिया। अगस्त १९६५ में हजारों पाकिस्तानी हमलावर छिप कर युद्ध विराम रेखा पार करके काश्मीर के भारतीय प्रदेश में घुस गये। भारत ने जब इस घुसपैठी आक्रमण को नाकामयाब कर दिया तो १ सितम्बर, १९६५ को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके पाकिस्तान की एक पूरी पैदल विभेद और ७० टैंक काश्मीर पर चढ़ आये। मजबूरन भारत को भी अपनी रक्षा के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध पूरी छटाई छेड़ देनी पटी। २२ दिनों के घमासान युद्धों में पाकिस्तान पर करारी मार पड़ी और आखिर संयुक्त राष्ट्र संधि के प्रयासों से २३ सितम्बर १९६५ को प्रातः ३-३० बजे भारत-पाक युद्ध-विराम हो गया तथा पाकिस्तान की रही सही लाज नष्ट होने से बच गयी।

संयुक्त राष्ट्र संधि प्रारम्भ से अन्त तक युद्ध विराम के प्रयत्न करता रहा। स्वयं महासचिव ने देहली और कराची पहुँच कर श्री शास्त्री और अग्रवाल से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित किया। महासचिव ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में सुरक्षा परिषद् को बताया कि यदि पाकिस्तान राजी हो तो भारत बिना शर्तें युद्ध बन्द करने को प्रस्तुत है, किन्तु पाकिस्तान ने युद्धविराम प्रस्ताव को प्रत्यक्ष ठुकरा दिया। महासचिव ने माग की कि परिषद् दोनों पक्षों को अविलम्ब युद्ध बन्द करने का आदेश दे और युद्ध बन्द न होने पर आवश्यक कार्यवाही करे। भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि परिषद् पहले यह निश्चित करे कि आक्रमक कौन है। भारत ने यह भी कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र संधि संधि पर्यवेक्षी की रिपोर्ट ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि काश्मीर में घुसपैठी आक्रमण पाकिस्तान ने शुरू किया और बाद में बाधायदा हमला कर दिया। अन्त में काफी उतार-चढ़ाव के बाद परिषद् द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि भारत और पाकिस्तान २२ सितम्बर को दोपहर से युद्ध बन्द कर दें और युद्ध-विराम लागू होने के बाद अपनी सेनाओं को ५ अगस्त, १९६५ की स्थिति में लौटा लें। पाकिस्तान द्वारा सहमति की सूचना देने पर युद्ध २३ सितम्बर, १९६५ को प्रातः ३। बजे बन्द हुआ।

सुरक्षा परिषद् का २२ सितम्बर का प्रस्ताव भारत के साथ अग्राय था। इसमें दोनों देशों को युद्ध-बन्द करने का आदेश दिया गया था जब कि यह आदेश केवल आक्रमक पाकिस्तान को ही दिये जाने चाहिए थे, क्योंकि उसने ही परिषद् के युद्ध-बन्दी के पहले वाले प्रस्ताव को ठुकराया था। आक्रमणकारी और आक्रान्त दोनों के साथ एक-का व्यवहार करना न्यायमंगल नहीं था। यह प्रस्ताव और भी अनेक दृष्टियों से अनुचित था, किन्तु भारत ने केवल यही सोचकर इसे स्वीकार कर लिया कि कोई उसकी पाठिपिठता पर थपुली न लश सके। जो भी हो, दोनों देशों के बीच युद्ध-बन्द करा देने में संयुक्त राष्ट्र संधि और महासचिव के प्रयत्न सराहनीय माने जायेंगे।

संयुक्त राष्ट्र सभ के सम्मुख प्रस्तुत होने वाले कुछ प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का ही हमने उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक छोटे-मोटे विवाद सभ के सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। सब ने सभी विवादों का समाधान करने के सम्बन्ध में अपनी जागरूकता प्रदर्शित की है तथापि महाशक्तियों की शङ्गेराजी के फलस्वरूप अनेक मामलों को सुलझाने में सभ असफल रहा है। काश्मीर के प्रश्न वियतनाम के सभर्षे, राष्ट्रीय चीन व साम्यवादी चीन के भेदभाव, दक्षिण अफ्रीका की रंग-भेद नीति, निःशस्त्रीकरण, अणुशक्ति के प्रयोग पर प्रतिबन्ध आदि विषयों के समाधान में सभ को विक्रमता का पुँह देखना पडा है। फिर भी इनमें से कुछ समस्याओं के उग्र रूप को अधिक विस्फोटक बनने से रोकने की दिशा में सभ के प्रयास प्रशंसनीय रहे हैं। अनेक अवसरों पर सभ के सामयिक हस्तक्षेप के कारण ही स्थिति वि-फोटक बनने से रुकी है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सभ के कार्यों का मूल्यांकन प्रस्तुत अध्याय के अन्त में किया गया है। यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है कि यद्यपि सभ विश्व शांति और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में पूरी तरह और सन्तोषजनक रूप से सक्षम सिद्ध नहीं हुआ है तथापि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में शांति बनाये रखने के इसने अनेक बार सफल प्रयत्न किये हैं। विश्व के राष्ट्रों और लोगों की सेवा के लिए जो विभिन्न सङ्घन और आयोग कार्य कर रहे हैं उनके बीच सभ ने समन्वय की स्थापना की। मयुक्त राष्ट्र सभ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय जगत की एक आवश्यक, उपयोगी और अनेकित विशेषता है तथा अणु युग में अस्तित्व की आवश्यक शक्त है। राजनीतिक और कूटनीतिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में इसने प्रभावशाली भूमिका अदा की ही है, लेकिन अपने गौर राजनीतिक कार्यों द्वारा भी इसने मानव के भौतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में सहयोग देकर शांति और धरदस्था को प्रोत्साहन दिया है।

संयुक्त राष्ट्र सभ की कमजोरियाँ

(The Weak Points of the U. N. O.)

हमें देखना चाहिये कि आखिर वे कौन सी कमजोरियाँ हैं जिनकी वजह से अनेक बार मयुक्त राष्ट्र सभ को बुरी तरह असफल होना पडा है। वास्तव में महाशक्तियों के बीच इतने अधिक मौलिक मतभेद हैं कि सुरक्षा परिषद का कार्य करना भी कभी कभी असम्भव हो जाता है। इसको इन अधुनात्तारों अथवा कमजोरियों पर ध्यान देना आवश्यक है—

१. सभ की सदस्यता में धार्बदेशिकता का अभाव है। अभी तक विश्व के समस्त राष्ट्र इसने सदस्य नहीं बन पाये हैं। इसके जन्म के लगभग

२३ वर्षों परचात् भी ८० करोड़ की जनसंख्या वाला जनवादी चीन तथा पराजित राष्ट्र जर्मनी (पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी) इसके सदस्य नहीं हैं। वियतनाम, चीतमिन्ह, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया जैसे छोटे-छोटे राष्ट्र भी संयुक्त राष्ट्र संधि से बाहर हैं।

२. संयुक्त राष्ट्र संधि का संगठन इस सिद्धान्त पर आधारित है कि क्षेत्रफल अथवा सीमा तथा जनसंख्या की विभिन्नता होते हुए भी सभी सदस्य राष्ट्र समान हैं। वैधानिक समानता की इस मान्यता के कारण महाधिकार की दृष्टि से बड़े राष्ट्र भी छोटे राष्ट्रों के समक्ष आ गये हैं। वस्तुतः यह एक हास्यास्पद बात है कि ४५ करोड़ की विनाल जनसंख्या वाले देश भारत को भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो १२ १३ लाख की जनसंख्या वाले ऐबनान को हैं।

३. संयुक्त राष्ट्र संधि राष्ट्रों का एक संधि है। इसमें भाग लेने वाले राजनीतिज्ञ अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार संधि राष्ट्रों की सम्प्रभुता के व्यवहार पर ही आधारित रहता है जबकि इनमें सरकारों के स्थान पर जनता के, विश्व के लोगों के प्रतिनिधि होने चाहिये। क्लार्क आइचबर्गर (Clark Eicheberger) के मतानुसार, "संयुक्त राष्ट्र संधि एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति है जिसके निर्माताओं ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पाये करने की शक्ति का वादा पहिनाया है तथा जिसके सदस्यों ने इसके प्रति महत्वपूर्ण दायित्व सम्भाले हैं, किन्तु यह न तो एक राज्य है और न ही सर्वोच्च राज्य। यह अन्तर्विरोध तो विश्व समाज के विकास में निहित ही रहता है।"^१ संयुक्त राष्ट्र संधि केवल चर्चा, वाद-विवाद तथा विवादों के शांतिपूर्ण हल के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थल मात्र बना हुआ है। इसके पास अपनी स्वयं की ठोस शक्ति नहीं है, सिवाय उन अधिकारों के जो सदस्य राष्ट्रों ने उसे स्वेच्छा से प्रदान किये हैं। विभिन्न देशों के "घरेलू मामलों" में संधि का कोई अधिकार नहीं है और "घरेलू मामलों" की स्पष्ट परिभाषा घोषणा-पत्र में नहीं दी गई है।

४. संयुक्त राष्ट्र संधि के वाद-विवाद एवं निर्णय पक्षपातपूर्ण होते हैं। सुरक्षा परिषद में भी संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव है और इसी कारण सोवियत रूस को अनेक बार वीटो का सहारा लेकर अपनी रक्षा करनी होती है।

५. संयुक्त राष्ट्र संधि निषेधाधिकार के दुरुपयोग का रगमच बना हुआ है। सुरक्षा परिषद में ५ महा शक्तियों ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस

और राष्ट्रवारी चीन को निषेधाधिकार प्राप्त है। इसमें से कोई भी शक्ति किसी भी उचित किन्तु अपने विरोधी दावे को निषेधाधिकार के प्रयोग से थमाय ठहरा देती है। इस तरह यह निषेध शक्ति विश्व में शांति एवं सुरक्षा को स्थिर करने की दिशा में प्रभावकारी कार्यवाहियों में अवरोध उत्पन्न कर देती है। आलोचकों की मान्यता है कि निषेधाधिकार का अनुभव यह बताता है कि आधार रूप से समुक्त राष्ट्र सध अपर्याप्त है तथा युद्ध और शांति की समस्या को प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं सुलझा सकता।

६ सध के पास अपने निर्णयों को व्यवहृत कराने की शक्ति नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निवारण कर विश्व में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए इसे महा शक्तियों के मुँह की ओर ताकना पड़ता है जिनके सश्रिय सहयोग के बिना यह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यह कहा जा सकता है कि 'सध के पास काटने के लिए दात नहीं हैं।'

७ समुक्त राष्ट्र सध के घोषणा पत्र में आत्मरक्षा एवं आक्रमण के मध्य का भेद स्पष्ट शब्दों में उल्लिखित नहीं है।

८ सध के सभी सदस्य राष्ट्र समान रूप से साम्राज्यवादी तथा जातीय भेदभाव के विरोधी नहीं हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जातीय भेदभाव का असर दृश्या अपिष्ट है कि यह प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता एवं मानव अधिकारों आदि का पूरी तरह से मलौठ करता सा दिखाई देता है।

९ समुक्त राष्ट्र सध के बाहर की गई सैनिक सधियों के कारण भी इसका महत्व कुछ कम हो गया है।

१० आधुनिक विश्व दो परस्पर विरोधी शक्ति गुटों में बटा हुआ है और समुक्त राष्ट्र सध रूस और उसके सहयोगी राष्ट्र तथा अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों की पारस्परिक खींचतान का रगमच बना हुआ है। विश्व के ये दोनों गुट सध में और उसके बाहर भी प्रायः प्रत्येक प्रश्न पर एक दूसरे के विरोधी विचार ही व्यक्त करते हैं।

११ समुक्त राष्ट्र सध की स्थापना के बाद आज भी अनेक पराधीन राष्ट्रों को अपनी स्वतन्त्रता के लिए घोर प्रयत्न करने पड रहे हैं तथा वहा की जनता को स्वतन्त्रता की माग करने पर गोलियों का शिंजार बनना पडता है। जब तक आधुनिक विश्व में यह साम्राज्यवादी भावना कायम रहेगी तब तक सध की सफलता में बाधा उपस्थित होना स्वाभाविक बात है।

१२ समुक्त राष्ट्र सध तब ही सफल हो सकता है जब इसे सदस्यों का सश्रिय सहयोग प्राप्त होता रहे। व्लाडिमीर बर्गर के शब्दों में "अन्तिम विदलेपन में समुक्त राष्ट्र सध को सफल बनाने का काम इसका

प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों तथा राजनीतियों पर ही निर्भर है।”² किन्तु इन पर राष्ट्रीयता एवं सम्प्रभुता जैसी भावनाओं का प्रभाव पड़ता रहता है, अतः वे मंडल की सफलता में आशाजनक सहयोग प्रदान नहीं कर पाते।

१३. मंडल का एक गम्भीर दोष यह है कि सदस्यों के एकत्रीकरण और निर्माण को कम करने के मामलों में इसके सदस्य राष्ट्रों में विशेषकर घड़ी शक्तियों में, ईमानदारी का अभाव है।

कुछ भी हो, दुर्बलताओं के बावजूद भी यह निर्विवाद तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र मंडल अब तक विश्व युद्ध को रोकने और शांति को बनाये रखने में बहुत कुछ सफल हुआ है और इसने अपने आपको राष्ट्र मंडल के तथान एक भूतप्राय मंस्था नहीं बनने दिया है।

मंडल को शक्तिशाली बनाने के लिये सुझाव (Suggestions for Strengthening the U. N. O)

मंडल के अनेक उपबन्ध आज समाप्तीत बन चुके हैं। मंडल के मंस्था-पकों के सामने जिस सप्सार का विषय था वह आज के नवीन विकासों के कारण कई नवीन रंगों से परिपूरित हो गया है। इसलिए अब यह आवश्यक है कि मंडल के म्य एवं मगटन में परिवर्तन किया जाए।

मंडल की शक्तिशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एक तो चार्टर में आवश्यक संशोधन किये जाय और दूसरे इस दिशा में कुछ अन्य प्रभावशाली और व्यावहारिक कदम उठाये जायें। ये संशोधन और अन्य पग निम्नलिखित हो सकते हैं—

चार्टर में संशोधन

(१) नवोन्नत राज्यों के साथ में प्रवेश के लिए स्थायी सदस्यों द्वारा निषेधाधिकार के प्रयोग की व्यवस्था हटा दी जानी चाहिये।

(२) चार्टर के दूसरे अनुच्छेद के सातवें पैराग्राफ में यह व्यवस्था दी गयी है कि—“संयुक्त राष्ट्र मंडल किसी भी राज्य के उन मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकारी न होगा जो निश्चित रूप से उस राज्य के परेल् क्षेत्र के भीतर आते हों।” परेल् क्षेत्र (Domestic Jurisdiction) की इस व्यवस्था ने मंडल की कार्यवाहियों के क्षेत्र को बहुत सीमित बना दिया है। यह व्यवस्था इतनी लचकीली है कि इसके आधार पर राष्ट्रों द्वारा मंडल की कार्यवाहियों में अड़ने लगाये जाते रहे हैं। मंडल अपने सदस्यों की दिशा में अधिक

1. Clark Eicheberger, op cit P. XII.

शक्तिशाली व समर्थ बने—इसके लिए घरेलू-क्षेत्र की व्यवस्था में समुचित मसौदा किया जाना चाहिए।

(३) चार्टर के अनुच्छेद ४ में सभ की सदस्यता के लिए दो शर्तें हैं—(१) सभी शांति चाहने वाले राष्ट्र सदस्य बन सकते हैं बशर्ते कि वे चार्टर में दिये हुए दायित्वों को मानें और सभ की सभ में इन दायित्वों को पूरा करने की उनमें इच्छा तथा योग्यता दोनों हो, एवं (२) कोई राष्ट्र सभ का सदस्य सभी बनाया जायगा जब सुरक्षा परिषद सिफारिश करे व महासभा सिफारिश पर अनुकूल निर्णय दे। स्पष्ट है कि सभ की सदस्यता की दूसरी शर्त विवादों को आमंत्रित करने वाली है। सुरक्षा परिषद में महाशक्तिमों को निषेधाधिकार प्राप्त हैं। रूस और परिचयी राष्ट्र स्वयं की स्थिति को मयुक्त राष्ट्र सभ में सुदृढ़ बनाये रखने की दृष्टि से अपने विरोधी नवीन राज्यों के प्रवेश को निषेधाधिकार के बल पर रोक सकते हैं। वस्तुतः सदस्यता के प्रवेश की दूसरी शर्त सभ के दोनों पक्षों में कटुता बढ़ाने वाली है और और इसी वजह से विश्व के कुछ देशों का प्रतिनिधित्व सभ में अभी तक नहीं हो पा रहा है। अतः यह उचित है कि सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश की शर्त हटा देनी चाहिए अथवा उसमें बहुमत के आधार पर निर्णय की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(४) न्यास पद्धति से सम्बन्धित अनुच्छेद ७६ (ख) बहा अस्पष्ट है। उसमें पराधीन देशों को स्वतन्त्र करने की बात अवश्य कही गयी है लेकिन इसके लिए कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की है। इस अनुच्छेद में इस तरह की व्यवस्था जोड़ी जानी चाहिये कि विभिन्न प्रदेशों के विकास को देखते हुए उन्हें कितनी अवधि में स्वाधीनता दे दिया जाना उभयुक्त है।

(५) न्यास पद्धति से सम्बन्धित ७७ (क) में इस तरह का मसौदा किया जाना चाहिए कि राष्ट्र सभ के सभी मंडेट अनिवार्य न्यास परिषद के अग समझे जाए।

(६) अनुच्छेद ५१-५२ में चार्टर द्वारा प्रादेशिक संगठनों को बनाने की अनुमति दी जाने का ही यह परिणाम है कि नाटो (NATO), सीटो (SEATO) जैसे सैनिक संगठन बन गये हैं। इस धारा में ऐसा मसौदा होना चाहिए कि जिससे सैनिक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन न मिल सके।

१७) अनुच्छेद २७ में सुरक्षा परिषद में मतदान की व्यवस्था में 'प्रक्रिया सम्बन्धी' (Procedural Matters) और 'अन्य सभी विषय' (On All Other Matters) शब्द इतने अनिश्चित और अस्पष्ट हैं कि

जिससे निपेधाधिकार का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। अतः यह उपयुक्त है कि इन शर्तों को अधिक स्पष्ट किया जाय।

(८) सुरक्षा परिषद में स्याई सदस्यों का प्रतिनिधित्व समुचित एवं संतुलित नहीं है। निष्पक्षता और संतुलित विचारों की दृष्टि से तथा संयुक्त राष्ट्र संधि के प्रति अर्पित किये गये महान् सहयोग की ध्यान में रखते हुए भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। सुरक्षा परिषद में एशिया और अफ्रीका के देशों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

चाटेंर में उल्लिखित मानवीय अधिकारों की प्राप्ति को त्रियात्मक बनाने के लिए उपयुक्त संस्थाओं की स्थापना सबंधी प्रावधानों और अन्य व्यवस्थाओं का होना भी आवश्यक है।

महासत्रियों की चाटेंर में संशोधन की रधि—संयुक्त राष्ट्र संधि के चाटेंर का संशोधन करने के पक्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारम्भ से ही जोर देता रहा है। जनवरी, १९५४ में जॉन फास्टर डलैस ने चाटेंर का संशोधन के मुख्य विषयों का उल्लेख करते हुए कहा था कि संशोधन निम्नलिखित विषयों में अवश्य किये जाने चाहिए (१) सर्वभ्यापी सदस्यता (२) सुरक्षा (३) सुरक्षा परिषद् की सदस्यता एवं मतदान प्रणाली (४) महासभा में मतदान प्रणाली (५) राष्ट्रों की समस्या (६) अन्तर्राष्ट्रीय कानून आदि।

सोवियत रूस पहले चाटेंर में संशोधन का समर्थक नहीं था। किन्तु बाद में (१९६० में) जब सुरक्षा परिषद में रूस द्वारा प्रस्तुत किये गये कुछ प्रस्ताव बीटो के कारण असफल हो गये तो वह चाटेंर की व्यवस्था में परिवर्तन करने का हामी हो गया। सोवियत रूस ने संयुक्त राष्ट्र संधि के चाटेंर में परिवर्तन करने के अनेक मुझाव समय-समय पर दिये जो सक्षेप में निम्न प्रकार से थे :—

(१) संधि की सभी परिषदों में से अमेरिका का हस्तक्षेप कम किया जाय और इनमें अफ्रीका तथा एशिया के देशों को अधिकारिण प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय।

(२) साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संधि का सदस्य बना लिया जाय।

(३) एक महासचिव वाली व्यवस्था दोषपूर्ण है क्योंकि वह प्रायः एक पक्ष का ही समर्थक बन जाता है तथा उस पक्ष द्वारा संधि की शक्तियों का अनुचित लाभ उठाया जाता है, अतः एक के स्थान पर तीन महासचिवों की नियुक्ति की जाय—एक साम्यवादी गुट की ओर से, दूसरा पश्चिमी शक्तियों की ओर से तथा तीसरा तटस्थ या अलग-अलग राष्ट्रों की ओर से। ऐसा करने पर कोई भी समस्या जो सुरक्षा परिषद में राजनीतियों के मतभेद के कारण गति-

रोष उत्पन्न कर देती है वह महासचिवों के स्तर पर विचार विमर्श के बाद एक ऐसा रास्ता निकालकर तय की जा सकेगी जो तीनों पक्षों को स्वीकार हो। इस मुझाव का अधिवाण विचारकों एक राजनीतिज्ञों द्वारा रावेह एव आलोचना द्वारा स्वागत किया गया। यह समझा गया कि इस मुझाव को क्रियान्वित करने पर महासचिव स्तर पर राजनीति उतर आयगी तथा सुरक्षा परिषद की भांति यहां भी गतिरोध की समस्या पैदा हो जायगी तथा कोई भी निर्णय लेना अमभव बन जायगा।

(४) मध का प्रधान कार्यालय समुक्त राज्य अमेरिका में न रखकर किसी अन्य देश में रखना चाहिए। वह अन्य देश स्वयं सोवियत मध, स्विट्जरलैण्ट या आस्ट्रिया हो सकते हैं।

यद्यपि रूस और अमेरिका के द्वारा चार्टर के समोधन के धारे में अनेक मुझाव प्रस्तुत किये गये, किन्तु ये मुझाव इस प्रकार के हैं कि वे एक दूसरे को मान्य नहीं होते। ऐसा सोचा जाता है कि चार्टर पर पुनर्विचार करने का समय अभी तक नहीं आ पाया है। इस प्रकार यदि चार्टर का परिवर्तन किया गया तो हो सकता है कि वह अपने मूल स्वल्प की अपेक्षा और भी अधिक कठोर बन जाय।

अनौपचारिक मशोधन—उल्लेखनीय है कि यद्यपि औपचारिक रूप से चार्टर में समोधन नहीं हो पाये हैं, किन्तु अनौपचारिक रूप से व्यवहारत चार्टर के कुछ उपबन्धों को प्रभावी धक्का प्रभावहीन किया जा चुका है, उदाहरणार्थ ३ नवम्बर, १९५० के 'शान्ति के लिए एकता' के प्रस्ताव ने निषेधाधिकार को काफी प्रभावहीन कर दिया है और महासभा को सुरक्षा परिषद से अधिक शक्तिशाली बना दिया है। होता यह है कि सुधार के मुझावों के सम्बन्ध में महासक्तिव्य एकरत हो सकती हैं चाहे वे चार्टर के वास्तविक रूप में कोई परिवर्तन करन पर राजी हों या न हों। सुधार के सम्बन्ध में मुझाव तथा उनका मध के चरित्र, रूप एव समूहन पर प्रभाव यद्यपि चार्टर में परिवर्तन तो नहीं कहा जा सकता किन्तु इससे मध शक्तिशाली बनता है इस मध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। पामर तथा परकिन्स ने इसे अनौपचारिक मशोधन की प्रक्रिया (The Process of informal amendment) कहा है। इस तरीके से अनेकों परिवर्तन निय जा चुके हैं तथा निश्चय ही आज का मधुक्त राष्ट्र मध ठीक वही नहीं है जो वह सन् १९४५ में था। इस प्रक्रिया में महासक्तियों की आवश्यक सहमति जरूरी नहीं होती। फ्रान्सिस विल्कोक्स (Francis O Willcox) का मतानुसार चार्टर निम्न प्रकार से मशोधित किया गया है—

- (१) चार्टर के कुछ उपबन्धों को त्रियान्वित न करके;
- (२) संधि के विभिन्न अंगों तथा सदस्यों द्वारा चार्टर की व्याख्या करके,
- (३) सहायक संघियों एवं समझौतों के निर्णयों के द्वारा;
- (४) विशेष अंगों एवं अभिकरणों की रचना करके ।

अन्य सुझाव

संधि को शक्तिशाली बनाने के लिये अनेक सुझाव समय-समय पर दिये जाते रहे हैं जो प्रमुखतया ये हैं—

१. संधि सम्प्रभु राज्यों की एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है और यदि इसे शक्तिशाली बनाना है तो सदस्य राज्यों को अधिक स्वामी भवित और कल्पनात्मक रूप से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना चाहिये ।

२. चार्टर की व्याख्या करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ।

३. संधि के वर्तमान यन्त्र को विस्तृत बना देना चाहिए ताकि आवश्यकता के अनुरूप नवीन संस्थाओं का निर्माण किया जा सके ।

४. जो क्षेत्र राष्ट्रीय संप्रभुता के अधीन नहीं हैं वहां पर प्रशासकीय सत्ता स्थापित कर लेनी चाहिए, उदाहरण के लिए बाहरी आकाश (Outer Space) ।

५. संधि को सर्वव्यापी बनाने के लिये सभी राष्ट्र इसके सदस्य होने चाहिये ।

६. आय का कोई स्वतन्त्र स्रोत रखना चाहिए । राष्ट्रों के चरम एवं सहायक पर अवलम्बित रह कर संधि सच्चे अर्थों में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रहता है । संधि को चाहिए कि वह विकास कर (Improvement Tax), सेवा कर (Service Tax), यात्री कर (Traveller Tax) आदि लगाये तथा विश्व बैंक की आय तथा बाहरी आकाश की फीस आदि द्वारा अपनी आय को बढ़ाये ।

७. वर्तमान अंगों की बनावट तथा कार्य-प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए ।

८. विश्व कानून की प्रक्रिया का विकास करना चाहिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रयोग से अधिक लोकप्रिय बनाना चाहिए ।

९. चार्टर का परिवर्तन करना चाहिए ।

महासचिव के सुझाव (Suggestions of Secretary General)—
संधि के प्रथम महा सचिव ट्रिग्वेली (Triggve Lie) ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किये थे जो इस प्रकार हैं—

(1) जर्मनी के भविष्य की समस्या का कोई प्रभावपूर्ण समझौता कर देना चाहिए ।

(II) सुरक्षा परिषद के पास अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों की मुलजाने तथा शांति को कायम रखने के लिए काफी शक्तियाँ हैं, इनका उपयोग करना चाहिए ।

(III) सुरक्षा परिषद के प्रयोग के लिए अनुच्छेद ४३ के आधीन सदस्यों को सशस्त्र सेना देनी चाहिए ।

(IV) घातक शस्त्रों में उत्पन्न समस्याओं पर नियन्त्रण करने के लिए सभ को इसका अध्ययन कराना चाहिए ।

(V) सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को अपनी वीटो शक्ति का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

(VI) सभ के सदस्यों को महासभा एवं सुरक्षा परिषद के निर्णयों को यथासम्भव समर्थन देना चाहिए ।

संयुक्त राष्ट्र सभ विश्व शांति एवं सुरक्षा का प्रतीक है किन्तु इस प्रतीक का प्रयोग पूरी तरह एवं सतोपजनक रूप में अभी तक नहीं किया गया है । पर यह भी सत्य है कि शर्यत और अप्रत्यक्ष रूप में इसने शांति बनाये रखने के अनेक बार सफल प्रयास किये हैं । विश्व के राष्ट्रों एवं लोगों की सेवा के लिए जो विभिन्न सगठन तथा आयोग कार्य कर रहे हैं उनके बीच सभ ने समन्वय की स्थापना की है । संयुक्त राष्ट्र सभ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीयता की एक आवश्यक उपयोगी एवं अपेक्षित विशेषता है तथा अगु-युग में अस्तित्व की आवश्यक शर्त ।

संयुक्त राष्ट्र सभ की कुछ विशिष्ट उपयोगिताएँ

संयुक्त राष्ट्र सभ के समक्ष २५ वर्षों की अवधि में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रमुख राजनीतिक विवादों और उनके समाधान के लिए किए गए सभ के प्रयासों का वर्णन हम कर चुके हैं । संयुक्त राष्ट्र सभ ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में अपनी अमूल्य सेनायें आज तक अर्पित की हैं जिनके महत्व की इतिहास में सदैव स्वर्णक्षरों में लिखा जाता रहेगा । इनके अतिरिक्त सभ की कुछ विशिष्ट उपयोगिताएँ या विशेषताएँ हैं जिन पर दो पन्च पृष्ठीय से ताल देना उपयोगी होगा । ये विशेषतायें या उपयोगितायें निम्न हैं—

- (१) सभ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीयता का प्रसार,
- (२) सभ विश्व शांति की ओर एक कदम,
- (३) सभ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर एवं पजीकरण,
- (४) सभ द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा ।

(१) संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर
(U. N. O. towards Internationalism)

उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में तप द्वारा जो कार्य किया गया वह सफल रहा अथवा नहीं एवं उससे आशाजनक परिणाम प्राप्त किए जा सके अथवा नहीं, इस प्रश्न पर तप्यों की व्याख्या करते समय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों के बीच मतभेद रह सकता है। परन्तु यह मतभेद रहते हुए भी निःसन्देह रूप से यह कहा जा सकता है कि संघ ने विश्व-युद्ध को रोकने, विनाश की भीषणता को अवरुद्ध करने, न्याय, कानून एवं व्यवस्था की स्थापना करने में जो योगदान किया है उसे मानव जाति कभी नहीं भूल सकती। ७ जून, १९६३ को संघ की बजट समिति में भाषण देते हुए भारतीय प्रतिनिधि श्री बी० एन० चक्रवर्ती ने कहा था कि हम संघ से रहित विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। इसके बिना हम सधरं, युद्ध और विध्वंस की पुरानी स्थिति में लौट जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के बीच अपनत्व की भावना का विकास करने की चेष्टा की गई है। इसके विशेष अभिकरणों द्वारा शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति आदि क्षेत्रों में जो कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं तथा पिछड़े देशों में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को आगे बढ़ाने के जो प्रयत्न किए जाते हैं उनका प्रभाव यह होता है कि जिन लोगों को इसकी सेवाओं से लाभ प्राप्त हो रहा है उनके दिलों में इसके प्रति सम्मान के भाव जागृत होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक प्रवर्तनों का पक्षपाती है उसी प्रकार वह एक राष्ट्र की प्रत्येक समस्या में दूसरों राष्ट्रों के सहभागितापूर्ण सहयोग को सम्भव बनाता है। इससे सत्तार के राष्ट्रों के बीच मिलजुल कर रहने तथा सहयोगपूर्ण सम्बन्धों की परम्पराओं का सूत्रपात होता है। यह कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज एक विशेष प्रकार का वातावरण तैयार कर दिया है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने आपको समग्र विश्व का एक अंग मानने लगा है। एक राष्ट्र की सम्प्रभुता मर्यादित होकर अष्टांगलताओं एवं मनमानी प्रवृत्तियों से हटकर अनेक अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं से मर्यादित होने लगी है। यह आक्रमणकारी, विध्वंसक तथा विद्वेषपूर्ण अपने कुरूप चोले को छोड़कर विश्व कल्याण एवं मानव-जीवन के चरम लक्ष्यों की प्राप्ति के भागों का सौन्दर्यपूर्ण माना पहलु चुकी है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करने वाले नागरिक सेवा के वर्गकारी हज़ारों की संख्या में होते हैं, ये बलग अलग देशों के निवासी होते हुए भी जब हमें विश्व की समस्याओं पर विचार करने तथा उनसे संबंधित ही कार्य

करते रहते हैं तो यह स्वाभाविक है कि उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीयतावाद की सकुचित परिधिओं से ऊपर उठ कर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से अंतर्प्रोत हो जाए। प्रत्येक विषय पर सोचते समय उनकी दृष्टि विश्व शांति, सुरक्षा एवं कल्याण पर ही टिकी रहती है। सिविल सेवकों की यह वर्ग दक्षता, क्षमता एवं ईमानदारी बहुत ऊँचे स्तर की होती है। अनेक राष्ट्रों के बहुत से प्रभावशाली व्यक्तियों का इस वर्ग के सदस्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। यह सम्बन्ध जब तब इन राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। दूसरे शब्दों में सच के सिविल सेवकों का बदला हुआ दृष्टिकोण उनके सम्बन्धियों की ओर इस प्रकार देश के दृष्टिकोण को बदलने में सहायक बनता है। चार्टर की धारा १०० में कहा गया है कि महासचिव और कर्मचारी वर्ग के लिए यह आवश्यक है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरी तरह से समझ तथा सच के बाहर के किसी राज्य या उसके अधिकारी से परामर्श प्राप्त न करें। उनकी पूरी की पूरी निष्ठा और भक्ति सच के प्रति होनी चाहिये। इसके साथ ही नयुवन राष्ट्र सच का प्रत्येक सदस्य भी आवश्यक रूप से यह प्रतिज्ञा करता है कि वह महासचिव तथा उसके कर्मचारियों के दायित्वों के पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को मानेगा और उनके पालन में किसी प्रकार का प्रभाव डालने का प्रयास न करेगा।

(२) संयुक्त राष्ट्र सच विश्व सरकार की ओर एक कदम
(U N O An Step towards World Govt.)

संयुक्त राष्ट्र सच द्वारा उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है जिनकी साधना के लिए अनेक विचारक विश्व सरकार की स्थापना की सिफारिश करते हैं। डाग हेमरगोल्ड ने सच के चार्टर में पाये जाने वाले पांच मूल सिद्धांतों को परिभाषित किया या, वे हैं—(i) समान राजनीतिक अधिकारों की एक व्यवस्था (ii) समान आर्थिक अधिकार (iii) विधि का शासन (iv) सामान्य सुरक्षा के अतिरिक्त कभी भी सैनिक शक्ति का प्रयोग न करना (v) अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को तथा मनमुटावों को तय करना जो बाद में अन्तर्राष्ट्रीय अशांति का कारण बन सकते हैं। ठीक यही उद्देश्य विश्व सरकार के बतये जाते हैं। विश्व सरकार की स्थापना एक साधन मात्र है जिसके द्वारा अनेक मान्य राजनीतिक एवं विचारक अनुसार में अशांति, असुरक्षा एवं विनाश को मिटा कर इसके स्थान पर शान्ति, सुरक्षा एवं व्यवस्था पूर्ण विश्व समाज की रचना करना चाहते हैं। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकार के साथ-साथ व्यक्तित्व के विनाश के सभी सम्भव साधन एवं अवसर प्रदान किये जायेंगे।

विश्व सरकार की प्राथमिक आवश्यकता होती है अन्तर्राष्ट्रीय समाज, जिसके अभाव में विश्व सरकार से सम्बन्धित कोई भी योजना सफलता से पांच गज दूर ही रहेगी। इसमें सन्देह नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विश्व सरकार में राष्ट्रों की सम्प्रभुता शक्ति को पूरी तरह समाप्त करके उसे अन्तर्राष्ट्रीय सरकार के हाथों में सौंप दिया जायेगा। सम्प्रभुता का यह हस्तांतरण विश्व सरकार की स्थापना के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस बाधा को दूर करने में भी कुछ कार्य कर रहा है। संघ द्वारा इसके सदस्यों को कुछ दायित्व सौंपे गये हैं जिनको पूरा करना विश्व-शांति एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। एक राष्ट्र द्वारा किसी विश्व संस्था द्वारा लगाये गये इन उत्तरदायित्वों का पालन कुछ सीमा तक उसकी सम्प्रभुता को मर्यादित करना है और इस प्रकार उसे विश्व सरकार का प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त आज तक एक राष्ट्र की सीमित एवं संकुचित समस्याओं पर विचार करने वाले राजनीतिज्ञ विश्व सरकार का एवं अन्तर्राष्ट्रीय समाज का संभालन तथा व्यवस्था किस प्रकार करेंगे यह भी एक समस्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया है जहाँ विभिन्न देशों के राजनीतिज्ञ अन्तर्राष्ट्रीय रूप में विचार-विमर्श कर सकें, विश्व की समस्याओं का समाधान ढूँढ सकें। कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रशिक्षण केन्द्र है जहाँ विश्व के निवासियों एवं राष्ट्रों के नेताओं को उन सब बातों की शिक्षा दी जाती है जो विश्व सरकार की स्थापना एवं संचालन के लिए अनिवार्य हैं। क्लार्क एचबर्गर (Clark Eicheberger) के मतानुसार यदि विश्व शांति प्राप्त करना चाहता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ को एक सीमित सरकार के रूप में कार्य करना चाहिये इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर एवं पंजीकरण

(Codification and respect for International Law)

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून को नियमबद्ध (Codified) करने में बहुत कुछ योगदान किया है। इसके चार्टर में इस कार्य पर विशेष जोर दिया गया है। महासभा ने १७ सदस्यों की एक आतंजालिक समिति (Ad-hoc Committee) नियुक्त की है जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास तथा पंजीकरण के कार्य को कर सके। चार्टर के अनुच्छेद १३ के अनुसार महासभा का यह उत्तरदायित्व है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास तथा पंजीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करे। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के

साधनों को इस समिति द्वारा खोज की जाती है। सितम्बर, १९४७ के अपने प्रतिवेदन में समिति ने एक अन्तर्राष्ट्रीय कानून-आयोग नियुक्त करने की सलाह दी। इस आयोग को दो प्रकार के काम सौंपे जाने थे। प्रथम तो उस अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विषय का अध्ययन जो अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। दूसरे, उन कानूनों को सक्षिप्त रूप दे देना जिनका पहले से ही अभिसमयों, परम्पराओं एवं सिद्धान्तों के रूप में प्रचलन है। समिति द्वारा यह भी सिफारिश की गई कि आयोग को प्रवृत्त अन्तर्राष्ट्रीय कानून (Customary International Law) के विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करना चाहिये ताकि पंजीकरण के लिए शीघ्रक छाटे जा सकें। समिति ने बताया कि उसके उत्तरदायित्व से दो कार्य निकलते हैं—(1) नवीन कानून का प्रगतिशील विकास (ii) प्रस्तुत कानून का पंजीकरण। इन दोनों कार्यों के बीच भारी अन्तर वर्तमान है। महासभा ने २१ नवम्बर, १९४७ को अन्तर्राष्ट्रीय कानून आयोग (ILC) की स्थापना की। इसके १५ सदस्यों को तीन वर्षों के लिये चुना गया।

आयोग ने राज्यों के अधिकार और कर्तव्यों पर एक घोषणा तैयार की तथा न्यूरेम्बर्ग युद्ध अपराधी द्रापन (Nuremberg War Crimes Trials) के आधारभूत कानूनों के सिद्धान्तों में से कुछ को रचनात्मक रूप प्रदान किया। पंजीकरण (Codification) के क्षेत्र में आयोग ने अपना ध्यान मुख्यतः चार विषयों पर ही केन्द्रित रखा।

- (१) सन्धियों के कानून (Law of Treaties)
- (२) न्यायीकरण प्रक्रिया (Arbitral Procedure)
- (३) ऊँचे समुद्रों की शासन पद्धति (Regime of the high Seas)
- (४) प्रादेशिक जल (Territorial Waters)

महासभा ने आयोग से एक अन्तर्राष्ट्रीय कौगदारी न्यायालय स्थापित करने के बारे में राय पूछी। १९५० में आयोग ने रिपोर्ट दी कि इस प्रकार का न्यायालय (Tribunal) अपेक्षित भी है तथा सम्भव भी। महासभा ने १९५१ में आयोग को आक्रमण की परिभाषा का काम सौंपा, किन्तु भारी वाद-विवाद के बाद आयोग इस निर्णय पर आया कि आक्रमण की कोई भी सक्षिप्त परिभाषा अव्यावहारिक है। समुक्त राष्ट्र द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पंजीकरण का कार्य केवल आयोग ही नहीं करता है, बरन् सचिवालय, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, मानवीय अधिकार आयोग (The Human Rights Commission) आदि भी इस दिशा में कार्य करते हैं। उपर्युक्त द्वारा दशों के राजनैतिक मतभेद दूर करते समय अपना अन्तर्राष्ट्रीय

शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना एवं रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाते समय अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन पूरी तरह किया गया है। इसका हर सम्भव प्रयास यह रहता है कि मसाल के विभिन्न राष्ट्रों में इन कानूनों के प्रति आदर-भाव पैदा किया जाय और कहीं भी, किसी भी स्थिति में उनका उल्लंघन न किया जाय। युद्ध के कानून व शान्ति के कानून, समुद्री सीमा सम्बन्धी कानून, व्यापार सम्बन्धी कानून एवं अन्य किसी भी प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय कानून यदि किसी भी रूप में तोड़ा गया तो विश्व की शान्ति एवं व्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी, इसलिये मंच द्वारा यह पूरा-पूरा स्थल रक्षा जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही न होने दी जाय।

(४) संधि द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा

(Protection of Human Rights by the U. N. O.)

संयुक्त राष्ट्र संधि व्यक्ति के मानवीय अधिकारों एवं राष्ट्रों के लिए स्वतन्त्रताओं से पूरी तरह सम्बन्धित है। अनुच्छेद ५५ तथा ५६ में इन विषयों के ऊपर पर्याप्त रूप से विचार किया गया। चर्चित संधि स्जवेल्ड का कहना था कि इनका अर्थ यह है कि सभी प्रदेशों के सभी व्यक्ति आवश्यकता एवं समय से स्वतन्त्र रह कर अपना जीवनयापन कर सकें। महासभा ने पेरिस में १० दिसम्बर, १९४८ को आधी रात को मानव अधिकारों का घोषणा पत्र दिया। जब यह घोषणा की गई तो महासभा के अध्यक्ष ने कहा कि यह पहला ही अवसर है जबकि राष्ट्रों के संगठित समुदाय ने मनुष्यों के अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं की घोषणा की है। इस घोषणा के पीछे संपूने संधि की, विश्व के समस्त स्त्री पुरुषों की शक्ति है जो दूरस्थ होने पर भी इस घोषणा को अर्थात्पूर्ण बनाने के लिए सहायता, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। महासभा के अनेको प्रस्ताव इस घोषणा के सिद्धान्तों पर ही आधारित हैं। इसके बहुत से अनुच्छेद शान्ति सन्धियों में समाहित कर दिये गये हैं तथा नये राज्यों के संविधानों में भी इन्हें लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संधि द्वारा मानव अधिकारों की कई परम्पराएँ स्थापित कर दी गई हैं :-

- (i) जाति, संस्कृति एवं धर्म सम्बन्धी (Genocidal Convention)
- (ii) महिलाओं के राजनैतिक अधिकार (Political Rights of Women) महासभा द्वारा १९५० में निर्मित परम्परा
- (iii) दासता विरोधी परम्परा (Anti-slavery Convention) १९५५
- (iv) जबरदस्ती के धम के विरुद्ध परम्परा (Convention Against Forced Labour) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा १९५३ में निर्मित L

सन् १९५३ में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा मानव अधिकारों के सम्बन्ध में जा रण्य अपनाया गया था वह इस आन्दोलन के पूरी तरह से विरुद्ध था। किन्तु २२ जुलाई, १९६३ को जान एफ० कनेडी ने इस निवेधात्मक नीति का उलट दिया। इन्होंने अमरीकी सीनेट को संयुक्त राष्ट्र सभ की उन्नत चार परम्पराओं में से तीन को स्वीकार करने को कहा, प्रथम परम्परा (Genocide Convention) का उल्लेख नहीं किया गया था। मानव अधिकार आयोग के अमरीकी प्रतिनिधि ने इस दिशा में अमेरिकन कार्य योजना (American Action Programme) को प्रस्तुत किया। इसका तीन भाग थे—

(i) मानव अधिकारों पर सामयिक प्रतिवेदनों (Periodic Reports) की योजना।

(ii) मानव अधिकारों पर अध्ययन की एक शृंखला (Series)।

(iii) कुछ मानव अधिकारों में तकनीकी सहायता प्रदान करना।

यह सहायता तीन प्रकार से दी जा सकती है अर्थात् विशेषज्ञों के उपग्रन्थ द्वारा, बर्जीफा तथा फंलासिप के उपग्रन्थ द्वारा, सेमिनारों के संगठन द्वारा। विश्व शान्ति तथा मानव अधिकारों के बीच भारी सम्बन्ध है। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है तथा ये दोनों परस्पर सहयोगी भी हैं। क्लार्क आइकबर्गर (Clark M Eicheberger) का मत है कि राष्ट्र स्थायी शान्ति की ओर अग्रसर होने हैं तो यह भी अपरिहार्य है कि मानवीय अधिकारों की भी प्रगति होगी तथा वे सुरक्षित हाने।¹

संयुक्त राष्ट्रसंघ-एक मूल्यवान

अथवा

संयुक्त राष्ट्र संघ की देन

संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर, उसके विभिन्न संगठनों और कार्यकलापों आदि से यह भलीभांति स्पष्ट है कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी संस्था है जिसने अनेक अवसरों पर युद्धों का निवारण करके और गंभीरतम अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करके विश्व में तृतीय महायुद्ध के सूत्रपात को भविष्य के लिए टाला है। इसमें कोई ग़दह नहीं कि यदि महासक्तिप्राप्त संस्था के माध्यम से अनेक विवादों को ईमानदारी से मुलजाने का प्रयत्न

1. Clark M Eicheberger, U. N. - The first twenty years, 1965, P. 85.

करें और इस सस्या के कार्यों में अपेक्षित सहयोग दें तो भविष्य में तृतीय महायुद्ध की संभावना को भी यह सस्या बहुत कुछ समाप्त कर सकती है।

आलोचकों का यह कहना कि मध्य अपने प्रधान उद्देश्य—युद्धों के निवारण और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हल करने में विफल हुआ है, अनेक समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं कर सका है और न ही शांतिकरण की होड़ को भिटा पाया है, निरगदह बहुत कुछ सत्य है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि मानवीय अधिकारों और अन्तर्राष्ट्रीय शांति की रक्षा करने का उत्तरदायित्व मभालने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक दक्षिण अफ्रीकन संघ में भारतीयों और अरब जातियों के साथ दुर्व्यवहार को नहीं रोक सका है, साम्यवादी चीन को न अपना सदस्य बना सका है और न ही उसकी हिंसात्मक पाश्चिक प्रवृत्ति पर ही किसी तरह का अकुश लगा पाया है, पूर्व और पश्चिम के मनभेदों को नहीं पाट सका है, महाशक्तियों के वैमनस्य और विरोध को नहीं मिटा सका है। इसने काश्मीर की स्पष्ट और सरल समस्या को जलजाया है तथा महाशक्तियों के हाथों में खेल कर आशान्ता व आश्रमणकारी की तराजू के दोनों पलडों में बैठाकर बराबर तोलने की चेष्टा की है। इतना ही नहीं, आशान्ता पाकिस्तान की आश्रमणकारी प्रवृत्ति पर रचनाय नियन्त्रण भी लगाने में यह असफल रहा है, उल्टे इसकी गतिविधिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को अवैधानिक रूप से लिये गये भारतीय प्रदेश में घेर जमाये रखने को प्रोत्साहित ही करती रही हैं। यह महाशक्तियों के शीत युद्ध का अखाटा बना हुआ है और अनेक अवसरों पर इसने अनेक देशों की स्वतन्त्रता व स्वाधीनता के अपहरण को वीरे एक मूकदर्शन के समान निहारा है।

मध्य के पास अपनी स्वयं की दण्डकारी शक्ति का अभाव है। इसकी अपनी स्वयं की कोई सेना नहीं है। मध्य शक्ति और आर्थिक दृष्टि से यह अपने सदस्य देशों की श्रृंखला का आकाशी है। जहाँ महाशक्तियों के स्वार्थ निहित होते हैं वहाँ मध्य के निर्णय काम नहीं आते बल्कि महाशक्तियों के अपने निर्णय ही महत्व रखते हैं। किन्तु जहाँ छोटे राष्ट्रों का प्रश्न होता है वहाँ मध्य अपने प्रयासों की सफलता की बुदुभी बजाकर अन्तर्राष्ट्रीय शांति का रक्षक होने की माहो-माहो रूटठा है और वह भी इसीलिए कि महाशक्तियों का उन छोटे राष्ट्रों को दबाकर मध्य का निर्णय मानने को बाध्य कर देती हैं। यदि विभिन्न शांति प्रस्ताव ईमानदारी के साथ और सही भावना से मुरदा परिपद में प्रस्तुत होते भी हैं तो महाशक्तिया अपने परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण अपने विषेवाधिकार से उन्हें नष्ट कर देती हैं। वस्तुतः मध्य में इतना

विरोध और विषेधाधिकार का प्रयोग देखने को मिलता है कि इसे "संयुक्त राष्ट्र सभ कहने के स्थापन पर विमर्श तथा विरोधी दलों में विभाजित राष्ट्र सभ कहना अधिक उपयुक्त लगता है।"

सितम्बर १९६६ में संयुक्त राष्ट्र सभ की २१ वीं महासभा के सभ्य अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सभ के हो महासचिव ऊषाट ने यह स्वीकार किया था कि सभ अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति को दिशा में बहुत कम प्रगति कर पाया है। उसका मूल कारण उनके मतानुसार यही है कि सभ परस्पर विरोधी महाशक्तियों के सघर्ष का असाह्य बना हुआ है।

महासचिव ने बड़े राष्ट्रों पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाते हुए कहा कि वे पारस्परिक शंका, भय और अविश्वास को भावनाओं से प्रस्त हैं और प्रत्येक समस्या पर मानवीय हित के दृष्टिकोण से विचार नहीं करते। सभ के सगठनात्मक षेधों का उल्लेख करते हुए उ-होने इस बात की सिफारिश की कि जनवादी श्चिन को सभ का सदस्य बनाया जाना चाहिये ताकि संयुक्त राष्ट्र सभ सच्चे अर्थों में सभी राष्ट्रों का सगठन बना सके।

संयुक्त राष्ट्र सभ के समक्ष तीन आधारभूत समस्याएँ रही हैं—यूरे और पश्चिम के मध्य सघर्ष, पेट्रोल अधिकार क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र सभ के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न विवाद। इन तीनों आधारभूत समस्याओं पर विजय प्राप्त करने में सभ वस्तुतः समर्थ नहीं हो सकता है। हगरी और तिब्बत के मामले पर सोवियत रूस तथा श्चिन पर कोई दबाव डालने में उसकी असमर्थता और असफलता इस बात का प्रमाण है कि सभ सन्निघाती राष्ट्रों के सम्मुख जितनी दमनीय स्थिति रखे हुए हैं।

परन्तु इन सब कमियों, दोषों व दुर्बलताओं के होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि संयुक्त राष्ट्र सभ केवल मात्र राष्ट्र सभ की ही एक पुन-रावृत्ति है और इसके अस्तित्व का महत्व नगण्य है। वास्तविकता यही है कि अपनी विफलताओं में भी यह निरन्तर सक्रियता की मोहिका पकड़ता रहा है और इसने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को घटा कर शान्ति बनाय रखने की दिशा में सराहनीय प्रयास किया है। संयुक्त राष्ट्र सभ मरणासन्न नहीं है अपितु प्रगति पथ पर अग्रसर है। इसने न केवल अनेक राजनीतिक विवादों में सफलता पायी है बल्कि नैर राजनीतिक कार्यों में भी महान यश कमाया है। यह कहना अत्यन्तपूर्ण न होगा कि नैर राजनीतिक अर्थात् सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में ही इसने नकार की अन्य किसी भी समस्या की अपेक्षा अधिक दलाघनीय कार्य किया है। २५ वर्षों की अल्प अवधि में विश्व के सभी भागों में विवास करने

पाली जनता के जीवन-स्तर को मुधारने के लिए विद्यालय, धन-संधिया व्यय की गयी हैं। विद्याई, बाड-नियन्त्रण, विद्युत-शक्ति, उत्पादन, भूमि की उपज में वृद्धि सम्बन्धी लगभग ६० से भी अधिक योजनाओं पर अमल किया जा रहा है ताकि मानव जाति प्रकाल के खतरे से मुक्त हो सके। स्वास्थ्य, धन एवं चिकित्सा के क्षेत्र में इसके प्रभाव स्वर्गांतरों में लिखे जाने योग्य हैं।

राजनैतिक विवादों को हल करने में भी यह सर्वथा अक्षरफल नहीं रहा है। १९४८ और बाद में अगो १९६७ में भारत-पाक संपर्क का अन्त करके मुद्द-विराम की स्थिति लाने में, १९४८, १९५६ और १९६७ के अरब-इजरायल संधियों में हर बार युद्ध रोक कर शांति स्थापित करने में स्वैर नहर को फास और ब्रिटेन के साम्राज्यवादी नायक इरादों से बचाने में, दक्षिणी कोरिया को साम्यवाद के लौह सिकड़े से मुक्त रखने में, ईराक, सीरिया व लेबनान से विदेशी सेनाएँ हटाने में, इन्डोनेशिया में मुद्द बन्द कराने में, बलिन के घेरे में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने में, कागा के गृहयुद्ध को समाप्त कर उसके एकीकरण को बनाये रखने में और ऐसे ही अनेक विवादों में सपने ने उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है।

समुक्त राष्ट्रमण के अस्तित्व के कारण ही बड़े-बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों के विरुद्ध, अधिकांशतः शक्ति का प्रयोग करने में हिचकिचाते हैं, इस तरह युद्ध का भय कुछ कम हुआ है और इस दृष्टि से छोटे राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त महासभा को पारमन्त्र अधिहार होने के कारण छोटे-छोटे सदस्य राष्ट्रों को अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग करने के अवसर प्राप्त हुए हैं और उन्होंने अपने सामर्थ्य इन अवसरों का पूरा उपयोग किया भी है। यह निश्चित रूप से एक धाम सशान है कि संभवतः पहली बार छोटे-छोटे राष्ट्रों द्वारा बड़े राष्ट्रों के प्रयासों को निष्फल कर पाना सम्भव हो सका है। उदाहरणार्थ महासभा में एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों के सम्मिलित प्रयास के कारण ही सोवियत रूस का 'त्रिमोका' सिद्धान्त कार्यान्वित न हो सका।

समुक्त राष्ट्र सपना का प्रभाव राष्ट्रों की सीमाओं से परे व्याप्त शक्तों और शक्तियों पर विमोद रूप से पडा है। इसने अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रसार में अपने प्रभाव का उल्लेखनीय ढंग से उपयोग किया है और अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को अधिक दबल व स्वच्छ बनाया है।

यद्यपि सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से सपना एक ध्वस्त और एकीकृत प्रणाली का उपयुक्त विहास नहीं कर पाया है किन्तु फिर भी मानव-जाति की समस्याओं, कठिनाइयों, विषमताओं को इसने प्रभावशाली ढंग से मुसरित

किया है। यह विश्व की समस्याओं और वास्तविकताओं का एक सुन्दर दर्पण है।

सयुक्त राष्ट्र सभ ने साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के उन्मूलन में पर्याप्त सफलता पायी है। एबसीनिया, लीबिया, सोमालीलैण्ड, मोरक्को, ज्युनीसिया, टोगोलैण्ड आदि की स्वाधीनता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रति क्रूरतापूर्वक अत्याचारों की चर्चा जब सभ के रगमच पर की जाती है तो उसका प्रचार अविलम्ब सम्पूर्ण विश्व में हो जाता है और इसका यह प्रभाव पड़ता है कि नैतिक दबाव अनेक बार सैनिक शक्ति से अधिक प्रभावशाली बन जाता है। सयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा पैदा किये गये नैतिक बल और विश्व जनमत के कारण ही रूस को बदनाम होकर ईरान से सेनाएँ हटानी पड़ी, फ्रांस को उत्तरी अफ्रीका के उपनिवेश छोड़ने पड़े और हालैण्ड को इण्डोनेशिया का मोह त्यागना पड़ा।

विश्व युद्ध के मकड़ को टालने के लिये निःशस्त्रीकरण तथा आणविक शक्ति पर प्रतिबन्ध की दिशा में सयुक्त राष्ट्र सभ निरन्तर सक्रिय है और असफलताओं के एक लम्बे इतिहास के बाद अब ऐसी योजनाएँ प्रस्तुत होने लगी हैं जिन पर महाशक्तियों में पूर्वापेक्षा अधिक मतभेद हो सकता है। १९६८ की परमाणविक प्रसार निरोध सन्धि इस दिशा में एक उत्साहवर्धक सफलता है।

इस तरह स्पष्ट है कि अपनी दुर्बलताओं व विफलताओं के बावजूद सयुक्त राष्ट्र सभ मानवीय बुद्धि द्वारा परिकल्पित अब तक का श्रेष्ठतम अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। यही एकमात्र ऐसी मस्या है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में स्थिरता ला सकती है। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि सभी क्षेत्रों में संघ की क्षमता और उसके साधनों का उपयोग बुद्धिमत्ता तथा विवेक के साथ किया जाय और मात्र व सदस्य, विशेष कर महान् राष्ट्र, चार्टर के सिद्धान्तों के प्रति निष्ठावान रह कर उन पर त्रियारमक आचरण करें। सयुक्त राष्ट्र सभ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय मस्या तभी जीवित रह सकती है व सफलीभूत हो सकती है जबकि इसके सभी सदस्य राष्ट्र सह अस्तित्व के सिद्धान्त पर चलें और गगठन में विश्व के सभी राष्ट्रों का उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए उद्यत रहें। सदस्य राष्ट्रों ने जिस तरह सभ की विश्व में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करने में, विश्व की सामाजिक, शैक्षणिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने में, विश्व क्षेत्र में सामाजिक बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने में, एक स्वतन्त्र, स्वस्थ और सुखद जीवन किस प्रकार विश्व में जन-जन को प्राप्त हो, इसका रास्ता

दूटने के प्रयत्नों में प्रशंसनीय सहयोग दिया है और दे रहे हैं, उसी प्रकार वे राजनीतिक क्षेत्र में मानव मन में विश्वास जमाने में सभ के सहयोगों में सहयोग दें। इस सम्बन्ध में अन्त में यही कहा जा सकता है कि मानव चाहे तो यह संयुक्त राष्ट्र सभ एक विश्व राज्य बन सकता है बशर्ते कि मनुष्य अपनी इस चेतना के प्रति पूरी तरह जाग उठे कि सकुचित एकदेशीय भावना से ऊपर उठे बिना, समस्त मानव कल्याण की दृष्टि से सोचे बिना उसका प्राण नहीं।

वियतनाम और पश्चिम एशिया की समस्याएं

(PROBLEMS OF VIETNAM AND WEST ASIA)

वियतनाम और पश्चिमी एशिया के सकट लम्बे अर्से से अन्तर्राष्ट्रीय घाति को भंग किये हुए हैं। ये सकट इतने विस्फोटक हैं कि यदि इन पर शीघ्र ही काबू नहीं पाया गया तो ये कभी भी तृतीय महायुद्ध का कारण बन सकते हैं। अग्रिम पंक्तियों में हम पहले वियतनाम-समस्या को लेंगे और तब पश्चिमी एशिया अथवा मध्य-पूर्व के सकट को।

वियतनाम की समस्या (Problem of Vietnam)

वियतनाम देश का क्षेत्रफल लगभग १,२७,००० वर्गमील और जन सख्या ३ करोड से भी अधिक है। वियतनाम कभी हिन्द-चीन का सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र था। ऐतिहासिक तर्कों के अनुसार इस राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम 'वान्-चोग' साम्राज्य के नाम से हुआ। लगभग २००० वर्ष से भी अधिक लम्बे समय में इस राष्ट्र ने कई नामों से अपना अस्तित्व बनाये रखा। एक समय इस पर चीन का भी अधिकार रहा, किन्तु १९वीं शताब्दी में जब हिन्द-चीन पर फ्रांस का अधिकार हुआ तो वियतनाम भी फ्रांस के कब्जे में चला गया। द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने पर हिन्द-चीन की फौज सेना जापान की बढ़ती हुई सेना का भकावला नहीं कर सकी। परन्तु कूटनीति का सहारा लेते हुए जापान ने हिन्द-चीन पर अपने सैन्य बल से अधिकार नहीं किया वरन् सैन्य बल के आतक की छाया में फ्रेंच प्रशासन के साथ २१ जुलाई सन् १९४१ को एक पारस्परिक सुरक्षा समझौता

करके हिन्द-चीन में प्रविष्ट होने की अनुमति प्राप्त कर ली। युद्ध-काल में जापान ने इस देश के प्राकृतिक स्रोतों का अपनी औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरा उपयोग किया। मार्च, १९४५ में उसने इस क्षेत्र में फ्रेंच-प्रशासक वर्ग को पदच्युत कर दिया।

जापान के युद्धकालीन शासनकाल के दौरान वियतनाम की राष्ट्रवादी शक्तियाँ विशेष रूप से प्रबल हो गईं। उन्होंने "बीत मिन्ह लीग" नामक एक राष्ट्रवादी आति दल की स्थापना की। इसका नेतृत्व साम्यवादी छापा-मार नेता 'श्री हो-ची मिन्ह' को सौंपा गया। वियतनाम के आतिकारी और राष्ट्रवादी तत्वों ने जापान के इस क्षेत्र से हटने के समय इतनी प्रचुर युद्ध सामग्री हस्तगत करली कि वे दीर्घकाल तक छापा-मार युद्ध चला सकने की स्थिति में आ गये। जून अगस्त, १९४५ में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और वियतनामवासियों को जापानी निरंकुश नियंत्रण से छुटकारा मिला तो बीतमिन्ह राष्ट्रवादियों ने सितम्बर में ही फ्रांस से अपनी स्वतन्त्रता घोषित करके 'वियतनाम गणतन्त्र' का उद्घाटन किया। अगस्त, १९४५ में उन्होंने एक राष्ट्रीय महासभा आयोजित की तथा अपने देश की नूव-स्थापित सरकार के लिए श्री हो-ची-मिन्ह को राष्ट्रपति चुना। बाओशाई ने (जो अन्ततः का प्रत्यूर्ब सम्राट था और जिसने महायुद्ध के दौरान वियतनाम की स्वाधीनता की घोषणा करते हुए स्वयं को वियतनाम का शासक घोषित कर दिया था) हो-ची-मिन्ह द्वारा हनोई में स्थापित की गई कार्यकारी सरकार के 'सर्वोच्च राजनैतिक परामर्शदाता' का पद प्राप्त करके सन्तोष कर लिया। वियतनाम की हो-ची-मिन्ह सरकार ने राज्य का पूरा नाम 'वियतनाम लोकतन्त्री गणराज्य' रखा और कोचीन-चीन, टोंकिन्ग तथा अन्नाम पर अपने प्रभुत्व का दावा किया।

वियतनाम के राष्ट्रवादियों द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही फ्रांस के लिए असह्य थी। जापान के हिन्द चीन से पराजय के बाद जब वियतनाम पून फ्रेंच प्रभुत्व के अन्तर्गत आ गया तो फ्रांस ने राष्ट्रवादियों से किसी प्रकार का समझौता करने के बजाय उनका दमन करने का विवेक विमल-फलस्वरूप बीतमिन्ह-राष्ट्रवादियों और फ्रेंच साम्राज्यवाद में युद्ध छिड़ गया।

१९४५ से लेकर १९५४ तक फ्रांस और हो-ची-मिन्ह के बीच विरन्तर लड़ाई चलती रहा। डॉ० हो-ची-मिन्ह की स्थानीय साम्यवादी, कुछ और साम्यवादियों और बाद में चीनी साम्यवादियों की सहायता प्राप्त हुई। उनके अनुयायियों ने देश में आतंक, लूट, छापामार युद्ध और विप्लव

को वातावरण सदा कर दिया तथा इस प्रकार फ्रांस के लिये वियतनाम में व्यवस्था स्थापित करना असम्भव बना दिया।

दैनिक साधनों द्वारा हो-ची-मिन्ह पर विजय पाने में अपने को नाकामयाब पाकर फ्रांस ने राजनीतिक साधनों का आश्रय लिया। उसने असन्तुष्ट वाओदाई को अन्तर्गत में एक नई कार्यकारी सरकार (Provisional Government) स्थापित करने के लिये उकसाया। ५ जून, १९४८ को वाओदाई ने हो-ची-मिन्ह सहित 'रिपब्लिक ऑफ वियतनाम' के नाम से एक नई सरकार स्थापित कर ली। इस तरह अब वियतनाम में दो सरकारें काम करने लगी—दक्षिणी वियतनाम में वाओदाई की 'रिपब्लिक ऑफ वियतनाम' सरकार और उत्तर में डा० हो-ची-मिन्ह का 'वियतनाम गणतन्त्र' जिसे 'वीतमिन्ह' कहा जाने लगा। मार्च, १९४६ में वाओदाई ने फ्रांस की यात्रा की। फ्रेंच सरकार के साथ कुछ समझौते किये गए जिनके अन्तर्गत वियतनाम (वीतमिन्ह नहीं) 'फ्रेंच संघ का एक उपराज्य' (Associated State of the French Union) बना दिया गया। इसके वैदेशिक मामलों में इसकी सेनाओं पर फ्रेंच शासन का नियंत्रण स्थापित हो गया। ३० दिसम्बर, १९४६ को वाओदाई ने साँगोन (Saigon) में स्वयं को 'राजाचक्ष' घोषित कर दिया। यह वाओदाई-शासित वियतनाम की राजधानी बनी। डा० हो-ची-मिन्ह द्वारा शासित वियतनाम की राजधानी हनोई ही रही।

फ्रेंच साम्राज्यवाद की इस प्रकार की कूटनीतिक चालों ने स्पष्टतः वियतनाम में भीषण गृह-युद्ध की गुरुश्रान्त कर दी क्योंकि एक तरफ तो हनोई की सरकार स्वयं को सम्पूर्ण वियतनाम की वैधानिक सरकार कहने लगी और दूसरी ओर साँगोन सरकार सारे वियतनाम की वैधानिक सरकार होने का दावा करने लगी। नीध्न ही इस गृह-युद्ध ने एक राष्ट्र-व्यापी युद्ध का रूप धारण कर लिया। एक तरफ अमेरिकन डालरो, सस्त्रास्त्रा, टैंकों और वायुयानों में सुसज्जित १,५०,००० फ्रेंच सैनिक थे तो दूसरी तरफ साम्यवादी चीन की सहायता प्राप्त डा० हो-ची-मिन्ह के अपेक्षाकृत कम महत्त्वा में सैनिक। स्थिति तब और भी विषम हो गई जब सन् १९५० में अमेरिका और रूस 'शुद्ध युद्ध' (Cold-War) की भी हिन्दी चीन के द्वार तक खींच लाये। फरवरी, १९५० में साँगोन की 'वियतनाम सरकार' को सम्पूर्ण राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, दार्जिलिंग एवं 'स्वतन्त्र विश्व' के अधिकांश राज्यों ने कूटनीतिक सम्बन्ध प्रदाते कर दी। दूसरी तरफ डा० हो-ची-मिन्ह की 'हनोई सरकार' को युगास्तमिया से कूटनीतिक सम्बन्ध मिली। इसके अतिरिक्त रूस, साम्यवादी चीन, 'लीह-आवरण' से सम्बन्धित अन्य देशों और कुछ एशियाई

राष्ट्रों का 'कूटनीतिक समर्थन' प्राप्त हुआ। डा० हो-पी-मिन्ह के राष्ट्रवादी अनुयायी वियतनाम के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए अथक श्रम करने लगे। उन्होंने फ्रेंच साम्राज्यवाद द्वारा पोषित, मरिहित और पूर्ण सहायता प्राप्त सैगोन-सरकार के विरुद्ध अपना अद्भुत छापामार-युद्ध जारी रखा। हनोई की सफलताओं ने वाशिंगटन को इस भय से सन्नतित कर दिया कि कहीं सम्पूर्ण वियतनाम भी साम्यवादी शक्ति में न चला जाय। अतः उसने फ्रेंच सेनाओं को अधिराष्ट्रिक सैन्य सहायता देना आरम्भ कर दिया। इधर साम्यवादी चीन और रूस हनोई की 'वीत मिन्ह या वियत मिन्ह सरकार' को पथानमव हर प्रकार की सहायता प्रदान करने लगे। इस तरह 'उत्तरीयवादी शासकों' और 'उत्तरीयवादी शासितों' के बीच गुरु होने वाले युद्ध ने अब 'स्वतन्त्र विश्व' तथा 'अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद' के मध्य संघर्ष का रूप धारण कर लिया।

७ मई, १९५४ को 'वीत मिन्ह' सेनाओं ने हीत वीत फ्रेंच सेनाओं को सबसे बड़ी और निर्णायक पराजय दी। प्रातः के लगभग १५,००० सैनिक बंदी बना लिए गये। इस भीषण पराजय ने हिन्द-चीन में फ्रेंच साम्राज्यवाद की कमर तोड़ दी। फ्रांस ने अमेरिका से और सैनिक सहायता भेजने की अपील की। वाशिंगटन न लन्दन के समक्ष 'संयुक्त सैनिक हस्तक्षेप' का प्रस्ताव रखा किन्तु लन्दन ने साफ इन्कार कर दिया। एडमिरल रेडफोर्ड द्वारा एक पक्षीय अमेरिकन हस्तक्षेप और आणविक परमाणु के प्रयोग का सुझाव दिया गया, लेकिन युद्ध के विश्व व्यापी बन जाने के भय से राष्ट्रपति आइजनहोवर ने समस्या के शांतिपूर्ण समाधान का ही निश्चय किया।

जेनेवा में युद्ध विराम संधि और वियतनाम का विभाजन

२६ अगस्त से २१ जुलाई, १९५४ तक जेनेवा में हिन्द-चीन की समस्याओं पर वार्ता चल रही थी और अन्त में २१ जुलाई को दोनों पक्षों में युद्ध विराम संधि हुई। इस सन्धि के अनुसार निम्नलिखित बातें स्वीकार हुई—

(१) यह देश दो भागों में बंट गया—उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। १७वीं अक्षांश रेखा के उत्तर में हनोई नदी से लगता हुआ उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों को मिला और उसके दक्षिण में दक्षिण वियतनाम गणराज्य भी स्थापना हुई।

(२) दोनों भागों के बीच एक बफर क्षेत्र भी स्थापना की गई।

वियतनाम में आम चुनाव हुए और राष्ट्रपति दायम की सरकार ने सारी बहुमत प्राप्त किया। दूसरी ओर १५ जुलाई, १९६० को उत्तरी वियतनाम की राष्ट्रीय मसद ने सर्व-सम्मति से ७० वर्षों के डा० होषोमिन्ह को राज्याध्यक्ष (Head of State) चुन लिया। दोनों ही नेता सत्ता से चिपके रहे और एक-दूसरे पर जेनेवा का घाति समझौता भंग करने का दोष लगाते रहे। उत्तर की प्रेरणा से दक्षिण वियतनाम में साम्यवादियों ने १९६० में 'राष्ट्रीय मुक्ति सेना' (National Liberation Front) की स्थापना की। इन सैनिकों को सरकारी बयानों में वियत-कांग (Viet-Cong-Vietnamese Communists) कहा गया। यह वियतकांग सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने लगा।

इसपर तो अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा देने के बाद हनोई सरकार ने दक्षिण के विरुद्ध पुनः तोड़-फोड़, घुसपैठ और छापामार लड़ाई प्रारम्भ कर दी और उधर १९६०-६१ के दौरान कियतकांग छापामार सैनिकों ने अपनी कार्यवाही देश के बहुत से भागों में अत्यधिक बढ़ा दी। १९६१ के अन्त तक लगभग २० हजार साम्यवादी वियतकांग छापामार सैनिक दक्षिण वियतनाम में जहाँ-तहाँ आनकपूर्व कृत्य करने लगे। लावार होकर दक्षिण वियतनाम के राष्ट्रपति नो दिन्ह दायम (Ngo Dinh Diem) ने १९ अक्टूबर, १९६१ को सारे वियतनाम में आगतकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। मई १९६१ में अमेरिकन उपराष्ट्रपति लिम्डन जानसन ने सेंगोन का दौरा किया। उन्होंने वापिस लौटकर अपनी सरकार की यह सिकाशिका की कि दक्षिण वियतनाम को अमेरिकन सहायता में वृद्धि की जाय और इन सहायता की गति को बढ़ाने के उपाय लिये जाय। इस पर राष्ट्रपति जेनेडी ने अक्टूबर १९६१ में जनरल मैक्सवेल टेलर को दक्षिण वियतनाम इसलिए भेजा कि वह साम्यवाद को चुनौती का सामना करने के लिये सेंगोन सरकार की आवश्यकताओं को आके।

१० दिसम्बर को अमेरिकन राज्य-विभाग ने 'जान्नि को खतरा' (A threat to the peace) के नाम से दो भागों में एक स्वेत-पत्र निकाला और आरोप लगाया कि वियतकांग 'मुक्ति आन्दोलन' का निर्देशन व संचालन उत्तरी वियतनाम से होता है, साम्यवादियों द्वारा दक्षिण-वियतनाम को विजित कर लिये जाने का स्पष्ट ह्म में उत्तरा उद्दिष्ट्य है, और यदि ऐसा हुआ तो साम्यवादी युद्ध में १,४०,००,००० व्यक्ति और सम्मिलित हो पायेंगे जिससे लाओस की प्रगति का भाग पूर्णतः बन्द हो जायेगा जहाँ कि साम्यवादियों का पहले से ही आये देश पर प्रभुत्व है। दक्षिण वियतनाम सरकार और अमेरिकन प्रजासदन का यह खतरा आरोप था कि हनोई सरकार

का यह प्रयास है कि वह दक्षिण वियतनाम की सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले साम्यवादी वियतनाम लोगों को सहायता देकर वहाँ की सरकार को नष्ट कर दे और दक्षिण वियतनाम को उत्तरी वियतनाम के साथ मिला ले।

४ जनवरी, १९६२ को संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को आर्थिक और सैनिक सहायता देने की योजनाएँ घोषित की। लगभग एक मास बाद अमेरिकन सैनिक कमान स्थापित की गई और लगभग ४ हजार अमेरिकन सैनिक युद्ध क़ायं में भाग लेने के लिए भेज गए।

दक्षिण वियतनाम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग (International Control Commission) से शिकायत की गई कि उत्तरी वियतनाम घुसपैठ और विनाश की कार्यवाहियाँ कर रहा है। किन्तु जब शिकायत पर आयोग द्वारा विचार किया जाने लगा तो पोलिश सदस्य ने आपत्ति की कि आयोग को दक्षिण वियतनाम की शिकायत की जाच पड़ताल करने का अधिकार नहीं है। परन्तु आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कि उसे जाच करने का पूरा अधिकार है। सावियन सत्र और चीन ने दक्षिण वियतनाम के आन्तरिक मामलों में अमेरिका के अनुचित हस्तक्षेप की निन्दा करते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका द्वारा जो सैनिक कमान नियुक्त की गई है वह दक्षिणी वियतनामी जनता के उस देशमर्ति पूरा मर्ष का दमन करने के लिए स्थापित की गई है जो अन्धधर्म और साम्राज्यवाद के हाथों की कठपुतली दायम सरकार के विरुद्ध लड़ा जा रहा है। साम्यवादी चीन द्वारा आपत्तियाँ दियीं गयीं कि जेनवा सम्मेलन का सहायक प्रधान आवश्यक परामर्श करके 'दक्षिण वियतनाम' से युद्ध के गम्भीर खतरे दूर करने के उचित उपाय करे। मार्च, १९६२ में रूस द्वारा माग की गई कि अमेरिका दक्षिण वियतनाम में युद्ध सामग्री ले जाना बन्द कर दे और वहाँ से अपने सैनिक अमले को वापस बुला ले। रूस द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के सदस्यों से भी आपत्तियाँ दियीं गयीं कि वे दक्षिण वियतनाम में अमेरिकन हस्तक्षेप बन्द करने के लिए दबाव डालें।

२ जून, १९६२ को अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के भारतीय और वनाडियन सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया—

(१) उत्तरी वियतनाम आन्तरिक कार्यवाहियों का दोषी है। उसने दक्षिण वियतनाम में शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों को प्रोत्साहन व समर्थन देकर जेनवा समझौते की अवहेलना की है।

(ii) दक्षिण विपतनाम ने संयुक्त राज्य अमेरिका से वास्तविक सैनिक गठबन्धन करके जेनेवा समझौते की १६वीं और १७वीं धारा की अवहेलना की है।

आयोग का निर्णय किसी भी पक्ष को अपनी कार्रवाहियों से निरस्त न कर सके। दोनों विपतनामों के भविष्य और भावी सम्बन्धों का प्रश्न 'शुद्ध' में उलझ कर रह गया। आरोपों-प्रत्यारोपों की धोछारें होने लगीं। स्वयं व साम्यवादी चीन उत्तरी विपतनाम के खूले समर्थक बने तो ब्रिटेन व कुछ अन्य पश्चिमी राष्ट्र दक्षिण विपतनाम में अमेरिका की स्थिति का समर्थन करने लगे।

दिसम्बर, १९६३ में अमेरिकन प्रतिरक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनमारा (Robert McNamara) ने कुछ अन्य उच्च अधिकारियों के साथ संयोजन का दौरा किया और घोषणा की कि—"दक्षिण विपतनाम को जब तक शांतिपूर्णता होगी, अमेरिकन सैनिक सहायता दी जाएगी।" किन्तु अमेरिका की इस घोषणा से विपतनाम के साहस में कोई कमी नहीं आई बल्कि सतर्की ज्ञानरूपण कार्रवाहियों की भयावहता में वृद्धि होती गई। जनवरी, १९६४ में फ्रांस के राष्ट्रपति डिगाल ने जोर देकर कहा कि विपतनाम का तटस्थीकरण किया जाना चाहिए। मार्च, १९६४ में अमेरिका के राज्य सचिव डीन रस्क द्वारा कहा गया कि यदि विपतनाम अपनी सैनिक कार्रवाही समाप्त कर दें, चीन व उत्तरी विपतनाम दक्षिणी विपतनाम के मामलों में हस्तक्षेप करना छोड़ दें और उभरे शान्तिपूर्ण रहने दें तो अमेरिका अकेले दक्षिण विपतनाम का तटस्थीकरण भी स्विकार कर सकेगा है। श्री डीन रस्क द्वारा यह विचार व्यक्त करने के तुरन्त बाद व मार्च की थी मैकनमारा व अन्य सैनिक तथा राजनीतिक अधिकारी पुनः संयोजन गये जहाँ उन्होंने एक प्रेष सम्मेलन में स्पष्ट मार्ग में घोषणा की कि दक्षिण विपतनाम की आवश्यक सभी आर्थिक सैन्य प्रशिक्षण सहायता और सैन्य सामग्री की सहायता अमेरिका देने को संजार है। अमेरिका द्वारा इस सहायता का उद्देश्य दक्षिण विपतनाम की जनता को साम्यवादी विपतनामों की प्रेरणाओं से छुटकारा दिलाना यथाया गया। २३ जून, १९६४ को राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा सैन्य सेवाधर्मों के प्रदान और अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी श्री मैकनमारा को, टेलर को दक्षिण विपतनाम में राजदूत नियुक्त किया गया। इस उत्तरी विपतनाम की ओर से १७ वीं मर्शास रेखा पर दबाव बढ़ता गया, चीनी साम्यवादी सेना उत्तरी विपतनाम से लगती हुई चीन की दक्षिणी सीमा पर बियाल धमका में प्रवेश हो गई और कुछ चीनी सेना को उत्तरी विपतनाम के भीतर तक भेज

कर बैठ गई। साथ ही लगभग १,५०,००० साम्यवादी सैनिक दक्षिण वियतनाम में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गये।

उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी आक्रमण और सघर्ष में तीव्रता— अगस्त, १९६४ में वियतनाम में और भी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई। अमेरिका द्वारा उत्तरी वियतनाम के विरुद्ध सैनिक हस्तक्षेप करने का निरव्यय कर लेने के फलस्वरूप वियतनाम युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया। ५ अगस्त, १९६४ को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम की पण्डुब्जियों के अड्डों और तेल-पण्डुब्जियों पर ५ घंटे तक भीषण बम-वर्षा की। अमेरिका का आरोप था कि उत्तरी वियतनाम की पण्डुब्जिया टोनकिन (अथवा टोंगकिंग) की खाड़ी में अमेरिकन गस्ती जहाजों पर आक्रमण करती रहती हैं और यह स्थिति अमेरिका को असह्य है। अमेरिकी बम वर्षा के बाद ही वियतनाम साम्यवादियों ने विद्याल पैमाने पर छापामार-युद्ध आरम्भ कर दिया। सोवियत रूस ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के सैनिक ठिकानों पर बम वर्षा की तो वह उत्तरी वियतनाम को भरपूर सहायता देने को बाध्य हो जायगा। साम्यवादी चीन ने भी घोषणा की कि अभी तक उसने हिन्द-चीन में एक भी सैनिक नहीं भेजा है, लेकिन उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण होने की सूरत में उसकी सन्न का बाध टूट जायेगा।

रूस और चीन की चेतावनिया अप्रभावी रही। परिस्थिति दिन प्रति-दिन विषमतर होती गई। साम्यवादी वियतनाम छापामारों ने दक्षिणी वियतनाम के सैनिक अड्डों को तहस-नहस करने के प्रयत्न शुरू कर दिये। १ नवम्बर, १९६४ को वियतनाम छापा-मारों ने 'विएत-हो-आ' के हवाई अड्डे पर आकस्मिक रूप से भीषण हमला करके २७ विमान नष्ट कर दिये। इस आक्रमण में अनेक अमेरिकन सैनिक मारे गये और घायल हो गये। इस घटना के बाद राष्ट्रपति जॉनसन ने सड़क शब्दों में घोषणा कर दी कि अमेरिका उत्तरी वियतनाम द्वारा वियतनाम छापा मारों को दी जाने वाली सैनिक सहायता बन्द करने के लिए शक्ति रा प्रयोग करेगा। जॉनसन ने कहा कि यह सैनिक सहायता लाओस के मार्ग से जा रही है और जैनेवा समझौते के सर्वथा प्रतिकूल है। दिसम्बर, १९६४ में व्हाइट हाउस से प्रकाशित एक विज्ञापन में दक्षिण वियतनाम को सैनिक सहायता देने का वचन दिया।

इसके बाद ही ७ फरवरी, १९६५ से उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी हवाई हमले आरम्भ हुए। २७ फरवरी, १९६५ को वाशिंगटन ने एक दवेत-पत्र प्रकाशित किया जिसमें उत्तरी वियतनाम द्वारा दक्षिण वियतनाम पर वियतनाम छापामारों द्वारा किये जाने वाले हमलों का विस्तृत विवरण दिया गया। इसमें यह दिखाने का प्रयत्न किया गया कि वियतनाम आन्दोलन

दक्षिण वियतनाम वा स्वाधी आन्दोलन नहीं है बल्कि उत्तर वियतनामी सरकार द्वारा प्रेरित और संचालित आन्दोलन है। —

समझौता प्रयासों की असफलता—मार्च से ही अमेरिकी हवाई हमलों की गति में तेजी आने लगी। फ्रांस, रूस, भारत आदि देशों ने उत्तरी और दक्षिण वियतनाम में समझौता कराने के लिए पुनः जेनेवा सम्मेलन बुलाये जाने की असौल की। महासचिव ऊ पाट ने सम्बन्धित देशों के बीच वार्ता का प्रस्ताव दिया और १७ सितम्बर राष्ट्रों ने युद्ध बन्द करने की असौल की।

अप्रैल, १९६५ के आरम्भ में उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति डा० हो चो-मिन्ह ने एक चार मन्त्रीय प्रस्ताव रखा जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त मुख्यतः यह मांग की गई कि दक्षिण वियतनाम से अमेरिकी सेनाएँ हटा ली जाय, उत्तरी वियतनाम पर बम-बर्षा बन्द की जाय और मैगोन में वियतनाम के राजनीतिक काम-कर्म के अनुसर-समस्या तिरुटाई जाय। प्रत्युत्तर में ७ अप्रैल, १९६५ को राष्ट्रपति जानसन ने घोषणा की कि यदि दक्षिणी वियतनाम की रबन्ध रखा जावे और सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना बहा रहे तो अमेरिकन सरकार “बिना वार्ता” करने को तैयार है। हनोई द्वारा जानसन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। सोवियत रूस और लाल चीन ने हनोई के दृष्टिकोण का समर्थन दिया। रूस ने हनोई के निकट वायुयान-भेदी प्रक्षेपणास्त्रों के अड्डे बनाना शुरू कर दिया और चीन ने उत्तरी वियतनाम को रूसी सैनिक सामग्री ले जाने की सुविधाएँ प्रदान की। दूसरी ओर अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम में अपनी नैतिक शक्ति बढ़ा दी। मई, १९६५ में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा एक विधेयक पास किया गया जिसमें वियतनाम के लिए ७० करोड़ डॉलर की अतिरिक्त राशि स्वीकार की गई।

समझौता प्रयास चलने रहे। जून, १९६५ में लन्दन में हुए १४ वें राष्ट्र-मण्डलीय प्रधान मन्त्री सम्मेलन में एक “वियतनाम शांति आयोग” स्थापित किया गया, जिसे सोवियत मध्य, चीन और उत्तरी वियतनाम ने अस्वीकार कर दिया। जुलाई १९६५ में जब शास्त्री टीटो ने वियतनाम संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मद्दत असौल जारी की तो साम्यवादी चीन ने टीटो और शास्त्री को “अमेरिकन साम्राज्यवाद के एजेंट” की गजा दी।

वियतनाम के मामले में नैत्रत्व की प्रतिज्ञाएँ सोवियत-चीन मानेशों की भी उभारने लगी। उपर वियतनाम युद्ध में तीव्रता आती गई। १९६५ के अन्त तक वाणिज्यिक प्रतिरक्षा विभाग की घोषणा के अनुसार मयरीकी सैनिकों की संख्या १,८१,२६२ तक पहुँच गई। हिन्दु धर्म भी यह समझा

जाता था कि वियतनाम युद्ध को जीतने के लिए ५ लाख तक अमेरिकन सैनिक आवश्यक हैं। वियतनाम युद्ध को शान्ति से निपटाने के लिए एक कूटनीतिक प्रयत्न करता रहा, लेकिन चीन सधर्ष को उकसाने में ही अपना काम देखा था। पकिंग ने उत्तरी वियतनाम की सरकार को यह गक्रेन भी दिया कि इस से मतभेद दूर करना मार्क्सवाद लेनिनवाद के प्रति विरवाधघात समझा जायेगा। जब दिसम्बर १९६५ में सोवियत प्रधान मन्त्री ने मार्क्सवादी नेता एलेक्सेण्डर श्चेलिपिन को वियतनाम युद्ध शांत कराने के उद्देश्य से हनोई भेजा तो चीनी नेताओं ने पूरा प्रयत्न किया कि उत्तरी वियतनाम में श्चेलिपिन का उद्देश्य पूरा न होने पावे।

१९६६ के समझौता प्रयास और मनीला सम्मेलन—सन् १९६५ में निममस के अवसर पर कुछ समय के लिए युद्ध-विराम की घोषणा की गई थी। इस अवधि में सधर्ष को निपटाने के कूटनीतिक प्रयत्न किये गये जो सफल नहीं हुए। २७ दिन हवाई हमले बन्द रखने के बाद २१ जनवरी, १९६६ को अमेरिका ने पुन बहुत बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिये। १९६६ में वियतनाम सधर्ष के समाधान के अनेक प्रयत्न किये गये, लेकिन उत्तरी वियतनाम अपनी निम्नलिखित चार बातों पर खड़ा रहा—

(i) अमेरिका दक्षिणी वियतनाम से अपनी सारी सेनाएँ तुरन्त हटावे।

(ii) दक्षिणी वियतनाम में सन्धि वार्ता छपा मार वियतनाम सैनिकों के राजनीतिक संगठन 'राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे,' (National Liberation Front) से की जाये क्योंकि वही दक्षिण वियतनामी जनता का एक मात्र प्रतिनिधि है।

(iii) समझौते के लिए उत्तरी वियतनाम की चतुर्गुणी योजना स्वीकार की जाय।

(iv) उत्तरी वियतनाम पर की जान वाली जनशरों को फौरन बन्द किया जाये।

डा० हो ची मिन्ह ने ब्रिटेन, कनाडा, भारत आदि अनेक देशों और समाजवादी राष्ट्रों को पत्र भेजे जिनमें उपरोक्त बातों पर बल दिया गया। भारत के राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् ने प्रत्युत्तर में लिखा कि अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग का अध्यक्ष होने के नाते भारत १९५४ के देवना समझौते के अनुसार दोनों देशों का एकीकरण करना चाहता है। अमेरिका से उसका अनुरोध है कि घम बर्पा बन्द की जावे और समुक्त राष्ट्र सधर्ष की अन्त्यता में तटस्थ देशों की अन्तर्राष्ट्रीय सेना संगठित की जाय जो समस्या का समाधान

होने तक दोनों देशों की सीमाओं पर मान्द्रि स्थापना का कार्य करे। प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने वियतनाम में युद्ध विराम के लिए जेनेवा सम्मेलन के पुनः आमन्त्रित रिश्ते जाने का प्रस्ताव रखा।

भारत के प्रस्ताव महासचिवों को खिन्न नहीं लगे। अमेरिका बिना शर्त सम-वर्षा बन्द करने को तैयार न था और इस उत्तरी वियतनाम की सहमति के बिना जेनेवा सम्मेलन बुलाने में राजी नहीं था। फ्रेंच राष्ट्र-पति डिगाल ने भी उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकन सम-वर्षा और दक्षिणी वियतनाम में उसके हस्तक्षेप का घोर विरोध किया। एशियाई देशों की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भी इस बात पर बल दिया कि वियतनाम समस्या का समाधान जेनेवा समझौते के अनुसार दोनों भागों का पुनः एकीकरण करके तथा इनकी तटस्थ देस बना कर किया जाना चाहिए। अक्टूबर, १९६६ में दिल्ली में यूगोस्लाविया, मयुक्त अरब-गणराज्य और भारत के शिखर-सम्मेलन के अवसर पर भी यही विचार प्रकट किया गया कि वियतनाम युद्ध बन्द हो, वहाँ से विदेशी सैन्यें हटा ली जाय कोई बाहरी देस वियतनाम के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे और वहाँ की जनता इच्छानुसार अपने राजनीतिक स्वरूप का गठन करे।

नवम्बर, १९६६ में फिलिपाइन्स की राजधानी मनीला में भी एक शिखर-सम्मेलन हुआ जिसमें मयुक्त-राज्य-अमेरिका, फिलिपाइन्स, थाइलैण्ड, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी वियतनाम, दक्षिण-कोरिया और न्यूजिलैण्ड के सामना-व्यसों ने भाग लिया। सम्मेलन की विज्ञप्ति में भाग लेने वालों ने वियतनाम में मान्द्रि स्थापना के लिए सज्जम पहलक यह आवश्यक है कि वियतनाम अपनी आन्तरिक कार्यवाहियाँ समाप्त करे और उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम की प्रदेश में अपनी फौजे हटा दे। ऐसा ही जाने पर ही अमेरिका भी अपने सैन्य हटा लेगा और सम्बन्धित पक्षों में वार्ता हो सकेगी।

१९६७ से १९६८ के अन्त तक वियतनाम समस्या और वैरिष्ठ वार्ता—वियतनाम समस्या के समाधान के लिए सयुक्त राष्ट्र मण्डल के महा-सचिव द्वारा भी काफी प्रयत्न किये गये। योंप ने सुझाव दिया कि सयुक्त राष्ट्र सय तटस्थ देशों को इस विवाद में रुच बनना हर उनके सम्पर्क का समाधान करावे। महासचिव ऊयाण्ट ने नव वर्ष की १ जनवरी, १९६७ को समस्या के समाधान के लिए एक वि-सूचीय योजना प्रस्तुत की, जो इस प्रकार थी—

(१) उत्तरी वियतनाम पर ही जाने वाली सम-वर्षा अविलम्ब बन्द की जाए।

एक गोल मेज पर हो तथा सम्बन्धित पक्ष अपनी इच्छानुसार उस पर बैठने का स्थान चुन। लेकिन अमेरिका और दक्षिणी वियतनाम इस मुझाव को मानने का सहमत न हुए क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चों को मान्यता नहीं देने से और गाल मुझ वार्ता का मुझाव मान लेने पर राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चों को इनकी मान्यता प्राप्त हो जाती थी। किसी प्रकार, काफी वादविवाद के बाद, इन समस्या का भा सनायात निहाला गया और सम्मेलन को कार्यवाही पुन शुरु होने की भावना बढ गयी।

इसी मध्य अमरिका मे २० जनवरी, १९६६ को नये राष्ट्रपति निक्सन ने ने कार्यभार सम्भाला। उन्होंने पेरिस वार्ता मे अमेरिकी प्रतिनिधि हैरीमन की जगह हैनरी केवक लाज को नियुक्त किया। ६ फरवरी, १९६६ को पेरिस वार्ता का तीसरा दौर शुरु हुआ किन्तु कोई प्रगति न हो सकी। ८ मई, १९६६ को राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चों द्वारा एक दस सूत्री योजना पास की गयी जिसमे दक्षिणी वियतनाम से विदेशी सैनिकों की वापसी और वहा के लिए अस्थाई संयुक्त सरकार के गठन की बात कही गयी। दक्षिणी वियतनाम इन प्रस्ताव के आधार पर अगे बातचीत को तैयार हो गया, किन्तु मजबूत सरकार की बात के लिए मान्य नहा हुआ। राष्ट्रपति निक्सन ने यह नाति अपनयी कि एक ओर ता परिम म सानिवाता को आगे बढाया जाए और दूसरी ओर वियतनाम से इस तरह अगे सैनिक धीरे-धीरे वापिस लीटाये जाए कि सैनिक हिनति प्रथम दक्षिणी वियतनाम व अमेरिका के प्रतिबल न हो जाए। मई १९६८ मे अमेरिका ने वियतनाम मे लगभग ५० हजार अमेरिका सैनिक वापिस बुलाने का निश्चय किया। राष्ट्रपति निक्सन ने गान्धि स्थापना के लिए एक सान सूत्री प्रस्ताव भी रया।

दुभाग्यवश अभी तक पेरिस वार्ता का कोई निश्चित परिणाम नहीं निकल सका है। फिर भी इस बात के आगार प्रकट हो गये हैं कि सम्भवत निकट भविष्य मे वियतनाम युद्ध समाप्त हो जायगा। अमेरिका वियतनाम से सैन. सैन अपनी सैनिक टुकडिया वापिस बुला रहा है और उत्तरी वियतनाम को आगामक कार्यवाहियों भी शिथिल पडी है। राष्ट्रपति निक्सन वियतनाम युद्ध को समाप्त चाहते हुए भी यह संकेत दे चुके हैं कि यदि उत्तरी वियतनाम की हमलावर कार्यवाहियों के फलस्वरूप अमेरिकन सैनिक अधिक सख्या मे मारे गये तो अमेरिका पुन कठोर कार्यवाही कर सकता है। उत्तरी वियतनाम का जवाब है कि वह घमकियों से नहीं डरेगा। फिर भी दोनों ही पक्ष युद्ध से उबरता चुके हैं और हमे आशा करनी चाहिये कि वियतनाम समस्या का समाधान शीघ्र ही कूटनीतिक स्तर पर निहाल लिया जायगा।

पश्चिमी एशिया अथवा मध्य पूर्व की समस्या (Problem of West Asia)

पश्चिमी एशिया अथवा मध्य-पूर्व एशिया की समस्या अरब-इजरायल संघर्ष की समस्या है जो विश्व-शांति के लिये एक ऐसी चुनौती बन गई है जिसका जवाब दूरे दिना हम अपने को तृतीय महायुद्ध की ज्वालामुखी के मुक्त पर बैठे पा रहे हैं। इस संघर्ष की शुरुआत १४ मई, १९४८ को इजरायल नामक नवीन राज्य के उदय के साथ हुई। यहाँ हमें इजरायल राज्य के उदय की पृष्ठभूमि के रूप में इतना ज्ञान लेना चाहिये कि द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने होते फिलस्तीन में अरबी और यहूदियों ने अरबों-अरबों मन्दिब सगठनों की स्थापना कर ली जिसका नतीजा यह हुआ कि फिलस्तीन गृह-युद्ध की आग में झुलसने लगा। चारों ओर अज्ञाति और अशांति फैल गई। ब्रिटेन ने स्थिति को वास्तु से बाहर जाने देना पर १९४६ में सारा मामला संयुक्त राष्ट्र सभ की सौंप दिया। संयुक्त राष्ट्र सभ ने स्थिति की जाच-पड़ताल के लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया जिसकी सिफारिश पर १९४७ के अन्त में फिलस्तीन के बंटवारे का फैसला किया गया। अरबों ने संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले का विरोध किया और कहा कि यदि उनकी इच्छा व विरुद्ध उनकी पवित्र भूमि का बंटवारा किया गया तो वे उसे रोकने के लिए शक्ति का प्रयोग करने में भी नहीं हिचकिचायेंगे। किन्तु अरबों का यह विरोध कारगर सिद्ध नहीं हुआ। १४ मई, १९४८ को मध्य एशिया में ब्रिटेन ने फिलस्तीन पर अपना मंडेट (Mandate) समाप्त कर दिया और अभी समय तक अरबीयों ने 'इजरायल' राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी तथा वेन सुरियों उसके प्रथम प्रधान मन्त्री बने। पासिगटन ने संवर्द्धापत इजरायल राज्य की तुरन्त मान्यता प्रदान की और मास्को तथा लन्दन ने भी इसे स्वीकार कर लिया।

इजरायल-अरब युद्ध, १९४८

अरब राष्ट्र इजरायल के जन्म को सर्वोद्वेग न कर सके। जिन दिन हम यहूदी राज्य की स्थापना हुई जेमा। दिन मिस्र, जार्डन, इराक और सीरिया की सेनायें फिलस्तीन में घस पड़ी और इजरायल पर आक्रमण सम्पन्न हुआ। परन्तु इजरायल ने अमेरिकन यहूदियों से विपुल आर्थिक सहायता प्राप्त की, चेकस्लोवाकिया से सस्त्र प्राप्त किये और अरब राज्यों से डट कर मुकाबला किया। इस समय यहूदियों की संख्या साढ़े छ. ल. ल. थी और उनके पास ८००० वर्गमील का प्रदेश था जबकि इजरायल और जॉर्डन के शाह के नेतृत्व में लड़ने वाले अरब लोग के राज्यों की संख्या ४ करोड़ और क्षेत्रफल २० लाख

वर्गमील था। फिर भी इस मंचर्प में इजरायली अपनी साधन सम्पन्नता, विदेशी सहायता और उत्कृष्ट रण-कौशल के कारण विजयी हुए और लाखों की संख्या में अरबों को इजरायल से दौड़ कर भागना पडा। समुक्त राष्ट्र संघ के मध्यस्थ रॉक वुच के प्रयत्नों से जब १९४९ में दोनों पक्षों में युद्ध बन्द हुआ तो इजरायल के पास संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तैयार की गई विभाजन-योजना से दो हजार वर्गमील अधिक प्रदेश था। समुक्त राष्ट्र संघ ने इजरायल का क्षेत्रफल ५६०० वर्गमील तय किया था जबकि उसके पास ७६०० वर्गमील प्रदेश हो गया। इस युद्ध में मिस्री सेनाओं ने गाजा तथा बोरशवा पर अधिकार कर लिया था और जेरुसलम के उत्तरवर्ती भागों से यहूदियों को भगा दिया था। समुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से जो समझौता हुआ उसके अनुसार मिस्र को गाजा पट्टी मिली जिसमें शरणार्थी अरबों को बगाने की व्यवस्था की गई। जेरुसलम नगर दो हिस्सों में बंट गया— लगभग एक लाख की आबादी वाला बड़ा हिस्सा यहूदियों के दब्जों में आया और ५० हजार की अरब आबादी वाला हिस्सा जोर्डन के अधिकार में रहा। इस तरह दोनों राज्यों की सीमा इस नगर में से होकर गुजरती हुई रखी गई। इजरायल ने भागे हुए अरबों की वापिस लौटने की अनुमति नहीं दी। उसकी नीति के कारण लगभग १० लाख अरबों को १९४३ तक इजरायली प्रदेश छोड़ कर अन्य अरब देशों में शरणार्थी बनना पडा और बदले में यूरोप, अफ्रीका एवं मध्यपूर्व के विभिन्न देशों से ६ लाख यहूदी आकर वहा बस गये। जहा १९४८ में इजरायल राज्य में १३½ लाख अरब और ६½ लाख यहूदी थे वहाँ १९५८ में लगभग २० लाख की कुल जनसंख्या में यहूदियों की संख्या लगभग १७ लाख हो गई।

समस्याओं का पहाड

इजरायल राज्य की स्थापना और फिर युद्ध में इजरायल के हाथों पराजय ने सम्पूर्ण अरब जगत में इजरायल-विरोधी भाग स्थायी रूप से प्रकटित कर दी। अरब राज्यों को, विशेषत मिस्र, सीरिया, जोर्डन आदि को इस बात से बड़ा आघात पहुँचा कि प्रथम तो वे फिलस्तीन के विभाजन और एक स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना को रोकने में असमर्थ रहे और दूसरे इजरायल के क्षेत्रफल को घुन करने में भी असफल रहे। इन अरब शक्तियों ने, विशेषकर मिस्र ने, अपने इस दुर्भाग्य के लिए पश्चिमी ताकतों को उत्तरदायी ठहराया। अरब राज्यों ने शीलप कर इजरायल को न केवल बाधित व राजनीतिक रूप से लगभग विराना कर दिया बल्कि उन्होंने इजरायली बंदरगाहों से सामान लाने तथा वहाँ सामान पहुँचाने वाले जहाजों

के लिए स्वेज नहर का रास्ता भी बन्द कर दिया। अरब लीग की सदस्य-राज्यो से प्रोत्साहन पा कर मिस्र ऐसे जहाजों को रोकने व उसकी जाच करने लगा, और उधर इजरायली-जोर्डनी सीमा पर भी यदा-कदा हिंस्र मुठभेड़ों की घुटझात हो गई। इजरायल के साथ सब अरब देशों ने व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ दिये। ईराक ने इस राज्य के अन्तर्गत हैफा बंदरगाह को किरकुक से पाइप लाइन द्वारा पेट्रोल भेजना बन्द कर दिया।

इजरायली सरकार को उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त बाहर से आने वाले निर्वासित इजरायलियों को बसाने की भीषण समस्या का भी सामना करना पड़ा। ये निर्वासित दुनिया के तमाम भागों से आये। इनके पास रोजी-रोटी कमाने के कोई साधन न थे। ऊपर से इजरायल की रेतीली भूमि और पानी की कमी तथा हर क्षण अरबों से तत्पर छिड़ जाने की आशंका। परन्तु इजरायल ने इन सब चुनौतियों को बड़े साहस और विश्वास के साथ स्वीकार किया। यहूदियों ने यूरोपियन देशों के साथ व्यापारिक समझौते करके अमेरिका और बहा के सम्पन्न यहूदियों से प्राप्त होने वाली विपुल आर्थिक सहायता से तथा सबसे बड़ कर अपने अदम्य साहस से इन गम्भीरतम समस्याओं पर विजय पा ली। देखते ही देखते मध्य-पूर्व में हरे-भरे क्षेत्र लहराने लगे, आधुनिक उद्योग धन्ये स्थापित हो गये और लोगों ने रहने के लिए खूबसूरत मकान बन गये। अरबों की चुनौती यहूदियों की प्रगति न रोक सकी और इजरायल मध्यपूर्व का सबसे विकसित और समृद्ध देश बनने के मार्ग पर बढ़ता गया।

इस सबसे अरबों में चिन्ता व्याप्त हो गई और सभी अरब देश आरम्भी मतभेद भुला कर इजरायल को सबक सिखाने के लिए एक हो गये। सीमावर्ती अरब राज्यों से इजरायल को छूट-पुट सैनिक शक्ति होने लगी। १९५४ तक की अवधि में इजरायली-जोर्डनी सीमा पर दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर छोटे-छोटे हमले किये गये। फरवरी, १९५५ में इजरायली प्रवक्ता ने टर्की-ईराक के पंचक को इजरायल विरोधी बताया और कहा कि यह पंचक इजरायल के विरुद्ध अरब राष्ट्रता को प्रोत्साहित तथा अरबों की आन्तमत्त महत्वकांक्षाओं को उत्तेजित करने वाला है। सितम्बर, १९५४ से इजरायली-मिस्री सीमा पर भी स्थिति विशेष शोचनीय होने लगी। २८ फरवरी, १९५५ को गाजा के निजट दोनों पक्षों में हुई एक सैनिक मुठभेड़ में दोनों तरफ से अनेक सैनिक हताहत हुए। २ नवम्बर, १९५५ को इजरायली प्रधान मंत्री डेविड बेन गुरियो ने अरब-इजरायली समस्याओं के समाधान के लिये मिस्र के प्रधान मंत्री और अन्य अरब राज्यों के शासकों से मेट की

इच्छा प्रकट की, किन्तु अरबों की ओर से इस इजरायली इच्छा को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। इजरायल और मिस्र की सीमा और भी अधिक विस्फोटक हो गई। १९५५ में अरबप्रोजा के विरुद्धीकृत क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में दोनों पक्षों को अनेक प्राणों में हाथ धोना पड़ा। ११-१२ दिसम्बर १९५५ को अर्द्ध-रात्रि में निवेरिम झील के उत्तर पूर्व में सीरियाई मोर्चे पर इजरायल ने एक खूनी मुठभेड़ हुई जिसमें ४० सीरियाइयों और ६ इजरायलियों की जानें गयीं। १३ दिसम्बर को सीरिया ने इजरायल के इस 'शर्मनाक व खुले आक्रमण तथा उत्तंजनात्मक कुकृत्य' की शिकायत सुरक्षा परिषद से की। २६ मार्च, १९५६ को सुरक्षा परिषद ने मत्र के महासचिव से अरब इजरायली नेताओं से वार्ता करने के लिए पश्चिमी एशिया जाने को कहा। मई में महासचिव की यात्रा से इजरायल व उसके पड़ोसी अरब राष्ट्रों में तनाव कुछ कम हो गया।

अरब इजरायल सघर्ष, १९५६

जुलाई अक्टूबर, १९५६ के दौरान इजरायल जोर्डन और मिस्र की सीमाओं पर स्थिति पुन गम्भीर हो गई। स्वज नहर के राष्ट्रीयकरण व वाद २९ अक्टूबर को तब एक भारी विस्फोट हुआ जब इजरायली सनाओं ने सिनाई प्रायद्वीप में मिस्री मोर्चों पर आकस्मिक आक्रमण कर दिया। इस हमले का स्पष्ट उद्देश्य फेदायोन अड्डों को नष्ट करना था क्योंकि इन अड्डों से ही भूतकाल में इजरायल पर अखिलाग आक्रमण किये गये थे। ब्रिटेन और फ्रांस की सरकार ने मिस्र और इजरायल के पास मदेश भेजा कि दोनों ही देश तुरन्त युद्ध बन्द कर दें और इस झगड़े में ब्रिटेन व फ्रांस को मध्यस्थ मानें। १२ घण्टों में इसका उत्तर मागा गया और घमही दी गई कि ऐसा न होने पर वे दोनों युद्ध में कूद पड़ेंगे। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री ईडन में ३० अक्टूबर को ब्रिटिश लोकमभा प कहा कि स्वेज नहर से समस्त देशों के जहाजों को स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार करने व जाने-जाने के लिए हमने मिस्र की सरकार से पूछा है और कहा है कि पोर्ट सईद आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर अस्थायी रूप में ब्रिटेन व फ्रांस की सनाय रखी जायें तो यातायात की सुविधा के लिए कहीं उत्तम होगा। साथ ही श्री ईडन ने यह भी कहा कि मेरे लिए यह अमम्भव होगा कि मैं यह बता सकू कि ब्रिटेन की ओर से शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि सुरक्षा परिषद में इस बात पर विचार न हो जाय। ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद से भी इस बात की माग की कि मिस्र को सैनिक हस्तक्षेप की घमकी दी जाये।

ब्रिटेन और फ्रांस ने सुरक्षा परिषद के निर्णय का इन्तजार न करने हुए ३१ अक्टूबर, १९५६ को पोर्ट सईद पर हमला कर दिया ताकि स्वेज प्रदेश

उनके अधिकार में आ जाय। इस तरह मित्र को अब बकेले ही तीन शक्तियों से जूझना पड़ा—सिनाइ में इजरायल से और स्वेज क्षेत्र में ब्रिटेन व फ्रांस से। पांच दिन की लड़ाई के बाद लगभग सम्पूर्ण सिनाई प्रायद्वीप पर इजरायल का नियन्त्रण स्थापित हो गया। ४ नवम्बर, १९५६ को महासभा ने कनाडा का यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि मित्र में युद्ध बन्द करने और युद्ध विराम की देख-भाल के लिये समुक्त राष्ट्र सभ की एक आपान्कालीन सेना की योजना महासचिव द्वारा तैयार की जाये। ५ नवम्बर को सोवियत सभ ने फ्रांस व ब्रिटेन की आक्रमण रोकने की चेतावनी दी। इस चेतावनी का फौरन प्रभाव पड़ा और ६-७ नवम्बर को मध्य रात्रि में ब्रिटेन फ्रेंच फौजों ने युद्ध बन्द करने की घोषणा कर दी। ७ नवम्बर को ही महासभा द्वारा एशिया-अफ्रीका के देशों का यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि ब्रिटिश फ्रेंच और इजरायली सेनायें मित्र की भूमि से हट जायें तथा स्वेज नहर के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस स्थापित की जाये। ९ नवम्बर का इजरायल द्वारा घोषणा की गई कि 'अन्तर्राष्ट्रीय सेना' के स्वेज नहर के क्षेत्र में प्रविष्ट हन व बाद वह सिनाई-क्षेत्र में अपनी सेनायें हटा लेगा। १५ नवम्बर को समुक्त राष्ट्र मधीय आगतकालीन सेना का पहला दस्ता मित्र पहुच गया। ब्रिटिश फ्रेंच और इजरायली सनाओं के मित्र प्रदेश से न हटने पर महासभा द्वारा २४ नवम्बर को पुन यह प्रस्ताव दोहराया गया कि ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल मित्र से अविलम्ब अपनी फौज हटा लें।

नवम्बर राष्ट्र मंत्र के प्रस्ताव के अनुशासन में ब्रिटेन और फ्रांस ने तो २२ दिसम्बर, १९५६ को मित्र से अपनी फौजें हटा ली, किन्तु इजरायल ने गाजापट्टा तथा दार्मल क्षेत्र में अपनी फौजें हटाने से इन्कार कर दिया। १९ जनवरी तथा २ फरवरी, १९५७ का महासभा ने इजरायल द्वारा फौजें हटाने तथा महासचिव के इस प्रस्ताव का विचार-विचार करने के दो अन्य प्रस्ताव पास किये। इजरायल ने इसका भी पालन नहीं किया तब ६ शक्तियों व एक अन्य प्रश्न व री स्वीकार करने महासभा ने यह निर्णय किया कि इजरायल द्वारा समुक्त राष्ट्र सभ के आदेशों का पालन न करने के कारण सभी देश उसे आर्थिक व वैनिक सहायता देना बन्द कर दें। इस पर १ मार्च, १९५७ का इजरायल ने कुछ शर्तों के साथ सेनायें हटाना स्वीकार कर लिया और ७ मार्च को मित्र से सभ सेनायें हटा ली गयी। इजरायल की प्रमुख शर्तें ये थी कि अताका की खाड़ी तथा तिरान (Tiran) जलडमरूमध्यों में इजरायल सहित सब देशों के लिये मो-चालन की पूरी स्वतन्त्रता होगी और समुक्त राष्ट्र सभ उस समय तक गाजापट्टी पर अपना प्रशासन रखेगा जब तक कि इसके भविष्य के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो जाता।

इजरायल और अरब राष्ट्रों में तनाव कायम रहना

यद्यपि संयुक्त राष्ट्र मध्य के हस्तक्षेप से मिस्र और इजरायल के संश्लेषण संधि की समाप्ति हो गई, किन्तु अरब देशों ने इजरायल के अस्तित्व की स्वीकार करने की तत्परता नहीं दिखाई।

सन् १९५७ में इजरायल और जोर्डन की सीमाओं पर अनेक छूट-मुट घटनाएँ हुई। इनके कारण दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों में तनावपूर्ण स्थिति आ गई और संयुक्त राष्ट्र मध्य के महासचिव को इस क्षेत्र का दौरा करना पड़ा। मिस्र और इजरायल के सम्बन्ध भी पुनः तनावपूर्ण होते गये। फरवरी मार्च १९५९ में स्वेज के रास्ते इजरायल से सुदूरपूर्वी देशों की निर्यात किये गये माल व अनेक विदेशी जहाजों को संयुक्त अरब गणराज्य ने रोक लिया। परिणामस्वरूप दोनों देशों में बहुत अधिक तनाव बढ़ गया। इजरायल द्वारा सुरक्षा परिषद से शिकायत की गई। इजरायली प्रतिनिधि ने परिषद के सदस्यों को लिखे गये एक पत्र में संयुक्त अरब गणराज्य के इस कदम की निंदा की और आरोप लगाया कि यह "स्वेज नहर समझौते व सुरक्षा परिषद व १ नवम्बर, १९५१ के उस प्रस्ताव की, जिसमें मिस्र में किसी भी दिशा में जा रहे माल और जहाजों को स्वेज नहर से गुजरने देने के लिये कहा गया था, नग्न अवहेलना है।" दूबरो और काहिरा के सरकारी समाचार पत्र 'अल अहगाम' ने लिखा कि इजरायल की स्वेज नहर से अपने मालवाहक जहाजों को भेजने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इजरायल और अरब देशों के मध्य 'युद्धस्थिति' अभी तक मौजूद है। मई १९५९ में संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा एक डेनिश मालवाहक जहाज को, जो हैफा बन्दरगाह से इजरायली सामान हागकाग तथा जापान ले जा रहा था, रोक लिया। इजरायली प्रधानमंत्री ने इस कार्यवाही को इजरायली हितों तथा संयुक्त राष्ट्र मध्य के चाटर और सुरक्षा परिषद के निर्णयों पर एक भारी चोट बनाया। अगस्त १९५९ में पुनः ऐसी ही घटनाएँ घटी और इजरायली प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करने हुए संयुक्त अरब गणराज्य की इन कार्यवाहियों की समुद्री डकैती के कार्य बताया।

सीरिया के साथ भी इजरायल के झगड़े चलते रहे। फरवरी १९६० में ताबफिज नामक स्थान पर दोनों की सैनिक टुकड़ियों में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। फरवरी के अन्तिम सप्ताह में इजरायल से लगती हुई सीमा पर संयुक्त अरब गणराज्य की सेनाओं के बमबार से बड़ी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इजरायल ने सुरक्षा परिषद को सूचित किया कि इस क्षेत्र में शांति अभी स्थापित हो सकती है जब कि संयुक्त अरब गणराज्य इजरायल के प्रति

सक्रिय शत्रुता की नीति का परिहास कर दे। मार्च १९६० में इजरायली प्रधानमंत्री बेनगुरियो अमेरिका गये। राष्ट्रपति जार्जबनहॉवर ने उन्हें आश्वासन दिया कि अरब-आक्रमण की स्थिति में अमेरिका इजरायल को सहायता देगा। दूसरी ओर कर्नेल नासिर ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सूचित किया कि इजरायल द्वारा सीरियायी क्षेत्र पर आक्रमण मिल पर आक्रमण समझा जायगा तथा संयुक्त अरब गणराज्य स्थिति के अनुकूल प्रतिरक्षा व्यवस्था करेगा।

अरब राष्ट्रों और इजरायल के सम्बन्ध दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले गये। मार्च १९६२ में इजरायल सीरिया सीमा पर फिर से दुर्घटनाएँ होने लगीं। सुरक्षा परिषद में पारित एक प्रस्ताव में कहा गया कि दोनों देशों को युद्ध विराम समझौते पर अमल करना चाहिये। अगस्त १९६२ में सीरिया और इजरायल में पुनः गम्भीर सैनिक मुठ-भेड़ें हुईं। सुरक्षा परिषद की एक विशेष बैठक में समझौता पर विचार किया गया और महासचिव ल्याट ने दोनों देशों से आत्मनिपन्त्रण रखने की अपील की। परिषद् में समुक्त राज्य अमेरिका ने सीरिया की निन्दा करने का प्रस्ताव रखा, परन्तु सोवियत संघ ने इसे निषेधाधिकार द्वारा समाप्त कर दिया। अगस्त १९६२ में ही इजरायल और जोर्डन की सीमाओं में झड़पें हो गईं। लगभग इसी समय इस रहस्य का उद्घाटन हुआ कि संयुक्त अरब गणराज्य ऐसे सैनिक प्रक्षेपणास्त्र तैयार कर रहा है जिनसे वह इजरायल को शीघ्र ही पराभूत कर सकता है। इस समाचार से इजरायल में गम्भीर चिन्ता व्याप्त हो गई। उसने इस बात का प्रयत्न किया कि उसके पास इन प्रक्षेपणास्त्रों का निवारण करने के लिये और मिस्र का आक्रमण विफल बनाने के लिये आवश्यक राकेट होने चाहिये। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस मत की पुष्टि की कि इन क्षेत्र में शांति तभी सम्भव है जबकि यहाँ सैनिक धनित में सतुलन बना रहे। अतः उसने मध्यपूर्व के देशों को हथियार न देने की अपनी सामान्य नीति की उपेक्षा करते हुए सितम्बर १९६२ में यह निर्णय किया कि वह अल्प दूरी तक जाने वाले और शत्रु के वायुमार्गों को मार गिराने वाले रक्षात्मक प्रक्षेपणास्त्र इजरायल को प्रदान करेगा। इजरायल की इच्छा थी कि उसे मिस्र की शक्ति अपने देश की भूमि से ही शत्रु की भूमि के अड्डों को नष्ट करने वाले प्रक्षेपणास्त्र (Ground to Ground Missiles) प्रदान किये जायें। फिर भी उन्हें अमेरिकन सहायता से कुछ सन्तोष अवश्य हुआ। अरब राज्यों ने वासिगटन की इस सहायता की बर्मेनीपूर्ण कार्यवाही की मजा दी।

जोर्डन नदी के पानी के विवाद ने भी अरब इजरायल बलहू को काफी बढ़ाया। इजरायल और जोर्डन राज्यों की सीमा का निर्माण करने वाली

और सीरिया, लेबनान, इजरायल तथा जोर्डन के चार राज्यों में से होकर बहने वाली इस नदी के पानी के उपयोग के बारे में सहमति बढ़ाने पर ऐरिफ जा-सटन की योजना के अनुसार यह निश्चय किया गया कि इसके जल का ६७ प्रतिशत भाग अरब राज्य और ३३ प्रतिशत भाग इजरायल अपने उपयोग में लाये। इजरायल न अपने जल का उपयोग करने के लिये योजना आरम्भ कर दी। इससे अरब राष्ट्रों को यह चिन्ता हुई कि इजरायल अपने नगेव व मरुस्थल को हरा भरा बना कर अपने को समृद्ध बना लेगा और अपनी जनसंख्या में वृद्धि करके अपने को शक्तिशाली बनाने में समर्थ होगा तथा अपने राज्य विस्तार के द्वारा अरब राष्ट्रों को हानि पहुँचायेगा। चूंकि अरब राष्ट्र इस स्थिति को सहन करने की मानसिक अवस्था में नहीं थे, वत १३ अरब राज्यों ने जनवरी १९६४ में काहिरा में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें मुख्यतः तीन विषयों पर विचार हुआ— (१) जोर्डन नदी व पानी की समस्या, (२) अरब राज्यों की संयुक्त सेना का निर्माण, एवं (३) सब अरब राष्ट्रों द्वारा मिनेकर इजरायल को नष्ट करना।

काहिरा के इस शिखर सम्मेलन में स्पष्ट हुआ कि अरब राष्ट्रों में विभिन्न विषयों पर प्रबल मतभेद विद्यमान थे। प्रमुख राष्ट्र—ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिश्र (संयुक्त अरब गणराज्य), सीरिया, लेबनान, जोर्डन, मजदी अरब, यमन, कुवैत, ईराक और मूडान-जिशी भी प्रश्न पर सहमत नहीं थे। इजरायल के विरुद्ध अथवा विराध के विषय में भी सब राष्ट्रों में सहमति नहीं थी। ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया को इस प्रश्न से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ट्यूनीशिया ने तो बाद में अप्रैल १९६५ में यह घोषणा भी की कि अरब राष्ट्रों को इजरायल के साथ समझौता कर सेना चाड़िय, क्योंकि ठमे समाप्त नहीं किया जा सकता।

परन्तु अरब राष्ट्रों में मतभेद के बावजूद इजरायल के प्रति विरोध की भावना की ही विजय होती रही और एक नये अरब-इजरायल संधि की भूमिका बनती गई।

अरब इजरायल संधि, जून १९६७ एच वाव की घटनायें

इजरायल और अरब राष्ट्रों द्वारा परस्पर आरोप प्रत्यारोप लगाये जाते रहे हैं। विशेषतः संयुक्त अरब गणराज्य और सीरिया के साथ सम्बन्ध अधिनाधिक बिगड़ते गये। दोनों पक्षों में सैनिक तैयारियों की होड़ लग गई। मार्च १९६७ के प्रथम मज्जाह में निवेरियास झील के किनारे हुई एक घटना के फलस्वरूप सीरिया और इजरायल में खतरेस्त सैनिक भट्ठे हो गई। ७ मार्च को हवाई युद्ध भी हुआ और टैंक तथा भारी तोपखाने का

इस्तेमाल किया गया। सीरिया और इजरायल की सैनिक-मुठभेड़ों ने सब अरब राष्ट्रों में एक बार फिर इजरायल विरोधी जाग भयंकर रूप से प्रज्वलित कर दी। समुन्नत अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासिर ने इजरायल को स्पष्ट चेतावनी दी कि सीरिया पर आक्रमण करने का परिणाम इजरायल का विनाश होगा।

राष्ट्रपति नासिर ने १५ मई को अपनी सशस्त्र सेनाओं को चौकस रहने का आदेश दे दिया। १८ मई को यह मांग भी कर दी गई कि समुन्नत राष्ट्र मध्य की शान्ति रक्षा सेनायें अरब गणराज्य की सीमा से हट जाए ताकि इजरायल द्वारा आक्रमण हो पर नयुक्त अरब गणराज्य की सेनायें सीरिया की सहायता के लिए बेरोकटोक लागे वढ सकें। नासिर की हठ मांग के सामने महासचिव ऊषाण्ट के सामने सेनाओं को हटाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। फिर भी ऊषाण्ट ने चेतावनी भरे शब्दों में बतला दिया कि "सेनाओं को वहाँ से हटाने का मतलब स्पष्ट रूप से यह होगा कि नयुक्त अरब गणराज्य और इजरायल की सेनायें एक दूसरे के आमने-सामने हो जाएगी तथा आज तक जो पवित्र दोनों के बीच शान्ति बनाये हुए थी, वह हट जाएगी। मुझे इस बात का दुःख है मगर इसके सिवा मेर पास कोई चारा नहीं।" लगभग इसी समय नयुक्त अरब गणराज्य और इजरायल ने अपने-अपने रिजर्व सैनिकों को दृष्टी पर वापस आने का आदेश दे दिया और दोनों देशों की १४६ मील लम्बी सीमा पर सैनिक सैन्य हो गये। अरब लीग परिषद ने भी घोषणा कर दी कि किसी भी अरब देश पर इजरायल के आक्रमण को सभी अरब देशों पर आक्रमण समझा जाएगा।

स्थिति को विस्फोटक होने से बचाने के लिए महा सचिव ऊषाण्ट स्वयं बाहिरा गये। इस अवसर पर इजरायल द्वारा घोषणा की गई कि यदि समुन्नत अरब गणराज्य सीमा से अपनी फौजें हटा देगा तो इजरायल भी अपनी फौजों को हटा लेने को तैयार है। ऊषाण्ट के प्रयत्नों की कोई सफलता नहीं मिली। २३ मई को स्थिति तब और भी गम्भीर हो गई जब समुन्नत अरब गणराज्य द्वारा अन्दरूनी की खाड़ी की नारकेबन्दी को घोषणा पर रोक दी गई। इस नारकेबन्दी का अर्थ था इजरायल की रक्त प्रवाहिनी नाडियों को काट देना। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि इजरायली या इजरायल के मित्र देशों के जहाज इजरायली बन्दरगाह ऐलात पर न पहुँच जायें। इजरायल और पश्चिमी राष्ट्रों ने इस कदम को नाजायज बताने हुए कहा कि अरबा की खाड़ी एक अन्तर्राष्ट्रीय जल मार्ग है जिसकी नारकेबन्दी नहीं की जा सकती। इजरायल ने चुनौती दी कि उसे अरबा की खाड़ी से आने-जाने में

कोई शक्ति नहीं रोक सकती। इजरायली प्रधानमन्त्री ने कहा कि संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा जहाजरानी में बाधा पहुँचाने की इस कार्यवाही को उनका राष्ट्र आक्रामक कार्यवाही मानता है।

इसके बाद ही दोनों पक्षों में छोटी-मोटी सैनिक मुठभेडे होने लगे। २६ मई को सुरक्षा परिषद ने सङ्घट पर विचार किया किन्तु कोई फल न निकला। इस समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के युद्ध पोतों ने भी भूमध्य सागर में पहुँच कर मोर्चे सम्हाल लिये। इस तरह पश्चिम एशिया के इस सङ्घट ने दो महाशक्तियों के टकराने की स्थिति पैदा कर दी। २ जून को इजरायली और सीरियाई सैनिकों में मुठभेड हुई। ४ जून को काहिरा के समाचार पत्रों ने शक्ति परीक्षण को निश्चित बताया। मिश्री सेनाओं को तैयार रहने के आदेश दे दिये गये। अरब इजरायल के नये रक्षा मन्त्री मोसी डायान ने घोषणा की कि उनका राष्ट्र अरबों से अकेले ही सभ्य करेगा।

आखिर सोमवार, ५ जून, १९६७ को अकस्मात ही युद्ध ज्वालामुखी फूट पड़ा। आक्रमण का पहला इजरायल ने की। भारतीय समय के अनुसार लगभग ११।। बजे संयुक्त अरब गणराज्य की राजधानी काहिरा पर हवाई हमले हुए। हवाई बडडों पर एक साथ इतने व्यापक हमले पर बमबारा का गई कि संयुक्त अरब गणराज्य के अधिकारी विमान एक ही चपट में नष्ट हो गये। संयुक्त अरब गणराज्य की अबीरुष्ट बायु शक्ति ने इजरायल की राजधानी तेलअबीव और अन्य स्थानों पर जवाबदा हमले किये। संयुक्त अरब गणराज्य और इजरायल की सीमा पर गाजा पट्टी से लेकर दक्षिण इजरायल के नये क्षेत्र तक, जबर्दस्त युद्ध छिड गया। घीघ्र ही इजरायल से लगती हुई जोर्डन और सीरिया की सम्पूर्ण सीमा भी मडक उठी। अकेले ही इजरायल ने समस्त मोर्चों पर अरबों की संयुक्त शक्ति पर कहर ढा दिया।

पश्चिम एशिया का यह युद्ध इजरायल की निर्णायक विजय के साथ केवल ६ दिन में ही समाप्त हो गया। ७ जून को इजरायल ने अकाबा की खाड़ी पर स्थित अमअलमोल पर कब्जा कर लिया और बतलहम तथा जेरिकी में भी उसकी सेनायें पहुँच गईं। ८ जून तक इजरायली सेनायें सिनाई प्राय द्वीप को पार करते हुए स्वेज नहर के पूर्वी कोने पर जा पहुँची। इसी बीच ७ जून को सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पेश कर माग की कि युद्धरत सभी देश रात के ८ बजे से (घीनदिवस समय) युद्ध बन्द कर दें। परिषद का यह आदेशात्मक प्रस्ताव था। चू कि संयुक्त अरब गणराज्य का पूरा पलायन हो

गया था और युद्ध जारी रखने पर उसका पूर्ण विनाश सम्भव था, अतः उसने तुरन्त ही युद्ध विराम की मांग स्वीकार कर ली। ८ जून को इजरायल और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच युद्ध बन्द हो गया। यद्यपि सीरिया ने भी अपनी ओर से युद्ध बन्द करने की घोषणा कर दी किन्तु ६ जून को इजरायल ने स्वेज नहर के किनारे और इजरायल सीरिया सीमावर्ती पहाड़ों में भी युद्ध जारी रखा। इजरायल कुछ महत्वपूर्ण सामरिक स्थानों पर कब्जा कर लेना चाहता था। ९-१० जून को सुरक्षा परिषद ने पुनः एक प्रस्ताव पास करके यह आदेश दिया कि इजरायल और सीरिया दो घंटे में युद्ध बन्द कर दें। चूंकि इजरायल का सामरिक उद्देश्य पूरा हो चुका था और सीरिया की सामरिक क्षमता समाप्त हो चुकी थी, अतः १० जून को दोनों पक्षों में पूर्णतया लड़ाई बन्द हो गई।

इजरायल के हाथों पराजय की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासिर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अरब जनता की आबाज पर उन्हें यह इस्तीफा वापस लेना पड़ा। अरब जनता को विश्वास था कि नासिर के सिवाय अन्य कोई व्यक्ति उनका नेतृत्व नहीं कर सकता है और अरब राज्यों की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त करने की क्षमता नासिर में ही है। नासिर ने अमेरिका और ब्रिटेन पर आरोप लगाया कि उनके विमानों ने इजरायल को प्रतीत सहानुभूति की थी और युद्ध में भाग लिया था। यद्यपि अमेरिका और ब्रिटेन ने इस आरोप का खण्डन किया, किन्तु अरब राज्यों ने दोनों राष्ट्रों से अपने कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लिये और यह आदेश दिये कि सभी अमेरिकी और ब्रिटिश नागरिक अपने देश लौट जाएं।

करिया जा चुका है) रखी गई किन्तु यह योजना इजरायल और उसके सम-
घेक देशों को मान्य नहीं हुई। ८ अक्टूबर, १९६८ को इजरायल ने सैक्टो के
हल के लिये एक नौ-सूत्री कार्यक्रम पेश किया जिसे सयुक्त अरब गणराज्य ने
तत्काल ठुकरा दिया।

सयुक्त राष्ट्र सभ की शांति रक्षा सेना होने पर भी दोनों पक्षों में सैनिक
सहप होती रही। २८ दिसम्बर, १९६८ को बेरुत हवाई अड्डे पर इजरायली
वायु आनमण हुआ जिसकी विश्व भर में आलोचना की गई। १ जनवरी,
१९६९ को सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव पेश करके इजरायल को गम्भीर
चेतावनी भी दी। फरवरी मार्च १९६९ में अरब इजरायल छापामारों के बीच
अनेक छोटी-मोटी झड़पें हुईं। २४ फरवरी को इजरायल ने सीरिया के कुछ
नगरों पर बम गिराये। ८ मार्च को स्वेज नहर के पास सयुक्त अरब गण-
राज्य के तेल कारखानों पर इजरायल की गोलाबारी हुई। मार्च में ही
जोर्डन के साथ भी इजरायल की झड़पें हुईं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर छोटे
मोटे आक्रमण प्रत्याक्रमण करते रहें। ३ अप्रैल, १९६९ को पश्चिमी एशिया
के सैक्ट पर विचार विमर्श के लिये न्यूयॉर्क में चार बड़े राष्ट्रों का सम्मेलन
हुआ। लेकिन इजरायल ने इस सम्मेलन का विरोध किया। १२ मई, १९६९
को इजरायली प्रधान मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि पश्चिम एशिया
की समस्या को हल करने के लिये चार बड़े राष्ट्रों को भी प्रस्ताव रखेंगे जिन
पर इजरायल दिवार विमर्श तक करने को तैयार नहीं है। इजरायल का
बहना था कि पश्चिमी एशिया से बाहर के राष्ट्र पश्चिम एशिया सैक्ट का
फैसला न करें। अरब राष्ट्रों और इजरायल के बीच आज भी पूरा तनाव
बना हुआ है और कोई नहीं कह सकता कि पुन कब विस्कट हो जाए।
इजरायल की शर्तें अरब राष्ट्रों को मान्य नहीं हैं और अरब राष्ट्रों की शर्तें
इजरायल को स्वीकार नहीं हैं। इजरायल चाहता है कि—

- (i) अरब राष्ट्र इजरायल को राजनयिक मान्यता दे।
- (ii) स्वेज नहर और अनाबा की खाड़ी में इजरायल को उसी तरह
जहाजरानी के अधिकार मिलें जैसे हमारे देशों को प्राप्त हैं।
- (iii) जेरूसलम इजरायल के कब्जे में रहे।
- (iv) जोर्डन नदी के पश्चिम की तरफ का इलाका किन्सलीनी
विस्थापितों के लिये अलग कर दिया जाए।
- (v) सीरियाई सीमान्त का वह पहाड़ी इलाका जहा से सीरियाई
सैनिक उत्पात करते रहते हैं, इजरायल के ही कब्जे में रहे।

(vi) इजरायल से खेड़-छाड़ न करने का आश्वासन दिया जाए।

स्पष्ट है कि इजरायल की माँगें महज सीदेवाजी की हैं जो अरब राष्ट्रों को मान्य नहीं हो सकती। राष्ट्रपति नासिर झुकने की तैयार नहीं हैं। उन्होंने घोषणा की है कि—

- (i) वे एक इंच अरब भूमि भी हाथ से नहीं जाने देंगे,
- (ii) अपनी प्रमुखता में नूई की तोक के बराबर बसी नहीं आने देंगे, और
- (iii) इजरायल को युद्ध द्वारा हथियार्ह गई जमीन का फायदा नहीं उठाने देंगे।

फिर भी राष्ट्रपति नासिर का खत है “यदि पश्चिम एशिया की समस्या का मानवीय ढंग से समाधान हो जाए तो मैं और अरब गणराज्य के लोग इजरायल की हकीकत को स्वीकार कर लेंगे।” अरब इजरायल संघर्ष में भारत की सहानुभूति अरब राष्ट्रों के, विशेषकर मशुक्त अरब गणराज्य के साथ है। ऐसा क्यों है—इसका विद्वेषण भारत की विदेश नीति के सदर्भ में किया जा चुका है।

EXERCISES

Chapters 1 & 2

1. What do you understand by Internationalism? Also write the importance and history of internationalism.

अन्तर्राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं? अन्तर्राष्ट्रीयता का महत्व और इतिहास भी लिखिये।

2. Discuss the present nature and scope of the study of International relations.

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की आधुनिक प्रकृति और क्षेत्र के अध्ययन की विवेचना कीजिये।

3. "Various types of groups—nations, states, governments, peoples regions, alliances, confidence, international organisations, even individual organisations, cultural organisations, religious organisations—must be dealt with in the study of international relations." (Quincy wright). Discuss.

"विभिन्न प्रकार के समूह—राष्ट्र, राज्य, सरकार, जनता, प्रदेश, मंत्री, गोपनीयता, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, यहाँ तक कि व्यक्तिगत संगठन, सांस्कृतिक संगठन, धार्मिक संगठन—अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन के अन्तर्गत अवश्य सम्मिलित होने चाहिये।" विवेचना कीजिये।

4. What is theory of International politics? What are relations between International politics and International Relations?

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धान्त क्या है? अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में क्या सम्बन्ध है?

5. Discuss the role of ideology in international politics.

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धान्तों के महत्व का वर्णन कीजिए।

6. Examine the legal and organisational approaches to the study of International Politics. How far do you consider them satisfactory?

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिये वैधानिक तथा संस्थागत दृष्टिकोणों का परीक्षण कीजिये। आपके विचार में ये कदा तक संतोषजनक हैं?

7. On what grounds can you criticise the realistic theory of International Politics.

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धान्त की किन आधारों पर आलोचना की जा सकती है।

8. To what extent is International Politics a Science.

किस सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान है ?

9. Briefly survey the significant current developments in International sphere in modern world.

आधुनिक विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आधुनिक महत्वपूर्ण विकासों का संक्षिप्त सर्वेक्षण कीजिए।

10. What do you understand by the term State System? Mention its essential features.

राज्य व्यवस्था शब्द से आप क्या समझते हैं ? इसके आवश्यक लक्षण बताइये।

11. Enumerate differences among States and classify states on the basis of power.

राज्यों के अन्तर की परिमणना कीजिये और राज्यों का शक्ति के आधार पर वर्गीकरण कीजिये।

12. What factors have played an important part in the growth of the Western States System?

पश्चिमी राज्य-व्यवस्था के विकास में किन कारकों का प्रमुख योग रहा है ?

13. Give a brief history of the rise of Western State System in modern world.

आधुनिक विश्व के पश्चिमी राज्य व्यवस्था के उदय का संक्षिप्त इतिहास दीजिए।

14. What do you understand by the term nationalism? What are its various forms according to Hayes and Quincy Wright?

राष्ट्रवाद शब्द से आप क्या समझते हैं ? हेन, क्वीन्सी राइट के अनुसार इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं ?

15. Give a brief history of the origin of various types of nationalism in the different centuries.

विभिन्न शताब्दियों में राष्ट्रवाद के विभिन्न प्रकारों की उत्पत्ति का संक्षिप्त इतिहास दीजिये।

- 16 What are the instruments and symbols of Nationalism ?
राष्ट्रवाद के साधन और प्रतीक क्या हैं ?
- 17 Discuss the dangers of Nationalism in modern world
आधुनिक विश्व में राष्ट्रवाद के खतरे की विवेचना कीजिये ?
- 18 What do you understand by sovereignty ? Can sovereignty be divided or limited ? What are your views about the source of sovereignty ?
सम्प्रभुता में आप क्या समझते हैं ? क्या सम्प्रभुता विभाज्य अथवा सीमित हो सकती है ? सम्प्रभुता के स्रोत के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ?
- 19 Explain the Soviet views on Sovereignty Should the concept of sovereignty be discarded ?
सम्प्रभुता पर रूस के विचारों का वर्णन कीजिये । क्या सम्प्रभुता के विचार पृथक् पृथक् होने चाहिए ?
- 20 What do you understand by the Community of States ? Why do international conflicts and differences arise ? What are the various international political processes to solve them ?
राज्य समाज से क्या अभिप्राय है ? अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े और मतभेद क्यों खड़े होते हैं ? इन्हें निपटाने के लिये क्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक विधियाँ हैं ?
- 21 What do you understand by the following terms used in International Politics or relations—
(a) Nation and Nation State (b) Nationality (c) National self determination
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति या सम्बन्धों में निम्न प्रयुक्त शब्दों से आप क्या समझते हैं ?
(क) राज्य और राष्ट्रिय राज्य (ख) राष्ट्रियता (ग) राष्ट्रिय आत्मनिर्धारण ।
- 22 Indicate the major trends in the sphere of nationalist in the last two decades
अन्तिम दो दशकों में राष्ट्रवाद के क्षेत्र में प्रमुख झुकावों का वर्णन कीजिये ।

Chapters 3, 4, 5, & 6 -

- 1 Define National Power and discuss the various forms of it

राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा कीजिये तथा उसके विभिन्न स्वरूपों की विवेचना कीजिये ।

2. International Politics is a struggle for Power Explain

अन्तरराष्ट्रीय राजनीति एक प्रकार से शक्ति के लिए संघर्ष है । इसे स्पष्ट कीजिए ।

3. "Power in a political context means, the power of man over the minds and actions of other man" (Morgenthau). Discuss

राजनीतिक गदर्भ में शक्ति का अर्थ है, मनुष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्यों व मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर हो । विवेचना कीजिये ।

4. Discuss the basic elements of national power On the basis of these elements, give an estimate of the power of either France or the U S S R

राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों की व्याख्या कीजिये । इन तत्वों के आधार पर फ्रांस अथवा सोवियत संघ की शक्ति का मूल्यांकन कीजिये ।

5. Examine the elements or ingredients of natural power, with particular attention to those factors which make for the ultimate form of power : i.e military power

शक्ति के अन्तिम स्वरूप जैसे सैनिक शक्ति पर विशेष ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय शक्ति के तत्व या संपादानों की परीक्षा कीजिये ।

6. "If, however, it is utopian to ignore the element of power, it is an unreal kind of realism which ignores the element of morality in any world order" (E H Carr). Comment

7. What are the principal elements of national power ? Has the importance of geography declined in recent years ?

राष्ट्रीय शक्ति के मुख्य तत्व क्या हैं । क्या हाल ही के वर्षों में भूगोल का महत्व घट गया है ?

8. Discuss the basic elements of national power On the basis of these elements give an estimate of the power of either France or the U S S R

राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों की व्याख्या कीजिए । इन तत्वों के आधार पर फ्रांस अथवा सोवियत संघ की शक्ति का मूल्यांकन कीजिए ।

- 9 Explain the importance of economic factors in the formulation of national policy and in international politics.

राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक कारणों का महत्व समझाइये ।

- 10 Why states are so much concerned with power and why the cultivation of national power is a corollary to the national state system

राज्य शक्ति से बहुत अधिक सम्बन्धित क्यों हैं और क्यों राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि का परिणाम राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था है ।

- 11 Comment on the 'Realist' and 'Idealist' views about power politics

शक्ति की राजनीति पर यथापवादों और आदर्शवादी दृष्टिकोण की विवेचना कीजिये ।

- 12 "Physical geography is one of the more constant conditioning factors in world politics and effects the power, the needs, goals and policies that follow in pursuing their respective interests" (Padelford and Lincoln) Discuss

भौतिक भूगोल विश्व राजनीति को अधिक निरन्तर रूप से प्रभावित करने वाला तत्व है । यह उन आवश्यकताओं, लक्ष्यों नीतियों एवं शक्ति को प्रभावित करता है जिनको राज्य अपने हितों की दृष्टि से अपनाते हैं ।

- 13 'It would, of course, not be correct to say that the larger the population of a country the greater will be power of that country' (Morgenthau) Comment

यह कहना सही न होगा कि एक देश की जनसंख्या ज्यादा है अतः उस देश की शक्ति भी अधिक होगी । विवेचना कीजिये ।

- 14 'The rapid spread of modern technology will bring power to population now comparatively important' (Frank W. Notestein)

"Although quantity of population is important in war and peace, quality is even more desirable" (Schleicher)
In light of the above statements discuss 'Population' as an element of national power

15. Describe the effect on International Politics of the following elements of Geography—(a) Location and Climate (b) The Factor of Position, (c) Land Form, (d) Size of the State, (e) Raw Materials and (f) Boundaries

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर निम्नलिखित भौगोलिक तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है—(क) स्थिति तथा जलवायु, (ख) राज्य की स्थिति का तत्व, (ग) भूमि का रूप, (घ) राज्य का आकार, (ङ) कच्चे माल की उपलब्धता तथा (च) सीमाएँ।

16. How does the population of a state affect International Politics? Illustrate your answer by suitable examples from the countries of the World.

किसी देश की जनसंख्या विश्व राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है? अपने उत्तर के पक्ष में विभिन्न राष्ट्रों की जनसंख्या का उदाहरण देते हुए स्पष्टीकरण कीजिये।

17. Describe the economic needs of nations. How do they create international dependency and rivalry? Discuss.

राष्ट्रों की आर्थिक आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिये। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय पराधीनता तथा प्रतिद्वन्द्विता पर कैसे प्रभाव डाला है? समीक्षा कीजिये।

18. What do you mean by Ideology? What is its place in politics? What part does it in the International Relation.

विचारधारा से आप क्या अर्थ निकालते हैं? उसका स्थान राजनीति में क्या है? अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में वह क्या करती है?

19. How much does the moral factor work in International Politics?

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता को मापना क्या तक कार्य करती है?

20. "Really speaking war occurs in the minds of men and not between the armies. Hence to establish permanent peace, it is the minds where peace much prevail." Discuss the statement critically.

“यदि सत्य पक्ष बहा जाय तो यह ठीक लगता है कि युद्ध नेताओं के मध्य नहीं हुआ बल्कि उसके बीच मानव मस्तिष्क में पैदा होते हैं। अतः स्याई शान्ति के लिये, मानव मस्तिष्कों में शान्ति फैलाई जाये।” इस कथन की आलोचनात्मक धारणा कीजिये।

21. Discuss 'Technology' as an element of national power.
राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व के रूप में 'तकनीकी' की विवेचना कीजिये।
22. Comment on the nature and influence of 'Technology' as an element of national power.
राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में 'तकनीकी' की प्रकृति और उसके प्रभाव की समीक्षा कीजिये।
23. "Ideologies, like all ideas, are weapons that may raise the national morale and with it, the power of one nation and in the very act of doing so, may lower the morale of the opponent (Hans J Morgenthau.) Comment.
'विचारधाराएँ समस्त विचारों की भाँति ऐसे हथियार होते हैं जो राष्ट्रीय मारल को उठा सकते हैं और इनके साथ ही एक राष्ट्र को नग्न बना देते हैं। ऐसा करने व अरब विरोधी के मारल को नीचा कर सकते हैं।' समीक्षा कीजिये।
24. "In short, Communist theory is truly international, on a class basis, whatever concessions it may make to nationalism are wholly strategic and temporary" (Schlicher) Discuss
“संक्षेप में साम्यवाद विचारधारा सत्य रूप में अन्तर्राष्ट्रीयवादी है, जिसका आधार वर्गवाद है। राष्ट्रवाद के लिए यह जो भी छूट प्रदान करती है वह अस्थायी है तथा इसी राजनीति है।” विवेचना कीजिए।
25. "Moral is a thing of the spirit, made up of loyalty, courage, faith the impulse to the preservation of personality and dignity, sentiment for the known, fear and dislike of the unknown & self-interest" (Palmer & Perkins)
“Morale is composed of a few constants and many variables” (Palmer & Perkins).
In light of these statements discuss 'Morale' as an element of national power.

“मनोवक आत्मा को एक बीज है जो स्वामिभक्ति, साहस तथा विद्वान् से मिल कर बनती है, यह व्यक्तित्व एवं सम्मान की रक्षा की लालसा है, जात के प्रति 'भावना' है तथा अज्ञात के प्रति भय एवं अहंति। यह आ मन्वाय है।”

राष्ट्रीय मनोवक (National Morale) कुछ निश्चित तथा बनेक अनिश्चित तत्वों का उल्लेखपूर्ण समवाय है।

— इन कथनों के प्रकाश में “राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व के रूप में मनोवक” की विवेचना कीजिये।

26 “ the quality of military leadership has always exerted a decisive influence upon national power ” (Morgenthau) Do you agree with this statement ?

“सैनिक नेतृत्व के गुण न राष्ट्रीय शक्ति पर सदा ही निर्णायक प्रभाव डालते हैं।” क्या आप इस कथन में सहमत हैं ?

27. “Diplomacy of high quality will bring the ends and means of foreign policy into harmony with the available resources of national power ” (Morgenthau) Comment.

“उच्च दर्जे की कूटनीति विदेश नीति व साध्य और साधनों को उपलब्ध राष्ट्रीय शक्ति के स्रोतों के साथ एकत्र करती है।” विवेचना कीजिये।

Chapters 7 & 8

1 ‘All the instruments and techniques of international intercourse have some application both in friendly and in hostile relations, in peace and in war, even though some are pronouncedly more persuasive whilst others are coercive’ (Joseph Frankel). Discuss

अन्तर्राष्ट्रीय पारस्परिक व्यवहार के सभी साधन एवं तकनीकें मैत्रीपूर्ण तथा शत्रुतापूर्ण, सम्बन्धों में, शान्ति एवं युद्ध दोनों ही कालों में प्रयुक्त की जा सकती हैं। यद्यपि इतना आवश्यक है कि इनमें से कुछ की प्रवृत्ति अधिक समझाने बुझाने की है जबकि अन्य दबावकारी हैं। विवेचना कीजिये।

2 What is the meaning of national interest ? Define it in terms of national power

राष्ट्रीय हित का अर्थ क्या है ? राष्ट्रीय शक्ति के रूप में इसे परिभाषित कीजिये।

3. "The concept of the national interest, then contains two elements one that is logically required and in that sense necessary and one that is variable and determined by circumstances" (Morgenthau)

Elucidate

"राष्ट्रीय हित में प्रायः दो तत्व निहित होते हैं। एक तो यह है कि यह तार्किक रूप में बाध्यकारी है और इस प्रकार आवश्यक भी। दूसरे, यह अस्थिर है तथा परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होता है।" व्याख्या कीजिये।

4. What is diplomate ? Explain the qualities and specialities of diplomate with reference to his duties

राजनयज्ञ किसे कहते हैं ? उनके कार्यों का सेक्षा जोक्षा प्रस्तुत करते हुए एक सफल राजनयज्ञ के गुणों तथा विशेषताओं को विवेचना कीजिये।

- 5 Write development of diplomacy and explain the forms of recent diplomacy

राजनयिक सिद्धान्त के विकास पर सम्यक् विचार कीजिये तथा आधुनिक राजनय के स्वरूप का स्पष्ट विवेचन प्रस्तुत कीजिये।

- 6 'Diplomacy in the popular sense means the employment of tact, shrewdness, and skill in any negotiation or transaction. In the more special sense used in international relations it is the art of negotiation, in order to achieve the maximum of group objectives with minimum of costs, within a system of politics in which it is a possibility' (Quincy Wright)

'Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official, relations between the governments of independent states (Ernest Satow)

"Diplomacy, used in relation to international politics, is the art of forwarding one's interests in relation to other countries" (K M Panikkar) Elucidate the above statements.

“लोकप्रिय रूप में कूटनीति का अर्थ है किसी सौदे में या लेन-देन में चातुरी, धोखेबाजी तथा कुशलता का प्रयोग। अपने विशेष अर्थ में जिसमें कि यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रयुक्त की जाती है यह सौदेबाजी की वह कला है जो राजनीति की उस व्यवस्था में कम मूल्य में अधिक से अधिक सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति करती है जिसमें कि युद्ध एक सम्भावना है।”

“कूटनीति” स्वतन्त्र राष्ट्रों के पारस्परिक राजकीय सम्बन्धों के संचालन में बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग करने की कला कहा जाता है।

“अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयुक्त ‘कूटनीति’ अपने हितों को दूसरे देशों से अग्रिम रखने की एक कला है।”

उपयुक्त कथनों की व्याख्या कीजिये।

- 7 “A diplomat's words must have no relation to action otherwise what kind of diplomacy is it? Words are one thing, actions another. Good words are a mask for the concealment of bad needs. Sincere diplomacy is no more possible than dry water or wooden iron.” (Joseph Stalin).

“Diplomacy by trickery seldom helps a country to achieve its objects.” (K. M. Panikkar).

In light of these statements discuss the nature of diplomatic functions.

“एक कूटनीतज्ञ के शब्दों का उसके वाक्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये वरना यह कूटनीति ही कैसी? कथनों एक चीज है और करनी दूसरी। अच्छे शब्द बुरे कार्यों को छुपाने में ढाल का काम करते हैं। एक निष्कपट कूटनीति उसी तरह असम्भव है जितना कि ‘सूखा पानी’ या ‘नरम लोहा’।”

“बालबाजी पूर्ण कूटनीति एक देश की उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत कम सहायता कर पाती है।”

इस कथनों के प्रकाश में कूटनीतिक कार्यों के स्वरूप की विवेचना कीजिये।

8. Describe functions and kinds of diplomacy.

कूटनीति के कार्यों और प्रकारों का वर्णन कीजिये।

9. Define Propaganda and explain the methods and techniques of it.

प्रचार शब्द की व्याख्या कीजिये तथा इसकी पद्धति तथा प्रक्रिया का वर्णन कीजिये।

10. What do you understand by Political Warfare? Discuss its devices and role during First World War and Second World War and in post war period

राजनीतिक युद्ध से आप क्या समझते हैं? प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और इसके पूर्व के युद्धों में इसके कार्य और साधनों की विवेचना कीजिये।

11. What do you understand by economic instruments of National Policy. Distinguish between Economic weapons and weapons of economic warfare

राष्ट्रीय नीति के आर्थिक शस्त्रों से आप क्या समझते हैं? आर्थिक शस्त्र और युद्ध के आर्थिक शस्त्र में अन्तर कीजिये।

12. Explain the importance of economic factors in the formulation of national policy and in international politics.

राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक कारकों के महत्व को समझाइये।

13. What is Imperialism and discuss its relation with nationalism.

साम्राज्यवाद क्या है और राष्ट्रवाद से इसके सम्बन्धों की विवेचना कीजिये।

14. Explain briefly the various economic instruments of National Policy

राष्ट्रीय नीति के विभिन्न आर्थिक साधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये।

15. What is colonialism? Explain difference between colonialism and Imperialism

उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अन्तर बतलाइये।

16. What do you understand by Imperialism ? How is it related to colonialism ? Give the motives of Imperialism and colonialism.
- ✓ **बाप साम्राज्यवाद से क्या समझते हैं ? इसका सम्बन्ध उपनिवेशवाद से क्या है ? साम्राज्यवाद तथा उपनिवेश के पीछे कौनसी भावनाएँ छिपी रहती हैं ? स्पष्ट कीजिये ।**
17. (a) What is war ? What do you understand by the costs of war ?
 (b) Explain briefly the functions of war giving illustrations from communist countries
 (क) युद्ध क्या है ? युद्ध लागत से बाप क्या समझते हैं ?
 (ख) युद्ध के कार्यों का साम्यवादी और पूंजीवादी देशों का उदाहरण देकर संक्षिप्त में वर्णन कीजिये ।
18. Discuss the various approaches to the study of war and mention briefly the causes of war.
 युद्ध के अध्ययन के विभिन्न तरीकों का विश्लेषण कीजिये तथा युद्ध के कारणों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिये ।
19. (a) Discuss Dulles false or inadequate solution to war. Are there any other alternatives to war ?
 (b) Explain the future of war as an instrument of National Policy
 (क) डल्लेस की युद्ध को झूठा अथवा अन्यायपूर्ण हल की विवेचना कीजिये । क्या युद्ध के अन्य विकल्प हैं ?
 (ख) राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध के भविष्य का वर्णन कीजिये ।
20. Describe the characteristics of the modern war. How does it differ from the old war ?
 आधुनिक युद्ध की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए । यह प्राचीन युद्ध से किस प्रकार भिन्नता रखता है ?
21. Describe the Economic aspects of Modern war. Illustrate your answer with reference to the World Wars I & II. What was the part of U. S. A. towards Economic Reconstruction ?

आधुनिक युद्ध के आर्थिक पहलू का उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर में प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्धों का उदाहरण दीजिये। विश्व के पुनर्निर्माण में आर्थिक दृष्टि से स० रा० अमेरिका का क्या योगदान है ?

- 22 What are the Social, Political and Psychological consequences of the two World Wars ? Is the nature of war in the present times changing ? If your answer is in the positive describe the factors contributing to such a change ?

दो विश्वयुद्धों के सामाजिक राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक परिणाम क्या हुए ? क्या आजकल के युद्ध की प्रकृति बदल रही है ? यदि आपका उत्तर इसके पक्ष में है, तो इस परिवर्तन के पीछे कौन कौन से तात्व हैं ?

Chapters 9 & 10

- 1 What are the various meanings of Balance of Power

शक्ति सन्तुलन के क्या क्या विभिन्न अर्थ हैं ?

- 2 Discuss the nature of the Balance of Power and mention its characteristics

शक्ति सन्तुलन की प्रकृति और इसके चरित्र का वर्णन कीजिए।

- 3 Explain the role of balances and show how polarization of power takes place

सन्तुलन के कार्य का वर्णन कीजिए और बतलाइये कि भ्रूव शक्ति का स्थान कैसे लेते हैं ?

- 4 Explain the devices for maintaining the Balance of Power

शक्ति सन्तुलन को स्थिर करने के साधनों का वर्णन कीजिये ?

- 5 What do we mean by Collective Security and assess the true significant possibilities of collective security in international affairs.

सामूहिक सुरक्षा से हम क्या अर्थ लेते हैं ? अन्तर्राष्ट्रीय कार्य में सामूहिक सुरक्षा की सम्भावना और वास्तविक महत्त्व को निवारित कीजिये।

6. Is collective security a pitfall or bulwark ?
 क्या सामूहिक सुरक्षा एक सिद्धान्त है ?
7. "The logic of collective security is flawless, provided it can be made to work under the conditions prevailing on the international scene." (Morgenthau) Comment on this statement and explain the problems connected with collective security."

"सामूहिक सुरक्षा के तर्क में कोई त्रुटि नहीं है, यदि उसको अन्तर्राष्ट्रीय मंच की वर्तमान परिस्थितियों में कार्यान्वित किया जा सकता है।"
 (मोरगेन्थ्यू)

इस कथन की समीक्षा करते हुए, सामूहिक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर प्रकाश डालिए ।

8. Discuss the relationship of collective security and balance of power with special reference to Concert of Europe, League of Nations and United Nations
 सामूहिक सुरक्षा और शक्ति सतुलन के सम्बन्ध का विशेषकर यूरोप शक्ति, राष्ट्र सभ और सम्पुनर् राष्ट्र सभ के सदर्भ में विवेचना कीजिये ।
9. What are the most promising of all the approaches to peace ? Explain the relationship between collective security and peaceful settlement.
 शान्ति के श्रेष्ठिक दृष्ट मार्ग क्या हैं ? सामूहिक सुरक्षा और शान्ति-पूर्ण हल के सम्बन्ध का वर्णन कीजिये ।
10. "Collective security is in an intermediate position with respect to the criterion of centralization; it refers to a system with a greater degree of managerial centralization than the balance system, but a lesser degree than the world government concept." (Claude). Elucidate.

"यदि केन्द्रीकरण की दृष्टि से देखा जाय तो हम पायेंगे कि सामूहिक सुरक्षा बीच की व्यवस्था है । इसमें शक्ति-सतुलन से अधिक केन्द्रीकरण प्रबन्ध होता है, किन्तु विश्व सरकार की मान्यता से यह कम होता है ।" व्याख्या कीजिये ।

- 11 " the collective security system should be regarded as simply a revised version of the balance system, not as a drastically different system substituted for the latter " (Claude) Elucidate.

“सामूहिक सुरक्षा को शक्ति समुलन का एक परिवर्धित संस्करण मानना चाहिए न कि पूरी तरह से भिन्न और शक्ति समुलन का विकल्प।” इस कथन को समझाइये।

- 12 What is meant by Collective Security and what are its problems ? Is there any alternative to Collective Security ?

सामूहिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है तथा उसकी समस्याएँ क्या हैं ? क्या सामूहिक सुरक्षा का कोई अन्य स्थापनापत्र सम्भव है ?

- 13 Explain in detail the methods for the Pacific Settlement of international disputes with special reference to regional arrangements and the United Nations

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का विशेषकर प्रादेशिक व्यवस्था और मध्यम राष्ट्र संधि के मदमें में शांतिपूर्ण निरादारे को पद्धतियों का विस्तृत वर्णन कीजिये।

- 14 Can Regionalism promote world peace ? Illustrate with reference to NATO and SEATO

क्या क्षेत्रीयवाद विश्व शांति को उत्तम बना सकता है ? नाटो और सीटो के मदमें से बताइये।

- 15 Do you agree that regional agreements for international peace and security are, at best, a 'necessary evil' ?

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय संगठन, एक आवश्यक बुराई है ?

- 16 Define International law Explain various branches Distinguish between international law and municipal law.

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा दीजिये। विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिये। अन्तर्राष्ट्रीय कानून और म्यूनिसिपल कानून में अन्तर बताइये।

17. What are the main sources of international law ?
How International law is enforced ?

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मुख्य स्रोत क्या हैं ? अन्तर्राष्ट्रीय कानून कैसे प्रयुक्त किया जा सकता है ?

18. Write short notes on—

(1) World Government, (2) Disarmament, (3) International Morality, (4) World Public Opinion

निम्न पर टिप्पणी लिखिये—

(१) विश्व सरकार, (२) निशस्त्रीकरण, (३) अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता, (४) विश्व जनमत ।

19. Discuss the attitude of Great Powers towards disarmament since the close of Second World War.

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद नि.शस्त्रीकरण के प्रति महाशक्तियों के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिये ।

20. Discuss the 'progress' of disarmament under the U N. O pointing out specially the basic differences in the points of view of Western Powers and U S. S R.

पारश्चात्य शक्तियों और सोवियत संघ के महाशक्तियों मौलिक मतभेदों को बताते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्त्वावधान में निशस्त्रीकरण की दिशा में की गई 'प्रगति' की विवेचना कीजिये ।

21. Give an account of the attempts made after 1945 to tackle the problem of disarmament.

निशस्त्रीकरण की समस्या के समाधान के लिए १९४५ के बाद किये गये प्रयत्नों का विवरण दीजिए ।

22. Discuss the nature of International law. What is the force behind this law ?

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति की विवेचना कीजिये । इस कानून के पीछे कौनसी शक्ति होती है ?

23. What is the scope of International Law ? Discuss.

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का क्षेत्र क्या है ? विवेचना कीजिये ।

- 24 Describe the present status of International Law. How do the International Court of Justice and U N O. help in strengthening the International law

आधुनिक समय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की हैसियत क्या है ? अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा म० रा० संघ किस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून को शक्ति बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं ?

Chapters 11 to 20

- 1 "The most significant development of the period following world war II has been the emergence of the struggle of the African people for national self-determination" Comment.

“द्वितीय महायुद्धोत्तर युग में सबसे महत्वपूर्ण विकास राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के लिये अफ्रीकन लोगो के संघर्ष का उदय रहा है।” विवेचना कीजिये।

2. Discuss the emergence of independent states in Africa and its effect on international politics.

अफ्रीका में स्वतन्त्र राज्यों के उदय की ममीक्षा कीजिये और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके प्रभाव को बनाइये।

3. What has been the problems of Africa after the Second World War and how are they affecting the international relations

द्वितीय महायुद्ध के बाद अफ्रीका की क्या समस्याएँ रही हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को वे कैसे प्रभावित कर रही हैं।

Write a note on the resurgence of Africa

अफ्रीका के जागरण पर एक नोट लिखिये।

4. Write an essay on the growth and development of the movements towards continental unity in Africa. What do you think about the prospect of such unity ?

अफ्रीका में महाद्वीपीय एकाता के लिये जो विभिन्न आन्दोलन हुए उनके उदय और विकास पर एक निबन्ध लिखिये। इस एकाता के भविष्य के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

5. 'Contemporary international relations are going through a reorganisation in which the old national state and the old state system are being slowly moulded into new political forms. Colonies are gaining independence as empires are breaking up. National States are being merged into great federations' (T. V. Kalijarvi) Discuss

'वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का पुनर्गठन हो रहा है जिसमें नि पहले की राज व्यवस्था एवं राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था धीरे धीरे नवीन राजनीतिक रूपों में बदलती जा रही है। साम्राज्यों का पतन हो रहा है और उपनिवेश स्वतंत्रता प्राप्त करने जा रहे हैं। राष्ट्र राज्य एक बड़े मध्य में विलीन होत जा रहे हैं।' (टी वी कालीजार्वी) विवचना कीजिये।

6. How has the Second World War affected the political development of South East Asia?

द्वितीय महायुद्ध ने दक्षिण पूर्वी एशिया के राजनीतिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया है ?

7. Discuss the importance of South East Asia in International affairs

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्व की विवचना कीजिये।

8. Discuss the Vietnam crisis. Do you think that the Vietnamese crisis can escalate into a world war?

वियतनाम संकट की विवचना कीजिये। क्या आपका ख्याल है कि वियतनाम-संकट विश्व युद्ध के रूप में परिणत हो सकता है ?

9. Discuss the importance of Middle East in the diplomacy of Great Powers during year of 1940-56

१९४० से १९५६ के वर्षों के दौरान महाशक्तियों की दृष्टिकोण से मध्यपूर्व के महत्व की समीक्षा कीजिये।

10. Write a short essay on international politics of the Middle East after World War II.

मध्यपूर्व की द्वितीय महायुद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये।

- 11 How the Zionist problem influenced international politics in the Middle East ?
मध्यपूर्व में यहूदीवाद की समस्या ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस तरह प्रभावित किया है ?
- 12 Give a brief history of Anglo Egyptian relations in the period leading to the Suez Crisis
स्वेज मकट के समय पर आंग्ल-मिस्र सम्बन्धों का संक्षिप्त इतिहास लिखिये ।
- 13 Write a note on Arab Nationalism
अरब राष्ट्रवाद पर एक नोट लिखिये ।
- 14 What do you know of the Palestine problem and its settlement after the Second World War
फिलिस्तीन समस्या और द्वितीय महायुद्ध के बाद इसके समाधान के बारे में आप क्या जानते हैं ?
- 15 Critically examine the foreign policy of the U S A since the termination of Second World War
द्वितीय महायुद्ध की उत्तरकालीन अमेरिकन विदेश नीति का आलोचकान्तात्मक विश्लेषण दीजिए ।
- 16 Sketch briefly the part played by the U S A in International affairs since 1939 What are the international aims of the U S A at present time ?
१९३९ के बाद में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो भूमिका अदा की उसका संक्षेप में चित्रण कीजिये । वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य क्या हैं ?
- 17 Estimate the strength and influence of the imperialist motive in the policy of the United States to day
संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति में साम्राज्यवादी उद्देश्य के प्रभाव और शक्ति का मूल्यांकन कीजिये ।
- 18 What was the Truman Doctrine ? When and under what circumstances was it enunciated ? Would you agree with the view that the Truman Doctrine is the modern version of the Monroe Doctrine ?

द्रुमैव सिद्धान्त क्या था ? कब और किन परिस्थितियों में इसे कार्यान्वित किया गया था ? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि द्रुमैव सिद्धान्त मुनरो सिद्धान्त का आधुनिक रूप है ?

- 19 What do you mean by the Eisenhower Doctrine ? Discuss its workings and the causes of its failure.
 आइज़नहोवर सिद्धान्त से आशय क्या अभिप्राय है ? इसकी कार्य प्रणाली और अयफलता के कारणों का विवेचन कीजिये ।
20. Give a critical sketch of the policy of U S A towards Latin American States since 1945.
 १९४५ के बाद से संयुक्त अमेरिकन राज्यों के प्रति मध्यम राज्य अमेरिका की नीति की समीक्षा कीजिये ।
- 21 "The post war world possessed a number of important characteristics but above all, it was overshadowed by the rivalry of the United States and the Soviet Union " Discuss
 "महायुद्धोत्तर विश्व की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएँ थीं—किन्तु मध्यम राज्य अमेरिका और सोवियत गण की सन्तुष्ट या प्रतिद्वन्द्विता इन सबसे ऊपर गिद्ध हुई ।" प्रतिद्वन्द्विता और विश्व राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिये ।
- 22 Discuss in brief the problem of the reunification of Germany
 जर्मनी का एकीकरण की समस्या का गहन में वर्णन कीजिये ।
- 23 Give a critical sketch of the foreign policy of Russia since 1945
 १९४५ से रूस की विदेश नीति का आलोचनात्मक विवरण दीजिये ।
- 24 In what respects has the foreign policy of the U S S R. modified in recent years ? Give concrete instances to illustrate your answer.
 आधुनिक वर्षों में गाबिया रूस की विदेशी नीति किन रूपों में परिवर्तित हुई या सुधरी है ? उन्पर की पुष्टि में ठोस उदाहरण दीजिये ।
- 25 "Every manifestation of the Soviet policy during the post war period has made it clear that the Soviet Government of Stalin is pursuing precisely the same

aims that were envisaged by Nicholas I and Alexander II, "Do you agree? Give reasons in support of your answer

'युद्धोत्तर काल में सोवियत नीति को प्रत्येक घोषणा का उसके प्रत्येक प्रकाशन से यह स्पष्ट हो गया है कि स्टालिन की सोवियत सरकार उसी उद्देश्यों का अनुसरण कर रही है जो निकोलस प्रथम और अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा अपनाये गये थे।' क्या आप सहमत हैं? अपने पक्ष के समर्थन में कारण दीजिये।

- 26 "He (Stalin) ruled in the autocratic tradition of Peter the Great and westernized the economy of the Soviet Union in the realm of Foreign Policy, he followed in the footsteps of the most expansionist of czars. His successors have sought to maintain his tradition" (Alvin Z. Rubinstein) Discuss.
 "उसने (स्टालिन ने) पीटर महान् की स्वच्छाचारी परम्पराओं में शासन किया और सोवियत संघ की अर्थ व्यवस्था का पश्चान्तीयकरण कर दिया। विदेश नीति के क्षेत्र में उसने मुख्यतः विस्तारवादी जारों के पदचिह्न ही का अनुसरण किया। उसके उत्तराधिकारियों द्वारा उसकी परम्परा को निभाना पड़ेगा।" (अल्विन रबिन्स्टीन) विवेचना कीजिये।
- 27 Give a brief account of the achievements and failures of post Stalin diplomacy of the Soviet Union.
 सोवियत संघ की स्टालिनोत्तर कूटनीति की सफलताओं एवं असफलताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिये।
- 28 Discuss in brief Soviet Union's relations with other Communist countries of the world
 संसार के अन्य साम्यवादी देशों के साथ सोवियत संघ के सम्बन्धों की संक्षिप्त विवेचना कीजिये।
- 29 Do you think that foreign policy of Soviet Union under Khrushchev was fundamentally different from that of his predecessor?
 क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सोवियत संघ की कुर्खचेव के समय की विदेश नीति उसके पूर्ववर्ती नेता (स्टालिन) से मौलिक या आधारभूत रूप से भिन्न थी?
- 30 What do you mean by the term 'peaceful co existence'? Discuss it in the context of the U S S R Diplomacy.

“शांति पूर्ण सह-अस्तित्व” से आपका क्या आशय है ? सोवियत कूटनीति के सदर्भ में इसकी विवेचना कीजिये ।

31. “The conflict between the two monolithic giants of the modern world is the dominant reality of the contemporary world-politics.” Discuss the main causes of the friction between United States of America and Union of Soviet Socialist Republics in the light of the above statement. How can this friction be made up ?

“आधुनिक वाय की दो भीमानाय शक्तियों के मध्य मध्य ही आधुनिक विश्व राजनीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है ।” इस कथन के प्रकाश में मयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य पारस्परिक तनाव के कारणों की विवेचना कीजिये । इस तनाव को कैसे कम किया जा सकता है ?

- 32 Write a short essay on “Rebuilding and Re organization of Western Europe.”

“पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण और पुनर्गठन” पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये ।

- 33 What do you understand by ‘Bipolar System’? Do you agree that the trend is now towards polycentrism ?

द्विध्रुवीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं ? क्या आप सहमत हैं कि अब यह प्रवृत्ति बहुध्रुवाद की ओर है ?

34. What do you know about so called Cold War ? Give its short resume 1946 to 1967.

तणावपूर्ण शीतयुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं ? १९४६ से १९६७ के मध्य के शीत युद्ध की संक्षेप में बताइये ।

35. What are the causes of the so-called ‘Cold War’ ? Indicate main fronts on which it is being fought and the main episodes it has witnessed since 1946.

तणावपूर्ण शीतयुद्ध के क्या कारण हैं ? जिन मुख्य बातों को लेकर यह लड़ा जा रहा है और १९४६ से जिन मुख्य घटनाओं के दर्शन हमने किये हैं—उनका वर्णन कीजिये ।

- 36 ‘The Conflict between two monolithic giants of the modern world is the dominant reality of the contemporary world politics.’ Discuss the principal causes of friction between U. S. A. and the U. S. S. R. and suggest remedies or solution if any.

“आधुनिक विश्व के दो भीमाकाय दानवों के मध्य संघर्ष ही समकालीन विश्व राजनीति की विशेषता है।” संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य विवाद व मतभेदों के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिये और सम्भाव्य हल बताइये।

- 37 Trace the origin and growth of the conflict between the United States of America and the U S S R after the Second World War How far is it proper to explain the conflict in terms of the ideological differences between the two great powers ?

द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो संघर्ष रहा है उसकी उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालिये। यह कहना कहा तक उचित है कि इन दो महान् शक्तियों के मध्य यह संघर्ष सिद्धान्तिक मतभेदों का है ?

- 38 Examine the role of ideological as prime factor in International Relations Illustrate your answer by one or two examples

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सिद्धान्तों की भूमिका की एक प्रमुख पहलू के रूप में परीक्षा कीजिये। एक भयंकर दो उदाहरणों द्वारा अपना उत्तर स्पष्ट कीजिये।

- 39 Give some account of the United Nations Organisation and explain the provisions it has made for the prevention of International conflicts

संयुक्त राष्ट्र संघ का कुछ विवरण दीजिये तथा उन प्रावधानों की व्याख्या कीजिये जो उसने अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों की रोकने के लिए बनाये हैं।

- 40 Examine the strength and weakness of the U N O for the maintainance of International peace

अन्तर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए सं० रा० संघ की शक्ति एवं निरंतरता का वर्णन कीजिये।

41. Write an essay on the working of the U N O as an instrument for the establishment of World Peace.

“विश्व शांति की स्थापना के लिए सं० रा० संध एक साधन के रूप में कार्य करता है।” इस विषय पर एक लेख लिखिये।

42. Describe the mechanism for collective security under the charter of the United Nations and show how it differs from the collective security system under the covenant of the League of Nations.

संयुक्त राष्ट्र संध के चार्टर के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा की क्या व्यवस्था है ? यह भी स्पष्ट करो कि यह सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था राष्ट्र संध के समझौते से कितनी भिन्नता रखती है ?

- 43 Write an essay on the Security Council of the United Nations Organisation with special reference to the "Veto" power available to its permanent members. Would you advocate the abolition of the Veto as a means of making the United Nation more effective.

संयुक्त राष्ट्र संध की सुरक्षा परिषद् पर एक लेख लिखो जिसमें विशेष-तौर पर विटो शक्ति जो स्थायी सदस्यों को प्राप्त है, उसका उल्लेख हो। क्या आप इस पक्ष में हैं कि विटो की पद्धति को उखाड़ देने पर सं० रा० संध अधिक प्रभावी हो जायेगा ?

- 44 What are the contributions of the United Nations Organisation towards world peace ?

विश्व-शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संध की क्या देन है ?

45. Describe the failures and weaknesses of the U. N. O. in the maintenance of peace and security.

संयुक्त राष्ट्र संध की शांति एवं सुरक्षा की स्थापना में जो कमजोरताएँ प्राप्त हुईं उनका उल्लेख करते हुये उसकी दुर्बलताओं का वर्णन कीजिये।

46. "... in fact, the U. N must act as a limited Govt. if the world is to have peace; it has no other choice." Discuss.

“यदि विश्व शांति प्राप्त करना चाहता है तो संयुक्त राष्ट्र संध को एक सीमित सरकार के रूप में कार्य करना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं।” विवेचना कीजिए।

47. "Here, then is the U.N.O and international personality, clothed by its frame with authority to operate on an international plane and whose members have taken important obligations toward it. But it is neither a state nor a super-state. The dilemma is inherent in the development of world society." (Clark M Eicheberger)
Discuss

"संयुक्त राष्ट्र सब एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है जिसके निर्माताओं ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करने की शक्ति का बना पहनावा है तथा जिसके सदस्यों ने इसके प्रति महत्वपूर्ण दायित्व समाले हैं। किन्तु यह न तो एक राज्य है और न ही सर्वोच्च राज्य। यह अन्तर्बिरोध तो विश्व समाज के विकास में निहित ही रहना है।" विवेचना कीजिए।

SUGGESTED READINGS

1. B. Cohen : The Political Process and Foreign Policy.
2. Deutch, Karl W : The Nerves of Government.
3. Fox, William T.R. : Theoretical Aspect of International Relations (ed)
4. Nerman Kahn and : Game Theory, Irwin Mann
5. Hoffman, Stanlay : Contemporary Theory in International Relations.
6. Kaplan, Mortan A : System and Process in International Politics.
7. Manning C. A. W : International Relation, Paris.
8. Miller James G, : Towards a General Theory of the Behavioural Sciences
9. Mc Clell and, : Theory the International System. Charles A
10. Snyder, Richard C : H. W. Bruck and Burton Sapin : Foreign policy decision Making.
11. " " : An Approach to the Study of International Politics.
12. Thompson; Ken. : The Study of International Politics, neth W.
13. Herz, Hohn H. : Political Realism and Political Idealism
14. Morgenthau, : In defence of the National Interest, Hans J.
15. Morgenthau, : Politics among Nations, Hans J.
16. Morgenthau, : Scientific Man V.S. Power Politics. Hans J.
17. Palmer & Perkins : International Relations.
18. Lerner, Daniel, and : The policy Scieuces Lasswell, : Recent Developments in Scope and Harold D. eds : Method

- 19 Wright, Quincy The Study of International Relations
- 20 Padelford and Lincoln The Dynamics of International Politics,
- 21 Benno, Wasserman : 'The cultural and Psychological Approach to the study of International Relations.
- Morgenthau, Hans J. In Defence of the National Interest.
- Morgenthau, Hans J Scientific Man Vs Politics
- 22 Jucker W. Robert ' Professor Morgenthau s Theory of Political Realism ' American Political Science Review
- 23 E H Carr Nationalism and after.
- 24 Earle, Edward M ed Nationalism and Internationalism.
- 25 Gooch, George P Nationalism
- 26 Hayes, C J H The Historical evolution of modern nationalism
- 27 Keeton, George W National Sovereignty and international order
28. Cohn, Hans Nationalism It meaning and History.
- 29 Cobban, Alfred National Self-determination
30. (a) Shafer Boyd G Nationalism Myth and reality.
- 30 (b) Clark, Grover, : The Balance Sheets of Imperialism.
- 31 Moon, Parker T, Imperialism and World Politics.
- 32 Merriam, Charles E History of the theory of Sovereignty since Rousseau,
- 33 John Drewett Signs of the Times.
- 34 David S Mc Lellan, William C and Fred A. Sonderrmann- The Theory and Practice of International Relations,
- 35 Charles E Merriam Political Power
36. Harold D Loswell A Study of Power.

- 37 Colby, C C, editor Geographic Aspects of International Relations
- 38 Emeny Brooks, The Strategy of Raw Materials
- 39 Merriam, Charles 'Political Power, in a Study of Power History
- 40 Organick, A F K, World Politics
- 41 Sprout Harold and Margaret, editors, Foundations of National Power
- 42 Staley Eugene, Raw Materials in peace and War, New-York Council of Foreign Relations
- 43 Mead, Margaret, ed, Cultural Patterns and Technical Change
- 44 Kuczyński Robert R 'Population, History and Statistics, Encyclopaedia of the Social Sciences
- 45 Lorimer, Frank . 'Population Factors Relating to the Organization of Peace, International Conciliation, No 369
- 46 Pye, Lucian Aspects of Political Development, 1966
- 47 Kautsky, John H ed Political Changes in Under developed Countries Nationalism and Communism
- 48 Biezziński, Zbigniew K. Ideology and Power in Soviet Politics, 1962
- 49 Klueberg, Otto The Human Dimension in International Relations, 1964
- 50 Pye, Lucian Politics, Personality and Nation Building, 1962
- 51 Burns, Arthur D Carleton, William G 'Ideology or Balance of Power Yale Review
- 52 Hans, Ernest B 'The Balance of Power Prescription Concept, or Propaganda ' World Politics
- 53 Schwarzenberger, George Power Politics
- 54 Briery J L The Law of Nations

- 55 Corbett, P E Law and Society in the Relations of States
- 56 Fenwick Charles G International Law,
- 57 Kelsen, Hans Principles of International Law
- 58 Sir Wihiam Hater The diplomacy of the great powers, 1960
- 59 Harold Nicolson The diplomacy of diplomatic methods
- 60 Panikkar, K M The principles and practice of Diplomacy
- 61 Losswell Harold D Propaganda Technique in the world war
- 62 Line Barger, Paul Psychological Warfare
M A
- 63 Jack, D T Studies in Economic Warfare
- 64 Falls, Cyril A hundred years of War
- 65 Dulles, John War and Peace
Foster
- 66 Cantril Hadley, ed Tensions that causes wars
- 67 Adler, M J How to think about War and Peace
- 68 Eagleton, Clyde Analysis of the Problem of War
- 69 Vannevar Bush Modern Arms and Freeman
- 70 Quincy Wright A Study of War
- 71 Amitai Etzioni: Winning Without War
- 72 Bernal J D World Without War
- 73 Madarioga S de Disarmament
- 74 Willard N Hoess International Conflict and Collective Security, 1955
- 75 Seabury, Paul Balance of Power
- 76 Kissinger, Henry A The Necessity for Choice
- 77 Phillip C, Jessup A modern Law of Nations, 1949.
- 78 Meyer Cord Peace of Anarchy, 1947.
- 79 Schuman, F L The commonwealth of man : An inquiry into power politics and world Govt , 1952

- 80 Nutting, Anthony Disarmament An outline of the Negotiations 1959
- 81 Woodward E L Some Political Consequences of the Atomic Bomb, 1956
- 82 Claude Jr Inis L Power and International Relations, 1964
- 83 John Strachey On the prevention of War, 1962
- 84 Murray Thomas E, Nuclear Policy for War and Peace, 1960
- 85 Haas, Ernst, B Types of Collective Security An Examination of Operational Concepts, American Political Science Review, XLIX, 40-62
- 86 Wolfers, Arnold, "Collective Security and the war in Korea," The Yale Review XLIII, 481-96
- 87 Johnson, Howard C, Jr and Gerhart Niemeyer, Collective Security The Validity of an Ideal, International Organization VIII, 19-35
- 88 Webster, Sir Charles, The Art and Practice of Diplomacy
- 89 Bowles, Chester The New dimensions of peace, 1955
- 90 Holland, William Asian Nationalism and the West, L ed 1953
- 91 Low, Sir Francis Struggle for Asia, 1956
- 92 Panikkar, K M Asia and western dominance, 1954
- 93 Arciniegas, German The State of Latin America, 1952.
- 94 Daniels, Walter Latin America in the cold war, M ed 1952
- 95 Macdonald, Austin Latin American Politics and Govt. F 1954

- 96 Bartlett Varnon Struggle for Africa, 1953
97. Cloete, Stuart The African giant, 1955
- 98 Davidson, Basil The African Awakening, 1955
- 99 Dundas Sir Charles African Cross roads, 1955
- 100 Brzezinski Zbigniew, The Soviet Bloc Unity and
conflict Cambridge Harvard University Press 1960
- 101 Aubrey, Henry G Coexistence Economic Challenge
and Response Washington, D C National Planning
Assn, 1961
- 102 Robert Henry L, Russia and America Dangers and
Prospects New York : Council on Foreign Relations.
Inc, 1956
- 103 Schwartz Harry, The Red Phoenix Russia since
World War II New York Frederick A Praeger, Inc,
1961
- 104 Thomas A Bailey, A Diplomatic History of the Amer-
ican People
- 105 Samuel F Bemis and G G Griffin, Guide to the Dipl-
omatic History of the United States 1775 1921
- 106 Richard W Van Alasyne, American Diplomacy in
Action
- 107 Dexter Perkins The Evolution of American Foreign
Policy
- 108 Haines, C Grove ed The threat of Soviet Imperialism
- 109 Hunt, R N C The Theory and Practice of Commun-
ism
- 110 Schuman Federick L Soviet Politics at Home and
abroad
111. Tara Covzio T A War and Peace in Soviet Diplomacy.
- 112 Williams, William A American Russian Relations
- 113 Langsome, W C The Strategy of Peace
- 114 Kamath M V, India s Dynamic neutralism Current
History
- 115 Crankshaw, Edward The New Cold War—Moscow
V/s Peking
- 116 Dentsher, I The Great Contest, 1960

- 117 Smith Gordon Connel Pattern of the Post-War World
- 118 Kundra J C Indian Foreign Policy
- 119 Coyle David Cushman The United Nations and how it works
- 120 Karunakaran K P India in World Affairs
- 121 Nehru, Jawaharlal India's Foreign Policy
- 122 Poplai, S L Asia and Africa in the Modern World
- 123 Lequeur, W Z Communism and Nationalism in the Middle East
- 124 Blackett, Patrick, M S Atomic Weapons and East-West Relations.
- 125 King Hall, Sir Stephen Defence in the Nuclear Age
- 126 Russel, Bertrand Commonwealth and Nuclear Warfare Foreign Affairs Vol XXXVIII
- 127 Banerjee, J K The Middle East in World Politics
- 128 Dean, V M Main Trends in post-war American Foreign policy
- 129 Donelon, Michael The Ideas of American Foreign Policy
- 130 Baibey Thomas A America faces Russia Russian American Relations from early times to our day
- 131 Lippman Walter The Cold War A study in U S. Foreign Policy
- 132 Hatch John Africa Today and Tomorrow
- 133 Anton us George The Arab Awakening
- 134 Peter Lyons Neutralism
- 135 Chase Eugene The United Nations in Action McGraw Hill 1950
- 136 Goodrich Leland M, and Simons, Anne P The United Nations and the Maintenance of International Peace and Security The Brookings Institution, 1955
- 137 Haviland, H Field, Jr, The Political Role of the General Assembly Carnegie Endowment for International Peace, 1951

- 138 Wightman, David, *Economic Co operation in Europe*
Praeger, 1956 A study of the Economic Commission
for Europe
- 139 Wilcox, Francis O , and Marcy, Carl M Proposals for
Changes in the United Nations The Brookings Insti-
tution, 1956
- 140 The Times of India
- 141 The Hindustan Times
- 142 International Studies
- 143 Current History
- 144 Foreign Affairs
- 145 Pacific Affairs
- 146 World Politics
- 147 International Affairs
- 148 Review of Politics
- 149 India Quarterly
- 150 साप्ताहिक दिनमान ।
-